

भारतीय संस्कृति का विकास

लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट्. (पेरिस)

(भूतपूर्व कुलपति, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं
गोविन्दवल्लभ पन्त पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार
और मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित)

प्रकाशक

श्री सरस्वती सदन, मसूरी

प्रधान वितरण केन्द्र

ए-१/३२ सफदरजंग एम्बलेव, नई दिल्ली-१६

[मूल्य २४ रुपये

प्रकाशक :

श्री सरस्वती सदन

ए-१/३२ सफदरजंग एन्क्लेव,

नई दिल्ली-११००१६

प्रथम संस्करण, १९७९

मुद्रक :

अजय प्रिंटर्स

नबीन शाहबरा दिल्ली-११००३२

प्रारम्भिक शब्द

संसार की अनेक प्राचीन सभ्यताएँ इस समय नष्ट हो चुकी हैं। सुमेरिया, असीरिया, बैबिलोनिया के तो अब केवल नाम ही शेष हैं। मिस्र के वर्तमान निवासियों का संस्कृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, जिन्होंने कि नील नदी की घाटी में गगनचुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था। प्राचीन ग्रीस और रोम में जो सभ्यताएँ विकसित हुई थीं, वे भी अब नष्ट हो चुकी हैं। आज प्राचीन ग्रीक व रोमन धर्मों का कोई अनुयायी नहीं है। पर भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक कायम है। भारत के बहुसंख्यक निवासियों का धर्म अब भी वैदिक है। उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी, वह आज भी अबाधित रूप से इस देश में बह रही है। बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओं ने अहिंसा और प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना का जो उपदेश दिया था, वह आज तक भी इस देश में जीवित और जागृत है। इस बीमवी सदी में भी इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री और पार्वती हैं।

अनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए। यवन, शक, कुशाण, हूण, तुर्क, अफगान, मुगल और इंगलिश जातियों ने भारत में प्रवेश कर इसके अनेक भागों पर शासन किया। इन सब ने इस देश की संस्कृति को प्रभावित भी किया। पर इन से यहाँ की मूल सांस्कृतिक धारा नष्ट नहीं हुई। जिस प्रकार अनेक छोटी-छोटी नदियाँ व नाले गंगा में मिलकर उसे अधिक समृद्ध करते जाते हैं, और स्वयं गंगा के ही श्रंग बन जाते हैं, वैसे ही विविध जातियों ने भारत में प्रवेश कर इस देश की संस्कृति को समृद्ध बनाने में सहायता की, और उनकी अपनी संस्कृतियाँ इस देश की उन्नत व समृद्ध संस्कृति में मिलकर अपनी पृथक् सत्ता खो बैठी, और यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर एकाकार हो गयीं। मुसलिम तथा यूरोपियन देशों की पाश्चात्य संस्कृतियों के साथ चिरकाल तक सम्पर्क में रहने के कारण इस देश की प्राचीन संस्कृति पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, और ये अन्य संस्कृतियाँ इस देश के निवासियों के धर्म, कला, शिक्षा, रहन-सहन व विचारों आदि पर अपनी अमिट छाप छोड़ गयीं हैं।

किसी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक चिन्तन, कविता, संगीत, कला, शासन-प्रबन्ध आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। मनुष्य जिस ढंग से अपने धर्म का विकास करता है, दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन करता है, साहित्य, संगीत और कला का जिस प्रकार से सृजन करता है, और अपने सामूहिक जीवन को हितकर व सुखी

बनाने के लिए जिन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं व प्रथाओं को विकसित करता है, उन सब का समावेश हम 'संस्कृति' में करते हैं। इस पुस्तक में मैंने भारतीय इतिहास के इन्हीं अंगों का विशद रूप से विवेचन करने का प्रयत्न किया है। इसे लिखते हुए यद्यपि मैंने भारत के राजनीतिक इतिहास की उपेक्षा की है, पर विषय को स्पष्ट करने के लिये प्रसंगवश संक्षिप्त रूप से उसका उल्लेख भी कर दिया है।

—सरयकेतु विद्यालंकार

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
पहला अध्याय—विषय प्रवेश ...	६
(१) सभ्यता और संस्कृति । (२) भारतीय संस्कृति की विशेषता ।	
दूसरा अध्याय—भारत और उसके निवासी ...	१८
(१) भारत भूमि । (२) भारत के निवासी । (३) भारत की प्राच्यभूत एकता । (४) भौगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर प्रभाव ।	
तीसरा अध्याय—सभ्यता का प्राविकाल और सिन्धु-सभ्यता ...	३४
(१) पुरातन प्रस्तर-युग । (२) मध्य और नूतन प्रस्तर-युग । (३) धातु-युग का प्रारम्भ । (४) सिन्धु घाटी की सभ्यता ।	
चौथा अध्याय—आर्य-जाति और उसका भारत में प्रवेश ...	५६
(१) आर्य-जाति । (२) आर्य-जाति का मूल अभिजन । (३) आर्य-जाति का प्रसार ।	
पाँचवाँ अध्याय—वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति ...	६५
(१) वैदिक साहित्य । (२) वैदिक युग का राजनैतिक जीवन । (३) सामाजिक जीवन । (४) धर्म । (५) आर्थिक जीवन ।	
छठा अध्याय—उत्तर-वैदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल ...	७८
(१) वैदिक साहित्य का विकास । (२) वैदिक और उत्तर-वैदिक युग । (३) धर्म और तत्त्व-चिन्तन । (४) शासन-विधि । (५) वर्णाश्रम व्यवस्था । (६) आर्थिक जीवन । (७) रामायण और महाभारत । (८) सामाजिक दशा । (९) भारत के छः आस्तिक दर्शन ।	
सातवाँ अध्याय—प्राचीन प्रायों की भारतीय संस्कृति को बेन	१०५

- आठवाँ अध्याय—बौद्ध और जैन-धर्म** ... ११२
- (१) बौद्ध-युग । (२) धार्मिक सुधारणा । (३) जैन-धर्म का प्रादुर्भाव । (४) जैनों का धार्मिक साहित्य । (५) जैन-धर्म की शिक्षाएँ । (६) महात्मा बुद्ध । (७) बौद्ध-धर्म की शिक्षाएँ । (८) बौद्ध-संघ । (९) भ्राजिवक सम्प्रदाय । (१०) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव । (११) बौद्ध-साहित्य ।
- नवाँ अध्याय—प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास** ... १३४
- (१) मागध साम्राज्य का विकास । (२) विदेशी आक्रमणों का युग । (३) गुप्त साम्राज्य । (४) मध्य युग ।
- दसवाँ अध्याय—बौद्ध-युग की सम्यता और संस्कृति** ... १४३
- (१) मणराज्य और उनकी शासन-विधि । (२) राजतन्त्र राज्यों में शासन का स्वरूप । (३) आर्थिक दशा । (४) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति ।
- ग्यारहवाँ अध्याय—अशोक की धर्मविजय और बौद्ध धर्म का प्रसार** ... १६४
- (१) धर्म विजय का उपक्रम । (२) धर्म विजय के साधन । (३) अशोक और बौद्ध धर्म ।
- बारहवाँ अध्याय—मौर्यकालीन भारत** ... १८२
- (१) मौर्य युग की कला । (२) मौर्यकाल की शासन-व्यवस्था । (३) मौर्यकाल का आर्थिक जीवन । (४) मौर्यकालीन समाज और सम्यता । (५) शिक्षणालय ।
- तेरहवाँ अध्याय—शुंग-सातवाहन-शक युग की सम्यता और संस्कृति** ... २१४
- (१) शुंग-सातवाहन-शक-युग । (२) विदेशियों का भारतीय बनना । (३) साहित्य । (४) वैदिक धर्म का पुनरुत्थान । (५) बौद्ध धर्म की प्रगति । (६) जैन धर्म की प्रगति । (७) जातिभेद का विकास । (८) विवाह-सम्बन्धी नियम । (९) राज्य-शासन । (१०) आर्थिक जीवन । (११) वास्तु और मूर्ति-कला । (१२) बृहत्तर भारत का विकास ।
- बीसवाँ अध्याय—पाश्चात्य संसार से भारत का सम्बन्ध** ... २४३
- (१) मौर्य-युग से पूर्व का काल । (२) सिकन्दर का आक्रमण और मौर्य-युग । (३) भारत और रोमन साम्राज्य । (४) पाश्चात्य साहित्य में भारत का विवरण । (५) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिणाम ।

- पन्द्रहवाँ अध्याय—गुप्त-युग की सम्यता और संस्कृति** ... २५७
- (१) साहित्य और विज्ञान । (२) वार्षिक साहित्य । (३) धार्मिक दशा । (४) गुप्त-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था । (५) गुप्त-काल के सिक्के । (६) गुप्त-साम्राज्य के प्रधान नगर । (७) चीनी यात्री फाह्यान । (८) धार्मिक जीवन ।
- सोलहवाँ अध्याय—गुप्त-काल की कृतिर्था और अक्षरशेष** ... २६४
- (१) मूर्तियाँ और स्तम्भ । (२) प्रस्तर-स्तम्भ । (३) भवन और मन्दिर । (४) चित्र-कला । (५) संगीत ।
- सत्रहवाँ अध्याय—भारतीय सम्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार** ... २६३
- (१) बृहत्तर भारत का विकास । (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया का बृहत्तर भारत । (३) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत । (४) हूणों का भारतीय बनना ।
- अठारहवाँ अध्याय—बौद्ध-धर्म की प्रगति और ह्रास** ... ३१०
- (१) महायान और वज्रयान । (२) बौद्ध-धर्म का अन्य देशों में प्रसार । (३) बौद्ध-धर्म का ह्रास । (४) भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन ।
- उन्नीसवाँ अध्याय—पूर्व मध्य युग की सम्यता और संस्कृति** ... ३२४
- (१) ह्रास का काल । (२) ह्यु एन्-त्सांग । (३) शासन-व्यवस्था । (४) ग्राम-संस्थाएँ । (५) शासन-व्यवस्था का स्वरूप । (६) साहित्य । (७) दर्शनशास्त्र । (८) वैज्ञानिक उन्नति । (९) शिक्षा के केन्द्र । (१०) सामाजिक दशा । (११) धर्म । (१२) मध्ययुग की कला ।
- बीसवाँ अध्याय—दक्षिणी भारत की संस्कृति** ... ३७१
- (१) दक्षिणी भारत की प्राचीन संस्कृति । (२) आर्य संस्कृति का दक्षिणी भारत में प्रवेश । (३) आर्यों का दक्षिणी भारत की संस्कृति पर प्रभाव । (४) दक्षिणी भारत द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास । (५) भारतीय संस्कृति को दक्षिणी भारत की देन ।
- इक्कीसवाँ अध्याय—भारत में इस्लाम का प्रवेश** ... ३८५
- (१) अरबों का आक्रमण । (२) तुर्कों के आक्रमण । (३) इस्लाम का हिन्दू-जाति से प्रथम सम्पर्क । (४) तुर्क-अफगान सल्तनत की स्थापना
- बाईसवाँ अध्याय—तुर्क-अफगान युग का भारत** ... ३९३
- (१) शासन-व्यवस्था । (२) धार्मिक दशा । (३) सामाजिक दशा । (४) हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों का सम्पर्क । (५) वास्तु कला । (६) संगीत और चित्रकला । (७) भाषा और साहित्य ।

भारतीय संस्कृति का विकास

पहला... अध्याय.

विषय-प्रवेश

(१) सभ्यता और संस्कृति

उपनिषदों में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिसपर दो पक्षी बँटे हैं। उनमें से एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है, वह फल नहीं खाता। इस रूपक द्वारा उपनिषद् ने सृष्टि के एक महान् सत्य का प्रतिपादन किया है। वृक्ष का अभिप्राय प्रकृति से है, और उसपर जो दो पक्षी बँटे हैं, वे जीवात्मा और परमात्मा है। जीवात्मा प्रकृति का भोक्ता है, वह उसके सुस्वादु फलों का भक्षण करता है। वह प्रकृति के विविध तत्वों और रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रयुक्त करता है। इसके विपरीत परमात्मा केवल द्रष्टा है, वह सृष्टि का नियमन अवश्य करता है, पर उसका उपभोग नहीं करता।

इसमें सन्देह नहीं, कि जीव या मनुष्य प्रकृति का उपभोग करने वाला है। वह इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, कि प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित करता जाए और उसके सुस्वादु फलों को प्राप्त करे। पर इस प्रयत्न में उसे एकदम सफलता नहीं हो जाती। प्रकृति उसके सम्मुख अपने रहस्यों का धीरे-धीरे उद्घाटन करती है, और वह धीरे-धीरे ही समृद्धि, सभ्यता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐतिहासिकों का मत है, कि शुरू में मनुष्य अन्य पशुओं के समान जंगल में रहा करता था। उस समय वह न वस्त्र पहनता था, और न ही अपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करता था। पेट भरने के लिए अन्न व अन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन भी वह स्वयं नहीं करता था। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-मूल-फल आदि को एकत्र कर व पशुओं का शिकार करके ही वह अपनी क्षुधा को शान्त करता था। धीरे-धीरे इस दशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ। मनुष्य शिकार के लिए न केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा, अपितु उसने पशुओं को पालना भी शुरू किया। उसे यह भी ज्ञान हुआ, कि जिन कन्द-मूल-अन्न आदि को वह जंगल में एकत्र करता है, उन्हें वह स्वयं भी खेती द्वारा उत्पन्न कर सकता है। शीत, वर्षा और गरमी से बचाव के लिए उसने गुफा में रहना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे लकड़ी, फूस व ईंटों के मकान भी वह बनाने लगा। शुरू में वह नंगा फिरता था, पर धीरे-धीरे उसने वृक्षों के बत्कल व पशुओं की खाल से अपने तन को ढकना शुरू किया, और बाद में ऊन, सन व रूई के विविध प्रकार के कपड़ों का वह निर्माण करने लगा। वायु, अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग कर उसने अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न

भारतीय संस्कृति का विकास

पहला अध्याय

विषय-प्रवेश

(१) सभ्यता और संस्कृति

उपनिषदों में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिसपर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाने में व्यस्त है, और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है वह फल नहीं खाता। इस रूपक द्वारा उपनिषद् ने बुद्धि के एक महान् सत्य का प्रतिपादन किया है। वृक्ष का अधिप्राय प्रकृति से है, और उसपर जो दो पक्षी बैठे हैं, वे जीवात्मा और परमात्मा हैं। जीवात्मा प्रकृति का भोक्ता है, वह उसके सुस्वादु फलों का भक्षण करता है। वह प्रकृति के विविध तत्त्वों और रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें अपने सुख और समृद्धि के लिए प्रयुक्त करता है। इसके विपरीत परमात्मा केवल ब्रह्मा है वह सृष्टि का नियमन भवष्य करता है, पर उसका उपभोग नहीं करता।

इसमें सन्देह नहीं, कि जीव या मनुष्य प्रकृति का उपभोग करने वाला है। वह इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, कि प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित करता जाए और उसके सुस्वादु फलों को प्राप्त करे। पर इस प्रयत्न में उसे एकदम सफलता नहीं हो जाती। प्रकृति उसके सम्मुख अपने रहस्यों का धीरे-धीरे उद्घाटन करती है, और वह धीरे-धीरे ही समृद्धि, सभ्यता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। एतिहासिकों का मत है, कि शुरू में मनुष्य अन्य पशुओं के समान जंगल में रहा करता था। उस समय वह न वस्त्र पहनता था, और न ही अपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करता था। पेट भरने के लिए शूल व अन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन भी वह स्वयं नहीं करता था। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-मूल-फल आदि को एकत्र कर व पशुओं का शिकार करके ही वह अपनी लुभा को शान्त करता था। धीरे-धीरे इस दशा में परिवर्तन आया शुरू हुआ। मनुष्य शिकार के लिए न केवल पत्थर के शीशुओं का प्रयोग करने लगा, अपितु उसने पशुओं को पालना भी शुरू किया। उसे यह भी ज्ञान हुआ, कि जिन कन्द-मूल-शूल आदि को वह जंगल में एकत्र करता है, उन्हें वह स्वयं भी खेती द्वारा उत्पन्न कर सकता है। खेत, बर्षा और बरसी से बचाव के लिए उसने गुफा में रहना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे लकड़ी, फूस व ईंटों के मकान भी यह बनाने लगा। शुरू में वह नंगा फिरता था, पर धीरे-धीरे उसने कृशों के बल्कल व पशुओं की छाव से अपने तन को ढकना शुरू किया, और बाद में ऊन, सन व रुई के विविध प्रकार के कपड़ों का वह निर्माण करने लगा। वायु, अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियों का उपभोग कर उसने अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न

किया, और आज वह समय आ गया है, जब मनुष्य गगनचुम्बी भवनों में निवास करता है, विद्युत् शक्ति का उपयोग करता है, और बैज्ञानिक साधनों व यान्त्रिक उपकरणों द्वारा बहुत बड़े परिमाण में अन्न-वस्त्र व अन्य वस्तुओं का उत्पादन करता है।

प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति की है, उसी को हम 'सभ्यता' (सिविलिजेशन) कहते हैं। मनुष्य की यह भौतिक उन्नति धीरे-धीरे हुई है। पत्थर के भद्दे व मोटे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर मनुष्य अब इस स्थिति में पहुँच गया है, कि वह धातुओं का और विद्युत् व परमाणु शक्ति आदि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगा है। इतिहास का अध्ययन करते हुए हम मनुष्य की इस आश्चर्यजनक उन्नति पर विचार करते हैं, और उन विभिन्न दशाओं का विवेचन करते हैं, जिनमें से होते हुए मानव-सभ्यता ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया है। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य निरन्तर उन्नति कर रहा है। इसीलिए ऐतिहासिक लोगों का यह मत है, कि मानव-सभ्यता निरन्तर विकास को प्राप्त हो रही है।

मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। बुद्धि के रूप में मनुष्य को एक ऐसी शक्ति व साधन प्राप्त है, जो अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है। प्रकृति के रहस्यपूर्ण तत्वों और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर जो वह सभ्यता के क्षेत्र में उन्नति कर सका, उसका कारण यह बुद्धि ही है। पर बुद्धि का क्षेत्र केवल भौतिक ही नहीं होता। बुद्धि जहाँ मनुष्य में प्रकृति के विविध तत्वों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, वहाँ वह उसे यह विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है, कि यह सृष्टि किम प्रकार उत्पन्न हुई, इसका निर्माण किसने किया और क्या ऐसा भी समय आयेगा, जब यह सृष्टि नहीं रहेगी। बुद्धि द्वारा मनुष्य यह विचार करने के लिए भी प्रवृत्त होता है, कि यह जो जीवित-जागृत प्राणी है, वह क्या शरीर से भिन्न है? यदि वह शरीर से भिन्न है, तो इसका क्या स्वरूप है। इस प्रकार के विचार द्वारा 'दर्शनशास्त्र' का प्रादुर्भाव होता है। अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता हुआ मनुष्य यह अनुभव करता है, कि जहाँ प्रकृति की अनेक शक्तियाँ उसकी उन्नति में सहायक हैं, वहाँ अनेक शक्तियाँ उसके मार्ग में बाधक भी हैं। आँधी और तूफान उसकी भोंपड़ी को उड़ा देते हैं, दावानल उसके पशुओं और खेतों को जलाकर भस्म कर देता है, और भूकम्प द्वारा जब कभी पृथिवी काँप उठती है, तो उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। प्रकृति के इन विविध कोपों को देखकर वह सोचने लगता है, कि वायु, अग्नि, जल आदि ऐसी दैवी शक्तियाँ हैं, जिन्हें सन्तुष्ट व तृप्त रखे बिना वह कभी अपने हित का सम्पादन नहीं कर सकता। वह वायु, अग्नि आदि को देवता मानकर उनकी पूजा के लिए प्रवृत्त होता है, और इस प्रकार 'धर्म' का प्रारम्भ करता है। प्रकृति के अज्ञात रहस्यों को जानने और उसकी विविध शक्तियों को सन्तुष्ट व तृप्त करने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उनका उसके भौतिक सुखों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं होता। पर इसमें सन्देह नहीं, कि ये प्रयत्न उसके हित व कल्याण में अवश्य सहायक होते हैं। इसीलिए मनुष्य जहाँ अपने भौतिक सुखों के साधन जुटाने में तत्पर हुआ, वहाँ साथ ही वह धर्म तथा दर्शन-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान के चिन्तन के लिए भी प्रयत्नशील हुआ।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, और सामूहिक रूप से ही अपनी समृद्धि व उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। अतः उसके लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का था, कि वह समूह में रहते हुए अपने साथ के अन्य व्यक्तियों के साथ क्या सम्बन्ध रखे। उसने बुद्धि द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया, और धीरे-धीरे उन सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया, जिनपर उसका हित और कल्याण अनेक अंशों में निर्भर रहता है। परिवार, जन (कबीला या ट्राइब), राज्य आदि जिन विविध संस्थाओं का मनुष्य ने विकास किया, वे सब उसके सामाजिक व सामूहिक जीवन को ही अभिव्यक्त करती हैं। अपने सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक विचार करने के कारण ही मनुष्य राजनीति-शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र आदि 'सामाजिक विज्ञानों' का विकास करने में समर्थ हुआ।

प्रकृति के विविध तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। पर उसका सन्तोष केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा ही नहीं होता। वह अपने जीवन को अधिक सरस और सौन्दर्यमय बनाने का यत्न करता है। इसके लिए वह संगीत, साहित्य और कला का अनुसरण करता है, और इन्हें भलीभाँति उन्नत कर अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करता है।

मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है, उसी को 'संस्कृति' कहते हैं। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है, उससे उसकी 'सभ्यता' का निर्माण होता है। पर चिन्तन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो यत्न करता है, उसका परिणाम 'संस्कृति' के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया; दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन किया; साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया; सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं व संस्थाओं को विकसित किया—उन सबका समावेश हम 'संस्कृति' में करते हैं। सभ्यता और संस्कृति का यह भेद महत्वपूर्ण है।

क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसकी संस्कृति का विकास भी सामाजिक व सामूहिक रूप में ही होता है। समाज से पृथक् अकेला रहता हुआ मनुष्य न भौतिक क्षेत्र में उन्नति कर सकता है, और न सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसीलिए संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती। वह समाज के अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है, और यह प्रयत्न भी ऐसा, जिसे एक के बाद एक आने वाली मनुष्यों की विविध संततियाँ निरन्तर करती रहती हैं। यही कारण है, कि संस्कृति का विकास धीरे-धीरे होता है। वह किसी एक युग की कृति नहीं होती, अपितु विभिन्न युगों के विविध मनुष्यों के सामूहिक व अनवरत श्रम का परिणाम होती है।

यह पृथिवी बहुत विशाल है। इसके विविध प्रदेशों में मनुष्यों के विविध समूह हजारों वर्षों से पृथक्-पृथक् निवास करते रहे हैं। इन सब प्रदेशों की प्राकृतिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ एक सन्ध नहीं हैं। यही कारण है, कि पृथिवी के विविध प्रदेशों में निवास करने वाले मनुष्यों के विभिन्न समूहों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति का

विकास विभिन्न प्रकार से किया है। मानव समाज में विभिन्न संस्कृतियों की सत्ता का कारण केवल यह नहीं है, कि विविध मनुष्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियों में निवास करते हैं। मनुष्य का मन, बुद्धि या दिमाग एक ऐसा रहस्यमय तत्त्व है, जो केवल प्रकृति या परिस्थितियों का दास बनकर ही नहीं रह सकता। बहुधा वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, और उसे अनेक अर्थों में अपना अनुगामी बना लेता है। इसीलिए अनेक प्रतिभाशाली मनुष्यों ने प्रकृति के प्रभाव से स्वतन्त्र होकर भी अपनी विशिष्ट संस्कृति के विकास में सहायता पहुँचाई है।

इस पुस्तक में हम भारतीय संस्कृति और उसके विकास पर विचार करेंगे। अपने मुदीर्घ इतिहास में भारत के निवासियों ने जहाँ एक उन्नत सभ्यता का विकास किया, वहाँ साथ ही एक ऐसी संस्कृति का भी प्रादुर्भाव किया, जो बहुत उन्नत और लोक-हितकारी है। भारत की यह संस्कृति अन्य देशों की संस्कृतियों से अनेक अर्थों में भिन्न है, और अपनी अनेक विशेषताएँ रखती है। यही कारण है, जो संसार के इतिहास में इसका महत्त्व बहुत अधिक है।

(२) भारतीय संस्कृति की विशेषता

भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस देश की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। वेद दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है। प्राचीन संसार की अनेक सभ्यताएँ इस समय नष्ट हो चुकी हैं। मिस्र, असीरिया, बैबीलोनिया आदि के तो अब केवल नाम ही बचे हैं। मिस्र के वर्तमान निवासियों का संस्कृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, जिन्होंने कि नील नदी की घाटी में गगनचुम्बो विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, और जिन्होंने अपने पितरों की 'ममी' बनाकर उन्हें अमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था। यही बात असीरिया, बैबीलोनिया आदि सभ्यता के अन्य प्राचीन केन्द्रों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। मिस्र और असीरिया की सभ्यताएँ काल की दृष्टि से भारतीय सभ्यता के समान ही प्राचीन थीं। पर उनके भी बहुत समय बाद यूनान और रोम की जो सभ्यताएँ विकसित हुईं, वे भी अब नष्ट हो चुकी हैं। आज प्राचीन यूनानी व रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं है। जो विचारधारा प्राचीन रोमन लोगों को देवी-देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह आज के रोमन (इटालियन) लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। पर भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी अबतक कायम है। भारत का धर्म अब भी वैदिक है, इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण आज भी वेद-मन्त्रों द्वारा यज्ञ-कुण्ड में आहुति देकर देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों को तृप्त करते हैं। उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी, वह आज भी अबाधित रूप से इस देश में बह रही है। बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओं ने अहिंसा और प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना का जो उपदेश दिया था, वह आज तक भी इस देश में जीवित और जागृत है। यहाँ की स्त्रियों का आदर्श इस बीसवीं सदी में भी सीता, सावित्री और पार्वती है। भारत की संस्कृति की वे क्या विशेषताएँ हैं, जिनके कारण हजारों साल

बीत जाने पर भी वह अभी तक जीवित है। यवन, शक, युद्धि, कुशाण, हूण, तुर्क, अफगान, मुगल और इंगलिश—इन सब विदेशियों के आक्रमण व धामन इस सस्कृति को नष्ट नहीं कर सके।

किसी देश की सस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, साहित्य और कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारत की सस्कृति ने अपने को जिस रूप में अभिव्यक्त किया, उसकी मुख्य विशेषता अध्यात्म की भावना है। आँखों से दिवाई देने वाल इम म्थूल ससार से पगे भी कोई सत्ता है जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके यह प्रकृति फल-फल रही है, यह विचार इस देश में सदा से चला आया है। यह विश्वात्मा हम सबसे विद्यमान है, हम सब इसी के रूप हैं, यही मूलतत्त्व माया द्वारा अपने को प्रकृति के रूप में प्रकट करता है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेता है—ये विचार भारत के न केवल तत्त्ववेत्ताओं में अपितु जनसाधारण में भी प्रचलित रहे। 'जो अपने को सबसे और सबको अपने में देखता है, वही अमल में दबता है, इस भावना का परिणाम यह हुआ कि इस देश में धार्मिक व साम्प्रदायिक विद्वेष बहन नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक धर्म में मुधार करन के लिए जो धार्मिक मुधारणा भगवान् बुद्ध द्वारा प्रारम्भ की गई थी, वह यहाँ के पुराने धर्मों को नष्ट नहीं कर सकी। इसके विपरीत यहाँ के सनातन वैदिक धर्म ने ही उस अपने में लीन कर लिया। बुद्ध को भी राम और कृष्ण की तरह भगवान् का अवतार मान लिया गया। बौद्ध धर्म हिन्दुओं का भी पवित्र वृक्ष बन गया और बौद्ध चैत्य हिन्दू मन्दिरों में परिवर्तित हो गए जहाँ भगवान् व अवतार बुद्ध की पूजा होने लगी। 'सबसे अपने को दबने' की भावना का ही यह परिणाम था। यवन, शक, कुशाण आदि जातियों को भी इसी भावना द्वारा भारतीय समाज का अंग बनाया गया, और उनके अनेक धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों को सनातन वैदिक धर्म में सम्मिलित कर लिया गया। विविध धार्मिक आन्दोलनों और परम्पराओं में आर्य लोग सदा समन्वय स्थापित करते रहे। हिन्दू-धर्म में अनेक मत व सम्प्रदाय रहे हैं, उनमें विरोध और विद्वेष भी रहा है। पर साथ ही, सब सम्प्रदायों की मूल प्रवृत्ति वही अध्यात्म-भावना रही है जो भारतीय सस्कृति की प्रमुख विशेषता है। इसीलिए उनमें विरोध के बावजूद भी समन्वय और ऐक्य स्थापित होता रहा। इस्लाम के सम्पर्क से मन्त्र, ईरान आदि के प्राचीन धर्म नष्ट हो गए, पर भारत का धर्म कायम रहा। भारत के विचारकों ने तो इस्लाम के साथ भी अपने धर्म के समन्वय का प्रयत्न किया। उसीलिए अल्लोपनिषद् बनी। समन्वय की इसी प्रवृत्ति ने 'दीनेडलाही' के रूप में मूर्तरूप धारण किया, यद्यपि यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका। पर भारतीय मुसलमानों को भारतीय सस्कृति की मूल भावना देने में उन देश के विचारकों सफल हुए। मुसलमानों का सूफी सम्प्रदाय भारत के अध्यात्मवाद, योग-साधन और रहस्यवाद का मुस्लिम संस्करण है। मुस्लिम पीरों के भक्तों ने बनाकर उनकी पूजा करना भारतीय सस्कृति की ही देन है। सगीत-विराधी इस्नाम में भजन, नृत्य और सगीत द्वारा अपने पीर-पगम्बरो की भक्ति भारतीय कीर्तन के रूपान्तर के सिवाय और क्या है? राम और रहीम, कृष्ण और करीम की एकता के प्रतिपादन द्वारा इस देश के अनेक सन्तों ने इस्नाम और हिन्दू-धर्म में समन्वय का प्रयत्न किया।

समन्वय की यह प्रक्रिया क्यो पूर्णरूप से सफल नहीं हुई, इस बात की विवेचना का यहाँ स्थान नहीं है। पर यही समन्वय की प्रवृत्ति थी, जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति की परम्परा को अब तक अक्षुण्ण रखा है। बर्मा, लंका, तिब्बत आदि के प्राचीन धर्म लुप्त हो गए, उनका स्थान भारत से ही गए बौद्ध-धर्म ने ले लिया। पर भारत में बौद्ध-धर्म हिन्दू-धर्म में विलीन हो गया। भारतीय संस्कृति की अघ्यात्म-प्रधान मूल भावना 'सबमें अपने को और अपने में सबको' देखने की प्रवृत्ति और समन्वय के विचार ही इसमें प्रधान कारण थे।'

वर्णाश्रम-धर्म भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है। इस देश के विचारकों ने मानव-समाज की कल्पना एक जीवित-जागृत शरीर के रूप में की; जिसमें सिर, बाहु, पैर आदि अंग एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं। समाज रूपी शरीर में ब्राह्मण सिर के समान, क्षत्रिय बाहुओं के समान, वैश्य उदर और जंघाओं के समान और शूद्र पैरों के समान हैं। समाज के ये सब अंग अपने सुख व समृद्धि के लिए एक-दूसरे पर आश्रित हैं। रुपया कमाना वैश्य का काम है, पर अपनी कमाई से सारे समाज का पालन करना उसका परम कर्तव्य है। वह सम्पत्ति का मालिक नहीं है, सम्पत्ति का स्वामित्व समाज में निहित है। वर्ण-व्यवस्था की यह कल्पना आर्यों के प्रारम्भिक राज्यों में क्रियात्मक रूप से विद्यमान थी। बाद में समाज का विभाग इन वर्णों के अनुसार नहीं रहा। पर यह भावना भारत में सदा विद्यमान रही, कि समाज में सबसे उच्च स्थान उन ब्राह्मणों का है, जो त्याग और अकिंचनता को ही अपनी सबसे बड़ी सम्पत्ति मानते हैं। ये ब्राह्मण राजा से भी ऊँचे हैं, 'प्रतिज्ञा-दुर्वन' और पथ-भ्रष्ट राजा को रास्ते पर लाना अथवा पदच्युत कर देना उनका परम कर्तव्य है। ये विचार भारतीय समाज को सदा मर्यादा में रखते रहे। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की व्यवस्था कर भारत के प्राचीन विचारकों ने अघ्यात्म-भावना को सदा जीवित रखा। यद्यपि बाद में संन्यास व व्रतज्या ने भी विकृत रूप धारण कर लिया, पर इस आश्रम का आदर्श क्या है, यह बात इस देश के विचारकों की आँखों से कभी ओझल नहीं हुई। इसीलिए जब बौद्ध-संघ के भिक्षु संन्यास के आदर्श से गिर गए, तो वैष्णव और शैव साधुओं के मठ प्रबल हो गए। जब वैष्णव और शैव संन्यासी अपने आदर्श से विमुक्त होने लगे, तो मध्यकाल के सन्तो द्वारा प्रचारित उदासी, वैरागी आदि साधु-सम्प्रदायों की शक्ति बढ़ने लगी। पर ब्राह्मणों, साधुओं और तापसों की पूजा की भावना इस देश में सदा समान रूप से कायम रही।

विविध सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। अशोक ने इस भाव को कितने सुन्दर शब्दों में प्रकट किया था "देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी, सब सम्प्रदायवालों का सत्कार करते हैं, किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की उत्तनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है। पर उसकी जड़ वाणी का संयम है, अर्थात् लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निन्दा होनी

चाहिए, क्योंकि किसी-न-किसी कारण से सब सम्प्रदायों का आदर करना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। उसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, और दूसरे सम्प्रदाय का भी अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा करता है, वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को पूरी क्षति पहुँचाता है। समवाय (मेलजोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी सेवा करें क्योंकि देवताओं के प्रिय की इच्छा है, कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान् और कल्याण का कार्य करने वाले हों। इसलिए जहाँ-जहाँ सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना बड़ा नहीं मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की उन्नति हो।" अशोक द्वारा प्रतिपादित समवाय (मेलजोल) की भावना भारत के सम्पूर्ण इतिहास में श्रोत-प्रोत रही है। इसीलिए यहाँ धार्मिक दृष्टि से राजाओं ने श्रुत्याचार नहीं किए और न साम्प्रदायिक युद्ध ही हुए। जो दो-एक उदाहरण इस प्रकार के श्रुत्याचारों व साम्प्रदायिक सघर्ष के यहाँ मिलते हैं, वे अपवादरूप हैं। वे भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा को सूचित नहीं करते।

भारत के विचारक सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (सम्पत्ति को जमा करने की प्रवृत्ति का न होना) पर बड़ा जोर देते रहे हैं। इन व्रतों व आदर्शों पर वैदिक, बौद्ध, जैन व पौराणिक विचारकों ने समान रूप से जोर दिया है। हमारे देश की वैयक्तिक व सामाजिक माधना के लिए ये मूल सूत्र रहे हैं। इन आदर्शों का पालन कर जहाँ हमारे प्राचीन गृहस्थों व परिव्राजकों ने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वहाँ हमारे समाज व देश ने भी उन्हीं की साधना में अपनी शक्ति को लगाया। इसी के परिणामस्वरूप अशोक ने धर्म-विजय की नीति का प्रारम्भ किया था, और इनी को सम्मुख रख कर बौद्ध और पौराणिक नेताओं ने संसार में अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था।

पर यह नहीं समझना चाहिए कि अख्यात्म की भावना ने भारत की संस्कृति को निष्क्रिय और इहलोक की उन्नति से विमुख बना दिया था। इस देश के राजा दिग्विजय और चक्रवर्ती साम्राज्य को सदा अपना आदर्श समझते रहे। उन्होंने न केवल भारत में अपितु उसके बाहर भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान की नदियों को पार कर सुदूर बाल्हीक (बल्ल) देश पर भी विजय कायम की। इस देश के व्यापारी धनोपार्जन के लिए मिस्र, रोम, जावा, सुमात्रा और चीन जैसे सुदूरवर्ती देशों में आते-जाते रहे। ऐहलौकिक उन्नति की भारतीयों ने कभी उपेक्षा नहीं की। वे 'पारमार्थिक' और 'व्यावहारिक' में सदा भेद करते रहे। संसार को मिथ्या प्रतिपादित करने वाले शंकराचार्य जैसे दार्शनिक ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा—“व्यावहारिक दृष्टि से तो सभी कुछ सत्य है।” पारमार्थिक सत्य के कारण व्यावहारिक सत्य को इस देश के विचारकों ने कभी अपनी दृष्टि से भोभल नहीं किया। उनका यह विश्वास था कि सच्ची संस्कृति वह है, जो परलोक

और इहलोक, अध्यात्म और भौतिक जीवन, आत्मा और शरीर—इन सबका समान रूप से हित और कल्याण सम्पादित करती है। इसी कारण मूर्ख वेदव्यास ने यह प्रतिपादित किया था कि लोक का जो प्रत्यक्ष जीवन है, उसको जाने बिना मनुष्य सर्व-दर्शी नहीं हो सकता। सर्व या सम्पूर्ण के ज्ञान के लिए मनुष्य के लिए भौतिक जीवन का ज्ञान भी आवश्यक है, और इहलोक के जीवन की उपेक्षा करके काम नहीं चल सकता। इहलोक की उपेक्षा कर जो केवल परलोक की ही कामना करते हैं, उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण अधूरा रह जाता है। इस लोक में और प्रत्यक्ष जीवन में मनुष्य को जो सुख व कल्याण प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इसीलिए महाभारत में कहा गया था—

मनुष्यलोके यत्श्रेयः परं मन्ये युधिष्ठिर !

‘हे युधिष्ठिर, मनुष्य-लोक में या मानव-जीवन में जो श्रेय है, उसी को मैं महत्त्वपूर्ण मानता हूँ।’ अध्यात्म-भावना ने अपनी संस्कृति को प्रोत्-प्रोत् करने पर भी भारत के विचारक इहलोक और जीवन-सुख को महत्त्व देते रहे।

पर अध्यात्म-भावना के कारण भारत की संस्कृति में एक ऐसा सौन्दर्य आ गया, जो इस देश की संस्कृति की अनुपम विशेषता है। इस देश की कला, कविता, संगीत, विज्ञान—सर्वत्र इस अध्यात्म-भावना की छाप दिखाई देती है। यही कारण है, कि भारत के अनेक प्राचीन कलाविद् मंगीत और नृत्य तक को भी परमतत्त्व की प्राप्ति का साधन मानकर उनकी साधना में प्रयत्नशील हुए। चिकित्सा, ज्योतिष आदि ऐहलौकिक ज्ञान के अन्वेषक भी यह मानते रहे, कि उनके ज्ञान का चरम उद्देश्य पर-मार्थतत्त्व की प्राप्ति ही है। ससार के सुख और भोग हेतु नहीं है, उनको प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। पर साथ ही यह ज्ञान लेना और भी अधिक आवश्यक है, कि ऐहलौकिक सुख ही मनुष्य का अन्तिम ध्येय नहीं है। इस विचार-सरणी ने भारत की संस्कृति में एक अनुपम सौन्दर्य ला दिया है। भारतीय संस्कृति की इन विशेषताओं का हम संक्षेप के साथ इस प्रकार परिगणन कर सकते हैं—

(१) यह संस्कृति अध्यात्म भावना पर आधारित है। उसके अनुयायी भौतिकवाद की अपेक्षा अध्यात्मवाद को अधिक महत्त्व देते हैं।

(२) पर इस संस्कृति में ऐहलौकिक सुख और समृद्धि की उपेक्षा नहीं की गई। इसके अनुसार मनुष्य का सर्वांगीण विकास वाछनीय है। शरीर, मन और आत्मा, इहलोक और परलोक, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सतोष—सब क्षेत्रों में एक साथ उन्नति द्वारा ही मनुष्य अपनी वास्तविक उन्नति कर सकता है। मनुष्य जहाँ धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है, वहाँ साथ ही मोक्ष को अपना अन्तिम उद्देश्य मानता है। केवल अर्थ और काम को प्राप्त करके या केवल मोक्ष-साधन में तत्पर होकर मनुष्य अपनी उन्नति नहीं कर सकता। धर्म का अनुसरण कर अर्थ को उपलब्धि करने, धर्मानुसार ‘काम’ का सेवन करने और मोक्ष को अन्तिम लक्ष्य बनाकर ही मनुष्य अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है—यह भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है।

(३) इस सर्वांगीण उन्नति के लिए वर्ण और आश्रम-धर्म का पालन करना

आवश्यक है। मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के 'स्वधर्म' का पालन करके ही अपनी व अपने समाज की उन्नति करने में समर्थ हो सकता है। इससे जहाँ मनुष्य को ऐह-लौकिक सुख की प्राप्ति व समृद्धि का अवसर मिलता है, वहाँ मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य भी उसकी आँखों से ओझल नहीं होने पाता। प्राचीन भारतीयों ने अपने समाज की अनेक संस्थाओं व परम्पराओं का निर्माण इसी वर्णाश्रम-व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार किया था।

(४) सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। धार्मिक विद्वेष का इस देश के इतिहास में प्रायः अभाव रहा है।

(५) भारतीय संस्कृति अनेक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। द्रविड, आर्य, ग्रीक, शक, युद्धि, कुशाण, हूण, अफगान, मुगल आदि कितनी ही विविध जातियों के विचारों, विश्वासों और परम्पराओं के सम्मिश्रण से इसका विकास हुआ है। इस देश के निवासी अन्य लोगों के विचारों व विश्वासों का सदा आदर करते रहे, और उन्हें अपने में मिलाने के लिए सदा तत्पर रहे। अध्यात्म-भावना के कारण जो सहिष्णुता यहाँ के लोगों में उत्पन्न हुई, उसी में यह बात सम्भव हो सकी।

(६) भारत ने अपनी जिस अनुपम संस्कृति को विकसित किया, उसे संसार में प्रचारित करने का भी इस देश के लोगों ने प्रयत्न किया। बौद्धों का 'धर्मचक्र-प्रवर्तन' इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। इसी कारण 'उत्थान' और 'कृष्णन्तो विश्व-मायम्' को प्राचीन आर्यों ने अपना आदर्श बनाया था।

भारत के निवासियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में अपने जीवन को जिस प्रकार विकसित किया, धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, मगीत, कला आदि के क्षेत्रों में जिस प्रकार उन्नति की, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है। इस ग्रन्थ में हम उसी को प्रतिपादन करने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरा अध्याय भारत और उसके निवासी

(१) भारत-भूमि

ब्रिटिश शासन से मुक्त होने पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ भारत-भूमि दो भागों में विभक्त हो गई है। ये भाग हैं, भारत और पाकिस्तान। राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य अब एक-दूसरे से पृथक् हैं, पर ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टियों से इनकी एकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इन दोनों राज्यों का अब तक का इतिहास एक रहा है और इनका विकास एक देश के समान और एक ही ढंग से हुआ है। इस इतिहास में हम भारत की उन्ही सीमाओं को दृष्टि में रखेंगे, जो पाकिस्तान के निर्माण से पूर्व थी। यही नहीं, ब्रिटिश युग के भारत के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जिनका प्राचीन काल में भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्भवतः, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा, कि प्राचीन काल में ये प्रदेश भारत-भूमि के अंग थे। उदाहरणार्थ, वर्तमान अफगानिस्तान के अनेक प्रदेश प्राचीन इतिहास में भारत के उसी प्रकार से अंग थे, जैसे कि काश्मीर और बलोचिस्तान। भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

भारत का नाम—इस देश का नाम भारत किस कारण पड़ा, इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं। जैन-अनुश्रुति के अनुसार भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, जो अत्यन्त प्रतापी और श्रेष्ठ राजा था। उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार पौरव-वंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त का पुत्र भरत था, जो चक्रवर्ती राजा हुआ और जिसने अन्य विविध आर्य-राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया। भरत के इस चक्रवर्ती साम्राज्य का उल्लेख ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी मिलता है। भरत के कारण उसके वंशज 'भारत' कहाये, और उनके शासन में यह देश चिरकाल तक रहा। यही कारण है, कि इस देश का नाम भी भारत हो गया। पुराणों में इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुश्रुति भी उपलब्ध होती है। विष्णुपुराण में लिखा है, कि "समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ भारती-संतति (प्रजा) निवास करती है।" इसमें सूचित होता है, कि भारत के निवासियों की एक प्राचीन संज्ञा 'भारती' भी थी। कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है, कि यह भारती जनता (प्रजा) उन लोगों को सूचित करती है, जो आर्यों के इस देश में आने से पूर्व यहाँ निवास करते थे, और जिनकी सम्प्रदाय के अवशेष

सिन्धु-घाटी में (मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में) उपलब्ध हुए हैं। पर अन्त्य विद्वान् इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है, कि भारतीय-सन्तति का अभिप्राय सम्राट् भरत की प्रजा से है, और इससे किसी धार्य-भिन्न जाति का ग्रहण न कर धार्यों की 'भारत' शाखा का ही ग्रहण किया जाना चाहिये।

इस देश का एक अन्त्य नाम हिन्दुस्तान है। सिन्धु नदी का प्रदेश किसी समय में धार्य लोगों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्राचीन ईरानी लोग 'स' का उच्चारण 'ह' करते थे, और वे सिन्धु नदी तथा उसके तटवर्ती प्रदेशों में निवास करनेवाले लोगों को 'हिन्दू' कहते थे। ईरान के सम्पर्क में जो लोग आये, वे भी इस प्रदेश के निवासियों को हिन्दू और इस प्रदेश को हिन्दुस्तान कहने लगे। प्राचीन ग्रीक लोग सिन्धु नदी को इण्डस कहते थे। इसीलिये वे इसके समीपवर्ती प्रदेशों को इण्डिया कहने लगे। भारत के इण्डिया नाम का यही उद्भव है।

भौगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव—किसी देश की भौगोलिक दशा का उसके इतिहास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन ग्रीस में जो बहुत-से नगर-राज्यों का विकास हुआ, उसका एक कारण यह था कि पर्वत की शृंखलाओं द्वारा ग्रीस अनेक छोटी-छोटी घाटियों में विभक्त था। प्राचीन समय में क्रीट और फिनीशिया जो सामुद्रिक व्यापार व सामुद्रिक साम्राज्यों की स्थापना में समर्थ हुए, उसका कारण उनकी भौगोलिक स्थिति ही थी। वर्तमान समय में ग्रेट ब्रिटेन और जापान ने नाविक क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति की, उसका श्रेय भी उनकी भौगोलिक स्थिति को ही दिया जाता है। अनेक विद्वानों का मत है, कि किसी देश की जलवायु और उपज-शक्ति आदि का भी उसके इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच विद्वान् रूसो के अनुसार ग्रीष्म जलवायु वाले देशों में एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी शासन का विकास होता है। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् बकले ने यह प्रतिपादित किया था, कि किसी देश के मनुष्यों की क्रियाएँ उनके अपने विचार व चिन्तन पर उतना निर्भर नहीं करती, जितना कि प्राकृतिक परिस्थितियों पर। बकले के अनुसार नार्वे और स्वीडन के लोगों में और स्पेन तथा पोर्तुगाल के लोगों में जो भारी अन्तर है, उसका कारण इन देशों की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं। मनुष्य जो भोजन करता है, जिस जलवायु में निवास करता है, और जिन परिस्थितियों में रहता है, उनका उसके शरीर, मन और विचारों पर बहुत असर पड़ता है। इन बाह्य प्रभावों द्वारा न केवल मनुष्यों के वैयक्तिक चरित्र का निर्माण होता है, अपितु साथ ही उनके सामूहिक व राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास होता है।

मनुष्यों के विचार, राष्ट्रीय चरित्र व सस्थाओं पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव को किस अंश तक स्वीकार किया जाय, इस विषय में मतभेद की गुञ्जाइश है। शासन-व्यवस्था जलवायु और भौगोलिक दशा पर ही निर्भर नहीं होती। जिस समय रूसो यह प्रतिपादित कर रहा था, कि ग्रीष्म जलवायु वाले प्रदेशों में एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन होते हैं, तभी फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली आदि यूरोपियन राज्यों में भी ऐसे निरंकुश राजाओं का शासन था, जो अपनी इच्छा को ही कानून समझते थे। फ्रांस के लुई चौदहवें व स्पेन के फिलिप द्वितीय का शासन जहाँगीर व औरंगजेब के शासन से

स्वेच्छाचारिता में किसी भी प्रकार कम नहीं था। पर यह सत्य है, कि भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव देश के इतिहास पर पड़ता है। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जो व्यावसायिक क्षेत्र में इतना अधिक आगे बढ़ गये, उसका एक प्रधान कारण वे खनिज पदार्थ हैं, जो वहाँ बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिन देशों में भ्रव परमाणु-शक्ति को उत्पन्न करने में सहायक यूरेनियम आदि पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी भविष्य में बहुत उन्नति होगी, यह बात पूर्ण भरोसे के साथ कही जा सकती है। भारत के इतिहास पर भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत असर हुआ। अतः यह आवश्यक है, कि हम इस देश की भूमि और अन्य प्राकृतिक दशाओं का संक्षेप के साथ निरूपण करें।

भारत की सीमा—प्राकृतिक दृष्टि से भारत की सीमाएँ अत्यन्त सुन्दर व निर्दोष हैं। इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची और दुर्गम पर्वत-शृंखलाएँ हैं। पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में यह महासमुद्र द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी कोनों पर समुद्र नहीं है, पर उनकी सीमा निर्धारित करने के लिए हिमालय की पश्चिमी और पूर्वी पर्वत-शृंखलाएँ दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं, और समुद्रतट तक चली गई हैं। हिमालय की पश्चिमी पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर मफेंदकोह, सुनेमान और किरथर की पहाड़ियों के रूप में अरब-सागर तक चली गई हैं, और भारत की निन्धु-घाटी को अफगानिस्तान और बलोचिस्तान में पृथक् करती है। उत्तर-पश्चिम की ओर भारत की असली वैज्ञानिक सीमा हिन्दूकुश पर्वत है, जो हिमालय की पर्वत-शृंखला का ही एक अंग है। हिन्दूकुश पर्वत के दोनों ओर का प्रदेश जो अब अफगानिस्तान के अन्तर्गत है, प्राचीन काल में भारत का ही अंग था। उत्तर-पूर्व में हिमालय की एक शृंखला दक्षिण की ओर झुकती है, और लुशेई, नागा और पतकोई पहाड़ियों के रूप में बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है। प्रकृति ने भारत को एक विशाल दुर्ग के समान बनाया है, जो पर्वत-शृंखलाओं और समुद्र से घिरा हुआ है। जैसी सुन्दर और स्वाभाविक सीमा भारत की है, वैसी शायद ही किसी अन्य देश की हो।

भौगोलिक विभाग—भारत की इस स्वाभाविक सीमा के बीच में इस विशाल देश के चार बड़े प्राकृतिक विभाग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ये विभाग निम्न-लिखित हैं—(१) सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेश, (२) उत्तर-भारत का मैदान, (३) विन्ध्य-मेखला और मध्य-भारत का पठार, और (४) दक्षिणी भारत। इनमें से प्रत्येक पर सक्षिप्त रूप से विचार करना उपयोगी है।

सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेश—पश्चिम से पूर्व तक भारत के उत्तरी सीमान्त पर विद्यमान हिमालय की पर्वत-शृंखला लम्बाई में १६०० मील के लगभग और चौड़ाई में १५० मील से २०० मील तक है। हिमालय का यह विस्तृत पार्वत्य-प्रदेश अनेक स्थानों पर आबाद है। इसकी मनोहर घाटियों में अनेक जातियाँ प्राचीन काल से बसती आयी हैं, और इनके अनेक छोटे-बड़े राज्य भी प्राचीन समय में स्वतन्त्र रूप में विद्यमान रहे थे। हिमालय के सबसे अधिक पश्चिमी प्रदेश में प्राचीन काल में उरशा का राज्य था, जो आजकल के हजारा जिले में विद्यमान था। उससे पूर्व में जेहलम (वितस्ता) नदी की घाटी में काश्मीर है, जो प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का

महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। काश्मीर में विद्यमान मार्तण्ड-मन्दिर के भग्नावशेष और अमरनाथ का मन्दिर इस संस्कृति के परिचायक हैं। काश्मीर के उत्तर में सिन्धु नदी की घाटी में दरद देश था, जो अब भी दरदिस्तान कहाता है। काश्मीर-घाटी के दक्षिण में जेहलम और चनाब नदियों के बीच का पार्वत्य-प्रदेश प्राचीन समय में अग्निसार देश कहाता था। इस प्रदेश में आजकल पुंछ, राजौरी और बिम्बर के प्रदेश हैं। काश्मीर के दक्षिण में ही रावी और चनाब के बीच का पार्वत्य-प्रदेश प्राचीन समय में दार्व देश कहा जाता था। इसी में आजकल जम्मू का प्रान्त विद्यमान है।

रावी और व्यास नदियों के बीच का पार्वत्य-प्रदेश अब काँगडा कहाता है। प्राचीन समय में यह त्रिगर्त देश के अन्तर्गत था। काँगडा के साथ का जो प्रदेश अब कुल्लू कहाता है, उसका प्राचीन नाम कुलूत था। सतलज नदी की घाटी के जिन पार्वत्य प्रदेशों में ब्रिटिश युग में बसहर आदि रियासतें थीं, उसको प्राचीन समय में किन्नर देश कहते थे। यह किन्नर देश सतलज और यमुना के बीच की पार्वत्य-घाटी तक चला गया है। यमुना के पूर्व का पार्वत्य-प्रदेश गढदेश (गढ़वाल) है, जिसके और अधिक पूर्व में कूर्माञ्चल (कुमायूँ) का क्षेत्र है। कूर्माञ्चल के पूर्व में क्रमशः नेपाल, मिक्किम और भूटान स्थित हैं। भूटान के पूर्व में असम का उत्तरी प्रदेश आ जाता है, जिसमें आजकल अका, दफला, मीरी, अबोर और मिस्री जातियों का निवास है। ये विविध जातियाँ हिमालय के सबसे अधिक पूर्वी प्रदेश में निवास करती हैं। प्राचीन समय में इन क्षेत्रों में किसी उन्नत आर्य-राज्य की सत्ता सूचित नहीं होती।

हिमालय के पश्चिमी सीमान्त पर विद्यमान उरक्षा (हजार) देश का उल्लेख हमने ऊपर किया है। सिन्धु नदी के पश्चिम में स्वात (सुवास्तु), पजकोरा (गौरी) और कुनार नदियाँ काबुल (कुभा) नदी में मिलती हैं, और फिर यह कुभा नदी सिन्धु में आ मिलती है। स्वात, पजकोरा और कुभा नदियों से सिंचित यह प्रदेश प्राचीन समय का पश्चिमी गान्धार देश है, जिसकी राजधानी पुष्करावती थी। इस पुष्करावती के खण्डहर स्वात और काबुल (कुभा) नदियों के संगम पर उपलब्ध हुए हैं। पश्चिमी गान्धार से और आगे पश्चिम की ओर चलने पर हिन्दूकुश पर्वत के साथ का प्रदेश प्राचीन समय में कपिश देश कहाता था। कपिश के पश्चिम-उत्तर में आजकल जो बदख्शा और बल्ख प्रदेश हैं, उन्हीं को प्राचीन समय में कम्बोज और बाल्हीक देश कहते थे। ये विविध प्रदेश अब भारत के अन्तर्गत नहीं हैं। पर प्राचीन समय में ये भारत के ही अंग थे, और इनमें भी भारतीय आर्यों के विविध राज्य विकसित हुए थे। भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का यह प्रयत्न रहता था, कि इन सबको जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित करें। चन्द्रगुप्त मौर्य और गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राट् अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए थे।

हिमालय की सुविस्तीर्ण पर्वत-शृंखलाएँ भारत के लिए सन्तरी का काम करती रहीं हैं। विदेशियों के लिए यह सुगम नहीं है, की वे इन्हे पार कर भारत पर आक्रमण करें। पर इस दुर्गम पर्वतमाला के होते हुए भी भारत का बाहरी दुनिया से सम्बन्ध टूटा नहीं। कारण यह कि इसमें अनेक ऐसे दरें हैं, जिनसे जहाँ अनेक विदेशी जातियाँ समय-समय पर भारत में प्रवेश करती रहीं, वहाँ साथ ही भारत के लोग भी अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करने या उपनिवेश बसाने के लिए बाहर जाते रहे।

उत्तर-भारत का मैदान—हिमालय के पर्वतप्रधान प्रदेशों के नीचे और विन्ध्य-मैदला के उत्तर में जो विस्तृत मैदान है, वह लम्बाई में १६०० मील के लगभग है। इस विशाल मैदान को नदियों के दो जाल सींचते हैं, जिनका उद्गम लगभग एक ही जगह से है। नदियों का एक जाल पंजाब में सिन्धु व उसकी सहायक नदियों का है, और दूसरा गंगा-यमुना व उनकी सहायक नदियों का। पंजाब की नदियाँ दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं, और गंगा-यमुना का प्रवाह दक्षिण-पूर्व की तरफ है। इससे स्पष्ट है, कि यमुना और सतलज के बीच का प्रदेश ऊँचा व जल का विभाजक है। इसी प्रदेश में राजपूताना का रेगिस्तान और अरावली (आडावला) की पर्वतमाला फैली हुई है। सतलज और यमुना के बीच का जलविभाजक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तरी मैदान में यही एक ऐसा प्रदेश है, जो शस्य-श्यामल व उपजाऊ नहीं है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में कुरुक्षेत्र का बागर है, और दक्षिणी भाग में अरावली-पर्वतमाला और राजपूताना का मरुस्थल। सिन्धु और गंगा के क्षेत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र का बागर ही एक ऐसा तंग रास्ता है, जिससे होकर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली या पश्चिम से पूर्व की ओर आनेवाली सेनाएँ गुजर सकती हैं। यही कारण है, कि कुरुक्षेत्र के बागर-प्रदेश में भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण व भाग्य-निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं।

मानव-सभ्यता का विकास शुरू में नदियों की उपजाऊ घाटियों में ही हुआ था। वहाँ न केवल जल की सुविधा थी, अपितु उनमें कृषि के लिए उपयुक्त जमीन व पशुपालन के लिए उपयुक्त चरागाह भी सुगमता से प्राप्त हो सकते थे। जिस प्रकार पश्चिमी संसार में दजला और फरात नदियों की घाटी (ईराक) में और नील नदी की घाटी (मिस्र) में मानव-सभ्यता का विकास अति प्राचीन काल में हुआ, वैसे ही भारत में सिन्धु नदी और गंगा की घाटियों में अत्यन्त प्राचीन समय में सभ्यता का विकास हुआ। आर्य-जाति के प्रवेश से पूर्व भी अनेक आर्य-भिन्न जातियों ने इन क्षेत्रों में अपनी विविध बस्तियाँ बसायी थीं। जब आर्य लोग यहाँ आकर बसे, तब उन्होंने तो इन प्रदेशों से अपनी सभ्यता का बहुत उन्नत रूप से विकास किया।

भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत के इस मैदान को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है, पंजाब, सिन्धु, राजपूताना, गंगा व उसकी सहायक नदियों से सिञ्चित प्रदेश, गंगा का मुहाना और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। सिन्धु नदी की घाटी और गंगा की घाटी के बीच के प्रदेश (राजपूताना का मरुस्थल) का इतिहास में बहुत महत्व है। प्राचीन समय में इसको पार कर सकना किसी भी सेना के लिए सुगम नहीं था। आठवीं सदी के अरब आक्रान्ता दक्षिणी बलोचिस्तान के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए थे। सिन्धु को उन्होंने विजय भी कर लिया था, पर राजपूताना की मरुभूमि के कारण उनके लिए यह संभव नहीं हुआ, कि वे सिन्धु से आगे बढ़कर उत्तर-भारत के मैदान को अपने अधीन कर सकें। आगे चलकर जब तुर्क आक्रान्ताओं ने भारत पर आक्रमण किया, तो वे उत्तरी मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए। विदेशी आक्रमणों से परेशान होकर पंजाब और गंगाघाटी की अनेक जातियों ने राजपूताना के मरुस्थल में जाकर ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की थी।

उत्तरी भारत के इस सुविस्तृत मैदान में प्राचीन समय में बहुत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे। आर्य जाति ने भारत में प्रविष्ट होने के बाद इसमें अनेक राज्य कायम किये। आर्यों के मानव (एक्वाकव) और ऐल (चन्द्र) वंशों ने बहुत-सी शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त होकर इस मैदान में अपने बहुत-से राज्य स्थापित किये थे। भारत का प्राचीन इतिहास प्रधानतया इसी मैदान का इतिहास है, क्योंकि इसी में वे चक्रवर्ती सम्राट् हुए, जिन्होंने सारे भारत को अपने शासन में लाने के अनेक सफल प्रयत्न किये।

विन्ध्यमेखला—भारत के ठीक बीच में विन्ध्याचल की पर्वतमाला है, जो पश्चिम में अरावली की पर्वत-शृंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप तक चली गई है। विन्ध्याचल से अनेक नदियाँ निकलकर उत्तर की ओर चली गई हैं, और आगे चलकर गंगा नदी में मिल गई है। चम्बल, सिन्ध (पंजाब की सिन्ध नदी नहीं), वेतवा, केन और सोन नदियाँ इनमें मुख्य हैं। दुर्गम पर्वतों से युक्त विन्ध्याचल का यह प्रदेश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक् करता है। आर्यों के लिए यह तो सुगम था, कि वे उत्तर भारत के मैदान में शीघ्रता से अपना प्रसार कर सकें। पर विन्ध्यमेखला को पार कर दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकना बहुत अधिक सुगम नहीं था। यही कारण है, कि दक्षिण में आर्य-भिन्न जातियाँ बड़ी संख्या में निवास करती हैं, और नस्ल, भाषा आदि की दृष्टि से दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बहुत भेद है। विन्ध्याचल का क्षेत्र पर्वतप्रधान होने के कारण उतना अधिक आबाद व समृद्ध नहीं है, जितना कि उत्तर भारत का मैदान है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के इस क्षेत्र को अनेक भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये विभाग निम्नलिखित हैं—(१) दक्षिण राजपूताना, जो चम्बल नदी के पश्चिम में और अरावली पर्वतमाला के समीप का प्रदेश है। (२) मालवा, जिनमें चम्बल और सिन्ध नदियों की घाटी का प्रदेश, नर्मदा नदी की घाटी का मध्यवर्ती प्रदेश और सातपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग सम्मिलित है। (३) बुन्देलखंड। (४) बघल-खंड। (५) झाड़खंड या छोटा नागपुर। गुजरात के शश्य-श्यामल व उपजाऊ प्रदेश को भी विन्ध्यमेखला के ही अन्तर्गत किया जा सकता है, यद्यपि वह इस पर्वतमाला के एक तरफ बगल में रह जाता है। गुजरात न दक्षिण भारत में है, और न उत्तर भारत के मैदान में। पर विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसका उल्लेख भी इसी क्षेत्र में किया जाना उचित है।

कृषि की दृष्टि से विन्ध्यमेखला का क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान का मुकाबला नहीं कर सकता, पर जंगलों और खानों की दृष्टि से वह बहुत समृद्ध है। प्राचीन काल में यह प्रदेश बड़े-बड़े जंगलों से परिपूर्ण था, और इसमें कृषि की विशेष सुविधा नहीं थी। यही कारण है, कि इस क्षेत्र में उत्तर भारत के समान समृद्ध राज्यों व नगरों का विकास नहीं हो सका। उत्तर और दक्षिण-भारत में सम्बन्ध जोड़ने वाले विविध मार्ग विन्ध्याचल के प्रदेशों में से होकर ही गये हैं, इस कारण प्राचीन काल में इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व बहुत अधिक था।

दक्षिण भारत—भारत का दक्षिण भाग आकार में एक त्रिभुज के समान है,

जिसके दो ओर समुद्र और एक ओर विन्ध्याचल की पर्वतमाला है। विन्ध्याचल की दो भूजाएँ दक्षिण भारत के समुद्रतट के साथ-साथ कुछ अन्तर छोड़कर दक्षिण की ओर चली गई है, जो क्रमशः पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहाती है। पश्चिमी घाट को सहाय्य पर्वत भी कहते हैं। सहाय्य पर्वतमाला और समुद्र के बीच में जो समतल मैदान है, वह चौड़ाई में बहुत कम है। इसके उत्तरी भाग को कोकण और दक्षिणी भाग को केरल व मलाबार कहते हैं। ये दोनों प्रदेश उपज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से अब तक कोकण और केरल अपनी उपज-शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। दक्षिण भारत की सब प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसका अभिप्राय यह है, कि उसकी जमीन का ढाल पूर्व की ओर है। पश्चिमी घाट की ऊँची पर्वतमालाएँ पूर्व की ओर ऊँचाई में कम होती जाती है, और इनके कारण कोकण और केरल से पूर्व की तरफ का दक्षिणी भारत एक पठार के समान है, जिसके उत्तरी भाग को महाराष्ट्र और दक्षिणी भाग को कर्णाटक कहते हैं। महाराष्ट्र का प्रदेश पर्वतप्रधान है, और उसमें खेती की विशेष सुविधा नहीं है। इसीलिए वहाँ के निवासियों को अपनी आजीविका के लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता रही है, और वे स्वभाव से ही परिश्रमी व कष्टसहन की प्रवृत्ति रखने वाले रहे हैं। कर्णाटक का पठार ऊँचाई में महाराष्ट्र से अधिक है, परन्तु उसके दक्षिणी सिरे पर पहाड़ों का सिलसिला समाप्त होकर मैदान आ जाता है। इस कारण यह प्रदेश बहुत उपजाऊ व समृद्ध है, और प्राचीन समय में यहाँ भी अनेक उन्नत राज्यों का विकास हुआ था।

पश्चिमी घाट के समान पूर्वी घाट की पर्वतमाला भी समुद्रतट में कुछ हटकर उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। नदियों के कारण पूर्वी घाट की यह पर्वत-शृंखला बीच-बीच में टूट जाती है, और पूर्वी समुद्र में गिरने वाली इन नदियों के मुहानों द्वारा पूर्वी समुद्र के साथ-साथ समतल मैदान का एक अच्छा चौड़ा क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र का सबसे उपरला भाग कर्लिंग (उडीसा), बीच का भाग आन्ध्र देश, और निचला भाग चोलमंडल (कोरोमंडल) कहाता है। ये तीनों प्रदेश बहुत उपजाऊ हैं, और इनमें वर्षा भी प्रचुर मात्रा में होती है। ये प्रदेश न केवल वर्तमान समय में समृद्ध हैं, अपितु प्राचीन काल में भी इनमें अनेक शक्तिशाली और उन्नत राज्यों का विकास हुआ था। कर्लिंग के राजा मौर्ययुग में अत्यन्त शक्तिशाली माने जाते थे, और एक बार तो कर्लिंग-राज ने पाटलिपुत्र तक को विजय कर लिया था। आन्ध्र और चोल-राज्यों ने भी एक से अधिक बार उत्तर भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया था।

दक्षिण भारत को जाने वाला एक प्रधान मार्ग बंगाल से कन्याकुमारी तक समुद्रतट के साथ-साथ जाता है। प्राचीन समय में यह मार्ग बहुत अधिक प्रयुक्त होता था, और उत्तर भारत के अनेक सम्राटों ने इसी का अनुसरण कर दक्षिण भारत में दिग्विजय की थी।

लंका या सिंहलद्वीप भी दक्षिण भारत का ही एक अंग है, जो रामेश्वरम् के आगे सेतुबन्ध की चट्टान-शृंखला द्वारा दक्षिण भारत से प्रायः जुड़ा हुआ-सा है।

प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से सिंहलद्वीप को भी भारत के ही अन्तर्गत रखना उचित होगा।

समुद्र—ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के समुद्र का भी बहुत महत्त्व है। प्राचीन भारतीय लोग समुद्र का जहाँ व्यापार के लिए उपयोग करते थे, वहाँ अपनी सभ्यता का विस्तार करने के लिए भी वे समुद्रमार्ग से दूर-दूर तक जाते थे। पूर्वी एशिया में बृहत्तर भारत का जो विकास हुआ, उसका कारण यह समुद्र ही था, जिसे पार करने के लिए भारतीय लोग अनेक प्रकार की नौकाओं और जहाजों का उपयोग करते थे।

(२) भारत के निवासी

भारत एक अत्यन्त विशाल देश है। इसमें सब प्रकार की जलवायु विद्यमान है। इसमें जहाँ एक ओर हिमालय की ऊँची-ऊँची पर्वत-शृंखलाएँ व घाटियाँ हैं, जिन पर सदा बरफ जमी रहती है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे प्रदेश भी हैं, जो उष्ण कटिबन्ध के अन्तर्गत होने के कारण सदा गर्म रहते हैं। जलवायु और प्राकृतिक दशा की भिन्नता के ममान इस देश के निवासियों में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। इस विभिन्नता के आधार नस्ल और भाषा के भेद हैं। मनुष्य के शरीर की आकृति, रचना और रंग के आधार पर नृतत्व-शास्त्र के विद्वानों ने मनुष्यों को अनेक नस्लों में विभक्त करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, भाषा की भिन्नता के आधार पर भी मनुष्यों में अनेक जातियों की भिन्नता प्रदर्शित की गई है। शरीर की रचना या भाषा के भेद के आधार पर इस प्रकार के मनुष्यों की विभिन्न जातियों की कल्पना करना कहीं तक उचित व युक्तिमग्न है, इस विषय पर विचार करने की यहाँ हमें आवश्यकता नहीं। पर यह स्पष्ट है, कि भारत के वर्तमान निवासियों को दृष्टि में रखकर उन्हें अनेक विभागों या जातियों में बाँटा जा सकता है। भाषा के भेद को सम्मुख रखकर भारत-भूमि के निवासियों को जिन मुख्य विभागों में बाँटा जाता है, वे निम्नलिखित हैं—

(१) **आर्य**—भारत के निवासियों की बहुसंख्या आर्य जाति की है। भाषा की दृष्टि से भारत में आर्य-भाषाओं को बोलने वालों की संख्या १०० में ७६-४ है। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएँ आर्य-परिवार की हैं। उडिया, हिन्दी, पंजाबी, पस्तो, काश्मीरी, गुजराती, अमरी, बंगला, मराठी, सिन्धी और लहदा ये सब आर्य-भाषाएँ ही हैं। भारत की आर्य-परिवार की भाषाओं में हिन्दी सबसे मुख्य है। इसे बोलने वालों की संख्या तीस करोड़ के लगभग है। साहित्यिक उपयोग के लिए हिन्दी का जो रूप प्रयुक्त होता है, वह कुरु देश (गंगा-यमुना के दोआब का उत्तरी भाग) में बोली जाने वाली खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। सर्वसाधारण जनता की बोलचाल में हिन्दी भाषा के जो विविध रूप प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रमुख ये हैं—खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, राजस्थानी, पंजाबी, बुन्देली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, गोरखाली, कुमाउँनी, गढ़वाली और कन्नीजी। पश्चिम में हरियाणा से शुरू कर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक हिन्दीभाषा का क्षेत्र है। असम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिन्ध, जम्मू, पंजाब,

सीमाप्रान्त और काश्मीर की विविध भाषाएँ भी आर्य-परिवार की हैं, और इनको बोलने वाले लोग भी आर्य-जाति के माने जाते हैं। हिन्दी, मराठी और विविध पहाड़ी बोलियाँ (जिन्हे हिन्दी के ही अन्तर्गत समझना चाहिये) देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आर्य-परिवार की अन्य भाषाओं की लिपियाँ देवनागरी में कुछ भिन्न हैं, पर उनकी वर्णमाला देवनागरी के समान ही है। केवल पश्तो और सिन्धी ने मुसलिम प्रभाव के कारण अरबी वर्णमाला और लिपि को अपना लिया है।

यह कह सकना कठिन है, कि आर्य-भाषाओं को बोलने वाले सब लोग जातीय दृष्टि से भी आर्य हैं। बंगाल, अरुम आदि पूर्वी भारत के प्रदेशों में जो लोग बसते हैं, उनमें आर्य-भिन्न रक्त भी प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। इस प्रकार विन्ध्यमेखला के निवासी आर्य-भाषा-भाषी होते हुए भी नस्ल की दृष्टि से सर्वांश में आर्य नहीं माने जाते। वस्तुतः, भारत में रक्त का सम्मिश्रण बहुत हुआ है, और यहाँ के बहुमध्यक निवासी नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आर्य जाति के नहीं समझे जाते।

भारत के जिन प्रदेशों में आजकल आर्य-परिवार की विविध भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें प्राचीन काल में भी आर्य भाषाएँ ही प्रचलित थीं। सन्तुन, पाली, प्राकृत व उनके अपभ्रंश विविध समयों में इन प्रदेशों में बोले जाते थे। वस्तुतः, भारत की आधुनिक आर्य-भाषाएँ इन प्राचीन आर्य-भाषाओं में ही विकसित हुई हैं। जिन प्रदेशों में आजकल आर्य-भाषाओं का चलन नहीं है, उनकी भाषाओं पर भी प्राचीन आर्य-भाषा सस्कृत का गहरा प्रभाव है। उनमें सस्कृत के शब्द बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं, और उन प्रदेशों के विद्वान् सस्कृत का अध्ययन करना अत्यन्त गौरव की बात समझते हैं।

(२) **द्रविड़**—भारत के निवासियों में द्रविड़ लोगों की संख्या १०० में २१.६ है। ये प्रधानतया दक्षिण भारत में निवास करते हैं। वर्तमान समय की द्रविड़ भाषाओं में मुख्य निम्नलिखित हैं—तेलगू, तमिल, मलयालम और कन्नड। ये क्रमशः आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्णाटक में बोली जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएँ भी हैं, जिन्हे द्रविड़वर्ग के अन्तर्गत रखा जाना है। इनमें से अन्यतम ब्राह्मि उत्तर भारत के पश्चिमी कोने में गुदूरवर्ती काल में बोली जाती है। ब्राह्मि भाषा को बोलने वालों की संख्या दो लाख के लगभग है। उत्तर भारत में बलोचिस्तान में एक द्रविड़ भाषा की संज्ञा में यह अनुमान किया जाता है, कि आर्यों के समान द्रविड़ लोग भी पश्चिम की ओर से भारत में प्रविष्ट हुए थे, और वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। अन्य द्रविड़ भाषाओं में गोडी, कुई, कुह्वी और मल्लो बोलियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये बोलियाँ मध्य भारत के विविध क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इन्हे द्रविड़-परिवार की भाषाएँ माना जाता है।

(३) **मुंड या शाबर**—दस शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला व उसके पड़ोस के प्रदेशों में बोली जाती हैं। इनके बोलनेवालों की कुल संख्या चालीस लाख के लगभग है। मुंड-भाषाभाषी लोग प्रधानतया छोटा नागपुर और संयाल परगनों के जंगल प्रधान प्रदेशों में निवास करते हैं। इनकी भाषा की न कोई लिपि है और न वर्णमाला। इस दशा में इस भाषा का कोई साहित्य तो हो ही नहीं सकता। पड़ोस की अधिक विकसित व सम्पन्न भाषाएँ धीरे-धीरे इन बोलियों को आत्मसात् करती जाती हैं।

(४) किरात—इस शाखा के वास्तविक अभिजन तिब्बत और बरमा हैं। इस जाति के लोग न केवल तिब्बत और बरमा में अपितु चीन और हिन्दचीन में भी छाये हुए हैं। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, इस देश में किरात-जाति की तीन शाखाएँ विद्यमान हैं—(१) तिब्बत-हिमालयी, (२) असमोत्तरक और (३) असम-बर्मी या नौहित्य। तिब्बत की सीमा के समीप स्थित भारतीय प्रदेशों में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, जो किरातवर्ग की हैं। इनमें बाल्ती (बाल्तिस्तान की) और लद्दाखी (लद्दाख की) बोलियाँ मुख्य हैं। असम के उत्तरी प्रदेशों में निवास करने वाली अनेक जातियाँ भी किरात-भाषाएँ बोलती हैं। इसी प्रकार लोहित्य घाटी में (असम में) अनेक ऐसी जातियों का निवास है, जिनकी बोलियों को किरातवर्ग के अन्तर्गत किया जाता है।

मुड़ और किरात-परिवार की जिन भाषाओं का उल्लेख हमने इस प्रकरण में किया है, उन्हें बोलनेवालों की कुल संख्या १०० में ३ के लगभग है। भारत की कुल जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए इनकी संख्या ही समझी जा सकती है। ये भाषाएँ प्रायः अविकसित दशा में हैं, और इनमें साहित्य का संबंध अभाव है। वह समय दूर नहीं है, जबकि इन भाषाओं को बोलनेवाले लोग अपने पड़ोस में रहनेवाले आर्यों के सांस्कृतिक प्रभाव में आ जायेंगे।

(३) भारत की आधारभूत एकता

इसमें सन्देह नहीं, कि भारत में ऐसे अनेक तत्व विद्यमान हैं, जो इस विशाल देश में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। इस देश की भौगोलिक दशा सर्वत्र एकसदृश नहीं है। इसके विविध प्रदेशों में कहीं समतल मैदान हैं, तो कहीं पर्वतप्रधान प्रदेश, घाटियाँ व पठार भी विद्यमान हैं। कहीं अत्यन्त सूखे रेगिस्तान हैं, तो कहीं ऐसे भी प्रदेश हैं, जहाँ साल में कई सौ इंच वर्षा पड़ती है। प्राकृतिक दृष्टि से देखने पर पूर्वी बंगाल और राजपूताना में व कूर्माञ्चल और काशी में भारी भेद दृष्टि-गोचर होता है। इस देश में अनेक नसलों व जातियों के लोगों का निवास है। आर्य, द्रविड मुड़, किरात आदि कितनी ही जातियों के लोग यहाँ बसते हैं। हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, बँगला आदि कितनी ही भाषाएँ इस देश में बोली जाती हैं। यहाँ बारह में अधिक समुन्नत भाषाएँ व सैकड़ों की संख्या में बोलियाँ की संज्ञा है। धर्म की दृष्टि से भी इस देश में एकता का अभाव है। हिन्दू, मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि कितने ही धर्म यहाँ विद्यमान हैं। विविध धर्मों के अनुयायियों में, विशेषतया हिन्दुओं और मुसलमानों में विरोध की भावना भी इस देश में पर्याप्त प्रबल रही है। देश की विशालता के कारण यहाँ के निवासियों में भौगोलिक एकता की अनुभूति भी भलीभाँति विद्यमान नहीं है। पंजाब के निवासी अपने को पञ्चवी समझते हैं, और बंगाल के निवासी बंगाली। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा है। मौर्य, गुप्त आदि कतिपय प्राचीन राजवंशों और मुगलों के शासन में भारत का बड़ा भाग कुछ समय के लिए चाहे एक शासन के अधीन रहा हो, पर ब्रिटिश शासन में पूर्व हम प्रायः यही देखते हैं, कि इस देश में अनेक राज्य थे, जो प्रायः आपस में सघर्ष

करते रहते थे। इस दशा में यदि अनेक विचारक भारत को एक भूखंड मात्र समझें, और उसकी राष्ट्रीय एकता से इन्कार करें, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। इसी कारण यह भी बहुत मुगम नहीं रहना, कि सारे भारत का इतिहास एक साथ लिखा जा सके। वस्तुतः, भारत का राजनीतिक इतिहास विविध राजवंशों के पारस्परिक संघर्ष का ही वृत्तान्त है।

पर अधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने पर अनेक विविधताओं के होते हुए भी भारत की आधारभूत एकता को समझने में कठिनाई नहीं होगी। जो तत्त्व भारत में एक प्रकार की आधारभूत एकता को स्थापित करते हैं, उनका यहाँ संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है :—

(१) **भौगोलिक एकता**—प्रकृति ने भारत को एक अत्यन्त सुन्दर व स्वाभाविक सीमा प्रदान की है, यह पहले लिखा जा चुका है। भारत की भौगोलिक एकता इस देश के लोगों में एक प्रवार की एकानुभूति उत्पन्न करती रही है। भारत के निवासी सदा में अपने देश के प्रति एक विशेष प्रकार की ममता का अनुभव करने रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है कि यह उनकी मानभूमि और देवभूमि है। सम्पूर्ण भारत में उन्होंने एक गिरे में दूमरे सिंघे तक तीर्थों और देवस्थानों की स्थापना की थी। यहाँ के निवासी हिन्दू लोग भारत के पर्वतों, जंगलों, नदियों और पुरियों को पवित्र मानते रहे हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिन्ध और कावेरी—ये सात नदियाँ भारत के सब हिन्दुओं के लिए पवित्र हैं। प्रत्येक हिन्दू को यह आकांक्षा रहती है, कि वह इन सातों नदियों में स्नान कर अपने जीवन को सफल करे। दक्षिण भारत के हिन्दू के लिए गंगा भी उतनी ही पवित्र है, जितनी कि कावेरी। यही दशा उत्तर भारत के हिन्दू की है। महेन्द्र, मलय, मल्ल, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात पर्वत सब हिन्दुओं के लिए पवित्र हैं। इसी प्रकार अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अन्निका और द्वारवती (द्वारिका)—ये सात पुरियाँ हिन्दुओं की दृष्टि में पवित्र हैं, और इनमें तीर्थयात्रा के लिए जाना सब हिन्दुओं के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। दक्षिण में कांची से उत्तर में मायापुरी तक यात्रा करने वाला हिन्दू इस सारे देश के प्रति एक आदर और पवित्रता की भावना रखता है, इसमें मन्देह नहीं। हिन्दुओं के विविध तीर्थ उत्तर में अमरनाथ और केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण में रामेश्वरम् तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के भी अनेक पीरों और झीलियों की स्मृति भारत के विभिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। भारत के बौद्धिक नेताओं ने भी भारत की इस भौगोलिक एकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। यही कारण है, कि केरल-देश में उत्पन्न हुए आचार्य शंकराचार्य ने अपने विविध मठों की स्थापना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम—सर्वत्र की थी। इस दशा में यदि भारत के विभिन्न निवासी इस देश के प्रति ममता और एकता की भावना रखें, तो स्वाभाविक ही है।

(२) **जातीय एकता**—यह ठीक है, कि भारत में अनेक नसलों के लोग निवास करते हैं, पर इन विविध नसलों में सम्मिश्रण भी खूब हुआ है। इस समय भारत की बहुसंख्यक जनता आर्यों और द्रविडों का सम्मिश्रण ही है। इस देश में भाषाओं की भिन्नता अवश्य है, पर यहाँ की प्रायः सभी भाषाएँ एक ही साँचे में ढली हुई हैं। भारत

की अनेक द्रविड़ भाषाओं तक ने आर्यों की वर्णमाला को अपना लिया है। आर्यों और द्रविड़ों का भारत के इतिहास में इतना अधिक सामंजस्य हो गया है, कि आज प्रायः सारे भारत की एक वर्णमाला है, और एक वाङ्मय है। न केवल वैदिक और संस्कृत साहित्य का सारे भारत में समान रूप से आदर है, अपितु मध्यकालीन सन्तों और विचारकों के विचार भी सारे भारत की एक समान रूप से प्रभावित किये हुए हैं। संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थ दक्षिण भारत के द्रविड़-भाषाभाषी लोगों में भी उसी प्रकार आदर के साथ पढ़े जाते हैं, जैसे कि उत्तर-भारत में। नसल और भाषा की विविधता के होते हुए भी प्रायः सम्पूर्ण भारत के निवासी एक प्रकार की सामाजिक रचना रखते हैं। सर्वत्र वर्णाश्रम-व्यवस्था का एक समान रूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद दक्षिण-भारत में भी वैसा ही है, जैसा कि उत्तर-भारत में। आश्रम-मर्यादा का भी सर्वत्र एक समान रूप से पालन किया जाता है। इस दशा में सारे भारत में एक प्रकार की जातीय एकता उत्पन्न हो गई है, जो नसल और भाषा के भेद को बहुत महत्त्व का नहीं रहने देती।

(३) **संस्कृति की एकता**—सांस्कृतिक एकता भारत की एक भारी विशेषता है। इस देश के न केवल हिन्दू अपितु मुसलमान, पारसी और ईसाई भी एक ही संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिन्दू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत के मुसलमान अपने विचारों, रीति-रिवाजों व आभ्यासों की दृष्टि से अरब व तुर्कों के मुसलमानों से बहुत भिन्न हैं। लखनऊ या दिल्ली का मुसलमान कैंगे या कोन्टेण्टिनोपोल में जाकर अपने को संस्था विदेशी अनुभव करेगा। अरबों व तुर्कों के साथ धार्मिक एकता होते हुए भी वह लखनऊ और दिल्ली के हिन्दू के अधिक समीप है। इसका कारण संस्कृति की एकता है। जो रिवाज व सामाजिक आचार-विचार हिन्दू के हैं, प्रायः वही भारतीय मुसलमान के भी हैं। भारत के बहुसंख्यक मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू ही थे। धर्म-परिवर्तन में उनके संस्कारों व परम्परागत विचारों में मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार आन्ध्र, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात आदि में विभिन्न भाषाभाषी जो जन-समुदाय निवास करते हैं, वे सब एक संस्कृति के ही अनुयायी हैं। राम और कृष्ण के आदर्श, अर्जुन और भीम की वीर-गाथाएँ व तानक और तुलसी के उपदेश उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। संस्कृति की यह एकता ऐसी है, जो नसल, भाषा आदि के भेद की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है। इसी के कारण सम्पूर्ण भारतीय अपने को चीनी, ईरानी, अरब, अग्नेय आदि अन्य राष्ट्रीयताओं से भिन्न-सम्भते हैं, और अपने को एक मानते हैं।

(४) **राजनीतिक एकता**—इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे। पर साथ ही यह बात भी सत्य है कि बहुत प्राचीन समय से इस देश में यह विचार विद्यमान था, कि यह विशाल देश एक चक्रवर्ती साम्राज्य का उपयुक्त क्षेत्र है, और इसमें एक ही राजनीतिक शक्ति का शासन होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कितने सुन्दर रूप से यह प्रतिपादित किया था, कि हिमालय में समुद्र-पर्यन्त जो सहस्र योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती शासन का क्षेत्र है। चाणक्य के इस स्वप्न को उनके शिष्य मौर्य चन्द्रगुप्त ने क्रिया में परिणत किया और हिमालय से समुद्र तक मागध-साम्राज्य की स्थापना की। पर चन्द्रगुप्त मौर्य से पूर्व

भी अनेक सम्राटों ने दिग्विजय द्वारा भारत के विविध आर्य-राज्यों में राजनीतिक एकता को प्रादुर्भूत किया था। मान्धाता, भरत आदि कितने ही राजा वैदिक काल में भी ऐसे हुए, जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण आर्यावर्त में एक शासन स्थापित करने का था, और जो राजसूय आदि यज्ञों द्वारा चक्रवर्ती, सार्वभौम व सम्राट्-पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। प्राचीन समय में भारत चाहे सदा एक शासन में न रहा हो, पर इस देश में यह अनुभूति प्रबल रूप में विद्यमान थी, कि यह एक देश है, और इसमें जो धार्मिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक एकता है, उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी अभिव्यक्त होना चाहिए। यही कारण है, कि विविध राज्यों और राजवंशों की सत्ता के होते हुए भी इस देश के इतिहास को एक साथ प्रतिपादित किया जा सकता है।

भारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन समय में तो ग्रीस, इटली, इंग्लैण्ड जैसे छोटे-छोटे देशों में भी बहुत-से राज्य विद्यमान थे। ग्रीस में स्पार्टा, ऐथेन्स, कोरिन्थ आदि के रूप में कितने ही छोटे-छोटे नगर-राज्यों की सत्ता थी। यही बात इटली, इंग्लैण्ड, मिस्र, ईरान आदि देशों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। बहुत-से नगर-राज्यों की सत्ता के होने हुए भी ग्रीस को एक देश समझा जाता था, क्योंकि उसमें संस्कृति की एकता थी, और ग्रीक लोग अपने में एक प्रकार की एकानुभूति रखते थे। ठीक यही बात भारत के मगध में भी है। जिस प्रकार मैसिडोन के नेत्र्व में ग्रीक नगर-राज्य एक राजनीतिक मूत्र में संगठित हुए, वैसे ही मगध के नेत्र्व में आगे चलकर भारत के विविध राज्य एक साम्राज्य के आधीन हुए। यदि केवल विविध राज्यों की सत्ता के कारण भारत की आधारभूत एकता में टन्कार किया जाय, तो यह भी मानना होगा, कि ग्रीस, इटली, इंग्लैण्ड आदि सभी देश प्राचीन समय में एकता में शून्य थे। पर किन्हीं देशों की एकता के लिए राजनीतिक एकता सबसे महत्त्वपूर्ण तन्त्र नहीं होती। धर्म, संस्कृति, भूगोल, परम्परा आदि की एकता ने ही आगे चलकर ग्रीस, इटली, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि को एक मगध में संगठित किया। उसी प्रकार भारत भी आगे चलकर राजनीतिक दृष्टि से भी एक हो गया। पर जिन तन्त्रों के कारण उसका एक होना सम्भव हुआ, वे प्राचीनकाल में भी यहाँ विद्यमान थे।

इसमें सन्देह नहीं, कि भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ विद्यमान हैं। पर इन विभिन्नताओं के होने हुए भी उस देश में एक आधारभूत एकता की सत्ता है, इस बात में टन्कार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः, इस देश की स्थिति मघात्मक शासन के लिए बहुत उायुक्त है। भारत-जैसे विद्यालक्ष्य देश को विविध खंडों में विभक्त कर यदि उन्हें एक मगध में संगठित किया जाय, तो यह बात यहाँ के लिए बहुत उपयोगी होगी। विविध खंडों में उस देश की विभिन्न भाषाओं, साहित्य, पृथक् परम्परा आदि को विकास का पूरा अवसर मिलेगा, और मगध द्वारा वह आधारभूत एकता भली-भाँति अभिव्यक्त हो सकेगी, जो भारत को अन्य सब देशों से पृथक् करती है। स्वतंत्र भारत के नये मन्त्रालय ने इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है।

प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और सामाजिक मगधन के विकास का वृत्तान्त लिखते हैं, जो सारे भारत में समान रूप से विकसित हुए, वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्न का भी प्रदर्शन करते हैं, जो

इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिए निरन्तर जारी रहा। यही कारण है, कि हम इसका इतिहास एक साथ लिखने में समर्थ होते हैं।

(४) भौगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर प्रभाव

भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत के इतिहास को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है—

(१) विविध राज्यों की सत्ता—भारत के सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेशों में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता रही है, जो अपनी विकट भौगोलिक परिस्थिति के कारण साम्राज्यवादी विजेताओं की विजयों के प्रभाव से प्रायः बचे रहे हैं। मगध के ब्राह्मण, नन्द, मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों के प्रतापी सम्राट् उत्तर भारत के सुविस्तृत मैदान को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए। पर काश्मीर, अभिसार, त्रिगर्ण, कुलूत, गडदेश, कूर्माञ्चल, नेपाल आदि पार्वत्य-प्रदेशों को वे स्थिर रूप में अपने विशाल साम्राज्यों के अन्तर्गत नहीं कर सके। विन्ध्यमेखला के कारण उनके लिए यह भी सम्भव नहीं हुआ, कि वे दक्षिण-भारत पर स्थिर रूप से अपना शासन स्थापित कर सकें। अफगान और मुगल-सम्राट् भी जो सारे भारत को अपनी अधीनता में नहीं ला सके, उसका मुख्य कारण भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही थीं। राजनीतिक दृष्टि में दक्षिण भारत का इतिहास प्रायः उत्तर भारत के इतिहास से पृथक् रहा, क्योंकि विन्ध्यमेखला भारत के इन दोनों भागों के मध्य में एक विशाल दीवार का काम करती रही। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वतमालाओं के कारण वहाँ उम डंग के विशाल साम्राज्यों का विकास सम्भव नहीं हुआ, जैसा कि उत्तर भारत के सुविस्तृत मैदान में हुआ था। दक्षिण भारत अनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा, जो निरन्तर परस्पर के युद्धों में व्यापृत रहे। शक्तिशाली मुगल सम्राट् भी इस प्रदेश को अविकल रूप में अपनी अधीनता में लाने में असमर्थ रहे। उत्तर भारत के विस्तृत मैदान में जो शक्तिशाली विशाल साम्राज्यों का विकास सम्भव हुआ, उसका कारण वहाँ की भौगोलिक दशा ही थी। इस प्रदेश में कोई ऐसी प्राकृतिक बाधाएँ नहीं थी, जो मगध, कन्नौज और दिल्ली के शक्तिशाली सम्राटों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक हो सकती। इसीलिये सदियों तक भारत का यह भाग एक शासन की अधीनता में रह सका, और यहाँ एक ऐसी सम्यता का विकास हुआ, जो इसके सब निवासियों को साम्प्रतिक दृष्टि से एक सूत्र में बाँध रखने में समर्थ रही।

(२) पृथक् सम्यता का विकास—भौगोलिक दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त होने हुए भी भारत समग्र के अन्य भूखण्डों से पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रखता है। इस देश को एक ऐसी प्राकृतिक सीमा प्राप्त है, जो अन्य देशों को प्राप्त नहीं है। महासमुद्र और दुर्गम पर्वतशृङ्खलाओं से घिरा हुआ यह देश एक विशाल दुर्ग के समान है, जिसमें एकता की अनुभूति अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान रही है। जहाँ एक और शक्तिशाली सम्राट् इस देश को राजनीतिक दृष्टि से एक शासन में लाने का प्रयत्न करते रहे, वहाँ दूसरी और यहाँ के धर्माचार्य और सन्त-महात्मा इस सम्पूर्ण देश में एक धर्म

और एक संस्कृति की स्थापना के लिए तत्पर रहे। यही कारण है, कि भारत में एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ जो इस देश की अपनी चीज है, और जिसका पड़ोस के अन्य देशों के साथ विरोध सम्बन्ध नहीं है। यह सच है, कि भारत ने समीपवर्ती अन्य देशों को भी अपनी संस्कृति के प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया। कुछ समय तक अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तिब्बत, बर्मा, मलाया, सियाम आदि देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव में भी रहे। पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही ये सब देश देर तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में नहीं रह सके, और उनमें अपनी पृथक् संस्कृतियों का विकास हुआ। भारत जो अपनी एक पृथक् व स्वतंत्र सभ्यता और संस्कृति का विकास करने में समर्थ हुआ, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यही था, कि भौगोलिक परिस्थितियों ने इसे पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों से पृथक् कर रखा था।

(३) अन्य देशों से सम्बन्ध—यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत की पृथक् व स्वतंत्र सत्ता है, पर अन्य देशों के साथ उसका सम्पर्क सदा कायम रहा है। इस देश की उत्तर-गडिचमी सीमा पर विद्यमान दुर्गम पर्वत-माला में दो ऐंसे द्वार हैं, जो विदेशों के साथ इसका सम्बन्ध निरन्तर बनाये रहे हैं। ये मार्ग खैबर और बोलन के दरों के रूप में हैं। जहाँ अनेक विदेशी जातियों ने इन मार्गों से प्रवेश कर इस देश को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया, वहाँ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य-जैमे प्रतापी विजेता इन मार्गों से ही बाह्यीक देश तक की विजय करने में समर्थ हुए। इन मार्गों में जाकर बहुत-से धर्म-प्रचारकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति का पश्चिम व उत्तर में दूर-दूर तक प्रसार किया। केवल इन दो दरों से ही नहीं, अपितु हिमालय पर्वतशृङ्खला के अन्य अनेक मार्गों द्वारा भी भारत का पड़ोस के देशों के साथ सम्बन्ध कायम रहा। भारत के सुविस्तीर्ण समुद्रतट ने भी विदेशों के साथ सम्पर्क को स्थापित करने में सहायता पहुँचाई। इस देश के व्यापारी जहाँ जलमार्ग में उत्तर-पूर्व में चीन तक और पश्चिम में ईरान और अरब तक व्यापार करने में व्याप्त रहे, वहाँ साथ ही इस देश के बहुत-से धर्म-प्रचारक व विद्वान् समुद्र के मार्ग में दण्डोचायना, इण्डोनीशिया आदि सुदूरवर्ती प्रदेशों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहे। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ, कि अन्य देशों के साथ भारत का सम्पर्क निरन्तर कायम रहा, और इस देश की विशिष्ट संस्कृति के विकास में इस सम्पर्क ने बहुत सहायता पहुँचाई। यह समझना भूल है, कि भारत ऐतिहासिक दृष्टि में मरार के घटनाप्रवाह से पृथक् रहा है। जहाँ एक ओर भारत के विचारक और धर्म-प्रचारक एशिया के बहुत बड़े भाग को अपनी विचारधारा द्वारा प्रभावित करने रहे हैं, वहाँ साथ ही पड़ोस के विदेशी राज्यों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उथल-पुथल भी इस देश के इतिहास पर अपना प्रभाव डालती रही है। यवन, शक, युइशी, हूण, अफगान, मुगल आदि कितने ही विदेशी लोग समय-समय पर भारत में प्रविष्ट हुए, और इन सबने इस देश के इतिहास को प्रभावित किया। यही कारण है, कि भारत की संस्कृति पर अन्य जातियों का प्रभाव भी कम नहीं है। वस्तुतः, भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। वैदिक युग में आर्यों की जो संस्कृति थी, उसपर भी द्रविड लोगों का प्रभाव था।

बाद में कितने ही नये लोगों ने इस संस्कृति को प्रभावित किया, यद्यपि आर्यों की संस्कृति की मूलधारा नष्ट नहीं होने पाई ।

(४) एकता और विभिन्नता—भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत विभिन्नता है । इस देश के कुछ भाग जहाँ सदा हिम से आच्छादित रहते हैं, तो अन्य भाग मरुस्थल के रूप में हैं । हरे-भरे मैदान, पहाड़ियों से परिपूर्ण पठार, रेगिस्तान आदि सब प्रकार के प्रदेश इस विचाल देश में विद्यमान हैं । भौगोलिक दृष्टि से इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी यह देश प्राकृतिक दृष्टि से अपनी पृथक् व स्वतन्त्र मत्ता रखता है । इस विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला है । यहाँ जो लोग निवास करते हैं, वे अपने चरित्र, व्यवहार और परम्परा आदि की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं । पहाड़ों पर निवास करनेवाले गढ़वाली, गोरखे व मराठे राजपूताना के रेगिस्तान में रहनेवाले लोगों से भिन्न प्रकृति रखते हैं, और वे लोग उत्तरी भारत के हरे-भरे उपजाऊ मैदान के निवासियों से बहुत भिन्न हैं । इस देश की विशालता और उसमें विद्यमान विविध प्रकार की जलवायु के कारण इसके निवासियों में बहुत-सी विभिन्नताओं का विकास हो गया है । पर ये विभिन्नताएँ इस देश की आधारभूत एकता को नष्ट नहीं कर सकी । जिस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता के होते हुए भी यह देश एक है, वैसे ही अनेक प्रकार के लोगों का निवास होने पर भी उन सबमें एक प्रकार की एकानुभूति विद्यमान है, जिसका कारण उनके इतिहास और संस्कृति की एकता है । विभिन्नता के रहते हुए भी एकता की सत्ता इस देश की एक अपनी विशेषता है, और इसमें यहाँ की भौगोलिक दशा बहुत सहायक हुई है ।

अनेक ऐतिहासिकों का यह विचार है, कि भारत की गरम जलवायु के कारण यहाँ के निवासियों में परिश्रम और अध्यवसाय का अभाव है । वे जो सुगमता से आक्रमणकारी लोगों की अधीनता में आ गये और उन्नति की दौड़ में यूरोप व अमेरिका से पीछे रह गये, उसके लिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं । पर गम्भीरता से विचार करने पर यह बात मत्त प्रतीत नहीं होती । यह मत्त है, कि अनेक विदेशी आक्रान्ता भारत के कतिपय भागों को जीतने में समर्थ हुए । अनेक सदियों तक भारत विदेशी शासकों की अधीनता में भी रहा । पर यह बात यूरोप के अनेक देशों के सबध में भी कही जा सकती है । मंगोल आक्रान्ता विजना तक यूरोप को जीतने में समर्थ हुए थे और पूर्वी यूरोप के अनेक देश तो सदियों तक तुर्कों के अधीन रहे थे । उन्नति की दौड़ में यदि भारत आधुनिक युग में पाश्चात्य देशों के मुकाबिले में पीछे रह गया, तो प्राचीन काल और मध्ययुग में भारत यूरोप से किसी भी प्रकार कम उन्नत नहीं था । उन्नति की दौड़ में तो इस भी पश्चिमी यूरोप के मुकाबिले में बहुत पीछे रह गया था । बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदि की अपेक्षा इस बहुत पिछड़ा हुआ था । आधुनिक युग में जो भारत दुर्दशाग्रस्त रहा, उसकी उत्तरदायिता उसकी जलवायु व भौगोलिक परिस्थिति पर नहीं है । उसके कारण अन्य हैं । पर इसमें सन्देह नहीं, कि भारत की भौगोलिक दशा ने अनेक प्रकार से इस देश के इतिहास को प्रभावित किया है ।

तीसरा अध्याय

सभ्यता का आदिकाल और सिन्धु सभ्यता

(१) पुरातन प्रस्तर-युग

आधुनिक विद्वानों का यह मत है पृथिवी पर जीव-जन्तुओं का विकास धीरे-धीरे हुआ, और वानर जाति के एक प्राणी से विकसित होते-होते मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य को पृथिवी पर प्रवृत्त हुए अभी कुछ लाख साल से अधिक समय नहीं हुआ है।

पुरातन प्रस्तर-युग—शुरु में जब मनुष्य पृथिवी पर प्रकट हुआ, तो उसमें और अन्य चौपायों से बहुत कम भेद था। अन्य पशुओं के समान वह भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक उत्पत्ति नहीं करता था, अपितु प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर ही निर्भर रहता था। पर अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग अधिक बड़ा था। उसके पाग बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी, जो अन्य जन्तुओं के पास नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य शिकार करते हुए केवल अपने इच्छित और पैंगे पर ही निर्भर नहीं रहता था, अपितु अनेक प्रकार के औजार बनाकर उनका भी उपयोग किया करता था।

पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भटे औजार बनाता था। पत्थर का टुकड़ा काटकर उसे आगे से पतला व मुभीला करके उसे वह शिकार करने, भाम काटने व इसी तरह के अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाता था। मकान बनाना वह नहीं जानता था। वह गुफाओं में रहता था, और वही आग में भोजन खादि भोजन को भुनकर खाता था। पत्थर को गूँडकर आग उत्पन्न करने की कला मनुष्य ने बहुत शुरु में ही जान ली थी। बरतन बनाने का जिल्म अभी उसे ज्ञात नहीं था। वह प्रायः नदियों व जलाशयों के समीप निवास करता था वह किसी निश्चित स्थान पर बसकर नहीं रहता था। शिकार की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर-दूर तक चला जाता था। कला का भी उसे कुछ-कुछ ज्ञान था। गुफा की दीवारों पर कौयने व रंगीन मिट्टी में अनेक प्रकार के चित्र बनाकर अपने मनोभावों को प्रकट करने का भी वह प्रयत्न करता था। नृत्य-गायन (एन्थ्रोपोलोजी) के अनुसार पुरातन प्रस्तर-युग अब से लगभग छ लाख साल पूर्व शुरु होकर अब से प्रायः दस हजार साल पहले तक जारी रहा। इनके लम्बे समय में मनुष्य ने सभ्यता के क्षेत्र में बहुत कम उन्नति की। उसके पत्थर, हड्डी व लकड़ी के औजारों में कुछ-न-कुछ उन्नति अवश्य होती गई, पर उसकी आजीविका का माधन शिकार व जंगल में उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल व अन्न का भोजन ही बना रहा। कृषि व पशुपालन द्वारा अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न इस सुदीर्घ काल में मनुष्य ने नहीं किया।

प्रस्तर-युग के अवशेषों के क्षेत्र—भारत के जिन प्रदेशों में पुरातन प्रस्तर-युग के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं:- (१) रावलपिंडी जिले का पोठवार-प्रदेश।

(२) काश्मीर में पुच्छ का क्षेत्र । (३) उत्तर-पश्चिमी पंजाब में स्थित झुड़ा की नमक की पहाड़ियों का प्रदेश । (४) नर्मदा नदी की घाटी । (५) दक्खन का करनूल जिला । (६) गुजरात में साबरमती नदी की घाटी । (७) मद्रास प्रान्त का समुद्रतटवर्ती प्रदेश । (८) बम्बई के समीप खण्डवली का प्रदेश । (९) उडीसा की मयूरभंज रियासत में कुलियाणा का क्षेत्र । (१०) माडसूर रियासत में वेल्सारी का प्रदेश ।

भारत में प्राप्त पुरातन प्रस्तर-युग के अवशेषों में पोठवार-क्षेत्र के अवशेष सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सिन्धु नदी की एक सहायक नदी है, जिसे सोघ्रा कहते हैं। यह रावलपिण्डी जिले के पोठवार-प्रदेश से होकर बहती है। इसकी घाटी से आदिमानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसी कारण इन अवशेषों में सूचित होनेवाली सम्यता को सोघ्रा-सम्यता भी कहते हैं।

पुरातन प्रस्तर-युग का जीवन—पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य शिकार द्वारा अपनी भोजन-मामूरी प्राप्त करता था। पर जंगल में रहनेवाले जीव-जन्तुओं का शिकार करने के अतिरिक्त वह मछली पकड़ना भी जानता था, और इसके लिए उसने अनेक प्रकार के उपकरणों का भी निर्माण किया था। जंगल में जो विविध प्रकार के कन्द, मूल फल आदि प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होने हैं, उनमें से कौन-से भक्ष्य हैं, इसका उसे भली-भाँति ज्ञान था। इन कन्दमूलों को खोदकर निकालने के लिए उसने अनेक प्रकार के औजारों का निर्माण किया था। पृथिवी पर जो अनेक प्रकार के अन्न प्राकृतिक रूप में उगने हैं, उनका उपयोग भी उसे ज्ञान था। इन अन्नों को वह एकत्र करता था, उन्हें काटने के लिए एक प्रकार की दगती का भी वह प्रयोग करता था, और एकत्र हुए अन्न को भूनकर व पीसकर प्रयुक्त करने का भी उसे ज्ञान था। अति प्राचीन प्रस्तर-युग का मनुष्य वृक्षों की शाखाओं पर या गुफाओं में निवास करता था। पर धीरे-धीरे उसने अपने रहने के लिए तम्बुओं या आश्रय-स्थानों का निर्माण शुरू किया। इनके लिए वह पशुओं की खाल का प्रयोग करता था। खालों को जोड़ने के लिए चमड़े को काटकर तागा बनाने की कला भी उसे ज्ञान थी। सीने के लिए वह मुड़्यों का निर्माण करता था, जो प्रायः हड्डी व हाथीदाँत की बनी होती थी। चमड़े के तागे में खालों को मीकर वह अपने निवास के लिए तम्बू बना लेता था। उनके वस्त्र भी चमड़े के होते थे। प्रारम्भिक मनुष्य प्रायः नंगा ही रहता था। पर मरदी व धूप से बचने के लिए चमड़े के वस्त्र उपयुक्त हो सकते हैं, यह बात उसने पुरातन प्रस्तरकाल में ही जान ली थी। हममें मन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-काल का मनुष्य आत्म-निर्भर था, वह अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं को स्वयं ही प्राप्त किया करता था। पर इस प्राचीन युग में भी वस्तुओं के विनिमय और व्यापार का सर्वथा अभाव हो, यह बात नहीं है। पश्चिम-मध्य फ्रांस में अनेक स्थानों पर इस युग के अन्य अवशेषों के साथ-साथ वे शस्त्र और कौड़ियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो समुद्रतट पर ही प्राप्त हो सकती थी। फ्रांस के मध्य में निवास करने वाले पुरातन प्रस्तर-युग के इन आदिमानवों ने इन्हें व्यापार द्वारा ही प्राप्त किया होगा। इसी प्रकार यूरोप के अन्य प्राचीन अवशेषों में भी ऐसी अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जो उन स्थानों पर नहीं होती, और जिन्हें कहीं बाहर से ही प्राप्त किया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्राचीन काल के शिकारी मनुष्य भी

कतिपय अद्भुत व आकर्षक वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे, और इन विविध वस्तुओं का व्यापार इस प्राचीन काल में भी विद्यमान था ।

संगठन—पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य टोलियाँ बनाकर रहते थे । यह असम्भव नहीं, कि इन टोलियों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो, टोली के सब सदस्य अपने किसी मुखिया का शासन मानते हों, और यह मुखिया टोली का सबसे बृद्ध, अनुभवी या शक्तिशाली व्यक्ति हो । इस मुखिया के नेतृत्व में पुरातन प्रस्तर-युग की टोलियाँ आहार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती थी । वे कहीं स्थिर रूप से बसकर नहीं रहती थी । जहाँ कहीं भी शिकार, कन्द-मूल-फल आदि की सुविधा हो, वे वही चली जाती थी । उस युग में जनसंख्या बहुत कम होती थी । शिकार पर आश्रित रहनेवाले प्राणी तभी अपना निर्वाह कर सकते हैं, जबकि वे संख्या में अधिक न हों । जनसंख्या की इतनी कमी का ही यह परिणाम है, कि पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्यों के शरीरों के अवशेष बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हुए हैं ।

कला—इस युग के मनुष्य कला से सर्वथा अपरिचित हो, यह बान नहीं है । मध्य प्रदेश में सिगनपुर व अन्यत्र कतिपय ऐसी गुफाएँ मिली हैं, जिनकी दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र चित्रित हैं । इनमें आदि-मानव-संभ्रता के मनुष्य ने अपने मनो-भावों को विविध प्रकार के चित्रों द्वारा अभिव्यक्त किया है । ये चित्र प्रायः कांपले व रंगीन मिट्टी द्वारा बनाये गये हैं, और इनमें उन पशुओं को चित्रित किया गया है, जिनका शिकार कर आदि-मानव अपनी भूख को शांत करता था ।

धर्म—पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य परलोक और धर्म के संबंध में भी कुछ विचार रखता था । उसका विचार था, कि मृत्यु के साथ मनुष्य का अन्न नहीं हो जाता । मृत्यु के बाद भी उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जिनका वह जीवन-काल में उपयोग करता था । इसीलिए जब वे मृत शरीर को गाड़ते थे, तो वे विविध औजारों, मांस व अन्य भोजन आदि को भी साथ में रख देते थे; ताकि मृत व्यक्ति आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सके । यूरोप में अनेक ऐसी गुफाएँ मिली हैं, जिनमें मनुष्य के शरीर के अस्थि-वज्र के साथ-साथ अनेक औजार, आभूषण व आहार के लिए प्रयुक्त होनेवाले मांस की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं । इसमें सन्देह नहीं, कि इस युग के मनुष्य मृत शरीर को गाड़ा करने में, और परलोक सम्बन्धी जीवन के विषय में भी उनके अपने विचार थे ।

(२) मध्य और नूतन प्रस्तर-युग

पुरातन प्रस्तर-युग में भी मनुष्य संभ्रता के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा था । धीरे-धीरे वह समय आ गया, जबकि वह न केवल पशुओं का शिकार करता था, अपितु उन्हें पालता भी था । उसे यह अधिक उपयोगी प्रतीत होता था, कि वह घोड़ा, हिरन, भेड़ आदि पशुओं को अपने पास पालकर रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जहाँ उसे उनका मांस भोजन के लिए उपलब्ध हो, वहाँ साथ ही वह उनके दूध, ऊन आदि का भी उपयोग कर सके । पहले वह जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाले कन्द-मूल-फल, अन्न आदि को एकत्र मात्र करता था । अब उसने उन्हें उत्पन्न करना भी शुरू

किया। शिकारी के स्थान पर अब वह पशुपालक और कृषक बनने लगा। उसके शीजार भी निरन्तर अधिक-अधिक उन्नत व परिष्कृत होते गये। पत्थर के कुल्हाड़े से वह पहले भी लकड़ी काटता था। पर अब उसने इस लकड़ी का प्रयोग मकान बनाने के लिए भी करना शुरू किया। खेती के लिए यह आवश्यक था, कि मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर होकर रहे। स्थिरता के साथ बसने के लिए यह उपयोगी था, कि मनुष्य अधिक पक्के किस्म के मकान बनाये। इसीलिए उसने बाकायदा घर बनाने शुरू किये, और जगह-जगह पर उसकी बस्तियो (डेगो व ग्रामों) का विकास होने लगा। पहले मनुष्य केवल पशुओं की खाल ओढ़कर सरदी व गरमी से अपना बचाव करता था। अब उसने ऊन व रेशम के कपड़े भी बनाने शुरू किये। यद्यपि अभी तक भी मनुष्य के शीजार केवल पत्थर, हड्डी व लकड़ी के होते थे, धातु का प्रयोग अभी वह नहीं जानता था, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन शीजारों की सहायता से ही वह सभ्यता के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। इस नये युग के मनुष्य को हम 'नूतन प्रस्तर-युग' का कह सकते हैं। यह युग अब मे दस या पन्द्रह हजार साल पहले शुरू हो चुका था। पर पुरातन और नूतन प्रस्तर-युगों के बीच में एक ऐसा भी काल था, जबकि मनुष्य पूरी तरह से कृषक व पशु-पालक न होकर ऐसा जीवन व्यतीत करता था, जिसमें कि वह शिकार के साथ-साथ कुछ खेती भी प्रारम्भ कर चुका था। इस युग को मध्य प्रस्तर-युग कहा जाता है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में इस युग के अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं। खेद की बात है कि भारत में पुरातत्व-सवधी खोज अभी इस दशा में नहीं पहुँची है कि मध्य व नूतन प्रस्तर-युगों के पर्याप्त अवशेष ढूँढे जा सकें हों।

भारत में मध्य प्रस्तर-युग के अवशेष—मध्य प्रस्तर-युग के शीजारों की यह विशेषता है, कि वे पुरातन युग के शीजारों की अपेक्षा बहुत अधिक परिष्कृत व उन्नत होते हैं। इस युग में मनुष्य उन्नति करता हुआ इस दशा तक पहुँच जाता है, कि वह अपने शीजारों को सुडौल बना सके और उसके उपकरण ज्यामिति की दृष्टि से पूर्ण व निर्दोष हों। यही कारण है, कि इस युग के अनेक शीजार अर्धचन्द्राकार, त्रिभुजाकार व अन्य प्रकार से ज्यामिति के सिद्धान्तों के अनुरूप होते हैं। साथ ही, इस युग में मनुष्य मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू कर चुकता है, यद्यपि वे बरतन हाथ से बने होने के कारण बहुत सुन्दर व सुडौल नहीं होते।

भारत में दस काल के अवशेष अनेक स्थानों में मिले हैं, जिनमें माइसूर, हैदराबाद, गुजरात, काश्मीर, सिन्ध आदि के अनेक स्थानों से उपलब्ध अवशेष उल्लेखनीय हैं।

नूतन प्रस्तर-युग—नूतन प्रस्तर-युग में मनुष्य शिकारी के स्थान पर कृषक और पशुपालक बनकर किसी निश्चित स्थान पर बस जाता है, और धीरे-धीरे ग्रामों और नगरों का विकास प्रारम्भ करता है। वह मकानों में रहने लगता है, और वस्त्र-आभूषणों से सुसज्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिमी एशिया के अनेक प्रदेशों में इस युग के बहुत-से महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जिनसे इस काल के मनुष्य की सभ्यता के संबंध में विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत में अभी नूतन प्रस्तर-युग के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे बहुत महत्त्व के नहीं हैं। फिर भी उन स्थानों का

निर्देश करना आवश्यक है, जहाँ प्राप्त अवशेषों को इस युग का माना जाता है—(१) माइसूर के चित्तलद्रुग जिले में चन्द्रबल्ली और ब्रह्मगिरि, (२) दक्षिणी भारत में बेल्लारी का क्षेत्र, (३) काश्मीर में गान्धरवल के समीप नूनर नामक स्थान, और (४) उत्तरप्रदेश में मिरजापुर जिला, जहाँ इम युग के अनेक औजार मिले हैं, और साथ ही बहुत-से अस्थिपत्र भी प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे कलश (मिट्टी के बने हुए) भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें मृत शरीरों के भस्म रखे गये थे। मिरजापुर के समीप ही विन्ध्याचल की पर्वतशृंखला में कुछ ऐसी गुफाएँ भी मिली हैं, जिनमें इस युग के मनुष्यों के बनाये हुए चित्र अंकित हैं।

धातुओं के उपयोग का प्रारम्भ होने में पूर्व भारत में एक ऐसा युग था, जब इस देश के बड़े भाग में नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता विस्तृत थी। यद्यपि इस युग के अवशेष भारत में उतनी प्रचुरता से उपलब्ध नहीं हुए हैं, जितने कि पश्चिमी एशिया के विविध क्षेत्रों में मिले हैं, तथापि इस सम्यता की सत्ता में कोई सन्देह नहीं है। अब से कोई दस हजार साल पहले यह सम्यता भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, और बाद में धातुओं का उपयोग शुरू होने पर यही सम्यता धातु-युग में परिवर्तित हो गई। सिन्धु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में किसी प्राचीन समुन्नत सम्यता के जो अवशेष मिले हैं, वे इसी नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता का विकसित रूप हैं, यद्यपि उम काल में कर्मि और ताम्बे का प्रयोग भली-भाँति शुरू हो गया था।

नूतन प्रस्तर-युग का जीवन—पुरातन प्रस्तर-युग में, जबकि मनुष्य किराँत एक स्थान पर स्थिर रूप से निवास नहीं करता था, सम्यता के क्षेत्र में अधिक उन्नति हो सकता मभव नहीं था। पर जब मनुष्य ने बस्तियाँ बनाकर एक स्थान पर रहना शुरू किया, और शिकार के बजाय कृषि और पशुपालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना प्रारम्भ किया, तो सम्यता के मार्ग पर वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। यही कारण है, कि नूतन प्रस्तर-युग का मानव-इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है।

नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्य की आजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशुपालन थे। खेती के लिए वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। उसके हल, दरानी, कुल्हाड़े, हथौड़े आदि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे। शुरू में वह स्वयं अपने हाथ से खेती किया करता था, पर समयान्तर में उसने यह जान लिया था, कि बैलें व घोड़ों का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जा सकता है। नूतन प्रस्तर-युग के अन्तिम दिनों तक मनुष्य न केवल हल के लिए बैलें व घोड़ों का प्रयोग करने लगा था, अपितु गाड़ी चलाने के लिए भी इन पशुओं का उपयोग वह जान गया था। उसकी गाड़ियाँ लकड़ी की बनी होती थी। पत्थर के बने औजारों से वह लकड़ी काटना था, और उन्हीं की सहायता से हल, गाड़ी आदि का निर्माण करता था। अब उसके निवासस्थान गुफाएँ व खाल के बने तम्बू न होकर लकड़ी, पत्थर व मिट्टी के बने मकान हो गये थे। जिन प्रदेशों में लकड़ी, फुँग आदि की सुविधा थी, वहाँ वह लकड़ी के मकान बनाता था। अन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मकान बनाने के काम में लाये जाते थे। उसके गाँव छोटे-छोटे होते थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया में नूतन प्रस्तर-युग के गाँवों के जो अवशेष मिले हैं, उनका रकबा १ ॥ एकड़ से ५ ॥ एकड़ तक है। इन अवशेषों के

अध्ययन से प्रतीत होता है, कि एक गाँव में प्रायः २५ से लगाकर ३५ तक मकान रहते थे। इन मकानों में अनाज को जमा करने के लिए बड़े-बड़े गोदाम भी बनाये जाते थे। अनाज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे। भारत के वर्तमान गाँवों में भी इस प्रकार के गोदाम विशेष महत्त्व रखते हैं, और किसानों के घरों में उनकी सत्ता उपयोगी होती है। पुरातन प्रस्तर-युग के गाँवों में सामूहिक जीवन की भी सत्ता थी। पश्चिमी यूरोप और बालकन प्रायद्वीप में उपलब्ध हुए इस युग के गाँवों के अवशेषों से सूचित होता है, कि बहुत-से गाँवों के चारों ओर खाई और मिट्टी की मोटी दीवार भी बनायी गई थी। इस किलाबंदी का प्रयोजन संभवतः शत्रुओं से अपनी रक्षा करना होता था। वे खाइयाँ, दीवारें और गाँव के बीच की मडकों व गलियों किसी एक निर्माण व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति होती थी, और उनका भी ग्राम-निवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही किया जाता था। इस दशा में यह संबंधा स्वाभाविक था, कि गाँव के लोगों में एक प्रकार का सगठन भी विद्यमान हो। पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य शिकार के लिए टोलियाँ बनाकर विचरण करते थे। वे टोलियाँ ही इस नूतन युग में ग्राम के रूप में बस गयी थी। इन टोलियों का सगठन इस युग में और भी अधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया अब ग्राम का नेता वा 'ग्रामणी' बन गया था। यह ग्रामणी सम्पूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार का शासन रखता था, यह सहज में कल्पित किया जा सकता है।

बरतन—मिट्टी के बरतन बनाने की कला मध्य प्रस्तर-युग में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। नूतन प्रस्तर-युग में उमने बहुत उन्नति की। पहले बरतन हाथ में बनाये जाते थे, अब कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ, और चाक (चक्र) का उपयोग कर सुन्दर व मुझीन बरतन बनने लगे। इन बरतनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी भी शुरू की गयी, और बरतनों को सुन्दर रंगों द्वारा सुशोभित करने की कला का भी विकास हुआ। ये बरतन आग में पकाये जाते थे, और इनके बहुत-से अवशेष नूतन प्रस्तर-युग के खडहरों में उपलब्ध हुए हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्यों में श्रम-विभाग का भी प्रारम्भ हुआ। अति प्राचीन युग में श्रमविभाग का प्रायः अभाव था। उस समय यदि कोई श्रम-विभाग था, तो वह पुरुषों और स्त्रियों में था। पुरुष प्रायः शिकार करते थे, और स्त्रियाँ जगली अनाज को एकत्र कर उसका उपयोग करती थी। पर अब नूतन प्रस्तर-युग में बडई, कुम्हार आदि के रूप में ऐसे शिल्पियों की पृथक् श्रेणियाँ विकसित होनी शुरू हुई, जो खेती न करके शिल्प द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते थे।

व्यापार—नूतन प्रस्तर-युग में व्यापार की भी उन्नति हुई। एक ग्राम में रहने वाले लोग अपनी वस्तुओं का परस्पर विनिमय करने लगे। बडई या कुम्हार अपने शिल्प द्वारा तैयार की गयी वस्तु के बदले में किसान से अनाज प्राप्त करता था। उस युग में वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा (सिक्के) की आवश्यकता नहीं थी। मुद्रा के अभाव में भी लोग अपनी वस्तुओं का विनिमय करने में समर्थ होते थे। व्यापार का क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं था, मुद्गरवर्ती ग्राम आपस में भी व्यापार किया करते थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जो उस प्रदेश में

उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी, और जिन्हे अवश्य ही किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया था। यह विदेशी व 'अन्तर्राष्ट्रीय' व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुओं के लिए ही होता था। वैसे प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करता था। उस युग में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत कम थी, और उन्हें अपने प्रदेश से ही पूरा कर सकना सर्वथा संभव था।

मृतक-संस्कार—नूतन-प्रस्तर-युग के मनुष्य प्रायः अपने मृत शरीरों को जमीन में गाड़ा करते थे। शवों को गाड़ने के लिए जहाँ बाकायदा कबरिस्तान थे, वहाँ कहीं-कहीं यह भी प्रथा थी, कि उन्हें अपने मकान में या उसके समीप ही गाड़ दिया जाए। भूमध्य सागर के समीपवर्ती नूतन प्रस्तर-युग के ग्रामों के अवशेषों से यह सूचित होता है, कि उनमें मकान के नीचे गड्ढा खोद कर छोटे पैमाने पर उस मकान का नमूना तैयार किया जाता था, जहाँ कि जीवित दशा में मृत मनुष्य निवास करता था। मरने के बाद मनुष्य को इस (जमीन के नीचे बने हुए) मकान में गाड़ दिया जाता था, और वहाँ उसके उपयोग की वस्तुओं को रख दिया जाता था। इस युग की अनेक बस्तियों में गव को जलाने की भी प्रथा थी, और राख को मिट्टी के बने हुए कलशों में रखकर आदर के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था।

धर्म—मिथ, सीरिया, ईरान, दक्षिण-पूर्वी यूरोप आदि में इस युग की बस्तियों के जो भग्नावशेष मिले हैं, उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी हुई बहुत-सी स्त्री-मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। नूतनवशास्त्र के विद्वानों का विचार है, कि ये मूर्तियाँ पूजा के काम में आती थीं। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य 'मातृ-देवता' का उपासक था। प्रकृति में जो निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है, जीव-जन्तु, वृक्ष, वनस्पति, अन्न आदि सबमें निरन्तर वृद्धि व उत्पत्ति जारी रहती है, इसका कारण वह रहस्यमयी शक्ति है, जो सब चराचर के लिए मातृ-स्थानीय है। प्रजनन एक ऐसी प्रकिया है, जो इस युग के मनुष्य को बहुत रहस्यमयी प्रतीत होती थी। वह सोचता था, यह मातृशक्ति की दान है। इसीलिए वह स्त्री-रूप में इस मातृशक्ति या मातृ-देवता की मूर्ति बनाता था, और उन मूर्तियों में स्त्री की जननेन्द्रियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करता था। पुरुष की जननेन्द्रिय को वह लिंग-रूप में बनाता था। इस प्रकार के बहुत-से लिंग इंग्लैण्ड, अनेतोलिया और बालकन प्रायद्वीप के प्राचीन भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य शायद यह समझता था, कि मातृ-देवता और लिंग की पूजा से अन्न और पशुओं की वृद्धि की जा सकती है। अनेक विद्वानों का मत है, कि देवता को तृप्त करने के लिए बलि या कुर्बानी की प्रथा भी इस युग में शुरू हो चुकी थी। प्रकृति में हम देखते हैं, कि बीज को जमीन में गाड़ा जाता है। बीज नष्ट होकर पौधे को जन्म देता है। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य यह समझता था, कि खेती की पैदावार का मूल कारण बीज की 'बलि' है। अतः यदि घरती माता को तृप्त करने के लिए पशु या मनुष्य की बलि दी जाय, तो इसमें पैदावार, समृद्धि और सम्पत्ति की वृद्धि होगी।

जाड़-टोने और मन्त्र-प्रयोग का प्रारम्भ पुरातन प्रस्तर-युग में ही हो चुका था। नूतन प्रस्तर-युग में न्यम और अधिक वृद्धि हुई। भूमध्यसागर के तटवर्ती प्रदेशों और

मिस्र के इस युग के अवशेषों में पत्थर की बनी हुई छोटी-छोटी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, जिनके बीच में छेद हैं। सम्भवतः, इन कुल्हाड़ियों के बीच में तांगा डालकर उन्हें गले में पहना जाता था और यह विश्वास किया जाता था, कि इनके पहनने से मनुष्य में शक्ति का संचार होता है। कुल्हाड़ा शक्ति का प्रतीक था, और उसे रक्षा-कवच के रूप में धारण करना उपयोगी माना जाता था।

वस्त्र-निर्माण—वस्त्र बनाने की कला में भी इस युग में अच्छी उन्नति हुई। ऊन और रेशम के वस्त्र मध्य प्रस्तर-युग में ही शुरू हो चुके थे। अब उनका निर्माण करने के लिए बाकायदा तकुओ और खड्डियों का प्रारम्भ हुआ। तकुए पर सूत कात कर उसे खट्टी पर बुना जाता था, और नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य सरदी-गरमी से बचने के लिए पशु-चर्म के वस्त्रों पर आश्रित न रहकर ऊन और रेशम के सुन्दर वस्त्रों को धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिए कपास का उपयोग इस युग में प्रारम्भ हुआ था या नहीं, यह विषय अभी विवादप्रस्त है।

युद्ध—नूतन प्रस्तर-युग की विविध बस्तियों में प्रायः युद्ध भी होते रहते थे। यही कारण है, कि अनेक ग्रामों के चारों ओर परिसरा और प्राचीर का निर्माण किया गया था। शुरू में प्रत्येक मनुष्य आर्थिक उत्पादक होने के साथ-साथ योद्धा भी होता था। वह पथर के औजारों को लड़ाई के काम में लाता था, और उनकी सहायता से शत्रु से अपनी रक्षा करता था।

पुरातन प्रस्तर-युग की अपेक्षा इस काल में जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। इसी-लिए पश्चिमी एशिया व यूरोप में इस युग के मनुष्यों के अस्थि-पंजर हजारों की संख्या में उपलब्ध हुए हैं। नि सन्देह, इस युग का मनुष्य पत्थर के औजारों का ही उपयोग करता था, पर सभ्यता के क्षेत्र में वह पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक आगे बढ़ गया था। पत्थर के औजारों की सहायता से ही वह बहुत-कुछ उस दशा में आ गया था, जिसे हम 'सभ्यता' कहते हैं।

(३) धातु-युग का प्रारम्भ

नूतन प्रस्तर-युग के बाद धातु-युग का प्रारम्भ हुआ। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य आग का उपयोग करता था, और मिट्टी के बरतन पकाने तथा भोजन बनाने के लिए वह भट्टियों व चून्हों का निर्माण करता था। ये भट्टियाँ प्रायः पत्थर की बनी होती थीं। अनेक पत्थरों में धातु का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। आग के ताप से ये धातुमिश्रित पत्थर पिघल जाते थे, और उनसे चमकीली धातु अलग हो जाती थी। धीरे-धीरे मनुष्य ने यह मालूम किया, कि यह धातु औजार बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसे न केवल पिघलाया जा सकता है, अपितु टोक-पीट कर भी अभीष्ट आकार में लाया जा सकता है। सम्भवतः, सबसे पहले मनुष्य ने सोने का प्रयोग शुरू किया, क्योंकि अनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। पर सोना इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलता था, कि उसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जा सके। सम्भवतः, मनुष्य इस धातु का उपयोग केवल आभूषण बनाने के लिए ही करता था। पर समयान्तर में उसे तांबे, ब्रॉज और लोहे का ज्ञान हुआ,

और इन धातुओं का प्रयोग उसने औजार बनाने के लिए शुरू किया। उत्तरी भारत में तांबे के और दक्षिणी भारत में लोहे के औजार बनाए जाने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेशों (सिन्धु और बिलोचिस्तान) में तांबे से पहले ब्रोज का प्रयोग शुरू हुआ। ब्रोज एक मिश्रित धातु होती है, जो तांबे और टिन के मिश्रण से बनती है। न केवल सिन्धु और बिलोचिस्तान में, अपितु पाश्चात्य संसार के भी अनेक देशों में मनुष्य ने तांबे से पहले ब्रोज का उपयोग शुरू किया था। इसी कारण नूतन प्रस्तर-युग के बाद मानव-सभ्यता का जो युग शुरू हुआ, उसे ब्रोज-युग कहते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि धातु का उपयोग शुरू होने से मनुष्य की सभ्यता में कोई आकस्मिक व महान् परिवर्तन नहीं आ गया। जो काम पहले मनुष्य पत्थर के औजारों से करता था, वही अब धातु के औजारों से होने लगा। इसमें सन्देह नहीं, कि धातु के बने औजार पत्थर के औजारों की अपेक्षा अधिक मुझिल व उपयोगी होते थे, और मनुष्य उनकी सहायता से कृषि व शिल्प का अधिक अच्छी तरह से कर सकता था। पर नूतन प्रस्तर-युग में ही मनुष्य ने उस उन्नत सभ्यता का प्राग्भ कर दिया था, जो धातु-युग में जारी रही। अन्तर केवल इतना आया, कि कृषि, शिल्प आदि का अनुसरण अब मनुष्य के लिए अधिक सुगम हो गया, और धातु के बने उपकरणों से मनुष्य अपना कार्य अधिक अच्छी तरह से करने लगा।

सिन्धु और बिलोचिस्तान के जो प्रदेश आजकल रेगिस्तान व उजाड़ हैं, किन्ती प्राचीन युग में वे एक अच्छी उन्नत सभ्यता के केन्द्र थे। इन प्रदेशों में खोज द्वारा ताम्र-युग की सभ्यता के बहुत-से भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। नूतन प्रस्तर-युग के ग्रामों और बस्तियों के जिन प्रकार के अवशेष पश्चिमी एशिया व यूरोप में बड़ी संख्या में मिले हैं, उसी ढंग के ताम्र-युग के अवशेष सिन्धु और बिलोचिस्तान के अनेक प्रदेशों में भी उपलब्ध हुए हैं। इस युग के मनुष्य बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे, कृषि और पशु-पालन द्वारा अपना निर्वाह करते थे, मिट्टी के बने हुए सुन्दर व मुझिल बरतनों का उपयोग करते थे, और ताम्र के बने सुन्दर औजारों को कृषि, शिल्प व युद्ध के लिए प्रयुक्त करते थे। बरतनों और औजारों की रचना के भेद को दृष्टि में रखकर इन प्रदेशों में उपलब्ध हुए भग्नावशेषों से अनेक सभ्यताओं की सत्ता सूचित होती है।

खेटा-सभ्यता—भारत की ताम्र-युग की सभ्यताओं में खेटा-सभ्यता सबसे अधिक प्राचीन है। बोलान के दर्रे में खेटा के समीप पाँच ऐसे खेडे (गाँव, बस्ती या शहर के खण्डहरों के कारण ऊँचे उठे हुए स्थान) मिले हैं, जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों को सूचित करते हैं। इनमें सबसे बड़े खेडे का व्यास २०० गज के लगभग है, और यह खेडा ४५ फीट से ५० फीट तक ऊँचा है। यह एक प्राचीन बस्ती को सूचित करता है। इस बस्ती के मकान मिट्टी या मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। ये ईंटें प्राग में पकायी गई थीं। इन खेडों में जो बरतन मिले हैं, वे मिट्टी को पकाकर बनाये गए थे, और उन पर अनेक प्रकार से चित्रकारी की गई थी।

अमरी-नल-सभ्यता—इस सभ्यता के अवशेष सिन्धु और बिलोचिस्तान में बहुत-से स्थानों पर उपलब्ध हैं। इन अवशेषों के रूप में जो बहुत-से खेडे इस क्षेत्र में

मिलते हैं, वे क्वेटा-सभ्यता के खेडों की अपेक्षा अधिक बड़े हैं। उदाहरणार्थ, रकशां नामक प्रदेश का एक खेडा लम्बाई में ५३० गज और चौड़ाई में ३६० गज है। बंघनी नामक स्थान पर विद्यमान एक अन्य खेडा ४०० गज लम्बा और २३० गज चौड़ा है। इससे सूचित होता है, कि अमरी-नल-सभ्यता की कतिपय बस्तियाँ आकार में बहुत विशाल थीं। पर बहुसंख्यक बस्तियाँ क्वेटा-सभ्यता की बस्तियों के मर्यादा ही छोटी-छोटी थीं। इन बस्तियों में से कुछ के चारों ओर परिखा और दीवार के चिह्न भी मिले हैं। ये दीवारें मिट्टी की ईंटों द्वारा बनायी गई थीं, यद्यपि इनके आघार में मजदूरी के लिए पत्थरों का भी उपयोग किया गया था। इस सभ्यता की एक बस्ती तो ऐसी भी मिली है, जिसके चारों ओर दो दीवारें थीं और दोनों दीवारों के बीच में २५० फीट का अन्तर रखा गया था। इन दीवारों के निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी की जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था, वे लम्बाई में २१ इंच, चौड़ाई में १० इंच और ऊँचाई में ४ इंच हैं। बस्ती के चारों ओर की प्राचीर के लिए ही नहीं, अपितु मकानों के निर्माण के लिए भी इसी ढंग की ईंटों का प्रयोग किया गया था।

अमरी-नल-सभ्यता के भग्नावशेषों की जो खुदाई हुई है, उनमें उन मकानों के सम्बन्ध में भी अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, जो इस सभ्यता की बस्तियों में विद्यमान थे। मकानों का आकार प्रायः ४० फीट लम्बा व ४० फीट चौड़ा होता था। इस मकान के अन्दर अनेक छोटे-बड़े कमरे होते थे, जिनमें से कुछ १५ x १५ फीट, कुछ १५ x १० फीट और कुछ ८ x ५ फीट होते थे। मकान के बीच में सहन भी रखा जाता था। मकान प्रायः कच्ची मिट्टी की ईंटों के बने होते थे, यद्यपि किसी-किसी खेडे में ऐसे मकानों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें ईंटों के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। मकानों में दरवाजे और खिड़कियाँ भी होती थीं, और इनके भी कतिपय अवशेष खुदाई द्वारा उपलब्ध हुए हैं। एक मकान और दूसरे मकान के बीच में गली छोड़ दी जाती थी, जिसकी चौड़ाई २॥ फीट से ८ फीट तक थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि अमरी-नल-सभ्यता की बस्तियों में मकानों का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से और एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था।

इस सभ्यता के खेडों की खुदाई द्वारा अनेक स्थानों पर कबरिस्तान भी उपलब्ध हुए हैं। एक खेडे के कबरिस्तान में १०० के लगभग अस्थि-पत्र मिले हैं, जिनसे यह कल्पना सहज में की जा सकती है, कि इस खेडे द्वारा सूचित होने वाली बस्ती में मनुष्य अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। अमरी-नल-सभ्यता के मनुष्य अपने शवों को जमीन में गाड़ते थे, और इसके लिए वाकायदा कबरो वा निर्माण करते थे। उनकी कबरे ईंटों व पत्थरों द्वारा बनायी जाती थीं। कबर में शव को रखने के साथ-साथ उन वस्तुओं को भी रख दिया जाता था, जिनका उपयोग मृत मनुष्य अपने जीवित-काल में करता था। यही कारण है, कि कबरो में अस्थिपत्र के साथ मिट्टी के बरतन, आभूषण, औजार व इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। कहीं-कहीं बरतनों में पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। संभवतः, शव के साथ बरतन में मांस भी रख दिया गया था, जिसकी हड्डियाँ शव तक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं। ये हड्डियाँ प्रायः भेड़ व बकरी की हैं। इन कबरो में जो औजार मिले हैं, वे प्रायः ताम्बे के बने हुए हैं। इससे सूचित होता

है, कि अमरी-नल-सभ्यता के लोग घातु के प्रयोग से भली-भांति परिचित हो गये थे। कब्रों में प्राप्त हुए आभूषण मुख्यतया ताम्बे, शंख, कौड़ी व मिट्टी के बने हुए हैं। इनके प्रतिरिक्त, मूंगे आदि की बनी हुई मालाएँ भी कहीं-कहीं इस सभ्यता के कबरिस्तानों में मिली हैं।

अमरी-नल-सभ्यता के भग्नावशेषों में जो बरतन या उनके टुकड़े मिले हैं, वे सुन्दर, सुधील व परिष्कृत हैं। उनपर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गयी है। बरतनों को चित्रित करने के लिए केवल गोल, अर्धचन्द्राकार व तिरछी रेखाओं का ही प्रयोग नहीं किया गया, अपितु पीदों और पशुओं की आकृतियों को भी प्रयुक्त किया गया है। इनमें बँल, बारासिगा और मछली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है।

कुल्ली सभ्यता—दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलवा-प्रदेश में इस युग की प्राचीन सभ्यता के जो अनेक भग्नावशेष मिले हैं, उन्हें कुल्ली-सभ्यता कहते हैं। इसकी बस्तियों में भवन-निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग होता था, और पत्थरों को परस्पर जोड़ने से लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के प्रतिरिक्त मिट्टी की कच्ची ईंटें भी मकान बनाने के लिए प्रयुक्त होती थी, जिनका आकार १६ × १० × ३ इंच होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुल्ली-सभ्यता के मकानों में फर्श बनाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ऐसे फर्शों के कुछ अवशेष कुल्ली के खेड़े में दृष्टिगोचर हुए हैं। इस सभ्यता के मकानों के कमरे आकार में कुछ छोटे होते थे। कुल्ली में कमरों का आकार १२ × ८ और ८ × ६ फीट का था। यहाँ के मकान एक से अधिक मजिल के थे, इसीलिए कहीं-कहीं ऊपर की मजिल में जाने के लिए बनायी गई पत्थर की सीढ़ी के अवशेष भी मिले हैं।

अमरी-नल-सभ्यता के समान कुल्ली-सभ्यता के बरतन भी सुन्दर और सुधील होते थे। उनपर चित्रकारी के लिए वनस्पति और पशुओं की आकृतियों का प्रयोग किया जाता था। कुकुद् से युक्त बँल इन आकृतियों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

कुल्ली-सभ्यता के अवशेषों में पशुओं और स्त्रियों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ प्रचुर संख्या में मिली हैं। ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, और बरतनों के समान उन्हें भी आग में पकाया गया है। इन मूर्तियों के निर्माण का क्या प्रयोजन था, यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। पशुओं की कतिपय मूर्तियों में पैरों के नीचे पहिये लगाने के भी निशान पाये जाते हैं। इससे अनुमान किया गया है, कि ये पशु-मूर्तियाँ बच्चों के खिलौनों के रूप में बनाई गयी होंगी। कुछ पक्षी-मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनकी पूँछ में सीटी बजाने का काम लिया जाता था। कुल्ली-सभ्यता की स्त्री-मूर्तियाँ कुछ अद्भुत प्रकार की हैं। उनमें स्त्री-शरीर केवल कमर तक बनाया गया है, और मुख को बहुत बेडौल कर दिया गया है। पर इन सबमें आभूषणों और केश-कलाप को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि कुल्ली-सभ्यता की स्त्रियाँ अपने केशों को किस ढंग से सवारती थी, और किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती थी। उनके आभूषणों में चूड़ियों की बहुलता होती थी, जिन्हें वे हाथों पर कुहनियों तक व उससे भी ऊपर तक पहना करती थी।

कुल्ली-सभ्यता के अन्यतम स्थान मही में पत्थर के बने हुए कुछ सुन्दर बरतन मिले हैं, जो संभवतः शृंगार-प्रसाधन की वस्तुओं को रखने के काम में आते थे। ये बरतन न केवल अत्यन्त परिष्कृत हैं, पर साथ ही इनमें अनेक छोटे-छोटे व सुन्दर खाने भी बनाये गये हैं। इन बरतनों को बाहर की ओर से भी चित्रित किया गया है।

मही में ही एक कबरिस्तान भी मिला है, जो अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्व का है। यहाँ से ताम्बे के अनेक उपकरण मिले हैं, जिनमें ताम्बे का बना हुआ दर्पण विशेषरूप से उल्लेखनीय है। यह दर्पण आकार में वर्तुल है, और इसका व्यास ५ इंच है। दर्पण के हृत्ये को स्त्री-आकृति के समान बनाया गया है, जिसके हाथ और छातियाँ बड़े सुन्दर रूप से बनाई गयी हैं। स्त्री-आकृति में सिर नहीं रखा गया है। जब कोई महिला इस दर्पण में अपने मुख को देखती होगी, तो हृत्ये की स्त्री-आकृति में सिर की कमी पूरी हो जाती होगी। इस प्रकार का सुन्दर दर्पण प्राच्य संसार के पुरातन अवशेषों में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला है।

कुल्ली-सभ्यता के बरतनों और पश्चिमी एशिया (ईराक और एलम) के बरतनों तथा उनके चित्रण में बहुत समता है। कुल्ली के बरतनों पर प्रवृत्ति (वृक्ष, वनस्पति आदि) के बीच में पशुओं को चित्रित किया गया है। यही शैली ईराक व पश्चिमी ईरान के इस युग के बरतनों को चित्रित करने के लिए अपनायी गई है। कुल्ली-सभ्यता और पश्चिमी एशिया के बरतनों में यह असाधारण समता ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार जिस ढग के पत्थर के सुन्दर व छोटे आकार के बरतन कुल्ली-सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं, ठीक वैसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के अनेक भग्नावशेषों में भी उपलब्ध हुए हैं। इन समताओं को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने यह अनुमान किया है, कि कुल्ली-सभ्यता और पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था और इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावशेषों में भी बिलोचिस्तान के भारतीय व्यापारियों की विद्यमानता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

भोब-सभ्यता—उत्तरी बिलोचिस्तान में भोब नदी की घाटी में ताम्र-युग की सभ्यता के अनेक भग्नावशेष मिले हैं, जिनमें रनघुण्डई का खेड़ा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह खेड़ा ४० फीट ऊँचा है, और इसकी विविध सतहों में भोब-सभ्यता के विकास की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यहाँ यह सम्भव नहीं है, कि हम रनघुण्डई के खेड़े की विविध सतहों में प्राप्त हुई सामग्री का संक्षेप से भी उल्लेख कर सकें। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि रनघुण्डई व अन्यत्र प्राप्त भोब-सभ्यता के अवशेषों से सूचित होता है, कि यह सभ्यता भी अमरी-नल और कुल्ली-सभ्यता के समान अच्छी उन्नत थी। इसके मकान मिट्टी की कच्ची ईंटों के बने होते थे, यद्यपि आघार की मजबूत बनाने के लिए पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ की ईंटों का आकार प्रायः $1\frac{1}{2} \times 6 \times 2\frac{1}{2}$ इंच होता था। कतिपय बस्तियों के चारों ओर परिखा और प्राचीर भी विद्यमान थे।

कुल्ली-सभ्यता के समान भोब-सभ्यता के अवशेषों में भी पशुओं और स्त्रियों की बहुत-सी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। कुल्ली में जो पशु-मूर्तियाँ मिली हैं, वे प्रायः गाय-

बैल की है। पर भोव-सभ्यता के अवशेषों में एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति मिली है। भोव-सभ्यता की स्त्री-मूर्तियाँ देखने में भयकर हैं। यद्यपि विविध प्रकार के भ्राभूषणों में ये भली-भाँति विभूषित की गयी हैं, पर इनकी मुख-आकृति कंकाल के सदृश बनाई गयी है, और श्राँखें उस ढंग के छेद द्वारा दिखाई गयी हैं, जैसा कि मानव-कंकाल की खोपड़ी में होता है। सम्भवतः, ये स्त्री-मूर्तियाँ पूजा के काम में आती थी, और इनके चेहरे की भयकरता मान-देवता के रौद्र-रूप को अभिव्यक्त करती थी।

भारत में अन्यत्र ताम्र-युग के अवशेष—उत्तरी-भारत में अन्यत्र कई स्थानों पर ताँबे के बने हुए औजार मिले हैं। पर जिम ढंग से प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई सिन्ध और बिलोचिस्तान में हुई है, वैसी अभी अन्यत्र नहीं हुई। सम्भव है, कि भविष्य में भारत के अन्य भागों में भी वैसी ही ताम्र-युग की सभ्यताओं के चिन्ह प्रकाश में आएँ, जैसे कि पश्चिमी भारत में खोज द्वारा प्रकट हुए हैं।

(४) सिन्धु-घाटी की सभ्यता

सिन्धु-सभ्यता के ग्राम और नगर—अत्यन्त प्राचीन काल में सिन्ध और बिलोचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र-युग की जिस सभ्यता का विकास हुआ था, उसके बाद सिन्ध नदी की घाटी एवं पश्चिमी भारत में एक अन्य उन्नत व समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ, जिसके प्रधान नगरों के भग्नावशेष इस समय हड़प्पा और मोहन-जोदड़ो नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। यह सभ्यता पूर्व में हरयाणा, राजस्थान तथा गुजरात से शुरू होकर पश्चिम में मकरान तक विस्तृत थी। उत्तर में इका विस्तार हिमालय तक था। इनके प्रधान नगर सिन्ध व उसकी सहायक नदियों के समीपवर्ती प्रदेशों में विद्यमान थे, उसीलिए इन्हें 'सिन्धु-घाटी की सभ्यता' कहा जाता है। इसकी बस्तियों के भग्नावशेष खंडों के रूप में विद्यमान हैं, जिनकी खुदाई करने में इस समृद्ध व उन्नत सभ्यता के बहुत-से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किये गये हैं। खोज द्वारा जिन बहुत सी बस्तियों का अब तक परिचय मिला है उनमें कुछ ग्राम, कुछ कस्बे, और दो विशाल नगर हैं। इस सभ्यता के प्रधान नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, जिनमें से मोहनजोदड़ो कराची से २०० मील उत्तर में सिन्ध नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पंजाब में लाहौर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ३५० मील का अन्तर है। गत वर्षों में राजस्थान, हरयाणा और गुजरात में भी इस सभ्यता के कतिपय नगरों के अवशेष मिले हैं।

सिन्धु-सभ्यता के जिन खंडों में खुदाई का कार्य अब तक सम्पन्न हुआ है, उन सबके अवशेष एक-दूसरे में असाधारण समता रखते हैं। उनमें उपलब्ध हुए मिट्टी के बरतन एकसदृश हैं, उनके मकानों का निर्माण करने के लिए जो ईंटें प्रयुक्त हुई हैं, वे भी एक ही आकार की हैं। उनमें माप और तोल के उपकरण भी एकसमान हैं, और इन स्थानों में जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं, वे भी एक ही तरह के हैं। हजारों वर्गमील के इस विशाल क्षेत्र में एकसदृश सभ्यता की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि यह सारा प्रदेश एक व्यवस्था व एक संगठन के अधीन था। यदि इसे एक साम्राज्य कहा जाय, तो अनुचित नहीं होगा।

नगरों की रचना और भवन-निर्माण—मोहनजोदडो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गयी थी। मोहनजोदडो में जो भी सड़कें हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी रेखा में जाती हैं, और या पूर्व से पश्चिम में। नगर की प्रधान सड़क तैंतीस फीट चौड़ी है, और यह नगर के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर चली गयी है। इस प्रधान मार्ग को काटती हुई जो सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर गयी है, वह इससे भी अधिक चौड़ी है, और यह भी शहर के ठीक बीच में है। इन दो सड़कों के समानान्तर जो अन्य अनेक सड़कें हैं, वे भी चौड़ाई में बहुत पर्याप्त हैं। ये नौ फीट से अठारह फीट तक चौड़ी हैं। मड़कों व गलियों के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था। इन मकानों की दीवारें अब तक भी भग्न रूप में विद्यमान हैं। खेडों की खुदाई द्वारा सड़कों व गलियों के साथ-साथ मकानों की जो दीवारें मिली हैं, कहीं-कहीं उनकी ऊँचाई पच्चीस फीट तक पहुँच गयी है। इससे सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि मोहनजोदडो के मकान ऊँचे व विशाल थे।

शहर के गन्दे पानी को नालियों द्वारा बाहर ले जाने का सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों में बहुत उत्तम प्रबन्ध था। मकानों के म्नानागारों, रसोइयों और टट्टियों का पानी नालियों द्वारा बाहर आता था, और वह शहर की बड़ी नाली में मिल जाता था। प्रत्येक गली व सड़क के साथ-साथ पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई थी। सड़कों के साथ की नालियाँ प्रायः नौ इंच चौड़ी और बाहर इंच गहरी होती थी। गलियों के साथ की नालियाँ इनकी अपेक्षा छोटी थी। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। नालियों को ढँकने के लिए ईंटें प्रयुक्त होती थी, जिन्हें ऊपर की सतह से कुछ इंच नीचे जमाकर रखा जाता था। अधिक चौड़ी नालियों को ढँकने के लिए पत्थर की गिनारों भी प्रयुक्त की जाती थी। मकानों से बाहर निकलने वाले गन्दे पानी के लिए मिट्टी के पाइप भी प्रयोग में लाये जाते थे। शहर की कुछ नालियाँ बहुत बड़ी (मनुष्य के बराबर ऊँचाई वाली) भी होती थी। इन नालियों में कहीं-कहीं सीढ़ियाँ भी बनाई गयी थी, ताकि उनसे उतरकर नाली को भली-भाँति साफ किया जा सके। इसमें सन्देह नहीं, कि मकानों के गन्दे पानी को शहर के बाहर ले जाने की जो उन्नत व्यवस्था सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों में विद्यमान थी, वह प्राचीन संसार के अन्य किसी नगर में नहीं पाई जाती।

सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों में पानी के लिए कुएँ विद्यमान थे। मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में बहुत-से कुएँ मिले हैं, जो चौड़ाई में २ फीट से लगाकर ७ फीट तक है। इन कुओं के किनारे पर रस्सी के निशान अब तक विद्यमान हैं। मोहनजोदडो और हड़प्पा की खुदाई द्वारा उन मकानों के सम्बन्ध में भी बहुत-कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमें सिन्धु-सभ्यता के नागरिक निवास करते थे। इन मकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटें अनेक आकारों की होती थी। छोटी ईंटों का आकार $१\frac{१}{४} \times ५ \times २\frac{३}{४}$ इंच होता था, और बड़ी ईंटों का आकार $२\frac{१}{४} \times ८\frac{३}{४} \times २\frac{३}{४}$ इंच था। मोहनजोदडो और हड़प्पा की ये प्राचीन ईंटें बहुत मजबूत, पक्की और रंग में लाल हैं।

मोहनजोदडो के छोटे मकानों का आकार प्रायः २६ × ३० फीट होता था। पर बहुत-से ऐसे मकान भी थे, जो आकार में इसकी अपेक्षा दुगुने व और भी अधिक बड़े होते थे। प्रायः मकान दोमंजिले होते थे। मोहनजोदडो में उपलब्ध दीवारों की मोटाई इस बात को सूचित करती है, कि वहाँ के मकान कई मंजिल ऊँचे रहे होंगे। जो दीवारें २५ फीट के लगभग ऊँची मिली हैं, उनमें अभी तक वे छेद विद्यमान हैं, जिनमें शहतीरें लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बनाया गया था। इस युग में छत बनाने की यह पद्धति थी, कि पहले शहतीरे डाली जाती थी, फिर उनपर बल्लियाँ डालकर एक मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी। उसके ऊपर मिट्टी बिटाकर उसे भली-भाँति फूटकर पक्का कर दिया जाता था। कमरों के दरवाजे अनेक प्रकार के होते थे। छोटे मकानों में प्रायः दरवाजे की चौड़ाई ३ फीट ४ इंच होती थी। पर कुछ ऐसे दरवाजों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें से बोरु में लदे हुए पशु, बैलगाड़ियाँ व रथ भी आ जा सकते थे। कमरों में दीवारों के साथ आलमारियाँ बनाने की भी प्रथा थी। आलमारी दीवार में ही बना ली जाती थी। इस युग में खूंटियाँ व चटखनियों आदि का भी प्रयोग होता था। हड्डी और शंख के बने हुए इस प्रकार के अनेक उपकरण मोहनजोदडो के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदडो की खुदाई से कुछ विशाल इमारतों के अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। शहर के उत्तरी भाग में एक विशाल इमारत के खडहर विद्यमान हैं, जो लम्बाई में २४२ फीट और चौड़ाई में ११२ फीट थी। इस इमारत की बाहरी दीवार मोटाई में ५ फीट है। इस इमारत के समीप ही एक अन्य विशाल प्रामाद के खडहर मिले हैं, जो लम्बाई में २२० फीट और चौड़ाई में ११५ फीट था। इसकी बाहरी दीवार ५ फीट से भी अधिक मोटी है। मोहनजोदडो की इमारतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक विशाल जलाशय है, जो ३६१ फीट लम्बा, २३ फीट चौड़ा और ८ फीट गहरा है। यह जलाशय पक्की ईंटों से बना है, और इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। इसमें अन्दर जान के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के चारों ओर एक गैलरी बनी है, जो १५ फीट चौड़ी है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पश्चिम की ओर आठ स्नानागार बने हैं। मिन्धु-सभ्यता के इन नगरों के चारों ओर की परिखा और प्राचीर के भी अवशेष मिले हैं। यह स्वाभाविक है, कि इन विशाल नगरों की रक्षा के लिए इन्हे दुर्ग के रूप में बनाया गया हो। इन नगरों का क्षेत्रफल एक वर्गमील में भी कुछ अधिक है।

धर्म—मोहनजोदडो और हडप्पा के भग्नावशेषों में कुछ वस्तुएँ ऐसी मिली हैं, जिनके आधार पर हम मिन्धु-सभ्यता के लोगों के धर्म के विषय में कुछ उपयोगी बातें जान सकते हैं। ये वस्तुएँ मुद्राएँ (मोहरें) और धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे अधिक महत्व की वह मूर्ति है, जो कमर के नीचे से टूटी हुई है। यह केवल ७ इंच ऊँची है। अपनी अचिकल दशा में यह मूर्ति अधिक बड़ी होगी, इसमें सन्देह नहीं। इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए दिखाया गया है, जो बाएँ कंधे के ऊपर और दाईं मुजा के नीचे से गया है। चोगे के ऊपर तीन हिस्सेवाली पृष्ठाकृति बनी है। सम्भवतः, यह पृष्ठाकृति धार्मिक चिह्न की द्योतक थी, क्योंकि इस प्रकार का चिह्न मोहनजोदडो और हडप्पा में बहुलता के साथ

उपलब्ध है। मूर्ति के पुरुष की मूर्छें मुंडी हुई हैं, यद्यपि दाढ़ी विद्यमान है। प्राचीन सुमेरिया में उपलब्ध अनेक देवी और मानुषी-मूर्तियों में भी इसी प्रकार की मूर्छें मुंडी हुई हैं व दाढ़ी पाई जाती है। मूर्ति में अर्धवृत्त मुंडी हुई व ध्यानमग्न दिखाई गयी है। मूर्ति की ध्यानमुद्रा से प्रतीत होता है, कि इसे योगदशा में बनाया गया है। इस बात से प्रायः सब विद्वान् सहमत हैं, कि सिन्धु-सभ्यता की यह मूर्ति किसी देवता की है, और इसका सम्बन्ध वहाँ के धर्म के साथ है। पत्थर से बनी इस देव मूर्ति के अतिरिक्त मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में मिट्टी की भी बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें से एक प्रकार की स्त्री-मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में यह उपलब्ध हुई हैं। यह स्त्री-मूर्ति प्रायः नग्न दशा में बनाई गयी है, यद्यपि कमर के नीचे जाँघों तक एक प्रकार का कपडा भी प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति पर बहुत-से आभूषण अंकित किये गये हैं, और सिर की टोपी पक्षे के आकार की बनाई गयी है, जिसके दोनों ओर दो प्याले या दीपक हैं। ऐसी अनेक स्त्री-मूर्तियों में दीपक के बीच में धूम्र के निशान हैं, जिनसे यह सूचित होता है, कि इनमें तेल या धूप जलाई जाती थी। धूम्र की सत्ता इस बात का प्रमाण है, कि ये स्त्री-मूर्तियाँ पूजा के काम में आती थीं। संसार की प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं में मातृ-देवता की पूजा की प्रथा विद्यमान थी। कुल्ली-सभ्यता का उल्लेख करते हुए हम पहले भी मातृ-देवता का जिक्र कर चुके हैं। सिन्धु-सभ्यता में यदि लोग मानु-देवता की पूजा करते हों और उनकी मूर्ति के दोनों पार्श्वों में दीपक जलाते हों, तो यह स्वाभाविक ही है। मानु-देवता की मूर्तियों के अतिरिक्त मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में अनेक पुरुष-मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिन्हें नग्न रूप में बनाया गया है। अनेक प्राचीन सभ्यताओं में लोग त्रिमूर्ति की उपासना किया करते थे। मानु-देवता, पुरुष और बालक—ये इस त्रिमूर्ति के तीन अंग होते थे। सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में बालक देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है। अतः यह कल्पना तो नहीं की जा सकती, कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समान यहाँ भी त्रिमूर्ति की उपासना प्रचलित थी, पर पुरुष-मूर्तियों की सत्ता इस बात को अवश्य सूचित करती है, कि मातृ-देवता के अतिरिक्त वहाँ पुरुष-रूप में भी देवी शक्ति की पूजा का भाव विद्यमान था।

सिन्धु-सभ्यता के धर्म के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातें उन मुद्राओं से ज्ञात होती हैं, जो मोहनजोदडो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की आकृति अंकित है, जिसके तीन मुख हैं, और जिसके सिर पर सींग बनाये गये हैं। इस देव-मूर्ति के चारों ओर अनेक पशु भी बनाये गये हैं। ये पशु हिरण, गेडा, हाथी, शेर और भैंसे हैं। अनेक विद्वानों का विचार है, कि यह आकृति पशुपति शिव की है, जिसकी पूजा आगे चलकर हिन्दू-धर्म में भी प्रारम्भ हुई। पशुपति शिव की प्रतिमा से अंकित तीन मुद्राएँ अब तक उपलब्ध हुई हैं। यदि इन तीन मुद्राओं में अंकित प्रतिमा को शिव की मान लिया जाए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि शैव-धर्म संसार के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। सिन्धु-सभ्यता के लोग मातृ-देवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की भी उपासना करते थे। वहाँ ऐसे अनेक प्रस्तर मिले हैं, जिन्हें विद्वान् लोग योनि और लिंग के प्रतीक मानते

मे मिले है, और ये अच्छे सुडौल व सुन्दर है। ताम्र का प्रयोग औजारों के लिए विशेष रूप से किया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में मिले कुछ तंबि के कुल्हाड़े लम्बाई में ११ इंच है, और उनका बोझ दो सेंसर से कुछ अधिक है। इनमें लकड़ी को फंसाने के लिए छेद भी विद्यमान है। धातु से निर्मित औजारों में तंबि की बनी एक शारी भी उपलब्ध हुई है, जिसका हत्या लकड़ी का था। इस शारी में दाँते भी बने हैं, और यह लम्बाई में १६॥ इंच है। इस युग में अस्त्र-शस्त्र भी धातु के बनते थे। सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में परशु, तलवार, कटार, धनुष-बाण, बरछी, भाला, छुरी आदि अनेक प्रकार के हथियार मिले हैं, जो सब तंबि या ब्राँज के बने हैं। छोटे-छोटे चाकू भी इन अवशेषों में मिले हैं, जो घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होते होंगे। पत्थर काटने वाली छैनियों की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि पत्थर तराशने का शिल्प भी इस युग में विकसित था। ब्राँज के बने मछली पकड़ने के काँटे भी इस सभ्यता के अवशेषों में उपलब्ध हुए हैं।

तोल और माप के साधन—सिन्धु-सभ्यता की विविध वस्तियों के अवशेषों में तोल के बहूत-से बट्टे भी उपलब्ध हुए हैं। ये बट्टे पत्थर के बने हैं, और इन्हें एक निश्चित आकार (चौकोर घन के आकार) में बनाया गया है। सबसे छोटा बाट तोल में १३.६४ ग्राम के बराबर है। इस छोटे बाट को अगर इकाई मान लिया जाय, तो १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १२८, २००, ३२० और ६४० इकाइयों के वजन के बाट उपलब्ध हुए हैं। यह बात बड़े आश्चर्य की है, कि भारत की इस प्राचीन सभ्यता में भी बोझ के विविध अनुपात को सूचित करने के लिए १, ४, ८, १६ की पद्धति का अनुसरण किया जाता था। धातु की बनी एक तराजू के भी अनेक खंड इन सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में सीपी के बने 'फुटे' का एक टुकड़ा मिला है, जिसमें १ एक समान विभाग स्पष्ट रूप से अंकित है। यह विभाग ०.२६४ इंच के बराबर है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह फुटा अच्छा लम्बा था, और सीपी के जिन टुकड़ों से इसे बनाया गया था, उन्हें परस्पर जोड़ने के लिए धातु का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के अवशेषों में ब्राँज की एक शलाका मिली है, जिसे पर नापन के लिए छोटे-छोटे विभाग अंकित हैं। ये विभाग लम्बाई में ०.२६७६ इंच हैं। इन दो 'फुटों' के आधार पर सिन्धु-सभ्यता की ईंटों व कमरों की लम्बाई-चौड़ाई को माप कर विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है, कि इस युग का फुट १३.२ इंच लम्बा होता था। इस फुटे के अतिरिक्त माप का एक अन्य मान था, जो लम्बाई में २०.४ इंच होता था। सिन्धु सभ्यता में जो भी मकान बनाये गए थे, और जो भी ईंटें बनायी गई थी, वे इन दो मानों में से किसी न किसी मान के अनुसार ठीक उतरती हैं।

व्यापार—तोल और माप के इन निश्चित मानों की सत्ता इस बात की सूचक है, कि इस युग में व्यापार अच्छी उन्नत दशा में था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में जो बहूत-सी वस्तुएँ मिली हैं, वे सब उसी प्रदेश की उपज व कृति नहीं हैं। उनमें से अनेक वस्तुएँ सुदूरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की गयी थीं। सिन्धु नदी की घाटी में ताँबा, चाँदी, सोना आदि धातुएँ प्राप्त नहीं होतीं। सम्भवतः, सिन्धु-सभ्यता के लोग चाँदी, टिन, सीसा और सोना अफगानिस्तान व और भी दूर ईरान

से प्राप्त करते थे। अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर बदस्था जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों से आते थे। तंत्रि के लिये मुख्यतया राजपूताना पर निर्भर रहना पड़ता था। सीपी, शंख, कौडी आदि का प्रयोग सिन्धु-सभ्यता में प्रचुरता के साथ हुआ है। सम्भवतः, ये सब काठियावाड के समुद्र-तट से आती थी। इसी प्रदेश से मूंगा, मोती आदि बहुमूल्य रत्न भी आते थे, जिनका उपयोग आभूषणों के लिये किया जाता था। सिन्धु सभ्यता के भग्नावशेषों में देवदार के शहतीरों के खड भी मिले हैं। देवदार का वृक्ष केवल पहाड़ों में होता है। हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्धु-सभ्यता के नगरों में देवदार की लकड़ी की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इन नगरों का पार्वत्य प्रदेशों के साथ भी व्यापार था।

यह व्यापार तभी सम्भव था, जबकि व्यापारियों का बर्ग भली-भाँति विकसित हो चुका हो, और आवागमन के साधन भी अच्छे उन्नत हो। व्यापारियों के काफिले (साथ) स्थल और जल दोनों मार्गों से दूर-दूर तक व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। इस युग में नौकाओं व छोटे जहाजों का प्रयोग होता था, यह बात असंदिग्ध है। इस सभ्यता के खडहरों में उपलब्ध हुई एक मोहर पर एक जहाज की आकृति सुन्दर रूप में अंकित की गई है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज का चित्र बना हुआ मिला है। स्थल-मार्ग द्वारा आवागमन के लिए जहाँ घोड़े और गधे जैसे पशु प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही बैलगाड़ियाँ भी उस युग में विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में खिलौने के तौर पर बनाई गयी मिट्टी की छोटी-छोटी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। खिलौने के रूप में गाड़ियों को बनाना ही इस बात का प्रमाण है कि उस युग में इनका बहुत चलन था। केवल बैलगाड़ी ही नहीं, इस युग में इक्के भी प्रयुक्त होते थे। हड़प्पा के खण्डहरों में ब्रोज का बना एक छोटा-सा इक्का मिला है, जिसे सम्भवतः उस युग में प्रयुक्त होने वाले इक्को के नमूने पर बनाया गया था।

इस युग की सिन्धु-सभ्यता में न केवल अन्तर्देशीय व्यापार अच्छा उन्नत था, अपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित दशा में था। प्राचीन सुमेरिया के अवशेषों में अनेक ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो हड़प्पा की मुद्राओं से ठीक मिलती-जुलती हैं। ये मुद्राएँ सुमेरिया की अपनी मुद्राओं से सर्वथा भिन्न हैं। इनमें से एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी अंकित है, जो सिन्धु-सभ्यता में बड़ी मात्रा में तैयार होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए थे, और वहाँ वे मुख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन शैली की हैं। ये मुद्राएँ या तो सुमेरियन व्यापारियों की सिन्धु देश में सत्ता को सूचित करती हैं, और या यह भी सम्भव है कि सुमेरिया से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय व्यापारियों ने सुमेरियन शैली पर अपनी मुद्राओं का निर्माण किया हो। सिन्धु-सभ्यता के व्यापारी न केवल सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, अपितु ईरान से भी उनका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। ईरान के अनेक प्राचीन भग्नावशेषों में ऐसी अनेक वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं, जो वहाँ सिन्धु देश से गयी मानी जाती हैं।

सिन्धु-सभ्यता की कला में पत्थर और धातु की बनी हुई मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक मूर्ति इतनी सुन्दर है, कि वह बिलकुल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी का शरीर नम्र है, यद्यपि उसपर बहुत-से आभूषण बनाये गये हैं। सिर के केशों का प्रसाधन मूर्ति में बहुत ही सुन्दर रूप में प्रदर्शित किया गया है। सिन्धु-सभ्यता के लोग सगीत और नृत्य के शौकीन थे, यह बात केवल नर्तकी की मूर्ति द्वारा ही सूचित नहीं होती, अपितु उन छोटे-छोटे वाद्यों द्वारा भी प्रकट होती है, जो इस युग के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। पक्षियों की कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनकी पूँछ से सीटी या बाँसुरी बजाने का उपयोग लिया जा सकता था। तबले और ढोल के चित्र भी कुछ स्थानों पर उत्कीर्ण मिले हैं। अपने केशों के प्रसाधन के लिये इस युग के लोग दर्पण और कंधे का प्रयोग करते थे। तबले के बने हुए कुछ दर्पण इस सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं, और हाथीदाँत के बने एक कंधे से यह सूचित होता है, कि इस युग में किस ढंग के कंधे प्रयुक्त होते थे। शृंगार की वस्तुएँ उस समय में भी उपयोग में लायी जाती थीं। पत्थर के बने हुए छोटे-छोटे ऐसे पात्र मिले हैं, जो सम्भवतः शृंगार-प्रसाधन की वस्तुओं को रखने के लिये प्रयोग में लाये जाते थे।

लिपि और लेखन-कला—मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में जो बहुत-सी मुद्राएँ मिली हैं, उनपर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। दुःख की बात है, कि सिन्धु-सभ्यता की इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अनेक विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयत्न किया है, और कुछ का यह भी दावा है, कि वे इस लिपि को पढ़ सकने में सफल हो गये हैं। पर अभी तक पुरातत्त्व-शास्त्र के बहुसंख्यक विद्वान् यही मानते हैं कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, और जिन विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा किया है, उनका दावा उन्हें स्वीकार्य नहीं है। सिन्धु-सभ्यता के ये लेख चित्रलिपि में हैं, जिनका प्रत्येक चिह्न किसी विशेष शब्द या भाव का प्रकट करता है। सिन्धु-सभ्यता में लिखने के लिए स्याही का भी उपयोग होता था, यह बात छन्नू-दड़ो के भग्नावशेषों में उपलब्ध एक दवात से सूचित होती है। यह दवात मिट्टी की बनी है, और इसकी उपलब्धि से इस बात में कोई मन्देह नहीं रह जाता, कि सिन्धु-सभ्यता के लोग अपने लेखों को केवल उत्कीर्ण ही नहीं करते थे, अपितु कलम-दवात से लिखते भी थे।

सिन्धु-सभ्यता के निवासी—मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में मनुष्यों के जो अस्थिपत्र मिले हैं, उनका अनुशीलन कर यह निर्णय करने का प्रयत्न किया गया है, कि सिन्धु-सभ्यता के निवासी नसल और जाति की दृष्टि से कौन थे। यह तो स्पष्ट ही है, कि इस सभ्यता के प्रधान नगरों की आबादी मिश्रित थी। व्यापार, नौकरी व अन्य आकर्षणों से आकृष्ट होकर अनेक नसलों और जातियों के लोग इन नगरों में आकर निवास करते थे। यही कारण है, कि इनमें उपलब्ध हुए मानव अस्थिपत्र विविध प्रकार के लोगों की सत्ता को सूचित करते हैं। कर्नल स्यूअल और डा० गुहा के मतानुसार इन नगरों में उपलब्ध हुए अस्थिपत्रों से यह परिणाम निकाला जा सकता है, कि इनके निवासी चार विभिन्न नसलों के थे। ये नसलें

निम्नलिखित है—आस्ट्रेलोग्रड, भूमध्यसागरीय, मगोलियन और अल्पाइन। इनमें से मगोलियन और अल्पाइन नसल के लोगों की केवल एक-एक खोपड़ी सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त हुई है। इससे सूचित होता है, कि इन नसलों के लोग सिन्धु देश के क्षेत्र में बहुत कम संख्या में निवास करते थे। सिन्धु देश के बहुसंख्यक निवासी आस्ट्रेलोग्रड और भूमध्यसागरीय नसलों के थे। इनमें भी भूमध्यसागरीय नसल का प्राधान्य था। आर्य जाति के इतिहास के रगमंच पर प्रकट होने से पूर्व पृथिवी के अनेक प्रदेशों पर (विशेषतया भूमध्यसागर के तटवर्ती क्षेत्रों में और पश्चिमी एशिया में) जिन लोगों ने मानव-सभ्यता का विकास किया था, उन्हें मातृहिक रूप में भूमध्यसागरीय नसल का कहा जाता है। संसार की प्राचीनतम सभ्यता का विकास इसी नसल के लोगों ने किया, भारत के द्रविड लोग भी इसी आइबीरियन नसल की एक शाखा माने जाते हैं, और अनेक विद्वानों का मत है कि सिन्धु-सभ्यता का विकास इन्हीं द्रविड-आइबीरियन लोगों द्वारा हुआ था पर सिन्धु-सभ्यता के निवासियों का द्रविड होना अभी सब विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्धु-सभ्यता का विनाश बाह्य आक्रमणों द्वारा हुआ था। २००० ई० पू० के लगभग संसार की प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर बाह्य शत्रुओं के हमले शुरू हो गए थे। इसी समय के लगभग एशिया माइनर के प्रदेश पर हत्ती या खत्ती (हिताईट) जाति ने आक्रमण किया था, और वहाँ की पुरातन सभ्यताओं का विनाश कर अपने राज्य की स्थापना की थी। ये खत्ती लोग उस आर्य-जाति की एक शाखा थे, जो इस समय अपने पुराने अभिजन को छोड़कर भूमध्यसागरीय या आइबीरियन जातियों द्वारा विकसित सभ्यताओं के ध्वंस में तत्पर थी। इसी आर्य जाति की अन्य शाखाओं ने ईराक, ईरान आदि पश्चिमी एशिया की अन्य प्राचीन सभ्यताओं को विनष्ट किया। २००० ई० पू० के कुछ समय बाद आर्यजाति की ही एक शाखा ने भारत पर आक्रमण कर उन सभ्यताओं को नष्ट किया, जो उस समय इस देश में विद्यमान थी। सिन्धु-सभ्यता का विनाश भी आर्य लोगों द्वारा हुआ। आर्यों ने इनके दुर्गों व पुरों का ध्वंस किया। आर्य लोग इन्हें 'दम्यु' या 'दाम' कहते थे। सिन्धु-सभ्यता के लोगों का अन्य कोई नाम हमें ज्ञात नहीं है, अतः यदि हम भी उन्हें दम्यु या दाम मञ्जा दे, तो अनुचित नहीं होगा। ये दोनों शब्द संस्कृत में डाकू और गुलाम अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। आर्यों ने जिन लोगों को नष्ट किया, उनके नाम को यदि वे इन हीन अर्थों में प्रयुक्त करने लगे हों, तो यह अस्वाभाविक नहीं है।

सिन्धु-सभ्यता २००० ई० पू० के लगभग तक कायम रही। इससे पूर्व वह अनेक सदियों तक फलती-फूलती दशा में थी, यह बात निर्विवाद है।

चौथा अध्याय

आर्य जाति और उसका भारत में प्रवेश

(१) आर्य-जाति

अठारवी सदी के उत्तरार्ध में जब कतिपय यूरोपियन विद्वानों ने भारत के सम्पर्क में आकर संस्कृत-भाषा का अध्ययन शुरू किया, तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, कि संस्कृत की लेटिन और ग्रीक भाषाओं के साथ बहुत समता है। यह समता केवल शब्दकोष में ही नहीं है, अपितु व्याकरण में भी है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में यह 'आविष्कार' बहुत महत्वपूर्ण था। इसे प्रकट करने वाले प्रथम विद्वान केम्ब्रिज थे, जिन्होंने १७६७ ई० में ग्रीक और लेटिन की संस्कृत के साथ समता का प्रतिपादन किया। केम्ब्रिज फेंच थे, और इसी कारण ब्रिटिश विद्वानों ने उनके आविष्कार पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उनके कुछ समय बाद सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेज विद्वान् ने १७८६ ई० में इसी तथ्य को प्रकट किया, और उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि संस्कृत, लेटिन, ग्रीक, जर्मन और केल्टिक भाषाएँ एक ही भाषा-परिवार की हैं, और इनका मूल एक ही है। जोन्स की इस स्थापना से यूरोप के विद्वानों में एक तहलका-सा मच गया। हीगल ने तो यहाँ तक लिख दिया, कि जोन्स का यह आविष्कार एक नई दुनिया के आविष्कार के समान है। इस समय में उस नये विज्ञान का प्रारम्भ हुआ, जिसे हम तुलनात्मक भाषाविज्ञान कहते हैं। ससार की वर्तमान और प्राचीन भाषाओं का अध्ययन कर विद्वान् लोग शब्दकोष और व्याकरण की दृष्टि से उनकी तुलना करने लगे, और उन्हें विविध भाषा-परिवारों में विभक्त करने लगे। इस विवेचना से विद्वानों ने यह परिणाम निकाला, कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इंग्लिश, ट्यूटानिक, स्लावोनिक, लिथुएनियन, लेटिन, अल्बेनियन आदि यूरोपियन भाषाएँ, उत्तरी भारत की हिन्दी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि भाषाएँ और पश्चिमी एशिया की जेन्द, पशियन, पश्तो, बलूची, कुर्द और आर्मीनियन भाषाएँ एक ही विशाल भाषा-परिवार की अंग हैं। यूरोप और एशिया की इन सब भाषाओं में शब्दकोष और व्याकरण की जो आश्चर्यजनक समता है, वह आकस्मिक नहीं हो सकती। इस समता का कारण यही हो सकता है, कि इन विविध भाषाओं को बोलने वाले लोगों के पूर्वज किसी अत्यन्त प्राचीन काल में एक स्थान पर निवास करते थे और एक भाषा बोलते थे। बाद में जब वे अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त होकर विविध प्रदेशों में बस गये, तो उनकी भाषा भी पृथक् रूप से विकसित होती गयी। पर उसमें वह समता कायम रही, जो हमें इस समय आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। जिस प्रकार गुजराती, मराठी, बंगाली, हिन्दी आदि विविध भारतीय भाषाओं का उद्गम प्राचीन संस्कृत भाषा से हुआ, वैसे

ही यूरोप और एशिया की इन भाषाओं का स्रोत कोई एक प्राचीन भाषा थी, जिसका स्वरूप हमें अज्ञात है। यदि यह बात सत्य है, कि अटलांटिक महासागर के समुद्र-तट से भारत तक विस्तृत इस विशाल क्षेत्र में (पश्चिमी एशिया की मेसेटिक और तुर्क भाषाओं तथा यूरोप की मग्यार और फिन भाषाओं के क्षेत्रों को छोड़कर) जो भाषाएँ अब बोली जाती हैं, उनका उद्गम एक है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इनको बोलने वाले लोग एक ही विशाल जाति के अंग हैं, और किसी प्राचीन काल में वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। अनेक विद्वानों ने शरीर की रचना और आकृति के आधार पर भी इस मन्तव्य की पुष्टि की और यह बात सर्वमान्य-सी हो गयी, कि यूरोप, ईरान और भारत के बहुसंख्यक निवासी जाति की दृष्टि से एक हैं और उनके रंग, रूप और भाषा आदि में जो भेद इस समय दिव्यायी देता है, उसका कारण जनवायु की भिन्नता और चिरकाल तक एक-दूसरे से पृथक् रहना ही है।

इस जाति का नाम क्या हो, इस सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत नहीं है। इसके लिए विविध विद्वानों ने 'दण्डो-जर्मन', 'दण्डो-यूरोपियन', 'दण्डो-ईरानियन', 'आर्यन्' आदि विविध नामों का उपयोग किया है, और कुछ ने 'वीरा' या 'वीरोम्' शब्द चुना है, क्योंकि इस भाषा-परिवार की अनेक प्राचीन भाषाओं में मनुष्य के लिए 'वीर' या इसमें मिनते-जुलते शब्द विद्यमान हैं। पर अधिक प्रचलित शब्द 'आर्यन्' या 'आर्य' है, और हमने भी इसी को उपयुक्त समझा है। संस्कृत और प्राचीन ईरानियन भाषा में आर्य शब्द अपनी जाति के लिए प्रयुक्त होता था। भारत के आर्य लोग तो अपने को आर्य कहते ही थे, ईरानी लोग भी इसी शब्द का उपयोग करते थे। ईरान शब्द स्वयं आर्य का अपभ्रंश है, और इस शब्द की स्मृति आयरलैंड के 'आयर' में भी विद्यमान है। इन्हीं दृष्टियों में बहुसंख्यक विद्वान् इस विशाल जाति के लिए आर्य सजा का उपयोग करना उपयुक्त समझते हैं।

(२) आर्य जाति का मूल अभिजन

जो विशाल आर्य जाति इस समय अटलांटिक महासागर से भारत तक फैली हुई है, उसका मूल अभिजन (निवास-स्थान) कौन-सा था, इस सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक मत प्रतिपादित किये हैं,। इनमें से कतिपय प्रमुख मतों पर हम यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालेंगे—

(१) मध्य एशिया—आर्य जाति का मूल अभिजन मध्य एशिया (ईरान के उत्तर और कैस्पियन सागर के पूर्व) में था, इस मत को सबसे पूर्व १८२० ई० में जे० जी० र्होड ने प्रतिपादित किया था। ईरान की प्राचीन अनुश्रुति को दृष्टि में रखकर र्होड ने यह मत स्थिर किया, कि आर्य लोग शुरू में बैक्ट्रिया में निवास करते थे, और वहाँ से वे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में फैले। श्लीगल और पॉट ने र्होड के मत का समर्थन किया। पॉट का कथन था, कि बाद के इतिहास में हम देखते हैं कि कितनी ही जातियाँ मध्य एशिया के क्षेत्र से पूर्व और पश्चिम की तरफ फैलीं। जो प्रक्रिया बाद के इतिहास में हुई, वही प्राचीन युग में भी हुई थी, और आर्य लोग इसी क्षेत्र में अन्य प्रदेशों में जाकर बसे थे। सन् १८५६ में प्रोफेसर

मैक्समूलर के मध्य एशिया के आर्यों का मूल निवास स्थान होने के मत की प्रबलता के साथ पुष्टि की। आर्य लोग पहले मध्य एशिया में निवास करते थे। उनकी एक शाखा दक्षिण-पूर्व की तरफ चली गयी। इसी की बाद में ईरानी और भारतीय आर्यों के रूप में दो उप-शाखाएँ हो गयी। ईरानी और भारतीय आर्य चिरकाल तक एक साथ रहे थे। यही कारण है, कि उनमें परस्पर बहुत अधिक समता पायी जाती है। आर्य-जाति की अन्य शाखाएँ पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ती गयी और धीरे-धीरे सारे यूरोप में फैल गयी। सन् १८७४ में प्रोफेसर सेअस ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर मध्य एशिया में आर्यों के मूल अभिजन होने के मत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वेद और जेन्दावस्ता के अनुशीलन से यह सूचित होता है, कि आर्य लोग पहले ऐसे स्थान पर रहते थे, जहाँ शीत की अधिकता थी। ऋग्वेद में वर्षों को सूचित करने के लिए 'हिम' का प्रयोग किया गया है। वहाँ एक मन्त्र (ऋग्वेद ५, ५४, १५) में 'तरेम तरसा शत हिमा।' यह पद आया है, जिसका अर्थ है कि हम शत हिम (सौ मान) जीएँ। वेद और अवस्ता में घोड़े और गीबों का जिक्र आता है, नाव चलाने का भी उल्लेख है, और वृक्षों में पीपल का वर्णन है। अतः आर्यों का मूल अभिजन कोई ऐसा प्रदेश होता चाहिए, जहाँ खूब सरदी पड़ती हो, पीपल बहुत होता हो, नाव चलाने की सुविधा हो, और घोड़ों व गीबों की प्रचुरता हो। ऐसा प्रदेश मध्य-एशिया का है। कैस्पियन सागर के समीप होने के कारण वहाँ नाव की सुविधा है, और अन्य सब वनस्पति व जन्तु भी वहाँ उपलब्ध है। क्योंकि जेन्दावस्ता में इस बात का निर्देश भी मिलता है, कि आर्य लोग पहले वैक्ट्रिया के प्रदेश में निवास करते थे, अतः कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती इस प्रदेश को ही आर्यों का मूल स्थान मानना चाहिए।

(२) उत्तरी ध्रुव—भारत के प्रसिद्ध विद्वान् लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने आर्यों के मूल अभिजन के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया, कि शुरू में आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहते थे। जलवायु की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण बाद में वे अन्य स्थानों में जाने के लिए विवश हुए। तिलक ने इस मत को प्रधानतया वैदिक संहिताओं के आधार पर प्रतिपादित किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि ऋग्वेद के निर्माण के समय आर्य लोग सप्तसैन्धव (पंजाब व समीपवर्ती प्रदेश) देश में आ चुके थे। पर उस युग की स्मृति अभी उनमें विद्यमान थी, जब कि वे उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में निवास करते थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में छ. मास के दिन का वर्णन आता है। एक सूक्त में उषा की स्तुति की गयी है। यह वैदिक उषा भारत की उषा नहीं है, जो कुछ मिनटों तक ही रहती है। यह एक अत्यन्त सुदीर्घकाल तक रहने वाली उषा है, जो समाप्त ही नहीं होती। ऐसी उषा उत्तरी ध्रुव के प्रदेश में ही होती है, मध्य एशिया या भारत में नहीं। महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, जहाँ देव लोगों का निवास है। सुमेरु के क्षेत्र में एक साल का अहोरात्र होता है। इस पर्वत पर बहुत-सी वनस्पतियाँ व औषधियाँ भी उत्पन्न होती हैं। जिस पर्वत पर एक साल का अहोरात्र होता हो, वह केवल उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि महाभारत के इस वर्णन में उस समय की स्मृति सुरक्षित है, जबकि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे, और जब कि हिमप्रलय-पूर्ववर्ती समय में वह प्रदेश वनस्पति आदि से परिपूर्ण होने के

कारण मनुष्यों के निवास के योग्य था। आर्य लोग वहाँ से चले आये थे, पर अपने प्राचीन अभिजन को आदर की दृष्टि से देखते थे, और यह कल्पना करते थे कि देव लोग अब तक भी वहाँ निवास करते हैं।

प्राचीन ईरानियों के धर्मग्रन्थ जेन्दावस्ता की प्रथम पुस्तक वेन्दिदाद में भी कतिपय ऐसे निर्देश मिलते हैं, जो आर्यों के मूल अभिजन पर प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार अहुरमज्द ने पहले-पहल 'ऐर्यन वेडजो' (आर्यों का बीज या मूल) का निर्माण किया। इस प्रदेश में सरदी के दस महीने और गर्मी के दो महीने होते थे। ऐर्यन वेडजो के बाद अहुरमज्द ने सुन्ध और फिर मोउर का निर्माण किया। अनेक विद्वानों के अनुसार यह ऐर्यन वेडजो देश उत्तरी ध्रुव के समीप ही कही स्थित था। जेन्दावस्ता में अहुरमज्द द्वारा निर्मित विविध देशों का जो क्रम लिखा गया है, अनेक विचारकों के अनुसार वह आर्यों के विस्तार को सूचित करता है। पर ऐर्यन वेडजो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में ही कही था, इस बात से सब विद्वान् सहमत नहीं हैं। कतिपय विद्वान् इस प्रदेश को ईरान के उत्तर में स्थित मानते हैं।

(३) सप्तसैन्धव देश—भारत के ही कुछ अन्य विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया, कि आर्य लोगों का मूल अभिजन सप्तसैन्धव देश था। सरस्वती, शतद्रु, विपाशा, परुष्णी, अम्बिकनी, वितस्ता और मिन्धु—इन सात नदियों द्वारा निश्चित प्रदेश का प्राचीन नाम सप्तसैन्धव देश था। आर्य लोगों का यही प्राचीन अभिजन था, और यही से वे सारे भारत में और पश्चिम में यूरोप तक फैले। इस मत के प्रधान समर्थक श्री अविनाशचन्द्र दास हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से यह प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद के अनुगीलन से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में आर्य लोग इन सात नदियों के प्रदेश में निवास करते थे। तब वर्तमान राजपूताना और पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार और बंगाल के प्रदेशों में समुद्र था। इन्हीं को वैदिक आर्य दक्षिणी और पूर्वी समुद्र कहते थे। ऋग्वेद के आधार पर ही श्रीयुत दास ने यह प्रदर्शित किया, कि आर्यों की एक शाखा अहुरमज्द (अमुर महत्) की उपासिका होने के कारण अन्य आर्यों के साथ सघर्ष में व्यापृत हुई, और उनसे पगस्त होकर पश्चिम की ओर चली गयी और ईरान में जा बसी। वैदिक आर्य देवों के उपासक थे, और ईरान में बसने वाले आर्य अमुरों के। पहले ये एक साथ सप्तसैन्धव देश में निवास करते थे। पर धार्मिक मतभेद के कारण इनमें घोर सग्राम हुआ, जिसे वैदिक साहित्य में देवामुर-सग्राम कहा गया है। इसमें अमुर लोग परास्त हुए, और अपना मूल अभिजन छोड़कर पश्चिम में ईरान के प्रदेश में बस जाने के लिए विवश हुए। सप्तसैन्धव के क्षेत्र में निवास करने वाली एक अन्य आर्य जाति जिसे 'पणि' कहते थे, व्यापार में विशेष कुशल थी। वह पश्चिम की ओर जाकर बस गयी, और आगे चलकर फ़ीनिसियन व फिनीशियन जाति कहाई। पश्चिमी एशिया के मेमेटिक लोगों पर इस पणि जाति का बहुत प्रभाव पड़ा। आर्य जाति की अन्य शाखाएँ सप्तसैन्धव देश से यूरोप में भी गयी, और यूरोप की भाषाओं में और संस्कृत व प्राचीन ईरानी भाषाओं में जो समता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आर्य जातियों का यह विस्तार ही है।

श्रीयुत दास ने लोकमान्य तिलक की उन युक्तियों की भी विस्तृत रूप से

भारत में आर्यों का प्रवेश चाहे दो धाराओं में हुआ हो या अधिक धाराओं में, पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से आकर ही इस देश में आबाद हुए थे। वर्तमान समय में विद्वानों का झुकाव इस मत की ओर है, कि आर्य लोगों का मूल अभिजन कैस्पियन सागर के पूर्व से लगाकर बंधु (आक्सस) नदी तक के प्रदेश में कहीं पर था।

(३) आर्य-जाति का प्रसार

आर्य-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसैन्धव देश में हो, चाहे कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश में, यह निश्चित है कि उसकी विविध शाखाएँ अनेक धाराओं में एशिया और यूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर आबाद हुईं। इनमें से कतिपय शाखाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज द्वारा भी उपलब्ध हुए हैं। दजला और फरात नदियों की घाटी में जिस प्राचीन (आर्यों से पूर्ववर्ती) सभ्यता का विकास हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सोलहवीं सदी ई० पू० में ईराक के इस प्रदेश पर उत्तर-पश्चिम की ओर से आक्रमण शुरू हुए। कस्साइट नामक एक जाति ने बैबिलोन को जीत कर वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। ये कस्साइट लोग आर्य जाति के थे। इनके राजाओं के नाम आर्य-राजाओं के नामों के सदृश हैं। कस्साइट राजवंश की राजधानी बैबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राचीन नगरी में सम्भवतः यह आर्य-जाति का प्रथम राजवंश था। कस्साइट (या कश्शु) लोगों के प्रधान देवता सूर्यस् (सूर्य) और मरुत (मरुत्) थे। इनकी भाषा भी आर्य-परिवार की थी। इनके जो लेख मिले हैं, उनके अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ये लोग विशाल आर्य-जाति की ही अन्यतम शाखा थे।

पन्द्रहवीं सदी ई० पू० के लगभग मितन्नी नामक एक अन्य जाति ने कस्साइट लोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिम में अपने राज्य की स्थापना की। मितन्नी लोग भी आर्य-जाति के थे। इनके पश्चिम में एक अन्य आर्य-जाति न अपने राज्य की स्थापना की, जिसे खत्ती, हती या हिताइट कहते हैं। मितन्नी और खत्ती जातियों के राज्य एक दूसरे के पड़ोस में थे, अतः उनमें प्रायः सघर्ष होता रहता था। १३८० ई० पू० के लगभग इन दोनों राज्यों में परस्पर सन्धि हो गयी। इस सन्धि की शर्तें विशद रूप से उत्कीर्ण हुईं बोगजकोई नामक स्थान के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुई हैं। बोगज कोई मितन्नी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, और एशिया माइनर में स्थित है। यह सन्धि मितन्नी के राजा (दशरथ के पुत्र) मतिउज और खत्ती के राजा शुबिलुलिम के बीच में हुई थी। इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताओं के नाम लिखे गये थे। ये देवता हैं, मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ। बोगजकोई के इस लेख में इन देवताओं के नाम इस रूप में दिये गये हैं—मि-इत्-अस्, व-अर-र-उण-अस् इन्-द-र, न-स-अति-इअ। वैदिक पदों को इस रूप में लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत में भी थी। मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ (अश्विनीकुमार) देवताओं के नामों की एशिया माइनर में सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि मितन्नी और खत्ती दोनों

धार्म्य जातियाँ थीं, और दोनों उन धार्म्य-देवताओं की पूजा करती थीं, जिनका परिज्ञान हमें ऋग्वेद से होता है। इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस युग में सब धार्म्य जातियाँ एक प्रदेश में निवास करती थीं, तब भी उनमें इन देवताओं की पूजा प्रचलित थी। बोगजकोई ने ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तस्तियों पर उत्कीर्ण की हुई है। इस पुस्तक का विषय रथचालन है। इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति था, जो मितन्नी जाति का था। रथ के घूमने के लिए इस पुस्तक में 'भावर्त्तन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक, तीन, पाँच व सात चक्करों के लिए क्रमशः ऐकवर्त्तन्न, तैरवर्त्तन्न, पंचवर्त्तन्न और सत्तवर्त्तन्न शब्दों का उपयोग किया गया है। भावर्त्तन्न शब्द संस्कृत भाषा के भावर्त्तन शब्द से मिलता है, और इससे सूचित होता है, कि मितन्नी लोगों की भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मितन्नी राजाओं द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र मिस्र में एल-अमरना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी की तस्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पत्रों में मितन्नी-राजाओं के अर्ततम, दशरत्त आदि जो नाम मिले हैं, वे भी संस्कृत शब्दों के बहुत समीप हैं। इसी प्रकार खत्ती राजाओं के अन्यतम नाम मर्यतस् और सूर्यस् स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं। इन प्रमाणों को दृष्टि में रखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कस्साइट, खत्ती और मितन्नी के रूप में जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रंगमन्त्र पर प्रकट हुई थीं, वे धार्म्य-जाति की ही शाखाएँ थीं। अपने मूल अभिजन से निकलकर जब धार्म्य-जातियों के प्रसार का प्रारम्भ हुआ, तो उसकी कुछ शाखाएँ इस क्षेत्र में जा बसीं, बोगजकोई आदि के अवशेष इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

पूर्व की ओर जो धार्म्य लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखाएँ थीं, ईरानी और भारतीय। जिस प्रकार भारतीय धार्म्यों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वैसे ही ईरानी धार्म्यों का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वैदिक भाषा से बहुत मिलती है। उनमें न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, अपितु साथ ही व्याकरण, धातु आदि भी एक-दूसरे के सदृश हैं। प्राचीन ईरानी लोगों का धर्म भी वैदिक धर्म के बहुत समीप था। मित्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की ओर जाने वाली ये दोनों धार्म्य-जातियाँ बहुत समय तक एक-दूसरे के साथ रहीं, और उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुआ। देर तक साथ रहते से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के अधिक समान रही।

पर बाद में धार्म्यों की ईरानी और भारतीय शाखाओं में विरोध हो गया। इस विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया। अन्त में ईरानी लोग परास्त हुए, और वे अपने साथियों से पृथक् होकर उस देश में बस गये, जिसे आजकल ईरान कहा जाता है, और जिसका यह नाम धार्म्य-जाति के नाम पर ही पड़ा था। वैदिक संहिताओं और जेन्दावस्ता के अनुशीलन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसी को देवासुर-संग्राम भी कहा जाता है।

संस्कृत-भाषा में देव शब्द उत्तम अर्थ में और असुर बुरे अर्थों में प्रयुक्त होता है। देव का अभिप्राय है, दिव्य गुणयुक्त। असुर का अर्थ है, दानव या दैत्य। इसके विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में असुर शब्द अच्छे अर्थों में और देव शब्द घृणित अर्थों

भारत में आर्यों का प्रवेश चाहे दो धाराओं में हुआ हो या अधिक धाराओं में, पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से आकर ही इस देश में आबाद हुए थे। वर्तमान समय में विद्वानों का झुकाव इस मत की ओर है, कि आर्य लोगों का मूल अभिजन कैस्पियन सागर के पूर्व से लगाकर बंधु (आक्सस) नदी तक के प्रदेश में कहीं पर था।

(३) आर्य-जाति का प्रसार

आर्य-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसिन्धु देश में हो, चाहे कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश में, यह निश्चित है कि उसकी विविध शाखाएँ अनेक धाराओं में एशिया और यूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर आबाद हुईं। इनमें से कतिपय शाखाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण पुरातन्त्र-सम्बन्धी खोज द्वारा भी उपलब्ध हुए हैं। दजला और फरात नदियों की घाटी में जिस प्राचीन (आर्यों से पूर्ववर्ती) सभ्यता का विकास हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सोलहवीं सदी ई० पू० में ईराक के इस प्रदेश पर उत्तर-पश्चिम की ओर से आक्रमण शुरू हुए। कस्साइट नामक एक जाति ने बैबिलोन को जीत कर वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। ये कस्साइट लोग आर्य जाति के थे। इनके राजाओं के नाम आर्य-राजाओं के नामों के सदृश हैं। कस्साइट राजवंश की राजधानी बैबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राचीन नगरी में सम्भवतः यह आर्य-जाति का प्रथम राजवंश था। कस्साइट (या कस्तु) लोगों के प्रधान देवता सूर्य (सूर्य) और मरुत (मरुत) थे। इनकी भाषा भी आर्य-परिवार की थी। इनके जो लेख मिले हैं, उनके अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ये लोग विशाल आर्य-जाति की ही अन्यतम शाखा थे।

पन्द्रहवीं सदी ई० पू० के लगभग मितन्नी नामक एक अन्य जाति ने कस्साइट लोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिम में अपने राज्य की स्थापना की। मितन्नी लोग भी आर्य-जाति के थे। इनके पश्चिम में एक अन्य आर्य-जाति ने अपने राज्य की स्थापना की, जिसे खत्ती, हती या हित्ताइट कहते हैं। मितन्नी और खत्ती जातियों के राज्य एक दूसरे के पड़ोस में थे, अतः उनमें प्रायः संघर्ष होता रहता था। १३८० ई० पू० के लगभग इन दोनों राज्यों में परस्पर सन्धि हो गयी। इस सन्धि की शर्तें विशद रूप से उत्कीर्ण हुईं। बोगजकोई नामक स्थान के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुई है। बोगज कोई मितन्नी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, और एशिया माइनर में स्थित है। यह सन्धि मितन्नी के राजा (दशरथ के पुत्र) मतिउज और खत्ती के राजा शुबिलुलिम के बीच में हुई थी। इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताओं के नाम लिखे गये थे। ये देवता हैं, मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यी। बोगजकोई के इस लेख में इन देवताओं के नाम इस रूप में दिये गये हैं—मि-इत्-अस, व-अर-र-उण-अस् इन्-द-र, न-स-अति-इअ। वैदिक पदों को इस रूप में लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत में भी थी। मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यी (अद्विनीकुमार) देवताओं के नामों की एशिया माइनर में सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि मितन्नी और खत्ती दोनों

आर्य जातियाँ थीं, और दोनों उन आर्य-देवताओं की पूजा करती थीं, जिनका परिज्ञान हमें ऋग्वेद से होता है। इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस युग में सब आर्य जातियाँ एक प्रदेश में निवास करती थी, तब भी उनमें इन देवताओं की पूजा प्रचलित थी। बोगजकोई में ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तस्त्रियों पर उत्कीर्ण की हुई है। इस पुस्तक का विषय रथचालन है। इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति था, जो मितन्नी जाति का था। रथ के घूमने के लिए इस पुस्तक में 'आवर्त्तन्' शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक, तीन, पाँच व सात चक्करों के लिए क्रमशः ऐकवर्त्तन्, तेरवर्त्तन्, पचवर्त्तन् और सत्तवर्त्तन् शब्दों का उपयोग किया गया है। आवर्त्तन् शब्द संस्कृत भाषा के आवर्त्तन् शब्द से मिलता है, और इससे सूचित होता है, कि मितन्नी लोगों की भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मितन्नी राजाओं द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र मिस्र में एल-अमरना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी की तस्त्रियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पत्रों में मितन्नी-राजाओं के अर्त्तम, दशरत्त आदि जो नाम मिले हैं, वे भी संस्कृत शब्दों के बहुत समीप हैं। इसी प्रकार खत्ती राजाओं के अन्यतम नाम अयंतस् और सूर्यस् स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं। इन प्रमाणों को दृष्टि में रखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कस्साइट, खत्ती और मितन्नी के रूप में जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रगमंच पर प्रकट हुई थीं, वे आर्य-जाति की ही शाखाएँ थीं। अपने मूल अभिजन से निकलकर जब आर्य-जातियों के प्रसार का प्रारम्भ हुआ, तो उसकी कुछ शाखाएँ इस क्षेत्र में जा बसी, बोगजकोई आदि के अन्वेषण इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

पूर्व की ओर जो आर्य लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखाएँ थी, ईरानी और भारतीय। जिस प्रकार भारतीय आर्यों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वैसे ही ईरानी आर्यों का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वैदिक भाषा से बहुत मिलती है। उनमें न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, अपितु साथ ही व्याकरण, धातु आदि भी एक-दूसरे के सदृश हैं। प्राचीन ईरानी लोगों का धर्म भी वैदिक धर्म के बहुत समीप था। मित्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की ओर जाने वाली ये दोनों आर्य-जातियाँ बहुत समय तक एक-दूसरे के साथ रही, और उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुआ। देर तक साथ रहने से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के अधिक समान रही।

पर बाद में आर्यों की ईरानी और भारतीय शाखाओं में विरोध हो गया। इस विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया। अन्त में ईरानी लोग परास्त हुए, और वे अपने साथियों से पृथक् होकर उस देश में बस गये, जिसे आजकल ईरान कहा जाता है, और जिसका यह नाम आर्य-जाति के नाम पर ही पड़ा था। वैदिक संहिताओं और जेन्दावस्ता के अनुशीलन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसी को देवासुर-संग्राम भी कहा जाता है।

संस्कृत-भाषा में देव शब्द उत्तम अर्थ में और असुर बुरे अर्थों में प्रयुक्त होता है। देव का अभिप्राय है, दिव्य गुणयुक्त। असुर का अर्थ है, दानव या दैत्य। इसके विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में असुर शब्द अच्छे अर्थों में और देव शब्द घृणित अर्थों

में आता है। प्राचीन ईरानी अमुर के उपासक थे। उनका प्रधान देवता (उपास्य देव) अहुरमज्द (अमुर महत्) था। किसी अत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक आर्य भी अमुर शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थों में करते थे, और अपने देवताओं को अमुर (प्रतापशाली) कहते थे। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में आर्यों में मतभेद हो गया। उनका एक भाग देव का उपासक हो गया, और दूसरा अमुर का। इस विरोध का कारण सम्भवतः धार्मिक था। जेन्दावस्ता में मित्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की तो सत्ता है, पर इन्द्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया। इसके विपरीत वेदों में इन्द्र की महिमा बहुत विशद रूप से वर्णित है।

भारत में आर्यों का प्रवेश—आर्यों की जो शाखा भारत में प्रविष्ट हुई, उसे इस देश में अनेक आर्य-भिन्न जातियों के साथ युद्ध करने पड़े। जिस प्रकार पश्चिमी एशिया में बसने वाली कस्साइत्, खत्ती और मितन्नी जातियों ने अपने से पूर्ववर्ती सम्यताओं को परास्त कर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, वैसे ही भारतीय आर्यों ने इस देश में विकसित हुई पूर्ववर्ती सम्यताओं को विनष्ट कर अपनी सत्ता की स्थापना की। आर्यों के पहले के ये आर्य-भिन्न लोग कौन थे, इस विषय में वैदिक साहित्य से ही कतिपय उपयोगी निर्देश मिलते हैं। वेदों में इन्हें 'दस्यु' और 'दास' कहा गया है। वैदिक सूक्तों से यह भी ज्ञात होता है, कि ये दस्यु लोग कृष्णवर्ण के थे, और इनकी नाक छोटी होती थी। इसीलिए इन्हें 'अनास' (नामिकाहीन) भी कहा गया है। पर ये लोग अच्छे बड़े पुंगों में निवास करते थे, और इनके अनेक मुहल दुर्ग भी बने हुए थे। इन्हें परास्त करने के लिए आर्यों को घनघोर युद्ध करने पड़े और एक युद्ध में तो पचास हजार के लगभग 'दासों' के मारे जाने का निर्देश ऋग्वेद में दिया गया है। संस्कृत भाषा में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकू के अर्थ में होता है, और दास शब्द का गुलाम अर्थ में। प्रतीत होता है, कि आर्यों के प्रवेश से पूर्व जो जाति इस देश में निवास करती थी, उसकी संज्ञा दस्यु या दास थी। आर्यों ने उसे परास्त किया, और उसकी बड़ी सख्या को अपने पास गुलाम के रूप में रहने के लिए विवश किया। ये गुलाम दास-जाति के थे, अतः दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया। इसी प्रकार आर्य लोग दस्यु शब्द का प्रयोग घृणा के रूप में करते थे, और बाद में इसका अर्थ डाकू हो गया। पर प्राचीन संस्कृत में ऐसे निर्देशों की कमी नहीं है, जिनसे दस्यु का अभिप्राय डाकू न होकर एक जाति विशेष प्रतीत होता है। महाभारत में एक दस्यु की कथा आती है, जिसे परम धर्मात्मा कहा गया है। आर्यों ने इन दस्युओं व दासों को परास्त करके ही भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। पिछले अध्याय में हम सिन्धु घाटी की समुन्नत सम्यता का विवरण दे चुके हैं, जिसके अनेक नगर विद्यमान थे, और जिसके अनेक नगर दुर्गरूप में थे। अतः यह कल्पना की जाती है, कि वैदिक आर्यों ने जिन दस्युओं को परास्त किया, वे सिन्धु घाटी में निवास करते थे, और उन्हीं की सम्यता के भग्नावशेष पंजाब में रावी नदी के और सिन्धु में सिन्धु नदी के तट पर पाये गए हैं।

भारत में आकर आर्यों ने जो सम्यता विकसित की, उसे ही 'वैदिक सम्यता' कहा जाता है, क्योंकि इसका परिज्ञान हमें वैदिक साहित्य द्वारा होता है।

वैदिक युग की सभ्यता और संस्कृति

(१) वैदिक साहित्य

वैदिक युग—भारतीय आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक युग कहते हैं। इसका कारण यह है कि वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं, और उनके अनुशीलन से हम इन आर्यों की सभ्यता, संस्कृति और धर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक सूक्तों में आर्य ऋषियों के विचार और कथन अविकल रूप से उनकी अपनी भाषा में विद्यमान हैं। जिस प्रकार पौराणिक अनुभूति प्राचीन आर्यों के राजनीतिक वृत्तान्त को सूचित करती है, वैसे ही वैदिक संहिताएँ उनके धर्म व सभ्यता का परिचय देती हैं। वैवस्वत मनु से महाभारत तक के काल को हम वैदिक युग कह सकते हैं। क्योंकि इस सुदीर्घ (१५०० वर्ष के लगभग के) काल में वैदिक सूक्तों का निरन्तर निर्माण होता रहा, और वेदों के अनुशीलन से जिस सभ्यता और संस्कृति का परिचय मिलता है, वह इसी युग की है।

वैदिक संहिता—आर्य जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का अर्थ है, ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्य में है, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को ऋग् या ऋचा कहते हैं, वैदिक गद्य को यजुष् कहा जाता है, और वेदों में जो गीतात्मक (छन्द रूप) पद्य हैं, उन्हें साम कहते हैं। ऋचाओं व सामों के एक समूह का नाम सूक्त होता है, जिसका अर्थ है, उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित। वेद में इस प्रकार के हजारों सूक्त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, यजुष् और साम—इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की 'त्रयी' समा भी थी।

पर वैदिक मन्त्रों का संकलन जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे 'संहिता' कहते हैं। विविध ऋषि-वंशों में जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। पहले वेद मन्त्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी शायद नहीं थी। गुरु-शिष्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-वंशों में स्थिर रहते थे, और उन्हें श्रुति (श्रवण) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जानता था। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा जाता था। विविध ऋषि वंशों में जो विविध सूक्त श्रुति द्वारा चले आते थे, धीरे-धीरे बाद में उनको संकलित किया जाने लगा। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदव्यास को है। ये महाभारत युद्ध के समकालीन थे, और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान् थे। वेदव्यास ने वैदिक सूक्तों का संहिता रूप में संग्रह किया। उसके द्वारा संकलित वैदिक संहिताएँ चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

चार वेद—ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सूक्त हैं। यदि ११ बालखिल्य सूक्तों को भी इनमें अन्तर्गत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या १०२८ हो जाती है। ये १०१७ या १०२८ सूक्त १० मण्डलों में विभक्त हैं। वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 'देवता' का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ है, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने वाला। जो लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनके अनुसार वेदों का निर्माण तो ईश्वर द्वारा हुआ था, पर इस वैदिक ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाले ये ऋषि ही थे। पर आधुनिक विद्वान् वैदिक ऋषियों का अभिप्राय यह समझते हैं कि ये ऋषि मन्त्रों के निर्माता थे। वैदिक देवता का अभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र में स्तुति की गयी है, या जिसके सम्बन्ध में मन्त्र में प्रतिपादन किया गया है।

ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रथम गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, और वशिष्ठ हैं। इन छः ऋषियों और इनके वंशजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें मण्डलों का दर्शन या निर्माण किया था। आठवें मण्डल के ऋषि कण्व और आगिरस वंश के हैं। प्रथम मण्डल के पचास सूक्त भी कण्व-वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित हुए। अन्य मण्डलों और प्रथम मण्डल के अन्य सूक्तों का निर्माण अन्य विविध ऋषियों द्वारा हुआ, जिन सबके नाम इन सूक्तों के साथ में मिलते हैं। इन ऋषियों में वैश्वदेव मनु, शिवि और श्रीशीनर, प्रतदंन, मधुच्छन्दा और देवारि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के इन ऋषियों में कतिपय स्त्रियाँ भी हैं, जिनमें लोपामुद्रा प्रमुख है। लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वह विदर्भ-राज की कन्या थी, और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी।

यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण-यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, जिसकी दो शाखाएँ उपलब्ध हैं—काण्व और माध्यन्दिनीय। कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ प्राप्त होती हैं, काठक संहिता कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। विविध ऋषि-वंशों व सम्प्रदायों में श्रुति द्वारा चले आने के कारण वेदमन्त्रों के मूल पाठ में भेद का हो जाना असम्भव नहीं था। सम्भवतः, इसी कारण यजुर्वेद की ये विविध शाखाएँ बनीं। इन शाखाओं में अनेक स्थानों पर मन्त्रों में पाठभेद पाया जाता है। इनमें यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता सबसे महत्त्वपूर्ण है, और बहुत से विद्वान् उसे ही असली यजुर्वेद मानते हैं। यह चालीस अध्यायों में विभक्त है। इनमें उन मन्त्रों का पृथक्-पृथक् रूप से संग्रह किया गया है, जो विविध याज्ञिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त किये जाते थे। यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद् है, जिसका सम्बन्ध याज्ञिक अनुष्ठानों के साथ न होकर अध्यात्म-चिन्तन के साथ में है।

सामवेद की तीन शाखाएँ इस समय मिलती हैं, कौथुम शाखा, रागायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। इनका आधार भी पाठभेद है। सामवेद के दो भाग हैं पूर्वाचिक और उत्तराचिक। दोनों की मंत्र-संख्या १८१० है। अथर्ववेद की दो शाखाएँ इस समय मिलती हैं, शौनक और पिप्पलाद। इनमें शौनक शाखा अधिक प्रसिद्ध है, और उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अथर्ववेद में कुल

मिलाकर २० काण्ड और ७३२ सूक्त हैं। सूक्तों के अन्तर्गत मंत्रों की संख्या ६००० के लगभग है।

ब्राह्मण-ग्रन्थ—वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त ब्राह्मण-ग्रन्थों को भी सम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में उन अनुष्ठानों का विशद रूप से वर्णन है, जिनमें वैदिक मन्त्रों को प्रयुक्त किया जाता है। अनुष्ठानों के अतिरिक्त इनमें वेदमन्त्रों के अभिप्राय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक ब्राह्मण-ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है, और उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना जाता है। यहाँ यह भावश्यक है कि हम प्रत्येक वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण-ग्रन्थों का संक्षेप के साथ उल्लेख करें, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों का परिचय दिये बिना वैदिक-साहित्य का वर्णन पूरा नहीं हो सकता।

ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-ग्रन्थ ऐतरेय है। अनुश्रुति के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महीदास ऐतरेय था। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी या सांख्यान-ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय हैं। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य भेद यह है, कि जहाँ शुक्ल यजुर्वेद में केवल मन्त्र भाग है, वहाँ कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण-भाग भी अन्तर्गत है। उसमें मन्त्रों के साथ-साथ विधि-विधान व याज्ञिक अनुष्ठान के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण भाग को भी दे दिया गया है। अतः तैत्तिरीय ब्राह्मण रचना की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद से बहुत भिन्न नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, जो अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर सौ अध्याय है, जिन्हे चौदह काण्डों में विभक्त किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में न केवल याज्ञिक अनुष्ठानों का बड़े विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है, कि इन विविध अनुष्ठानों का क्या प्रयोजन है, और इन्हे क्यों यज्ञ का अंग बनाया गया है। शतपथ ब्राह्मण का रचयिता याज्ञवल्क्य ऋषि माना जाता है। सामवेद के तीन ब्राह्मण हैं, ताण्ड्य महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अनेक विद्वानों के अनुसार ये तीनों ब्राह्मण ग्रन्थ ब्राह्मण-ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। अनेक विद्वानों की सम्मति में यह बहुत प्राचीन नहीं है, और इसमें उस ढंग से याज्ञिक अनुष्ठानों का भी वर्णन नहीं है, जैसे कि अन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाया जाता है।

भारष्यक तथा उपनिषद्—इसमें सन्देह नहीं कि भारत के प्राचीन आर्यों के धर्म में यज्ञों की प्रधानता थी। यज्ञ के विधि-विधानों में अनुष्ठानों को वे बहुत महत्त्व देते थे। इसीलिये याज्ञिक अनुष्ठानों के प्रतिपादन व उनमें वैदिक मन्त्रों के विनियोग को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना की थी। पर साथ ही, वैदिक ऋषि अध्यात्मिक, दार्शनिक व पारलौकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्वों से बनी है, इस सृष्टि का कर्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है उसका क्या स्वरूप है—इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विषयों का चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्रायः जगलों व झरन्धों में निवास करते थे, जहाँ वे आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं उस साहित्य की सृष्टि हुई, जिसे भारष्यक तथा

उपनिषद् कहते हैं। अनेक आरण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थों के ही भाग हैं। ऋषियों ने आरण्य में स्थापित आश्रमों में जिन उपनिषदों का विकास किया, उनकी संख्या दो सौ से भी ऊपर है। पर प्रमुख उपनिषदें निम्नलिखित हैं—

(१) ऐतरेय उपनिषद्—यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी ब्राह्मण के अन्त में भी आरण्यक भाग है, जिसे कौशीतक आरण्यक या कौशीतकी उपनिषद् कहते हैं। (२) यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ईसोपनिषद् के रूप में है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग भी आरण्यक रूप से है, जिसे बृहदारण्यकोपनिषद् कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्तर्गत कठ उपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद्, तैत्तिरीय उपनिषद् और मैत्रायणीय उपनिषद् हैं। (३) सामवेद के ब्राह्मण-ग्रन्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदें केन और छान्दोग्य हैं। (४) अथर्ववेद के साथ मुण्डक उपनिषद् और माण्डूक्य उपनिषद् का सम्बन्ध है।

(२) वैदिक युग का राजनीतिक जीवन

वैदिक संहिता, ब्राह्मण-ग्रन्थ और उपनिषदों के अध्ययन से वैदिक युग के आयों की सम्यता, राजनीतिक संगठन, धर्म, आर्थिक दशा और संस्कृति आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना उपयोगी होगा।

राजनीतिक संगठन—जब आयों ने पहले-पहल भारत में प्रवेश किया, तो वे सम्यता के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर चुके थे। वे शिकारी की दशा में आगे बढ़कर पशुपालक और कृषक की दशा में पहुँच चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से वे 'जनो' में संगठित थे। जन को हम कबीला या ट्राइब समझ सकते हैं। जन का संगठन एक बड़े परिवार के समान था, जिसमें यह विचार विद्यमान था कि उसके सब व्यक्ति एक आदि पुरुष की सन्तान हैं, और एक ही परिवार के अंग हैं। जिस प्रकार एक परिवार में सबसे बड़े व्यक्ति शासन करता है, उसी प्रकार जन रूपी बड़े परिवार में भी एक पिता या मुखिया का शासन होता था। इस मुखिया को राजा कहते थे, और इसकी नियुक्ति परम्परागत प्रथा के अनुसार या निर्वाचन द्वारा होती थी। प्रत्येक जन की सम्पूर्ण 'विशः' (जनता) इस राजा का वरण करती थी। यह समझा जाता था, कि जनता राजा के साथ एक संविदा (इकरार) करती है, जिसके अनुसार राजा यह जिम्मा लेता है कि वह अपनी प्रजा की सब बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा करेगा और उसका न्यायपूर्वक पालन करेगा। इसी कार्य के लिए प्रजा को राजा 'बलि' (कर) प्रदान करती थी। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञा करता था। यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोड़े, तो प्रजा को अधिकार था कि वह उसे पदच्युत कर सके। राजा किसी दैवी अधिकार से शासन करता है, यह विचार वैदिक संहिताओं में कहीं नहीं पाया जाता। इसके विपरीत, वहाँ यह विचार स्पष्ट रूप से विद्यमान है कि 'विशः' राजा को शासन कार्य के लिए वरण करती है। वरण द्वारा जब कोई व्यक्ति

राजा के पद पर नियत होता था, तो उससे यह आशा की जाती थी कि वह जीवन-पर्यन्त अपने पद पर ध्रुव (स्थिर) रहेगा। अथर्ववेद में लिखा है, कि यह ऋषिः और पृथ्वी सब ध्रुव हैं। यह सारा विश्व ध्रुव है, ये पर्वत ध्रुव है। इसी प्रकार विशः का यह राजा भी ध्रुव रहे। सब 'विशः' इसको चाहें, और यह राष्ट्र में अपने पद से कभी व्युत् न हो।

राजा को वरण करने का कार्य 'विश' के जिन प्रमुख व्यक्तियों के सुपुर्व था, उन्हें 'राजकृतः', (राजा को नियत करने वाले) कहते थे। 'राजकृत' स्वयं भी राजा कहाते थे, और राजा के पद पर वरण किया गया व्यक्ति इन 'राजानः राजकृतः' का मुखियामात्र माना जाता था। ये 'राजकृतः' कौन होते थे, वेदो से यह स्पष्ट नहीं होता। ब्राह्मण-ग्रन्थो में 'रत्नियो' का उल्लेख आया है, जो राज्याभिषेक के समय पर राजा से हवि ग्रहण करते थे। इन रत्नियो के सम्बन्ध में हम उत्तर-वैदिक काल (प्राग-बौद्धकाल) की सम्यता का विवरण करते हुए अधिक विस्तार के साथ लिखेंगे। सम्भवतः, ब्राह्मण-ग्रन्थो में जिन्हें 'रत्नी' कहा गया है, वैदिक काल में वे ही 'राजकृतः राजानः' कहे जाते थे, क्योंकि वैदिक युग के ये राजकृतः राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को एक 'पर्णमणि' प्रदान करते थे, जो राजत्व का चिह्न समझी जाती थी। सम्भवतः, यह पर्णमणि (पर्णों द्वारा निर्मित रत्न) पलाश वृक्ष की शाखा होती थी। पलाश को पवित्र मानने की कल्पना वैदिक काल में भी विद्यमान थी। 'राजकृतः राजानः' के अतिरिक्त सूत, ग्रामणी, रथकार, कर्मार आदि जनता के विविध व्यक्ति भी राज्याभिषेक में हाथ बँटाते थे, और 'विशः' की ओर से राजा का वरण किया करते थे।

समिति और सभा—जनता द्वारा वरण किये जा चुकने पर राजा अकेला शासन-कार्य का संचालन करता ही, यह बात नहीं थी। वैदिक युग में समिति और सभा नामक दो संस्थाएँ भी थी, जो न केवल राजकार्य में राजा की सहायता करती थी, अपितु उस पर नियन्त्रण भी रखती थी। अथर्ववेद के जिस सूक्त में राजा के ध्रुव रहने की प्रार्थना की गयी है, उसी में यह भी कहा गया है कि राजा की समिति भी ध्रुव रहे। समिति के सदस्य कौन होते थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सम्भवतः, वह सम्पूर्ण विशः की संस्था थी, और उसमें 'जन' के सब लोग एकत्र होते थे। यह भी सम्भव है कि वैदिक युग के जनपदों में जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ सब लोग इस समिति में एकत्र न होते हो, और कतिपय प्रमुख व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होने का अधिकार रखते हो। प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों की लोकसभाओं (यथा एथेन्स की एकलीजिया) में सब नागरिक सदस्य रूप से सम्मिलित होते थे। जब नगर-राज्यों की जनसंख्या लाखों में हो गयी थी, तब भी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार था कि वह अपने राज्य की लोक-सभा में उपस्थित होकर विचार में हाथ बँटा सके, और अपनी सम्मति दे सके। सम्भवतः, वैदिक युग के आर्य जनपदों (जिनका स्वरूप नगर-राज्य के समान ही था) की समिति का भी यही रूप था। उसमें जनपद की सम्पूर्ण 'विशः' एकत्र हो सकती थी। वहाँ एकत्र हुए व्यक्ति सब विचारणीय विषयों पर वाद-विवाद करते थे। विवाद व भाषण में प्रवीणता प्राप्त करना एक अत्यन्त महत्त्व की बात समझी जाती थी। अथर्ववेद के एक सूक्त में एक व्यक्ति यह प्रार्थना करता है, कि वह बहुत कुशल वक्ता बने, अपनी युक्तियों,

ज्ञान और भाषण कला द्वारा सबको वशीभूत कर ले। बाद-विवाद में अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने और भाषण द्वारा सबको अपने पक्ष में कर सकने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थनाएँ वेदों में विद्यमान हैं। निःसन्देह, समिति में विविध विषयों पर खुला विवाद होता था, और विविध व्यक्ति वहाँ अपनी वक्तृत्वशक्ति का चमत्कार प्रदर्शित किया करते थे। समिति में केवल राजनीतिक विषयों पर ही विवाद नहीं होता था, अपितु साथ ही आध्यात्मिक व गूढ़ विषयों पर भी उनमें विचार हुंम्रा करता था। छान्दोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में 'समिति' में ब्रह्म-विद्या-विषयक विचारों का उल्लेख आया है। श्वेतकेतु पाचाल जनपद की इसी प्रकार की समिति में उपस्थित हुंम्रा था, और वहाँ उसने अथारम-विषयक विचार में हाथ बटाया था। समिति का अपना अध्यक्ष होता था, जिसे 'ईशान्' कहते थे। ईशान् के सभापतिरत्न में ही समिति का कार्य चलता था। पर राजा भी विविध भ्रवसरो पर समिति में उपस्थित होता था। जब श्वेतकेतु पाचाल-जनपद की समिति में गया, तो वहाँ का राजा प्रवाहण जाबाल उसमें उपस्थित था।

समिति के समान सभा की वैदिक युग के जनपदों की एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी। वेदों में समिति और सभा को प्रजापति की 'दुहिता' कहा गया है, और यह प्रार्थना की गयी है, कि दोनों राजा की रक्षा में सदा तत्पर रहें। सभा और समिति के संगठन में क्या भेद था, यह वैदिक संहिताओं द्वारा भली-भाँति स्पष्ट नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है, कि सभा समिति की अपेक्षा छोटी संस्था थी, उसके सदस्य केवल बड़े लोग (पितर व वृद्ध) ही होते थे, और उसका प्रधान कार्य न्याय करना था। अथर्ववेद में सभा को 'नरिष्ट' कहा गया है। सायणाचार्य ने नरिष्ट शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "बहुत-से लोग एक साथ मिलकर जो एक बात कहे उसका दूसरों को उल्लंघन नहीं कहना चाहिये। क्योंकि बहुतों की बात का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः सभा को 'नरिष्ट' कहते हैं।" नरिष्ट का शब्दार्थ है, अनुल्लंघनीय। बहुमत से जो कुछ सभाओं में निर्णीत होता था, उसे अनुल्लंघनीय माना जाता था, और इसी कारण सभा को नरिष्ट कहते थे। प्रतीत होता है, कि वैदिक युग की सभा में भी विविध विषयों पर विवाद होता था और विविध वक्ता सभासदों को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते थे। इसीलिए अथर्ववेद में प्रार्थना की गयी है— "हे सभा ! हम तेरे से भली-भाँति परिचित हैं, तेरा नाम नरिष्ट (अनुल्लंघनीय) भी है। तेरे जो भी सभासद् हैं, वे मेरे साथ 'सवाचस्' (मेरे कथन के साथ सहमति रखने वाले) हों। यहाँ (सभा में) जो लोग बैठे हैं, मैं उन सबके नेत्र और ज्ञान को ग्रहण करता हूँ (सबको अपने पीछे चलाता हूँ)। हे इन्द्र ! मुझे इस प्रयत्न में सफल बनाओ। तुम लोगों (सभासदों) का जो मन किसी और पक्ष में गया हुआ है, या किसी पक्ष के साथ उधर-उधर बंध गया है, उसे मैं लौटाता हूँ, तुम सबका मन मेरे पक्ष में हो।" सभा में उपस्थित सभासदों को अपने पक्ष में करने, उन सबको वशीभूत करने और अपने पीछे चलने की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर है, और अत्यन्त उत्तम रीति से उस युग की सभा पर प्रकाश डालती है। सभा के सदस्यों को 'सभासद्' कहा जाता था। वेदों में इन्हें 'पितर' भी कहा गया है। बाद के साहित्य में इनके लिए 'वृद्ध' शब्द का उपयोग

किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि सभा में सम्पूर्ण 'विशः' एकत्र नहीं होती थी, अपितु उसके कतिपय प्रतिष्ठित व वृद्ध (बड़े) लोग ही उसमें सम्मिलित होते थे।

सभा का एक मुख्य कार्य न्याय करना था। न्याय के लिए अभियुक्त रूप में जिस व्यक्ति को सभा के सम्मुख पेश किया जाता था, उसे 'सभाचर' कहते थे। यजुर्वेद में सभाचर का उल्लेख पुरुषमेघ के प्रकरण में किया गया है। आलंकारिक रूप से विचार करने पर अभियुक्त व्यक्ति को 'मेघ्य' (बलि योग्य) समझ सकता कठिन नहीं है। यजुर्वेद के ही एक अन्य मन्त्र में सभा में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का उल्लेख किया गया है। न्याय कार्य को करते हुए सभासद लोगों से अनजाने में या जान-बूझकर जो भूल हो जाती थी, उसे यजुर्वेद में पाप कहा गया है, और उससे छूटने के लिए प्रार्थना की गयी है। सूत्रग्रन्थों और धर्मशास्त्रों के समय में भी 'सभा' न्याय का कार्य करती थी। "या तो सभा में जाये नहीं, जाये तो वहाँ सोच-समझकर अपनी बात कहनी चाहिए, सभा में जाकर जो अपनी सम्मति नहीं कहता या गलत बात कहता है, वह पापी होता है," यह धर्मशास्त्रों का वचन जिस सभा के विषय में है, वह सम्भवतः न्याय का भी कार्य करती थी।

(३) सामाजिक जीवन

पाँच जन—वैदिक युग के भारतीय आर्य अनेक जनो (कबीलो या ट्राइब) में विभक्त थे। ऋग्वेद में अनेक स्थलो पर 'पाँचजना' और 'पाँचकृष्टय' का उल्लेख आता है, जो नि सन्देह उस युग के आर्यों की पाँच प्रमुख जातियों (कबीलो) को सूचित करते हैं। ये पाँचजन अणु, द्रुह्यु, यदु, तुवंशु और पुरु थे। पर इनके अतिरिक्त भरत, त्रित्सु, श्रुजय आदि अन्य भी अनेक जनो का उल्लेख वेदों में आया है, जिनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ज्यो-ज्यो आर्य लोग भारत में फैलते गये, उनमें विविध जनो का विकास होता गया। आर्य जाति के प्रत्येक जन में सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान होती थी, और सबको एक ही 'विशः' (जनता) का अंग माना जाता था।

आर्य और दास—आर्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व यहाँ जिन लोगों का निवास था, वेदों में उन्हें 'दास' या 'दस्यु' कहा गया है। इनकी अनेक समृद्ध बस्तियाँ भारत में विद्यमान थी। आर्यों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन किया, और ये आर्यभिन्न लोग आर्य-जनपदों में आर्य-राजाओं की अधीनता में रहने लगे। यह स्वाभाविक था कि इन दासों व दस्युओं की सामाजिक स्थिति आर्यों की अपेक्षा हीन रहे। आर्य लोग इनसे घृणा करते थे, इन्हें अपने से हीन समझते थे, और इन्हें अपने समान स्थिति देने का उद्यत नहीं थे। इसी दशा का यह परिणाम हुआ, कि आर्य-जनपदों में निवास करने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गई—(१) आर्य, और (२) दास। दास-जाति की हीन स्थिति के कारण इस शब्द का अभिप्राय ही संस्कृत भाषा में गुलाम हो गया, यह हम पहले लिख चुके हैं। दास जाति के ये लोग शिल्प में अत्यन्त चतुर थे। ये अन्धे विद्यालय धरों का निर्माण करते थे, शहरों में रहते थे, और अनेक प्रकार के व्यवसायों में दक्ष थे। आर्यों द्वारा विजित हो जाने के बाद भी शिल्प और व्यवसाय

में इनकी निपुणता नष्ट नहीं हो गई। ये अपने इन कार्यों में तत्पर रहे। विजेता आर्य योद्धा थे। वे याज्ञिक अनुष्ठानों को गौरव की बात समझते थे, और भूमि के स्वामी बनकर खेती, पशुपालन आदि द्वारा जीवन का निर्वाह करते थे। विविध प्रकार के शिल्प दास-जाति के लोगों के हाथ में ही रहे। इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत में प्राचीन काल से ही शिल्पियों को कुछ हीन समझने की प्रवृत्ति रही। आर्यों और दासों में परस्पर सामाजिक सम्बन्ध का सर्वथा अभाव ही, यह बात नहीं थी। प्राच्य भारत में जहाँ आर्यों की अपेक्षा आर्यभिन्न जातियों के लोग अधिक सख्या में थे, उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध होता रहता था। उन प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई, जो युद्ध आर्य या दास न होकर वर्णसंकर थे। ऐसे वर्णसंकर लोगों को ही सम्भवतः व्रात्य कहा जाता था। अथर्ववेद में व्रात्य जातियों का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। बाद में व्रात्य-स्तोम-यज्ञ का विधान कर इन व्रात्यों को आर्य जाति में सम्मिलित करने की भी व्यवस्था की गई। पर इसमें सन्देह नहीं, कि वैदिक युग में आर्यों और दासों का भेद बहुत स्पष्ट था, और उस काल के आर्य-जनपदों में ये दो वर्ण ही स्पष्ट रूप से विद्यमान थे।

वर्ण-व्यवस्था—आर्य-विशः के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान थी। पर धीरे-धीरे उसमें भी भेद प्रादुर्भूत होने लगा। दास-जातियों के साथ निरन्तर युद्ध में व्यापृत रहने के कारण सर्वसाधारण आर्य जनता में कतिपय ऐसे वीर सैनिकों (रथी, महारथी आदि) की सत्ता आवश्यक हो गई, जो युद्ध-कला में विशेष निपुणता रखते हों। इनका कार्य ही यह समझा जाता था कि ये शत्रुओं से जनता की रक्षा करें। क्षत्र (हानि) से त्राण करने वाले होने के कारण इन्हें 'क्षत्रिय' कहा जाता था। यद्यपि ये क्षत्रिय आर्य विशः के ही अंग थे, पर तो भी इन्हें विशः के सर्वसाधारण लोगों (वैश्यों) से अधिक सम्मानित व ऊँचा समझा जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट कुल 'राजन्व्य' कहाते थे। सम्भवतः, ये राजन्व्य ही वे 'राजकृत राजानः' थे, जो अपने में से एक को राजा के पद के लिए वरण करते थे। जिस प्रकार क्षत्रियों की सर्वसाधारण आर्य विशः में एक विशिष्ट स्थिति थी, वैसे ही उन चतुर व्यक्तियों की भी थी, जो याज्ञिक कर्मकाण्ड में विशेष रूप से दक्ष थे। जब आर्य लोग भारत में स्थिर रूप से बस गये, तो उनके विधि-विधानों व अनुष्ठानों में भी बहुत वृद्धि हुई। प्राचीन समय का सरल धर्म निरन्तर अधिक-अधिक जटिल होता गया। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग जटिल याज्ञिक कर्मकाण्ड में विशेष निपुणता प्राप्त करें, और याज्ञिकों को इस श्रेणी को सर्वसाधारण आर्य-विशः द्वारा क्षत्रियों के समान ही विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाए। इस प्रकार वैदिक युग में उस चातुर्वर्ण्य का विकास प्रारम्भ हो गया था, जो आगे चलकर भारत में बहुत अधिक विकसित हुआ और जो बाद के हिन्दू व भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया। पर वैदिक युग में यह भावना होने पर भी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण विशः (वैश्य जनता) से उत्कृष्ट व भिन्न है, जातिभेद या श्रेणीभेद का अभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका आधार उसकी योग्यता या अपने कार्य में निपुणता ही थी। कोई भी व्यक्ति अपनी निपुणता, तप व विद्वत्ता के कारण ब्राह्मण पद को

प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार आर्य जन का कोई भी मनुष्य अपनी वीरता के कारण क्षत्रिय व राजन्य बन सकता था। वैदिक ऋषियों ने समाज की कल्पना एक मानव-शरीर के समान की थी, जिसके शीर्ष-स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहु-रूप क्षत्रिय थे, पेट व जंघाओं के सरस स्थिति वैश्यों की थी, और शूद्र पैरों के समान थे। आर्य-भिन्न दास लोग ही शूद्र वर्ण के अन्तर्गत माने जाते थे।

पारिवारिक जीवन—वैदिक युग के सामाजिक जीवन का आधार परिवार था। महाभारत में संकलित प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार एक ऐसा समय था, जब विवाह-संस्था विकसित नहीं हुई थी, जब स्त्रियाँ 'अनावृत', 'स्वतन्त्र' और 'कामाचार-विहारीणी' होती थी। पर यदि सच-गुच कोई ऐसा समय आर्यों में रहा था, तो वह वैदिक युग से अग्रदृश्य ही पहले का होगा, क्योंकि वेदों के अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि विवाह-संस्था उस समय भली-भाँति विकसित ही चुकी थी, और वैदिक युग के आर्य वैवाहिक बंधन में बंधकर गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते थे। साधारणतया, एकपत्नीव्रत का अनुसरण किया जाता था, यद्यपि बहुपत्नीत्व की प्रथा भी कहीं-कहीं प्रचलित थी। संभवतः, ये प्रथाएँ आर्यभिन्न जातियों में थीं, आर्यों में नहीं। बहिन और भाई में विवाह निषिद्ध था। विवाह बाल्यावस्था में नहीं होते थे। लड़कियाँ भी लड़कों के समान ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करती थी, और युवावस्था में विवाह करती थी। स्त्रियों को अशिक्षित नहीं रखा जाता था। 'स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिये', यह विचार वैदिक युग में विद्यमान नहीं था। अनेक स्त्रियाँ इतनी विदुषी थी, कि उनके बनाये हुए मंत्रों को वैदिक संहिताओं में भी संकलित किया गया है। लोपामुद्रा, अपालात्रेयी आदि अनेक स्त्रियाँ वैदिक सूक्तों की ऋषि हैं। गोधा, घोषा, विश्ववारा, अदिति, सरमा, आदि कितनी ही ब्रह्मवादिनी महिलाओं (ऋषियों) का उल्लेख प्राचीन साहित्य में आया है। गार्गी, मंत्रेयी आदि तत्त्वचिन्तक स्त्रियों का उपनिषदों में भी जिक्र किया गया है। ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन कर जो स्त्रियाँ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थी, वे परदे में नहीं रह सकती थी। उन्हें पारिवारिक जीवन में पति की सहघमिणी माना जाता था। विवाह-सम्बन्ध स्वयं वरण करने से ही निर्धारित होता था। स्त्रियाँ स्वयं अपने पति का वरण करती थीं। राजकुमारियों के अनेक स्वयंवर-विवाहों का विशद वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है। न केवल राजकुमारियाँ ही, अपितु सर्वसाधारण आर्य-कन्याएँ भी अपने पति का स्वयमेव वरण किया करती थी और वैदिक युग के समाज में उन्हें इसके लिये पूर्ण अवसर मिलता था।

(४) धर्म

वैदिक वाङ्मय प्रधानतया धर्मपरक है, अतः इस युग के धार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में हमें बहुत विशद रूप से परिचय मिलता है। वैदिक युग के आर्य विविध देवताओं की पूजा करते थे। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि उनके अनेक देवता थे, जिन्हें तृप्त व सन्तुष्ट करने के लिए वे अनेक विधि-विधानों का अनुसरण करते थे। संसार का स्रष्टा, पालक व संहर्ता एक ईश्वर है, यह विचार वैदिक आर्यों में भली-भाँति विद्यमान था। उनका कथन था कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान्,

मातरिखा, यम आदि सब एक ही सत्ता के विविध नाम हैं, और उस एक सत्ता को ही विद्वान् लोग इन्द्र, मित्र आदि विविध नामों से पुकारते हैं। सम्भवतः, एक ईश्वर की यह कल्पना बाद में विकसित हुई, और प्रारम्भ में आर्य लोग प्रकृति की विविध शक्तियों को देवता के रूप में मानकर उन्हीं की उपासना किया करते थे। प्रकृति में हम अनेक शक्तियों को देखते हैं। वर्षा, धूप, सरदी, गरमी सब एक नियम से होती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों के कोई अधिष्ठातृ-देवता भी होने चाहिए और इन देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य अपनी सुख-समृद्धि में वृद्धि कर सकता है, यह विचार प्राचीन आर्यों में विद्यमान था। प्राकृतिक दशा को सम्मूल रखकर वैदिक देवताओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) द्युलोक के देवता यथा सूर्य, सविता, मित्र, पूषा, विष्णु वरुण और मित्र। (२) अन्तरिक्षस्थानीय देवता, यथा इन्द्र, वायु, मरुत् और पर्जन्य। (३) पृथिवीस्थानीय देवता, यथा अग्नि, सोम और पृथिवी। द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथिवीलोक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की जो शक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, उन सबको देवतारूप में मानकर वैदिक आर्यों ने उनकी स्तुति में विविध सूक्तों व मन्त्रों का निर्माण किया। अर्वादि, उषा, सरस्वती आदि के रूप में वेदों में अनेक देवियों का भी उल्लेख है, और उनके स्तवन में भी अनेक मन्त्रों का निर्माण किया गया है। यद्यपि बहुसंख्यक वैदिक देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताओं के मूर्तरूप हैं, पर कतिपय देवता ऐसे भी हैं, जिन्हें भाव-रूप समझा जा सकता है। मनुष्यों में श्रद्धा, मन्यु (क्रोध) आदि की जो विविध भावनाएँ हैं, उन्हें भी वेदों में देवी रूप प्रदान किया गया है।

इन विविध देवताओं की पूजा के लिए वैदिक आर्य अनेकविध यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर दूध, घी, अन्न, सोम आदि विविध सामग्री की आहुतियाँ दी जाती थी। यह समझा जाता था, कि अग्नि में दी हुई आहुति देवताओं तक पहुँच जाती है, और अग्नि इस आहुति के लिए वाहन का कार्य करती है। वैदिक युग में यज्ञों में मांस की आहुति दी जाती थी या नहीं, इस सम्बन्ध में मतभेद है। महाभारत में संकलित एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार पहले यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी। बाद में राजा बसु चैद्योपरिचर के समय में इस प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन प्रबल हुआ। इस बात में तो सन्देह की कोई गुरुजाइश नहीं है, कि बौद्ध-युग से पूर्व भारत में एक ऐसा समय अवश्य था, जब यज्ञों में पशुहिंसा का रिवाज था। पर वेदों के समय में भी यह प्रथा विद्यमान थी, यह बात संदिग्ध है। वेदों में स्थान-स्थान पर धृत, अन्न व सोम द्वारा यज्ञों में आहुति देने का उल्लेख है, पर अश्व, भ्रजा आदि पशुओं की बलि का स्पष्ट वर्णन प्रायः वैदिक संहिताओं में नहीं मिलता।

आर्यों ने दास, दस्यु आदि जिन आर्यभिन्न जातियों को विजय कर अपनी सत्ता की स्थापना की, उनके धर्म का भी उनपर प्रभाव पड़ा। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह प्रार्थना की गयी है, कि 'शिशुदेव' हमारे यज्ञ को न विगाड़ें। हम पहले लिख चुके हैं, कि सिन्धु-घाटी की प्राचीन सभ्यता के निवासियों में शिशु (लिंग) की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में ऐसे अनेक शिशु (जो पत्थर के बने हैं) उपलब्ध भी हुए हैं। ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर शिशुदेवों के पुर के विजय का भी उल्लेख है। वैदिक युग के आर्य लिंग के रूप में प्रकृति की प्रजनन-शक्ति के

उपासको से घृणा करते थे। पर बाद में आर्य-जाति ने पूजा की इस विधि को भी अपना लिया, और शिवलिंग के रूप में शिवदेव की पूजा आर्यों में भी प्रचलित हो गयी। इसी प्रकार अथर्ववेद में अनेक जादू-टोने पाये जाते हैं, जो आर्य-भिन्न जातियों से ग्रहण किये गए थे। साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, ब्राह्मिणी, विलिगी, उरुगुला आदि अनेक शब्द आये हैं। अनेक विद्वानों के मत में ये शब्द वैदिक भाषा के न होकर कैलिडियन भाषा के हैं। कैलिडियन लोग ईराक के क्षेत्र में निवास करते थे, और भारतीय आर्यों से भिन्न थे। सिन्धु-सम्मता के लोगों का पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, यह हम पहले लिख चुके हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कि तैमात आदि ये शब्द पश्चिमी एशिया से सिन्धु सम्मता में आये हों, और बाद में आर्यों ने इन्हें सिन्धु-सम्मता के दास व दस्यु लोगों से ग्रहण किया हो।

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम वैदिक देवताओं के स्वरूप का विशद रूप से वर्णन कर सकें। पर इतना लिख देना आवश्यक है, कि देवताओं के रूप में प्राचीन आर्य प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते थे, और यह विचार उनमें भली-भाँति विद्यमान था कि ये सब देवता एक ही सत्ता की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। वैदिक आर्य केवल देवताओं की पूजा और याज्ञिक अनुष्ठान में ही तत्पर नहीं थे, अपितु वे उस तत्त्व-चिन्तन में भी लगे थे, जिसने आगे चलकर उपनिषदों और दर्शन-शास्त्रों को जन्म दिया। यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि से पहले क्या दशा थी, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो क्या अवस्था होगी—इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वैदिक युग में विचार किया जाता था। वैदिक संहिताओं में ऐसे अनेक सूक्त आते हैं, जिनमें इस प्रकार के प्रश्नों पर बहुत सुन्दर व गम्भीर विचार किया गया है। यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है, जो इसका धारण करता है, जो इसका अन्त कर प्रलय करता है, जो इस सम्पूर्ण विश्व का स्वामी व पालनकर्ता है, हे प्रिय मनुष्य ! तू उसको जान, अन्य किसी को जानने का प्रयत्न न कर। इस विश्व में पहले केवल तम (अन्धकार) था, अत्यन्त गूढ़ तम था। तब सृष्टि विकसित नहीं हुई थी, सर्वत्र प्रकृति अपने आदि रूप में विद्यमान थी। उस सर्वोच्च सत्ता ने अपनी तपःशक्ति द्वारा तब इस सृष्टि को उत्पन्न किया। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ भी इस संसार में है, वह सब उसी 'पुरुष' में से उत्पन्न होता है—इस प्रकार के कितने ही विचार वैदिक मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं, और उस तत्त्व-चिन्तन को सूचित करते हैं, जिसमें वैदिक युग के अनेक ऋषि व विचारक संलग्न थे।

क्योंकि वैदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में, अतः उनकी मूर्ति बनाने और इन मूर्तियों की पूजा करने की पद्धति सम्भवतः वैदिक युग में विद्यमान नहीं थी। वैदिक आर्य देवताओं की पूजा के लिए ऐसे मन्दिरों का निर्माण नहीं करते थे, जिनमें मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हों। वैदिक युग में देवताओं की पूजा का ढंग प्रधानतया याज्ञिक अनुष्ठान ही था।

(५) आर्थिक जीवन

वैदिक युग के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार कृषि और पशुपालन थे । पशुओं में गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ते और गधे विशेष रूप से पाले जाते थे । आर्यों के आर्थिक जीवन में गाय का इतना अधिक महत्त्व था, कि उसे अघ्न्या (न मारने योग्य) समझा जाता था । आर्य लोग इन पशुओं को बड़ी संख्या में पालते थे, और इनसे उनकी आर्थिक समृद्धि में बहुत सहायता मिलती थी । इस युग में आर्य लोग कतिपय निश्चित प्रदेशों पर बस गये थे, और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी उन्नति कर ली थी । जमीन को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था । खेतों की उपज बढ़ाने के लिए खाद भी प्रयुक्त होता था । सिंचाई के लिए भील, जलाशय, नदी और कुएँ का जल काम में लाया जाता था । खेतों में पानी देने के लिए छोटी-छोटी नहरें व नालियाँ बनाई जाती थी । भारत के ग्रामों में जिस ढंग से आज-कल किसान लोग खेती करते हैं, जिस प्रकार वे अब लकड़ी और धातु के बने हलो को बैलों से चलाते हैं, जिस तरह से वे खेती को सींचते, नलाते व काटते हैं, प्रायः उसी ढंग से वैदिक युग के आर्य भी करते थे । खेतों में उत्पन्न होने वाले अनाजों में जौ, गेहूँ, घान, माष व तिल प्रमुख थे । यद्यपि वैदिक आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था, पर धीरे-धीरे अनेक प्रकार के शिल्पो और व्यवसायों का भी विकास हो रहा था । तक्षमन् (बडई), हिरण्यकार (सुनार) कर्मार (धातु-शिल्पी), चर्मकार (भोची), वाय (तन्तुवाय या जुलाहा) आदि अनेक व्यवसायियों का उल्लेख वेदों में आया है । उस युग में आर्य लोग रथों का बहुत उपयोग करते थे । ये रथ न केवल सवारी और माल ढोने के काम में आते थे, अपितु युद्ध के लिए भी इनका बहुत उपयोग था । आर्य-भिन्न दास लोग तो विविध शिल्पो का अनुसरण करते ही थे, पर आर्य लोगों ने भी कारु (शिल्पी), भिषक् (चिकित्सक) आदि अनेक प्रकार के व्यवसायों का संचालन प्रारम्भ कर दिया था । दास-शिल्पियों को अपनी नौकरी में या गुलाम रूप में रखकर आर्य गृहपति अनेक प्रकार के व्यवसायों का भी संचालन करने लग गये थे ।

वैदिक युग के आर्य अनेक धातुओं का प्रयोग जानते थे । सम्यता के क्षेत्र में वे प्रस्तर युग से बहुत आगे बढ़ चुके थे । सुवर्ण और रजत का प्रयोग वे आभूषणों और पात्रों के लिए करते थे, पर 'अयस्' नामक एक धातु को वे अपने औजार बनाने के लिए काम में लाते थे । संस्कृत भाषा में 'अयस्' का अर्थ लोहा है, पर अनेक विद्वानों का यह विचार है, कि वेदों में जिस अयस् का उल्लेख है, वह लोहा न होकर ताँबा ताँबा है । अयस् का अभिप्राय चाहे लोहे से हो और चाहे ताँबे से, इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक युग के आर्य इस उपयोगी धातु के प्रयोग को भली-भाँति जानते थे, और कर्मार लोग अनेक प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करते थे ।

आर्य लोग अपने निवास के लिए सुन्दर शालाओं का निर्माण करते थे । वेद में एक शालासूक्त है, जिसमें शाला (मकान या घर) का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया है । सम्भवतः, इन शालाओं के निर्माण के लिये लकड़ी का प्रयोग प्रधान रूप से किया जाता था ।

वस्त्र-निर्माण का शिल्प भी इस युग में अच्छा उन्नत था। ऊन और रेशम कपड़े बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होते थे। यह सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि रुई से भी आर्य लोग भली-भाँति परिचित थे। सिन्धु-सम्यता के आर्थिक जीवन का विवरण देते हुए हमने उन प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिनसे उस सम्यता के लोर्गी का रुई से परिचय सिद्ध होता है। आर्य लोगों के लिए यह बहुत सुगम था कि वे अपने से पूर्ववर्ती सिन्धु-सम्यता के लोगों से रुई की खेती और उपयोग को भली-भाँति सीख सकें। सूत कातने और उसमें अनेक प्रकार के वस्त्र बनाने के व्यवसाय में आर्य लोग अच्छे कुशल थे। वे सिर पर उष्णीय (पगडी) धारण करते थे, नीचे एक अधोवस्त्र (धोती या साड़ी) पहनते थे, और ऊपर के लिए उत्तरीय (चादर) का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनने का शौक रखते थे। कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव आदि अनेक प्रकार के आभूषण इस युग के लोग प्रयोग में लाते थे।

व्यापार के लिए इस युग में वस्तुविनिमय (वार्टर) का प्रयोग होता था। पर दहुधा वस्तुओं के मूल्य का अकन गौत्रो द्वारा करके और गौ को मूल्य की इकाई मान कर विनिमय का काम चलाया जाता था। धातु द्वारा निर्मित किसी सिक्के का चलन इस युग में था या नहीं, यह बात संदिग्ध है। निष्क नामक एक सुवर्ण मुद्रा का उल्लेख वैदिक साहित्य में आया है। पर सम्भवतः, उसका उपयोग मुद्रा की अपेक्षा आभूषण के रूप में अधिक था। वैदिक संहिताओं में नौकाओं का भी अनेक स्थलों पर वर्णन आया है। इनमें से कतिपय नौकाएँ बहुत विशाल भी हैं। सम्भवतः, वैदिक युग के लोग स्थल और जल मार्गों द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिए आते-जाते थे। सिन्धु-सम्यता के काल में भी सामुद्रिक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। इस युग में यह और भी अधिक विकसित हुआ।

वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर 'पणि' नामक व्यापारियों का उल्लेख आया है, जिन्हें असुर कहा गया है। सम्भवतः, ये पणि फिनीशियन लोग थे, जिन्हें लैटिन भाषा में 'पूनि' कहा जाता था। फिनीशियन लोगों की बस्ती पैलेस्टाइन के समुद्रतट पर थी, जहाँ से वे सुदूर देशों में व्यापार के लिए आया जाया करते थे। भारत के आर्यों का इनसे परिचय था। सम्भवतः, वैदिक युग में भारत का पैलेस्टाइन के फिनीशियन (पूनि या पणि) लोगों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था।

छठा अध्याय

उत्तर-वैदिक युग और ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल

(१) वैदिक साहित्य का विकास

महाभारत-युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के समय तक का राजनीतिक इतिहास बहुत अस्पष्ट है। पर इस काल की सम्यता, धर्म, जीवन तथा संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने की सामग्री की कमी नहीं है, कारण यह कि इस समय में साहित्य का निरन्तर विकास होता रहा। यद्यपि इस युग के साहित्य का बड़ा भाग आजकल उपलब्ध नहीं होता, तथापि जो ग्रन्थ अब प्राप्त हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस काल के आर्यों के जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं।

वेदांग—वैदिक साहित्य के अंगभूत वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् ग्रन्थों का विवरण पहले दिया जा चुका है। बाद में वेद-सम्बन्धी जिस साहित्य का विकास हुआ, उसे वेदांग कहते हैं। ये वेदांग छः हैं—शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा का अभिप्राय उस शास्त्र से है, जिसमें वर्णों व शब्दों का सही उच्चारण प्रतिपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते हैं। विभिन्न वैदिक संहिताओं के प्रातिशाख्य निम्नलिखित हैं—(१) शौनक द्वारा रचित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विचरित वाजसनेयी प्रातिशाख्य-सूत्र, और (४) अथर्ववेद प्रातिशाख्य-सूत्र। इन चार मुख्य प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त भारद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा रचित अन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थ भी थे। छन्द-शास्त्र में वैदिक छन्दों का निरूपण किया जाता है। छन्द का यह विषय प्रातिशाख्यों में भी आता है, पर इस शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ छन्दसूत्र है, जिसे आचार्य पिंगल ने बनाया था। पिंगल का छन्दसूत्र जिस रूप में आजकल मिलता है, वह शायद बहुत प्राचीन नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि यह प्राचीन छन्द-शास्त्र के आधार पर लिखा गया है।

वेदों को भले प्रकार से समझने के लिये व्याकरण-शास्त्र बहुत उपयोगी है। संस्कृत-भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय अष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि मुनि ने बनाया था। किन्तु पाणिनि की अष्टाध्यायी वेदांग के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। भाषा के नियम उसमें अपवादरूप से ही दिये गये हैं। पर अष्टाध्यायी के रूप में संस्कृत-व्याकरण अपने विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुँच गया था। पाणिनि का काल अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है, पर बहुसंख्यक विद्वान् उन्हें पाँचवीं सदी ई० पू० का मानते हैं। उनसे पूर्व अन्य भी अनेक व्याकरण हो चुके थे, जिनके प्रयत्नों के

कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दशा को प्राप्त हुआ था। चन्द्र, इन्द्र आदि अनेक प्राचीन वैयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में शाकपूणि नामक एक आचार्य का उल्लेख आता है, जो व्याकरणशास्त्र का बड़ा विद्वान् था। निरुक्त-शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति या निरुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यास्क से पूर्व इस शास्त्र के ग्रन्थ भी अनेक आचार्य हुए, जिनके मतों का उल्लेख यास्क ने अनेक बार अपने निरुक्त में किया है। पर इनमें से किसी भी आचार्य का ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता। ज्योतिष-शास्त्र भी छः वेदांगों में से एक है। बाद में इस शास्त्र का भारत में बहुत विकास हुआ, और आर्यभट्ट, बराहमिहिर आदि अनेक ऐसे आचार्य हुए, जिन्होंने इस विद्या को बहुत उन्नत किया। पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम 'ज्योतिषवेदांग' है। इसमें केवल ४० श्लोक हैं, और सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि का वर्णन है। पर प्राचीन काल में ज्योतिष भली-भाँति विकसित था, और वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ज्योतिष सम्बन्धी अनेक तथ्य पाये जाते हैं।

आर्यों के वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के क्या नियम हों, वे किन संस्कारों व कर्तव्यों का अनुष्ठान करें, इस महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन कल्प-वेदांग में किया गया है। कल्प के तीन भाग हैं—श्रौत, गृह्य और धर्म। ब्राह्मण-ग्रन्थों में याज्ञिक कर्मकाण्ड का बहुत विशद रूप से प्रतिपादन था। प्रत्येक याज्ञिक व अन्य विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमें किया गया था, कि सर्वसाधारण जीवन व व्यवहार में उनका सुगमता के साथ उपयोग सम्भव नहीं था। अतः यह आवश्यकता अनुभव की गयी, कि वैदिक अनुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाय। श्रौत-सूत्रों की रचना इसी दृष्टि से की गयी। इन्हें ब्राह्मण-ग्रन्थों का सार कहा जा सकता है, यद्यपि वैदिक विधियों में कुछ परिवर्तन व संशोधन भी इनसे सूचित होता है। गृह्य-सूत्रों में आर्य गृहस्थ के उन विधि-विधानों का वर्णन है, जो उसे आवश्यक रूप से करने चाहिए। जन्म से मृत्यु पर्यन्त आर्य गृहस्थ को अनेक धर्मों का पालन करना होता है, अनेक संस्कार करने होते हैं, व अनेक अनुष्ठानों का सम्पादन करना होता है। इन सबका प्रतिपादन गृह्य-सूत्रों में किया गया है। एक व्यक्ति के दूसके व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, व दूसरों के साथ बरतते हुए उसे जिन नियमों का पालन करना चाहिये, उनका विवरण धर्मसूत्रों में दिया गया है।

वर्तमान समय में जो सूत्र-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं—गौतम धर्मसूत्र, बौधायनसूत्र, आपस्तम्बसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूत्र, कात्यायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, आश्वलायन श्रौतसूत्र, आश्वलायन गृह्यसूत्र, सांख्ययान श्रौतसूत्र, सांख्ययान गृह्यसूत्र, लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिलगृह्यसूत्र कौशिक-सूत्र और वतान श्रौतसूत्र। इन विविध सूत्र-ग्रन्थों के नामों से ही यह बात सूचित होती है, कि इनका निर्माण विविध प्रदेशों में और विविध सम्प्रदायों में हुआ था। प्राचीन भारत में विविध आचार्यों द्वारा ज्ञान व विद्वान् के पृथक्-पृथक् सम्प्रदायों का विकास हुआ था, और इन सम्प्रदायों में विधि-विधान, विचार व ज्ञान की अपनी-अपनी

परम्पराएँ जारी रहती थी। भारतीय आर्यों के प्राचीन जीवन को भली-भाँति समझने के लिये इन सूत्र-ग्रन्थों का अनुशीलन बहुत उपयोगी है।

उपवेद—छः वेदों के अतिरिक्त इस युग में चार उपवेदों का भी विकास हुआ। ये उपवेद निम्नलिखित हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गान्धर्ववेद। चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान आयुर्वेद के अन्तर्गत है। चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने चिकित्साशास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे, वे आजकल उपलब्ध हैं। पर ये आचार्य बौद्धकाल में व उसके बाद हुए थे। प्राग्बौद्ध-काल का आयुर्वेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता। पर चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है, कि उनसे पूर्व बहुत-से आचार्य ऐसे हो चुके थे, जिन्होंने आयुर्वेद का विकास किया था। उपनिषदों में श्वेतकेतु नामक आचार्य का उल्लेख आया है, जो उद्दालक आरुणि का पुत्र था। यह श्वेतकेतु केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं था, अपितु साथ ही प्रजनन-शास्त्र और कामशास्त्र का भी पण्डित था। ये शास्त्र आयुर्वेद के अन्तर्गत थे। धनुर्वेद, शिल्पवेद और गान्धर्ववेद पर बाद के समय में बने हुए अनेक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं। पर अभी तक कोई ऐसी पुस्तक इन विषयों पर नहीं मिली है, जिसे निश्चित-रूप से प्राग्बौद्ध-काल का कहा जा सके। पर इन विद्याओं का उपवेद समझा जाना ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीन आर्य केवल याज्ञिक अनुष्ठान और ब्रह्मविद्या का चिन्तन ही नहीं करते थे, अपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प और संगीत आदि लौकिक विषयों का भी अनुशीलन करते थे।

अन्य विद्याएँ—वैदिक संहिताओं और उनसे सम्बद्ध विषयों के अतिरिक्त ग्रन्थ किन विद्याओं का अनुशीलन इस युग के आर्य करते थे, इस विषय में छान्दोग्य उपनिषद् का एक सन्धर्म बहुत महत्व का है। इस उपनिषद् के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत्कुमार और नारद का संवाद आता है, जिसमें सनत्कुमार के यह पूछने पर कि नारद ने किन-किन विषयों का अध्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया—‘हे भगवन् ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया है, मैंने पञ्चमवेद इतिहास-तुराण को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशिविद्या (गणित), दैवविद्या, निधि-विद्या (खान सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीति-शास्त्र), देव-विद्या, ब्रह्मविद्या (आत्म-शास्त्र), भूतविद्या, क्षत्र-विद्या (युद्ध-शास्त्र), नक्षत्र-विद्या (ज्योतिष) सर्प-विद्या और देवजन-विद्या को पढ़ा है। छान्दोग्य उपनिषद् का यह सन्धर्म इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहने देता, कि महाभारत के बाद इस देश में अनेक लौकिक विद्याओं का भली-भाँति विकास हो गया था, और नारद जैसे विद्वान् इन विविध विषयों के अनुशीलन में निरन्तर तत्पर रहते थे।

अर्थशास्त्र या वण्डनीति—ग्रन्थ अनेक लौकिक विद्याओं के समान इस युग में वण्डनीति या अर्थशास्त्र का भी भली-भाँति विकास हुआ। महाभारत का शान्तिपर्व राजधर्मशास्त्र का अत्यन्त उत्कृष्ट व विशद ग्रन्थ है। उससे इस युग की राजनीति व राजनीतिक विचारों पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र की रचना बौद्ध-काल के बाद में हुई। पर उसमें अनेक प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिनकी सम्मति को बार-बार आचार्य चाणक्य ने उद्धृत किया है। इनमें से कतिपय

के नाम निम्नलिखित हैं—भारद्वाज, विशालाक्ष, पाराशर, पित्रान, कौणपदन्त, वातव्यावि और बाहुदन्तीपुत्र । इन आचार्यों के अतिरिक्त चाणक्य ने मानव, बाहुस्पत्य, श्रीशनस आदि अनेक सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है, जिनमें दण्डनीति व राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी विविध विचारधाराओं का विकास हुआ था । कौटिलीय अर्थशास्त्र में इनके मतों का उल्लेख कर उनपर अपनी सम्मति भी दी गयी है । यह इस बात का प्रमाण है, कि प्राग्वीद-काल में राजनीति-शास्त्र का बहुत विकास हुआ था । यदि इन आचार्यों और सम्प्रदायों के दण्डनीति-सम्बन्धी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते, तो हम इस युग के राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते थे । शुकनीतिसार नाम से राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ इस समय मिलता है, वह श्रीशनस सम्प्रदाय का है । शुक राजनीति के बहुत बड़े आचार्य थे । उनकी सम्मति में दण्डनीति ही एकमात्र ऐसी विद्या थी, जिसे 'विद्या' कहा जा सकता था । शुकआचार्य की सम्मति में अन्य सब विद्याएँ दण्डनीति के ही अन्तर्गत हो जाती हैं । शुकनीतिसार का वर्तमान रूप चाहे बाद के समय में बना हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसमें शुकआचार्य या श्रीशनस सम्प्रदाय के परम्परागत विचार सकलित हैं ।

दर्शन-शास्त्र का विकास—भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छः अस्तिक दर्शन हैं—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त । ये छः दर्शन अस्तिक और वेदसम्मत माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त कतिपय अन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय में हुआ था, जिन्हे नास्तिक व लोकायत कहा जाता था । दर्शन-शास्त्रों द्वारा प्राचीन आर्य विद्वान् सृष्टि के मूल-तत्वों का परिचय प्राप्त करने का उद्योग करने थे । ब्राह्मण-ग्रन्थों और सूत्रों का विषय याज्ञिक कर्मकाण्ड व विधि-विधान का प्रतिपादन करना है । आरभ्यको व उपनिषदों में ब्रह्म-विद्या या आध्यात्मशास्त्र का विवेचन किया गया है । पर दर्शन-ग्रन्थों में वैज्ञानिक (दार्शनिक) पद्धति से यह जानने का यत्न किया गया है, कि इस सृष्टि के मूल-तत्व क्या है, यह किस तत्व से या किन तत्वों से और किस प्रकार निर्मित हुई, और इसका कोई स्रष्टा है या नहीं । इस प्रकार के विवेचन को 'दर्शन' कहा जाता था । भारत का सबसे पहला दर्शनिक शायद कपिल मुनि था, जो महाभारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के निर्माण काल में हुआ था । जिस प्रकार वाल्मीकि को भारत का आदि-कवि माना जाता है, वैसे ही कपिल भारत का प्रथम दार्शनिक था । उसने सांख्य-दर्शन का प्रतिपादन किया । जड़ और चेतन—दोनों प्रकार की सत्ताओं को निश्चित संख्याओं में विभक्त कर कपिल ने प्रकृति सम्बन्धी विवेचन के लिये एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया । बाद के विद्वानों ने कपिल की शैली का अनुसरण कर सांख्य-दर्शन की बहुत उन्नति की । शंकराचार्य के समय तक सांख्य का भारतीय दर्शनों में प्रमुख स्थान था । कपिल मुनि ने सृष्टि के निर्माण के लिये किसी कर्ता या स्रष्टा की आवश्यकता अनुभव नहीं की । प्रकृति पहले अव्यक्त रूप में विद्यमान थी, इस दशा में उसे 'प्रधान' कहते थे । यह प्रधान ही बाद में 'व्यक्त' होकर प्रकृति के रूप में आया ।

कपिल के समान अन्य भी अनेक विचारक इस युग में हुए, जिन्होंने प्रकृति के मूल-तत्वों के सम्बन्ध में मौलिक विचार अभिव्यक्त किये । कणाद वैशेषिक दर्शन का

प्रवर्तक था। सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं द्वारा हुई, इस मत का प्रतिपादन कणाद ने किया। न्याय-दर्शन का प्रवर्तक भीतम था, जिसने पञ्चभूत के सिद्धान्त का प्रारम्भ किया। वेदान्त के मत में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा हुई। ब्रह्म चेतन सत्ता है, जो अपने को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करती है। वेदान्त दर्शन का प्रवर्तक मुनि वेदव्यास को माना जाता है। यह निश्चित नहीं किया जा सका है, कि ये सब दार्शनिक मुनि किस समय में हुए थे। षड्दर्शनों के जो ग्रन्थ इस समय में मिलते हैं, वे बाद के समय के बने हुए हैं। पर इन ग्रन्थों में जो विचार व सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उन्हें विकसित होने में बहुत समय लगा होगा। यह सहज में माना जा सकता है, कि प्राग्-बौद्ध काल में जब अनेक ब्रह्मवादी ऋषि उपनिषद् के विचारों का विकास कर रहे थे, तभी अन्य मुनि या विचारक लोग दार्शनिक पद्धति द्वारा सृष्टि के मूल-तत्वों के चिन्तन में तत्पर थे। दर्शन-शास्त्र को ही 'ग्रन्थीक्षकी' विद्या भी कहते थे। ग्रन्थीक्षकी शब्द ग्रन्थीक्षण से बना है, जिसका अर्थ है दर्शन। आचार्य चाणक्य के समय (मौर्य-युग) तक सांख्य, योग और लोकायत—इन तीन दार्शनिक पद्धतियों का भली-भाँति विकास हो चुका था। लोकायत का अभिप्राय चार्वाक-दर्शन से है। चार्वाक सम्प्रदाय के लोग न केवल ईश्वर को नहीं मानते थे, अपितु वेद में भी विश्वास नहीं रखते थे। प्राचीन वैदिक श्रुति का आदर भारत के सब आचार्यों में था, पर धीरे-धीरे ऐसे विचारक भी उत्पन्न होने लगे थे, जो वेद तक के प्रामाण्य से इनकार करते थे। वस्तुतः, यह युग ज्ञान-पिपासा, स्वतन्त्र विचार और दार्शनिक चिन्तन का था।

(२) वैदिक और उत्तर-वैदिक युग

भारत के प्राचीन आर्य ऋषियों ने जिन सूक्तों (सुभाषितों) का निर्माण किया, वे वैदिक संहिताओं में संगृहीत हैं। अपने पूर्वज ऋषियों की इन कृतियों का आर्य-जाति की दृष्टि में बहुत महत्व था। ये सूक्त मुख्यतया विविध देवताओं की स्तुति में कहे गये थे। बाद में इन वैदिक सूक्तों की व्याख्या के लिये व याज्ञिक अनुष्ठानों में इनके विनियोग के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई। उपनिषदों व आरण्यक ग्रन्थों में वे विचार संकलित किये गये, जो अध्यात्मचिन्तन के सम्बन्ध में थे। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक—ये तीनों वैदिक साहित्य के अन्तर्गत माने जाते हैं, यद्यपि आर्य-जाति की दृष्टि में जो आदर मूल संहिताओं का है, वह ब्राह्मण-ग्रन्थों और आरण्यकों का नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण और आरण्यक वैदिक संहिताओं की अपेक्षा बाद के समय के हैं। वेदों का बड़ा भाग महाभारत-युद्ध से पहले अपने वर्तमान रूप में आ चुका था। पर ब्राह्मणग्रन्थों, आरण्यकों व उपनिषदों का निर्माण प्रधानतया महाभारत-युद्ध के बाद में हुआ। इसीलिये इतिहास में हम वैदिक संहिताओं के युग को या महाभारत-युद्ध से पहले के काल को वैदिक युग कहते हैं, और ब्राह्मणों व उपनिषदों के काल को उत्तर-वैदिक युग। उत्तर-वैदिक युग के अन्तर्गत ही वह समय भी आ जाता है, जब कि सूत्र-ग्रन्थों तथा अन्य वेदांगों का विकास हुआ। रामायण, महाभारत और पुराण (जिन्हें प्राचीन परम्परा के अनुसार 'इतिहास-पुराण' कहा जाता है) भी इसी युग के लगभग के हैं। अपने वर्तमान रूप में तो ये बौद्ध-काल के भी बाद में आये, पर

उनमें जो अनुश्रुति संगृहीत है, उसका सम्बन्ध वैदिक और उत्तर-वैदिक काल के साथ ही है।

वैदिक संहिताओं के आधार पर प्राचीन आर्यों के जीवन, सम्यता और संस्कृति पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों, सूत्र-ग्रन्थों व अन्य वेदांगों के आधार पर आर्यों की सम्यता के विकास की विवेचना करेंगे, क्योंकि इन ग्रन्थों के अनेक अंश उत्तर-वैदिक या प्राग्-बौद्ध काल में विकसित हो चुके थे।

इस प्रसंग में हमें यह भी स्पष्ट करना है, कि प्राचीन भारत के अनेक ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर एक 'सम्प्रदाय' की कृति हैं। हमने पिछले प्रकरण में मानव, औशनस, बार्हस्पत्य आदि सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत में जब कोई प्रतिभाशाली मुनि व आचार्य किसी नये विचार व सिद्धान्त का प्रतिपादन करता था, तो उसकी शिक्षा वह अपने शिष्यों को देता था। मुनि द्वारा प्रतिपादित नया विचार गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा निरन्तर विकसित होता था, और इस प्रकार एक नये सम्प्रदाय (विचार-सम्प्रदाय) का विकास हो जाता था। बृहस्पति, उशाना (शुक्र), मनु आदि इसी प्रकार के विचारक थे, जिनकी शिष्य-परम्परा में बार्हस्पत्य, औशनस, मानव आदि सम्प्रदायों का विकास हुआ। कपिल, कणाद, गौतम आदि मुनियों की शिष्य-परम्परा ने सांख्य, वैशेषिक, न्याय आदि दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास किया। वैदिक मन्त्रों के विनियोग और याज्ञिक अनुष्ठान के भी अनेक सम्प्रदाय बने, और यह प्रक्रिया ज्ञान व चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र में जारी रही। इसी का यह परिणाम हुआ, कि दर्शन, दण्डनीति, कला (श्रौत, गृह्य और धर्म) आदि विषयक जो ग्रन्थ इस समय हमें मिलते हैं, वे सम्प्रदायों की ही कृति हैं। उन सबका विकास धीरे-धीरे अपने-अपने सम्प्रदायों में हुआ। उनका वर्तमान रूप चाहे बाद का हो, पर उनमें सकलित विचारों का प्रारम्भ उत्तर-वैदिक युग में ही हो चुका था।

(३) धर्म और तत्त्वचिन्तन

याज्ञिक विधि-विधान—वैदिक युग में आर्य-धर्म का क्या स्वरूप था, इसपर हम पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। वेदों के देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्तरूप थे। संसार की मूलशक्ति प्रकृति के जिन विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है, उनमें वैदिक आर्यों ने अनेक देवताओं की कल्पना की थी। आर्य लोग इन देवताओं के रूप में विश्व की मूलभूत अधिष्ठात्री शक्ति की उपासना करते थे। इन देवताओं की पूजा और तृप्ति के लिये वे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। प्रारम्भ में इन यज्ञों का रूप बहुत सरल था। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर उसमें आहुति दी जाती थी, और इस प्रकार देवताओं को तृप्त किया जाता था। पर धीरे-धीरे इन यज्ञों का रूप जटिल होता गया। उत्तर-वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गई थी। आर्य-जनता के एक भाग का यही कार्य था, कि वह याज्ञिक विधि-विधानों में प्रवीणता प्राप्त करे और उसकी प्रत्येक विधि का सही तरीके-से अनुष्ठान करे। इन लोगों को 'ब्राह्मण' कहते थे। यज्ञ के लिये वेदी की रचना किस प्रकार की जाय, वेदी में अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाय, किस प्रकार आहुतियाँ दी जाएँ, यज्ञ करते हुए यजमान

ऋत्विक्, ऋध्वर्यु आदि कहीं और किस प्रकार बैठे, वे अपने विविध अंगों को किस प्रकार उठाएँ, किस प्रकार मन्त्रोच्चारण करें, कैसे ज्ञात हो कि अब देवता यज्ञ की आहुति का ग्रहण करने के लिये पधार गये हैं, किन पदार्थों की आहुति दी जाय—इस प्रकार के विविध विषयों का बड़े विस्तार के साथ ब्राह्मण-ग्रन्थों में विवेचन किया गया है। किस याज्ञिक विधि का क्या प्रयोजन है, यह विषय भी उनमें विशद रूप से वर्णित है। जन्म से मृत्युपर्यन्त प्रत्येक गृहस्थ को अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे। मनुष्य के वैयक्तिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले संस्कारों का स्वरूप भी यज्ञ का था। यज्ञ-प्रधान इस प्राचीन धर्म को स्पष्ट करने के लिये यहाँ हम इन संस्कारों व यज्ञों का संक्षेप से उल्लेख करते हैं—

(१) गर्भाधान-संस्कार—सन्तानोत्पत्ति के लिए। (२) पुंसवन-संस्कार—पुरुष-सन्तान की प्राप्ति के लिए। (३) सीमन्तोन्नयन-संस्कार—गर्भ की रक्षा के लिए। (४) जातकर्म-संस्कार—सन्तान के उत्पन्न होने पर। (५) नामकरण-संस्कार—सन्तान का नाम रखने के लिए। (६) अन्नप्राशन-संस्कार—सन्तान को अन्न देना प्रारम्भ करने के समय। (७) ब्रह्मकर्म-संस्कार—सन्तान के बाल काटने के समय। (८) उपनयन-संस्कार—यज्ञपवीत धारण कराने के लिए। (९) समावर्तन-संस्कार—शिक्षा की समाप्ति पर। (१०) विवाह-संस्कार—गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए। (११) देव-यज्ञ—प्रतिदिन किया जाने वाला अग्निहोत्र। (१२) पितृयज्ञ—पितरों का श्राद्ध या गुरुजनों की सेवा। (१३) भूतयज्ञ—पशु, पक्षी, कृमि आदि को अर्पित की जाने-वाली बलि। (१४) अतिथि-यज्ञ—अतिथियों की सेवा। (१५) ब्रह्म-यज्ञ—विद्वानों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सेवा। देव, पितृ, भूत, अतिथि और ब्रह्म-यज्ञ—ये पाँच महायज्ञ कहे गए हैं, जिन्हें सम्पादित करना प्रत्येक गृहस्थ का धर्म था। गृहस्थ का यह कर्तव्य माना जाता था, कि वह प्रतिदिन इन पाँचों यज्ञों को करे। (१६) अष्टका-यज्ञ—कार्तिक मास से माघ मास तक, चार महीनों में कृष्णपक्ष की अष्टमी को यह यज्ञ किया जाता था। (१७) श्रावणी—श्रावण मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला यज्ञ। (१८) आश्वयुजी—आश्वयुज मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला यज्ञ। (१९) चैत्री—चैत्र मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला यज्ञ। (२०) आश्वयुजी—आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला यज्ञ। (२१) दशपूर्णिमास्य—पूर्णिमासी और प्रतिपदा के दिन किए जाने वाले यज्ञ। (२२) चातुर्मास्य—शीत, ग्रीष्म और वर्षा—इन तीन ऋतुओं के प्रारम्भ में किए जाने वाले यज्ञ। (२३) सौत्रामणी—अश्विनी देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ। (२४) अग्निष्टोम—सोमपान के लिए किया जाने वाला यज्ञ। (२५) त्रात्यस्तोम—आर्य-भिन्न त्रात्य आदि जातियों को आर्य-जाति में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। (२६) राजसूय—नये राजा के राज्याभिषेक से पूर्व यह यज्ञ किया जाता था। राज्य की जनता के विविध प्रतिनिधि इस अवसर पर राजा का अभिषेक करते थे। (२७) अश्वमेध—जब कोई राजा दिग्विजय करके अपनी शक्ति का विस्तार करता था, तो इस विजय-यात्रा के उपलक्ष्य में यह यज्ञ किया जाता था।

यज्ञों की जो तालिका हमने यहाँ दी है, वह पूर्ण नहीं है। यहाँ हमने केवल अधिक महत्त्व के संस्कारों और यज्ञों का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक यज्ञ थे, जिनका प्राचीन भारत में अनुष्ठान किया जाता था। इन सब यज्ञों की विस्तृत विधि ब्राह्मण-ग्रन्थों और कल्प ग्रन्थों (श्रौत और गृह्यसूत्रों) में वर्णित है। प्राचीनतम काल में इन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी या नहीं, इस विषय पर मतभेद है। पर उत्तर-वैदिक काल में भजा, अश्व आदि की पशु-बलि प्रारम्भ हो गई थी, यह बात निश्चय के साथ कही जा सकती है। उत्तर-वैदिक युग के प्रारंभ यह भी मानने लगे थे, कि यज्ञों के विधिपूर्वक अनुष्ठान से मनुष्य यथाभिलषित फल प्राप्त कर सकता है, और सुख, समृद्धि, तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान ही एकमात्र उपाय है।

तत्त्वचिन्तन की लहर—पर इस युग के प्रारंभ केवल याज्ञिक अनुष्ठानों में ही व्याप्त नहीं थे, उनका ध्यान ब्रह्मविद्या तथा तत्त्वचिन्तन की ओर भी गया था। यज्ञों से इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार के विषयों के चिन्तन में तत्पर थे, कि मनुष्य क्या है? जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है? शरीर और आत्मा भिन्न हैं या एक ही हैं? मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है? इस सृष्टि का कर्ता कौन है? इसका नियमन किस शक्ति द्वारा होता है? इसी प्रकार के प्रश्नों की जिज्ञासा थी, जो अनेक मनुष्यों को इस बात के लिए प्रेरित करती थी, कि वे गृहस्थ-जीवन से विरत होकर या सासारिक सुख-समृद्धि की उपेक्षा कर एकनिष्ठ हो तत्त्व-ज्ञान को प्राप्त करें। उस युग के ग्रामों और नगरों के बाहर जंगल के प्रदेशों में अनेक विचारको ने अपने आश्रम बनाए थे, जहाँ ब्रह्मविद्या या तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आतुर हुए लोग एकत्र होते थे, और तप व स्वाध्याय द्वारा ज्ञान की अपनी प्यास को बुझाते थे। इस युग में अनेक राजा भी ऐसे हुए, जो इस प्रकार के विचारों में तत्पर थे। विदेह के जनक, केकय के अश्वपति, काशी के भजातशत्रु और पंचालदेश के प्रवाहण जाबलि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये सब राजा न केवल स्वयं तत्त्वचिन्तक थे, अपितु इसी प्रकार का चिन्तन करने वाले मुनियों व विचारकों के आश्रयदाता भी थे। उनकी राजसभा में भारत के विभिन्न प्रदेशों से मुनि एकत्र होते थे, और अध्यात्मविषयक प्रश्नों पर विचार करते थे। राजा भी इस विचार विमर्श में हिस्सा लेते थे, और विविध विचारकों में जिसका पक्ष प्रबल होता था, उसकी धन आदि से पूजा भी करते थे।

वृहदारण्यक उपनिषद् में कथा आती है, कि जनक वैदेह ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कुरु और पंचाल देशों के ब्राह्मण लोग एकत्र हुए। जनक ने निश्चित किया, कि जो ब्राह्मण सबसे अधिक विद्वान् होगा, उसे हजार गौर्षे दी जायेंगी, और इन गौर्षों के सीधों के साथ दस-दस स्वर्ण-मुद्राएँ बंधी होंगी। इस पर ब्राह्मणों में परस्पर विवाद होने लगा। अन्त में याज्ञवल्क्य की विजय हुई। उसने अन्य सब ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त किया, और हजार गौर्षों की विजयोपहार के रूप में प्राप्त किया। याज्ञवल्क्य के साथ इस शास्त्रार्थ का विषय अध्यात्म-सम्बन्धी था, और उससे परास्त होने वाले विद्वानों में केवल कुरु-पंचाल के ही ब्राह्मण नहीं थे, अपितु मद्रदेश

और शाकल नगरी के विद्वान् भी थे। इसी प्रकार की कथाएँ इस युग के अन्य राजाओं के सम्बन्ध में भी उपनिषदों में पायी जाती हैं।

याज्ञिक कर्मकाण्ड की जटिलता से धारण्यक आश्रमों में चिन्तन करने वाले ये विद्वान् सहमत नहीं थे। वे अनुभव करते थे, कि यज्ञों द्वारा मनुष्य यथेष्ट फल नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिये उनका कथन था कि यज्ञरूपी ये नौकाएँ भ्रष्ट हैं, संसार-सागर से तरने के लिए इनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यज्ञ के स्थान पर इन विचारकों ने तप, स्वाध्याय और सदाचरण पर जोर दिया। ये कहते थे, कि मानव-जीवन की उन्नति और परमपद की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है, कि मनुष्य अपनी इन्द्रियों को बश में करे, वाणी और मन पर नियन्त्रण रखे, तप और ब्रह्मचर्य का सेवन करे, बड़ संकल्प हो कर आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे और ईश्वर में ध्यान लगाए। शरीर से भिन्न जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, उसको जानने और उसपर ध्यान देने से ही मनुष्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, यह इन तत्त्वचिन्तकों का उपदेश था। इनका कथन था, यह आत्मा बलहीन मनुष्य को नहीं मिल सकती, तप के अभाव में प्रमादी मनुष्य इसे कदापि प्राप्त नहीं कर सकता।

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर इस युग के अनेक मनुष्यों की प्रवृत्ति यज्ञों से विमुख हो गई, और भारत में तत्त्वचिन्तन की उस लहर का प्रारम्भ हुआ, जिसने इस देश में बहुत से मुनि, योगी व तपस्वी उत्पन्न किए। ये लोग सासारिक सुखों को हेय समझते थे, सन्तान, धन और यश की अभिलाषा से ऊपर उठते थे, और ज्ञान की प्राप्ति को ही अपना ध्येय मानते थे। इनके चिन्तन के कारण भारत में जो नया ज्ञान विकसित हुआ, वही उपनिषदों और दर्शन-ग्रन्थों में संगृहीत है। निःसन्देह, ये अपने विषय के अत्यन्त उत्कृष्ट और गम्भीर ग्रन्थ हैं।

भागवत धर्म—यज्ञों के जटिल कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्त्वचिन्तक मुनियों द्वारा शुरू हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम भागवत धर्म का प्रारम्भ होना था। बौद्ध-युग के बाद यह धर्म भारत का सबसे प्रमुख धर्म बन गया और गुप्त-सम्राटों के समय में इस धर्म ने न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी बहुत उन्नति की। पर इस धर्म का प्रारम्भ महाभारत-युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व ही हो गया था। एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था। कुछ ऋषि यज्ञों में पशुओं की बलि देने के विरुद्ध थे, और कुछ पुरानी परम्परा का अनुसरण करना चाहते थे। राजा वसु ने अपने यज्ञों में पशुबलि देने के विरुद्ध परिपाटी का अनुसरण किया, और स्वयं हरि (भगवान्) उससे संतुष्ट हुए। यद्यपि पुरानी प्रथा के अनुयायी अनेक ऋषि इस बात से वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योंकि वसु भगवान् का सच्चा भक्त था, अतः भगवान् ने उसे अपनाया और उसके समय से भगवत्-युजा की एक नई पद्धति का प्रारम्भ हुआ। वसु के बाद सात्वत लोग इस नई पद्धति के अनुयायी हुए। सात्वत लोग यादव वंश की एक शाखा थे, और मथुरा के समीपवर्ती प्रदेश में आबाद थे। मथुरा के क्षेत्र के अन्धक-वृष्णिण गणों के निवासी लोग सात्वत ही थे। सात्वत लोगों का यह

विश्वास था, कि हरि सब देवों का देव है, और अन्य सब देवता उसकी विविध शक्तियों के प्रतीकमात्र हैं। इस देवों के देव हरि की पूजा के लिए न याज्ञिक कर्मकाण्ड का उपयोग है, और न ही जंगल में बैठकर तपस्या करने का। इसकी पूजा का सर्वोत्तम उपाय भक्ति है, और हरि की भक्ति के साथ-साथ अपने कर्तव्यों को कुशलता के साथ करते रहने में ही मनुष्य का कल्याण है। सात्वत लोग यज्ञों के विरोधी नहीं थे, और न ही वे तपस्या को निरूपयोगी ही समझते थे। पर उनका विचार था, कि ये सब बातें उतने महत्त्व की नहीं हैं, जितना कि हरिभक्ति और कर्तव्यपालन। सात्वत यादवों में वामुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण और संकर्षण के बंशज प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ने इस नए विचार को अपनाया और सात्वत लोगों में इस विचार का विशेषरूप से प्रचार हुआ। वामुदेव कृष्ण और उनके अनुयायी सात्वत योग यज्ञों में पशुहिंसा के विरोधी थे और भगवान् की भक्ति व निष्काम-कर्म के सिद्धान्त पर बहुत जोर देते थे। वसु चँदो-परिचर के समय में जिस नई विचारधारा का सूत्र-रूप में प्रारम्भ हुआ था, वामुदेव कृष्ण द्वारा वह बहुत विकसित की गई। इसी को भागवत व एकान्तिक धर्म कहते हैं। इसके प्रधान प्रवर्तक वामुदेव कृष्ण ही थे, जो वृष्णि (सात्वत) संध के 'मुख्य' थे, और जिनकी सहायता से पाण्डवों ने भगवराज जरासन्ध को परास्त किया था। कृष्ण न केवल उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ थे, अपितु भागवत सम्प्रदाय के महान् आचार्य भी थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को आत्मा की अमरता और निष्काम-कर्म का जो उपदेश उन्होंने दिया था, भगवद्गीता में उसी का विशदरूप से वर्णन है। गीता भागवत-धर्म का प्रधान ग्रन्थ है। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। प्राचीन मुनियों और विचारकों द्वारा भारत में तत्त्वचिन्तन की जो लहर चली थी, उसके कारण यज्ञप्रधान वैदिक धर्म में बहुत परिवर्तन हो गया था। उपनिषदों के तत्त्व-चिन्तन के परिणाम-स्वरूप जिस भागवत-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का विरोध नहीं किया गया था। यज्ञों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसमें एक सर्वोपरि शक्ति की सत्ता, आत्मा की अमरता, कर्म-योग की उत्कृष्टता और हरिभक्ति की महिमा का प्रतिपादन किया गया था। पुराने भारतीय धर्म में सुधार करने के लिए बौद्ध और जैन आदि जो नये धर्म बाद में विकसित हुए, वे वैदिक श्रुति में विश्वास नहीं करते थे। प्राचीन वैदिक धर्म के साथ धनेक अंशों में उनका विरोध था। पर वामुदेव कृष्ण के भागवत-धर्म का उद्देश्य वैदिक मर्यादा, प्राचीन परम्परा और याज्ञिक अनुष्ठानों को कायम रखते हुए धर्म के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन करना था, जो नये चिन्तन के अनुकूल था। बौद्ध-युग के बाद इस धर्म का जिस ढंग से उत्कर्ष हुआ, उसपर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

(४) शासन-विधि

जनपदों का विकास—वैदिक युग के आर्य-राज्यों का स्वरूप 'जानराज्य' का था, क्योंकि उनका आचार 'जन' होता था। एक जन के सब व्यक्ति प्रायः 'सजात' होते थे। कुह, पंचाल, शिवि, मद्र, केकय, गान्धार आदि जो राज्य वैदिक युग में विद्यमान थे, वे सब जानराज्य ही थे। जिस स्थान या प्रदेश पर यह जन बसा होता था, उसे

जनपद व राष्ट्र करते थे। धीरे-धीरे इन जनपदों में ग्रन्थ लोग (जो सजात नहीं थे) भी बसने शुरू हुए, और वे सब उसके भग या प्रजा बन गए। इन जनपदों में किसी कबीले या जन के प्रति भक्ति की अपेक्षा उस प्रदेश के प्रति भक्ति अधिक महत्त्व की बात हो गई। विविध जनपदों के परस्पर संबंधों के कारण महाजनपदों का विकास शुरू हुआ। काशी, कोशल, मगध आदि जो जनपद या राज्य बौद्ध-काल में थे, उत्तर-वैदिक काल के साहित्य में उन्हें महाजनपद कहा गया है।

शासन के भेद—इन सब जनपदों के शासन का प्रकार एक-सा नहीं था। कुछ राज्यों में राजतन्त्र शासन था, तो कुछ में गणतन्त्र। ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम पंजिका में एक सन्दर्भ आता है, जिसमें उस युग के विविध शासन-प्रकारों का परिगणन किया गया है। इस सन्दर्भ के अनुसार प्राचीन दिशा (मगध, कर्लिंग, वग आदि) के जो राजा हैं, उनका 'साम्राज्य' के लिए अभिषेक होता है, और वे सम्राट् कहते हैं। दक्षिण दिशा में जो सात्वत (यादव) राज्य हैं, वहाँ का शासन 'भोज्य' है, और उनके शासक भोज कहे जाते हैं। प्रतीची दिशा (सुराष्ट्र, कच्छ, सौवीर आदि) का शासन-प्रकार 'स्वाराज्य' है, और उसके शासक 'स्वराट्' कहते हैं। उत्तर-दिशा में हिमालय के क्षेत्र में (उत्तर-कुरु, उत्तर-मद्र आदि जनपद) जो राज्य हैं, वहाँ 'वैराज्य' प्रणाली है, और वहाँ के शासक 'विराट्' कहते हैं। मध्यदेश (कुरु, पंचाल, कोशल आदि) के राज्यों के शासक 'राज' कहे जाते हैं। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य—इन पाँच प्रकार की शासन विधियों का उल्लेख है। ये प्रणालियाँ किस किस क्षेत्र में प्रचलित थी, इसका निर्देश भी ऐतरेय ब्राह्मण में कर दिया गया है। सम्राट् वे शासक थे, जो वंशक्रमानुगत होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का भूलोच्छेद करने के लिए तत्पर रहते थे। जरासन्ध आदि मगध के सम्राट् इसी प्रकार के थे। सम्भवतः, भोज उन राजाओं की संज्ञा थी, जो वंशक्रमानुगत न होकर कुछ निश्चित समय के लिए अपने पद पर नियुक्त होते थे। सात्वत यादवों (अन्धक, वृष्णि आदि) में यह प्रथा विद्यमान थी, और हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण इसी प्रकार के भोज, या 'संध-मुख्य' थे। स्वराट् वे शासक थे, जिनकी स्थिति 'समानो मे ज्येष्ठ' की होती थी। इन स्वाराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, और सब कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। समानो मे ज्येष्ठ व्यक्ति को ही स्वराट् नियत किया जाता था। सम्भवतः, वैराज्य जनपद वे थे, जिनमें कोई राजा नहीं होता था, जहाँ जनता अपना शासन स्वयं करती थी। कुरु, पंचाल आदि मध्यदेश के जनपद 'राज्य' कहाते थे, और वहाँ प्राचीन काल की परम्परागत शासन-प्रणाली विद्यमान थी।

राजा का राज्याभिषेक—ब्राह्मण-ग्रन्थों में राजा की राज्याभिषेक-विधि का विशदरूप से वर्णन किया गया है, और इस वर्णन से उस युग के राजाओं तथा शासन-प्रकार पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर अभिषिष्ट करना होता था, तो राजसूय-यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजसूय-यज्ञ के बिना कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। राजसूय से पूर्व राजा के पद पर अभिषिष्ट होने वाला व्यक्ति 'रत्नियों' को हवि प्रदान करता था वा उनकी पूजा करता था।

वैदिक युग में कतिपय लोग 'राजकृतः' (राजा को बनाने वाले) होते थे, जो उसे राज-चिह्न के रूप में 'मणि' (रत्न) प्रदान किया करते थे। इस युग में राजकृतः का स्थान रत्नियों ने ले लिया था। ये रत्नी निम्नलिखित होते थे—(१) सेनानी, (२) पुरोहित, (३) राजन्य या स्वयं राजा, (४) राजमहिषी, (५) सूत, (६) ग्रामणी, (७) क्षात्ता, (८) संगृहीता, (९) भागदुष्, (१०) भ्रक्षवाप, (११) गोविकर्त्ता और (१२) पालागल। इन बारह रत्नियों में से कतिपय नामों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सूत राज्य-विषयक इतिवृत्त का संकलन करते थे। प्रत्येक ग्राम का एक ग्रामणी होता था, यह पहले लिख चुके हैं। बारह रत्नियों में जो ग्रामणी था, वह या तो राज्य के अन्तर्गत विविध ग्रामों के ग्रामणियों का प्रमुख था और या राज्य के मुख्य ग्राम (पुर या नगर) का ग्रामणी। राजकीय कुटुम्ब के प्रबन्धकर्त्ता को क्षात्ता कहते थे। राज्यकोष के नियन्ता की संगृहीता संज्ञा की। राज्य-कर को वसूल करने वाले प्रधान अधिकारी को भागदुष् कहा जाता था। भ्राय-व्यय का हिसाब रखनेवाले प्रधान अधिकारी को भ्रक्षवाप कहते थे। जंगल-विभाग का प्रधान गोविकर्त्ता कहाता था। पालागल का कार्य राजकीय सन्देशों को पहुँचाना होता था। मैत्रायणी संहिता में पालागल के स्थान पर तक्षा व रथकार का अन्वयतम रत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण-युग के ये बारहों रत्नी राज्य की जनता के प्रधान व्यक्ति होते थे, और राज्याभिषेक से पूर्व राजा इन सबको हवि प्रदान करके उनके प्रति प्रतिष्ठा की भावना को प्रदर्शित करता था। क्योंकि राजा स्वयं भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग था, अतः उसे भी रत्नियों के अन्तर्गत किया गया है।

रत्नियों द्वारा हवि प्रदान करने के अनन्तर राजसूय-यज्ञ के जो विविध अनुष्ठान होते थे, उनका यहाँ विवरण देने की आवश्यकता नहीं। पर दो बातों का उल्लेख करना आवश्यक है—(१) राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, एक शपथ लेनी होती थी, जिसमें वह कहता था कि यदि मैं प्रजा के साथ किसी भी तरह से द्रोह करूँ, उस पर अत्याचार करूँ, तो मेरा वह सब इष्टापूर्त (शुभ कर्म) नष्ट हो जाए, जो मैं जन्म से मृत्यु पर्यन्त करता हूँ। राजा के लिए यह आवश्यक था, कि वह 'धृत-व्रत' और 'सत्यधर्मा' हो, अभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करे। (२) प्रतिज्ञा के बाद राजा की पीठ पर दण्ड से हलका-हलका आघात किया जाता था, जिसका प्रयोजन यह था कि राजा अपने को दण्ड (व्यवस्था या कानून) से ऊपर न समझे, और उसे यह मालूम रहे कि वह जहाँ दूसरों को दण्ड दे सकता है, वहाँ उसे भी दण्ड दिया जा सकता है।

कल्प-वेदांग के अन्तर्गत धर्मसूत्रों से भी इस युग के राजा और कानून आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। राजा का एक मुख्य कर्त्तव्य यह था, कि वह अपराधियों को दण्ड दे। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र में लिखा है, कि 'यदि राजा एक दण्डनीय अपराध के लिए दण्ड नहीं देता, तो उसे भी अपराधी समझना चाहिए।' गौतम-धर्मसूत्र के अनुसार जो राजा न्यायपूर्वक दण्ड देकर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता, उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये। बौधायन-सूत्र के अनुसार 'यदि राजा चोर को दण्ड नहीं देता, तो चोरी का पाप राजा को लगता है।' सूत्र-ग्रन्थों के अनुसार व्यवहार या कानून का स्रोत राजा नहीं है, राजा अपनी इच्छा के अनुसार कानून नहीं बनाता।

वेद, पुराण आदि में जो नियम प्रतिपादित हैं, विविध जनपदों के जो परम्परागत चरित्र हैं, कृषकों, शिल्पियों, व्यापारियों आदि के जो व्यवहार हैं, वे ही कानून के आधार हैं। राजा को उन्हीं के अनुसार शासन करना चाहिए, और उन्हीं का पालन कराना राजा का कर्तव्य है। कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र के अनुसार "पूर्ण विद्वान्, पवित्र-कुलोत्पन्न, वृद्ध, तर्क में निपुण और अपने कर्तव्यों के पालन में सावधान व्यक्ति को ही अभियोगों के निर्णय के लिए न्यायाधीश बनाना चाहिए।" कानून सब लोगों के लिए एक समान था, पर दण्ड देते हुए अपराधी की स्थिति को दृष्टि में रखा जाता था। गौतम-धर्मसूत्र के अनुसार यदि कोई शूद्र किसी वस्तु को चुरा ले, तो उसे उस वस्तु का आठ गुना मूल्य दण्ड के रूप में देना होगा। पर यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य कोई वस्तु चुराये, तो उसे उस वस्तु का सोलहगुना मूल्य दण्ड के रूप में देना होगा। यदि कोई महाविद्वान् चोरी करे, तो उससे और भी अधिक जुर्माना वसूल किया जाना चाहिए। अन्य प्रकार के अपराधों के लिए भी दण्ड-व्यवस्था का विषय वर्णन धर्मसूत्रों में किया गया है, पर यहाँ उसका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है।

उत्तर-वैदिक काल के शासन-कार्य में राजा को परामर्श देने के लिए और राजकीय कानूनों के निर्माण के लिए किसी राजसभा की सत्ता थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्देश उपलब्ध नहीं होते। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि वैदिक युग की सभा और समिति नामक संस्थाएँ किसी अन्य रूप में इस समय भी विद्यमान थी। वाशिष्ठ-धर्मसूत्रों के अनुसार राजा को जहाँ मन्त्रियों के साथ परामर्श करना चाहिए, वहाँ साथ ही नागरों की भी सम्मति लेनी चाहिए। रामायण में पौर-जानपद नामक जिन संस्थाओं का उल्लेख है, उनमें से पौरसंस्था को ही शायद वाशिष्ठ-धर्मसूत्र में नागर कहा गया है।

(५) वर्णश्रम व्यवस्था

वर्णभेद—वैदिक युग के धार्यों में वर्णभेद का विकास नहीं हुआ था, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। पर प्राग्-बौद्धकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद पर्याप्त स्पष्टरूप से विकसित हो गया था। वैदिक युग के रथेष्ठ (रथी) और राजन्य (राजपरिवार के व्यक्ति) लोगों से मिलकर क्षत्रिय वर्ग का निर्माण हुआ। यह स्वाभाविक था, कि सर्वसाधारण विषयों से इसे अधिक ऊँचा माना जाय। यज्ञों के विधि-विधान जब अधिक जटिल हो गये, तो एक ऐसी पृथक् श्रेणी का विकास हुआ, जो इन अनुष्ठानों में विशेष निपुणता रखती थी। ऋत्विग्, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा आदि के रूप में याज्ञिक विधियों के विशेषज्ञ जनता में अधिक ऊँचा स्थान प्राप्त करने लगे। धरण्याँ व धाश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों और तत्त्वचिन्तकों को भी इसी विशिष्ट वर्ग में गिना जाने लगा, और इस प्रकार याज्ञिकों और मुनियों द्वारा एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रियों के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण धार्य जनता थी, उसे पहले की तरह ही विषयः या वैश्य कहा जाता था। इसमें सब प्रकार के शिल्पी, पशुपालक, वणिक्, कृषक आदि सम्मिलित थे। शूद्र वर्ण धार्यविषयः

से वैदिक युग में भी पृथक् था। इस प्रकार अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चारो वर्ण आर्य जनता में विकसित हो गये थे। जो लोग अध्येयन-अध्यापन, याज्ञिक अनुष्ठान व तत्त्वचिन्तन में लगे रहते थे, वे ब्राह्मण कहाते थे। बाह्य और आभ्यन्तर शत्रुओं से देश की रक्षा करना और शासन-कार्य में हाथ बटाना क्षत्रियों का कार्य था। सर्वसाधारण जनता वैश्य कहाती थी। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था, और जो अन्य वर्णों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करता था, उसे शूद्र कहते थे। विद्या की प्राप्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग ही करते थे, इसीलिए उन्हें 'द्विज' भी कहते थे। विद्या द्वारा मनुष्य दूसरा जन्म प्राप्त करता है, यह विचार उस काल में विद्यमान था। विद्यारम्भ के समय पर द्विज लोग यज्ञोपवीत धारण करते थे, और यह मूत्र उनके द्विजत्व का चिह्न होता था।

पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि अभी वर्णभेद बहुत छद्म नहीं हुआ था। वर्णभेद का मुख्य आधार जन्म न होकर कर्म था। सारी आर्य जनता एक है, यह भावना अभी विद्यमान थी। याज्ञिक अनुष्ठान व सैनिक वृत्ति आदि की विशिष्टता के कारण ही ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग अन्य आर्यविशः की अपेक्षा अधिक ऊँची स्थिति रखते थे। पर अभी यह दशा नहीं आई थी, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न हुए बिना कोई व्यक्ति इन वर्णों में न जा सके। आपस्तम्ब-धर्मसूत्र के अनुसार "धर्माचरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, और अधर्म का आचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति अपने से निचले वर्ण में चला जाता है।" आपस्तम्ब की यह उक्ति उस युग की वास्तविक स्थिति को सूचित करती है। राजा शन्तनु के भाई देवापि ने याज्ञिक अनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण-पद प्राप्त किया था, और राजन्य शन्तनु के यज्ञ कराए थे। इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण प्राचीन अनुश्रुति में प्राप्त होते हैं। विविध वर्णों में विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव था। महर्षि व्यवन ने राजन्य क्षयति की कन्या के साथ विवाह किया था। अनुलोम-विवाहों (अपने से निचले वर्ण की कन्या के साथ विवाह) की प्रथा भी प्रचलित थी। शूद्र कन्याओं को अनेक सम्पन्न पुरुष 'रामा' (रमणार्थ) के रूप में भी अपने घरों में रखते थे। शूद्र वर्ण आर्यविशः से पृथक् था, पर फिर भी यदि कोई शूद्र विशिष्ट रूप से धार्मिक, विद्वान् व दक्ष हो, तो समाज में उसका आदर होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कथा आती है, कि ऋषि लोग सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऐलूष कवच नाम का व्यक्ति उनके बीच में आ बैठा। तब ऋषियों ने कहा, यह दासी का पुत्र ब्राह्मण है, हमारे बीच में कैसे बैठ सकता है। बाद में ऋषियों ने कहा, यह तो परम विद्वान् है, देवता लोग भी इसे जानते और मानते हैं।

चार आश्रम—प्राचीन आर्यों के सामाजिक जीवन में आश्रमों का बहुत महत्त्व था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार आश्रम थे। इन आश्रमों की कल्पना का आधार यह विचार था, कि प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, पितरों और अन्य मनुष्यों के प्रति ऋणी होता है। सूर्य, वरुण, अग्नि आदि देवताओं का मनुष्य ऋणी होता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से वह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त करता है। इनके बिना वह अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है, कि

वह देवताओं की पूजा करे, यज्ञ आदि द्वारा उनके ऋण को भदा करे। अपने साथ के अन्य मनुष्यों के ऋण को भदा करने के लिए अतिथि-यज्ञ का विधान था। ऋषियों के प्रति मनुष्य का जो ऋण है, उसे चुकाने का यही उपाय था, कि मनुष्य उस ज्ञान को कायम रखे और उसमें वृद्धि करे, जो उसे पूर्वकाल के ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुआ था। इसके लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य-आश्रम में रहकर ज्ञान उपाजर्न करना चाहिए, और बाद में वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश करके अपने ज्ञान को ब्रह्मचारियों व अन्तेवासियों को प्रदान करना चाहिए। अपने माता-पिता (पितर) के प्रति मनुष्य का जो ऋण है, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही भदा किया जा सकता है। गृहस्थ-धर्म से सन्तानोत्पत्ति करके अपने पितरों के वंश को जारी रखना, वंशतन्तु का उच्छेद न होने देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना जाता था। संन्यास-आश्रम में प्रवेश करके मनुष्य अपने साथी मनुष्यों का उपकार करने में ही अपने सारे समय को व्यतीत करता था, और इस प्रकार वह मनुष्य-ऋण को भी भदा करता था। पर हर कोई मनुष्य संन्यासी नहीं हो सकता था। जो व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानवान् हो, सब प्राणियों में आत्मभावना रखने की सामर्थ्य जिसमें हो, वही संन्यासी बनकर भैक्षचर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा जीवन निर्वाह करने का अधिकारी था। संन्यासी किसी एक स्थान पर स्थिर होकर निवास नहीं कर सकता था। उसका कर्तव्य था, कि वह सर्वत्र भ्रमण करता हुआ लोगों का उपकार करे। इसीलिए उसे 'परिव्राजक' भी कहते थे। वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम से बाहर आश्रम बनाकर रहते थे, और वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते थे। ब्रह्मचारी अपने घर से अलग होकर वानप्रस्थी गुल्मों के आश्रमों में निवास करते थे, और गुल्मेवा करते हुए ज्ञान का उपाजर्न करते थे। गृहस्थाश्रम को बहुत ऊँची शिष्ट से देखा जाता था। वशिष्ठ-सूत्र में लिखा है, कि जिस प्रकार सब बड़ी और छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर ही आश्रित रहते हैं। जैसे बच्चे अपनी माता की रक्षा में ही रक्षित रहते हैं, वैसे ही सब भिक्षुक व संन्यासी गृहस्थों की ही रक्षा में रहते हैं। गृहस्थ-आश्रम को नीचा समझने और संन्यास व भिक्षुधर्म को उत्कृष्ट समझने की जो प्रवृत्ति बौद्धयुग में विद्यमान थी, वह इस प्राचीन युग में नहीं पाई जाती। बड़े-बड़े ऋषि, मुनि और याज्ञिक अपने तत्त्वचिन्तन व याज्ञिक अनुष्ठानों के लिए गृहस्थ-धर्म से विमुख होने की आवश्यकता इस युग में नहीं समझने थे।

स्त्रियों की स्थिति—उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कर विद्याध्ययन करती थीं। 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्' इस प्राचीन श्रुति से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि युवा पति को प्राप्त करने के लिए कन्याएँ भी ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन बिताती थीं, और इस समय का उपयोग ज्ञानोपाजर्न के लिए करती थी। गोमिल-गृह्यसूत्र के अनुसार जब कोई कुमारी विवाह के लिए मण्डप में आती थी, तो वह न केवल वस्त्रों से अली-भाँति आच्छादित होती थी, पर साथ ही यज्ञोपवीत को भी धारण किये होती थी। यज्ञोपवीत विद्याध्ययन का चिह्न था। स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी, इसी का यह परिणाम था, कि अनेक स्त्रियाँ परम विदुषी बन सकी थीं, और उनके ज्ञान व विद्या की उत्कृष्टता का

परिषय हमें उपनिषदों द्वारा होता है। वैदेह जनक की राजसभा में 'ब्रह्मवादिनी' स्त्रियों का भी एक दल था, जिसमें प्रमुख गार्गी थी। जनक की राजसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धर्वगृहीता का उल्लेख आता है, जो परम विदुषी और वक्तृता में अत्यन्त चतुर थी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि कतिपय अपवादों को छोड़ सर्वसाधारण स्त्रियाँ विवाह द्वारा गृहस्थाश्रम के निर्वाह में तत्पर रहती थीं। इस युग में माता के पद को बहुत ऊँचा और पवित्र समझा जाता था। वशिष्ठ-सूत्र में लिखा है, कि उपाध्याय की अपेक्षा दशगुण अधिक प्रतिष्ठित आचार्य है, आचार्य से सौ गुना अधिक प्रतिष्ठित पिता है, और पिता से महत्सगुण अधिक प्रतिष्ठा-योग्य माता है। माता के पद के प्रति यह आदर की भावना इस युग की संस्कृति को एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक विद्वानों ने मध्ययुग के भारत में स्त्रियों की हीन स्थिति को दृष्टि में रखकर यह कल्पना की है, कि प्राचीन युग में भी उनकी सामाजिक स्थिति हीन थी। पर इस युग के साहित्य के अनुशीलन से इस मन्तव्य की पुष्टि नहीं होती। वैदिक और उत्तर-वैदिक युग में जहाँ स्त्रियाँ ऋषि व ब्रह्मवादिनी हो सकती थी, वहाँ सर्वसाधारण आर्य स्त्रियाँ 'उपनीत' होकर विद्याध्ययन करती थी और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके माता के गौरवमय पद को प्राप्त करती थी। वैवाहिक जीवन में स्त्री को पुरुष की 'सहधर्मिणी' माना जाता था। विवाह के अवसर पर पति और पत्नी दोनों ही कतिपय प्रतिज्ञाएँ करते थे, जिनका प्रयोजन एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का पालन करते रहने का निश्चय करना होता था। पति या पत्नी बिना किसी असाधारण कारण के अपने जीवनसाथी का परित्याग नहीं कर सकते थे। आपस्तम्ब-सूत्र में लिखा है, कि जिस पति ने अन्याय से पत्नी का परित्याग किया हो, वह गधे का चमड़ा ओढ़कर प्रतिदिन सात गृहों में यह कहते हुए भिक्षा माँगे, कि उस पुरुष को भिक्षा प्रदान करो, जिसने अपनी पत्नी तो त्याग दिया है। इसी प्रकार की भिक्षा से वह पुरुष छः मास तक अपना निर्वाह करे। निःसन्देह यह एक भयंकर दण्ड था, जो इस युग में पत्नी के साथ अन्याय करने वाले पुरुष को दिया जाता था।

(६) आर्थिक जीवन

वैदिक युग के समान प्राग्-बौद्ध युग में भी आर्यों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। आर्य विशः का बड़ा भाग अब भी कृषि द्वारा अपना निर्वाह करता था। जमीन को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था, जिन्हें खींचने के लिए बैल काम में लाये जाते थे। खेती द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली फसलों में जौ, गेहूँ, चावल, दाल और तिल प्रमुख थे। इस युग में आर्यों का विस्तार सिन्धु नदी और गंगा नदी की घाटियों में भली-भाँति हो चुका था, और सिन्धु, गंगा तथा उनकी सहायक नदियों के उपजाऊ प्रदेश में बसे हुए आर्य लोग कृषि द्वारा अच्छी समृद्ध दशा में आ गये थे। पशुपालन को भी इस युग में बहुत महत्त्व दिया जाता था। वैदेह जनक ने अपनी राज-सभा में एकत्र विद्वानों में से सर्वश्रेष्ठ विद्वान् को पुरस्कृत करने के लिए सहस्र गौघों को ही चुना था। इस युग के समृद्ध लोग गौघों को बहुत बड़ी संख्या में अपने पास रखते

थे। दूध-धी के लिए जहाँ उनका उपयोग था, वहाँ साथ ही खेती की दृष्टि से भी उनका बहुत महत्त्व था। खेती के अतिरिक्त अनेक शिल्पों का भी इस युग में विकास हुआ। जुलाहे, रंगरेज, रज्जुकार, रजक, सुवर्णकार रथकार, गोप, व्याध, कुम्हार, लोहार, नर्तक, गायक, पावक आदि कितने ही प्रकार के शिल्पी इस युग में अपने-अपने शिल्प व व्यवसाय के विकास में तत्पर थे। घातुओं के ज्ञान की वृद्धि के कारण इस काल में औद्योगिक जीवन भली-भाँति उन्नति कर गया था। वैदिक काल के धार्यों को प्रधानतया सुवर्ण और अयस् का ज्ञान था, पर इस युग के धार्य ऋषि (टिन), ताम्र, लौह, रजत, हिरण्य और सीसे का भी प्रयोग करते थे, यह बात असंदिग्ध है। सुवर्ण और रजत का प्रयोग मुख्यतया आभूषणों और बरतनों के लिए होता था, पर अन्य घातुएँ उपकरण बनाने के काम में आती थीं। सम्भवतः, इस युग में वस्तुओं के विनिमय के लिए सिक्के का भी प्रयोग होने लगा था। अथर्ववेद में सुवर्ण निमित्त जिस निष्क का उल्लेख है, वह आभूषण था या सिक्का—इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। पर उत्तर-वैदिक काल में निष्क का प्रचलन सिक्के के रूप में अवश्य था। शायद इसी को शतमान कहते थे। वैदेह जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि को जो एक हजार गौर् पुरस्कार के रूप में दी थी, उनके सींगों के साथ दस-दस स्वर्णपाद बंधे हुए थे। ये 'पाद' निष्क सिक्के का चौथाई भाग ही था। इसमें सन्देह नहीं कि इस युग में वस्तु-विनिमय (बार्टर) का स्थान सिक्के द्वारा विनिमय ने ले लिया था, और सुवर्ण का सिक्के के निर्माण के लिए प्रयोग होने लगा था।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के व्यापारी, कुशक, शिल्पी आदि अनेक प्रकार की श्रेणियों (गिल्ड) में भी संगठित होने लगे थे। बौद्ध-साहित्य के अन्तर्गत जो जातक-कथाएँ मिलती हैं, उनसे 'श्रेणी' संस्था का भली-भाँति परिचय मिलता है। स्मृति-ग्रन्थों और धर्म-शास्त्रों में भी श्रेणियों का उल्लेख आता है। इन श्रेणियों के विकसित होने में अवश्य समय लगा होगा, और इनका विकास उत्तर-वैदिक युग में ही प्रारम्भ हो गया होगा।

उत्तर-वैदिक युग का साहित्य प्रधानतया धर्मपरक है। इसीलिए उसके आधार पर इस युग के आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में अधिक परिचय हमें प्राप्त नहीं होता। बौद्ध-युग के शुरु होने पर भारत की जो आर्थिक दशा थी, उसपर हम अधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बाद के साहित्य में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

(७) रामायण और महाभारत

जिस प्रकार प्राचीन धार्यों की धार्मिक अनुश्रुति और परम्परा वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों में संगृहीत है, वैसे ही उनकी ऐतिहासिक गाथाएँ, आख्यान और अनुश्रुति रामायण, महाभारत और पुराणों में संगृहीत है। इन ग्रन्थों की रचना किसी एक समय में या किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई। वस्तुतः, ये एक सुदीर्घ काल तक निरन्तर विकसित होते रहे। वैदिक युग के ऋषियों ने जो सूक्तियाँ कही, वे गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा 'श्रुति' के रूप में कायम रही। बाद में महर्षि वेदव्यास ने उन सबको संगृहीत कर 'संहिता' के रूप में संकलित कर दिया। इसी प्रकार प्राचीन धार्यों

के विविध राजाओं, विजेताओं, वीर पुरुषों और अन्य नेताओं के वीर कृत्यों व ब्राह्मणानों का गान उस काल के सूत और मागध लोग निरन्तर करते रहे। ये ब्राह्मण भी विविध सूत व मागध-परिवारों में पिता-पुत्र-परम्परा द्वारा कायम रहे। बाद में इन सबको भी एकत्र कर लिया गया। वैदिक संहिताओं के समान पुराणों और महाभारत का कर्ता व संकल्पिता भी वेदव्यास को माना जाता है। वस्तुतः, वेदव्यास इनके कर्ता व रचयिता नहीं थे। उन्होंने जैसे वैदिक श्रुति का संकलन किया, वैसे ही प्राचीन ब्राह्मणों और राजकुलसम्बन्धी अनुश्रुति का भी संकलन किया था। महाभारत का वर्तमान रूप तो सम्भवतः इसवी सन् के प्रारम्भ होने से कुछ समय पहले का ही है, पर उसमें जो गाथाएँ व ब्राह्मण संकलित हैं, वे बहुत प्राचीन हैं। सम्भवतः, वे वैदिक युग से ही परम्परागतरूप से चले आते थे। इसीलिए उनसे भी भारत के प्राचीन राजवंशों और उनके समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ सही चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है।

महाभारत—वेदव्यास द्वारा संकलित व प्रोक्त महाभारत बहुत विशाल ग्रन्थ है। इसे काव्य न कहकर ऐतिहासिक गाथाओं का संग्रह कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस समय महाभारत नाम से जो ग्रन्थ उपलब्ध होता है, इसके श्लोकों की संख्या एक लाख के लगभग है। इसीलिए उसे 'शतसाहस्री संहिता' भी कहते हैं। पर महाभारत का मूल ग्रन्थ इतना विशाल नहीं था। समय-समय पर उसमें नए ब्राह्मणों का समावेश होता रहा। प्रारम्भ में महर्षि व्यास ने अपने शिष्य वैशम्पायन के सम्मुख इस कथा का प्रवचन किया था। व्यास के इस मूलग्रन्थ का नाम 'जय' था। वैशम्पायन ने पाण्डव अर्जुन के पोते जनमेजय के सम्मुख जिस महाभारत का प्रवचन किया, उसकी श्लोक संख्या २४,००० थी। इसे 'चतुर्विंशति-साहस्री भारत-संहिता' कहते थे। महाभारत का तीसरा संस्करण भागवतवंशी कुलपति शौनक के समय में हुआ। उस समय उसमें बहुत-से नए ब्राह्मण व उपाख्यान जोड़ दिए गए। साथ ही, शिव, विष्णु, सूर्य, देवी आदि के प्रति भक्ति के भी अनेक प्रकरण उसमें सम्मिलित कर लिए गए। अध्यात्म-धर्म और राजनीति-विषयक अनेक संवाद भी उसमें शामिल हुए। इन सबके कारण महाभारत का कलेवर बहुत बड़ गया, और वह 'चतुर्विंशति-साहस्री-भारतसंहिता' न रहकर 'शतसाहस्री संहिता' बन गयी। इसवी सन् के प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व ही महाभारत ग्रन्थ अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुका था।

महाभारत में कुल अठारह पर्व हैं। यद्यपि इस महाकाव्य का प्रधान विषय कौरवों और पाण्डवों के उस महायुद्ध का वर्णन करना है, जो कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में लड़ा गया था, और जिसमें भारतवर्ष के सैकड़ों राजा अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलित हुए थे। तथापि प्रसंगवश उसमें भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति, तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्र, राजधर्म और मोक्षशास्त्र का भी इतने विशद रूप से समावेश है, कि उसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोष समझना अधिक उपयुक्त होगा।

महाभारत का शान्तिपर्व भारतीय राजधर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्र का अपूर्व ग्रन्थ है। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म विविध विषयों पर प्रवचन करते हैं। उनके

शिष्य, भक्त और अनुयायी उनसे विविध प्रकार के प्रश्न उनसे पूछते हैं, और तत्त्वज्ञानी भीष्म उनका उत्तर देते हैं।

भगवान् कृष्ण की 'भगवद्गीता' भी महाभारत का ही एक अंग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पाण्डवों की सेनाएँ जब युद्ध के लिए एकत्र थी, तो पाण्डवों के सेनापति अर्जुन के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके गुरुजन, निकट सम्बन्धी और मित्र शत्रुरूप से उसके सम्मुख उपस्थित हैं। उसने विचार किया कि इन गुरुजनों व प्रियजनों पर हथियार चलाना कितना अनुचित है। इस दशा में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य और अकर्तव्य के सम्बन्ध में जो उपदेश दिया, वही 'गीता' के रूप में संगृहीत है। तत्त्वज्ञान और धर्म की दृष्टि से गीता संनार की सबसे उत्कृष्ट और अद्भुत पुस्तक है। वैदिक युग से भारत में ज्ञान और तत्त्वचिंतन की जो लहर प्रारम्भ हुई थी, श्रीकृष्ण ने उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। गीता में कृष्ण का यही तत्त्वज्ञान संगृहीत है, और कर्तव्यविमूढ अर्जुन के सद्य वर्तमान युग के भी करोड़ों नर-नारी उससे कर्तव्य और अकर्तव्य में विवेक कर सकते हैं।

रामायण—इक्ष्वाकुवंश के राजा रामचन्द्र का वृत्तान्त रामायण में बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि संस्कृत-भाषा के आदिकवि माने जाते हैं, और उनके इस काव्य को संस्कृत का आदिकाव्य कहा गया है। रामायण की कथा को लेकर संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि भाषाओं में हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो, जो राम की कथा में अपरिचित हो। राम का चरित्र ही ऐसा था, कि आर्य-जाति उसे कभी भूला नहीं सकती। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति थे। रामायण का प्रत्येक चरित्र आदर्श है। कौशल्या-जैसी माता, लक्ष्मण-जैसा भाई, सीता-जैसी पत्नी, हनुमान-जैसा सेवक और राम-जैसा प्रजापालक राजा संसार के साहित्य में अन्यत्र ढूँढ सकना कठिन है।

रामायण-महाकाव्य जिस रूप से आजकल उपलब्ध होता है, वह अविकल रूप से महर्षि वाल्मीकि की रचना नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि प्रारम्भ में वाल्मीकि ने राम के चरित्र को काव्यरूप में लिखा था। बाद में उसी के आधार पर रामायण की रचना हुई। सम्भवतः, रामायण का काव्य ५०० ई० पू० के लगभग में बना था। वह महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व निमित्त हो चुका था, और उसमें आर्यों के जिस जीवन व संस्कृति का वर्णन है, वह प्राग्-बौद्धकालीन भारत के साथ सम्बन्ध रखती है। पाँचवीं सदी ई० पू० के बाद भी वाल्मीकि-रामायण में अनेक नए आशयान जुड़ते गए, और यह महाकाव्य जिस रूप में आजकल उपलब्ध होता है, उसे उसने दूसरी सदी ई० पू० तक ग्रहण कर लिया था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि महाभारत के समान रामायण भी बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व के युग की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश डालती है।

रामायण और महाभारत का काल एक नहीं है, और न ही ये दोनों महाकाव्य किसी एक युग की कथा को उल्लिखित करते हैं। इनकी प्रधान कथाओं के काल में कई सदियों का अन्तर है। पर ये दोनों ग्रन्थ उस युग की दशा पर प्रकाश डालते हैं, जबकि आर्य लोग भारत में भली-भाँति बस चुके थे, और जब कि उनके धर्म, सभ्यता

और समाज ने एक स्थिर रूप धारण कर लिया था। वैदिक युग के बाद की और बौद्ध-युग के पूर्व की भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने के लिए इन दो महाकाव्यों से बढ़कर कोई अन्य साधन हमारे पास नहीं है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि इन ऐतिहासिक महाकाव्यों और विशेषतया महाभारत के अनुशीलन द्वारा सम्भूता और संस्कृति का जो चित्र उपस्थित होता है, वह किसी एक समाज को चित्रित नहीं करता। इस युग तक भारत में बहुत-से छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे। वैदिक युग के अर्थ भारत के विविध प्रदेशों में बस गए थे, और इस देश के प्रादि-निवासियों के सम्पर्क में आकर उनकी विविध शाखाओं ने अपनी पृथक्-पृथक् सामाजिक दशाओं व संस्कृतियों का विकास प्रारम्भ कर दिया था। यही कारण है, कि महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विविध प्रसंगों में विविध प्रकार के जीवन व विचारों की उपलब्धि होती है।

(८) सामाजिक दशा

स्त्रियों की स्थिति—रामायण और महाभारत के अध्ययन से स्त्रियों की स्थिति के विषय में अनेक प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैं। ऐश्वकव-राजा दशरथ का तीन स्त्रियों से विवाह करना सूचित करता है, कि इस युग में बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। महाभारत की कथा में द्रौपदी के पाँच पति थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव—इन पाँचों पाण्डवों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था। इससे सूचित होता है, कि उस समय बहुपति-विवाह की प्रथा भी कुछ बरतों व जातियों में विद्यमान थी। भीम और अर्जुन ने द्रौपदी के अतिरिक्त अन्य भी अनेक स्त्रियों से विवाह किया हुआ था। इसमें प्रगट है, कि भारत के पारिवारिक जीवन में इस समय बहुत अन्तर आ गया था। रामचन्द्र का वनवास अन्तःपुर के षड्यन्त्र का परिणाम था। जनता की इच्छा के विपरीत कैकेयी इस बात में सफल हुई, कि लोकप्रिय युवराज रामचन्द्र को राजगद्दी से दूर रख सके। पाण्डवों का वनवास द्यूत-श्रीड़ा का परिणाम था। जूए के दाव पर पाण्डव लोग न केवल अपनी राज्य-सम्पत्ति को ही हार गए, अपितु अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जूए के दाव पर रखने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। कौरवों ने द्रौपदी का राजसभा में खुले तौर पर अपमान किया, उसका चीर-हरण तक किया। इससे प्रगट है, कि इस युग के भारतीय समाज में स्त्रियों की वह उच्च स्थिति नहीं रह गयी थी, जो कि वैदिक काल में थी। यही कारण है, कि जब कतिपय महिलाओं ने महात्मा बुद्ध की शिष्या बनकर भिक्षुव्रत ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने उसे स्वीकार करने में संकोच अनुभव किया। यह बुद्ध की प्रतिभा और सुधारवृत्ति का परिणाम था, जो उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनाना स्वीकार कर उदके लिए एक पृथक् संघ की व्यवस्था की।

विवाह के विविध प्रकार—महाभारत व उत्तर-वैदिक युग के अन्य साहित्य में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख आता है—(१) ब्राह्मविवाह—जब पिता अपनी कन्या को वस्त्र और धातुओं से सुसज्जित कर किसी योग्य वर को प्रदान करे, तो इस प्रकार के विवाह को 'ब्राह्म' कहा जाता था। (२) प्राजापत्य-विवाह—जब वर

और कन्या का विवाह प्राजापत्य-धर्म की वृद्धि (सन्तानोत्पत्ति) के लिए किया जाए, और पिता इसी उद्देश्य में किसी योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे, तो उसे 'प्राजापत्य' विवाह कहते थे। (३) आर्य-विवाह—इसमें वर की और से कन्या को यौ आदि भेंट में देनी होती थी। वधू की प्राप्ति के लिए वर कन्या-पक्ष को दक्षिणा देता था। (४) दैव यज्ञ में ऋत्विक् का कर्म करते हुए जामाता को भ्रूलंकार आदि से विभूषित कन्या प्रदान करके जो विवाह किया जाता था, उसे 'दैव' कहते थे। (५) आसुर—कन्यापक्ष को भरपूर धन देकर सन्तुष्ट कर कन्या प्राप्त करके जो विवाह होता था, वह 'आसुर' कहा जाता था। (६) गान्धर्व—परस्पर स्वच्छन्द प्रेम के कारण वर और कन्या अपनी इच्छा से जो विवाह करते थे, उसे 'गान्धर्व' कहते थे। (७) राक्षस—कन्या का जबर्दस्ती अपहरण कर जो विवाह होता था, वह 'राक्षस' कहा जाता था। (८) वैशाच—मद्य आदि के सेवन से मस्त हुई कन्या से विवाह सम्बन्ध स्थापित करने पर ऐसे विवाह को 'वैशाच' कहते थे।

इन छठ प्रकार के विवाहों में से पहले चार विवाह धर्मानुकूल माने जाते थे। पिछले चार विवाह आर्य-मर्यादा के विरुद्ध थे, पर क्योंकि उनका भी इस युग में प्रचलन हो गया था, अतः उन्हें कानून की दृष्टि से स्वीकार्य मान लिया गया था।

बाल-विवाह—महाभारत के काल में भारत में बाल-विवाह की प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह सोलह वर्ष की आयु में हुआ था। अनुशासन पर्व में भीष्म ने व्यवस्था दी है, कि ३० वर्ष की आयु का पुरुष १० वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है, और २१ वर्ष का पुरुष ७ वर्ष की बालिका के साथ विवाह कर सकता है। (अनु० ४४।१२)

नियोग—इस काल में नियोग की प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग के विषय में महाभारत में कहा गया है, कि "पति के मर जाने पर स्त्री देवर के साथ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर सकती है।" (अनुशासन पर्व ४४।५०, ५१) महाभारत में नियोग के अनेक उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। यदि पति जीवित हो, तो भी स्त्री पति की अनुमति से नियोग कर सकती थी। पाण्डवों की माता कुन्ती ने युधिष्ठिर आदि जो पुत्र उत्पन्न किए थे, वे नियोग द्वारा ही उत्पन्न हुए थे।

परदे की प्रथा—वैदिक युग में परदे की प्रथा नहीं थी। पर महाभारत के काल में इसका भी सूत्रपात हो गया था। महाभारत के स्त्रीपर्व में पति पुत्र आदि की मृत्यु के शोक में युद्ध-भूमि में रोती हुई स्त्रियों के सम्बन्ध में लिखा है, कि "जिन स्त्रियों को पहले देवता भी नहीं देख सकते थे, वे आज सब लोगों के सम्मुख रोती हुई दीख पड़ रही हैं।" इसी प्रकार महाभारत के शल्यपर्व (२६।७४) में दुर्योधन की स्त्रियों को 'असूर्यम्पस्था' (जिन्हें सूर्य तक भी न देख सके) कहा गया है।

जाति-भेद—इस युग में जातिभेद भी पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हो गया था। ब्राह्मण और क्षत्रियवर्ग सर्वसाधारण जनता (विशः) से स्पष्ट रूप से पृथक् हो गए थे। ब्राह्मणों की उत्कृष्टता और पवित्रता की भावना सर्वसम्मत रूप से स्वीकृत कर ली गई थी। समाज को चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) में विभक्त करके उनके सम्बन्ध में यह विचार विकसित हो गया था, कि विविध वर्णों

के लोगों को अपने-अपने 'स्वधर्म' में स्थिर रहना चाहिए। समाज का कल्याण इसी बात में है, कि सब लोग अपने धर्म (कार्य) पर स्थिर रहें, और परधर्म का अनुसरण करने का यत्न न करें। 'स्वधर्म' के पालन से ही मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है—यह विचार इस युग में भली-भाँति विकसित हो गया था। शूद्र का कार्य अन्य तीन वर्णों की सेवा करना है। यदि वह पूरी तरह लगन के साथ अन्य वर्णों के लोगों की सेवा करता रहे, तो 'स्वधर्म' के पालन द्वारा वह भी अपने जीवन के परम लक्ष्य (स्वर्ग और मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है, यह विचार इस युग में बहुत बल पकड़ चुका था।

पर वर्णों का यह विभाग पूर्णतया जन्म पर भी आधारित था, यह बात सही नहीं है। महाभारत में यह विचार भी उपलब्ध होता है, कि चारों वर्णों की सृष्टि गुण और कर्म के अनुसार ही की गई है। उसी व्यक्ति को ब्राह्मण समझा जाता था, जिसने काम, क्रोध आदि को बश में करके इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, और जो यज्ञ-कर्म व पठन-पाठन में रत हो। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के सम्बन्ध में गुणकर्म का विचार अब तक भी विद्यमान था, पर कतिपय लोग ऐसे भी थे, जो अपने वर्ण के कर्म से विमुक्त होने पर भी ब्राह्मण-सदृश उच्च स्थिति को प्राप्त किये हुए थे। वर्ण-व्यवस्था का जो विकृत रूप बाद के इतिहास में दृष्टिगोचर होता है, उसका सूत्र-पात इन युग में ही हो गया था। ब्राह्मण के लिए यह आदर्श माना जाता था, कि वह धन का दास न हो, त्याग और अकिंचनता को ही अपना ध्येय समझे। पर महाभारत में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे ब्राह्मणों के मुख से यह कहलवाया गया है, कि "धन मनुष्य का दास नहीं है, अपितु मनुष्य ही धन का दास है। यही बात सत्य है। कौरवों ने धन द्वारा ही हमें बाँध लिया है।" (आदि पर्व ४३।१७)। द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मणों का धन का दास होना इस युग में सम्भव हो गया था, यद्यपि यह बात पुराने वैदिक युग के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती।

दास-प्रथा—महाभारत में अनेक स्थानों पर दास-दासियों का भी उल्लेख आता है। विशेषतया, स्त्रियों को दासी के रूप में रखने और उन्हें दूसरों को दान में दे देने की प्रथा उस समय भली-भाँति विकसित हो चुकी थी। ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देते हुए दासियों के प्रदान का महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है।

(६) भारत के छः आस्तिक दर्शन

दर्शन-शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर संक्षिप्त रूप से किया जा चुका है। पर इस विषय पर अधिक विषाद रूप से प्रकाश डालना आवश्यक है, क्योंकि इन दर्शन-शास्त्रों का प्राचीन भारतीय संस्कृति और जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है।

जिस समय प्राचीन भारत में याज्ञिक कर्मकाण्ड और धार्मिक अनुष्ठानों का विकास हो रहा था, उसी समय अरण्यों में विद्यमान ऋषि-आश्रमों में अध्यात्म-चिन्तन और दर्शन-शास्त्रों का विकास जारी था। ब्राह्मण-ग्रन्थों के आरण्यक भाग व उपनिषदें इसी चिन्तन के परिणाम थे। पर कुछ विद्वान् मुनि केवल अध्यात्म-सम्बन्धी चिन्तन

और मनन से ही सन्तुष्ट नहीं थे। वे यह प्रयत्न भी कर रहे थे, कि प्रकृति और परमात्मा सम्बन्धी रहस्यों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करें। सृष्टि किस तत्त्व या तत्त्वों से बनी, संसार में कुल पदार्थ कितने हैं, पदार्थों का ज्ञान ठीक-ठीक किन प्रकारों से हो सकता है, सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए कौन-सी कसौटियाँ या प्रमाण हैं—इन प्रश्नों पर इन मुनियों ने बाकायदा विचार शुरू किया, और इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में अनेक दर्शन-शास्त्रों का विकास हो सका। ये दर्शन दो प्रकार के हैं—आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वे हैं, जो वेदों को मानते हैं। नास्तिक दर्शन वेदों पर विश्वास नहीं करते। जैन और बौद्ध दोनों वेदों को नहीं मानते। उन्होंने जिन दर्शनों का विकास किया, वे नास्तिक कहाते हैं। उनसे भी पहले चार्वाक लोग वेदों को न मानते हुए स्वतन्त्र रूप से दर्शन-तत्त्व पर विचार कर रहे थे। उनका दर्शन भी नास्तिक-दर्शन गिना जाता है। पर जैन और बौद्धों से पहले भारत के प्रायः सभी प्रमुख विचारक वेदों को सत्यज्ञान और प्रमाण के रूप में स्वीकार करते थे। इसीलिये उस समय चार्वाक-दर्शन को छोड़कर अन्य जिन दर्शनों का विकास हुआ, वे सब आस्तिक थे। आस्तिक दर्शन छः हैं—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त। हम इनपर क्रमशः विचार करेंगे।

न्याय-दर्शन—न्याय-दर्शन का प्रधान लक्ष्य यह निश्चित करना है कि सही-सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए कितने और कौन-कौन-से प्रमाण हैं। प्रमाण चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जिस बात को हम स्वयं साक्षात् रूप में जानें, वह प्रत्यक्ष है। ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। जब किसी इन्द्रिय का उसके विषय (प्रर्थ) से सीधा सम्पर्क (सन्निकर्ष) होता है, तो उस विषय के सम्बन्ध में हमें ज्ञान होता है। यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। हम कोई बात आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूँघते हैं, जिह्वा से किसी रस का स्वाद लेते हैं, त्वचा के स्पर्श से किसी को जानते हैं, तो हमारा यह ज्ञान प्रत्यक्ष कहाता है। जब किसी वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, अपितु किसी हेतु द्वारा उसे जानते हैं, तो वह ज्ञान हमें अनुमान द्वारा होता है। हमने दूर पहाड़ की चोटी पर धुँआ उठता हुआ देखा। इस हेतु से हमने अनुमान किया कि वहाँ अग्नि है। क्योंकि जहाँ-जहाँ धुँआँ होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होती है। बिना अग्नि के धुँआँ नहीं हो सकता। अतः धुँएँ की सत्ता से हमने अग्नि की सत्ता का अनुमान किया। इस प्रकार के ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। जब किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य (साधर्म्य) से हम न जानी हुई वस्तु को जानते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। एक आदमी गी को अच्छी तरह जानता है, पर गवय (चबुर गी) को नहीं जानता। उसे कहा जाता है कि गवय भी गाय के सदृश होती है। वह जंगल में एक पशु को देखता है, जिसकी आकृति आदि गाय के सदृश है। इससे वह समझ लेता है कि यह पशु गवय है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उपमान कहते हैं। पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष, अनुमान या उपमान द्वारा नहीं जान सकते। उन्हें जानने का साधन केवल शब्द है। राजा अशोक भारत में शासन करता था और उसने धर्मविजय की नीति का अनुसरण किया था, यह बात हम केवल शब्द द्वारा जानते हैं। भूमण्डल के उत्तरी भाग में ध्रुव

है, जो सदा बरफ से आच्छादित रहता है, यह बात भी हमें केवल शब्द द्वारा ज्ञात हुई है। इसी प्रकार की कितनी ही बातें हैं, जिनके ज्ञान का आधार शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है।

ज्ञान के आधारभूत जो ये विविध प्रमाण हैं, इनका खूब विस्तार से विवेचन न्याय-दर्शन में किया गया है। ज्ञान के इन साधनों का विवेचन करके फिर न्याय-दर्शन में संसार के विविध तत्त्वों का निरूपण कराने का प्रयत्न किया गया है। न्याय के अनुसार मूल पदार्थ या तत्त्व तीन हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जीवात्मा शरीर से भिन्न है। चार्वाक लोग शरीर और जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहना था, कि मृत्यु के साथ ही प्राणी की भी समाप्ति हो जाती है। पर नैयायिकों ने इसका खण्डन करके यह सिद्ध किया, कि जीवात्मा की पृथक् सत्ता है, और वह शरीर, मन व बुद्धि से भिन्न एक स्वतन्त्र तत्त्व है। इसी प्रकार ईश्वर और प्रकृति के स्वरूप का भी न्याय-दर्शन में बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है।

न्याय-दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। उन्होंने सूत्ररूप में न्याय-दर्शन की रचना की। गौतम विरचित इन न्याय-सूत्रों पर वात्स्यायन मुनि ने विस्तृत भाष्य लिखा। न्याय-दर्शन के मूलग्रन्थ गौतम द्वारा विरचित सूत्र और उनपर किया गया वात्स्यायन-भाष्य ही हैं। बाद में न्याय-दर्शन-सम्बन्धी अन्य अनेक ग्रन्थ लिखे गये। सातवीं सदी में आचार्य उद्योतकर ने 'न्याय-वातिक' लिखा, जो वात्स्यायनभाष्य की व्याख्या के रूप में है। फिर वाचस्पति मिश्र ने उसके ऊपर 'तात्पर्यटीका' लिखी। इस तात्पर्य टीका की व्याख्या उदयनाचार्य ने 'तात्पर्य-परिच्छिद्धि' नाम से की। इस प्रकार न्याय-दर्शन का निरन्तर विकास होता गया। इसमें सन्देह नहीं, कि न्यायदर्शन के रूप में भारत के आर्यों ने एक ऐसे ज्ञान को विकसित किया, जिसके द्वारा पदार्थों के ज्ञान व सत्यासत्य-निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है।

वैशेषिक-दर्शन—वैशेषिक-दर्शन के अनुसार ज्ञान के चार साधन हैं, प्रत्यक्ष, लैंगिक (अनुमान), स्मृति और आर्षज्ञान। ज्ञानेन्द्रियों, मन और आत्मा द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लैंगिक ज्ञान चार प्रकार से होता है—अनुमान से, उपमान से, शब्द से और ऐतिह्य से। ऐतिह्य का अभिप्राय अनुश्रुति से है। पहले जानी हुई वस्तु की याद (स्मृति) से जो ज्ञान होता है, उसे स्मृति कहते हैं। यह भी ज्ञान का साधन है। आर्षज्ञान वह है, जो ऋषियों ने अपनी अन्तर्दृष्टि से प्राप्त किया था। हम कितनी ही बातों को केवल इस आर्षज्ञान द्वारा ही जानते हैं।

वैशेषिक के अनुसार संसार के कुल पदार्थ सात भागों में बाँटे जा सकते हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय और अभाव। पदार्थ का अभिप्राय है, ज्ञान का विषय। संसार की प्रत्येक सत्ता या प्रत्येक ज्ञातव्य (जिसे हम जान सकें) वस्तु को इन सात भागों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इन नौ में से पहले पाँच वे हैं, जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है। काल और दिशा (Time and space) ऐसे द्रव्य हैं, जिनसे बाहर विश्व की कोई भौतिक सत्ता कल्पित ही नहीं की जा सकती। आत्मा और मन ऐसी सत्ताएँ हैं, जिनका

सम्बन्ध भौतिक पदार्थों से नहीं है। पृथिवी, जल आदि पाँच द्रव्य भौतिक हैं, और इनका निर्माण परमाणुओं द्वारा हुआ है। परमाणु नित्य और शाश्वत है। वह तत्त्व जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, परमाणु कहाता है। परमाणुओं के संयोग से ही पृथिवी, जल आदि द्रव्यों का निर्माण होता है।

वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि थे। उन्होंने वैशेषिक सूत्रों की रचना की। उनपर आचार्य प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य लिखा। वैशेषिक दर्शन के मूल प्रामाणिक ग्रन्थ ये ही हैं। बाद में इनपर व्योमशिखाचार्य ने 'व्योमवती' तथा उदयनाचार्य ने 'किरणावली' नाम की टीकाएँ लिखीं। श्रीधराचार्य की 'न्यायकन्दली' तथा बल्लभाचार्य की 'न्यायलीलावती' आदि ग्रन्थ भी अनेक पुस्तकें वैशेषिक दर्शन के सम्बन्ध में लिखी गई हैं।

सांख्य-दर्शन—सांख्य-दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है, सत्कार्यवाद। इसके अनुसार असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक सत्ता अव्यक्तरूप से अपने कारण में विद्यमान रहती है। उत्पत्ति का अभिप्राय केवल यह है, कि कारण का कार्य के रूप में उदभाव हो जाता है। जिसे हम विनाश कहते हैं, वह भी वस्तुतः कार्य का कारण में लीन (अनुभाव) हो जाता है। किसी विद्यमान (सत्) सत्ता का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता, वह केवल अपने कारण में लय हो जाती है। मूर्तिका से घट की उत्पत्ति होती है। वस्तुतः, घट मूर्तिका रूप में पहले ही विद्यमान होता है। मूर्तिका ही घटरूप में व्यक्त हो जाती है। घट के नाश का अभिप्राय केवल यह है, कि वह फिर मूर्तिकारूप हो जाता है।

इसी सत्कार्यवाद के सिद्धान्त का अनुसरण करके सांख्य-शास्त्र में संसार का कारण प्रकृति को माना गया है। संसार वस्तुतः प्रकृति का ही रूपान्तर (परिणाम) है। प्रकृति अनादि और नित्य है। अपने अव्यक्त रूप में वह सदा से रहती आई है। जब वह अपने को व्यक्त करती है, तो संसार बनता है। सृष्टि के आधारभूत गुण तीन हैं—सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। जब इन गुणों की साम्यावस्था नहीं रहती, तब किसी एक गुण के प्रधान होने से संसार के विविध पदार्थों का निर्माण होता है। पर प्रकृति स्वयं संसार के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं जड़ है। अतः उसे 'पुरुष' की आवश्यकता होती है। प्रकृति और पुरुष—ये दो ही मूल और अनादि तत्त्व हैं। इन्हीं के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष की हालत ठीक वह है, जो अन्धे और लंगड़े की होती है। न अकेला अन्धा किसी उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच सकता है, और न अकेला लंगड़ा। पर यदि लंगड़ा मनुष्य अन्धे मनुष्य के कन्धे पर बैठ जाए, और दोनों एक-दूसरे की सहायता से किसी निदिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहें, तो वे सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष एक-दूसरे के सहयोग से सृष्टि का निर्माण करते हैं।

सांख्य के अनुसार पुरुष का स्वरूप केवल चेतन और सदाप्रकाश-स्वरूप है। सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का सम्बन्ध पुरुष से नहीं, अपितु प्रकृति से है। पर प्रकृति के संयोग से पुरुष विभिन्न पदार्थों में अहंकार या ममत्व की बुद्धि कर लेता है। संसार में जो कुछ हो रहा है, उसका करनेवाला पुरुष नहीं है। संसार के

सब कार्य प्रकृति करती है। पर जब प्रकृति के संयोग से पुरुष अहंकारविमूढ हो जाता है, तो वह प्रकृति के द्वारा किये जानेवाले कार्यों को अपनी किया हुआ समझने लगता है। पुरुष वस्तुतः 'कर्ता' नहीं होता। जब पुरुष यह भली-भांति समझ लेता है, कि करनेवाला वह नहीं, अपितु प्रकृति है, तब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम 'मोक्ष' है।

सृष्टि के निर्माण, स्थिति व अन्तःभाव (प्रलय) के लिए साख्य ईश्वर की आवश्यकता को अनुभव नहीं करता। यही कारण है, कि उसके मूल तत्त्वों में ईश्वर को नहीं गिना गया, और न ही वेदान्तियों के ब्रह्म के समान मूल तत्त्वों के भी उपरि-रूप से उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया। पर साख्य लोग ईश्वर का लण्डन भी नहीं करते हैं।

साख्य-दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। उन्होंने साख्य-सूत्रों की रचना की थी। पञ्चशिखाचार्य का पण्डितन्त्र इस शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ था, पर वह अब उपलब्ध नहीं होता। ईश्वरकृष्ण की साख्यकारिका इस शास्त्र का प्रामाणिक व प्राचीन ग्रन्थ है। आचार्य विज्ञानभिक्षु ने साख्य-प्रवचन-भाष्य नाम से साख्य सूत्रों का भाष्य किया है। इसके प्रतिरिक्त साख्यकारिका पर माठर की माठर वृत्ति, गौडपाद का भाष्य और वाचस्पति की तत्त्व-कौमुदी टीकारूप में हैं।

योग-दर्शन—योग और साख्य में भेद बहुत कम है। साख्य के समान योग भी प्रकृति से संसार की उत्पत्ति स्वीकार करता है। साख्य के अनुसार, जिस प्रकार प्रकृति का विकास महत्, अहंकार आदि दशाधो में होता है, वैसे ही योगदर्शन भी मानता है। पर इन दर्शनों में मुख्य भेद ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में है। योग-दर्शन प्रकृति और पुरुष के साथ-साथ ईश्वर की सत्ता भी मानता है। ईश्वर की भक्ति द्वारा पुरुष शीघ्र ही संसार के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है। योग के अनुसार पुरुष की उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर उसका उद्धार कर देता है, अतः योग-मार्ग में ईश्वर की भक्ति व उपासना परम सहायक है।

इस दर्शन के आदिप्रवर्तक महर्षि पतञ्जलि थे। उन्होंने योग-सूत्रों की रचना की। उनपर व्यास ऋषि का भाष्य योग-दर्शन का अत्यन्त प्राचीन व प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसपर वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्व-वैशारदी' और विज्ञान भिक्षु की 'योग-वार्तिक' टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

मीमांसा-दर्शन—मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रयोजन यह है, कि वैदिक कर्मकाण्ड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करे, उनमें जहाँ विरोध या असंगति नजर आती हो उसका निराकरण करे, और धर्म के नियमों की ठीक-ठीक मीमांसा करे। इस दर्शन के अनुसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म हैं। उन कर्मों को करने से 'अपूर्व' उत्पन्न होता है। मनुष्य को जो सुख व दुःख, ऐश्वर्य या दारिद्र्य है, उस सबका मूल यह 'अपूर्व' ही है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने अपूर्व (प्रारब्ध) का निर्माण करता है। वैदिक कर्मकाण्ड में किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के कर्म-काण्ड या अनुष्ठान का विधान किया गया है। पर यज्ञ या कर्मकाण्ड से तुरन्त ही अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। अतः मीमांसा-दर्शन ने यह प्रतिपादित किया,

कि कर्मकाण्ड द्वारा 'अपूर्व' उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप बाद में अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है।

मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य जैमिनि थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना की। उनपर शबर मुनि ने भाष्य लिखा। शबर-भाष्य पर आचार्य कुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट ने व्याख्याएँ लिखीं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उनके श्लोकवातिक और तन्त्रवातिक ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। कुमारिल ने बौद्धों का खण्डन कर वेदों की प्रामाणिकता का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया।

वेदान्त-दर्शन—वेदान्त के अनुसार विश्व की वास्तविक सत्ता 'ब्रह्म' है। वस्तुतः, ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कोई सत्ता सत्य नहीं है। जीव की ब्रह्म से पृथक् कोई सत्ता नहीं है। प्रकृति या जगत् ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म से पृथक् उनकी भी सत्ता नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप 'निर्विशेष-चिन्मात्र' है। ब्रह्म चेतन-स्वरूप है, वह चित-शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सांख्य-दर्शन जिन्हें पुरुष व प्रकृति कहता है, उनका विकास इसी ब्रह्म से होता है। जब ब्रह्म 'संकल्प' करता है, यह चाहता है कि वह 'बहुरूप' हो जाए, तो अपनी सीला द्वारा सृष्टि का विकास करता है।

वेदान्तदर्शन के प्रवर्तक बादरायण व्यास थे। उन्होंने ही वेदान्त-सूत्रों की रचना की। इन सूत्रों पर विविध आचार्यों ने अपने-अपने मत के अनुसार अनेक भाष्य लिखे। इनमें शंकराचार्य का 'ब्रह्मसूत्र-शांकर भाष्य' सबसे प्रसिद्ध है। वस्तुतः, शंकर ने वेदान्त के एक नए सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसे 'ब्रह्मैतवाद' कहते हैं। इसके अनुसार सब जगत् मिथ्या है। जिस प्रकार रात के समय मनुष्य को रज्जु में साँप का भ्रम हो जाता है, वैसे ही ससार की दृष्टि-गोचर होनेवाली सब सत्ताएँ भ्रम का परिणाम हैं। जगत् माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। माया की परमाबं में कोई सत्ता नहीं होती। जब ब्रह्म माया से ध्रुवच्छिन्न हो जाता है, तो वह ईश्वर कहाता है। जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है। जैसे एक ही सर्वव्यापी आकाश घट में घटाकाश के रूप से घोर मठ में मठाकाश के रूप से आभासित होता है, पर वस्तुतः वह एक ही आकाश होता है, ऐसे ही अन्तःकरणावच्छिन्न ब्रह्म जीवात्मा के रूप में आभासित होता है। पर वस्तुतः जीवात्मा ब्रह्म से पृथक् नहीं है, वह ब्रह्म ही है, ठीक वैसे ही जैसे घटाकाश आकाश ही है, वह सर्वव्यापी आकाश से पृथक् नहीं है।

वेदान्त-सूत्रों पर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और बल्लभाचार्य ने भी भाष्य लिखे हैं। इनका मत शंकर से बहुत भिन्न है। रामानुज प्रकृति और जीवात्मा की पृथक् सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्हें ब्रह्म पर आश्रित मानते हैं। ब्रह्म से पृथक् जीवात्मा और प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए उनके मत को 'विशिष्टाद्वैत' नाम दिया गया है। मध्वाचार्य ब्रह्म, प्रकृति और जीवात्मा की पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसीलिए उनका मत द्वैतवाद कहाता है। एक ही ब्रह्मसूत्र की विविध आचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप से व्याख्या की है। पर ब्रह्म की सर्वोपरि सत्ता को सब वेदान्ती समान रूप से स्वीकार करते हैं। इस दर्शन का विकास प्रधानतया उपनिषदों को प्रमाण मान कर किया गया है।

बौद्ध और जैन धर्मों के प्रारम्भ से पूर्व भारत के प्राचीन धर्म में जहाँ याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्राधान्य था, वहाँ विविध तत्त्वज्ञानी ऋषि सृष्टि और अध्यात्म के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए अनेक दर्शन-शास्त्रों का भी विकास कर रहे थे।

सातवाँ अध्याय

प्राचीन आर्यों की भारतीय संस्कृति को देन

भारत की वर्तमान संस्कृति अनेक संस्कृतियों के सम्मिश्रण का परिणाम है। इसे न केवल प्राचीन युग की विविध जातियों ने प्रभावित किया है, अपितु अरब, अफगान, मुगल और इंगलिश लोगो ने भी इस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि इस बीसवीं सदी में भी भारतीय संस्कृति का स्थूल ढाँचा प्रायः वही है, जिसकी नींव वैदिक युग में प्राचीन आर्यों ने डाली थी। आर्यों की विचारधारा और जीवन के आदर्श एक नद के समान हैं, जिसमें अनेक अनेक छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिलती रहती हैं। गंगा के प्रवाह में बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, वे स्वयं गंगा का अंग बन जाती हैं, और उसके प्रवाह को अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाकर अपनी सत्ता को उसमें विलीन कर देती हैं। यही बात भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में कही जा सकती है। वैदिक युग में प्राचीन आर्यों ने संस्कृति के जिस प्रवाह को प्रारम्भ किया था, शक, युद्धि, यवन, हूण, आभीर, अफगान, मुगल, अंग्रेज आदि कितने ही लोगों ने उसे प्रभावित किया। पर इनसे उस प्रवाह की धारा अवरुद्ध नहीं हुई, इससे उसकी शक्ति और अधिक बढ़ती गयी। यही कारण है कि आज भी भारत के निवासी उन्हीं आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं, जिन्हे आर्य ऋषियों ने वैदिक सूक्तों द्वारा प्रतिपादित किया था। वेद ने उपदेश दिया था—‘हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें।’ महाभारत ने इसे और अधिक स्पष्ट किया—‘दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है, और दूसरों को पीडा देने की अपेक्षा अधिक बड़ा पाप कोई नहीं।’ मध्य-काल में तुलसीदास ने इसी विचार को इस ढंग से कहा—‘अभिमान पाप की जड़ है, जब तक शरीर में प्राण रहे, प्राणियों के प्रति दया भाव का परित्याग न कीजिए।’ आज भी लाखो भारतीय यह गाते हैं ‘जो दूसरों की पीडा का अनुभव करता है, वही सच्चे अर्थों में वैष्णवजन है।’ महात्मा गांधी जैसे सन्तों ने अहिंसा और परोपकार का यही आदर्श बीसवीं सदी में प्रबल रूप से भारतीयों के सम्मुख उपस्थित किया है।

वैदिक साहित्य की सर्वमान्यता—भारतीय संस्कृति का आदिमोत वेद है, इसीलिए भारत में इस साहित्य को अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है। सब हिन्दू इसे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। सांख्य-दर्शन ईश्वर की सत्ता से इन्कार करता है, पर वेद को अनादि और स्वतःप्रमाण मानता है। नास्तिक का लक्षण यह नहीं है, कि वह ईश्वर को न माने। नास्तिक वह है, ‘जो वेद का निन्दक हो।’ ईश्वर को न मानने वाला हिन्दू नास्तिक हो सकता है, पर वेद के प्रति श्रद्धा न रखने वाला हिन्दू

प्रास्तिक नहीं माना जा सकता। आर्यों ने जिस भी विचार सरणी का विकास किया, जिस भी विज्ञान या तत्त्वचिन्तन का प्रारम्भ किया, उस सबका स्रोत उन्होंने वेद को माना। वेदान्त, न्याय, सांख्य आदि प्रास्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों में बहुत विरोध है पर वे सब समान रूप से यह दावा करते हैं कि उनके मन्तव्य वेदों पर प्राम्थित हैं। आयुर्वेद, घनुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र आदि जितने भी विज्ञान इस देश में प्राचीन समय में विकसित हुए, वे सब भी अपने-को वेद पर आधारित मानते हैं, और वेदांग कहते हैं। इसीलिए वैदिक संहिताओं ने आर्य जाति के जीवन और संस्कृति को जितना अधिक प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य साहित्य या विचार-सरणी ने नहीं किया। वेद की जिन शिक्षाओं ने भारत की संस्कृति को विशेष रूप में प्रभावित किया है, उन पर हम यहाँ संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे।

ऋत या सत्य—इस संसार में सर्वत्र कुछ निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं, यह विचार वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। सृष्टि की इस नियम-बद्धता को वेदों में 'ऋत' कहा गया है। जो तत्त्व 'पृथ्वी' या संसार को धारण किए हुए हैं, उनमें 'ऋत' सर्वप्रधान है। 'ऋत' वे नियम हैं, जो नित्य और अनादि है, जिनका कोई भी शक्ति उल्लंघन नहीं कर सकती। सूर्य जो नियम से उदित होता है, नियम से अस्त होता है, तारा-नक्षत्र जो अपने-अपने स्थान पर रहते हुए संचारी दशा में रहते हैं, समय पर जो फल और बनस्पति परिपक्व होते हैं—यह सब ऋत के कारण ही है। केवल प्रकृति का ही नहीं, प्राणियों और मनुष्यों के जीवन का आधार भी यह ऋत ही है। मनुष्य का हित और कल्याण इसी बात में है कि वह ऋत के इन नियमों का परिज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन की उनके साथ अनुकूलता स्थापित कर ले। इसी ऋत द्वारा 'सत्य' का विचार प्रादुर्भूत हुआ, और भारत के विचारकों ने यह प्रतिपादित किया, कि सत्य ही धर्म का मूल है, और सत्य का अनुसरण करने में ही मनुष्य का कल्याण है। संसार में जो नियम और व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, वह सत्य के कारण ही है। धर्म उस व्यवस्था का नाम है, जिसका पालन कर मनुष्य ने इस लोक में अम्युदय और परलोक में मोक्ष या निःश्रेयस को प्राप्त करना है। पर यह धर्म मनुष्यकृत नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी इच्छा या विवेक का प्रयोग कर इसका निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म 'सत्य' पर प्राम्थित होता है, और यह सत्य वे प्राकृतिक व अनादि नियम हैं, जो मनुष्यकृत नहीं हैं। ऋत और सत्य के विचार भारत के लोगों को सदा अनुप्राणित करते रहे। तुलसीदास ने 'साँच बराबर तप नहीं' कहकर इसी विचार को बल दिया। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सत्य की महिमा को और अधिक बढ़ा दिया। सत्य और परमेश्वर एक ही बात है, यह विचार प्रतिपादित कर गांधी जी ने वैदिक-युग के इस तथ्य को ही प्रकट किया, कि ऋत और सत्य ही ऐसे तत्त्व हैं, जो संसार का संचालन करते हैं। भारतीय संस्कृति की यह अनुपम विशेषता है कि उसमें जो विचार आज के भारतीयों को अनुप्राणित करते हैं, वे वैदिक युग से निरन्तर प्रवाहित रूप में इस देश में चले आ रहे हैं, उनका प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं हुआ।

अध्यात्म-भावना—वैदिक संस्कृति की एक विशेषता उसकी अध्यात्म-भावना है। इसका प्रादुर्भाव भी वैदिक युग में ही हुआ था। यह जो आँसों से दिखाई देनेवाला

इन्द्रियगोचर संसार है, इस भौतिक जगत् से परे भी कोई सत्ता है, यह विचार वैदिक युग से भारत में निरन्तर चला आ रहा है। इस शरीर की अविच्छाता जीवात्मा है, जो शरीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं हो जाती। जो अनश्वर, अनादि और अनन्त है, उसको जानना और उसके स्वरूप को समझ लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जिस प्रकार शरीर का स्वामी जीवात्मा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का स्वामी परमात्मा है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है। प्रकृति की सब शक्तियाँ इस परमात्मा से ही जीवन और बल प्राप्त करती हैं। शरीर और संसार नश्वर हैं, पर आत्मा और परमात्मा नित्य और अनन्त है। यह जो आत्मा है, वह भी वस्तुतः सर्व-व्यापक परमेश्वर व ब्रह्म का ही अंश है। जिस प्रकार विश्वव्यापी आकाश घट या मट में घटाकाश या मटाकाश के रूप में पृथक् प्रतीत होता है, उसी प्रकार विश्वव्यापी वितिशक्ति प्राणियों में पृथक् जीवात्मा के रूप में प्रगट होती है। घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश विशाल आकाश में लीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी अन्त में ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। शरीर और सृष्टि सान्त हैं, उनका अन्त हो जाता है, अतः वे परम सत्य नहीं हैं। संसार के भोग क्षणिक हैं, वास्तविक सुख आध्यात्मिक है, जो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होता है। मनुष्य का अन्तिम ध्येय सासारिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष या निःश्रेयस को प्राप्त करना है। क्योंकि सब मनुष्यों और प्राणियों में जो जीवन-शक्ति है, उसका मूलस्रोत एक ही है, अतः सबसे आत्मभावना रखना आवश्यक है। इन विचारों का सूत्रपात वैदिक युग में हुमा या, और वे आज तक भी भारत की सब जातियों व मन्त्रदायों में विद्यमान हैं। 'इस जगत् में जो कुछ भी है, उस सबसे ईश्वर व्याप्त है, अतः इस संसार में लिप्त न होकर त्याग की भावना के साथ इसका उपभोग करो।' वेद के इस उपदेश ने भारतीयों के दृष्टिकोण को सदा प्रभावित किया है।

उत्थान—अध्यात्म-भावना प्राचीन आर्यों के जीवन-लक्ष्य को ऊँचा उठाने में समर्थ हुई, पर उसने इस संसार के प्रति उन्हें विमुख नहीं किया। उन्होंने धर्म का लक्षण यह किया, "जिससे इस संसार में अभ्युदय (समृद्धि व उन्नति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति हो, वही धर्म है।" वह धर्म अपूर्ण है, जो केवल निःश्रेयस की प्राप्ति में सहायक होता है। साथ ही वह धर्म भी अपूर्ण है, जिससे मनुष्य केवल सासारिक समृद्धि प्राप्त करता है। इहलोक में सुख और परलोक का साधन—दोनों पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए वैदिक युग के आर्यों ने संसार के सुखों की प्राप्ति और भौतिक उन्नति की उपेक्षा नहीं की। वैदिक ऋषियों ने कहा, देखो यह सूर्य निरन्तर चलता रहता है, तुम भी निरन्तर गतिशील रहो। निरन्तर गतिशील रहने से ही तुम 'स्वादु उदुम्बर' (संसार के सुस्वादु फल) को प्राप्त कर सकोगे। इसी विचार को उपनिषदों ने और अधिक विकसित किया। उन्होंने कहा—'चरैवेति चरैवेति', निरन्तर आगे बढ़े चलो। बाद में दण्डनीति के पण्डितों ने इसी विचार को यह कहकर प्रकट किया कि मनुष्य का यह परम कर्तव्य है, कि वह सदा उत्थानशील रहे।

संसार की अनेक अन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर बहुत जोर देकर अध्यात्म

की उपेक्षा की गयी है। पर भारत में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में समन्वय स्थापित किया गया। वैदिक ऋषियों की भारत को यह भद्रभुत देन है।

वर्णाश्रम-व्यवस्था—सांसारिक अम्युदय (समृद्धि) और अध्यात्म-भावना के इस समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था, जिसकी विशेषता वर्ण-भेद और आश्रम-व्यवस्था है। प्राचीन आर्य-परम्परा के अनुसार मानव-जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह २५ वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करे। इस काल में वह अपना सब ध्यान शरीर और मन की उन्नति में लगाए। स्वस्थ शरीर और विकसित मन को प्राप्त कर वह गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करे, और इस काल का उपयोग संसार के सुख व वैभव को प्राप्त करने के लिए करे। पर वह यह दृष्टि में रहे, कि सांसारिक भोग ही उसका चरम लक्ष्य नहीं है। पचास वर्ष की आयु में उसे गृहस्थ जीवन का अन्त कर वानप्रस्थी बनना है, जब वह अपनी सब शक्ति और समय तत्त्व-चिन्तन और आत्मिक उन्नति में लगायेगा, क्योंकि मनुष्य को केवल ऐहलौकिक अम्युदय से ही सन्तुष्ट नहीं होना है, उसे निःश्रेयस को भी प्राप्त करना है। वानप्रस्थ के बाद मनुष्य संन्यासी बने, और अपना सब समय लोकोपकार में व्यतीत करे। संन्यास आश्रम में मनुष्य परिव्राजक बनकर संसार में भ्रमण करता है, और प्राणिमात्र का हित और कल्याण करता है।

जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को चार विभागों (आश्रमों) में विभक्त किया गया है, वैसे ही मानव-समाज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों में विभक्त है। समाज में सबसे ऊँचा स्थान ब्राह्मणों का है, जो त्याग और अकिंचनता को ही अपनी सम्पत्ति मानते हैं। क्षत्रिय लोग सांसारिक सुखों का उपभोग अवश्य करते हैं, पर उनका कार्य धनोपार्जन करना न होकर जनता की बाह्य और आन्तरिक विपत्तियों से रक्षा करना है। समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का स्थान वैश्यों की अपेक्षा ऊँचा है, क्योंकि मानव-जीवन का ध्येय धन-सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक उच्च है। वैश्यों को कृषि, पशुपालन और वाणिज्य द्वारा समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, और शूद्र का कार्य अन्य वर्णों की सेवा द्वारा अपनी आजीविका कमाना है। जिस प्रकार मानव-जीवन सभी पूर्ण हो सकता है, जबकि उसमें भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी स्थान प्राप्त हो, उसी प्रकार मानव-समाज की पूर्णता के लिए भी यह आवश्यक है, कि उसके विविध वर्ग भौतिक सुखों व साधनों के साथ-साथ परोपकार व अध्यात्म-सुख के लिए भी प्रयत्नशील हों। सब मनुष्यों की योग्यता, शक्ति और बुद्धि एक सदृश नहीं होती, सब कोई वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण का आदर्श बहुत ऊँचा है, उस तक पहुँचने के लिये बहुत कम व्यक्ति समर्थ होंगे। बहुसंख्यक मनुष्य वैश्य ही होंगे, और कृषि, व्यवसाय आदि द्वारा अपनी वैयक्तिक व सामाजिक समृद्धि के लिये प्रयत्न करेंगे। पर यदि सभी लोग धनोपार्जन के लिए प्रवृत्त हो जाएँ, तो समाज अपूर्ण रह जायगा। उसमें ऐसे मनुष्य भी चाहिए, जो धन को हेय मानकर ज्ञानोपार्जन और तत्त्वचिन्तन में प्रवृत्त हो। इसी में समाज की पूर्णता है। वैदिक युग में वर्णों का यह विभाग जन्म पर आश्रित

नहीं था। कोई भी व्यक्ति ज्ञान उपाजंन कर ब्राह्मण-पद को प्राप्त कर सकता था। बाद में वर्ण जन्म पर आश्रित हो गये, क्योंकि ब्राह्मण की सन्तान के लिए ब्राह्मण हो सकता और वैश्य की सन्तान के लिए व्यापार और शिल्प में कुशल हो सकता अधिक सुगम था। पर यह विचार भारत में निरन्तर बना रहा, कि 'शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर सकता है, और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। धर्मचर्या द्वारा निचले वर्ण के व्यक्ति ऊँचे वर्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और धर्म के विरुद्ध आचरण करने से ऊँचे वर्ण के लोग निचले वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं।' भारत के मध्यकालीन इतिहास तक में कितने ही मनुष्य, जो नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, अपने ज्ञान व तत्त्वचिन्तन के कारण सन्तपद को प्राप्त कर गये। प्राचीनकाल में तो इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी ही नहीं है।

यद्यपि वर्तमान युग में वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप बहुत विकृत हो गया है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि जातिभेद के आधार में जो भावना आज तक भी कार्य कर रही है, वह वैदिक युग की वर्ण-व्यवस्था पर ही आश्रित है। समाजरूपी विराट्-मुह्य का मुख-स्थानीय ब्राह्मण है, बाहुस्थानीय क्षत्रिय है, उदर और ऊरु स्थानीय वैश्य है, और पादस्थानीय शूद्र है—वेदों के इस विचार ने ही भारत में जाति-भेद को मूलरूप प्रदान किया। उसके विकृत रूप को सुधार कर असली प्राचीन धार्य-भावना को पुनरुज्जीवित करने के लिए इस देश के कितने ही विचारक व सुधारक प्रयत्न करते रहे हैं, और यह प्रयत्न वर्तमान समय में बहुत अधिक जोर पकड़ गया है।

अभय की भावना—जिस प्रकार प्राचीन धार्यों द्वारा भारतीय संस्कृति में अध्यात्म भावना का प्रवेश हुआ, वैसे ही अभय की भावना भी उन्हीं से उसे प्राप्त हुई। जब मनुष्य सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगता है, जब वह सर्वत्र 'एकत्व' की अनुभूति रखने लगता है, तो वह 'अभय' हो जाता है। मोह, शोक आदि से वह ऊपर उठ जाता है। वैदिक ऋषि ने गान किया है—“मित्र से मैं अभय होऊँ, अमित्र (शत्रु) से मैं अभय होऊँ, ज्ञात वस्तु से और परोक्ष (अज्ञात) वस्तु से मैं अभय होऊँ, रात और दिन सब समय मैं अभय होऊँ, और सब दिशाएँ मेरे प्रति मित्र भावना रखें।” यह अभय-भावना तभी सम्भव है, जब मनुष्य सब में एक ही विद्यात्मा को व्याप्त समझे और सबके प्रति एकत्व का अनुभव करता रहे।

विचार-स्वातन्त्र्य और सहिष्णुता—धार्यों के अध्यात्मवाद ने ही इस देश की संस्कृति में सहिष्णुता और विचार-स्वातन्त्र्य को उत्पन्न किया। इस देश में धार्मिक व साम्प्रदायिक द्वेष के कारण उस ढंग के युद्ध नहीं हुए, जैसे कि पाश्चात्य देशों में हुए थे। मध्यकाल में यूरोप के लोग बहुत असहिष्णु थे। एक ही ईसाई धर्म के विविध सम्प्रदाय एक-दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सोलहवीं सदी में चार्ल्स पंचम के शासन-काल में अकेले नीदरलैण्ड जैसे छोटे-से राज्य में पचास हजार के लगभग प्रोटेस्टेण्ट लोगों को केवल इसलिए अग्नि के अर्पण कर दिया गया, क्योंकि उनका धर्म चार्ल्स के रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय से भिन्न था। यूरोप के लोग अमेरिका और अफ्रीका में जिन लोगों के सम्पर्क में आए, उन्हें उन्होंने समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया, क्योंकि अन्य लोगों के धर्म व सभ्यता को वे सहन करने के लिए उद्यत नहीं थे। पर इस प्रकार की उग्र वृत्ति भारतवासियों ने अपने सुदीर्घ इतिहास में कभी प्रकट नहीं

की। आर्य लोग समझते थे, कि विविध प्रकार के विधि-विधानों व पूजाओं द्वारा मनुष्य एक ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है। कृष्ण ने गीता में कहा था—“जिस किसी ढंग से जो मेरी उपासना करता है, वह उसी ढंग से मुझे प्राप्त कर लेता है।” मनुष्यों में पूजा आदि के प्रकार पृथक्-पृथक् हो सकते हैं, पर उनका उपास्य देवता तो एक ही होता है। अशोक ने भी आगे चलकर सब सम्प्रदायों में मेल-जोल (समवाय) की नीति का उपदेश कर इसी तत्त्व को प्रतिपादित किया। विविध जातियों और सम्प्रदायों के प्रति भारत की यह मनोवृत्ति अध्यात्म भावना और सब में अपने को व अपने में सब को देखने की प्रवृत्ति का ही परिणाम थी। इसी कारण भारत में यवन, शक आदि जिन भी विदेशी व विधर्मी जातियों ने प्रदेश किया, वे सब विशाल हिन्दू व आर्य-धर्म की अंग बनती गयी। इस्लाम जैसा उग्र धर्म भी इस प्रवृत्ति के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका। हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने समाज का अंग नहीं बना सके, पर उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे रुख को अपनाया, जिसके कारण दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए एक देश में साथ-साथ रह सकना सम्भव हो गया। स्वयं हिन्दू धर्म में तो परस्पर-विरोधी विचारों के मानने वाले लोग एक समाज का अंग बनकर रहते ही रहे। चीटी तक की हत्या को पाप मानने वाले और भैंसे की बलि देकर अपने आराध्य देवता को सन्तुष्ट करने वाले लोग जो एक साथ हिन्दू धर्म में रह सके, उसका कारण यह सहिष्णुता ही थी, जो वैदिक युग से इस देश में बल पकड़ने लग गयी थी। ईश्वर पर विश्वास करने वाले और ईश्वर की सत्ता से ही इन्कार करने वाले सब प्रकार के लोगों को हिन्दू धर्म में स्थान मिला, यह उस विचार-स्वातन्त्र्य का ही परिणाम था, जो भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता है।

पुनर्जन्म और कर्म फल—प्राचीन आर्यों का यह विश्वास था कि मनुष्य पुनर्जन्म लेता है। जिसे मृत्यु कहा जाता है, वह वस्तुतः चोले की बदलना मात्र है। जैसे मीले कपड़े उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, वैसे ही वृद्ध या रोगग्रस्त शरीर को त्याग कर जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु के बाद जीव किस कुल में जन्म ले, किस योनि में प्रवेश करे, यह बात उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य यदि इस जन्म में अपने सुकृत्यों का फल नहीं पाता, तो अगले जन्म में उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। वर्ण-व्यवस्था और जातिभेद के साथ यह विचार बहुत मेल खाता था। प्राचीन आर्य यह मानते थे कि मनुष्य को ‘स्वधर्म’ के पालन में तत्पर रहना चाहिए। शूद्र को इससे सन्तुष्ट रहना चाहिए, कि वह अन्य वर्णों की सेवा करे। शूद्र अपनी हीन दशा में इसीलिए असन्तोष अनुभव नहीं करता था, क्योंकि वह यह जानता था कि हीन कुल में जन्म का हेतु उसके पूर्वजन्म के कुकर्म ही हैं। वह यह भी विश्वास रखता था, कि यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, और अच्छे कर्म करेगा, तो अगले जन्म में वह किसी श्रीमन्त व उच्च कुल में पैदा होने का अवसर प्राप्त कर लेगा। पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धान्तों के कारण भारत के निवासी अपनी स्थिति से असन्तोष अनुभव नहीं करते थे। वर्तमान समय में भी ये सिद्धान्त भारतीयों में बढमूल हैं। हिन्दू धर्म के अनुयायी तो पूर्वजन्म और कर्मफल दोनों में विश्वास करते हैं। पर अन्य सम्प्रदायों के लोग पूर्वजन्म को न मानते हुए भी अपने क्रियात्मक जीवन में ‘कर्म-

प्रधान विषय रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा' को अपनी धार्यों से भोभल नही कर पाते। भारत में गरीब से गरीब लोग जो अपनी स्थिति के विरुद्ध सुगमता से विद्रोह कर देने के लिए तैयार नहीं हो जाते, उसमें धार्यों के ये प्राचीन सिद्धान्त ही प्रधान हेतु हैं। इन सिद्धान्तों ने भारतीयों को कुछ अंश तक भाग्यवादी भी बना दिया है।

यज्ञ और अनुष्ठान—वैदिक युग में जिन याज्ञिक विधियों और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रारम्भ हुआ था, कुछ परिवर्तनों के साथ वे अब तक भी भारत में विद्यमान हैं। शुभ अवसरों पर या संस्कार के समय अब भी बहुसंख्यक हिन्दू यज्ञ-कुण्ड में अग्नि का आधान कर वैदिक मन्त्रों से आहुति देते हैं। इस देश के अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का स्वरूप अब भी वही है, जिसका विकास सूत्र ग्रन्थों द्वारा किया गया था। इन्द्र, मित्र, बृहण आदि वैदिक देवताओं का स्थान ब्रह्मा, शिव व विष्णु के अवतार राम और कृष्ण ने चाहे ले लिया हो, पर इनकी पूजा करते हुए अभी तक भी प्राचीन धार्यों की अनेक विधियों का अनुसरण किया जाता है। अन्य जातियों के सम्पर्क से भारतीय धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। भारत के आदिवासियों के संसर्ग से धार्यों ने मूर्तिपूजा को भी अपना लिया। पर वैदिक धार्यों ने जिन याज्ञिक विधियों और अनुष्ठानों का प्रारम्भ किया था, वे हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक कायम हैं।

भारत भूमि के प्रति पवित्रता की भावना—धार्य लोग चाहे भारत में कहीं बाहर में आकर बसे हों, पर उन्होंने शीघ्र ही इस देश को अपनी पवित्र भूमि समझना शुरू कर दिया था। वेद के पृथ्वी सूक्त में उन्होंने इस भूमि के प्रति अपनी भक्ति को प्रगट किया, और इस देश की नदियों और पर्वतों को वे पवित्र मानने लगे। भारत के बहुसंख्यक निवासियों के लिए यह देश न केवल मातृभूमि है, अपितु धर्मभूमि भी है। भारत के प्रति पवित्रता की यह भावना भी प्राचीन धार्यों की ही देन है।

भाषा में एकसादृश्य—प्राचीन धार्यों ने केवल भारत के निवासियों में विचार व चिन्तन की एकता को ही विकसित नहीं किया, अपितु साथ ही इस देश की भाषा में साक्ष्य का भी प्रादुर्भाव किया। प्राचीन धार्यों की भाषा वह थी, जिसका रूप हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। यही भाषा आगे चलकर संस्कृत के रूप में विकसित हुई। भारत की बहुसंख्यक वर्तमान भाषाएँ संस्कृत से उद्बुद्ध हुई हैं, और यहाँ की द्रविड भाषाओं पर भी संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव है। वर्णमाला, व्याकरण और शब्द-कोश की दृष्टि से भारत में भाषा-सम्बन्धी एकलपता व समानता विद्यमान है। वर्तमान समय से पूर्व, जब कि भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रवेश नहीं हुआ था, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा थी, जिसने इस देश के विविध प्रदेशों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया हुआ था, और जिसका साहित्य सब प्रदेशों के विद्वानों द्वारा समान रूप से पढ़ा जाता था।

इस अध्याय में हमने इस प्रश्न पर संक्षेप के साथ विचार किया है, कि भारतीय संस्कृति को प्राचीन धार्यों की क्या देन है। पर इस विवेचन को पूर्ण नहीं समझा जा सकता। भारत के धर्म, सामाजिक आदर्श, समाज-संगठन, विचार, तत्त्वचिन्तन आदि सब विषयों में प्राचीन धार्यों की देन बहुत महत्त्व की है। अन्य लोगों ने धार्यों की इस देन को अपनाकर इसे समृद्ध अवश्य किया, पर इसका मूल रूप धार्यों द्वारा ही प्रदत्त है।

आठवाँ अध्याय बौद्ध और जैन धर्म

(१) बौद्ध युग

महाभारत के युद्ध के बाद सातवीं और छठी ईस्वी पूर्व के भारतीय इतिहास की दो बातें विशेष महत्त्व की हैं :—

(१) मागध साम्राज्य का विकास—प्राचीन समय में भारत में जो बहुत से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, उनका स्थान अब मगध के शक्तिशाली व सुविस्तृत साम्राज्य ने लेना शुरू कर दिया था। मागध साम्राज्य का विकास इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। प्राचीन भारत के ऐश्वकाव, ऐल, पौरव, यादव आदि विविध आर्यवंशों द्वारा स्थापित राज्यों को जीतकर मगध के राजा अपने विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। महापद्म नन्द, चन्द्रगुप्त मौर्य और प्रियदर्शी अशोक जैसे सम्राट् जो भारत के बहुत बड़े भाग को एक चक्रवर्ती-क्षेत्र बनाने में समर्थ हुए, उसके लिए इसी समय (सातवीं और छठी सदी ई० पू०) में प्रयत्न प्रारम्भ हो गया था। मगध के इन सम्राटों को 'शूद्र' 'शूद्रप्राय', नयवर्जित' आदि कहा गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इनका साम्राज्यवाद प्राचीन आर्य-मर्यादा के अनुकूल नहीं था। मगध के बाहृद्रथ, नन्द आदि राजवंशों के राजा न केवल 'नयवर्जित' थे, अपितु स्वच्छाचांगी और निरंकुश भी थे। उनके राजपुत्र भी 'नय' और 'अनय' का विचार छोड़कर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राजसिंहासन की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते थे।

(२) धार्मिक सुधारणा—बौद्ध, जैन, आजीवक आदि सम्प्रदायों के रूप में अनेक नये धार्मिक आन्दोलन इस युग में शुरू हुए। यज्ञप्रधान प्राचीन वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति शुरू हुई, और बहुत-से भारतीय वैदिक संहिताओं के प्रामाण्य से इन्कार कर बुद्धि और तर्क पर आधारित नये धर्मों के अनुसरण में प्रवृत्त हुए। बौद्ध, जैन आदि नये सम्प्रदायों का प्रचार न केवल भारत में हुआ, अपितु भारत के बाहर भी दूर-दूर तक इन धर्मों का प्रसार हुआ। जिस प्रकार इस युग के राजा सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्यों के निर्माण के लिए तत्पर थे, वैसे ही अनेक धार्मिक नेता 'धर्म-चक्र' के 'प्रवर्तन' द्वारा धर्म-चक्रवर्ती बनने के उद्योग में लगे थे। बौद्ध धर्म को अपना 'धर्म-साम्राज्य' स्थापित करने में विशेष रूप से सफलता मिली। भारत में बौद्धों का 'धर्म साम्राज्य' अनेक सदियों तक कायम रहा। गुप्तवंश के शासन काल से पूर्व ही भारत में बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। पर मौर्य वंश के शासन-काल के अन्त तक भारत में बौद्ध-धर्म का स्थान बहुत महत्त्व का रहा। जिस समय में बौद्ध-धर्म के प्रचारक भारत में अपने मत के प्रसार के लिए सफलतापूर्वक यत्न कर रहे थे, उसे भारतीय इतिहास में 'बौद्ध-युग' कहा जाता है। इस युग के इतिहास पर बौद्ध-साहित्य द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है।

(२) धार्मिक सुधारणा

उत्तरी बिहार में प्राचीन समय में जो अनेक गणराज्य थे, इन नये धार्मिक आन्दोलनों का प्रारम्भ उन्ही से हुआ। महात्मा बुद्ध शाक्य गण में उत्पन्न हुए थे, और वर्धमान महावीर जातक गण में। मगध के साम्राज्यवाद ने बाद में इन गणराज्यों का अन्त कर दिया था। राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में ये मगध से परास्त हो गए थे। पर धार्मिक क्षेत्र में शाक्य गण और वज्जि संघ के भिक्षुओं के सम्मुख मगध ने सिर झुका दिया। जब मगध की राजगृही के लिए विविध सैनिक नेता एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, और राजपुत्र कर्कट के समान अपने जनक (पिता) के प्रति व्यवहार करने में तत्पर थे, उसी समय ये भिक्षु लोग शान्ति, प्रेम और सेवा द्वारा एक नये प्रकार के चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना में संलग्न थे।

भारत बहुत बड़ा देश है। आर्य जाति की विविध शाखाओं ने भारत के विविध प्रदेशों में बस कर अनेक जनपदों को स्थापित किया था। शुरू में इनमें एक ही प्रकार का धर्म प्रचलित था। प्राचीन आर्य ईश्वर के रूप में एक सर्वोच्च शक्ति की पूजा किया करते थे। प्रकृति की भिन्न-भिन्न शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे देवताओं के रूप में उनकी भी उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताओं की पूजा का क्रियात्मक रूप था। धीरे-धीरे यज्ञों का कर्मकाण्ड अधिकधिक जटिल होता गया। याज्ञिक लोग विधि-विधानों और कर्मकाण्ड को ही स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन समझने लगे। प्राचीन काल में यज्ञों का स्वरूप बहुत सरल था। बाद में बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि भी अग्निकुण्ड में दी जाने लगी। पशुओं की बलि पाकर अग्नि व अन्य देवता प्रसन्न व सन्तुष्ट होते हैं, और उससे मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रबल हो गया। इसके विरुद्ध अनेक विचारकों ने आवाज उठाई। यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, जो अस्तव है और जिसपर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने लगा। शूरसेन देव के सात्वत लोगों में जो भागवत-सम्प्रदाय महाभारत के समय से प्रचलित था, वह यज्ञों को विशेष महत्त्व नहीं देता था। वामुदेव कृष्ण इस मत के अन्यतम आचार्य थे। इस सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। भागवत लोग वैदिक मर्यादाओं में विश्वास रखते थे, और यज्ञों को सर्वथा हेय नहीं मानते थे। पर याज्ञिक अनुष्ठानों का जो विकृत व जटिल रूप भारत के बहुसंख्यक जनपदों में प्रचलित था, उसके विरुद्ध अधिक उग्र आन्दोलन का प्रारम्भ होना सर्वथा स्वाभाविक था। आर्यों में स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इसी का यह परिणाम हुआ, कि छठी सदी ई० पू० में उत्तरी बिहार के गणराज्यों में अनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने यज्ञप्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध अधिक बल के साथ आन्दोलन किया, और धर्म का एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया।

इन सुधारकों ने केवल याज्ञिक अनुष्ठानों के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, अपितु वर्ण-भेद का भी विरोध किया, जो छठी ई० पू० तक आर्यों में भली-भाँति विकसित हो गया था। आर्य-भिन्न जातियों के सम्पर्क में आने से आर्यों ने अपनी रक्तशुद्धता

को कायम रखने के लिए जो अनेक व्यवस्थाएँ की थी, उनके कारण धार्य और दास (शूद्र) का भेद तो वैदिक युग से ही विद्यमान था। धीरे-धीरे धार्यों में भी वर्ण या जाति-भेद का विकास हो गया था। याज्ञिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण लोग सर्वसाधारण 'धार्य विशः' से अपने को ऊँचा समझने लगे थे। निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहने के कारण क्षत्रिय सैनिकों का भी एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया था, जो अपने को सर्वसाधारण जनता से पृथक् समझता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय न केवल अन्य धार्यों से ऊँचे माने जाते थे, अपितु उन दोनों में भी कौन अधिक ऊँचा है, इस सम्बन्ध में भी उनमें मतभेद था। इस दशा में छठी सदी ई० पू० के इन मुधारकों ने जाति-भेद और सामाजिक ऊँच-नीच के विरुद्ध भी आवाज उठाई, और यह प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों व कर्मों के कारण ही ऊँचा व सम्मानयोग्य होता है, किसी कुलविशेष में उत्पन्न होने के कारण नहीं।

यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तरी बिहार के जिन गणराज्यों में इस धार्मिक सुधार का प्रारम्भ हुआ, उनके निवासियों में धार्यभिन्न जातियों के लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। वहाँ के क्षत्रिय भी शुद्ध धार्य-रक्त के न होकर ब्राह्म्य क्षत्रिय थे। सम्भवतः, छठी सदी ई० पू० से पहले भी उनमें वैदिक मर्यादा का सर्वांग में पालन नहीं होता था। ज्ञातक गण में उत्पन्न हुए वर्धमान महावीर ने जिस जैन धर्म का प्रतिपादन किया, उनसे पूर्व भी इस धर्म के अनेक तीर्थंकर व आचार्य हो चुके थे। इन जैन तीर्थंकरों के धर्म में न याज्ञिक अनुष्ठानों का स्थान था, और न ही वेदों के प्रामाण्य का। वसु चंद्रोपरिचर के समय में प्राच्य भारत में याज्ञिक कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में स्वतन्त्र विचार की जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी, शायद उसी के कारण उत्तरी बिहार के इस धर्म ने वैदिक मर्यादा की सर्वथा उपेक्षा कर दी थी।

(३) जैन-धर्म का प्रादुर्भाव

छठी सदी ई० पू० के लगभग भारत में जो नये धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उनमें दो प्रधान हैं—(१) जैन धर्म, और (२) बौद्ध धर्म। जैन लोगों के अनुसार उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध-काल में महावीर स्वामी द्वारा नहीं हुआ था। वे अपने धर्म को सृष्टि के समान ही अनादि मानते हैं। उनके मतानुसार वर्धमान महावीर जैन धर्म को अन्तिम तीर्थंकर थे। उनसे पहले २३ अन्य तीर्थंकर हो चुके थे। पहला तीर्थंकर राजा ऋषभ था। वह जम्बूद्वीप का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गया था। यह सम्भव नहीं है, कि हम सब तीर्थंकरों के सम्बन्ध में लिख सकें, यद्यपि जैन ग्रन्थों में उनके विषय में अनेक कथाएँ उल्लिखित हैं। पर तेईसवें तीर्थंकर पार्व का कुछ विवरण इस इतिहास के लिए उपयोगी होगा।

तीर्थंकर पार्व—महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीर्थंकर पार्व का समय है। वह वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनका प्रारम्भिक जीवन एक राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ। युवावस्था में उनका विवाह कुशस्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ। तीस वर्ष की आयु में राजा पार्वनाथ को वैराग्य

हुआ, और राजपाट छोड़कर उन्होंने तापस का जीवन स्वीकृत किया। तिरासी दिन तक वह घोर तपस्या करते रहे। चौरासीवें दिन पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया। उनकी माता और धर्मपत्नी सबसे पहले उनके धर्म में दीक्षित हुईं। मत्तर वर्ष तक पार्श्वनाथ निरंतर अपने धर्म का प्रचार करते रहे। अन्त में पूरे सौ साल की आयु में एक पर्वत की चोटी पर, जो कि अब पार्श्वनाथ-पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने मोक्षपद को प्राप्त किया।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी बौद्ध-काल की धार्मिक सुधारणा में विश्रामान थे। उसकी तथा महावीर स्वामी की शिक्षाओं में क्या भेद था, इसका परिचय जैन-धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराख्ययन-सूत्र के एक संवाद द्वारा प्राप्त होता है।

पार्श्व के अनुसार जैन भिक्षु के लिए निम्नलिखित चार व्रत लेने आवश्यक थे—(१) मैं जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करूँगा। (२) मैं सदा सत्य भाषण करूँगा। (३) मैं चोरी नहीं करूँगा। (४) मैं कोई सम्पत्ति नहीं रखूँगा।

पार्श्व द्वारा प्रतिपादित इन चार व्रतों के साथ महावीर ने एक और व्रत बढ़ा दिया, जो यह था कि—“मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा।” इसके अतिरिक्त महावीर ने भिक्षुओं के लिए यह व्यवस्था भी की थी, कि वे कोई वस्त्र धारण न करें, जबकि पार्श्व के अनुसार भिक्षु लोग वस्त्र धारण कर सकते थे।

वर्धमान महावीर—वज्जिराज्य-संघ के अन्तर्गत ज्ञानक गण में महावीर उत्पन्न हुए थे। ज्ञानक लोगों के प्रमुख राजा का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छवि राजकुमारी थी, और लिच्छवियों के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। ज्ञानक राजा सिद्धार्थ और लिच्छवि कुमारी त्रिशला के तीन सन्तानें हुईं, एक कन्या और दो पुत्र। छोटे लड़के का नाम वर्धमान रखा गया। यही आगे चलकर महावीर बना। बालक का जन्म-नाम वर्धमान था। वीर, महावीर, जिन, अहंत्, भगवत् आदि भी उसके नाम के रूप में जैन-ग्रन्थों में आते हैं, पर ये उसके विशेषण मात्र हैं। वर्धमान का बाल्य-जीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ। वह एक समृद्ध क्षत्रिय सरदार का पुत्र था। वज्जि राज्य-संघ में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था, वहाँ गणतन्त्र शासन प्रचलित था। परन्तु विविध क्षत्रिय घरानों के बड़े-बड़े कुलीन सरदारों का—जो कि ‘राजा’ कहलाते थे—स्वाभाविक रूप से इस गणराज्य में प्रभुत्व था। वर्धमान का पिता सिद्धार्थ भी इन्हीं ‘राजाओं’ में से एक था। वर्धमान को छोटी आयु से ही शिक्षा देनी प्रारम्भ की गई। शीघ्र ही वह सब विद्याओं और शिल्पों में निपुण हो गया। उचित आयु में वर्धमान का विवाह यशोदा नामक कुमारी के साथ किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चलकर जमालि नामक क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्धमान महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक था।

यद्यपि वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुआ, पर उसकी प्रवृत्ति सासारिक जीवन की ओर नहीं थी। वह ‘प्रेय’ मार्ग को छोड़कर ‘श्रेय’ मार्ग की ओर जाना चाहते थे। उन्होंने सासारिक जीवन को त्यागकर भिक्षु बनना निश्चित किया। निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर

दिया। उनके परिवार के लोग पहले से ही पावर्बनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के अनुयायी थे, अतः वर्धमान स्वाभाविक रूप से जैन भिक्षु बने जैन-भिक्षुओं की तरह उन्होंने अपने केशधर्म का परित्याग कर तपस्या करनी आरम्भ कर दी। बारह वर्ष तक धीरे तपस्या के बाद तेरहवें वर्ष में वर्धमान महावीर को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। उन्हें पूर्ण सत्य-ज्ञान की उपलब्धि हुई, और उन्होंने 'केवलिन' पद प्राप्त कर लिया। जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो जाता है, सुख-दुःख के अनुभव से वह ऊपर उठ जाता है, वह अपने को अन्य सब वस्तुओं से पृथक् 'केवलरूप' समझने लगता है, तब यह 'केवलिन' की दशा आती है। वर्धमान महावीर ने इस दशा को पहुँचकर बारह वर्ष के तपस्याकाल में जो सत्य-ज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रचार करना आरम्भ किया। महावीर की ख्याति शीघ्र ही दूर-दूर तक पहुँच गई। अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महावीर ने इस समय जिस सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निर्ग्रन्थ' नाम से कहा जाता है, जिसका अभिप्राय 'बन्धनों से मुक्त' लोगों के सम्प्रदाय से है। महावीर के शिष्य भिक्षु ब मुनि 'निर्ग्रन्थ' या 'निगन्थ' कहलाते थे। इन्हें 'जैन' भी कहा जाता था, क्योंकि ये 'जिन' (वर्धमान को केवलिन-पद प्राप्त करने के पश्चात् वीर, महावीर, जिन, अर्हत् आदि सम्मानसूचक शब्दों से सम्बोधित किया जाता था) के अनुयायी होते थे।

वर्धमान महावीर ने किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन जैन-ग्रन्थों से ज्ञात होती हैं। महावीर का शिष्य गौतम इन्द्रभूति था। जैन-धर्म के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बड़ा महत्व है। आगे चलकर इसने भी 'केवलिन' पद को प्राप्त किया। महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी एक स्थान को केन्द्र बनाकर अपना कार्य नहीं करते थे, अपितु अपनी शिष्य-मंडली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने धर्म-सन्देश को जनता तक पहुँचाने का उद्योग करते थे। स्वाभाविक रूप से सबसे पूर्व उन्होंने अपनी जाति के लोगों—जातुक क्षत्रियों में ही अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। वे शीघ्र ही उनके अनुयायी हो गए। उसके बाद लिच्छवि तथा विदेह-राज्यों में प्रचार कर महावीर ने राजगृह (मगध की राजधानी) की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उस समय प्रसिद्ध सम्राट् श्रेणिक राज्य करता था। जैन-ग्रन्थों के अनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का बड़े समारोह से स्वागत किया।

अपनी आयु के ७२ वें वर्ष में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महावीर राजगृह के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थे। यह स्थान इस समय भी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोखरपुर है, और यह स्थान बिहार शरीफ स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है।

(४) जैनों का धार्मिक साहित्य

जैन लोगों के धार्मिक साहित्य को हम प्रधानतया छः भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) द्वादश अंग, (२) द्वादश उपांग, (३) दस प्रकीर्ण, (४) षट् छेदसूत्र, (५) चार मूल सूत्र, और (६) विविध ।

१. द्वादश अंग—(१) पहला अंग आचारंग सूत्र (आचारंग सूत्र) है । इसमें उन नियमों का वर्णन है, जिन्हें जैन-भिक्षुओं को अनुसरण करना चाहिए । जैन-भिक्षु को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार जीव-रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए—इत्यादि विविध बातों का इसमें विशद रूप से उल्लेख है । अन्य अंग सूत्रकृदंग, स्थानांग, समवायांग, भगवती सूत्र, ज्ञान धर्म कथा, उवासगदसाधो, अन्तकृद्शाः, अनुत्तरोपपातिक दशाः, प्रश्न-व्याकरण, विपाकश्रुतम् और श्छिष्टवाद है ।

२. द्वादश उपांग—प्रत्येक अंग का एक-एक उपांग है । इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) औपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रज्ञप्ति, (७) सूर्यप्रज्ञप्ति, (८) निरयावली, (९) कल्पावतंसिका, (१०) पुणिका, (११) पुष्यचूलिका, और (१२) वृष्णिदशाः ।

३. दस प्रकीर्ण—इनमें जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है । इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) चतुःशरण, (२) संस्तारक, (३) आनुत्प्रत्याख्यानम्, (४) भक्तापरिजा, (५) तन्दुलवैचारिका, (६) चन्द्रवैध्यक (७) गणिविद्या, (८) देवेन्द्रस्तव (९) वीरस्तव, और (१०) महाप्रस्थान ।

४. षट् छेदसूत्र—इन सूत्रों में जैन-भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विविध नियमों का वर्णन कर उन्हें छ्छटातो द्वारा प्रदर्शित किया गया है । छेदसूत्र के नाम निम्नलिखित हैं—(१) व्यवसाय सूत्र, (२) बृहत्कल्प सूत्र, (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, (४) निशीथ सूत्र, (५) महानिशीथ सूत्र, और (६) जितकल्प सूत्र ।

५. चार मूलसूत्र—इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) उत्तराध्ययन सूत्र, (२) दशवैकालिक सूत्र, (३) आवश्यक सूत्र, और (४) भोक्तनिर्युति सूत्र ।

६. विविध—इस वर्ग में बहुत से ग्रन्थ अन्तर्गत हैं, परन्तु उनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नन्दिसूत्र और अनुयोगद्वार हैं । इनमें बहुत प्रकार के विषयों का समावेश है । जैन-भिक्षुओं को जिन भी विषयों का परिज्ञान था, वे प्रायः सभी इनमें आ गए हैं । ये विश्वकोश के ढंग के ग्रन्थ हैं । इन धर्म-ग्रन्थों पर बहुत-सी टीकाएँ भी हैं । सबसे पुरानी टीकाएँ निर्युक्ति कहलाती हैं । इनका समय मद्रबाहु श्रुतिकेवली का कहा जाता है । जैन टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध हरिभद्रस्वामी हुए हैं । इन्होंने बहुत-से धर्म-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं । इनके अतिरिक्त शान्तिसूरी, देवेन्द्रगणी और अभयदेव नाम के टीकाकारों ने भी बड़े महत्त्वपूर्ण भाष्य और टीकाएँ लिखी हैं । इन टीकाओं का भी जैन-धर्म में बहुत महत्त्व है । प्रायः सभी जैन धर्म-ग्रन्थ प्राकृत-भाषा में हैं ।

जैनों के जिस धार्मिक साहित्य का हमने वर्णन किया है, वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय का है । जैनों में दो मुख्य सम्प्रदाय हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन इस धार्मिक साहित्य को नहीं मानते । उनके धार्मिक ग्रन्थ भिन्न हैं ।

(५) जैन-धर्म की शिक्षाएँ

जैन-धर्म के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त के लिए मनुष्य क्या प्रयत्न करे, इसके लिए साधारण गृहस्थों और भिक्षुओं (मुनियों) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, साधारण गृहस्थ (श्रावक) उनका पालन नहीं कर सकेगा। इसीलिए जीवन की इन दोनों स्थितियों में भुमुक्षु के लिए जो भिन्न-भिन्न धर्म हैं, उनका पृथक् रूप से प्रतिपादन करना आवश्यक है।

पांच अणुव्रत—पहले सामान्य गृहस्थ (श्रावक) के धर्म को लीजिए। गृहस्थ के लिए पांच अणुव्रतों का पालन करना आवश्यक है। गृहस्थों के लिए यह सम्भव नहीं, कि वे समस्त पापों का त्याग कर सकें। संसार के कृत्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ-न-कुछ अनुचित कृत्य करने ही पड़ेंगे, अतः उनके लिए अणुव्रतों का विधान किया गया है। अणुव्रत निम्नलिखित हैं—(१) अहिंसाव्रत—जैन-धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है, कि वह अहिंसाव्रत का पालन करे। मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की हिंसा करना अत्यन्त अनुचित है। परन्तु मासारिकमनुष्यों के लिए पूर्ण अहिंसाव्रत धारण कर सकना कठिन है। अतः श्रावकों के लिए 'स्थूल अहिंसा' का विधान किया गया है। 'स्थूल अहिंसा' का अभिप्राय यह है, कि निरपराधियों की हिंसा न की जाए। जैन-धर्मियों के अनुसार अनेक राजा लोग अहिंसाव्रत का पालन करते हुए भी अपराधियों को दंड देते रहे हैं, और अहिंसक जन्तुओं का घात करते रहे हैं, अतः इस व्रत को स्थूल अहिंसा में ही लेना चाहिए। (२) सत्याणुव्रत—मनुष्यों में असत्य भाषण करने की प्रवृत्ति अनेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्भेग इन्से प्रधान कारण है। इन सब प्रवृत्तियों को दबाकर सर्वदा सत्य बोलना सत्याणुव्रत कहाता है। (३) अचौर्याणुव्रत या अस्तेय—किसी भी प्रकार से दूसरों की सम्पत्ति की चोरी न करना, और गिरी हुई, पड़ी हुई, व रक्थी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर उसके स्वामी को दे देना अचौर्याणुव्रत कहाता है। (४) ब्रह्मचर्याणुव्रत—मन, वचन तथा कर्म द्वारा पर-स्त्री का समागम न कर अपनी पत्नी से ही सन्तोष तथा स्त्री के लिए मन, वचन व कर्म द्वारा पर-पुरुष का समागम न कर अपने पति से ही सन्तोष रखना ब्रह्मचर्याणुव्रत कहाता है। (५) परिग्रह-परिमाण-अणुव्रत—आवश्यकता के बिना बहुत-से धन-धान्य को संग्रह न करना 'परिग्रह-परिमाण-अणुव्रत' कहाता है। गृहस्थों के लिए यह ती आवश्यक है, कि वे धन-उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना और धर्म-संग्रह के पीछे भागना पाप है।

तीन गुणव्रत—इन अणुव्रतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिए। पर इनके प्रतिरिक्त समय-समय पर अधिक कठोर व्रतों का ग्रहण करना भी उपयोगी है। सामान्य सासारिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी अधिक कठोर व्रतों की भी दीक्षा लें। ये कठोर व्रत जैन-धर्म-धर्मियों में 'गुणव्रत' के नाम से कहे गये हैं। इनका संक्षिप्त रूप से प्रदर्शन करना उपयोगी है—(१) दिग्वरति—गृहस्थ को चाहिए कि कभी-कभी यह व्रत ले ले, कि मैं इस दिशा में इससे अधिक दूर

नहीं जाऊँगा। (२) अनर्थ दण्ड विरति—मनुष्य बहुत-से ऐसे कार्य करता है, जिनसे उस का कोई सम्बन्ध नहीं होता। ऐसे कार्यों से सर्वथा बचना चाहिए। (३) उपभोग-परिभोग परिमाण—गृहस्थी को यह व्रत ले लेना चाहिए कि मैं परिमाण में इतना भोजन करूँगा, भोजन में इतने से अधिक वस्तुएँ नहीं खाऊँगा, और इससे अधिक भोग नहीं करूँगा इत्यादि।

इन तीन गुणव्रतों के अतिरिक्त चार शिक्षाव्रत हैं, जिनका पालन भी गृहस्थों को करना चाहिए। (१) देशविरति—एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे ध्याये गृहस्थ न जाए, और न अपना कोई व्यवहार करे। (२) सामयिक व्रत—निश्चित समय पर (यह निश्चित समय जैन-धर्म के अनुसार प्रातः, सायं और मध्याह्न, ये तीन संख्याकाल हैं) सब सांसारिक कृत्यों से विरत होकर, सब राग-द्वेष छोड़ साम्य भाव धारणकर शुद्ध आत्म-स्वरूप में लीन होने की क्रिया को सामयिक व्रत कहते हैं। (३) पीषधोपवास-व्रत—प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी के दिन सांसारिक कार्यों का परित्याग कर 'मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पीषधोपवासव्रत' कहते हैं। इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्यागकर धर्मकथा श्रवण में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। (४) अतिथि-संविभाग-व्रत—विद्वान् अतिथियों का और विशेषतया मुनि लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत करना अतिथि-संविभाग-व्रत कहलाता है।

इन गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों का पालन गृहस्थों के लिए बहुत लाभदायक है। वे इनसे अपना जीवन उन्नत कर सकते हैं, और 'मुनि' बनने के लिए उचित तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य 'मुनि' नहीं बन सकता। ससार का व्यवहार चलाने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। अतः जैन-धर्म के अनुसार गृहस्थ-जीवन बिताना कोई बुरी बात नहीं है। पर गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को अपना जीवन इस ढंग से व्यतीत करना चाहिए, कि पाप में लिप्त न हो और मोक्ष माधन में तत्पर रहे।

पांच महाव्रत—जैन मुनियों के लिए आवश्यक है, कि वे पांच महाव्रतों का पूर्णरूप से पालन करें। सर्वसाधारण गृहस्थ लोगों के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे पापों से सर्वथा मुक्त हो सकें। इस कारण उनके लिए अणुव्रतों का विधान किया गया है। पर मुनि लोगों के लिए, जो कि मोक्ष-पद को प्राप्त करने के लिए ही संसार त्यागकर साधना में तत्पर हुए हैं, पापों का सर्वथा परित्याग अनिवार्य है। इसलिए उन्हें निम्नलिखित पांच महाव्रतों का पालन करना चाहिए।

(१) अहिंसा महाव्रत—जैन मुनि के लिए अहिंसाव्रत बहुत महत्व रखता है। किसी भी प्रकार से जानबूझकर या बिना जाने-बूझे प्राणी की हिंसा करना महापाप है। अहिंसाव्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने के लिए निम्नलिखित व्रत उपयोगी माने गये हैं—१. ईर्ष्यासमिति—चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हिंसा न हो जाए। इसके लिए उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिए, जहाँ भली-भाँति अणुव्रत मार्ग बने हुए हों, क्योंकि वहाँ जीव-जन्तुओं के पैर से कुचले जाने की सम्भावना बहुत कम होगी। २. भाषा-समिति—भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा बोलनी

चाहिए। कठोर वाणी से वाचिक हिंसा होती है, और साथ ही इस बात की भी सम्भावना रहती है कि शाब्दिक लड़ाई प्रारम्भ न हो जाए। ३. एषणासमिति—भिक्षा ग्रहण करते हुए मुनि को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन में किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं की गई है, अथवा भोजन में किसी प्रकार के कृमि तो नहीं हैं। ४. आदान-क्षेपणा-समिति—मुनि को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुओं का अपने पास रखना आवश्यक है, उनमें यह निरन्तर देखते रहना चाहिए कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं। ५. व्युत्सर्ग-समिति—पेशाब और मल त्याग करते समय भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर वे ये कार्य कर रहे हैं, वहाँ कोई जीव-जन्तु तो नहीं है।

जैन-मुनि के लिए अहिंसा का व्रत पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रमाद व अज्ञान से तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उसके लिए पाप का कारण बनता है। इसीलिए इस व्रत का पालन करने के लिए इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश दिया गया है।

(२) असत्य-त्याग-महाव्रत—सत्य परन्तु प्रिय भाषण करना 'असत्य-त्याग महाव्रत' कहलाता है। यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कटु हो, तो उसे नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के पालन में पाँच भावनाएँ बहुत उपयोगी हैं—१. अनुविम-भाषी-भली-भाति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिए। २. कोह परिजानाति—जब क्रोध व अहंकार का वेग हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ३. लोभी परिजानाति—सोभ का भाव जब प्रबल हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ४. भयं परिजानाति—डर के कारण असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ५. हासं परिजानाति—हंसी में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए।

सत्य का पालन करने के लिए सम्यक् प्रकार से विचार करके भाषण करना, तथा लोभ, मोह, भय, हास व अहंकार से असत्य भाषण न करना अत्यन्त आवश्यक है।

(३) अस्तेय महाव्रत—किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु अपने को नहीं दी गई है, उसको ग्रहण न करना तथा ग्रहण करने की इच्छा भी न करना अस्तेय महाव्रत कहाता है।

इस महाव्रत का पालन करने के लिए मुनि लोगों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—१. जैन मुनि को किसी घर में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक कि गृहपति की अनुमति अन्दर आने के लिए न ले ली जाए। २. भिक्षा में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करे, जब तक कि गुरु को दिखलाकर उससे अनुमति न ले ली जाए। ३. जब मुनि को किसी घर में निवास करने की आवश्यकता हो, तो पहले गृहपति से अनुमति प्राप्त कर ले और यह निश्चित रूप से पूछ ले कि घर के कितने हिस्से में और कितने समय तक वह रह सकता है। ४. गृहपति की अनुमति के बिना घर में विद्यमान किसी आसन, शय्या व अन्य वस्तु का उपयोग न करे। ५. जब कोई मुनि किसी घर में निवास कर रहा हो, तो दूसरा मुनि भी उस घर में गृहपति की अनुमति के बिना निवास न कर सके।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत—जैन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत का भी महत्त्व है।

अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखना मुनियों के लिए निषिद्ध है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित भावनाओं का विधान किया गया है। १. किसी स्त्री से वार्तालाप न किया जाए। २. किसी स्त्री की तरफ दृष्टि-पात भी न किया जाए। ३. गृहस्थ-जीवन में स्त्री-संसर्ग से जो सुख प्राप्त होता था, उसका मन में भी चिन्तन न किया जाए। ४. अधिक भोजन न किया जाए। मसाले, तिक्त पदार्थ आदि ब्रह्मचर्य-नाशक भोजनों का परित्याग किया जाए। जिस घर में कोई स्त्री रहती हो, वहाँ निवास न किया जाए।

साधुनियों के लिए नियम इनसे सर्वथा विपरीत हैं। किसी पुरुष के साथ बातचीत करना, पुरुष का भ्रमलोकन करना और पुरुष का चिन्तन करना—उनके लिए निषिद्ध है।

(५) अपरिग्रह महाव्रत—किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ अपना सम्बन्ध न रखना तथा सबसे निलिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना 'अपरिग्रह-व्रत' का पालन कहाता है। जैन मुनियों के लिए 'अपरिग्रह-व्रत' का अभिप्राय बहुत विस्तृत तथा गम्भीर है। सम्पत्ति का संचय न करना तो साधारण बात है, पर किसी भी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखना जैन-मुनियों के लिए आवश्यक है। मनुष्य इन्द्रियो द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द का जो अनुभव प्राप्त करता है—उस सबसे विरत हो जाना 'अपरिग्रह-व्रत' के पालने के लिए परमावश्यक है। इस व्रत के सम्यक् प्रकार पालन से मनुष्य अपने जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बनता है। सब विषयों तथा वस्तुओं से निलिप्त तथा विरक्त होकर वह इस जीवन में ही सिद्ध अथवा 'केवली' बन जाता है।

(६) महात्मा बुद्ध

उत्तरी बिहार में एक जनपद था, जिसका नाम शाक्य गण था। इसकी राज-धानी कपिलवस्तु थी। वहाँ के गणराजा का नाम शुद्धोधन था। इन्हीं के घर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समय शारीरिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीरन्दाजी, घुड़सवारी और मल्लविद्या में उसे बहुत प्रवीण बनाया गया। सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़े सुख और ऐश्वर्य से व्यतीत हुआ। सरदी, गरमी और वर्षा इन ऋतुओं में उसके निवास के लिए भलग-भलग महल बने हुए थे। इनमें ऋतु के अनुसार ऐश्वर्य तथा भोग-विलास के सब सामान एकत्र किए गए थे। सिद्धार्थ एक सम्पन्न शाक्य, राजा का पुत्र था। उसके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी शाक्यगण में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कुमारी के साथ किया गया। विवाह के अनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े आनन्द के साथ व्यतीत होने लगा। सुख-ऐश्वर्य की उन्हें कमी ही क्या थी? कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया।

एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का भ्रमलोकन करने के लिए निकले। उस दिन नगर को खूब सजामा गया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा की देखता हुआ चला जा रहा था, कि उसका ध्यान सड़क के एक भोर लेटकर अन्तिम श्वास लेते हुए एक बीमार की ओर गया। सारथि ने पूछने पर बताया कि यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी देर में इसका देहान्त हो जाएगा। ऐसी घटना सभी देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसे क्रमशः साठी टेककर जाता हुआ एक बूढ़ा, श्मशान की ओर जाती हुई एक अरथी और एक शान्तमुखा संन्यासी दिखाई दिए। पहले तीनों श्यों को देखकर सिद्धार्थ का दबा हुआ बैराग्य एकदम प्रबल हो गया। उसे भोग-विलासमय जीवन अत्यन्त तुच्छ और क्षणिक जान पड़ने लगा। संन्यासी को देखकर उसे उमंग आई, कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊँ। उसने संसार का परित्याग कर संन्यास ले लेने का हृदय संकल्प कर लिया।

एक दिन अंधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया। शयनागार से बाहर आकर जब वह सदा के लिए अपने छोटे से परिवार से बिदा होने लगा, तो उसे अपने प्रिय श्वशुर बालक राहुल और प्रियतमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह पुनः अपने शयनागार में प्रविष्ट हुआ। यशोधरा सुख की नींद सो रही थी। राहुल माता की छाती से सटा सो रहा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ इस अनुपम दृश्य को एकटक देखता रहा। उसके हृदय पर दुर्बलता प्रभाव करने लगी। पर अगले ही क्षण अपने हृदय के निर्बल भावों को एक साथ परे ढकेलकर बाहर चला गया। गृह-त्याग के समय उसकी आयु २९ वर्ष की थी।

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में हृष-उषर भटकता रहा। शुरु-शुरु में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरु धारण किया। इन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए खूब तपस्या करवाई। शरीर की सब क्रियाओं को बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। सिद्धार्थ ने घोर तपस्याएँ कीं। शरीर को तरह-तरह से कष्ट दिए। पर इन साधनों से उसे धार्मिक शान्ति नहीं मिली। उसने यह मार्ग छोड़ दिया।

मगध का भ्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उरुवेला पहुँचा। यहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृश्यों ने उनके हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। इस प्रदेश के निस्तब्ध और सुन्दर जंगलों और मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के झरनों को देखकर उसका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उरुवेला के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पाँच अन्य तपस्वियों से भी उसकी भेंट हुई। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास रखते थे। सिद्धार्थ लगातार पचासन लगाकर बैठा रहता था। भोजन तथा जल का उसने सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव-सा हो गया। पर फिर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ। उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा वहीं पर है, जहाँ पहले थी। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे धार्मिक उन्नति के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिये। उसे विश्वास हो गया, कि शरीर को जान-बूझकर कष्ट देने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर फिर से

अन्न ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया। उसके साथी तपस्वियों ने समझा, कि सिद्धार्थ मार्य-ब्रह्म हो गया है, और अपने उद्देश्य से व्युत्त हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और अब सिद्धार्थ फिर प्रकैला ही रह गया। तपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वर्तमान समय में बोधगया है। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। थक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया। इतने दिनों तक वह सत्य को ढूँढने के लिए अनेक मार्गों का ग्रहण कर चुका था। अब उसने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया। सात दिन और सात रात वह एक ही जगह पर ध्यानमग्न वशा में बैठा रहा। अन्त में उसे बोध हुआ। उसे अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा ज्ञान पड़ा। उसकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आविर्भाव हुआ। उसकी साधना सफल हुई। वह अज्ञान से ज्ञान की वशा को प्राप्त हो गया। इस बोध या सत्य ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध' बन गया। बौद्धों की दृष्टि में इस पीपल के वृक्ष का बड़ा महत्त्व है। यही बोधिवृक्ष कहाता है। इसी के कारण समीपवर्ती नगरी गया भी 'बोधगया' कहाती है। इस वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न वशा में जो बोध कुमार सिद्धार्थ को हुआ था, वही 'बौद्ध-धर्म' है। महात्मा बुद्ध उसे धार्यमार्ग तथा मध्यमार्ग कहते थे। इसके बाद सिद्धार्थ अथवा बुद्ध ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी धार्यमार्ग का प्रचार करने में लगा दिया।

महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्यमात्र का कल्याण करना और सब प्राणियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिए बुद्ध होकर वे शान्त होकर नहीं बैठ गए। उन्होंने सब जगह घूम-घूमकर अपना संदेश जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया।

बुद्ध का प्रचार-कार्य—गया से महात्मा बुद्ध काशी की ओर चले। काशी के समीप, जहाँ आजकल सारनाथ है, उन्हें वे पाँचों तपस्वी मिले, जिनसे उनकी उरवेला में भेंट हुई थी। जब इन तपस्वियों ने बुद्ध को दूर से आते देखा, तब उन्होंने सोचा, यह वही सिद्धार्थ है, जिसने अपनी तपस्या बीच में ही भंग कर दी थी। वह अपने प्रयत्न में असफल हो निराश होकर फिर यहाँ आ रहा है। हम उसका स्वागत व सम्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध और समीप आए तो उनके चेहरे पर एक अनुपम ज्योति देखकर वे तपस्वी आश्चर्य में आ गए, और उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर जो सत्यज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सबसे पहले उपदेश इन तपस्वियों को ही दिया गया। ये पाँचों बुद्ध के शिष्य हो गए। बौद्धधर्म में सारनाथ के इस उपदेश का बहुत महत्त्व है। इसी के कारण बौद्ध-संसार में बोध गया के बाद सारनाथ का तीर्थ-स्थान के रूप में सबसे अधिक माहात्म्य है।

सारनाथ से बुद्ध उरवेला गए। यह स्थान उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड में व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था। वहाँ एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर समय अग्निकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा आहुतियाँ देने में व्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से वे उनके अनुयायी हो गए। कश्यप इनका नेता था। आगे चलकर यह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा। कश्यप के बौद्ध

धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की स्थािति दूर-दूर तक फैल गई। उरुवेला से वह अपने शिष्यों के साथ राजगृह गए। उन्होंने नगर के बाहर एक उपवन में डेरा लगाया। उन दिनों मगध के राजसिंहासन पर श्रेणिय विम्बिसार विराजमान थे। उन्होंने बहुत-से अनुचरों के साथ बुद्ध के दर्शन किए, और उनके उपदेशों का श्रवण किया। राजगृह में बुद्ध को दो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए, जो प्रागे चलकर बौद्ध धर्म के बड़े स्तम्भ साबित हुए। इनके नाम सारिपुत्त और मोग्गलान थे। ये दोनों प्रतिभाशाली ब्राह्मण कुमार एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे, और सदा एक साथ रहते थे। एक बार जब वे मार्ग के समीप बैठे हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बौद्ध-भिक्षु भिक्षापात्र हाथ में लिए वहाँ से गुजरा। इन ब्राह्मण कुमारों की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी चाल, वस्त्र, मुखमुद्रा और शान्त तथा बेराग्यपूर्ण श्रुति से ये दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। जब वह बौद्ध-भिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहा था, तो ये उसके साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए गए। इनको देखते ही बुद्ध समझ गए, कि ये दोनों ब्राह्मण कुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुनकर सारिपुत्त और मोग्गलान भी भिक्षु-वर्ग में सम्मिलित हो गए। बाद में ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए, और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया।

जब मगध के बहुत-से कुलीन लोग बड़ी संख्या में भिक्षु बनने लगे, तो जनता में असन्तोष बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया—यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, रिश्वतों को विधवाओं के सन्ध बनाने और कुलों का विनाश करने के लिए आया है, इससे बचो। बुद्ध के शिष्यों ने जाकर उनसे कहा, कि आजकल मगध की जनता इस भाव के गीत बनाकर गा रही है—सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, और पहाड़ की चोटी पर डेरा डाले बैठा है। उसने संजय के सब शिष्यों को अपना चेला बना लिया है। आज न जाने वह किसे अपने पीछे लगाएगा। इसपर बुद्ध ने उत्तर दिया—इस बात से खबरामो नही। यह असन्तोष अशुभिक है। जब तुमसे लोग पूछें, कि बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगाएगा, तो तुम यह उत्तर दिया करो—वीर और विवेकशाली पुरुष उसके अनुयायी बनेंगे। वह तो सत्य के बल पर ही अपने अनुयायी बनाता है।

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध था। वे कई बार मगध गए, और सर्वत्र धूम-धूमकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। विम्बिसार और अजातशत्रु उनके समकालीन थे। इन मगध सम्राटों के हृदय में बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी। बुद्ध अपने बहुत-से शिष्यों को साथ लेकर भ्रमण किया करते थे। उनकी मण्डली में कई सौ भिक्षु एक साथ रहते थे। वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपवन में डेरा डाल देते। लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए आते, और उपदेश श्रवण करते। नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित किया करते थे। भोजन के अनन्तर बुद्ध अपने यजमान को उपदेश भी देते थे।

मगध के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध काशी, कोशल और वज्जि जनपदों में गए। अश्वत्थि जैसी दूरवर्ती जनपदों के लोगों ने उन्हें अनेक बार आमन्त्रित किया, पर इच्छा

होते हुए भी वे स्वयं वहाँ नहीं जा सके। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों की टोली को वहाँ भेज दिया था, और भवन्ति की जनता ने बड़े प्रेम और उत्साह से उनका स्वागत किया था। भिक्षुओं को इस प्रकार की टोलियाँ अग्यत्र भी बहुत-से स्थानों पर आर्य-मार्ग का प्रचार करने के लिए भेजी गई थीं। इन प्रचारक-भण्डलों का ही यह परिणाम हुआ, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया था।

महापरिनिर्वाण—महात्मा बुद्ध ने चालीस वर्ष के लगभग आर्यमार्ग का प्रचार किया। जब वे अस्ती वर्ष की आयु के थे, तो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिए एक लम्बी यात्रा प्रारम्भ की। इस यात्रा में वैशाली के समीप वेणुवन में उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। कुछ दिन वहाँ विश्राम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। पर वे बहुत निर्बल हो चुके थे। वैशाली से कुशीनगर जाते हुए वे फिर बीमार पड़े। बीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे, और हिरण्यवती नदी के तट पर अपना डेरा डाला। यहाँ उनकी दशा और बिगड़ गई। बुद्ध की बीमारी की खबर कुशीनगर में वायुवेग से फैल गई। नगर के कुलीन मल्ल (कुशीनगर मल्लगण की स्थिति थी। क्षत्रिय बड़े-बड़े भण्ड बनाकर हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध के अन्तिम दर्शन के लिए आने लगे।

महात्मा बुद्ध की अन्तिम दशा की कल्पना कर भिक्षु लोग बहुत चिन्तित हुए। उन्हें उदास देखकर बुद्ध ने कहा—तुम सोचते होगे, तुम्हारा आचार्य तुम से जुदा हो रहा है। पर ऐसा मत सोचो। जो सिद्धान्त और नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिनका मैंने प्रचार किया, वही तुम्हारे आचार्य रहेंगे और वे सदा जीवित रहेंगे। फिर उन्होंने सब भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा—‘पुत्रो ! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो भ्राता है, वह जाता भी अवश्य है। बिना रुके प्रयत्न किये जाओ।’ महात्मा बुद्ध के ये ही अन्तिम शब्द थे। इसके बाद उनका देह प्राण-शून्य हो गया। कुशीनगर के समीप उस स्थान पर जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, अब भी उनकी एक विशाल मूर्ति विद्यमान है।

(७) बुद्ध की शिक्षाएँ

बुद्ध सच्चे धर्मों में सुधारक थे। प्राचीन आर्य-धर्म में जो बहुत-सी खराबियाँ आ गई थीं, उन्हें दूर कर उन्होंने सच्चे आर्य-धर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। अपने मन्तव्यों और सिद्धान्तों के विषय में उन्होंने बार-बार कहा है—‘एष धम्मो सनातनो’, यही सनातन धर्म है। वे यह दावा नहीं करते थे, कि वे किसी नये धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। उनका बही कथन था, कि मैं सनातन काल से चले आ रहे धर्म का ही स्थापन कर रहा हूँ।

मध्य-मार्ग—बुद्ध ने अपने धर्म को मध्य-मार्ग कहा है। वे उपदेश करते थे—भिक्षुओ ! इन दो चरम कोटियों (अतियों) का सेवन नहीं करना चाहिए, भोग-विलास में लिप्त रहना और शरीर को व्यर्थ कष्ट देना। इन दो अतियों का त्याग कर मैंने

मध्यमार्ग निकाला है, जो कि अश्लेष्म देने वाला, ज्ञान कराने वाला और शान्ति प्रदान करने वाला है।

अष्टांगिक आर्य-मार्ग—इस मध्य-मार्ग के आठ आर्य (श्रेष्ठ) अंग थे—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्म, (५) सम्यक् आजीविका, (६) सम्यक् प्रयत्न, (७) सम्यक् विचार, और (८) सम्यक् ध्यान या समाधि। अत्यन्त भोग-विलास और अत्यन्त तप—दोनों को हेय मानकर बुद्ध ने जिस मध्यमार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का उपदेश किया था, ये आठ बातें ही उसके अन्तर्गत थीं। संयम और सदाचारमय जीवन ही इस धर्म का सार है।

चार आर्य सत्य—बुद्ध के अनुसार चार आर्य-सत्य हैं—(१) दुःख, (२) दुःख-समुदाय या दुःख का हेतु, (३) दुःख निरोध और (४) दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा अर्थात् दुःख को दूर करने का मार्ग। दुःख सत्य की व्याख्या करते हुए बुद्ध ने कहा—जन्म भी दुःख है, बुढ़ापा भी दुःख है, मरण-शोक-रुदन और मन की खिन्नता भी दुःख है। अप्रिय से संयोग और प्रिय से वियोग भी दुःख है। दुःख के रूप को इस प्रकार स्पष्ट कर बुद्ध ने प्रतिपादित किया, कि दुःख का समुदाय या हेतु तृष्णा है। इन्द्रियों के जितने प्रिय विषय हैं, उनके साथ सम्पर्क तृष्णा को उत्पन्न करता है। राजा राजाओं से लड़ते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपति से, पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, भाई भाई से जो लड़ते हैं, उसका कारण यह तृष्णा ही है। इस तृष्णा का त्याग कर देने से, इसका विनाश कर देने से दुःख का निरोध होता है। जब तृष्णा छूट जाती है, तभी दुःख का निरोध सम्भव है। इस दुःख-निरोध का उपाय अष्टांगिक आर्य-मार्ग ही है। इसी मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य अपने जीवन की साधना इस ढंग से कर सकता है, कि वह तृष्णा से मुक्त होकर दुःखों से बच सके।

मनुष्यमात्र की समानता—महात्मा बुद्ध समाज में ऊँच-नीच के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में कोई मनुष्य नीच व अछूत नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रेष्ठी, शूद्र, वैश्या, नीच समझी जाने वाली जातियों के मनुष्य—सब एक समान स्थान रखते थे। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, कि वासस्य और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण बुद्ध के पास आये, और उनसे पूछा—हम दोनों में इस प्रश्न पर विवाद हो गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—हे वासस्य ! मनुष्यों में जो गौर्व चरता है, उसे हम चरवाहा कहेंगे ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य कला-सम्बन्धी बातों से अपनी आजीविका चलाता है, उसे हम कलाजीवी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी दूसरों की नौकरी करता है, वह अनुचर कहलायेगा, ब्राह्मण नहीं। जो चोरी करता है, वह चोर कहलायेगा, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी शस्त्र धारण करके अपना निर्वाह करता है, उसे हम सैनिक कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। किसी विशेष माता के पेट से जन्म होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहूंगा। वह व्यक्ति जिसका किसी भी वस्तु पर ममत्त्व नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा। जिसने अपने सब बन्धन काट दिये हैं, अपने को सब लगावों से पृथक् करके भी जो विचलित नहीं होता, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा। जो भी क्रोधरहित है,

अच्छे काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, और न कोई ब्राह्मण के घर जन्म न लेने से अब्राह्मण होता है, अपने कर्मों से ही एक धादमी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा अब्राह्मण। अपने काम से ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है, और कोई सेवक है।

अहिंसा और यज्ञ—महात्मा बुद्ध पशुहिंसा के घोर विरोधी थे। अहिंसा उनके सिद्धान्तों में प्रमुख थी। वे न केवल यज्ञों में पशुबलि के विरोधी थे, पर जीवों को मारना व किसी प्रकार से कष्ट देना भी वे अनुचित समझते थे। उस समय भारत में यज्ञों का कर्मकाण्ड बड़ा जटिल रूप धारण कर चुका था। लोगों का विश्वास था, कि यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर के ज्ञान के लिए, मोक्ष की साधना के लिए और अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। पर महात्मा बुद्ध का यज्ञों में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा है—वासत्थ ! एक उदाहरण लो। कल्पना करो, कि यह अचिरावती नदी किनारे तक भरकर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य धाता है, और वह किसी भावश्यकता कार्य से इस पार आना चाहता है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खड़ा हुआ यह प्रार्थना करना आरम्भ करे, कि ओ दूसरे किनारे इस पार आ जाओ। क्या उसके इस प्रकार स्तुति करने से यह किनारा उसके पास चला जायेगा ? हे वासत्थ ! ठीक इसी प्रकार एक त्रयी विद्या में निष्णात ब्राह्मण यदि उन गुणों को क्रियान्वित नहीं करता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, अब्राह्मणों का आचरण करता है, पर मुख से प्रार्थना करता है—मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं बरुण को बुलाता हूँ, मैं प्रजापति, ब्रह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्या ये उसके पास चले आएँगे ? क्या इनकी प्रार्थना से कोई लाभ होगा ?

अभिप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ और यज्ञों के अनुष्ठानों को सर्वथा निरर्थक समझते थे। उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर नहीं होगी, काम, क्रोध, मोह आदि पर विजय नहीं की जायगी, तब तक यज्ञों के अनुष्ठानमात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

निर्वाण—बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाण पद को प्राप्त करना है। निर्वाण किसी पृथक् लोक का नाम नहीं है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है जिसे मनुष्य मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण उस अवस्था का नाम है जिसमें ज्ञान द्वारा अविद्या-रूपी अन्वकार दूर हो जाता है। यह अवस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबोध के अनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की यह दशा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक स्थान पर बुद्ध ने कहा है—जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की प्रवृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, वे उस अच्युत निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक और सन्ताप का नाम भी नहीं होता।

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म और जटिल दार्शनिक विचारों को अधिक स्थान नहीं दिया। इन विवादों की उन्होंने उपेक्षा की। जीव का क्या स्वरूप

है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, या किसी अन्य सत्ता से, अनादि तत्त्व कितने और कौन-से है, सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर है या नहीं—इस प्रकार के दार्शनिक विवादों से वे सदा बचे रहे। उनका विचार था, कि जीवन की पवित्रता और आत्मकल्याण के लिए इन सब प्रश्नों पर विचार करना विशेष लाभकारी नहीं है। पर मनुष्यों में इन प्रश्नों के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है, कि प्रागे चलकर बौद्धों में बहुत-से दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पर बुद्ध के उपदेशों व सम्वादों से इन दार्शनिक तत्त्वों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया।

(८) बौद्ध संघ

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की। जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्म-प्रचार और मनुष्य-मात्र की सेवा में ही अपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे भिक्षुव्रत लेकर संघ में सम्मिलित होते थे।

महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में हुआ था। अपनी आयु के २६ वर्ष उन्होंने गणों के वातावरण में ही व्यतीत किये थे। वे गणों व संघों की कार्य-प्रणाली से भली-भाँति परिचित थे। यही कारण है कि जब उन्होंने अपने तवीन धार्मिक सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षु संघ नाम दिया। अपने धार्मिक संघ की स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने समय के संघराज्यों का अनुकरण किया और उन्हीं के नियमों तथा कार्यविधि को अपनाया। सब जगह भिक्षुओं के अलग-अलग संघ थे। प्रत्येक स्थान का संघ अपने-आपमें एक पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। भिक्षु लोग संघसभा में एकत्र होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे। वज्जिसंघ को जिस प्रकार के सात अपरिहार्य धर्मों का महात्मा बुद्ध ने उपदेश किया था, वैसे ही सात अपरिहार्य धर्म बौद्धसंघ के लिए भी उपदिष्ट किये गए थे—

- (१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभाएँ करते रहना।
 - (२) एक ही बैठक करना, एक ही उत्थान करना, और एक ही संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना।
 - (३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना। जो संघ में विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करना। जो भिक्षुओं के पुराने नियम चले आ रहे हैं, उनका सदा पालन करना।
 - (४) जो अपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिदप्रव्रजित, संघ के पिता, संघ के नायक स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना उन्हें बड़ा मानकर उनका पूजन करना, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझना।
 - (५) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में नहीं आना।
 - (६) वन की कुटियों में निवास करना।
 - (७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही संघ में सम्मिलित हों, और सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहें।
- संघ-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्रित होते थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के लिए

आसन नियत होते थे। आसनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक् कर्मचारी होता था, जिसे आसनप्रज्ञापक कहते थे। संघ में जिस विषय पर विचार होना होता था, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन बार दोहराया जाता था, उसपर बहस होती थी, निर्णय के लिए मत (वोट) लिए जाते थे। संघ के लिए कोरम का भी नियम था। संघ की बैठक के लिए कम से कम बीस भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी। यदि कोई निर्णय पूरे कोरम के अभाव में किया गया हो, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था।

प्रत्येक भिक्षु के लिए यह आवश्यक था, कि वह संघ के सब नियमों का पालन करे, संघ के प्रति भक्ति रखे। इसलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञाएँ लेनी होती थीं, उनके अनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आने का वचन लेना होता था। संघ में शामिल हुए भिक्षु कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्य-मात्र के कल्याण के लिए और सब प्राणियों के हित के लिए ही भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। यह कार्य सम्पादित करने के लिए भिक्षुओं से वैयक्तिक जीवन की पवित्रता और त्याग की भावना की पूरी आशा रखी जाती थी।

बौद्ध-धर्म के अपूर्व संगठन ने बुद्ध के आर्यमार्ग के सर्वत्र प्रचारित होने में बड़ी सहायता दी। जिस समय मगध के साम्राज्यवाद ने प्राचीन संघराज्यों का अन्त कर दिया, तब भी बौद्ध के संघों के रूप में भारत की प्राचीन जनतन्त्र-प्रणाली जीवित रही। राजनीतिक शक्ति यदि मगध-सम्राटों के हाथ में थी, तो धार्मिक और सामाजिक शक्ति संघों में निहित थी। संघों में एकत्र होकर हजारों-लाखों भिक्षु लोग पुरातन गण-प्रणाली से उन विषयों का निर्णय किया करते थे, जिनका मनुष्यों के दैनिक जीवन से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। बौद्ध संघ की इस विशेष स्थिति का यह परिणाम हुआ, कि भारत में समानान्तर रूप से दो प्रबल शक्तियाँ कायम रही, एक मगध साम्राज्य और दूसरा चातुरन्त संघ। एक समय ऐसा भी आया, जब इन दोनों शक्तियों में परस्पर संघर्ष का भी सूत्रपात हो गया।

(६) आजीवक सम्प्रदाय

भारतीय इतिहास में वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक सुधारणा का काल था। इस समय में अनेक नवीन धार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। इनके बौद्ध और जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो अन्य सम्प्रदाय इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगों को नहीं है। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय आजीवक था। इसका प्रवर्तक मक्सलिपुत्त गोसाल था। आजीवकों के कोई अपने ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते। उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी परिचय मिलता है, वह बौद्ध और जैन साहित्य पर ही आश्रित है। मक्सलिपुत्त गोसाल छोटी आया में ही भिक्षु हो गया था। शीघ्र ही वर्धमान महावीर से उसका परिचय हुआ, जो 'केवलिन' पद पाकर अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में संलग्न थे। महावीर और गोसाल साथ-साथ रहने लगे। पर इन दोनों की तबियत, स्वभाव, आचार-विचार और चरित्र एक-दूसरे से इतने भिन्न थे, कि छः साल बाद

उनका साथ छूट गया, और गोसाल ने महावीर से अलग होकर अपने पृथक् सम्प्रदाय की स्थापना की, जो धामे चलकर आजीवक नाम से विख्यात हुआ। गोसाल ने अपने कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बनाया। श्रावस्ती के बाहर एक कुम्भकार स्त्री का प्रतिथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे-धीरे बहुत-से लोग उसके अनुयायी हो गए।

आजीवक सम्प्रदाय के मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उसका आधार उसका विरोधी साहित्य ही है। पर उसके कुछ मन्तव्यों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं। “जो नहीं होता है, वह नहीं होगा। जो होता है, वह कोसिधा के बिना भी हो जाएगा। अगर भाग्य न हो, तो भाई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियति के बल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ, अवश्य होकर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना भी यत्न करे, पर जो होनहार है, उसे वह बदल नहीं सकता।” इसीलिए आजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान् मानते थे। आजीवकों के अनुसार वस्तुओं में जो विकार व परिवर्तन होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। संसार में कोई कार्य-कारण भाव काम कर रहा हो, सो बात नहीं है। पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब नियत है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके, यह सम्भव नहीं।

वर्धमान महावीर के साथ गोसाल का जिन बातों पर मतभेद हुआ, उनमें मुख्य निम्नलिखित थी—(१) शीतल जल का उपयोग करना (२) अपने लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अन्न व भोजन को ग्रहण करना, और (३) स्त्रियों के साथ सहवास करना। मक्सलिपुत्र गोसाल की प्रवृत्ति भोग की ओर अधिक थी। वह आराम से जीवन व्यतीत करने के पक्ष में था। महावीर का घोर तपस्यामय जीवन उसे पसन्द नहीं था। यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध ने भी एक स्थल पर आजीवकों को ऐसे सम्प्रदायों में गिना है, जो ब्रह्मचर्य को महत्त्व नहीं देते।

पर आजीवक भिक्खु का जीवन बड़ा सादा होता था। वे प्रायः हथेली पर रखकर भोजन किया करते थे। मांस, मछली और मदिरा का सेवन उनके लिए वर्जित था। वे दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते थे।

आजीवक सम्प्रदाय का भी पर्याप्त विस्तार हुआ। सम्राट् अशोक के शिलालेखों में उल्लेख आता है, कि उसने अनेक गुहा निवास आजीवकों को प्रदान किए थे। अशोक के पौत्र सम्राट् दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुहाएँ आजीवकों के निवास के लिए दान में दी थी, और इस दान को सूचित करने वाले शिलालेख अब तक उपलब्ध होते हैं। अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने के लिए जो ‘धर्ममहामात्र’ नियत किए थे, उन्हें जिन अनेक सम्प्रदायों पर दृष्टि रखने का आदेश दिया गया था, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण और निर्ग्रन्थ (जैन) सम्प्रदायों के साथ आजीवकों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे-धीरे आजीवकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, और यह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई अनुयायी शेष नहीं हैं।

(१०) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव

वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत को इस धार्मिक सुधारणा ने जनता के हृदय और दैनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों को छोड़कर किसी नए धर्म की दीक्षा ले ली, यह नहीं हुआ। पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था जो कर्मकाण्ड, विधि-विधान और विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्थ जनता सांसारिक धर्मों में संलग्न थी। वह कृषि, शिल्प, व्यापार आदि द्वारा धन उपार्जन करती थी और ब्राह्मणों द्वारा बताए धर्म-मार्ग पर चलकर इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। अब ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों, मुनियों और भिक्षुओं ने ले लिया। इन श्रमणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—सभी वर्णों और जातियों के लोग सम्मिलित थे। अपने गुणों के कारण ही समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी। धर्म का नेतृत्व ब्राह्मण जाति के हाथ से निकलकर अब ऐसे लोगों के समुदायों के हाथ में आ गया था, जो घर-गृहस्थी को छोड़कर मनुष्य-मात्र की सेवा का व्रत ग्रहण करते थे। निःसन्देह, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति थी।

भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ सदा से अपने कुलक्रमानुगत धर्म का पालन करते रहे हैं। प्रत्येक कुल के अपने देवता, रीति-रिवाज और अपनी परम्पराएँ थी, जिनका अनुसरण सब लोग मर्यादा के अनुसार करते थे। ब्राह्मणों का वे धावर करते थे, उनका उपदेश सुनते थे, और उनके बताए कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करते थे। ब्राह्मण एक ऐसी श्रेणी थी, जो सांसारिक धर्मों से पृथक् रहकर धर्म-कार्यों में संलग्न रहती थी। पर समय की गति से इस समय बहुत से ब्राह्मण त्याग, तपस्या, और निरीह जीवन का त्याग कर चुके थे। अब उनके मुकाबिले में श्रमणों की जो नई श्रेणी संपठित हो गई थी, वह त्याग और तपस्या से जीवन व्यतीत करती थी, और मनुष्य-मात्र का कल्याण करने में रत रहती थी। जनता ने ब्राह्मणों की जगह अब इनको धावर देना और इनके उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया। बौद्ध-धर्म के प्रचार का यही अभिप्राय है। जनता ने पुराने धर्म का सर्वथा परित्याग कर कोई सर्वथा नया धर्म अपना लिया हो, सो बात भारत के इतिहास में नहीं हुई।

बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायी, महापद्मनन्द और चन्द्रगुप्त मौर्य—जैसे मागध सम्राट जैन-मुनियों, बौद्ध-भिक्षुओं और ब्राह्मणों का समान रूप से धावर करते थे। जैन-साहित्य के अनुसार ये जैन थे, उन्होंने जैन मुनियों का धावर किया और उन्हें बहुत-सा दान दिया। बौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार ये बौद्ध थे, भिक्षुओं का ये बहुत धावर करते थे, और इनकी सहायता पाकर बौद्ध-संघ ने बड़ी उन्नति की थी। बौद्ध और जैन साहित्य इन सम्राटों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओं से भरे पड़े हैं, और इन सम्राटों का उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध-धर्म का धावर किया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। पौराणिक साहित्य में इनका अनेक ब्राह्मणों के सम्पर्क में उल्लेख किया गया है। वास्तविक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया

हो, यह बात नहीं थी। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ये ब्राह्मणों, श्रमणों और मुनियों का समान रूप से आदर करते थे। क्योंकि इस काल में भिक्षु लोग अधिक संगठित और क्रियाशील थे, इसलिए उनका महत्त्व अधिक था। जो वृत्ति राजाओं की थी, वही जनता की भी थी।

इस धार्मिक सुधारणा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि भारत में यज्ञों के कर्मकाण्ड का जोर कम हो गया। यज्ञों के बन्द होने के साथ-साथ पशुबलि की प्रथा कम होने लगी। यज्ञों द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति की आकांक्षा के निर्बल हो जाने से राजा और गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिक्षुओं द्वारा बताये गए मार्ग का अनुसरण करने लगे, और उनमें जो अधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों और श्रमणों का सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हुए।

बौद्ध और जैन-सम्प्रदायों से भारत में एक नई धार्मिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिणाम में विद्यमान थे। परिणाम यह हुआ, कि मगध के साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी बल पकड़ने लगा। इसीलिए आगे चलकर भारतीय धर्म व संस्कृति का न केवल भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों में, अपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुआ।

(११) बौद्ध साहित्य

जिस प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में तीन संहिताएँ हैं, वैसे ही बौद्ध-साहित्य में तीन पिटक (त्रिपिटक) हैं। ये त्रिपिटक निम्नलिखित हैं—(१) विनय पिटक, (२) सुत्तपिटक और (३) अब्धम्म पिटक। इन तीन पिटकों के अन्तर्गत जो बहुते-से ग्रन्थ हैं, उन पर संक्षेप में प्रकाश डालना उपयोगी है।

विनय पिटक—इस पिटक में आचार-सम्बन्धी वे नियम प्रतिपादित हैं, जिनका पालन प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए आवश्यक है। विनय पिटक के तीन भाग हैं—(१) सुत्त विभंग, (२) खन्धक, और (३) परिवार। सुत्तविभंग दो भागों में विभक्त है, भिक्षुविभंग और भिक्षुनीविभंग। इनमें वे नियम विषय रूप से प्रतिपादित हैं, जिनका पालन प्रत्येक भिक्षु और भिक्षुनी को आवश्यक रूप से करना चाहिए। खन्धक में दो ग्रन्थ अन्तर्गत हैं—महावग्ग और चुल्लवग्ग। इन ग्रन्थों में भिक्षुसंघ के साथ सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। संघ में प्रवेश किस प्रकार हो, विविध समयों पर कौन-कौन से व्रत रखे जाएँ, चातुर्मास किस प्रकार व्यतीत किया जाए, भिक्षु लोग कैसे कपड़े पहनें, भोजन के लिए किन नियमों का अनुसरण करें, किस प्रकार की शैया प्रयुक्त करें, संघ में किसी प्रश्न के निर्णय करने का क्या ढंग हो, इस प्रकार की सब बातों का महावग्ग और चुल्लवग्ग में प्रतिपादन है। इन ग्रन्थों की प्रतिपादन शैली कथात्मक है। भगवान् बुद्ध जब उस अवसर पर और उस स्थान पर थे, तब एक समस्या उत्पन्न हुई, और तब उन्होंने यह नियम बनाया—इस ढंग से भिक्षुओं के लिए उपयुक्त नियमों व धर्मों का उपदेश किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से

विनय-पिटक के ये अंश बहुत महत्त्व के हैं। विनय पिटक का सार 'परिवार' है और उसमें प्रश्नोत्तर के रूप से बौद्ध-भिक्षुओं के नियम व कर्तव्य दिये गए हैं।

सुत्त-पिटक—इस पिटक के अन्तर्गत पाँच निकाय हैं—(१) दीघनिकाय, (२) मज्झिमनिकाय, (३) अंगुत्तरनिकाय, (४) संयुक्तनिकाय, और (५) खुट्टकनिकाय। दीघनिकाय के तीन खण्ड हैं, और उसमें कुल मिलाकर ३४ दीर्घाकार सुत्त या सूक्त हैं। इनमें सबसे अधिक महापरिनिम्बानसुत्त है। दीघनिकाय के प्रत्येक सुत्त में महात्मा बुद्ध के संवाद सकलित हैं। मज्झिमनिकाय में कुल मिलाकर मध्य आकार के १२५ सुत्त हैं। ये सुत्त दीघनिकाय के सुत्तों की अपेक्षा छोटे आकार के हैं, यद्यपि इनके प्रतिपाद्य विषय प्रायः वे ही हैं, जो दीघनिकाय के सुत्तों के हैं। अंगुत्तरनिकाय की कुल सुत्तों की संख्या २३०० है, जिन्हें ११ खण्डों में विभक्त किया गया है। संयुक्त निकाय में ५६ सुत्त हैं, जिन्हें पाँच (वर्गों) वर्गों में बाँटा गया है। एक विषय के साथ सम्बन्ध रखने वाले सुत्त एक वर्ग (वर्ग) में एकत्र करके रखे गये हैं। खुट्टक निकाय के अन्तर्गत १५ विविध पुस्तकें हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं—खुट्टक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, मुत्तनिपात, विमानवत्थु, धेरगाथा, धेरीगाथा, जातक, निहेस, पहिसमिदा, अपदान, उद्धवंस, और चरियापिटक। खुट्टक निकाय नाम से ऐसा सूचित है, कि इसके अन्तर्गत सुत्त छोटे आकार के हैं, पर वस्तुतः इस निकाय की सब पुस्तकें अपने-आपमें स्वतन्त्र व पृथक् ग्रन्थों के समान हैं, जिनमें धम्मपद और मुत्तनिपात सबसे प्रसिद्ध हैं। बौद्ध-साहित्य में धम्मपद का प्रायः वही स्थान है, जो कि हिन्दू-साहित्य में गीता का है। ऐतिहासिक दृष्टि से जातक-ग्रन्थ विशेष रूप से उपयोगी है। इनमें ५५० के लगभग कथाएँ दी गई हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाओं के रूप में लिखा गया है। बौद्ध-धर्म के अनुसार निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सत्कर्मों का निरन्तर अनुष्ठान करें, निरन्तर सदाचरण करें। भगवान् बुद्ध को भी बुद्ध-पद प्राप्त करने से पूर्व बहुत-सी योनियों में से गुजरना पड़ा था। इन योनियों में रहते हुए उन्होंने निरन्तर सत्कर्म किये थे, इसीलिए अन्त में उन्हें बुद्ध-पद प्राप्त हो सका था। जातको में गौतम-बुद्ध के इन्हीं पूर्वजन्मों की कथाएँ सकलित हैं।

अभिधम्म पिटक—इस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन और अध्यात्म-चिन्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सात ग्रन्थ हैं—(१) धम्म संगिनि (२) विमग, (३) धातु कथा, (४) पुल पञ्जति, (५) कथावत्थु, (६) यमक और (७) पट्ठान। इस पिटक के प्रतिपाद्य विषय सुत्तपिटक के विषयों से बहुत भिन्न नहीं हैं, पर इनमें उनका विवेचन गम्भीर दार्शनिक पद्धति से किया गया है।

संस्कृत त्रिपिटक—बौद्ध-धर्म के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया है, वह पालि भाषा में है। बौद्ध-धर्म के अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें धेरवाद बहुत महत्त्वपूर्ण है। लंका और बरमा में इस धेरवाद का ही प्रचार है, और इस सम्प्रदाय का त्रिपिटक पालि भाषा में विद्यमान है। पर बौद्ध-धर्म के अन्य अनेक 'सम्प्रदायों' (यथा महायान, सर्वास्तिवाद आदि) का त्रिपिटक पालि भाषा में न होकर संस्कृत भाषा में है। खेद है कि संस्कृत का त्रिपिटक अविकल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं है।

प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास

(१) मागध-साम्राज्य का विकास

भारत की संस्कृति का इतिहास लिखते हुए उसके राजनीतिक इतिहास का भी संक्षेप के साथ निदेश करना उपयोगी होगा। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के इतिहास का जो काल-विभाग किया जाता है, वह इस देश के राजनीतिक इतिहास पर ही आश्रित है। इस इतिहास के पाठक भारत के इतिहास की रूपरेखा से अवश्य ही परिचित होंगे, पर तो भी यह आवश्यक है, कि हम अत्यन्त संक्षिप्त रूप से इस विषय में भी कुछ परिचय दे दें। /

वैदिक युग के राज्य—भारत में जिन आर्यों ने प्रवेश कर अपने विविध राज्यों की स्थापना की थी, वे विविध जनो (कबीलों या ट्राइब) में विभक्त थे। इस देश के मूल निवासियों को जीतकर उन्होंने अपनी बहुत-सी बस्तियाँ बसाईं। जब विविध 'जन' किसी प्रदेश पर स्थिर रूप से बस गये, तो उसे वे 'जनपद' (जन का प्रदेश) कहने लगे। आर्यों के प्रारम्भिक राज्य इसी ढंग के जनपद थे। कोशल, पंचाल आदि आर्यों के विविध जनो के ही नाम थे, और इन्ही के नाम से इनसे आबाद प्रदेश भी कोशल, पंचाल आदि कहाये। इन जनपदों में जिन विविध राजवंशों का शासन था, उनके राजाओं के सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ पौराणिक अनुश्रुति और रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में विद्यमान हैं। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से हमें इसी युग की संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय मिलता है।

बौद्ध-काल के सोलह महाजनपद—आर्यों के विविध जनपद जहाँ आर्यभिन्न जातियों को जीतकर अपनी अधीनता में लाने में तत्पर थे, वहाँ साथ ही वे आपस में भी संघर्ष करते रहते थे। प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी आर्य-राजा का यह प्रयत्न रहता था, कि वह अन्य जनपदों को जीतकर चक्रवर्ती-पद को प्राप्त करे। इस उद्देश्य से अनेक प्राचीन राजाओं ने अश्वमेध-यज्ञ किये, और अन्य जनपदों से अपनी अधीनता स्वीकृत कराई।

छठी सदी ई० पू० तक भारत के बहुत-से प्राचीन राज्य अपनी स्वतन्त्रता खो चुके थे, और इस देश में सोलह महाजनपदों का विकास हो गया था। बौद्ध-साहित्य में इन सोलह महाजनपदों का बार-बार उल्लेख आता है। इनके नाम निम्नलिखित थे—अंग, मगध, काशी, कोशल, वृजि, मल्ल, वेदि, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अशमक, अवन्ति, गान्धार और कम्बोज। इन सोलह महाजनपदों में वृजि, मल्ल और शूरसेन में गणतन्त्र-शासनों की सत्ता थी, और अन्य में राजतन्त्र शासनों की। इनके

अतिरिक्त अन्य भी अनेक जनपद बौद्ध-युग में विद्यमान थे, यद्यपि उनका महत्त्व इन सोलह महाजनपदों की अपेक्षा बहुत कम था ।

मगध का साम्राज्यवाद—भारत के प्राचीन राज्यों में मगध के सम्राट् बहुत शक्तिशाली थे । प्रारम्भ से ही उनका यह प्रयत्न रहा था, कि अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करें । महाभारत के समय में मगधराज जरासन्ध ने बहुत-से राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया हुआ था । उसने शूरसेन जनपद के अन्धक-वृष्णि गण पर अनेक बार आक्रमण किये, और उसी के आक्रमणों से दुःखी होकर अन्धक-वृष्णि लोग सुदूर द्वारिका में जा बसे । बौद्ध-युग में मगध के राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु बड़े प्रतापी थे, और उन्होंने उत्तरी बिहार के विविध गणराज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । शिशुनाक-वंश के मागध-राजाओं के शासन-काल में मगध की शक्ति का बहुत उत्कर्ष हुआ । बाद में महापद्मनन्द ने उत्तरी भारत के बड़े भाग को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की । पुराणों में उसे 'सर्वक्षत्रान्तकृत्' (सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला), एकच्छत्र और एकराट् कहा गया है । पौराणिक अनुभूति के अनुसार उसने ऐकवाकव, पांचाल, कौरव्य, हैहय आदि अनेक प्राचीन राजवंशों और मैथिल व शूरसेन जनपदों को जीतकर अपने अधीन किया था । उसका राज्य पूर्व में बगाल की खाड़ी से शुरू होकर पश्चिम में गंगा तक विस्तृत था । हिमालय और विन्ध्याचल के मध्यवर्ती आर्यावर्त पर उसका एकच्छत्र शासन विद्यमान था ।

मौर्य वंश—जिस समय यवनराज सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में प्रधान राजशक्ति मगध की ही थी । उसका राजा उस समय चननन्द था, जो महापद्मनन्द का ही वंशज था । गंगा के पूर्व के प्रदेश में इस काल में मगध का एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका था, पर पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत में अनेक छोटे-बड़े राज्य अभी विद्यमान थे, जो प्रायः आपस में संघर्ष करते रहते थे । बाहीक (पंजाब) देश के अनेक राज्यों में इस समय गणतन्त्र-शासन था । सिकन्दर ने इस क्षेत्र के विविध राज्यों को जीत लिया, पर मगध की शक्ति का सामना करने का साहस उसकी यवन-सेनाओं को नहीं हुआ ।

सिकन्दर के भारत से वापस लौट जाने के बाद आचार्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में बाहीक देश में विद्रोह हुआ, और सिकन्दर द्वारा नियुक्त क्षत्रप उसका दमन कर सकने में असमर्थ रहे । चन्द्रगुप्त मौर्य ने न केवल पंजाब को यवनों की अधीनता से स्वतन्त्र किया, अपितु उसके विविध राज्यों को एक सूत्र में संगठित कर मगध से नन्द वंश के शासन का भी अन्त कर दिया । चननन्द के बाद चन्द्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आरोहण हुआ, और उसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत को मागध-साम्राज्य में सम्मिलित किया । सिकन्दर के साम्राज्य के एशियन प्रदेशों के स्वामी सैल्युकस ने जब उत्तर-पश्चिमी भारत और पंजाब को जीतने के लिए आक्रमण किया, तो चन्द्रगुप्त मौर्य से बहू पराजित हो गया । सन्धि के परिणामस्वरूप हिन्दूकुश पर्वत के पश्चिम के भी कुछ प्रदेश मौर्य-शासन में आ गये, और इस प्रकार भारत में एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी उत्तरी-पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश

पर्वत से भी परे तक थी। चन्द्रगुप्त मौर्य ३२३ ई० पू० के लगभग मगध का स्वामी बना था, और उसने २६८ ई० पू० तक राज्य किया।

चन्द्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिन्दुसार (२६८-२७२ ई० पू०) था। उसने दक्षिणी भारत में भी मौर्य-वंश के शासन का विस्तार किया।

अशोक—बिन्दुसार के पुत्र अशोक ने कलिंग की विजय कर मौर्य-साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। पर इस युद्ध में उसने यह अनुभव किया, कि शस्त्रों द्वारा जो विजय की जाती है, उससे लाखों नर-नारियों की व्यर्थ में हत्या होती है। उसने शस्त्र-विजय का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को अपनाया, और विविध देशों में धर्म-विजय की स्थापना के लिए प्रक्रम किया। न केवल सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल और सातियपुत्र राज्यों में, अपितु पश्चिम के यवन राज्यों में भी अशोक ने अपने बहुत-से महामात्र इस उद्देश्य से नियत किये, कि वे वहाँ बिकित्सालय खुलवाकर, सड़कें, कुएँ व धर्मशालाएँ बनवा कर और अन्य विविध प्रकार के लोकोपकारी कार्य करके जनता के हृदय को जीतने का प्रयत्न करें।

जिस समय अशोक धर्म-विजय की नीति का प्रयोग कर अन्य देशों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न कर रहा था, अशोक के गृह मीदगलि-पुत्र तिष्य के नेतृत्व में बौद्ध-धर्म के प्रचार का महान् आयोजन किया गया। अशोक और तिष्य के प्रयत्नों से भारत के धर्म और संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ, और भारत वस्तुतः एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ, जिसका विस्तार धर्म द्वारा किया गया था।

अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी उसकी नीति का अनुसरण किया। शस्त्रबल की उपेक्षा करने के कारण मौर्य-राजा अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे। शीघ्र ही भारत पर विदेशी आक्रान्ताओं ने आक्रमण प्रारम्भ कर दिये, और महापद्मनन्द व चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे प्रतापी राजाओं द्वारा स्थापित साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मगध-साम्राज्य के विकास के इस युग का बहुत अधिक महत्त्व है। इस युग की सम्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री का अभाव नहीं है। बौद्ध और जैन साहित्य, कोटलीय अर्थशास्त्र, मँगमथनीज का यात्रा-विवरण, अशोक के शिला-लेख आदि कितने ही ऐसे साधन हैं, जिनमें हम इस युग के सांस्कृतिक जीवन के विषय में महत्त्वपूर्ण बातें जान सकते हैं।

(२) विदेशी आक्रमणों का युग

कलिंग और सातवाहन राज्य—अशोक के बाद मौर्य-वंश की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई, और विशाल मगध-साम्राज्य की एकता कायम नहीं रह सकी। २१० ई० पू० के लगभग दो राज्य मौर्य-सम्राटों की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये। चैत्रराज नामक प्रतापी व्यक्ति ने कलिंग में अपना स्वतन्त्र राज्य कायम किया, और सीमुक ने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर सातवाहन-राज्य की नींव डाली। मौर्य-वंश के पतन-काल में कलिंग और सातवाहन-राज्य मगध के मुख्य प्रतिस्पर्धी बन गये।

१८५ ई० पू० के लगभग मगध से भी मौर्य-वंश का अन्त हो गया, और अन्तिम मौर्य-राजा बृहद्रथ को मारकर सेनानी पुष्यमित्र ने शुंगवंश का प्रारम्भ किया। पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में एक बार फिर मगध में शक्ति का संचार हुआ, पर शुंग-वंश के शासन-काल में मागध-साम्राज्य का पुराना गौरव अविकल रूप से पुनः स्थापित नहीं हो सका।

यवन आक्रमण—चन्द्रगुप्त मौर्य ने यवन-आक्रान्ता सैल्युकस को परास्त किया था। पर उसके वंशज एण्टिगोनस ने २०० ई० पू० के लगभग फिर भारत पर आक्रमण किया। इस समय तक मौर्य-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी, अतः मागध सेनाएँ यवनो को परास्त करने में असमर्थ रही। सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य की अधीनता से जो अनेक देश स्वतन्त्र हुए थे, उनमें बैक्ट्रिया भी एक था। बैक्ट्रिया के यवन-राजा डेमेट्रियस (दिमित्र) ने भी भारत पर आक्रमण किया। यवनो के ये आक्रमण बहुत समय तक भारत पर होते रहे। एक बार तो यवन लोग मथुरा और साकेत (अयोध्या) की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक भी चले आये। सिकन्दर और सैल्युकस भारत में अपना शासन स्थापित करने में असमर्थ रहे थे, पर उनके उत्तराधिकारी यवन राजा उत्तर-पश्चिमी भारत में अपने अनेक राज्य स्थापित करने में सफल हुए, और दूसरी सदी ई० पू० में उत्तर-पश्चिमी भारत और पश्चिमी पंजाब यवनो की अधीनता में आ गये।

शकों का आक्रमण—मध्य-एशिया में सीर नदी की घाटी में शक-जाति का निवास था। इस जाति ने दक्षिण की ओर आक्रमण करके बैक्ट्रिया के यवन राज्य को जीत लिया, और इसकी एक शाखा ने पार्थिया (यह राज्य ईरान में था) के पूर्व से होकर हुए सीन्तान के मार्ग से सिन्ध पर आक्रमण किया। सिन्ध की नदी के तट पर मीन नगर को राजधानी बनाकर इन्होंने भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया, और मथुरा, गांधार व उज्जैन में विविध शक क्षत्रप-वंश शासन करने लगे। ये शक क्षत्रप मीन नगर के शक महाराजा की अधीनता स्वीकार करते थे, यद्यपि इनकी स्थिति स्वतन्त्र राजाओं के सदृश थी। शक-आक्रान्ता सिन्धु, दक्षिणपथ और उत्तर-पश्चिमी भारत को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए।

पार्थियन आक्रमण—यवनों और शकों के समान पार्थियन (पल्हव) लोगो ने भी इस युग में भारत पर आक्रमण किया, और पहली सदी ई० पू० के मध्य-भाग में पश्चिमी गान्धार में अपना एक पृथक् राज्य कायम कर लिया।

कुशाण आक्रमण—तिब्बत के उत्तर में तकलामकान मरुस्थल के सीमान्त पर युइशि जाति का निवास था। इसी के आक्रमणों के कारण शक जाति अपने अभिजन को छोड़कर बैक्ट्रिया और पार्थिया की ओर और आगे बढ़ने के लिए विवश हुई थी। युइशि लोग शकों को सीर की घाटी से धकेल कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने बैक्ट्रिया पर भी आक्रमण किया और उसे जीतकर मध्य एशिया के क्षेत्र में अपने अनेक राज्य कायम किये। कुजुल कुषाण नामक वीर राजा ने इन सब युइशि राज्यों को मिलाकर एक किया, और फिर हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत पर आक्रमण किया। कुजुल कुषाण के बाद राजा विम और कनिष्क ने युइशि या कुशाण-साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया, और कनिष्क (७८ से १०० ई० के लगभग) के समय में कुशाण-

साम्राज्य उन्नति की श्रम सीमा को प्राप्त कर गया। भारत में कनिष्क ने पंजाब और उत्तर प्रदेश को जीतकर मगध पर भी आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उत्तरी भारत के प्रायः सब प्रदेश उसकी अधीनता में थे। उत्तर-पश्चिम में कनिष्क के साम्राज्य की सीमा चीन तक थी, और प्रायः सम्पूर्ण मध्यएशिया उसके अधीन था। कनिष्क ने पुष्पपुर (पेशावर) की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया, और भारत के विविध प्रदेशों का शासन करने के लिए अनेक क्षत्रपों की नियुक्ति की।

विदेशी आक्रान्ताओं की पराजय—यवन, शक पार्थियन और कुशाण लोग भारत के अनेक प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित करने में समर्थ भवश्य हुए थे, पर इस देश की अनेक राजनीतिक शक्तियाँ उनके साथ निरन्तर संघर्ष करती रहीं, और अन्त में उन्हें परास्त कर एक बार फिर विशाल मागध-साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुईं। कलिचराज खारवेल ने उन यवन-आक्रान्ताओं को उत्तरापथ से निकाल दिया था, जो कि मयुरा और साकेत की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुँच गये थे। पुष्यमित्र शुंग के समय में उसके पौत्र वसुमित्र ने सिन्धु नदी के तट पर यवनों को परास्त किया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में मुनि पतंजलि के पौरोहित्य में सम्राट् पुष्यमित्र ने अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान किया था। शक-आक्रान्ताओं की शक्ति को नष्ट करने का प्रधान श्रेय सातवाहन-वंश के प्रतापी राजाओं और मालव आदि गणराज्यों को है। सातवाहन-वंश के राजा गौतमीपुत्र मातर्कणि (लगभग १०० ई० पू० में ४४ ई० पू० तक) ने दक्षिणपथ, सोराष्ट्र और गुजरात के शक महाक्षत्रियों का उन्मूलन कर 'शकारि' और 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की। मागध-साम्राज्य की निर्बलता और विदेशी आक्रमणों की परिस्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब और राजपूताना में अनेक गणराज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये थे। इनमें से अन्यतम गण मालव-राज्य ने शकों की पराजय में बहुत कर्तृत्व प्रदर्शित किया, और अपने गण की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर नये सवत् को (५७ ई० पू० से) प्रारम्भ किया, जो विक्रम सवत् के रूप में अब तक प्रचलित है।

पार्थियन लोगों का शासन केन्द्र पश्चिमी गान्धार में था, अतः उसका विनाश कुशाण आक्रान्ताओं द्वारा हुआ। भारत में कुशाणों का साम्राज्य एक सदी के लगभग (प्रथम सदी ई० पू० के मध्य से दूसरी सदी ई० पू० के मध्य तक) कायम रहा। पर क्षीण ही भारत की राजशक्तियों ने उसके विरुद्ध भी संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। नाग भारशिव वंश के प्रतापी राजाओं ने उन्हें परास्त कर दस अश्वमेध-यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिनकी स्मृति काशी के दशाश्वमेध घाट के रूप में अब तक भी सुरक्षित है। सातवाहन-वंश के राजा भी कुशाणों के विरुद्ध संघर्ष में निरन्तर तत्पर रहे। कुशाणों की शक्ति का अन्त करने में योधेय, कुनिन्द, भार्जुनायन, मालव, शिवि आदि गणराज्यों ने भी बहुत कर्तृत्व प्रदर्शित किया। इन विविध भारतीय राजशक्तियों के मुकाबले में कुशाणों का साम्राज्य नहीं टिक सका, और दूसरी सदी में उसका अन्त हो गया।

विदेशियों का भारतीय संस्कृति को अपनाना—तीसरी सदी ई० पू० के उत्तरार्ध में भारत पर विदेशियों के आक्रमण प्रारम्भ हुए थे। चार सदी से कुछ अधिक

समय तक भारत के बहुत से प्रदेशों पर यवन, गक, पाथियन व कुशाण लोगों का शासन रहा। पर भारत के सम्पर्क में आकर इन विदेशी जातियों ने इस देश के धर्म, भाषा, सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया था। इन्होंने बौद्ध, वैष्णव, शैव आदि भारतीय धर्मों की दीक्षा ले प्राकृत व संस्कृत-भाषा का प्रयोग आरम्भ कर दिया था, और भारत में आकर वे पूर्णरूप से भारतीय संस्कृति के रंग में रँग गये थे। उनके सिक्के व शिलालेख इस बात को मलीभाति सूचित करते हैं। बहुत-से विदेशी लोगो ने तो इस समय अपने नाम भी भारतीय ही रखने शुरू कर दिये थे।

(३) गुप्त साम्राज्य

नाग भारद्वाजवंशी राजाओं ने कुशाणों को परास्त कर भारतीय राजशक्ति के उद्धार का जो प्रयत्न आरम्भ किया था, वह गुप्त सम्राटों के समय में चरम सीमा को पहुँच गया था। श्रीगुप्त नामक प्रतापी राजा द्वारा स्थापित इस राजवंश ने चौथी सदी ईस्वी में बहुत उन्नति की, और चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में गुप्तों का यह साम्राज्य सम्पूर्ण उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। दक्षिणी भारत के विविध राजा भी गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते थे, और कर्णाट आदि देकर उन्हें सन्तुष्ट रखते थे। गुप्त-वंश के उत्कर्ष के कारण मागध साम्राज्य एक बार फिर उस गौरवपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गया था, जिसमें कि वह मौर्यवंशी चन्द्रगुप्त और अशोक के समय में था।

समुद्रगुप्त—गुप्त-वंश के गौरव की स्थापना का प्रघात थैय सम्राट समुद्रगुप्त (लगभग ३३५ में ३७५ ईस्वी तक) को है। उसने दिग्विजय कर अद्वैतमेघ-यज्ञ किया। उसकी दिग्विजय का वृत्तान्त प्रयाग के किले में विद्यमान अशोक के प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति गुप्त-वंश की कीर्ति का अनुपम स्मारक है। कुशाणों के साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरी भारत में बहुत-से स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये थे, जिनमें अनेक गणराज्य भी थे। समुद्रगुप्त ने इन सबको अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। दक्षिण की विजय करते हुए उसने मुद्गर चोलमडल तक को अपने अधीन किया। दक्षिण भारत में जो राजा समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकृत करते थे, उसमें कांची (काजीवरम्) के राजा विष्णुगुप्त, पिप्पपुर (पीठापुरम्) के राजा महेंद्र और बेन्गी के राजा हस्तिवर्मन् के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन विजयों के कारण दक्षिणी भारत के प्रायः सभी राजा गुप्त-सम्राट समुद्रगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार करने लग गये थे। कामरूप (असम), नेपाल, कर्णपुर (कुमाऊँ और गढ़वाल) और समतल (दक्षिण-पूर्वी बंगाल) के राज्य गुप्त-साम्राज्य के सीमान्तवर्ती थे और उनके राजाओं की स्थिति समुद्रगुप्त के सामान्तों के सदृश थी। कुशाणों का शासन यद्यपि उत्तरी भारत से नाट हो गया था, पर भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने में इस युग में भी उनका आधिपत्य विद्यमान था। पर कुशाण-वंश के ये "देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि" राजा भी समुद्रगुप्त को मेट-उपहार आदि द्वारा सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, और उसके शासन (राजाज्ञा) को सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। यही स्थिति सिंहल (लंका) के राजवंश की थी।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य—समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५ से ४१४ ई० तक) गुप्त-साम्राज्य का अधिपति बना। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुछ समय के लिए उसके बड़े भाई रामगुप्त ने भी शासन किया था, और उसकी निर्बलता से लाभ उठाकर शक-कुशाण लोग एक बार फिर प्रबल हो गये थे। अपने भाई के सेवक (बन्धुमृत्य) के रूप में चन्द्रगुप्त ने शकों को परास्त किया और गुप्त-वंश के गौरव की प्रतिष्ठा की। बाद में वह स्वयं पाटलिपुत्र के राज-सिंहासन पर आरोहण हुआ। शकों को परास्त करने के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय भी 'शकारि' और विक्रमादित्य कहा जाता था। यह प्रतापी सम्राट केवल शकों के आक्रमणों को विफल करके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उसने उत्तर-पश्चिम की मातो नदियों (यमुना, सतलज, व्यास, रावी, चनाब, जेहलम और सिन्धु) को पारकर बाल्हीक (बलख) देश पर भी आक्रमण किया, और उसे परास्त कर बंधु नदी के तट पर गुप्त वंश की विजयपताका स्थापित की। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के प्रताप के कारण शक और कुशाण लोगों की शक्ति निर्मूल हो गई थी, और प्रायः सम्पूर्ण भारत एक शासनसूत्र में संगठित हो गया था। चन्द्रगुप्त की कीर्ति दिल्ली के समीप महरोली में एक विशाल लौहस्तम्भ पर उत्कीर्ण है, जिसे उसने भगवान् विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए 'विष्णुध्वज' के रूप में स्थापित कराया था। इस राजा के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान भारत की यात्रा के लिए आया था। उसके यात्रा-विवरण से इस युग के भारतीय समाज, सभ्यता व संस्कृति का अच्छा परिचय मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा में बहुत-से विद्वानों और कवियों ने आश्रय प्राप्त किया हुआ था, जिनमें धन्वन्तरि, कालिदास, अमरसिंह, घटकर्पूर आदि नवरत्न प्रमुख थे।

स्कन्दगुप्त—चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त (४१४-४५५) सम्राट बना। उसके शासन-काल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति अक्षुण्ण रूप में कायम रही। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त (४५५-४६७) के समय में हूणों के आक्रमण भारत पर प्रारम्भ हो गये। हूण लोग शुरू में चीन के उत्तरी प्रदेशों में निवास करते थे। इन्हीं के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए चीनी सम्राट् शी-हुआंग ती (२४६-२९० ई० पू०) ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। उत्तर की ओर से चीन के सभ्य प्रदेशों पर आक्रमण करने में असमर्थ होकर हूण लोग पश्चिम की ओर बढ़े, और युडगि जाति को उनके प्रदेश से निकाल कर बाहर किया। हूण लोग असभ्य और बर्बर थे। इन्हीं के आक्रमणों के कारण सुदूर-पश्चिम में रोमन साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था। दक्षिण-पूर्व में इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर भी आक्रमण किये, और स्कन्दगुप्त ने इनके साथ युद्ध करने में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। यद्यपि स्कन्दगुप्त अपने जीवन काल में हूणों की बाढ़ को रोक सकने में समर्थ हुआ, पर उसके उत्तराधिकारी इस बर्बर जाति का सामना नहीं कर सके। हूणों के निरन्तर आक्रमणों से गुप्त-साम्राज्य की जड़ें हिल गईं, और न केवल उत्तर-पश्चिमी भारत गुप्त-वंश की अधीनता से निकल गया, अपितु भारत के विविध प्रदेशों में अनेक स्वतन्त्र व पृथक् राज्य भी कायम हो गये। इन राज्यों के अनेक प्रतापी राजाओं ने हूणों का मुकाबला करने में अनुपम वीरता प्रदर्शित की। इस सम्बन्ध में राजा यशोधर्मा का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय

है। उसने हूणों को परास्त कर उनके राजा मिहिरगुल को अपनी चरणपूजा के लिए विवश किया। यशोधर्मा छठी सदी ईस्वी के मध्य भाग में हुआ था।

यद्यपि भारत के अनेक वीर राजा हूणों का मुकाबला करने में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित कर रहे थे, पर छठी सदी ईस्वी में भारत में कोई ऐसी राजशक्ति नहीं रह गयी थी, जो इस देश की राजनीतिक एकता को कायम रख सकती। विविध प्रदेशों में विविध राजवंशों का शासन स्थापित हो गया था, और प्रतापी गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था। गुप्त वंश के निर्बल राजा आठवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक मगध व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर शासन करते रहे, पर अब उनकी स्थिति सम्राटों की न होकर स्थानीय राजाओं के सहाय रह गई थी। समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के समय के गुप्त साम्राज्य का अब अन्त हो चुका था।

गुप्त सम्राटों के शासन काल को भारतीय इतिहास का मुवर्णीय युग कहा गया है। निःसन्देह, यह काल सभ्यता, सस्कृति और कला के क्षेत्र में उत्कर्ष का युग था। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि सभी दृष्टियों से यह युग अत्यन्त महत्व का था। पुण्यमित्र गुग के समय में ही भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास और सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान प्रारम्भ हो गया था। प्रायः सभी गुप्त-सम्राट् (कुछ अपवादों को छोड़कर) भागवत वैष्णव-धर्म के अनुयायी थे। उनके शासन-काल में न केवल भारत में अपितु पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में भी भागवत वैष्णव तथा शैव धर्मों का प्रसार हुआ और बहुत से साहसी भारतीयों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। धर्म-प्रचारकों और उपनिवेश बसाने वालों के प्रयत्न से उस 'बृहत्तर भारत' का निर्माण हुआ, जो भारत के प्राचीन इतिहास में बड़े गौरव की बात है। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से गुप्त युग का महत्व बहुत अधिक है।

(४) मध्य युग

स्कन्दगुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया था, और विविध प्रदेशों में अनेक राजवंशों ने अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करनी शुरू कर दी थी। छठी-सदी के इन राज्यों में दो बहुत महत्वपूर्ण थे—कन्नौज के मौखरी और स्थाण्वीद्वर (थानेसर) के वर्धन। कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेसर के राजा प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ था। गुप्त-वंश के अन्त्यतम राजा के साथ युद्ध करते हुए ग्रहवर्मा की मृत्यु हो गयी, और प्रभाकरवर्धन का पुत्र हर्षवर्धन थानेसर और कन्नौज दोनों का स्वामी बन गया। राजा हर्षवर्धन का भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। वह बौद्ध-धर्म का संरक्षक था, और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएनत्सांग जसी के शासन काल में भारत की यात्रा के लिए आया था। इस चीनी विद्वान् के यात्रा विवरण से हर्षकालीन भारत की सभ्यता और सस्कृति के विषय में बहुत-कुछ परिचय प्राप्त होता है। हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का संरक्षक था, अपितु अन्य धर्मों के प्रति भी आदर का भाव रखता था। उसने अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए अनेक युद्ध भी किये। उसका शासन-काल सातवीं सदी के पूर्वार्ध में था।

हर्ष के बाद भारत के प्राचीन इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, जो उत्तरी भारत के बड़े भाग को अपनी अधीनता में ला सकने में सफल हुआ हो। वस्तुतः, इस युग में (सातवीं सदी के मध्य से बारहवीं सदी के अन्त तक) भारत के विविध प्रदेशों में विविध राजवंशों का शासन रहा, उनके राजा परस्पर युद्ध में व्यापृत रहे और अन्य राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करते रहे। इसी युग को भारतीय इतिहास का मध्य युग भी कहा जाता है। इस युग में जिन विविध राजवंशों का शासन था, उनमें पाल, सेन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, परमार, यादव, काकतीय, कदम्ब, होयसल, गंग, पल्लव, चोल और पाण्ड्य मुख्य हैं। इन राजवंशों के शासन-वृत्तान्त का यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग अव्यवस्था का था। किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय राजशक्ति के अभाव में इन विविध राजवंशों के राजा आपस में युद्ध करने और अपने शासन-क्षेत्र की वृद्धि करने में तत्पर रहते थे।

मध्ययुग में भी भारत में अनेक ऐसे प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्यों को विस्तृत करने में अच्छी सफलता प्राप्त की। इनमें पालवर्गी राजा देवपाल (८०६-८५५), गुर्जर-प्रतिहार वंश के राजा मिर्होर भोज (८३६-८८०) और पद्मराज वंश के राजा मुञ्ज (९७४) विशेष महत्त्व के हैं। यद्यपि इन वंशों के राजाओं ने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ की, पर ये उस ढंग के स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके, जैसे की प्राचीन काल में चन्द्रगुप्त मौर्य और गुप्तवंशी समुद्रगुप्त ने किये थे। दक्षिणापथ के मध्यकालीन राजाओं में चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय (हर्षवर्धन का समकालीन), राष्ट्रकूट वंश का गोविन्द तृतीय (७६४-८१४) और कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर आहवमल्ल (१०४७-१०६८) बड़े प्रतापी हुए, और ये प्रायः सम्पूर्ण दक्षिणापथ को अपनी अधीनता में ला सकने में समर्थ हुए। सुदूर दक्षिण के मध्यकालीन राजाओं में राजगज प्रथम (९८५-१०१२) और राजेन्द्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया, और समुद्र पार के प्रदेशों में भी अपने शासन की स्थापना की। पर ये सब शक्तिशाली राजा भारत में एक स्थायी व विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके।

पर सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग कम महत्त्व का नहीं है। गुप्तवंश के शासन-काल में साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्रों में जो उन्नति प्रारम्भ हुई थी, वह इस युग में जारी रही, और शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट व रामानुज जैसे धर्माचार्य और भवभूति व बाणभट्ट जैसे साहित्यिक इसी युग में हुए। विविध राजवंशों के प्रतापी राजाओं के संरक्षण में अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण इस युग की विशेषता है।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास को लिखते हुए हम राजनीतिक इतिहास के इसी युग-विभाग का स्थूल-रूप में अनुसरण करेंगे।

दसवाँ अध्याय

बौद्ध युग की सभ्यता और संस्कृति

(१) गणराज्य और उनकी शासनविधि

बौद्ध युग के शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्यों का विस्तार करते हुए जिन बहुत-से जनपदों को विजय किया था, उनमें अनेक ऐसे भी थे जिनका शासन गणतन्त्र था। इन गणराज्यों के तीन प्रमुख क्षेत्र थे—(१) उत्तरी बिहार, जहाँ वज्जि, शाक्य, मल्ल आदि जनपद विद्यमान थे। (२) गंगा-यमुना का क्षेत्र, जहाँ सत्त्वत, अन्धक, वृष्णि, कुरु, पंचाल आदि गणों की सत्ता थी। (३) पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत, जिसमें सिन्धि, मालव, क्षुद्रक, कठ, मगध, यौधेय, मद्र आदि गण स्थित थे। चौथी मदी ईस्वी पूर्व में भारत के ये विविध गणराज्य अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता से हाथ धो चुके थे और मागध साम्राज्य की अधीनता में आ गए थे। पर उससे पूर्व बौद्ध युग में इनकी पृथक्-व स्वतन्त्र सत्ता थी। कुरु, पंचाल, विदेह आदि अनेक राज्यों में उत्तर-वैदिक काल तक वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन था, पर बौद्ध युग में वहाँ गणतन्त्र शासन स्थापित हो गए थे। इन गणराज्यों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं हो सके हैं, पर उनकी शासन-पद्धति, कार्यविधि आदि के विषय में बौद्ध साहित्य, ग्रीक विवरणों, कौटलीय अर्थशास्त्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी से बहुत-कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

कपिलवस्तु के शाक्यगण में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था। गण के मुख्य (राष्ट्रपति) को ही वहाँ 'राजा' कहा जाता था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य गण के वंशक्रमानुगत राजा नहीं थे, अपितु कुछ समय के लिए ही 'राजा' निर्वाचित किए गए थे। यही कारण है, कि बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर उनके नाम के साथ 'राजा' विशेषण का प्रयोग किया गया है, पर अन्यत्र उनके जीवन काल में ही उनके भतीजे भद्रिय को 'राजा' कहा गया है और उन्हें केवल 'शाक्य शुद्धोदन' लिखा गया है। शाक्य गण के समान लिच्छवि गण में भी कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था, पर वहाँ प्रत्येक नागरिक को 'राजा' कहते थे। बौद्ध-ग्रन्थ ललितविस्तार के अनुसार वैशाली (लिच्छवि गण की राजधानी) के निवासियों में उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येष्ठ आदि के भेद का विचार नहीं किया जाता। वहाँ सब कोई यही समझते हैं कि 'मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ।' कोई किसी से छोटा होना स्वीकार नहीं करता। इन गणराज्यों में शासन कार्य के लिए परिषद् होती थी, जिसके अधिवेशन सन्ध्यागार (सभाभवन) में हुआ करते थे। शाक्य गण की परिषद् के सदस्यों की संख्या बौद्ध ग्रन्थों में ५०० लिखी गई है। शासन-विषयक सब महत्वपूर्ण विषय परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे,

और वही उनका निर्णय करती थी। लिच्छवि गण की परिषद् के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। एकपण जातक के अनुसार वैशाली में राज्य करने वाले 'राजाओं' की संख्या ७७०७ थी, और इतने ही उपराजा, सेनापति तथा भाण्डागारिक भी वहाँ थे। बौद्ध साहित्य के अन्य भी ग्रन्थों में लिच्छवियों के ७७०७ राजाओं, उप-राजाओं आदि का उल्लेख है। सम्भवतः, गणराज्यों की इन परिषदों का निर्माण उन कुलों के मुखियाओं (कुलमुख्यों) द्वारा होता था, जो गण के भ्रंगभूत थे। परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी। प्रत्येक कुल का ज्येष्ठ पुरुष, जिसके लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में 'गोत्रापत्य' सजा का प्रयोग किया गया है, परिषद् का सदस्य माना जाता था।

गणराज्यों की न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश बौद्ध साहित्य से प्राप्त होते हैं। लिच्छविगण में यह व्यवस्था थी कि अभियुक्त को पहले 'विनिश्चय-महामात्र' के सम्मुख उपस्थित किया जाए। वह अपराध की जाँच करता था, और निरपराधी पाने पर अभियुक्त को छोड़ देता था। विनिश्चय-महामात्र द्वारा अभियुक्त के अपराधी पाए जाने पर उसे 'व्यावहारिक' के सम्मुख पेश किया जाता था। वह उसे छोड़ तो सकता था, पर दण्ड नहीं दे सकता था। यदि व्यावहारिक भी अभियुक्त को अपराधी पाए, तो उसे 'सूत्रधर' के सम्मुख पेश किया जाता था। यदि वह भी उसे अपराधी पाए, तो उसे क्रमशः अट्टकुलक, सेनापति, उपराजा और राजा के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। पर राजा को भी स्वयं दण्ड देने का अधिकार नहीं था। यदि वह भी अभियुक्त को अपराधी पाए, तो उसे 'पवेणिपोत्यक' संज्ञक राजपदाधिकारी के सम्मुख पेश किया जाता था, जिसे दण्ड देने का अधिकार था। इस प्रकार अपराधी को छूट सकने के अवसर तो बहुत थे, पर उसे दण्ड तभी मिल सकता था, जब उसका अपराध भली-भाँति सिद्ध हो जाए।

ग्रीक विवरणों के अनुसार क्षुद्रक, मालव आदि जनपदों में उन ढग के शासन विद्यमान थे, जिन्हें ग्रीस में लोकतन्त्र (डेमोक्रेटिक) कहते थे। डायोडोरस ने लिखा है, कि बहुत-सी पीढियाँ बीत गई थी, जबकि इनमें राजाओं की सत्ता का अन्त होकर लोकतन्त्र शासन स्थापित हो गए थे। ग्रीक विवरणों में कतिपय जनपदों के शासन को श्रेणितन्त्र (अरिस्टोक्रेटिक) भी लिखा गया है। इस युग में ग्रीस में बहुत-से जनपद थे, जिनमें प्रायः लोकतन्त्र और कुलतन्त्र शासनों की सत्ता थी। एथन्स सश्ल लोकतन्त्र गणराज्य की राजसभा में सब बयस्क नागरिक सम्मिलित हुआ करते थे, और उन द्वारा किए जाने वाले निर्णयों का आधार बहुमत होता था। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सभाएँ उस काल में नहीं होती थीं। ग्रीक लेखक अपने देश की विविध शासन पद्धतियों से भली-भाँति परिचित थे। लोकतन्त्र और श्रेणितन्त्र के भेद को वे भली-भाँति जानते थे। अतः क्षुद्रक और मालव आदि जिन राज्यों के शासन को उन्होंने लोकतन्त्र रहा है, उनमें प्रायः वही शासन पद्धति थी, जो एथन्स सश्ल ग्रीक गणराज्यों में थी। श्रेणितन्त्र गणराज्यों में शासन शक्ति कुलमुख्यों के हाथों में रहती थी, सब नागरिकों के नहीं।

कौटलीय अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गणराज्यों व संघों का उल्लेख है—राज-शाब्दोपजीवी और वार्ताशस्त्रोपजीवी। लिच्छविगण राजशाब्दोपजीवी राज्यों का उत्तम उदाहरण है। वहाँ सब नागरिक राजा कहाते थे, और कोई भी अपने को किसी अन्य से हीन नहीं समझता था। वार्ताशस्त्रोपजीवी गणों के नागरिक जहाँ कृषि, पशुपालन और वणिज्या द्वारा अपना निर्वाह करते थे, वहाँ साथ ही उत्कृष्ट सैनिक भी होते थे। पाश्चात्य जगत् में फिनीशिया इमी प्रकार का गणराज्य था, और भारत में यमुना के पश्चिम में विद्यमान आप्रेय, योधेय, क्षत्रिय, श्रेणि आदि इमी प्रकार के गण थे। इन्हीं को पाणिनि की अष्टाध्यायी में 'आयुजजीवी' संघ कहा गया है।

बौद्ध युग के गणराज्यों की शासन पद्धति तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य से कतिपय अन्य भी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। जब मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जि संघ की विजय का विचार किया, तो उसने अपने मन्त्री वर्षकार (वस्सकार) को महात्मा बुद्ध की सेवा में परामर्श के लिए भेजा। अजातशत्रु के विचार को सुनकर बुद्ध ने कहा—'जब तक वज्जि लोग एक हो बैठक करते रहेंगे और एक ही राज्यकार्य की देखभाल करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही सम्भना हानि नहीं।' इसी प्रकार, जब तक वज्जि लोग अपने राज्य में जो विहित है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो पुराने समय से उनके नियम चले आ रहे हैं उनका पालन करते रहेंगे; और जब तक वज्जियो में जो महत्त्व (बुद्ध नेता) हों, वज्जि लोग उनका सत्कार करते रहेंगे, उन्हें बड़ा मान कर उनकी वे पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समझते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं। बुद्ध के इस कथन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वज्जि-संघ में शासन के प्रयोजन से नागरिकों द्वारा परस्पर मिलकर बैठकें की जाती थी, परम्परागत तथा विहित नियमों व कानूनों का पालन किया जाता था, और राज्य के महत्त्वको (जिन्हें अष्टाध्यायी में 'वृद्ध' कहा गया है) के वचनों व सम्मति का समुचित आदर किया जाता था।

गण या संघ राज्यों की सभाओं में कार्य की क्या विधि थी, इसका परिज्ञान बौद्ध संघ की कार्यविधि से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध का जन्म एक गण व संघ-राज्य में हुआ था, और उनके जीवन का बड़ा भाग संघों के वातावरण में ही व्यतीत हुआ था। उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने नए धार्मिक सम्प्रदाय को संघ की संज्ञा देते और उसकी कार्य-विधि के लिए अपने समय के राजनीतिक संघों का अनुसरण करते। इसी कारण बौद्ध भिक्षुसंघ की कार्यविधि से उस युग के संघ राज्यों की कार्यविधि का अनुमान किया जा सकता है।

भिक्षु-संघ में सदस्यों के बैठने के लिए पृथक्-पृथक् आसन होते थे। आसनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक् कर्मचारी होता था, जिसे 'आसनप्रज्ञापक' कहते थे।

संघ में जिस विषय पर विचार होना हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करने से पूर्व पहले उसकी सूचना देनी होती थी। इस सूचना को 'ज्ञप्ति' कहते थे। ज्ञप्ति के बाद प्रस्ताव को वाक्यादा उपस्थित किया जाता था। प्रस्ताव के लिए बौद्ध-साहित्य में पारिभाषिक शब्द 'प्रतिज्ञा'

है। जो प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) के पक्ष में होते थे, वे चुप रहते थे। जो विरोध में होते थे, वे अपना विरोध प्रगट करते थे। यदि प्रस्ताव उपस्थित होने पर संघ चुप रहे, तो उसे तीन बार पेश किया जाता था। तीनों बार संघ के चुप रहने पर उस प्रस्ताव को स्वीकृत मान लिया जाता था। विरोध होने पर बहुसम्मति द्वारा निर्णय करने की प्रथा थी।

भिक्षु-संघ के लिए 'कोरम' (quorum) का भी नियम था। संघ की बैठक के लिए कम-से-कम बीस भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी। यदि कोई कार्य पूरे कोरम के बिना किया जाए, तो उसे मान्य नहीं समझा जाता था। गणपूरक नाम के एक भिक्षुकर्मचारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम को पूरा करने का प्रयत्न करे। यह संघ के अधिवेशन के लिए जितने भिक्षुओं की आवश्यकता हो, उन्हें एकत्रित करता था। आजकल की व्यवस्थापिका-सभाओं में जो कार्य व्हिप (Whip) करते हैं, यह गणपूरक पुराने भिक्षुसंघों में वही कार्य किया करता था। जिन प्रस्तावों पर किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे सर्वसम्मति से स्वीकृत मान लिए जाते थे। उनपर वोट लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। उनपर विवाद भी नहीं होता था। परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब उसके पक्ष और विपक्ष में भाषण होते थे और बहुसम्मति द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। बहुसम्मति द्वारा निर्णय होने को 'ये भूयस्मिकम्' या 'ये भूयसीयम्' कहते थे। बौद्ध-ग्रन्थों में वोट के लिए 'छन्द' शब्द है। छन्द का दूसरा अर्थ स्वतन्त्र होता है। इससे यह ध्वनि निकलती है, कि वोट के लिए स्वतन्त्रता को बहुत महत्त्व दिया जाता था। वोट के लिए प्रयोग में आने वाली पत्तियों को 'शलाका' कहते थे। वोट लेने के लिए एक भिक्षु कर्मचारी होता था, जिसे 'शलाकाग्राहक' कहते थे। यह 'शलाका-ग्रहण' (वोट एकत्रित करना) का काम किया करता था।

वोट लेने के तीन ढंग थे—गूढक, सकर्णजल्पक और विवृतक।

(१) गूढक—शलाकाग्राहक जितने पक्ष हों उतने रंगों की शलाकाएँ बनाता था। क्रम से भिक्षु उसके पास वोट देने के लिए आते थे। प्रत्येक भिक्षु को शलाका-ग्राहक बताता था, कि इस रंग की शलाका इस पक्ष की है, उन्हें जो पक्ष अभिमत हो, उसकी शलाका उठा लो।

(२) सकर्णजल्पक—जब वोट देने वाला भिक्षु शलाका-ग्राहक के कान में कहकर अपने मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकर्णजल्पक' विधि कहा जाता था।

(३) विवृतक—जब वोट खुले रूप से लिए जाएँ, तो विवृतक विधि होती थी। जिन प्रश्नों पर भिक्षुसंघ में मतभेद होता था, उनपर अनेक बार बहुत गरमा-गरम बहस हो जाती थी और निर्णय पर पहुँच सकना कठिन हो जाता था। उस दशा में संघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी, जिसे 'उद्वाहिका' या 'उद्बहिा' कहते थे। यह 'उद्वाहिका' विवादग्रस्त विषय पर श्ली-भक्ति विचार कर उसका निर्णय करने में समर्थ होती थी। पर यदि इससे भी परस्पर-विरोध शान्त न हो, तो 'ये भूयसीयम्' के अतिरिक्त निर्णय का अन्य कोई उपाय नहीं रहता था।

संघ की वक्तृताओं तथा अन्य कार्य को उल्लिखित करने के लिए लेखक भी

हुआ करते थे। महाभोविन्द सुत्तान्त (वीर्य निकाय) के अनुसार “तातविशदेव सुधम्मसभा में एकत्रित हुए, और अपने-अपने आसनों पर विराजमान हो गए। वही उस सभा में चार महाराज इस कार्य के लिए विराजमान थे, कि भाषणों तथा प्रस्तावों को उल्लिखित करें।”

यदि कोई बक्ता संघ में भाषण करते हुए वक्तृता के नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करे, परस्पर-विरोधी बात बोले, पहले कही हुई बात को दोहराये, कटु भाषण करे या इसी प्रकार कोई अन्य अनुचित कार्य करे, तो उसे दोषी समझा जाता था और इसके लिए उसे उत्तरदायी होना पड़ता था। जो भिक्षु संघ के अधिवेशन में किसी कारण उपस्थित न हो सकें, उनकी सम्मति लिखित रूप से मंगा ली जाती थी। यह आवश्यक नहीं होता था, कि इन अनुपस्थित भिक्षुओं की सम्मति का निर्णय के लिए परिगणन अवश्य किया जाए, पर उनकी सम्मति मंगा लेना आवश्यक समझा जाता था। उनकी सम्मति से उपस्थित भिक्षुओं को अपनी सम्मति बनाने में सहायता मिल सके, इसीलिए यह व्यवस्था की गयी थी।

(२) राजतन्त्र राज्यों में शासन का स्वरूप

बौद्ध-युग के सब राज्यों में एक ही प्रकार का शासन नहीं था। विविध राजतन्त्र-राज्यों में राजा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की थी। यही कारण है, कि बौद्ध-ग्रन्थों में इस विषय में विविध तथा परस्पर-विरोधी विचार उपलब्ध होते हैं।

राजा की स्थिति—बौद्ध-साहित्य के अनुसार राजा को राज्य का स्वामी नहीं माना जाता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधियों को दण्ड देना ही समझा जाता था। वह व्यक्तिषो पर कोई अधिकार नहीं रखता था। एक जानक-कथा के अनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने अपने पति से यह वर माँगा कि मुझे राज्य पर अमर्यादित अधिकार प्रदान कर दिया जाए। इसपर राजा ने अपनी प्रिय रानी से कहा—‘भद्रे ! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं तो केवल उनका स्वामी हूँ, जो राजकीय नियमों का उल्लंघन कर अकसर्व्व कार्य को करते हैं। अतः मैं तुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों का स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूँ।’ इससे स्पष्ट है, कि बौद्ध-युग में राजा जनता पर अबाधितरूप से शासन नहीं कर सकते थे। राज्य व राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मन्तव्य बौद्ध-साहित्य में पाए जाते हैं, वे भी इसी विचार की पुष्टि करने वाले हैं। बौद्ध-साहित्य के अनुसार पहले राज्य-संस्था नहीं थी, अराजक दशा थी। जब लोगों में लोभ और मोह उत्पन्न हो जाने के कारण ‘धर्म’ नष्ट हो गया, तो उन्हें राज्य-संस्था के निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए वे एक स्थान पर एकत्रित हुए और अपने में जो सबसे अधिक योग्य, बलवान्, बुद्धिमान् और सुन्दर व्यक्ति था, उसे राजा बनाया गया। उस योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाकर सबने उसके साथ निम्न प्रकार से ‘समय’ (संविदा या करार) किया—“अबसे तुम उस व्यक्ति को दण्ड दिया करो, जो दण्ड देने योग्य हो और उसे पुरस्कृत किया करो, जो पुरस्कृत होने योग्य हो। इसके बदले में हम तुम्हें अपने क्षेत्रों की उपज का एक भाग प्रदान किया करेंगे।”

इसके ध्राये लिखा गया है—“क्योंकि यह व्यक्ति सब द्वारा सम्मत होकर अपने पद पर अधिष्ठित होता है, इसलिए इसे ‘महासम्मत’ कहते हैं। क्योंकि यह क्षत्रो का रक्षक है, और क्षति से जनता की रक्षा करता है, अतः ‘क्षत्रिय’ कहा जाता है। क्योंकि यह प्रजा का रञ्जन करता है, इस कारण इसे ‘राजा’ कहा जाता है।” राजा के सम्बन्ध में ये विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसी ढंग के विचार महाभारत, शुक्रनीति आदि प्राचीन नीति-ग्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं।

पर बौद्ध-काल के सभी राजा शासन में इन उदात्त सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं करते थे। जातक-कथाओं में अनेक इस प्रकार के राजाओं का भी उल्लेख आया है, जो अत्याचारी, क्रूर और प्रजापीड़क थे। महापिगल-जातक में एक राजा का उल्लेख आया है, जिसका नाम महापिगल था। वह धर्म से प्रजा का शासन करता था; दण्ड, कर आदि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था, जैसे कोल्हू में गन्ना पीसा जाता है। वह बड़ा क्रूर, अत्याचारी और भयंकर राजा था। दूसरों के प्रति उसके हृदय में दया का लवनेश भी न था। अपने कुटुम्ब में भी वह अपनी धर्मपत्नी, सन्तान आदि पर तरह-तरह के अत्याचार करता रहता था। इसी प्रकार केगिगील-जातक में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का वर्णन करते हुए लिखा है, कि वह बड़ा स्वेच्छाचारी तथा क्रूर राजा था। उसे पुरानी वस्तुओं से बड़ा द्वेष था। वह न केवल पुगानी चीजों को ही नष्ट करने में व्याप्त रहता था, पर साथ ही वृद्ध-स्त्री पुरुषों को तरह-तरह के कष्ट देकर उन्हें मारने में उसे बड़ा आनन्द अनुभव होता था। जब वह किमी बूढ़ी स्त्री को देखता, तो उसे बुलाकर पिटाता था। बूढ़े पुरुषों को वह इस ढंग से जमीन पर लुढ़काता था, मानो वे धातु के बरतन हों।

पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि बहुसंख्यक राजा धार्मिक और प्रजापालक होते थे। वे प्रायः अपनी ‘प्रतिज्ञा’ पर दृढ़ रहने वाले होने थे। जो राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते थे। सच्चक्रिण जानक में एक राजा की कथा आती है, जो बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। आखिर, लोग उसके शासन से तंग आ गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सब देशवासियों ने मिलकर निश्चय किया कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए। इसी के अनुसार एक बार जब वह अत्याचारी राजा हाथी पर जा रहा था, उसपर आक्रमण किया गया और उसे वहीं कतल कर दिया गया। राजा को मारकर जनता ने स्वयं बोधिसत्व को राजा निर्वाचित किया। इसी प्रकार पदकुशलमाणव-जातक में एक अत्याचारी राजा के विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्णन आया है। इस राजा के विरुद्ध भड़काते हुए जनता को निम्नलिखित बात कही गयी थी—‘जनपद और निगम में एकत्रित जनता मेरी बात पर ध्यान दे। जल में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। जहाँ से हमारी रक्षा होनी चाहिए, वही से अब रक्षा के स्थान पर भय हो गया है। राजा और उसका ब्राह्मण पुरोहित राष्ट्र पर अत्याचार कर रहे हैं। अब तुम लोग अपनी रक्षा स्वयं करो। जहाँ तुम्हें शरण मिलनी चाहिए, वही स्थान अब भयंकर हो गया है।’

बौद्ध-काल के राजतन्त्र राज्यों में राजा प्रायः बंशक्रमानुगत होते थे। पर राजसिंहासन पर विराजमान होने के लिए उन्हें यह सिद्ध करना आवश्यक होता था,

कि वे राज्यकार्य का संचालन करने के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हैं। गामणिचण्ड जातक में कथा आती है, कि जब वाराणसी के राजा जनसन्ध की मृत्यु हो गयी, तो अमात्यो ने विचार किया कि राजकुमार की आयु बहुत कम है, अतः उसे राजा नहीं बनाना चाहिए। फिर विचार के अनन्तर उन्होंने यह निर्णय किया कि राजगद्दी पर बिठाने से पूर्व कुमार की परीक्षा करना आवश्यक है। कुमार को न्यायालय (विनिश्चय-स्थान) में ले जाया गया, और वहाँ उसकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली गयी। जब उसने यह सिद्ध कर दिया, कि राजा के लिए आवश्यक सब गुण उसमें विद्यमान हैं, तभी उसे वह पद दिया गया। यह सही है कि सामान्य दशा में राजा का लड़का ही राजगद्दी पर बैठता था। पर यदि वह योग्य न हो, या उसकी योग्यता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो अमात्य लोग उसकी परीक्षा लेते थे और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर किसी अन्य को राज्य प्रदान कर सकते थे।

शासन करने की योग्यता के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी राजा के लिए ध्यान में रखी जाती थी। अन्धे व विकलांग व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था। शिवि-जातक में अरिष्टपुर के राजा शिवि की कथा आती है, जो बड़ा दानी था। उसके दान की कीर्ति सब ओर फैली हुई थी। एक बार एक अन्धे भिक्षुक ब्राह्मण ने उससे अन्न की भिक्षा माँगी। राजा शिवि तैयार हो गया और उसने अपनी आँखें उस भिक्षुक को प्रदान कर दी। स्वयं अन्धा हो जाने पर राजा शिवि ने सोचा, कि अन्धे आदमी के राजसिंहासन पर बैठने से क्या लाभ है। वह अपने अमात्यो के हाथ में राज्य को सुपुर्द कर स्वयं वन में चला गया, और वहाँ तापस के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रकार मम्बुल जातक में बनारस के राजकुमार सोट्ठमेन की कथा आती है, जो कोढ़ से पीडित था और इसी रोग से ग्रस्त होने के कारण राजप्रासाद को छोड़कर जंगल में चला गया था। वह तब तक अपने राज्य में वापस नहीं लौटा, जब तक कि उसकी धर्मपत्नी सम्बुला की सेवा से उसका रोग पूर्णतया दूर नहीं हो गया। कोढ़ से पीडित होने के कारण वह अपने को राजसिंहासन के योग्य नहीं समझता था।

बौद्ध-काल के अनेक राज्यों में राजकुमार लोग अपने पिता के जीवित होते हुए भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे। मगध के अनेक सम्राट् पितृघाती थे। उन्होंने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। प्रसिद्ध सम्राट् अजातशत्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता विम्बिसार का घात किया था। जातक-कथाओं में भी अनेक कुमारों का उल्लेख है, जिन्होंने अपने पिता के जीवन-काल में ही स्वयं राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। संकिञ्च-जातक के अनुसार वाराणसी के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था। उसका एक लड़का था, उसका नाम भी ब्रह्मदत्त रखा गया। जब कुमार ब्रह्मदत्त तक्षशिला से अपनी शिक्षा समाप्त कर वापस आया, तो उसने सोचा—'मेरे पिता की आयु अभी बहुत कम है, वह तो मेरे बड़े भाई के समान है। यदि मैं उसकी मृत्यु तक राज्य के लिए प्रतीक्षा करूँगा, तो राजा बनने तक मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। बूढ़ा होकर राजा बनने से क्या लाभ होगा? मैं अपने पिता का घात कर दूँगा और इस प्रकार राजगद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लूँगा।' उसने यही किया और एक षडयन्त्र द्वारा अपने पिता को मारकर स्वयं राजा बन गया।

बौद्ध-साहित्य में राजा के दस धर्मों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया गया है। ये दस धर्म निम्नलिखित हैं—दान, शील, परित्याग, आर्जव, मार्दव, तप, अक्रोध, अविहिंसा, शान्ति और अविरोधन। राजाओं में इन गुणों की सत्ता बहुत आवश्यक और लाभकर मानी जाती थी। इस काल में राजाओं से दानशीलता की आशा बहुत अधिक की जाती थी। जातक-साहित्य में अनेक राजाओं की दानशक्ति का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। चुल्लपद्म जातक में वाराणसी के राजा पद्म की कथा आती है, जो अत्यन्त दानी था। उसने वहाँ छः दानगृह बनवाये हुए थे। चार दानगृह वाराणसी के चारो द्वारों पर बने हुए थे, एक नगर के ठीक बीच में और छठा राजप्रासाद के सामने। इन दानगृहों से प्रतिदिन छ. लाल भुदाएँ दान दी जाती थी। इनी प्रकार का वर्णन अन्य अनेक राजाओं के सम्बन्ध में भी आया है।

बौद्ध-काल के राजा बड़े वैभव और शान-शीकत के साथ निवास करते थे। जातक-ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उनके जुलूसों, सवारियों तथा राजप्रासादों का वर्णन किया गया है। राजा लोग तमाचों, खेलों और संगीत आदि का भी बहुत शौक रखते थे। गिकार उनके आमोद-प्रमोद का महत्त्वपूर्ण साधन होता था। राजाओं के अन्तःपुर भी बहुत बड़े होते थे। अन्तःपुर में प्रचुर संख्या में स्त्रियों को रखना एक शान की बात समझी जाती थी। सुहृदि जातक के अनुसार बनारस के राजा ने निश्चय किया, कि वह अपनी कन्या का विवाह ऐसे कुमार के साथ करेगा, जो एकपत्नीव्रत रहने का प्रण करे। मिथिला के कुमार सुहृदि के साथ उम कुमारी, जिमका नाम सुमेधा था, के विवाह की बात चल रही थी। मिथिला के राजदूतों ने एकपत्नीव्रत होने की शर्त को सुना, तो वे कहने लगे—“हमारा राज्य बहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात योजन विस्तार है। हमारे राज्य का विस्तार ३०० योजन है। ऐसे राज्य के राजा के अन्तःपुर में कम-से-कम सोलह हजार रानियाँ अवश्य होनी चाहिएँ।” जातक-कथाओं में बहुत-से ऐसे राजाओं का वर्णन आया भी है, जिनके अन्तःपुर में हजारों स्त्रियाँ रहती थी।

राजा के अमात्य—राजतन्त्र-राज्यों के शासन में अमात्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। जातक-साहित्य में स्थान-स्थान पर अमात्यों का जिक्र आता है। ये अमात्य मर्यादा में बहुत होते थे, और राजा को शासन-सम्बन्धी सब विषयों में परामर्श देने का कार्य करते थे। अमात्यों के लिए सब विद्याओं व शिल्पों में निष्णात होना आवश्यक माना जाता था। राजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य का संचालन अमात्य लोग ही करते थे। सात दिन के पदचात् जब स्वर्गीय राजा की और्ध्वदेहिक क्रियाएँ समाप्त हो जाती थी, तब वे ही इस बात का निश्चय करते थे, कि राजगद्दी पर कौन विराजमान हो। राजा की अनुपस्थिति या शासन-कार्य में असमर्थता की दशा में भी वे शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लेते थे। प्राचीन भारत में राजतन्त्र-राज्यों में मन्त्रि-परिषद् का बड़ा महत्त्व था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जातक-कथाओं में जिन ‘अमात्यों’ का उल्लेख आया है, वे इसी प्राचीन मन्त्रिपरिषद् को सूचित करते हैं। अमात्यों में सबसे प्रधान स्थान पुरोहित का था। वह राजा के ‘धर्म और अर्थ’ दोनों का अनुशासक होता था। पुरोहित का पद प्रायः वंशक्रमानुगत रहता था। पर राजा की तरह पुरोहित का पद भी पूर्ण रूप से एक बंश में नहीं रह पाता था। अनेक बार पुरोहित की नियुक्ति

पर बाद-विवाद भी उठ खड़े होते थे, और नए व्यक्तियों को इस पद पर नियत कर दिया जाता था।

पुरोहित के अतिरिक्त अन्य भी अनेक अमात्यो के नाम जातक-साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इनमें सेनापति, भाण्डागारिक, विनिश्चयामात्य और रज्जुक के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। सेनापति का कार्य जहाँ सैन्य का संचालन करना होता था, वहाँ साथ ही वह एक मन्त्री के रूप में भी कार्य करता था। एक कथा से यह भी सूचित होता है, कि वह मुकदमों के निर्णय का भी कार्य करता था। विनिश्चयामात्य न्यायमन्त्री को कहते थे। यह जहाँ मुकदमों का फैसला करता था, वहाँ राजा को धर्म तथा कानून-सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देता था। भाण्डागारिक कोषाध्यक्ष को कहते थे। भाण्डागारिक प्रायः किसी अत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को ही बनाया जाता था। एक भाण्डागारिक की सम्पत्ति ८० करोड़ निखी गयी है। रज्जुक सम्भवतः भूमि की पैमाइश आदि करके मालगुजारी वसूल करने वाले अमात्य को कहते थे। इनके अतिरिक्त दोगमापक, हिरण्यक, सारथी, दीवारिक आदि अन्य अनेक राजकर्मचारियों के नाम भी जातक-साहित्य में उपलब्ध होते हैं।

बौद्ध-काल में शहर के कोतवाल को नगरगुप्तिक कहते थे। यह नगर की शान्तिरक्षा का उत्तरदायी होता था। इसे एक स्थान पर 'रात्रि का राजा' भी कहा गया है। पर पुलिस के ये कर्मचारी बौद्ध-काल में भी रिश्वतों से मुक्त नहीं थे। सुलमा जातक में कथा आती है, कि सुलमा नामक वेद्या ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर मुख होकर उसे छुड़ाने के लिए पुलिस के कर्मचारी को एक हजार मुद्राएँ रिश्वत के रूप में दी थी, और इस धनराशि से वह सत्तक को छुड़वाने में सफल भी हो गयी थी।

जातक-कथाओं से बौद्ध-काल की सेनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश मिलते हैं। सेना में प्रायः स्वदेशी और पितृ-पैतामह सैनिकों को उत्तम माना जाता था। धूमिकारि जातक में कथा आती है, कि कुरुदेश के इन्द्रपत्तन नगर के राजा धनञ्जय ने अपने पुराने सैनिकों की उपेक्षा कर नवीन सैनिकों को सेना में भरती करना प्रारम्भ कर दिया। जब उसके सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसे इन नए सैनिकों के कारण परास्त होना पड़ा।

पुर और जनपद—बौद्ध-काल में भी राज्य पुर और जनपद इन दो विभागों में विभक्त किए जाते थे। पुर राजधानी को कहते थे, और राजधानी के अतिरिक्त दोष सम्पूर्ण राज्य को जनपद कहा जाता था। जनपद बहुत-से ग्राम हुआ करते थे। ग्राम के शासक को ग्रामभोजक कहते थे। ग्रामभोजक बहुत महत्त्वपूर्ण पद समझा जाता था, इसीलिए उसके साथ अमात्य विशेषण भी आता है। ग्रामभोजक ग्राम-सम्बन्धी सब विषयों का संचालन करता था। उसे न्याय-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे। शराब-खोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दूकान के लिए लाइसेंस देना भी उसी के अधिकार में था। दुर्भिक्ष पड़ने पर गरीब जनता की सहायता करना ग्रामभोजक का ही कार्य था। एक स्थान पर यह भी जिक्र आया है, कि ग्रामभोजक ने पणुहिंसा और शराब का सर्वथा निषेध कर दिया था। ग्रामभोजक के शासन के विरुद्ध राजा के पास अपील की जा सकती थी, और राजा उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को उसके

स्थान पर नियुक्त कर सकता था। पानीय जातक में कथा आती है, कि काशीराज्य के दो ग्रामभोजको ने अपने-अपने ग्रामों में पशुहिंसा तथा शराब पीने का संबंध निबंध कर दिया था। इसपर उन ग्रामों के निवासियों ने राजा से प्रार्थना की, कि हमारे ग्रामों में यह प्रथा देर से चली आ रही है, और इन्हें इस प्रकार निषिद्ध नहीं करना चाहिए। राजा ने ग्रामवासियों की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया और ग्रामभोजकों की वे आज्ञाएँ रद्द कर दी। इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्रामभोजको के शासन पर राजा का नियन्त्रण पूर्णरूप से विद्यमान था।

(३) आर्थिक दशा

वर्तमान समय में हमें जो बौद्ध-साहित्य उपलब्ध होता है, वह प्रायः सभी धार्मिक है। पर प्रसंगवश उसमें कहीं-कहीं ऐसे निर्देश उपलब्ध हो जाते हैं, जिनसे कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा पर उत्तम प्रकाश पड़ता है। आर्थिक स्थिति का अनुशीलन करने के लिए जातक-कथाओं का विशेष महत्त्व है।

व्यवसाय—बौद्धकालीन भारत में कौन-कौन से मुख्य व्यवसाय प्रचलित थे, इसका परिचय दीर्घनिकाय के एक सन्दर्भ से बहुत अच्छी तरह मिलता है। जब महात्मा बुद्ध धर्मोपदेश करते हुए राजगृह पहुँचे, तो मागध-सम्राट् अजातशत्रु ने उनसे प्रश्न किया—

“हे भगवन् ! ये जो भिन्न-भिन्न व्यवसाय हैं, जैसे हस्ति-आरोहण, अश्वा-रोहण, रथिक, धनुर्धर, चेलक (युद्ध-ध्वज धारण), चलक (व्यूह-रचना), पिंडदायिक (पिंड काटने वाले), उग्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र), महानाग (हाथी से युद्ध करनेवाले), शूर, चर्मयोधी (ढाल से युद्ध करनेवाले), दासपुत्र, आलारिक (बावर्ची), कल्पक (हज्जाम), नहापक (स्नान करानेवाले), सूद (पाचक), मालाकार, रजक (रगरेज), नलकार (टोकरे बनानेवाले), कुम्भकार (कुम्हार), गणक, मुद्रक (गिननेवाले) और जो दूसरे इसी प्रकार के भिन्न-भिन्न शिल्प (व्यवसाय) हैं, उनसे लोग इसी शरीर में प्रत्यक्ष जीविका करते हैं, उनसे अपने को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। पुत्र-स्त्री को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। मित्र अमात्यो को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। ऊपर ले जानेवाला, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुख विपाकवाला, स्वर्गमार्गीय, श्रमणब्राह्मणों के लिए दान स्थापित करते हैं। क्या भगवन् ! इसी प्रकार आमण्य (भिक्षुपन) का फल भी इसी जन्म में प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है ?” सम्राट् अजातशत्रु ने इस प्रश्न में बहुत-से व्यवसायियों का नाम लिया है।

अजातशत्रु द्वारा दी हुई व्यवसायों की यह सूची पूर्ण नहीं है। इसमें स्वाभाविक रूप से उन व्यवसायों का परिगणन है, जो कि किसी राजपुरुष के विचार में एकदम आ सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, जिनका उल्लेख अन्यत्र बौद्ध-साहित्य में आया है, निम्नलिखित हैं :—

(१) वर्धक या बड़ई—बौद्ध-साहित्य में वर्धक व कम्मार शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में हुआ है। इससे केवल सामान्य बड़ई का ही ग्रहण नहीं होता, अपितु जहाज बनाने वाले, गाड़ी बनानेवाले, भवनों का निर्माण करनेवाले आदि विविध

प्रकार के मिस्त्रियों का भी ग्रहण होता है। वर्षिक के अतिरिक्त विविध प्रकार के अन्य मिस्त्रियों के लिए धपति, तच्छक, भमकार आदि शब्द भी जातक-ग्रन्थों में आये हैं। वर्षिक लोगों के बड़े-बड़े गाँवों का भी वर्णन वहाँ मिलता है।

(२) धातु का काम करने वाले—सोना, चाँदी, लोहा आदि विविध धातुओं की विभिन्न वस्तुएँ बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध-साहित्य में आया है। लोहे के अनेक प्रकार के औजार बनाये जाते थे—युद्ध के विविध हथियार, हलके-फुलके कुल्हाड़े, घारे, चाकू, फावड़े आदि विविध उपकरण जातको में उल्लिखित हैं। इसी प्रकार सोना-चाँदी के विविध कीमती आभूषणों का भी वर्णन मिलता है। सूचि जातक में मुड़र्या बनाने का जिक्र है। कुस जातक में एक शिल्पी का वर्णन है, जो सोने की मूर्तियाँ बनाया करता था।

(३) पत्थर का काम करनेवाले—ये शिल्पी पत्थरों को काटकर उनसे शिलार्ण, स्तम्भ, मूर्ति आदि बनाते थे। यह शिल्प बौद्ध-काल में बहुत उन्नति कर चुका था। पत्थरों पर तरह-तरह से चित्रकारी करना, उन्हें खोदकर उनपर बेल-बूटे व चित्र बनाना उस समय एक महत्त्वपूर्ण शिल्प माना जाता था। इसी प्रकार पत्थर के प्याले, बर्तन आदि भी बनाये जाते थे।

(४) जुलाहे—बौद्ध-काल में कपास, ऊन, रेशम और रेशेदार पौदों का वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। मज्झिमनिकाय में विविध प्रकार के वस्त्रों के निम्नलिखित नाम दिये गये हैं—गोनक, चित्तिक, पटिक, पटलिक, तुलिक, विकटिक, उड्डलोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य और कट्टकम्। इन विविध शब्दों से किन वस्त्रों का ग्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पर इससे यह सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि उस समय वस्त्र-व्यवसाय पर्याप्त उन्नत था। बेरीगाथा से ज्ञात होता है, कि रेशम और महीन मलमल के लिए वाराणसी उन दिनों में भी बहुत प्रसिद्ध था। जातक-ग्रन्थों में वाराणसी के प्रदेश में कपास की प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति और वहाँ के सूती वस्त्रों का उल्लेख है।

(५) चर्मकार—ये लोग चमड़े को साफ कर उससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाते थे।

(६) कुम्हार—ये मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाते थे।

(७) हाथी-दाँत का काम करनेवाले—प्राचीन काल में हाथी-दाँत को रत्नों में गिना जाता था, और उससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं।

(८) रंगरेज—कपड़ों को रंगने का काम करते थे।

(९) जौहरी—ये कीमती धातुओं से विविध प्रकार के आभूषण बनाते थे।

(१०) मछियारे—नदियों में मछली पकड़ने का काम करते थे।

(११) बूचड़—इनका भी बौद्ध-साहित्य में उल्लेख मिलता है।

(१२) शिकारी—बौद्धकाल में शिकारी दो प्रकार के होते थे। एक वे जो जंगलों में रहते थे, और दूसरे नगरों में बसनेवाले ऐसे कुलीन लोग जिन्होंने शिकार को एक पेशे के रूप में स्वीकृत किया हुआ था।

(१३) हलवाई और रसोइये।

(१४) नाई तथा प्रसाधक ।

(१५) मालाकार और पुष्प-विक्रेता ।

(१६) मल्लाह तथा जहाज चलानेवाले—बौद्ध-साहित्य में नदी, समुद्र तथा महासमुद्र में चलनेवाले जहाजों तथा उनके विविध कर्मचारियों का उल्लेख आता है ।

(१७) रस्सी तथा टोकरे बनानेवाले ।

(१८) चित्रकार ।

व्यवसायियों के संगठन—बौद्ध-काल के व्यवसायी लोग 'श्रेणियों' (Guilds) में संगठित थे, इस बात के अनेक प्रमाण बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं । प्राचीन भारत में श्रेणियों की सत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है । 'श्रेणियों' द्वारा बनाए गये कानून प्राचीन भारत में राज्यद्वारा स्वीकृत किए जाते थे, और उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमों का फैसला उन्हीं के अपने कानूनों के अनुसार होता था । उन्हें अपने मामलों का स्वयं फैसला करने का भी अधिकार था । श्रेणियों के न्यायालय राज्य द्वारा स्वीकृत थे, यद्यपि उनके फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी । बौद्ध-साहित्य में व्यवसायी लोग श्रेणियों में संगठित थे, इसके प्रमाणों का निर्देश करना यहाँ उपयोगी होगा । निम्नोक्त जातक में एक भाषाशास्त्रिक का वर्णन है, जिसे सब 'श्रेणियों' के आदर के योग्य बताया गया है । उक्त जातक में 'श्रेणी प्रमुख' और दो राजकीय अमात्यों के भगडों का उल्लेख है । इससे सूचित होता है कि 'श्रेणी' के मुखिया को 'प्रमुख' कहते थे । अन्य स्थानों पर 'श्रेणी' के मुखिया के लिए 'जेठक' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । डा० फिक ने व्यवसायियों के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है । वे लिखते हैं, कि तीन कारणों से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं, कि बौद्ध-काल में भी व्यवसायियों के संगठन बन चुके थे । हम इन कारणों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं ।

(१) बौद्ध-काल में विविध व्यवसाय वंशक्रमानुगत हो चुके थे । पिता की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र उसी का व्यवसाय किया करता था । किशोरावस्था से ही लोग अपने वंशानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे । ज्यों-ज्यों समय गुजरता जाता था, अपने पिता तथा अन्य गुरुजन की देख-रेख में वे उस व्यवसाय में अधिक-अधिक प्रवीणता प्राप्त करते जाते थे, और व्यवसाय की बारीकियों से उनका अच्छा परिचय हो जाता था । इसीलिए जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्तान उसके व्यवसाय को बड़ी सुगमता से सम्भाल लेती थी । उसे किसी प्रकार की दिक्कत अनुभव न होती थी । बौद्ध साहित्य में कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिससे यह सूचित होता हो, कि किसी व्यक्ति ने अपने वंशक्रमानुगत व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय को अपनाया हो । इसके विपरीत इस बात के प्रमाणों की कमी नहीं है कि लोग अपने वंशक्रमानुगत व्यवसाय का ही अनुसरण करते थे ।

(२) बौद्ध-काल में विविध व्यवसायों का अनुसरण करनेवाले लोग एक निश्चित स्थान पर बसकर अपने व्यवसाय का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखते थे । नगरों की भिन्न-भिन्न गलियों में भिन्न-भिन्न व्यवसायी केन्द्रित थे । उदाहरण के लिए दन्तकारों (हाथीदाँत का काम करने वालों) की अपनी गली होती थी, जिसे 'दन्तकार-बीची' कहते थे । इसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों आदि की अपनी-अपनी पृथक् बीधियाँ होती थी ।

नगरों के अन्दर की गलियों के प्रतिरिक्त विविध व्यवसायी नगरों के बाहर उपनगरों में भी निवास करते थे। कुसीनचित्तजातक में लिखा है, कि वाराणसी के समीप ही एक वड्डकिगाम था, जिसमें ५०० वर्षिकि-परिवार निवास करते थे। इसी प्रकार एक अन्य महावड्डकि-गाम का उल्लेख है, जिसमें एक हजार वर्षिकि-परिवारों व कुलों का निवास था। वाराणसी नगरी के समीप एक अन्य ग्राम या उपनगर का उल्लेख है, जिसमें केवल कुम्हारों के ही कुल रहते थे। केवल बड़े नगरों के समीप ही नहीं, अपितु देहात में भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान थे, जिनमें किसी एक व्यवसाय का ही अनुसरण करनेवाले लोग बसते थे। सूचि-जातक में कुम्हारों के दो गाँवों का वर्णन है, जिनमें से एक में एक हजार कुम्हार-परिवारों का निवास था। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक निर्देश जातक कथाओं से संगृहीत किए जा सकते हैं।

(३) व्यवसायियों की श्रेणियों के मुखियाओं का, जिन्हें 'प्रमुख' या 'जेठक' कहते थे, अनेक स्थानों पर उल्लेख आता है। इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि व्यवसायियों के मुहड संगठन बौद्ध-काल में विद्यमान थे। जातक-कथाओं में कम्मर-जेठक, मालाकार-जेठक आदि शब्दों की सत्ता इस बात को भली-भाँति स्पष्ट कर देती है। जेठक के अधीन संगठित श्रेणियों में अधिक-से-अधिक कितने व्यवसायी सम्मिलित हो सकते थे, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। समुद्वणिजजातक में लिखा है, कि एक गाँव में एक हजार वड्डकि-परिवार निवास करते थे, जिनमें पाँच-पाँच सौ परिवारों का एक-एक जेठक था। इस प्रकार इस गाँव में दो वड्डकि-जेठक विद्यमान थे। इन जेठकों की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजदरबार में भी इन्हें सम्मान प्राप्त होता था। सूचि जातक में लिखा है, कि एक ही कम्मर-कुलों का जेठक राजदरबार में बड़ा सम्मानित था, और वह बहुत समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली था। एक अन्य जातक में लिखा है कि एक राजा ने कम्मरजेठक को अपने पास बुलाया और उसे स्वर्ण की एक स्त्री-प्रतिमा बनाने के लिए नियुक्त किया।

इन बातों से डा० फिक ने यह परिणाम निकाला है, कि बौद्ध-काल के व्यवसायी श्रेणियों में प्रायः उसी ढंग से संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के व्यवसायी 'गिल्ड' में संगठित होते थे। यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुशीलन करें, तो व्यवसायियों के संगठनों (श्रेणियों) की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, और सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध में जो निर्देश मिलते हैं, उन्हें एकत्रित कर इनके स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। बौद्ध-साहित्य में श्रेणियों के स्वरूप पर विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया है, पर जो थोड़े-बहुत निर्देश उसमें मिलते हैं, उनसे इनकी सत्ता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

व्यापार और नौकानयन—बौद्ध-साहित्य के अनुशीलन से उस समय के व्यापार तथा नौकानयन के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण और मनोरञ्जक बातें ज्ञात होती हैं। उस समय में भारत के व्यापारी महासमुद्र की पार कर दूर-दूर देशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। समुद्र को पार करने के लिए जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे, और उस समय में जहाज बनाने का व्यवसाय अत्यन्त उन्नत दशा में था।

समुद्रवणिज जातक में एक जहाज का उल्लेख है, जिसमें बर्षकियों के सहस्र परिवार बड़ी सुगमता के साथ बैठकर सुदूरवर्ती किसी द्वीप को चले गए थे। बर्षकियों के ये एक सहस्र परिवार ऋण के बोझ से बहुत दबे हुए थे, और अपनी दशा से असन्तुष्ट होने के कारण इन्होंने यह निश्चय किया था कि किसी सुदूर प्रदेश में जाकर बस जाएं। सचमुच वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिसमें एक हजार परिवार सुगमता के साथ यात्रा कर सके। बलाहस्स जातक में पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज के टूट जाने के कारण लंका के समुद्रतट पर आ लगे थे, और जिन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए वहाँ के निवासियों ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए थे। सुप्पारक जातक में ७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिए प्रस्थान किया था। महाजनक जातक में चम्पा से सुवर्णभूमि को प्रस्थान करने वाले एक जहाज का वर्णन आता है, जिसमें बहुत-से व्यापारी अपना माल लादकर व्यापार के लिए जा रहे थे। इस जहाज में सात सार्थवाहो का माल लदा हुआ था, और उसने सात दिन में सात सौ योजन की दूरी तय की थी। संख जातक में संख नामक ब्राह्मण की कथा आती है, जो बहुत दान किया करता था। उसने दान के लिये छः दानशालाएँ बनायी हुई थीं। इनमें वह प्रति दिन छ. लाख मुद्राओं का दान करता था। एक बार उसके मन में आया, कि धीरे-धीरे मेरी सम्पत्ति का भण्डार समाप्त होता जाता है, और जब सम्पत्ति समाप्त हो जाएगी, तो मैं क्या दान करूँगा ? यह सोचकर उसने एक जहाज द्वारा व्यापार के लिए सुवर्णभूमि को प्रस्थान करने का विचार किया। उसने एक जहाज व्यापारी माल से भरकर सुवर्णभूमि की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग में किस प्रकार इस जहाज पर विपत्तियाँ आयी और किस तरह उनसे इसकी रक्षा हुई, इस सबका विस्तृत वर्णन संख जातक में मिलता है। जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनाये जाते थे। महा-उम्मग्ग-जातक में भगवान् ने आनन्द को ३०० जहाज बनाने की आज्ञा दी थी। ३०० जहाजों को एक साथ बनाने की आज्ञा देना सूचित करता है, कि उस समय इस प्रकार के अनेक केन्द्र विद्यमान थे, जहाँ बड़ी संख्या में जहाजों का निर्माण किया जाता था। इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर जहाजों और उन द्वारा होने वाले व्यापार का उल्लेख है, पर इस सबको यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। इन थोड़े-से निर्देशों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करना उस समय में एक सामान्य बात थी।

इन जहाजों द्वारा भारत का लंका, सुवर्णभूमि, ईरान और बेबिलोन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। सुवर्णभूमि के साथ व्यापार का और वहाँ जानेवाले जहाजों का जातकों में स्थान-स्थान पर उल्लेख आया है। इसी प्रकार लंका और वहाँ जाने वाले जहाजों के सम्बन्ध में भी अनेक निर्देश पाये जाते हैं। बेबिलोन के साथ व्यापार का उल्लेख बावेरु जातक में आया है। इसकी कथा संक्षेप से इस प्रकार है— एक बार की बात है, जब राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी में राज्य करता था, कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए बावेरु देश में गये और अपने साथ जहाज पर एक कौबे को भी लेते गये। बावेरु देश में कोई पक्षी नहीं होता था, इसलिए जब वहाँ के निवासियों ने इस पक्षी को देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने भारत के इन

व्यापारियों से प्रार्थना की, कि इस उड़ने वाले अद्भुत जन्तु को उन्हें बेच जाएँ। वह कौवा एक सौ मुद्राओं में बिका। दूसरी बार जब ये व्यापारी फिर व्यापार करते हुए बावेर देश पहुँचे, तो जहाज पर अपने साथ एक मोर को ले गये। मोर को देखकर बावेर के निवासियों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ, और वह वहाँ एक सहस्र मुद्राओं में बिका। इस विषय में सब विद्वान् सहमत हैं, कि बावेर का अभिप्रायः बेबीलोन से है, और इस जातक से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध-काल में भारतीय व्यापारी सुदूरवर्ती बेबिलोनिया के राज्य में भी व्यापार के लिये जाया करते थे। बेबिलोन के मार्ग में विद्यमान ईरान की खाड़ी और उसके समुद्र तट भारत के जहाजों द्वारा भली-भाँति आलोहित हुए थे, इस बात में भी किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता।

भारत में इन देशों तक पहुँचने के लिए अनेक जलमार्ग विद्यमान थे। भारत की नदियाँ उस समय जलमार्ग के रूप में भी व्यवहृत होती थीं। चम्पा और वाराणसी उस समय में अच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, जहाँ से जहाज पहले नदी में और फिर समुद्र में जाया करते थे। कुमारमहाजनक ने सुवर्ण-भूमि के लिए चलते हुए चम्पा से प्रस्थान किया था। इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र में एक जहाज के टूट जाने पर जलमार्ग द्वारा उसके यात्रियों के वाराणसी पहुँचने का उल्लेख है। पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के लिये चम्पा और वाराणसी जैसे नदी-तटवर्ती नगर विशेष उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसके लिए उस समय में समुद्र-तट पर भी अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह विद्यमान थे। इन बन्दरगाहों के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं, जिन्हें यहाँ निर्दिष्ट करना उपयोगी है।

लोसक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह का वर्णन है, जिसका नाम गम्भीरपत्तन था। यहाँ पर जहाज किराये पर मिल सकते थे। गम्भीरपत्तन से जहाजों के चलने और उनके महासमुद्र में जाने का वर्णन इस जातक में उपलब्ध होता है। मुस्सोन्दि जातक में भरुकच्छ नाम के बन्दरगाह का उल्लेख है, और वहाँ से जहाज द्वारा जानेवाले व्यापारियों का विशद रूप से वर्णन इस जातक में किया गया है। इसी प्रकार सुप्पारक जातक में भी भरुकच्छ-पत्तन का उल्लेख है, और वहाँ यह भी लिखा है कि यह समुद्रतट पर विद्यमान एक बन्दरगाह था। इसी प्रकार अन्यत्र बौद्ध-साहित्य में ताम्रलिप्ति, सुप्पारक, रोरुक, कावेरिपत्तन आदि बन्दरगाहों के भी उल्लेख विद्यमान हैं।

समुद्र में जहाजों द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार के अतिरिक्त बौद्धकालीन भारत में आन्तरिक व्यापार की भी कमी न थी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। उसके विविध प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यह आन्तरिक व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा होता था। भारत में व्यापार के प्रमुख स्थलमार्ग कौन-से थे, इसपर हम अभी आगे प्रकाश डालेंगे। पर यहाँ यह बताना आवश्यक है, कि स्थलमार्गों द्वारा होने वाले व्यापार का स्वरूप क्या था। यह आन्तरिक व्यापार साथी (काफिलों) द्वारा होता था। बहुत-से व्यापारी परस्पर साथ मिलकर काफिलों में व्यापार किया करते थे। उस समय भारत में जंगलों की अधिकता थी।

रास्ते बहुत सुरक्षित नहीं थे। इस कारण व्यापारियों के लिए यह सम्भव नहीं होता था, कि वे धकेले सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिए आ-जा सकें। अतः वे बड़े-बड़े काफिले बना कर एक साथ व्यापार के लिए जाया करते थे। जातक-साहित्य में बहुत-से काफिलों और उनकी यात्राओं के वर्णन संगृहीत हैं। अनेक काफिलों में तो ५०० से लेकर १,००० तक गाड़ियाँ होती थीं। जातक-कथाओं में जिन काफिलों (सार्थों) का वर्णन है, वे बैलगाड़ियों द्वारा व्यापार करते थे, और उनके नेता को सार्थवाह कहते थे। काफिलों की यात्रा निरापद नहीं होती थी। उन्हें लूटने के लिए डाकुओं के विविध दल हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। सतिगुम्ब जातक में डाकुओं के एक ग्राम का उल्लेख है, जिसमें ५०० डाकू निवास करते थे। सार्थों को इन डाकुओं का सामना करने तथा उनसे अपने माल की रक्षा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके लिये वे अपने साथ शस्त्रयुक्त पहरेदारों को रखते थे। ये पहरेदार व योद्धा सार्थ पर होने वाले हमलों का वीरता के साथ मुकाबला करते थे। सार्थों की रक्षार्थ साथ चलने वाले पहरेदारों का जगह-जगह पर जातक-कथाओं में वर्णन है। डाकुओं के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार की आपत्तियों का मुकाबला इन सार्थों को करना होता था। अपण्णक जातक में इन विपत्तियों का विशद रूप से वर्णन है। डाकुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की कमी, भूतपिशाच आदि की सत्ता और आहार का अभाव—ये सब ऐसी आपत्तियाँ थी, जिनके निवारण का समुचित प्रबन्ध किये बिना कोई सार्थ सफलता के साथ अपनी यात्रा पूर्ण नहीं कर सकता था।

स्थल-मार्ग से व्यापार करनेवाले ये सार्थ बड़ी लम्बी-लम्बी यात्राएँ किया करते थे। गान्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जिसने विदेह से गान्धार तक की यात्रा की थी। इन दोनों नगरों का अन्तर १,२०० मील के लगभग है। वाराणसी उस समय व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसके साथ बहुत-से नगरों और देशों के व्यापार का उल्लेख जातकों में मिलता है। कम्बोज, काम्पिल्य, कपिलवस्तु, कोशल, कुरुक्षेत्र, कुह, कुशीनारा, कौशाम्बी, मिथिला, मथुरा, पाञ्चाल, सिन्ध, उज्जयिनी, विदेह आदि के साथ वाराणसी का व्यापार का वर्णन इस बात को सूचित करता है, कि उस समय में यह नगर व्यापार का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ से सार्थ विविध देशों में व्यापार के लिए जाया करते थे। वाराणसी से कम्बोज, सिन्ध और उज्जयिनी बहुत दूर है। इतनी दूर व्यापार के लिए जानेवाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि बौद्ध-काल में भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था।

स्थल-मार्ग के अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिए नदियों का भी प्रयोग होता था। उस समय में गंगा नदी का जहाजों के आने-जाने के लिए बहुत उपयोग था। जातक-कथाओं में वाराणसी आनेवाले जहाजों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। महाजनक जातक से सूचित होता है, कि बौद्ध-काल में गंगा में बहुत-से जहाज आते-जाते थे। गंगा के अतिरिक्त अन्य भी अनेक नदियाँ व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयुक्त होती थी।

बौद्ध-काल में स्थलमार्ग से व्यापार करनेवाले व्यापारी किन मार्गों से आया-जाया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाओं में

मिलते हैं। रीज डेविड्स ने बौद्ध-ग्रन्थों के आधार पर इन मार्गों को इस प्रकार निश्चित किया है—

(१) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को—यह मार्ग सावट्टी से पतित्ठान जाता था। पतित्ठान से चलकर माहिष्मती, उज्जयिनी, गोनद, (गोनर्द) विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होते हुए फिर सावट्टी पहुँचते थे।

(२) उत्तर से दक्षिण-पूर्व को—यह मार्ग सावट्टी से राजगृह जाता था। यह रास्ता सीधा नहीं था, अपितु सावट्टी से हिमालय के समीप-समीप होता हुआ वैशाली के उत्तर में हिमालय की उपत्यका में पहुँचता था, और वहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ता था। इसका कारण शायद यह था, कि हिमालय से निकलनेवाली नदियों को ऐसे स्थान से पार किया जा सके, जहाँ कि उनका विस्तार अधिक न हो। नदियाँ पहाड़ के समीप बहुत छोटी होती हैं, वहाँ वे अधिक गहरी भी नहीं होतीं। इस मार्ग में सावट्टी से चलकर सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हृत्थिगाम, भण्डगाम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालन्दा रास्ते में आते थे। यह रास्ता आगे गया की तरफ मुड़ जाता था, और वहाँ एक अन्य मार्ग से जाकर मिल जाता था, जो कि वाराणसी से ताञ्जलिप्ति (समुद्रतट पर) की तरफ गया था।

(३) पूर्व से पश्चिम को—यह मार्ग भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा और यमुना के साथ-साथ जाता था। इन नदियों में नौकाएँ और जहाज भी चलते थे, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। बौद्ध-काल में गंगा नदी में सहजाती नामक नगर तक तथा यमुना में कौशाम्बी तक जहाज आया-जाया करते थे। इस मार्ग में कौशाम्बी का बहुत महत्व था। यहाँ उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को जानेवाला मार्ग भी मिल जाता था। नौकाओं तथा जहाजों से जानेवाला माल कौशाम्बी में उतार दिया जाता था, और उसे गाड़ियों पर लादकर उत्तर या दक्षिण में पहुँचाया जाता था।

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के अतिरिक्त व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण मार्ग भी बौद्ध-काल में विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं। जातको में विदेह से गान्धार, मगध से सीवीर और भरुकच्छ से समुद्रतट के साथ-साथ सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों का वर्णन है। विदेह से गान्धार तथा मगध से सीवीर जानेवाले व्यापारी किन मार्गों का अनुसरण करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं है। पर यह निश्चित है, कि इन सुदूरवर्ती यात्राओं के कारण उस समय में व्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत हो चुके थे।

बौद्ध-काल के व्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार के लिए जाया करते थे, जहाँ निश्चित मार्ग नहीं थे, या जिनके मार्ग सर्वसाधारण को ज्ञात न थे। ऐसे साधों (काफिलों) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो भागों का भली-भाँति परिज्ञान रखते हों। इन लोगों को 'थलनियामक' कहा जाता था। ये थलनियामक नक्षत्रों तथा ज्योतिष के ग्रन्थ तत्वों के अनुसार मार्ग का निश्चय करते थे। थलनियामकों से सघन जंगलों, विस्तीर्ण मरुस्थलों तथा महासमुद्रों में मार्ग का पता लगाने में सहायता मिलती थी। जातक-कथाओं में लिखा है, विस्तीर्ण मरुस्थलों में यात्रा करना उसी प्रकार का है, जैसे महासमुद्र में यात्रा करना। अतः उनके लिए भी मार्ग प्रदर्शकों की आवश्यकता अनिवार्य होती थी। उस समय में दिग्दर्शक-यन्त्रों का आविष्कार नहीं

हुआ था। इस प्रकार के यन्त्रों का उल्लेख कहीं बौद्ध-साहित्य में नहीं है। इसलिए मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी। समुद्र में दिशा जानने के लिए एक अन्य साधन भी बौद्ध-काल में प्रयुक्त किया जाता था। उस समय के नाविक अपने साथ एक विशेष प्रकार के कौबे रखते थे, जिन्हे 'दिशाकाक' कहते थे। जब नाविक रास्ता भूल जाते थे, और स्थल का कहीं भी पता न चलता था, तो इन 'दिशाकाकों' को उड़ा दिया जाता था। ये 'दिशाकाक' जिधर जमीन देखते थे, उधर की ओर उड़ते थे, और उधर ही नाविक लोग अपने जहाजों को भी ले चलते थे। महासमुद्र के बीच में तो इन दिशाकाकों का विशेष उपयोग नहीं हो सकता था, पर सामान्य समुद्र-यात्राओं में इनसे बहुत सहायता मिलती थी।

दिग्दर्शक-यन्त्र के अभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी। अनेक बार नाविक लोग मार्ग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते थे। जातक-ग्रन्थों में रास्ते से भटककर नष्ट होनेवाले अनेक जहाजों की कथाएँ लिखी हैं। पण्डर जातक में कथा आती है, कि पाँच सौ व्यापारी महासमुद्र में जहाज लेकर गये। अपनी यात्रा के सत्रहवें दिन वे मार्ग भूल गये। स्थल का चिह्न कहीं इष्टिगोचर नहीं होता था। परिणाम यह हुआ, कि वे सब नष्ट हो गये और मछलियों के प्रास बन गये।

जल और स्थल के इन मार्गों से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, इस सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते। जातक-कथाओं के लेखक इतना लिखकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, कि व्यापारियों ने ५०० व १,००० गाड़ियाँ बहुमूल्य भाण्ड (व्यापारी पदार्थ) से भरी और व्यापार के लिए चल पड़े। पर इन गाड़ियों में कौन-से बहुमूल्य भाण्ड को भरा गया, यह बताने का वे कष्ट नहीं करते। जो दो-चार निर्देश इस विषय में मिलते हैं, उनका जिक्र करना उपयोगी है। बौद्ध-काल में वस्त्र-व्यवसाय के लिए वाराणसी और शिवि-देश सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। महापरिनिम्बान सुत्तान्त में वाराणसी के वस्त्रों की बहुत प्रशंसा की गयी है, और लिखा है कि वे अत्यन्त महीन होते हैं। महावग्ग में शिविदेश के वस्त्रों को बहुमूल्य बताया गया है। सिन्ध के घोड़े उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। जातकों के अनुसार प्राच्य देश के राजा उत्तर तथा पश्चिम के घोड़ों को पसन्द करते थे, और उन्हीं को अपने पास रखते थे। अनेक स्थानों पर घोड़ों के सौदागरों का वर्णन है, जो उत्तरापथ से आकर वाराणसी में घोड़े बेचा करते थे।

मुद्रा-पद्धति तथा वस्तुओं के मूल्य—बौद्ध-काल की मुद्रा-पद्धति के सम्बन्ध में बौद्ध-ग्रन्थों से अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। उस समय का प्रधान सिक्का 'काहा-पन' या 'कार्षापण' होता था। परन्तु इसके अतिरिक्त निष्क, सुवर्ण और धारण नाम के सिक्कों का भी इस काल में प्रचलन था।

निष्क सोने का सिक्का था, जिसका भार ४०० रत्ती होता था। 'सुवर्ण' भी सोने-का ही सिक्का था, जो भार में ८० रत्ती होता था। पर बौद्ध-काल का प्रधान सिक्का कार्षापण था। यद्यपि मुख्यतया ये तबिके होते थे, पर इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि कार्षापण सोने और चाँदी के भी बनाए जाते थे।

इन विविध सिक्कों का भार कितना होता था, और वर्तमान सिक्कों में इनका मूल्य कितना था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीड डेविड्स निम्नलिखित परिणाम पर पहुँची हैं—

सोने के १४६ ग्रैन = १६ सोने के माषक = १ मुवर्ण

चाँदी के १४६ ग्रैन = १६ चाँदी के माषक = १ धरण

ताँबे के १४६ ग्रैन = १६ ताँबे के माषक = १ कार्पापण

इस आधार पर इन सिक्कों के मूल्यों का हिसाब इस प्रकार लगाया गया है—

१ मुवर्ण = १ पौ० ५ शि०

१ धरण = ६ पॅस (१२ पॅस = १ शिलिंग)

१ कार्पापण = १ पेस

विनिमय की सुगमता के लिए बौद्ध-काल में धातुनिक झठन्नी, चवन्नी, इकन्नी आदि की तरह अर्धकार्पापण, पादकार्पापण आदि अन्य सिक्के भी होते थे। बहुत छोटी कीमती के लिए माषक और काकणिका का प्रयोग किया जाता था।

विविध वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंजक निर्देश बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं। विनय-पिटक के अनुसार एक मनुष्य के एक बार के आहार के लिए उपयुक्त भोजन-सामग्री एक कार्पापण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। बौद्ध-भिक्षुओं के लिए उपयुक्त चीवर भी एक कार्पापण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु भिक्षुओं के लिए उपयुक्त वस्त्र १६ कार्पापणों में बनता था। बौद्ध-ग्रन्थों में एक हजार तथा एक लाख कार्पापणों में बिकनेवाले वस्त्रों का भी उल्लेख है।

पशुओं की कीमतें भिन्न-भिन्न होती थी। महाउम्मग जातक के अनुसार गधे की कीमत = कार्पापण होती थी। गामणिचण्ड जातक और कन्हू जातक के अनुसार बैलों की एक जोड़ी २४ कार्पापणों में खरीदी जा सकती थी। दास-दासियों की कीमत उनके गुणों के अनुसार कम-अधिक होती थी। वेस्सन्तर जातक में एक दासी का वर्णन है, जिसकी कीमत १०० निष्क से भी अधिक थी। दुर्गन जातक और नन्द जातक में ऐसे दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्पापणों से ही प्राप्त किये जा सकते थे। घोड़े उस समय में महँगे थे। जातकों में घोड़ों की कीमत १,००० कार्पापण से लेकर ६,००० कार्पापण तक लिखी गयी है।

उस समय में वेतन तथा भृति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ निर्देश मिलते हैं। राजकीय सेवक की न्यूनतम भृति १ कार्पापण दैनिक होती थी। नाई को बाल काटने के बदले में = कार्पापण तक दिये जाते थे। गणिका की फीस ५० से १०० कार्पापण तक होती थी। अत्यन्त कुशल घनुर्चारी को १,००० कार्पापण तक मिलता था। रथ किराये पर लेने के लिए = कार्पापण प्रति घण्टा दिया जाता था। एक मछली की कीमत ७ माषक तथा शराब के एक गिलास की कीमत १ माषक लिखी गयी है। तक्षशिला में अध्ययन के लिए जानेवाले विद्यार्थी अपने आचार्य को १,००० कार्पापण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इन घोड़े-से निर्देशों से हम बौद्ध-काल की कीमतों के सम्बन्ध में कुछ अनुमान कर सकते हैं।

(४) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

विवाह तथा गृहस्थ-जीवन—बौद्ध-साहित्य में तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख है—प्राजापत्य, स्वयंवर और गान्धर्व। सामान्यतया, विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता था, जिसमें परम्परागत प्रथा के अनुसार समान जाति के कुलों में माता-पिता की इच्छानुसार विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया जाता था। परन्तु स्वयंवर तथा गान्धर्व-विवाहों के भी अनेक उदाहरण बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं, और इन्हें भी धर्मानुकूल माना जाता था। कुणाल जातक में कुमारी कण्हा के स्वयंवर का उल्लेख है, जिसने कि अपनी इच्छा के अनुसार पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था। नच्च जातक में एक कुमारी का वर्णन है, जिसने अपने पिता से यह वर माँगा था, कि उसे अपनी इच्छानुसार पति बरण करने का अवसर दिया जाए। पिता ने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और उसके लिए एक स्वयंवर सभा बुलाई गयी, जिसमें दूर-दूर से कुमार एकत्रित हुए। गान्धर्व-विवाह के भी अनेक दृष्टान्त बौद्ध-ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। कट्टहारि जातक में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त की कथा आती है, जो एक बार जंगल में भ्रमण कर रहा था। उसने देखा कि कोई अनिन्द्य मुन्दरी बालिका बड़ी सुरीली तान में गा रही है। राजा ब्रह्मदत्त उसे देखते ही मुग्ध हो गया और उन दोनों ने वहीं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया। इसी प्रकार भवन्ति के राजा चण्ड प्रद्योत की कन्या वामवदत्ता (वासुलदत्ता) का उदयन के साथ विवाह भी गान्धर्व-विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। धम्मपदटीका में कुमारी पाटच्चरा का वर्णन आया है, जिसने अपने माता-पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध को टुकराकर अपनी इच्छा से विवाह किया था।

सामान्यतया, विवाह समान जाति और कुल में होते थे। पर बौद्ध-ग्रन्थों में इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है, जबकि विवाह करते हुए अपनी जाति व कुल का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कोशल राज्य के प्रसिद्ध राजा पसेनदी (अग्निदत्त प्रसेनजित्) ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मल्लिका के साथ विवाह किया था। दिव्यावदान में एक ब्राह्मण कुमारी का उल्लेख आया है, जिसने शार्दूलकर्ण नाम के शूद्र-कुमार के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार धम्मपदटीका में कुण्डलकेशी नामक एक कुलीन महिला की कथा आती है, जिसने एक डाकू के साथ विवाह करने में कोई सकोच नहीं किया था। कन्याओं का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की आयु में किया जाता था। बाल-विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। धम्मपदटीका में राजगृह के श्रेष्ठी की कन्या कुण्डलकेशी का उल्लेख आया है, जो सोलह वर्ष की आयु तक अविवाहित रही थी। वहाँ यह भी लिखा है कि यही आयु है, जिसमें कि स्त्रियाँ विवाह के लिए इच्छुक होती हैं।

बौद्ध-काल के विवाहों में दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी। धम्मपदटीका में श्रावस्ती के श्रेष्ठी मिगार की कथा आती है, जिसने अपनी कन्या विशाखा के विवाह में निम्नलिखित वस्तुएँ दहेज में दी थी—धन से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, सुवर्ण-पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, रजत के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, तंबके के पात्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ, विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों से पूर्ण पाँच सौ गाड़ियाँ और इसी

प्रकार थी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पाँच-पाँच सौ गाड़ियाँ, साठ हजार वृषभ तथा साठ हजार गौर्षे। नहान-चुन्न-मूल्य के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की बात तो स्थान-स्थान पर बौद्ध-साहित्य में मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने मगधराज बिम्बिसार के साथ अपनी कन्या कोशलदेवी का विवाह करते हुए काशी का एक प्रदेश, जिसकी आमदनी एक लाख वार्षिक थी, नहान-चुन्न-मूल्य के रूप में प्रदान किया था। यही प्रदेश फिर कुमारी बजिरा के विवाह के अवसर पर अजातशत्रु को प्रदान किया गया था। इसी प्रकार श्रावस्ती के धनकुबेर श्रेष्ठी निगार ने ५४ कोटि धनराशि अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर नहान-चुन्न-मूल्य के रूप में दी थी।

बौद्ध-काल में पारिवारिक जीवन का क्या आदर्श था, इसका बड़ा सुन्दर परिचय उन शिक्षार्थों से मिलता है, जो उस समय की बधुओं को दी जाती थी। ये शिक्षाएँ निम्नलिखित हैं—(१) अन्दर की अग्नि बाहर न ले जाओ। (२) बाहर की अग्नि को अन्दर न लाओ। (३) जो दे, उसी को प्रदान करो। (४) जो नहीं देता, उसको प्रदान न करो। (५) जो देता है, और जो नहीं देता है, उन दोनों को प्रदान करो। (६) सुख के साथ बैठो। (७) सुख के साथ भोग करो। (८) सुख के साथ शयन करो। (९) अग्नि की परिचर्या करो। (१०) कुल देवता का सम्मान करो।

सूत्र रूप से उपदिष्ट की गयी इन शिक्षाओं का क्या अभिप्राय है, इसका विवेचन भी बौद्ध-साहित्य में किया गया है। हम उसे संक्षेप के साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं—

(१) अपने घर की अन्दरूनी बातचीत को बाहर न कहो। घर में जो बातें होती हैं, जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनका जिक्र दूसरों से यहाँ तक कि नीकरों से भी न करो। (२) बाहर के भगडों को घर में प्रविष्ट न होने दो। (३) घर की वस्तु उसी को उधार दो, जो उसे वापिस कर दे। (४) घर की वस्तु उसे कभी उधार न दो, जो उसे वापिस न लौटाए। (५) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी हैं, उन्हें इस बात की अपेक्षा किये बिना कि वे वापस देते हैं या नहीं, दान करो। (६) जिसके सम्मुख बैठना मुनासिब है, उसके सम्मुख बैठो रहो। जिसके आने पर खड़ा रहना आवश्यक है, उसके सम्मुख मत बैठो। सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करो। (७) पति के पूर्व भोजन न करो। इसी प्रकार अपनी सास तथा श्वशुर को भली-भाँति भोजन कराने के अनन्तर ही स्वयं भोजन करो। (८) अपने पति से पूर्व सोओ नहीं। परिवार के विविध सदस्यों के प्रति अपने सम्पूर्ण कर्तव्यों को कर चुकने के अनन्तर फिर शयन करो, पूर्व नहीं। (९) अपने पति, श्वशुर तथा सास को अग्नि के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। (१०) जब कोई भिक्षु भिक्षा के लिए घर के द्वार पर आये, तो उसे भोजन कराके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए।

ग्यारहवाँ अध्याय

अशोक की धर्म-विजय और बौद्ध-धर्म का प्रसार

(१) धर्म विजय का उपक्रम

भारत के इतिहास में अशोक का महत्त्व बहुत अधिक है। वह न केवल एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, अपितु उसके प्रवलन से भारतीय धर्म और संस्कृति का देश-विदेश में प्रचार होने में भी बहुत सहायता मिली थी। इस सम्बन्ध में हमें उसके कर्तृत्व का शिलालेखों, स्तम्भलेखों व गुहालेखों से परिचय मिलता है।

अशोक के महत्त्व का मुख्य कारण उसकी धर्म-विजय की नीति है। मागध-साम्राज्य की विश्वविजयिनी शक्ति को सिकन्दर और सीजर की तरह अन्य देशों पर आक्रमण करने में न लगाकर उसने धर्म-विजय के लिए लगाया। कलिङ्ग को जीतने में लाखों आदमी मारे गये थे या कैद हुए थे, और लाखों स्त्रियाँ विधवा तथा बच्चे अनाथ हो गए थे। यह देखकर अशोक के हृदय में विचार आया, कि जिससे लोगों का इस प्रकार वध हो, वह विजय निरर्थक है। कलिङ्ग में हुए घन-जन के विनाश से उसे बहुत दुःख और अनुताप हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब वह किसी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिये भी उसने यही आदेश दिया, कि वे शस्त्रों द्वारा नये प्रदेशों की विजय न करें, और जो धर्म-द्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक विजय समझे।

इसी विचार से अशोक ने सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित अन्तियोक आदि द्वारा शासित यवन राज्यों में शस्त्र-विजय की जगह धर्म-विजय का उपक्रम किया। मागध-साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि अशोक चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर सकता था। पर कलिङ्ग विजय के बाद जो अनुताप की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने अपनी नीति को बदल दिया। इसीलिए उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों) को यह आज्ञा दी—“शायद आप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत (सीमावर्ती राज्य) अभी तक जीते नहीं गये हैं उनके संबंध में राजा की क्या आज्ञा है। अन्तों के बारे में मेरी यही इच्छा है कि वे मुझसे डरें नहीं, और मुझपर विश्वास रखें। वे मुझसे सुख ही पायेंगे। दुःख नहीं। वे यह विश्वास रखें, कि जहाँ तक क्षमा का बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा का बर्ताव ही करेगा।” (दूसरा कलिङ्ग-लेख)।

यही भाव उन आटविक जातियों के प्रति प्रगट किया गया, जो उस समय के महाकांतारों में निवास करती थी, और जिन्हें शासन में रखने के लिये राजाओं को

सदा शस्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता रहती थी। शस्त्रों द्वारा विजय की नीति को छोड़कर अशोक ने धर्म द्वारा विजय को अपनाया था।

अशोक का धर्म से क्या अभिप्राय था ? जिस धर्म से वह अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्या वह कोई सम्प्रदाय-विशेष था या धर्म के सर्वसम्मत सिद्धान्त ? अशोक के शिलालेखों से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है—“धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय, माता-पिता की सेवा की जाय, मित्र-परिचित, रिश्तेदार श्रमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिंसा न की जाय।”

एक अन्य लेख में अशोक ने ‘धम्म’ को इस प्रकार समझाया है—“माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। (प्राणियों के) प्राणों का आदर इठता के साथ करना चाहिये, (अर्थात् जीवाहिंसा नहीं करनी चाहिये)। सत्य बोलना चाहिये, धम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी को आचार्य की सेवा करनी चाहिये और सबको अपने जाति-भाइयों के प्रति उचित बर्ताव करना चाहिये। यही प्राचीन (धर्म की) रीति है। इससे आयु बढ़ती है, और इसी के अनुसार मनुष्यों को चलना चाहिये”

इसी प्रकार अन्यत्र लिखा है—“माता-पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमण को दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संभय करना अच्छा है।” फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है—“धर्म करना अच्छा है। पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत-से अच्छे काम करे, दया, दान, सत्य और शौच (पवित्रता) का पालन करे।”

इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि अशोक का धम्म से अभिप्राय आचार के सर्वसम्मत नियमों से था। दया, दान, सत्य, मार्दव, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिंसा आदि गुण ही अशोक के धम्म थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अशोक अपने धम्म के सन्देश को ले जाने के लिए उत्सुक था। इसीलिए उसने बार-बार जनता के साधारण व्यवहारों और धम्म-व्यवहार में तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाओं को उद्धृत करना उपयोगी है। चतुर्दश शिलालेखों में से नवाँ लेख इस प्रकार है—‘लोग विपत्ति-काल में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, सन्तान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय और इसी तरह के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियाँ अनेक प्रकार के क्षुद्र और निरर्थक मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार अवश्य करना चाहिए, किन्तु इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः अल्प फल देने वाले होते हैं। पर धर्म का मंगलाचार महाफल देने वाला है। इसमें (धर्म के मंगलाचार में) दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का आदर, प्राणियों की अहिंसा और ब्राह्मणों व श्रमणों को दान—यह सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं। इसलिए पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, साथी और कहाँ तक कहें, पड़ोसी तक को भी यह कहना चाहिए—यह मंगलाचार अच्छा है, इसे तब तक करना चाहिए, जब तक अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो। यह कैसे ? (अर्थात् धर्म के मंगलाचार से अभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार

के जो मंगलाचार हैं, वे सन्दिग्ध हैं, अर्थात् उनसे कभी कार्य सिद्ध हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता। सम्भव है, उनसे केवल ऐहिक फल ही मिलें। किन्तु धर्म के मंगलाचार काल से परिच्छिन्न नहीं हैं (अर्थात् सब काल में उनसे फल मिल सकता है)। यदि इस लोक में उनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति न हो, तो परलोक में तो अनन्त पुण्य होता ही है। यदि इस लोक में अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए अर्थात् यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, और परलोक में भी अनन्त पुण्य प्राप्त हुआ।'

इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण दान और धर्म दान में तुलना की गयी है। अशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है। इसलिए जिस व्यक्ति को दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धर्म का दान क्या है? धर्म का अनुष्ठान। अतः माता-पिता की सेवा की जाय, हिंसा न की जाय, दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय। सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने और धर्म का अनुष्ठान करे। एक अन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और धर्म-विजय में भेद किया है। साधारणतया, राजा लोग शस्त्र द्वारा विजय करते हैं, पर धर्मविजय शस्त्रों द्वारा नहीं की जाती। इसके लिए तो दूसरों का उपकार करना होता है। धर्मविजय के लिए जनता का 'हित और सुख' सम्पादित करना होता है, बुरे मार्ग से हटकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होना होता है, और सब प्राणियों को निरापद, संयमी, शान्त और निर्भय बनाने का उद्योग करना होता है। यह विजय दया और त्याग से प्राप्त की जाती है।

इनके अतिरिक्त धर्म की पूर्णता के लिए कुछ अवगुणों से भी बचने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके, 'भ्रासीनव' कम करने चाहियें। पर ये भ्रासीनव हैं क्या? चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या। अशोक ने लिखा है—मनुष्य को यह समझना चाहिए कि चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान और ईर्ष्या—ये सब पाप के कारण हैं; और उसे अपने मन में सोचना चाहिए, कि इन सबके कारण मेरी निन्दा न हो। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि इस मार्ग से मुझे इस लोक में सुख मिलेगा और मेरा परलोक भी बनेगा।

ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है, कि यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध-धर्म का अनुयायी था, पर उसने जिस धर्म-विजय के लिए उद्योग किया, वह किमी सम्प्रदाय-विशेष की विजय न होकर सब धर्मों के सर्वसम्मत सिद्धान्तों का प्रचार ही थी।

(३) धर्म-विजय के साधन

अशोक ने धर्म-विजय की स्थापना के लिए अपने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार करने का उद्योग किया। भारत में जो क्रूरता व अकारण हिंसा प्रचलित थी, उसे अशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। "जहाँ किसी प्राणी की हत्या होती हो, ऐसा होम नहीं करना चाहिए, और न 'समाज' करना चाहिए। देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखता है। किन्तु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा अच्छा मानता है। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोईघर में शोरवे के लिए प्रतिदिन सैकड़ों-हजारों प्राणी मारे जाते थे। पर अब जब

यह धर्मलिपि लिखी गयी, केवल तीन प्राणी, दो भोर और एक मृग मारे जाते हैं, वह मृग भी सदा नहीं। भविष्य में ये तीन प्राणी भी न मारे जायेंगे।”

प्राचीन भारत में ‘समाज’ का अभिप्राय उन समारोहों से था, जिनमें रथों की दौड़ और पशुओं की लड़ाई होती थी, और उनपर बाजी लगायी जाती थी। इनमें पशुओं पर अकारण क्रूरता होती थी। ऐसे ‘समाज’ अशोक को पसंद नहीं थे। परन्तु कुछ ऐसे समाज भी थे, जिनमें गाना-बजाना और अन्य निर्दोष बातें होती थी। इनमें विमान, हाथी, अग्निस्कंध आदि के दृश्य दिखाये जाते थे। अशोक को ऐसे समाजों से कोई एतराज नहीं था। अशोक ने उन प्राणियों का वध सर्वथा रोक दिया, जो न खाये जाते हैं, और न किसी अन्य उपयोग में ही आते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित थे—सुग्गा, मैना, अरुण, चकोर, हंस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका (चमगीदड़), अबाक-पीलिका, कछुआ, बिना हड्डी की मछली, जीबजीवक, गंगापुटक, संकुजमत्स्य, साही, पर्णगश, बारहसिंगा, साड, ओकपिंड, मृग, सफेद कबूतर और ग्राम के कबूतर। ये प्राणी केवल शौक के कारण मारे जाते थे। अशोक ने इस प्रकार की व्यर्थ हिंसा के विरुद्ध अपने शिलालेखों द्वारा आदेश जारी किया था। भोजन अथवा अन्य उपयोग के लिए जो पशुवध किया जाता है, उसे भी कम करने के लिए अशोक ने प्रयत्न किया था। वह लिखता है—‘गामिन या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ी और मुअरी तथा इनके बच्चों को, जो छः महीने तक के हो, नहीं मारना चाहिए। मुर्गों को बधिया नहीं करना चाहिए। जीवित प्राणियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिए। अन्न चरने या प्राणियों की हिंसा के लिए वन में आग नहीं लगानी चाहिए। प्रति चार-चार महीनों की, तीन ऋतुओं की तीन पूर्णमासियों के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली नहीं मारनी चाहिए। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा तालाबों में दूसरे प्रकार के प्राणी भी नहीं मारे जाने चाहिए।’

पशुओं को कष्ट से बचाने के लिए अशोक ने यह भी प्रयत्न किया, कि उन्हें दागा न जाय। इसीलिए पशुओं को दागने में अनेक बाधाएँ उपस्थित की गयी। ‘प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमा तथा पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चार-चार महीने के त्यौहारों के दिन बैल को नहीं दागना चाहिए। बकरा, भेडा, मुअर और इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जा सकते हैं, नहीं दागना चाहिए। पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्लपक्ष में घोड़े और बैल को नहीं दागना चाहिए।’ इन सब आदेशों का प्रयोजन यही था, कि व्यर्थ हिंसा न हो और लोगों की दया तथा अहिंसा की ओर प्रवृत्ति हो।

धर्म-विजय के लिये ही अशोक ने धर्म-यात्राओं का आरंभ किया। यात्रा तो पहले सम्राट् भी करते थे, पर उनका उद्देश्य आनंद व मौज करना होता था। वे विहार-यात्राएँ करते थे, धर्म-यात्रा नहीं। अशोक ने धर्म-यात्राओं का आरंभ किया। इनमें शिकार आदि द्वारा समय नष्ट न करके श्रमणों, ब्राह्मणों और वृद्धों का दर्शन, उन्हें दान देना, जनता के पास जाकर उसे उपदेश देना और धर्म-विषयक विचार करना होता था।

अपने राजकर्मचारियों को अशोक ने यह आदेश दिया, कि ये जनता के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें, किसी को अकारण दंड न दें, और किसी के प्रति कठोरता का बर्ताव न करें। उसने लिखा है—‘देवताओं के प्रिय की ओर से तोसली के महामात्य नगरव्यावहारिकों (न्यायाधीशों) को ऐसे कहना। आप लोग हजारों प्राणियों के ऊपर इसलिए नियुक्त किये गये हैं, कि जिससे हम अच्छे मनुष्यों के स्नेहपात्र बनें। आप लोग इस अभिप्राय को भली-भाँति नहीं समझते। एक पुरुष भी यदि बिना कारण (बिना अपराध) बाँधा जाता है, या परिक्लेश पाता है, तो उससे बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है। ऐसी दशा में आपको मध्यमार्ग से (अत्यंत कठोरता और अत्यंत दया दोनों का त्याग कर) चलना चाहिए। किन्तु ईर्ष्या, निठल्लापन, निठुरता, जल्दबाजी, अनम्यास, झालस्य और तंद्रा के रहते ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, कि ये (दोष) न आएँ। इसका भी मूल उपाय यह है, कि सदा झालस्य से बचना और सचेष्ट रहना। इसलिए सदा काम करते रहो, चलो, उठो, भागे बढ़ो। नगर-व्यावहारिक सदा अपने समय (प्रतिज्ञा) पर दृढ़ रहें। नगरजन का अकारण बंधन और अकारण परिक्लेश न हो। इस प्रयोजन के लिए मैं धर्मानुसार प्रति पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिए निकलूँगा। उज्जयिनी से भी कुमार हर तीसरे वर्ष ऐसे ही वर्ग को निकालेगा, और तक्षशिला से भी।’ इस प्रकार के आदेशों का उद्देश्य यही था, कि साम्राज्य का शासन निर्दोष हो, राजकर्मचारी जनता के कल्याण में तत्पर रहे और किसी पर अत्याचार न होने पाए।

धर्म-विजय के मार्ग को निष्कण्टक करने के लिए यह भी आवश्यक था, कि विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल पैदा किया जाय। अशोक ने लिखा है—‘देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी, सब सम्प्रदाय वालों का सत्कार करते हैं। किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जड़ बाणी का सयम है, अर्थात् लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे सम्प्रदाय की निंदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निंदा होनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी कारण से सब सम्प्रदायों का आदर करना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, और दूसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भक्ति में अंधकार, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरे सम्प्रदाय की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है। समवाय (मेल-जोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। क्योंकि देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब सम्प्रदाय वाले बहुत विद्वान् और कल्याण का कार्य करने वाले हों, इसलिए जहाँ-जहाँ जो सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिए कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना बढ़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि

हो।' जनता को यह बात समझाने के लिए कि वे केवल अपने सम्प्रदाय का आदर न करें, अपितु अन्य मतमतान्तरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, सब मतवाले वाणी के संयम से काम लें, और परस्पर भेल-जोल से रहें, अशोक ने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की। उनके साथ ही स्त्री-महामात्र, ब्रजभूमिक तथा अन्य राजकर्मचारीगण भी यही बात लोगों को समझाने के लिए नियत किये गये।

इन धर्म-महामात्रों की नियुक्ति के प्रयोजन को एक अन्य लेख में भली-भाँति स्पष्ट किया गया है—'बीते जमानों में धर्ममहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इसलिए मैंने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म-महामात्र नियुक्त किये। वे सब पाषण्डों (सम्प्रदायों) के बीच नियत हैं। वे धर्म के अघिष्ठान के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए तथा धर्मयुक्त लोगो के सुख के लिए हैं। वे श्रुत्यों, ब्राह्मणों, धनी गृहपतियों, धनार्थों एवं बूढ़ों के बीच हित-सुख के लिए, धर्मयुक्त प्रजा की अपरिबाधा (बाधा से बचाने) के लिए संलग्न हैं। बंधन और बध को रोकने के लिए, बाधा से बचाने के लिए, कैद से छुड़ाने के लिए, जो बहुत संतानवाले हैं व बूढ़े हैं, उनके बीच वे कार्यरत हैं। वे यहाँ पाटलिपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब अतःपुरों में, (मेरे) भाइयों के, बहनों के और अन्य जातियों के बीच सब जगह कार्यरत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, सर्वत्र ये धर्ममहामात्र नियुक्त हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का काम यह था, कि वे सब सम्प्रदायों में भेल कायम कराएँ, जनता के हित और सुख के लिए यत्न करें, और धर्मानुकूल आचरण करने वाली प्रजा को सब बाधाओं से बचाए रखें। शासन में किसी पर कठोरता न हो, कोई व्यर्थ कैद न किया जाए, और किसी की व्यर्थ हत्या न हो; जो गरीब लोग हैं, या जिनपर गृहस्थी की अधिक जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे लोगो के साथ विशेष रियायत का बर्ताव हो; धर्ममहामात्र इन्ही बातों के लिए सब नगरों में, सब सम्प्रदायों में व अन्यत्र नियुक्त किए गए थे।

ये धर्ममहामात्र केवल मौर्य-साम्राज्य में ही नहीं, अपितु सीमांतवर्ती स्वतन्त्र राज्यों में भी नियत किए गए थे। अपने 'विजित' में भली-भाँति धर्मस्थापना हो जाने के बाद अन्य देशों में भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुरू किया गया। अशोक ने अपने शिलालेखों में इन सब राज्यों के नाम दिए हैं। सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी तथा पश्चिम में अंतियोक का यवन-राज्य तथा उससे भी परे के तुरुमय, मक, अलिकसुन्दर और अंतिकिनि द्वारा शासित राज्य, सर्वत्र अशोक ने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की। ये धर्ममहामात्र अपने धर्म-विजय के उद्योग में केवल विविध सम्प्रदायों में भेल-जोल का ही यत्न नहीं करते थे, अपितु उनके सम्मुख कुछ ठोस काम भी था। 'देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा मैं कहता हूँ—मैंने सब जगह मार्गों पर बरगद के वृक्ष लगवा दिए हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को छाया मिले। आमों की बाटिकाएँ लगवा दी हैं। आठ-आठ कोस पर मैंने कुएँ खुदवाए हैं, और सरायें बनवायी हैं। जहाँ-तहाँ पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए बहुत-से प्याऊँ बँटा दिए हैं। किन्तु ये सब आराम बहुत छोड़े हैं। पहले राजाओं ने और मैंने विविध

सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिए किया है, कि लोग धर्म का आचरण करें।

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के विजित (साम्राज्य) में सब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमांतवर्ती राजा हैं, वहाँ, जैसे चोल, पांड्य, सातियपुत्र, केरल-युत्र और ताम्रपर्णी में और अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उसके (अंतियोक के) पड़ोसी राजा हैं, उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा—एक मनुष्यों की और दूसरी पशुओं की चिकित्सा—का प्रबन्ध किया है, और जहाँ पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा के लिए उपयुक्त औषधियाँ नहीं प्राप्त होती थीं, वहाँ लायी और लगाई गयी हैं। इसी तरह से मूल और फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लाए और लगाए गए हैं। मागों में पशुओं और मनुष्यों के आराम के लिए वृक्ष लगाए और कुएँ खुदवाए गए हैं।

“यह धर्म-विजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने साम्राज्य में) तथा छः-सौ योजन परे पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। जहाँ अंतियोक नामक यवन-राजा राज्य करता है, और उस अंतियोक से परे तुरमय, अंतिकिनि, मक और अलिकमुन्दर नाम के राजा राज्य करते हैं, और उन्होंने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चोल, पांड्य, तथा ताम्रपर्णी में भी धर्म-विजय प्राप्त की है। सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करेंगे। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्म-विधान और धर्मानुशासन सुनकर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, और भविष्य में करेंगे।”

विदेशों में धर्मविजय के लिए जो महामात्र नियत किए गए थे, वे अंतमहामात्र कहाते थे। इनका कार्य उन देशों में सड़कें बनवाना, सड़कों पर वृक्ष लगवाना, कुएँ खुदवाना, सराय बनवाना, प्याऊ बिठाना, पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय खुलवाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों से जनता का हित और कल्याण सम्पादित करना था। जहाँ ये अंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और सुख करते, वहाँ साथ ही अशोक का धर्मसन्देश भी सुनाते। यह धर्मसन्देश यह था—सब सम्प्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यों—ब्राह्मणों और श्रमणों—का आदर, सेवक, दास आदि से उचित व्यवहार, व्यर्थ-हिंसा का त्याग, माता-पिता व गुरुजनों की सेवा और प्राणीमात्र की हितसाधना। अशोक की ओर से सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों में धर्म द्वारा विजय करने के लिए जो अंतमहामात्र अपने कर्मचारियों की फौज के साथ नियुक्त हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय खोलकर, मुफ्त दवा देकर, धर्मशालाएँ और कुएँ बनवाकर, सड़कें, प्याऊ और बाटिकाएँ तैयार कराके जनता की सेवा करते थे। उस समय के राजा लोग प्रायः पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे। जनता के हित और सुख पर वे कोई ध्यान नहीं देते थे। ऐसी दशा में अशोक के इन लोकोपकारी कार्यों का यह परिणाम हुआ, कि लोग अपने इन महामात्रों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। जिस धर्म के अनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिए अपने तन, मन और धन को निष्ठावर कर सकते हैं, उसके लिए लोगों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। साधारण जनता के लिए वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हित-

अहित और सुख-दुःख का ध्यान रखे, और उनके आराम के लिए चिकित्सालय, कूप, धर्मशास्त्रा आदि का प्रबन्ध करे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि इन सब विदेशी राज्यों में खून की एक भी बूँद गिराए बिना केवल पर्योपकार और प्रेम द्वारा अशोक ने अपना धर्म-साम्राज्य स्थापित कर लिया।

अशोक की इस धर्म-विजय की नीति के कारण ही अन्य देशों में बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। जिन देशों में अशोक के अंतमहामात्र लोक-कल्याण के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध-प्रचारक गए, तो उन्हें अपने कार्य में बहुत सुगमता हुई।

(३) अशोक और बौद्ध-धर्म

सम्राट् अशोक पहले बौद्ध-धर्म का अनुयायी नहीं था। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार जब अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की, तो वह बहुत क्रूर और अत्याचारी था। पर बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आया, और उसका भुकाव बौद्ध-धर्म की ओर होने लगा। क्रूरता और अत्याचारमय जीवन से ऊब कर उसने बौद्ध-भिक्षुओं के शान्तिमय उद्देश्यों में सन्तोष अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था। कर्त्तव्य-विजय में उसे जो अनुभव हुए, उन्होंने उसकी वृत्ति को बिलकुल बदल दिया। अशोक ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा सम्भवतः राजगद्दी पर बैठने के आठ वर्ष बाद ली थी।

बौद्ध-धर्म को ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब बौद्ध-तीर्थों की यात्रा की। अमात्यो के परामर्श के अनुसार इस यात्रा में उपगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध आचार्य की सहायता ली गयी। उपगुप्त मथुरा के समीप नतभक्तिकारण्य में उरुमुण्ड पर्वत पर निवास करते थे। राजा ने इन आचार्यों की विद्वत्ता और धर्मनिष्ठा के विषय में सुना, तो मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार उपगुप्त को पाटलिपुत्र आने के लिए निमन्त्रित किया। अशोक के निमन्त्रण पर वे मथुरा से पाटलिपुत्र आए, और उनके मार्गप्रदर्शन में अशोक ने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। पाटलिपुत्र से वे पहले चम्पारन जिले के उन स्थानों पर गए, जहाँ अशोक के पाँच विशाल प्रस्तरस्तम्भ प्राप्त हुए हैं। वहाँ से हिमालय की तराई के प्रदेश में से होते हुए वे पश्चिम की ओर मुड़ गए और लुम्बिनीवन जा पहुँचे। यहीं पर भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। इस जगह पहुँचकर उपगुप्त ने अपना दायीं हाथ फैलाकर कहा—‘महाराज, इसी प्रदेश में भगवान् का जन्म हुआ था।’ ये शब्द शब तक इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तरस्तम्भ पर उल्कीर्ण हैं। इस स्तम्भ पर जो लेख है, वह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है—‘देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के बीस वर्ष बाद स्वयं आकर इस स्थान की पूजा की। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ पत्थर का एक विशाल स्तम्भ और एक वृहत् दीवार खड़ी की गयी। यहाँ भगवान् का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर उठा दिया गया और (भूमि-कर के रूप में केवल) आठवाँ भाग लेना निषिद्ध किया गया।’ लुम्बिनीवन में अशोक ने बहुत दान-गुण्य किया। फिर वह कपिलवस्तु गया, वहाँ उपगुप्त ने फिर अपना दायीं हाथ फैलाकर कहा—‘महाराज, इस स्थान पर बोधिसत्व ने राजा शुद्धोदन के घर में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था।’

दिव्यावदान के अनुसार कपिलवस्तु के बाद राजा अशोक बोधिवृक्ष के दर्शन के लिए गए। यहाँ भगवान् को बोध हुआ था। अशोक ने यहाँ आकर एक लाख सुवर्ण-मुद्राएँ दान की। एक चैत्य भी इस जगह पर बनवाया गया। बोधिवृक्ष के बाद स्वविर उपगुप्त अशोक को सारनाथ ले गया, जहाँ भगवान् ने पहले-पहल धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था। सारनाथ के बाद अशोक कुशीनगर गया, जहाँ भगवान् ने निर्वाणपद प्राप्त किया था। उपगुप्त अशोक को थावस्ती और जेतवन भी ले गए। इन स्थानों पर मीढगल्यायन, महाकश्यप आदि प्राचीन बौद्ध-आचार्यों के स्थानों के भी दर्शन किए गए, और वहाँ भी बहुत-कुछ दान-पुण्य हुआ। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनन्द के स्तूप पर अशोक ने साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ अर्पित की।

बौद्ध होकर अशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिए, जो केवल बौद्ध लोगों के ही काम के थे। एक शिलालेख में उसने लिखवाया है—“भगध के प्रियदर्शी राजा संघ को अभिवादन (पूर्वक सम्बोधन करके) कहते हैं, कि वे विघ्नहीन और मुक्त से रहे। हे भदन्तगण ! आपकी मालूम है, कि बुद्ध, धम्म और संघ में हमारी कितनी भक्ति और आस्था है। हे भदन्तगण ! जो कुछ भगवान् बुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा है। पर भदन्तगण ! मैं अपनी और से (कुछ ऐसे ग्रन्थों के नाम लिखता हूँ, जिन्हें मैं अवश्य पढ़ने योग्य समझता हूँ)। हे भदन्तगण ! (इस विचार से कि) इस प्रकार सद्धर्म चिरस्थायी रहेगा, मैं इन धर्मग्रन्थों (के नाम लिखता हूँ), यथा—विनेयसमुत्तसे (विनयसमुत्कर्षः), अलियवसानि (आर्यवशः), अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूने (मोनेयसूत्रम्), उपतिसपसिने (उपतिष्यप्रश्नाः), राहुलवाद, जिसे भगवान् बुद्ध ने झूठ बोलने के बारे में कहा है। इन धर्मग्रन्थों को, हे भदन्तगण ! मैं चाहता हूँ, कि बहुत-से भिक्षु और भिक्षुणी बार-बार श्रवण करें और धारण करें और इसी प्रकार उपासक और उपासिका भी (सुनें और धारण करें)। हे भदन्तगण ! मैं इसलिए यह लेख लिखवाता हूँ, कि लोग मेरा अभिप्राय जानें।’

यह शिलालेख बड़े महत्त्व का है। इससे यह ज्ञात होता है, कि अशोक को किन बौद्ध-ग्रन्थों से विशेष प्रेम था। इन ग्रन्थों में बौद्ध-धर्म के विधि-विधानों और पारलौकिक विषयों का वर्णन न होकर सदाचार और जीवन को ऊँचा बनाने के सामान्य नियमों का उल्लेख है। अशोक की दृष्टि यही थी, कि बौद्ध लोग (भिक्षु और उपासक) भी धर्म के तत्त्व (सार) पर विशेष ध्यान दें।

बौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में अशोक का एक अन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध-संघ में फूट न पड़े, इसके लिए भी उसने उद्योग किया। इस विषय में अशोक के तीन लेख उपलब्ध हुए हैं—“देवताम्रो के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, कि पाटलिपुत्र में तथा प्रान्तों में कोई संघ में फूट न डाले। जो कोई, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी-संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद कपड़े पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जाएगा, जो भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिए उपयुक्त नहीं है (अर्थात् उसे भिक्षुसंघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा), हमारी यह आज्ञा भिक्षुसंघ और भिक्षुणीसंघ को बता दी जाए।”

“देवताम्रो के प्रिय प्रियदर्शी राजा कौशाम्बी के महामात्रों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं—संघ के निमय का उल्लंघन न किया जाय। जो कोई संघ में फूट

बालेगा, उसे दवेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान से हटा दिया जाएगा, यहाँ भिक्षु या भिक्षुणियाँ रहती हैं।”

(४) बौद्ध-धर्म का विकास

गया में बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने जो बोध (ज्ञान) प्राप्त किया था, उनका उपदेश उन्होंने पहले-पहल सारनाथ में किया। इस उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था—‘भिक्षुओ ! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, लोक पर दया करने के लिये, देवों और मनुष्यों के प्रयोजन-हित-सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ।’ इस उपदेश के बाद बुद्ध के अनेक शिष्य भारत के विविध प्रदेशों में धर्म के प्रचार के लिए गए। बुद्ध स्वयं प्रधानतया भारत के मध्य-देश में ही धर्म प्रचार के लिए परिभ्रमण करते रहे। उनका अपना विचरण-क्षेत्र उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक और पूर्व में लगाकर कोशी से पश्चिम में कुरुक्षेत्र तक सीमित रहा। पर उनके अनेक शिष्य उनके जीवन-काल में भी दूर-दूर के प्रदेशों में गये।

बौद्धों की प्रथम महासभा—बुद्ध के उपदेशों का ठीक-ठीक निर्वाण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों की एक सभा उनके निर्वाण के दो मास बाद राजगृह में हुई थी। इसे पालि-साहित्य में प्रथम संगीति कहा गया है। इस सभा में बुद्ध के प्रधान शिष्यों ने यह निर्णय किया, कि बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएँ क्या थी। बुद्ध ने समय-समय पर जो उपदेश दिये थे, जो प्रवचन किये थे, उन सबका इस सभा में पाठ किया गया। बुद्ध के उपदेशों और मन्तव्यों को शुद्ध रूप में संकलित करने के लिए इस सभा ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। बुद्ध के शिष्यों में उपालि को विनय या संघ के नियमों के विषय में प्रमाण माना गया; और आनन्द को धम्म (धर्म) के विषय में। उन्होंने जिस रूप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रवचन किया, धन्य भिक्षुओ ने उसे ही प्रमाण-रूप से स्वीकृत कर लिया। इस महासभा में कुल मिलाकर पाँच सौ भिक्षु एकत्र हुए थे, और उनकी यह संगीति सात मास के लगभग तक चलती रही थी।

बौद्ध-सम्प्रदायों का प्रारम्भ—महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार जिस प्रकार भारत के विविध जनपदों और विभिन्न जातियों में हो रहा था, उसमें यह स्वाभाविक था कि धर्म के मन्तव्यों और आचरण के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न होने लगे। किसी नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के जीवन व विश्वासों में धामूल-बूल परिवर्तन नहीं हो जाता। उनके अपने विश्वास व परम्परागत धर्म्यास नये धर्म पर भी प्रभाव डालते हैं, और विभिन्न देशों में एक ही धर्म विभिन्न रूप धारण कर लेता है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने वाले विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों ने उनको विभिन्न रूपों में देखा, और इससे बौद्ध-धर्म के विविध सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद उनके धर्म के दो सम्प्रदाय (निकाय) स्पष्ट रूप से विकसित हो गये थे। इन निकायों के नाम थे, स्वविरवादी और महासाधिक। इन सम्प्रदायों में महासाधिक बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने में तत्पर थे, और स्वविरवादी बुद्ध की मानवता पर विश्वास रखते थे। इस सम्प्रदायभेद का मूल आधार

यही था। धाने चलकर महासांघिक सम्प्रदाय ही महायान के रूप में परिवर्तित हुआ।
बौद्धों की दूसरी महासभा—बृद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद वैशाली नगरी में बौद्धों की दूसरी संगीति (महासभा) हुई। इसका आयोजन स्वविर यश नाम के आचार्य द्वारा किया गया था। इसका मुख्य प्रयोजन यही था, कि बौद्धों में जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो रहे थे, उनपर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय। पर इस उद्देश्य में वैशाली की संगीति को सफलता नहीं हुई। बौद्ध-भिक्षुओं के मतभेद और विवाद निरन्तर बढ़ते गये, और बाद में उनमें अनेक नये सम्प्रदायों का विकास हुआ।

अठारह सम्प्रदाय—वैशाली की महासभा के बाद सम्राट् अशोक के समय तक लगभग १२० वर्षों में बौद्ध-धर्म अठारह सम्प्रदायों (निकायों) में विभक्त हो गया था। इन निकायों के नाम निम्नलिखित थे—स्वविरवाद, हैमवत, वृजपुत्रक, धर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय, सम्मतीय, पाण्णागरिक, सर्वास्तिवादी, महीघासक, धर्मगुप्त, काश्यपीय, सौत्रनिक, महासांघिक, प्रज्ञप्तिवादी, चैतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक और गोकुलिक। इनमें से पहले बारह निकाय स्वविरवाद से उदभूत हुए थे, और पिछले छः महासांघिक सम्प्रदाय से। इनमें से कतिपय सम्प्रदायों के नाम विविध प्रदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इसमें यह सूचित होता है, कि उनका विकास विशेष रूप से उन प्रदेशों में ही हुआ था।

बौद्धों की तीसरी महासभा—बौद्ध-धर्म की तीसरी संगीति सम्राट् अशोक मौर्य के समय में पाटलिपुत्र के 'अशोकाराम' में हुई। इसका अध्यक्ष अशोक का गुरु आचार्य मोग्गलिपुत्र तिस्स (मौग्दलिपुत्र तिष्य) था। कुछ ग्रन्थों में इनी को उपगुप्त भी लिखा गया है। इस महासभा द्वारा भी यह प्रयत्न किया गया, कि विविध बौद्ध-सम्प्रदायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णय किया जाय। इस कार्य के लिए आचार्य तिष्य ने एक हजार ऐसे भिक्षुओं को चुन लिया, जो परम विद्वान् और अनुभवी थे। इन भिक्षुओं की सभा आचार्य तिष्य की अध्यक्षता में नौ मास तक होती रही। धर्मसम्बन्धी सब विवादग्रस्त विषयों पर इसमें विचार हुआ। अन्त में मौद्गलिपुत्र तिष्य का रचा हुआ 'कथावत्थु' नाम का ग्रन्थ प्रमाणस्वरूप से सबने स्वीकार किया। इस प्रकार अशोक के राज्याभिषेक के सत्रह साल बाद ७२ वर्ष के वृद्ध आचार्य मौद्गलिपुत्र तिष्य (उपगुप्त) ने बौद्ध-धर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति की। साथ ही पृथिवी काँपकर कह उठी, 'साधु'।

(५) विदेशों में धर्म-प्रचार का आयोजन

बौद्ध-धर्म के आन्तरिक अंगुणों के समाप्त हो जाने और संघ में एकता स्थापित हो जाने पर आचार्य तिष्य ने देश-विदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए एक महान् योजना तैयार की। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ, कि भिक्षुओं की मण्डलियों विविध देशों में प्रचार के लिए भेजी जायें। लंका की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इन मण्डलियों के नेताओं और उन्हें सुपुर्द किये गये देशों की सूची इस प्रकार है—

देश	प्रधान भिक्षु
काश्मीर और गान्धार	मज्झकन्तिक (मध्यान्तिक)
महिषा मण्डल	महादेव
वनवास	थेर रक्षित (रक्षित)
अपरान्तक	योनक धम्म-रक्षित
महाराष्ट्र	महा धम्मरक्षित (महाधर्मरक्षित)
योन लोक (यवन देश)	महारक्षित (महारक्षित)
हिमवंत	थेर मज्झिम और कस्सप
सुवर्ण भूमि	थेर सोण और उत्तर
लंका	महामहिन्द्र (महेन्द्र)

आचार्य तिष्य की योजना के अनुसार ये भिक्षु विविध देशों में गये, और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्य के बाद शरद् ऋतु के प्रारम्भ में विजय-यात्रा के लिए जाया करते थे। इन भिक्षुओं ने भी शरद् के शुरू में अपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया।

बौद्ध-अनुश्रुति में प्रचारक-मण्डलों के जिन नेताओं के नाम दिये गये हैं, उनके अस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी प्राप्त होती है। साञ्ची के दूसरे स्तूप के भीतर से पाये गए पत्थर के सन्दूक में एक चातुर्मंजूषा (वह संदूकड़ी, जिसमें अस्थि ब फूल रखे गए हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुत्त' उत्कीर्ण है। एक दूसरी चातुर्मंजूषा के तले पर तथा इक्कन के ऊपर और अन्दर हारितीपुत्त, मम्मिम तथा सबहिमवत्तचरिय (सम्पूर्ण हिमालय के आचार्य) कासपगोत के नाम खुदे हैं। इन मंजूषाओं में इन्हीं प्रचारकों के चातु (फूल) रखे गए थे, और वह स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। साञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक अन्य स्तूप में भी चातुर्मंजूषाएँ पायी गई हैं, जिसमें से एक पर कासपगोत का और दूसरी पर हिमालय के दुन्दुभिसर के दामाद गोतीपुत्त का नाम उत्कीर्ण है। कासपगोत और दुन्दुभिसर थेर मज्झिम के साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए गये थे। स्तूपों में प्राप्त ये चातुर्मंजूषाएँ इस बात का ठोस प्रमाण हैं, कि बौद्ध-अनुश्रुति की प्रचारक-मण्डलियों की बात यथायं सत्य है। बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रसार करने के कारण इन भिक्षुओं का भी बड़ा धादर हुआ और इनकी चातुओं पर भी वैसे ही स्तूप खड़े किये गए, जैसे कि भगवान् बुद्ध के अवशेषों पर थे। उस युग में सर्वसाधारण लोग इन महाप्रतापी व साहसी भिक्षु-प्रचारकों को कितने धादर की दृष्टि से देखते थे, इसका इससे अच्छा प्रमाण नहीं मिल सकता। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई इस महा-सभा और आचार्य मोग्गलिपुत्त तिष्य (उपगुप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध-धर्म भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैल गया।

लंका में प्रचार—जो प्रचारकमंडल लंका में कार्य करने के लिए गया, उसका नेता महेन्द्र था। महेन्द्र अशोक का पुत्र था, और उसकी माता असंधिमित्रा विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी। राजा बिभुसार के शासनकाल में जब अशोक उज्जयिनी का शासक था, उसका विवाह असंधिमित्रा के साथ हुआ था। इस विवाह से अशोक की

दो संतानें हुईं, महेन्द्र और संघमित्रा। मोद्गलिपुत्र तिष्य ने इन दोनों को भिक्षुव्रत में दीक्षित किया। भिक्षु बनते समय महेन्द्र की आयु बीस साल की थी।

इस समय में लंका का राजा 'देवताम्रो का प्रिय' तिष्य था। उसकी अशोक से बड़ी मित्रता था। राजगद्दी पर बैठने पर तिष्य ने अपना एक दूतमण्डल अशोक के पास भेजा, जो बहुत से मणि, रत्न आदि मागध सम्राट् की सेवा में भेंट करने के लिये लाया। इस दूतमण्डल का नेता राजा तिष्य का भानजा महाअरिट्ट था। लंका का दूतमण्डल सात दिन में जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति के बंदरगाह पर पहुँचा और उसके बाद सात दिन में पाटलिपुत्र। अशोक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास तक लंका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा। दूत-मण्डल को विदा करते हुए अशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश भेजा—“मैं बुद्ध की शरण में चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण में चला गया हूँ। मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने शाक्य-मुनि के धर्म का उपासक होने का व्रत ले लिया है। तुम भी इसी बुद्ध, धर्म और सवरूपी त्रिरत्न का आश्रय लेने के लिए अपने मन को तैयार करो। 'जिन' के उच्चतम धर्म का आश्रय लो। बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।”

इधर तो अशोक का यह संदेश लेकर महाअरिट्ट लंका वापस जा रहा था, उधर भिक्षु महेन्द्र लंका में धर्म-प्रचार के लिए अपने साथियों के साथ जाने को कटिबद्ध था।

लंका पहुँचकर महेन्द्र ने अनुराधपुर से आठ मील पूर्व जिस स्थान को केन्द्र बनाकर प्रचार कार्य प्रारम्भ किया, वह अब भी महिदतले कहलाता है। अशोक के संदेश के कारण देवताम्रो का प्रिय राजा तिष्य पहले ही बौद्ध-धर्म के प्रति अनुराग रखता था। महेन्द्र का उपदेश सुनकर अपने चालीस हजार साथियों के साथ राजा तिष्य ने बौद्ध-धर्म को ग्रहण किया। राजकुमारी अनुला ने भी अपनी ५०० सहचरियों के साथ बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रगट की, पर उसे निराश होना पड़ा। उसे बताया गया, कि भिक्षुओं को यह अधिकार नहीं है, कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें। स्त्री को दीक्षा भिक्षुणी ही दे सकती है। इसपर राजा तिष्य ने महाअरिट्ट के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधिमण्डल पाटलिपुत्र भेजा। इमें दो कार्य सुपुंद किये गये थे। पहला यह कि संघमित्रा (महेन्द्र की बहन) को लंका आने के लिए निमन्त्रण दे, ताकि कुमारी अनुला और लंकावासिनी अन्य महिलाएँ बौद्ध-धर्म की दीक्षा ले सकें, और दूसरा यह कि बोधिवृक्ष की एक शाखा को लंका ले आए, ताकि वहाँ उसका आगेपण किया जा सके। यद्यपि अशोक अपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नहीं होना चाहता था, पर बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लंका जाने की अनुमति दे दी। बोधिवृक्ष की शाखा को मंजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। बड़े अनुष्ठानों के साथ सुवर्ण के कुठार से बोधिवृक्ष की एक शाखा काटी गयी, और उसे बड़े प्रयत्न से लंका तक सुरक्षित पहुँचाने का आयोजन किया गया, और बड़े सम्मान के साथ लंका में बोधिवृक्ष का आरोपण किया गया। अनुराधपुर के महाविहार में यह विशाल वृक्ष अब तक भी विद्यमान है, और संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। राजा

तिष्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्षुणी-विहार बनवा दिया था। वहाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी ५०० सहेलियों के साथ भिक्षुणीव्रत की दीक्षा ली।

दक्षिण भारत में बौद्ध-धर्म—आचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य की योजना के अनुसार जो विविध प्रचारक-मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने में लिए गये थे, उनमें से चार को दक्षिण भारत में भेजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध-धर्म का प्रचार मुख्यतया विंध्याचल के उत्तर में ही था। लका के समान दक्षिण भारत में भी अशोक के समय में ही पहले-पहल बुद्ध के अष्टांगिक आर्य-मार्ग का प्रचार हुआ। अशोक ने अपनी धर्मविजय की नीति का अनुसरण करने हुए चोल, पांड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्रपर्णी के पड़ोसी राज्यों में जहाँ अंतमहामात्र नियत किये थे, वहाँ अपने साम्राज्य में भी रठिक-पेतनिक, आंध्र और पुलिंद प्रदेशों में धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की थी। ये सब प्रदेश दक्षिण भारत में ही थे। अशोक द्वारा नियुक्त धर्ममहामात्रों और अंतमहामात्रों के अतिरिक्त अब चार प्रचारकमण्डल भी वहाँ गये। इनमें भिक्षु महादेव महिषामण्डल गया। यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ अब मैसूर का राज्य है। वनवाम उत्तर कर्णाटक का पुराना नाम है। वहाँ आचार्य रक्षित धर्मप्रचार के लिए गया। अपरान्तक का अभिप्राय कोंकण से है, वहाँ का कार्य योनक धम्मरक्षित के सुपुर्द किया गया था। संभवतः, यह आचार्य यवन-देश का निवासी था, इसीलिए इसे योनक कहा गया है। महारट्ट (महाराष्ट्र) में कार्य करने के लिए थेर महाधम्म-रक्षित की नियुक्ति हुई थी। दक्षिण भारत में बौद्ध-प्रचारकों के कार्य का वर्णन महावंश में विशद रूप से किया गया है।

आंध्र देश और पांड्य आदि तमिल राज्यों में आचार्य उपगुप्त ने प्रचार का कार्य किन भिक्षुओं को दिया था, यह बौद्ध-अनुभूति हमें नहीं बताती। पर प्रतीत होता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में महेन्द्र और उसके साथियों ने ही कार्य किया था। सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था। यह विहार सम्भवतः, महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचार-कार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था।

खोतन में कुमार कुस्तन—पुराने समय में खोतन भारत का ही एक समृद्ध उपनिवेश था। वहाँ बौद्ध-धर्म, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार था। पिछले दिनों में तुर्किस्तान और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रवेश में बौद्ध-मूर्तियों, स्तूपों तथा विहारों के अवशेष प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय यह सारा प्रदेश बृहत्तर भारत का ही अंग था। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाइयान और सातवीं सदी में ह्यूनत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से सूचित होता है, कि उस प्राचीन युग में खोतन के निवासी बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे, सारा देश बौद्ध-विहारों और स्तूपों से भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर बौद्ध-शिक्षा और सभ्यता के महत्वपूर्ण केन्द्र थे।

खोतन में बौद्ध-धर्म और भारतीय सभ्यता का प्रवेश राजा अशोक के समय में

ही हुआ। इसका वर्णन कुछ तिब्बती ग्रन्थों में उल्लिखित है। सम्भवतः, ये तिब्बती ग्रन्थ खोतन की प्राचीन अनुस्रुति के आधार पर ही लिखे गये थे। हम यहाँ बहुत संक्षेप से इस कथा को लिखते हैं—

राज्याभिषेक के तीन साल बाद राजा अशोक के एक पुत्र हुआ। ज्योतिषियों ने बताया, कि इस बालक में प्रभुता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, और यह पिता के जीवनकाल में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी चिन्ता हुई। उसने आज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय। परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसीलिए उसका नाम कुस्तन (कु = भूमि है स्तन जिसकी) पड़ गया। उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्व का शासन था। उसके ६६६ पुत्र थे। इसपर बोधिसत्व ने वैश्रवण से प्रार्थना की, कि उसके एक पुत्र और हो जाय, ताकि संख्या पूरी १००० हो जाय। वैश्रवण ने देखा, कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वह उसे चीन ले गया और बोधिसत्व के पुत्रों में सम्मिलित कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के अन्य पुत्रों के साथ भ्रमण हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा—‘तू सम्राट् का पुत्र नहीं है।’ यह जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुआ। इस बात की सच्चाई का निश्चय करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की अनुमति माँगी। इसपर राजा ने कहा—‘तू मेरा ही पुत्र है। यह तो तेरा अपना देश है। तुझे दुःखी नहीं होना चाहिए।’ पर कुस्तन का इससे भी संतोष नहीं हुआ। उसने पक्का इरादा कर लिया था, कि उसका भी अपना पृथक् राज्य हो। अतः उसने अपने दस हजार साथियों को एकत्र किया, और पश्चिम की तरफ चल पड़ा। इस तरह चलते-चलते वह खोतन के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा।

सम्राट् अशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था। धीरे-धीरे वह राजा की आँखों में लटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, तो उसने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़कर अपने लिए नया क्षेत्र ढूँढ़ ले। उसने अपने सात हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अनुसन्धान प्रारम्भ किया। इस प्रकार वह खोतन में उयेन नदी के दक्षिण-तट पर जा पहुँचा। अब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के अनुयायियों ने से दो व्यापारी घूमते-फिरते तो-ला नाम के प्रदेश में आये। यह प्रदेश उस समय बिल्कुल गैर-आबाद था। इसकी रमणीयता को देखकर उन्होंने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के द्वारा आबाद किये जाने के योग्य है। मन्त्री यश को कुस्तन के बारे में जब पता लगा, तो उसने यह सन्देश उसके पास भेजा—‘तुम राजघराने के हो और मैं भी कुलीन घराने का हूँ। अच्छा हो कि हम परस्पर मिल जाएँ और इस उयेन प्रदेश में मिलकर बस जाएँ। तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा मन्त्री।’ यह विचार कुस्तन को बहुत पसन्द आया। कुस्तन ने अपने चीनी अनुयायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आबाद किया। इसीलिए तिब्बती अनुस्रुति के अनुसार “खोतन देश आधा चीनी है, और आधा भारतीय। लोगों की भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है, और न चीनी। वह दोनों का सम्मिश्रण है।

अक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की भावतों चीन से बहुत कुछ मिलती हैं। धर्म और भाषा भारत से मिलती हैं। खोतन में वर्तमान भाषा का प्रवेश धार्यों (बौद्ध-प्रचारकों) द्वारा हुआ है।" जिस समय कुस्तन ने खोतन में अपने राज्य की स्थापना की, तो वह १६ साल का था और अशोक जीवित था। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुस्तन अशोक के जीवनकाल में ही राजा बन जाएगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस प्राचीन लिखती अनुश्रुति के अनुसार खोतन के प्रदेश में राजा अशोक के समय में भारतीयों ने अपना एक उपनिवेश बसाया, जिसमें चीनी लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। इसी समय में वहाँ भारतीय सम्प्रदाय और धर्म का प्रवेश हुआ।

हिमवन्त देशों में प्रचार—हिमालय के क्षेत्र में आचार्य मज्झिम को प्रचार-कार्य करने के लिए नियत किया गया था। महावंश टीका में उसके चार साधियों के भी नाम दिये गये हैं। ये साथी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत, दुन्दुभिसर, सहदेव और भूलकदेव। हम ऊपर लिख चुके हैं, कि साञ्ची के समीप उपलब्ध हुई चातुर्भुजाधों पर हिमवताचार्य के रूप में मज्झिम, कस्सप और दुन्दुभिसर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। हिमालय के सम्पूर्ण प्रदेश में अशोक के समय बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ। महावंश के अनुसार बहुत-से गन्धर्व, यक्ष और कुम्भण्डकों ने बौद्ध-धर्म को स्वीकृत किया। एक यक्ष ने, जिसका नाम पञ्चक था, अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की प्राप्ति की, और अपने ५०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, "जैसे तुम अब तक क्रोध करते आये हो, वैसे अब भविष्य में न करो। क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले हैं, अतः अब कभी किसी प्राणी का घात न करो। जीवमान का कल्याण करो। सब मनुष्य सुख के साथ रहें।"

काश्मीर और गान्धार में आचार्य मज्झिमिक पृथक् रूप से भी कार्य कर रहा था। उसके कार्य का भी महावंश से बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। हिमवन्त के प्रदेश के समान काश्मीर और गान्धार में भी बौद्ध-धर्म का अशोक के युग में प्रचार हुआ। हिमवन्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पाटन या ललितपत्तन राजा अशोक ने ही बसायी थी। पाटन के मध्य व चारों तरफ अशोक ने बहुत-से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से पाँच अब तक भी विद्यमान हैं। अशोक की पुत्री चारुमती नेपाल जाकर बस गई थी। उसने अपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाम की नगरी भी बसाई थी। उसी के समीप एक विशाल बौद्ध-विहार का भी निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष पशुपतिनाथ के मन्दिर के उत्तर में अब तक भी विद्यमान हैं। काश्मीर में अशोक के समय में बहुत-से स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। कल्हणकृत राजतरंगिणी के अनुसार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को अशोक ने ही बसाया था। 'श्रीविजयेश के टूटे-फूटे किले को हटाकर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोषों से रहित विशुद्ध पत्थरों का एक विशाल किला बनवाया। अशोक ने जेहलम के सारे तट को स्तूपों द्वारा आच्छादित करा दिया था।"

हिमालय के प्रदेशों में गान्धर्व, यक्ष आदि जिन जातियों को बौद्ध-धर्म में दीक्षित

करने का उल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई सोकोत्तर व दैवी सत्ताएँ नहीं थी।

यवन देशों में प्रचार—भारत के पश्चिम में अंतियोक आदि जिन यवन-राजाओं के राज्य थे, उनमें भी अशोक ने अपनी धर्म-विजय की स्थापना का उद्योग किया था। अतमहामात्र उन सब देशों में चिकित्सालय, धर्मशाला, कूप, ध्याऊ आदि खुलवाकर भारत और उसके धर्म के लिए विशेष आदर का भाव उत्पन्न कर रहे थे। इस दशा में जब आचार्य महारक्षित अपने प्रचारकमंडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिए गया, तो उसने अपने लिए मंदान तैयार पाया। इस प्रसंग में महावंश ने लिखा है कि "आचार्य महारक्षित योन देश में गया। वहाँ उसने 'कालकाराममुत्त' का उपदेश दिया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया और दस हजार स्त्री-पुरुष भिक्षु बने।" इसमें संदेह नहीं, कि अशोक के बाद बहुत समय तक इन पश्चिमी यवन-देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार रहा। मिस्र के थूतानी राजा टाल्मी (तुरमय) ने भलेकजंण्ड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में भारतीय ग्रन्थों के भी अनुवाद की व्यवस्था की थी। जब पैलेस्टाइन में अशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष बाद महात्मा ईसा का प्रादुर्भाव हुआ, तो इस पश्चिमी दुनिया में ईसीन तथा थेराथून नाम के विरक्त लोग रहते थे। ये लोग पूर्व की तरफ से पैलेस्टाइन और ईजिप्ट में जाकर बसे थे, और धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे। ईसा की शिक्षाओं पर इनका बड़ा प्रभाव था, और स्वयं ईसा इनके सत्संग में रहा था। सम्भवतः, ये लोग आचार्य महारक्षित के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईसा के प्रादुर्भाव के समय में इन विदेशी यवन-राज्यों में बौद्ध-भिक्षुओं (धेरी) का जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारण इन पश्चिमी देशों से बौद्ध-धर्म का संबंध लोप हो गया। पर यह निश्चित है, कि उनसे पूर्व इन देशों में बौद्ध-धर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध-धर्म के सदृश शैव और वैष्णव लोग भी यवन-देशों में गये, और वहाँ उन्होंने अपनी अनेक दस्तियाँ कायम की।

सुवर्णभूमि में प्रचार—महावंश के अनुसार आचार्य उत्तर और थेर सोण सुवर्णभूमि में प्रचार के लिए गये थे। उस समय सुवर्णभूमि के राजकुल की यह वंशा थी, कि ज्यो ही कोई कुमार उत्पन्न होता, एक राक्षसी उसे खा जाती। जिस समय ये थेर सुवर्णभूमि पहुँचे, तभी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी समय राक्षसी समुद्र से निकली, और सब लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। पर धेरी ने अपने अलौकिक प्रभाव से राजकुमार का भक्षण करने वाली राक्षसी को वंश में कर लिया। इस प्रकार संबंध अमय की स्थापना कर इन धेरी ने लोगों को बौद्ध-धर्म का उपदेश दिया। इससे प्रभावित हो बहुत-से लोगो ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। सम्भवतः, महावंश के इस वर्णन में आलंकारिक रूप से यह उल्लेख है, कि रोगरूपी राक्षसी के आक्रमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह पाता था। थेर सोण और उत्तर कुशल चिकित्सक भी थे। जब वे सुवर्णभूमि गये, तो इस रोगरूपी राक्षसी ने पुनः आक्रमण किया, पर इस बार इन थेर चिकित्सकों के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, और सुवर्णभूमि के निवासियों की बौद्ध-धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई।

सुवर्णभूमि का अभिप्राय दक्षिणी बरमा तथा उसके पड़े के दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों से है। आधुनिक बरमा के पेगू-मालमीन के प्रदेशों में अशोक के समय में बौद्ध-प्रचारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारम्भ किया, जिससे कुछ ही समय में न केवल सम्पूर्ण बरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत-से देश बौद्ध-धर्म के अनुयायी हो गये।

अशोक के समय में आचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्स या उपगुप्त के आयोजन के अनुसार बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिए जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में भी बहुत महत्त्व है। बौद्ध-भिक्षु जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे 'बुद्ध के शासन' का प्रसार कहते थे। इस कार्य में वे मगध के सम्राटों से भी बहुत आगे बढ़ गये। मगध-साम्राज्य की अपेक्षा बहुत बड़ा ऐसा धर्म-साम्राज्य उपगुप्त ने बनाया, जो कुछ सदियों तक ही नहीं, अपितु सहस्राब्दियों तक कायम रहा। दो हजार साल से अधिक समय बीत जाने पर भी यह साम्राज्य अब तक भी आंशिक रूप से कायम है।

बारहवाँ अध्याय मौर्य कालीन भारत

(१) मौर्य युग की कला

भारत के इतिहास में मौर्य युग का बहुत महत्त्व है। इस काल में प्रायः सम्पूर्ण भारत एक शासन के अधीन था। देश की राजनीतिक एकता भली-भाँति स्थापित थी, और भारत के धार्मिक नेता दूर-दूर तक 'धर्मविजय' स्थापित करने में तत्पर थे। केवल राजनीति और धर्म के क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु कला, शासन, शिक्षा, समाज और आर्थिक जीवन आदि सभी क्षेत्रों में इस काल में भारतीयों ने असाधारण उन्नति की, और इस उन्नति का दिग्दर्शन भारत के सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए बहुत उपयोगी है।

मौर्य युग के अनेक अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। उनके अनुशीलन से इस युग की नगर-रचना, मूर्ति-निर्माण कला आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बातों का परिचय मिलता है।

पाटलिपुत्र नगर—मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र एक बहुत ही विशाल नगरी थी। सीरिया के राजा सैल्युकस निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज ३०३ ई० पू० में पाटलिपुत्र आया था और कई साल तक वहाँ रहा था। उसने अपने यात्रा-विवरण में इस नगरी का जो वर्णन किया है, उसमें कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। उसके अनुसार "भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा नगर है, वह प्रेसिघाई (प्राच्य देश) में पालिबोथा (पाटलिपुत्र) कहलाता है। वह गंगा और ऐरन्नाबोअस (सोन) नदियों के तटपर स्थित है। गंगा सब नदियों में बड़ी है, पर ऐरन्नाबोअस संभवतः भारत में तीसरे नम्बर की नदी है। भारत की नदियों में यद्यपि इसका नम्बर तीसरा है, पर अन्य देशों की बड़ी से बड़ी नदी से भी यह बड़ी है। इस नगरी की बस्ती लम्बाई में ८० स्टेडिया और चौड़ाई में १५ स्टेडिया तक फैली हुई है (एक मील = सवा पाँच स्टेडिया)। यह नगरी समानान्तर चतुर्भुज की शकल में बनी है। इसके चारों ओर लकड़ी की एक प्राचीर (दीवार) है, जिसके बीच में तीर छोड़ने के लिए बहुत से छेद बने हैं। दीवार के साथ चारों तरफ एक खाई है, जो रक्षा के निमित्त और शहर का मैला बहाने के काम आती है। यह खाई गहराई में ४५ फीट और चौड़ाई में ६०० फीट है। शहर के चारों ओर की प्राचीर ५७० बुजों से सुशोभित है, और उसमें ६४ द्वार बने हैं।"

हजारों वर्ष बीत जाने पर अब इस वैभवशाली पाटलिपुत्र की कोई इमारत शेष नहीं है। पर पिछले दिनों जो खुदाई पटना के क्षेत्र में हुई है, उससे मौर्यकाल के अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा और

सोन नदियों के सुविस्तृत पाट के नीचे दब गया है। रेलवे स्टेशन तथा घास-पास की बस्तियों ने भी इस प्राचीन नगरी के बहुत से भाग को अपने नीचे छिपा रखा है। रेलवे साइन के दक्षिण में कुमराहार नाम की बस्ती के समीप प्राचीन पाटलिपुत्र के बहुत-से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान के नीचे पुराने जमाने के अनेक राजप्रासाद दबे हुए हैं। इसी क्षेत्र में लकड़ी की बनी हुई एक पुरानी दीवार के भी अवशेष मिले हैं। अनुमान किया गया है, कि ये पाटलिपुत्र की उसी प्राचीर के अवशेष हैं, जिसका उल्लेख बंगस्थनीज ने अपने यात्रा-वर्णन में किया था। लकड़ी की दीवार के कुछ अवशेष मौर्य महलों में भी माने जाते हैं।

अशोक के स्तूप—प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार सम्राट् अशोक ने बहुत-से स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया था। विविध ग्रन्थों में इनकी संख्या चौरासी लाख लिखी गई है। समय के प्रभाव से अब अशोक की प्रायः सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। पर अब से बहुत समय पूर्व चीनी यात्रियों ने इनका अवलोकन कर इनका वर्णन लिखा था। पाँचवीं सदी के शुरू में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। उसने अपनी झालों से अशोक की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि उसके समय में अशोक को मरे सात सौ साल के लगभग हो चुके थे, पर इतने समय बाद भी उसकी कृतियाँ अच्छी दशा में विद्यमान थीं। फाह्यान ने लिखा है—'पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) राजा अशोक की राजधानी थी। नगर में अभी तक अशोक का राजप्रासाद और समा-भवन है। सब प्रसुरों के बनाये हुए हैं। पत्थर चुनकर दीवारें और द्वार बनाये गये हैं। उन पर सुन्दर खुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते। अब तक नये के समान हैं।'

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएनत्सांग सातवीं सदी में भारत आया था। उसने अपने यात्रा विवरण में अशोक के बनवाये हुए बहुत-से स्तूपों का वर्णन किया है, जिन्हें उसने अपनी झालों से देखा। तक्षशिला में उसने अशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप देखे; जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ फुट ऊँचा था। नगर-द्वार के स्तूप की ऊँचाई ३०० फीट थी। इसी तरह मथुरा, बानेसर, कनौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, आवस्ती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, वैशाली, गया, ताम्रलिप्ति आदि नगरों में उसने बहुत-से स्तूप देखे, जो अशोक ने बनवाये थे, और जो ऊँचाई में ७०, १००, २०० या ३०० फीट तक के थे। पाटलिपुत्र में उसने अशोक का राजमहल भी देखा, पर तब तक वह भग्न दशा में आ चुका था। इस चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र में अशोक के समय का बहुत ऊँचा स्तम्भ भी देखा, जहाँ अशोक ने अण्डगिरिक की अभ्यसता में नरकगृह का निर्माण कराया था। काश्मीर में ह्युएनत्सांग ने अशोक के बनवाये हुए बहुत-से स्तूपों और संघारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में भी किया गया है।

सारनाथ—अशोक की अनेक कृतियाँ बनारस के समीप सारनाथ में उपलब्ध हुई हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

(क) **अस्तर-स्तम्भ**—इसपर अशोक की एक अक्षरलिपि उत्कीर्ण है। यह स्तम्भ बहुत ही सुन्दर है। इसके सिर पर चार सिंह-मूर्तियाँ हैं, जो मूर्ति-निर्माण-कला

की दृष्टि से अद्वितीय हैं। किसी प्राणी की इतनी सजीव मूर्तियाँ अन्यत्र कहीं भी नहीं बनीं। मूर्तिकला की दृष्टि से इनमें कोई भी न्यूनता व दोष नहीं है। पहले इन मूर्तियों की अश्लिष्ट मणियुक्त थी, अब उनमें मणियाँ नहीं हैं। पर पहले वहाँ मणि होने के चिह्न अभी तक विद्यमान है। सिंह की चार मूर्तियों के नीचे चार चक्र हैं। चक्रों के बीच में हाथी, साँड, अश्व और शेर अंकित है। इन चक्रों तथा प्राणियों को चलती हुई दशा में बनाया गया है। इनके नीचे का अंश एक विशाल घण्टे की तरह है। स्तम्भ तथा उसका शीर्ष भाग बलुए पत्थर का है, जिसके ऊपर सुन्दर वज्रलेप है। यह लेप बहुत ही चिकना, चमकदार तथा सुन्दर है। यह वज्रलेप दो हजार से भी अधिक साल बीत जाने पर भी अब तक स्थिर रह सका, यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है।

(ख) पाषाणवेष्टनी—सारनाथ में ही अशोक के समय की बनी हुई एक पाषाणवेष्टनी (रेलिंग) उपलब्ध हुई है। यह सारनाथ के बौद्ध-विहार के प्रधान मन्दिर के दक्षिण भाग वाले गृह में ईंट के छोटे स्तूप के चारों ओर लगी हुई निकली है। यह सारी की सारी एक ही पत्थर की बनी हुई है। बीच में कहीं भी जोड़ नहीं है।

(ग) स्तूप—अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप के कुछ चिह्न सारनाथ की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये अशोक के प्रस्तर-स्तम्भ के समीप ही हैं।

सांची—मौर्य-काल की कृतियों में सांची का स्तूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहाँ का मुख्य स्तूप मौर्य-काल का या उससे भी पहले का है। वह स्तूप बहुत बड़ा है। आधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णविस्था में इसकी ऊँचाई ७७ फीट के लगभग थी। वर्तमान समय में इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया प्रतीत होता है। स्तूप लाल रंग के बलुए पत्थर का बना है। यह अर्धमंडलाकार (अर्ध) रूप में बना हुआ है, और इसके चारों तरफ एक ऊँची मेधि है, जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणापथ का काम देती थी। इस प्रदक्षिणापथ तक पहुँचने के लिए स्तूप के दक्षिण भाग में एक दोहरी सोपान है। सम्पूर्ण स्तूप के चारों ओर भूमि के समतल के साथ एक अन्य प्रदक्षिणापथ है, जो कि पत्थर से बनी हुई पाषाणवेष्टनियों से परिवेष्टित है। यह वेष्टनी बहुत ही सादे ढंग की है, और किसी तरह की पच्चीकारी आदि से खचित नहीं है। यह चार चतुष्कोण प्रकोष्ठों में विभक्त है, जिन्हें चार सुन्दर द्वार एक दूसरे से पृथक् करते हैं। चारों द्वारों पर नानाविध मूर्तियों और उत्कीर्ण चित्रों तथा खचित पच्चीकारी से युक्त तोरण हैं। इनसे बौद्ध-धर्म की अनेक गाथाओं को व्यक्त किया गया है।

अनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि सांची का यह विशाल स्तूप अशोक के समय का बना हुआ नहीं है। यह उससे लगभग एक सदी पीछे बना था। अशोक के समय में ईंटों का एक सादा स्तूप था, जिसे बड़ाकर बाद में वर्तमान रूप दिया गया।

सांची के भग्नावशेषों में सम्राट् अशोक के समय की एक अन्य भी कृति उपलब्ध हुई है। स्तूप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्भ के अवशेष मिले हैं। विश्वास किया जाता है, कि शुरू में यह स्तम्भ ४२ फीट ऊँचा था। इसके शीर्ष भाग पर भी सारनाथ के स्तम्भ के सदृश सिंहों की मूर्तियाँ हैं। वर्तमान समय में ये मूर्तियाँ भग्नावस्था में ही हैं। पर अपनी भग्नावस्था में भी ये अशोक के काल की कला

उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती हैं। इस स्तम्भ पर अशोक का एक लेख भी उत्कीर्ण है। संभवतः, सांची का यह स्तम्भ भी अपने असली रूप में सारनाथ के स्तम्भ के ही सदृश था।

भरहुत—यह स्थान इलाहबाद से १५ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर मुन्देलखण्ड के नागौद क्षेत्र में है। यहाँ पर भी अशोक के समय की अनेक कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। सर एलेकजेंडर कनिंघम ने सन् १८७३ में इस स्थान का पहले-पहल पता लगाया था। उस समय यहाँ एक विशाल स्तूप के अवशेष विद्यमान थे, जो कि ईंटों का बना था, और जिसका व्यास ३८ फीट था। स्तूप के चारों ओर एक पाषाण-वेष्टनी थी, जिस पर विविध बौद्ध-गाथाएँ चित्रों के रूप में खचित की गई थी। पाषाण-वेष्टनी की ऊँचाई सात फीट से भी अधिक थी। साची-स्तूप के समान यह पाषाण-वेष्टनी भी चार चतुष्कोण-प्रकोण्डों में विभक्त थी, और प्रकोण्डों के बीच में सुन्दर तोरणों से युक्त द्वार थे। पाषाणवेष्टनी के ऊपर जो चित्र उत्कीर्ण हैं, उनमें जातक ग्रन्थों की गाथाओं की प्रबानता है, और ये उत्कीर्ण चित्र मौर्य-काल की कला के अत्युत्कृष्ट उदाहरण हैं।

भरहुत के स्तूप में मकड़ों की संख्या में छोटे-छोटे भाले बने हुए थे। उत्सव के अवसरों पर इनमें दीप जलाये जाते थे। वर्तमान समय में यह स्तूप नष्ट हो चुका है, और इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत-से खण्ड कलकत्ता म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए, कि भरहुत के सब अवशेष मौर्यकाल के नहीं हैं। उनमें से कुछ श्रांग काल के तथा उसके भी बाद के हैं।

सारनाथ, साची और भरहुत की पाषाण-वेष्टनियों के सदृश ही अन्य अनेक वेष्टनियाँ और भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। बोधगया से प्राप्त एक वेष्टनी के अवशेषों को अशोक के समय का समझा जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेषों में भी कम से कम तीन इस प्रकार की पाषाण-वेष्टनियों के खण्ड प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य-काल के हैं। साची के समीप ही भिलसा के पास बेसनगर नामक स्थान पर इसी प्रकार की पाषाण-वेष्टनी प्राप्त हुई है, जिस पर नानाविध चित्र उत्कीर्ण हैं। इसे भी मौर्य काल का माना जाता है। ये पाषाण-वेष्टनियाँ कला की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। ये प्रायः एक पत्थर की ही बनी हुई हैं, और इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है।

तक्षशिला—उत्तरापथ की इस प्राचीन राजधानी के स्थान पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें बहुत-सी पुरानी कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। इनमें से केवल दो कृतियाँ मौर्य-काल की हैं। ये दोनों भ्राभूषण हैं। तक्षशिला के क्षेत्र के अन्तर्गत भिड नामक स्थान से ये भ्राभूषण प्राप्त हुए थे। मौर्य-काल के ये भ्राभूषण बहुत ही सुन्दर हैं। ये प्रशस्त रत्नों से जटित हैं, और सोने के बने हुए हैं।

चीनी यात्री ह्युनत्सांग ने तक्षशिला में जिस कुणाल-स्तूप का अवलोकन किया था, वह भी वहाँ खुदाई में मिल गया है। पर अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि यह स्तूप मौर्य-काल के बाद का है। जिस स्थान पर अशोक की दन्तनुद्रा से अंकित कपट-लेख के अनुसार कुणाल को अर्धा किया गया था, वहाँ के पुराने स्तूप को बढाकर बाद में अत्यन्त विशाल स्तूप का निर्माण किया गया। ह्युनत्सांग ने उसी स्तूप को देखा था,

श्रीर तक्षशिला में अब तक जिस स्तूप के अवशेष मिले हैं, वह भी बाद का ही बना हुआ है।

मौर्यकालीन मूर्तियाँ—मौर्य-काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति आगरा श्रीर मथुरा के बीच में परलम नामक गाँव से मिली है। यह सात फीट ऊँची है, श्रीर भूरे बलुए पत्थर की बनी है। ऊपर बहुत ही सुन्दर वज्रलेप है। दुर्भाग्य से मूर्ति का मुँह टूट गया है, श्रीर भुजाएँ भग्न हो गई हैं। मूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनायी गई है, उससे मौर्यकालीन पहरावे का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है। यह मूर्ति अब मथुरा के म्यूजियम में विद्यमान है। मौर्यकाल की एक अन्य मूर्ति बेसनगर में मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी भी भुजाएँ टूटी हुई हैं और मुख बिगड़ा हुआ है। मूर्ति की ऊँचाई ६ फीट ७ इञ्च है। पटना और दीदारगंज से भी दो अन्य मूर्तियाँ मिली हैं, जो मौर्यकाल की मानी जाती हैं। ये परलम से प्राप्त मूर्ति से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं।

अशोक के शिलालेख—सम्राट् अशोक के बहुत-से उत्कीर्ण लेख आजकल उपलब्ध हैं। अशोक ने अपने इन शिलालेखों को 'धम्मलिपि' कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के पेशावर और हजारा जिलों में मिली हैं, वे खरोष्ठी लिपि में हैं, शेष सब ब्राह्मी लिपि में हैं। कन्धार में अशोक के ऐंम अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ग्रीक और अरेमईक लिपियों में उत्कीर्ण कराया गया है। उसके लेख शिलामूर्तियों, पत्थर की ऊँची लाटों और गुफामूर्तियों में उत्कीर्ण किये गए हैं।

(क) **चतुर्दश शिलालेख**—अशोक के लेखों में ये सबसे प्रधान हैं। इनकी प्रतियाँ विभिन्न स्थानों पर अविकल या अपूर्ण रूप में मिली हैं। ये लेख निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं—

१. पेशावर जिले में शाहबाजगढ़ी—पेशावर से चालीस मील उत्तर-पूर्व की ओर शाहबाजगढ़ी नाम का गाँव है। उसके समीप ही एक विशाल शिला है, जो २४ फीट लम्बी, दस फीट ऊँची और दस फीट मोटी है। इस शिला पर बारहवें लेख को छोड़कर अन्य सब लेख लुप्त हुए हैं। बारहवाँ लेख पचास गज की दूरी पर एक पृथक् शिला पर उत्कीर्ण है।

२. मानसेरा—उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त (पाकिस्तान) के हजारा जिले में यह स्थान है। यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं।

३. कालसी—देहरादून जिले में यमुना के तट पर एक विशाल शिला पर अशोक के चौदहों लेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीन समय का श्रुघ्न नगर इसी क्षेत्र में था।

४. गिरनार—काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरनार के समीप ही एक विशाल शिला पर ये चौदह लेख उत्कीर्ण हैं।

५. सोपारा—यह स्थान महाराष्ट्र के थाना जिले में है। प्राचीन शूर्पारक नगरी सम्भवतः यही पर थी। वहाँ आठवें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा ही भग्नावस्था में मिला है।

६. धौली—उड़ीसा में भुवनेश्वर से सात मील की दूरी पर यह स्थान है। मौर्य युग में सम्भवतः यही तोराली नगरी थी, जो कलिंग की राजधानी थी। चतुर्दश

लेखों में नं० ११, १२ और १३ यहाँ नहीं मिलते, उनके स्थान पर दो अन्य लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कलिंग के लिए विशेष रूप से उत्कीर्ण कराया था।

७. जोगड—आन्ध्र प्रदेश के गंजाम जिले में यह स्थान है। यह भी प्राचीन कलिंग देश के ही अन्तर्गत था। यहाँ भी ११, १२ और १३ संख्या के लेख नहीं मिलते। उनकी जगह पर घीली वाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं, जो खास कर कलिंग के लिए उत्कीर्ण कराये गए थे।

८. एरंगुडि—अशोक ने चतुर्दश शिलालेखों की आठवीं प्रति आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एरंगुडि नामक स्थान से पिछले दिनों में ही मिली है।

९. कन्धार में इन लेखों की ऐसी प्रतियाँ मिली हैं, जो ग्रीक तथा अरेमैडक लिपियों में हैं।

(ख) लघु शिलालेख—चतुर्दश शिलालेखों की भाँति ये भी मौर्य साम्राज्य के दूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। इनकी विविध प्रतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर मिली हैं।—

१. रूपनाथ—मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कैमोर पर्वत की उपरगका में एक शिला पर ये लेख उत्कीर्ण हैं। २. सहसराम—बिहार प्रान्त के शाहाबाद जिले में सहसराम के पूर्व में चन्दनपीर पर्वत की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख उत्कीर्ण हैं। ३. बैराट—यह स्थान राजपूताने के जयपुर क्षेत्र में है। ४. सिद्धपुर—यह स्थान माडसूर के चीतलद्रुग जिले में है। ५. जतिग रामेश्वर—यह भी चीतलद्रुग जिले में ही है। ६. ब्रह्मगिरि—यह भी चीतलद्रुग में सिद्धपुर और जतिग रामेश्वर के समीप में ही है। ७. मास्की—यह आन्ध्र प्रदेश के रायचूर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत भग्नावस्था में हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा महत्त्व है। इन्हीं से यह बात प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो सकी है, कि राजा प्रियदर्शी के नाम से जो विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे वस्तुतः मौर्य-सम्राट अशोक के ही हैं। इनमें स्पष्ट रूप से राजा अशोक का नाम दिया गया है। ८. गोविमठ—(माडसूर में), ९. पालकिमुण्डु—(गोविमठ से चार मील दूर), १०. एरंगुडि, ११. राजुल मडागिरि (आंध्र-कर्नूल जिले में), १२. ग्रहरीरा (मिर्जापुर जिले में), और १३. दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में।

(ग) भाङ्गू का लेख—जयपुर में बैराट के पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्ण है। इस लेख में अशोक ने उन बौद्ध-ग्रन्थों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हें वह इस योग्य समझता था, कि भिक्षु लोग उनका विशेष रूप से अनुशीलन करें।

(घ) सप्त स्तम्भ लेख—शिलालेखों के समान स्तम्भों पर भी अशोक ने लेख उत्कीर्ण कराये थे। ये स्तम्भ-लेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं :—

१. दिल्ली में टोपरा स्तम्भ—यह स्तम्भ फीरोजशाह की लाट के नाम से मशहूर है। २. दिल्ली में मेरठ स्तम्भ—यह काश्मीरी दरवाजे के उत्तर-पश्चिम में पहाड़ी पर है। ३. इलाहाबाद स्तम्भ—यह वह प्रसिद्ध स्तम्भ है, जिसपर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। यह अब प्रयाग के पुराने किले में विद्यमान है। ४. लौरिया धरराज स्तम्भ—बिहार के चम्पारन जिले में राधिया नामक गाँव से ढाई मील पूर्व-

दक्षिण में अरराज महादेव का मन्दिर है। वहाँ से मील भर दूर लौरिया नामक स्थान पर यह स्तम्भ विद्यमान है। ५. लौरिया नन्दन गढ़—यह भी बिहार के चम्पारन जिले में है। ६. रामपुरवा स्तम्भ—यह भी चम्पारन जिले में ही है।

(घ) लघु स्तम्भ लेख—ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं—सारनाथ, सांची और प्रयाग में।

(च) अन्य स्तम्भ लेख—सप्त स्तम्भ लेखों और लघु स्तम्भ लेखों के अतिरिक्त अशोक के कुछ अन्य स्तम्भ लेख भी मिले हैं।

(छ) गुहा लेख—शिलाओं और स्तम्भों के अतिरिक्त गुहा मन्दिरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्कीर्ण कराये थे। इस प्रकार के तीन लेख अब तक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दिये गये दान का उल्लेख है। अशोक के लेखों से युक्त ये गुहाएँ गया से सोलह मील दूर उत्तर में बराबर नाम की पहाड़ियों में विद्यमान हैं।

(२) मौर्यकाल की शासन-व्यवस्था

कौटलीय अर्थशास्त्र—प्राचीन भारत की शासन संस्थाओं तथा राजनीतिक विचारों के परिज्ञान के लिए 'अर्थशास्त्र' का बहुत महत्त्व है। इसकी रचना चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री और गुरु चाणक्य ने की थी। इसीलिए इस ग्रन्थ में लिखा है—“जिसने बड़े अमर्ष के साथ शास्त्र का, शास्त्र का और नन्दराज के हाथ में गयी हुई पृथिवी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र की रचना की।” एक अन्य स्थान पर लिखा गया है—“सब शास्त्रों का अनुक्रम करके और प्रयोग समझकर कौटल्य ने नरेन्द्र के लिए यह शासन की विधि (व्यवस्था) बनाई।”

ऐतिहासिकों में इस बात पर बहुत विवाद रहा है, कि अर्थशास्त्र की रचना किसी एक विद्वान द्वारा हुई या वह किसी सम्प्रदाय में धीरे-धीरे चिरकाल तक विकसित होता रहा। क्या उसे मौर्य-युग में चाणक्य द्वारा बनाया गया, या बाद में चाणक्य के मन्तव्यों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी रचना की? हमें इस विवाद में यहाँ पडने की आवश्यकता नहीं। बहुसंख्यक विद्वानों ने अब स्वीकृत कर लिया है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र मौर्य-काल की रचना है, और उसका निर्माण आचार्य चाणक्य द्वारा नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के शासन की 'विधि' के रूप में ही हुआ था। यदि इसके कुछ अंशों को बाद का भी बना हुआ माना जाय, तो भी इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस ग्रन्थ से मौर्य-काल की शासन-व्यवस्था, आर्थिक दशा और सामाजिक व्यवहार के सम्बन्ध में बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मालूम हो जाती हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम मौर्यकालीन भारत के विषय में जो जानकांगी प्राप्त कर सकते हैं, वह प्राचीन भारत के किसी काल के सम्बन्ध में किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती।

साम्राज्य का शासन—मौर्यों के समय में मगध का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था। यद्यपि सम्पूर्ण साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कंबोज, बंग और आंध्र तक विस्तृत साम्राज्य का शासन सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता था। अतः शासन की दृष्टि से मौर्यों के अधीन सम्पूर्ण 'विजित' को पाँच भागों में बाँटा

गया था, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरि थीं। इन राजधानियों को दृष्टि में रखकर हम यह सहज में अनुमान कर सकते हैं, कि विशाल मौर्य-साम्राज्य पाँच चक्रों में विभक्त था। ये चक्र (प्रान्त या सूबे) निम्नलिखित थे—(१) उत्तरापथ—जिसमें कम्बोज, गांधार, काश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि के प्रदेश अन्तर्गत थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिमचक्र—इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राजपूताना, मालवा आदि के सब प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। (३) दक्षिणापथ—विन्ध्याचल के दक्षिण का सारा प्रदेश इस चक्र में था, और इसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। (४) कलिंग—अशोक ने अपने नये जीते हुए प्रदेश का एक पृथक् चक्र बनाया था, जिनकी राजधानी तोसाली थी। (५) मध्य देश—इसमें वर्तमान बिहार, उत्तर-प्रदेश और बंगाल सम्मिलित थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन पाँचों चक्रों का शासन करने के लिए प्रायः राजकुल के व्यक्तियों को नियत किया जाता था, जिन्हें 'कुमार' कहते थे। कुमार अनेक महामात्यों की सहायता में अपने-अपने चक्र का शासन करते थे। अशोक और कुणाल राजा बनने से पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि में 'कुमार' रह चुके थे।

इन पाँच चक्रों के अन्तर्गत फिर अनेक छोटे शासन-केन्द्र भी थे, जिनमें 'कुमार' के अधीन महामात्य शासन करते थे। उदाहरण के लिए तोमाली के अधीन समापा में, पाटलिपुत्र के अधीन कौशाम्बी में और सुवर्णगिरि के अधीन इमिला में महामात्य रहते थे। उज्जयिनी के अधीन मुराष्ट्र का एक पृथक् प्रदेश था, जिसका शासक चन्द्रगुप्त के समय में वैश्य पुष्यगुप्त था। अशोक के समय में वहाँ का शासन यवन तुषारुप के अधीन था। मागध सम्राट् की ओर से जो आज्ञाएँ प्रचारित की जाती थी, वे चक्रों के 'कुमारों' के महामात्यों के नाम ही होती थी। यही कारण है, कि दक्षिणापथ में इमिला के महामात्यों के नाम अशोक ने जो आदेश भेजे, वे सुवर्णगिरि के कुमार व धार्यपुत्र के द्वारा भेजे गये। इसी प्रकार कलिंग में समापा के महामात्यों को तोमाली के कुमार की मार्फत ही आज्ञा भेजी गई। पर मध्यदेश (राजधानी-पाटलिपुत्र) के चक्र पर किसी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, उसका शासन सीधा सम्राट् के अधीन था। अतः उसके अन्तर्गत कौशाम्बी के महामात्यों को अशोक ने सीधे ही अपने आदेश दिये थे।

चक्रों के शासन के लिए कुमार की सहायतार्थ जो महामात्य नियुक्त होते थे, उन्हें शासन-सम्बन्धी बहुत अधिकार रहते थे। अतएव अशोक ने चक्रों के शासकों के नाम जो आज्ञाएँ प्रकाशित की, उन्हें केवल कुमार या धार्यपुत्र के नाम से नहीं भेजा गया, अपितु कुमार और महामात्य—दोनों के नाम से प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जब कुमार भी अपने अधीनस्थ महामात्यों को कोई आज्ञा भेजते थे, तो उन्हें वे अपने नाम से नहीं, अपितु महामात्य-सहित कुमार के नाम से भेजते थे।

जनपद और ग्राम—मौर्य-साम्राज्य के पाँच मुख्य चक्र या विभाग थे, और फिर ये चक्र अनेक मंडलों में विभक्त थे। प्रत्येक मंडल में बहुत-से जनपद होते थे। संभवतः, ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों से ही प्रतिनिधि थे। शासन की दृष्टि से जनपदों के अनेक विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय अर्थशास्त्र में स्थानीय, द्रोणमुख,

स्वार्थिक, संग्रहण और ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। दस ग्रामों के समूह को संग्रहण कहते थे। बीस संग्रहणों (या १०० ग्रामों) से एक स्वार्थिक बनता था। दो स्वार्थिकों (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोणमुख और २ द्रोणमुखों (८०० ग्रामों) से एक स्थानीय बनता था। संभवतः स्थानीय, द्रोणमुख, और स्वार्थिक शासन की दृष्टि से एक ही विभाग को सूचित करते हैं। जनपद शासन के लिए जिन विभागों में विभक्त होता था, उन्हें स्थानीय (संभवतः, वर्तमान समय का शाना) कहते थे। स्थानीय के छोटे विभागों को संग्रहण कहते थे। एक संग्रहण में प्रायः दस ग्राम रहते थे। स्थानीय में लगभग ८०० ग्राम हुआ करते थे। पर कुछ स्थानीय प्रकार में छोटे होते थे, या कुछ प्रदेशों में आबादी घनी न होने के कारण 'स्थानीय' में गाँवों की संख्या कम रहनी थी। ऐसे ही स्थानीयों को ग्रामों की संख्या के आधार पर द्रोणमुख और स्वार्थिक कहा जाता था।

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहण का गोप और स्थानीय का स्थानिक कहलाता था। संपूर्ण जनपद के शासक को समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, जो चक्रों के अन्तर्गत विविध मंडलों का शासन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते थे। इन मंडल-महामात्यों के ऊपर कुमार और उनके सहायक अन्य महामात्य रहते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का मौर्य-सम्राट था।

शासक वर्ग—शासनकार्य में सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में इस मंत्रिपरिषद् का विस्तार में वर्णन किया गया है। अन्नोक के जिलालेखों में भी उसकी परिषद् का धार-धार उल्लेख है। चक्रों के शासक कुमार भी जिन महामात्यों की सहायता से शासन काय करते थे, उनकी भी एक परिषद् होती थी। केन्द्रीय सरकार की ओर में जो राज-कर्मचारी साम्राज्य में शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुरुष' कहते थे। ये पुरुष उत्तम, मध्यम और हीन—इन तीन दर्जों के होते थे। जनपदों के समूहों (मंडलों) के ऊपर शासन करने वाले महामात्यों की सजा संभवतः प्रादेशिक या प्रदेशीय थी। उनके अधीन जनपदों के शासक समाहर्ता कहलाते थे। निःसदेह, ये उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके अधीन 'युक्त' आदि विविध कर्मचारी मध्यम व हीन दर्जों में रखे जाते थे।

स्थानीय स्वशासन—जनपदों के शासन का संचालन करने के लिए जहाँ केन्द्रीय सरकार की ओर से समाहर्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की अपनी आंतरिक स्वतन्त्रता भी अक्षुण्ण रूप से कायम थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जनपदों, नगरों और ग्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार को अक्षुण्ण रखा जाय। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इनमें अपनी स्थानीय स्वशासन पुरानी परम्परा के अनुसार जारी था। सब जनपदों में एक ही प्रकार की स्थानीय स्वतन्त्रता नहीं थी। हम जानते हैं, कि मगध-साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ जनपदों में गणशासन और कुछ में राजाओं का शासन था। उनके व्यवहार और धर्म अलग-अलग थे। जब वे मगध के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, तो भी उनमें अपनी पुरानी परम्परा के अनुसार स्थानीय शासन जारी रहा, और ग्रामों में पुरानी ग्रामसभाओं और नगरों में नगरसभाओं (पीरसभा) के अधिकार कायम रहे। ग्रामों के समूहों व जनपदों

में भी जनपद सभार्यों की सत्ता विद्यमान रही। पर साथ ही केन्द्रीय सरकार की ओर से भी विविध करों को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिए 'पुरुष' नियुक्त होते रहे।

मौर्य-साम्राज्य के शासन का यही स्थूल ढाँचा है।

विजिगीषु राजर्षि सम्राट्—विविध जनपदों और गणराज्यों को जीतकर जिस विशाल मागध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट् था। चाणक्य के अनुसार राज्य के सात अंगों में केवल दो की मुख्यता है, राजा की और देश की। इसी लिए उन्होंने राजा की वैयक्तिक योग्यता को बहुत महत्त्व दिया है। उनके अनुसार राजा को आदर्श व्यक्ति होना चाहिए।

पर चाणक्य यह भी समझते थे कि राजा के पद के लिए आदर्श पुरुष सुगमता से नहीं मिल सकता, यद्यपि एक कुलीन और होनहार व्यक्ति को बचपन से ही उचित शिक्षा देकर उसे एक आदर्श राजा बनने के लिए तैयार किया जा सकता है। चाणक्य ने उम शिक्षा और विनय का विन्तार में वर्णन किया है, जो बचपन और युवावस्था में राजा को दी जानी चाहिए। राजा के लिए आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और हर्ष—इन छः शत्रुओं को परास्त कर अपनी इन्द्रियों पर पूर्णतया विजय करे। उसके समय का एक-एक क्षण काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलकुल भी विश्राम नहीं करना चाहिए। रात को भी उमें तीन घंटे से अधिक सोने की आवश्यकता नहीं। रात और दिन में उसके समय का पूरा-पूरा कार्यक्रम चाणक्य ने दिया है। भोग-विलास, नाच-गग आदि के लिए कोई भी समय इसमें नहीं रखा गया। चाणक्य का राजा एक राजर्षि है, जो सर्वगुणसम्पन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। वह सम्पूर्ण जनपदों को विजय कर अपने अधीन करने के लिए प्रयत्नशील है। चानुरग साम्राज्य की कल्पना को उमें कार्यरूप में परिणत करना है। उसका मंतव्य है, कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय में लेकर समुद्र पर्यन्त सीधी रेखा खींचने से जो एक हजार योजन विस्तीर्ण प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है।' इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूरा करना हो, वह यदि सर्वगुणसम्पन्न न हो, राजर्षि का जीवन न व्यतीत करे, और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का शिकार हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है? अतः कौटिलीय अर्थशास्त्र के विजिगीषु राजा को पूर्ण पुरुष होकर राजर्षि का जीवन व्यतीत करने हुए अपना कार्य करना चाहिए।

मन्त्रिपरिषद्—आचार्य चाणक्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होती है—प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। जो अपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है। जो दूसरे बताएँ, वह परोक्ष है। किए हुए कर्म से बिना किए कर्म का अन्दाज करना अनुमेय कहलाता है। सब काम एक साथ नहीं होते। राजकर्म बहुत-से होते हैं, और बहुत-से स्थानों पर होते हैं। अतः एक राजा सारे राजकर्म अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए उसे अमात्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह भी आवश्यक है, कि मन्त्री नियत किए जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देते रहें। राज्य-कार्य सहायता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। एक पहिये से

राज्य की गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए राजा सचिवों की नियुक्ति करे, और उनकी सम्मति को सुने। अच्छी बड़ी मन्त्रपरिषद् को रखना राजा के अपने लाभ के लिए है, इससे उसकी अपनी 'मन्त्रशक्ति' बढ़ती है। परिषद् में कितने मन्त्री हों, इस विषय में विविध प्राचायों के विविध मत थे। मानव, बाहुस्पत्य ब्रौशनस आदि सम्प्रदायों के मत में मन्त्रपरिषद् में क्रमशः बारह, सोलह और बीस मन्त्री होने चाहिए। पर चाणक्य किसी निश्चित संख्या के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि जितनी सामर्थ्य हो, जितनी आवश्यकता हो, उतने ही मन्त्री परिषद् में रख लिए जाएं।

बड़ी मन्त्रपरिषद् के अतिरिक्त एक छोटी उप-समिति भी होती थी, जिसमें तीन या चार खास मन्त्री रहते थे। इसे 'मन्त्रिणः' कहा जाता था। जरूरी मामलों पर इससे सलाह ली जाती थी। राजा प्रायः अपने 'मन्त्रिणः' और 'मन्त्रपरिषद्' के परामर्श से ही राजकार्य का संचालन करता था। मन्त्रपरिषद् में जो बात भूयिष्ठ (अधिक संख्या के) कहें, उसी के अनुसार कार्य करना उचित था। पर यदि राजा को भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो वह उसी सलाह को माने, जो उसकी दृष्टि में 'कार्यसिद्धिकर' है। मन्त्रपरिषद् में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो 'सर्वोपघाशुद्ध' हो, अर्थात् सब प्रकार से परीक्षा करके जिनके विषय में यह निश्चित हो जाए, कि वे सब प्रकार के दोषों व निर्बलताओं से बिरहित हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में राज्यकार्य में परामर्श देने के लिए मन्त्रपरिषद् की सत्ता थी। अशोक के शिलालेखों में जिसे 'परिषा' कहा है, वही कौटलीय अर्थशास्त्र की मन्त्रपरिषद् है। पर इस परिषद् के मन्त्रियों की नियुक्ति न तो निर्बाचन से होती थी, और न इसके कोई कुलक्रमानुगत सदस्य ही होते थे। परिषद् के मन्त्रियों की नियुक्ति राजा अपनी स्वेच्छा से करता था। जिन अमात्यो व अन्य व्यक्तियों को वह 'सर्वोपघाशुद्ध' पाता था, उनमें से कुछ को आवश्यकतानुसार मन्त्रपरिषद् में नियुक्त कर देता था। प्रायः राजा मन्त्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता था, पर यदि वह उनके मत को कार्यसिद्धिकर न समझे, तो अपनी इच्छानुसार भी कार्य कर सकता था। मागध-साम्राज्य में केन्द्रीभूत कूटस्थानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उन्नति या अवनति उसी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मन्त्रपरिषद् बाधा नहीं डाल सकती थी। पर यदि राजा कुपयगामी हो जाए, राज्यकार्य की सर्वथा उपेक्षा कर ऐसे कार्यों में लग जाए, जिनसे प्रजा का अहित हो, तो प्रकृतियों (मन्त्रियों और अमात्यों) को यह अधिकार अवश्य था, कि वे उनके विरुद्ध उठ खड़े हो, और उसे बलात् ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। भारत की यही प्राचीन परम्परा थी। पुराने जनपदों में सभा-समिति या पौर-जानपद राजा को सन्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। मागध-साम्राज्य की मन्त्रपरिषद् यद्यपि राजा की अपनी कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिगाटी के अनुसार राजा को सुपथ पर लाने के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करती थी। यही कारण है, कि जब अशोक ने बौद्ध-संघ को अनुचित रूप से राज्यकोष से दान देने का विचार किया, तो युवराज सम्प्रति द्वारा अमात्यों ने उसे रुकवा दिया।

जनता का शासन—पर यदि मागध-साम्राज्य के शासन में 'कूटस्थानीय' राजा

का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मन्त्रिपरिषद् उसकी अपनी नियत की हुई सभा होती थी, तो क्या मागध-राजाओं का शासन सर्वथा निरंकुश और स्वेच्छाचारी था ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल और सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले मागध सम्राटों पर अंकुश रखने वाली कोई श्रम्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की प्रेरणा देने वाली शक्ति उनकी अपनी योग्यता, अपनी महानुभावता और अपनी सर्वगुणसम्पन्नता के अतिरिक्त और कोई नहीं थी, पर मौर्यकाल में देश के शासन में जनता का भी हाथ अवश्य था। मागध साम्राज्य ने जिन विविध जनपदों को अपने अधीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और चरित्र सभी अक्षुण्ण थे। वे अपना शासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे। इस युग के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेणियों में संगठित थे, वे भी अपना शासन स्वयं ही करती थी। नगरों की पौर सभाएँ, व्यापारियों के पूग और निगम, तथा ग्रामों की ग्रामसभाएँ अपने आन्तरिक मामलों में अब भी पूर्ण स्वतन्त्र थी। राजा लोग देश के प्राचीन परम्परागत धर्म का पालन कराते थे, और अपने 'व्यवहार' का निदचय उसी के अनुसार करते थे। यह धर्म और व्यवहार सनातन थे, राजा की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थे। इन्हीं सबका परिणाम था, कि पाटलिपुत्र में विजिगीषु राजर्षि राजाओं के रहते हुए भी जनता अपना शासन अपने आप करती थी।

नगरों का शासन—मौर्यकाल के नगरों में स्थानीय स्वशासन की क्या दशा थी, इसका परिचय मँगस्थनीज के यात्रा-विवरण से मिलता है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर-सभा छः उपसमितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे—

पहली उपसमिति का कार्य औद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण करना था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी लोग शुद्ध तथा पक्का माल काम में लाते हैं, और मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी उपसमिति का कार्य था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में शिल्पी लोगों का समाज में बड़ा आदर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है, कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकल कर दे, जिससे कि उसके हस्तकौशल में न्यूनता आ जाए, तो उसके लिए मृत्युदण्ड की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। वर्तमान समय के विदेश-मन्त्रालयों के अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटलिपुत्र में आएँ, उनपर यह उपसमिति निगाह रखती थी। साथ ही, विदेशियों के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औषधीपचार का कार्य भी इन उप-समितियों के ही सुपुर्द था। यदि किसी विदेशी की पाटलिपुत्र में मृत्यु हो जाए, तो उसके देश के रिवाज के अनुसार उसे दफनाने का प्रबन्ध भी इसी की तरफ से होता था। मृत परदेशी की जायदाद व सम्पत्ति का प्रबन्ध भी यही उपसमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का काम मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु और जन्म की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्य था।

चौथी उपसमिति क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और माप के परिमाणों को निश्चित करना, व्यापारी लोग उनका शुद्धता के साथ और सही-सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था।

पाँचवीं उपसमिति व्यापारियों पर इस बात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती थी, कि वे नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं बेचते। नई और पुरानी चीजों को मिलाकर बेचना कानून के विरुद्ध था।

छठी उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वसूल करना होता था। उस समय में यह नियम था, कि कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाए, उसका दसवाँ भाग कर-रूप में नगरसभा को दिया जाए।

इस प्रकार छः उपसमितियों के पृथक्-पृथक् कार्यों का उल्लेख कर मँगस्थनीज ने लिखा है, कि "ये कार्य हैं, जो उपसमितियाँ पृथक् रूप से करती हैं। पर जहाँ उपसमितियों को अपने-अपने विशेष कार्यों को सम्पन्न करना होता है, वहाँ वे सब मिलकर सामूहिकरूप में सार्वजनिक या सार्वसामान्य हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं, यथा सार्वजनिक इमारतों को सुगन्धित रखना, उनकी मरम्मत करना, कीमतों को नियंत्रित करना, बाजार, बंदरगाह और मन्दिरों पर ध्यान देना।"

मँगस्थनीज के इस विवरण में स्पष्ट है, कि मौर्य चन्द्रगुप्त के शासन में पाटलिपुत्र का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था। संभवतः, यही प्राचीन पौरसभा थी। इस प्रकार की पौरसभाएँ तक्षशिला, उज्जयिनी आदि अन्य नगरियों में भी विद्यमान थीं। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शान्त करने के लिये कुमार कुणाल तक्षशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसका स्वागत किया था। अशोक के शिलालेखों में भी ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है कि उस समय के बड़े नगरों में पौरसभाओं की मत्ता थी। जिस प्रकार मागध-साम्राज्य के अग्रगण्य त्रिविध जनपदों में अपने परम्परागत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरो व नगरों में भी थे। यही कारण है, कि नगरों के निवासी अपने नगर के शासन में पर्याप्त अधिकार रखते थे।

ग्रामों का शासन—जनपदों में बहुत-से ग्राम सम्मिलित होते थे, और प्रत्येक ग्राम शासन की दृष्टि में अपनी पृथक् स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अध्यायन से इन ग्राम-संस्थाओं के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। प्रत्येक ग्राम का अपना पृथक् शासक होता था, जिसे 'ग्रामिक' कहते थे। ग्रामिक ग्राम के अन्य निवासियों के साथ मिलकर अग्रगणियों को ढङ देता था, और किसी व्यक्ति को ग्राम से बहिष्कृत भी कर सकता था। ग्राम की अपनी सार्वजनिक निधि भी होती थी। जो जुर्माने ग्रामिक द्वारा वसूल किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा किये जाते थे। ग्राम की ओर में सार्वजनिक हित के कार्यों की व्यवस्था भी की जाती थी। जो लोग अपने सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करते थे, उनपर जुर्माना किया जाता था। यह ग्राम-संस्था न्याय का भी कार्य करती थी। ग्रामसभाओं द्वारा बनाये गए नियम साम्राज्य के न्यायालयों में मान्य होते थे। 'अलपटल के अध्यक्ष' के कार्यों में एक यह भी था, कि वह ग्राम-संघों के धर्म, व्यवहार, चरित्र आदि को निबन्धपुस्तकस्थ (रजिस्टर्ड) करे।

भारत की इन्हीं ग्राम-संस्थाओं के कारण यहाँ के निवासियों की वास्तविक स्वतन्त्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सर्वसाधारण जनता का बड़ा भाग सदा से ग्रामों में बसता आया है। ग्राम के निवासी अपने सुख व हित की अपने संघ में स्वयं व्यवस्था करते थे। अपने लिए वे स्वयं नियम बनाते थे, और अपने मनोरंजन का भी स्वयं ही प्रबन्ध करते थे। इस दशा में साम्राज्य के अधिपति की निरंकुशता या एकसत्ता का उनपर विशेष असर नहीं होता था।

व्यवसायियों की श्रेणियाँ—मौर्यकाल के व्यवसायी और शिल्पी श्रेणियों (Guilds) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और अपने संघ में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियन्त्रण रखती थीं। इनके नियम, व्यवहार और चरित्र आदि को भी राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता था।

धर्म और व्यवहार—मौर्य-सम्राट् अपने साम्राज्य पर स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता से शासन न कर धर्म और व्यवहार के अनुसार शासन करते थे। चाणक्य ने धर्मशास्त्र में लिखा है, कि जो राजा धर्म, व्यवहार, सत्या और न्याय के अनुसार शासन करता है, वह चातुर्यत पृथिवी को विजय कर लेता है। चाणक्य के विजिगीषु राजा के लिये यह आवश्यक है, कि वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी न हो, अपितु धर्म, व्यवहार आदि के अनुसार ही शासन करे। धर्मशास्त्र में यह विचार विद्यमान है, कि राजा जनता में जो छटा भाग कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रकार का वंश है। इसके बदले में वह प्रजा के योग-क्षेम का संपादन करता है। राजा को धर्म और न्याय के अनुसार शासन करना है, यह विचार प्राचीन समय में इतना प्रबल था, कि आचार्य चाणक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दण्ड दे, तो राजा को उसमें तीन गुना दण्ड दिया जाय।

जिस कानून के अनुसार राजा शासन करता था, उसके चार अंग होते थे— धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इनमें से किसी एक का बाधक माना जाता था। यदि व्यवहार और चरित्र का राजशासन (राजा की आज्ञा) से विरोध हो, तो राजा व्यवहार या चरित्र से अधिक महत्त्व की होगी। धर्म वे कानून थे, जो सत्य पर आश्रित शाश्वत नियम हैं। व्यवहार का निश्चय साक्षियों द्वारा किया जाता था। जो कानून पुराने समय में चले आते थे, उन्हें व्यवहार कहते थे। कौन-से नियम पुराने समय में चले आते हैं, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र वे कानून थे, जो ग्राम, श्रेणी आदि विविध समूहों में प्रचलित थे। इन सबसे ऊपर राजा की आज्ञा थी। पर मौर्य-काल के कानून में धर्म, व्यवहार और चरित्र की सुनिश्चित स्थिति का होना इस बात का प्रमाण है, कि राजा शासन में उन्हें पर्याप्त महत्त्व देते थे, और जनता की इच्छा और चरित्र की वे सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते थे।

मगध के एकगट् राजाओं की अपार शक्ति के बावजूद जनता की स्वतन्त्रता इन विविध कारणों से सुरक्षित थी, और मौर्य-युग के भारतीय अनेक प्रकार से अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले विषयों का स्वयं शासन व निर्धारण किया करते थे।

न्याय-व्यवस्था—विशाल मगध-साम्राज्य में न्याय के लिए अनेकविध न्यायालय थे। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम-संस्था (ग्रामसंघ) का होता था, जिसमें ग्राम

के निवासी अपने मामलों का स्वयं निबटारा करते थे। इसके ऊपर संग्रहण के, फिर द्रोणमुख के और फिर जनपद-संघि के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर पाटलिपुत्र में विद्यमान धर्मस्थीय और कंटकशोधन न्यायालय थे। सबसे ऊपर राजा होता था, जो अनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार रखता था। ग्राम-संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त बीच के सब न्यायालय धर्मस्थीय और कंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यावहारिक कहलाते थे, और कंटकशोधन के प्रदेष्टा।

धर्मस्थीय—इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में किन-किन बातों के मामलों का फैसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटलीय अर्थशास्त्र में दी गई है। धर्मस्थीय में प्रधानतया निम्नलिखित मामले पेश होते थे—दो व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों के आपस के व्यवहार के मामले; आपस में जो 'समय' (कट्टेक्ट) हुआ हो उसके मामले; स्वामी और मृत्यु के भगड़े; दासों के भगड़े, ऋण को चुकाने के मामले; धन को अमानत पर रखने से पैदा हुए विवाद; क्रय-विक्रय सम्बन्धी मामले; दिये हुए दान को फिर लौटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला, डाका, चोरी या लूट के मुकदमे; किसी पर हमला करने का मामला; गाली, कुबचन या मानहानि के मामले; जुए सम्बन्धी भगड़े; मिल्कियत के बिना ही किसी सम्पत्ति को बेच देना; मिल्कियत सम्बन्धी विवाद; सीमा सम्बन्धी भगड़े; इमारतों के बनाने के कारण उत्पन्न मामले; चरागाहों, खेतों, और मार्गों को क्षति पहुँचाने के मामले, पति-पत्नी सम्बन्धी मुकदमे; स्त्री-धन सम्बन्धी विवाद; संपत्ति के बँटवारे और उत्तराधिकार-सम्बन्धी भगड़े; सहोद्योग, कम्पनी नया साझे के मामले; विविध हकाबटे पैदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत निर्णयविधि में हकाबट पैदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत निर्णयविधि-सम्बन्धी विवाद और विविध मामले।

कण्टकशोधन न्यायालय—कण्टकशोधन न्यायालयों में निम्नलिखित मामले पेश होते थे—शिल्पियों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, राष्ट्रीय व सार्वजनिक आपत्तियों के निराकरण-सम्बन्धी मामले; नियम-विरुद्ध उपायों से आजीविका चलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी; अपने गुप्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना; सन्देह होने पर या बस्तुतः अपराध करने पर गिरफ्तारी; मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना; अपराध का पता करने के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग; सरकार के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा, भग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले में जुर्माना देने के आवेदन-पत्र; शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्यु दण्ड देने का निर्णय, कन्या पर बलात्कार, और न्याय का उत्लंघन करने पर दण्ड देना।

ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के आपस के मुकदमे पेश होते थे। इसके विपरीत कण्टकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमे उपस्थित किये जाते थे, जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। कण्टकशोधन का अभिप्राय ही यह है, कि राज्य के कण्टकों (कॉर्टों) को दूर करना।

राजकीय धाय-व्यय—कौटलीय ग्रन्थशास्त्र में राजकीय धाय के निम्नलिखित साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है—

१. **भूमिकर**—जमीन से राज्य को दो प्रकार से ग्रामदनी होती थी, सीता और भाग । राज्य की अपनी जमीनो से जो ग्रामदनी होती थी, उसे सीता कहते थे । जो जमीनों राज्य की अपनी सम्पत्ति नहीं थी, उनसे 'भाग' वसूल किया जाता था ।

२. **तटकर**—मौर्यकाल में तटकर दो प्रकार के होते थे, निष्कर्म्य (निर्यातकर) और प्रवेश्य (आयात-कर) । आयात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फीसदी थी । कुछ देशों के साथ आयात-कर के सम्बन्ध में रियायत भी की जाती थी । इसे 'देशोपकार' कहते थे । निर्यात माल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय ग्रन्थशास्त्र से ज्ञात होता है, पर इस कर की दरें क्या थी, इस सम्बन्ध में कोई सूचना चाणक्य ने नहीं दी ।

३. **बिक्री पर कर**—मौर्यकाल में बिक्री पर भी टैक्स लेने की व्यवस्था थी । चाणक्य ने लिखा है, कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ बेचा नहीं जा सकता । कोई भी वस्तु विक्रय-कर से न बच सके, इसलिए यह नियम बनाया गया था । सब माल पहले शुल्काध्यक्ष के पास लाया जाता था । कर दे देने के बाद उस पर 'अभिज्ञानमुद्रा' लगायी जाती थी । उसके बाद ही माल की बिक्री हो सकती थी, पहले नहीं ।

४. **प्रत्यक्ष कर**—मौर्य युग में जो विविध प्रत्यक्ष-कर लगाये जाते थे, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—(क) तोल और नाप के परिमाणों पर—इतपर चार माषक कर लिया जाता था । प्रामाणिक बट्टो या भाप के साधनों को काम में न लाने पर दण्ड के रूप में २७१ पण जुर्माना लिया जाता था । (ख) जुधारियों पर—जुध्रा खेलने की अनुमति लेने पर कर देना पड़ता था, और जो-कुछ जुए में जीता जाए, उसका ५ फीसदी राज्य ले लेता था । (ग) रूप से प्राजीविका चलाने वाली बेव्याधो से दैनिक ग्रामदनी का दुगुना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था । इसी प्रकार के कर नटों, नाटक करने वालों, रस्सी पर नाचने वाली, गायको, वादकों नर्तकों व अन्य तमाशा दिखाने वालों से भी वसूल करने का नियम था । पर यदि ये लोग विदेशी हों, तो इनसे पाँच पण अतिरिक्त-कर भी लिया जाता था । (घ) घोबी, सुनार व इसी तरह के अन्य शिल्पियों पर अनेक कर लगाये जाते थे । इन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक प्रकार का लाइसेंस भी लेना होता था ।

५. **राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से धाय**—राज्य का जिन व्यवसायों पर पूरा आधिपत्य था, उनमें खानों, जंगल, नमक की उत्पत्ति और अस्त्र-शस्त्र का कारोबार मुख्य हैं । इनके अतिरिक्त शराब का निर्माण भी राज्य के ही अधीन था । इन सबसे राज्य को अच्छी ग्रामदनी होती थी । अनेक व्यापारों पर भी राज्य का स्वत्व उस युग में विद्यमान था । राज्य की ओर से जो पदार्थ बिक्री के लिए तैयार होते थे, उनकी बिक्री भी वह स्वयं करता था ।

६. **जुर्मानों से धाय**—मौर्यकाल में अनेक अपराधों के लिए दण्ड के रूप में जुर्माना लिया जाता था ।

७. **बिबिध**—मुद्रापद्धति पूर्णतया राज्य के हाथ में होती थी । रूप्य, पण

आदि सिक्के टकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति चाहे अपनी धातु ले जाकर टकसाल में सिक्के ढलवा सकता था। पर इसके लिए १३½ फीसदी प्रीमियम देना पड़ता था। जो कोई सरकारी टकसाल में नियमानुसार सिक्के न बनवाकर स्वयं बनाता था, उसपर २५ पण जुर्माना किया जाता था। गरीब और अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबन्ध राज्य करता था। पर इस तरह के लोगों से सूत कातने, कपड़ा बुनने, रस्ती बँटने आदि के काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी कुछ ग्रामदनी हो जाती थी।

इन सब के अतिरिक्त आपत्काल में सम्पत्ति पर अन्वय भी अनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे। अर्थशास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, मणिमुक्ता का व्यापार करने वाले धनी लोगों से ऐसे भ्रवसरो पर उनकी ग्रामदनी का ६० फीसदी कर में ले लिया जाता था। अन्वय प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों से भी ऐसे भ्रवसरो पर विशेष करों की व्यवस्था थी, जिनकी मात्रा ५० फीसदी से ५ फीसदी तक होती थी। मन्दिरों और धार्मिक संस्थाओं से भी ऐसे भ्रवसरो पर उपहार और दान लिये जाते थे। जनता से अनुरोध किया जाता था, कि आपत्काल में उदारता के साथ राज्य को धन प्रदान करें। इसके लिए दानियों का अनेक प्रकार से सम्मान भी किया जाता था।

राजकीय व्यय—राज्य को विविध करों से जो ग्रामदनी होती थी, उसके व्यय के सम्बन्ध में भी बहुत-सी उपयोगी बातें कौटिलीय अर्थशास्त्र से ज्ञात होती हैं।

१. **राजकर्मचारियों के वेतन**—अर्थशास्त्र में विविध राज-कर्मचारियों के वेतनों की दरें दी गई हैं। इनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे बड़े पदाधिकारियों का वेतन ४००० पण मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाह्वर्ता और अंतर्बंशिक महश्व कर्मचारियों को २००० पण मासिक; नायक, व्यावहारिक, अन्तपाल आदि को १००० पण मासिक; अश्वमुख्य, रथमुख्य आदि को ६६० पण मासिक; विविध अध्यक्षों को ३३० पण मासिक; पदाति सैनिक, लेखक, सख्यापक आदि को ४२ पण मासिक और अन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों को ५ पण मासिक वेतन मिलता था।

२. **सैनिक व्यय**—सेना के विविध सिपाहियों व आफिसरों को किस दर से वेतन मिलता था, इसका भी पूरा विवरण अर्थशास्त्र में दिया गया है। मैगस्थनीज के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हजार अश्वारोही, ६००० हाथी और ८००० रथ थे। यदि अर्थशास्त्र में लिखे दर से इन्हें वेतन दिया जाता हो, तो पदाति सैनिकों के वेतन में ही लगभग तीस करोड़ पण प्रतिवर्ष खर्च हो जाता था।

३. **शिक्षा**—मौर्यकाल में जो व्यय राज्य की ओर से शिक्षा के लिए किया जाता था, उसे देवपूजा कहते थे। अनेक शिक्षणालयों का संचालन राज्य की ओर से भी होता था, और इनके शिक्षकों को राजा की ओर से वेतन मिलता था। इसे भृति या वृत्ति न रहकर 'पूजावेतन' (ग्रानोरेरियम) कहते थे।

४. **दान**—बालक, वृद्ध, व्याधिपीडित, आपत्तिग्रस्त और इसी तरह के अन्वय व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की ओर से होता था। इस खर्च को दान कहते थे।

५. **सहायता**—मैगस्थनीज के अनुसार शिल्पी लोगों को राज्य कोष से अनेक प्रकार से सहायता दी जाती थी। इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दशाओं में राज्य

की ओर से सहायता प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल करो से मुक्त ही किया जाता था, अपितु राज्यकोष से धन भी दिया जाता था।

६. सार्वजनिक भ्रामोद-प्रमोद—इस विभाग में वे पुण्यस्थान, उद्यान, चिडिया-घर आदि अन्तर्गत थे, जिनका निर्माण राज्य की ओर से किया जाता था। राज्य की ओर से पशु, पक्षी आदि जन्तुओं के बहुत-से 'वाट' भी बनाये जाते थे, जिनका प्रयोजन जनता का मनोरंजन था।

७. सार्वजनिक हित के कार्य—मौर्यकाल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकित्सालय आदि का राज्य की ओर से प्रबन्ध किया जाता था। दुर्भिक्ष, भ्रम, महामारी आदि आपत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ कूप, तड़ाग आदि बनवाने पर विशेष ध्यान रखा जाता था।

८. राजा का वैयक्तिक खर्च—मौर्यकाल में राजा का वैयक्तिक खर्च भी कम नहीं था। अन्तःपुर बहुत शानदार और विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ों दीवारिक और हजारों अन्तर्वेशिक सैनिक हमेशा राजमहल में विद्यमान रहते थे। राजा बहुत शान के साथ रहता था। उसके निजी टाट-बाट में भी बहुत अधिक व्यय होता था। केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना अधिक था, कि चाणक्य ने व्यय के विभागों में इसका पृथक् रूप में उल्लेख किया है। राजप्रसाद की अपनी सूना (बूचडखाना) पृथक् होती थी। राजमहल और अन्तःपुर के निवासी स्त्री-पुरुषों की संख्या हजारों में पहुँचती थी। राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकोष से बाकायदा वेतन दिया जाता था। इसकी दर भी बहुत अधिक होती थी। युवराज, राजमाता और राजमहिषी को चार-चार हजार पण मासिक और कुमारमाता को एक हजार पण मासिक वेतन मिलता था। यह उनकी अपनी निजी भ्रामदनी थी, जिसे वे स्वच्छा से खर्च कर सकते थे।

मर्वमशुमारी—मौर्ययुग में मनुष्य गणना प्रतिवर्ष होती थी। इसके लिए सरकार का एक स्थिर विभाग होता था, जो मनुष्यों की संख्या को अपनी निबन्धपुस्तकों में दर्ज रखता था। केवल मनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी, अपितु पशु व जन्तु भी गिने जाते थे। समाहर्ता और नागरिक की ओर से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुष (जो प्रायः दस ग्रामों के शासक होते थे) किया करते थे। वे राजपुरुष प्रत्येक ग्राम की निबन्धपुस्तक में निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे :—

(१) गाँवों में चारों वर्णों के कितने-कितने भ्रामदमी हैं। (२) कितने किसान हैं। (३) कितने गोरक्षक या खाने हैं। (४) कितने सौदागर हैं। (५) कितने कारीगर हैं। (६) कितने नौकर हैं। (७) कितने दास हैं। (८) कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं। (९) कितने चौपाये हैं। (१०) गाँव में कुल धन कितना है। (११) गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है। (१२) गाँव से चुगी की भ्रामदनी कितनी है। (१३) गाँव को जुमानों द्वारा कितनी भ्रामदनी होती है। (१४) कितने मकान हैं, जिनसे कर मिलता है। (१५) ग्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ, कितने वृद्ध और कितने बालक हैं। (१६) कितने घर हैं, जिनसे कर नहीं मिलता। (१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं। (१८) उनके पेशे क्या-क्या हैं। (१९) भ्रामदनी कितनी है। (२०) धनका खर्च कितना है।

गुप्तचर विभाग—विजिगीषु मौर्य सम्राटों के लिए गुप्तचर विभाग को उन्नत करना परम आवश्यक था। चाणक्य ने इस विभाग का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। मुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों से गुप्तचरो का प्रयोग होता था :—

१. अमात्यों पर निरीक्षण रखने के लिए—अमात्य पद पर केवल वे ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जिनकी पहले गुप्तचरों द्वारा पूरी परीक्षा ले ली जाती थी। पुरोहित, सेनापति आदि सब महामात्यो की परीक्षा के लिए अनेकविध उपाय कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद भी अमात्यो के 'शौच' और 'अशौच' का पता गुप्तचर लोग लगाते रहते थे।

२. और और जानपद लोगो की भावनाओ का पता लगाने के लिए भी गुप्तचर नियत किये जाते थे। जनता मे किस बात से असन्तोष है, देश के धनी-मानी प्रभावशाली लोगो के क्या विचार है, अधीनस्थ सामन्तो का क्या रुख है, इन सब बातो का पता लेकर गुप्तचर राजा को सूचना भेजते रहते थे।

३. गुप्तचर लोग विदेशों में भी काम करते थे। पड़ोसी शत्रुदेश व विदेशीराज्यों की गतिविधि, विचार, भाव आदि का पता करने के लिए गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते थे। गुप्तचर-विभागके केन्द्र अनेक स्थानों पर होते थे। इन केन्द्रो को 'मस्थ' कहते थे। गुप्तचर जिस किसी रहस्य का पता लगाते थे, उसे अपने साथ सम्बद्ध 'संस्था' में पहुँचा देते थे। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी।

डाक प्रबन्ध—कौटलीय अर्थशास्त्र मे कुछ निर्देश ऐसे आते हैं, जिनसे उस समय के डाक प्रबन्ध पर प्रकाश पडता है। उस समय सन्देश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। कपोतो के गले आदि मे पत्र बाधकर उन्हे उडा दिया जाता था। खूब सधे हुए कबूतर ठीक स्थान पर पहुँचने में समर्थ होते थे।

राजशक्ति पर जनता का प्रभाव—मौर्यकाल की शासन-व्यवस्था के प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावो का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट् भी नही कर सकता था। इस प्रकार का एक प्रभाव ब्राह्मण-श्रमणो का था। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों मे निवास करते थे, पर देश की घटनाओ और नीति पर उनको सदा दृष्टि रहती थी। जब वे देखते थे कि राजा कुमार्ग मे प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कर्तव्य हो जाता था। इसीलिए चाणक्य ने लिखा है 'यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या राजनीति मे काम, क्रोध, और अज्ञान आ जाय, तो वानप्रस्थ और परिव्राजक लोग भी क्रुपित हो जाते हैं।' ये वानप्रस्थ ब्राह्मण बहुत सादगी और गरीबी के साथ जगलो में निवास किया करते थे। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत अधिक होता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ पूर्व ही जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसकी भेट ऐसे अनेक नीतिज्ञ ब्राह्मणों से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उभार रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने पूछा—'तुम क्यों इस राजा को मेरे विरुद्ध भडकाते हो।' ब्राह्मण ने उत्तर दिया—'मैं चाहता हूँ, कि यदि वह जीए, तो सम्मानपूर्वक जीए, नही तो सम्मानपूर्वक मर जाए।' कहा जाता है कि एक अन्य ब्राह्मण सन्यासी सिकन्दर के पास आया और बोला—'तुम्हारा राज्य एक

सूखी हुई खास की तरह है, जिसका कोई गुस्ता-केन्द्र नहीं होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पार्श्व पर खड़ा होता है, तो दूसरा पार्श्व विद्रोह कर देता है।' तक्षशिला के एक वृद्ध दंडी को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखाकर बुलाने की कोशिश की गई कि 'सिकन्दर तो दुनिया के मालिक द्यौः का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नहीं आओगे, तो वह तुम्हारा सिर घड से भ्रमल कर देगा।' यह सुनकर दंडी ने उपेक्षजनक हँसी हँसकर उत्तर दिया—'मैं भी द्यौः का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकन्दर। मैं अपने देश भारत से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ, जो माता की तरह मेरा पालन करता है।' उस दंडी ने व्यंग्य से यह भी कहा 'यदि सिकन्दर गंगा के पार के प्रदेश में जायगा, तो (नंद की सेना) उसे विश्वास दिला देगी, कि वह अभी सारे संसार का स्वामी नहीं बना है।'।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे ब्राह्मणों की निर्भीक वृत्ति का राज्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। राजा की अनीति को रोकने में ये बहुत सहायक होते थे। राजाओं के कुमार्गगामी हो जाने पर जब तपस्वी ब्राह्मण कुपित हो जाते थे, तो स्थिति को सभालना कठिन हो जाता था। नन्द के शक्तिशाली वैश्व का पतन आचार्य चाणक्य के कोप से ही हुआ था। वह नन्द की अनीति को देखकर उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था।

ब्राह्मण तपस्वियों के कोप की अपेक्षा भी जनता का कोप अधिक भयंकर माना जाता था। आचार्य चाणक्य ने लिखा है—'जनता का कोप सब कोपों से बढकर है।' चाणक्य भलीभाँति समझता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की अवस्था उत्तम हो, तो राज्य अच्छी तरह चल सकता है।' राज्य के सम्बन्ध में यह परम्परागत सिद्धान्त मौर्यकाल में भी मान्य समझा जाता था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकर बात वह नहीं है, जो राजा को अच्छी लगती है। हितकर बात तो वह है, जो प्रजा को प्रिय लगती है।'

(३) मौर्य-काल का आर्थिक जीवन

कृषि—मौर्यकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मँगस्थनीज ने लिखा है 'दुमरी जाति में किसान लोग हैं, जो सख्या में सबसे अधिक हैं। युद्ध करने तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त होने के कारण वे अपना सारा समय खेती में लगाते हैं।' किसानों की अवस्था उस समय बहुत सन्तोषजनक थी। वर्षा की प्रचुरता के कारण दो फसलें साल में हो जाती थी, और किसान नानाविध अन्नो तथा अन्य पदार्थों को उत्पन्न कर सकते थे। इस विषय में मँगस्थनीज का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य हैं :—

“भूमि पशुओं के निर्वाह योग्य चारा तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। अतः यह माना जाता है कि भारतवर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा, और खाने की वस्तुओं की महँगाई भी साधारणतया कभी नहीं हुई है। चूँकि यहाँ साल में दो बार वर्षा होती है; एक जाड़े में, जबकि गेहूँ की बुझाई होती है, और दूसरी गर्मी के दौरान में, जबकि तिल और ज्वार के बोने का उपयुक्त समय होता है, अतः भारत के

किसान प्रायः सदा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुछ बिगड़ भी जाती है, तो लोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास रहता है।

“भारतवासियों में बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ भी हैं, जो वहाँ अकाल पड़ने की संभावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है। पर इसके विरुद्ध भारतवासियों में जो कृषक समाज को पवित्र व अघृण्य मानते हैं, भूमि जोतने वाले किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते, चाहे उनके पड़ोस में ही युद्ध क्यों न हो रहा हो। दोनों पक्षों के लड़ने वाले युद्ध के समय एक-दूसरे का संहार करते हैं, परन्तु जो लोग खेती में लगे हुए हैं, उन्हें पूर्णतया निर्विघ्न अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे शत्रु देश का अग्नि में सत्यानाश करते हैं, और न उसके पैड़ काटते हैं।”

भौर्यकाल में भी खेती के लिए हल और बैलों का प्रयोग होता था। भूमि को खूब अच्छी तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमें नानाविध खादों को डालकर भूमि की उपज शक्ति को बढ़ाया जाता था। खाद के लिए गोबर, हड्डी और राख का प्रयोग होता था।

सिंचाई के लिए निम्नलिखित साधन प्रयुक्त होते थे—(१) हस्तप्रावर्तितम्—डोल, चरस आदि द्वारा कुएँ से पानी निकालकर सिंचाई करना। (२) स्कंधप्रावर्तितम्—कंधों की सहायता से पानी निकालकर सिंचाई करना। रूढ़ या चरस को जब बैल खींचते हो, तो उनके कंधों से पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिंचाई को ‘स्कंधप्रावर्तितम्’ कहते थे। (३) स्रोतयंत्रप्रावर्तितम्—वायु द्वारा (पवन-चक्की) खींचे हुए पानी को ‘स्रोतयंत्रप्रावर्तितम्’ कहते थे। (४) नदीसरस्तटाकूपोद्घाटम्—नदी, सर, तटाक और कूप द्वारा सिंचाई करना। (५) सेतुबन्ध—बाँध (डाम) बनाकर उससे नहरे व नालियाँ निकालकर उनसे सिंचाई करना।

व्यवसाय—मैगस्थनीज ने भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि ‘वे कला-कौशल में बड़े निपुण हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से भाषा की जा सकती है, जो स्वच्छ वायु से साँस लेते हैं, और अत्युत्तम जल का पान करते हैं।’ ‘अधिक सुसम्पन्न भारतीयों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों से आजीविका कमाने वाले लोग हैं। कई जमीन जोतते हैं, कई व्यापारी हैं, कई सिपाही हैं।’

कौटलीय अर्थशास्त्र में भौर्य युग के व्यवसायों का विस्तार में उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित थे :—

१. **तंतुवाय**—भौर्यकाल में सबसे मुख्य व्यवसायी तंतुवाय या जुलाहे थे। वे रुई, रेशम, सन, ऊन आदि के अनेकविध कपड़े तैयार करते थे। वस्त्र-व्यवसाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले घोड़ी, रगरेज और दरजियों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में हुआ है। साथ ही रस्सी और कवच बनाने वाले व्यवसायियों का भी वहाँ वर्णन है।

२. **खानों में काम करने वाले व्यवसायी**—मैगस्थनीज ने भारत की खानों के विषय में लिखा है, कि ‘भारत की भूमि तो अपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा कृषिजन्य

पदार्थ उपजाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की धातुओं की अनगितन खानें हैं। इस देश में सोना और चाँदी बहुत होता है। ताँबा और लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता और अन्य धातुएँ भी होती हैं। इनका व्यवहार आभूषण और लड़ाई के हथियार तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में खानों के व्यवसायों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के अध्यक्ष को 'आकराध्यक्ष' कहते थे।

३. नमक का व्यवसाय—'नवणाध्यक्ष' की अधीनता में नमक के व्यवसाय का संचालन होता था। नमक बनाने और बेचने के लिए राज्य की अनुमति आवश्यक थी। नमक बनाने में मुख्यतया समुद्र के जल का ही प्रयोग किया जाता था।

४. समुद्र से रत्न आदि निकालने का व्यवसाय—इस व्यवसाय के अध्यक्ष को 'खन्यध्यक्ष' कहते थे। समुद्र से शंख, मणि, मुक्ता आदि विविध पदार्थों को निकलवाने तथा उन्हें शुद्ध करवाने और उनकी विविध वस्तुएँ बनवाने का कार्य खन्यध्यक्ष के अधीन होता था।

५. स्वर्णकार—सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध कर उनसे आभूषण बनाने का कार्य मुनार लोग करते थे।

६. वैद्य—चिकित्सा का काम करने वाले भिषक् (साधारण वैद्य), जंगलीविद् (विष-चिकित्सक), गर्भव्याधिसंस्था (गर्भ की बीमारियों को ठीक करने वाले) और सूतिका-चिकित्सक (सन्तान उत्पन्न कराने वाले) चार प्रकार के चिकित्सक होते थे।

७. शराब का व्यवसाय—यद्यपि मँगस्थनीज ने लिखा है, कि भारतीय लोग यज्ञों के प्रतिरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते थे, पर अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में शराब का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। वहाँ मेदक, प्रसन्न, आसव, अरिष्ट, मँरेय और मधु—छ प्रकार की शराबों का उल्लेख कर इनके निर्माण की विधि भी लिली गई है।

८. बूचड़खाने—मांसभक्षण का बहुत प्रचार होने के कारण मौर्यकाल में बूचड़ का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। यह 'सूनाध्यक्ष' नामक अधिकारी द्वारा नियन्त्रित किया जाता था।

९. खमड़े का व्यवसाय—बूचड़खानों में मारे गये तथा जंगल, खेत आदि में स्वयं मरे हुए पशुओं की खानों का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था।

१०. बर्तनों का व्यवसाय—अर्थशास्त्र में चार प्रकार के बर्तनों का उल्लेख है—घातु, मिट्टी, बेल और छाल के बने हुए।

११. जंगलों के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय—अर्थशास्त्र में जंगलों में होने वाले उन वृक्षों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध प्रकार के कामों में आती है।

१२. लोहार—लोहे से जहाँ खेती व अन्य शिल्पों के नानाविध उपकरण तैयार किये जाते थे, वहाँ अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी प्रधानतया लोहे से ही होता था।

१३. जहाज और नौकाएँ बनाने वाले—मौर्यकाल में नदियों तथा समुद्र में जो अनेक प्रकार के जहाज चलते थे, वे भारत में ही बनाये जाते थे।

इनके प्रतिरिक्त गन्धपण्याः (सुगंधियाँ बनाने और बेचने वाले), माल्यपण्याः (मालाएँ बनाने और बेचने वाले), गोरक्षक (स्वाले), कर्मकर (मजदूर), नट, नर्तक, गायक, वादक, कुशीलव, शौण्डिक (शराब बेचने वाले), वेश्याएँ, भोजन पकाने वाले आदि व्यवसायियों तथा राज (मकान बनाने वाले), मणिकाह (विविध रत्नों, मणियों और हीरे आदि को काट व तराश कर उनसे प्राभूषण बनाने वाले) और देवताकाह (विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले) आदि शिल्पियों का उल्लेख भी ग्रंथशास्त्र में किया गया है।

व्यापार—कृषि और व्यवसाय के समान व्यापार भी मौर्यकाल में बहुत उन्नत था। ग्राम के छोटे-छोटे सौदागरों से लेकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ तक उस काल में विद्यमान थी। देहात में माल की बिक्री के लिए मंडियाँ भी लगती थी। ये मंडियाँ जल और स्थल मार्गों के नाकों पर लमायी जाती थी।

शहरों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बाजार अलग-अलग होते थे। कौटलीय ग्रंथ-शास्त्र में जिम आदर्श नगर का चित्र उपस्थित किया गया है, उसमें मांस, चाकल, रोटी, मिठाई आदि भोज्य पदार्थ की दूकानों के लिए पृथक् व्यवस्था की गयी है, और सुगन्धित तेल, माला, फूल, वस्त्र आदि की दूकानों के लिए अलग जगह रखी गयी है। शहरों में जहाँ बड़ी-बड़ी दूकानें होती थी, वहाँ फेरी वालों की भी कमी न थी। फेरी वाले घूम-घूम कर माल बेचते थे।

दूकानदार कितना मुनाफा लें, इसपर भी राज्य की ओर से नियंत्रण होता था। ग्राम चीजों पर लागत का पाँच फीसदी मुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी माल पर १० फीसदी मुनाफा लेने की अनुमति थी।

मौर्यकाल में भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्गों द्वारा होता था। भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थी। स्वाभाविक रूप से व्यापारी लोग इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे। मौर्यकाल के सौदागर व्यापार के लिये बड़े-बड़े काफिले (सार्थ) बनाकर सब जगह आया जाया करते थे। इन काफिलों की रक्षा का भार राज्य पर होता था। सार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से राज्य मार्गकर (वर्तनी) वसूल करता था। इसके बदले में उसकी जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य ले लेता था।

मौर्यकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उन्नत था। भारत की पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमाएँ अनेक देशों के साथ छूती थी। उनके साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। स्थल मार्ग से जाने वाले बड़े-बड़े काफिले इन पड़ोसी राज्यों में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। विदेशी व्यापार जहाँ खुपकी के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकाएँ विक्रय की वस्तुओं को डोने का काम करती थी। महासमुद्रों में जाने वाले जहाजों को 'संयात्यः नाव' और 'प्रवहण' कहते थे। कौटलीय ग्रंथशास्त्र में चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख है। चाणक्य ने लिखा है—'रेशम और चीनपट्ट, जो चीन देश में उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ समझे जाते हैं।' इसी तरह मुक्ताओं की विविध किस्मों का उल्लेख करते

हुए चाणक्य ने मुक्ताम्रों का एक भेद 'कार्दमिक' भी बताया है। ईरान की कर्दम नदी में उत्पन्न हुए मोतियों को कार्दमिक कहते थे। मौर्यकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भी समुद्र के मार्ग द्वारा व्यापार प्रारम्भ हो चुका था। यह व्यापार मुख्यतया मिस्र के साथ था। सिकन्दर के साम्राज्य के पतन के बाद मिस्र का राजा टाल्मी हुआ, जो चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। उस समय में मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूर फेगम नामी द्वीप में टाल्मी ने एक विशाल प्रकाशस्तम्भ का निर्माण कराया था, जो संसार के सात आश्चर्यों में गिना जाता था। अशोक के समकालीन मिस्र के राजा टाल्मी फिलिडेल्फस ने भारत आदि पूर्वी देशों के साथ मिस्र के व्यापार को बढ़ाने के लिये अर्सिनोए से साल सागर तक एक नहर बनवाने का संकल्प किया था। इस नहर को १५० फीट चौड़ा और ४५ फीट गहरा बनाया जा रहा था, और इसका उद्देश्य यही था, कि भारतीय माल को अलेक्जेंड्रिया पहुँचाने के लिए स्थल पर न उतारना पड़े, और जहाज लाल सागर से इस कृत्रिम नहर के रास्ते नील नदी पहुँच जाए, और वहाँ से सीधे अलेक्जेंड्रिया चला जाए। दुर्भाग्यवश यह नहर पूरी न हो सकी। पर मिस्र के साथ भारत का व्यापार जारी रहा। इसी प्रयोजन से टाल्मी ने लालसागर के तट पर एक नये बन्दरगाह की स्थापना की, जिसका नाम बर्निम था। यहाँ से खुफ़ी के रास्ते अलेक्जेंड्रिया केवल तीन मील दूर था। इस मार्ग पर माल को ढोने का काम काफिलो द्वारा होता था।

विशाल मागध साम्राज्य में स्थल मार्गों (सड़कों) का एक जाल-सा बिछा हुआ था। पाटलिपुत्र को केन्द्र बनाकर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम—सब दिशाओं में सड़कें जाती थीं। मार्गों का प्रबन्ध राज्य के एक पृथक् विभाग के अधीन था। प्रति आध कोस के बाद सड़कों पर दूरी-सूचक प्रस्तर लगे रहते थे। जहाँ एक से अधिक मार्ग विभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिशा का प्रदर्शन करने वाले चिह्न लगे रहते थे। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश की राजधानी को पाटलिपुत्र से मिलाने वाली १५०० कोस लम्बी सड़क थी। उस समय का कोस २२४० गज का होता था।

मुद्रापद्धति—मौर्यकाल में मुद्रा पद्धति के सञ्चालन के लिये एक पृथक् अमात्य होता था, जिसे 'लक्षणाध्यक्ष' कहते थे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के सिक्के लिखे हैं—
 १. कोशप्रवेश्य—ये मुख्य सिक्के होते थे, जिन्हें वर्तमान परिभाषा में 'लीगल टेंडर' कहा जा सकता है। राजकीय कर तथा ऋण-विक्रय के लिये इन्हीं को प्रामाणिक माना जाता था।
 २. व्यावहारिक—इनकी कीमत कोशप्रवेश्य सिक्कों पर ही आश्रित थी। ये साधारण लेन-देन के काम में आते थे। वर्तमान परिभाषा में इन्हें 'टोकन मनी' कह सकते हैं। सिक्के अनेक मूल्यों के होते थे। चाँदी के सिक्को में चार भाग ताँबा, एक भाग त्रपु, सीसा या अन्य धातु और नौ भाग शुद्ध चाँदी रहती थी। इस सिक्के को पण या रूप्यरूप कहते थे। पण के अतिरिक्त आधुनिक अठन्नी, चवन्नी व दुवन्नी के समान अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण सिक्के भी प्रयोग में आते थे। चाँदी के पणों व अर्धपणों आदि के अतिरिक्त तबि के सिक्के भी प्रचलित थे, जिन्हें 'ताम्ररूप' या 'माषक' कहते थे। इसके भाग अर्धमाषक, काकणी (१/२ माषक) और अर्धकाकणी

(३ माषक) होते थे। तब धीरे धीरे के अतिरिक्त सम्भवतः सोने का भी एक सिक्का उस युग में प्रचलित था। इसे 'मुवर्ण' कहते थे, धीरे इसका भार ३६ तोले होता था। मौर्य युग के सिक्के वर्तमान समय में उपलब्ध भी हैं। ये प्रायः ताम्बे के बने हैं, धीरे इन पर अनेकविध चिह्न अंकित हैं।

दासप्रथा—मैगस्थनीज ने लिखा है, कि "भारतवर्ष के विषय में यह ध्यान देने योग्य बात है, कि समस्त भारतीय स्वतन्त्र है, उनमें एक भी दास नहीं है। लैंकेडिमोनियस और भारतवासी यहाँ तक तो एक-दूसरे से मिलने हैं, पर लैंकेडिमोनियस लोगो में हेलांट लोगों को दासो की तरह रखा जाता है। ये हेलांट नीच दरजे का श्रम करते हैं। पर भारतीय लोग विदेशियो तक को दास नहीं बनाते, अपने देशवासियो की तो बात ही क्या है?" यद्यपि ग्रीक लेखको के अनुसार भारत में दासप्रथा का सर्वथा अभाव था, पर कौटलीय अर्थशास्त्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती। अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय में जो दास जन्म से होते थे, उन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था। म्लेच्छ (आर्य-भिन्न) लोग अपने बच्चो व अन्य सम्बन्धियों को दास की भाँति बेच सकते थे। पर आर्यों में यह प्रथा नहीं थी। उन्हें अपने सम्बन्धियों को बेचने पर कठोर दण्ड मिलता था। साधारणतया आर्य दास नहीं बन सकता था। पर कुछ अवस्थाओं में आर्य भी थोड़े समय के लिए दास हो सकता था—(क) अपने परिवार को आर्थिक मकद से बचाने के लिए यदि अपने को बेचना आवश्यक हो। (ख) जुरमानों का दण्ड भ्रदा करने के लिए। (ग) यदि राजदण्ड दाम बनने का मिला हो।

(४) मौर्यकालीन समाज और सभ्यता

भारतीय समाज के विविध वर्ग—मैगस्थनीज के अनुसार भारत की जनता सात वर्गों में बँटी हुई थी। उसने लिखा है, कि 'भारतवर्ष की सारी आबादी सात जातियों (वर्गों) में बँटी है। पहली जाति दार्शनिकों के समुदाय में बनी है, जो यद्यपि संख्या की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्षा कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सबमें श्रेष्ठ है। दार्शनिक लोग सभी नावैजिक कर्तव्यों से मुक्त हैं, इसलिए न तो किसी के दास हैं, और न किसी के स्वामी। गृहस्थी लोगो के द्वारा ये बलि प्रदान करने तथा मृतको का श्राद्ध करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगो का विश्वास है कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं, और परलोक-सम्बन्धी बातों में बहुत निपुण हैं। इन क्रियाओं के बदले में ये बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के लोगो को इनमें बहुत लाभ पहुँचता है। साल के प्रारम्भ में जब ये लोग एकत्रित होते हैं, तो अनावृष्टि, शीत, आँधी, रोग आदि की पहले में ही सूचना दे देते हैं। इसी तरह की अन्य बहुत-सी बातों को भी ये पहले में ही बता देते हैं, जिससे कि सर्वसाधारण को बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजा—दोनों भविष्य को पहले से ही जानकर उसका प्रबन्ध कर सकते हैं। जो वस्तु आवश्यकता के समय काम आयेगी, उसका पहले से ही प्रबन्ध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दार्शनिक अपनी भविष्यवाणी में भूल करता है, उसको निन्दा के सिवाय अन्य कोई दण्ड नहीं मिलता। भविष्यवाणी असुद्ध होने की दशा में फिर दार्शनिक जीवन भर मौन अवलम्बन कर लेता है।

‘दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों से संख्या में बहुत अधिक हैं। वे राजा को भूमि-कर देते हैं। किसान अपनी स्त्रियों और बच्चों के साथ रहते हैं, और नगरों में जाने-घाने से बिलकुल बचते हैं।

‘तीसरी जाति के अन्तर्गत घरीर, गडरिए तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं और न ग्रामों में, बल्कि डेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओं को जाल आदि में फँसाकर वे देश को हानिकारक पक्षियों और जंगली पशुओं से मुक्त करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसीलिए वे भारत को उन विपत्तियों से मुक्त करते हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं, जैसे सब प्रकार के जंगली जन्तु और किसानों के बोये हुए बीजों को खा जाने वाले पक्षी।

‘चौथी जाति कारीगर लोगो की है। इनमें से कुछ कवच बनाने वाले हैं, और कुछ उन विविध उपकरणों (औजारों) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा अन्य व्यवसायी लोग उपयोग करते हैं।

‘पाँचवी जाति सैनिको की है। यह भली-भाँति संगठित तथा युद्ध के लिए सुसज्जित रहती है। संख्या में इसका दूसरा स्थान है। शान्ति के समय यह भालस्य और आमोद-प्रमोद में मस्त रहती है। सेना, योद्धा, सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी सबका राजकीय खर्च में पालन होता है।

‘छठी जाति में निरीक्षक लोग है। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहाँ राजा न हो वहाँ अन्य किसी राजकीय शासक को, उसकी सूचना देते रहे।

‘सातवी जाति सभासदो तथा अन्य शासनकर्त्तार्यों की है। ये लोग राज्य-कार्य की देखभाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे छोटी है, पर अपने चरित्र तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मन्त्रिगण, राज्य के कोषाध्यक्ष और न्यायकर्त्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं।’

मैगस्थनीज द्वारा वर्णित भारतीय समाज के इन वर्गों को हम क्रमशः ब्राह्मण-श्रमण, कृषक, गोपाल-श्वगणिक, कारु-शिल्पि-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-अध्यक्ष-सन्निक और मन्त्रि-महामात्र-अमात्य कह सकते हैं। ये पृथक् जातियाँ नहीं थीं। मैगस्थनीज ने भारत के समाज की जो दशा देखी, उसके अनुसार उसने ये सात वर्ग यहाँ पाये।

विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति—मौर्यकाल में बहुविवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैगस्थनीज ने लिखा है—‘वे बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।’ विवाहित स्त्रियों के अनरिक्त अनेक स्त्रियों को आमोद-प्रमोद के लिए भी घर में रखा जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार ‘कुछ को तो वे दत्तचित्त सहधर्मिणी बनाने के लिये विवाह करके लाते हैं, और कुछ को केवल प्रानन्द के हेतु तथा घर को लडकों से भर देने के लिये।’ कौटलीय अर्थशास्त्र से भी यह बात पुष्ट होती है। वहाँ लिखा है—‘पुरुष कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही हैं।’

पुरुष और स्त्री दोनों को इस युग में पुनर्विवाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के सम्बन्ध में ये नियम दिये गये हैं—‘यदि किसी स्त्री के आठ साल तक बच्चा

न हो, या जिसके कोई पुरुष सन्तान न हो, या जो बन्ध्या हो, उसका पति पुनर्विवाह से पूर्व आठ साल तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के मृत बच्चा पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा करे। केवल लड़कियाँ ही उत्पन्न हों, तो बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे। इसके बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। स्त्री के मर जाने पर तो पुनर्विवाह हो ही सकता था। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनर्विवाह का अधिकार था। पति के मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे अपने स्वसुर तथा पतिपक्ष के अन्य सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था। परन्तु यदि पुनर्विवाह स्वसुर की अनुमति से हो, तो स्त्री इन धन को अपने पास रख सकती थी। पति की मृत्यु के प्रतिरिक्त भी कुछ अवस्थाओं में स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार था। 'यदि किसी स्त्री के कोई सन्तान न हो और उसका पति विदेश गया हुआ हो, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि उसके कोई सन्तान हो, तो अधिक समय तक प्रतीक्षा करे। यदि पति स्त्री के लिए भरण-पोषण का प्रबन्ध कर गया हो, तो दुपुने समय तक प्रतीक्षा की जाय। यदि पति विद्याध्ययन के लिये विदेश गया हो, तो सन्तान-रहित स्त्री दस वर्ष और सन्तान-सहित स्त्री बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे', ये नियम उस समय प्रचलित थे।

मौर्यकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में तलाक के लिए 'भोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही तलाक का अधिकार था। इस विषय में अर्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं—'यदि कोई पति बुरे आचार का है, परदेश गया हुआ है, राज्य का द्वेषी है या यदि कोई पति खूनी है, पतित है, या नपुंसक है, तो स्त्री उसका त्याग कर सकती है।' 'पति से घृणा करती हुई स्त्री उस (पति) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकती। ऐसे ही पत्नी से घृणा करता हुआ पति उस (स्त्री) की इच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकता। पर पारस्परिक घृणा से तलाक हो सकता है।' यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्राह्म, राजापत्य आदि पहले प्रकार के चार 'धर्मानुकूल' विवाहों में तलाक नहीं हो सकता था। तलाक केवल आसुर, गान्धर्व आदि पिछले चार विवाहों में ही विहित था।

धार्मिक विश्वास—चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में यज्ञों में पशुहिंसा, बलिदान तथा श्राद्ध प्रचलित थे। मंगस्थनीज ने लिखा है—'यज्ञ व श्राद्ध में कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे बलि के पशु को छुरी घंसा कर नहीं मारते, अपितु गला घोटकर मारते हैं, जिससे देवता को खण्डित घन्तु भेंट न करके पूरी वस्तु भेंट में दी जाय।'

"एक प्रयोजन जिसके लिये राजा अपना महल छोड़ता है, बलि प्रदान करना है। पर गृहस्थ लोगों द्वारा ये दार्शनिक बलि प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध कराने के लिए नियत किये जाते हैं।"

मंगस्थनीज के उद्धरणों से स्पष्ट है, कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पशुबलि की प्रथा भली-भाँति प्रचलित थी। यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों का इस समय प्रचार हो चुका था, पर अभी यज्ञों में पशु बलि देने की प्रथा बन्द नहीं हुई थी।

अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में अनेकविध सम्प्रदाय विद्यमान थे। वहाँ लिखा है—नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, बैज-

यन्त—इनके कोष्ठ और शिव, वैश्रवण, अश्विन और श्रीमदिरा के गृह बनाये जाँएँ । इन कोष्ठों और गृहों में यथास्थान देवताओं (वास्तुदेवता—स्थायर रूप में वर्तमान देवता) की स्थापना की जाय । भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओं (दिशा के देवताओं) की स्थापना की जाय । स्पष्ट है, कि मीर्यकाल में अनेक देवताओं की पूजा प्रचलित थी, और उनके लिए अलग-अलग मन्दिर बने होते थे । देवताओं की मूर्ति बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर था । मूर्तियाँ बनाने वाले शिल्पी 'देवता-कार' कहलाते थे । नगर के द्वारों के नाम ब्रह्मा, इन्द्र, यम आदि के नाम पर रखे जाते थे । तीर्थयात्रा का भी उस समय रिवाज था । तीर्थों में यात्रा के लिए एकत्रित लोगों से 'तीर्थ-कर' लिया जाता था । विविध सम्प्रदायों के लिए 'पाषण्ड' शब्द व्यवहार में आता था । अशोक के शिलालेखों में भी सम्प्रदायों को 'पाषण्ड' कहा गया है । संभवतः, विविध धर्मों के अनुयायी भिक्षुओं के मठों या अखाडों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था । लोग तन्त्र-मन्त्र में भी विश्वास रखते थे । मन्त्र की साधना से अभिलषित फल की सिद्धि होती है, यह बात सर्वसाधारण में मान्य थी ।

यह नहीं समझना चाहिये कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में अन्य धर्मों का लोप होकर केवल बौद्ध-धर्म का ही प्रचार हो गया था । प्राचीन यज्ञ-प्रधान वैदिक धर्म, विविध देवी देवताओं की पूजा, अनेक पाषण्ड आदि उस युग में भी विद्यमान थे । अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ़ गया, पर अन्य सम्प्रदाय भी कायम रहे । भक्तिप्रधान वैष्णव या भागवत धर्म का अंकुर भी इस युग में भली-भाँति पल्लवित हो रहा था । आगे चलकर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया । मँगस्थनीज ने लिखा है, कि शूरसेन देश में कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है । राजपूताना के चित्तौड़ क्षेत्र में प्राचीन माध्यमिका नगरी के भग्नावशेषों के समीप घोसुंड़ी नामक गाँव में मीर्य काल का एक महत्त्वपूर्ण शिलालेख मिला है, जिसमें संकर्षण और वामुदेव की पूजा के लिये दान देने की बात उत्कीर्ण है । इससे सूचित होता है, कि मीर्यकाल में भागवत धर्म का प्रचार शूरसेन देश से बाहर भी राजपूताना तक हो चुका था ।

भोजन और पान—मँगस्थनीज ने लिखा है—'जब भारतीय लोग भोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि तिपाई की शकल की होती है । इनके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले चावल परोसे जाते हैं । वे इस तरह उबने हुए होते हैं, जैसे जौ हो । इसके बाद अन्य बहुत-से पक्वान्न परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्रियों के अनुसार तैयार किये जाते हैं ।' एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है—'वे सदैव अकेले में भोजन करते हैं । वे कोई ऐसा नियत समय नहीं रखते, जबकि इकट्ठे मिलकर भोजन किया जाय । जिस समय जिसकी दृच्छा होती है, वह तभी भोजन कर लेता है ।'

मीर्यकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे । राजा की महानस (रसोई) का वर्णन करते हुए चाणक्य ने लिखा है कि वहाँ तरह-तरह के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जाँएँ । भिन्न-भिन्न वस्तुओं को पकाने के लिए अलग-अलग पाचक होते थे । साधारण बाजार में भी अनेकविध भोज्य पदार्थों के अलग-अलग

बिफ्रैता होते थे। मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत-से पशु-पक्षी, मछली आदि जन्तुओं को भोजन के लिये मारा व बेचा जाता था। मांस को सुखाकर भी रखा जाता था। विविध भोज्य पदार्थों के पाचकों की संज्ञा निम्न-लिखित थी—पक्वान्नपण्याः (पक्वान्न या पकवान बनाने वाले), मासपण्याः (मांस बेचने वाले) पक्वमांसिकाः, (मांस पकाने वाले), श्रादनिकाः (चावल दाल पकाने वाले), श्रापूपिकाः (रोटी पकाने वाले)।

श्रामोद-प्रमोद—धर्मशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में बहुत-से ऐसे लोग भी थे, जिनका पेशा लोगों का श्रामोद-प्रमोद करना तथा तमाशे दिखाना होता था। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमाशा दिखाते हुए घूमते रहते थे। धर्मशास्त्र में ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक (तरह-तरह की बोलियाँ बोलकर श्राजीविका कमाने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्ती पर नाचने वाले) सौमिभक (मदारी) और चारणो का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँव के बाहर तमाशे दिखाया करते थे। प्रेक्षा (तमाशा) के लिए इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, और इसके लिए राज्य को पाँच पण दिए जाते थे।

शिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मँगस्थनीज ने लिखा है— 'जब राजा शिकार के लिए राजप्रासाद से निकलता है, तो स्त्रियों की भीड़ उमने घेरे रहती है। उनके घेरे के बाहर बरछे वाले रहते हैं। मार्ग का चिह्न रस्ती से डाला जाता है। इन रस्ती के भीतर जाना स्त्री या पुण्य सबके लिए मृत्यु को निमन्त्रण देना है। डोल और भाङ्ग लेकर श्रादमी इस दल के आगे-आगे चलते हैं। राजा घेरो के भीतर से शिकार खेलता है, और चवूतरे में तीर चलाता है। उसके दगल में दो या तीन हाथियारबन्द स्त्रियाँ खड़ी होती हैं। यदि वह खुले मैदान में शिकार करता है, तो वह हाथी की पीठ में तीर चलाता है। स्त्रियों में कुछ तो रथ के भीतर रहती हैं, कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर। वे हर प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित रहती हैं, मानो वे किसी चढ़ाई पर जा रही हों।' केवल श्रामोद-प्रमोद के लिए मौर्य-सम्राट् जो शिकार-यात्रा करते थे, यह उसी का वर्णन है। उस युग में शिकार के लिए पृथक् रूप से वन सुरक्षित रखे जाते थे। राजा के विहार के लिए ऐसे जगल भी होते थे, जिनके चारों ओर खाई खुदी रहती थी, और जिनमें प्रवेश के लिए केवल एक ही द्वार होता था। इनमें शिकार के लिए पशु पाले जाते थे, और राजा इनमें स्वच्छन्द रूप से शिकार खेल सकता था।

विविध 'समाजों' में पशुओं की लड़ाई और मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को बड़ा शौक था। अशोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, इन्हें उमने बन्द कर दिया था।

रीति-रिवाज और स्वभाव—मौर्यकालीन भारतीयों के रीति-रिवाजों के सम्बन्ध में यूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्धृत करने योग्य है—

'भारतीय लोग किफायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उस समय जब कि वे कैम्प में हों। वे अनियन्त्रित भीड़ को नापसन्द करते हैं। इसीलिये वे हमेशा व्यवस्था बनाये रखते हैं।'

‘भारतीय लोग अपने चाल-चलन में सीधे और मितव्ययी होने के कारण बड़े सुख से रहते हैं।’

‘उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी तरह प्रमाणित होती है, कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी और घरोहर के अभियोग नहीं होते, और न वे मुहर व गवाह की जरूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के पास घरोहर रखकर आपस में विश्वास करते हैं। अपने घर व सम्पत्ति को वे प्रायः अरक्षित अवस्था में भी छोड़ देते हैं। ये बातें सूचित करती हैं, कि उनके भाव उदार व उत्कृष्ट हैं।’

‘उनमें व्यायाम करने की सर्वप्रिय रीति संघर्षण है। यह कई प्रकार से किया जाता है, पर संघर्षण प्रायः चिकने आबनूस के बेलनो को त्वचा पर फेरकर होता है।’

‘अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकूल वे बारीकी और नफासत के प्रेमी होते हैं। उनके बस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। वे (वस्त्र) मूल्यवान् रत्नों से विभूषित रहते हैं। वे लोग अत्यन्त सुन्दर मलमल के बने हुए फूलदार कपड़े पहनते हैं। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाता लगाये चलते हैं। वे सौन्दर्य का बड़ा ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सँवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते।’

‘सच्चाई और सदाचार दोनों की वे समान रूप से प्रतिष्ठा करते हैं।’

‘भारतवासी मृतक के लिए कोई स्मारक नहीं उठाते, वरन् उस सत्यशीलता को, जिसे मनुष्यो ने अपने जीवन में दिखलाया है तथा उन भीतो को, जिनमें उनकी प्रशंसा वर्णित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिए पर्याप्त समझते हैं।’

‘चोरी बहुत कम होती है, मँगस्थनीज कहता है कि उन लोगों ने, जो चन्द्रगुप्त के डंठे में थे जिनके भीतर चार लाख मनुष्य थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी एक दिन होती थी, वह २०० द्राचमी के मूल्य से अधिक की नहीं होती थी, और यह ऐसे लोगों के बीच, जिनके पास लिपिबद्ध कानून नहीं, वरन् जो लिखने से अनभिज्ञ हैं, और जिन्हें जीवन के समस्त कार्यों में स्मृति पर ही भरोसा करना पड़ता है।’

‘भारतीयों में विदेशियों तक के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने पाये। यदि उन (विदेशियों) में से कोई रोगग्रस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त वैद्य भेजते हैं तथा और प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह विदेशी मर जाता है, तो उसे दफना देते हैं और जो सम्पत्ति वह पीछे छोड़ता है, उसे उसके सम्बन्धियों को दे देते हैं। न्यायाधीश लोग भी उन मामलो का, जो विदेशियों से सम्बन्ध रखते हैं, बड़े ध्यान से फँसला करते हैं, और उन लोगों के साथ बड़ी कड़ाई का बरताव करते हैं, जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं।’

‘भूमि जोतने वाले, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते। दोनों घोर के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं। परन्तु जो लोग खेती में लगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णतया निर्विघ्न अपना कार्य करने देते हैं। इसके अतिरिक्त, न तो वे शत्रु के देश का अग्नि से सत्प्रानाश करते हैं, और न उनके पेड़ काटते हैं।’

‘ब्राह्मण लोग दर्शन के ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है, कहीं वे दुश्चरित्र न हो जाएँ, निषेध किये गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, भयवा यदि वे कहीं उत्तम दार्शनिक हो जाएँ, तो उन्हें छोड़ न दें।’

(५) शिक्षणालय

मीर्यकाल में शिक्षा का कार्य आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि करते थे। उन्हें राज्य की ओर से सहायता दी जाती थी। उन्हें इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि वे निश्चिन्त होकर उसकी भ्रामदनी से अपना निर्वाह करें और अध्यापन कार्य में व्यापृत रहे। इस तरह की भूमि को ‘ब्रह्मदेय’ कहते थे। इससे कोई कर भावि नहीं लिया जाता था। स्वतन्त्र रूप से अध्यापन करने वाले इन ब्राह्मणों के प्रतिरिक्त इस युग में अपनेक ऐसे शिक्षाकेन्द्र भी थे, जिनमें बहुत-से आचार्य शिक्षा का कार्य करते थे। मीर्यकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ आचार्य चाणक्य नीतिशास्त्र का अध्यापन करते रहे थे।

तक्षशिला में शिक्षा का क्या ढग था, इस विषय में एक जातक कथा को यहाँ उद्धृत करना बहुत उपयोगी है। “एक बार की बात है, कि वाराणसी के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रखा गया। पुराने समय में राजा लोगों में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके अपने शहर में कोई प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमान हो, तो भी वे अपने कुमारों को दूर देशों में शिक्षा पूर्ण करने के लिए भेजना उपयोगी समझते थे। इससे वे यह लाभ समझते थे, कि कुमार निरभिमान होना व दर्प को वश में करना सीखेंगे, गरमी और सरदी को सहन करेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राजा ने भी यही किया। उसने अपने कुमार को बुलाकर, जिसकी आयु छह सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकतलक जूते, पन्तों का छाता और एक हजार कार्पाषण देकर कहा—‘तात! तक्षशिला जाओ, और विद्या का अभ्यास करो।’ माता-पिता से विदा लेकर वह समय पर तक्षशिला पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने आचार्य का घर पूछा। आचार्य विद्यार्थियों के सम्मुख अपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे और अपने घर द्वार पर घूम रहे थे। आचार्य को देखते ही कुमार ने अपने जूते उतार दिये, छाता बन्द कर दिया और सम्मानपूर्वक वन्दना करके खड़ा हो गया। आचार्य ने देखा कि वह थका हुआ है, अतः उसके भोजन का प्रबन्ध कर उसे आराम करने का आदेश दिया। भोजन करके कुमार ने कुछ देर विश्राम किया और फिर आचार्य के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रणाम करके खड़ा हो गया। आचार्य ने पूछा—‘तात! तुम कहाँ से आये हो?’ ‘वाराणसी से।’ ‘तुम किसके पुत्र हो?’ ‘मैं वाराणसी के राजा का पुत्र हूँ।’ ‘तुम यहाँ किसलिये आये हो?’ ‘विद्याध्ययन के लिए।’ ‘क्या तुम आचार्य के लिए उपयुक्त शुल्क लाये हो, या शिक्षा के बढ़ने सेवा की इच्छा रखते हो?’ ‘मैं आचार्य के लिए उपयुक्त शुल्क लाया हूँ।’ यह कहकर उसने एक हजार कार्पाषणों की थैली आचार्य के चरणों में रख दी। दो तरह के अन्तेवामी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले ‘घम्मन्तेवासिक’, जो दिन में आचार्य का काम करते थे, और रात को शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरे ‘आचार्य भागदायक’ जो आचार्य के घर

में ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे, और सारा समय विद्याध्ययन में व्यतीत करते थे। क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त आवश्यक शूल्क साथ लाया था, और वह आचार्य के घर पर ही रहता था, अतः उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गयी। इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने शिक्षा समाप्त की।

तक्षशिला में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे। एक आचार्य के पास प्रायः ५०० विद्यार्थी पढ़ते थे। सम्भवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं है, कि तक्षशिला में अनेक कालिज थे, जिनमें से प्रत्येक में ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इन कालिजों के प्रधान को आचार्य कहते थे, जो प्रायः 'संसारप्रसिद्ध' व्यक्ति होता था। एक जातक के अनुसार एक आचार्य के पास एक सौ एक राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अनेक राजकुमारों के तो नाम भी वहाँ दिये गये हैं। न केवल राजकुमार, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सभी जातियों के छात्र भारत के दूरवर्ती जनपदों से विद्या प्राप्त करने के लिए तक्षशिला आते थे। केवल नीच जातियों के लोग तक्षशिला के 'संसार प्रसिद्ध' आचार्यों से लाभ नहीं उठा सकते थे। एक जातककथा के अनुसार एक चाण्डाल ने वेश बदल कर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी।

तक्षशिला में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुर्विद्या, हस्ति विद्या, मन्त्रविद्या, प्राणियों की बोलियों को समझने की विद्या और चिकित्सा शास्त्र की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। शैशुनाग, नन्द और मौर्य युगों के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने तक्षशिला में ही शिक्षा पायी थी। राजा बिम्बिसार का राजवैद्य जीवक तक्षशिला का ही आचार्य था। कोशलराज प्रसेनजित् तक्षशिला में विद्यार्थी के रूप में रह चुका था। चन्द्रगुप्त मौर्य भी कुछ समय तक तक्षशिला में आचार्य चाणक्य का शिष्य बनकर रहा था।

मौर्यकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तक्षशिला में विद्या प्राप्त कर अनेक आचार्यों ने वहाँ शिष्य का कार्य शुरू किया, और धीरे-धीरे वह भी एक प्रसिद्ध विद्यापीठ बन गया।

तेरहवाँ अध्याय

शुंग-सातवाहन-शक युग की सभ्यता और संस्कृति

(१) शुंग-सातवाहन-शक युग

दूसरी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ईस्वी तक भारत में कोई एक ऐसी प्रधान राजशक्ति नहीं थी, जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रख सकने में समर्थ होती। बाहेंद्रव, शैशुनाग, नन्द और मौर्य वंशों ने जिस विशाल मागध-साम्राज्य का निर्माण किया था, उसकी शक्ति इस युग में क्षीण हो गयी थी। पुष्यमित्र शुंग यवनो को सिन्ध नदी के पार धकेलने में समर्थ हुआ, पर वह कर्लिंग के चेदि-वंश और प्रतिष्ठान के सातवाहन-वंश की शक्ति का दमन नहीं कर सका। जिस समय शुंग-वंश के राजा मगध और मध्यदेश पर शासन कर रहे थे, सातवाहन-वंश के राजा दक्षिणापथ में अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे, उत्तर-पश्चिमी भारत में यवन लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, और शक-भ्राक्रान्ता सिन्ध व राजपूताना को अपनी अधीनता में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। बाद में पल्लवों (पाण्ड्य) और कुशाणों ने शकों का अनुमरण कर भारत में प्रवेश किया, और अपने-अपने राज्य स्थापित किये। भारत में किसी एक प्रबल राजशक्ति के अभाव में इस युग को हमने शुंग-सातवाहन-शक युग कहा है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये, कि इस काल में भारत केवल इन तीन राजनीतिक शक्तियों में विभक्त था। शकों के समय में ही यवनो और पल्लवों के राज्य भी इस देश में विद्यमान थे, और बाद में कुशाणों ने मध्यदेश व मगध तक को अपनी अधीनता में कर लिया था।

इस युग की विशेषतायें—भारतीय इतिहास में शुंग-सातवाहन-शक युग का बहुत अधिक महत्त्व है। इस युग की विशेषताओं को हम संक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं—
(१) यवन, शक, पल्लव व कुशाण भ्राक्रान्ता शीघ्र ही पूर्णरूप से भारतीय बन गये। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को अपना लिया, और संस्कृत व प्राकृत भाषाओं का राज्यकार्य व अपने वैयक्तिक जीवन में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। भारत में उनकी स्थिति विदेशी शासकों की न रहकर अन्य भारतीयों के समान ही हो गयी।
(२) इस युग में भारत के धर्म, सभ्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ। सम्राट् अशोक के समय में बौद्ध धर्म के अन्य देशों में प्रचार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, इस युग में उसे बहुत बल मिला। कुशाण राजा वनिष्क का साम्राज्य केवल भारत में ही नहीं था, हिन्दुकुश पर्वत के पश्चिम व उत्तर में चीन की सीमा तक उसका शासन

था। कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध-धर्म ने बहुत उन्नति की, और सम्पूर्ण मध्य एशिया भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में आ गया। चीन आदि अन्य एशियन देशों में भी इस युग में बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ। केवल बौद्ध-धर्म ही नहीं, अपितु शैव और वैष्णव धर्मों ने भी इस काल में बहुत उन्नति की। भारतीयों के अनेक नये उपनिवेश पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में बसने लगे हुए, और इन धर्मों ने वहाँ के मूल निवासियों को भी प्रभावित किया। (३) प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान इस युग की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है। बौद्ध और जैन धर्म न ईश्वर को मानते थे, और न ही वेदों की अपौरुषेयता में विश्वास रखते थे। ये धर्म भारत की प्राचीन धर्म-परम्परा के अनुकूल नहीं थे। इसीलिए इस युग में इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और भागवत-धर्म के रूप में प्राचीन धर्म-धर्म का पुनरुद्धार हुआ। (४) यवन, शक, कुशाण आदि विदेशी जातियों के सम्पर्क से भारत के विज्ञान और कला आदि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, और उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया, जिसपर विदेशी प्रभाव स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है। विदेशियों के आक्रमण से भारत के विदेशी व्यापार में भी सहायता मिली, और प्राचीन ग्रीस व रोम में उसका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया। (५) भारत में किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के न रहने के कारण इस युग में गणराज्यों को अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मालव, यौधेय, कुणिन्द, अर्जुनायन, शिवि, लिच्छवि आदि पुराने गणराज्यों का पुनरुत्थान इस युग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। विदेशी आक्रान्ताओं का मुकाबला करने में इन्होंने अपूर्व कर्तृत्व प्रदर्शित किया। इसमें सन्देह नहीं, कि ये गणराज्य भी इस युग की भारतीय राजशक्तियों में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे।

(२) विदेशियों का भारतीय बनना

दूसरी सदी ई० पू० में यवन, शक, पल्लव और कुशाण जातियों के रूप में जिन विदेशी लोगों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किये, वे इस देश के सम्पर्क में आकर पूर्णतया भारतीय बन गये। उन्होंने न केवल भारत के धर्म को अपितु इस देश की भाषा को भी अपना लिया। सम्यता की दृष्टि से शक लोग बहुत उन्नत नहीं थे, पर वैकिट्र्या के जिन यवनों ने भारत में प्रवेश किया था, वे प्राचीन ग्रीक (यवन) लोगों के समान ही सम्य व सुसंस्कृत थे। इसी प्रकार पार्थिया के पार्थियन (पल्लव) लोग ग्रीस के सम्पर्क में आकर सम्य बन चुके थे। इन उन्नत सम्य लोगों का भारतीय धर्म और भाषा को अपना लेना भारत के लिए बहुत गौरव की बात थी, और इससे यह सूचित होता है कि इस युग के भारतीय धर्म, सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ग्रीक लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नत थे। जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, वैसे ही सम्यता का बहाव भी ऊँचाई से निचाई की तरफ होता है। जब कोई दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं तो उनमें जो सम्यता की दृष्टि से अधिक उन्नत होती है, वह अवनत जाति को अपने प्रभाव में ले आती है। यह इतिहास का एक सत्य सिद्धान्त है। यवन, शक, पल्लव व कुशाण लोग भारत के धर्म, भाषा व

संस्कृति के किस प्रकार प्रभाव में आये, इसे स्पष्ट करने के लिए उनके कुछ उत्कीर्ण लेखों को उद्धृत करना पर्याप्त होगा।

यवन—नासिक की एक गुफा में एक यवन द्वारा उत्कीर्ण यह लेख विद्यमान है—“सिद्धि ! भोतराह (उत्तरापथ के) दातामितियक (दिमित्र द्वारा स्थापित दानामित्री नगरी के निवासी) योनक (यवन) धम्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निदत्त का (दान)। (उस) धर्मात्मा ने यह गुहा तिरन्ह पर्वत में खुदवाई, और गुहा के भीतर चैत्यगृह तथा पोढ़ियाँ।” इस लेख को लिखवाने वाले यवन ने न केवल बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया था, अपितु उसका नाम भी इन्द्राग्निमित्र था। उसका पिता भी यवन धम्मदेव था।

तक्षशिला के यवन-राजा ने हेलिउदोर नाम के जिस यवन को अपना राजदूत बनाकर मगध के शुंग राजा की राजसभा में भेजा था, उसने भागवत धर्म को स्वीकार कर भगवान् विष्णु के एक गरुडध्वज (प्रस्तर का स्तम्भ जिसके शीर्ष भाग पर गरुड की मूर्ति थी) का निर्माण कराया था, जिसपर यह लेख उत्कीर्ण है—“देवों के देव वासुदेव का यह गरुडध्वज यहाँ बनवाया। महाराज अन्तर्लिखित के यहाँ से राजा कासीपुत्र भागभद्र त्राता के—जो कि अपने शासन के चौदहवें वर्ष में वर्तमान है—पास आये हुए तक्षशिला (तक्षशिला) के रहने वाले दिये के पुत्र योनदूत भागवत हेलिउदोर ने।”

यवनराजा मिनान्दर (मिलिन्द) ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर इस धर्म के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। नागसेन से दीक्षा लेकर मिनान्दर ने न केवल बौद्ध-धर्म को अंगीकार किया, अपितु सियाम की अनुश्रुति के अनुसार अर्हत्-पद को भी प्राप्त कर लिया। इसीलिए उसके मरने पर लोग अपने-अपने नगरों में ले गये और वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक उमकी प्रतिष्ठा की। अपने गुरु नागसेन से बौद्ध-धर्म के विषय में जो प्रश्न यवनराज मिनान्दर ने पूछे थे, वे ही ‘मिलिन्द-पन्हो’ (मिलिन्द प्रश्ना.) नामक पुस्तक में संगृहीत हैं।

भारत में कितने ही ऐसे लेख मिले हैं, जो यवन-शासकों और यवन-नागरिकों के धर्मदान के साथ सम्बन्ध रखते हैं। अनेक यवन-राजाओं के सिक्कों पर प्राकृत भाषा का प्रयोग, धर्मचक्र का चिह्न और ‘धार्मिक’ (धार्मिक) विशेषण का प्रयोग इस तथ्य को सूचित करता है, कि यवन लोग भारत में आकर इस देश के धर्म व संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इन्हे स्वीकार कर लिया था।

शक—शक-आक्रान्ता जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों धर्मों से प्रभावित हुए थे। उनमें कुछ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, कुछ ने जैन धर्म को और कुछ ने वैदिक धर्म को। इस सम्बन्ध में भी कतिपय लेखों को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी होगा।—

शक-महाक्षत्रप नहपान के जामाता उषवदात का यह लेख नासिक की एक गुहा में विद्यमान है—“सिद्धि हो ! राजा क्षहपात क्षत्रप नहपान के जामाता, दीनाक के पुत्र, तीन लाख गौश्यों का दान देनेवाले, वर्णासा (नदी) पर मुबर्णदान करने और तीर्थ बनवाने वाले, देवताओं और ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, पूरे सात लाख ब्राह्मणों को खिलाने वाले... धर्मात्मा उषावदात ने गोवर्धन में त्रिरसि पर्वत पर यह गुहा बनवाई।”

शक-क्षत्रप नहपान का जामाता प्राचीन वैदिक व हिन्दू धर्म का अनुयायी था, यह इस लेख से स्पष्ट हो जाता है ।

मथुरा का शक-महाक्षत्रप रजुल बौद्ध-धर्म का अनुयायी था । उसकी पटरानी (अग्रमहिषी) का यह लेख मथुरा से उपलब्ध हुआ है—“महाक्षत्रप रजुल की अग्रमहिषी, युवराज खरभ्रोस्त्र की बेटी...की माँ अयसिध अमुइज ने...शाक्य मुनि बुद्ध का शरीर-धातु प्रतिष्ठापित किया और स्तूप व संचाराम भी, सर्वास्तित्वादियों के चातुर्दिश संघ के परिग्रह के लिए ।”

मथुरा के शक-महाक्षत्रप शोडास के समय का मथुरा में एक लेख मिला है, जिसमें लिखा है—“अर्हत् वर्षमान को नमस्कार ! स्वामी महाक्षत्रप शोडास के ४२वें वर्ष में...हारिती के पुत्र पाल की भायाँ श्रमणों की श्राविका कोछी अमोहिनी ने अपने पुत्रों...के साथ आर्यवती प्रतिष्ठापित की । आर्यवती अर्हत् की पूजा के लिए (है) ।” जैन-मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराने वाली कोछी अमोहिनी निःसन्देह शक-जाति की थी ।

शकों के भारतीय धर्मों के स्वीकृत करने की बात की पुष्टि में कितने ही अन्य लेख भी उद्धृत किये जा सकते हैं, पर ये ही पर्याप्त हैं ।

पाथियन—पाथियन लोगों के विषय में नासिक की अन्यतम गुहा में उत्कीर्ण यह लेख महत्त्वपूर्ण है—“सिंह ! ...अबुलामा के निवासी सोवसक सेतफरण के पुत्र हरफरण का यह देयधर्म नवगमं मण्डप महासाधिको के चातुर्दिश संघ के परिग्रह में दिया गया ।” अबुलामा या अम्बुलिम सिन्ध नदी के तट पर एक नगरी थी, और सेतफरण व हरफरण पाथियन नाम हैं ।

कुशाण—कुशाण राजाओं ने भारत में आकर बौद्ध व वैदिक धर्मों को स्वीकृत कर लिया था । कुशाण-वंश की शक्ति के सस्थापक राजा कुजुल कुशाण के सिक्कों पर अन्य विशेषणों के साथ ‘सचअग्रमथितस’ (सत्यधर्मस्थितस्य या सद्धर्मस्थितस्य) विशेषण भी विद्यमान है । उसके कुछ सिक्कों में ‘देवपुत्रस’ विशेषण भी आया है, जो उसके बौद्ध होने को सूचित करता है । कुजुल कुशाण का उत्तराधिकारी राजा विम ‘माहेश्वर’ था । राजा कनिष्क का तो बौद्ध-धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसने न केवल स्वयं बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, अपितु अन्य देशों में बौद्धधर्म के प्रचार करने व उसके संरक्षण के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था । कनिष्क के उत्तराधिकारियों में वामुदेव शैव-धर्म का अनुयायी था और हुविष्क बौद्ध-धर्म का ।

इसमें सन्देह नहीं, कि यवन, शक, पाथियन और कुशाण राजा भारतीय धर्मों के अनुयायी थे । पर इन सबने भारत में आने के बाद ही यहाँ के धर्मों को अपनाया हो, यह निश्चित नहीं है । यह भी सम्भव है, कि शक, पाथियन और कुशाण लोग उस समय से ही भारतीय धर्मों के प्रभाव में आने लग गये हो, जब कि वे सीस्तान, पाथिया और मध्य एशिया में थे ।

(३) साहित्य

इस मौर्योत्तर-युग की सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में इस काल के साहित्य से हमें बहुत-कुछ परिचय मिलता है । प्राचीन संस्कृत-साहित्य के बहुत-से ग्रन्थों का इस

काल में ही संकलन हुआ था। बौद्ध और जैन-साहित्य के भी बहुत-से ग्रंथ इसी समय में बने। इन सबके अनुशीलन से इस समय की जनता के जीवन-पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है। पर पहले इस साहित्य का संक्षेप से परिचय देना आवश्यक है।

पतञ्जलि—पतञ्जलि मुनि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। इसमें शुंगकालीन भारत की दशा के सम्बन्ध में बड़े महत्त्व के निर्देश मिलते हैं। महाभाष्य एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें पाणिनीय व्याकरण की विस्तृत रूप से व्याख्या की गयी है।

स्मृति-ग्रन्थ—स्मृति-ग्रन्थों का निर्माण शुंग-काल में आरम्भ हुआ। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। उसका निर्माण १५० ई० पू० के लगभग हुआ था। इसके प्रवक्ता आचार्य मनु थे। नारदस्मृति के अनुसार सुमति भार्गव ने इस स्मृति का प्रवचन किया था। प्राचीन भारत में विचारकों के अनेक सम्प्रदाय थे। किसी बड़े आचार्य द्वारा जो विचारधारा आरम्भ होती थी, उसके शिष्य उसी का विकास करते जाते थे, और एक पृथक् सम्प्रदाय (नया धार्मिक मत नहीं अपितु, विचार-सम्प्रदाय) बन जाता था। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय मानव था। कौटिलीय अर्थशास्त्र और कामन्दक नीतिसार में मानव सम्प्रदाय का उल्लेख है, और उसके अनेक मत उद्धृत किये गये हैं। उसी सम्प्रदाय में धागे चलकर मनु के एक परम्परागत शिष्य आचार्य सुमति भार्गव ने मनु-स्मृति की रचना की, और उसमें मानव-सम्प्रदाय के विचारों को मकलित किया। अपने समय की परिस्थितियों का भी इन विचारों पर प्रभाव पड़ा, और इसीलिये मनुस्मृति के अनुशीलन से हमें शुंग-काल की सामाजिक दशा का भली-भाँति परिचय मिल जाता है।

मनुस्मृति के बाद विष्णुस्मृति की रचना हुई। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति बनी, जिसका निर्माण-काल १५० ईस्वी के लगभग है। इसके बाद भी अनेक आचार्य नई स्मृतियाँ बनाते रहे। स्मृतियों के निर्माण की यह प्रक्रिया गुप्त सम्राटों के काल में और उसके बाद भी जारी रही। पर मनु-स्मृति और याज्ञवल्क्य-स्मृति का भारतीय स्मृति-ग्रन्थों में जो महत्त्व है, वह अन्य किसी स्मृति को प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों ग्रन्थों के अनुशीलन से हमें शुंग और सातवाहन-राजाओं के समय के भारतीय जीवन का परिचय उत्तम रीति से प्राप्त कर सकते हैं।

महाभारत—महाभारत और रामायण के वर्तमान रूप भी प्रधानतया इसी काल में संकलित हुए। महाभारत प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे विशाल और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति, धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष सम्बन्धी विचार, राजधर्म और पुरातन मायाओं का जैसा उत्तम सग्रह इस ग्रन्थ में है, वह अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। महाभारत मौर्य-काल से भी पहले विद्यमान था, पर उसके नये-नये संस्करण निरन्तर होते रहते थे और विविध आचार्य उसमें लगातार वृद्धि करते जाते थे। शुंग और सातवाहन राजाओं के समय में उसमें बहुत कुछ वृद्धि हुई, और उसके बहुत-से संदर्भ निःसंदेह इस काल की दशा पर प्रकाश डालते हैं।

काव्य और नाटक—इस काल में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अनेक काव्यों और नाटकों का निर्माण हुआ। संस्कृत का सुप्रसिद्ध कवि भास कण्व-वंश के समय में

हुआ था। वह मगध का रहने वाला था। उसके लिखे 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' आदि नाटक संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें कालिदास और भवभूति के नाटकों के समकक्ष माना जाता है। भास द्वारा विरचित नाटकों की संख्या १३ है। आचार्य अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। उसने 'बुद्धचरितम्' नाम का महाकाव्य और अनेक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' का लेखक कवि शूद्रक भी सातवाहन-वंश के शासनकाल में हुआ। नाट्य-शास्त्र का लेखक भरतमुनि और काममूत्र का रचयिता आचार्य वात्स्यायन भी इसी काल में हुए।

प्राकृत-साहित्य के भी अनेक ग्रन्थ इस समय में बने। सातवाहन-राजा प्राकृत-भाषा के बड़े संरक्षक थे। राजा हाल स्वयं उत्तम कवि और लेखक था। गुणादय जैसा प्राकृत का सर्वोत्कृष्ट कवि इसी काल में हुआ था। संस्कृत साहित्य के समान प्राकृत-साहित्य में भी इस युग में बहुत उन्नति की।

बौद्ध और जैन साहित्य—बौद्ध और जैन साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। सम्राट् कनिष्क के संरक्षण में जिस महायान-सम्प्रदाय का विकास हुआ था, उसका बहुत-सा साहित्य इसी समय में बना। बौद्धत्रिपिटक पर महाविभाषा नाम का एक नया भाष्य इस युग में लिखा गया। बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र इसी काल में हुए। आचार्य नागार्जुन ने महायान के अनेक सूत्रों (सुत्तों) की रचना की। जैन-साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुआ। पहले छः श्रुतकेवली (पूर्णज्ञानी) आचार्यों के बाद सात दशपूर्वी आचार्य हुए, जिनमें से अन्तिम वज्रस्वामी का समय ७० ई० के लगभग था। इन आचार्यों ने जैन-साहित्य में निरन्तर वृद्धि की। वज्रस्वामी के शिष्य का नाम आर्यरक्षित था। उसने जैन-सूत्रों को अंग, उपांग आदि चार भागों में विभक्त किया था।

षड्दर्शन—प्राचीन भारत के षड्दर्शनों का उनके वर्तमान रूप में सकलन भी इसी काल में हुआ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त और मीमांसा—ये छः दर्शन भारतीय विचार तथा तत्त्वचिन्तन के स्तम्भ-रूप हैं। इन विचारधाराओं का प्रारम्भ तो इस युग से बहुत पहले ही हुआ था। तत्त्वदर्शी आचार्यों द्वारा जो विचार-सम्प्रदाय प्रारम्भ किये गये थे, उनमें शिष्य-परम्परा द्वारा बहुत पुराने समय से तत्त्व-चिन्तन चला आ रहा था। पर षड्दर्शनों का जो रूप वर्तमान समय में उपलब्ध है, उसका निर्माण इसी मौर्योत्तर युग में हुआ।

विज्ञान—वैद्यक और ज्योतिष-शास्त्र ने भी इस काल में बहुत उन्नति की। चरकसंहिता का लेखक आचार्य चरक कनिष्क का समकालीन था। नागार्जुन भी उत्कृष्ट चिकित्सक था। प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ मुश्रुत जिस रूप में आजकल मिलता है, वह नागार्जुन द्वारा ही सम्पादित हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में नागार्जुन का बड़ा महत्त्व है। यह महापुरुष केवल वैद्य ही नहीं था, अपितु सिद्ध रसायनशास्त्र, लौहशास्त्र और रसायन-विज्ञान का भी पंडित था। उसने जननविज्ञान पर भी ग्रंथ लिखा था। बाद में वह बौद्ध-संघ का प्रमुख बना। बौद्ध पण्डित के रूप में भी उसने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें माध्यमिकसूत्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अश्वघोष के बाद महायान-सम्प्रदाय का वही नेता बना था।

ज्योतिष-शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्गसंहिता इसी युग में लिखी गयी। इसके रचयिता गर्गाचार्य थे। उन्होंने यवन लोगों के आक्रमणों का इस प्रकार उल्लेख किया है, जैसे कि ये घटनाएँ उनके अपने समय में हुई हों। खेद यही है, कि इस ग्रंथ के कुछ अंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं। पूरा ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। आचार्य बराहमिहिर द्वारा ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का संग्रह प्रागे चलकर गुप्तकाल में पंचसिद्धांतिका ग्रन्थ में किया गया, उनका विकास व प्रतिपादन इस मौर्योत्तर काल में ही प्रारम्भ हो गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से अशुभवस्था, विद्रोह और अशांति का था, पर साहित्य, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय में भी निरन्तर उन्नति हो रही थी। इस युग के विशाल साहित्य द्वारा इस समय के सामाजिक जीवन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक दशा के सम्बन्ध में जो अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, उनका अब हम सक्षेप से उल्लेख करेंगे।

(४) वैदिक-धर्म का उत्थान

बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया—मौर्योत्तर काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास और मनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान है। अशोक ने धम्मविजय की जिस जीवनपूर्ण नीति का अवलम्बन किया था, निर्बल हाथों में वह नाशकारिणी भी हो सकती थी। आखिर, विशाल मागध-साम्राज्य का आधार उसकी सैनिकशक्ति ही थी। सेना से ही अधीनस्थ जनपदों, नष्टीभूत गणराज्यों और विविध सामन्त सरदारों को एक साम्राज्य के अधीन रखा जा सकता था। अशोक के समय में यह मागध-सेना (मौल, मृत और श्रेणीबल) अधुण रूप में विद्यमान थी। कलिंग के शक्तिशाली जनपद को इसीलिए वह अपने अधीन कर मका था। यद्यपि अशोक स्वयं अश्वों द्वारा विजय की अपेक्षा धर्म द्वारा स्थापित की गयी विजय को अधिक महत्त्व देने लगा था, पर उसके समय में मागध-सेना शक्तिहीन नहीं हुई थी। पर जब उसके उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार शस्त्र-विजय की अपेक्षा धर्म-विजय को महत्त्व देते रहे, तो यह स्वाभाविक था, कि मागध-साम्राज्य की सेना शक्तिहीन होने लगती। इसीलिए अन्तिम मौर्य सम्राटों के समय में यवनों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये, और मागध सेना उनकी बाढ़ को नहीं रोक सकी। अशोक की धर्म-विजय की नीति उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में असफल और बदनाम हो गयी। सर्वसाधारण जनता में उससे बहुत असन्तोष हुआ। इसीलिए एक प्राचीन ग्रन्थकार ने कहा था, कि राजाओं का काम शत्रुओं का दमन व प्रजा का पालन करना है, सिर मुँडाकर चैन से बैठना नहीं। यह स्वाभाविक था, कि मौर्य-राजाओं की इस असफल नीति से जनता में बौद्ध-धर्म के प्रति भी असन्तोष का भाव उत्पन्न होने लगे। भिक्षुमघ इस समय बड़ा ऐश्वर्यशाली हो गया था। सर्वत्र विशाल व वैभवपूर्ण विहारों की स्थापना हो गयी थी, जिनमें बौद्ध भिक्षु बड़े आराम के साथ निवास करते थे। मनुष्यमात्र की सेवा करने वाले, प्राणिमात्र का हित सम्पादन करने वाले, भ्रष्टगृह्णित से दैनिक भोजन प्राप्त करने वाले और निरन्तर घूम-घूमकर जनता को कल्याण-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध-भिक्षुओं का स्थान

अब सम्राटों के आश्रय में सब प्रकार का मुख भोगने वाले भिक्षुओं ने ले लिया था । सर्वसाधारण जनता के हृदय में भिक्षुओं के प्रति जो आदर था, यदि अब उसमें न्यूनता आने लगी, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? इसी का परिणाम यह हुआ, कि भारत में बौद्ध-धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हुआ और लोगों की दृष्टि उम प्राचीन सनातन धर्म की ओर झुकूट हुई, जो शत्रुओं को परास्त कर और सर्वत्र दिग्विजय कर अश्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान का विधान करता था । यही कारण है, कि सेनानी पुष्य-मित्र ने अन्तिम मौर्य राजा बृहद्रथ को मार जब गर्जमिहासन प्राप्त किया, तो मागध-साम्राज्य के शत्रुओं के विरुद्ध उसने तलवार उठाई और अश्वमेध का आयोजन किया । सातवाहन राजा सातकर्ण ने भी इसी काल में दो बार अश्वमेध-यज्ञ किए थे । इस समय अश्वमेध-यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति-सी उत्पन्न हो गयी थी और इन प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने की प्रबल भावना काम कर रही थी ।

एक बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार शुंग सम्राट् पुष्यमित्र ने तलवार के बल में भी बौद्ध लोगों का दमन किया था । उसने बहुत-से बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया था, और अनेक स्तूपों व विहारों को गिरवा दिया था । इस वर्णन में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें मन्देह नहीं कि शुंगकालीन भारत में बौद्धों के विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया हो रही थी ।

पर बौद्ध धर्म का यह ह्रास केवल मगध और उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित था । मगध उत्तर-पश्चिम में बौद्ध-भिक्षु अब भी प्राचीन आदर्शों का पालन करते हुए प्राणीमात्र का कल्याण करने की आकांक्षा से हिन्दुकुश और पामीर की पर्वत-मालाओं को लौघते हुए आगे बढ़ रहे थे । शक, युद्धि और हूण जातियों में अप्टागिक आर्य-मार्ग का सन्देश पहुँचाने के लिए वे भारी उद्योग कर रहे थे । इसी प्रकार लंका, बरमा और उसमें भी परे के प्रदेशों में बौद्ध भिक्षुओं का आर्य-मार्ग के प्रसार का प्रयत्न जारी था । इन सब प्रदेशों में बौद्ध-भिक्षु एक नयी सम्यता, एक ऊँचे धर्म और एक परिष्कृत संस्कृति के संदेशवाहक बनकर परिभ्रमण कर रहे थे । इन सब स्थानों में बौद्ध-धर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा । पर वैभवशाली मौर्य सम्राटों का संरक्षण पाकर मगध तथा उत्तरी भारत के अन्य जनपदों में बौद्ध-भिक्षु कुछ निश्चेष्ट-से हो गए थे । उनके विहारों में अपार धन था । जब अशोक और अनाथपिण्डक जैसे धनिकों ने अपना कोटि-कोटि धन इन बौद्ध-विहारों के अर्पण कर दिया हो, तो यदि उनमें पतन का प्रारम्भ हो जाए और वे सुख-समृद्धि के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएँ, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं । यही कारण है, कि पुष्यमित्र ने विहारों के धन-वैभव को अपना शिकार बनाया, और पथभ्रष्ट बौद्ध-भिक्षुओं की हत्या करने में भी संकोच नहीं किया ।

वैदिक धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव—शुंग-काल में जिस वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, वह प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न था । बौद्ध और जैन धर्मों ने जिन विचारधाराओं का प्रसार किया था, वे अन्य धर्मावलम्बियों के विचारों पर प्रभाव न डालती, यह सम्भव नहीं था । बौद्ध-विचारों का असर इस काल के दर्शनों और धार्मिक विश्वासों पर स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । बौद्ध और जैन सृष्टि के कर्त्तारूप

में किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। साख्यदर्शन में भी किसी सृष्टि-कर्ता ईश्वर को स्थान नहीं है। योग-दर्शन भी सृष्टि के निर्माण के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझता। वेदान्त का ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं। जैसे मिट्टी से घट बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं है, ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है, और सृष्टि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं रखती। वैदिक षड्दर्शनों में से ही तीन के ईश्वर-सम्बन्धी विचार बौद्ध-विचारों के बहुत समीप हैं। वैदिक युग के ईश्वर के विचार से इनकी विचार-प्रणाली में भारी भेद है। बौद्ध और जैन लोग लोकोत्तर-पुरुषों में विश्वास रखते थे। बोधिसत्व और तीर्थंकर परम पूर्णपुरुष थे, जो सत्य-ज्ञान के भंडार, पूर्ण ज्ञानी और बुद्ध व जिन कहलाते थे। सांख्यों ने इसी विचारसरणी का अनुसरण कर कपिल को लोकोत्तर ज्ञानी माना। योग ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल 'सबसे बड़ा ज्ञानी' है। ईश्वर की सत्ता के लिए योगदर्शन की यह युक्ति है, 'निरगन्धय सर्वज्ञबीजम्'। हमें ज्ञान के बारे में प्रतिशयता नजर आती है। एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखता है। कोई अन्य उससे भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते-करते एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जिससे अधिक ज्ञानवान् कोई नहीं होगा और जो सर्वज्ञ होगा, वही ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति बुद्ध भी हो सकता है, वर्धमान महावीर भी, कपिल भी, श्रीकृष्ण भी या अन्य कोई भी। बौद्ध और जैन ऐसे ही भगवान् को मानते थे। साख्य और योग शास्त्रों पर इन सम्प्रदायों के विचारों का असर कितना प्रत्यक्ष है।

वैदिक धर्म का नया रूप—प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति की विविध शक्तियों के रूप में ईश्वर की पूजा की जाती थी। उन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि उन धर्म के प्रधान देवता थे। पर अब उनका स्थान उन महापुरुषों ने ले लिया, जिनका कि सर्व-साधारण में अपने लोकोत्तर गुणों के कारण अनुपम आदर था। युग-काल में जिस सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, उसके उपास्य देव वामुदेव, सकर्षण और शिव थे। बौद्ध और जैन धर्मों में जो स्थान बोधिसत्वों और तीर्थंकरों का था, वही इस सनातन धर्म में इन महापुरुषों का हुआ। बुद्ध और महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे। उनके गुणों को प्रत्येक मनुष्य जान सकता था, उनके चरित्र का अनुशीलन कर शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और उनकी मूर्ति के सम्मुख बैठकर उनका साक्षात्कार कर सकता था। अब प्राचीन परिपाटी का अनुसरण कर अश्वमेध-यज्ञ का पुनरुद्धार करने वाले शुंगों और सातवाहनों के धर्म में सकर्षण और वामुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ज्ञानी थे और उनकी मूर्तियाँ दर्शनों के लिए विद्यमान थी। इस काल के धार्मिक नेताओं ने प्राचीन महापुरुषों में देवत्व की कल्पना कर उनको बुद्ध और महावीर के समकक्ष बना दिया। निर्गुण और निराकार ईश्वर के स्थान पर सगुण और अवतार ग्रहण करने वाले ईश्वर की कल्पना हुई। इन अवतारों की मूर्तियाँ बनने लगी, और उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारम्भ हो गई। प्राचीन वैदिक धर्म में यज्ञों के कर्मकांड की प्रधानता थी। कुण्ड में अग्नि की प्रतिष्ठा कर विविध देवताओं का आवाहन किया जाता था, और घृत, अन्न, समिधा आदि की आहुति देकर इन देवताओं को सन्तुष्ट

किया जाता था । पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से जब एक बार यज्ञों की परिपाटी शिथिल पड़ गयी, तो उसका इस युग में भी पूर्णतया पुनरुत्थान नहीं हुआ । उपलक्षण के रूप में भ्रवमेघ-यज्ञ भ्रव भ्रवश्य किये जाने लगे, पर सर्वसाधारण जनता में यज्ञों का पुनः प्रचलन नहीं हुआ । यज्ञों का स्थान हम समय मूर्तिपूजा ने ले लिया । शुंग-युग में जिस प्राचीन सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, वह शुद्ध वैदिक नहीं था, उसे पौराणिक कहना अधिक उपयुक्त होगा ।

भागवत-धर्म—इस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शाखाएँ थी, भागवत और शैव । शूरसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासुदेव कृष्ण की पूजा चली आ रही थी । पुराने युग में कृष्ण शूरसेन देश के महापुरुष व वीर नेता हुए थे । कृष्ण जहाँ अधक-वृष्णि-संघ के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दार्शनिक और धर्मोपदेशक भी थे । कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अपने निवृत्त सम्बन्धियों को युद्ध के लिए सम्मुख खड़ा देख जब अर्जुन दुविधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था । उन्हीं के उपदेश से अर्जुन में बल का संचार हुआ, और वह कर्तव्यपालन के लिए तत्पर हुआ । वृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गए थे, और अधक-वृष्णि-संघ का नेतृत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जीवन व्यतीत किया था । जिन प्रकार वर्धमान महावीर ज्ञातृकगण में उत्पन्न हुए और गौतम बुद्ध शाक्यगण में, उसी प्रकार कृष्ण अधक-वृष्णि गण में प्रादुर्भूत हुए थे । उनके गण में गीता की विचारधारा इसी समय प्रचलित हो गई थी । शूरसेनवासी न केवल कृष्ण की शिक्षाओं को मानते थे, पर साथ ही उन्हें लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते भी थे । अब जब कि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन धर्म-धर्मावलम्बी लोग भी लोकोत्तर सर्वज्ञ पुरुषों में ईश्वरीय शक्ति का आभास देखने के लिए उद्यत थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था । सात्वतों का यह भागवत-धर्म अब सर्वत्र फैलने लगा । निःसन्देह, कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे । उनका जीवन आदर्श था, उनकी शिक्षाएँ अपूर्व थी । यदि उनमें ईश्वरीय भावना करके, उन्हें ईश्वर का अवतार मान के, उनके रूप में सगुण परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था । कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समवक्ष रखा जा सकता था । बुद्ध और महावीर के रूप में जिस प्रकार के महापुरुषों की पूजा का जनता को सखियों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनुकूल था । धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का अवतार माना जाने लगा, और उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाओं का प्रारम्भ हुआ । श्रीमद्भगवद्गीता इस भागवत-संप्रदाय का मुख्य धर्मग्रन्थ था । महाभारत और भागवतपुराण में कृष्ण के दैवी रूप और माहात्म्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कथाएँ संगृहीत हैं ।

बौद्ध-धर्म आचार-प्रधान था । याज्ञिक कर्मकाण्ड को उसमें कोई स्थान न था । वह अहिंसा का प्रतिपादक था । बुद्ध के अनुयायी यद्यपि ईश्वर को नहीं मानते थे, पर बुद्ध की उपासना उन्होंने पूर्णपुरुष के रूप में प्रारम्भ कर दी थी । चार सदियों तक निरन्तर बौद्ध-धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा था । इस सुदीर्घ काल में भारत की जनता में जिन विचारों ने भली-भाँति घर कर लिया था, वे निम्नलिखित थे—(१) याज्ञिक कर्मकाण्ड उपयोगी नहीं है । (२) यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की हिंसा व

बलिदान उचित नहीं है। (३) मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए एक पूर्ण पुरुष को आदर्श के रूप में सम्मुख रखना चाहिए। निर्गुण, निराकार और अरूप ब्रह्म की पूजा से काम नहीं चल सकता। उन्नति के पथ पर आरूढ़ होने के लिए मनुष्य के सम्मुख बुद्ध या महावीर सदा पूर्ण सगुण पुरुष आदर्श के रूप में रहने चाहिए, जिनके चरित्र व जीवन से मनुष्य लाभ उठा सके।

ये विचार भारतीय जनता में इतने दृढ़ हो चुके थे, कि दूसरी सदी ई० पू० में जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा, तो पुराने याज्ञिक कर्मकाण्डों का उद्धार नहीं हुआ। भागवत-धर्म के रूप में पुरानी वैदिक मर्यादा का जो संस्करण अन्धक-वृष्णि लोगों में प्रचलित था, जनता ने उसे अपनाया। यह भागवत-धर्म उस समय के लोगों के विचारों के बहुत अनुकूल था। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी—(१) भागवत लोग यज्ञों में पशु-हिंसा को उचित नहीं मानते थे। कृष्ण ने यज्ञों का विरोध नहीं किया। पर उनके जटिल अनुष्ठानों और हिंसात्मक विधानों का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। (२) यदि बौद्धों और जैनों के पास बुद्ध और महावीर के रूप में आदर्श पुरुष थे, तो भागवतों के पास वामुदेव कृष्ण के रूप में एक ऐसा पूर्ण पुरुष था जो आदर्श बालक, आदर्श युवा, आदर्श राजनीतिज्ञ, आदर्श योगीश्वर और आदर्श नृत्य-ज्ञानी था। अब वैदिक धर्म के अनुयायियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की आवश्यकता नहीं थी। उनके सम्मुख एक ऐसा देवता विद्यमान था, जो शत्रु में शरीर धारण कर श्वाल-बालों के साथ खेलता है, जगन्मथ और कंस जैसे अत्याचारियों का वध करता है, कुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश करता है, और योगीश्वर गायक अपने शरीर का त्याग करता है। इस देवता के गुदार्दन चक्र में अस्त्र शक्ति है। गह अपने भक्तों की सहायता व उद्धार के लिए सदा तत्पर रहता है। उनकी भक्ति व उपासना करने से मनुष्य अपना अभिलषित फल प्राप्त कर सकता है। (३) यह वामुदेव कृष्ण साधारण पुरुष नहीं था, वह विष्णु का अवतार था। यदि शौनभ बुद्ध ने अनेक पूर्वजन्मों की साधना द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया था, तो कृष्ण के रूप में साक्षात् विष्णु भगवान् ने अवतार लिया था। (४) पुराने वैदिक धर्म में ईश्वर व देवताओं की पूजा के लिए यज्ञों का अनुष्ठान होता था। इस भागवत-धर्म में उनकी पूजा के लिए मन्दिर और मूर्तियाँ बनने लगीं। जिस प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे, उसी प्रकार भागवतों ने कृष्ण, विष्णु व अन्य वैदिक देवताओं की मूर्तियाँ बनानी प्रारम्भ कीं। इन मूर्तियों की मन्दिरों में प्रतिष्ठा की जाती थी। मन्दिरों में पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमें विधि-विधान या कर्मकाण्ड की अपेक्षा भक्ति का मुख्य स्थान था। भक्त लोग मन्दिरों में एकत्र होते थे, गीत गाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, और पूजा कर वे अपने उपास्य देव को रिभाते थे। सर्वसाधारण जनता के लिए यज्ञों के अनुष्ठानों की अपेक्षा धर्म का यह रूप बहुत सरल और क्रियात्मक था।

पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि वैष्णव या भागवत-धर्म का जो रूप आजकल प्रचलित है, वह दूसरी सदी ई० पू० में नहीं था। उस समय तक भागवत-धर्म में कृष्ण की गोपी-लीलाओं की कहानियाँ नहीं जुड़ पायी थीं। कृष्ण के सम्बन्ध में जो बहुत-सी गाथाएँ आजकल प्रचलित हैं, जिनमें उसकी प्रेम-लीलाओं का वर्णन

है, वे सब उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। दूसरी सदी ई० पू० के कृष्ण एक आदर्श पुरुष थे, जिनमें विष्णु, नर-नारायण आदि वैदिक देवताओं के गुण अविकल रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए उनकी इन देवताओं के साथ अभिन्नता थी।

शैव धर्म—शैव-धर्म का प्रवर्तक लकुलीश नाम का आचार्य था। पुराणों के अनुसार वह शिव का अवतार था। वह गुजरात देश में भरुकच्छ के पास कारोहण या कायावरोहण नामक स्थान पर प्रगट हुआ था। लकुलीश ने जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम पंचाध्यायी या पंचार्यविद्या था। दूसरी सदी ई० पूर्व तक शैव-धर्म भी भारत में भली-भाँति विकसित होने लगा था, और उसके अनुयायियों को 'शिवभागवत' या 'शैव' कहा जाता था।

शिव भी वैदिक देवताओं में से एक है। अनेक वेदमन्त्रों में उसका वर्णन व स्तुति की गयी है। उसी का एक अन्य नाम रुद्र था। जब वह दुष्टों का दमन व सृष्टि का प्रलय करता है, तो रुद्र रूप धारण करता है। जब वही देव प्रसन्न होकर सृष्टि का पालन और धारण करता है, तो शिव व शंकर कहाता है। जिस प्रकार वामुदेव कृष्ण के अनुयायियों ने विष्णु को अपना उपास्य देव माना और कृष्ण ने उनकी अभिन्नता स्थापित की, उसी प्रकार शिव भागवतो ने रुद्र या शिव को अपना उपास्य देव माना और लकुलीश से उसकी अभिन्नता प्रतिपादित की। शुरू में शैव-धर्म को शिव-भागवत, लाकुल (लकुलीश के नाम पर), पाशुपत और माहेश्वर नामों से जाना जाता था। आगे चलकर इसके अनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, जिनमें कापालिक और कालमुख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

शैव लोग भी विदेशियों को अपने धर्म में दीक्षित करते थे। अनेक विदेशी आक्रान्ता शैव-धर्म की ओर भी आकृष्ट हुए। इनमें कुशाण-राजा विम मुख्य है। उसके कुछ सिककों पर त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा है, जो अपने वाहन नन्दी के समीप खड़ा है। विम के समान अन्य भी अनेक विदेशियों ने शैव-धर्म की दीक्षा ली। वैष्णव भागवतों के समान शैव भागवत धर्म का भी बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद विशेष रूप से प्रचार होने लगा था।

शैव-मंदिरों में पहले शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी। शैव लोग उसकी भक्ति व उपासना करते थे। बाद में शिव का स्थान लिंग ने ले लिया। शैव लोग लिंग की पूजा करने लगे। इस परिवर्तन के दो कारण हुए। ऐसा प्रतीत होता है, कि शैव-धर्म को किसी ऐसी विदेशी जाति ने विशेष रूप से अपनाया, जिसमें लिंग की पूजा प्रचलित थी। जब कोई जन-समाज किसी नये धर्म को अपनाता है, तो उस जन-समाज के पुराने विष्वास व प्रथाएँ भी नये रूप में उस धर्म में समाविष्ट हो जाती हैं। जब इस्लाम का प्रचार ईरान में हुआ, तो वहाँ की अनेक बातें इस्लाम-धर्म में आ गयीं। इसी से शिया-सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसी प्रकार किसी लिंग-पूजक जाति के शैव-सम्प्रदाय को अपना लेने पर वह पूजा शैव-धर्म में आ गयी, और लिंग को भगवान् शिव का चिह्न या लिंग मान लिया गया। साथ ही, संसार की जो सर्वोपरि उत्पादन शक्ति है, लिंग उसका प्रतीक है। भगवान् शिव सृष्टि का पालन व संहार करते हैं। उनका चिह्न सृष्टि की इस रहस्यमयी मूलशक्ति से बढ़कर कौन-सा हो सकता है ?

शैव-धर्म को जिन लोगों ने अपनाया, उनमें यौधेयों का उल्लेख करना उपयोगी है। प्राचीन भारत के गणराज्यों में यौधेय गण का बहुत प्रमुख स्थान था। इन यौधेयों के सिक्कों पर भी नन्दी सहित शिव की प्रतिमा पायी जाती है। यौधेय लोग 'शिव भागवत' थे।

सूर्य की पूजा—विष्णु और शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत में प्रचलित हुई। सूर्य भी वैदिक देवताओं में से एक है। वैदिक काल में उसकी भी मान्यता भारत में विद्यमान थी। पर सूर्य की पूजा के लिए मंदिरों की स्थापना नहीं की जाती थी। अब इस युग में भारत में सूर्य के भी मंदिर बनाये गये और उनमें सूर्य की मूर्ति स्थापित की गयी। ऐसा प्रतीत होता है, कि सूर्य की इस नये रूप में पूजा का श्रेय भाग्य और प्राचीन ईरान (शाकद्वीप) के सम्बन्ध को है। भविष्यपुराण के अनुसार सूर्य की पूजा के लिए शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को नुलाया गया था। प्राचीन ईरान में सूर्य की पूजा देर से प्रचलित थी। ईरान के लोग भी आर्य-जाति के थे, और उनके धर्म व संस्कृति का भारत के आर्यों से सन्निकट सम्बन्ध था। उन मग व ईरानी ब्राह्मणों ने भारत में सूर्य व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की। कनिष्क के अनेक सिक्कों पर मिहिर की प्रतिमा भी अंकित है। वर्तमान समय में जो सूर्य के मंदिर विद्यमान हैं, उनमें मुलतान (मूलस्थानपुर) का सूर्यमंदिर सबसे प्राचीन है। प्राचीन समय में अन्यत्र भी बहुत-से सूर्य-मंदिर विद्यमान थे। इनके बहुत-से खण्डहर इस समय काश्मीर, अलमोडा आदि में मिलते हैं।

बौद्ध-धर्म के ज्ञान के बाद भाग्य में जिस धर्म का प्रचार हुआ, वह वैदिक परम्परा के अनुकूल था, वह वेदों में विश्वास रखता था। पर उसका स्वरूप यज्ञ-प्रधान पुराने वैदिक धर्म से बहुत भिन्न था। उसमें कर्मकाण्ड का स्थान भक्ति व पूजा ने ले लिया था। वासुदेव कृष्ण, शिव और सूर्य के अनिर्दिष्ट शक्ति, स्कन्द, गणपति आदि अन्य भी अनेक देवताओं की मूर्तियाँ इस समय बनीं, और उनके मंदिर भी स्थापित किये गये। इस सब प्रवृत्ति की तह में वही भक्ति-भावना काम कर रही थी, जिसका प्रतिपादन कृष्ण ने इन शब्दों में किया था, 'सर्व धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ'। वैदिक देवताओं की पूजा का यह एक नया प्रकार इस समय भारत में प्रचलित हो गया था।

(५) बौद्ध धर्म की प्रगति

बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्धों पर अनेकविध अत्याचार किये, और शाकल (सियालकोट) में यह आदेश दिया कि जो कोई किसी बौद्ध भिक्षु का संहार करके उमका सिर प्रस्तुत करेगा, उसे १०० सुवर्ण मुद्राएँ प्रदान की जाएँगी। इसमें सन्देह नहीं, कि पुष्यमित्र के समय में प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, और शुंग कण्व व सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी व संरक्षक नहीं थे। पर इससे यह परिणाम निकालना सही नहीं है, कि दूसरी सदी ई० पू० से भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारम्भ हो गया, और इस देश

की जनता बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक धार्मिक मार्ग से विमुक्त हो गई। शुंग-कण्व-सातवाहन युग में न केवल सर्वसाधारण जनता में बौद्ध धर्म का भली-भाँति प्रचार था, अपितु इस काल के बहुसंख्यक विदेशी (यवन, शक और कुशाण) शासकों ने भी इस धर्म को अपना लिया था। यही कारण है कि इस युग के अनेक शिलालेखों में बौद्ध विहारों, स्तूपों और चैत्यों को दिये गये दान का उल्लेख पाया जाता है। अनेक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप शुंग-कण्व युग में ही बने थे। भरहुत स्तूप, काले के गुफागृह और सांची का प्रसिद्ध स्तूप प्रधानतया इसी युग की कृति हैं। यद्यपि उनका निर्माण मौर्य युग में प्रारम्भ हो चुका था, पर वे इसी काल में अपने वर्तमान रूप में आये थे। प्रसिद्ध यवन राजा मिनान्डर (मिलिन्द) ने न केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, अपितु उसके प्रचार व उत्कर्ष का भी उसने उद्योग किया था। उसके कतिपय सिक्कों पर धर्मचक्र अंकित है, और उसने अपने साथ 'त्रात' और 'अभिअ' (धार्मिक) विशेषणों का प्रयोग किया है। मिनान्डर के अनुकरण में बहुत-से अन्य यवन राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अग्रथीक्लीज नामक यवन राजा ने अपने सिक्कों पर स्तूप और बोधि-वृक्ष को अंकित किया है। प्रसिद्ध कुशाण सम्राट् कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने इस धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से उद्योग भी किया था।

बौद्ध धर्म के आन्तरिक विकास की दृष्टि से भी शुंग-कण्व-सातवाहन युग का बहुत महत्त्व है। विभिन्न प्रदेशों और गण्यों में बौद्ध धर्म के प्रसार का यह परिणाम स्वाभाविक था, कि उसमें विविध आचार-विचार और मन्तव्यों का भेद उत्पन्न होने लगे। विभिन्न मनुष्यों, जातियों व समाजों में जो आचार-विचार, विश्वास व सम्कार बढ्मूल होते हैं, किन्हीं नये धर्म में दीक्षित हो जाने में वे पूर्णतया मिट नहीं जाते। उनके कारण एक ही धर्म में विभिन्न सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के एक सदी पश्चात् जब वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति (महा-सभा) हुई, तो पारस्परिक मतभेद के कारण बौद्ध लोग दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गये, जिन्हें महासाधिक और स्थविरवाद (अग्रवाद) कहते हैं। स्थविरवाद के केन्द्र कौशाम्बी और उज्जैनी थे, और महासाधिक सम्प्रदाय वैशाली व पाटलिपुत्र में केन्द्रित था। अगली एक सदी में महासाधिक सम्प्रदाय आठ निकायों में विभक्त हो गया, जिनमें एकव्यावहारिक और लोकोत्तर प्रमुख थे। इसी प्रकार बाद में स्थविरवाद में भी अनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, और अशोक के समय तक बौद्ध धर्म अठारह सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति में अशोक ने इन भेदों को दूर करने का प्रयत्न किया, और उसमें सफल न होने पर उसने स्थविरवाद को बुद्ध की मूलशिक्षाओं के अनुरूप घोषित किया। अशोक ने जिस बौद्ध धर्म को देश-विदेश में प्रसारित करने के लिए महान् उद्योग किया था, वह स्थविरवाद ही था। इसी के सिद्धान्तों को मोग्गलिपुत्त तिस्स ने 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ में युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया था।

महासाधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में विश्वास करते थे। बुद्ध के लौकिक रूप का उनके सिद्धान्त में कोई स्थान नहीं था। उनका विश्वास

था, कि बुद्ध सर्वज्ञ थे और मानव निर्बलताओं से सर्वथा विमुक्त थे। उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों का भी विकास किया, और यह प्रतिपादित किया कि 'मूलविज्ञान' एक ऐसा तत्त्व है जो प्राणीरूप से पुनर्जन्म लेता है। यह महासाधिक सम्प्रदाय ही था, जिससे कि आगे चलकर महायान का विकास हुआ। प्रारम्भ में इस सम्प्रदाय का केन्द्र वैशाली में था, पर बाद में यह भारत में अनेक प्रदेशों में फैल गया, और अमरावती और नागार्जुनकोण्ड इसके प्रधान केन्द्र हो गये। महासाधिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक महाकस्सप को माना जाता है।

स्थविरवाद का प्रवर्तक महाकच्छपायन था, जो उज्जैनी का निवासी था। क्योंकि राजा अशोक द्वारा संगठित तृतीय संगीति ने इसे ही बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप स्वीकृत किया था, अतः अशोक के पुत्र महेन्द्र ने इसी का धीलंका में प्रचार किया, और मोगलिपुत्त निस्स द्वारा प्रेषित अन्य प्रचारक भी इसी को विविध प्रदेशों में ले गये। मयुरा, गान्धार, काश्मीर आदि में इसी सम्प्रदाय का प्रचार हुआ।

स्थविरवाद के विभिन्न सम्प्रदायों में सर्वास्तिवाद सर्वप्रधान है। यह सम्प्रदाय तत्त्वों की अनित्यता में विश्वास न कर उन्हें उसी प्रकार से नित्य स्वीकार करता है, जैसे कि बौद्धिक दर्शन के अनुयायी परमाणुओं को नित्य मानते हैं। कुशाण सम्राट् कनिष्क सर्वास्तिवाद में ही विश्वास रखता था, और उसके समय में इस सम्प्रदाय का मध्य एशिया और चीन में भी प्रवेश हुआ।

सम्राट् कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति (महासभा) हुई। काश्मीर के कुण्डलबन बिहार में ५०० बौद्ध विद्वान् एकत्र हुए, जिनमें आचार्य वसुमित्र और पादवं प्रधान थे। महासभा में एकत्र विद्वानों ने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने और विविध सम्प्रदायों के मतभेद को दूर करने के लिए 'महाविभाषा' नाम का एक विशाल ग्रन्थ तैयार किया। यह ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखा गया था।

महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव—यद्यपि बौद्ध धर्म में विभिन्न सम्प्रदायों का विकास बहुत पहले ही प्रारम्भ हो गया था, पर दूसरी सदी ई० पू० के लगभग बौद्धों में एक नवीन सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 'महायान' कहते हैं। जैसा कि हमने अभी ऊपर लिखा है, महायान का विकास महासाधिक सम्प्रदाय से हुआ था, जिसके प्रधान केन्द्र अमरावती और नागार्जुन-कोण्ड (आन्ध्र में) थे। अष्टसाहस्रिका-प्रज्ञापारमिता में लिखा है, कि महायान की उत्पत्ति दक्षिणापथ में हुई, जहाँ से वह प्राच्य देश में गया और फिर उत्तरापथ में जाकर भनी-भक्ति विकसित हुआ। हममें सन्देह नहीं, कि महायान का प्रादुर्भाव आन्ध्र प्रदेश में हुआ था, जो चिरकाल से महासाधिक सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र था। अन्यत्र उसका प्रसार वहीं से हुआ। जिन आचार्यों ने इसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया, उनमें नागार्जुन, आर्यदेव, असंग और वसुबन्धु के नाम उल्लेखनीय हैं। नागार्जुन का जन्म विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और अपने ज्ञान व शील के कारण बौद्ध जगत् में उसने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। असंग भी जन्म से ब्राह्मण था और पेशावर का निवासी था। वसुबन्धु उसी का भाई था।

महायान के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बोधिसत्त्व के आदर्श को प्राप्त करना है। चाहे कोई भिक्षु हो या उपासक (गृहस्थ), प्रत्येक को बोधिसत्त्व का पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मनुष्यों को निम्नलिखित पारमिताओं को अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए—दान, शील, शान्ति, दीर्घ, ध्यान, प्रज्ञा, उपायकौशल्य, प्रणिधान, बल और ज्ञान। इन पारमिताओं का अविकल रूप से पालन करने पर ही बोधिसत्त्व का पद प्राप्त किया जा सकता है, और बोधिसत्त्व हुए बिना कोई बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। गौतम को भी बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व बहुत-से पूर्वजन्मों में इन पारमिताओं का पालन कर बोधिसत्त्व की स्थिति प्राप्त करनी पड़ी थी। जातक और अवदान साहित्य में गौतम द्वारा पूर्वजन्मों में किये गये उन सुकृतों का ही उल्लेख है, जिनके कारण उसने पहले बोधिसत्त्व पद प्राप्त किया और अन्त में बुद्धत्व।

महासाधकों के समान महायान के अनुयायी भी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में विश्वास करते थे। इसी कारण समयान्तर में उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना और उन्हें चैत्यो व मन्दिरों में प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा प्रारम्भ की। बौद्धों में मूर्ति-पूजा का जो इतना अधिक प्रचार हुआ, उसका श्रेय महासाधकों और महायान को ही है। बुद्ध की मूर्ति की पूजा द्वारा अपनी धार्मिक भावना की सतुष्टि करना एक ऐसा साधन था, जिनके कारण यह धर्म सर्वसाधारण जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ, और धीरे-धीरे न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी बहुत-से ऐसे बौद्ध विहार व चैत्य स्थापित हो गये, जिनमें एकत्र होकर सर्वसाधारण उपासकों भी अपनी धार्मिक क्षुधा को शान्त कर सकते थे।

महायान के अनुयायी अपने से भिन्न सम्प्रदायों के लिए 'हीनयान' संज्ञा का प्रयोग करते थे। परिणाम यह हुआ, कि महायान के प्रादुर्भाव के अनन्तर बौद्ध धर्म दो प्रधान विभागों में विभक्त हो गया, महायान और हीनयान। अन्य सब सम्प्रदाय इन्हीं के अन्तर्गत हो गये।

क्योंकि महायान के विकास के साथ-साथ मूर्तिपूजा का विशेष रूप से प्रचार हुआ, अतः भारत में मूर्ति कला भी विशेष रूप से विकसित होने लगी। इस कला के विकास पर हम इसी अध्याय में आगे प्रकाश डालेंगे।

(६) जैन धर्म की प्रगति

वर्धमान महावीर की जीवनी, उनकी शिक्षाओं और जैन साहित्य के सम्बन्ध में इस इतिहास में पहले लिखा जा चुका है। बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन धर्म का भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचार होता रहा, और बहुत-से तरनारी उसके अनुयायी हो गये। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य 'केवलित्व' प्राप्त करना है। वर्धमान महावीर 'केवली' पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, और उनके पश्चात् गौतम इन्द्रभूति, सुधर्मा और जम्बूस्वामी आदि अन्य भी अनेक ऐसे मुनि हुए, जिन्होंने केवल्य पद को प्राप्त किया था। पर इनके पश्चात् कोई मनुष्य केवलित्व पद को प्राप्त नहीं कर सका। बाद के जैन मुनि या तो श्रुतकेवली हुए और या देशपूर्वी।-

श्रुतकेवली उन मुनियों को कहते थे जो शास्त्रों के तो पूर्ण पण्डित हो, पर जो केवलित्व के चरम लक्ष्य को प्राप्त न कर सके हों। दशपूर्वी मुनि शास्त्रों के दश 'पूर्वों' में ही दक्ष होते थे। जैन अनुश्रुति में इन केवली, श्रुतकेवली और दशपूर्वी मुनियों का वृत्तान्त पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। पर इस इतिहास में उसका उल्लेख करना निरर्थक है।

जैन धर्म के इतिहास की प्रधान उल्लेखनीय घटना उसका दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में विभक्त होना है। जैन अनुश्रुति के अनुसार आचार्य भद्रबाहु ने यह भविष्यवाणी की थी, कि क्षीर ही उत्तरी भारत में एक घोर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है जो बारह वर्ष तक रहेगा। इस भावी विपत्ति को दृष्टि में रखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में प्रवास कर लिया जाए, जहाँ दुर्भिक्ष की कोई सम्भावना नहीं थी। पर भद्रबाहु के सब अनुयायी उनके साथ सुदूर दक्षिण जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे व्यक्तियों को मगध में ही छोड़कर आचार्य भद्रबाहु ने अपने १२,००० साधियों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया, और कर्णाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाकर आश्रय लिया। वहाँ पहुँचकर भद्रबाहु ने अनुभव किया कि उनका अन्त समय समीप आ गया है, अतः मुनियों की परम्परा का अनुसरण कर उन्होंने अनशन व्रत द्वारा प्राणों का त्याग किया। भद्रबाहु के पश्चात् आचार्य विशाल उनके स्थान पर जैनों के नेता बने। जैन अनुश्रुति के अनुसार जिन लोगों ने दुर्भिक्ष के इस अवसर पर मगध से दक्षिण के लिए प्रस्थान किया था, उनमें राजा चन्द्रगुप्त मौर्य भी थे। यह चन्द्रगुप्त अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य थे, या अशोक के पौत्र सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय), इस प्रश्न पर मतभेद है। यहाँ जिस तथ्य की ओर हमें निर्देश करना है, वह यह है कि जो बहुत-से जैन इस समय दक्षिण की ओर न जाकर मगध व उत्तराखण्ड में ही रहने रहे थे, उनके आचरण व आचार-विचार में कुछ अन्तर आना प्रारम्भ हो गया था। उनके मुनियों ने इस समय से श्वेत वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया, जब कि पुराने मुनि निर्वसन होकर ही रहना करते थे। उन्होंने एक विशेष परिधान द्वारा, जिसे अर्धफालक कहते थे, अपने सिर भी ढकने प्रारम्भ कर दिये। उत्तराखण्ड के इन जैन मुनियों के नेता आचार्य स्थूलभद्र थे। दुर्भिक्ष की समाप्ति पर जब दक्षिण में प्रवासी हुए जैन उत्तराखण्ड वापस लौटे, तो उनके नेता विशाल ने मुनियों के उन मतभेदों को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, जो पिछले वर्षों में विकसित हो गये थे। पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उनके मतभेदों में निरन्तर वृद्धि होती गई, जिसके कारण प्रथम सदी ई० पू० का अन्त होने से पूर्व ही जैनों में दो सम्प्रदाय स्पष्ट रूप से विकसित हो गये, जिन्हें श्वेताम्बर और दिगम्बर कहते हैं। भद्रबाहु का काल तीसरी सदी ई० पू० में है, और उसी समय से जैनों में उन मतभेदों का प्रादुर्भाव होने लग गया था, जिनके कारण आगे चलकर वे दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गये।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की अनुश्रुति के अनुसार वर्धमान महावीर के निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात् (प्रथम सदी ई० पू० में) शिवभूति नाम का एक आचार्य हुआ, जिसे मुनि आर्यरक्षित ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। एक बार रथवीरपुर (जहाँ का

शिवभूति निवासी था) के राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य पोशाक में रूप से प्रदान की। जब मुनि आर्यरक्षित ने अपने शिष्य को बहुमूल्य पोशाक पहने देखा, तो उन्होंने उस पोशाक को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया। शिवभूति ने अपने गुरु के अभिप्राय को समझ कर तब से निर्वसन होकर रहना प्रारम्भ कर दिया। इसी से दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ।

जैन ग्रन्थों में उन आचार्यों और मुनियों का विशद रूप से वर्णन मिलता है, जिन्होंने न केवल अपने मन्तव्यों व सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना की, अपितु अपने धर्म के प्रचार के लिए भी विशेष रूप से उद्योग किया। पर इस इतिहास में उनका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि जैन मुनि भी बौद्ध स्थविरों और भिक्षुओं के समान ही अपने धर्म के प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहे, और भारत के बड़े भाग को वे अपने प्रभाव में लाने में भी समर्थ हुए।

(७) जातिभेद का विकास

प्राचीन आर्य बहुत-से जनों (कबीलों) में बँटे हुए थे। जन के सब लोगो को 'विश' कहा जाता था। घुरू में उसमें कोई वर्ण या जातियाँ नहीं थीं। सारे आर्यजन खेती, पशुपालन आदि में अपना निर्वाह करते थे। युद्ध के अवसर पर वे सब हथियार उठाकर लड़ने के लिए प्रवृत्त हो जाते और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर सब लोग स्वयं कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करते। पर जब 'जन' एक निश्चित प्रदेश में बसकर 'जनपद' बन गये, तब उन्हें निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहने की आवश्यकता हुई। आर्यों को उन जनतायें जातियों से निरन्तर युद्ध करना होता था, जिन्हें परास्त कर वे अपने जनपद बसा रहे थे। विविध जनपदों में आपस का संघर्ष भी जारी था। परिणाम यह हुआ, कि एक ऐसी विशेष श्रेणी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद की 'क्षत्र' से रक्षा करती थी। उस प्रकार धीरे-धीरे एक पृथक् वर्ण का विकास हुआ, जिसे क्षत्रिय कहते हैं। इसी तरह जब यज्ञों के कर्मकाण्ड ज्यादा जटिल होने लगे, ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख के लिए विविध अनुष्ठानों का प्रारम्भ हुआ, तो ऐसे वर्ण का भी पृथक् विकास होने लगा, जो इन धार्मिक विधि-विधानों में अधिक निपुणता रखते थे। ये लोग ब्राह्मण कहलाये। साधारण 'विश' से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वर्ण पृथक् होने लग गये। जो आर्य-भिन्न लोग आर्य-जनपदों में बसे रह गये थे, वे आर्यों की सेवा करके ही अपनी आजीविका चला सकते थे। ये लोग शूद्र कहलाये। इस प्रकार प्रत्येक आर्य-जनपद की जनता को मोटे तौर पर चार वर्णों में बाँटा जा सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का यह विभाग गुण और कर्म के ही आधार पर था।

पर आर्य लोग ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर बढ़ते गये, उनके जनपदों में आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गयी। पंजाब और गंगा-यमुना की घाटियों में विद्यमान आर्य जनपदों में जनतायें लोगों की संख्या बहुत कम थी। शूद्र के रूप में उन्हें सुगमता से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व और दक्षिण में आगे बढ़ने पर आर्यों को एक नयी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगध, अंग,

बंग, कलिंग और अश्वत्थि जैसे जनपदों में अनार्य लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका न जड़ से उन्मूलन किया जा सकता था, और न उन्हें आगे-आगे खदेड़ा ही जा सकता था। पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ जाने वाले आर्य-विजेताओं ने विवश होकर इन अनार्यों की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किये थे। परिणाम यह हुआ, कि अनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुआ। मगध और उसके समीपवर्ती जनपदों में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में जिन नवीन धार्मिक आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ था, उनके वर्णभेद और जातिभेद-सम्बन्धी विचार इसी नयी परिस्थिति के परिणाम थे। ब्राह्मण व किसी विशेष श्रेणी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समझ में नहीं आती थी। वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध आर्य क्षत्रिय न होकर व्रात्य थे। व्रात्यों को भी प्राचीन ग्रन्थों में वर्णसंकर गिना गया है। बज्जि, मल्ल, लिच्छवि आदि सब व्रात्य ही थे। पूर्व और दक्षिण के इन जनपदों में न केवल क्षत्रिय अपितु ब्राह्मण भी वर्णसंकर थे। सातवाहन-राजा जाति से ब्राह्मण समझे जाते थे, पर उनमें अनार्य रक्त विद्यमान था। जब मागध-साम्राज्य का विकास हुआ, और मगध की अनार्य-प्रधान सेनाओं ने सारे भारत को जीत लिया, तो प्राचीन आर्यजनों के शुद्ध ब्राह्मणों व क्षत्रियों की उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी। बौद्ध और जैन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्टता को नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गुणों व चरित्र से ही ऊँचा होता था, जन्म या जाति से नहीं। मागध-साम्राज्य के विकास की नयी परिस्थितियों में यह सिद्धान्त कितना समयातुल्य था।

बाद में शक, यवन और युद्धि लोगों के आक्रमणों से एक और नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई। इन विजेताओं ने भारत के बड़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपदों में विजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची थी। बौद्ध और जैन-विचारधारा के अनुसार इनके कारण सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। जाति-पाँति व वर्णभेद के विचारों से शून्य इन धर्मों के लिये इन म्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज का भ्रग बना लेना विशेष कठिन नहीं था।

पर सनातन आर्य-धर्म के पुनरुत्थान के इस काल में इस नयी परिस्थिति का सामना चतुर्वर्ण्य में विश्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलम्बियों ने किस प्रकार किया? चतुर्वर्ण्य का सिद्धान्त प्राचीन आर्य-धर्म की एक विशेषता थी। बौद्धों के उत्कर्ष के काल में भी उसका सर्वथा परित्याग कर सकना सम्भव नहीं था। पर इन शक्तिशाली आर्य-भिन्न योद्धाओं, यवनों, शकों व अन्य बहुत-सी जातियों को चतुर्वर्ण्य में किस प्रकार स्थान दिया जाता? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस युग की नयी भावना से चतुर्वर्ण्य का सिद्धान्त पुनः अनुप्राणित हो जाता? वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के नेताओं ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का अनुसरण किया, वह बड़े महत्त्व की है। उन्होंने कहा—यवन, शक, पारद, पल्लव, कम्बोज, द्रविड, पीण्डुक आदि ये सब जातियाँ मूलतः क्षत्रिय थीं, पर ब्राह्मणों का सम्पर्क न रहने से ये वृषलत्व (म्लेच्छत्व) को प्राप्त हो गयीं। पर अब जब इन्हें फिर ब्राह्मणों का सम्पर्क मिला और इन्होंने

वैदिक सम्प्रदायो को अपना लिया, तो इन्हे क्षत्रिय क्यों न सभक्त लिया जाय ? भारत में जो शक, पल्हव, यवन आदि आये, वे सब इस समय क्षत्रियो में शामिल कर लिये गये । हमारे पुरखाओ की यह युक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये मलेच्छ आक्राता भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मनु के इस सिद्धान्त के अनुसार क्षत्रियवर्ग में शामिल हो गये । ब्राह्मणों के पुनः सम्पर्क से अब उन्होंने वासुदेव कृष्ण और शिव की उपासना प्रारम्भ कर दी थी । उनमें वृषलत्व कुछ शेष नहीं रह गया था । इसी तरह इन विदेशी मलेच्छों के पुरोहित ब्राह्मणवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्योंकि उन्होंने भी प्राचीन आर्य-विचारधारा को अपना लिया था । मुलतान के सूर्य-मंदिर में शकद्वीप (शकस्थान) के 'ब्राह्मणों' को पुजारी के रूप में नियत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है ।

मागध, भ्रवति, भ्रग आदि जनपदों में आर्य अपनी रक्तशुद्धि को कायम रखने में समर्थ नहीं हुए थे । उन्होंने आर्य-भिन्न जातियों के साथ रक्त सम्बन्ध स्थापित किये थे । इन्हे इन काल में द्रात्य और वर्णसंकर कहा गया । मनुस्मृति के अनुसार भूर्जकंटक और भावन्त्य द्रात्य ब्राह्मणों की सन्तान थे, और भल्ल, मल्ल व लिच्छवियों की उत्पत्ति द्रात्य क्षत्रियो से हुई थी । कारुप और सात्वत द्रात्य वैश्यों की संतति थे । वैश्यो और क्षत्रियों के सम्मिश्रण से मागध तथा वैश्यों और ब्राह्मणों के सम्मिश्रण से वैदेह लोगों का विकास हुआ था । मनु के इस मत में कोई सच्चाई ही या न हो, पर इन वैदिक पुनरुत्थान-युग के विचारक इस तथ्य को दृष्टि में ला रहे थे, कि मागध, वैदेह, भावन्त्य, लिच्छवि, सात्वत आदि शुद्ध आर्य नहीं है, यद्यपि समाज में उनका महत्त्व है । उन्हें वे द्रात्य ब्राह्मण, द्रात्य क्षत्रिय, द्रात्य वैश्य व वर्णसंकर बताकर चातुर्वर्ण्य के दायरे में शामिल करने का प्रयत्न कर रहे थे ।

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । अपने कर्म से शुद्ध ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण शूद्र । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने कर्म से ही होते हैं । युग की परिस्थितियों के अनुसार यह सिद्धान्त कितना क्रियात्मक और समयानुकूल था । जब शक, यवन और कुषाण जैसी मलेच्छ जातियाँ आर्य-क्षत्रियों को परास्त कर शासन करने में व्याप्त थी, शूद्र-जाति में उत्पन्न हुए बौद्ध-भिन्नु जनता के धर्मगुरु बने हुए थे, तब यदि कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन किया जाए, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि वर्ण और जाति दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं । किसी भी आर्य 'जन' में चारों वर्ण हो सकते थे । गुण और कर्म के अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्णों में बाँटा जा सकता है । जब प्राचीन विचारकों को एक छोटे-से आर्य-जनपद के क्षेत्र से निकलकर विशाल भारत के जनसमाज में इस चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नई परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम ऊपर प्रदर्शित कर चुके हैं । पर इस युग में बहुत-सी जातियों का एक अन्य प्रकार भी विकास हो रहा था । वर्तमान भारत में खत्री, भरोड़ा, जाट, कोली, मुरई आदि जो संकटों जातियाँ पाई जाती हैं, उन्हें किसी वर्ण में सम्मिलित कर सकना सुगम नहीं है । कोली और मुरई शूद्रों में

शामिल किये जाने से एतराज करते हैं। पर क्षत्रिय लोग उन्हें क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं हैं। यही बात ग्रन्थ बहुत-सी जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

वास्तविकता यह है कि, प्राचीन भारत में जो सँकड़ो छोटे-बड़े गणराज्य थे, वे ही इस युग में धीरे-धीरे जातियों का रूप धारण करने लगे। अब मगध के साम्राज्य विस्तार के साथ इन गणों की राजनीतिक स्वतन्त्रता का अन्त हो गया था। पर मागध-सम्राटों की नीति यह थी, कि वे गणों के अपने धर्मों को नष्ट न करे। इन गणराज्यों में जो अपने रीति-रिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हें मागध-सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, अपितु उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग भी मान लिया था। यही कारण है कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्ट्रारों में रजिस्टर्ड (निबन्धपुस्तकस्थ) करने की भी व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधर्म' का पालन करना चाहिये, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग—ग्राम, कुल, गण और जनपद को भी 'स्वधर्म' में दृढ़ रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीति-रिवाज व कानून हो, उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिणाम यह हुआ, कि राजनैतिक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर भी गणों की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही। इसी से वे धीरे-धीरे जाति व बिरादरी के रूप में परिणत हो गए।

वर्तमान समय की बहुत-सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गणराज्यों में हुई जा सकती है। पंजाब के अरट्ट और क्षत्रिय गण इस समय के अरोड़ा और खत्री जातियों में बदल गये। कौटलीय अर्थशास्त्र का श्रेणी-गण इस समय के सैनियों के रूप में अब भी जीवित है। बौद्ध-काल के पिप्पलिवन के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में विद्यमान है। प्राचीन रोहितक गण इग समय के रस्तोगियों, रस्तगियों व रोहतगियों के रूप में, आग्नेयगण अग्रवालो के रूप में, कम्बोज गण कम्बोज जाति के रूप में, कोलिय गण कोरी जाति के रूप में, और आर्जुनायनगण अरायन जाति के रूप में इस समय भी स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हैं। भारत की बहुत सी वर्तमान जातियों में यह किंवदन्ती चली आती है, कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुआ है, और किसी समय उनका भी पृथिवी पर अपना राज्य था। ये किंवदंतियाँ इसी सत्य पर आधारित हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतन्त्र गणराज्यों के रूप में विद्यमान थी, और ये इन गणराज्यों की ही उत्तराधिकारी हैं।

(c) विवाह-सम्बन्धी नियम

मौर्य-युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में तलाक के लिए 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुष, दोनों खास-खास अवस्थाओं में तलाक कर सकते थे। पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड़ गयी थी। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्यक्त हो जाने के बाद भी वह पति की भार्या बनी रहेगी। पति से तपस्वी जाने पर स्त्री को यह अधिकार नहीं है, कि वह दूसरा विवाह कर सके। दूसरी ओर स्त्री को यह अधिकार नहीं, कि वह पति का

रखा कर सके। स्त्री यदि रोगिणी हो, तो उससे अनुमति लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था।

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। सन्तान न होने की दशा में देवर या किसी अन्य मपिण्ड व्यक्ति के साथ नियोग किया जा सकता था। मनु को विधवा-विवाह पसन्द नहीं था। यद्यपि कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान किया गया है, पर मनु का मतव्य यही था कि स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए।

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थिति इस युग में मौर्यकाल की अपेक्षा हीन थी। प्रागे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गए। बौद्ध लोगों में भिक्षुणियों ने जो अपने पृथक् सघ बनाए थे, उनमें अनाचार की मात्रा बहुत बढ़ गयी थी। स्वयं महात्मा बुद्ध को इस बात का भय था। भिक्षुणी-संघ के अनाचार को देख कर ही शक्यद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम करें और आर्य-स्त्रियों को उनके पतियों का अधिक वशवर्ती बनाएँ।

(६) राज्य-शासन

मौर्योत्तर-युग के राज्यों में शासन का प्रकार प्रायः वही रहा, जो मौर्यकाल में था। मागध-सम्राट् इस समय में भी एकतन्त्र शासक थे। पर बंगाल की खाड़ी से लगाकर मथुरा तक विस्तीर्ण (पुष्यमित्र के बाद के शुंगकाल में) इस साम्राज्य में बहुत-से जनपद अन्तर्गत थे। अनेक जनपदों के अपने पृथक् राजा भी थे, जिनकी स्थिति गुंग-सम्राटों के अधीनस्थ राजाओं की थी। इस प्रकार के दो सामंतों, अहिच्छत्र के इन्द्रमित्र और मथुरा के ब्रह्ममित्र के मिके भी उपलब्ध हुए हैं। साम्राज्य के अन्तर्गत इन जनपदों का शासन प्राचीन परम्परा के अनुसार होता था। जनपद के धर्म, कानून, व्यवहार और आचार को मागध-सम्राट् न केवल अक्षुण्ण रखते थे, अपितु उनका भली-भाँति अनुसरण किया जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदों से मागध-सम्राट् कर या बलि वसूल किया करते थे। जनपदों का शासन बहुत पुराने समयों से पीर और जानपदसभाओं द्वारा होता चला आता था। प्रत्येक जनपद का एक केन्द्रीय नगर होता था, जिसे पुर कहते थे। यह सारे जनपद के जीवन का केन्द्र-स्वरूप होता था। इसके अग्रणियों की सभा को 'पीर' कहते थे। जनपदों के अन्य निवासियों के अग्रणी जानपद-सभा में एकत्र होते थे। विविध जनपदों में ये सभाएँ प्रबल भी जीवित थीं। यही कारण है, कि शक रुद्रदामा ने अपने शिलालेख में 'पीर जानपद' का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कलिग-चक्रवर्ती खारवेल ने भी पीर-जानपदों के साथ किए गए अनुग्रहों को अपने हाथीगुम्फा के शिलालेख में उल्लेख कराया है। जनपदों के अतिरिक्त 'देशों' के संघों का भी उल्लेख स्मृति-ग्रन्थों में आया है। राजा को उनके भी चरित्र, व्यवहार और धर्म को स्वीकार करना चाहिए। अभिप्राय यह है, कि मागध-साम्राज्य शासन की दृष्टि से एक इकाई नहीं था, वह जनपदों और देशों के रूप में अनेक विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग के अपने धर्म, चरित्र और व्यवहार होते थे, जिन्हें मागध-सम्राट् स्वीकार करते थे।

इस काल के सम्राट् एकतंत्र अवश्य थे, पर वे परम्परागत राजधर्म के अनुसार ही शासन करने का प्रयत्न करते थे। राजा के सम्बन्ध में मनुस्मृति का सिद्धान्त यह था, कि सम्राजक दशा में सब तरफ से पीडा होने के कारण जनता की रक्षा के लिए प्रभु ने राजा की सृष्टि की। उसके निर्माण के लिए इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और धनेश—सब की मात्राएँ ली गयीं। क्योंकि राजा देवताओं की मात्रा से बना है, इसलिए उसका तेज सब मनुष्यों से अधिक है।

पर जिस प्रकार राजा ईश्वरीय है, देवताओं की मात्राओं से बना है, वैसे ही 'दण्ड' भी ईश्वरीय है। मनुस्मृति के अनुसार दण्ड ही असली राजा है, वही नेता है, और वही शासन करने वाला है। दण्ड सब प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही सबकी रक्षा करता है, सबके सोते हुए दण्ड ही जागता है, दण्ड को ही बुद्धिमान् लोग धर्म मानते हैं। दण्ड का अभिप्राय राजधर्म से है। जो परम्परागत धर्म और व्यवहार चले आते हैं, वही दण्ड है, वही वस्तुतः दैवी है। इसलिए यदि राजा भली-भाँति दण्ड (राजधर्म) का प्रणयन करे, तब तो वह उन्नति करता है, अन्यथा कामात्मा, विषयी और क्षुद्र राजा दण्ड से ही माग जाता है। दण्ड का बड़ा तेज है। धर्म से विचलित राजा को वह बन्धु-बाधवसहित मार डालता है। इस प्रकार मनु के अनुसार वास्तविक शक्ति दण्ड की है, न कि राजा की। राजा के लिए उचित यही है, कि वह परम्परामत राजधर्म के अनुसार न्याययुक्त शासन करे। पर यह वही राजा कर सकता है, जो विषयासक्त न हो, जिनकी बुद्धि निश्चित और क्रियाशील हो, जो मूढ़ और लुब्ध न हो, और जिसको अर्द्ध सहायको (मन्त्रियों व अमात्या) का साहाय्य प्राप्त हो।

मनु के विचार ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि आचार्य चाणक्य ने अपने राजर्षि राजा के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं। मनु ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा मोह या वेपरवाही से अपने राष्ट्र को सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता है, और अपने बन्धु-बान्धवों सहित जीवन में हाथ धो बैठता है। जैसे शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, उन्हीं प्रकार राष्ट्र के कर्षण से राजाओं के प्राण भी क्षीण हो जाते हैं। जिस राजा के देखते हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्यु लोग पकड़ते हैं, वह मरा हुआ है, जीवित नहीं है।

मनु के इन मन्त्रों में मौर्यों के बाद के निर्बल राजाओं के समय की दशा का कैसा मुन्दर आभास है! अध्यात्मिक राजाओं के विरुद्ध क्रांति करके बार-बार उन्हें पदच्युत किया गया। शक और कुषाण सभ्य दस्युओं द्वारा मत्तयी हुई चीखती-पुकारती भारतीय प्रजा विपद्ग्रस्त हो रही थी। उनकी रक्षा करने में असमर्थ पिछले शुंग व कण्व राजा मरे हुए थे, जीवित नहीं थे।

शासन-कार्य में राजा की सहायता करने के लिए 'मन्त्रिपरिषद्' इस युग में भी विद्यमान थी। मनु के अनुसार सात या आठ सचिव होने चाहिए, जिनसे कि राज्य के प्रत्येक कार्य के विषय में परामर्श लेना चाहिए। मालविकान्निमित्र के अनुसार राजा अग्निमित्र (शुंगवंशी) युद्ध और सचि के प्रत्येक विषय पर अमात्यपरिषद् से परामर्श किया करता था।

(१०) आर्थिक जीवन

मौर्य-युग के समान इस काल में भी आर्थिक जीवन का आधार 'श्रेणियों' थी। शिल्पी-लोग श्रेणियों (Guilds) में संगठित थे, और इसी प्रकार व्यापारी भी। इस युग के अनेक शिलालेखों में इन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, और उनसे श्रेणियों के आर्थिक जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है। ऐसे लेखों में नासिक के गुहामंदिर में उत्कीर्ण शक उपावदात का यह लेख विशेष महत्त्व का है—

“सिद्धि ! ब्यालीसवें वर्ष में, वैशाख मास में राजा क्षहुरात क्षत्रप नहपान के जामाता दीनाकपुत्र उपावदात ने यह गुहामंदिर चातुर्विंश सष के अर्पण किया, और उसने अक्षयनीची तीन हजार पण चातुर्विंश संघ को दिए, जो इस गुहा में रहने वालों के कपड़े के खर्च और विशेष महीनों में मासिक वृत्ति के लिए होगा। और ये कार्पापण गोवर्धन में रहने वाली श्रेणियों के पाम जमा किए गए। कोलिकों के निकाय में दो हजार एक फीसदी सूद पर, दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हजार पौन फीसदी सूद पर। और ये कार्पापण लौटाये नहीं जाएंगे, केवल उनका सूद लिया जायगा। इनमें से जो एक फीसदी पर दो हजार कार्पापण रखाये गए हैं, उनसे गुहामन्दिर में रहने वाले वीम भिक्षुओं में से प्रत्येक को बारह चीवर दिये जाएँ। और जो पौन फीसदी पर एक हजार कार्पापण है, उनमें कुशनमूल्य का खर्च चलेगा। कापुर प्रदेश के गाँव चित्रलपद्र को नाग्रियन के २००० पौद भी दिए गए। यह सब निगमसभा में मुनाया गया, और फलकवार (लेखा रखने के दफतर) में चरित्र के अनुमार निबद्ध किया गया।”

इस लेख में यह स्पष्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) आदि व्यवसायियों के संगठन श्रेणियों के रूप में थे। ये श्रेणियाँ जहाँ अपने व्यवसाय का संगठित रूप में संचालन करती थी, वहाँ दूसरे लोगों का रुपया भी धरोहर के रूप में रखकर उमपर सूद देती थीं। उनकी स्थिति समाज में इतनी ऊँची और सम्मानास्पद थी, कि उनके पास ऐसा रुपया भी जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जाए, जिसका केवल सूद ही सदा के लिए किसी धर्मकार्य में लगता रहे। यही कार्य आजकल ट्रस्टी रूप में बँक करते हैं। सूद की दर एक फीसदी और पौन फीसदी (सम्भवतः, मासिक) होती थी, और नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की धरोहर को बाकायदा निबद्ध (रजिस्टर्ड) कराया जाता था, यह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है।

श्रेणियों का इसी प्रकार का उल्लेख अन्य अनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध होता है। श्रेणियों के पास केवल रुपया ही नहीं जमा किया जाता था, अपितु उनको भूमि भी धरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी आय को वे आदिष्ट धर्मकार्य में प्रयुक्त करती थी। शिल्पियों की श्रेणियों का वर्णन कौटलीय अर्थशास्त्र, मनुस्मृति व अन्य सभी प्राचीन राजशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य में विद्यमान है, पर उनके कार्यों का ऐसा सजीव चित्र इन गुहा-लेखों से ही प्राप्त होता है।

शिल्पियों के समान व्यापारी भी पूर्णों व निगमों में संगठित होते थे। उनके धर्म, व्यवहार और चरित्र को भी राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता था। स्मृतिग्रंथों में लेन-देन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार ऋणलेख तैयार किया जाय,

कैसे उसके साक्षी हों, कैसे प्रतिभू (जामिन) बने, कैसे कोई वस्तु अधि (रहन) रखी जाए, और कैसे इन सब के करण (कागज) तैयार किए जाएँ, इन सब के नियमों का विवरण यह सूचित करता है, कि उस युग में वाणिज्य-व्यापार भली-भाँति उन्नति कर चुका था। कौटिलीय अर्थशास्त्र में जैसे 'संभूय-समुत्थान' का उल्लेख है, वैसे ही स्मृतियों में भी है। अधिक लाभ के लिए व्यापारी लोग मिलकर वस्तुओं को बाजार में रोक लिया करते थे, और इस उपाय से अधिक नफा उठाने में सफल होते थे। एक स्मृति के अनुसार केवल व्यापारी ही नहीं, अपितु किसान, मजदूर और ऋत्विक् भी इस उपाय का आश्रय लिया करते थे।

विदेशी व्यापार की भी इस युग में खूब उन्नति हुई। मौर्यवंश के निर्बल होने पर जो यवन-राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में कायम हो गए थे, उनके कारण भारत का पश्चिमी सत्तार से सम्बन्ध और भी अधिक दृढ़ हो गया था। भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के व्यापारी अरब और मिस्र तक जाकर व्यापार किया करते थे। उन दिनों मिस्र की राजधानी अलक्जेण्ड्रिया विद्या, व्यापार और संस्कृति का बड़ी भागी केन्द्र थी। भारतीय व्यापारी वहाँ तक पहुँचते थे। लाल सागर और नील नदी के रान्ते पर एक भारतीय व्यापारी का ग्रीक भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इस व्यापारी का नाम सोफोन था, जो शायद शोभन का ग्रीक रूपान्तर है।

दूसरी सदी ई० पू० में एक घटना ऐसी हुई, जिसके कारण मिस्र और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ गया। भारत से एक व्यापारी अपने साधियों के साथ समुद्र-यात्रा को गया था। वह समुद्र में मार्ग भूल गया, और महीनों तक जहाज पर ही इधर-उधर भटकता रहा। उसके सब साथी एक-एक करके भूख से मर गए। पर वह सहृदयों के साथ बहता हुआ मिस्र के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ मिस्र के राजकर्मचारियों ने उसे आश्रय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता और मार्ग-प्रदर्शन से मिस्र के लोगों ने जहाज द्वारा गीबे भारत आना-जाना प्रारम्भ किया, और इन दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध और भी दृढ़ हो गया। इस युग के भारतीय व्यापारी मिस्र से भी बहुत आगे यूरोप में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। प्राचीन रोमन अनुभूति के अनुमार गॉल (वर्तमान फ्रान्स) के प्रदेश में, एल्व नदी के मुहाने पर कुछ भारतीय जहाज भटक जाने के कारण पहुँच गए थे। अटलांटिक महासागर तक भारतीय व्यापारियों का पहुँच जाना बड़े महत्त्व की बात है। यह घटना पहली सदी ई० पू० की है। रोमन साम्राज्य के साथ इस व्यापारिक सम्बन्ध का ही यह परिणाम है, कि हकारा, रावलपिण्डी, कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चूनार आदि के बाजारों में वर्तमान समय में प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्ध हुए हैं। अनेक स्तूपों की खुदाई में भारतीय राजाओं के सिक्कों के साथ-साथ रोमन सिक्के भी मिलते हैं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि भारत और रोम का व्यापारिक सम्बन्ध इस युग में बड़ा घनिष्ठ था। भारत में समुद्र के रान्ते हाथीदाँत का सामान, मोती, वैदूर्य, काली-मिर्च, लौह, अन्य मसाले, गुग्गुलि, शीशियार, रेशमी और सूती कपड़े बड़ी मात्रा में रोम भेजे जाते थे। रोम में मिर्च-मसालों के लिए एक गोदाग बना हुआ था, जिसमें भारत का यह माल लाकर जमा किया जाता था। रोम में काली मिर्च बहुत महँगी

बिकती थी। काली मिर्च का मूल्य दो दीनार एक सेर था। एक रोमन लेखक ने लिखा है, कि भारतीय माल रोम में आकर सौगुनी कीमत पर बिकता है, और उसके द्वारा भारत रोम से हर साल छः लाख के लगभग सुवर्ण-मुद्राएँ खींच ले जाता है। एक अन्य रोमन लेखक ने लिखा है, कि रोमन स्त्रियाँ हवा की जाली की तरह बारीक बुनी हुई भारतीय मलमल को पहनकर अपना सौन्दर्य प्रदर्शित करती हैं। रोम और भारत के इस सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र केरल प्रदेश में था। इसीलिए वहाँ कई स्थानों पर खुदाई में रोमन सिक्के बटुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं।

मिन्न और रोम की अपेक्षा बरमा, जावा, मुमात्रा, चम्पा और चीन आदि के साथ भारत का विदेशी व्यापार और भी अधिक था। इन सुदूरवर्ती देशों को बड़े-बड़े जहाज माल भरकर जाया करते थे। उस युग के संसार में तीन साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे—रोमन, भारतीय और चीनी। भारत इन तीनों के बीच में पड़ता था। यही कारण है, कि इसका रोम और चीन दोनों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था। चीन और रोम का पारस्परिक व्यापार भी उस समय भारत के व्यापारियों द्वारा ही संचालित किया जाता था।

(११) वास्तु और मूर्ति-कला

इम मौर्योत्तर-युग की बहुत-सी मूर्तियाँ, गुहामंदिर और स्तूप इस समय उपलब्ध होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भरहुत का वह प्रसिद्ध स्तूप, जिनके तोरणों और जंगलों के अवशेष कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित हैं, शुंग-काल में ही बना था। उसके एक तोरण पर यह उत्कीर्ण भी है, कि यह स्तूप शुंगों के राज्य में निर्मित हुआ बना था। बोधगया के मंदिर के चारों ओर का एक जंगला भी इस युग की कृति है उस पर अहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र और मधुरा के राजा ब्रह्ममित्र की रानियों के नाम उत्कीर्ण हैं। ये दोनों राजा शुंगों के सामन्त थे। इसने यह सूचित होता है, कि बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन अंश शुंग-काल में ही बनाये गये। साँची के प्राचीन स्तूप के अनेक अंग भी इसी काल में बने। वहाँ के बड़े स्तूप दक्षिणी के तोरण पर राजा सातकर्ण का नाम उत्कीर्ण है। भरहुत, साँची, बोधगया आदि के ये प्राचीन विशाल स्तूप मुदीर्घ समय तक धीरे-धीरे बनते रहे। उनके निर्माण का प्रारम्भ मौर्य-काल में ही हो गया था, पर शुंग और सातवाहन-राजाओं के समय में उनमें निरन्तर वृद्धि होती चली गयी, और जिन विविध दानियों के दान से जो-जो अंश समय-समय पर बनते गए, उनके नाम बहुधा उन पर उत्कीर्ण भी कर दिए गये।

इम युग के बहुत-से गुहामंदिर उड़ीसा और महाराष्ट्र में विद्यमान हैं। पहाड़ को काटकर उसके अन्दर में विशाल मंदिर, विहार या चैत्य खोदे गए हैं। ऊपर से देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से अन्दर जाने पर विशाल भवन दिखायी पड़ते हैं, जिन्हें पहाड़ को काट-काट कर बाकायदा सुन्दर भवनों के रूप में बनाया गया है। उड़ीसा के ये गुहामंदिर जैनों के हैं। इनमें हाथीगुम्फा सबसे प्रसिद्ध है। कलिंग-चक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख वही पाया गया है। हाथीगुम्फा के अतिरिक्त, मंचापुरी-गुम्फा, रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, जयविजय-गुम्फा, झलकापुरी-गुम्फा

आदि और भी कितने ही गुहामंदिर उड़ीसा में पाए गए हैं। मंचापुरी-गुम्फा में खारवेल की रानी तथा राजा बक्रदेवश्री के लेख पाये गये हैं। यह सम्भवतः खारवेल का कोई वंशज था। रामगढ़ में सीतावेगा नामक स्थान पर एक गुहामंदिर उपलब्ध हुआ है, जिसका किसी धर्म-विशेष से सम्बन्ध नहीं था। वह एक प्रेक्षागार था, और यही कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रसिक कवि का एक छन्द खुदा हुआ है। सीतावेगा के पड़ोस में ही जोगीमारा का गुहामंदिर है, जो प्राचीन काल में वरुणदेवता का मंदिर था।

महाराष्ट्र के गुहामंदिरों में अजन्ता की गुफाएँ सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। इनमें भी गुहा नं० १० सबसे पुरानी समझी जाती है। अजन्ता के ये गुहामंदिर भारतीय वास्तुकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। गहाडों को काटकर बनाए गए विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुन्दर रंगीन चित्र बनाए गए हैं, कि हजारों साल बीत जाने पर भी वे अपने आकर्षण में जरा भी कम नहीं हुए। अजन्ता की इन प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण इसी काल में प्रारम्भ हुआ था। अजन्ता के अतिरिक्त महागुफ्ट में वेडया, नासिक, कालें, जुन्नर, कोडाने आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहामंदिर विद्यमान हैं। नासिक के एक गुहामंदिर में एक लेख है, जिसके अनुसार उसे सातवाहन-कुल के राजा कण्ह के नमय उनके महामात्र ने बनवाया था। राजा कण्ह सातवाहन-वंश के संस्थापक सिमुक का भाई था, और उनके बाद प्रतिष्ठान का राजा बना था। इसका समय तीसरी सदी ई० पू० में था, और यह स्पष्ट है कि नासिक का यह गुहामंदिर तीसरी सदी ई० पू० में ही बना था। वेडसा और कालें के प्रसिद्ध गुहामंदिर इसी सन् के शुरू होने से पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं को गुहानिर्माण का बड़ा शौक था। उन्हीं के शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल गुहाएँ निर्मित हुईं। मौर्य-युग में भी गुहामंदिर बनने प्रारम्भ हो गए थे, पर वे अधिक विशाल नहीं होते थे। विहार की बराबर और नामगर्जनी पहाड़ियों में मौर्य सम्राट अशोक और राजा दशरथ के समय के जो गुहामंदिर हैं, वे बहुत छोटे-छोटे हैं। पर सातवाहन-राजाओं की प्रेरणा और संरक्षण में मौर्यान्त-युग में जो गुहामंदिर बने, वे बहुत ही विशाल हैं। वे तो पूरे बौद्ध-विहार हैं, जिन्हें भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर या ईंट से बनाने के बजाय पहाड़ काट कर और उसे अन्दर से खोद कर गुहा के रूप में बनाया गया है।

इस काल की मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होती हैं। भग्नुत और साँची के स्तूपों के जगलों और तोरणों में पत्थर काट-काट कर बहूत-सी मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। गुहामंदिरों की दीवारों पर भी खोदकर बनायी गयी मूर्तियाँ पायी जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं को मूर्तियाँ बनाकर अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है।

मूर्तिकला की दृष्टि से इन युग की प्रधान घटना गान्धारी शैली का प्रारम्भ है। यवनो ने गान्धार में जो अपने राज्य कायम किए थे, उनके कारण यूनानी लोगों और भारतीयों का परस्पर सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया था। यह स्वाभाविक था, कि यूनानी (ग्रीक) कला का भारतीय कला पर असर पड़े। गान्धार के ये यवन, शक और युडश

राजा बाद में बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों के अनुयायी हो गए थे। भारतीय भाषा और संस्कृति को उन्होंने बहुत अंश में अपना लिया था। इसलिए यूनानी और भारतीय मूर्तिकलाओं के सम्मिश्रण से जिस अपूर्व सुन्दर मूर्तिकला का प्रारम्भ हुआ, उसे गान्धारी शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिष्कारित हैं। धीरे-धीरे यह शैली गान्धार से मथुरा आदि होती हुई सुदूर आन्ध्र में अमरावती तक पहुँच गयी। भारत में दूर-दूर तक इस शैली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं।

गान्धार-शैली का प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस प्रदेश पर यवनों का प्रभाव बहुत अधिक था। मौर्यों के पतन के समय अफगानिस्तान और गान्धार के प्रदेश यवनों के शासन में आ गये थे, और यवनों की शक्ति के क्षीण होने पर वहाँ शक और कुशाण सभ्य विदेशियों का राज्य रहा था। ये विदेशी म्लेच्छ उन पश्चिमी देशों से भारत में प्रविष्ट हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीकों) की भाषा, सम्यता और कला का बहुत प्राधान्य था। ग्रीक लोग मूर्ति-निर्माण कला में बहुत प्रवीण थे। इसकी उनकी अपनी पृथक् शैली थी। गान्धार में पाये जाने वाले भूरे रंग के पत्थरों का गान्धार-शैली की मूर्तियों में प्रयोग किया जाता था। कनिष्क के समय में बौद्ध-धर्म का मुख्य तन्त्र निवृत्ति थी। पर महायान के अनुयायी भक्ति और उपासना पर बल देते थे। इनके लिए बुद्ध और बोधिमत्यों की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। पेशावर के कारीगरों ने हजारों की संख्या में मूर्तियाँ बनाईं, और धीरे-धीरे ये मारे भारत में फैल गयीं। यवन-प्रभाव के होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुखमण्डल पर एक अनुपम तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अनुभूति निर्वाण की भावना से ही हो सकती है। गान्धार-शैली की बहुत-सी मूर्तियाँ काले सलेटी पत्थर की भी हैं।

पेशावर से यह कला मथुरा में गयी। इस युग में मथुरा मूर्तिकला का मन्मथ बड़ा केन्द्र था। कनिष्क का साम्राज्य वंशु नदी से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। मथुरा इस विशाल साम्राज्य के मध्य में था। कुशाणों के क्षत्रप वहाँ शासन करते थे। वहाँ की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनायी गयी हैं, जो आगरा के समीप प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होता था। मथुरा की कला पर गान्धार-शैली का प्रभाव अवश्य है, पर उसे पूर्णतया गान्धार-शैली की नकल नहीं कहा जा सकता। इसमें सन्देह नहीं, कि मथुरा के आर्य शिल्पियों ने पेशावर की रचनाओं को दृष्टि में रखकर एक मौलिक शैली का विकास किया था, जो बाह्य और आभ्यन्तर दोनों दृष्टियों में शुद्ध आर्य प्रतिभा की प्रतीक थी। भारतीय कल्पना में एक प्रयोगी के मुख पर जो देवी भावना होनी चाहिये, उसकी वृत्ति किस प्रकार अन्तर्मुखी होनी चाहिये और उपासक के हृदय में अपने उपास्य देव का कैसा लोकोत्तर रूप होना चाहिये—इस सबको पत्थर की मूर्ति में उतारकर मथुरा के ये शिल्पी चिर यथा के भागी हुए हैं।

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं। प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवंश अपना एक 'देवकुल' स्थापित करता था। इसमें मृत राजाओं की मूर्तियाँ रखी रहती थीं। शिशुनाग-वंश के राजाओं की मूर्तियाँ ऐसे ही देवकुल के लिए मथुरा में बनी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय

से मूर्तिकला का प्रसिद्ध केन्द्र बला भ्रा रहा था। इस युग में कुशाण-राजाओं की मूर्तियाँ भी मथुरा में बनायी गईं। ऐसी अनेक मूर्तियाँ अब भी उपलब्ध हैं। खेद की बात है, कि वे सभी प्रायः खण्डित दशा में हैं। इनमें सम्राट् कनिष्क की मूर्ति विशेष महत्त्व की है। उसकी पोशाक में लम्बा कोट और पायजामा है, और उसका आकार बड़ा विशाल है।

मथुरा में बनी इस युग की एक मूर्ति इस समय काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मूर्ति एक स्त्री की है, जो प्रसाधिका का काम करती थी। इसका मुख गम्भीर, प्रसन्न व सुन्दर है, नेत्रों में विमल चंचलता है, सब अंग-प्रत्यंग अत्यन्त सुदौल हैं, और खड़े होने का ढंग बहुत सरल और अकृत्रिम है। उसके हाएँ हाथ में शृंगारदान है, जिसमें सुगंधित जल रखा जाता था। बाएँ हाथ में एक पिटारी है, जिसका ढक्कन कुछ खुला हुआ है, और एक पुष्पमान्ना थोड़ी-सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री शृंगार की सामग्री लेकर किसी रानी या अन्य सम्पन्न महिला का शृंगार करने के लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। मथुरा में इस प्रकार की मूर्तियाँ उपासना के लिए नहीं, अपितु सजावट के लिए बनायी जाती थी।

बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाला मूर्तियाँ तो मथुरा में हजारों की संख्या में बनी थी। मथुरा की यह कला कुशाणों के बाद भी निरन्तर उन्नति करती रही। गुप्त-वंश के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ, और उसने वे उज्ज्वल रत्न उत्पन्न किये, जिनके लिए कोई भी जाति या देश सदा अभिमान कर सकता है। गुप्तों के समय में मथुरा की मूर्तिकला से गान्धार की शैली का प्रभाव पूर्णतया हट गया था।

(१२) बृहत्तर भारत का विकास

मौर्य-युग में भारत से बाहर भारतीय उपनिवेशों का विस्तार प्रारम्भ हो चुका था इन उपनिवेशों के दो क्षेत्र थे, पूर्व में सुवर्णभूमि और उत्तर-पश्चिम में हिन्दुकुण और पामीर की पर्वतमालाओं के परे तुर्किस्तान। अशोक की धर्मविजय की नीति के कारण भारतीय भिक्षु जिस प्रकार इन सुदूर देशों में गये, और उन्होंने वहाँ जाकर न केवल वहाँ के निवासियों को आर्य-मार्ग का अनुयायी ही बनाया, पर वहाँ अनेक भारतीय बस्तियाँ भी बसाईं, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। मौर्योत्तर-युग में भारतीय उपनिवेशों के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही। विशेषतया, भारत के पूर्व में बर्मा से सुदूर चीन तक हिन्द-महासागर में जो बृहत्-में छोटे-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब इस युग में भारतीय बस्तियों से ढक गये। इस युग के इतिहास की वह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया गुप्त-साम्राज्य के समय में और उसके कुछ बाद तक भी जारी रही। हम भारतीय उपनिवेशों के विस्तार का विशेष विवरण अगले एक अध्याय में देंगे, पर यहाँ यह निर्देश देना उचित है, कि इन उपनिवेशों का श्रीगणेश इसी युग में हुआ था।

चौदहवीं अध्याय

पाश्चात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध

(१) मौर्य युग से पूर्व का काल

शुंग-सातवाहन-शक युग में उस बृहत्तर भारत का विकास हुआ था, दक्षिण-पूर्वी एशिया का बड़ा भाग जिसके अन्तर्गत था। पर पाश्चात्य संसार के साथ भारत का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से चला आता था, जिसके कारण भारत ने पाश्चात्य देशों को और पाश्चात्य देशों ने भारत को अनेक प्रकार से प्रभावित किया था। भारतीय संस्कृति के इतिहास में पाश्चात्य संसार के साथ भारत के सम्बन्ध का बहुत महत्त्व है। इस अध्याय में इसी पर प्रकाश डाला जायगा।

सिन्धु सभ्यता और पाश्चात्य संसार—भारत और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध बहुत पुराना है। सिन्धु सभ्यता के युग में (वैदिक आर्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व) भी इस सम्बन्ध की सत्ता थी। इस अत्यन्त प्राचीन काल में पाश्चात्य संसार में सभ्यता के तीन महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, सुमेरिया, मैसेपोटामिया और ईजिप्ट। सुमेरिया और मैसेपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यताओं के जो अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध होते हैं, उनमें और सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में अनेक समताएँ पायी जाती हैं। उनके बरतनों, ईंटों और चित्रलिपि में बहुत समता है। मैसेपोटामिया में दो मोहरें ऐसी मिली हैं, जो मोहनजोदड़ो की मोहरों के सदृश हैं। उनपर अंकित लेख व चिह्न भी सिन्धु-सभ्यता की मोहरों पर अंकित चिह्नों के समान हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी एक ऐसा उत्कीर्ण लेख मिला है, जो प्राचीन मैसेपोटामिया की कीलाकित लिपि में है। इन बातों को दृष्टि में रखने पर इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि प्राचीन भारतीय सिन्धु सभ्यता का पाश्चात्य जगत् की इन प्राचीन सभ्यताओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सम्भवतः, मोहनजोदड़ो सिन्धु नदी के तट पर स्थित एक ऐसा बन्दरगाह था, जिससे जलमार्ग (पहले सिन्धु नदी द्वारा और फिर समुद्र-तट के साथ-साथ) द्वारा पाश्चात्य संसार के उर और किश बन्दरगाहों के साथ व्यापार हुआ करता था, और भारतीय व्यापारी मैसेपोटामिया, सुमेरिया और ईजिप्ट में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे।

वैदिक युग—पश्चिमी एशिया में बोगजकोई नामक स्थान पर एक उत्कीर्ण लेख मिला है, जो चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व का है। इसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यो का उल्लेख है, जो वैदिक युग के देवता थे। इन देवताओं का उल्लेख इस बात का ठोस प्रमाण है, कि चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत के आर्यों और पश्चिमी एशिया के निवासियों में घनिष्ठ सम्बन्ध था। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में जलमार्ग द्वारा यात्रा का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि सिन्धु सभ्यता के लोगों के समान

वैदिक आर्य भी नदियों व समुद्र द्वारा दूर-दूर तक यात्रा करते थे। यहूदी लोगों के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार सोलोमन (८०० ईस्वी पूर्व) के शासनकाल में टायर के राजा हीरन ने एक जहाजी बेड़ा पूर्वी देशों में व्यापार के लिए भेजा था। यह बेड़ा ओफिर नामक बन्दरगाह में गया, और वहाँ से सोना, चाँदी, हाथीदाँत, चन्दन, बन्दर, मोर व अनेक प्रकार के मणि-माणिक्यो को लेकर वापस लौटा। अनेक ऐतिहासिकों के मत में ओफिर प्राचीन मृगुकच्छ को सूचित करता है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। मैसोपोटामिया में कतिपय ऐसे मन्दिरों और राज-प्रासादों के अवशेष अब भी पाए जाते हैं, जो छठी सदी ईस्वी पूर्व के हैं, और जिनमें भारत से ले जायी गयी सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रदेश में राजा शालमानेजर तृतीय (८६० ई० पू०) द्वारा स्थापित एक स्तम्भ पर हाथियों की आकृतियाँ अंकित हैं। हाथी मैसोपोटामिया के प्रदेश में नहीं होते थे। उनको अंकित करना इस बात को सूचित करता है कि नवी सदी ईस्वी पूर्व में मैसोपोटामिया का भारत के साथ सम्बन्ध विद्यमान था।

ईरान के हखामनी सम्राट और भारत—छठी सदी ई० पू० में ईरान में एक शक्तिशाली राजवंश का शासन था, जिसे राजा हखामनी ने स्थापित किया था। इन वंश में कुरु (काइरस) नाम का राजा बहुत शक्तिशाली हुआ। उसका काल ५५६ से ५२६ ई० पू० तक था। राजा कुरु ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करने शुरू किए, और धीरे-धीरे उमन बाबजी (बैक्ट्रिया), शकस्थान (सीस्तान) और मकरान के प्रदेशों को जीत लिया। उन विजयों में उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ आ लगी। हखामनी वंश के राजा दार्यवहु (डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका काल ५२१ से ४८५ ई० पू० तक था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए, उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिन्ध की भी विजय की। इनको जीत लेने के कारण भारत के ये पश्चिमी प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत हो गए थे। दार्यवहु ने अपने विशाल साम्राज्य को २३ प्रान्तों में विभक्त किया था, जिनके शासकों को 'क्षत्रप' कहा जाता था। कम्बोज, गान्धार और सिन्ध को मिलाकर ईरानी साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया गया था, जिसमें ईरानी सम्राट को बहुत अधिक ग्रामदानी थी। दार्यवहु का उपाधिकारी स्वयम्प (जर्कमीज) था। उसने पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ग्रीस पर भी आक्रमण किया था। इस आक्रमण में उसकी सेना में भारतीय सैनिक भी अच्छी बड़ी संख्या में सम्मिलित थे। भारत के सैनिक सूती कपड़े पहनते थे, जो ग्रीक लोगों के लिए आश्चर्य की वस्तु थे। कपास को देखकर ग्रीक लोग बहुत चकित हुए, और उन्हें ऊन का पेड़ कहने लगे। इस समय तक ग्रीक लोगों को कपास, सूत व सूती कपड़ों का परिज्ञान नहीं था।

दार्यवहु के तीन लेख इस समय मिलते हैं। ये लेख बहिस्ता, पर्सपोलिस और नकशाए-रस्तम में पाये गए हैं। इनमें से पिछले दो गिलालेखों में भारत का 'हिन्दव' और 'हिन्दुश' नामों में उल्लेख किया गया है। स्वयम्प (६८५-४६५ ई० पू०) के गिलालेखों में भी इन्हीं नामों से भारत का उल्लेख हुआ है।

यद्यपि ईरान के सम्राट् भारत के पश्चिमी प्रदेशों को देर तक अग्रणी अधीनता में नहीं रख सके, पर पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में ईरानी साम्राज्य से बहुत सहायता मिली। ईरानी साम्राज्य पश्चिम में ईजिप्ट और ग्रीस से लगाकर पूर्व में सिन्ध नदी तक विस्तृत था। इस कारण इस काल में भारत का पश्चिमी देशों के साथ बहुत घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हुआ और ग्रीस आदि पाश्चात्य देशों को भारत की विचारधाराओं व कला आदि से परिचित होने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ।

५१६ ई० पू० में राजा दार्यवह ने स्काईलैक्स नाम के एक ग्रीक को भारत का भ्रमगाहन करने के लिए भेजा था। स्काईलैक्स ने सिन्ध नदी के साथ-साथ यात्रा की और सिन्ध के मुहाने पर पहुँच कर वहाँ से समुद्र द्वारा अरब सागर और लाल सागर होते हुए स्वेज तक के समुद्रतट का भ्रमगाहन किया। इस यात्रा में उसे ढाई साल के लगभग समय लगा। उसके द्वारा न केवल ईरानी लोगों को अपितु ग्रीस के निवासियों को भी भारत का परिचय हुआ। ग्रीस के प्राचीन ऐतिहासिक हीरोदोटस ने भारत के सम्बन्ध में जो अनेक वार्ता लिखी है, उनका परिज्ञान उसने सम्भवतः स्काईलैक्स द्वारा ही प्राप्त किया था। हीरोदोटस का काल छठी सदी ईस्वी पूर्व में है। भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए हीरोदोटस ने ऐसे भारतीय सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया है, जिनके अनुयायी मास भक्षण से परहेज करते थे, और केवल अन्न द्वारा अपना निर्वाह करते थे। यह सम्प्रदाय सम्भवतः जैन लोगों का था, जो ब्रह्मा को बहुत महत्त्व देते थे।

बौद्ध काल—ईरान में हखामनी साम्राज्य के विक्रम के कारण भारत का पाश्चात्य देशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, बौद्धकाल में उसमें बहुत वृद्धि हुई। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश के विचारक भी पश्चिमी देशों में अच्छी बड़ी संख्या में जाने लगे, और पाश्चात्य लोगों को भारत के दर्शन व विचारों से परिचित होने का अवसर मिला। जातक कथाओं में उन व्यापारियों का उल्लेख आता है, जो पश्चिम में बाबेह (बैबिलोन) के साथ व्यापार करते थे, और जिनके पथ को देखकर इन पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत चकित हुआ करते थे। इन व्यापारियों के साथ भारत के दार्शनिक और विचारक भी पश्चिमी देशों में जाने लगे, और उनके सम्पर्क के कारण ग्रीस आदि देशों के अनेक तत्त्वचिन्तक भी ज्ञान की पिपामा को शान्त करने के लिए भारत की यात्रा के लिए तत्पर हुए।

भारत के सम्पर्क के कारण ही ग्रीस के दार्शनिक विचारों में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। एशिया माइनर के समुद्रतट के साथ-साथ जो अनेक ग्रीक बस्तियाँ बनी हुई थीं, वे ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत थीं। इसीलिए वहाँ रहने वाले ग्रीक विचारकों का भारत के दार्शनिकों के साथ सुगमता से सम्पर्क हुआ, और उन्होंने 'एक ईश्वर' की सत्ता का प्रतिपादन किया। एशिया माइनर की ग्रीक बस्तियों में क्सेनोफोनस, पर्मेनिडस, जेनो आदि अनेक ऐसे विचारक हुए, जिनके विचार भारतीय उपनिषदों की विचारधारा से बहुत मिलते-जुलते हैं। ग्रीक लोग देवी-देवताओं में विश्वास रखते थे। पर इन विचारकों ने एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया। साथ ही, इन्होंने

इस बात पर भी जोर दिया कि ईश्वर के सम्मुख भौतिक वस्तुओं की सत्ता सर्वथा तुच्छ है।

५८० ई० पू० में ग्रीस में एक महान् दार्शनिक का जन्म हुआ, जिसका नाम पाइथोगोरस था। उसके विषय में कहा जाता है, कि उसने ज्ञान की खोज में दूर-दूर तक यात्रा की, और वह भारत में भी आया। पाइथोगोरस ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उनमें पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी है। उसका विश्वास था, कि मृत्यु के साथ मनुष्य का अन्त नहीं हो जाता, अपितु आत्मा पुनः जन्म ग्रहण करती है। यह सिद्धान्त उसने भारतीयों से ही सीखा था। पाइथोगोरस ब्रह्मा का भी पक्षपाती था, और मास-भक्षण का विरोधी था। उसके अन्य अनेक सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तों से मिलते-जुलते हैं। उपनिषदों और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उसके विचारों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

एक प्राचीन ग्रीक लेखक के अनुसार कतिपय भारतीय दार्शनिक ग्रीस में एथेन्स तक पहुँच गये थे, और वहाँ जाकर उन्होंने ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान् सुकरात (मृत्युकाल ३६६ ई० पू०) से भी भेंट की थी। उन्होंने सुकरात से पूछा, कि उनके दर्शन-शास्त्र का क्या प्रयोजन है? सुकरात ने उत्तर दिया—‘मनुष्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना’। इसपर भारत के दार्शनिक हँस पड़े और उन्होंने कहा—‘ईश्वर के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किये बिना मनुष्य को जान सकना सम्भव नहीं है।’

सुकरात का प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो था। उसके विचार भारत के विचारों से बहुत मिलते-जुलते हैं। उसने कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का जिक्र किया है, और साथ ही मानव समाज को तीन वर्गों या वर्णों में विभक्त किया है। यह वर्ण-विभाग भारत की वर्णव्यवस्था के सदृश है। जिस प्रकार मनु आदि भारतीय विचारक वर्णों का मूल ईश्वरीय मानते हैं, वैसे ही प्लेटो भी मानता है। सम्भव है, कि प्लेटो को इन सिद्धान्तों का परिचय उन भारतीय दार्शनिकों से प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने एथेन्स में सुकरात से भेंट की थी।

हीरोदोटस के समान क्टेसियस नाम के एक अन्य ग्रीक लेखक ने भी भारत के सम्बन्ध में लिखा है। वह बीस वर्ष (४१८-३६८ ई० पू०) तक ईरान के राजदरबार में रहा था, और वहाँ रहते हुए उसे भारतीयों के सम्पर्क में आने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था।

(२) सिकन्दर का आक्रमण और मौर्य युग

चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मॅसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसका पिता फिलिप ग्रीक राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर चुका था। सिकन्दर ने ईजिप्ट और ईरानी साम्राज्य को विजय करके भारत पर भी आक्रमण किया, और उसके उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। यद्यपि वह भारत में अपने शासन को स्थायी नहीं बना सका, पर उसकी विजय-यात्रा के कारण भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ठ हो गया। सिकन्दर के साथ बहुत-से ग्रीक, ईजिप्शियन व ईरानी सैनिकों ने भारत में

प्रवेश किया था, और उसने इन विदेशी सैनिकों की अनेक छावनियाँ भी भारत में कायम की थीं। उसने ग्रीक और भारतीय लोगों में विवाह-सम्बन्ध को भी प्रोत्साहन दिया था। सिकन्दर के शासन का अन्त हो जाने पर ये सब विदेशी सैनिक भारत से वापस नहीं लौट गये थे, इनमें से बहुत-से स्थायी रूप से भारत में ही आबाद भी हो गये थे। सिकन्दर के बाद उसके अन्यतम उत्तराधिकारी सैल्युकस ने एक बार फिर भारत को जीतने का प्रयत्न किया था, यद्यपि वह भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका था। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के कारण ग्रीक लोग भारत को अपनी अधीनता में ला सकने में असमर्थ रहे थे। पर अशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो ग्रीक आक्रान्ताओं ने उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और वहाँ अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये। इस प्रकार सिकन्दर के समय से ईस्वी मनु के प्रारम्भ तक भारत का पश्चिम के ग्रीक लोगो (जिन्हे भारतीय 'यवन' कहते थे) से सम्बन्ध निरन्तर बना रहा।

मौर्य युग में भारत का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध—चन्द्रगुप्त मौर्य से परास्त होकर सैल्युकस ने भारत के सम्राट् से जो सन्धि की थी, उसके अनुसार सैल्युकस की कन्या का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ हुआ था, और उसने अपना राजदूत भी चन्द्रगुप्त के दरबार में निवास के लिए नियुक्त किया था। सैल्युकस का राजदूत मैगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में रहता था, और चन्द्रगुप्त ने भी अपना दूत सैल्युकस के दरबार में भेजा था। सैल्युकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस सार्टर ने डायमेचन को अपना राजदूत बनाकर चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने एण्टियोकस और बिन्दुसार के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ लिखी हैं। एक कथा के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस से कुछ शराब, कुछ किशमिश और एक ग्रीक दार्शनिक खरीद कर भेज देने के लिए लिखा था। इसपर एण्टियोकस ने शराब और किशमिश तो खरीद कर भेज दी, पर दार्शनिक के सम्बन्ध में कहला दिया कि ग्रीक प्रथा के अनुसार दार्शनिकों का क्रय-विक्रय सम्भव नहीं है। बिन्दुसार के समय ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२८५-२४६ ई० पू०) था। उसने भी डायोनीसियस नाम का राजदूत बिन्दुसार के दरबार में भेजा था।

सम्राट् अशोक—अशोक के शासनकाल में भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ा। धर्म द्वारा अन्य देशों की विजय करने के उपक्रम में अशोक ने ईजिप्ट, ग्रीस आदि पश्चिमी देशों में अपने धर्म-महामात्र नियत किये थे। उसके शिलालेखों से सूचित होता है, कि पश्चिमी संसार के निम्नलिखित राजाओं के राज्यों में धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की गयी थी—

- (१) सीरिया के राजा अन्तियोक (एण्टियोकस थिओस) के राज्य में।
- (२) ईजिप्ट के राजा तुरुमय (टाल्मी फिलेडेल्फस) के राज्य में।
- (३) मैसिडोन के राजा अन्तिकिनि (एण्टियोनस) के राज्य में।
- (४) कारिन्य के राजा अलिकमुन्दर (अलैक्जेण्डर) के राज्य में।

अशोक के समय में पाश्चात्य संसार के ये ही प्रमुख राज्य थे। इन सब में अशोक द्वारा नियुक्त महामात्रों ने धर्म विषय को स्थापना के लिए अनेक लोकोपकारी

कार्य किये, और जनता को धर्म-सन्देश सुनाया। इसका परिणाम यह हुआ, कि इन पश्चिमी देशों के साथ भारत का सम्पर्क और भी अधिक बढ़ हो गया, और न केवल व्यापारी अपितु भारत के धर्म-प्रचारक व दार्शनिक भी इन देशों में जाने-प्राने लगे।

ग्रीक आक्रमण—चन्द्रगुप्त मौर्य ने भारत में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह अशोक के बाद कायम नहीं रह सका। सम्भवतः, पाश्चात्य देशों द्वारा पाटलिपुत्र के राजदरबार में अपने राजदूत नियुक्त करने की जो प्रथा चन्द्रगुप्त के समय में प्रारम्भ हुई थी, वह भी अशोक के बाद नष्ट हो गयी। पर इस कारण भारत और पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में कमी नहीं आयी। इसका कारण यह था, कि सिकन्दर के साम्राज्य के खण्डहरों पर जो अनेक ग्रीक (यवन) राज्य कायम हुए थे, उनके राजाओं ने मौर्य साम्राज्य की निर्बलता से लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण शुरू कर दिये, और वे इस देश में अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में भी सफल हुए।

मिनाण्डर—भारत के इन यवन राजाओं में मिनाण्डर सबसे प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी सागल या शाकल (सियालकोट) थी। बौद्ध भिक्षुओं के सम्पर्क में आकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 'मिलिन्द पन्हो' नाम का एक ग्रन्थ पानी भापा में मिलता है, जिसमें राजा मिलिन्द (मिनाण्डर) द्वारा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों व उनके उत्तरों का उल्लेख है। मिनाण्डर के समान अन्य भी अनेक यवन राजाओं और उनके राजकर्मचारियों ने बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था। हेलिप्रोदोर नाम के एक यवन राजदूत को तक्षशिला के यवन राजा अन्तलिखित ने विदिशा भेजा था, जो वहाँ जाकर वामुदेव (विष्णु) का उपासक बन गया था। वामुदेव की पूजा के लिए उसने एक गरुडवज्र का निर्माण कराया था, जो अब तक भी विद्यमान है। हेलिप्रोदोर के समान अन्य भी बहुत से ग्रीक राजा व कर्मचारी भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आकर भारतीय हो गये थे, और इस देश की जनता के भ्रम बन गए थे।

उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीक राज्यों की स्थापना के कारण भारत और पाश्चात्य देशों में सम्पर्क की वृद्धि में बहुत सहायता मिली। इस युग में बाख्त्री का यवन-राज्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य यवन राज्य स्थलमार्ग द्वारा भारत और पश्चिमी देशों के सम्बन्ध की स्थापना में बहुत अधिक सहायक हुए। यह स्थलमार्ग खैबर के दर्रे में होकर और हिन्दुकुश पर्वतमाला को पारकर बाख्त्री पहुँचता था, और वहाँ से अरक्स नदी के साथ-साथ होकर कैस्पियन सागर व उससे भी परे काला सागर तक पहुँच जाता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थलमार्ग ईरान होता हुआ पश्चिमी एशिया के समुद्रतट तक जा पहुँचता था।

ईजिप्ट और भारत का सम्बन्ध—अशोक ने अपने धर्म-महामात्र ईजिप्ट के राजा टॉल्मी फिलेडेल्फस के राज्य में भी भेजे थे। एक ग्रीक लेखक ने लिखा है, कि टॉल्मी (२८५-२४६ ई० पू०) के यहाँ भारतीय स्त्रियाँ, भारत के शिकारी कुत्ते और गौरे भी विद्यमान थी। उसकी राजधानी में भारत से आये हुए मसालों से लदे हुए ऊँट भी दिखाई देते थे। इसी ग्रीक लेखक के अनुसार टॉल्मी के एक उत्तराधिकारी ने एक ऐसी नौका अपने लिए बनवाई थी, जिसकी बैठक को भारत के बहुमूल्य प्रस्तरों से विभूषित किया गया था।

अशोक की धर्म विजय की सफलता—अशोक ने ग्रीस, सीरिया, ईजिप्ट आदि पाश्चात्य देशों में अपने जो धर्ममहामात्र नियत किये थे, उन्हें धर्म-विजय की स्थापना के अपने उद्देश्य में कहीं तक सफलता हुई थी, इस सम्बन्ध में हमें ज्ञान नहीं है। पर इस विषय में अलबरूनी का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि “पुराने जमाने में खुरासान, ईरान, ईराक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।” अलबरूनी ने दसवीं सदी के अन्त में भारत की यात्रा की, और वह फारसी, संस्कृत, तुर्की आदि भाषाओं का गम्भीर विद्वान् था। भारत से पश्चिम के प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार की सत्ता के सम्बन्ध में उसने जो बात लिखी है, उसका आधार इन देशों का पुराना इतिवृत्त ही था। इससे सूचित होता है, कि अशोक के धर्ममहामात्र अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल हुए थे।

(३) भारत और रोमन-साम्राज्य

तीसरी सदी ई० पू० में पाश्चात्य संसार में रोम के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था, और धीरे-धीरे इस छोटे-से गणराज्य ने उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, कांसिका और सार्डिनिया आदि के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। पहली सदी ई० पू० में रोम ने पूर्व दिशा की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, और ग्रीस, एशिया माइनर तथा ईजिप्ट को जीतकर मैसोपोटामिया तक के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। ४६ ई० पू० तक यह दशा आ गयी थी, कि स्पेन और फ्रांस से लगाकर मैसोपोटामिया तक, और अल्प्स की पर्वतमाला से उत्तरी अफ्रीका तक सर्वत्र रोम का आधिपत्य था। रोम का विशाल साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोम से गण-शासन का अन्त होकर सम्राटों का शासन स्थापित हो गया था। ये रोमन सम्राट् अपने समय के सबसे अधिक शक्तिसम्पन्न व वैभवशाली सम्राटों में से थे।

भारत और रोम का साम्राज्य—ग्रीस, पश्चिमी एशिया और ईजिप्ट से भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। जब रोम ने इन प्रदेशों को जीत लिया, तो भी भारत का इन देशों के साथ सम्बन्ध जारी रहा। अब भारत के व्यापारी ग्रीस और ईजिप्ट से भी आगे बढ़कर पश्चिम में इटली और रोमन साम्राज्य के अन्य पश्चिमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रवृत्त हुए। रोमन साम्राज्य में सर्वत्र शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी। इस कारण भारत के व्यापारियों के लिए भूमध्य-सागर के पश्चिमी भागों में भी दूर-दूर तक व्यापार के लिए आना-जाना सुगम हो गया था।

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। उनकी नीति यह थी कि पूर्वी देशों का यह व्यापार समुद्र के मार्ग से हो, और ईरान से होकर आने वाला स्थल-मार्ग अधिक प्रयोग में न आए। इसी कारण २५ ई० पू० में सम्राट् प्रागस्तस ने एक मंडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था, कि वह समुद्र के मार्ग को विकसित व उन्नत करने का प्रयत्न करे। इस मंडल के प्रयत्न से शीघ्र ही अदन और ईजिप्ट के समुद्र-तट पर ग्रीस तथा रोम के व्यापारियों ने अपनी बस्तियाँ बसा

सीं। अनुकूल सामुद्रिक वायु का ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन मास से भी कम समय में भारत से एलेक्जेंड्रिया (ईजिप्ट का बन्दरगाह) तक आने-जाने लग गये थे। इस समय एलेक्जेंड्रिया से भारत की-घोर जाने वाले जहाजों की संख्या प्रतिदिन एक की औसत से थी। इससे सहज भे ही यह अनुमान किया जा सकता है, कि भारत का इन पाश्चात्य देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध कितना अधिक था।

भारत से जो माल पाश्चात्य देशों में बिकने के लिए जाता था, वहाँ उसकी माँग बहुत अधिक थी। हाथी दाँत की वस्तुएँ, मसाले, मोती, सुगन्धियाँ और सूती वस्त्र आदि सामान भारत से बहुत बड़ी मात्रा में रोम व साम्राज्य की अन्य नगरियों में बिकने के लिए जाता था, और उसके बदले में बहुत-सा सोना भारत को प्राप्त होता था। ७७ ई० पू० में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी, कि भारत रोम से हर साल साठे पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है, और यह कीमत रोम को वहाँ के निवासियों के भोग-विलास के कारण देनी पड़ती है। १२५ ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अन्यतम प्रान्त सीरिया के सम्बन्ध में एक चीनी लेखक ने लिखा था कि भारत के साथ इमका जो व्यापार है, उसमें आयात माल के मूल्य की मात्रा निर्यात माल के मूल्य से दस गुनी है। जो दशा सीरिया की थी, वही रोमन साम्राज्य के अन्य प्रान्तों की भी थी। इसी कारण आयात माल की कीमत को चुकाने के लिए बहुत-सा सोना हर साल भारत को भेजा जाता था। यही कारण है, जो रोम की बहुत-सी मुवर्ण मुद्राएँ उस समय भी भारत में अनेक स्थानों से प्राप्त होती हैं। दक्षिणी भारत के कांयम्बटूर और मदुरा जिलों से रोम के इतने सिक्के मिले हैं, जिन्हें पाँच कुनी उठा सकने में समर्थ होंगे। पंजाब के हजारा जिले से भी रोम के बहुत से सिक्के मिले हैं, जिनके कारण भारत और रोमन साम्राज्य के पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। भारत से रोम जाने वाले माल में सूती वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि रोम की स्त्रियाँ भारत से आने वाले 'बुनी हुई हवा के जाले' (मलमल) को पहनकर अपने गौरव्य को प्रदर्शित करती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में भारत अपने महीन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।

रोम और कुशाण साम्राज्य—रोम साम्राज्य के विकास के काल में उत्तरी भारत में कुशाण साम्राज्य की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दुकुश पर्वतमाला के परे बाख्त्री आदि प्रदेशों में भी विस्तृत था। इस कारण उम समय रोमन साम्राज्य को जाने वाले स्थल-मार्गों का बहुत महत्व हो गया था। जब रोम की राजगद्दी पर सम्राट् त्राजन (९६ ईस्वी) विराजमान हुआ, तो भारत के कुशाण सम्राट् (सम्भवतः कनिष्क) ने भी अपने एक दूतमण्डल रोम भेजा था। वहाँ भारत के इस दूतमण्डल का शानदार स्वागत किया गया, और उन्हें दरबार में उच्च आसन दिये गए।

रोम और अन्य भारतीय राजा—केवल कुशाण मन्नाटों का ही रोम के सम्राटों के साथ सम्बन्ध नहीं था। अन्य भारतीय राजा भी रोम के सम्राटों के दरबार में अपने दूतमण्डल भेजा करते थे। स्त्राबो के अनुसार २५ ईस्वी पूर्व में पाण्डिर्नॉन (संभवतः दक्षिणी भारत के पाण्ड्य देश के अन्यतम राजा) ने एक दूतमण्डल रोम भेजा था, जिसने भूगुकच्छ के बन्दरगाह से प्रस्थान किया था। चार साल की यात्रा के बाद इस दूतमण्डल

ने रोम के सम्राट् आगस्तस से भेंट की थी, और पाण्ड्य राजा द्वारा भेजे हुए उपहार उसे समर्पित किये थे। उन उपहारों में शेर, अजगर आदि के अतिरिक्त एक ऐसा बालक भी था, जिसके हाथ नहीं थे, पर जो पैरों से तीर कमान चला सकता था। इस दूतमण्डल का नेता शरमनोनेगस (श्रमणाचार्य) नाम का एक व्यक्ति था, जो सम्भवतः जैन धर्म का अनुयायी था। इसी प्रकार के अनेक अन्य भी दूतमण्डल भारतीय राजाओं द्वारा रोम भेजे गए थे।

प्रसिद्ध बन्दरगाह—इस युग में भारत और पाश्चात्य देशों के बीच व्यापार की जिस ढंग से वृद्धि हो रही थी, उसके कारण भारत के समुद्रतट पर अनेक ऐसे समृद्ध बन्दरगाहों का विकास हो गया था, जिनमें विदेशी व्यापारी भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध "मुजिरिम" था, जो मलाबार के समुद्रतट पर स्थित था। तमिल भाषा के एक कवि ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यहाँ यवनों के जहाज सोने के लदे हुए आते हैं, और उसके बंदने में कानी मिर्च भर कर ले जाते हैं। मुजिरिम में रोमन लोगों की एक बस्ती भी विद्यमान थी, और वहाँ सम्राट् आगस्तस के सम्मान में एक रोमन मन्दिर का निर्माण भी किया गया था। जिस प्रकार सोलहवीं सदी में पोर्तुगीज, डच, स्पेनिश आदि यूरोपियन व्यापारियों ने भारत के विविध बन्दरगाहों में व्यापार के निमित्त अपनी बस्तियाँ कायम की थी, वैसे ही ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदियों में रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों (सीरिया, ईजिप्ट आदि) के व्यापारियों ने मुजिरिम आदि बन्दरगाहों में अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं। भारत के अनेक राजा भी इस समय इन विदेशियों को अपनी नौकरी में रखने लगे थे, और अनेक पाश्चात्य लड़कियाँ भी उनके अन्तःपुरों की शोभा बढ़ाने लग गयी थी।

मुजिरिम के अतिरिक्त मदुरा, मृगुकच्छ आदि अन्य भी अनेक बन्दरगाह थे, जो विदेशी व्यापार के अच्छे बड़े केन्द्र थे, और जहाँ यवन एवं रोमन लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे।

जिस प्रकार भारत के बन्दरगाहों में विदेशी लोगों की बस्तियाँ थी, वैसे ही ईरान की खाड़ी, लालसागर और भूमध्यसागर के बन्दरगाहों में भारतीय व्यापारियों ने भी अपनी बस्तियाँ बसा ली थी। पाश्चात्य जगत् के बन्दरगाहों में इस समय सबसे बड़ा एलेग्जिण्ड्रिया था, जो जनसंख्या की दृष्टि से रोमन साम्राज्य में रोम के बाद सबसे बड़ा नगर था। यह न केवल विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, अपितु ज्ञान-विज्ञान के लिए भी अद्वितीय था। इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर में प्रसिद्ध था, और इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिए दूर-दूर के विद्वान् आया करते थे। भारतीय विद्वान् भी यहाँ अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थे, और उनकी उपस्थिति के कारण पाश्चात्य लोगों को भारत के दर्शन व विज्ञान से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता था। राजन के शासन काल में दिम्नो क्रिसोस्तम नाम के विद्वान् ने एलेग्जिण्ड्रिया में व्याख्यान देते हुए कहा था—“इस सभा में न केवल ग्रीक, इटालियन, सीरियन, लीबियन और साइलीसियन ही उपस्थित हैं, अपितु वे भी लोग हैं, जो अधिक दूर के देशों के निवासी हैं, यथा इथियोपियन, अरब, बैक्ट्रियन, सीरियन और भारतीय।” एलेग्जिण्ड्रिया में एक प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिसपर त्रिशूल और चक्र अंकित हैं।

वह किसी भारतीय विद्वान् की समाधि है, जिसने अपनी जीवन-लीला सुदूर ईजिप्ट में समाप्त की थी। ४७० ईस्वी में कुछ ब्राह्मण एलेग्जेण्ड्रिया की यात्रा के लिए गए थे, और वे वहाँ के शासक के अतिथि रूप में ठहरे थे। एलेग्जेण्ड्रिया के समान पाश्चात्य संसार में अन्य भी अनेक ऐसे बन्दरगाह थे, जहाँ न केवल भारतीय व्यापारी अपितु विद्वान् भी बड़ी संख्या में निवास करते थे।

(४) पाश्चात्य साहित्य में भारत का विवरण

भारत का पाश्चात्य देशों के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसी का यह परिणाम था कि अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने भारत के विषय में अनेक पुस्तकें लिखी थीं। मैगस्थनीज का भारत वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रीक विद्वान् सैल्युकस के राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहा था, और उसे भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ था। पहली सदी ई० पू० में स्त्राबो ने भारत के विषय में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी। पर स्त्राबो के ग्रन्थ का मुख्य आधार एरानोस्थनीज (२४०-१६६ ई० पू०) की भारतविषयक पुस्तक थी। यह विद्वान् एलेग्जेण्ड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष था, और वहाँ रहते हुए उसने भारत के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। एरियन नामक लेखक ने १५० ई० पू० के लगभग भारत के विषय में अपनी पुस्तक की रचना की थी, और ७७ ई० पू० में प्लिनी ने ईजिप्ट से भारत तक की समुद्र-यात्रा का वृत्तान्त लिखा था। इस वृत्तान्त में भारत के पशुओं, खनिज पदार्थों, वनस्पति और औषधियों का भी विस्तार रूप से वर्णन किया गया है।

पहली सदी ईस्वी में ही एक ग्रीक मल्लाह ने समुद्र मार्ग द्वारा भारत की यात्रा की थी। उसका नाम ज्ञात नहीं है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक अब तक भी विद्यमान है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 'परिप्लस ऑफ दी एरीथ्रियन सी' नाम से प्रकाशित है। यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है, और इसे पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय में सिन्ध और गुजरात के अनेक बन्दरगाह पश्चिमी व्यापार के बड़े केन्द्र थे, और उनमें बहुत-से विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे। १५० ई० के लगभग एलेग्जेण्ड्रिया के भूगोल-वेत्ता टॉलमी ने भूगोल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें कि भारत की भौगोलिक स्थिति पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया गया था।

दूसरी सदी ईस्वी में लिखा हुआ एक ग्रीक नाटक उपलब्ध हुआ है, जिसमें कि एक ग्रीक महिला का वृत्तान्त है, जिसका जहाज भारत में कर्णाटक के समुद्रतट पर टूट गया था। इस नाटक में कर्णाटक के निवासियों से जो भाषा बुलवायी गयी है, उसमें कन्नड़ भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।

तीसरी सदी ईस्वी के पाश्चात्य साहित्य में अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें भारत के दार्शनिक विचारों और धार्मिक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन ग्रन्थों के लेखकों में एलेग्जेण्ड्रिया के निवासी क्लेमण्ट (मृत्युकाल २२० ईस्वी), बैबिलोनिया के निवासी बार्देसनस, सेण्ट जरोम, फिलोस्ट्रेटस और कैसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से क्लेमण्ट और बार्देसनस ने बुद्ध का जिक्र किया है, और उसके जन्म की कथा का

विशद रूप से उल्लेख किया है। भारत के दार्शनिक विचारों का इन सभी लेखकों ने अपने ग्रन्थों में जिक्र किया है। क्लौमैण्ट ने लिखा है कि "बहुत से भारतीय बुद्ध के अनुयायी हैं, और उसका वे इतना आदर करते हैं कि उसे भगवान् मानते हैं।" क्लौमैण्ट ने यह भी लिखा है कि बौद्ध लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और अपने पूज्य-जनों की अस्थियों पर स्तूप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। क्लौमैण्ट ने अनेक बार एलेग्जेण्ड्रिया में बौद्ध लोगों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया है, कि ग्रीक लोगों ने अपने दार्शनिक विचार इन विदेशियों से ही ग्रहण किये हैं। केवल ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर ही नहीं, अपितु ईसाइयों की कथाओं पर भी भारतीय कथाओं की छाप है। इसका कारण यही है कि एलेग्जेण्ड्रिया आदि में बहुत से भारतीय विद्वान् अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, और पाश्चात्य लोगों को उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिलता रहता था। यही कारण है, जो न केवल पाश्चात्य साहित्य में भारत विषयक अनेक ग्रन्थों की सत्ता है, अपितु उनके अपने साहित्य पर भी भारत की छाप है।

पाश्चात्य कथाओं पर भारतीय प्रभाव—पाश्चात्य देशों के साहित्य को भारत ने किस अंश तक प्रभावित किया है, इसका अनुमान उन कथाओं से किया जा सकता है, जिन पर भारत का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भारत का कथा साहित्य बहुत पुराना है, और उसमें जानकों, पंचतन्त्र, हितोपदेश और शुकसप्तशती का स्थान बहुत महत्त्व का है। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश की कथाओं ने भी छठी सदी ईस्वी पूर्व से भी पहले पश्चिमी देशों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया था। ईमप नाम के लेखक की कथाएँ भारतीय कथाओं पर ही आधारित हैं। प्लेटों के ग्रन्थों में भी अनेक भारतीय कथाओं की सत्ता है, जिनमें कि शेर की खाल छोड़े हुए गधे की कथा मुख्य है। पाश्चात्य और भारतीय कथाओं की समता तो असदिग्ध है पर इन कथाओं को पाश्चात्य लोगो ने भारत से ही लिपा था, इसका प्रमाण यह है कि इन कथाओं के पात्र शेर, गीदड़, मोर, हाथी आदि जो पशु हैं, वे भारतीय हैं, पाश्चात्य नहीं।

(५) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिणाम

भारत और पाश्चात्य देशों का यह सम्पर्क इस्लाम के प्रादुर्भाव तक कायम रहा। सातवीं सदी में जब अरब साम्राज्य का विकास हुआ, तो ईजिप्ट, पश्चिमी एशिया, मैसेपोटामिया आदि के सब प्रदेश उसकी अधीनता में आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि एलेग्जेण्ड्रिया का स्थान बगदाद ने ले लिया, और अरब साम्राज्य में विद्या के अनेक नये केन्द्र विकसित हो गए। भारतीय विद्वान् पहले जैसे एलेग्जेण्ड्रिया आदि पाश्चात्य नगरों में रहते थे, वैसे अब बगदाद आदि में रहने लगे, और पाश्चात्य लोगो से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया। इस समय से भारत का ज्ञान-विज्ञान अरबों द्वारा ही यूरोप में पहुँचने लगा।

यही बात व्यापार के क्षेत्र में भी हुई। पाश्चात्य व्यापार अब अरबों द्वारा होने लगा, और वे ही भारत के माल को पाश्चात्य देशों में विक्रय के लिए ले जाने लगे। सातवीं सदी से यूरोप के इतिहास में उस काल का प्रारम्भ हुआ जिसे 'अन्धकार का

युग' कहते हैं। इसी कारण इस समय से भारत और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध प्रायः समाप्त हो गया।

भारत पर पाश्चात्य प्रभाव—चिरकाल तक पाश्चात्य देशों के सम्पर्क से रहने के कारण यह स्वाभाविक था, कि भारत पर इन देशों का प्रभाव पड़े। ईरान के हखामनी सम्राटों ने सिन्ध नदी तक के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके कारण ईरान की प्राचीन अरमइक लिपि का भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में प्रवेश हुआ। यह लिपि दायी ओर से बायीं ओर को लिखी जाती थी। तक्षशिला के श्रवशेषों में प्राचीन काल के दो लेख मिले हैं जो इसी लिपि में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के जो प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे, उनमें इस अरमइक लिपि का प्रचार हो गया था। बाद में इन्हीं प्रदेशों में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जिसकी वर्णमाला तो ब्राह्मी लिपि के ही सदृश थी, पर जो अरमइक लिपि के समान दायी ओर से बायीं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रयोग भारत की अपनी भाषा को लिखने के लिए भी किया जाने लगा था। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की जो प्रतियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुई हैं, वे इसी खरोष्ठी लिपि में हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने 'यवनानी' लिपि का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः अरमइक ही थी। इससे सूचित होता है कि पाणिनि इस लिपि से परिचित थे, और उनके समय में भारत के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों में इस का प्रचार था।

ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी पाश्चात्य लोगों ने भारत को आशिक रूप से प्रभावित किया था। विशेषतया, ज्योतिष में भारतीयों ने अनेक बातें ग्रीक और रोमन लोगों से सीखी थीं। गार्ग्य संहिता में लिखा है कि यवन लोग म्नेच्छ है, पर ज्योतिष में उन्होंने बहुत उन्नति की है, इस कारण उनका ऋषिवत् आदर करना चाहिए। ज्योतिष की पाँच भारतीय संहिताओं में दो के नाम रोमक मिद्धान्त और पोलिश सिद्धान्त हैं। रोमक मिद्धान्त स्पष्ट रूप से रोम के साथ सम्बन्ध रखता है, और पोलिश सिद्धान्त का एलेग्जिण्ड्रिया के प्रसिद्ध ज्योतिषी पाल (३७० ईस्वी) के साथ सम्बन्ध है। अनेक विद्वानों के मत में भारत में नाटको का सूत्रपात भी पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क द्वारा हुआ। इसके पक्ष में यह प्रमाण दिया जाता है कि नाटक खेलते हुए भारतीय लोग परदे के गिरने को 'यवनिका पतन' कहा करते थे। भारत के प्राचीन मिवकों पर भी ग्रीक लोगों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-पश्चिमी भारत के यवन राजाओं ने ही इस देश में पहले-पहल सुडोल मिवको का निर्माण प्रारम्भ किया था। ग्रीक लोगों के सम्पर्क के कारण ही भारत की मूर्तिनिर्माण-कला में 'मान्वांगी शैली' का प्रारम्भ हुआ, यह भी अनेक विद्वानों का मत है। इस शैली के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है।

पाश्चात्य देशों के सम्पर्क द्वारा भारत के धर्म पर कोई प्रभाव हुआ या नहीं, यह बात विवादग्रस्त है। कुशाण सम्राट् कनिष्क के अनेक सिक्कों पर भारतीय देवी-देवताओं के अतिरिक्त ग्रीक देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी अंकित हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि कनिष्क के समय में भारतीयों को ग्रीक के प्राचीन धर्म से भी परिचित

होने का अवसर मिला था। पर इससे भारत के धर्म पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है।

पर पश्चिम में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश बहुत प्राचीन काल में ही गया था, यह अक्षरिण्य है। ईसाइयों की प्राचीन कथाओं के अनुसार टामस नाम का ईसाई प्रचारक ईस्वी सन् की प्रथम सदी में ही भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। इस कथा में सच्चाई हो या नहीं, पर यह निश्चित है कि दूसरी सदी के अन्त से पूर्व ही अनेक ईसाई प्रचारक भारत में आने लग गए थे, और तीसरी व चौथी सदियों में दक्षिणी भारत में इस धर्म का प्रचार भी शुरू हो गया था।

पाश्चात्य देशों पर भारत का प्रभाव—भारत के सम्पर्क ने पाश्चात्य देशों को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। यह प्रभाव इन देशों के विचारों और धर्म पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस अध्याय में ऊपर इस सम्बन्ध में प्रकाश भी डाला जा चुका है। हम यहाँ पुनः संक्षेप में इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर भारत का प्रभाव अक्षरिण्य है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, एलेग्जिण्ड्रिया के क्लीमेंट के अनुसार ग्रीक लोगों ने अपने दार्शनिक विचार भारतीयों से ही ग्रहण किये थे। पाइथोगोरस के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उसने भारत की यात्रा की थी, और इस देश के दार्शनिकों के सम्पर्क में आकर ही उसने अपने दार्शनिक विचारों का विकास किया था। भारत के सांख्य दर्शन का प्रभाव पाइथोगोरस के मन्तव्यों पर स्पष्ट है। उसका काल छठी सदी ईस्वी पूर्व में था। उस समय तक ग्रीक लोग भारतीयों के निकट सम्पर्क में आने लग गये थे, और यह स्वाभाविक था कि भारत के समुन्नत दार्शनिक चिन्तन में वे प्रभावित होते। ग्रीस का प्रसिद्ध दार्शनिक मुकरात भारतीय विद्वानों के सम्पर्क में आया था, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। उसके शिष्य प्लेटो के विचारों पर भी भारत का प्रभाव है, यह भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं। चौथी सदी ई० पू० में अरिस्टोटल नाम का एक प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान् हुआ, जो अरिस्टोटल का शिष्य था। उसके इतिवृत्त से सूचित होता है कि भारत के विद्वान् ग्रीक आदि पाश्चात्य देशों में जाया करते थे, और उन देशों की भाषाएँ सीखकर वहाँ प्रवचन किया करते थे। इसी प्रकार ग्रीक व अन्य विदेशी विद्वान् भी भारत में आकर इस देश के दर्शन व धर्म का अनुशीलन करते थे। स्कीथियेनस नाम का एक अरब व्यापारी भारत में व्यापार के लिए आया करता था। यहाँ उसे भारतीय दर्शन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, और दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर वह एलेग्जिण्ड्रिया में बस गया। वहाँ उसने भारतीय दर्शन का अध्यापन शुरू किया। इसी प्रकार अन्य भी कितने ही ग्रीक, अरब, सीरियन आदि विद्वान् भारत आये, और उन्होंने इस देश के ज्ञान को प्राप्त किया। यही कारण है, जो पाश्चात्य दार्शनिक विचार भारत के दर्शनशास्त्रों से प्रभावित हुए, और उनके व भारत के विचारों में इतनी अधिक समता पायी जाती है।

(२) भारत के धार्मिक विचारों ने भी पाश्चात्य देशों के धर्मों को प्रभावित किया। अशोक के समय में विदेशों में धर्मविजय और बौद्ध धर्म के प्रचार का जो उपक्रम प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसी के कारण

अनेक पाश्चात्य देश बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गये थे, और अलबतूनी दसवीं सदी के अन्त में यह लिख सका था कि पुराने जमाने में सीरिया तक के सब पाश्चात्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। अलबतूनी के कथन की सत्यता पुरातत्त्व-सम्बन्धी अन्वेषणों द्वारा भी प्रमाणित होती है। सीस्तान में एक पुराने बौद्ध विहार के अन्वेषण मिले हैं, जिन्हें देखकर उस प्रदेश में बौद्ध धर्म की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। चीनी भाषा के पुराने ग्रन्थों में पाष्यिया के एक राजकुमार की कथा दी गयी है, जिसने कि राजगृही का परित्याग कर बौद्ध मिश्रुधर्मों के काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया था।

बौद्ध धर्म के समान भारत के पौराणिक धर्म की भी इन पाश्चात्य देशों में सत्ता थी। सीरिया के एक लेखक जनाँव के अनुसार दूसरी सदी ई० पू० में युफ्रेटिस नदी के उपरले क्षेत्र में टैरन प्रदेश में भारतियों की एक बस्ती थी, जिसमें दो विशाल मन्दिर विद्यमान थे। इन मन्दिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ ऊँचाई में २२ और २८ फीट थीं। ३०४ ईस्वी के लगभग ईसाई सन्त ग्रेगरी ने इन मन्दिरों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। भारतीयों ने अपने मन्दिरों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पर वे सफल नहीं हो सके, और ग्रेगरी ने मन्दिरों की मूर्तियों को खण्ड-खण्ड करवा दिया।

पाश्चात्य देशों में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की सत्ता का ही यह परिणाम हुआ, कि इस क्षेत्र के धर्मों पर भारत के धार्मिक मन्तव्यों और विधि-विधानों का प्रभाव पड़ा। ईसाई धर्म के मन्तव्यों और कर्मकाण्ड में अनेक ऐसी बातें हैं, जो भारतीय धार्मिक मन्तव्यों व कर्मकाण्ड से मिलती-जुलती हैं। पुराने ईसाई चर्चों का अन्दरूनी भाग बौद्ध चैत्य के सदृश होता था। उनमें भी पूज्य सन्तों की अस्थियों को स्थापित करने व उनकी पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी। ईसाई सन्त व साधु भारतीय मुनियों के समान ही तपस्या व साधना में तत्पर रहा करते थे। उनकी अनेक धार्मिक गथाएँ भी भारतीय कथाओं के समान हैं। ये समानताएँ आकस्मिक नहीं हो सकतीं। जिस प्रदेश में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, वहाँ पहले बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों की सत्ता थी। इसी कारण ईसाई धर्म में वे अनेक बातें प्रविष्ट हुईं, जो भारत में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के सदृश हैं।

तीसरी सदी ईस्वी में पाश्चात्य संसार में एक नए धार्मिक सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसका प्रवर्तक मनी था। इस सम्प्रदाय का एक धर्मग्रन्थ बौद्ध सूत्रों की शैली में लिखा गया है, और उसमें मनी को 'तथागत' कहा गया है। इस ग्रन्थ में बुद्ध और बोधिसत्वों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार इस युग के अन्य अनेक धार्मिक सम्प्रदायों पर भी बौद्ध धर्म व अन्य भारतीय धर्मों का प्रभाव विद्यमान है।

(३) पाश्चात्य देशों की कथाओं पर भारत के पंचतन्त्र, जातक, हिन्दोपदेश, शुकसप्तशती आदि का जो प्रभाव है, उसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। उसमें यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में भारत और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था, और भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संसार को अनेक प्रकार से प्रभावित किया था।

पन्द्रहवाँ अध्याय गुप्त-युग का भारत

(१) साहित्य और विज्ञान

महाकवि कालिदास—मौर्योत्तर-काल में संस्कृत-साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्तकाल में वह उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गयी। भास, शूद्रक सद्यः कवियों ने संस्कृत में नाटक और काव्य की जिस परम्परा को प्रारम्भ किया था, अब कालिदास और विशाखदत्त जैसे कवियों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। संस्कृत का सबसे महान् कवि कालिदास गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे कुंतलनरेश ककुत्स्थवर्मन् के पास राजदूत के रूप में भी भेजा था। एक साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार कालिदास ने वाकाटक-राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबन्ध काव्य का परिष्कार किया था। कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, कुमारसम्भव, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, अभिज्ञानशाकुन्तलम् और रघुवंश इस समय उपलब्ध है। निःसन्देह, ये ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। भोज, प्रसाद आदि गुणों और उपमा आदि अलंकारों की दृष्टि से संस्कृत का अन्य कोई भी काव्य इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कालिदास की कृतियाँ इतिहास और साहित्य में सदा अमर रहेंगी। रघुवंश में रघु की दिग्विजय का जो वर्णन किया गया है, उसे लिखते हुए समुद्रगुप्त की विजययात्रा सम्भवतः कालिदास के सम्मुख थी। उसके ग्रन्थों पर गुप्त-काल की समृद्धि और गौरव की स्पष्ट छाप है।

विशाखदत्त—मुद्राराक्षस का लेखक कवि विशाखदत्त भी गुप्त-काल में पाँचवीं सदी में हुआ था। नन्द को परास्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाया, इस कथानक को विशाखदत्त ने बड़े मुन्दर रूप से इस नाटक में वर्णित किया है। मुद्राराक्षस की संस्कृत नाटको में अद्वितीय स्थिति है। मागध-परम्परा के अनुसार राजनीति के दावपेचों का जो वर्णन इस नाटक में है, वह संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मुद्राराक्षस के भरतवाक्य में विशाखदत्त ने म्लेच्छों से आक्रांत हुई पृथिवी की रक्षा करने के लिए 'बन्धुभृत्य' चन्द्रगुप्त का आवाहन किया है। इस भरतवाक्य में शक और कुशाणों के उस प्रचण्ड आक्रमण की ओर इशारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त के समय में हुआ था। इन म्लेच्छ आक्रांताओं ने मागध-सेनाओं को परास्त कर पट्टमहादेवी ध्रुवदेवी तक पर आँख उठायी थी। पर अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में चन्द्रगुप्त ने शक-कुशाणों को परास्त कर भारत भूमि की रक्षा की थी। इस प्रकार म्लेच्छों का भारत को सताना बन्द हुआ। इसी विशाखदत्त ने 'देवीचन्द्रगुप्तम्' की रचना की थी, जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय और ध्रुवदेवी के कथानक का विशद रूप से वर्णन किया गया है।

ग्रन्थ कवि—किरातार्जुनीय का लेखक महाकवि भारवि और भट्टिकाव्य का रचयिता भट्टि भी गुप्त-वंश के अन्तिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों महाकवियों के काव्य संस्कृत-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। द्रौपदी के मुख से राजनीति का जो भोजस्वी वर्णन किरातार्जुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत-साहित्य ग्रन्थत्र दुर्लभ है। भट्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को उदाहरणों द्वारा श्लोकों के रूप में से जिस प्रकार सरल रीति से समझाया गया है, वह भी वस्तुतः अनुपम है। ग्रन्थ अनेक कवि भी इस युग में हुए, जिनमें मातृगुप्त, सौमिल्ल और कुलपुत्र के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रशस्तियाँ—गुप्त-काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। प्रयाग के अशोककालीन स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति कुमारामात्य महादण्डनायक हरिषेण ने उत्कीर्ण कराई थी, वह कविता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। यशोधर्मा की प्रशस्ति भी कविता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। उसे वसुल नाम के कवि ने लिखा था। इसी तरह रविशान्ति, वत्सभट्टि और कुब्ज आदि कवियों द्वारा लिखी गयी ग्रन्थ अनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो गुप्तकाल की हैं। इनके अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि काव्य की शैली गुप्त-काल में बहुत उन्नत और परिष्कृत हो गयी थी।

पञ्चतन्त्र—ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा-ग्रन्थ पञ्चतन्त्र का निर्माण भी गुप्त-काल में ही हुआ था। पञ्चतन्त्र की कथाएँ बहुत पुरानी हैं, और उनमें से बहूतों का सम्बन्ध तो महाजनपद-काल की राजनीतिक घटनाओं से है। इस ग्रन्थ में कोशल, मगध और वज्जि आदि जनपदों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले लिया है, और मनोरंजक रीति से अनेक पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिखा गया है। ये कथाएँ विरकाल से परम्परागत रूप से भारत में प्रचलित थीं। गुप्त-काल में उन्होंने बाकायदा एक ग्रन्थ का रूप धारण किया। ५७० ईस्वी से पहले भी पञ्चतन्त्र का पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, इंगलिश और संसार की प्रायः सभी पुरानी भाषाओं में इसके अनुवाद सोलहवीं सदी से पूर्व ही हो चुके थे। इस समय संसार की पचास में भी अधिक विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद पाये जाते हैं। थोड़े-बहुत रूपान्तर से २०० से अधिक ग्रन्थ इसके आधार पर लिखे जा चुके हैं।

व्याकरण और कोष—व्याकरण और कोष-सम्बन्धी भी अनेक ग्रन्थ इस काल में लिखे गये। चन्द्रगोमिन् नाम के एक बौद्ध पंडित ने चान्द्र-व्याकरण की रचना की। पाणिनि के व्याकरण में वैदिक प्रयोगों की भी सिद्धियाँ थी, पर इसमें उन्हें निकाल दिया गया। इस व्याकरण की पद्धति पाणिनि से भिन्न है। बौद्धों में इसका बहुत प्रचार हुआ। महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गये थे। गान्धार और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चान्द्र-व्याकरण का अध्ययन करते थे। संस्कृत का मूल चान्द्र व्याकरण अब नहीं मिलता। पर तिब्बती भाषा में उसका जो अनुवाद हुआ था, वह पिछले दिनों में उपलब्ध हो गया है। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह भी इसी काल में हुआ। वह बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। उसका लिखा

अमरकोश संस्कृत के विद्याभियों में बहुत लोकप्रिय है। अमरसिंह की गणना भी चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में की जाती है।

स्मृतिर्था—स्मृति-ग्रंथों में मनुस्मृति, विष्णुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति की रचना गुप्तकाल से पहले ही चुकी थी। अब नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और बृहस्पति-स्मृति की रचना हुई। नीतिग्रंथों में कामन्दक नीतिसार इसी काल की रचना है।

ज्योतिष और गणित—गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की भी इस काल में बहुत उन्नति हुई। आर्यभट्ट और बराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी इसी युग में हुए। बराहमिहिर की गणना भी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गयी है। गणित-शास्त्र में दशमलव का सिद्धान्त बड़े महत्त्व का है। गुप्त-काल तक यह सिद्धान्त भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वथा अपरिचित थे। यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं सदी तक इसका ज्ञान नहीं था। यही कारण है कि गणित की वहाँ अधिक उन्नति नहीं हो सकी। अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धान्त को यूरोप में ले गए। पर अरबों ने इसे भारत से सीखा था। इब्न नाशिया (नवीं सदी), अलम-सूदी (दसवीं सदी) और अलबखरी (ग्यारहवीं सदी) जैसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है, कि दशमलव का सिद्धान्त हिन्दुओं ने आविष्कृत किया था, और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखा था। आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्टीयम् में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह ग्रंथ गुप्त-काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं सदी से पहले भी इस सिद्धान्त से परिचित थे। पेशावर के समीप बकाली नाम के गाँव में एक बहुत पुराना हस्तलिखित ग्रंथ मिला है। यह ग्रन्थ गणित-विषय पर है। इसकी भाषा के आधार पर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रन्थ चौथी सदी का है। इसमें न केवल दशमलव के सिद्धान्त का स्पष्टरूप से प्रतिपादन है, अपितु गणित के अछड़े ऊँचे सूत्रों का भी इसमें उल्लेख है। इसके अनुशीलन से सूचित होता है, कि गुप्तकालीन भारत में गणित-विज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था। आर्यभट्ट का ग्रन्थ आर्यभट्टीयम् भी गणित के सम्बन्ध में उस युग के ज्ञान को भली-भाँति प्रकट करता है। यह ग्रन्थ खास पाटलिपुत्र में लिखा गया था, और इसमें अकम्पणित, अलजेबरा और ज्योमेट्री, सबके अनेक सिद्धान्तों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रंथ इस युग में वैशिष्ट सिद्धान्त लिखा गया। इसका काल ३०० ईस्वी माना जाता है। इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर वैशिष्ट सिद्धान्त में यह प्रतिपादन किया गया, कि एक साल में ३६६ दिन न होकर ३३५-२५६१ दिन होते हैं। गुप्तकाल में दिनगणना के विषय में भारतीय लोग सत्य के बहुत समीप पहुँच गये थे। ३०० ईस्वी में पौलिस सिद्धान्त लिखा गया। इसमें सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के नियमों का भली-भाँति प्रतिपादन किया गया है। पौलिस सिद्धान्त के कुछ वर्षों बाद ४०० ईस्वी में रोमक सिद्धान्त लिखा गया। सम्भवतः, यह रोमन लोगों के ज्योतिष-ज्ञान के आधार पर लिखा गया था। भारत और रोम का उस समय घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस ग्रन्थ में २८५० वर्षों का एक युग माना गया है, जो ग्रीक और रोमन ज्योतिष के अनुसार ही है। आचार्य बराहमिहिर ने ज्योतिष के सम्बन्ध में जो ग्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं—पंचसिद्धांतिका,

बृहज्जातक, बृहत्संहिता और लघुजातक । इनमें से पिछले दो का अनुवाद प्रलबस्की ने अरबी भाषा में किया था । बराहमिहिर की पुस्तकों में फलित ज्योतिष का बड़े विस्तार से प्रतिपादन किया गया है ।

पर गुप्त-काल के वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा धार्यभट्ट था । इस विख्यात ज्योतिषी का जन्म पाँचवीं सदी में पाटलिपुत्र में हुआ था । जब उसकी आयु केवल २३ वर्ष की थी, तभी उसने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ धार्यभट्टीयम् की रचना की थी । उस युग में अलेग्जेंड्रिया ज्योतिष के अध्ययन का बड़ा केन्द्र था । मिस्र के राजाओं के संरक्षण में ग्रीक ज्योतिषी वहाँ नई खोजों में निरन्तर लगे रहते थे । पाश्चात्य संसार ने ज्योतिष के क्षेत्र में जो उन्नति की थी, धार्यभट्ट को उससे पूरा-पूरा परिचय था । उसने भारतीय और पाश्चात्य, सब विज्ञानों का भली-भाँति अनुशीलन किया था, और उन सब का भली-भाँति ग्रंथन कर, सत्य को असत्य से अलग करने और सत्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिए अपना ग्रंथ लिखा था । सूर्य और चन्द्र का ग्रहण राहु और केतु नाम के राक्षसों द्वारा ग्रसने के कारण नहीं होता, अपितु जब चन्द्रमा सूर्य और पृथिवी के बीच में या पृथिवी की छाया में आ जाता है, तब चन्द्रग्रहण होता है, इस सिद्धान्त का धार्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है । पृथिवी अपने व्यास के चारों ओर घूमती है, दिन और रात क्यों छोटे-बड़े होते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्षत्रों और ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है—इस प्रकार के बहुत-से विषयों पर ठीक-ठीक सिद्धान्त धार्यभट्ट ने प्रतिपादित किये हैं । वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस विषय में आधुनिक ज्योतिषियों का मत यह है, कि ३६५.२५६३६०४ दिनों का वर्ष होता है । धार्यभट्ट की गणना के अनुसार माल में ३६५.२५६६०५ दिन होते थे । धार्यभट्ट की गणना वर्तमान ज्योतिषियों की गणना के बहुत समीप है । प्राचीन ग्रीक ज्योतिषी भी इस सम्बन्ध में सत्य के इतने समीप नहीं पहुँचे थे । ज्योतिष में धार्यभट्ट के अनेक शिष्य थे । इनमें निःशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें भी लाटदेव आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ । उसे 'सर्वसिद्धान्तगुरु' माना जाता था । उसने पौलिस और रोमक सिद्धान्तों की व्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी । इसी काल का ज्योतिषसम्बन्धी ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त भी बहुत प्रसिद्ध है । इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है । भारतीय ज्योतिषी इस बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं । इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ की रचना भी गुप्त-काल में ही हुई थी ।

भारत के प्राचीन विद्वान् विदेशियों से विद्याग्रहण में कोई संकोच नहीं करते थे । अलेग्जेंड्रिया में ग्रीक पण्डितों द्वारा ज्योतिष की जो उन्नति की जा रही थी, गुप्तकाल के भारतीय ज्योतिषी उससे भली-भाँति परिचित थे । वे उनकी विद्या का आदर भी करते थे । यही कारण है, कि बराहमिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन (ग्रीक) लोग भले हैं, पर वे ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीण हैं, अतः उनका ऋषियों के समान ही आदर करना चाहिए । भारतीय पंडितों की इसी वृत्ति का परिणाम था कि जहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चिन्तन द्वारा ज्योतिष के अनेक सिद्धान्तों का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा । अनेक आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भारतीय ज्योतिष के केन्द्र हारिज, लिप्त आदि अनेक शब्द ग्रीक भाषा से

लिए गए हैं। रोमक सिद्धान्त-ग्रंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अतः यदि कुछ पारिभाषिक शब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीक से लिए हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि गुप्त-काल की भारतीय ज्योतिष अलेग्जेण्ड्रिया की ग्रीक ज्योतिष की अपेक्षा अधिक उन्नत थी।

आयुर्वेद—आयुर्वेद के क्षेत्र में गुप्त-युग में अच्छी उन्नति हुई। चरक और सुश्रुत की रचना गुप्त-युग से पहले ही हो चुकी थी। पर छठी सदी के शुरू में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांगहृदय की रचना की। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इससे सूचित होता है, कि चरक और सुश्रुत ने जिस चिकित्सा-प्रणाली का प्रारम्भ किया था, वह इस काल में निरन्तर उन्नति करती रही। प्राचीन साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में धन्वन्तरि भी एक था। धन्वन्तरि को आयुर्वेद का मुख्य आचार्य समझा जाता है, और वैद्य लोग उसे अपने विज्ञान का देवता-सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि आयुर्वेद का यह प्रथम प्रधान आचार्य गुप्त-काल में हुआ था। सम्भवतः, इस नाम का कोई अन्य वैद्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता। गुप्त-काल की एक अन्य चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तिका पूर्वी तुर्किस्तान में मिली है। इसका नाम 'नावनीतकम्' है। इसे श्रीयुत् बाबर ने सन् १८६० में तुर्किस्तान के पुराने खंडहरों से प्राप्त किया था। यह छोटा-सा ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारीत, जातुकर्ण क्षारपाणि और पाराशरसहिता आदि के आधार पर लिखा गया है। इनमें से अनेक ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होते, पर नावनीतकम् में उनके आधार पर जो नुस्खे (प्रयोग) संकलित हैं, वे भारत से बाहर तुर्किस्तान में मिल गये हैं।

हृत्स्युपवेद नाम से भी एक ग्रन्थ गुप्त-काल में लिखा गया था। इसका रचयिता पालकाप्य नाम का एक पशु-चिकित्सक था। यह एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें १६० अध्याय हैं। हाथियों के रोग, उनके निदान और चिकित्सा का इसमें विस्तृत वर्णन है। प्राचीन भारत की सैन्यशक्ति में हाथियों का बड़ा महत्त्व था। अतः उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में इतने ज्ञान का विकास हो जाना एक स्वाभाविक बात थी।

रसायन—रसायन-विज्ञान में भी गुप्तकाल में बहुत उन्नति हुई। दुर्भाग्यवश, रसायन-विद्या के इस युग के कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते। पर इस विद्या ने गुप्त-काल में किस हद तक उन्नति कर ली थी, इसका जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के समीप महरोली में प्राप्त लौहस्तम्भ है। यह स्तम्भ २४ फीट ऊँचा और १८० मन के लगभग भारी है। इतना भारी और बड़ा लौहस्तम्भ किस प्रकार तैयार किया गया, यह एक गूढ़ रहस्य है। लोहे को गरम कर के चोट देकर इतना विशाल स्तम्भ कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरम करने से जो आँच पैदा होगी, उसके कारण इतनी दूर तक कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकेगा, कि चोट देकर उसे एक निश्चित आकृति का बनाया जा सके। दूसरा तरीका यह हो सकता है, कि इस लाट को ढालकर बनाया गया हो। यदि गुप्त-काल के भारतीय शिल्पी इतनी बड़ी लोहे की लाट को ढाल सकते थे, तो निस्संदेह वे धातु-विज्ञान और शिल्प में बहुत अधिक उन्नति

कर चुके थे। इस लीह-स्तम्भ में आश्चर्यों की एकबात यह है, कि १६०० वर्ष के लगभग बीत जाने पर भी इसपर जंग का नाम-निशान तक नहीं है। यह स्तम्भ इतने दीर्घकाल से वर्षा, झीबी, गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी या ऋतु का इसपर कोई प्रभाव नहीं पडा। लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया कि इस पर जंग भी न लगे, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे वर्तमान वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके हैं। विज्ञान ने गुप्त-काल में कौंसी उन्नति की थी, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है।

बराहमिहिरकृत बृहत्संहिता में गणित और ज्यातिष के अतिरिक्त ग्रन्थ बहुत-से विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है। तलवारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जाए, सोने व रत्नों के आभूषण कैसे तैयार किए जाएँ, मुक्ता, वैदूर्य, रत्न आदि की क्या पहचान हैं; वृक्ष किस प्रकार मौसम से भिन्न दूसरे समय में भी फल दे सकते हैं; घोड़े, हाथी, कुत्ते आदि में अच्छे या बुरे की पहचान कैसे की जाय; मन्दिर, राजप्रासाद आदि कैसे बनाए जाएँ; भूमि में नीचे कहां जल की धारा है यह कैसे जाना जाय, बादलों के कितने प्रकार होते हैं, और वर्षा या मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया जाय; आदि सब विषयों पर बराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में विचार किया है। इससे सूचित होता है, कि गुप्त-काल के विचारक इन सब बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में व्यापृत रहते थे।

(२) दार्शनिक साहित्य

पड़दार्शनो का निर्माण मौर्य युग व उससे पूर्व हा चुका था। पर दार्शनिक विचारों का विकास गुप्त-काल में भी जारी रहा। मीमांसा पर शबरभाष्य ३०० ई० के लगभग लिखा गया था। मीमांसा-सूत्रों में जिन विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रकट किया गया था, शबरभाष्य में उन्हीं का बहुत विकाम किया गया है। सांख्यदर्शन का प्रसिद्ध ग्रन्थ सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू में लिखा गया था। इसका लेखक ईश्वरकृष्ण था। योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य लिखा गया। यह माना जाता है, कि योगसूत्रों का रचयिता महर्षि पतञ्जलि था, पर उनकी विशद रूप से व्याख्या आचार्य व्यास ने की। योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल तीसरी सदी के अन्त में माना गया है।

न्यायसूत्रों पर भी इस युग में वात्स्यायन-भाष्य लिखा गया। इस भाष्य में बौद्धों के माध्यमिक और योगाचार सम्प्रदायों के मतव्यों का खण्डन किया गया है। बौद्धों के इन सम्प्रदायों का विकास गुप्त-काल से पहले ही चुका था, अतः यह स्पष्ट है, कि उनके मन्तव्यों का खण्डन करने वाला यह वात्स्यायन भाष्य गुप्त-काल की ही कृति है। वैशेषिक दर्शन के प्राचीन सूत्रों की विशद-व्याख्या करने के लिए आचार्य प्रशस्तपाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग में लिखा। यह 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' वैशेषिक दर्शन का एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है।

बौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ। कनिष्क के समय तक बौद्ध-धर्म दो प्रमुख सम्प्रदायों में विभक्त हो गया था—महायान और हीनयान। इस काल में इन दोनों में बहुत-से नये दार्शनिक विचारों का विकास हुआ।

पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में बुद्धघोष नाम का एक बड़ा विद्वान् हुआ था। यह मगध का रहने वाला था। वैदिक धर्म का परिवर्तन कर इस पण्डित ने बौद्धधर्म स्वीकार किया, और लंका में धनुराधपुर के विहार को अपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। इसकी कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धिमग्ग (विशुद्धि मार्ग) है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, कि शील, समाधि और प्रज्ञा से मनुष्य किस प्रकार निर्वाणपद को प्राप्त कर सकता है। त्रिपिटक पर भी बुद्धघोष ने भाष्य लिखे। हीनयान सम्प्रदाय की उन्नति में बुद्धघोष का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त नाम के मगध पण्डित ने लंका जाकर अभिघम्मावतार, रूपारूपविभाग और विनयविनिच्छय नाम के ग्रन्थ लिखे। हीनयान के धार्मिक व दार्शनिक साहित्य में इन पण्डितों के ग्रन्थों का बहुत ऊँचा स्थान है।

उत्तर-पश्चिमी भारत में वसुबन्धु नाम का प्रकाण्ड बौद्ध पण्डित इसी युग में हुआ, जिसके लिखे ग्रन्थ अभिघर्मकोष में बौद्ध-धर्म के मौलिक सिद्धान्तों को इतने सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक रूप में स्वीकार करते हैं। पर उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्यतया महायान का ही प्रचार रहा। इसके भी दो मुख्य सम्प्रदाय थे—माध्यमिक और योगाचार। माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक नागार्जुन था। उसका प्रमुख शिष्य आर्यदेव था, जिसने तीसरी सदी में चतुःशतक नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ लिखा। महायान के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ वज्रच्छेदिका-प्रज्ञापारमिता और प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र भी इसी सदी में लिखे गये। योगाचार-सम्प्रदाय का प्रवर्तक मंत्रेयनाथ दूसरी सदी के अन्त में हुआ था। पर उस के दार्शनिक विचारों का विकास गुप्त-काल में ही हुआ। इस विकास में आचार्य असंग का बड़ा हाथ है। बुद्धघोष के समान वह भी पहले वैदिकधर्म का अनुयायी था पर बाद में बौद्ध हो गया था। उसने तीसरी सदी के अन्त में महायान-सम्परिग्रह, योगाचार-भूमिशास्त्र और महायान-सूत्रालंकार नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे। असंग प्रकाण्ड पण्डित था। बौद्धों में दार्शनिक विचारों के विकास का बहुत-कुछ श्रेय असंग और वसुबन्धु को ही है। वसुबन्धु ने जहाँ अभिघर्मकोष लिखा जो सब बौद्धों को समानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दार्शनिक ग्रन्थों की भी रचना की। विज्ञानवाद का वही महान् प्रवक्ता हुआ। इस बौद्ध-दर्शन के अनुसार संसार मिथ्या है। सत्य सत्ता केवल 'विज्ञान' है। अन्य सब पदार्थ धाशःश्रृंग व बन्ध्यापुत्र के समान मिथ्या हैं। जलती हुई लकड़ी को घुमाने से जैसे धाग का चक्कर-सा नजर आता है, पर वस्तुतः उसकी कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही संसार में जो कुछ इष्टिगोचर हो रहा है, उसकी वस्तुतः कोई सत्ता नहीं है। यह विचारधारा वेदान्त के अद्वैतवाद से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। वसुबन्धु ने विशतिका और त्रिशतिका ग्रन्थों में इसी विज्ञानवाद का सुचारु रूप से प्रतिपादन किया है। उसने अपने अन्य ग्रंथों में सांख्य, योग, वैशेषिक और मीमांसा दर्शनों के सिद्धान्तों का लण्डन भी किया है। बौद्धों के पृथक् तर्कशास्त्र का प्रारम्भ भी वसुबन्धु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध-तर्कशास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय आचार्य दिङ्नाग को है। दिङ्नाग गुप्त-काल में चौथी सदी के अन्त में हुआ था। उसने न्याय और तर्कशास्त्र पर बहुत-सी पुस्तकें लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय उपलब्ध नहीं होतीं, यद्यपि इनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और कुमारिलभट्ट

संस्था पण्डितों ने अपने ग्रन्थों में दिये हैं। दिङ्नाग की एक पुस्तक न्यायमुख जीनी और तिब्बती भाषाओं में मिली है।

पुराने जैन धर्म-ग्रंथों पर अनेक भाष्य इस समय लिखे गये, जिन्हें निर्युक्ति और चूर्ण कहते हैं। इस युग के जैन-भाष्यकारों में भद्रबाहु द्वितीय का नाम विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। उसने बहुत-से प्राचीन ग्रन्थों पर निर्युक्ति लिख कर न केवल उनके आशय को अधिक स्पष्ट किया, अपितु नवीन शैली में दार्शनिक विचारों को भी प्रकट किया। जैनों के ग्रन्थ पहले प्रायः प्राकृत-भाषा में थे। पर गुप्त-काल में संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ था। इस युग में जैनों ने भी संस्कृत में अपनी पुस्तकों को लिखना शुरू किया। आचार्य उमास्वाति ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और सिद्धसेन ने अपना न्यायावतार संस्कृत में ही लिखा।

(३) धार्मिक दशा

यज्ञों का प्रचार—मौर्योत्तर-युग में प्राचीन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त-काल में उसने और भी जोर पकड़ा। प्रायः सभी गुप्त सम्राट् भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पर ब्रह्मिवादाद-प्रधान वैष्णव धर्म को मानते हुए भी उन्होंने प्राचीन वैदिक परम्परा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किये। महाभारत, मनुस्मृति और मीमांसा सूत्रों में यज्ञों की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है। इस काल के धार्य पण्डित वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करने में व्यापृत थे। यही कारण है, कि यज्ञों की परिपाटी इस युग में फिर से शुरू हो गयी थी। न केवल गुप्त-सम्राटों ने, अपितु इस युग के अन्य अनेक राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। दक्षिणी भारत में शालंकायन-वंश के राजा विजयदेव वरमन् और त्रैकूटक-वंश के राजा दह्लसेन ने इसी काल में अश्वमेध यज्ञ किये। केवल अश्वमेध ही नहीं, अग्निष्टोम, बाजपेय, वाजसनेय, वृहस्पतिसव आदि प्राचीन वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का भी इस युग में उल्लेख आता है। इन यज्ञों के अवसर पर जो यूप बनाये गये थे, उनमें से कतिपय के अवशेष भी वर्तमान समय में उपलब्ध हुए हैं। न केवल बड़े-बड़े सम्राट्, अपितु विविध सामन्त राजा भी इस युग में विविध यज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर थे। बौद्ध-धर्म के प्रबल होने के समय में इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ नष्ट हो गयी थी। यही कारण है, कि शंशुनाग, नन्द और मौर्य राजाओं ने इन प्राचीन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया था। यज्ञों से कोई लाभ नहीं है, यह विचार उस समय प्रबल हो गया था। पर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में अब याज्ञिक परिपाटी फिर प्रारम्भ हुई। यज्ञों को निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, अनाथ, भ्रातुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता कर सकता है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। सम्भवतः इसीलिए समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने के बाद अब वह अपने सुकर्मों से स्वर्ग की विजय करने में तत्पर है।

वैष्णव और शैव-धर्म—पुराने वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर जिन नये पौराणिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनपर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत और शैव धर्म इस युग में बहुत जोर पकड़ रहे थे। गुप्त-सम्राट् वैष्णव भागवत धर्म के

अनुयायी थे। उनके संरक्षण के कारण इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। इस युग में बहुत-से वैष्णव मन्दिरों का निर्माण हुआ। अनेक शिलालेखों में धर्मप्राण भक्त लोगों द्वारा बनवाये गये विष्णु मंदिरों और विष्णुध्वजों का उल्लेख है। विष्णु के दस अवतारों में से वराह और कृष्ण की पूजा इस समय अधिक प्रचलित थी। अनुश्रुति के अनुसार वराह ने प्रलय के समय मग्न होती हुई पृथिवी का उद्धार किया था। दस्युओं और म्लेच्छों के आक्रमणों से भारतमूमि में जो एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित हो गया था, उसका निराकरण करने वाले सम्राटों के इस शासनकाल में यदि भगवान् के वराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। राम को भगवान् विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। कृष्ण की पूजा का उल्लेख इस युग के बहुत-से शिलालेखों में पाया जाता है। पर राम की पूजा के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्देश इस युग के अवशेषों में उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि राम के परम पावन चरित्र के कारण उसमें भगवान् के ग्रंथ का विचार इस समय में विकसित होना आरम्भ हो गया था। कालिदास ने इसका निर्देश किया है। पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद में ही शुरू हुई।

गुप्त काल में बहुत-से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ। गुप्त-सम्राटों के शिलालेखों में दो अमाल्यों का उल्लेख आया है, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके नाम शाब और पृथ्वीसेण हैं। इन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिए शिव के मंदिरों का निर्माण कराया था। गुप्तों के पूर्ववर्ती भारशिव और वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त-काल में भी वाकाटक, मंत्रक, कदम्ब और परिव्राजक वंशों के राजा मुख्यतया शैव धर्म का अनुसरण करते थे। हूण राजा मिहिरगुल ने भी शैव धर्म ग्रहण किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म भी गुप्त-काल में प्रचलित था। शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना की जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, गं॥ और चन्द्रमा से युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था। शैव राजाओं के सिक्कों पर प्रायः त्रिशूल और नन्दी के चित्र अंकित रहते हैं।

मौर्योत्तर-काल में सूर्य के भी मन्दिरों की स्थापना शुरू हो गई थी। ऐसा पहला मंदिर सम्भवतः मुलतान में बना था। पर गुप्तकाल में मालवा, ग्वालियर, इन्दौर और बघेलखण्ड में भी सूर्य के मन्दिरों का निर्माण हुआ। इससे सूचित होता है, कि सूर्य की पूजा भी इस युग में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही थी।

बौद्ध-धर्म—सनातन वैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मों का जोर कुछ कम अवश्य हो गया था, पर अभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब चीनी यात्री फाह्यान भारत में यात्रा के लिए आया, तो उसने देखा कि इन प्रदेशों में हजारों बौद्ध-विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्षु निवास करते थे। वर्तमान उत्तर-प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्यप्रदेश में भी बौद्ध-धर्म बहुत समृद्ध दशा में था। फाह्यान के अनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली सहस्र पुरानी नगरियाँ अब बहुत कुछ क्षीण दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध-धर्म का क्षय नहीं था।

भारत के राजनैतिक जीवन में पुराने गणराज्यों और जनपदों का स्थान अब शक्तिशाली मागध-साम्राज्य ने ले लिया था। अब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटलिपुत्र और उज्जयिनी थीं। पर मथुरा, कौशाम्बी, कसिया (कुसीनगर) और सारनाथ में अब भी बौद्ध-विहार बड़ी समृद्ध दशा में विद्यमान थे। अजन्ता, एल्लोरा, कन्हेंरी, जुन्नार आदि के गुहामन्दिरों में अब भी बौद्ध-मिक्षु हजारों की संख्या में रहते थे। खास मगध में ही नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के अनुपम गौरव का प्रारम्भ गुप्तकाल में ही हुआ था। इस युग में आन्ध्र देश बौद्ध-धर्म का बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र था। उसे आचार्य नागार्जुन ने अपना प्रधान कार्यक्षेत्र चुना था, और उसकी शिष्य-परम्परा के प्रयत्नों के कारण वह प्रदेश बौद्ध धर्म का गढ़-सा बन गया था। नागार्जुनीकोण्ड नाम का बड़ा समृद्ध विहार वहाँ विद्यमान था, जिसमें हजारों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। इस वैभवपूर्ण विहार के मन्नावशेष अब तक भी विद्यमान हैं। कौची और बलभी में भी बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन, धर्म और शिक्षा के बड़े केन्द्र माने जाते थे। इनमें भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र आदि सब जनता की तरफ से दिये जाते थे। राजा और प्रजा—सब इनकी सहायता के लिए उदारता के साथ दान देते थे। वैष्णव और शैव-धर्मों के प्रचार के बावजूद भी गुप्त-काल में बौद्ध-धर्म पर्याप्त उन्नत और विस्तीर्ण था।

जैन-धर्म—जैन-धर्म के इतिहास में भी गुप्त-काल का बहुत महत्व है। इस समय तक जैनो में दो मुख्य सम्प्रदाय थे—दिगम्बर और श्वेताम्बर। श्वेताम्बर सम्प्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभाएँ गुप्त-काल में ही हुईं। पहली महासभा बलभी में ३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नागार्जुन (जैन नागार्जुन, बौद्ध नागार्जुन नहीं) थे। दूसरी महामभा भी बलभी में ही ४५३ ईस्वी में आचार्य क्षमा-ध्वमण के सभापतित्व में की गयी। इन महामभाओं में यह निश्चय किया गया, कि जैन-धर्म के मान्य ग्रन्थों के शुद्ध पाठ कौन-से हैं, और जैनो के कौन-से सिद्धान्त प्रामाणिक हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मुख्यतया पश्चिमी भारत में प्रचलित था। बलभी और मथुरा उसके सर्वप्रधान केन्द्र थे। दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में था, और बंगाल की पुण्ड्रवर्धन नगरी इस काल में उसका केन्द्र थी। दक्षिण भारत में भी दिगम्बर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर या कर्णाटक के निवासी प्रायः जैन-धर्म के ही अनुयायी थे। सुदूर दक्षिण में तमिल लोगों में भी इस समय तक जैन-धर्म फैल चुका था। पल्लव और पाण्ड्य-वंशों के अनेक राजाओं ने भी जैन-धर्म को स्वीकार किया था। तमिल भाषा में जैन-धर्म की बहुत-सी पुस्तकें इस काल में लिखी गयीं। तमिल-संस्कृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के 'संगमों' में तामिल काव्य और साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था। ४७० ईस्वी में जैन लोगो ने मदुरा में एक विशेष 'संगम' का आयोजन किया। इसका अध्यक्ष आचार्य चञ्जनन्दी था। जैन-धर्म के तमिल ग्रन्थों के निर्माण में इस संगम ने महत्व का कार्य किया। दक्षिणी आरकोट जिले की पाटलिकापुरी में जैनो का एक प्रसिद्ध मन्दिर था, जहाँ मुनि सर्वनन्दी ने ४५८ ईस्वी में लोकविभंग नाम के प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की थी। जैन-दर्शन का भी विकास गुप्तकाल में हुआ। आचार्य सिद्धसेन ने न्यायवार्ता की

रचना कर उस तर्कप्रणाली का प्रारम्भ किया, जिसके कारण धार्मिक चलकर जैन-पण्डित दर्शन और न्याय में ग्रन्थ सम्प्रदायों के समकक्ष हो गये।

धार्मिक सहिष्णुता—इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त-काल में पौराणिक धर्म-धर्म, बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म भारत में साथ-साथ फल-फूल रहे थे। तीन मुख्य धर्मों और उनके बहुत-से सम्प्रदायों व मतमतातरों के एक साथ रहते हुए भी इस काल में साम्प्रदायिक विद्वेष का अभाव था। सब मतों के आचार्य व पण्डित आपस में शास्त्रार्थों में व्यापृत रहते थे। अपने ग्रन्थों में वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व तर्क द्वारा खण्डन करते थे, वहाँ पण्डित-मण्डलियों और जनसाधारण के समझ भी उनमें शस्त्रार्थ व वाद-विवाद होते रहते थे। पर इनके कारण जनता में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट् चन्द्रगुप्त परम-भागवत थे, वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पर उन्होंने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य वसुबन्धु को नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध-विद्वान् था। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमूल स्वयं वैदिक धर्म का मानने वाला था, पर उसकी बहिन, लड़कियाँ और पुत्रवधुएँ बौद्ध-धर्म की अनुयायी थीं। गुप्तवंश में भी कई सम्राट् बौद्ध हुए। पुरु-गुप्त, नरसिंहगुप्त और बुधगुप्त धर्म की दृष्टि से बौद्ध थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम का बड़ा लड़का युगुप्त बौद्ध था, और छोटा लड़का स्कन्दगुप्त परमभागवत था। यह इस युग की धार्मिक सहिष्णुता का ज्वलन्त उदाहरण है। दान के अवसर पर राजा लोग सब सम्प्रदायों को दृष्टि में रखते थे। सम्राट् वैष्णव स्वयं शैव था, पर उसने महायान सम्प्रदाय के वैवर्तक सध को उदारतापूर्वक दान दिया था। नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के वैभव का सूत्रपात वैष्णव-धर्मावलम्बी गुप्त-सम्राटों के दान से ही हुआ था। उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्म-भेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। वैष्णव गुप्त-सम्राटों के किलने ही उच्च राजकर्मचारी बौद्ध थे। ये बौद्ध कर्मचारी अपने धर्म का स्वतन्त्रता के साथ अनुसरण करते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार बौद्ध-विहारों और चैत्यों को सहायता देते थे।

सनातन पौराणिक धर्म के विविध सम्प्रदायों में भी इसी प्रकार सौमनस्य की भावना विद्यमान थी। प्राचीन धर्म-धर्म के इतिहास में यह युग समन्वय का था। शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा आदि देवी-देवता एक ही भगवान् के विविध रूप हैं, यह स्मार्त भावना इस काल में प्रारम्भ हो गयी थी। साधारण धर्म गृहस्थ सब मन्दिरों को, सब देवी-देवताओं को और सब धर्माचार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखता था।

पर बौद्ध और जैन धर्म सनातन पौराणिक धर्म से इस युग में पृथक् होते जा रहे थे। मौर्योत्तर-काल में बौद्ध-भिक्षुओं और जैन-मुनियों के प्रति श्रद्धा की जो भावना सर्वसाधारण भारतीय जनता में थी, वह अब क्षीण हो रही थी। इसका कारण यह है, कि पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के युग में जो प्रबल धार्मिक आन्दोलन शुरू हुए थे, उन्होंने जनता में बौद्धों और जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्वलित कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार किये, वे इसी भावना के परिणाम थे। अब समय के साथ-साथ विधर्मियों के प्रति विरोध तो मन्द पड़ गया था,

पर बौद्ध लोग पौराणिक हिन्दुओं से पृथक् हैं, यह विचार जनता में भलीभाँति उदबुद्ध होने लग गया था।

(४) गुप्त-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

साम्राज्य का सुशासन—मौर्य-वंश के शासनकाल के सम्बन्ध में जैसा परिचय कौटिलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के सम्बन्ध में किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। मंगस्थनीज जैसा कोई विदेशी यात्री भी इस काल में नहीं आया। चीनी यात्री फाड़ियान पाँचवीं सदी के शुरू में भारत-यात्रा के लिए आया था। वह पाटलिपुत्र में रहा भी था। उसके भ्रमणकाल में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाड़ियान पेशावर से बंगाल की खाड़ी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, आर्थिक दशा आदि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध-भिक्षु था, बौद्धधर्म के तीर्थस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक ग्रन्थों के अनुशीलन के लिए ही वह इस देश में आया था। उसने भारत के प्रतापी सम्राट तक का नाम अपने यात्रा-विवरण में नहीं लिखा। इसीलिए उसके विवरण से हमें गुप्त-साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फाड़ियान के निम्नलिखित वाक्य गुप्त-काल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है—

“प्रजा प्रभूत और सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। वे राजा की भूमि जोतते हैं, और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहे रहें। राजा न प्राणदण्ड देता है, न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी की अवस्था के अनुसार उत्तम साहस या मध्यम साहस का अर्थदण्ड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार दस्त्युक्रम करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार और सहचर वेतनभोगी होते हैं। सारे देश में सिवाय चाण्डाल के कोई अधिवासी न जीर्वाहसा करता है, न मद्य पीता है, और न लहमुन खाता है। दम्यु को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब आते हैं, तो सूचना के लिए लकड़ी बजाते चलते हैं, कि लोग जान जायें और बचकर चले, कहीं उनमें छू न जायें। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार (दूधडखाने) और मद्य की दूकानें हैं। ऋय-विक्रय में कीड़ियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं।”

फाड़ियान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सचमुच ऐसा ही था। पर मांस, मद्य आदि का सेवन सर्वसाधारण जनता में था या नहीं, इस विषय में बारीकी से परिचय प्राप्त करने का अवसर फाड़ियान को नहीं मिला। बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्मों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और ब्यक्तिक जीवन उस युग में निःसन्देह बहुत ऊँचा था। राज्यशासन की उत्कृष्टता के विषय में फाड़ियान के निर्देश वस्तुतः बड़े महत्त्व के हैं। फाड़ियान भारत में हजारों मील तक भ्रमण करता रहा। पर उसे कहीं भी चोर, डाकू व ज्शुओं का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग दो सदी बाद जब ह्युनत्सांग भारत-यात्रा को आया, तो कई जगह उस पर डाकूओं ने हमले

किए। उस समय भारत में किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं था, और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण देश में शान्ति नहीं रह गयी थी। पर फाइयान के समय में प्रतापी गुप्त-सम्राटों का शासन था, और सब जगह शांति बिराज रही थी। यही कारण है, कि फाइयान ने देश को सुखी और समृद्ध पाया।

साम्राज्य का स्वरूप—कौटलीय अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ और मंगस्थनीज जैसे विदेशी यात्री के अभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं, जिनसे हम गुप्त-साम्राज्य के शासन के सम्बन्ध में बहुत-सी उपयोगी बातें जान सकते हैं। गुप्त-सम्राटों के जो बहुत-से शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में प्रकाश डालते हैं। गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त-सम्राटों का सीधा शासन नहीं था। उनके अधीन अनेक महाराजा, राजा तथा गणराज्य थे, जो अपने आन्तरिक शासन में स्वतन्त्र थे। सामन्तों को उनके राज्य व शक्ति के अनुसार महाराजा व राजा कहते थे। सब सामन्तों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्यदेश के सामन्त गुप्त-सम्राटों के अधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामन्त प्रायः स्वतन्त्र स्थिति रखते थे, यद्यपि वे गुप्त-सम्राटों की अधीनता को स्वीकार करते थे। यही दशा गण-राज्यों की थी। शासन की दृष्टि से हम गुप्त-साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं—

(१) गुप्त सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश—ये शासन की सुगमता के लिए भूमित्तो (प्रान्तों या सूबों) में विभक्त थे। प्रत्येक भूमित्त में अनेक 'विषय' और उनके भी विविध विभाग होते थे।

(२) आर्यावर्त व मध्यदेश के सामन्त—इनकी यद्यपि पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता थी, पर वे सम्राट की अधीनता में ही शासन-कार्य करते थे।

(३) गणराज्य—प्राचीन यौधेय, मालव, आर्जुनायन, प्रार्जुन, काक, खर्परिक मद्र आदि अनेक गणराज्य गुप्तों के शासन-काल में भी विद्यमान थे। वे गुप्त-सम्राटों के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे।

(४) अधीनस्थ राजा—दक्षिण कोशल, महाकातार, पिण्डपुर, कोट्टूर, ऐरंड-पल्ल, देवराष्ट्र, अवमुक्त आदि बहुत-से राज्य इस काल में पृथक् रूप से विद्यमान थे। पर उनके राजाओं ने गुप्त-सम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर झुका दिया था।

(५) सीमावर्ती राज्य—असम, नेपाल, समतट, कर्तूरपुर आदि के सीमावर्ती राज्य प्रायः स्वतन्त्र सत्ता रखते थे। पर वे मेट-उपहार भेजकर व आज्ञाओं का पालन कर गुप्त सम्राटों को सन्तुष्ट रखते थे।

(६) अनुकूल मित्र राज्य—सिंहलद्वीप और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा के कुशाण-राजा गुप्त-सम्राटों को मेट-उपहार व कन्यादान आदि उपायो से मित्र बनाये रखने के लिए उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे, तथापि वे गुप्त-सम्राटों को अपना अधिपति मानते थे।

केन्द्रीय शासन—गुप्त-साम्राज्य का शासन सम्राट में केन्द्रित था। मीलों के समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट' रूप में करते थे। ये

गुप्त-राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परम भागवत', 'परम दैवत' आदि विरुद्धों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं और लोकपालों के भंशों से राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह विचार उस समय बल पकड़ गया था। समुद्रगुप्त को एक शिलालेख में 'लोकधाम्नी देवस्य' भी कहा गया है। इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक-नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिए ही मनुष्यरूप था, वस्तुतः वह संसार में रहने वाला 'देवता' ही था। राजाओं के प्रति यह दैवी भावना इस युग की स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओं के अंश से बना होने के कारण दैवी होता है, यह भाव याज्ञवल्क्य और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटलीय अर्थशास्त्र के समय में यह विचार था अवश्य, पर इसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही करते थे। पर गुप्त-काल तक यह एक सर्वसम्मत सिद्धान्त हो गया था, और शिलालेखों तक में इसका उल्लेख होने लगा था।

सम्राट् को शासन कार्य में सहायता देने के लिए मन्त्री या सचिव होते थे, जिनकी कोई सख्ता निश्चित नहीं थी। नारदस्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है, जिसके सभासद धर्मशास्त्र में कुशल, अर्थज्ञान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और क्षत्रिय मित्र को एक दृष्टि में देखने वाले होने चाहिएँ। राजा अपनी राजसभा के इन सभासदों के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करता था। देश का कानून इस काल में भी परम्परागत धर्म, चरित्र और व्यवहार पर आश्रित था। जनता के कल्याण और लोकसंरक्षण को ही राजा लोग अपना उद्देश्य मानते थे। इसका परिणाम यह था, कि गुप्त-सम्राट् भी स्वेच्छाचारी व निरकुश नहीं हो सकते थे।

साम्राज्य के मुख्य-मुख्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 'कुमारामात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे भी। साम्राज्य के विविध अंगों—भूमि, विषय आदि का शासन करने के लिए जहाँ इनकी नियुक्ति की जाती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, और शासन-सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था।

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'अधिकरण' कहते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी-अपनी मुद्रा (सील) होती थी। गुप्त-काल के शिलालेखों व मुद्राओं आदि से निम्नलिखित अधिकरणों और प्रधान राजकर्मचारियों के विषय में परिचय मिलता है—

(१) महासेनापति—गुप्त-सम्राट् स्वयं कुशल सेनानायक और योद्धा थे। वे दिग्विजयों व विजययात्राओं के अवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर उनके अधीन महासेनापति भी होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया सीमान्त प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिए नियत रहते थे। सेना के ये सबसे बड़े पदाधिकारी 'महासेनापति' कहाते थे।

(२) महादण्डनायक—महासेनापति के अधीन अनेक महादण्डनायक होते थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्तकाल की सेना के तीन प्रधान विभाग होते थे, पदाति, घुड़सवार और हाथी। महादण्डनायकों के अधीन महादण्डपति,

प्रश्वपति, महापीलपति, पीलपति आदि अनेक सेनानायक रहते थे। साधारण सैनिक को 'चाट' और सेना की छोटी टुकड़ी को 'चमू' कहते थे। चमू का नायक 'चमूप' कहलाता था। युद्ध के लिए परशु, शर, भ्रंशु, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच आदि अनेकविध अस्त्रों को प्रयुक्त किया जाता था।

(३) रणभांडागारिक—सेना के लिए सब प्रकार की सामग्री (अस्त्र-शस्त्र, भोजन आदि) को जुटाने का विभाग रणभांडागारिक के अधीन होता था।

(४) महाबलाधिकृत—सेना, छावनी और व्यूहरचना का विभाग महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत के हाथ में होता था। उसके अधीन अनेक 'अधिकृत' रहते थे।

(५) दण्डपाशिक—पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दण्डपाशिक कहाता था। इसके नीचे लुफिया विभाग का अधिकारी 'चौरौदरणिक' व 'दूत' आदि अनेक कर्मचारी रहते थे। पुलिस के साधारण निपाही को भट कहते थे।

(६) महासान्धिबिग्रहिक—इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामन्तों और गणराज्यों के साथ संधि या विग्रह की नीति का अनुसरण करना होता था। यह सम्राट् का अत्यन्त विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निर्धारण करता था। किन् देशों पर आक्रमण किया जाय, अधीनस्थ राजाओं व सामन्तों से क्या व्यवहार किया जाय, ये सब बातें इसी के द्वारा तय की जाती थी।

(७) विनय-स्थिति-स्थापक—मौर्यकाल में जो कार्य धर्म-महामात्र करते थे, वही गुप्त-काल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे। देश में धर्मनीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उन्नत रखना, और विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल रखना इन्हीं अमात्यों का कार्य था।

(८) भांडागारिक—यह वेषविभाग का अध्यक्ष होता था।

(९) महाक्षपटलिक—राज्य के सब आदेशों का रिकार्ड रखना इसके 'अधिकरण' का कार्य था। राजकीय आय-व्यय आदि के सब लेखे भी इसी अमात्य द्वारा रखे जाते थे।

(१०) सर्वाध्यक्ष—यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान अधिकारी होता था।

इन मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त, राज्य-कर को वसूल करने का विभाग 'ध्रुवाधिकरण' कहलाता था। इस अधिकरण के अधीन शौलिक (भूमिकर वसूल करने वाला), गौलिक (जंगलों से विविध आमदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व गोप (ग्रामों के विविध कर्मचारी) आदि अनेक राजपुरुष होते थे। राजप्रासाद का विभाग बहुत विशाल होता था। महाप्रतीहार और प्रतीहार नाम के अनेक कर्मचारी उसके विविध कार्यों को संभालते थे। सम्राट् के प्राइवेट सेक्रेटरी को 'रहसि-नियुक्त' कहते थे। युवराजभट्टारक और युवराज के पदों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये जाते थे। सम्राट् का बड़ा लड़का 'युवराजभट्टारक' और अन्य लड़के 'युवराज' कहाते थे। शासन में इन्हें अनेक महत्वपूर्ण पद दिये जाते थे। यदि कोई युवराज (राजपुत्र) कुमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह 'युवराज कुमारामात्य' कहाता था। सम्राट् के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य 'परमभट्टारकपादीय कुमारामात्य' कहाते थे।

इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी 'युवराजभट्टारकपादीय कुमारामात्य' कहे जाते थे। राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासक व इसी प्रकार के अन्य ऊँचे राजपदों पर नियुक्त होकर शासन-कार्य में सम्राट् की सहायता करते थे।

विविध राजकर्मचारियों के नाम गुप्तकाल में सर्वथा नये हो गए थे। मौर्यकाल में सम्राट् को केवल 'राजा' कहते थे। बौद्ध-धर्म के अनुयायी अशोक सदृश राजा अपने साथ 'देवाना प्रियः प्रियदर्शी' विशेषण लगाते थे। पर गुप्त सम्राट् 'महाराजाधिराज' कहलाते थे, और अपने धर्मके अनुसार 'परमभागवत' या 'परममाहेश्वर' या 'परमसौगत' विशेषण प्रयुक्त करते थे। पुराने मौर्यकालीन 'तीर्थों' का स्थान अब 'अधिकरणों' ने ले लिया था। उनके प्रधान कर्मचारी अब 'अधिकृत' कहाते थे।

प्रान्तीय शासन—विशाल गुप्त-साम्राज्य अनेक राष्ट्रों या देशों में विभक्त था। साम्राज्य में कुल कितने देश या राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'भुक्तियाँ' और प्रत्येक 'भुक्ति' में अनेक 'विषय' होते थे। भुक्ति को हम वर्तमान समय की कमिश्नरी के समान समझ सकते हैं। गुप्तकालीन शिलालेखों में तीर, भुक्ति (तिरहुत), 'पुण्ड्रवर्धन, भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही आदि), मगध, भुक्ति आदि अनेक भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। 'विषय' वर्तमान समय के जिलों के समान थे। प्राचीन काल के महाजनपदों और जनपदों का अब अन्त हो गया था। सैकड़ों वर्षों तक मगध साम्राज्य के अधीन रहने के कारण अपनी पृथक् सत्ता की स्मृति अब उनमें बहुत मन्द पड़ गई थी। अब उनका स्थान भुक्तियों ने ले लिया था, जिनका निर्माण शासन की सहनियत को दृष्टि में रखकर किया जाता था।

देश या राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकुल के व्यक्ति नियत होते थे। इन्हें 'युवराज कुमारामात्य' कहते थे। इनके अपने-अपने महामेनापति, महादंडनायक आदि प्रधान कर्मचारी होते थे। युवराज-कुमारामात्यों के अधीन भुक्तियों का शासन करने के लिए 'उपरिक' नियत किये जाते थे। उपरिकों की नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती थी। इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियुक्त होते थे। प्रत्येक भुक्ति अनेक 'विषयों' में विभक्त होती थी। विषय के शासक 'विषयपति' कहाते थे। इनकी नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा ही की जाती थी।

गुप्तकाल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, मालवा, मन्दसौर और कौशाम्बी, इन चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्र-गुप्त के समय में पर्णदत्त था, और मन्दसौर का शासन बन्धुवर्मा के हाथों में था। इसमें सन्देह नहीं, कि विशाल गुप्त-साम्राज्य में अन्य भी अनेक राष्ट्र रहे होंगे, पर उनका उल्लेख इस काल के शिलालेखों में नहीं हुआ है।

भुक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपति और गोप्ता भी कहते थे। दामोदरगुप्त के समय में पुण्ड्रवर्धनभुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरतिदत्त रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में तीर, भुक्ति का शासक सम्राट् का पुत्र गोविन्दगुप्त था। इन उपरिक महाराजों की बहुत-सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

विषय (जिले) के शासक 'विषयपति' को अपने कार्य में परामर्श देने के लिए एक सभा होती थी, जिसके सभासद 'विषय-महत्तर' (जिले के बड़े लोग) कहाते थे। इनकी संख्या तीस के लगभग होती थी। नगरश्रेष्ठी, सार्थवाह (व्यापारियों का मुखिया), प्रथम कुलीन (शिल्पियों का मुखिया) और प्रथम कायस्थ (लेखक-श्रेणी का मुखिया), इस विषय-सभा में प्रवश्य रहते थे। इनके अतिरिक्त जिले में रहनेवाली जनता के अन्य मुख्य लोग भी इसमें 'महत्तर' के रूप में सम्मिलित होते थे। सम्भवतः, इन महत्तरोंकी नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं की जाती थी। विषयपति अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिए नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में सर्वसाधारण जनता का पर्याप्त हाथ रहता था। विषयपति को यह भली-भाँति मालूम होता रहता था, कि उसके क्षेत्र की जनता क्या सोचती और क्या चाहती है।

विषय के शासक कुमारायों (विषयपतियों) का गुप्त-साम्राज्य के शासन में बड़ा महत्त्व था। अपने प्रदेश की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के लिए वे ही उत्तरदायी थे। उनके अधीन राजकीय कारो को एकत्र करने के लिए अनेक कर्मचारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी जिले के इन कर्मचारियों को 'युक्त' ही कहते थे। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों की संज्ञा बदल गयी थी, पर छोटे राजपुरुषों की अब भी वही संज्ञा थी, जो कम-से-कम सात सदियों से भारत में प्रयुक्त होती आ रही थी। विषयपति के अधीन दण्डपाशिक (पुलिस के कर्मचारी), चौरोद्धरणिक (गुप्तिया पुलिस), भारक्षाधिकृत (जनता के रक्षार्थ नियुक्त कर्मचारी) और दण्डनायक (जिले की सेना के अधिकारी) रहते थे।

'विषय' में अनेक शहर और ग्राम होते थे। शहरों के शासन के लिए 'पुरपाल' नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थिति कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल केवल बड़े-बड़े नगरों में ही नियुक्त होते थे। विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में परामर्श देते थे। पुरो की निगम-सभाएँ तथा व्यापारियों और शिल्पियों के संघ इस काल में भी विद्यमान थे। ग्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था। इस युग में पंचायत को 'पंच-मंडली' कहते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्वयतम सेनापति अन्नकार्दव ने एक ग्राम की पंच-मण्डली को २५ दीनारों एक विशेष प्रयोजन के लिए दी थी। इसका उल्लेख साँची के एक शिलालेख में किया गया है।

राजकीय कर—गुप्तकाल के लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस युग में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन मुख्य थे—

(१) भाग कर—खेती में प्रयुक्त होनेवाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग राज्यकर के रूप में लिया जाता था। इस भाग की मात्रा १८ फी सदी से २५ फी सदी तक होती थी। यह भागकर प्रायः पैदावार के रूप में ही लिया जाता था।

(२) भोग कर—मौर्यकाल में चुंगी के लिए शुल्क शब्द प्रयुक्त होता था, उसी को गुप्तकाल में भोग-कर कहते थे।

(३) भूतोवात प्रत्याय—विदेशों से स्वदेश में आने वाले और देश में उत्पन्न होनेवाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था, उसे भूतोवात-प्रत्याय कहते थे।

अधीनस्थ राज्यों का शासन—गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत जो अधीनस्थ सामन्त राजा थे, उनपर सम्राट् के प्रभुत्व का स्वरूप यह था, कि छोटे सामन्त 'विषयपति कुमारामात्यों' के और बड़े सामन्त भुक्ति के शासक 'उपरिक महाराज कुमारामात्यों' के अधीन होते थे। अपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट् विविध सामन्तों पर अपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे।

इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा या सामन्तपद्धति (फ्यूडलिज्म) का विकास हो गया था। बड़े सामन्तों के अधीन छोटे सामन्त और उनके भी अधीन और छोटे सामन्त होते थे। सम्राट् बुधगुप्त के अधीन महाराजा मुरश्मिचन्द्र एक बड़ा सामन्त था, जिसके अधीनस्थ एक अन्य सामन्त मातृविष्णु था। गुप्त-सम्राटों के अधीन परिव्राजक, उच्छकल्प और वर्मन् आदि विविध वशों के शक्तिशाली सामन्त महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करते थे। इनकी अपनी सेनाएँ भी होती थी। ये अपना राजकीय कर स्वयं वसूल करते थे और अपने आन्तरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे। साम्राज्य के साधिविग्रहिक के निरीक्षण में ये महाराज अपने शासन का स्वयं संचालन करते थे। अनेक सामन्त महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट् का नियंत्रण अधिक कटोर था, और जिन्हें राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था। यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार 'फ्यूडल सिस्टम' का विकास हो गया था, वैसे ही इस युग में भारत में भी हुआ। गुप्तकाल में बड़े और छोटे सब प्रकार के सामन्त थे, जो अपनी पृथक् सेनाएँ रखते थे। प्रतापी गुप्त-सम्राटों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया था, पर इनकी पृथक् व स्वतंत्र मत्ता को नष्ट नहीं किया था।

शक, यवन, कुशाण आदि म्लेच्छों के आक्रमणों ने भारत में जो अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हो गयी थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध-साम्राज्य के उच्च महामानवों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और वे वंशक्रमानुगत रूप से अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे। अव्यवस्था के युग में अनेक महत्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने पृथक् राज्य कायम कर लिए थे। गुप्त-सम्राटों ने इन सब राजा-महाराजाओं का अन्त नहीं किया। यही कारण है, कि उनकी शक्ति के दिग्धिल होते ही ये न केवल पुनः स्वतन्त्र हो गये, पर परस्पर युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में भी तत्पर हो गए। इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में अव्यवस्था छा गयी, और एक प्रकार के 'मात्स्यन्याय' का प्रारम्भ हो गया। इसीलिए तिब्बती लामा तारानाथ को यह लिखने का अवसर मिला, कि इस काल में 'हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी-अपनी जगह राजा बन बैठा।' सामन्त-महाराजाओं के आपस के युद्धों ने सचमुच ही मात्स्यन्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। गुप्त-काल की सामन्त-पद्धति का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोधर्मा और हर्षवर्धन जैसे 'आसमुद्र-क्षितीश' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से किसी विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत भर में एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गयी। सामन्त-पद्धति का यह एक स्वाभाविक परिणाम था।

गुप्त-साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुणिन्द, मालव, ब्राह्मजनायन आदि अनेक गणराज्य थे, उनमें भी इस युग में लोकतन्त्र शासन की परम्परा का हास हो रहा था। कुछ विशेष शक्तिशाली कुलों में इन गणराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित होती जा रही थी। ये कुलीन लोग अपने को 'महाराज' और 'महासेनापति' कहते थे। अपने युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से गणराज्य भी नहीं बच सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार के ऐसे महाराजाधो के अधीन हो गये, जो सामन्तो की-सी स्थिति रखते थे।

(५) गुप्त-काल के सिक्के

गुप्त-सम्राटों के बहुत-से सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वश का इतिहास ही मुख्यतया इन सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया है। चन्द्रगुप्त प्रथम के केवल एक ही प्रकार के सिक्के मिले हैं। इनके एक ओर चन्द्रगुप्त मुकुट, कोट पायजामा और भ्रूमूषण पहने खड़ा है, उसके बाएँ हाथ में ध्वजा और दाहिने हाथ में भ्रूगुठी है। सामने वस्त्र और भ्रूमूषणों में सज्जित रानी कुमारदेवी है। राजा अपनी पत्नी को भ्रूगुठी दे रहा है। इस सिक्के के बायीं ओर 'चन्द्रगुप्त' और दायीं ओर 'श्रीकुमारदेवी' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिंह पर सवार है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छवय.' लिखा गया है। लिच्छविगण की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था, और अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। लिच्छविकुमारी श्री कुमारदेवी से विवाह के कारण ही उसके उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था। इसीलिए चन्द्रगुप्त प्रथम के इन सिक्कों पर लिच्छवियों और कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गयी है। चन्द्रगुप्त के ये सिक्के सोने के हैं, और तोल में १११ ग्राम हैं।

समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और ताम्बे दोनों के बने हुए हैं। समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचारित किये थे। (१) गहड़-ध्वजाकित—इनमें एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्राट की खड़ी मूर्ति है। उसके बाएँ हाथ में ध्वजा और दाएँ हाथ में अग्निकुण्ड में डालने के लिए आहुति दिखाई पड़ती है। कुण्ड के पीछे गहड़ध्वज है। सम्राट के बाएँ हाथ के नीचे उसका नाम 'समुद्र' या समुद्रगुप्त लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर 'समरक्षत विततविजयी जितारि-पुरजितो दिवं जयति' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह वस्त्र और भ्रूमूषणों से सुसज्जित है, तथा साथ ही 'पराक्रम.' लिखा है। (२) इन सिक्कों में धनुष-बाण लिए हुए सम्राट की मूर्ति गहड़ध्वज के साथ है। बाएँ हाथ के नीचे सम्राट का नाम 'समुद्र' लिखा है, और चारों ओर 'अप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितः दिवं जयति' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, और 'अप्रतिरथः' लिखा है। (३) इन सिक्कों में एक ओर परशु लिए सम्राट की मूर्ति है। साथ ही दाहिनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बायीं तरफ समुद्र या 'समुद्रगुप्त' लिखा है, और चारों ओर 'कृतांतपरशुर्जयत्यजितराजजेता-जितः' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, और नीचे 'परशुः' लिखा है। (४) इन सिक्कों में एक ओर धनुष-बाण से सज्जित

सम्राट् का चित्र है, जिसे एक व्याघ्र का संहार करते हुए दिखाया गया है। सम्राट् के बाएँ हाथ के नीचे 'व्याघ्रपराक्रमः' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर मकर पर खड़ी हाथ में कमल लिए गंगा देवी का चित्र है, और नीचे 'राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। (५) इन सिक्कों में एक ओर संगीतप्रेमी सम्राट् का चित्र है, जो एक पृष्ठयुक्त पर्यङ्क पर बैठा हुआ जाँघ मोड़े हुए वीणा बजा रहा है। चारों ओर 'महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर आसन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति है, और साथ में 'समुद्रगुप्त.' लिखा है। (६) ये सिक्के अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष में प्रचारित किए गए थे। इनमें एक ओर यूप से बँधे हुए यज्ञीय अश्व की मूर्ति है, और चारों ओर 'राजाधिराजः पृथिवी विजित्वा दिवं जयत्याहुतवाजिमेघः लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर खंवर लिए हुए राजमहिषी का चित्र है, और 'अश्वमेधपराक्रम.' लिखा है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८-१२२ ग्रैन हैं। उसके ताम्बे के भी सिक्के मिले हैं, जिनपर गरुड़ का चित्र और 'समुद्र' लिखा है।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की दृष्टि से तीन प्रकार के हैं, १२१ ग्रैन, १२५ ग्रैन और १३२ ग्रैन के। चित्रों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं— (१) इनके एक ओर धनुष-बाण लिए हुए चन्द्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है, और साथ में गरुड़ध्वज है। दूसरी ओर कमलासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इन सिक्कों के एक ओर खड़े हुए रूप में राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मूठ पर है, और पीछे एक वामन छत्र पकड़ हुए खड़ा है। दूसरी ओर कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। (३) इन सिक्कों में एक तरफ सम्राट् पर्यङ्क पर बैठा है, उसके बाएँ हाथ में कमल है, और बायाँ हाथ पर्यङ्क पर टिका हुआ है। सिक्के के दूसरी ओर सिंहासन पर आसीन लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमें एक ओर सम्राट् को धनुष-बाण द्वारा सिंह को मारते हुए दिखाया गया है, और दूसरी ओर सिंह पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (५) इन सिक्कों में एक ओर घोड़े पर चढ़े हुए सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर आसन पर विराजमान देवी की मूर्ति है, जिसके हाथ में कमल है। इन सब सिक्कों पर 'महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त', 'क्षितिमवजित्य मुचर्गितः दिवं जयति विक्रमादित्य', 'नरेन्द्रचन्द्र.प्रथितदिवं जयत्यजेय भुवि सिंहविक्रम', 'नरेन्द्रसिंहचन्द्रगुप्तः पृथिवी जित्वा दिवं जयति' आदि अनेक प्रकार की उक्तियाँ उल्लिखित हैं।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अनेक सिक्के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट् के अश्वशरीर (बस्ट) की मूर्ति है, और दूसरी ओर गरुड़ का चित्र है। इनपर 'परम-भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य विक्रमादित्य., अथवा 'श्रीगुप्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमांकस्य' लिखा है। इस सम्राट् के ताम्बे के बने हुए भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर गरुड़ का चित्र है।

गुप्त-सम्राटों में सबसे अधिक सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। ये सिक्के भार में १२४ और १२६ ग्रैन हैं। चित्रों की दृष्टि से ये नौ प्रकार के हैं—(१) इनके एक ओर धनुष-बाण लिए सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर कमलासन पर बैठी देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक ओर तलवार की मूठ पर हाथ टेके हुए सम्राट् की मूर्ति है, और साथ में गरुड़ध्वज भी है। दूसरी ओर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का

चित्र है। (३) इनमें एक ओर यज्ञीय अश्व है, दूसरी ओर अस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित राजमहिषी की मूर्ति है। (४) इनमें एक ओर घोड़े पर सवार सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर हाथ में कमल का फूल लिए एक देवी बैठी है। (५) इनमें एक ओर सिंह को मारते हुए सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर सिंह पर आरूढ अम्बिका की मूर्ति है। (६) इनमें एक ओर धनुष-बाण से व्याघ्र को मारते हुए सम्राट् का चित्र है, दूसरी ओर मोर को फल खिलाती हुई देवी की खड़ी मूर्ति है। (७) इनमें एक ओर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट् खड़ा है, और दूसरी ओर मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति है। (८) इनमें एक ओर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिकके के दूसरी ओर एक देवी बैठी हुई है। (९) इनमें एक ओर हाथी पर सवार सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति है।

इन सिकको पर 'क्षितिपतिरजितमहेन्द्रः कुमारगुप्तो दिवं जयति', 'गुप्तकुलव्योम-गशिः जयत्यजेयो जितमहेन्द्रः' 'कुमारगुप्तो विजयी सिंहमहेन्द्रो दिवं जयति' आदि अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। कुमारगुप्त के चाँदी और ताम्बे के भी बहुत-से सिकके उपलब्ध हुए हैं।

स्कन्दगुप्त के सोने के सिकके भार में १३२ और १४४ ग्रैन के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं—(१) इनमें एक ओर धनुष-बाण धारण किए सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक ओर सम्राट् और राजमहिषी के चित्र हैं, बीच में गरुडध्वज है, और दूसरी ओर कमल हाथ में लिए हुए देवी की मूर्ति है। सिकको पर भी अनेक लेख उत्कीर्ण हैं। स्कन्दगुप्त के भी चाँदी और ताम्बे के अनेक सिकके उपलब्ध हुए हैं।

स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, वैष्णवगुप्त आदि प्रायः सभी गुप्त-सम्राटों के सिकके मिलते हैं। इन सब में प्रायः 'विजितावनिरवनिपतिः कुमारगुप्तो दिवं जयति' के सदृश लेख उत्कीर्ण हैं। सम्राट् का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रायः इसी के सदृश रहता है।

(६) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर

पाटलिपुत्र—गुप्त-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके विषय में चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है—“मध्यदेश में यह नगर सबसे बड़ा है। इसके निवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं। दान और सत्य में स्पर्धालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। दूसरे मास की आठवी तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमें धुरी और हर्स लगे रहते हैं। यह २० हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मड़ा जाता है। भाँति-भाँति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियाँ सोने-चाँदी और स्फटिक की भव्य बनती हैं। रेशम की ध्वजा और चाँदनी लगती है। चारों कोनों पर कलगियाँ लगती हैं। बीच में बुद्धदेव की मूर्ति होती है, और पास में बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सब के रंग न्यारे। नियत दिन आस-पास के यति और गृही इकट्ठे होते हैं। गाने-बजाने वाले साथ लेते

हैं। फूल और गंध से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण आते हैं, और बुद्धदेव को नगर में पधारने के लिए निमन्त्रण करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात बीत जाती हैं। सारी रात दीया जलता है। गाना-बजाना होता है। पूजा होती है। जनपद-जनपद में ऐसा ही होता है। जनपद के वैश्यो के मुखिया लोग नगर में सदावर्त और औषधालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, नि.संतान, लूले, लंगड़े और रोगी लोग उस स्थान पर आते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है। बंछ रोगों की चिकित्सा करते हैं। वे अनुकूल औषध और पथ्य पाते हैं। अच्छे होते हैं, तब जाते हैं।”

फाइयान को बौद्ध-धर्म के अनुष्ठानों व तीर्थस्थानों को देखने के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिए अवकाश नहीं था। पाटलिपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राज-प्रासाद, स्तूपों और बिहारों को ही देखा। पर उसके विवरण से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि गुप्त-सम्राटों के शासनकाल में पाटलिपुत्र बहुत समृद्ध नगर था, और उसके निवासी भी सम्पन्न और समृद्धिशाली थे। वे रथयात्राओं में बड़े शोक से शामिल होते थे, और खूब दिल खोलकर दान-गुण्य करते थे।

वैशाली—पाटलिपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल की एक अत्यन्त समृद्धिशाली नगरी थी। इसके अवशेषों में बहुत-सी मोहरों के सिंचे मिले हैं, जिन्हें वैशाली के ‘श्रेष्ठीसार्यवाहकुलिकनिगम’ की ओर से काम में लाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (माहूकार), सार्यवाह (व्यापारी) और कुनिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा (निगम) संघ था, जो अपनी मोहर में मुद्रित कर विविध व्यापारिक आदेश जारी किया करता था।

उज्जयिनी—गुप्त-काल में उज्जयिनी भी बहुत समृद्ध दशा में थी। गुप्त-सम्राट् प्रायः वहाँ ही निवास करने थे। विशेषतया, शकों को परास्त करने के बाद जब साम्राज्य पश्चिम में गुजरात-काठियावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जयिनी ने साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष के अनुशीलन का यह बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर ने यहीं अपनी वेधशाला बनाई थी, और देश तथा काल की गणना इसी को आधार बनाकर की थी। गुप्तों के बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जयिनी को ही आधार बनाकर देश और काल की गणना करते रहे, और यहाँ की वेधशाला भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध रही।

वशपुर—गुप्त-काल में मालवा का वशपुर भी एक अत्यन्त समृद्ध नगर था। सम्राट् कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर में प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सौन्दर्य और वैभव का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया है। इसके गगनचुम्बी सुन्दर प्रासादों की भाला, रमणीक वाटिकाओं की छटा, मदमत्त हाथियों की क्रीड़ा, पिंजरबद्ध हंसों के विलास और रमणियों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि वशपुर एक बहुत ही समृद्ध नगर था। इस शिलालेख के रचयिता कवि वत्सभट्टि ने वशपुर का वर्णन करते हुए लिखा है—इस नगरी में कैलाश के शिखर के समान ऊँचे भकानों की पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थीं, मानो गगन को छूते हुए विमानों की मालाएँ हों।

नगर में बहुत से उद्यान और तालाब थे, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी हर समय कलरव करते रहते थे ।

इनके प्रतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी, चम्पा, ताम्रलिप्ति, कान्यकुब्ज आदि ग्रन्थ बहुत-सी नगरियाँ भी इस काल में सम्पन्न अवस्था में विद्यमान थीं । फाइयान ने इन सबकी यात्रा की थी । इनके विहारों, स्तूपों, भिक्षुघों आदि के सम्बन्ध में तो फाइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है कि इनके वैभव, समृद्धि, आर्थिक वशा व सामाजिक जीवन के विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया ।

(७) चीनी यात्री फाइयान

फाइयान का उल्लेख पहलं किया जा चुका है । वह चीन के ग्रन्थनम प्रदेश शेन-सी की राजधानी चांग-गान का रहने वाला था । उसके समय तक चीन में बौद्धधर्म का प्रचार हो चुका था, और बहुत-से लोग भिक्षु-जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे । फाइयान बचपन में प्रब्रज्या ग्रहण करके बौद्ध-धर्म के अध्ययन में ही अपना सम्पूर्ण समय व्यतीत कर रहा था । उसने विचार किया, कि चीन में जो विनयपिटक हैं, वे अपूर्ण हैं । प्रामाणिक धर्म-ग्रन्थों की खोज में उसने भारत यात्रा का सकल्प किया । चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से अपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगे । चौथी सदी के अन्त में वह चीन से चला था, और सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवीं सदी के शुरू में उसने भारत के विविध प्रदेशों का भ्रमण किया था । उसके यात्रा-विवरण में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, जो इस युग के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं ।

“इस देश (शेन-शेन, पूर्वी तुकिस्तान में) के राजा का धर्म हमारा ही है । यहाँ लगभग चार हजार से अधिक भ्रमण रहते हैं । सब के सब हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । इधर के देश के सब लोग क्या गृहस्थ और क्या भिक्षु, सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं । यहाँ से पश्चिम में जिन-जिन देशों में गये, सभी में ऐसा ही पाया । सब गृहस्थायी विरक्त भारतीय ग्रन्थों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं ।

“क्षोत्र जनपद सुखप्रद और सम्पन्न है । अधिवासी धार्मिक हैं ।

“कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से अधिक भिक्षु हैं । सब महायान के अनुयायी हैं ।”

“किन्ना के भ्रमणों का आचार आश्चर्यजनक है, इतना विधिविधेात्मक कि वर्णनातीत है ।

“शांघार देश के निवासी सब हीनयान के अनुयायी हैं । तक्षशिला में राजा, मन्त्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं । इन स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं टूटता ।

“यहाँ (पुष्पपुर या पेशावर में) सात सौ से अधिक भ्रमण होंगे । जब मध्याह्न होता है, भ्रमण भिक्षापात्र लेकर निकलते हैं ।

“(पिशावर से) दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर जनपद की सीमा पर हेलो (हेड्डा) नगर में पहुँचे, यहाँ विहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं, और सात्तरल जड़े हैं।

“(मथुरा को जाते हुए) मार्ग में लगातार बहुत-से विहार मिले, जिनमें लाखों श्रमण मिले। सब स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। नदी के दाएँ-बाएँ किनारे बीस विहार थे, जिनमें तीस हजार से अधिक भिक्षु थे। अब तक बौद्ध-धर्म का अच्छा प्रचार है। मरुभूमि में पश्चिम भारत के सभी जनपदों के अधिपति बौद्ध-धर्म के अनुयायी मिले। भिक्षुसभ को भिक्षा कराते समय वे अपने मुकुट उतार डालते हैं। अपने बन्धुओं और भ्रमात्स्यों सहित अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। परोस कर प्रधान महासंघ (स्वविर) के आगे आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। संघ के सामने खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत के समय में जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी, वही अब तक चली आती है।

“यहाँ से दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण सम है। प्रजा प्रभूत और सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढी और पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं, और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायँ जहाँ चाहे रहें। राजा न प्राणदण्ड देता है, और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अवस्थानुसार उत्तम साहस व मध्यम साहस का अर्थदण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर दक्षिण कर्णछेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार और सहचर वेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीता है, और न लहसुन-प्याज खाता है, सिवाय चाण्डाल के। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं, और नगर में जब बैठते हैं, तो सूचना के लिए लकड़ी बजाते चलते हैं, कि लोग जान जायँ और बचकर चले, कही उनसे छू न जाएँ। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कही सूनागार और मद्य की दूकानें हैं। ऋय-विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं।

“श्रमणों का कृत्य शुभ कर्मों से धनोपाजन करना, सूत्रों का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आर्गतुक (अतिथि) भिक्षु आते हैं, तो रहने वाले (स्थायी) भिक्षु उन्हें आगे बढ़ कर लेते हैं। उनके भिक्षापात्र और वस्त्र स्वयं ले आते हैं। उन्हें पैर धोने को जल और सिंग में लगाने को तेल देते हैं। विश्राम ले लेने पर उनसे पूछते हैं, कि कितने दिनों से प्रव्रज्या ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास देते हैं, और यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं।

“जब भिक्षु वार्षिकी अग्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मण लोग वस्त्र और अन्य उपहार बाँटते हैं। भिक्षु उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं। बुद्धदेव के बोधि-प्राप्ति-काल से ही यह रीति, आचार-व्यवहार और नियम अधिच्छिन्न लगातार चले आते हैं। हियंतु (सिन्धु नदी) उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक और दक्षिण समुद्र तक चालीस-पचास हजार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कही पर्वत भरने नहीं है, नदी का ही जल है।

“(कान्यकुब्ज—कन्नौज) नगर गंगा के किनारे है। जो संधाराम हैं, सब हीन-यान के अनुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था।

“दक्षिण दिशा में चले। घाठ योजन चलकर कोसल जनपद के नगर श्रावस्ती में पहुँचे। नगर में बहुत कम अधिवासी हैं, और जो हैं, तितर-वितर है। सब मिलाकर दो सौ से कुछ अधिक घर होंगे।

“मध्यदेश में ६६ पाषण्डों (सम्प्रदायों) का प्रचार है। सब लोक-परलोक को मानते हैं। उनके साधुसंघ हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर धर्मशालाएँ स्थापित की हैं। वहाँ ध्याये-गये को आवास, खाट, बिस्तर, खाना-पीना मिलता है। यति भी वहाँ माते-जाते और निवास करते हैं।

“कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खण्डहर और उजाड़ है। कुछ श्रमण रहते हैं, और दस घर अधिवासी हैं। कपिलवस्तु जनपद जनशून्य है। अधिवासी बहुत कम हैं। मार्ग में श्वेत हस्ती और सिंह से बचने की आवश्यकता है, बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है।

“राजगृह नगर के भीतर सुनसान है, कोई मनुष्य नहीं।

“दक्षिण जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह और दुस्तर है। कठिनाइयों को भूलकर जाने के इच्छुक सदा धन और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनपद के राजा को देते हैं। राजा प्रसन्न होकर रक्षक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्ग बताते हैं।

“ताम्रलिपि नगर एक बन्दरगाह है, इस जनपद में २४ संधाराम हैं। श्रमण संघ में रहते हैं। बौद्ध-धर्म का अच्छा प्रचार है।”

फाइयान के इन उद्धरणों में भी यद्यपि बौद्ध-धर्म की दशा का ही चित्रण अधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ-न-कुछ निदर्शन इनसे अवश्य मिल जाता है। पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे बड़ा नगर था, वहाँ के निवासी सम्पन्न और समृद्ध थे। फाइयान वहाँ तीन साल तक रहा। बौद्ध-धर्म के जिन ग्रन्थों का वह अध्ययन करना चाहता था, वे सब उसे वही मिले। पर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह आदि अनेक पुराने नगर इस समय खण्डहर हो चुके थे।

(८) आर्थिक जीवन

व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणियों और निगमों में संगठित थे। गुप्तकाल के शिलालेखों और मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल श्रेष्ठियों और सार्थवाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी अपनी-अपनी श्रेणियों में संगठित थे। जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है, कि इनके पास स्वयं विविध प्रयोजनों से घरों-घरों (प्रक्षयनीवि रूप में या सामयिक रूप में) रखा दिया जाता था, और ये उसपर सूद दिया करते थे। इन निगमों व श्रेणियों का एक मुखिया और उसको परामर्श देने के लिए चार या पाँच व्यक्तियों की

एक समिति रहती थी। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकारों (जुलाहों) की एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से आकर दशपुर में बस गयी थी। स्कन्दगुप्त के एक शिलालेख में 'इन्द्रपुरनिवासिनी तैलिक श्रेणी' का उल्लेख है। इसी प्रकार मूर्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, वणिक् आदि की भी श्रेणियों का उल्लेख इस युग के लेखों में है। अकेले वैशाली से २७४ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जो विविध लेखों को मुद्रित करने के काम में आती थी। ये मोहरें 'श्रेणीसार्थवाहकुलिकनिगम' की हैं। उस काल में वैशाली में साहूकार, व्यापारी और शिल्पियों की श्रेणियों का यह सम्मिलित शक्तिशाली निगम था। इसका कार्य भारत के बहुत-से नगरों में फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम द्वारा भेजे जाते थे, उन्हें बन्द करके ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थी, ताकि पत्र सुरक्षित रहे। निगम की मोहर (कामन-सील) के अतिरिक्त इन पत्रों पर एक और मोहर भी लगाई जाती थी, जो सम्भवतः विविध नगरों में विद्यमान निगमशाखाओं के अध्यक्ष की निजी मोहर होती थी।

वैशाली के इस निगम के अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम गुप्तकाल में विद्यमान थे। वर्तमान समय के बैंकों का कार्य इस काल में ये श्रेणियाँ और निगम ही करते थे। अपने भण्डों का निर्णय भी वे स्वयं करते थे। उनका अपना न्यायालय होता था, जिसमें धर्म, चरित्र और व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयपति की राजसभा में भी महामद रहते थे। गुप्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेणियों व निगमों का बड़ा महत्त्व था।

श्रेणियाँ छोटी और बड़ी सब प्रकार की होती थीं। श्रेणी का मुखिया आचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत-से शशिर्द (अंतेवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे। नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। वहाँ लिखा है—जिम किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांधवों की अनुमति लेकर आचार्य के पास जाय और उससे समय आदि का निश्चय कर उसी के पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख लिया जाय, तो भी जितने काल का फैसला किया गया हो, उतने समय तक अवश्य ही गुरु के घर में निवास करे। आचार्य अपने अन्तेवासी के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने पास से भोजन देवे और उसे अली-भौति शिल्प की शिक्षा दे। जब अंतेवासी शिल्प को सीख ले, और निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को दक्षिणा देकर वह अपने घर लौट आये।

नारदस्मृति के इस सन्दर्भ से एक छोटी श्रेणी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आचार्य के घर में जो अंतेवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय तक शशिर्द करने के लिए प्रतिज्ञा करते थे। इस बीच में आचार्य उनसे शिल्प-सम्बन्धी सब काम लेता था, बदले में केवल भोजन या निर्वाह का खर्चा देता था। आचार्य के अधीन बहुत-से अंतेवासी रहा करते थे। उसे मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। निर्धारित समय समाप्त हो जाने पर ये अंतेवासी अपना स्वतन्त्र व्यवसाय कर सकते थे। भारत में ऐसी श्रेणियाँ मौर्यकाल व उससे भी पहले से चली आ रही थी। पर गुप्त-युग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठित श्रेणियों ने ले

लिया था। मन्दसौर की प्रशस्ति में जिस पटकार श्रेणी के लाटवेश से दशपुर आकर बस जाने का उल्लेख है, उसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि उसके बहुत-से सदस्य थे, जो भिन्न-भिन्न विद्याओं में निपुण थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही उनमें से अनेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय और युद्धविद्या में भी प्रवीण थे। इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेणियों और निगमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विविध श्रेणियों व निगमों के संघ भी इस समय तक बन गए थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत विस्तृत क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ इतनी समृद्ध थी, कि दशपुर की तंतुवायश्रेणी ने स्वयं अपने कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था, और उसी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मन्दसौर की प्रशस्ति उत्कीर्ण करायी थी।

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत के विविध प्रदेशों में, अपितु पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के समुद्र-पार के देशों के साथ इस युग में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी और उज्जयिनी होते हुए एक सड़क भड़ोच को गयी थी, जो इस युग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर और बन्दरगाह था। यहाँ से मिस्र, रोम, ग्रीस, ईरान और अरब के साथ व्यापार होता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर ताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बन्दरगाह था। यहाँ से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन आदि सुदूर-पूर्व के देशों में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। फाइयान ने यही से अपने देश के लिए प्रस्थान किया था। इस युग में हिन्द महासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों में बृहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन उपनिवेशों में आने-जाने के लिए ताम्रलिप्ति (वर्तमान ताम्र-लूक) का बन्दरगाह बहुत काम में आता था। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कन्नूर, चंडशाली, कावेरी-गट्टनम, तोदई, कोरकई आदि अन्य भी अनेक बन्दरगाह थे।

मिस्र और रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गुप्तवंश के शासन से पहले प्रारम्भ हो चुका था, वह अब तक भी जारी था। रोम की शक्ति के क्षीण हो जाने के बाद पूर्व में कॉन्स्टैन्टिनोपल (पुराना बाइजेण्टियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र हो गया था। कॉन्स्टैन्टिनोपल के सम्राटों के शासनकाल में भी भारत के साथ पश्चिमी दुनिया का व्यापार-सम्बन्ध कायम रहा, और यवन जहाज भड़ोच तथा पश्चिमी तट के अन्य बन्दरगाहों पर आते रहे। रोम की शक्ति के क्षीण होने के बाद भारत के पश्चिमी विदेशी व्यापार में अरब लोगों ने अधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की, और भारत का माल अरब व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा। भारत से बाहर जाने वाले माल में मोती, मणि, सुगंधि, सूती वस्त्र, मसाले, नील, शौचधि, हाथीदांत आदि प्रमुख थे। इनके बदले में चाँदी, ताम्बा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े और खजूर आदि भारत में आते थे।

सोलहवाँ अध्याय

गुप्तकाल की कृतियाँ और अवशेष

(१) मूर्तियाँ और स्तम्भ

शिलालेखों और सिक्कों के अतिरिक्त गुप्तकाल की बहुत-सी मूर्तियाँ, मन्दिर, स्तम्भ व अन्य अवशेष इस समय उपलब्ध हैं। इनसे उस युग की कला और शिल्प का अच्छा ज्ञान होता है। इस काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शैव, वैष्णव और जैन—सब सम्प्रदायों की मिलती हैं। बौद्ध-धर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) सारनाथ की बुद्ध-मूर्ति—इस मूर्ति में पद्मासन बाँधकर बैठे हुए भगवान् बुद्ध सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन करते हुए दिखाए गये हैं। बुद्ध के मुखमण्डल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गम्भीरता है। अंग-प्रत्यंग में सौकुमार्य और सौन्दर्य होते हुए भी ऐहलौकिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध लोकोत्तर भावना को लिए हुए, अपने ज्ञान (बोध) को संसार को प्रदान करने के लिए ही ऐहलौकिक व्यवहार में तत्पर हैं। मूर्ति में दोनों कर्ण महीन वस्त्र से ढके हुए प्रदर्शित किए गए हैं। ये वस्त्र पैरों तक हैं, और आसन के समीप पैरों से इनका भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सिर के चारों ओर सुन्दर अलङ्कृत प्रभामण्डल है, जिसके दोनो ओर दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं। देव हाथ में पत्र-गुष्प लिए हुए हैं। आसन के मध्य भाग में एक चक्र बनाया गया है, जिसके दोनो ओर दो मृग हैं। यह मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तिकला का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। ऐसी ही अनेक मूर्तियाँ कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इनमें सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि भक्तों ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा करायी थी।

(२) मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध-मूर्ति—इसके मुखमण्डल पर भी शांति, करुणा और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बुद्ध निष्कम्प प्रदीप के समान खड़े हैं, और उनके मुख पर एक दैवी स्मित भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं, वे बहुत ही महीन हैं, उनमें से उनके शरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। सिर के चारों ओर अलङ्कृत प्रभामण्डल है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसी के नभूने की भी अन्य बहुत-सी बुद्ध-मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं।

(३) ताश की बुद्ध-मूर्ति—यह बिहार प्रान्त के भागलपुर जिले में सुलतानगंज से प्राप्त हुई थी, और अब इंग्लैण्ड में बरमिंघम के म्यूजियम में रखी है। ताम्बे की बनी हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढ़े सात फीट ऊँची है। इसमें बुद्ध का स्वरूप समुद्र की तरह गम्भीर, महान्, पूर्ण और लोकोत्तर है। उनका दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे बढ़ा हुआ है। मुखमण्डल पर अपूर्व शान्ति, करुणा और दिव्य तेज है। गुप्तकाल

की मूर्तियों में ताम्र की यह प्रतिमा वस्तुतः बड़ी अद्भुत और अनुपम है। धातु को ढालकर इतनी सुन्दर मूर्ति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दक्षता, कला और प्रतिभा की सचमुच प्रशंसा करनी पड़ती है।

गुप्तकाल में मूर्तिनिर्माण कला के तीन बड़े केन्द्र थे—मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। तीनों केन्द्रों की कुछ अपनी-अपनी विशेषताएँ थीं। ऊपर लिखी तीनों मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिधि समझी जा सकती हैं। इन्हीं के नमूने की बहुत-सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पायी जाती हैं। खेद यह है, कि इनमें से अधिकांश भग्न दशा में हैं। किसी का दायी हाथ टूटा है, तो किसी का बायाँ। किसी का सिर टूट गया है, और किसी के कान, नाक आदि तोड़ दिये गये हैं। समय की गति और कुछ मूर्तिपूजा-विरोधी सम्प्रदायों के कोप का ही यह परिणाम हुआ है।

प्रस्तर-फलक—भगवान् बुद्ध की सम्पूर्ण मूर्तियों के अतिरिक्त इस काल के बहुत-से ऐसे प्रस्तर-फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण करके प्रदर्शित किया गया है। ऐसे बहुत-से-प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध की ज्ञानप्राप्ति, सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण आदि प्रस्तरखण्ड को तरास कर सुन्दर रीति से चित्रित किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध की माता का स्वप्न, कुमार सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण, बुद्ध का विश्व-रूप-प्रदर्शन आदि बहुत-सी अन्य घटनाएँ भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शित की गयी हैं। पत्थर तरास कर उसे जीवित-जागृत रूप दे देने की कला में गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीण थे।

बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों और बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी इस युग में बनाई गयी। बौद्ध-धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्वों की पूजा का प्रारम्भ हो चुका था, और उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ बन गयी थीं। यही कारण है, कि इन गाथाओं की अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों द्वारा अंकित किया गया, और बोधिसत्वों की बहुत-सी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गयी। अवलोकितेश्वर, मंत्रेय, मञ्जुश्री आदि की अनेक और विविध प्रकार की मूर्तियाँ इस समय में बनीं।

पौराणिक मूर्तियाँ—पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली गुप्तयुग की जो बहुत-सी मूर्तियाँ अब उपलब्ध हैं, उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

(१) मध्यभारत में भिलसा के पास उदयगिरि में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाये हुए मन्दिरों के बाहर पृथिवी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की एक विशाल मूर्ति मिली है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में अग्न होती हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिये भगवान् विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। इस मूर्ति में भगवान् के इसी वाराह रूप को अंकित किया गया है। इस में वराह के बाएँ पैर के नीचे शेष की आकृति बनी हुई है, और पृथ्वी को वराह अपनी दंष्ट्राओं पर उठाये हुए है। मूर्ति का शरीर मनुष्य का है, पर मुख वराह का है।

(२) गोवर्धनधारी कृष्ण—यह मूर्ति काशी के समीप एक टीले से मिली थी,

श्रीर शिव सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गेंद की तरह उठाया हुआ है।

(३) शेषशायी विष्णु—भाँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल के एक विष्णु-मन्दिर में विष्णु भगवान् की एक मूर्ति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई दिखाई गयी है। इसमें एक शीर शेषशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित हैं, चरणों के पास लक्ष्मी बैठी है, ऊपर आकाश में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वती आदि उनके दर्शन कर रहे हैं। विष्णु के सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में कनक है। साथ ही, अन्य अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं।

(४) कौशाम्बी की सूर्य-मूर्ति—प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूर्ति बनाई जाती थी, और उसके अनेक मन्दिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दशपुर में सूर्य का एक मन्दिर तंतुवायो की श्रेणी में गुप्तकाल में भी बनवाया था। कौशाम्बी में प्राप्त सूर्य की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है।

(५) कार्तिकेय—यह मूर्ति काशी के कलाभवन में सुरक्षित है। यह मोर पर बैठी हुई बनाई गयी है, जिस में कार्तिकेय के दोनों पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा अन्य बहुत-से आभूषण हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना का सेनापति था। अतः उसके हाव-भाव में गाम्भीर्य और पौरुष होना ही चाहिये। ये सब गुण इस मूर्ति में सुन्दरता के साथ प्रकट किये गये हैं।

(६) भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान पर चार विशालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी अधिक है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है।

(७) गुप्तकाल में निर्मित शिव की भी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। सारनाथ के संग्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक सिर है, जिसका जटाजूट भारतीय प्रभाव से प्रभावित चीन की मूर्तियों के सदृश है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाल के अनेक शिवालिंग व एकमुखलिंग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एकमुखलिंग वे हैं, जिनमें लिंग के एक और मनुष्य के सिर की आकृति बनी होती है। ऐसी एक एकमुखलिंग प्रतिमा नागद के क्षेत्र में मिली है, जिसके सिर पर रत्न-जटित मुकुट है, और जटाजूट के ऊपर अर्धचन्द्र विद्यमान है। ललाट पर शिव का तृतीय नेत्र भी प्रदर्शित किया गया है।

(८) बगाल के राजशाही जिले में कृष्णलीला-सम्बन्धी भी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुप्तकाल की मानी जाती हैं।

जैन-मूर्तियाँ—बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्त-काल की जैन-मूर्तियाँ भी पाई गयी हैं। मथुरा में वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगुप्त के समय की है। इसमें महावीर पद्मासन लगाये ध्यानमग्न बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियाँ गोरखपुर जिले में अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं।

मूर्तिनिर्माण कला की मौलिकता—भारत में मूर्तिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन है। संशुनाग और मौर्य वंश के शासन-समय में इस कला में विशेष रूप से उन्नति प्रारम्भ की थी। यवन और शक लोगों के सम्पर्क से इस कला में और अधिक उन्नति

की। अध्यात्मवाद और पार्श्वार्थ्य भौतिकवाद ने मिलकर एक नई शैली को जन्म दिया, जिसने इस देश की मूर्तियों में एक अपूर्व सौन्दर्य ला दिया। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा अभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। आकृति मुद्रा और भाव-भंगी पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौन्दर्य है। भौतिक सौन्दर्य की अपेक्षा भी उनमें आन्तरिक शान्ति, भोज और आध्यात्मिक आनन्द की जो झलक है, वह वर्णनातीत है। मूर्तिनिर्माण कला की दृष्टि से गुप्तकाल वस्तुतः अद्वितीय है।

प्रस्तर मूर्तियों के अतिरिक्त गुप्तकाल में मिट्टी व मसाले की मूर्तियों का भी रिवाज था। इस युग की अनेक नक्काशीदार इंटें पहले सचि से ढाली जाती थी, फिर उनपर औजार से तरह-तरह की चित्रकारी की जाती थी। फिर सुखाकर उन्हें पका लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नक्काशीदार इंटें बहुत ही सुन्दर हैं, और उनपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित हैं। इंटों की तरह ही नक्काशीदार खम्भे तथा अन्य इमारती साज भी इस काल में तैयार किये जाते थे। गुप्तकाल की मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं, वे भी बौद्ध और पौराणिक देवी-देवताओं की हैं। इनका सौन्दर्य पत्थर की मूर्तियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पकी हुई इंटों का चूरा तथा चूना भी मूर्तियों को बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। इस प्रकार की बहुत-सी मूर्तियाँ सारनाथ, कौशाम्बी, मथुरा, राजघाट, अहिच्छत्र, श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। मूर्तियों के अतिरिक्त इन स्थानों से मिट्टी पकाकर बनाये हुए खिलीने व मिट्टी के बेल, हाथी, घोड़े व अन्य छोटे-छोटे प्राणी भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। देवी-देवताओं के अतिरिक्त सब प्रकार के स्त्री-पुरुषों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी इस काल में बनती थीं। शक, यवन, हूण आदि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज में प्रचुर संख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी ओर भी आकृष्ट होता था। यही कारण है, कि इस युग की मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की मूर्तियों की संख्या बहुत अधिक है।

(२) प्रस्तर-स्तम्भ

अशोक के समान गुप्त-सम्राटों ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तम्भ बनवाये थे। ये किसी महत्त्वपूर्ण विजय की स्मृति में या किसी सम्राट् की कीर्ति को स्थिर करने के लिए या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिए और धार्मिक प्रयोजन से बनाये गए थे। गुप्तकाल के अनेक स्तम्भ इस समय उपलब्ध हुए हैं। गोरखपुर जिले में कहीम नामक स्थान पर स्कन्दगुप्त का एक प्रस्तर-स्तम्भ है, जिसपर इस प्रतापी सम्राट् की कीर्ति उत्कीर्ण है। गुप्तकाल में भगवान् विष्णु की प्रतिष्ठा में ध्वजस्तम्भ बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट् बुधगुप्त के समय में सामंत राजा मातृविष्णु व धन्यविष्णु द्वारा बनवाया हुआ ऐसा एक स्तम्भ एरण में विद्यमान है। कुमारगुप्त के समय का ऐसा ही एक स्तम्भ भिनसद में स्थित है, जिसे स्वामी महासेन के मन्दिर के स्मारक रूप में बनवाया था। गाजीपुर जिले के भिटरी गाँव में भगवान् विष्णु की एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा के अवसर पर उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुआ एक स्तम्भ

उस गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्मृतिस्तम्भ पटना जिले के बिहार नगर में है, जिसे सेनापति गोपराज की यादगार में स्थापित किया गया था।

मौर्यकाल के स्तम्भ गोल होते थे, और उनपर चिकना चमकदार बज्रलेप होता था। पर गुप्तकाल के स्तम्भ गोल व चिकने नहीं हैं। गुप्तों के स्तम्भ अनेक कोणों से युक्त हैं। एक ही स्तम्भ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तम्भ नीचे आधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणों का हो गया है। कई स्तम्भ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणों के और बीच में गोल हैं। किसी-किसी स्तम्भ में ऊपर सिंह व गरुड़ की मूर्तियाँ भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त धातु का २४ फीट ऊँचा जो विशाल स्तम्भ दिल्ली के समीप महरोली में है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह लौहस्तम्भ संसार के आश्चर्यों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विष्णुध्वज के रूप में हुआ था।

(३) भवन और मंदिर

गुप्त-काल के कोई राजप्रासाद या भवन अब तक उपलब्ध नहीं हुए। पाटलि-पुत्र, उज्जयिनी आदि किसी भी प्राचीन नगरी में गुप्त-सम्राटों व उनके सामंत राजाओं या धनी पुरुषों के महलों के कोई खण्डहर अभी तक नहीं पाए गए। पर अमरावती, नागार्जुनी-कोड और अजंता की गुफाओं में विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाओं में प्राचीन राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुन्दर प्रासादों के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के भवन बहुत विशाल और मनोरम होते थे।

सौभाग्यवश, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मन्दिर और गुफाएँ अब तक भी विद्यमान हैं, यद्यपि ये भग्न दशा में हैं। गुप्तकाल में पौराणिक धर्म प्रधान था। यही कारण है, कि इस युग में वैष्णव, शैव और सूर्य देवताओं के बहुत-से मंदिर बनाये गए। अब तक गुप्त युग के जो पौराणिक मंदिर मिले हैं, उनमें सर्वप्रधान निम्नलिखित हैं—

(१) मध्यप्रदेश के नागोद क्षेत्र में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का एक शिवमंदिर है। अब यह बहुत भग्न दशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्भगृह ही अब सुरक्षित दशा में है। चबूतरा प्रदक्षिणापथ के काम में आता था। मंदिर के गर्भगृह में एकमुख शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, जो मूर्तिकला का एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है। मंदिर के द्वार-स्तम्भ के दायीं ओर गंगा और बाँयी ओर यमुना की मूर्तियाँ हैं। अनेक सुन्दर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं।

(२) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में तियवा के समीप गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक टीले पर स्थित है। यह पाँचवी सदी के शुरू में बना था। इसकी चौखट आदि की कारीगरी बहुत सुन्दर है।

(३) भूमरा से दस मील दूर अजयगढ़ के समीप नचना-कूधना नामक स्थान पर पार्वती का एक पुराना मन्दिर है। इसकी बनावट भूमरा के मन्दिर के ही समान है।

(४) झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का दशावतार का

मंदिर है। गुप्त-युग के मन्दिरों में यह सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक ऊँचे चबूतरे पर बीच में मन्दिर बना हुआ है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तरस्तम्भों पर सुन्दर मूर्तियाँ अंकित की गयी हैं। अनंतशायी विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है, और इस मन्दिर के ऊपर शिखर भी है। भारत के प्राथमिक मन्दिरों के ऊपर शिखर अवश्य होता है। पर गुप्त-काल में शुरू-शुरू में जो मंदिर बने थे, उनकी छत चपटी होती थी, और ऊपर शिखर नहीं रहता था। गुप्त-काल के समाप्त होने से पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण शुरू हो गया था। देवगढ़ के इस दशावतार के मंदिर का शिखर सम्भवतः भारत में सबसे पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर का बहुत महत्त्व है।

(५) कानपुर के समीप भिटरगाँव में गुप्तकाल का एक विशाल मंदिर अब तक विद्यमान है, जो ईंटों का बना है। ऊपर जिन मंदिरों का उल्लेख किया गया है, वे प्रस्तर-शिलाओं द्वारा निर्मित हैं। पर भिटरगाँव का यह मंदिर ईंटों का बना है, और उसकी दीवारों का बाहरी अंश मिट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है। इन फलकों पर तरह-तरह की चित्रकारी व मूर्तियाँ अंकित की हुई हैं।

(६) महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में ध्यहोल या ऐहोल नामक स्थान पर एक पुराना मंदिर है, जो गुप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं, और इसकी खिडकियाँ नक्काशीदार पत्थर की बनी हैं।

इन के अतिरिक्त मुकन्द-दर्रा (राजस्थान), सांची, एरण (मध्य प्रदेश के सागर जिले में), रामगढ़ (बिहार), अहिच्छत्र आदि में गुप्तकाल के अन्य भी अनेक मन्दिर ध्वंसावशेष रूप में विद्यमान हैं।

पौराणिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन मन्दिरों के अतिरिक्त गुप्तकाल के बौद्ध-धर्म के अनेक स्तूप व विहार भी आजकल विद्यमान हैं। सारनाथ का धमेख-स्तूप गुप्तकाल में ही बना था। इसके बाहरी भाग में जो प्रस्तर हैं, वे अनेक प्रकार के चित्रों व प्रतिमाओं से अंकित हैं। चित्रों के बेल व बूँटे बहुत सुन्दर बनाये गये हैं। सारनाथ में ही एक प्राचीन विहार के खंडहर मिले हैं, जो गुप्तकाल के माने जाते हैं। इसी तरह बिहारशरीफ (पटना जिला) के समीप नालंदा में पुराने विहारों के जो बहुत से खंडहर अब उपलब्ध हैं, वे गुप्तकाल के ही समझे जाते हैं।

गुहाभवन—गुप्तकाल के गुहाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि की गुहा सबसे महत्त्व की है। यहीं पर विष्णु के वाराह-अवतार की विशाल प्रतिमा खड़ी है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वार-स्तम्भों तथा अन्य दीवारों पर भी बहुत-सी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। अजंता की विश्वविख्यात गुफाओं में से भी कम-से-कम तीन गुप्तकाल में बनी थी। अजंता में छोटी-बड़ी कुल उनतीस गुहाएँ हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुहा और विहारगुहा। स्तूपगुहाओं में केवल उपासना की जाती थी। ये लम्बाई में अधिक हैं, और इनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप होता है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने की जगह रहती है। विहारगुहाओं में भिक्षुओं के रहने और पढ़ने-लिखने के लिए भी जगह बनाई गयी है। इन गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर अंदर

विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पहाड़ काटकर की गयी है। गुप्तकाल में बनी १६ नं० की गुहा ६५ फीट लम्बी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के छः कमरे हैं, और कुल मिलाकर सोलह स्तम्भ हैं। १७ नं० की गुहा भी आकार में इतनी ही बड़ी है। अजन्ता के अतिरिक्त एलोरा, बाघ और मन्दारगिरि आदि के गुहाभवनों में से भी कनिष्य का निर्माण गुप्तयुग में हुआ था।

(४) चित्रकला

गुप्तकाल की चित्रकला के सबसे उत्तम अवशेष अजन्ता की गुहाओं में विद्यमान है। ऊपर अजन्ता की नं० १६ और नं० १७ की जिन गुहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी दीवारों पर बड़े सुन्दर चित्र बने हुए हैं, जो कला की दृष्टि से अनुपम हैं। नं० १६ की गुहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय कुमार सिद्धार्थ गृहत्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके साथ शिशु राहुल सोये हुए हैं। समीप में परिचारिकाएँ भी गहरी नीद में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर अंतिम दृष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह-ममता नहीं है, इन सबके प्रति निर्मोहबुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित करने में चित्रकार को अपूर्व सफलता हुई है। १६वीं गुहा के एक अन्य चित्र में एक मरणासन्न कुमारी का चित्र अंकित है, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरणासन्न राजकुमारी की दशा और समीप में लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी सुन्दरता के साथ प्रकट किया गया है। १७वीं गुहा में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। सम्भवतः, यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अर्पण कर रही हैं। बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर कपिलवस्तु गये थे। जब वे भिक्षा माँगते हुए यशोधरा के घर गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी दृश्य को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। माता यशोधरा के मुख पर जो आग्रह और विवशता का भाव है, वह सचमुच अनुपम है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्म-समर्पण का भाव बड़े सुन्दर रूप में अंकित है।

इसी गुहा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जलूम का है, जिसमें बहुत-से आदमी अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं। किसी के हाथ में ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ में बजाने की शृंगी। स्त्रियों के शरीर पर सुन्दर आभूषण है, और उनके वस्त्र इतने महीन हैं, कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इस गुहा के अनेक चित्र जातक ग्रन्थों के कथानकों को दृष्टि में रखकर बनाये गये हैं। बेस्सतर जातक के अनुसार बनाये गये एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उनके एकमात्र अल्पवयस्क पुत्र को माँग लेता है। वचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सहर्ष दे देता है। चित्र का ब्राह्मण बहुत क्षीणकाय है, उसके दाँत बाहर निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार बिना किसी क्षोभ व दुःख के अपने बालक को देने के लिए उद्यत है, और बालक का शरीर अतीव हृष्टपुष्ट और सुन्दर है। एक अन्य चित्र में चार दिव्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में तल्लीनता देखते ही बनती है। अजन्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत-से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता।

वे दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँचकर मनुष्य अपने को पूर्णतया भूल जाता है।

अजन्ता के समान ही खालियर के अमनेस क्षेत्र में बाघ नामक स्थान पर अनेक गुहामन्दिर मिले हैं, जो विष्णुचल की पहाड़ियों की काटकर बनाये गये हैं। इन्हें गुप्तकाल के अन्तिम भाग का माना जाता है। इनमें भी अजन्ता के समान ही बड़ी सुन्दर चित्रकारी की गयी है। इन गुहाओं की संख्या नौ है। इनमें से चौथी गुहा रंग-महल कहती है। इस समय इसके बहुत-से चित्र नष्ट हो चुके हैं। विशेषतया छत के चित्र तो बिल्कुल ही मिट गये हैं। इस रंगमहल तथा पाँचवी गुहा में कुल मिलाकर छः चित्र इस समय सुरक्षित हैं, जो सौन्दर्य और कला की दृष्टि से अजन्ता के चित्रों से किमी भी प्रकार कम नहीं हैं।

गुप्तकाल के साहित्यिक ग्रन्थों में भी चित्रलेखन का अनेक-स्थानों पर उल्लेख आता है। कवि विशाखदत्त-रचित मुद्राराक्षस में आचार्य चाणक्य द्वारा नियुक्त जिन गुप्तचर को अमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह यमराज का पट फैलाकर भिक्षा माँग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था। अजन्ता के गुहाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें क्षपणको का एक दल चित्रपट हाथ में लिए भीख माँगता फिर रहा है। ये क्षपणक नगे हैं, और हाथ में चित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकाल में क्षपणको का एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो इस तरह भिक्षा माँगता था। पर उस युग में चित्र केवल दीवारों पर ही नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे अवश्य सूचित होता है। कालिदास के काव्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है, कि उस युग में प्रेमी और प्रियसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, और विवाह-सम्बन्ध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना तथा उन्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है।

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुकी थी, कि बृहतर भारत के विविध उपनिवेशों में भी अनेक गुहाचित्र व रेशमी कपड़े आदि पर बनाये हुए ऐसे चित्र मिले हैं, जो इसी काल के हैं, और उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत के ही चित्रकारों ने सुदूर देशों में जाकर अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे।

(५) संगीत

समृद्धि और वैभव के इस युग में संगीत, अभिनय आदि का भी लोगो को शोक था। गुप्त-सम्राट् स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थे। इसीलिये समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राटों ने अपने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें वे बीणा या अन्य बाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। बाघ गुहामन्दिरों के एक चित्र में नृत्य करने वाली दो मण्डलियाँ दिखाई गयी हैं। प्रथम मण्डली में एक नर्तक नाच रहा है, और सात स्त्रियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक स्त्री मृदंग, तीन भीरु

और बाकी तीन कोई अन्य बाजा बजा रही हैं। दूसरी मण्डली के मध्य में भी एक नर्तक नाच रहा है, और छः स्त्रियाँ विविध बाजे बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरखण्ड पर भी ऐसा ही दृश्य उत्कीर्ण है। इसमें नृत्य करने वाली भी स्त्री है, और बाजा बजाने वाली भी स्त्रियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि गुप्तकाल में संगीत और नृत्य का बड़ा प्रचार था। इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कवियों ने अपने नाटक लिखे। ये जहाँ काव्य की दृष्टि से अनुपम हैं, वहाँ अभिनयकला की दृष्टि से भी अत्यन्त सुन्दर और निर्दोष हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और अभिनयकला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, वहाँ इनके अन्दर भी नृत्य, गायन और अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है।

सत्रहवाँ अध्याय

भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार

(१) बृहत्तर भारत का विकास

भारत के प्राचीन इतिहास में 'बृहत्तर भारत' का बहुत अधिक महत्त्व है। सम्राट् अशोक के समय में आचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य के नेतृत्व में बौद्ध-धर्म के विदेशों में प्रचार का जो प्रयत्न हुआ था, आगे चलकर उसे बहुत सफलता मिली। तीसरी सदी ई० पू० में बौद्ध-धर्म की तीसरी संगीति (महासभा) द्वारा जिस बीज का आरोपण किया गया था, सात सदियों में (पाँचवीं सदी ई० पू० तक) वह एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो गया था, और उसकी शाखाएँ पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में इण्डोनेशिया और जापान तक, और उत्तर में साइबेरिया की सीमा से दक्षिण में सिंहल द्वीप तक फैल गयी थी। इसमें सन्देह नहीं, कि भारतीय सभ्यता और धर्म के विदेशों में प्रसार-कार्य में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य बौद्ध लोगों ने किया था। पर उनका अनुसरण कर वैष्णव और शैव धर्मों के प्रचारक भी अन्य देशों में गये, और वहाँ उन्होंने अपने धर्म की विजयपताका फहराई। भारत के प्राचीन निवासी समुद्रयात्रा को पाप नहीं समझते थे। वे प्रचानतया तीन प्रयोजनों से विदेश-यात्रा करते थे—(१) व्यापार के लिए, (२) धर्मप्रचार के लिए, और (३) उपनिवेश बसाने के लिए।

व्यापार—प्राचीन समय में पृथिवी के जिन प्रदेशों में सभ्य जातियों का निवास था, भारत की स्थिति उनके ठीक मध्य में है। चीन, भारत, ईरान और ग्रीस प्राचीन काल में सभ्यता के मुख्य केन्द्र थे। भारत के व्यापारी पूर्व में चीन से शुरू कर पश्चिम में सिकन्दरिया (नील नदी के मुहाने पर स्थित अलेग्जेंड्रिया नगरी) तक व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। भारतीयों का ख्याल था, कि बरमा, मलाया आदि धन-धान्य से परिपूर्ण हैं, और वहाँ सोने की खानें भी हैं, अतः अनेक महत्त्वाकांक्षी व साहसी युवक इन प्रदेशों में धन कमाने के उद्देश्य से जाया करते थे, और इन प्रदेशों का नाम ही 'सुवर्णभूमि' पड़ गया था। जातक-ग्रन्थों में अनेक ऐसी कथाएँ आती हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि भारतीय लोग इन प्रदेशों की यात्रा कर धन कमाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। एक जातक-कथा के अनुसार विदेह का राजा लड़ाई में मारा गया, था और उसकी रानी चम्पा चली गयी थी। उसका कुमार जब बड़ा हुआ, तो उसने माँ से कहा—“अपने कोश का आधा मुझे दे दे, मैं सुवर्णभूमि जाऊँगा। वहाँ खूब धन कमाऊँगा और फिर बाप-दादा के धन को लौटा दूँगा।” एक अन्य जातक कथा के अनुसार वाराणसी के समीप के एक वर्षिकि-ग्राम के हजार परिवारों ने जंगल काटकर जहाज बनाये, और गंगा से होकर समुद्र पहुँचे, और उसे पार कर सुवर्णभूमि चले गये।

इसी प्रकार की कथाएँ बृहत्कथा और जैन-ग्रन्थों में भी पायी जाती हैं। भारत के ये साहसी व सभ्य व्यापारी विदेशों में जहाँ कही जाते, वहाँ के निवासियों को अपनी संस्कृति में लाने का प्रयत्न करते। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में न केवल भारतीय राजाओं के ही शिलालेख मिलते हैं, अपितु अनेक व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए लेखों की भी वहाँ से प्राप्ति हुई है। इस प्रकार का एक लेख मलाया के वेल्जली जिले में मिला है, जिसे चौथी सदी में बुधगुप्त नाम के नाविक ने लिखवाया था।

धर्म-प्रचार—भारत के बहुत-से बौद्ध भिक्षु और धर्माचार्य केवल धर्म-प्रचार के पुनीत उद्देश्य को सम्मुख रखकर विदेशों में गये। सारनाथ में धर्मचक्र का प्रवर्तन करते समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया था, कि “भिक्षुओ! बहुत जनों के हित के लिए, लोक पर दया करने के लिए... विचरण करो, एक साथ दो मत जाओ”, भिक्षुओ ने उमका उत्साहपूर्वक पालन किया। हिमालय और हिन्दूकुश की पर्वतमालाओं को लाँचकर और समुद्र को पार कर वे सुदूर देशों में गये, और बुद्ध के अष्टांगिक आर्य मार्ग का उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया। बौद्धों के धर्म-प्रचार का यह परिणाम हुआ, कि चीन, जापान, इण्डोनेशिया, विएत-नाम, बर्मा, सियाम, अफगानिस्तान, लंका, तुर्किस्तान आदि सब देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गये। गुँग, भागशिव और गुप्त-वंशों के शासनकाल में जब भागवत और गैव धर्मों का पुनरुत्थान हुआ, तो इन धर्मों के आचार्यों ने भी बौद्ध भिक्षुओं का अनुसरण किया, और वे भी समुद्र पार कर पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने-अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए गए। जैन मुनि भी बौद्ध भिक्षुओं के समान विदेशों में जाते थे, और तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओं का वहाँ प्रचार करते थे। भारतीय धर्मों का विदेशों में प्रचार होने के साथ-साथ इस देश की भाषा, साहित्य और संस्कृति का भी वहाँ प्रचार हुआ।

उपनिवेश—साहसी भारतीय युवक उपनिवेश बसाने के लिए भी बड़ी संख्या में प्रवास किया करते थे। अशोक के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा खोजने में भारतीय बस्ती बसाये जाने की बात तिब्बत की ऐतिहासिक अनुश्रुति में विद्यमान है। कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में बहुत से भारतीय सुवर्णभूमि गए थे, और वहाँ उन्होंने उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो चीनी इतिहास में फूनान नाम से प्रसिद्ध था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बोज, क्षम्पा आदि कितने ही उपनिवेशों की स्थापना भारतीयों द्वारा ही की गयी थी।

व्यापार, धर्म-प्रचार और उपनिवेश-स्थापना—इन तीन प्रयोजनों में धीरे-धीरे भारत का एक विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसे स्थूल रूप से ‘बृहन्नर भारत’ कहा जाता है। इस बृहन्नर भारत को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र और उपरला भारत। दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र के बृहन्नर भारत में बर्मा, मलाया, सियाम, विएतनाम, इण्डोनेशिया (जावा, सुमात्रा, बाली आदि) और समीप के द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। उपरले या उत्तर-पश्चिमी भारत में अफगानिस्तान और मध्य एशिया अन्तर्गत थे। इन प्रदेशों का धर्म और संस्कृति प्रायः भारतीय ही थे, और ऐतिहासिक दृष्टि से इन्हे भारत का ही अंग समझा जा सकता है। पर सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से चीन, तिब्बत और मंगोलिया

भी भारत के धार्मिक या सांस्कृतिक साम्राज्य में सम्मिलित थे, और क्रिश्चि एनिटी तथा इस्लाम के प्रसार से पूर्व ईरान, ईराक आदि पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव से ग्रहण नही रहे थे ।

(२) दक्षिण-पूर्वी एशिया का बृहत्तर भारत

बर्मा—प्राचीन भारतीय लोग दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिस भाग को 'सुवर्ण-भूमि' कहते थे, दक्षिणी बर्मा भी उसका अंग था । अशोक के समय में स्थविर उत्तर और सीण इस प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए गये थे । पाँचवी सदी ईस्वी तक दक्षिणी बर्मा में बौद्ध-धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था । वर्तमान प्रीम से पाँच मील दक्षिण में प्यू जाति की राजधानी श्रीलेंद्र थी, जिसके अवशेष ह्यावजा नामक स्थान पर विद्यमान हैं । ह्यावजा के समीप मौमेंगन नामक गाँव में सुवर्णपत्र पर उत्कीर्ण दो लेख मिले हैं, जिनमें कदम्ब लिपि और पाली भाषा में बुद्ध के वचन लिखे गये हैं । ह्यावजा के अवशेषों में न केवल भग्न दशा में शिलालेख ही मिले हैं, अपितु एक पोथी भी प्राप्त हुई है, जो पाली भाषा में है । पुरातत्त्व-सम्बन्धी ये अवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि पाँचवी सदी तक दक्षिणी बर्मा भारत के धर्म, भाषा और लिपि को अपना चुका था । बाद में बौद्ध-धर्म का और अधिक प्रचार हुआ, और धीरे-धीरे बर्मा पूर्णतया बौद्धधर्म का अनुयायी हो गया ।

फूनान—विएतनाम के पश्चिम में स्थित कम्बोडिया राज्य में प्राचीन समय में एक भारतीय राज्य की स्थापना थी, जिसका नाम फूनान था । वहाँ के मूल निवासी असम्य और जगली थे । ईसा की पहली सदी में जावा से जाकर कुछ भारतीय वहाँ बसे, और उन्होंने वहाँ सभ्यता का सूत्रपात किया । फूनान में पहला राज्य-संस्थापक राजा कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था । उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश की स्थापना की । कौण्डिन्य अकेला फूनान नहीं गया था, उसके साथ अन्य भी बहुत-से भारतीय वहाँ जाकर बसे थे जो सदा के लिए अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर फूनान में बस गये थे ।

कौण्डिन्य के बाद के राजा फान्-चे-मन् (मृत्युकाल २२५ ईस्वी) ने फूनान राज्य का बहुत विस्तार किया, और मलाया तक के प्रदेश को जीत लिया । २४० ई० ५० के लगभग फूनान के राजदूत भारत आये थे, और पाटलिपुत्र के मूलुन (मुरुण्ड) राजा के दरबार में गये थे । कनिष्क के समय में पाटलिपुत्र पर कुशाणों का अधिकार हो गया था और वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, वे शक-मुरुण्ड कहाते थे । पाँचवी सदी के मध्यभाग में फूनान का राजा जयवर्मा था, जो कौण्डिन्य का वंशज था । ४८४ ईस्वी में जयवर्मा ने नागसेन नाम के भिक्षु को चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था । ५१४ ईस्वी में जयवर्मा की मृत्यु हुई । अब उसका पुत्र रुद्रवर्मा फूनान का राजा बना । ५३६ ईस्वी में उसने भी अपना राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा । फूनान के राजाओं का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसीलिए चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति से उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं ।

फूनान के राजा वीव धर्म के अनुयायी थे, और उनकी भाषा संस्कृत थी ।

जयवर्मा की रानी का नाम कुलप्रभावती था। रानी कुलप्रभावती और उसके पुत्र रुद्रवर्मा द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस समय उपलब्ध होते हैं। ये लेख शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं, और इनके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि पाँचवी-छठी सदियों के फूनान में शैव धर्म के साथ-साथ वैष्णव और बौद्ध-धर्मों का भी प्रचार था। बौद्ध-धर्म की सत्ता के प्रमाणस्वरूप अनेक उत्कीर्ण लेख भी इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं, जिनमें विविध स्तूपों के निर्माण का उल्लेख है।

कौण्डिन्य द्वारा स्थापित राजवंश फूनान में छठी सदी के मध्य तक कायम रहा। राजा रुद्रवर्मा के बाद वहाँ अशांति फैल गयी, और समीप के कम्बुज राज्य के राजा (जो पहले फूनान की अधीनता स्वीकृत करते थे) ने उसे अपने अधीन कर लिया।

कम्बुज राज्य—यह राज्य वर्तमान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था। यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था, और शुरू में फूनान के राज्य के अन्तर्गत था। जिस राजा ने फूनान के राजा रुद्रवर्मा को परास्त कर कम्बुज के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया उसका नाम भववर्मा था। फूनान को परास्त कर उसने जो अमित सम्पत्ति प्राप्त की थी, वही उसके वंश के उत्कर्ष में सहायक हुई। सियाम के सीमान्त पर एक शिवलिङ्ग मिला है, जिसकी पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ण है—“धनुष के पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर उभय लोक कर-धारी राजा श्री भववर्मा ने श्यम्बक के इस लिङ्ग की प्रतिष्ठा की।” इसी समय का एक अन्य लेख मिला है, जो इस प्रकार है—“वह श्री भववर्मा की भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पुत्री थी, जो अपने पति और धर्म की भक्ति में दूसरी अरुन्धती थी। उनी हिरण्यवर्मा की माता को जिसने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उस ब्राह्मणों में सोमसमान स्वामी...सामवेदवित् अग्रणी श्री सोमशर्मा ने पूजा विधि और अनुलदान के साथ सूर्य और त्रिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अखण्ड पाठ के लिए उसने रामायण और पुराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत को प्रदान किया।” ये लेख यह समझने के लिए पर्याप्त हैं, कि छठी सदी में कम्बुज देश की संस्कृति और धर्म का क्या स्वरूप था। उस युग में यह प्रदेश पूर्ण-रूप से भारतीय था, और वहाँ के राजा एक भारतीय धर्म (शैव धर्म) के अनुयायी थे। भववर्मा के बाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य का स्वामी बना। उसके एक शिलालेख में ‘शिवपद’ के दान का वर्णन है। भारत में विष्णुपद की पूजा तो अब तक होती है, गया में विष्णुपद विद्यमान भी है, पर ‘शिवपद’ की पूजा नहीं होती। परन्तु वर्तमान कम्बोडिया में मानवी सदी में शिवपद की पूजा भी प्रचलित थी, और राजा महेन्द्रवर्मा ने उसकी प्रतिष्ठा कर एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था।

महेन्द्रवर्मा के बाद ईशानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसिंहासन पर आरोहण हुआ। उसकी राजधानी का नाम ‘ईशानपुर’ था, जिसकी स्थापना सम्भवतः उसी ने अपने नाम पर की थी। वह भारत के सम्राट् हर्षवर्धन का समकालीन था, और उसने ६१६ ईस्वी में अपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था। चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति में इस राजा का उल्लेख है। ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के शासन-काल के भी अनेक उत्कीर्ण लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए हैं, जिनमें शकाब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों में भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट

प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुदूरवर्ती इस राज्य का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और कम्बुज न केवल धर्म, भाषा और सस्कृति की दृष्टि से ही भारतीय था, अपितु वहाँ की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतीय थी।

सातवीं सदी में जावा (यवद्वीप) के शैलेन्द्रवंशी राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कम्बुज पर भी आक्रमण किया, और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। पर कम्बुज देर तक शैलेन्द्र-साम्राज्य की अधीनता में नहीं रहा। नवीं सदी के प्रारम्भ (८०२ ईस्वी) में वहाँ एक ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक बार फिर कम्बुज को स्वतन्त्र किया। इस वीर पुरुष का नाम जयवर्मा था। इसके शासन-काल से कम्बुज राज्य के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ, और इस देश ने बहुत उन्नति की। जयवर्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले अनेक शिलालेख कम्बुज में उपलब्ध हुए हैं, और उनसे उसकी कीर्ति, वीरता और समृद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है।

जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्धन (८६६-८७७) ने और फिर इन्द्रवर्मा (८७७-८८६) ने कम्बुज का शासन किया। इन्द्रवर्मा के बाद उसका पुत्र यशोवर्मा (८८६-९०६) कम्बुज का राजा बना। इन्द्रवर्मा बड़ा प्रतापी राजा था। उसने पूर्व की ओर आक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया। इस विजय से कम्बुज की शक्ति बहुत बढ़ गयी। कम्बोडिया में संस्कृत भाषा के बहुत-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज देश में इन सदियों में संस्कृत की वही स्थिति थी, जो भारत में थी। समुद्रगुप्त और रुद्रदामा की प्रशस्तियों के समान कम्बुज देश के ये शिलालेख भी संस्कृत की साहित्यिक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

तेरहवीं सदी के अन्त तक कम्बुज के भारतीय उपनिवेश की स्वतन्त्रता कायम रही। मंगोल सम्राट कुबले खाँ ने १२६६ में उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया, और तब उसकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ।

कम्बुज भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी-देवताओं की वहाँ पूजा हुआ करती थी। वेद, पुराण, रामायण, महा-भारत आदि का वहाँ उसी प्रकार अध्ययन होता था, जैसा कि भारत में। राजा ईशानवर्मा ने कम्बुज में अनेक आश्रम बनवाये। जैसे बौद्ध-धर्म के मठ विहार कहाते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्रम कहते थे। इनमें संन्यासी लोग निवास करते थे, और बौद्ध भिक्षुओं की तरह धर्म प्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षण कार्य में व्यापृत रहते थे। राजा ईशानवर्मा के समय में ही कम्बुज में शिव (हर) और विष्णु (हरि) की सम्मिलित मूर्ति बनाई गयी। इससे सूचित होता है, कि कम्बुज देश के शैव और वैष्णव शिव और विष्णु में अभेद और अविरोध मानते थे। नवीं सदी में कम्बुज का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नयी राजधानी बनायी थी। उसके भग्नावशेष अंगकोरवोम में उपलब्ध हैं। इस नगरी के चारों ओर ३३० फीट चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की ओर एक विशाल प्राचीर बनी हुई है। नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो मील से भी अधिक है। नगर के महाद्वार विशाल व सुन्दर हैं। इनके दोनों ओर रक्षकों के लिए मकान बने हैं। तीन तिर वाले विशाल

हाथी द्वारों की मीनारों को अपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सी फीट चौड़े और मील भर लम्बे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक श्वे हैं। पक्की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृतिवाले अनेक सरोवर अब तक भी अंगकोरधोम के खण्डहरों में विद्यमान हैं। नगर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच की मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १५० फीट के लगभग है। ऊँची मीनार के चारों ओर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनारें हैं। इनके चारों ओर एक-एक नरमूर्ति बनी हुई है, जो समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ हैं। इस विशाल शिवमन्दिर में स्थान-स्थान पर सुन्दर चित्रकारी की गयी है। पौराणिक धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विशाल अवशेष भारत में कहीं उपलब्ध नहीं होते। बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में कम्बुज देश का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। उसने एक विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो अंगकोर वात के रूप में अब तक भी विद्यमान है। इसके चारों ओर की खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। मील के समान चौड़ी इस खाई को पार करने के लिए पश्चिम की ओर एक पुल बना है। पुल पार करने पर एक विशाल द्वार आता है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। खाई और महाद्वार को पार करने पर जाँ मन्दिर है, वह भी बहुत विशाल है।

अंगकोरधोम और अंगकोरवात के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से प्राचीन अवशेष कम्बोडिया में विद्यमान हैं, जो प्रायः भग्न मन्दिरों, शीर्ष गजप्रामादों और उबड़ी हुई नगरियों के रूप में हैं। ये सब अवशेष जिस युग के स्मारक हैं, उनमें कम्बोडिया पूर्ण रूप से भारतीय उपनिवेश था, और उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि सब भारतीय थे। इस देश के धर्म में पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद में उस का ह्रास होकर बौद्ध-धर्म का जोर बढ़ गया।

चम्पा—विण्ट-नाम के क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चम्पा था। यह ईस्वी सन् के प्रारम्भिक भाग में स्थापित हुआ था। चीनी ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार चम्पा की स्थापना १९२ ईस्वी के लगभग हुई थी। इस उपनिवेश की स्थिति कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में और विण्ट-नाम के दक्षिणी भाग में थी। चम्पा का पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० के अन्तिम भाग में था। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, और उनका धर्म शैव था। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए, संस्कृत भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी विण्ट-नाम में उपलब्ध हुए हैं।

चीनी ऐतिहासिक अनुश्रुति से ज्ञात होता है, कि फनवेन नाम के चम्पा के एक भारतीय राजा ने ३४० ई० में चीन के सम्राट के पास एक राजदूत भेजा था। उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चम्पा के राज्यों के बीच की सीमा होन-सोन पर्वतमाला को निर्दिष्ट कर दिया जाय। इस नई सीमा के अनुसार-न्हुत नाम का उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसपर ३४७ ई० में फनवेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया, और न्हुत-नाम को जीतकर चम्पा के राज्य को होन-सोन पर्वतमाला तक विस्तृत कर दिया। यद्यपि इस युद्ध में चम्पा के राजा फनवेन की मृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के

कारण चम्पा का राज्य बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली हो गया। चीन और चम्पा का संघर्ष फनवेन के बाद भी जारी रहा। चम्पा के राजा फन फो (३४६ से ३६० ई० प० तक) के शासनकाल में चीन अपने खोये हुए प्रदेश (न्हुत-नाम) को पुनः जीत लेने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा। यह यत्न फन हुता (३६० से ४१३ ई० प० तक) के समय में भी जारी रहा।

यह ध्यान में रखना चाहिए, कि चम्पा के राजाओं के फनवेन आदि जो नाम हमने दिए हैं, वे चीनी अनुश्रुति के अनुसार हैं। राजा फन-हुता का असली नाम धर्म-महाराज श्री भद्रवर्मा था। इस राजा के अनेक लेख चम्पा में उपलब्ध हुए हैं। श्री भद्रवर्मा वेदों का परम विद्वान् और महापण्डित था। उसने शिव के एक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया, और उसमें भद्रेश्वरस्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। यह मन्दिर चम्पा में धर्म और सस्कृति का केन्द्र बन गया, और इसकी कीर्ति देर तक स्थिर रही। भद्रवर्मा का उत्तराधिकारी गगाराज (४१३ से ४१५ ई० प० तक) था। उसके शासनकाल में चम्पा में अव्यवस्था फैल गयी, और वह राजसिंहासन का परित्याग कर गगाराम के लिए भारत चला आया। चम्पा के ये राजा धर्म, भाषा, सस्कृति आदि में पूर्णतया भारतीय थे। वहाँ के अन्यतम एक राजा इन्द्रवर्मा तृतीय (६११-६७२) के एक शिलालेख में उसे षड्दर्शन, बौद्ध-दर्शन, काशिकाश्रुति सहित पाणिनीय व्याकरण, आख्यान तथा शैव उत्तरकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया है। (मीमांसा षट्त्वं जिनेन्द्रसूत्रिमस्सकाशिकाव्याकरणोदकोध.। आख्यानशैवोत्तरकल्पमीनः पटिष्ठ एनेष्विनि मत्कवीनाम् ॥)।

मलाया—दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया (मलयद्वीप) में भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किये थे। अनुश्रुति के अनुसार पाटलिपुत्र के राजवंश का कोई राजकुमार तीसरी सदी ई० प० में समुद्रमार्ग द्वारा मलाया गया था, और वहाँ उसने अपना शासन स्थापित किया था। मलाया में इस भारतीय राजकुमार का नाम 'मरोड्' प्रसिद्ध है। मरोड् के बाद मलाया में महापोदिमत (महाबोधिसत्व) और श्रीमहावंश आदि राजा हुए। मरोड् द्वारा स्थापित भारतीय उपनिवेश का नाम लंकासुक था। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक भारतीय राज्य मलाया में विद्यमान थे। यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से ऐसे अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनका सम्बन्ध भारतीय धर्म और सस्कृति के साथ है। मरोड् जिराई के समीप सुंगइवन की जमींदारी में एक हिन्दू मन्दिर के अवशेष और अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं। इनके समीप ही चौथी सदी में बने एक बौद्ध मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के वेल्जनी जिले के उत्तरी भाग में बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ मिले हैं, जो उनपर उत्कीर्ण अक्षरों से चौथी-पाँचवी सदी के माने जाते हैं। पेरक राज्य के शलिनसिड् स्थान से गरुडाहृद विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके साथ सोने का एक आभूषण भी है। प्राचीन युग के ये और इसी प्रकार के अन्य अवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों के समान मलाया में भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति का प्रचार था।

सुमात्रा (सुवर्णद्वीप)—हिन्द महासागर के द्वीपों में भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। इन द्वीपों को आजकल सामूहिक रूप से इण्डोनेशिया कहते हैं। इण्डोनेशिया के अन्तर्गत द्वीपों में सुमात्रा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसे प्राचीन समय में सुवर्णद्वीप कहते थे, और इसका सबसे पुराना राजनीतिक केन्द्र श्रीविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की स्थापना चौथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी। पर सातवी सदी में इसने बहुत अधिक उन्नति की, और इसके प्रतापी राजाओं ने पड़ोस के अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। ६८४ ईस्वी में श्रीविजय के राजसिंहासन पर जयनाथ का अधिकार था, जो धर्म से बौद्ध था। ६८६ में उसने जावा (यवद्वीप) की विजय के लिए सेनाएँ भेजी। श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ लिखना उपयोगी नहीं है, पर महत्व की बात यह है, कि यह नगर धर्म, संस्कृति और ज्ञान का बड़ा केन्द्र था। चीनी यात्री इत्सिंग सात साल (६८८ से ६९५ ई० प०) तक यहाँ रहा था, और यही रहकर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इत्सिंग के अनुसार चीनी यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। संस्कृत के बहुत-से शिलालेख श्रीविजय और सुमात्रा के अन्य स्थानों से उपलब्ध हुए हैं।

जावा (यवद्वीप)—इण्डोनेशिया के अन्तर्गत द्वीपों में जावा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग बस चुके थे। चीनी अनुश्रुति के अनुसार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयों ने इस द्वीप में बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट की राजसभा में भेजा था। पाँचवी सदी के शुरू (४१४ ई० प०) में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन लौटा, तो वह मार्ग में यवद्वीप भी ठहरा। फाइयान के यात्रा-विवरण से सूचित होता है, कि इस द्वीप में भारतीय लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, और उनमें से बहुत-से शैव धर्म के अनुयायी थे। फाइयान जिस जहाज से यवद्वीप गया था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी थे।

पाँचवी सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्ती अन्य द्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गुणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत ऊँचा है, जिन्होंने विदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। तीस वर्ष की आयु में वह लंका गया, और कुछ समय वहाँ रहकर फिर उसने जावा के लिए प्रस्थान किया। जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में आ गयी, और उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली। इसी समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर आक्रमण किया। ब्रह्मिन्सा-प्रधान बौद्ध-धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्मा ने किया। उसने कहा कि दस्युओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे

गुद करना सबका धर्म है। आक्रमण करने वाली शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गयीं, और जावा की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही। गुणवर्मा की कीर्ति जावा के समीप के सब भारतीय उपनिवेशों में फैल गयी थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुण का यश पहुँच गया था। चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से प्रार्थना की, कि गुणवर्मा को चीन निमन्त्रित किया जाय। भिक्षुओं का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने अपना दूत जावा के राजा और गुणवर्मा के पास भेजा और यह प्रार्थना की कि आचार्य चीन पधारें। चीन के सम्राट् की प्रार्थना को गुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में वह दक्षिणी चीन में नानकिंग पहुँच गया। जिस जहाज पर गुणवर्मा चीन गया था, वह नन्दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल बेचने के लिए चीन जा रहा था। जावा और समीप के अन्य द्वीपों में बौद्ध-धर्म के प्रचार में गुणवर्मा का कर्तृत्व बहुत अधिक है।

जावा में संस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें से चार लेख पाँचवी सदी के मध्य भाग के हैं, जिन्हें राजा पूर्णवर्मा ने उत्कीर्ण कराया था। पूर्णवर्मा की राजधानी तारुमा थी, जो वर्तमान जाकार्ता के समीप ही स्थित थी। इन लेखों से यह भी सूचित होता है, कि पूर्णवर्मा के पूर्वज राजाधिराज ने चन्द्रभागा नामक नहर खुदवाकर उसे समुद्र तक पहुँचवाया था। पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोमती नाम की एक नहर खुदवाई थी।

शैलेन्द्र वंश—सातवी सदी में श्रीविजय (मुमात्रा में) के प्रतापी शैलेन्द्रवंशी राजाओं ने जावा को जीतकर अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। शैलेन्द्र वंश के राजा बड़े महत्वाकांक्षी और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल जावा को अपने अधीन किया, अपितु मलाया, कम्बोडिया और दक्षिणी बर्मा को भी जीत लिया। सातवी सदी से बारहवी सदी तक शैलेन्द्र वंश के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशों और द्वीपों का शासन करते रहे। इन राजाओं के शिलालेख न केवल मुमात्रा में अपितु जावा आदि अन्य द्वीपों में भी अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। ये सब लेख संस्कृत में हैं, और इनसे शैलेन्द्र राजाओं के वैभव और शक्ति का सुचारु रूप से परिचय प्राप्त होता है। ये राजा बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे, और उनके संरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत-से बौद्ध विहार व चैत्यों का भी निर्माण कराया। शैलेन्द्र वंश की दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास में वही स्थिति है, जो कि भारत के इतिहास में गुप्तवंश की थी। इन राजाओं ने न केवल इण्डोनेशिया के प्रायः सब द्वीपों को अपितु इण्डोचायना के बड़े भाग, मलाया और दक्षिणी बर्मा को भी जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। भारत के साथ भी इन शैलेन्द्र राजाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध था। यही कारण है, कि जहाँ इन राजाओं के उत्कीर्ण लेख जावा, मुमात्रा, मलाया आदि में उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत में भी इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेख मिले हैं। चीनी और अरब लेखकों ने भी इनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। अरब लेखक इब्न रोस्ता (९०३ ई० प०) ने लिखा था, कि “जावक (जावा) का महान् शासक महाराज कहलाता है। वह भारत के राजाओं में सबसे बड़ा इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि वह द्वीपों का स्वामी है। उस जैसा घनी

एवं शक्तिशाली दूसरा कोई राजा नहीं है, और न किसी की उतनी बड़ी ग्रामदनी ही है।" भारत में नालन्दा की खुदाई से एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा का वर्णन है। इस ताम्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि शैलेन्द्रवंशतिलक यक्षभूमिपाल महाराज श्री बालपुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, और उसके लिए राजा देवपाल से कहकर राजगृह विषय (जिले) के नन्दिवनक, मणि-बाटक, नाटिकाग्राम तथा हस्तिग्राम और गया विषय (जिले) के पामालक गाँव का दान किया। पालवशी भारतीय राजाओं के समान श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा भी नालन्दा के महाविहार के संरक्षक थे, यह इस ताम्रपत्र से सूचित होता है।

शैलेन्द्र वंश के राजाओं की कीर्ति और प्रताप के स्मार्करूप अनेक स्तूप व विहार अब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में विद्यमान हैं। उनका सबसे पुराना अवशेष कलसन-मन्दिर है, जो आठवीं सदी में बना था। इसे शैलेन्द्र राजा पर्यंकरण ने ७७८ ई० में बनवाया था, और कलसगाँव नाम के एक ग्राम के साथ उसे भिक्षुसंघ को दान किया था। यह मन्दिर बृहत्तर भारत की वास्तु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर शैलेन्द्रयुग की सबसे महत्वपूर्ण कृति बरोवदूर का महाचैत्य है, जो साँची के स्तूप के समान एक पहाड़ी पर स्थित है। जावा में विद्यमान यह विशाल स्तूप चारों ओर एक के ऊपर एक सीढीनुमा नौ चक्करों से मिलकर बना है, जिनमें ऊपर की ओर का प्रत्येक चक्कर अपने से नीचे वाले चक्कर से थोड़ा भीतर की ओर मिमटा हुआ है। सबसे ऊपर के चक्कर के ऊपर घटाकार चैत्य है। सबसे नीचे के चक्कर की लम्बाई १३१ गज है, और सबसे ऊपर के चक्कर की ३० गज। अग्कोरथोम के मन्दिर के समान बरोवदूर का यह चैत्य भी वस्तुतः एक अद्भुत और विशाल इमारत है, जो दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती है। इस चैत्य के विविध शलियारों में सब मिलाकर १५०० चित्रावलिर्थाँ चित्रित हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्ध कथाओं के साथ है।

बाली द्वीप—जावा के पूर्व में बाली नाम का छोटा-सा द्वीप है, जिसकी जनसंख्या दस लाख के लगभग है। इण्डोनेशिया के अन्य द्वीपों में तो इस समय हिन्दू-धर्म का लोप हो चुका है, पर बाली में वह अब तक भी जीवित रूप में विद्यमान है। चीनी अनुश्रुति द्वारा ज्ञात होता है, कि छठी सदी ईस्वी में बाली द्वीप में भारतीयों का निवास था, और वहाँ के राजवश का नाम कौण्डिन्य था। ५१८ ई० प० में बाली के भारतीय राजा ने अपना एक राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भी भेजा था। इण्डोनेशिया के अन्य द्वीपों के समान बाली में भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं।

बोनियो—इण्डोनेशिया के द्वीपों में बोनियो सबसे बड़ा है। इस द्वीप के सबसे पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है कि प्राचीन समय में वहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था। ४०० ईस्वी में लगभग के चार शिलालेख इस द्वीप से मिले हैं, जिनमें राजा अश्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के दान-गुण्य और यज्ञों का वर्णन है। संस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मूलवर्मा के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने के लिए बनाए गए थे। इन यज्ञों के अवसर पर ब्रह्मेश्वर तीर्थ में बीस हजार गोरूँ और बहुत-सा धन दान दिया गया था।

पूर्वी बोनियो में भी बहुत-से ऐसे ध्वंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप में हिन्दू संस्कृति की सत्ता के अकाट्य प्रमाण हैं। इनमें कोम्बेड की गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। यह गुफा तेलेन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व में स्थित है। गुफा में दो कोठरियाँ हैं। पिछली कोठरी में बलुए पत्थर से बनी हुई बारह मूर्तियाँ हैं, जो शिव, गणेश, नन्दी, भगस्त्य, नन्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द और महाकाल की हैं।

फिलिपीन और सेलेबीज द्वीपों में ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जो इन सुदूरवर्ती द्वीपों में भी भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार का प्रमाण उपस्थित करती हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में बृहत्तर भारत के विकास का अनुशीलन करते हुए हमें यह दृष्टि में रखना चाहिए, कि सुदूर पूर्व के इन उपनिवेशों की स्थापना किसी राजा या सम्राट् की कृति नहीं थी। जिस प्रवृत्ति से आर्य लोग भारत में दूर-दूर तक बसे थे, उसी से वे बंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में भी आवाद हुए थे। प्राचीन समय में आर्यों में उत्कट जीवनी शक्ति थी, और वे विघ्न-बाधाओं की परवाह न करते हुए दूर-दूर तक जाकर बसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योद्धाओं की महत्वाकांक्षाएँ, व्यापारियों की धनलिप्सा और मुनियों व भिक्षुओं की धर्मसाधना—इन सब प्रवृत्तियों से मिलकर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ इनका बहुत निकट का सम्बन्ध था। धर्म-प्रचारक और व्यापारी इनमें निरंतर आते-जाते रहते थे। समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्विजयी सम्राट् इन उपनिवेशों को भी अपने चातुर्यंत्न साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न करते थे। वस्तुतः, ये उपनिवेश भारत के ही अंग थे। यह बात बड़े महत्त्व की है, कि सुदूर-पूर्व का यह मारा एशिया इस युग में भारतीय धर्म और सभ्यता का अनुयायी था। वहाँ अपना पैर जमाकर भारतीय लोग चीन के विशाल भूखंड में अपने धर्म और व्यापार का प्रसार करने में लगे थे, और इस प्रकार एशिया का बहुत बड़ा भाग इस युग में भारतीय जीवन और संस्कृति से अनुप्राणित हो रहा था।

(३) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत

उत्तर-पश्चिमी भारत के गांधार और कम्बोज बौद्ध-काल के सोलह महाजनपदों में सम्मिलित थे। कम्बोज का अभिप्राय हिन्दूकुश पर्वत से परे पामीर के पार्वत्य प्रदेश और बदख्शा से है। प्राचीन समय में गांधार और कम्बोज भारत के ही अंग थे। पर प्राचीन समय में भारतीयों ने गांधार और कम्बोज से भी परे बाल्हीक (बल्ख) से आगे बढ़कर अपनी संस्कृति और धर्म का विस्तार किया, और इस प्रकार बृहत्तर भारत के एक नये क्षेत्र का निर्माण किया। इस प्रक्रिया का प्रारम्भ मौर्य काल में हुआ था। सम्राट् अशोक की धर्मविजय की नीति के कारण खोतन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात हुआ, और कैसे वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। अशोक के समय में जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ था, वह गुप्त-काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। इस सारे प्रदेश में अनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भारतीय लोग बड़ी संख्या में जाकर

आबाद हुए। मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नयी संकर जाति का विकास किया, जो धर्म सम्यता, भाषा और संस्कृति में भारतीय ही थी।

इस क्षेत्र के राज्य—इस उत्तर-पश्चिमी बृहत्तर भारत में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित थे—(१) शैलदेश (काशगर), (२) चौक्कुक (यारकंद), (३) खोतन (खोतन), (४) चल्मद (शान शान), (५) मरुक (पौलुकिया), (६) कुची (कुचर), (७) अग्निदेश (करासहर) और (८) कोचाग (तुर्फान)। इन आठ राज्यों में खोतन और कुची सबसे मुख्य थे, और इनके भी परे के चीन व अन्य राज्यों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

चौक्कुक, खोतन, शैलदेश और चल्मद में भारतीयों की आबादी बहुत अधिक थी। कम्बोज और गाधार से इनका व्यापार-सम्बन्ध भी बहुत घनिष्ठ था। व्यापार के कारण ये निरंतर भारत में आते-जाते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर-पश्चिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुलती थी। पहले यह भारतीय प्राकृत खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। पर गुप्तकाल में इन उपनिवेशों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ संस्कृत का भी इन उपनिवेशों में प्रसार हुआ। चौथी सदी के अन्त में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस क्षेत्र में आया, तो यहाँ का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, कि इन प्रदेशों के निवासी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के समीप हैं। भिक्षु लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं, और बौद्ध-धर्म की भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यही कारण है, कि इस समय बहुत-से प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ इस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अनेक ग्रन्थ संस्कृत के साथ-साथ वहाँ की पुरानी स्थानीय भाषाओं में भी हैं। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले-पहल इन्हीं ग्रन्थों में मिलता है।

खोतन—गुप्त-काल में खोतन किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, यह बात हमें प्राचीन अनुश्रुति व पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों में ज्ञात होती है। खोतन में बौद्ध-धर्म की दशा का वर्णन फाइयान ने इस प्रकार किया है—“यहाँ के निवासी बौद्ध-धर्म के अनुयायी हैं। भिक्षुओं की संख्या हजारों में है। अधिकांश भिक्षु महायान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध-स्तूप बनाए गए हैं। इनमें से कोई भी ऊँचाई में बीस फीट से कम नहीं है।” फाइयान के समय में खोतन में चौदह बड़े बौद्ध विहार थे। उनके अतिरिक्त छोटे-छोटे विहार और भी बहुत-से थे। खोतन के ये विहार शिक्षा के बड़े महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। संस्कृत के बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ इनमें सगृहीत रहते थे। अनेक महत्त्व के ग्रन्थ जो अन्यत्र नहीं मिल सकते थे, खोतन में प्राप्त हो जाते थे। यही कारण है, कि धर्मक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान् जो इस समय चीन में प्रचार कर रहा था, ४३३ ईस्वी में महापरिनिर्वाण-सूत्र की खोज में खोतन आया था।

खोतन में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध-काल के अवशेष मिले हैं। इसमें योत्कन, रावक, दण्डन-उलिक और नीया मुख्य हैं। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले वर्षों में हुई है, उससे बौद्धविहारों और चैत्यों के बहुत-से खण्डहर, मूर्तियाँ और प्रतिमाओं के अवशेष तथा बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। खोतन में आठवीं सदी

के अन्त तक भारतीय संस्कृति और धर्म का खूब प्रचार रहा। बाद में इस्लाम में प्रवेश ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिल्कुल बदल दिया।

खोतन में न केवल बौद्ध-युग के अवशेष मिले हैं, अपितु बहुत-से लेख भी प्राप्त हुए हैं। इनमें मासी मजार (खोतन नगर से १३ मील दूर), नीया और लोन् लन् में प्राप्त हुए लेख महत्वपूर्ण हैं। ये लेख खरोष्ठी लिपि में हैं, और काष्ठ-पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं। पट्टिकाओं की लम्बाई ७ से १५ इंच तक और चौड़ाई १ से २ ३/४ इंच तक है। कुछ पट्टिकाएँ चौकोर भी हैं। इनको पत्र के रूप में भेजते हुए लिफाफे की तरह दूसरी काष्ठ-पट्टिकाओं से ढककर भुहर लगा दी जाती थी। लिफाफे का काम करने वाली पट्टिकाओं पर एक तरफ पानेवाले का नाम और दूसरी तरफ पत्र दूत का नाम रहता था। खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए कुछ पत्र ऐसे भी मिले हैं, जो चमड़े पर लिखे गए हैं। नीया से मिले इन चर्मपत्रों की लम्बाई ६ से १२ इंच तक है, और चौड़ाई २ से ६ इंच तक। ये सब पत्र प्रायः राजकीय लिखा-पढी से सम्बन्ध रखते हैं, और इनकी भाषा धम्मपद की प्राकृत भाषा से मिलती-जुलती है। खोतन में प्राप्त इन लेखों का समय दूसरी और तीसरी सदी ई० प० के लगभग का माना जाता है।

कुची या कूचा—खोतन की तरह कुची का राज्य भी भारतीय संस्कृति का केन्द्र था। पुराणों में सम्भवतः इसी को कुशद्वीप कहा गया है। बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में शक, पल्लव आदि के साथ कुशिक जाति का भी उल्लेख किया है, जो कुची के निवासियों को ही सूचित करती है। कुची या कूचा का यह राज्य उत्तरी तरिम-उपत्यका में स्थित था। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या बहुत थी। चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो चुका था, और प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार इसमें बौद्ध विहारों और चैत्यों की संख्या दस हजार तक पहुँच गई थी। चीन के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार कुची के राज्य में बहुत-से विहार थे, जो बहुत ही सुन्दर और विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मूर्तियों की उसी तरह प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। तामू के विहार में १७० भिक्षु रहते थे। पर्वत के ऊपर बने हुए चेली के विहार में ५० भिक्षुओं का निवास था। राजा ने जो नया विहार बनवाया, उसे किएन मू कहते थे, और उसमें ६० भिक्षु रहते थे। वेनसू के राजकीय विहार में भिक्षुओं की संख्या ६० थी। ये चारों विहार बुद्धस्वामी नाम के आचार्य द्वारा संचालित हो रहे थे। कोई भिक्षु एक स्थान पर तीन महीने से अधिक समय तक नहीं रह पाता था। बुद्धस्वामी के निरीक्षण में तीन अन्य विहार थे, जिनमें क्रमशः १८०, ५० और ३० भिक्षु रहते थे। इनमें से एक विहार में केवल भिक्षुणियाँ ही रहती थीं। ये भिक्षुणियाँ प्रायः राजघरानों की थीं। पामीर के प्रदेश में जो विविध भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारियाँ भिक्षुव्रत लेकर इन विहारों में रहती थी, और बौद्ध-धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं।

कुची के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्ण-देव, हरदेव, सुवर्णपुष्प और हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य के भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। कुची में जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें विहारों और

चैत्यों के बहुत-से ध्रुवशेष मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि खोतल के समान कुची भी भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था।

इस प्रसंग में आचार्य कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। उसके पिता का नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य अनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु होकर वह कुची गया। वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया और उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। पर कुमारायन देर तक भिक्षु नहीं रह सका। कुची के राजा की बहन जीवा उसपर मोहित हो गयी, और अन्त में उन दोनों ने विवाह कर लिया। इनके दो संतानें हुई, कुमारजीव और पुष्यदेव। जब कुमारजीव की आयु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुणी हो गयी और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत आयी। भारत आने पर उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीव को बौद्ध-धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाए। अनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा काश्मीर गई। वहाँ उन दिनों बन्धुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह काश्मीर के राजा का भाई था, और अपने पांडित्य के लिए उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बन्धुदत्त के चरणों में बैठकर कुमारजीव ने बौद्ध आगम को पढ़ा, और धीरे-धीरे वह एक प्रकाण्ड पण्डित हो गया। काश्मीर में विद्याग्रहण करने के बाद कुमारजीव शैलदेश (काशगर) गया, और वहाँ उसने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया। उस समय शैलदेश प्राचीन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। इसीलिए कुमारजीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था। शैलदेश से वह चोवकुक (यारकंद) गया, और वहाँ उसने नागार्जुन, आर्यदेव आदि सिद्ध आचार्यों के ग्रंथों का अनुशीलन किया। उसके बाद उसने चोवकुक में ही महायान सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर वह कुची वापस लौटा, और अपनी मातृभूमि में उसने अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वत्ता की कीर्ति मनुकर दूर-दूर के विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे, और थोड़े ही समय में कुची विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सका। ३८३ ईस्वी के लगभग कुची पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की प्रबल शक्ति का मुकाबला कर सकता कुची जैसे छोटे-से राज्य के लिए सम्भव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध किया, पर अन्त में कुची पर चीन का अधिकार हो गया। जो बहुत-से कैदी कुची से चीन ले जाये गए, उनमें कुमारजीव भी एक था। सूर्य देर तक बादलो में नहीं छिपा रह सकता। कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सर्वत्र फैल गयी, और वहाँ के सम्राट् ने उसे अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की राजधानी में पहुँचा। वहाँ उसका बड़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनुपम विद्वान् था। शास्त्रों में उसकी अप्रतिहत गति थी। अतः उसे यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिए अन्य बहुत-से विद्वान् नियत कर दिये गए। दस

वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। महायान सम्प्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पाण्डित्य की कीर्ति मारे चीन में फैली हुई थी। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से चीनी विद्यार्थी और भिक्षु उसकी सेवा में पहुँचते थे।

अपने कार्य में सहायता के लिए कुमारजीव ने बहुत-से विद्वानों को भारत से चीन बुलाया। वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था। काश्मीर के बौद्ध पण्डितों से उसका घनिष्ठ परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान् चीन गये, उनमें पुण्यनात, बुद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मयश, गुणवर्मन्, गुणभद्र और बुद्धवर्मन् के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्मगुरु और धर्माचार्य के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं के साहस, पाण्डित्य और लगन का यह परिणाम हुआ, कि धीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया। आज चीन में जो सैकड़ों बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्वानों की कृति का परिणाम है। इन ग्रन्थों में बहुत-से अब अपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर चीनी अनुवाद के रूप में वे अब भी चीन में विद्यमान हैं। अब उनका फिर से संस्कृत रूपान्तर किया जा रहा है।

तुर्फान्—कुची या कूचा के पूर्व में तुर्फान नाम का मरु देश है, जिसमें बहुत-से प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष पाये जाते हैं। इस मरुभूमि में भी संस्कृत, चीनी, ईरानी और तुर्की भाषाओं के बहुत-से हस्तलेख उपलब्ध हुए हैं। पाँचवी सदी ईस्वी तक इस देश में बौद्ध-धर्म का भली-भाँति प्रचार हो गया था, और वहाँ के राजा चाउ (मृत्युकाल ४८० ई० प०) ने मंत्रेय का मन्दिर बनवाकर एक लम्बा अभिलेख उसकी स्थापना की स्मृति में उत्कीर्ण कराया था। इस प्रदेश से भी बौद्धमूर्तियों और विहारों के भग्नावशेष मिले हैं।

काशगर—राजा कनिष्क के साम्राज्य में खोतन के समान काशगर का प्रदेश भी सम्मिलित था। सम्भवतः, उसी समय में वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ। ४०० ईस्वी के लगभग जब चीनी यात्री फाहियान काशगर आया था, तो वहाँ पंचवार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें भगवान् बुद्ध की अस्थि (धातु या शरीर) के दर्शन किये जाते थे। काशगर में उस समय एक बौद्ध विहार था, जिसमें १००० भिक्षु निवास करते थे। ये भिक्षु महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। ४६० ईस्वी में काशगर के राजा ने चीन के दरबार में बुद्ध के चीवर को भेजा था।

प्राचीन ऐतिहासिक निधियाँ—उत्तर-पश्चिमी बृहत्तर भारत के वृत्तान्त के प्रसंग में उन ऐतिहासिक निधियों का जिक्र करना उपयोगी है, जो इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों में उपलब्ध हुई हैं। गत वर्षों में रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों के पुरातत्त्ववेत्ताओं को इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे इसके प्राचीन इतिहास के विषय में अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री हाथ लग गयी है। कुची से पूर्व की और करासहर, तुर्फान आदि के परे चीन की सीमा के पास तुङ्घा नामक स्थान है। इसके दक्षिण-पश्चिम में नंगे पहाड़ों की पंक्तियाँ हैं, जो खोदकर

बनाई गयी फाओं के कारण मधुछत्र-सी प्रतीत होती हैं। इन्हें सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार कहते हैं। तुङ्-ह्वा की गुफाएँ चौथी सदी ईस्वी में बननी शुरू हुईं, और छठी सदी तक बनती रहीं। सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार की ये गुफाएँ तुङ्-ह्वा से नौ मील हैं, और एक हजार गज से भी अधिक दूरी तक फैली हुई है। इन गुफाओं की भित्तियों पर बहुत-से चित्र हैं, और उनमें बहुत-सी सुन्दर मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। भारत की अजन्ता-गुफाओं में जिस ढंग के चित्र हैं, वैसे ही इनमें भी हैं। भेद यह है, कि सहस्र-बुद्धगुहाओं के चित्र अधिक सुरक्षित दशा में है। तुङ्-ह्वा के समीप के ये गुहाचित्र भारतीय कला, गान्धार कला और चीनी कला के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। अनेक चित्रों में ग्रीक, ईरानी और नेपाली शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चित्र दो प्रकार के हैं, बोधिसत्वों, अर्हंतों और देवताओं के, और सासारिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले। इन गुहाओं की मूर्तियाँ प्रधानतया बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध रखती हैं।

तुङ्-ह्वा की गुहाओं में केवल चित्र और मूर्तियाँ ही उपलब्ध नहीं हुईं, अपितु वहाँ पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुआ है। सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार की एक गुहा को खोदते हुए अकस्मात् एक छोटी गुफा निकल आई, जो हस्तलिखित पुस्तकों से भरी हुई थी। ये पुस्तकें चीनी, तिब्बती, उद्गुर और संस्कृत भाषाओं में लिखी हुई हैं। इनमें बहुत-सी पुस्तकों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तुङ्-ह्वा के समीप की गुफाओं में जो पुस्तक-भण्डार मिला है, उसकी पुस्तक-संख्या हजारों में है। अभी इसकी सूची पूर्ण रूप से नहीं बन सकी है। पर फ्रांस, ब्रिटेन आदि के विद्वान् इन पुस्तकों को अपने देशों में ले गये हैं।

तुङ्-ह्वा के समान कूचा, कामगर और लोलन आदि मध्य एशिया के अन्य स्थानों से भी प्राचीन पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, और इस प्रदेश के ये पुस्तक-भण्डार मध्य-एशिया में भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति के प्रचार के ठोस प्रमाण हैं।

तुङ्-ह्वा की गुफाओं का बड़ा भाग चौथी सदी से छठी सदी तक बना था। पर बाद में भी इन गुफाओं का निर्माण होता रहा। चौदहवीं सदी तक अनेक थ्रडालु राजा और सम्पन्न पुरुष यहाँ विहारों, मूर्तियों और चैत्यों के निमित्त गुहाओं का निर्माण कराते रहे। आठवीं से चौदहवीं सदी तक के भी बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस स्थान से मिले हैं, जिनमें सत्रह-बुद्ध-गुहा-विहार के लिए दान, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का उल्लेख है।

(४) हूणों का भारतीय बनना

गुप्त-काल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवनी शक्ति थी। न केवल बौद्ध अपितु जैन, शैव, वैष्णव आदि अन्य भारतीय धर्मों में भी उस समय यह शक्ति विद्यमान थी, कि वे विदेशी जातियों को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें भारतीय समाज का अंग बना सकें। यवन, शक और कुशाण लोग किस प्रकार भारत में आकर भारतीय बन गये, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं।

गुप्तकाल में जो हूण भारत में आक्रांता के रूप में प्रविष्ट हुए, उन्होंने शुरू में बड़ी बर्बरता प्रदर्शित की, पर बाद में वे भी पूर्णतया भारतीय समाज के अंग बन गये। हूण-राजा मिहिरगुल ने शैव-धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में लिखा है, कि स्थाणु शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मुख वह सिर नहीं झुकाता था। उसके जो सिक्के मिले हैं, उनपर विशाल और नन्दी के चिह्न अंकित हैं, और 'जयतु वृषः' यह उत्कीर्ण किया गया है।

उस युग के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों में बड़े सुन्दर रूप में वर्णित किया गया है। शक, यवन, हूण आदि जातियों को गिनाकर पुराणकार ने भक्ति के आवेश में आकर कहा है, कि ये और अन्य जो भी पापयोगि जातियाँ हैं, वे सब जिस विष्णु के सम्पर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभुविष्णु विष्णु को नमस्कार हो। भगवान् विष्णु की यह पतितपावनी शक्ति भारत में गुप्त-काल में कायम थी। मुसलिम धर्म के भारत-प्रवेश के बाद यह शक्ति नष्ट हो गयी, और उस समय के भारतीय अरब और तुर्क आक्रांताओं को अपने में नहीं मिला सके।

पौराणिक और बौद्ध धर्मों को स्वीकार कर हूण लोग भारतीय समाज के ही अंग बन गए। इस समय यह बता सकना बहुत कठिन है, कि शक, यवन, युद्धि और हूण आक्रांताओं के वर्तमान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू-समाज में कोई पृथक् सत्ता नहीं है। वस्तुतः, ये हिन्दू समाज में बिलकुल ही घुल-मिल गयीं, और हिन्दुओं की विविध जातियों में गिनी जाने लगी। जहाँ भारत की वर्तमान अनेक जातियाँ पुराने गणराज्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ अनेक इन म्लेच्छ आक्रांताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस समय वे क्षत्रियों के अन्तर्गत हैं, और उनमें पाप या पापयोगिपन कुछ भी शेष नहीं है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और लिखनी आवश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदूर पूर्व में और पामीर के उत्तर-पश्चिम में अपनी बस्तियाँ बसाई थी, वहाँ प्राचीन सीरिया और मैसेपोटामिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्यमान थे। यूफ्रेटिस नदी के तट पर उनके दो बड़े मन्दिर थे, जिन्हें सेण्ट ग्रेगरी के नेतृत्व में ईसाइयों ने नष्ट किया था। वह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने अपने धर्मप्रसार के जोश में इन मन्दिरों पर आक्रमण किया, तो भारतीय लोग बड़ी वीरता के साथ उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त होना पड़ा। मैसेपोटामिया के ये प्राचीन भारतीय मन्दिर नष्ट कर दिये गये, और इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हो गयी। पर गुप्त-काल में भारतीयों ने इतनी दूर पश्चिम में भी अपनी बस्तियाँ कायम की थी, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।

अठारहवाँ अध्याय

बौद्ध-धर्म की प्रगति और ह्रास

(१) महायान और वज्रयान

महायान का प्रावृर्भाव— महात्मा बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म दो निकायो (सम्प्रदायों) में विभक्त हो गया था, जिन्हें स्थविरवाद (थेरवाद) और महासांघिक कहते थे। वैशाली की द्वितीय बौद्ध-महासभा के अन्तर्गत पर इन दोनों सम्प्रदायों के भेद ने बहुत स्पष्ट रूप धारण कर लिया था। इस दूसरी महासभा के सवा सौ वर्ष बाद जब सम्राट् अशोक मौर्य के समय में (तीसरी सदी ई० पू०) बौद्धों की तीसरी महासभा हुई, तब तक बौद्ध-धर्म में अठारह निकायों का विकास हो चुका था। इनमें से छः का सम्बन्ध महासांघिक सम्प्रदाय के साथ था और बारह का स्थविरवाद के साथ। महासांघिक व उससे सम्बद्ध निकाय बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने का प्रयत्न कर रहे थे, और स्थविरवादी लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि बुद्ध के मानव रूप की रक्षा हो।

महासांघिक सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले छ निकायों में एक निकाय 'वैपुल्यवाद' था। इसी से आगे चलकर महायान की उत्पत्ति हुई। वैपुल्यवादी लोग अन्य बौद्धों से जिन विषयों पर मतभेद रखते थे, वे निम्नलिखित थे—(१) बौद्ध-संघ न दान ग्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध करता है, न उसका उपभोग करता है, और न संघ को देने में महाफल है। (२) बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में आकर रहे और न उन्होंने धर्मोपदेश किया। (३) किसी विशेष अभिप्राय से मंथुन का सेवन किया जा सकता है। वैपुल्यवादियों की ये तीनों ही बातें ऐसी थीं, जो बौद्ध-धर्म में विप्लव मचाने वाली थीं। विशेषतया, बुद्ध के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित करना कि उन्होंने न कभी मानव-रूप धारण कर सार में प्रवेश किया और न उन्होंने कभी धर्म का उपदेश दिया, एक ऐसा विचार उपस्थित करता था, जिससे बुद्ध पूर्णतया अमानव व अलौकिक बन जाते थे। वैपुल्यवाद का केन्द्र श्रीध्यानकटक के प्रदेश में था और वही से उसका प्रचार (पहली सदी ई० पू० में) सिंहलद्वीप में हुआ था। आचार्य नागार्जुन इसके सबसे महत्त्वपूर्ण प्रचारक थे, और उन्हीं के प्रयत्न से वैपुल्यवाद का महत्त्व अन्य बौद्ध सम्प्रदायों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया। आगे चल कर वैपुल्यवाद ही महायान के रूप में परिवर्तित हो गया।

महायान ने जीवन का एक ऊँचा आदर्श जनता के सम्मुख रखा, जिसके अनुसार कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, जिसे प्राणिमात्र के हित के लिए अर्पण समझा जा

सके। इस चरम साधना के लिए महायान ने बोधिसत्व-जीवन का उपदेश दिया। बोधिसत्व वह होता है, जो परोपकार के लिए किसी कष्ट को कष्ट नहीं मानता। बुद्धपद प्राप्त करने से पूर्व सिद्धार्थ ने बोधिसत्व के रूप में अनेक जन्म लिए थे और विविध प्रकार से दूसरों का हित-सम्पादन किया था। मनुष्य का आदर्श यही है कि दुःखतप्त प्राणियों के भ्रातिनाशन के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर बोधिसत्व के रूप में जीवन व्यतीत करे और अन्त में बुद्ध-पद प्राप्त कर अपना निर्वाण कर ले।

महायान ने दार्शनिक विचारों के विकास द्वारा एक नए सिद्धान्त को उपस्थित किया। इस नए दर्शनशास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय आचार्य नागार्जुन और अमङ्ग को है। बुद्ध विश्व को क्षण-क्षण परिवर्तनशील मानते थे। उनके अनुसार कोई मत्ता नित्य नहीं है। नागार्जुन ने 'अनित्यता' के इसी विचार को लेकर शून्यवाद या मापेक्षता-वाद के सिद्धान्त का विकास किया।

प्रायः इतिहास-ग्रन्थों में यह लिखा जाता है कि कुशाण-राजा कनिष्क ने बौद्ध-धर्म के जिस सम्प्रदाय को स्वीकार किया था, वह महायान था। पर बहुत-से बौद्ध विद्वान् इसे स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कनिष्क और अश्वघोष महायान के अनुयायी न होकर 'सर्वास्तिवादी' थे। सर्वास्तिवाद स्थविरवादी निकाय के अन्तर्गत था, और उनका महायान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। शुरू में महायान का प्रादुर्भाव श्रीगान्ध-कटक में हुआ था, जो वैपुल्यवाद-निकाय का केन्द्र था। इसके प्रादुर्भाव का समय स्थूल रूप से पहली सदी ई० पू० या उसके कुछ बाद समझा जा सकता है। चौथी सदी ई० पू० तक महायान का प्रचार बहुत बढ़ गया था, और वह प्रायः सारे भारत में फैल गया था। भारत से वह उपरले हिन्द (भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित मध्य एशिया का क्षेत्र) में फैला, और चीन, जापान तथा कोरिया को भी उसने आत्मनात् कर लिया। उत्तरी एशिया के इन देशों में अब तक भी महायान बौद्ध-धर्म का प्रचार है।

महायान के अनुयायी अपने से भिन्न सम्प्रदायों को हीनयान कहते थे। इस सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सिंहलद्वीप, बर्मा और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों में हुआ। हीनयान के धार्मिक ग्रन्थ पालि भाषा में हैं और महायान के संस्कृत में। बौद्धों के धार्मिक साहित्य (त्रिपिटक) का परिचय हम पहले दे चुके हैं।

वज्रयान-सम्प्रदाय—बौद्ध धर्म का प्रारम्भिक रूप स्थविरवाद था। फिर महा-साधक निकाय उससे पृथक् हुआ और धीरे-धीरे ये दो सम्प्रदाय अठारह निकायों के रूप में विकसित हुए। इन अठारह निकायों के भी अनेक भेद होते गए और यही कारण है कि 'कथावत्यु' ग्रन्थ में बौद्ध धर्म के २१४ सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। तीसरी सदी के लगभग भारत में महायान का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया, और कालान्तर में भारत में सर्वत्र उसका प्रचार हो गया। वज्रयान-सम्प्रदाय का विकास महायान से ही हुआ, या यो कहना अधिक उपयुक्त होगा, कि धीरे-धीरे भारत का महायान ही वज्रयान के रूप में परिवर्तित हो गया। सातवीं सदी से शुरू कर भारत के मध्यकालीन इतिहास में बौद्ध-धर्म का जो रूप प्रचलित था, वह वज्रयान ही था।

जो स्थान पीराणिक हिन्दू-धर्म में वाममार्ग का है, वही बौद्ध-धर्म में वज्रयान का है। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की अद्भुत शक्ति जिन शब्दों में हो, उन्हें मन्त्र कहा जाता है। न केवल भारत में अपितु संसार के अन्य प्राचीन देशों में भी यह विश्वास प्रचलित था कि मन्त्रशक्ति का प्रयोग कर मनुष्य अभिलषित फल को प्राप्त कर सकता है। साथ ही, लोग यह भी समझते थे कि जादू-टोना आदि अभिचार-क्रियाएँ वस्तुतः फलवती होती हैं। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भी भारत में मन्त्र-शक्ति और अभिचार-क्रियाओं में विश्वास की सत्ता थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में इस प्रकार की बहुत-सी क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए आचार्य चाणक्य ने 'श्रौत-निषदिक' शब्द का प्रयोग किया है। ये क्रियाएँ गुप्त रखी जाती थीं। इन्हें केवल वही व्यक्ति जान सकता था, जो गुरु का अत्यधिक विश्वासपात्र हो। इस दशा में इनके लिए 'श्रौतनिषदिक' शब्द सर्वथा उपयुक्त था। चाणक्य ने नन्द का विनाश करने के लिए जहाँ सेना और कूटनीति का प्रयोग किया था, वहाँ साथ ही 'अभिचार-वज्र' से भी काम लिया था। कौटलीय अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव के बाद जिस युग में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में तन्त्र-मन्त्र का प्रचलन नहीं था, चाणक्य सहस्र आचार्य श्रौतनिषदिक क्रियाओं का प्रतिपादन करते थे और अभिचार-वज्र का प्रयोग करते थे।

जब भारत की जनता में तन्त्र-मन्त्र की शक्ति के प्रति विश्वास विद्यमान था, तो यह कैसे सम्भव था कि बौद्ध-धर्म उससे झूठा रह जाता। यद्यपि बुद्ध अर्थविश्वासों और रहस्यमयी क्रियाओं के विरोधी थे और जीवन की माधना का ही उपदेश उन्होंने दिया था, पर जब सर्वसाधारण जनता ने उनके धर्म को अपनाया, तो वह अपने मज्जातन्तुगत विश्वासों को कैसे दूर कर सकती थी। परिणाम यह हुआ, कि बौद्ध-धर्म में भी तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हुआ।

बौद्धों के वैपुल्यवादी सम्प्रदाय का यह भी मन्तव्य था कि विशेष अभिप्राय से भिक्षु और भिक्षुणी मँथुन का भी सेवन कर सकते हैं। बौद्ध-संघ में जो व्यक्ति भिक्षु या भिक्षुणी बनने के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करते थे, वे सब वृद्ध या 'लुप्तव्यवाय' ही नहीं होते थे। बहुत-से युवक व युवतियाँ भी प्रव्रज्या ग्रहण कर संघ में शामिल हो जाते थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों को एक साथ रहने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि उनके संघ और विहार पृथक्-पृथक् होते थे। पर जो हजारों-लाखों युवक-युवतियाँ प्रव्रज्या ग्रहण कर पीत वस्त्र धारण कर लेते थे, वे सभी कामवासना को वशीभूत करने में समर्थ हों, यह सम्भव नहीं था। भिक्षु बन जाने के बाद भी उनमें मँथुन की इच्छा बनी रहती थी। सम्भवतः, इसीलिए वैपुल्यवादियों ने 'विशेष अभिप्राय' से (एकाभिप्रायेण) मँथुन की अनुमति प्रदान की थी। मानव-शरीर की प्राकृतिक आवश्यकता को गृहस्थाश्रम के सीधे और सरल मार्ग द्वारा पूर्ण न कर सकने के कारण बौद्धों ने 'विशेष अभिप्राय' की आड़ ली, और रहस्यपूर्ण शब्द-जाल द्वारा मँथुन-क्रिया को 'सम्यक् संबुद्ध' बनने के लिए सहायक प्रतिपादन करना प्रारम्भ किया। वज्रगुरु काम-वासना की पूर्ति के लिए मँथुन का सेवन नहीं करता, अपितु सम्यक्-सम्बुद्ध व सिद्ध बनने के विशेष अभिप्राय

से ही इसका प्रयोग करता है। वैपुल्यवादियों ने जो विचारसरणी प्रतिपादित की थी, उसी ने महायान को जन्म दिया। मैथुन-विषयक उनके विचार महायान में भी विद्यमान थे। बाद में उन्होंने बहुत जोर पकड़ा, और वज्रगुरु व सिद्ध बनने के लिए लोग ऐसे उपायों का प्रयोग करने लगे, जो गुह्य और रहस्यमय थे और जिनमें मैथुन-क्रियाओं को भी स्थान था। आठवीं सदी के बाद जब वज्रयान का भली-भाँति विकास हो गया था, वैपुल्यवादियों द्वारा बोधा गया बीज एक महान् वृक्ष के रूप में परिणत हो गया, और सिद्ध को प्राप्त करने के इच्छुक साधक लोग भैरवी चक्र की भाँड़ में ऐसी बातें करने लगे, जो धार्मिक संघ के लिए तो क्या सम्य समाज के लिए भी घृणास्पद थी।

वज्रयान के रूप में केवल मैथुन ही बौद्ध-धर्म में प्रविष्ट नहीं हुआ, अपितु तन्त्र-मन्त्र और हठयोग ने भी उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। शुरु में बौद्ध लोग अपने धार्मिक सूत्रों (सुत्तों) का पाठ किया करते थे। पर ये सूत्र बहुत बड़े-बड़े थे। इनके पाठ में बहुत समय लगता था। वैपुल्यवादियों ने विचार किया कि लम्बे-लम्बे सूत्रों के पाठ से जो फल प्राप्त होता है, वह संक्षिप्त शब्द-समूह से भी प्राप्त हो सकता चाहिए, क्योंकि शब्द में विशेष शक्ति होती है और उस शक्ति के लिए सुदीर्घ सूत्रों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए वैपुल्यवादियों ने कुछ पंक्तियों की छोटी-छोटी धारणियाँ बनाईं और उनके पाठ द्वारा भी वही फल माना, जो सूत्रों के पाठ से प्राप्त होता था। पर धारणियों का पाठ भी लोगों को कष्टकर प्रतीत होता था, अतः बाद में मन्त्रों की सृष्टि की गयी, जिसमें केवल कुछ शब्द ही होते थे। 'ओ मुने मुने महामुने स्वाहा' 'ओ हा हुँ' आदि इसी प्रकार के मन्त्र थे, जिनके जप से बौद्ध लोग अभिलषित फल की प्राप्ति रखते थे। मन्त्र-शक्ति में विद्वानों के साथ-साथ योगिक क्रियाओं ने भी बौद्ध-धर्म में प्रवेश किया। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व ही भारत में योगक्रियाएँ प्रचलित हो चुकी थी। इसमें सन्देह नहीं, कि इन क्रियाओं द्वारा शरीर की उन्नति और मानसिक शक्तियों के विकास में सहायता मिलती थी। जनता योगियों के प्रति श्रद्धा रखती थी और उनके अनेक प्रकार के चमत्कारों को देखकर चमत्कृत भी हो जाती थी। जब जनता को योग में श्रद्धा थी, तो यह कैसे सम्भव था कि बौद्ध-धर्म के आचार्य उसकी उपेक्षा करते। बौद्ध-धर्म के जो प्रचारक शाक्यकुलोत्पन्न सिद्धार्थ को भ्रूलौकिक व भ्रमानव बताकर या मानव-शरीर में बुद्ध की सत्ता से ही इन्कार कर जनता को अपने धर्म में अनुरक्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, वे योग-सिद्धियों की उपेक्षा करते, यह सम्भव नहीं था। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे भारत में बौद्ध-धर्म ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया, जिसके अनुसार बुद्ध भ्रूलौकिक पुरुष थे, जिसके छोटे-छोटे मन्त्र अभिलषित फल प्रदान करने वाले थे, और जिसके गुरु योगाभिचार-क्रियाओं, गुह्य सिद्धियों और रहस्यमय साधनाओं द्वारा वज्रगुरु या सिद्ध का पद प्राप्त कर लेते थे। इन सिद्ध गुरुओं को न सदाचारमय जीवन की आवश्यकता थी, और न इन्द्रियजय की। उचित-अनुचित, साध-असाध आदि का कोई विचार इनके सम्मुख नहीं था, क्योंकि ये इन तुच्छ बातों से ऊँचे उठकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके थे। जब मनुष्य साधारण जीवन से ऊँचा उठकर सिद्ध बन जाता है,

तो उसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य व उचित-अनुचित का भेद ही नहीं रह जाता । इन भेदों से ऊँचा उठने के लिए ही वह सब पदार्थों को साथ मानता है, स्त्रीमात्र से मँथुन करना अपनी साधना में सहायक समझता है, और मदिरा-सेवन को योग-क्रियाओं के लिए आवश्यक मानता है । आठवीं सदी तक यह वज्रयान भारत में मली-भाँति विकसित हो गया था, और जनता इसके सिद्धों के प्रति अत्यधिक आदर भावना रखने लग गयी थी ।

बौद्ध-धर्म के अन्त के साथ भारत से वज्रयान का भी अन्त हो चुका है । पर तिब्बत में इस सम्प्रदाय का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है । तिब्बत में जब बौद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ, तो भारत में वज्रयान का उदय हो चुका था । यही कारण है, कि तिब्बत में वज्रयान का भी प्रचार हुआ । न केवल तिब्बत में, अपितु अन्य भी अनेक प्रदेशों में पहले इस सम्प्रदाय का प्रचार रह चुका है, यद्यपि उनसे बौद्ध-धर्म का अन्त हो जाने के साथ इसका भी लोप हो गया है ।

(२) बौद्ध-धर्म का अन्य देशों में प्रसार

मौर्य और गुप्त-वंशों के शासनकाल में जिस प्रकार विदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ, उसका वर्णन हम इस इतिहास में पहले कर चुके हैं । पर गुप्त-युग के साथ इस प्रक्रिया का अन्त नहीं हो गया । पाँचवीं सदी के बाद भी बहुत-से भारतीय विद्वान् अन्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने या धर्म-ग्रन्थों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विदेश जाते रहे । पाँचवीं सदी से चीन आदि देशों से भी लोगो ने भारत आना शुरू किया, ताकि वे जहाँ बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों का दर्शन करें, वहाँ साथ ही अपने धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों को भी प्राप्त करें । इस प्रकरण में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे ।

कुमारजीव और गुणवर्मन् ने गुप्त-सम्राटों के शासनकाल में चीन में बौद्ध-धर्म के प्रसार के लिए जो यत्न किये, उनका निर्देश पहले किया जा चुका है । गुणवर्मन् के कुछ समय पश्चात् ४३५ ई० में आचार्य गुणभद्र मध्यदेश से चीन गये । संस्कृत की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया । कुल मिलाकर ७८ बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब केवल २८ ही प्राप्त होते हैं । ७५ वर्ष की आयु में ४६८ ई० में चीन में ही उनकी मृत्यु हुई । गुणभद्र के बाद ४८१ ई० में धर्मजातयश और छठी सदी में धर्मरुचि, रत्नमति, बोधिरुचि और गौतम प्रज्ञारुचि नाम के विद्वान् भारत के मध्य देश से चीन गये, और बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने तथा धर्मप्रचार में व्याप्त रहे । चीन के लोग मगध तथा उसके समीप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालन्दा तथा काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केन्द्र थे । ये सब पण्डित इन्हीं नगरों के महाविहारों से सम्बन्ध रखते थे । भारतीय पण्डितों के निरन्तर चीन जाने का यह परिणाम हुआ, कि उस देश के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिक्षु निवास करने लगे । एक अनुश्रुति के अनुसार छठी सदी के शुरू में चीन में भारतीय भिक्षुओं

की संख्या तीन हजार के लगभग थी। इन्हीं भारतीय पण्डितों के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध-धर्म की दृष्टि से छठी सदी चीन के इतिहास में सुवर्णयुग मानी जाती है। वहाँ का सम्राट् बू-ती बौद्ध-धर्म का कट्टर अनुयायी था। अपने जीवन के अन्तिम भाग में भारतीय आदर्श के अनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण कर लिए थे। ५३६ ई० में बू-ती की प्रेरणा से एक चीनी मण्डल भारत इस उद्देश्य से आया, कि यहाँ से बौद्ध-ग्रन्थों को अपने देश में ले जाए। यह मण्डल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान् को भी अपने साथ ले गया, और इसी के प्रयत्न से चीन में बौद्ध-धर्म के योगाचार-सम्प्रदाय का प्रवेश हुआ। भिक्षु परमार्थ ने असंग और वसुबन्धु के ग्रन्थों का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। छठी सदी में जो अन्य भारतीय पण्डित चीन गये, उनमें जिनगुप्त, ज्ञानभद्र, जिनमगध और गौतमधर्मज्ञान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से जिनगुप्त पेशावर का रहने वाला था। उसने भारतीय धर्म-ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक संघ की स्थापना की। इस संघ में बहुत-से भारतीय और चीनी पण्डित शामिल हुए। अपने उद्देश्य में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की, और सैकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में किया।

सातवी सदी के मध्य भाग में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ह्युएन-त्सांग भारत आया। वह चीन लौटते समय ६५७ बौद्ध-ग्रन्थों को अपने साथ ले गया। चीन में रहने वाले भारतीय पण्डित जो कार्य कर रहे थे, उसमें इन ग्रन्थों से बहुत सहायता मिली। भारत के बौद्ध-धर्म में उस समय बहुत जीवनी शक्ति थी, इसीलिए नये-नये आचार्य दर्शन, धर्म आदि पर नये-नये ग्रन्थों की रचनाएँ करते रहते थे। चीन के बौद्ध पण्डित किसी नये बौद्ध-दर्शन के विकास में प्रयत्नशील नहीं थे, वे अपने धर्मगुरु भारत के विविध आचार्यों द्वारा लिखे ग्रन्थों को अपनी भाषा में पढ़कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को शान्त कर लेते थे। आठवी सदी के आरम्भ में आचार्य अमोघवज्र चीन गया। वह तन्त्रशास्त्र का महान् पण्डित था। मगध के बौद्ध महाविहारों में इस समय तांत्रिक धर्म (वज्रयान) का जोर था। अमोघवज्र ने ४१ तन्त्रग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के राजा की उसमें अपार श्रद्धा थी। उसने उसे 'राज्यकर्णधार' और 'त्रिपिटक-भदन्त' की उपाधियों से विभूषित किया था। अमोघवज्र और उसके अन्य साथियों से ही चीन में तांत्रिक धर्म का प्रवेश हुआ। ६७१ ई० में मञ्जुश्री और फिर ६७३ ई० में धर्मदेव नाम के आचार्य चीन गये। ये नालन्दा के निवासी थे। धर्मदेव ने ४६ ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। १००४ ईस्वी में धर्मरक्ष अनेक पण्डितों के साथ चीन गया। वह भी मगध का निवासी था। ६६ वर्ष की आयु में १०५३ ई० में चीन में ही उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सन् १०५३ में ज्ञानश्री नाम के आचार्य ने मगध से चीन के लिए प्रस्थान किया। सम्भवतः, यह अन्तिम आचार्य था, जो भारत से चीन में धर्म-प्रचार के लिए गया था। ग्यारहवी सदी के बाद चीनी अनुभूति में किसी ऐसे भारतीय पण्डित का उल्लेख नहीं मिलता, जो चीन जाकर बौद्ध-धर्म के प्रचार में व्यापृत रहा हो। तुर्कों के जो आक्रमण दसवीं सदी के अन्त में

भारत पर प्रारम्भ ही गये थे, उन्होंने इस देश की व्यवस्था और शांति पर कठोर कुठाराघात किया था। इन नये प्रकार के म्लेच्छों व 'यवनों' के आक्रमणों से भारत की जीवनी-शक्ति निर्बल पड़ने लग गयी थी, और मगध के महाविहार भी देर तक अपनी सत्ता को कायम रखने में असमर्थ रहे थे। इसमें सन्देह नहीं, कि मगध और भारत के अन्य प्रदेशों के पण्डितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता, कला और संस्कृति के प्रचार ले लिए जो अनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास के लिए अत्यन्त गौरव की वस्तु है।

तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रवेश चौथी सदी में हुआ था। मौर्य राजा अशोक के समय में जो बौद्ध-प्रचारक हिमवन्त प्रदेशों में धर्म-प्रचार के लिए गये थे, सम्भवतः, उन्हीं की शिष्य-परम्परा ने बाद में तिब्बत में भी कार्य किया। पर इन आचार्यों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं। तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं सदी में हुआ। उस समय तिब्बत में लोङ्-न्चन्-गम्-पो नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुमारी से और दूसरा नेपाल के राजा अशुवर्मन् की कन्या भृकुटीदेवी से। ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध-धर्म को माननेवाली थीं। इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध-धर्म को अपनाया। इसी वंश में आगे चलकर ल्खि-लोङ्-त्स्ये-न्चन तिब्बत का राजा हुआ। इसका एक अमात्य चीन देश का रहने वाला और कट्टर बौद्ध था। उसके प्रभाव से राजा ने शातरक्षित नाम के भारतीय आचार्य को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आचार्य पद्मसम्भव के सहयोग से शातरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। आठवीं सदी में जिन भारतीय पण्डितों ने तिब्बत में अपना काम शुरू किया, वे मगध के निवासी थे। मगध के महा-विहारों के अनुकरण में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तीस मील, दक्षिण-पूर्व में सम्-ये नामक स्थान पर इन्होंने एक महाविहार का निर्माण कराया। यह बहुत समय तक तिब्बत में ज्ञान और विद्या का केन्द्र रहा। यह अब तक भी विद्यमान है, और तिब्बत के प्रसिद्ध विहारों में गिना जाता है। यह बौद्धों के सर्वास्तित्वादी सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शातरक्षित इसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने अपने सहयोग के लिए बारह अन्य पण्डितों को भारत से बुलाया, और इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसम्भव तांत्रिक अनुष्ठानों में विश्वास करता था। उसके प्रयत्न से तिब्बत में वज्रयान का प्रवेश हुआ। बाद में धार्यदेव, बुद्धकीर्ति, कुमारश्री, कर्णपति, कर्णश्री, सूर्यध्वज, सुमतिसेन और कमलशील आदि अनेक भारतीय आचार्य तिब्बत में गये, और उन्होंने इस दुर्गम देश में भारतीय धर्म के प्रचार का श्लाघनीय प्रयत्न किया। इन आचार्यों में कमलशील का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसे खास तौर पर भारत से बुलाया गया था। कारण यह, कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम ह्वा-शंग था, इस समय चीन में बौद्ध-धर्म के शून्यवाद सम्प्रदाय का प्रचार करने में व्यापृत था। भारतीय आचार्य सर्वास्तित्वादी और माध्यमिक सम्प्रदायों के अनुयायी थे। ह्वा-शंग का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यकता अनुभव हुई, कि भारत से एक प्रकाण्ड पण्डित को तिब्बत बुलाया जाय। इसी उद्देश्य से कमलशील तिब्बत गये, और राजा के

सभापतित्व में हुई भारी सभा में चीनी भिक्षु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में कमलशील की विजय हुई, और ह्वान-शंग ने अपने हाथों से कमलशील को जयमाला पहनाई। कमलशील का तिब्बत में बड़ा आदर हुआ। उसे लोग दूसरा भगवान् बुद्ध मानने लगे। इस भारतीय आचार्य का विविध मसालों से सुरक्षित किया हुआ शव अब तक तिब्बत के एक बिहार में सुरक्षित है, और तिब्बती लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध-धर्म के संस्कृत-ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी शुरू किया। संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती में अनुवाद करने के लिए जनमित्र, शीलन्द्रबोधि, दानशील, प्रजावर्मन्, सुरेन्द्रबोधि आदि अनेक भारतीय पण्डित तिब्बत बुलाये गये, और इनके प्रयत्नों से न केवल सम्पूर्ण बौद्ध त्रिपिटक, अपितु ग्रन्थ भी बहुत-से ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नवी सदी में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, और ग्रन्थ भी अनेक भारतीय पण्डित तिब्बत गये। तिब्बत में अनेक लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध-धर्म के द्वेषी थे, और भारतीय आचार्यों के प्रभुत्व को पसन्द नहीं करते थे। इनके विरोध के कारण दसवीं सदी में भारतीय पण्डितों का तिब्बत जाना कुछ समय के लिए रुक गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्मृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुणपाल, प्रजापाल, सुभूति, श्रीशान्ति और दीङ्गपर श्रीजात अतीश आदि अनेक आचार्य तिब्बत गये। इनमें अतीश के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। ये विक्रमगिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे। उनकी कीर्ति को सुनकर तिब्बत के राजा ने एक दूतमण्डल इस उद्देश्य से भेजा था, कि उन्हें तिब्बत में निमंत्रित करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी आचार्य अतीश तिब्बत गये, और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-धर्म को पुनः संगठित किया। अतीश बहुत बड़े विद्वान् थे। उन्होंने २०० के लगभग ग्रन्थ लिखे, जिनमें पुराने संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी सम्मिलित थे। उनकी मृत्यु तिब्बत में ही हुई। ल्हासा से बीस मील की दूरी पर क्यु-ची नदी के तट पर उनकी समाधि अब तक विद्यमान है, और तिब्बती लोग उसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध-धर्म का जो संगठन आचार्य अतीश ने किया था, वही कुछ परिवर्तित रूप में अब तक विद्यमान है।

मगध के महाविहारों के विविध बौद्ध-आचार्यों ने चीन और तिब्बत में धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए जो उद्योग किया, वह वस्तुतः अनुपम था।

(३) बौद्ध-धर्म का ह्रास

अनेक गुप्त-साम्राट् और मगध के पालवंशी राजा जिस बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे, और जिसके महाविहारों के विद्वान् आचार्य बारहवीं सदी तक जान और धर्म के सन्देशवाहक होकर सुदूर देशों में जाया करते थे, वह अफगानों के आक्रमणों के बाद भारत से सर्वथा लुप्त-सा हो गया, यह बात बड़े आश्चर्य की है। मौर्यों के बाद भारत में पौराणिक वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का जो आन्दोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ ब्राह्मणों और श्रमणों का समान रूप से आदर करते थे। वे अपनी स्थानीय परम्पराओं के अनुसार विविध प्रकार के

अनुष्ठानों का प्रयोग करते थे, और सब संन्यासियों एवं भिक्षुओं की एक सख्त सेवा करते थे। विदेशों में जो बौद्ध-प्रचारक गये, वे उन देशों में एक नयी सभ्यता और संस्कृति के सन्देशवाहक थे, क्योंकि वहाँ के निवासी भारत की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे। पर भारत में वे केवल धर्म का नेतृत्व करते थे। वहाँ उन्हें किसी नई सभ्यता व संस्कृति से जनता को परिचित नहीं कराना था। बौद्ध-संघ की आंतरिक शिथिलता के साथ-साथ ज्यो-ज्यों अन्य धर्मों के ब्राह्मणों व संन्यासियों में जीवन और स्फूर्ति बढ़ती गयी, त्यों-त्यों बौद्ध-भिक्षुओं का जनता पर प्रभाव कम होता चला गया।

इसके अतिरिक्त, पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ जिन देवी-देवताओं की उपासना का प्रारम्भ हुआ था, वे भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार लोगों के हृदय में गहरा स्थान रखते थे। बौद्ध लोग उनकी उपासना नहीं कर सके। उन्होंने भी उन विविध देवी-देवताओं को नये नामों से अपने धर्म में स्थान देना शुरू किया। मंजुश्री, तारा, भ्रवलोक्तिश्वर आदि के रूप में अनेक देवी-देवताओं ने बौद्ध-धर्म में भी प्रवेश कर लिया था। बौद्धों के जो बहुत-से सम्प्रदाय व उप-सम्प्रदाय धीरे-धीरे विकसित हो गये थे, उनमें और पौराणिक धर्म में बहुत कम भेद रह गया था। तत्रवाद के प्रवेश से तो शक्ति के उपासक पौराणिक और वज्रयानी बौद्ध एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे। भगवान् के दस अवतारों में पौराणिक लोगों ने बुद्ध को भी शामिल कर लिया था। जिस महाप्रतापी सिद्धार्थ के अनुयायी न केवल भारत में अपितु सुदूर विदेशों में संस्कृत-भाषा, भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे थे, जिसके स्तूपों, चैत्यों और विहारों से सारा सभ्य संसार आच्छादित था, वह भगवान् का साक्षात् अवतार नहीं था तो क्या था। पौराणिक लोग बुद्ध को अवतार मानते थे और बौद्ध लोग भारत के पुराने देवी-देवताओं और दार्शनिक विचारसरणी का अनुसरण करते थे। इस दशा में यदि उनमें भेद बहुत कम रह गया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था।

गुप्त-सम्राटों में कुछ वैष्णव, कुछ शैव और कुछ बौद्ध थे। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते थे। सम्राट् हर्षवर्धन सूर्य की उपासना करता था, शिव को मानता था, और साथ ही बौद्ध स्तूपों में भी श्रद्धा रखता था। पालवंशी राजा बौद्ध थे, पर ब्राह्मण पण्डितों को दान देने में और पौराणिक मन्दिरों की सहायता करने में वे मकोच नहीं करते थे। भारत के विविध धर्मों का भेद अब केवल उनके नेताओं तक ही सीमित रह गया था। बौद्ध भिक्षु अपने महाविहारों में रहते थे, पौराणिक संन्यासी आश्रमों और मठों में निवास करते थे। विविध धर्मों के इन विविध पण्डितों में प्रायः शास्त्रार्थ होते रहते थे। जिस धर्म के पण्डित, ब्राह्मण व संन्यासी अधिक विद्वान् व त्यागी होते, वही जनता पर अपना अधिक प्रभाव कायम कर नेता। सातवीं सदी में अनेक ऐसे पौराणिक विद्वान् भारत में हुए, जिन्होंने अपनी विद्वता, तर्क और प्रभाव से सबको चकाचौध-सा कर दिया। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने बौद्ध-सिद्धान्तों पर आक्रमण किये, और वैदिक अनुष्ठानों तथा प्राचीन दर्शनपद्धति के गौरव

को पुनरुज्जीवित किया। बाद में शंकराचार्य ने सारे भारत में भ्रमण कर बौद्धों के साथ जगह-जगह पर शास्त्रार्थ किये और बौद्ध भिक्षुसंघों से मुकाबले में अपने मठों का संगठन किया, जिनमें हजारों संन्यासी विद्याध्ययन में व्यापृत रहने लगे। इन संन्यासियों के सम्मुख बौद्ध-भिक्षुओं का प्रभाव मन्द पड़ गया। बौद्ध-संघ को कायम हुए हजार से अधिक साल हो चुके थे, वैभवपूर्ण सम्राटों के दान और साहाय्य से उसके पास अपार सम्पत्ति एकत्र हो गयी थी। मगध के महाविहारों में हजारों भिक्षु निश्चिन्त होकर ध्यानन्द के साथ जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें लोगों के पास भिक्षा-पात्र लेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं रही थी। वे नाम को ही भिक्षु थे। इसके विपरीत आश्रमों और मठों में रहने वाले संन्यासियों में इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान थी। परिणाम यह हुआ, कि भारतीयों की श्रद्धा बौद्ध-भिक्षुओं में कम हो गयी, और वे संन्यासियों के उपदेशों को अधिक सम्मान के साथ श्रवण करने लगे।

बारहवीं सदी के अन्त में अफगानों के आक्रमणों से जब मगध के महाविहार तथा अन्य स्थानों के संघाराम और विहार विनष्ट हुए, तो बौद्ध-भिक्षुओं का रहा-सहा प्रभाव भी नष्ट हो गया। सुदूर दक्षिण के संन्यासियों के मठ इन विदेशी के आक्रमणों से बचे रहें थे। रामानुज, शंकराचार्य आदि ने जिन नये धार्मिक आन्दोलनों का सूत्रपात किया था, उनके केन्द्र दक्षिणी भारत में थे। वहाँ के संन्यासी बाद में भी भारत-भ्रमण करते हुए जनता को धर्म का मार्ग प्रदर्शित करते रहे। मगध के मुसलिम आक्राताओं द्वारा पराभूत होने और बौद्ध-विहारों के ध्वंस के बाद बहुत-से भिक्षु नेपाल और तिब्बत की ओर चले गए थे। मुसलमानों को बौद्ध-भिक्षुओं से बहुत ड्रेप था। जब मुसलिम तुर्कों ने मध्य एशिया पर हमले किये थे, तो उस क्षेत्र में भी बौद्ध-धर्म का प्रचार था। वहाँ भी उन्होंने बौद्ध विहारों और भिक्षुओं का विनाश किया था। भारत में भी उन्हें जब वही विहार और वही भिक्षु दिखाई दिये, तो उन्होंने यहाँ भी उनके साथ बड़ी क्रूरता का बरताव किया। भारत से बौद्ध-धर्म के लोप का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

वज्रयान के विकास ने भी भारत में बौद्ध-धर्म के ह्रास में बहुत सहायता दी। सातवीं सदी के बाद भारत में जिस बौद्ध-धर्म का प्रचार था, वह मुख्यतया वज्रयान ही था। इस सम्प्रदाय के सिद्ध वज्रगुरु जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, वह अन्धविश्वासी और अन्धभक्त लोगों को चाहे अपने प्रति अनुरक्त रख सके, पर विचार-शील लोग उससे कदापि सन्तोष अनुभव नहीं कर सकते थे। बौद्ध-संघ के पास धन की कमी नहीं थी। इस धन का उपयोग वे अब एक ऐसे विलासपूर्ण व उच्छृङ्खल जीवन को बिताने में करने लगे थे, जिसे उन्होंने रहस्यमय साधनाओं और जटिल वाग्जाल की धाड़ लेकर योगसिद्धि का उपाय मान रखा था। दूसरी ओर कुमारिल और शंकर जैसे पण्डित जहाँ भ्रगाध विद्वान् थे, वहाँ साथ ही त्यागी और तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए पण्डितों और संन्यासियों की जिन मण्डलियों को संगठित किया, वे पवित्र और तेजस्वी जीवन में विश्वास रखती थीं। परिणाम यह हुआ, कि जनता की श्रद्धा बौद्ध-धर्म में कम होने लगी, और वह प्रचान्ततया उन

महाविहारों में ही केन्द्रित रह गया, जिन्हें राजाओं से प्रचुर सहायता प्राप्त होती थी, और जिनके पास अतुल धनराशि संचित थी। इसमें सन्देह नहीं, कि कुमारिल और शंकर के बाद भी भारत में बौद्धधर्म का प्रचार रहा। बगाल और मगध के पालराजा धर्म से बौद्ध थे। प्रतापी गहड़वाल वंश के अनेक राजपुरुषों ने भी बौद्धधर्म के प्रति भक्ति प्रदर्शित की थी। कतिपय अन्य राजवंश भी बौद्धधर्म के अनुयायी रहे। पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि मध्य युग में न भारत की बहुसंख्यक जनता ही बौद्ध-धर्म की अनुयायी रही थी, और न उसके बहुसंख्यक राजवंश ही। मौर्यों के बाद वैदिक धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ था, वह धीरे-धीरे जोर पकड़ता जा रहा था। कुमारिल और शंकर जैसे आचार्यों के प्रयास के कारण जनता की श्रद्धा वैदिक व पौराणिक सम्प्रदायों के प्रति बढ रही थी। इस युग में वैष्णवों और शैवों में भी यह शक्ति थी, कि वे विदेशी जातियों को अपने में दीक्षित कर सकें, और विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करें। मध्ययुग में बौद्ध-धर्म का प्रचलन केन्द्र मगध था, जहाँ बौद्ध-धर्म के अनुयायी पाल राजाओं का शासन था। अन्यत्र इस धर्म का तेजो के साथ ह्रास हो रहा था। जब मुहम्मद बिन बल्लिहार खिलजी जैसे धर्मान्ध आक्रान्ताओं ने विहार के बौद्ध-केन्द्रों को भूमिमात् कर दिया, तब यह धर्म इस देश से लुप्त हो गया।

(४) भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन

यद्यपि बौद्ध-धर्म भारत से लुप्त हो चुका है, पर वह इस देश की संस्कृति, विचारसरणी और जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ गया है। एक हजार साल से भी अधिक समय तक बौद्ध-धर्म का इस देश में प्रचार रहा। इस सुदीर्घ काल में इस धर्म ने यहाँ के सामाजिक जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया, कि बौद्ध-धर्म को लुप्त हुए आठ सदी के लगभग समय बीत जाने पर भी उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है। भारत की संस्कृति और जीवन को बौद्धों ने जिस प्रकार प्रभावित किया है, इसका संक्षिप्त रूप में इस प्रकार निदर्शन किया जा सकता है—

(१) भारतीय दर्शन पर बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। प्राचीन समय में वैदिक या आस्तिक दर्शनों का किस प्रकार विकास हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। पर भारतीय दर्शनशास्त्र का विकास प्राचीन काल में ही समाप्त नहीं हो गया था। बौद्ध-युग और बाद के काल में भी उसका विकास जारी रहा। नव्यन्याय प्राचीन न्यायशास्त्र से बहुत अधिक विकसित है। वेदान्त का प्रतिपादन जिस रूप में शंकराचार्य ने किया, वह उपनिषदों व ब्रह्मसूत्रों के वेदान्त से अनेक अंशों में भिन्न है। दर्शनशास्त्र का जिस ढंग से विकास बाद में हुआ, उसमें बौद्ध-पण्डितों का बड़ा कर्तृत्व था। भारतीय न्यायशास्त्र का सूत्रपात और विकास करने में अक्षपाद, वात्स्यायन, वाचस्पति, उदयनाचार्य और गणेशोपाध्याय ने जो कार्य किया, उससे कम महत्त्वपूर्ण कार्य नागार्जुन, वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, प्रज्ञाकरगुप्त और ज्ञानश्री आदि बौद्ध पण्डितों ने नहीं किया। इन बौद्ध-पण्डितों की छाप न्यायशास्त्र पर बहुत अधिक स्पष्ट है। शंकराचार्य के वेदान्तदर्शन पर भी बौद्ध विचारसरणी का प्रभाव बहुत अधिक है।

शंकर का मायावाद नागार्जुन के शून्यवाद का रूपान्तर ही है। शंकर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की आवश्यकता को नहीं मानता। उसका 'ब्रह्म' सृष्टि का कारण अवश्य है, पर ब्रह्म सृष्टि का कर्ता नहीं है। माया से अवच्छिन्न हो जाने पर सृष्टि के रूप में उसी का आभास होता है। शंकर के अनुयायी श्रीहर्ष का 'खण्डनखण्डलाद्य' बौद्धों के माध्यमिक दर्शन से अधिक भिन्न नहीं है। यही कारण है, कि अनेक विचारकों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। सांख्य दर्शन ईश्वर को सृष्टिकर्ता न मानकर कपिल के रूप में एक सर्वाधिक ज्ञानवान् व्यक्ति को गुरु-रूप से प्रतिपादित करता है, यह भी बौद्ध-दर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें सन्देह नहीं, कि भारत के दर्शन-शास्त्रों का जिस रूप में भागे चलकर विकास हुआ, उसपर बौद्ध-दर्शनों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।

(२) बौद्ध-धर्म ने याज्ञिक अनुष्ठान और पशुहिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इसीलिए जब शुद्ध-युग में पुराने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो यज्ञों और याज्ञिक अनुष्ठानों में पशुबलि का वह स्थान नहीं रहा, जो बौद्धों से पहले था। बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भागवत, गँव आदि जो पौराणिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, वे भक्ति और पूजा को यज्ञों की तुलना में अधिक महत्त्व देते थे। यदि बौद्ध लोग जीवन की उन्नति के लिए महात्मा बुद्ध को जनता के सम्मुख आदर्श रूप में पेश करते थे, तो भागवत धर्म के आचार्यों ने कृष्ण और राम को पूर्ण पुरुषों के रूप में उपस्थित किया। यदि बुद्ध की भक्ति द्वारा मनुष्य परमलाभ प्राप्त कर सकता था, तो राम और कृष्ण सदा लोकोत्तर व्यक्तियों (ईश्वर के अवतारों) की भक्ति भी उसे अभिलषित फल प्राप्त करा सकती थी। बौद्ध-धर्म में जो स्थान बुद्ध का था, भागवत-धर्म में वही वासुदेव कृष्ण का था। बौद्ध लोग बुद्ध की पूजा के लिए चैत्यों का निर्माण करते थे और उनमें बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते थे। पौराणिकों ने कृष्ण, राम, शिव, स्कन्द, विशाल आदि की प्रतिमाएँ बनाकर मन्दिरों में उनकी प्रतिष्ठा करना प्रारम्भ कर दिया था। बौद्धों के पूजा-पाठ में आडम्बर की वृद्धि होने पर पौराणिकों ने भी उसका अनुकरण कर अपनी पूजा विधि को जटिल बना लिया। मन्दिरों में कृष्ण व राम की जो मूर्तियाँ स्थापित होती थी, उनका साज-शृङ्गार किया जाने लगा। उनको सन्तुष्ट करने के लिए नाचने और गाने की प्रथा शुरू हुई, और उनके सम्मुख भोग लगाया जाने लगा। बौद्धों के वज्रयान के समान पौराणिक धर्म में भी भ्रष्ट ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, जो अलौकिक सिद्धि प्राप्त करना ही अपना ध्येय मानते थे। शैवों के पाशुपत और कापालिक सम्प्रदायों ने बहुत जोर पकड़ा। ये दोनों सम्प्रदाय वज्रयानी बौद्धों के समान सिद्धियों में विश्वास रखते थे, और उनके लिए अनेक रहस्यमय अनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे। बाद में शाक्त सम्प्रदाय बहुत प्रबल हुआ। इसमें भ्रानन्दमैरवी आदि देवियों की पूजा की जाती थी। इसी को वाममार्गी भी कहते थे।

(३) बौद्ध-विहारों के अनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों ने मठों का संगठन किया। इन मठों में हजारों संन्यासी या साधु एक साथ रहने लगे, और उनका जीवन बौद्ध भिक्षुओं से अधिक भिन्न नहीं रहा। बौद्धों से पूर्व भारत में मठों या विहारों की

प्रथा नहीं थी। उस युग में घरण्यों में आश्रमों की सत्ता अवश्य थी, जिनमें तत्त्वचिन्तक ऋषि-मुनि पुत्र कलत्र के साथ निवास किया करते थे, और ज्ञानपिपासुओं को उपदेश करते थे। पर प्रव्रज्या द्वारा भिक्षुव्रत लेकर हजारों भिक्षुओं का विहारों में निवास करना बौद्ध-धर्म द्वारा ही प्रारम्भ हुआ, और उसी के अनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों के मठ संगठित हुए, जिनमें सन्यास लेकर बहुत-से साधु एक साथ निवास करने लगे।

(४) भारत में विद्या और ज्ञान के विकास में भी बौद्धों ने बहुत भाग लिया। संस्कृत व्याकरण में चन्द्रगोमि का व्याकरण अपना विशेष स्थान रखता है, यद्यपि उसने वैदिक संस्कृत का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वह बौद्ध था। काशिकाकार जयादित्य और न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे। पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी की इन दोनों टीकाओं का व्याकरण-साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के अत्यन्त प्रसिद्ध कोश 'अमरकोश' का रचयिता अमरसिंह बौद्ध था। आयुर्वेद की रसायन शाखा के विकास में आचार्य नागार्जुन ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। कालिदास से पूर्व महाकवि अश्वघोष ने 'बुद्धचरित' और 'सौन्दरानन्द' जैसे महाकाव्य, और 'राष्ट्रपाल' व 'सारिपुत्र' जैसे नाटक लिखकर संस्कृत-काव्य की उस घारा को प्रारम्भ किया, जिसे आगे चलकर कालिदास और भवभूति ने बहुत उन्नत किया। हर्ष ने नागानन्द लिखकर बोधिसत्व के आदर्श का चित्रण किया। हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ का श्रेय भी बौद्ध विद्वानों को ही प्राप्त है। बौद्ध विद्वानों की सदा यह नीति रही, कि उन्होंने अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसे सर्वसाधारण जनता भलीभाँति समझ सकती थी। बुद्ध ने अपने उपदेश पालि भाषा में दिये थे, इसलिए स्थविरवाद के त्रिपिटक की भाषा पालि ही थी। बज्रयान के विकास होने पर उसके सिद्ध गुरुओं ने एक ऐसी अपभ्रंश भाषा को अपने उपदेशों के लिए प्रयुक्त किया, जो उस समय जनता की भाषा थी, और जो आगे चलकर विकसित होती-होती हिन्दी के रूप में परिवर्तित हो गयी। यही कारण है, कि सरहपा सिद्ध को हिन्दी का आदिकवि माना जाता है। यह बज्रयानी सिद्ध सातवीं सदी में हुआ था। उदाहरण के लिए इसका एक दोहा यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी होगा :

जह मन पवन न सञ्चरइ, रवि शशि नाह प्रवेश ।

तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिअ उवेश ॥

(५) भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास में बौद्धों ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। साञ्ची, भरहुत, गान्धार व मथुरा की कला बौद्धों की ही कृति थी। अजन्ता, बाघ आदि के गुहामन्दिर और उनकी दीवारों पर बनाए गए सुन्दर चित्र बौद्धों द्वारा इस क्षेत्र में किये गए कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एलोरा, अजन्ता, कार्ला आदि में पहाड़ काटकर बनाये गए भव्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियों की ही कृति हैं। बड़े-बड़े चैत्यों, स्तूपों और विहारों के निर्माण में जो कर्तृत्व बौद्धों ने प्रदर्शित किया, वह वस्तुतः अद्भुत था। बौद्धों के प्रयत्न से ही वास्तुकला के ये विविध नमूने भारत में सर्वत्र व्याप्त हो गए, और भारत के जो प्राचीनतम भवन, मूर्तियाँ आदि विकल व खण्डहर रूप में आजकल उपलब्ध होते हैं, वे सब प्रायः बौद्धों द्वारा ही बनाये गए थे ।

(६) अहिंसा, प्राणिमात्र का हित व कल्याण और सदाचारमय जीवन के जो आदर्श बौद्ध-धर्म ने उपस्थित किए थे, वह आज तक भी भारतीयों के जीवन को अनुप्राणित करते हैं। बौद्धों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए कभी पाशविक बल का उपयोग नहीं किया। सब प्राणियों के प्रति मैत्रीभावना ही उनकी लोकप्रियता में प्रधान कारण हुई। बौद्धों की इसी भावना का यह परिणाम हुआ, कि इस देश में धार्मिक विद्वेष कभी उस रूप में प्रगट नहीं हुआ, जैसा कि अन्यत्र हुआ था।

(७) महात्मा बुद्ध के सन्देश को विदेशों में दूर-दूर तक फैलाकर बौद्ध-प्रचारकों ने भारतीय भाषा, सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को सार्वभौम रूप प्रदान किया। भारत के प्राचीन इतिहास का यह सबसे अधिक उज्ज्वल और गौरवपूर्ण पहलू है। उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के सुविस्तृत क्षेत्रों में किस प्रकार बृहत्तर भारत का विकास हुआ था, इस विषय पर हम विशदरूप से प्रकाश डाल चुके हैं। भारतीय संस्कृति का इस ढंग से इतने विशाल क्षेत्र में प्रसार करने का प्रधान श्रेय बौद्धों को ही प्राप्त है, और यही उनकी भारतीय इतिहास को सबसे महत्वपूर्ण देन है।

उन्नीसवां अध्याय

पूर्व-मध्य युग की सभ्यता और संस्कृति

(१) पूर्व-मध्य युग की विशेषताएँ

छठी शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य का क्षय हुआ, और बारहवीं सदी के अन्त तक उत्तरी भारत के बड़े भाग पर मुसलिम आक्रान्ताओं का शासन स्थापित हो गया। सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक—छः शताब्दियों को भारत के इतिहास का पूर्व-मध्य-युग कहा जा सकता है। इस युग की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं :—

(१) इन सदियों में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जो देश के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक ऐसे साम्राज्य की नींव डालने में समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र में संगठित रहना। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग अन्वयवस्था का था। इस काल में अनेक ऐसे राजवंशों की सत्ता थी, जिनके राजा निरन्तर आपस में लड़ते रहते थे, और जो अनेक बार दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ करके भी किसी स्थिर साम्राज्य की नींव डालने में असमर्थ रहते थे। सातवीं सदी के पूर्वार्ध में स्थाण्वीश्वर और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में, और चालुक्य पुलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथ में विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया। पर उनकी कृति देर तक स्थिर नहीं रही। आठवीं सदी में उत्तरी भारत में पाल, गुर्जरप्रतीहार, कर्कोट आदि राजवंशों ने और दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट, पल्लव, गंग, चोल, चालुक्य आदि राजवंशों ने शासन किया। यही दशा नवी, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में रही। यद्यपि इस काल में शासन करनेवाले राजवंशों में परिवर्तन होता रहा, पर राजनीतिक दशा में कोई अन्तर नहीं आया। कन्नौज में गुर्जरप्रतीहारों का स्थान गहड़वालों ने ले लिया, और दक्षिणापथ में राष्ट्रकूटों का स्थान कल्याणी के चालुक्यों ने। पर गुप्त-साम्राज्य के क्षय के बाद भारत में जो राजनीतिक अन्वयवस्था उत्पन्न हो गयी थी, उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया।

(२) प्राचीन बौद्ध-धर्म का स्वरूप इस युग में बहुत परिवर्तित हुआ। मन्त्र-शक्ति और तान्त्रिक क्रियाओं के प्रवेश के कारण बौद्ध-धर्म के रूप में बहुत परिवर्तन आ गया, और वज्रयानी बौद्ध-गुरु मन्त्र-सिद्धियों द्वारा अपने अनुयायियों का कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील हुए। पौराणिक हिन्दू-धर्म में भी शाक्त (वाममार्गी) सम्प्रदाय के रूप में एक ऐसे मत का प्रादुर्भाव हुआ, जो वज्रयान से बहुत मिलता-जुलता था। बौद्ध और हिन्दू—दोनों धर्मों में वाममार्ग का प्रवेश इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके कारण भारत के प्राचीन धर्मों की शक्ति और महत्ता में बहुत अन्तर आया, और जीवन को नवस्फूर्ति, सदाचार भावना व उच्च आदर्श से अनुप्राणित करने का जो

कार्य भारत के प्राचीन धर्म किया करते थे, उनका स्थान अब उन रहस्यमयी क्रियाओं ने ले लिया, जिनकी तह तक पहुँच सकना सर्वसाधारण जनता के लिए सर्वथा असम्भव था। इतना ही नहीं, भारत के धर्म में इस समय वह शक्ति भी नहीं रह गयी, जो किसी समय यवन, शक, पाँथियन, कुशाण, हूण आदि विदेशी जातियों को आत्मसात् करने में समर्थ हुई थी। दसवीं सदी के अन्त में जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, और तुर्क लोग भारत में बसने लगे, तो इस देश के शैव, वैष्णव आदि धर्म उन्हें अपना अनुयायी बनाने में या उन्हें अपने दायरे में ले सकने में असमर्थ रहे। बँकिट्ट्या के जिन यवनों ने दूसरी सदी ई० पू० में भारत में प्रवेश किया था, सम्यता व संस्कृति की दृष्टि में वे अच्छे उन्नत थे। पर फिर भी उन्होंने भारत के धर्म की दीक्षा ली। मुस्लिम तुर्कों व अफगानों को आत्मसात् करने के विषय में जो असामर्थ्य भारतीयों ने प्रदर्शित किया, उसमें इस्लाम की शक्ति जहाँ कारण थी, वहाँ भारतीय धर्मों का आन्तरिक हास भी उसके लिए उत्तरदायी था।

(३) सामाजिक दृष्टि से इस युग में संकीर्णता उत्पन्न हुई। प्राचीन समय में भारत का सामाजिक संगठन वर्ण-धर्म के सिद्धान्त पर अवश्य आश्रित था, पर उस समय जातिभेद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार शिल्प, व्यवसाय व पेशे का अनुसरण कर सकता था, और कर्म के अनुसार ऊँचे या नीचे वर्ण को भी प्राप्त कर सकता था। विविध वर्णों के लोगों में विवाह-सम्बन्ध भी निषिद्ध नहीं था, और खान-पान के मामले में भी लोग संकीर्ण विचार नहीं रखते थे। पर मध्यकाल से यह स्थिति बदल गयी, और जातिभेद उस रूप में आ गया, जिसमें कि वह आजकल पाया जाता है। भारतीय समाज के पुराने वर्णों, वर्गों, जनों (कबीलों) और श्रेणियों (व्यवसायी व व्यापारी वर्ग के संगठनों) का जात-पात के रूप में परिवर्तित हो जाना इस युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता है।

(४) यह सच है, कि इस युग में भी भारत में अनेक कवि, दार्शनिक, स्मृतिकार और विज्ञानवेत्ता हुए। पर साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने उस असाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया, जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदर्शित की थी। इस युग के कवि और साहित्यिक बाल्मीकि और कालिदास का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके काव्य में सौन्दर्य अवश्य है, पर उसका प्रधान कारण अलंकार है, स्वाभाविकता नहीं। इस युग के दार्शनिक सूष्टि के तत्त्वों की गहराई में पहुँचने का उतना प्रयत्न नहीं करते, जितना कि शब्दजाल द्वारा बाल की खाल उतारने के लिए करते हैं। यही कारण है, कि मौर्यों और गुप्तों के युग में भारत में जो असाधारण उन्नति हुई थी, उसकी प्रगति इस समय अवरुद्ध हो गयी। गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों के क्षेत्र में भी इस युग में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई।

(२) चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग

इससे पूर्व कि हम मध्यकाल की शासन-व्यवस्था, साहित्य, कला आदि का विवेचन करें : यह उपयोगी होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग के सम्बन्ध में कुछ परिचय दिया जाए। यह चीनी यात्री मध्यकाल के आरम्भ में (सातवीं सदी के

पूर्वार्ध में) जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन उत्तरी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था, भारत की यात्रा के लिए आया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस चीनी यात्री का बहुत अधिक महत्त्व है। इसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, उससे भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं, और साथ ही यह भी सूचित होता है कि सातवीं सदी में भारत और चीन में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था। ह्युएन-त्सांग का महत्त्व केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं है, अपितु चीन के बौद्ध लोगों में भी उसका नाम अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ स्मरण किया जाता है। पश्चिमी चीन के सियान नामक स्थान पर उसकी समाधि अब तक भी विद्यमान है, जिस पर ये शब्द अंकित हैं—“यह महापुरुष उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब दिशाओं में गया, और वहाँ के दुर्गम मार्गों को उसने सुगम कर दिया, ताकि बाद के यात्रियों को उन पर आने-जाने में कठिनाई न हो।”

ह्युएन-त्सांग ६२० ईस्वी के लगभग भारत पहुँचा, और १५ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही अनुशीलन नहीं किया, अपितु इस देश के समाज, रीतिरिवाज, ऐतिहासिक अनुश्रुति आदि का भी गम्भीरता से अनुशीलन किया। यही कारण है कि सातवीं सदी के भारत को भली-भाँति समझने के लिए ह्युएन-त्सांग का भारत वर्णन विश्वकोष का काम देता है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस काल के इतिहास को समझने के लिए बहुत उपयोगी है।

६०० ईस्वी के लगभग कन्ययूसियस के धर्म को मानने वाले एक परिवार में ह्युएन-त्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई और थे। उम्र में वह सबसे छोटा था। छोटी आयु में ही उसका ध्यान बौद्ध-धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, और उसने भिक्षु बनकर इस धर्म का भली-भाँति अध्ययन करने का सकल्प किया। बीस वर्ष की आयु में वह भिक्षु हो गया, और चीन के विविध विहारों में जाकर बौद्ध-धर्म का अध्ययन करने लगा। चीन के स्वविरों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, वह सब उसने सीख लिया। पर उसे इससे सन्तोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध-ग्रन्थों से उसकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध-धर्म के मूल ग्रन्थों का अनुशीलन करे, और उन पवित्र तीर्थस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान् बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों का सम्बन्ध है। सब समुचित तैयारी कर २६ वर्ष की आयु में ह्युएन-त्सांग ने चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। इस समय चीन से भारत आने के लिए अनेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर जाता था। ह्युएन-त्सांग ने इसी मार्ग का अवलम्बन किया, और वह तुर्फान, ताशकन्द, समरकन्द और काबुल होता हुआ भारत आया। चीन से भारत पहुँचने में उसे एक साल लगा।

हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर वह कपिशा की राजधानी में शालोका नामक विहार में रहा। अपना चातुर्मास्य उसने वही व्यतीत किया। वहाँ से अन्य अनेक नगरों और विहारों की यात्रा करता हुआ वह काश्मीर गया। ह्युएन-त्सांग काश्मीर में दो वर्ष तक रहा। इस युग में ही काश्मीर बौद्ध-धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। ह्युएन-त्सांग ने अपने दो साल काश्मीर में बौद्ध-ग्रन्थों के अध्ययन में व्यतीत किए। काश्मीर

से वह पंजाब के अनेक स्थानों का भ्रमण करता हुआ स्थाण्वीश्वर पहुँचा। यहाँ जयगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान् रहता था। ह्युएन-त्सांग ने उसके पास कई मास तक अध्ययन किया। वहाँ से वह कन्नौज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति था। यही उसका सम्राट् हर्षवर्धन से परिचय हुआ। कन्नौज से ह्युएन-त्सांग अयोध्या, प्रयाग, बौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी और वैशाली आदि होता हुआ मगध पहुँचा। पाटलिपुत्र उस समय बिलकुल क्षीण हो चुका था। श्रव से लगभग दो सदी पहले जब फाड़यान भारत आया था, तो पाटलिपुत्र में महाप्रतापी गुप्त-सम्राटो का शासन था। यह नगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, अपितु ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। यही कारण है, कि फाड़यान ने पाटलिपुत्र में रहकर ही धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया था। पर गुप्तो की शक्ति के क्षीण होने और कन्नौज के मौखरि राजाप्रो के उत्कर्ष के कारण पाटलिपुत्र का स्थान श्रव कन्नौज ने ले लिया था। मगध के गुप्त राजा इस समय निर्बल थे, और हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति सर्वथा मन्द थी। पिछले दिनों की अव्यवस्था और अशांति से पाटलिपुत्र का वैभव भी क्षीणप्राय हो गया था। यही कारण है, कि ह्युएन-त्सांग पाटलिपुत्र में देर तक नहीं ठहरा। वहाँ के प्रसिद्ध स्तूपो और विहारों का दर्शन कर वह बोधिवृक्ष के दर्शनों के लिए गया। ह्युएन-त्सांग ने लिखा है, कि राजा शशाक बौद्ध-धर्म से बड़ा द्वेष रखता था, और शैव-धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने बोधिवृक्ष को कटवा दिया और पटना में बुद्ध के पद-चिह्नो से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे, गंगा में फेंकवा दिया। ह्युएन-त्सांग ने बोधिवृक्ष के नीचे उस स्थान के दर्शन कर अपार सन्तोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान् बुद्ध को बोध हुआ था। भक्त लोगों ने बोधिवृक्ष का फिर से आरोपण कर दिया था। यहाँ से ह्युएन-त्सांग नालन्दा गया। इस युग में नालन्दा का विहार शिक्षा और ज्ञान के लिए सबसे बड़ा केन्द्र था। चीनी यात्री ने कुछ समय तक वहाँ रहकर बौद्ध धर्म के विविध ग्रंथों का भली-भाँति अनुशीलन किया। नालन्दा से हिरण्य-देश (मुगेर), चम्पा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, कर्णसुवर्ण आदि होता हुआ वह दक्षिणी भारत की ओर मुड़ा। उड़ीसा तथा दक्षिण-कोशल होता हुआ ह्युएन-त्सांग धनकटक पहुँचा। यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा। अमरावती से वह काँची गया। इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ा और वनवासी देश होता हुआ महाराष्ट्र पहुँच गया। दक्षिण के अनेक नगरों और देहातों का भ्रमण करता हुआ ह्युएन-त्सांग सिंध और मुलतान भी गया। अनेक नवीन स्थानों का अवलोकन करता हुआ वह वहाँ से फिर नालन्दा लौटा। बौद्ध बाइ-मय के जो ग्रन्थ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सबका इस बार उसने अनुशीलन किया।

इन दिनों कामरूप (असम) में भास्करवर्मा का शासन था। वह कन्नौज के सम्राट् की अधीनता स्वीकार करता था। उसने ह्युएन-त्सांग को असम पधारने के लिए निमन्त्रण दिया। असम में उस समय बौद्ध-धर्म का यथेष्ट प्रचार नहीं था। अतः अपने गुरु और नालन्दा के प्रधान आचार्य शीलभद्र की आज्ञा से ह्युएन-त्सांग ने

असम के लिए प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने बड़े आदर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी बौद्ध विद्वान् का स्वागत किया।

इस समय सम्राट् हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल में पड़ाव डाले पड़ा था। जब उसे ज्ञात हुआ, कि ह्युएन-त्सांग असम में है, तो उसने भास्करवर्मा को यह आदेश दिया कि वह चीनी विद्वान् को साथ लेकर गंगा के मार्ग से कन्नौज आए। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक बौद्ध-महासभा का आयोजन किया था, जिसमें बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए दूर-दूर से भिक्षुओं और विद्वानों को आमन्त्रित किया गया था। हर्ष की इच्छा थी, कि ह्युएन-त्सांग भी इस महासभा में सम्मिलित हो। हर्ष के आदेश से भास्करवर्मा ह्युएन-त्सांग को साथ लेकर कन्नौज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान् के पाण्डित्य का बहुत आदर हुआ। बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ सम्राट् ने बहुत दान-पुण्य किया। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देश से बहुत-से धर्मग्रन्थों को साथ लेकर ह्युएन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग से चीन को लौट गया। ह्युएन-त्सांग के भारत-भ्रमण का यही संक्षिप्त वृत्तान्त है।

कन्नौज की जिस महामभा के लिए हर्षवर्धन ने ह्युएन-त्सांग को विशेषरूप से निमन्त्रित किया था, उसमें बीस सामन्त राजा, चार हजार बौद्ध भिक्षु और लगभग तीन हजार जैन व हिन्दू पण्डित सम्मिलित हुए थे। इस महासभा के लिए हर्षवर्धन ने गङ्गा नदी के पश्चिमी तट पर एक विशाल मण्डप और एक चैत्य का निर्माण कराया था, जिसकी ऊँचाई सौ फीट थी। चैत्य के भीतर बुद्ध की एक सुवर्ण-मूर्ति स्थापित कराई गयी थी, जो ऊँचाई में हर्षवर्धन के बराबर थी। इस मण्डप के पश्चिम की ओर कुछ दूरी पर राजा ने अपने और अपने प्रतिष्ठित अतिथियों के निवास के लिए भवनों का निर्माण कराया था। प्रतिदिन प्रातःकाल के समय बुद्ध की सुवर्णमूर्ति का जुलूस निकाला जाता था। मूर्ति को एक उत्तुंग हाथी पर रखकर हर्ष और भास्करवर्मा उसके साथ रहते थे। इस अवसर पर हर्ष इन्द्र (शक्र) का वेश धारण करता था, और भास्करवर्मा ब्रह्मा का। सामन्त राजा, उच्च राजकर्मचारी, प्रतिष्ठित अतिथि और प्रमुख भिक्षु व पण्डित हाथियों पर आरूढ़ होकर पीछे-पीछे चलते थे। सौ हाथियों पर तो केवल वे बाजेवाले ही बैठते थे, जो विविध प्रकार के बाजे बजाते हुए जुलूस के साथ-साथ रहते थे। जब यह विशाल जुलूस चैत्य के समीप पहुँच जाता था, तो राजा हर्षवर्धन विविध मणि-माणिक्य से सुशोभित हजारों-लाखों रेशमी वस्त्रों को बुद्ध की मूर्ति पर चढाता था। अन्य बहुमूल्य उपहार भी इस समय बुद्ध की मूर्ति के मँट किए जाते थे। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा के बाद सहभोज होता था, और फिर सब लोग महासभा के अधिवेशन में सम्मिलित होते थे। ह्युएन-त्सांग को इस सभा में प्रधान पद प्राप्त था, क्योंकि हर्ष उसे अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक मास तक निरन्तर इसी प्रकार इस सभा के अधिवेशन होते रहे। एक महीना बीत जाने पर किसी व्यक्ति ने चैत्य को आग लगा दी, और जब हर्ष आग को बुझाने के लिए व्यवस्था कर रहा था, एक आततायी ने उसपर आक्रमण किया। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई, और हर्ष के अंगरक्षकों ने उसे बन्दी बना लिया। पूछने पर उसने बताया, कि ब्राह्मण

पण्डितों ने उसे हर्ष की हत्या के लिए नियुक्त किया था, और उन्होंने ही चैत्य में प्राग लगवाई थी। हर्ष जिस प्रकार बौद्ध-धर्म के प्रति पक्षपात प्रदर्शित कर रहा था, पण्डित लोग उससे बहुत असंतुष्ट थे, और इसी कारण उन्होंने यह षड्यन्त्र किया था। पाँच सौ ब्राह्मणों को षड्यन्त्र में शामिल होने के अपराध में दण्ड दिया गया, और जो निरपराध पाये गए उन्हें छोड़ दिया गया।

कन्नौज की महासभा की समाप्ति पर हर्ष ने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। गङ्गा-यमुना के संगम पर हर पाँचवें साल हर्ष एक महोत्सव किया करता था। सब सामन्त राजा व उच्च राजकर्मचारी इस उत्सव में भी सम्मिलित होते थे। ह्युएन-त्सांग इस उत्सव में भी हर्ष के साथ था। उसने अपने यात्रा-विवरण में इसका भी विशद रूप से वर्णन किया है। पाँच वर्षों में जो धन हर्ष के राज्यकोष में एकत्र होजाता था, उसे वह हम उत्सव में दान-पुण्य में व्यय कर देता था। ह्युएन-त्सांग के वर्णन के अनुसार उत्सव के प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी, और अत्यन्त बहु-मूल्य रत्न आदि से उसकी पूजा कर इन रत्नों को दान कर दिया जाता था। इसी प्रकार दूसरे दिन आदित्यदेव की और तीसरे दिन ईश्वरदेव की भर्चना की जाती थी। चौथे दिन दस हजार बौद्ध भिक्षुओं को दान-पुण्य किया जाता था। प्रत्येक भिक्षु को सौ सुवर्ण-मुद्राएँ, एक रत्न, वस्त्र और भोजन तथा सुगन्ध आदि प्रदान किये जाते थे। भगने बीस दिन ब्राह्मणों को दानपुण्य दिया जाता था। इसके बाद भगले दस दिन जैन, लोकायत आदि अन्य सम्प्रदायों के लोग दान ग्रहण करते थे। फिर एक मास तक दरिद्र, अनाथ आदि दान प्राप्त करते थे। इस प्रकार दान-पुण्य करते-करते जब राज्य-कोष का सब धन समाप्त हो जाता था, तो हर्ष अपनी वैयक्तिक सम्पत्ति का दान प्रारम्भ करता था। जब वह भी समाप्त हो जाती, तो इस सर्वमेघ यज्ञ की इतिथी होती। इस अवसर पर हर्ष के पास एक वस्त्र तक भी शेष न बचता, और वह अपनी बहन राज्यथी से एक पुराना वस्त्र माँगकर उसे धारण करता, और बुद्ध भगवान् की पूजा कर आनन्द-निमग्न हो जाता। धर्म के लिए सर्वस्व स्वाहा कर उसे हार्दिक आनन्द अनुभव होता था, और इसी को वह गौरव की बात समझता था।

प्रयाग के जिस सर्वमेघ यज्ञ में ह्युएन-त्सांग सम्मिलित हुआ, वह हर्ष के जीवन-काल का छठा यज्ञ था। इससे पूर्व वह इसी ढंग के पाँच यज्ञ और कर चुका था। इस प्रकार बार-बार अपने राज्यकोष को खाली कर के हर्ष अपनी शक्ति को कैसे स्थिर रख सका था, यह समझ सकना सुगम बात नहीं है। सम्भवतः, इसीलिए उसके मरते ही उसका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, और अपने बाहुबल से जो विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था, वह उसकी मृत्यु के बाद कायम नहीं रह सका।

पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देश से बहुत-से धर्म ग्रन्थों को साथ लेकर ह्युएन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल-मार्ग द्वारा चीन को लौट गया। उसने अपना शेष जीवन बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुदित करने में व्यतीत किया। उसने कुल मिलाकर ७४ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिनके सूक्तों (अध्यायों) की संख्या १३३५ थी। उसके समय से चीन के इतिहास में वह प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें चीन से विविध विद्वान् भारत आकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे, और अपने देश को लौटते हुए

बौद्ध ग्रन्थों को बड़ी संख्या में अपने साथ ले जाते थे । ६६६ में सियान में ह्यूएन-त्सांग की मृत्यु हुई, जहाँ उसकी समाधि अब तक विद्यमान है ।

(३) शासन-व्यवस्था

मध्य-युग में भारत बहुत-से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनकी सीमाएँ राजा के वैयक्तिक शौर्य और शक्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी । इन राज्यों की शासन-व्यवस्था पर विचार करते हुए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये—

(१) इस समय भारत के विविध राज्यों में सामन्त-पद्धति का विकास हो गया था । महाराजाधिराज की अधीनता में बहुत-से छोटे-बड़े सामन्त राजा होते थे, जो अपने-अपने क्षेत्र में पृथक् रूप से शासन किया करते थे । इन सामन्त राजाओं की अपनी सेना होती थी, इनका अपना राजकोष होता था, और अपने प्रदेश में इनकी स्थिति स्वतन्त्र शासक के सदृश रहती थी । यदि महाराजाधिराज निर्बल हो, तो ऐसे सुवर्णीय अवसर का लाभ उठाकर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाने में ये जरा भी संकोच नहीं करते थे, और स्वयं विजययात्रा के लिये निकल पड़ते थे । इस युग की सामन्त-पद्धति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । पालवंशी सम्राट् धर्मपाल (७६६-८७६) ने जब कन्नौज के राजा इन्द्रायुध या इन्द्रराज को परास्त किया, तो उसने इस राज्य को सीधा अपने शासन में नहीं लिया, अपितु आयुध वंश के ही एक कुमार चक्रायुध को कन्नौज के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया । चक्रायुध की स्थिति पाल-सम्राट् धर्मपाल के 'महासामन्त' की थी, और उसकी अधीनता में कुरु, यदु, यवन, अवन्ति, गांधार, कीर, भोज, मत्स्य और मद्र आदि के राजा सामन्त की स्थिति में अपने-अपने प्रदेश का शासन करते थे । स्वयं धर्मपाल इस बात के लिए उत्सुक था, कि कन्नौज के अधीनस्थ सामन्त राजा वहाँ के महासामन्त चक्रायुध का प्राधिपत्य स्वीकार करें । इस युग के एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार सामन्त राजाओं को काँपते हुए राजमुकुटों सहित आदर से झुककर उसे (चक्रायुध को) स्वीकार करना पड़ा । पंचाल के वृद्धों ने उसके लिए सुवर्ण के अभिषेक-घट खुशी से पकड़े । यह महाप्रतापी चक्रायुध, जिसकी अधीनता में इतने प्रदेश थे, स्वतन्त्र राजा न होकर धर्मपाल का महासामन्त मात्र था । सामन्त-पद्धति (फ्यूडल सिस्टम) का सबसे बड़ा दोष यही होता है, कि उसके कारण राज्यलक्ष्मी किसी एक राजवंश में स्थिर नहीं रहने पाती, और अकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को बल मिलता रहता है । मध्यकाल में विरचित युक्तिकल्पतरु ग्रन्थ के लेखक ने राजा का लक्षण करते हुए यह प्रश्न किया है, कि यह क्या बात है जो चक्रवर्ती सम्राट् भी राजा कहाता है, और किसी ग्राम या जागीर के स्वामी की भी यही संज्ञा होती है । नीतिकार ने इस प्रश्न का यही उत्तर दिया, कि जो कोई भी अपने क्षेत्र में अपने राजशासन को स्वीकार कराने में समर्थ हो, उसी को राजा कहा जाना चाहिये । राजा का यह लक्षण सामन्त-पद्धति के राजा पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है ।

(२) प्राचीन युग के जनपदों का इस काल में अन्त हो चुका था । सामन्त-पद्धति में राज्य-शासन का आधार पुर या जनपद के स्थान पर वह राजवंश हो गया, जिनका नृपति एक विशेष प्रदेश का शासक होता था । जिस प्रदेश पर चन्देलों या

कलचूरियों का प्रापित्य था, उसका शासन वहाँ के निवासियों की जानपद-सभा (जिसमें उस प्रदेश के ग्रामों के ग्रामणी सम्मिलित होते हो) के हाथ में न रहकर चन्देल या कलचूरीकुल के लोगों के हाथों में आ गया था। इस युग में एक ऐसी विशिष्ट श्रेणी राजशक्ति का उपभोग करती थी, जिसका सम्बन्ध राज्य के राजवंश के साथ होता था। चन्देल, कलचूरी, गुर्जरप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंग, परमार आदि जहाँ राजवंशों के नाम हैं, वहाँ साथ ही वे एक विशिष्ट जाति या कुल का भी बोध कराते हैं। गुर्जर-प्रतीहार राज्य की राजशक्ति उन गुर्जरप्रतीहार लोगों में निहित थी, जिन्होंने अपने नेता के नेतृत्व में कन्नौज को राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। यही बात चन्देल, चौहान आदि अन्य वर्गों के विषय में भी कही जा सकती है। भारतीय इतिहास में यह एक नई बात थी, जो सामन्त-पद्धति की परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न हुई थी। इस काल में राजा अपने कुल के प्रमुख पुरुषों की सहायता से राज्य का शासन करता था, और राजदरबार में बैठकर राजकार्य का चिन्तन करता था। वस्तुतः, यह युग ऐसे राजाओं का था, जो निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। इसी कारण यदि राजा योग्य होता तो वह प्रजा के हित और कल्याण का सम्पादन करता था। यदि वह अयोग्य और नृगंस होता, तो प्रजा को पीड़ित करता था।

(३) सामन्त पद्धति के कारण यह सम्भव नहीं रहता, कि राजशक्ति के धारण करनेवाले लोग प्रजा के हित और कल्याण पर ध्यान दे सकें। उनकी सब शक्ति इसी काम में लग जाती है, कि परस्पर युद्ध करके अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करते रहें। सर्वसाधारण जनता की दृष्टि से यह पद्धति अराजकता को उत्पन्न करती है। इस स्थिति में दानिक और व्यवस्था को स्थापित रखने, जनता का हित और कल्याण सम्पादित करने और परस्पर महयोग द्वारा सामूहिक उन्नति करने की उत्तरदायिता उन ग्रामसभाओं पर आ गयी, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थी। बौद्ध, मौर्य, शुङ्ग, सातवाहन आदि के काल में भी ग्राम-संस्थाएँ अछूठी उन्नत दशा में थीं। पर मध्यकाल में उनका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया, और राजवंशों की अराजकता और जनसाधारण के हितों के प्रति उपेक्षावृत्ति को दृष्टि में रख कर इन ग्राम-संस्थाओं ने ऐसे बहुते-से कार्य अपने हाथ में ले लिए, जो साधारणतया राजाओं की उत्तरदायिता होते हैं। इस युग में ग्राम-संस्थाओं का जिस रूप में विकास हुआ, उसका भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। मध्यकाल में विकसित हुई ग्राम-संस्थाएँ अफगान और मुगलयुगों में भी कायम रही, और ब्रिटिश शासन भी उनका अस्त करने में समर्थ नहीं हुआ। यद्यपि मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों में लोकतन्त्र शासन का सर्वथा अभाव था, पर ग्राम-संस्थाओं के रूप में इस युग में भी ऐसी संस्थाएँ विद्यमान थीं, जिनके द्वारा जनता अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों की व्यवस्था स्वयं किया करती थी। इस विषय में सर चार्ल्स मैटकाँफ का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्त्व का है—“ग्राम-संस्थाएँ छोटे-छोटे लोकतन्त्र राज्यों का नाम था, जो अपने प्रायः पूर्ण थीं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, वह उनके अपने अन्दर मौजूद था। अपने से बाहर के साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जहाँ अन्य कोई नहीं बचा, वहाँ वे बची रहीं। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश आया। एक क्रांति के

बाद दूसरी क्रान्ति हुई—पर ग्राम-संस्थाएँ पूर्ववत् वही की वही कायम रही। मेरी सम्मति में ये ग्राम-संस्थाएँ ही, जिनमें से प्रत्येक एक पृथक् राज्य की तरह है, भारतीय जनता की रक्षा में सबसे अधिक समर्थ रही। इन्हीं के कारण सब परिवर्तनों और क्रान्तियों में जनता की रक्षा होती रही। भारतीयों को जो कुछ प्रसन्नता व स्वतन्त्रता प्रादि प्राप्त हैं, उसमें ये ही सब से अधिक सहायक हैं।”

(४) ग्राम-संस्थाएँ

मध्यकाल की राजकीय अव्यवस्था से सर्वसाधारण जनता की रक्षा करने के लिए ग्राम-संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। इस युग के बहुत-से ऐसे अभिलेख मिले हैं, जिनसे इन ग्राम-संस्थाओं के विषय में अनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं।

ग्रामसभा—प्रत्येक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी, जो अपने क्षेत्र में शासन का सब कार्य सम्भालती थी। स्थान और काल के भेद से ग्रामसभाओं के संगठन भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे। कुछ ग्रामों की ग्रामसभाओं में वहाँ के सब बालिव (वयस्क) पुरुष सदस्य-रूप से सम्मिलित होते थे। कुछ ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सब वयस्क पुरुषों को ग्रामसभा की सदस्यता का अधिकार नहीं होता था। दक्षिणी भारत के एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार एक ग्राम के वयस्क पुरुषों की संख्या ४०० थी, पर उसकी सभा के सदस्य केवल ३०० पुरुष थे। एक अन्य ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या ५१२ लिखी गयी है। एक अन्य लेख में एक ऐसे ग्राम का उल्लेख है जिसकी सभा की सदस्य-संख्या १०६० थी। ग्राम-सभा का अधिवेशन या तो मन्दिर में होता था, या किसी वृक्ष की छाया में। कतिपय ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सभा के लिए पृथक् भवन भी विद्यमान थे।

समितियाँ—ग्राम के शासन का सब अधिकार ग्राम-सभा के हाथों में होता था, जिसके अधिवेशनों की अध्यक्षता ग्रामणी नामक कर्मचारी करता था। पर शासन-कार्य की सुविधा के लिये अनेक समितियों का भी निर्माण किया जाता था, जिन्हें विविध प्रकार के कार्य सुपुर्द रहते थे। ये समितियाँ निम्नलिखित थी—(१) वर्ष भर के लिए नियुक्त समिति, या वर्ष भर तक शासन-कार्य का नियन्त्रण व निरीक्षण करने वाली समिति, (२) दान की व्यवस्था करने वाली समिति, (३) जलाशय की व्यवस्था करने वाली समिति, (४) उद्यानों का प्रबन्ध करने वाली समिति, (५) न्याय की व्यवस्था करने वाली समिति, (६) सुवर्ण और कोष की प्रबन्धकर्त्री समिति, (७) ग्राम के विविध विभागों का निरीक्षण करने वाली समिति, (८) खेतों और मैदानों की व्यवस्था व निरीक्षण करने वाली समिति, (९) मन्दिरों का प्रबन्ध करने वाली समिति, (१०) साधु व विरक्त लोगों की व्यवस्था करने वाली समिति। इन दस समितियों के क्या कार्य होते थे, यह इनके नामों से ही स्पष्ट है।

दक्षिणी भारत के एक अभिलेख में एक ग्राम के सम्बन्ध में यह लिखा गया है, कि ग्राम तीस भागों में विभक्त था। प्रत्येक भाग के सब वयस्क पुरुष एकत्र होकर उन व्यक्तियों की सूची तैयार करते थे, जो समितियों के सदस्य बनने के लिए उपयुक्त हों। समिति की सदस्यता के लिए यह आवश्यक था, कि सदस्यों की न्यूनतम आयु ३५ वर्ष

और अधिकतम आयु ७० वर्ष की हो। जो पुरुष शिक्षित हो, ईमानदार हों और कुछ सम्पत्ति भी रखते हों, वे ही समितियों की सदस्यता के अधिकारी माने जाते थे। कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी समिति के सदस्य-रूप में खर्च किये धन का सही हिसाब न दिया हो, या जिस पर कोई अपराध साबित हो चुका हो, भविष्य के लिए समितियों की सदस्यता का अधिकारी नहीं समझा जाता था, और उसका नाम उस सूची में शामिल नहीं किया जाता था, जो ग्राम के विविध भागों द्वारा तैयार की जाती थी। जब यह सूची तैयार हो जाती थी, तो लाटरी डाल कर एक पुरुष का नाम निकाला जाता था। इस प्रकार ग्राम के तीस भागों से तीस नाम निकलते थे, और विविध समितियों के सदस्य रूप में इन्हीं की नियुक्ति कर दी जाती थी। तीस पुरुषों में से किसे किस समिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता था। विविध समितियाँ किस ढंग से अपने-अपने कार्य करें, इसके नियम भी विशद रूप से बनाये गए थे। ग्राम के सब योग्य वयस्क पुरुषों को समितियों की सदस्यता का अवसर मिल सके, इसके लिए यह नियम बनाया गया था, कि केवल उन्हीं पुरुषों को सदस्यता के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाय, जो पिछले तीन वर्षों में कभी किसी समिति के सदस्य न रहे हों। इसमें सन्देह नहीं, कि ग्राम-संस्था की विविध समितियों के सदस्यों की नियुक्ति का यह ढंग बहुत ही उत्तम और निराला था।

ग्राम-संस्थाओं के कार्य—ग्राम-संस्थाओं का स्वरूप छोटे-छोटे राज्यों के समान था। इसीलिए वे प्रायः उन सब कार्यों को करती थी, जो राज्य किया करते हैं। ग्राम-संस्था की जो अपनी सम्पत्ति हो, उसे बेचना व अधिमानत रखकर रुपया प्राप्त करना, ग्राम के क्षेत्र में उत्पन्न हुए विविध प्रकार के भ्रगडों और अभियोगों का फौजला करना, मण्डी व बाजार का प्रबन्ध करना, टैक्स वसूल करना, ग्राम के लाभ के लिए नये कर लगाना, ग्रामवासियों में ग्राम के हित के लिए काम लेना, जलाशयों, उद्यानों, खेतों, चरागाहों व मैदानों की देख-रेख करना और मार्गों को ठीक हालत में रखना—इस प्रकार के कार्य थे, जो ग्राम-संस्थाओं के मुपुदं थे। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से कुछ धन जमा कराना चाहे, तो ग्राम-सभा के पास जमा करा सकता था, और ग्राम सभा का यह कर्तव्य होता था, कि वह उसकी समुचित रूप से व्यवस्था करे, और धन जमा कराने वाले मनुष्य की इच्छा के अनुसार उसके सूद को व उस धन को खर्च करे। दान-पुण्य की रकमें प्रायः ग्राम-सभाओं के पास ही जमा की जाती थी। दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक विपत्तियों के समय ग्राम-सभाओं की उत्तरदायिता बहुत बड़ जाती थी, और वे इस बात की व्यवस्था करती थी, कि गरीब लोग भूखे न मरने पाएँ। इसके लिए यदि वे आवश्यक समझें, तो रुपया उधार भी देती थी, या अपनी सम्पत्ति को बेच कर व उसकी अधिमानत पर कर्ज लेकर खर्च चलाती थी। शिक्षा आदि के लिए धन खर्च करना भी उनका महत्त्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। शत्रुओं व डाकुओं से ग्राम की रक्षा करना भी ग्राम-संस्थाओं का काम था, और जो लोग इसमें विशेष पराक्रम प्रदर्शित करते थे, उनका वे अनेक प्रकार से सम्मान भी करती थी। विशालय-देव नाम के एक वीर पुरुष ने अपने ग्राम के मन्दिर से मुसलिम आक्रान्ताओं को

निकाल कर बाहर किया था। इस वीर कृत्य के उपलक्ष में ग्रामसभा ने व्यवस्था की थी, कि प्रत्येक किसान अपनी उपज का एक निश्चित भाग नियमित रूप से विशालयदेव को प्रदान किया करे। जो ग्रामवासी देश की रक्षा या इसी प्रकार के किसी अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिए अपने जीवन की आहुति दे देते थे, उनके परिवार को ग्रामसभाओं की ओर से ऐसी भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जिस पर कोई लगान नहीं लगता था। यदि कोई आदमी ग्राम के विरुद्ध आचरण करे, कोई ऐसा कार्य करे जिससे ग्राम को हानि पहुँचती हो, तो उसे ग्रामद्रोही करार करके दण्ड दिया जाता था। यह दण्ड प्रायः इस प्रकार का होता था, कि वह अन्य ग्रामवासियों की दृष्टि में गिर जाय और पश्चात्ताप का अनुभव करे। इस प्रकार का एक दण्ड यह था, कि ग्रामद्रोही को भगवान् शिव की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार नहीं रहता था। ग्राम के क्षेत्र से राज्य के लिए वसूल किए जाने वाले करों को एकत्र करना ग्राम-संस्था का ही कार्य था। ग्राम-सभा के अधिकारियों का यह कर्तव्य था, कि वे राजकीय करों को वसूल करें, उनका सही-सही हिसाब रखें, और एकत्र धन को राजकोष में पहुँचा दे। यदि कोई अपने इस कर्तव्य में विधिलता प्रदर्शित करता था, तो वह दण्डनीय होता था।

(५) शासन-व्यवस्था का स्वरूप

दक्षिणी भारत—चोलमण्डल में बहुत-से ऐसे शिलालेख व ताम्रपत्र उपलब्ध हुए हैं, जिनसे इस युग की शासन-व्यवस्था की कुछ झलक ली जा सकती है।

चोल-राज्य में शासन की इकाई ग्राम होते थे, जो छोटे-छोटे राज्यों के सदृश थे, और जो अपना शासन स्वयं करते थे। कतिपय ग्राम मिलकर एक समूह का निर्माण करते थे, जिन्हें 'कुरम्' कहा जाता था। कुरम् का समूह 'नाडु' और नाडुओं के समूह को 'कोट्टम्' या 'वलनाडु' कहते थे। कोट्टम् को हम आजकल का जिला समझ सकते हैं। इसी प्रकार नाडु तहसील और कुरम् को परगना कहा जा सकता है। कतिपय कोट्टम् या वलनाडु मिलकर 'मण्डलम्' का निर्माण करते थे। 'चोलमण्डलम्' इसी प्रकार का एक मण्डल था। पर चोलवंश के राजाओं के उत्कर्ष-काल में चोल-साम्राज्य में 'चोल-मण्डलम्' के अतिरिक्त अन्य प्रदेश में सम्मिलित थे, जो दो प्रकार के थे, विजित और सामन्तवर्गीय। राजराज प्रथम और राजेन्द्र सद्य प्रतापी सम्राटों ने चोल-साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तृत कर लिया था। इन द्वारा विजय किए हुए अनेक प्रदेशों में अपने पृथक् राजवंशों का शासन था, जिनकी स्थिति अब सामन्त राजाओं के सदृश हो गयी थी। पाण्ड्य, केरल आदि के ये सामन्त-राज्य भी चोलमण्डलम् के समान कोट्टम्, नाडु आदि में विभक्त थे, और इनके शासन का प्रकार भी प्रायः चोल-मण्डलम् के ही सदृश था। पर राजराज प्रथम (दसवीं सदी) के साम्राज्य विस्तार से पूर्व भी अनेक चोल-राजाओं ने चोलमण्डलम् के समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था, और अनेक ऐसे प्रदेश (जिनमें तमिल भाषा का ही प्रचार था) उनके राज्य के अन्तर्गत हो गये थे, जो चोलमण्डलम् के दायरे से बाहर थे। ये प्रदेश चोलों के 'विजित' थे, और इन्हें भी पृथक् मण्डलों में विभक्त कर दिया गया था। इनका शासन करने के लिए जो शासक चोलराजा की ओर से नियुक्त किए जाते थे, वे

प्रायः राजकुल के ही होते थे। 'विजित' द्वारा निर्मित मण्डल भी कोट्टम्, नाडु, कुरम् आदि उपविभागों में विभक्त थे, और उनके शासन में भी स्थानीय सभाओं और संस्थाओं का पर्याप्त स्थान था। जिन सामन्त-राजाओं ने चोल सम्राटों को अपना अधिपति स्वीकार किया था, वे उन्हें नियमित रूप से वार्षिक कर, भेंट-उपहार आदि प्रदान कर संतुष्ट रखते थे। पर चोल-सम्राट के प्रति उनकी भक्ति का आधार केवल उसकी अपनी शक्ति ही होती थी। यही कारण है, कि सम्राट की शक्ति के निर्बल होते ही ये सामन्त राजा विद्रोह कर पुनः स्वतन्त्र हो जाने के लिए तत्पर हो जाते थे।

ग्राम के शासन के लिए जिस प्रकार की ग्रामसभाएँ थीं, वैसे ही कुछ सभाओं की सत्ता कुरम्, नाडु आदि में भी थी। नाडु की सभा को नाट्टर कहते थे। दक्षिण भारत में उपलब्ध हुए अनेक उत्कीर्ण लेखों में नाडु की सभाओं का उल्लेख है। एक लेख के अनुसार एक नाडु की नाट्टरसभा ने दो आदिमियों की नियुक्ति इस प्रयोजन से की, कि वे नाडु में विक्रयार्थ आनेवाले पान के पत्तों पर दलाली वसूल किया करें, और इस प्रकार उन्हें जो ग्रामदानी हो, उनसे नाडु के मन्दिर के लिए काम में आने वाले पान प्रदान किया करें। इस काम में कोई प्रमाद न हो, इसकी उत्तरदायिता नाडु के 'पाँच सौ निर्दोष पुरुषों' के ऊपर रखी गयी। ये पाँच सौ निर्दोष पुरुष सम्भवतः नाडु के अन्तर्गत विविध कुरम् और ग्रामों के प्रतिनिधि थे, और इनकी सभा को अपने क्षेत्र के शासन में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और अधिकार प्राप्त थे। कुछ उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन से यह भी सूचित होता है, कि नाडु व अन्य विभागों की सभाओं को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त थे, और वे अपने क्षेत्र के सार्वजनिक हित के कार्यों में भी अपना कर्तृत्व प्रदर्शित करती थी। यदि किसी नदी पर बाँध बाँधने की आवश्यकता हो, सड़क का निर्माण करना हो या इसी ढंग का कोई अन्य काम हो, तो नाडु की सभा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव से ऐसे कार्य के लिए कर वसूल करने का अधिकार भी रखती थी।

ग्राम, नाडु आदि की स्थानीय सभाओं के कारण सर्वसाधारण जनता को यह अनुभव मिलता था, कि वह अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की व्यवस्था स्वयं कर सके। इन सभाओं की सत्ता के कारण जनता की स्वतन्त्रता बहुत अंश तक सुरक्षित बनी हुई थी। पर जहाँ तक राज्य के केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश होते थे। पर राज्यचक्र एक आदिमी द्वारा संचालित नहीं हो सकता, इसलिए राजा को अपनी सहायता के लिए मन्त्रियों की नियुक्ति करनी होती थी, और वह उन्हीं के परामर्श के अनुसार शासन की व्यवस्था करता था। चोल-राज्य में उस समय तक कोई राजाजा जारी नहीं की जा सकती थी, जब तक कि उन पर ओलैनायकम् (मुख्य सचिव) के हस्ताक्षर न हो जाँएँ। इससे यह अभिप्राय निकलता है, कि प्रत्येक राजाजा की अन्तिम उत्तरदायिता राजा के अतिरिक्त उसके मुख्य सचिव पर भी होती थी।

उत्तरी भारत—गुप्त-साम्राज्य के समान उत्तरी भारत के पाल, आदि वंशों के राज्य भी भुक्ति, विषय, मण्डल, भोग और ग्रामों में विभक्त थे। भुक्ति के शासक की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, और विषय आदि के शासकों को भुक्ति का शासक

नियुक्त करता था। विषयपति (विषय का शासक) को शासन-कार्य में सहायता देने के लिये एक राज्यसभा की सत्ता होती थी, जिसके सम्बन्ध में एक उत्कीर्ण लेख से अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। इस विषयसभा में निम्नलिखित सदस्य होते थे— (१) नगरश्रेष्ठी—विषय के प्रधान नगर का मुख्य सेठ या जगत्सेठ, (२) सार्थवाह—जो विषय के अन्तर्गत विविध व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता था, (३) प्रथम कुलिक—जो विविध शिल्पिश्रेणियों का प्रतिनिधि होता था, (४) प्रथम कायस्थ—जो सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता था। पालवंश के राजाओं के अनेक ऐसे उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिनमें इस युग के विविध राजकर्मचारियों के नाम दिये गए हैं। पालवंशी राजा धर्मपाल के खालिमपुर के ताम्रपत्र में राजा द्वारा दान की गयी एक जागीर का उल्लेख है, जिसकी सूचना निम्नलिखित कर्मचारियों को दी गयी थी— (१) राजा—अधीनस्थ सामन्त राजा, (२) राजपुत्र—सामन्त राजाओं के युवराज, (३) राजामात्य, (४) राजनरु—विविध जागीरदार, (५) सेनापति (६) विषयपति—विषय नामक विभाग या त्रिले का शासक (७) भोगपति—विषय के उपविभाग 'भोग' का शासक (८) षष्ठाधिकृत—किसानों द्वारा वसूल किए जाने वाले षड्भाग का प्रधान अधिकारी (९) दण्डपाति—सम्भवतः, पुलिस विभाग का अधिकारी (१०) दण्डपाशक—पुलिस विभाग का ही अन्य अधिकारी, (११) चौगोद्वारणिक—चोरो को पकड़ने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी, (१२) दौसाधसाधनिक—सम्भवतः, ग्रामों का व्यवस्थापक, (१३) दूत, (१४) खोल, (१५) गमागमिक, (१६) अभित्वरमान, (१७) हस्तिप्रश्वगोमहिष-अजाविक अग्र्यक्ष, (१८) नौकाध्यक्ष, (१९) बलाध्यक्ष, (२०) तटिक—नदी पार उतरने के स्थानों का अधिकारी, (२१) शौलिकक—शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी, (२२) मौलिक, (२३) तदायुक्त, (२४) विनियुक्त, (२५) ज्येष्ठ कायस्थ, (२६) महामहत्तर, (२७) महत्तर, (२८) दशग्रामिक, (२९) करण—हिंसाब रखने वाला।

खालिमपुर के ताम्रपत्र में जिन कर्मचारियों के नाम आये हैं, उनमें से सब का ठीक-ठीक अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। पर इसमें कोई संदेह नहीं, कि ये सब राजकर्मचारी थे, और जागीर के दान की सूचना के लिए ही इनका उल्लेख ताम्रपत्र में किया गया है। सेन आदि अन्य राजवंशों के उत्कीर्ण लेखों में भी इसी प्रकार से अनेक राजकर्मचारियों के नाम दिए गए हैं, जिनसे मध्ययुग के उत्तरी भारत के राजकर्मचारी-तन्त्र का कुछ धुंधला-सा आभास मिल जाता है।

इस प्रसंग में यह ध्यान रखना आवश्यक है, कि दक्षिणी भारत के समान उत्तरी भारत में भी ग्रामसभाओं की सत्ता थी, और ग्रामों की जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की व्यवस्था अपनी ग्रामसभा द्वारा किया करती थी। इसी कारण राजवंशों में निरन्तर युद्ध जारी रहते हुए भी सर्वसाधारण लोगों पर उनका विशेष प्रभाव नहीं होता था।

(६) साहित्य

मध्ययुग में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अनेक नये ग्रन्थों का निर्माण हुआ, और बहुत-से कवियों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। इस युग के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित थे—

(१) भवभूति—ये प्रसिद्ध नाटककार आठवीं सदी में कान्यकुब्ज-नरेश यशोवर्मा की राजसभा में रहते थे। जब काश्मीर के राजा ललितादित्य ने यशोवर्मा को परास्त किया, तो वह भवभूति को भी अपने साथ काश्मीर ले गया। इन्होंने तीन नाटक लिखे—महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तररामचरित। भवभूति की नाटक-कला उत्तररामचरित में सौष्ठव की पराकाष्ठा को पहुँच गयी है। अनेक पण्डितों की सम्मति तो यह है, कि इस नाटक में भवभूति कालिदास से भी बड़ गए हैं।

(२) बाणभट्ट—ये सम्राट् हर्षवर्धन (सातवीं सदी) के राजपण्डित थे। इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं—हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवनचरित्र बड़ी सुन्दर शैली में प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक गद्य में है। कादम्बरी संस्कृत-साहित्य का सबसे उत्कृष्ट गद्य काव्य है।

(३) कुमारदास—ये सिन्धु देश के निवासी थे। सातवीं सदी में इन्होंने 'जानकीहरण' नाम का महाकाव्य लिखा था।

(४) भारवि—ये सातवीं सदी में हुए, और चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन की राजसभा में थे। इनका काव्य 'किरातार्जुनीय' बहुत प्रसिद्ध है।

(५) भट्टि—ये भी सातवीं सदी में हुए। इनके भट्टि-काव्य में राम के चरित्र के वर्णन के साथ-साथ व्याकरण के सिद्धान्त भी प्रतिपादित हैं।

(६) माघ—ये भी सातवीं सदी के अन्त में हुए। इनके महाकाव्य 'शिशुपाल-वध' में जहाँ उत्तम कविता है, वहाँ साथ ही प्रगाढ़ पाण्डित्य भी है।

(७) त्रिविक्रम भट्ट—ये नवीं सदी में हुए। इनका ग्रन्थ 'नलचम्पू' बहुत प्रसिद्ध है। चम्पू उस काव्य को कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों।

(८) भट्टनारायण—ये सातवीं सदी में हुए। इन द्वारा रचित 'वेणिसंहार' नाटक महाभारत के कथानक को लेकर लिखा गया है।

(९) दण्डी—इनका समय भी सातवीं सदी में है। इन्होंने 'दशकुमारचरित' नाम के एक सुन्दर गद्य-ग्रन्थ की रचना की।

(१०) सुबन्धु—इनका लिखा ग्रन्थ 'वासवदत्ता' बड़ा ही सुन्दर गद्य-काव्य है। इनका समय भी सातवीं सदी में माना जाता है।

(११) हर्षवर्धन—बाणभट्ट के आश्रयदाता सम्राट् हर्षवर्धन जहाँ विद्या और काव्य के अत्यन्त प्रेमी थे, वहाँ स्वयं भी उत्कृष्ट कवि थे। उनके लिखे तीन नाटक इस समय मिलते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानन्द।

(१२) राजशेखर—ये कन्नौज के गुर्जरप्रतिहारवंशी राजा महेन्द्रपाल की राजसभा में थे। इनका समय दसवीं सदी में है।

इनके प्रतिरिक्त अन्य भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होंने अपने काव्य,

नाटक, चम्पू आदि द्वारा संस्कृत-साहित्य के भण्डार को पूर्ण किया। पर गुप्त-युग के संस्कृत-साहित्य में जो गौरव और उत्कृष्टता है, वह बाद के साहित्य में नहीं पायी जाती। भवभूति के बाद संस्कृत के कवियों की शैली निरन्तर अधिक-अधिक कृत्रिम होती गयी है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषाओं की अधिक उन्नति हुई। गुप्त-युग के बाद संस्कृत का प्रचार कम होता गया। वह प्रधानतया पण्डितों की ही भाषा रह गयी। इसीलिए उसके लेखकों में वह प्रसाद गुण नहीं है, जो गुप्त-युग के कवियों में पाया जाता है। इस काल की कविता में सहज सौन्दर्य का स्थान झलंकार, श्लेष आदि की भूषा ने ले लिया।

इतिहास-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए। बाणभट्ट द्वारा विरचित हर्षचरित का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कन्नौज के राजा यशोवर्मा (आठवीं सदी) के समय में वाक्यपतिराज नामक कवि हुए, जिन्होंने 'गण्डवहो' नामक एक ग्रन्थ लिखा। यह प्राकृत भाषा में है। राजा यशोवर्मा ने गौड (बंगाल) देश पर आक्रमण कर उमकी विजय की थी। उसी का वृत्तान्त इस पुस्तक में दिया गया है। चानुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य षष्ठ का वृत्तान्त कवि बिल्हण (बारहवीं सदी) ने बड़े विस्तार के साथ 'विक्रमाक-देवचरित' नामक ग्रन्थ में लिखा है। इसी प्रकार पद्मगुप्त (ग्यारहवीं सदी) ने मालवा के राजा सिन्धुराज का चरित 'नवसाहसाकचरित' में और बल्लाल ने राजा भोज का चरित 'भोज-प्रबन्ध' में लिखा है। पर इन सबकी अपेक्षा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व का ग्रन्थ राजतरंगिणी है, जिसे कल्हण ने लिखा था। कल्हण का काल बारहवीं सदी में है, और उसने राजतरंगिणी में काश्मीर का क्रमबद्ध इतिहास दिया है।

इसी प्रकार कवि जयानक ने 'पृथिवीराजविजय' लिखकर चौहानवंशी राजा पृथिवीराज का और हेमचन्द्र ने 'कुमारपालचरितम्' लिखकर चानुक्यराजा कुमारपाल (बारहवीं सदी) के नाम को अमर किया। इनके अतिरिक्त जो अनेक ग्रन्थ ऐतिहासिक काव्य इस युग में लिखे गए, उनमें सोमेश्वर का कीर्तिकौमुदी, अरिसिंह का 'सुकृत-सकीर्तन', जयसिंह सूरि का 'हम्मौर-मदमर्दन', मेरुतुङ्ग का 'प्रबन्धचिन्तामणि', राज-शेखर का 'चतुर्विंशति प्रबन्ध', नयचन्द्र सूरि का 'हम्मौर महाकाव्य', आनन्द भट्ट का 'बल्लालचरित' और चन्द्रप्रभ सूरि का 'प्रभावकचरित' उल्लेखनीय हैं। ये सब काव्य कतिपय वीर पुरुषों के चरित्र को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, और इनसे जहाँ इन वीरों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है, वहाँ साथ ही उनसे काव्य-रस का भी अच्छा आस्वाद मिलता है।

काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य के अतिरिक्त इस युग में कथा-साहित्य भी लिखा गया। ग्यारहवीं सदी में क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथामंजरी और सोमदेव ने कथासरित्सागर की रचना की। इसी प्रकार वैतालपंचविंशति, सिंहासनद्वारिणिका और शुकसप्तति नामक कथा-ग्रन्थों का निर्माण भी इसी युग में हुआ।

साहित्य के विकास के साथ-साथ झलंकारशास्त्र-विषयक अनेक ग्रन्थ भी इस काल में लिखे गए, जिनमें काव्य के विभिन्न रसों का सूक्ष्मतापूर्वक विवेचन किया गया है। छठी सदी में आचार्य आमह ने काव्यालंकार ग्रन्थ की रचना की। बाद में दण्डी,

वामन (छाठवीं सदी), ध्यानन्दवर्धन (नवी सदी), अभिनवगुप्त और मम्मट आदि साहित्य-विवेचकों ने साहित्य-शास्त्र का और अधिक विकास किया।

बड़े साहित्य-ग्रन्थों के साथ ही मुक्तक और गेय काव्यों की भी अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ इस युग में हुईं। भर्तृहरि के शृंगारशतक, वैराग्यशतक और नीतिशतक, कवि अमरु का अमरुशतक और जयदेव का गीतगोविन्द इसी युग की कृतियाँ हैं। ये सब अपने ढंग के अनुपम काव्य हैं।

अनेक महत्त्वपूर्ण व्याकरण-ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए। सातवीं सदी में पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिकावृत्ति लिखी गयी, जो महाभाष्य के बाद पाणिनि-सूत्रों का सबसे महत्त्वपूर्ण व्याख्या-ग्रन्थ है। इसका लेखक जयादित्य था। भर्तृहरि के वाक्यप्रदीप, महाभाष्यप्रदीपिका और महाभाष्यत्रिपदी नामक व्याकरण-ग्रन्थ भी इसी युग की कृति हैं। पाणिनीय व्याकरण की परम्परा से भिन्न एक अन्य संस्कृत व्याकरण इस समय में लिखा गया, जो 'कातन्त्र' कहा जाता है। इसका रचयिता शर्ववर्मा था। भारत से बाहर अन्य देशों में इसका बहुत प्रचार हुआ। मध्य एशिया और बालि द्वीप में इसकी पुरानी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं।

व्याकरण के अतिरिक्त कोश-विषयक अनेक ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गए। अमरकोष की रचना गुप्तकाल में हो चुकी थी। वह इतना लोकप्रिय हुआ, कि उस पर पचास के लगभग टीकाएँ इस युग में लिखी गयीं। इनमें ग्यारहवीं सदी में लिखित क्षीर-स्वामी की टीका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, वैजयन्ती, अधिपानरत्नमाला आदि अन्य अनेक कोश-ग्रन्थ भी इस काल में बने। कामशास्त्र, सगीत, राजनीति आदि विषयों पर भी अनेक पुस्तकें इस युग में लिखी गयीं, और संस्कृत का साहित्य-भण्डार निरन्तर अधिक समृद्ध होता गया।

(७) दर्शन-शास्त्र

दर्शनशास्त्र के विकास की दृष्टि से मध्ययुग का महत्त्व बहुत अधिक है। बौद्ध, जैन और हिन्दू—तीनों प्रकार के दर्शनशास्त्रों का इस युग में चरम विकास हुआ। चौथी सदी में असंग नामक बौद्ध विद्वान् ने महायानोत्तरतन्त्र सूत्रालंकार आदि ग्रन्थ लिखकर 'क्षणिक विज्ञानवाद' मत का बड़ी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया था। पाँचवीं सदी में दिङ्नाग ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चय की रचना की। ये दोनों बौद्ध दार्शनिक मध्ययुग से पहले हो चुके थे। पर इस काल में धर्मकीर्ति और शांतरक्षित नामक दार्शनिकों ने बौद्ध-दर्शन को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। धर्मकीर्ति (सातवीं सदी) के ग्रन्थों में प्रमाणवार्तिक और प्रमाणविनिश्चय सर्वप्रधान हैं। बौद्ध-संसार में ये ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हुए, और तिब्बती आदि अनेक भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया। धर्मकीर्ति असंग द्वारा प्रतिपादित 'विज्ञानवाद' के अनुयायी थे, और उन्होंने इसी मत को कुछ अंशों में परिवर्तित व विकसित कर तर्क द्वारा उसका प्रतिपादन किया। धर्मकीर्ति के बाद शांतरक्षित, कमलशील और ज्ञानश्री जैसे बौद्ध दार्शनिकों ने दर्शन-शास्त्र का और अधिक विकास किया। यहाँ हमारे लिए यह सम्भव नहीं है, कि इन महान् दार्शनिकों के विचारों का संक्षिप्त रूप से भी निर्देश कर सकें। यद्यपि वज्रयान

के विकास के कारण इस युग में बौद्ध-धर्म का ह्रास हो रहा था, पर दार्शनिक क्षेत्र में अनेक बौद्ध-विद्वान् अत्यन्त योग्यतापूर्वक अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन और विरोधी सिद्धान्तों के खण्डन में तत्पर थे ।

दार्शनिक दृष्टि से बौद्ध-दर्शन को चार प्रधान सम्प्रदायों में विभक्त किया जा सकता है—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । इन चारों सम्प्रदायों का पक्षपोषण करते हुए जो विशाल साहित्य इस युग में लिखा गया, वह संसार के दार्शनिक साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है ।

बौद्धों के समान अनेक जैन विद्वानों ने भी इस युग में अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया । जैन-दर्शन का प्रारम्भ उमास्वाति और कुन्दकुन्दाचार्य नामक विद्वानों ने किया था, जो पहली सदी ई० प० में हुए थे । पर इसका विशेष रूप से विकास मध्य युग में हुआ । जैन दार्शनिकों में सिंहसेन दिवाकर (पाँचवी सदी), समन्त-भद्र (सातवी सदी), हरिभद्र (आठवी सदी), भट्ट अकलङ्क (आठवी सदी), विद्यानन्द (नवी सदी), हेमचन्द्र (ग्यारहवी सदी) और मल्लिसेण सूरी (तेरहवी सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

हिन्दू या आस्तिक दर्शन के सिद्धान्तों का हम पिछले एक अध्याय में उल्लेख कर चुके हैं । इन आस्तिक दर्शनों पर भी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इस युग में लिखे गए, जिनमें अपने मत के प्रतिपादन के साथ-साथ बौद्धों और जैनों का विशेषरूप से खण्डन भी किया गया । इसमें सन्देह नहीं, कि आस्तिक दर्शनों का विकास इस युग में पूर्ववर्ती काल में ही हो गया था, पर उन पर नये-नये और सुविस्तृत ग्रन्थ इसी काल में लिखे गए । बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो उसके विद्वानों के लिए यह भी आवश्यक हो गया, कि वे बौद्ध विचारधारा का खण्डन कर आस्तिक दर्शन का खण्डन करें । इसीलिए मध्य युग में दर्शनशास्त्रों पर अनेक अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना हुई ।

मीमांसा-दर्शन के कर्ता जैमिनि मुनि थे । उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना की थी । दूसरी सदी ई० प० के लगभग उपवर्ष भवदास और शबरस्वामी ने इन सूत्रों पर वृत्तियाँ लिखी, जिनमें मीमांसा के सिद्धान्तों को बहुत विशद रूप दिया गया । शबर-स्वामी द्वारा लिखा हुआ शबरभाष्य (मीमांसासूत्रों पर) मीमांसा दर्शन का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । आठवी सदी के पूर्वार्ध में कुमारिल भट्ट ने इस दर्शन को और अधिक विकसित किया, और बौद्ध-दर्शन का खण्डन कर मीमांसा के सिद्धान्तों की सत्यता सिद्ध की । कुमारिल भट्ट के शिष्य मण्डनमिश्र थे, जिन्होंने विधिविवेक और भावनाविवेक नामक ग्रन्थों को लिखकर अपने गुरु की विचारसरणी को और अधिक विकसित किया ।

वेदान्तसूत्रों का निर्माण महर्षि बादरायण ने किया था । जिस सिद्धान्त को महर्षि बादरायण ने सूत्र-रूप से लिखा था, मध्ययुग के दार्शनिकों ने उसे बहुत अधिक विकसित किया । इसके लिए उन्होंने वेदान्तसूत्रों (ब्रह्मसूत्रों) पर विस्तृत भाष्य लिखे । वेदान्तदर्शन को विशदरूप से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य का है, जो आठवी सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुए थे । उनका जन्म केरल

(मलाबार) के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। आचार्य गौड़पाद से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने वेदान्त-दर्शन के प्रतिपादन और बौद्ध-मत के खण्डन में अपनी सब शक्ति को लगा दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने कन्याकुमारी से बदरीनाथ तक पर्यटन किया, और स्थान-स्थान पर बौद्धों से शास्त्रार्थ किए। यह संसार मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य सत्ता है, इस विचार को उन्होंने युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया।

शंकराचार्य ने जिस ढंग से वेदान्तसूत्रों की व्याख्या की थी, ग्रन्थ अनेक दार्शनिकों ने उसे पसन्द नहीं किया। ब्रह्म के अतिरिक्त जीव की सत्ता को न मानने से ईश्वर-भक्ति का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने वेदान्तसूत्रों की इस प्रकार व्याख्या की, जिससे ब्रह्म और जीव की पृथक् सत्ता सिद्ध की गयी।

इन दार्शनिकों में रामानुज (११४० ई०), मध्व (११२७ ई०), निम्बार्क (१२५० ई०) और वल्लभाचार्य (१५०० ई०) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। रामानुज के अनुसार जीव और जगत् ईश्वर के ही दो प्रकार हैं। इसी लिए उनका मत विशिष्टाद्वैत कहाता है। मध्वाचार्य के मत में ईश्वर और जीव दो पृथक् सत्ताएँ हैं। उनके मत को 'द्वैत' कहा जाता है। निम्बार्क जीव और ईश्वर को पारमार्थिक दृष्टि से अभिन्न मानते हैं, पर व्यावहारिक रूप से उनकी भिन्न सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसीलिए उनके मत को द्वैताद्वैत कहते हैं।

शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य लिखकर वेदान्त दर्शन का प्रतिपादन किया था। नवी सदी में वाचस्पति ने इस भाष्य पर भामती टीका लिखी। वेदान्त के ग्रन्थ उत्कृष्ट ग्रन्थों में श्रीहृषं (बारहवी सदी) का खण्डनलाघ, चित्तमुखाचार्य (तेरहवी सदी) की तत्त्वदीपिका, विद्यारण्यस्वामी (चौदहवीं सदी) की पञ्चदशी और मधुसूदन सरस्वती (सोलहवी सदी) की अद्वैतसिद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सब ग्रन्थ मध्य युग में ही लिखे गए थे।

महर्षि गौतम ने जिस न्यायशास्त्र का सूत्र-रूप से प्रतिपादन किया था, उसपर प्राचीन समय में वात्स्यायन ने भाष्य लिखा। वात्स्यायन की दसवी सदी ई० ५० के लगभग में हुआ माना जाता है। पर मध्यकाल में इस दर्शन का असाधारण रूप से विकास हुआ, और अनेक दार्शनिकों ने इस पर उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना की। इन दार्शनिकों में उद्योतकर (छठी सदी), वाचस्पति मिश्र (नवी सदी), जयन्तभट्ट (नवी सदी) और उदयनाचार्य (दसवी सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तेरहवीं सदी में गंगेश उपाध्याय नामक दार्शनिक ने न्यायदर्शन के एक नए सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसे 'नव्यन्याय' कहते हैं। मुसलिम युग में इस सम्प्रदाय का बहुत विकास हुआ, और इसको प्रतिपादित करने के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की गयी।

इसी प्रकार से सांख्य, योग और वैशेषिक दर्शनों पर भी अनेक ग्रन्थ मध्यकाल में लिखे गए, जिनमें वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य प्रशास्तपाद के पदार्थचर्म-संग्रह पर लिखी हुई व्योमशिक्षाचार्य (आठवी सदी), उदयनाचार्य (नवी सदी) और श्रीधराचार्य (दसवीं सदी) की टीकाएँ, सांख्यदर्शन पर वाचस्पति मिश्र (नवी सदी) द्वारा लिखी हुई तत्त्वकौमुदी और योगदर्शन पर भोज द्वारा लिखित भोजवृत्ति विशेषतया महत्त्वपूर्ण हैं।

इसमें सन्देह नहीं, कि दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में मध्ययुग में बहुत उन्नति हुई। इस युग के भारतीय विचारकों ने प्राचीनकाल में प्रादुर्भूत हुए दार्शनिक सिद्धान्तों को विकसित कर एक ऐसा रूप प्रदान किया, जो संसार के दार्शनिक साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

(८) वैज्ञानिक उन्नति

गुप्त-युग में भारत के विभिन्न विद्वानों ने गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों की किस प्रकार उन्नति की थी, इस पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। गुप्त-युग में वैज्ञानिक उन्नति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, यदि वह मध्यकाल में भी जारी रहती, तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत हो जाता। पर फिर भी इस काल में अनेक ऐसे विद्वान् उत्पन्न हुए, जिन्होंने गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद पर नये ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकरण में हम इन्हीं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे।

सातवीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रह्मगुप्त ने 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' लिखा, जो ज्योतिष का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। बारहवीं सदी में भास्कराचार्य ने 'सिद्धान्तशिरोमणि' की रचना की, जिसके एक भाग में गणित और दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है। मध्यकाल में यूरोप के ज्योतिषी पृथिवी को चपटी मानते थे, पर भास्कराचार्य ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया, कि पृथिवी चपटी न होकर गोल है। उसने आकर्षणशक्ति के सिद्धान्त का भी सुन्दर रीति से निरूपण किया। मध्ययुग में पाश्चात्य जगत् के लोग इस सिद्धान्त से सर्वथा अपरिचित थे। ज्योतिष का ज्ञान भारत से अरब में गया, और अरब लोगों से यूरोपियन लोगों ने उसे सीखा। बगदाद के अरब खलीफा हारूँ रशीद ने भारत के अनेक ज्योतिषियों को अपनी राजधानी में निमन्त्रित किया था, और उनकी सहायता से अनेक भारतीय ज्योतिष-ग्रन्थों का अनुवाद अरबी भाषा में करवाया था। गणित-विज्ञान में भारतीय लोगों ने न केवल अंकगणित और दशमलव के सिद्धान्त का विकास किया, अपितु त्रिकोणमिति का भी विकास किया। गणित की सहायता से भारतीय ज्योतिषी ग्रहों और राशियों की गणना से भली-भाँति परिचित हो गये थे।

घनवन्तरि और चरक जैसे पुराने आचार्यों ने आयुर्वेद-शास्त्र के जो ग्रन्थ प्राचीन युग में लिखे थे, उनका जिक्र पहले किया जा चुका है। मध्य युग में आयुर्वेद पर अनेक नये ग्रन्थ लिखे गये। ८०० ईस्वी के लगभग 'अष्टांगहृदय' की और माधवकरण ने 'माधवनिदान' की रचना की। ये दोनों ग्रन्थ आयुर्वेद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। माधवनिदान में विविध रोगों के निदान (उत्पत्ति का कारण) पर बहुत विशदरूप से विचार किया गया है। ग्यारहवीं सदी में चक्रपाण्डित नाम के बंगाली वैद्य ने चरक और सुश्रुत के प्राचीन ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी, और साथ ही 'चिकित्सासारसंग्रह' नामक नये ग्रन्थ की रचना की। बारहवीं सदी के अन्त में 'शारंगधरसंहिता' लिखी गयी, जिसमें विभिन्न विषों और रसों का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन किया गया है। ये सब ग्रन्थ आयुर्वेद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं, और इनके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि मध्यकाल में चिकित्सा-शास्त्र ने बहुत उन्नति कर ली थी। इसी उन्नति का यह परिणाम

था, कि बगदाद के खलीफा हार्कैरसीद ने जब ज्योतिषियों को भारत से बुलाया था, तब साथ ही अनेक वैद्यों को भी उसने अपने देश में निमन्त्रित किया था। इनकी सहायता से उसने अनेक वैद्यक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया, और उनसे भारत के चिकित्सा-शास्त्र का ज्ञान अरब लोगों ने प्राप्त किया।

पशुघ्नो की चिकित्सा के विषय पर भी अनेक ग्रन्थ इस युग में लिखे गये। इनमें पालकाप्य द्वारा विरचित गजचिकित्सा, गजायुर्वेद, गजदर्पण, गजपरीक्षा और गजलक्षण, जयदत्तकृत अश्वचिकित्सा, नकुल का शालिहोत्र-शास्त्र और अश्वतन्त्र विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते, यद्यपि ग्रन्थ पुस्तकों में इनके उद्धरण दिये गये हैं। सम्राट् अशोक ने विविध देशों में अपनी धर्मविजय की स्थापना के लिए जो चिकित्सालय स्थापित करवाये थे, उनमें न केवल मनुष्यों अपितु पशुघ्नों की चिकित्सा की भी व्यवस्था थी। मध्ययुग के भारतीय चिकित्सक मनुष्यों और पशुघ्नों की चिकित्सा की प्राचीन विधियों का अध्ययन करने के साथ-साथ इन विषयों पर नई पुस्तकों की रचना में भी तत्पर रहे।

गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के अतिरिक्त वास्तुकला आदि पर भी अनेक ग्रन्थ इस युग में लिखे गये। इनमें राजा भोज द्वारा विरचित 'समरांगणसूत्रधार' और 'युक्तिकल्पतरु' विशेष महत्त्व रखते हैं।

(६) शिक्षा के केन्द्र

बौद्ध युग के भारत में शिक्षा का सर्वप्रधान केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ वेद, दर्शन राजनीति शास्त्र, युद्धविद्या आदि की उच्च शिक्षा दी जाती थी। जब भारत की राजशाक्ति का प्रधान केन्द्र मगध बन गया, तो काशी या वाराणसी शिक्षा का एक मुख्य केन्द्र बन गया। बौद्ध-धर्म के विस्तार के साथ-साथ भारत के बहुत-से नगरों में विहारों की स्थापना हुई, जिनमें बौद्ध-भिक्षु विद्या के अध्ययन और अध्यापन में तत्पर रहते थे। मध्यकाल में नालन्दा, विक्रमशिला और उड्यन्तपुर के महाविहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप धारण कर लिया, जिनमें न केवल बौद्धों के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य का ही अध्यापन होता था, पर साथ ही गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों का भी शिक्षण होता था। केवल भारत के ही नहीं, अपितु चीन, तिब्बत आदि विदेशों के छात्र व विद्वान् भी इन शिक्षा-केन्द्रों से आकृष्ट होकर इनमें आया करते थे।

मदुरा का संगम—प्राचीनकाल में मदुरा दक्षिण में मदुरा नगरी में भी एक विद्यापीठ था, जिसका नाम संगम था। तक्षशिला के समान इसमें भी बहुत-से संसार-प्रसिद्ध आचार्य रहते थे। यहाँ प्राचीन तमिल साहित्य का विकास हुआ। संगम के आचार्य केवल शिक्षा का कार्य ही नहीं करते थे, अपितु साहित्य की रचना को भी वे बहुत महत्त्व देते थे। इसी काण यहाँ उत्कृष्ट तमिल साहित्य की रचना हुई। इनमें तिरुवल्लुवर का 'कुरल' सबसे प्रसिद्ध है। यह विश्व-साहित्य में एक अनुपम रत्न गिना जाता है, और इसमें धर्म, धर्म, काम और मोक्ष—इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवन के लिए उपयोगी सूक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। तमिल साहित्य में इस ग्रन्थ का बहुत ऊँचा व सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कुरल के अतिरिक्त 'मणिमेखला' और

‘शीलम्पतिकारम्’ ग्रन्थों का उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। ये दोनों तमिल भाषा के महाकाव्य हैं, और इनकी रचना भी मद्रुरा के संगम मे ही हुई।

नालन्दा महाविहार—मगध मे नालन्दा का महाविहार शिक्षा का बडा केन्द्र था। इसकी स्थापना गुप्तवंशी सम्राट् कुमारगुप्त (राज्य-काल ४२५-५५ ई० प०) ने की थी। बाद के ग्रन्य गुप्तवंशी सम्राटो ने भी यहाँ बहुत-सी इमारते बनवायी, और नालन्दा के शिक्षकों और विद्यार्थियो के खर्चे के लिए बहुत-सी जायदाद लगा दी। शीघ्र ही, शिक्षा और ज्ञान के केन्द्र के रूप मे नालन्दा की ख्याति दूर-दूर तक पहुंच गयी, और देश-विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ आने लगे। अनेक चीनी विद्वान् उसकी कीर्ति सुनकर उसके प्रति आकृष्ट हुए। उन्होने अपने देश लौट कर जो यात्रा-विवरण लिखे, आज उन्ही से हमें नालन्दा के आचार्यों और शिक्षा-पद्धति आदि के विषय मे परिचय मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग ने नालन्दा का जो विवरण लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों की संख्या मिलकर दस हजार से भी अधिक थी। नालन्दा के शिक्षक अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। इव सब का चरित्र सर्वथा उज्ज्वल और निर्दोष था। सदाचार के सब नियमों का वे पूर्ण तत्परता और सचाई से पालन करते थे। भारत के सब प्रदेशों में उनका आदर था, और सर्वत्र उनका अनुसरण किया जाता था। इस महाविद्यालय के नियम बड़े कठोर थे, और यहाँ के निवासियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे उनका पालन करें।

नालन्दा महाविहार में प्रवेश पाने के लिए यह आवश्यक था, कि पहले एक परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाय। यह परीक्षा ‘द्वार-पण्डित’ लेता था। महाविहार के प्रवेश द्वार को लौघने के लिए इस द्वार-पण्डित की परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। यह परीक्षा बहुत कठिन होती थी। ह्युएन-त्सांग के अनुसार २० व ३० फीसदी से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते थे। ह्युएन-त्सांग स्वयं बहुत समय तक नालन्दा रहा था। वह यहाँ के ज्ञानमय वातावरण और चरित्र की उच्चता द्वारा बहुत प्रभावित हुआ था। द्वार-पण्डित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालन्दा के महाविहार मे प्रविष्ट होते थे, उन्हें वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग के अनुसार महाविहार मे प्रविष्ट होकर भी बहुत-से विद्यार्थी वहाँ परास्त हो जाते थे। जो वहाँ भी विजय करके (परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर) बाहर जाते थे, उनके ज्ञान और पाण्डित्य का सर्वत्र आदर होता था।

इत्सिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री सातवी सदी में भारत आया। उसने ६७१ ई० मे चीन से प्रस्थान किया और ६७३ ई० मे वह ताञ्जल्लिन्ति के बन्दरगाह पर पहुँचा। इत्सिंग का मुख्य उद्देश्य भारत आकर बौद्ध-धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त करना और यहाँ से धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को एकत्र कर चीन ले जाना था। अतः उसका अधिकतम समय नालन्दा में ही व्यतीत हुआ। इत्सिंग के विवरण से भी यह प्रमाणित होता है, कि नालन्दा महाविहार में विद्यार्थियों की संख्या हजारों मे थी। वहाँ प्रवेश पाने के लिये व्याकरण, हेतु-विद्या (न्याय) और अभिधर्मकोश का ज्ञान

आवश्यक था। महाविहार में शिक्षा के लिए प्रवेश पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध-धर्म के विशाल साहित्य का अध्ययन करते थे, वहाँ साथ ही शब्द-विद्या, चिकित्सा-विज्ञान, सांख्यशास्त्र, तन्त्र, वेद आदि की पढ़ाई की भी वहाँ व्यवस्था थी। महाविहार के स्वर्च के लिए राज्य द्वारा बहुत-सी भूसम्पत्ति दान दी गई थी। इसकी सब आमदनी इस शिक्षा-केन्द्र के स्वर्च के लिए काम आती थी।

नालन्दा का पुस्तकालय बड़ा विशाल था। इसकी तीन विशाल इमारतें थीं, जिनके नाम थे—रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नारंजक। रत्नोदधि-भवन नौ मंजिल ऊँचा था। इसमें धर्म-ग्रन्थों का संग्रह किया गया था। अन्य सौनों इमारतें भी इसी प्रकार विशाल और विस्तीर्ण थीं।

आठवीं सदी के शुरू में तिब्बत के राजा ने नालन्दा के एक प्रसिद्ध आचार्य शान्तरक्षित को इस उद्देश्य से अपने देश में निमन्त्रित किया, कि वह वहाँ बौद्ध-धर्म की अच्छी तरह स्थापना करे। तिब्बत पहुँचने पर शान्तरक्षित का बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया गया, और उसे आचार्य बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया शान्तरक्षित के कुछ समय बाद कमलशील नामक एक अन्य आचार्य को नालन्दा से बुलाया गया, और इन दो भारतीय आचार्यों ने तिब्बत में धर्म की स्थापना की। बाद में प्रतीघ नाम के अन्य आचार्य को तिब्बत में धर्मस्थापना के लिए आमन्त्रित किया गया। यह भगवत् में ही विद्यमान विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य था।

नालन्दा महाविहार की स्थापना पाँचवीं सदी ईस्वी में हुई थी। ग्यारहवीं सदी तक वह भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र रहा। इस समय विक्रमशिला नाम के एक अन्य महाविहार की स्थापना हो गयी थी, जिसे पालवंशी राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। विक्रमशिला के विकास से नालन्दा की कीर्ति कुछ मन्द पड़ने लगी, और उसमें ह्रास के चिह्न प्रगट होने लगे। बाद में जब मुहम्मद बिन बस्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, तो नालन्दा के इस प्राचीन महाविहार का अन्तिम रूप से विनाश हुआ।

विक्रमशिला—नालन्दा के समान विक्रमशिला का महाविहार भी भगवत् में ही था। इसकी स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने नवीं सदी में की थी। धर्मपाल बौद्ध-धर्म का अनुयायी था, और अपने को “परमपरमेश्वर-परमभट्टारक महाराजाधिराज” की उपाधि से विभूषित करता था। धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवा कर वहाँ अध्यापन के लिए १०० आचार्यों की नियुक्ति की। इस नये शिक्षाालय को राजवंश की संरक्षा प्राप्त थी। इसके स्वर्च के लिए अस्तुल बनराशि राजा धर्मपाल व उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दी गयी। परिणाम यह हुआ, कि बहुत-से विद्यार्थी इसमें शिक्षा-ग्रहण करने के लिए आने लगे। चार सदियों तक यह महाविहार कायम रहा, और इस बीच में इसने बड़े-बड़े विद्वान् उत्पन्न किए। विक्रमशिला से जो विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करते थे, उन्हें ‘पण्डित’ की उपाधि प्रदान की जाती थी। यह उपाधि पालवंशी राजाओं द्वारा उन्हें दी जाती थी।

नालन्दा के समान विक्रमशिला में भी द्वारपण्डित होते थे। यहाँ द्वारपण्डितों की संख्या छः थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि विक्रमशिला के महाविहार में छः कालेज

या विद्यालय थे, और इनमें से प्रत्येक का द्वारपण्डित पृथक्-पृथक् होता था। तिब्बती लेखक तारानाथ ने लिखा है, कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वारपण्डित प्रजाकर-मति था। इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्नाकरशान्ति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वरकीर्ति, उत्तरी द्वार का नारोपन्त, प्रथम केन्द्रीय द्वार का रत्नबज्र और द्वितीय केन्द्रीय द्वार का द्वारपण्डित ज्ञानश्रीमित्र था। द्वार-पण्डित के पद पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों को नियत किया जाता था। प्रत्येक कालेज में शिक्षकों की संख्या १०८ रखी गई थी। इस प्रकार विक्रमशिला में शिक्षकों की कुल संख्या ६४८ थी। वहाँ कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नहीं किया। पर विक्रम-शिला का जो सभाभवन था, उसमें ८००० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। इससे सूचित होता है, कि इसके विद्यार्थियों की संख्या भी हजारों में थी। महाविहार के बाहर एक धर्मशाला भी बनायी गई थी, ताकि विद्यार्थी प्रविष्ट होने से पहले उसमें निवास कर सकें। महाविहार के चारों ओर एक प्राचीर थी, जैसी कि दुर्गों के चारों ओर हुंघ्रा करती थी।

विक्रमशिला में बौद्ध-साहित्य, वैदिक साहित्य और अन्य ज्ञान-विज्ञान की पढाई होती थी। पर यह महाविहार बौद्धों के वज्रयान सम्प्रदाय के ग्रन्थयन का सबसे प्रामाणिक केन्द्र था। इस युग के भारत में तन्त्र-विद्या का बहुत प्रचार हो गया था। बौद्ध और पौराणिक—दोनों धर्मों में तान्त्रिक साधना को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा था। तन्त्रवाद जो इस युग के धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण भाग बन गया, उसका श्रेय प्रधानतया इसी महाविहार को है।

विक्रमशिला में शिक्षा पाए हुए विद्यार्थियों में से अनेकों ने विद्वत्ता के क्षेत्र में बड़ी ख्याति प्राप्त की। इनमें रत्नबज्र, आचार्य रत्नकीर्ति, ज्ञानश्रीमित्र, रत्नाकर-शान्ति और दीपङ्कर अतीश के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अतीश को तिब्बत में बौद्ध-धर्म की पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया था, और उसने वहाँ उस व्यवस्था को कायम किया था, जो लामाप्रो की अधीनता में अब तक वहाँ विद्यमान है। रत्न-कीर्ति अतीश का गुरु था, और ज्ञानश्रीमित्र अतीश का उत्तराधिकारी था। अतीश के तिब्बत चले जाने के बाद ज्ञानश्रीमित्र ही विक्रमशिला महाविहार का प्रधान आचार्य बना था।

उड्यन्तपुर—नालन्दा और विक्रमशिला के समान ही पूर्व-मध्ययुग में एक अन्य महाविहार था, जिसे उड्यन्तपुर कहते थे। इसकी स्थापना पालवंश के प्रवर्तक व प्रथम राजा गोपाल द्वारा की गई थी। यह महाविहार उस स्थान पर विद्यमान था, जहाँ आजकल बिहार नामक नगरी है। सम्भवतः, उड्यन्तपुर के महाविहार के कारण ही इस नगर का नाम बिहार पड़ा, और बाद में सारे प्रान्त का नाम ही बिहार हो गया। गोपाल द्वारा स्थापित होने के बाद उड्यन्तपुर का महाविहार निरन्तर उन्नति करता गया। शुरू में नालन्दा की ख्याति के कारण इसकी बहुत प्रतिष्ठा नहीं हुई, और बाद में राजा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला में अन्य महाविहार की स्थापना हो जाने के कारण उड्यन्तपुर का विहार विशेष प्रसिद्ध नहीं रहा। पर बारहवीं सदी में यह शिक्षा का अच्छा बड़ा केन्द्र हो गया था, और इसमें भी हजारों आचार्य व विद्यार्थी निवास करते

थे। उड्यन्तपुर के विहार का उल्लेख इस काल के अनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध होता है।

११६६ ई० प० में जब मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने वर्तमान समय के विहार प्रान्त पर आक्रमण किया, तो वहाँ का राजा पालवंशी गोविन्दपाल था। उसकी शक्ति बहुत न्यून थी। मुहम्मद ने इस हमले में देखा, कि उड्यन्तपुर का विहार एक दुर्ग के समान है। उसने उसे घेर लिया और उस पर हमला किया। इस अवसर पर इस महाविहार के आचार्यों और विद्याधियों ने भी शस्त्र उठाये, और डटकर मुहम्मद की सेनाओं का मुकाबला किया। जब तक एक भी आचार्य व विद्यार्थी जीवित रहा, उन्होने उड्यन्तपुर पर अफगानों का अधिकार नहीं होने दिया। जब महाविहार के सब निवासी लडते-लडते मर गये, तब मुहम्मद का उस पर अधिकार हुआ। वहाँ के विशाल पुस्तकालय को मुहम्मद ने अग्नि के भेट कर दिया, और भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का यह विशाल भण्डार बात की बात में नष्ट हो गया। विक्रमगिरा के महाविहार का अन्त भी इस अफगान आक्रान्ता द्वारा ही हुआ था।

मध्य के इन महाविहारों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक विहार या महाविहार मध्य युग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। इनमें श्रीनगर (काश्मीर) के जयेन्द्र विहार और राजविहार, अनुपमपुर (काश्मीर) के रत्नगुप्त विहार और रत्नरश्मि विहार, बंगाल के सोमपुरी विहार और जगदल विहार तथा कौशाम्बी और काम्पिल्य के विहार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सब विहार बौद्धधर्म और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। मध्यकाल में ये फलती-फूलती दशा में रहे, और मुसलिम आक्रमणों के समय में ही नष्ट हुए। नालन्दा, विक्रमशिला आदि के अतिरिक्त मध्ययुग में वलभी (काठियावाड़ में) भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार नालन्दा के समान यह भी एक विद्याकेन्द्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था, और यहाँ भी दूर-दूर से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे।

मध्ययुग में भारत के विविध प्रदेशों में जो विभिन्न राजवंश शासन करते थे, उनके राजाओं ने भी अपनी राजधानियों में अनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये थे। इस काल के राजाओं ने विद्या और ज्ञान के प्रोत्साहन और सबर्धन में असाधारण तत्परता प्रदर्शित की। इनमें परमार राजा भोज का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। उसने अपनी राजधानी धारा में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके कारण विद्वानों और साहित्यिकों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। परमार वंश में केवल भोज ही नहीं, अपितु मुञ्ज, सिन्धुराज आदि अन्य राजा भी बड़े विद्यानुरागी थे। वे स्वयं भी सुकवि और विद्वान् थे। भोज द्वारा स्थापित महाविद्यालय चिरकाल तक स्थिर रहा, पर अन्त में उसे भी मुसलिम आक्रान्ताओं का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे गिराकर एक मसजिद का रूप प्रदान कर दिया गया। पर अब तक भी इस मसजिद में और इसके समीपवर्ती स्थानों पर अनेक ऐसे प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे इसका महाविद्यालय होना प्रमाणित होता है। यही राजा भोज का एक शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है, जिससे इसके मूल रूप के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

परमार वंशी भोज के समान चाहुमान (चौहान) वंशी राजा विग्रहराज चतुर्थ ने

भी अपनी राजधानी अजमेर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। अफगान आक्रान्ता साहाबुद्दीन गौरी ने इसे भी एक मसजिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। कन्नौज, मिथिला, उज्जयिनी, पँठन, मालखेड़, कल्याणी आदि में भी वहाँ के विविध राजाओं ने इसी प्रकार के महाविद्यालय स्थापित किये थे, जिनमें वेदशास्त्र, व्याकरण गणित, ज्योतिष, कला आदि की शिक्षा की व्यवस्था थी। इनका खर्च चलाने के लिए राजाओं की ओर से भरपूर सहायता दी जाती थी। अध्यापकों और विद्यार्थियों का सब व्यय राजकीय सहायता द्वारा ही चलता था।

राजाश्रय से चलने वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों के अतिरिक्त तीर्थ और मन्दिर भी मध्ययुग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। वाराणसी, काञ्ची आदि नगरियाँ हिन्दुओं की पवित्र तीर्थ थी, जहाँ बहुत-से पण्डित अध्ययन-अध्यापन के कार्य में व्यापृत रहा करते थे। बौद्धों के विहार व महाविहार शिक्षा का कार्य करते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। मध्ययुग में जब बौद्धधर्म का हास हुआ, और भागवत वैष्णव, शैव, शाक्त आदि सम्प्रदायों ने जोर पकड़ा, तो इन धर्मों के भी विशाल मन्दिर बनवाये गये। ये मन्दिर जहाँ हिन्दू धर्म और संस्कृति के केन्द्र थे, वहाँ साथ ही शिक्षा का कार्य भी इनमें किया जाता था। यद्यपि इनमें प्रधानतया वेदशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, पर गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि का भी इनमें अध्ययन होता था। मध्ययुग में प्रायः सभी मन्दिरों के साथ विद्यालय भी विद्यमान थे।

बड़े विद्यालयों या विद्यापीठों के अतिरिक्त नगरों और ग्रामों में भी बहुत-सी पाठशालाएँ विद्यमान थीं, जिनमें ब्राह्मण लोग अध्ययन-अध्यापन के कार्य में व्यापृत रहा करते थे। इन ब्राह्मण-पण्डितों के निर्वाह की व्यवस्था प्रायः स्थानीय लोगों द्वारा ही कर दी जाती थी। पर राजा लोग भी इनका खर्च चलाने के लिए इन्हे कतिपय भूमि प्रदान कर दिया करते थे, जिसे 'अग्रहार' कहते थे। इस भूमि से प्राप्त होने वाली आमदनी से ब्राह्मण-पण्डित निश्चिन्तता के साथ अपना निर्वाह कर सकते थे।

(१०) सामाजिक दशा

भारत में जाति-भेद का विकास किन परिस्थितियों में और किस प्रकार हुआ, इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मध्य युग में जाति-भेद ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया, कि विभिन्न जाति के लोगों में खान-पान और विवाह का सम्बन्ध होने में अनेक प्रकार की रुकावटें आने लगी। पर यह स्थिति एकदम व अकस्मात् उत्पन्न नहीं हो गयी, इसका विकास धीरे-धीरे हुआ। वर्तमान समय में सर्वण लोग शूद्रों के हाथ का बना भोजन खाना उचित नहीं समझते। पर प्राचीन समय में यह सिद्धान्त माना जाता था, कि 'शूद्र लोग भोजन बनाएँ, और धार्य लोग उसका सेवन करें।' मध्यकाल में भी शूद्रों के हाथ का भोजन करने में दोष नहीं माना जाता था। व्यासस्मृति के अनुसार दास, ग्वाले, नाई आदि के साथ भोजन करने में कोई हानि नहीं है। पर यह विचार इस युग में उत्पन्न हो गया था, कि शूद्र के साथ तभी भोजन-सम्बन्ध रखा जा सकता है, जब कि परम्परागत रूप से उससे वैत्री-सम्बन्ध हो। खान-पान के सख्त विवाह-सम्बन्ध के मामले में भी जातियों ने धीरे-धीरे संकीर्ण रूप धारण

किया। प्राचीन ससय में सवर्ण विवाह को श्रेष्ठ समझते हुए भी अनुलोम (उच्च वर्ण का अपने से निम्नवर्ण की स्त्री के साथ विवाह) विवाह को धर्मानुमोदित स्वीकार किया जाता था। कतिपय परिस्थितियों में प्रतिलोम विवाह भी विहित था। सातवीं सदी में महाकवि बाण ने पारशव नामक एक ब्राह्मण का उल्लेख किया है, जिसकी माता शूद्रा थी। पारशव के ब्राह्मण पिता ने शूद्र स्त्री से विवाह किया था, और उससे उत्पन्न पुत्र को ब्राह्मण ही माना गया था। बारहवीं सदी तक अनुलोम-विवाह असाधारण नहीं समझे जाते थे। उत्कीर्ण लेखों तक में उनका जिक्र आता है। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने क्षत्रिय (चौहान) कन्या अवन्तिमुन्दरी से विवाह किया था। तेरहवीं सदी में 'स्मृति-चन्द्रिका' ने इस प्रकार के विवाहों को कलिकाल के लिए निषिद्ध ठहराया, और बाद में हेमाद्रि, कमलाकर आदि ने यही बात प्रतिपादित की। परिणाम यह हुआ, कि धीरे-धीरे भारत में अन्य जाति में विवाह कर सकना सम्भव नहीं रह गया, और जाति-बन्धन बहुत अधिक दृढ़ हो गया।

जाति-भेद के अर्थाधिक कठोर हो जाने का ही यह परिणाम हुआ, कि जब मध्य-काल में तुर्क व अफगान आक्रान्ताओं ने प्राचीन युग के यवनों, शकों व हूणों के समान भारत में प्रवेश किया, तो भारत का समाज उन्हें आत्मसात् नहीं कर सका। जाति-भेद के कारण भारत में जो सकीर्ण मनोवृत्ति इस समय उत्पन्न हो गयी थी, उसे अलबखानी (दसवीं सदी का अन्त) ने इस प्रकार प्रगट किया है, "हिन्दुओं की कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ होती हैं। वे उन्हें म्लेच्छ और अपवित्र समझते हैं। वे उनके साथ खान-पान व विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है, कि ऐसा करने से हम भ्रष्ट हो जायेंगे।" प्राचीन समय में यवनों, शकों, कुशाणों व हूणों के प्रति भारतीयों की यह मनोवृत्ति नहीं थी। पर जाति-भेद के विकास के कारण अब दसवीं सदी में तुर्कों के प्रति भारतीयों की मनोवृत्ति बहुत बदल गयी थी, और उनके लिए यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे उन्हें अपने समाज का अंग बना सकें। पर यह दशा भी सर्वत्र एक समय में ही नहीं आ गयी थी। बारहवीं सदी के अन्तिम चरण में जब शहाबुद्दीन गौरी ने गुजरात में हार खाई, तो उसकी मुसलिम सेना का बड़ा भाग कैद हो गया। गुजरात के हिन्दुओं ने उन्हें आत्मसात् कर लिया। इसी प्रकार तेरहवीं सदी में जब अहोम जाति ने असम में प्रवेश किया, तो वह भी हिन्दू-समाज का अंग बन गयी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि मध्यकाल में हिन्दू-समाज में विदेशियों को आत्मसात् करने की शक्ति निरन्तर क्षीण होती जा रही थी, और धीरे-धीरे यह स्थिति आ गयी थी, कि उनके लिए अपने समाज के भी पतित हुए अंग को अपने में मिला सकना सम्भव नहीं रहा था।

मध्य युग में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कतिपय बातों का उल्लेख आवश्यक है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री सुशिक्षित महिला थी, और उसने दिवाकरमित्र नामक बौद्ध-पण्डित से धर्म की शिक्षा ली थी। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य (बारहवीं सदी) ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का ज्ञान देने के लिए 'लीलावती' नामक पुस्तक लिखी, जो संस्कृत में गणित-विषयक अनुपम पुस्तिका है। कवि राजशेखर की पत्नी अवन्तिमुन्दरी अच्छी विदुषी थी। उसने प्राकृत भाषा के एक

कोश का भी निर्माण किया था। मध्य युग में अनेक स्त्रियों ने संस्कृत-काव्यों की भी रचना की। इन्दुलेखा, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, मदालसा आदि कितनी ही कवियत्रियों की रचनाओं का आभास हमें इस युग के अलंकार ग्रन्थों द्वारा मिल जाता है, यद्यपि उनकी रचनाएँ इस समय उपलब्ध नहीं हैं। स्त्रियों में शिक्षा प्रचार होने पर भी समाज में उनकी स्थिति अब निरन्तर हीन होती जाती थी। विधवा-विवाह अब बुरा माना जाने लगा था, और सती प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था। हर्ष की माता विधवा होने पर सती हो गयी थी, और उसकी बहन राज्यश्री भी चितारोहण की तैयारी में थी, जब उसके भाई ने कर्तव्य-ज्ञान कराके उसे सती होने से रोक लिया। भारत के समाज में स्त्रियों की जो हीन स्थिति बाद में हो गयी, उसका प्रारम्भ इस युग में हो गया था।

जातिभेद के गुण और दोष—भारत में जाति-भेद का विकास विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय में इससे बहुत लाभ हुआ। एकतन्त्र सभ्राटों के शासनकाल में भी भारत में जाति, जनपद, श्रेणी और निगम आदि संगठनों के कारण जनता में आन्तरिक स्वतन्त्रता और 'स्वशासन' की परम्परा कायम रही। देश के राजसिंहासन पर किस वंश या किस धर्म का राजा विद्यमान है, वह धर्मात्मा या दुरात्मा है, इस बात का अमर प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनता पर विशेष नहीं पड़ता था। जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उन कानूनों व व्यवहारों से होता था, जिन्हें वे स्वयं अपनी श्रेणियों व निगमों में बनाते थे, या जो उनमें परम्परागत रूप में चले आते थे। प्राचीन भारत में शिल्पियों और व्यापारियों के संगठनों के समान ब्राह्मणों तक के संगठन (निगम) विद्यमान थे। इन संगठनों द्वारा उनकी स्वतन्त्रता पूर्णतया सुरक्षित थी। भारत में अब तक जातियों व विरादरियों की अपनी पचायने हैं, उनका अपना चरित्र व व्यवहार है। सामाजिक कानून भी उनके अपने-अपने हैं। क्रियारभक दृष्टि से वे ऐसे संगठन थे, जो राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से अपनी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता रखते थे।

जाति-भेद द्वारा भारत में यह भी प्रवृत्ति थी, कि प्रत्येक शिल्प कुछ विशेष कुलों में ही सुरक्षित रहे। पुत्र अपने पिता से शिल्प का ज्ञान प्राप्त करता था। कुमारावस्था के लोग अपनी ही जाति के किसी आचार्य से अन्तेवासी के रूप में शिल्प की विशेष शिक्षा प्राप्त करते थे। इसका परिणाम यह था, कि उन कुलों में शिल्प का विशेष ज्ञान विकसित होता रहता था। प्राचीन भारत में विद्या, विज्ञान, व्यापार, शिल्प आदि सभी क्षेत्रों में जो इतनी अधिक उन्नति हुई, उसका कुछ श्रेय इस जाति-भेद को भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसके कारण विभिन्न जातियाँ पृथक् क्षेत्रों में ही विकास व उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहती थीं। किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर सकना इस पद्धति द्वारा सम्भव हो जाता था।

पर जाति-भेद के अनेक कुपरिणाम भी हुए। इससे भारतवासियों में सकीर्णता की भावना विकसित हो गयी। ब्राह्मण लोग अन्य जातियों के लोगों के सम्पर्क में आना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझने लगे। विद्या और ज्ञान ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गये। इसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण शिल्पी व व्यवसायी शिक्षा से प्रायः वंचित हो गये। प्राचीन और मध्य कालों का भारतीय शिल्पी पाश्चात्य जगत्

के शिल्पी से किसी भी तरह कम नहीं था। पर आधुनिक युग में जब यूरोप का शिल्पी नये ज्ञान और विज्ञान की सहायता से अपने शिल्प की उन्नति करने लगा, तो भारत का शिल्पी अशिक्षित होने के कारण अपनी पुरानी दशा से धीरे नहीं बढ़ सका। ब्राह्मण के पास ज्ञान था, और शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों में किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं था। ब्राह्मण का ज्ञान अधिक-अधिक अक्रियात्मक होता गया, वह केवल सिद्धान्त की बातों में ही लगा रहा। क्रियात्मक जीवन से सम्बन्ध न होने के कारण भारत का ब्राह्मण अपने ज्ञान का कोई सांसारिक लाभ नहीं प्राप्त कर सका। विद्या के प्रकाश के अभाव में यहाँ का शिल्पी भी उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया।

जाति-भेद का अन्य कुपरिणाम इस देश में यह हुआ, कि यहाँ की जनता में एकता की भावना उत्पन्न नहीं हो पायी। सब देशवासी एक हैं, एक राष्ट्र व एक समाज के अंग हैं, यह विचार यहाँ पनपने नहीं पाया। अब तक भी भारत में राष्ट्रीय एकता की जो कमी है, उसका प्रधान उत्तरदायित्व हम जाति-भेद पर ही है।

इसी जाति-भेद के कारण भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग पददलित दशा में रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे उच्च वर्गों के लोग संख्या में कम थे। बहुसंख्यक जनता उन जातियों द्वारा निर्मित थी, जिन्हें ब्राह्मण लोग नीची दृष्टि से देखते थे। इन लोगों में अपनी हीनता की भावना विकसित हो गई, और यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत हानिकारक सिद्ध हुई।

(११) धर्म

बौद्ध धर्म—मौर्य साम्राज्य के पतन के अनन्तर शुंग वंश के शासनकाल में प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त सम्राटों के शासन में उसे बहुत बल मिला था। समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राट् 'परमभागवत' और 'परमवैष्णव' थे, और उनके समय में बौद्ध धर्म का ह्रास होकर वैष्णव और शैव धर्मों की बहुत उन्नति हुई। गुप्त काल के पश्चात् मध्ययुग में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, और तेरहवीं सदी के प्रारम्भ तक यह दशा आ गई, कि बौद्ध धर्म का भारत से लोप हो गया।

भारत से बौद्ध धर्म का अन्त मध्ययुग के अन्तिम भाग (तेरहवीं सदी के प्रारम्भ) में हुआ। यद्यपि गुप्त-काल में ही उसका ह्रास शुरू हो चुका था, पर मध्ययुग में वह भारत के प्रमुख धर्मों में से एक था। कन्नौज का प्रतापी सम्राट् हर्षवर्धन (सातवीं सदी) बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके राज्य में बौद्ध धर्म ने बहुत उन्नति की थी। पर सातवीं सदी में भारत के विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों में समन्वय की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी। यही कारण है कि हर्षवर्धन जैसा बौद्ध राजा भी अन्य धर्मों के आचार्यों को दानपुण्य का उपयुक्त पात्र मानता था। ह्युएनत्सांग के यात्रा विवरण के अनुसार सातवीं सदी में पश्चिमी भारत के बौद्ध भिक्षु आलसी, कर्त्तव्यविभूद और पतित हो गये थे। यही कारण है, जो सातवीं सदी में भी भारतीय जनता के हृदय में बौद्ध भिक्षुओं के प्रति वह श्रद्धा नहीं रह गई थी जो फाड़यान के समय में थी। वज्रयान के विकास के कारण बौद्ध भिक्षुओं में लोकहित-सम्पादन की वह भावना भी नहीं रही

थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म देश-विदेशों में सबत्र प्रसारित हुआ था। वज्रयान के अनुसार बुद्ध “वज्रगुरु” थे, जिन्हें अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं। उनके अनुयायियों का भी यही कर्त्तव्य है कि वे अपने गुरु के समान अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करें, और उनकी प्राप्ति के लिए गृह्य साधनों का प्रयोग करें। प्राणिमात्र के हित और मनुष्यों के कल्याण का जो उच्च ध्येय बुद्ध ने उपस्थित किया था, वह वज्रयान के विकास के अनन्तर बौद्धों की आँखों से धोझल हो गया था। मध्य युग में बौद्ध धर्म के ह्रास का यही प्रधान कारण था। सम्भवतः, हूणों के आक्रमणों ने भी बौद्ध धर्म के ह्रास में सहायता पहुँचाई। गुप्त वंश के शासन काल में हूणों के जो आक्रमण शुरू हुए थे, वे सातवीं सदी तक जारी रहे। सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी भारत इनसे आक्रान्त रहा। भारत में आकर हूण भी भारतीय हो गये थे, और उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया था। पर हूणों को शैव धर्म अपनी प्रकृति के अधिक अनुकूल प्रतीत हुआ। बौद्ध धर्म को उन्होंने नहीं अपनाया। मध्य युग के अनेक राजपूत वंशों का सम्बन्ध हूणों के साथ था। इन राजपूत राजाओं की बौद्ध धर्म के प्रति जरा भी आस्था नहीं थी। इसी कारण मध्ययुग में यह धर्म उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी भारत से संबंधा लुप्त हो गया था और इसके जो भी केन्द्र शेष रहे थे, वे प्रधानतया पूर्वी भारत में ही थे। इस युग में बौद्ध धर्म प्रायः उन्हीं प्रदेशों में रह गया था, जहाँ राजपूत राजवंशों के रूप में प्रकट हुई नई राजशक्ति का प्रभाव नहीं था।

बंगाल के पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके संरक्षण में पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म न केवल कायम रहा, अपितु वहाँ के अनेक बौद्ध विद्वान् व भिक्षु अपने धर्म के प्रचार के लिए अन्यत्र आते जाते भी रहे। पाल वंशी राजा महीपाल (६७५-१०२६ ई०) और उसका पुत्र नयपाल (१०२६-१०४१ ई०) बड़े प्रतापी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत प्रयत्न किया था, और बिहार और उसके समीपवर्ती प्रदेशों को भी अपने शासन में ले लिया था। उनके संरक्षण के कारण बिहार में स्थित नालंदा, उड्यन्तपुर और विक्रमशिला के महाबिहारों (विश्वविद्यालयों) की बहुत उन्नति हुई। पाल वंश का एक अन्य राजा राजपाल (१०७७-११२०) भी बौद्ध धर्म का परम सहायक था। इन राजाओं के शासन काल में बिहार के नालन्दा आदि महाबिहारों में अनेक ऐसे विद्वान् हुए, जिनका बौद्ध-धर्म के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके ज्ञान और विद्वत्ता से आकृष्ट होकर भारत भर से बौद्ध विद्यार्थी इन महाबिहारों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। केवल भारत से ही नहीं, अपितु चीन, तिब्बत आदि से भी बहुत-से भिक्षु इन महाबिहारों में आये और उन्होंने अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त किया। अनेक बौद्ध विद्वानों को भी इस युग में तिब्बत आदि विदेशों में धर्म के प्रचार व शिक्षा के लिए आमंत्रित किया गया।

विक्रमशिला और उड्यन्तपुर के महाबिहारों की स्थापना पाल वंश के राजाओं द्वारा की गई थी, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। पर इन राजाओं ने बंगाल में भी अनेक महाबिहारों की स्थापना की। राजा घर्मपाल (७६६-८०६ ई०) ने वारेन्द्र (राजाबाही जिले में) में सोमपुरी नामक एक महाबिहार का निर्माण कराया, जिसके

भवशेष पहाड़पुर नामक स्थान पर उपलब्ध हैं। सोमपुरी का यह महाबिहार ग्यारहवीं सदी तक बहुत उन्नत व समृद्ध दशा में रहा। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् प्रतीश दीपङ्कर ने यही रह कर अनेक ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। ग्यारहवीं सदी में जब राजा रामपाल (९७५-१०२६) ने जगद्गल में एक नये महाबिहार की स्थापना कर दी, तब सोमपुरी के महाबिहार का महत्त्व कम हो गया। विभूतिचन्द्र, दानशील, मोक्षाकर गुप्त, शुभाकर गुप्त आदि कितने ही विद्वान् जगद्गल में हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म पर अनेक दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की। सोमपुरी और जगद्गल के प्रतिरिक्त देवीकोट और पण्डित बिहार नाम के दो अन्य बिहार भी पाल वशी राजाओं द्वारा बंगाल में स्थापित किये गये। इन महाबिहारों के कारण मध्ययुग में बौद्ध धर्म बंगाल में फलता फूलता रहा।

यद्यपि पालवंशी राजाओं के शासन काल में पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म ने अच्छी उन्नति की, पर इस युग में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में यह शक्ति नहीं रह गई थी, कि वे शंकर, रामानुज आदि के मुकाबले में अपने धर्म का प्रभाव जनता पर स्थिर रख सकते। इसी कारण अब बौद्ध धर्म कतिपय ऐसे महाबिहारों में ही केन्द्रित रह गया था, जिन्हें राजाओं की उदारता के कारण अपार धन-सम्पत्ति प्राप्त थी, और जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। जब ये महाबिहार मुस्लिम आक्रान्ताओं के कोपभाजन बने, तो बौद्ध पण्डितों और भिक्षुओं के लिए केवल यह मार्ग रह गया कि वे नेपाल, तिब्बत आदि जाकर आश्रय प्राप्त करें।

बिहार-बंगाल के समान काश्मीर भी मध्ययुग में बौद्ध धर्म का केन्द्र था। वहाँ जयेन्द्र-बिहार (श्रीनगर में) और राजबिहार (परिहासपुर में) नामक दो महाबिहार थे, जो बौद्ध धर्म और शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ग्यारहवीं सदी में इनका महत्त्व कम हो गया, और इनका स्थान रत्नगुप्त बिहार और रत्नश्री बिहार नामक बिहारों ने ले लिया, जो अनुपमपुर नामक नगर में स्थित थे। बारहवीं सदी तक ये दोनों बिहार काश्मीर में बौद्ध धर्म और शिक्षा के प्रधान केन्द्र रहे। दूर-दूर से बहुत-से विद्यार्थी इन महाबिहारों में भी बौद्ध धर्म के अनुशीलन और अध्ययन के लिए आते रहे, और यहाँ के अनेक विद्वान् चीन, तिब्बत, मध्य एशिया आदि में धर्म प्रचार के लिए जाते रहे। ९८० ई० में चीन के सम्राट् ने काश्मीर से दो भ्रमणों को अपने देश में इस प्रयोजन से आमन्त्रित किया, कि वे बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करें। इसी प्रकार १००५ ई० में एक अन्य काश्मीरी भ्रमण को चीन आमन्त्रित किया गया। वह न केवल बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों को चीन ले गया, अपितु बौद्ध वृक्ष की एक शाखा को भी चीन में आरोपित करने के लिए अपने साथ ले गया। इसी प्रकार तिब्बत, मध्य एशिया आदि में भी अनेक काश्मीरी भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गये। मध्य युग के काश्मीरी विद्वानों में ज्ञानश्रीमित्र, ब्रह्मश्रीजान, सर्वज्ञश्रीरक्षित, शाक्यश्रीभद्र, भव्यराज और शंकरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके ग्रन्थों का बौद्ध साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भारत के मध्यदेश और दक्षिणी भारत में इस काल में कोई ऐसा प्रदेश नहीं था, जिसे बौद्ध धर्म का केन्द्र कहा जा सके। इन प्रदेशों पर गुर्जरप्रतिहार, चन्देल,

गहड़वाल आदि जिन वंशों ने मध्यकाल में शासन किया, वे बौद्धधर्म के अनुयायी नहीं थे। जनता पर से भी इस काल में बौद्धधर्म के प्रभाव में न्यूनता आ गई थी। पर अब भी मध्यदेश में अनेक ऐसे स्थान थे, जहाँ बौद्ध धर्म बसी-भाँति फल-फूल रहा था। सारनाथ मध्यकाल में भी बौद्धधर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। पालवंशी राजा महोपाल (६७५-१०२६) का एक शिलालेख सारनाथ में मिला है, जिसमें इस राजा द्वारा वहाँ के प्राचीन विहारों व स्तूपों के पुनरुद्धार का उल्लेख है। सारनाथ के समान कौशाम्बी में भी बौद्धधर्म का अच्छा प्रचार था। वहाँ के एक निवासी बालादित्य ने ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ में नालन्दा महाविहार (जो अग्नि द्वारा भस्मसात् हो गया था) का जीर्णोद्धार कराया था। पर इन कतिपय अपवादों के अतिरिक्त मध्ययुग में बौद्धधर्म की सत्ता के कोई प्रमाण मध्यदेश और दक्षिणी भारत से प्राप्त नहीं होते। वस्तुतः, शैव और वैष्णव धर्मों के प्रसार के कारण इस युग में बौद्ध धर्म निरन्तर क्षीण होता जा रहा था, और शून्य शून्य: उसका अन्त हो गया था।

जैन धर्म—गुजरात और राजपूताना मध्ययुग में जैन धर्म के प्रधान केन्द्र थे। गुर्जर-प्रतीहारों की शक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये थे, उनमें से एक अन्हिलवाडा के चालुक्यों का भी था। इस 'चालुक्य' राजवंश का संस्थापक मूलराज था, जिसने ६५१ ईस्वी में अन्हिलवाडा को राजधानी बना कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। गुजरात और दक्षिणी राजपूताना के प्रदेश इस राज्य के अन्तर्गत थे। मूलराज जैन धर्म का अनुयायी था और उसने अपनी राजधानी अन्हिलवाडा में मूलवस्तिका नाम से एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। मूलराज के बरा में राजा भीम (१०२१-१०६३) बहुत प्रसिद्ध हुआ। जिस विमलशाह ने ब्राह्म पर्वत पर भगवान् आदिनाथ के प्रसिद्ध जैन मन्दिर का निर्माण कराया था, वह भीम का ही अन्यतम मन्त्री था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में इसी अध्याय में आगे चलकर विस्तार के साथ लिखा जायेगा। अन्हिलवाडा के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज (१०६३-११४३) और कुमारपाल (११४३-११७१) जैन धर्म के संरक्षक और जैन विद्वानों के आश्रयदाता थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र (१०८८-११७२) कुमारपाल का समकालीन था, और उसकी प्रेरणा से इस चालुक्य राजा ने अपने राज्य में बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। न केवल राजा अपितु गुजरात की जनता भी इस युग में जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रखती थी। काठियावाड में शत्रुञ्जय, गिरनार आदि स्थानों पर जो बहुत-से जैन मन्दिर इस समय विद्यमान हैं, उनका निर्माण चालुक्य राजवंश के शासन काल में ही हुआ था।

अन्हिलवाडा के चालुक्यों के समान कल्याणी (दक्षिणापथ) के चालुक्य और द्वारसमुद्र के होयसाल राजा भी जैन धर्म के संरक्षक थे। चालुक्य राजा सत्याश्रय (६६७ ई०) ने प्रसिद्ध जैन आचार्य विमलचन्द्र पण्डितदेव को गुरु धारण किया था, और वह उसी के पथप्रदर्शन में अपने शासन कार्य का संचालन करता था। सत्याश्रय और उसके उत्तराधिकारियों ने जैन विद्वानों और जैन मन्दिरों को बहुत-सी जागीरें प्रदान की थीं। होयसाल वंश के राजा भी जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। अनेक शिलालेखों में इन राजाओं द्वारा जैन मन्दिरों को दिये गये दान-मुण्य का उल्लेख

मिलता है। इसमें सन्देह नहीं, कि गुजरात, दक्षिणी राजपूताना और माहसूर के प्रदेशों में मध्य काल में जैन धर्म अच्छी उन्नत दशा में था।

वैष्णव धर्म—भागवत वैष्णव धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। गुप्त सम्राटों के शासन काल में इस धर्म की बहुत उन्नति हुई थी, और उस ने भारत के प्रमुख धर्म का स्थान प्राप्त कर लिया था। मध्य युग में जहाँ वैष्णव धर्म का और अधिक प्रसार हुआ, वहाँ साथ ही उसके मन्तव्यों में भी अनेक परिवर्तन हुए। यह धर्म भक्तिमार्ग का पोषक था। कर्मकाण्ड और अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति और उपासना को इसमें अधिक महत्त्व दिया जाता था। शुंग-काल में ही इस प्रकार के मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था, जिनमें वामुदेव कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती थी। पर मध्य युग में भागवत धर्म की सीधी और सरल भक्ति ब्राह्मणयुक्त होने लगी। मन्दिरों में स्थापित मूर्तियों के साज-शृंगार को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा, और उपास्य देव को सन्तुष्ट करने के लिए नाचने और गाने की प्रथा भी शुरू हुई। अब मन्दिरों में स्थापित मूर्तियाँ केवल उपलक्षण व प्रतीक मात्र ही नहीं रह गईं, अपितु उन्हें जीवित जागृत देवता मानकर उनको स्नान, भोग, साज-शृंगार, वस्त्र आदि द्वारा सन्तुष्ट करने की प्रथा का भी प्रारम्भ हुआ। कृष्ण के सम्बन्ध में जो अनेक प्रकार की गाथाएँ इस समय भारत में प्रचलित हैं, जैसे गोपियों के साथ उनकी क्रीड़ाएँ, राधा का कृष्ण के साथ सम्बन्ध—उन सब का विकास भी इसी युग में हुआ। भागवत पुराण को मध्य युग (दसवीं सदी) की ही कृति माना जाता है। भागवत में कृष्ण के जीवनचरित्र का जिस ढंग से वर्णन किया गया है, वह महाभारत में विद्यमान कृष्ण की कथा से बहुत भिन्नता रखता है। कृष्ण की जिस प्रकार की लीलाओं का वर्णन भागवत व ब्रह्मवैवर्त पुराणों में उपलब्ध है, उसका विकास मध्य युग में ही हुआ था। इसके कारण वैष्णव धर्म ने एक ऐसा रूप इस काल में प्राप्त कर लिया था, जो कि पुराने भागवत वैष्णव धर्म से बहुत भिन्न था। कृष्ण और राधा के प्रेम को लेकर कवि जयदेव ने गीतगोविन्द नाम का जो काव्य लिखा था, वह वैष्णव धर्म की इस युग की प्रवृत्तियों का परिचायक है। जयदेव राजा लक्ष्मणसेन (बारहवीं सदी) के समय में हुए थे, और उन्हें सेन वंश के इस राजा का आश्रय प्राप्त था।

वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिणी भारत के आचार्यों और सन्तों ने विशेष रूप से कार्य किया। इन सन्तों को “आलवार” कहते थे। इन्होंने भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए बहुत-से गीतों का निर्माण किया, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। दक्षिण के वैष्णवों की दृष्टि में इन गीतों का माहात्म्य वैदिक सूक्तों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। सर्वसाधारण जनता के लिए कठोर तपस्या और याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति मार्ग का अनुसरण करना अधिक सुगम है। सर्वगुणसम्पन्न उपास्य देव को भक्ति द्वारा सन्तुष्ट कर अभिलषित फल प्राप्त कर लेने का विचार जनता को बहुत अपील करता है। इसीलिए आलवार सन्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति-धारा जनता में बहुत लोकप्रिय हुई।

पर वैष्णव सन्तों के भक्ति आन्दोलन को दो प्रबल विरोधियों का सामना

करना पडा। कुमारिल भट्ट ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के पक्ष में बहुत प्रबलता के साथ आवाज उठाई, और यह प्रतिपादित किया कि याज्ञिक अनुष्ठान ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के एकमात्र साधन है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया कि सत्य सत्ता केवल ब्रह्म है, और जीव तथा प्रकृति की कोई पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं। जगत् मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, यह ज्ञान ही मोक्षप्राप्ति का एक मात्र साधन है। जिस प्रकार हजारों साल पुराना धोर अंधकार दीपक के प्रकाश से क्षण भर में दूर हो जाता है, वैसे ही सत्य के ज्ञान द्वारा देर से चला आया अज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्म और जीव में अभेद है, तो भक्ति से कोई लाभ नहीं। शंकराचार्य के अगाध पांडित्य और विलक्षण कर्तृत्व के कारण वैष्णवों के भक्ति आन्दोलन को बहुत आघात लगा। इसीलिए दक्षिणी भारत में अनेक ऐसे आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने दार्शनिकरीति से जीव और ब्रह्म की पृथक् सत्ता को सिद्ध कर वैष्णव धर्म का पक्षपोषण किया। इन आचार्यों का प्रयत्न था कि भक्ति-मार्ग और भागवत वैष्णव धर्म को सुदृढ़ दार्शनिक आधार पर स्थापित कर उसे पुष्ट करें।

इस प्रकार के आचार्यों में सर्वप्रथम नाथमुनि या रंगनाथाचार्य थे। वह दक्षिण आरकोट जिले के वीरनारायणपुर के निवासी थे, और उनका समय दसवीं सदी में माना जाता है। नाथमुनि ने न्यायतत्त्व आदि अनेक ग्रन्थ लिखकर जहाँ वैष्णव सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या की, वहाँ साथ ही आलवार सन्तों के गीतों को एकत्र कर उन्हें रागबद्ध भी किया, और वैष्णव मन्दिरों में उनके गायन की व्यवस्था की। नाथमुनि द्वारा वैष्णव धर्म के उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'श्रीवैष्णव' कहा जाता है। कुमारिल भट्ट और मन्डन मिश्र जैसे मीमांसकों ने जिस ढंग से याज्ञिक अनुष्ठानों को मोक्ष के साधन के रूप में प्रतिपादित किया था, नाथमुनि ने उसका खण्डन किया। नाथमुनि की शिष्य परम्परा में पुंडरीकाक्ष और राममिश्र नामक आचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनके पश्चात् यमुनाचार्य (नाथमुनि के पौत्र) वैष्णवों के प्रधान आचार्य बने। उन्होंने सिद्धित्रय, आगम-प्रामाण्य, गीतार्थसंग्रह आदि अनेक ग्रन्थों की रचना कर उस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो दर्शन साहित्य में 'विशिष्टाद्वैत' नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के मूल प्रवर्तक यमुनाचार्य ही थे। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया, कि भक्तियोग के सम्मूल ज्ञानयोग और कर्मयोग की स्थिति कोई पहत्त्व नहीं रखती।

यमुनाचार्य के पश्चात् रामानुज (जन्म वर्ष १०१६) हुए, जो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार जीव ब्रह्म का एक विशिष्ट रूप है, जो ब्रह्म से भिन्न है। अपने विशिष्ट रूप में ब्रह्म से पृथक् होने के कारण जीवात्मा के लिए यह सम्भव है, कि वह भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सके। अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए रामानुज ने वेदान्त सार, वेदान्त संग्रह, वेदान्तदीप आदि अनेक ग्रन्थ लिखे, और ब्रह्म सूत्रों तथा भगवद्गीता के भाष्य भी किये। रामानुज की शिष्य-परम्परा में विष्णुचित्त, वरदाचार्य, वैष्णुनाथ आदि अनेक आचार्य हुए, जिन्होंने अपने गुरु के मन्तव्यों को तर्कपूर्वक समर्थित किया।

शैववैष्णव सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य भी अनेक सम्प्रदायों का वैष्णव धर्म में विकास हुआ। इनमें निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय उल्लेखनीय हैं। निम्बार्काचार्य का समय बारहवीं सदी में माना जाता है। वह तेलगू ब्राह्मण थे, पर उनका जीवन प्रधानतया वृन्दावन में व्यतीत हुआ था। उन्होंने भक्ति मार्ग पर बहुत जोर दिया, और यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य को उसी ढंग से भगवान् की भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि राधा और अन्य गोपियाँ कृष्ण के प्रति भक्ति व प्रेम रखती थीं। उनके मत में जीव और जगत् ब्रह्म से भिन्न भी है, और अभिन्न भी। वे अभिन्न इस कारण हैं, क्योंकि वे अपनी सत्ता के लिए पूर्णतया ब्रह्म पर निर्भर होते हैं।

तेरहवीं सदी में मध्वाचार्य हुए, जो दक्षिण कनारा जिले में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने जीव को ब्रह्म से सर्वथा भिन्न मानते हुए 'द्वैतवाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। वह जीव और जगत् को ब्रह्म से पृथक् मानते थे और यह प्रतिपादित करते थे कि ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। मध्वाचार्य ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि में ३७ ग्रन्थ लिखे, जिनमें ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर किये गए उनके भाष्य सर्वप्रधान हैं। अपने मत का प्रचार करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण भी किया।

नाथमुनि, यमुनाचार्य, निम्बार्क और मध्वाचार्य के प्रयत्न से वैष्णवों को वह दार्शनिक आधार प्राप्त हो गया, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब जीव ब्रह्म से विशिष्ट या भिन्न है, तो उसके लिए भक्ति ही मोक्ष साधन का सर्वोत्तम मार्ग है। भारत में सर्वत्र इस मत का प्रचार हुआ और बहुत-से लोग वैष्णव मन्दिरों में भगवान् की मूर्ति की पूजा और भक्ति के लिए प्रवृत्त हुए।

शैव धर्म—सकुनीश द्वारा किस प्रकार शैव धर्म का प्रारम्भ किया गया था, इस विषय पर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। छठी सदी तक शैव धर्म का भारत में पर्याप्त प्रचार हो चुका था, और कालिदास, भवभूति, सुबन्धु और बाणभट्ट जैसे कवि व साहित्यिक शिव के उपासकों में गिने जा सकते थे। भारत से बाहर कम्बुज आदि देशों में भी इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ, और दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र के बृहन्नर भारत के अनेक प्रदेशों के लोग इसके अनुयायी हुए।

मध्ययुग में शैव धर्म ही उत्तरी भारत का प्रधान धर्म था। राजपूत वंशों के रूप में जो नई राजशक्तियाँ उत्तरी भारत में प्रगट हुई थी, उनके प्रायः सभी राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुर्जरप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चन्देल, परमार आदि राजवंशों के राजा प्रायः इसी धर्म को मानने वाले थे। इस कारण इस युग में बहुत-से शैव मन्दिरों का निर्माण हुआ। दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण के भी बहुत-से राजा शैव थे। पूर्वी चालुक्य, पूर्वी गंग, काकतीय, चोल, कलचूरि आदि राजवंशों के बहुसंख्यक राजा भी इसी धर्म को मानने वाले थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्ययुग में शैव धर्म का भारत में बहुत अधिक प्रचार था, और इसे ही हम इस युग का प्रधान धर्म समझ सकते हैं। पर सम्पूर्ण भारत में शैव धर्म का स्वरूप एक सच्च नहीं था। जिस प्रकार वैष्णव धर्म में विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि अनेक सम्प्रदाय थे, वैसे ही शैव धर्म में भी

ये। शैव धर्म का एक रूप काश्मीर में था, जो त्रिक, स्पन्द और प्रत्यभिज्ञा नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक वसुगुप्त को माना जाता है, जिसके द्वारा 'शिव-सूत्र' प्रकाश में आये थे। यह शिवसूत्र ही काश्मीर के शैव सम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ था। इस सम्प्रदाय के अनुसार संसार की परम सत्ता शिव है, जो सृष्टि का न केवल निमित्त कारण है, अपितु उपादान कारण भी है। इस दृष्टि से यह शैव मत वेदान्त के अद्वैतवाद से मिलता जुलता है, यद्यपि शैव दार्शनिक संसार को मिथ्या व माया न मानकर यथार्थ रूप से स्वीकार करते हैं। मध्ययुग में काश्मीर के निवासी प्रधानतया शैव धर्म के ही अनुयायी थे, यद्यपि वहाँ बौद्ध धर्म की भी सत्ता थी।

भारत में शैव धर्म के प्रचार में शंकराचार्य ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उनका जन्म ७८८ ईस्वी में केरल देश में हुआ था। वेदान्त के अद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर शंकराचार्य केवल दार्शनिक ही नहीं थे, अपितु शैव धर्म के एक प्रमुख आचार्य भी थे। उन्होंने शिव की मूर्ति में प्रनेक स्तोत्रों की भी रचना की थी। अपने धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत में दूर-दूर तक यात्राएँ की, और अन्य सम्प्रदायों के आचार्यों व पण्डितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर शैव धर्म तथा वेदान्त की उत्कृष्टता प्रतिपादित की। शंकर की इस दिग्विजय का 'शंकरदिग्विजय' नामक महाकाव्य में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। शंकराचार्य बहुत कम समय तक जीवित रहे। युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। पर स्वल्पायु में ही उन्होंने अद्वैत सिद्धान्त और शैव धर्म के लिए जो कार्य कर दिखाया, वह वस्तुतः अद्भुत है। उनके प्रचार का ही यह परिणाम हुआ, कि बौद्ध धर्म के बहुत-से विद्वान् पण्डित उनसे शास्त्रार्थ में परास्त होकर मत्स्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हो गये, और सर्वसाधारण जनता पर बौद्धों के पाण्डित्य का जो सिकका जमा हुआ था उसका अन्त हो गया। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना की, जिनमें अब तक भी उनकी शिष्य-परम्परा विद्यमान है। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, और उनके शिष्य उन्हें भगवान् शिव का अवतार मानते थे, पर उन्होंने जिन विचारसरणी का प्रतिपादन किया, समन्वय उसका मूल तत्त्व था। पारमार्थिक दृष्टि से जगत् को मिथ्या मानते हुए भी वह व्यवहार में उसकी सत्ता को स्वीकार करते थे, और यह भी प्रतिपादित करते थे कि सब के लिए मोक्षप्राप्ति का एक ही मार्ग सम्भव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसरण कर सकता है। इसी को स्मार्त भावना कहा जाता है, और इसी के कारण शंकराचार्य विविध हिन्दू सम्प्रदायों में एक प्रकार का सामञ्जस्य स्थापित कर सकने में समर्थ हुए थे। सब कोई उन्हें जगद्गुरु मानने थे, और उन द्वारा स्थापित चारों मठों के मठाधीश अब तक भी 'जगद्गुरु शंकराचार्य' कहाते हैं।

मध्ययुग में बहुत-से शिव-मन्दिरों का निर्माण हुआ। इनमें भगवान् शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियाँ अनेक प्रकार की हैं। शिव के अनेक रूप हैं। वह जगत् का पालन करने वाला है, और अपने भक्तों पर अनुग्रह भी करता है। यह शिव का सौम्य रूप है। शिव सृष्टि का संहार भी करता है। यह उसका उग्र या रौद्र रूप है। वह अनेकविध शिल्पों व विद्याओं का प्रवक्ता भी है। वह उमा या पार्वती का

पति भी है। कृष्ण के समान शिव के सम्बन्ध में भी अनेक कथाएँ पुराणों में विद्यमान हैं। इन सबको लेकर भगवान् शिव की अनेकविध मूर्तियाँ बनायी गईं, और उन्हें शिव-मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया गया। इन मूर्तियों का विशद वर्णन कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है। पर शिव की सौम्य, उग्र, नटराज आदि रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियाँ मध्ययुग में बनायी गईं, और उनके जीवन की विविध कथाओं को लेकर उन्हें शिलालेखों पर उत्कीर्ण किया गया। बाद में जब तन्त्रवाद का शैव धर्म में प्रवेश हुआ तब शिवलिंग भी मन्दिरों में स्थापित किये गए। वर्तमान समय में भारत में जो शैव मन्दिर हैं, उनमें प्रायः शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। यह लिंग सृष्टि के उस तत्त्व को सूचित करता है, जिससे सम्पूर्ण चर जगत् का प्रादुर्भाव होता है।

शैव धर्म में भी अनेक सम्प्रदाय विकसित हुए। इनमें लिंगायत (वीर शैव), शैव-सिद्धान्त और शिवाद्वैत प्रधान है। वीर शैव सम्प्रदाय के प्रवर्तक पाँच आचार्य थे, जिनके नाम रेणुक, दाहक, षण्टाकर्ण, धनुकर्ण और विश्वकर्ण थे। ये ही पञ्चाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने केदार (हिमालय में), उज्जयिनी, श्रीशैलम्, रम्भापुरी और वाराणसी में पाँच मठों की स्थापना की, जिन द्वारा लिंगायत सिद्धान्त का भारत में सर्वत्र प्रचार हुआ। इस सम्प्रदाय के इतिहास में वासव का महत्वपूर्ण स्थान है। वासव कलचूर बंस के प्रतापी राजा विज्जल (११५६—११६८) का प्रधानमन्त्री था। दक्षिणपथ में वीर शैव या लिंगायत सम्प्रदाय के प्रचार के लिए उसने बहुत काम किया। इस सम्प्रदाय के अनुयायी जहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहाँ शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार शिव का स्वरूप मत् चित् और आनन्द है, शक्ति शिव में अभिन्न है, और जीव शिव का ही एक अंग है।

शैव-सिद्धान्त सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सुदूर दक्षिण के तमिल प्रदेशों में हुआ। इसके प्रवर्तकों में माणिकवाचकर, अप्पर, सम्बन्धर और सुन्दर रावप्रधान हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी जगत् और जीव की पृथक् सत्ता स्वीकार करते हैं, और शिव को चराचर जगत् का स्वामी मानते हैं। शिवाद्वैत सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीकण्ठ थे, जो रामानुजाचार्य के समकालीन थे। उनके सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म जगत् का न केवल निमित्त कारण है, अपितु उपादान कारण भी है। शिव की शक्ति ही जगत् के रूप में अभिव्यक्त होती है। ब्रह्म और शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक हैं।

जिस प्रकार बौद्धों में वज्रयान सम्प्रदाय प्रकट हुआ, वैसे ही शैवों में पाशुपत और कापालिक सम्प्रदाय विकसित हुए। वज्रयान के समान शैव धर्म के ये दोनों सम्प्रदाय भी सिद्धियों में विश्वास रखते थे, और सिद्ध होने के लिए अनेक गुह्य व रहस्यमय अनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे। सातवीं सदी में जब ह्यूएन्त्सांग भारत यात्रा के लिए आया, तो बिलोचिस्तान के प्रदेश में पाशुपत सम्प्रदाय की सत्ता थी। काशी में महेश्वर शिव की एक ताम्रमूर्ति प्रतिष्ठापित थी, जो ऊँचाई में सौ फीट के लगभग थी। उस समय काशी पाशुपत-धर्म का मुख्य केन्द्र था और वहाँ बहुत-से मन्दिरों में पाशुपति शिव की पूजा होती थी। वज्रयानी बौद्धों के समान पाशुपत लोग भी यह मानते थे कि साधक को जान बूझ कर वे सब कार्य करने चाहियें, जिन्हें लोग निन्दनीय समझते हैं, ताकि साधक कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से ऊँचा उठ सके।

कापालिक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्रौर भी अधिक उग्र व भद्रभुत उपायों का अवलम्बन करते थे। नरमुण्ड के बने कपाल-पात्र में भोजन करना, शव की भस्म को शरीर पर रमाना, निरन्तर मदिरा का पान करना श्रौर उसी में प्रतिष्ठित महेश्वर की पूजा करना वे गुह्य सिद्धियों की प्राप्ति का साधन मानते थे। मरैव श्रौर उसकी पत्नी चण्डिका इस सम्प्रदाय के प्रमुख उपास्य देव थे। मध्य युग में इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, पर इसने कभी शैव धर्म के प्रमुख सम्प्रदाय की स्थिति प्राप्त नहीं की। आदि-शंकराचार्य ने इसके विरुद्ध आवाज उठायी थी, श्रौर शैव व वैष्णव धर्मों के अन्य आचार्यों के प्रयत्न से यह सम्प्रदाय पौराणिक हिन्दू धर्म में वह महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका, जो कि बौद्धों में वज्रयान ने प्राप्त कर लिया था। यही कारण है, कि जनता में प्रचलित शैव सम्प्रदायों के रूप बहुत उत्कृष्ट प्रकार के थे। काश्मीर का शैव सम्प्रदाय तन्त्र-मन्त्र श्रौर गुह्य सिद्धियों को महत्त्व न दे कर जप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि पर बल देता था। उत्तरी भारत के विविध राज्यों, दक्षिणापथ श्रौर सुदूर दक्षिण में प्रचलित शैव धर्म का रूप भी ऐसा ही उदात्त था।

शाक्त सम्प्रदाय—वैष्णव श्रौर शैव धर्मों के समान शाक्त सम्प्रदाय का भी मध्य युग में प्रसार हुआ। सृष्टि की सबसे भद्रभुत श्रौर रहस्यमयी शक्ति वह है, जो उत्पादन या प्रजनन करती है। इसी आदि शक्ति की उपासना के लिए शाक्तों ने अनेक प्रकार की गुह्य साधनाओं का प्रतिपादन किया, जिनमें बलि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शाक्त सम्प्रदाय बौद्धों के वज्रयान के समान ही तन्त्र-मन्त्र श्रौर गुह्य क्रियाओं में विश्वास रखता है, श्रौर शब्द जाल के आडम्बर से ऐसी क्रियाओं को भी प्रोत्साहित करता है, जिन्हें नैतिकता के प्रतिकूल समझा जा सकता है।

पर शाक्त सम्प्रदाय के सभी अनुयायी उन गुह्य क्रियाओं में विश्वास नहीं करते, जिनमें तन्त्र-मन्त्र एवं नैतिकता के विपरीत अनुष्ठानों का अनुसरण किया जाता है। शिव की शक्ति के रूप में जिस उमा या पार्वती की सत्ता पर शैव लोग विश्वास करते थे, धीरे-धीरे उसका महत्त्व बढ़ता गया श्रौर लोग यह मानने लगे कि संसार की सृष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय का मूल कारण यह शक्ति ही है। इसीलिए शक्ति की एक पृथक् देवी के रूप में पूजा प्रारम्भ हुई। धर्माचार्यों ने अनेक रूपों में इस शक्तिरूप देवी की कल्पना की। क्योंकि विवाह से पूर्व उमा कुमारी थी, अतः कन्या या कुमारी के रूप में उसकी पूजा की जाने लगी। जहाँ शिव का एक कल्याणकारी रूप है, वहाँ सृष्टि का संहार भी वही करता है। शिव के इस मरैव रूप की शक्ति भवानी कहायी, श्रौर महिषा-सुरमदिनी, सिंहवाहिनी, दुर्गा, चामुण्डा, काली, कराली आदि रूपों में उसकी कल्पना की गई। इस प्रकार शक्ति की देवी रूप से कल्पना कर उसके माहात्म्य में देवीपुराण, दुर्गासप्तशती आदि अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया गया, श्रौर देवी के विभिन्न रूपों की पूजा के लिए विविध पूजाविधियों का विकास हुआ। जो देवी दुर्गा के रूप में महिषा-सुर जैसे असुरों का संहार करती है, सिंह जिसका वाहन है, जिसके हाथों में सङ्ग सद्यः अनेक अस्त्र रहते हैं, उसकी पूजा के लिए यदि पशुबलि का भी प्रारम्भ हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मध्य युग में शाक्त सम्प्रदाय बहुत विकसित दशा में था, श्रौर देश के विभिन्न स्थानों पर देवी के बहुत-से मन्दिर स्थापित किये गए थे, जिनमें

विविध ढंग से उसकी पूजा की जाती थी। शाक्त लोग विश्व की मूल या 'ब्रह्मा' शक्ति की उपासना करते हैं, और यह मानते हैं कि दुर्गा, चामुण्डा, त्रिपुरसुन्दरी आदि सब देवियाँ इसी 'ब्रह्मा' शक्ति के विभिन्न रूप हैं। शक्ति की यह पूजा विविध ग्रन्थ रूपों में ग्रन्थ सम्प्रदायों में भी पायी जाती है। वैष्णव लोग लक्ष्मी, सीता, राधा आदि के रूप में और बौद्ध लोग तारा आदि के रूप में जिन देवियों की पूजा करते हैं, वे भी शक्ति के ही विविध रूप हैं। पर शाक्त सम्प्रदाय में शक्ति की पूजा का ही प्रमुख स्थान है।

(१२) मध्य युग की कला

गुप्त वंश के शासन काल तक के वास्तु-कला सम्बन्धी जो अवशेष इस समय उपलब्ध हैं, उनका परिचय इस इतिहास में यथास्थान दिया जा चुका है। अब हम मध्यकाल की कला पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे। कला की दृष्टि से मध्ययुग का बहुत महत्त्व है। इस युग की वास्तुकला प्रधानतया बड़े-बड़े मन्दिरों के निर्माण के रूप में प्रगट हुई थी। इसके दो कारण थे—पौराणिक धर्म ने जो नया रूप इस काल में प्राप्त कर लिया था, उसमें मन्दिरों और उनमें प्रतिस्थापित की जाने वाली मूर्तियों का बहुत महत्त्व था। आगवत, शैव, शाक्त व ग्रन्थ सम्प्रदायों के अनुयायी राजा तथा ग्रन्थ समृद्ध लोग अपना यह कर्तव्य समझते थे कि विशाल मन्दिरों का निर्माण कर पुण्य सञ्चय करें। साथ ही, सदियों से भारत में जो अपूर्व समृद्धि चली आ रही थी, उसके कारण इस देश में अपार सम्पत्ति सञ्चित हो गई थी। इस सम्पत्ति का उपयोग अब वास्तुकला के लिए किया गया।

मध्ययुग की वास्तुकला को दो भागों में बाँटा जा सकता है—भार्य और द्रविड़। उत्तरी भारत में इस युग के जो मन्दिर पाये जाते हैं, वे भार्यकला के अनुसार निर्मित हैं। इन मन्दिरों में मूर्ति की स्थापना के लिए भ्राज्य बनाये गए हैं, जिनके सम्मुख खुला स्थान छोड़ा जाता है जो ऊपर की ओर से छत्ता रहता है। इस स्थान से दर्शनार्थी देवमूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। मन्दिर के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए स्थान रहता है, जिसे प्रदक्षिणा-पथ कह सकते हैं। इन मन्दिरों के भ्राज्य या गर्भ-गृह की छत ठोस, बकरेखालमक और शिखररूप होती है, जो नीचे की ओर चौड़ी और ऊपर की ओर छोटी होती जाती है। सबसे ऊपर गोल घामलक रहता है, जिस पर कलश व ध्वजदण्ड स्थापित किये जाते हैं। द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्भ-गृह का ऊपरी भाग चौकोर तथा अनेक मञ्जिलों वाला होता है। ऊपरली मञ्जिलें अपने से नीचे की मञ्जिल की तुलना में छोटी होती जाती हैं। इससे इन मन्दिरों की छत की आकृति पिरामिड के सदृश बन जाती है। इस प्रकार भार्य और द्रविड़ वास्तुकला में मुख्य अन्तर मन्दिर के शिखर की रचना में है। साथ ही, द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्भ-गृह के सम्मुख अनेक स्तम्भों वाला मण्डप भी बनाया जाता है, और मन्दिर के प्रांगण में प्रवेश के लिए ऐसे विशाल द्वारों की रचना की जाती है, जिनके ऊपर विविध देवी-देवताओं की मूर्तियों से अलङ्कृत ऊँचे गोपुर रहते हैं। दक्षिणी भारत के मन्दिर प्रायः द्रविड़-शैली के हैं।

उत्तरी भारत के मन्दिर—मध्य युग के उत्तरी भारत के बहुत-से मन्दिरों को तुर्क और अफगान आक्रान्ताओं ने नष्ट कर दिया था। तुर्क और अफगान इस्लाम के अनुयायी थे, और मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे। अतः उन्हें मन्दिरों से स्वाभाविक विद्वेष था। फिर भी उत्तरी भारत में मध्य युग के अनेक मन्दिर अब तक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं। ये मन्दिर प्रधानतया उड़ीसा, बुन्देलखण्ड, राजस्थान, ग्वालियर और मथुरा में हैं।

उड़ीसा में भुवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर, कोणार्क का सूर्य मन्दिर और जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मन्दिर सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें भी कोणार्क का मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उसे रथ के आकार का बनाया गया है, जिसे शक्तिशाली घोड़े खींच रहे हैं। रथाकार मन्दिर के पहिये बहुत विशाल हैं, जिन्हें घलकरणों की प्रचुरता ने अत्यन्त मनोहर व कलात्मक बना दिया है। इस मन्दिर का निर्माण राजा नरसिंह (१२३८ ई०) द्वारा किया गया था, जो उड़ीसा का प्रतापी राजा था, और जिसने दिल्ली के बढते हुए अफगान साम्राज्य का सफलतापूर्वक सामना किया था। मन्दिरों की दृष्टि से उड़ीसा में भुवनेश्वर अत्यधिक महत्त्व रखता है, जहाँ ऊँचे शिखर वाले तीस मन्दिर हैं। इनमें लिंगराज का मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका शिखर ऊँचाई में १६० फीट है। इसे ग्यारहवीं सदी में बना हुआ माना जाता है। भुवनेश्वर के सभी मन्दिर वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम हैं; उनके मण्डप, शिखर, गोपुर आदि सभी अपनी विशेषताएँ रखते हैं। उनका सौन्दर्य और कलात्मकता वर्णना-तीत है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर का निर्माण गणवंश के प्रतापी राजा अनन्त वर्मन् (१०७८ ई०) द्वारा किया गया था। केवल धार्मिक दृष्टि से ही इस मन्दिर का महत्त्व नहीं है, अपितु वास्तुकला की दृष्टि से भी यह अपना विशेष स्थान रखता है। इसका शिखर २०० फीट ऊँचा है। उड़ीसा के ये मन्दिर अलंकरणों और मूर्तियों की बहुलता के कारण अनुपम आकर्षण रखते हैं। मन्दिर का कोई भी कोना घलकरणों से शून्य नहीं छोड़ा गया है। अनेक मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिन पर शक्त सम्प्रदाय का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।

बुन्देलखण्ड के मन्दिरों में खजुराहो के मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यह स्थान झाँसी से १०० मील के लगभग दक्षिण-पूर्व में पुरानी छतरपुर रियासत में है। खजुराहो के मन्दिर संख्या में तीस हैं, जिनमें कुछ मन्दिर शैव सम्प्रदाय के हैं, कुछ वैष्णवों के और कुछ जैनो के हैं। इनका निर्माण ९५० ईस्वी से १०५० ईस्वी तक के मध्यवर्ती काल में हुआ था, जब कि इस क्षेत्र में जेजाकमुक्ति के चन्देलवंशी राजाओं का शासन था। यहाँ के सबसे सुन्दर और विशाल मन्दिरों का निर्माण राजा धर्म (९५०-९९९ ई०) द्वारा कराया गया था। इनमें सबसे सुन्दर और विशाल कन्दर्पनाथ महादेव का मन्दिर है, जो ११६ फीट ऊँचा है। इसमें अनेक शिखर-समूह हैं जो ऊपर की ओर निरन्तर अधिक-अधिक छोटे होते जाते हैं। इसके प्रदक्षिणा-पथ में बहुत-से स्तम्भ अत्यन्त सुन्दर ढंग से निर्मित हैं, और मन्दिर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जो अत्यन्त मनोहर अलंकरणों से सुसज्जित न हो। इस युग के धर्म में वाममार्ग और तान्त्रिक तत्त्वों की प्रधानता के कारण इस मन्दिर में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ भी हैं,

जिनमें काम कला को मूर्तरूप प्रदान किया गया है। मध्य युग से पूर्व भारत की मूर्ति-कला में अश्लीलता का अभाव था। शृङ्गार का प्रदर्शन तब भी मूर्तियों द्वारा किया जाता था, पर अश्लील ढंग से नहीं। खजुराहो, भुवनेश्वर, पुरी आदि में विद्यमान इस युग के मन्दिरों में अश्लील मूर्तियों की प्रचुरता है, जो अपने ममय की साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों की द्योतक हैं। खजुराहो में शैव, वैष्णव और जैन मन्दिरों का एक साथ होना मध्य युग की धार्मिक सहिष्णुता का भी स्पष्ट प्रमाण है।

राजस्थान में भी मध्य युग के अनेक मन्दिर सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं। इनमें सर्वोत्कृष्ट भावू पर्वत पर देलवाडा में स्थित दो जैन मन्दिर हैं, जिनमें से एक का निर्माण ग्यारहवीं सदी में विमलशाह नामक वैश्य ने कराया था। दूसरा मन्दिर तेरहवीं सदी के पूर्वार्ध में बना था, और उसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम तेजपाल था। दोनों मन्दिर संगमरमर के हैं, और उनमें अलंकरणों का बाहुल्य है। संगमरमर की बनी विलक्षण जालियाँ, प्रतिमाएँ, बेलबूटे और नक्काशियाँ दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती हैं। जिस कला ने मुगल काल में आगरा के ताजमहल का निर्माण किया था, उसका अत्यन्त उन्नत और परिष्कृत रूप इन मन्दिरों में दृष्टिगोचर होता है। एक कलाविज्ञ के अनुसार इन मन्दिरों में संगमरमर को इस बारीकी के साथ तराशा गया है, मानो किसी सुनार ने रेतों से रेत-रेत कर आभूषण बनाये हो या बुनी हुई जालियाँ और झालरों पथरा गई हो। वस्तुतः, देलवाडा के ये मन्दिर कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं।

राजस्थान में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस युग के मन्दिर विद्यमान हैं। भालावाड़ में अनेक ऐसे मन्दिर हैं, जो छोटे होते हुए भी अत्यन्त कलात्मक हैं। इनमें शिव मन्दिर सबसे अधिक महत्त्व का है। यह सम्भवतः दसवीं सदी में बना था। भालावाड़ के ये मन्दिर भग्न दशा में हैं। कुछ में तो अब केवल स्तम्भ, गर्भगृह और मण्डप ही शेष रह गये हैं। पर इनके पार्श्वों पर पुष्पों, पशुओं और मनुष्यों की आकृतियों की शृंखलाएँ बड़े कलात्मक रूप से उत्कीर्ण की गई हैं, जिन्हे देखकर अजन्ता के गुहामन्दिरों में उत्कीर्ण मूर्तियों का स्मरण हो आता है। कोटा नगरी के उत्तर की ओर ३० मील के लगभग दूर चम्बल नदी के तट पर भी इस युग के अनेक मन्दिर विद्यमान हैं, जिनके गोपुर, मण्डप और शिखर कला की दृष्टि में अनुपम हैं। इनके स्तम्भों पर भी विविध प्रकार की प्रतिमाएँ और लता-पुष्पों की मञ्जरियाँ उत्कीर्ण हैं। कोटा के क्षेत्र में ही रामगढ़ के समीप पहाड़ियों के मध्य में एक शिव मन्दिर है, जो सम्भवतः नवीं सदी में निर्मित हुआ था। इसके स्तम्भ भी विविध प्रतिमाओं तथा अलंकरणों से विभूषित हैं। कोटा से लगभग ६० मील दूर विलास नाम की एक उजड़ी हुई नगरी है, जहाँ कितने ही हिन्दू और जैन मन्दिरों के अवशेष विद्यमान हैं। राजस्थान में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर मध्ययुग के बहुतेरे मन्दिर भग्न दशा में पाये जाते हैं, जो जीर्ण-शीर्ण दशा में भी अपने विलुप्त गौरव का स्मरण दिलाते हैं। जिस उच्च कला के अनुसार इनका निर्माण किया गया था, वह वस्तुतः अत्यन्त उत्कृष्ट थी।

ग्वालियर के किले में तीन भव्य मन्दिर हैं, जिनका निर्माण-काल ग्यारहवीं सदी को माना जाता है। इनमें दो सास बहू के मन्दिर कहाते हैं, और एक तेली का

मन्दिर। मध्यप्रदेश का विशाल क्षेत्र भी मध्ययुग के मन्दिरों और उनके भग्नावशेषों से परिपूर्ण है। इन सबका यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। जबलपुर के समीप भेड़ाघाट में चौंसठ योगिनियों का विशाल मन्दिर है, जिसका व्यास ११६ फीट है। रीवा के समीप ब्रजनाथ नामक गाँव में वैद्यनाथ महादेव का एक मन्दिर है, जो वास्तु-कला की दृष्टि से भुवनेश्वर के मन्दिरों से मिलता जुलता है।

मथुरा में इस समय जो बहुत-से मन्दिर हैं, वे प्रायः मध्ययुग के पश्चात् बने थे। पर मध्ययुग में भी इस पवित्र नगरी में बहुत-से विशाल व कलात्मक मन्दिरों की सत्ता थी, जो तुर्क आक्रान्ताओं के कोप के कारण नष्ट हो गये। महमूद गजनवी के समकालीन लेखक अल-उतबी ने मथुरा के इन मन्दिरों के विषय में लिखा है कि नगर के मध्य में एक अत्यन्त उत्कृष्ट विशाल मन्दिर है, जिसकी न नक्काशी का शब्दों द्वारा बर्णन किया जा सकता है और न सुन्दरता का। यदि कोई इस जैसा मंदिर बनाना चाहे, तो उसे दस करोड़ सुवर्ण दीनारों खर्च करनी होंगी और वह इसे दो सदी से कम समय में नहीं बना सकेगा। यहाँ जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं, उनमें से पाँच खालिस सोने की बनी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ऊँचाई में पाँच गज है। इन मूर्तियों की आँखों में ऐसी मणियाँ लगी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत पचास हजार दीनार है। इस मन्दिर में चाँदी की बनी हुई भी बहुत सी मूर्तियाँ थी, जिनकी संख्या अलउतबी ने दो सौ लिखी है। महमूद गजनवी के आदेश से इस मन्दिर को भूमिसात् कर दिया गया, और उसके सोने, चाँदी, मणि-माणिक्य आदि को गजनी भेज दिया गया। पंजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार और बंगाल में मध्ययुग का जो एक भी मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा में विद्यमान नहीं है, उसका एकमात्र कारण तुर्क आक्रान्ताओं द्वारा उनका विनाश है। गंगा यमुना के क्षेत्र में हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी आदि कितने ही तीर्थ स्थान हैं, जो मन्दिरों से परिपूर्ण हैं। पर इनके वर्तमान मन्दिर मध्ययुग के न होकर अर्वाचीन काल के हैं। निस्सन्देह, मध्ययुग में इन सब स्थानों पर बहुत-से विशाल व कलात्मक मन्दिरों की सत्ता थी, जो तुर्क, अफगान और मुगल सम्राटों द्वारा ध्वंस कर दिये गए थे। पर काश्मीर, काँगडा, कुमायूँ आदि पार्वत्य प्रदेशों और बंगाल के कतिपय स्थानों पर ऐसे मन्दिर अब भी विद्यमान हैं, जिनका निर्माण मध्ययुग में हुआ था।

काश्मीर के मन्दिर उत्तरी भारत के अन्य मन्दिरों से भिन्न प्रकार के हैं। इनमें न शिखरों की सत्ता है, और न गौपुरों की। इनमें गर्भगृह के ऊपर एक चपटी छत होती है, और इनके स्तम्भों को भी मूर्तियों, प्रतिमाओं व लता-पुष्प मञ्जरियों द्वारा अलंकृत नहीं किया गया। काश्मीर के मन्दिरों में ख्द्रेस का मन्दिर सबसे प्राचीन है, जो श्रीनगर से पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सम्भवतः आठवीं सदी में हुआ था। काश्मीर के राजा ललितादित्य (७२५ ई०) और अच्युतवर्मा (७८५-८८३ ई०) अत्यन्त प्रतापी थे। उन्होंने अपने राज्य को अनेक विशाल व कलात्मक मन्दिरों से विभूषित किया। ललितादित्य द्वारा निर्मित मन्दिरों में मार्तण्ड का मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह श्रीनगर से पहलगाँव जाने वाले मार्ग पर मटन नामक स्थान पर स्थित है। यद्यपि अब यह मन्दिर भग्न दशा में है, पर इसके लखडहर इसके प्राचीन वैभव व गौरव का आभास देने के लिए पर्याप्त है। श्रीनगर के समीप लखत-मुलेमान नामक

पहाड़ी पर शंकराचार्य का मन्दिर अब तक भी विद्यमान है, जिसका निर्माण सम्भवतः मध्ययुग में ही हुआ था। राजा भ्रवन्तिवर्मा के शासनकाल में भ्रवन्तेश्वर के शैव मन्दिर का और धनन्तस्वामी के वैष्णव मन्दिर का निर्माण किया गया था। ये दोनों मन्दिर भी इस समय जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं।

काश्मीर के समान हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमायूँ में भी मध्य युग के बहुत-से मन्दिरों के भग्नावशेष पाये जाते हैं, यद्यपि कुछ मन्दिर अच्छी दशा में भी हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर नामक स्थान पर अनेक मन्दिर विद्यमान हैं, जो आठवीं सदी के हैं। इसी प्रकार बजनाथ (कांगड़ा) और चम्बा में नवीं सदी में निर्मित अनेक मन्दिरों की सत्ता है। कुल्लू के बजौरा नामक स्थान पर महादेव का एक मन्दिर है, जिसके अलंकरण अत्यन्त सुन्दर व कलात्मक हैं। यह मन्दिर दसवीं सदी में बना था। अलमोडा (कुमायूँ) के क्षेत्र में भी सूर्य और अन्य पौराणिक देवी-देवताओं के बहुत-से मन्दिर जीर्ण-शीर्ण दशा में विद्यमान हैं, जो मध्य युग के हैं। उत्तराखण्ड में बदरीनाथ और केदारनाथ के प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण भी सम्भवतः इसी युग में हुआ था। हिमालय के सुविस्तृत क्षेत्र में जो अनेक पार्वत्य राज्य मध्यकाल में विद्यमान थे, वे प्रायः तुर्क आक्रमणों में बचे रहे। इसीलिए इस प्रदेश के मन्दिरों का उस ढंग से विनाश नहीं हुआ, जैसा कि उत्तरी भारत के समतल प्रदेशों में स्थित मन्दिरों का हुआ था।

मध्य युग में बंगाल में भी अनेक भव्य व विशाल मन्दिरों का अवश्य ही निर्माण हुआ होगा। पर वे तुर्क व अफगान आक्रान्ताओं के कोप से नहीं बचे रह सके पर बर्दवान और बाँकुरा जिलों में कतिपय ऐसे मन्दिर अब भी विद्यमान हैं, जो मध्य युग के हैं। कला की दृष्टि से ये भुवनेश्वर (उड़ीसा) के मन्दिरों के सदृश हैं, यद्यपि भव्यता और अलंकरण में वे उन से हीन हैं।

दक्षिणापथ के मन्दिर—मध्य युग के बहुत-से मन्दिर दक्षिणापथ में सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं। इस क्षेत्र के मन्दिरों को दो भागों में बाँटा जा सकता है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के मन्दिर और खानदेश व उसके समीपवर्ती प्रदेशों के मन्दिर। इन दोनों में कृष्णा-तुंगभद्रा प्रदेश के मन्दिर अधिक पुराने हैं। ये ऐहोल, पट्टदकल, महाकूटेश्वर और धालमपुर नामक स्थानों पर स्थित हैं। वास्तुकला की दृष्टि से न ये शुद्ध आर्य (नागर) शैली के हैं, और न द्रविड़ शैली के। इनमें दोनों शैलियों का सुन्दर रीति से सम्मिश्रण हुआ है। ऐहोल (जिला बीजापुर) और पट्टदकल (जिला बादामी) में कुल मिलाकर ७० मन्दिर हैं, जिनमें से अनेक पर्याप्त सुरक्षित दशा में हैं। इन तथा दक्षिणापथ के अन्य मन्दिरों का विशद रूप से वर्णन कर सकना इस ग्रन्थ में सम्भव नहीं है। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि ये मन्दिर प्रधानतया शैव और वैष्णव सम्प्रदायों के हैं, और इनका निर्माण-काल दसवीं और ग्यारहवीं सदियों में माना जाता है। अलंकरण और कला की दृष्टि से यद्यपि ये खजुराहो और भुवनेश्वर के मन्दिरों के समकक्ष नहीं हैं, पर आर्य और द्रविड़ शैलियों के सम्मिश्रण के कारण इनका अपना विशेष महत्त्व है।

अजन्ता के गुहा मन्दिरों का उल्लेख इस ग्रन्थ में पहले किया जा चुका है। यद्यपि

इनका निर्माण गुप्तकाल में प्रारम्भ हो चुका था, पर इनमें से बहुसंख्यक गुहाओं का निर्माण मध्य युग में ही हुआ था ।

मध्य युग के गुहा-मन्दिरों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ऐलोरा में स्थित है । यह स्थान आन्ध्र प्रदेश के औरङ्गाबाद नगर से सोलह मील की दूरी पर है । यहाँ एक अच्छी लम्बी पहाड़ी को काट-काट कर मन्दिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । ये मन्दिर संख्या में तीस के लगभग हैं, और इनका सम्बन्ध हिन्दू, बौद्ध और जैन तीन धर्मों के साथ है । ऐलोरा के गुहा-मन्दिरों में सब से विशाल और भव्य कैलाश-मन्दिर है, जिसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (७६०-७७५ ईस्वी) ने बनवाया था । यह मन्दिर ऊँचाई में १६० फीट है, और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है । इसमें कहीं भी शिलामो व पत्थरों को जोड़ा नहीं गया है, और चूने-मसाले व कील आदि का प्रयोग नहीं हुआ है । एक ही चट्टान को काट कर उमी से छत, द्वार, भूगोखे खिडकियाँ, स्तम्भ, तोरण, मण्डप, शिखर, गर्भगृह आदि सब को बना दिया गया है । मनुष्य के परिश्रम, धैर्य और कला का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र मिल सकना दुर्लभ है । यह बात और भी अधिक अद्भुत है, कि यह मन्दिर दुमजिला है । बिना किसी भी जोड़ के केवल चट्टान को तरास कर दुमजली इमारत बना लेना एक ऐसा विलक्षण शिल्प है, जिसे देखकर दर्शक मुग्ध रह जाता है । इस मन्दिर के चारों ओर की पहाड़ियों को काटकर अनेक विश्राम-गृह भी बनाये गए हैं । मन्दिर के स्तम्भों पर अनेक प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई हैं, द्वारों पर मनोहर यत्ना-पुष्प मञ्जरियाँ बनायी गई हैं, और शिखर को विविध पौराणिक कथाओं को मूर्त रूप देने वाली प्रतिमाओं से विभूषित किया गया है । तोरण के दोनों ओर एक-एक हाथी बनाया गया है । सम्पूर्ण मन्दिर में कला की दृष्टि से कहीं कोई भी दोष या कमी नहीं है । उत्कीर्ण की हुई मूर्तियाँ सजीव हैं । इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक विदेशी कलाविज्ञानी यह सम्मति उल्लेखनीय है—

“कैलाश के मन्दिर से बढ़कर समार भ्रम में कला का कोई भी नमूना नहीं है । एथन्स का पेन्थिओन, रोम का सैण्ट पीटर्स का चर्च, और लन्दन का सैण्ट पॉल का गिरजा बनाना विज्ञान और परिश्रम का कार्य है, पर हम यह जानते हैं कि इनका निर्माण कैसे प्रारम्भ हुआ, कैसे धागे बढा और कैसे पूर्ण किया गया । चाहे कितने ही मनुष्यों ने काम किया हो, उन्होंने चाहें कितनी ही उम्र में अपना कार्य किया हो और चाहे कितने ही साधन उनके पास हों, पर जब हम यह विचार करते हैं कि एक ऊँची चट्टान को धीरे-धीरे तरास कर एक ऐसे मन्दिर का रूप प्रदान किया गया, जिसमें बरामदे हैं, सीढियाँ हैं, अनगिनत प्रतिमाएँ हैं और संगतरामी का इतना अधिक कार्य है, तो हमारा सिर चकराने लगता है, और यह कार्य अविश्वसनीय प्रतीत होने लगता है ।” कैलाश-मन्दिर में उत्कीर्ण प्रतिमाओं द्वारा जो पौराणिक कथाएँ अंकित की गई हैं, उनमें शिव-पार्वती का विवाह, इन्द्र-इन्द्राणी की मूर्तियाँ और रावण द्वारा कैलाश का उत्तोलन उल्लेखनीय है । रावण का कैलाश-उत्तोलन बहुत ही श्रोजस्वी व भावपूर्ण कृति है । इस दृश्य में रावण कैलाश को उठा रहा है, भयत्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुजदण्ड का सहारा ले रही हैं, उसकी सखियाँ भाग रही हैं, शिव अचल खड़े हैं और अपने चरणों से कैलाश पर्वत को दबा कर रावण के परिश्रम को विफल कर रहे हैं ।

चट्टानों को काटकर बनाये गए मन्दिर दक्षिणापथ में अन्यत्र भी विद्यमान हैं। बम्बई से छः मील दूर धारापुरी नामक द्वीप में दो पहाड़ियों के ऊपर के भाग को काट कर मन्दिर और मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। ये ही आजकल एलिफेन्टा के बस के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण आठवीं सदी में हुआ था। एलिफेन्टा के गुहा-मन्दिरों में विद्यमान प्रतिमाओं में महेश्वर की त्रिमूर्ति, शिव-ताण्डव और शिव-पार्वती-विवाह की मूर्तियाँ अत्यन्त भव्य और कलात्मक हैं। महेश्वर की मूर्ति के मुखमण्डल पर अपूर्व प्रशान्त गम्भीरता है, और शिवताण्डव नृत्य की मूर्ति में पार्वती के आत्म-समर्पण का भाव अत्यन्त सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किया गया है। एलिफेन्टा के गुहा-मन्दिरों के स्रष्टा अन्य भी अनेक मन्दिर दक्षिणापथ में विद्यमान हैं, जो सब मध्य युग की ही कृतियाँ हैं।

विशाल चट्टानों को काट-काट कर मन्दिरों और मूर्तियों को बनाने की परम्परा इस युग में केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही। सुदूर दक्षिण-पूर्वी एशिया के बृहत्तर भारत में भी इस युग में इसी शैली के विशाल मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिनका उल्लेख हम इस इतिहास के एक पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इसी काल में अंगकोर वाट और अंगकोर थाम के कलात्मक व विशाल मन्दिर बने, जो मध्ययुग की भारतीय कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं।

दक्षिणी भारत के मन्दिर—दक्षिणी भारत के मध्ययुग के मन्दिर अधिक सुरक्षित दशा में हैं। वहाँ बुतशिकन (मूर्तिभंजक) मुसलिम आक्रान्ताओं का अधिक प्रकोप नहीं हुआ था। पल्लव वंश के राजाओं ने सुदूर दक्षिण में अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया था। राजा महेंद्र वर्मा (६००-६२५ ई०) और उसके पुत्र नरसिंह-वर्मा (६२५-६५० ई०) ने काञ्ची नगरी के सामने समुद्र तट पर विशाल चट्टानों को तरसवा कर जो मन्दिर बनवाये थे, वे 'रथ' कहाते हैं। इन्हें संसार की अद्भुत वस्तुओं में गिना जा सकता है। इस प्रकार के रथ-मन्दिरों में सप्त रथसमूह 'सात पेगांडा' के नाम से विद्व-विख्यात हैं। इन सप्त-रथों के नाम धर्मराज रथ, भीम रथ आदि हैं। ये मन्दिर एक ही चट्टान को तरास कर बनाये गये हैं, और इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है। इनमें जो मूर्तियाँ हैं, वे भी अत्यन्त विशाल हैं, और एक ही चट्टान को तरास कर बनायी गई हैं। रथ-मन्दिरों के समान ये मूर्तियाँ भी अत्यन्त आश्चर्यजनक हैं। गंगा को पृथिवी पर अवतरित करने वाले भगीरथ की मूर्ति ६८ फीट लम्बी और ४३ फीट चौड़ी चट्टान को काट कर बनायी गई है। परिश्रम व साधना के कारण कालमात्र अवशिष्ट भगीरथ गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाने के लिए तप कर रहे हैं, और संसार उनकी तपस्या से चमत्कृत है। यह दृश्य बहुत ही भावपूर्ण तथा सजीव है। काञ्ची नगरी के समीप समुद्र तट पर स्थित मामल्लपुरम् में विद्यमान ये रथमन्दिर और मूर्तियाँ पल्लव राजाओं की अमर कीर्ति हैं।

सातवीं सदी में पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम् में जिस वास्तुकला का प्रारम्भ किया था, दक्षिणी भारत के अन्य शिल्पियों ने उसका अनुकरण किया। आठवीं सदी में एल्लोरा के गुहामन्दिरों में अत्यन्त उज्ज्वल व समुन्नत रूप प्राप्त किया, जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कैलाश का मन्दिर है।

पल्लव राजाओं के समय में ही दक्षिणी भारत में ऐसे मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जिन्हें चट्टानों को तरास कर न बना कर जिनाई द्वारा बनवाया जाता था। ऐसे मन्दिरों में नरसिंहवर्मन् द्वितीय (६६५-७२२ ई०) द्वारा बनवाया हुआ वह मन्दिर सर्वप्रथम है, जो मामल्लपुरम् मे ही समुद्र तट पर स्थित है। बाद में राजा राजसिंह पल्लव ने अपनी राजधानी काञ्ची (काञ्चीवरम्) में कैलाशनाथ और वैकुण्ठ पेरुमल के सुन्दर कलात्मक मन्दिरों का निर्माण कराया, जो द्रविड़ वास्तुकला के प्रारम्भिक रूप के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

पल्लव वंश के राजाओं के बाद चोल राजाओं ने दसवी सदी में वास्तुकला के विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने जो मन्दिर बनवाये, वे सब द्रविड़ वास्तुकला के चरम विकास को सूचित करते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राजराज (९८५-१०१२ ई०) द्वारा बनवाया हुआ शिव मन्दिर है, जो तंजोर में अब भी विद्यमान है। इसका विमान या शिखर १४ मंजिल का है, और ऊँचाई में १६० फीट है। इसके ऊपर एक ही शिलाखण्ड का भीमकाय गुम्बद है। तंजोर का यह विशाल शिवमन्दिर नीचे से ऊपर तक मूर्तियों और अलंकरणों से विभूषित है। चोल राजाओं के ये मन्दिर न केवल विशाल हैं, अपितु साथ ही अत्यन्त भव्य व कलात्मक भी हैं। उन्हें अलंकृत करने के लिए जिस सूक्ष्म तक्षण का उपयोग किया गया है, वह वस्तुतः अनुपम है।

राजराज का उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम (१०१२-१०४४) था, जिसने चोल साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। उसने दिग्विजय करते हुए गंगा तट के प्रदेश को जीत कर अपने अधीन किया था। गंगैकोण्ड चोलपुरम् नाम से उसने एक नई राजधानी बनायी थी, जहाँ उसने अपने पिता का अनुकरण कर एक विशाल मन्दिर का भी निर्माण कराया था। दुर्भाग्यवश यह मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा में नहीं है, पर भग्न व जीर्ण-शीर्ण रूप में भी यह अपने महान् निर्माता के वैभव को स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है।

चोल साम्राज्य के ह्रास काल में भी अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ, जिनमें ऐरावतेश्वर और त्रिभुवनेश्वर के मन्दिर उल्लेखनीय हैं। ये दोनों तंजोर जिले में हैं। चोल युग के परवर्ती भाग की कला की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता गोपुरम् को प्रधान रूप से निमित्त करना है। इन मन्दिरों के प्रवेश द्वार पर जो गोपुरम् बनाये गये हैं, वे ऊँचाई में मन्दिर के शिखर की अपेक्षा भी अधिक ऊँचे हैं। साथ ही, इन समय मन्दिर के साथ ऐसे विशाल मण्डपों का भी निर्माण शुरू किया गया, जिनमें बहुत-से स्तम्भ होते हैं। मध्ययुग की समाप्ति (१२०० ई०) के बाद दक्षिण में मदुरा, श्रीरंगम् और रामेश्वरम् आदि में जो विशाल मन्दिर निमित्त हुए, उनमें द्रविड़ वास्तुकला की विशेषताओं का पूर्ण विकास हुआ, और अति विशाल गोपुरम् और मण्डपों का निर्माण किया जाने लगा। मदुरा के एक मण्डप में ६८५ स्तम्भ हैं; जिन सब पर अत्यन्त भव्य नक्काशी की गई है। इस प्रकार के मन्दिरों के निर्माण का सूत्रपात मध्ययुग में ही हो गया था।

द्वारसमुद्र के होयसाल बंशी राजाओं ने भी वास्तुकला के विकास में अच्छा कर्तृत्व प्रदर्शित किया था। माडसूर राज्य में इन राजाओं द्वारा बनवाये हुए अनेक

मन्दिर विद्यमान हैं, जो वर्गाकार न होकर तारक की आकृति के हैं। इनकी कुर्सियाँ ५-६ फीट ऊँची हैं, और इनके शिखर पिरामिड के समान होते हुए भी ऊँचाई में बहुत अधिक नहीं हैं। होयसाल राजाओं के मन्दिरों में सबसे प्रसिद्ध होयलेश्वर का मन्दिर है, जो द्वारसमुद्र या हालेविद में स्थित है। इस मन्दिर की कुर्सी या चबूतरा ६ फीट ऊँचा है, जिसे बड़े-बड़े शिलाफलकों द्वारा पाटा गया है। इन पर नीचे से ऊपर तक ग्यारह अलंकरण पट्टिकाएँ हैं, जो लम्बाई में ७०० फीट हैं और सारे मन्दिर को घेरे हुए हैं। इनमें हाथियों, सिंहों और अन्य पशुपक्षियों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। ये प्रतिमाएँ संख्या में कितनी अधिक हैं, यह इसी से जाना जा सकता है कि सबसे निचली अलंकरण पट्टिका पर दो हजार हाथी बनाये गये हैं जो सब महावतों और भूलों के साथ हैं। इनमें से कोई भी दो हाथी एक दूसरे से नहीं मिनते हैं। शिल्पियों ने कितने धैर्य और परिश्रम से इन्हें उत्कीर्ण किया होगा, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है।

दक्षिण के चालुक्य राजाओं ने भी बहुत-से मन्दिरों का निर्माण कराया था। इनकी शैली न पूर्णतया आर्य (नागर) है, और न द्रविड़। ये उस शैली से निर्मित हैं, जिसे शिल्पशास्त्र के प्राचीन ग्रन्थों में वेसर शैली कहा गया है और जो आर्य तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है।

मूर्तिकला—गुप्त युग में भारत की मूर्तिकला अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गई थी। मध्ययुग में इस कला में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। शनैः शनैः मूर्तियों के निर्माण में सौन्दर्य और कलात्मकता कम होने लगी, और धार्मिक भावना प्रबलता प्राप्त करने लगी। मध्ययुग में विविध देवी देवताओं की ऐसी प्रतिमाएँ बनायी जाने लगी, जिनमें देवताओं का सामर्थ्य प्रगट करने के लिए उनके बहुत-से हाथ आदि बनाये गए और उन में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखे गये। यही कारण है कि इस युग की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट नहीं मानी जाती। पर फिर भी इस युग में अनेक ऐसी प्रतिमाएँ बनी, जो मूर्तिकला की उत्कृष्ट उदाहरण हैं। श्रवण बेलगोला (माइसूर) की पहाड़ी पर गोमटेश्वर की जो विशाल मूर्ति है, वह दसवीं सदी के अन्त में निर्मित हुई थी। यह मूर्ति ५७ फीट ऊँची और २६ फीट चौड़ी है, और एक ही शिलाखण्ड की तरास कर बनायी गई है। जिस पत्थर से इसे तरासा गया है वह अत्यन्त कठोर और काले रंग का है। मूर्ति के विविध अङ्ग सुव्यवस्थित और सही अनुपात में हैं। गोमटेश्वर की इस मूर्ति की मुख मुद्रा शान्त व गम्भीर है। उस पर शान्ति और गम्भीरता के साथ-साथ आकर्षक मन्द मुसकान भी है। इसका निर्माण गंग वंश के एक राजा के मन्त्री चामुण्डराय ने कराया था। श्रवण बेलगोला जैनो का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों यात्री इस मूर्ति के दर्शन व पूजा के लिए जाते हैं। निर्माण की कठिनता और कल्पना की विद्यालता की दृष्टि से यह मूर्ति अद्वितीय है।

मध्ययुग की बहुत-सी मूर्तियाँ खजुराहो, राजस्थान, माइसूर, मद्रास आदि राज्यों के मन्दिरों में विद्यमान हैं। इनके सम्बन्ध में कतिपय निर्देश इसी प्रकरण में ऊपर दिये भी जा चुके हैं। पर कतिपय मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ

उपयोगी होगा। नटराज शिव की बहुत-सी धातु-प्रतिमाएँ दक्षिणी भारत में उपलब्ध हैं, जो कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट और भव्य हैं। ताण्डव नृत्य करते हुए शिव का जैसा सजीव अंकन इन मूर्तियों में किया गया है, वह वस्तुतः आश्चर्यजनक है। राजस्थान की मूर्तियों में शाहाबाद (कोटा) में उपलब्ध शेषशायी विष्णु की मूर्ति अद्भुत व मनोहर है।

मध्य युग की बहुसंख्यक प्रतिमाएँ देवी देवताओं के साथ सम्बन्ध रखती हैं। पर कतिपय प्रतिमाएँ ऐसी भी हैं, जिनका धर्म या उपासना के साथ सम्बन्ध नहीं है। भुवनेश्वर से प्राप्त एक मूर्ति में किसी नारी को पत्र लिखते हुए बनाया गया है। भुवनेश्वर में ही बच्चे को प्यार करती हुई एक नारी की मूर्ति भी मिली है। ये दोनों मूर्तियाँ ग्यारहवीं सदी की हैं। खजुराहो के मन्दिर पर भी एक ऐसी स्त्री की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जो पत्र लिख रही है।

यह स्वीकार करना होगा कि मध्य युग में मूर्तिकला में प्रगति न हो कर कुछ ह्रास ही हुआ। इसका कारण सम्भवतः यह है, कि इस युग के शिल्पी मूर्तियों का निर्माण करते हुए अपनी प्रतिभा और कल्पना की अपेक्षा शास्त्र-वचनों को अधिक महत्त्व देते थे। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के शरीर मानव-शरीर में भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कान मानव कानों से बड़े होते हैं, आँखें कानों के समीप तक फैली हुई होती हैं, और हाथ घुटनों में नीचे तक पहुँचते हैं। मध्ययुग के मूर्तिकारों ने देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करते हुए इन्हीं धारणाओं को दृष्टि में रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस काल की मूर्तियों में वह आकर्षण व सौन्दर्य नहीं पाया जाता जो कि गुप्त युग की मूर्तियों में है।

चित्रकला—भारत की प्राचीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट रूप अजन्ता के गुहा-मन्दिरों की भित्तियों पर दिखायी देता है। मध्य युग में भित्ति-चित्रों की परम्परा में भी ह्रास ही हुआ। जिन प्रकार के दिव्य व मनोरम चित्र अजन्ता की भित्तियों पर चित्रित हैं, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं हैं। एलोरों के कैलाश मन्दिर व अन्य मन्दिरों की भित्तियों पर जो चित्र हैं, वे नवी सदी या उससे पूर्व के काल में ही चित्रित किये गये थे। इनका चित्रण अजन्ता की परम्परा के अनुसार ही हुआ है।

मुद्गर दक्षिण के मन्दिरों की भित्तियों को भी अवश्य ही नानाविध चित्रों से विभूषित किया गया था। अनेक मन्दिरों में इनके चिन्ह अब तक भी उपलब्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में जब इन मन्दिरों की मुरम्मत की गई, तो पुराने चित्रों को मिटा कर उनके स्थान पर नये चित्र बनाये गये। इसी कारण इन मन्दिरों की भित्तियों पर चित्रों की अनेक सतहें विद्यमान हैं।

मध्ययुग के अनेक ऐसे ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, जो ताम्रपत्रों, तालपत्रों और कागज पर उत्कीर्ण व लिखित हैं। इन्हें भी अनेकविध चित्रों से विभूषित किया गया है जिनसे इस काल की चित्र कला का कुछ परिचय प्राप्त हो जाता है। पर ऐसी पुस्तकें न केवल संख्या में बहुत कम हैं, अपितु मध्ययुग के अन्तिम भाग की हैं।

बीसवाँ अध्याय

दक्षिणी भारत की संस्कृति

(१) दक्षिणी भारत की प्राचीन संस्कृति

यद्यपि दक्षिणी भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तरी भारत से पृथक् रहा है, पर सांस्कृतिक इतिहास के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। जहाँ तक भारतीय संस्कृति के विकास का प्रश्न है, दक्षिणी भारत ने उसमें पूरा-पूरा सहयोग दिया है। दक्षिणी भारत के बहुसंख्यक निवासी द्रविड जाति के हैं। ऐतिहासिकों का मत है, कि द्रविड लोग भारत के पुराने निवासी हैं, और आर्यों के आने से पूर्व वे इस देश में अपनी सम्यता के विकास में तत्पर थे। वर्तमान समय में मुख्य द्रविड भाषाएँ तेलगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग ही द्रविड जाति के माने जाते हैं। उत्तरी भारत का इतिहास आर्य जाति का है, और दक्षिण का इतिहास प्रधानतया द्रविण जाति का है। द्रविड लोगों में तमिल लोग सर्व-प्रधान हैं, और उन्होंने ही प्राचीन समय में द्रविड संस्कृति और सम्यता के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

कुरल—द्रविड संस्कृति बहुत प्राचीन है, पर उसका जो साहित्य इस समय में उपलब्ध होता है, वह मौर्य-युग से अधिक पुराना नहीं है। तमिल-साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुरल' है, जिसका लेखक तिरुवल्लुवर था। उसका काल दूसरी सदी ई० पू० में माना जाता है। कुरल एक विशाल ग्रन्थ है, जिसमें १२३ परिच्छेद हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी विषयों पर इस ग्रन्थ में विषद रूप से विचार किया गया है। राजनीति-सम्बन्धी विषयों का भी इसमें समावेश है। कुरल के अनुशीलन से उच्च सम्यता का मुचारु रूप से परिचय मिलता है, जिसका प्राचीन तमिल लोगों ने विकास किया था। तमिल साहित्य में कुरल का इतना मान है, कि उसके रचयिता तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में इस ग्रन्थ का अनुवाद भी हो चुका है।

संगम—तमिल साहित्य का विकास उन शिक्षा-केन्द्रों में हुआ था, जो 'संगम' नाम से प्रसिद्ध हैं। तमिल अनुश्रुति के अनुसार प्राचीन समय में तीन संगम हुए थे। श्रीम के इतिहास में जो महत्त्व एथन्स की एकेडमी का है, वही तमिल इतिहास में इन संगमों को प्राप्त है। पहले दो संगमों का इतिहास प्रायः अप्राप्य है, और उनमें जिस ज्ञान व साहित्य का विकास हुआ था, वह भी अब उपलब्ध नहीं है। पर तीसरे संगम के सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ परिचय प्राप्त है। यह संगम मदुरा में स्थित था, और ऐतिहासिकों के अनुसार इसका काल ५०० ईस्वी पूर्व से ५०० ईस्वी तक था। इसके सदस्यों की संख्या ४६ थी, और इतने ही राजाओं (पाण्ड्य देश के राजाओं) का संरक्षण भी इसे प्राप्त हुआ था। संगम के सम्मुख विविध विद्वान्, कवि और साहित्यिक अपनी

रचनाओं को प्रस्तुत किया करते थे, और संगम द्वारा स्वीकृत होने पर ही उनको साहित्य में स्थान प्राप्त होता था। अनुश्रुति के अनुसार ४४६ कवियों ने अपनी रचनाएँ इस संगम के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की थी। तिखवल्लुवर द्वारा रचित जिस 'कुरल' का हमने अभी उल्लेख किया है, वह भी संगम के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था, और वहाँ उसे सम्मानपूर्वक स्वीकृत किया गया था। कुरल के अतिरिक्त संगम द्वारा स्वीकृत ग्रन्थ भी अनेक तमिल ग्रंथ इस समय उपलब्ध है। इनमें तीन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, पत्यु-पात्तु, एत्तुथोकई और पडिनेक्किक्कनक्कु। इन ग्रन्थों में अनेक कवियों के विविध काव्यों का संग्रह है, और साहित्यिक दृष्टि से इन सभी को उच्चकोटि का माना जाता है।

संगम द्वारा स्वीकृत साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन तमिल साहित्य में ग्रन्थ अनेक काव्य और ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व को तमिल साहित्य का सुवर्णयुग माना जाता है। इस काल में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें पाँच बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं—शिष्पाधिकारम्, मणिमेललाई, जीवक-चिन्तामणि, वलयपति और कुण्डलकेशी। इस समय इनमें से पहले तीन ही प्राप्तव्य हैं, और इन्हें साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का माना जाता है।

समाज संगठन—तमिल लोगों की प्राचीन सम्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में इस प्राचीन तमिल साहित्य से बहुत-सी उपयोगी बातें जानी जा सकती हैं। इसका निर्माण उस काल में हुआ था, जब कि उत्तरी भारत के आर्यों के साथ द्रविड़ों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। पर फिर भी इसके अनुशीलन से प्राचीन शुद्ध तमिल संस्कृति के विषय में बहुत कुछ जान प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन तमिल लोग मुख्यतया कृषिजीवी थे, और खेती द्वारा ही अपना निर्वाह किया करते थे। इस कारण तमिल जनता का बड़ा भाग कृषकों का ही था। कृषक श्रेणी के नीचे श्रम-जीवियों की एक अन्य श्रेणी थी, जिसे 'कुडीस' कहते थे। कुडीस श्रेणी चार वर्गों में विभक्त थी, पागान, तुडियन, परयन और कदम्बन। इस श्रेणी के लोग कृषकों की जमीन पर मजदूरी करके ही अपना निर्वाह किया करते थे। सम्भवतः, इन्हीं से आगे चलकर तमिल जनता के उस वर्ग का विकास हुआ, जिसे अछूत समझा जाता रहा है। कृषकों और श्रमजीवियों के अतिरिक्त उस समय तमिल देश में बढ़ई, लुहार, जुलाहे आदि शिल्पियों की भी सला थी, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत हीन नहीं मानी जाती थी।

बाद में उत्तरी भारत के आर्य ब्राह्मणों ने दक्षिण में प्रवेश किया, और उनके कारण तमिल देश के समाज-संगठन में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। आर्यों के प्रवेश से पूर्व द्रविड़ लोगों में वर्ण-व्यवस्था व जातिभेद का अभाव था, और वहाँ चातुर्वर्ण्य की सत्ता नहीं थी। उत्तरी भारत से जो आर्य ब्राह्मण दक्षिण में गये, वे विद्या, ज्ञान और तप की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट थे। वे एक उच्च संस्कृति का सन्देश लेकर दक्षिण में आये थे। इसलिए वहाँ के समाज में उन्होंने प्रतिष्ठित व उच्च पद प्राप्त कर लिया, और वहाँ का समाज 'ब्राह्मण' और 'ब्राह्मणतर' विभागों में विभक्त हो गया। पर आर्यों के चातुर्वर्ण्य का विकास दक्षिण में कभी भी उस प्रकार से नहीं हुआ, जैसा कि उत्तरी भारत में था। इसी कारण तमिल प्रदेश में क्षत्रिय और वैश्य वर्गों का अभाव है, और वहाँ का समाज ब्राह्मण और शूद्र वर्गों में ही विभक्त है।

धर्म—धार्यों के सम्पर्क के कारण तमिल तथा अन्य द्रविड़ लोगों ने वैदिक धर्म को भी ग्रहण लिया था। इसीलिए उनके प्राचीन साहित्य द्वारा किसी ऐसे धर्म का परिचय नहीं मिलता, जिसका कि ये लोग धार्यों के सम्पर्क से पूर्व अनुसरण करते हों। तमिल-साहित्य की रचना उन्हीं लोगों द्वारा हुई थी, जो कि उत्तरी भारत के वैदिक, बौद्ध, जैन आदि धर्मों को ग्रहण करने थे। पर ऐतिहासिकों का मत है कि द्रविड़ लोग शुरू में अनेक देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे, और अपने मृतकों की समाधियों का भी निर्माण करते थे। ऐतिहासिकों के अनुसार धार्य लोगों ने द्रविड़ों के अनेक देवी-देवताओं की पूजा को भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया। शिव की पूजा हिन्दू धर्म में विशेष महत्त्व रखती है। अनेक विद्वानों के मत में धार्यों ने शिव की पूजा द्रविड़ों से ही ग्रहण की थी। प्राचीन द्रविड़ों में शिव की पूजा प्रचलित थी, और जब धार्य लोग उनके सम्पर्क में आये, तो उन्होंने भी शिव को ग्रहण लिया। इसी प्रकार कार्तिकेय और गणेश की पूजा का प्रवेश भी धार्यों में द्रविड़ों द्वारा ही हुआ। पर ये सब विषय विवादग्रस्त है। द्रविड़ों के मूल धर्म का क्या स्वरूप था, यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(२) आर्य संस्कृति का दक्षिणी भारत में प्रवेश

महर्षि अगस्त्य—दक्षिणी भारत में आर्य-संस्कृति का प्रवेश महर्षि अगस्त्य द्वारा हुआ था। पौराणिक और तमिल साहित्य में इस ऋषि के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ पायी जाती हैं। अगस्त्य-सम्बन्धी तमिल अनुश्रुति यह है कि प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। इस अवसर पर सब लोकों के लोग उपस्थित हुए। दक्षिणी भारत के लोग भी शिव और पार्वती के विवाह को देखने के लिये गए। बहुत-से लोगों के एक स्थान पर एकत्र हो जाने का परिणाम यह हुआ, कि पृथ्वी का सन्तुलन नष्ट होने लगा। इस पर लोगों ने शिव से प्रार्थना की कि किसी ऐसे तेजस्वी व्यक्ति को दक्षिणी भारत में भेजने की कृपा करें, जिसके तेज से आकृष्ट होकर लोग दक्षिण में भी आबाद हो। लोगों की प्रार्थना सुनकर शिव ने ऋषि अगस्त्य को आदेश दिया कि वह दक्षिण में जाएँ। शिव के आदेश के अनुसार अगस्त्य अपनी पत्नी लोपा-मुद्रा के साथ दक्षिणी भारत में गया, और वहाँ ताम्रपर्णी नदी (टिन्वेली जिले में) के उद्गम स्थान पाडिकई पर्वत को अपने निवास के लिए चुना। तमिल भाषा सीखकर अगस्त्य ने उसका एक व्याकरण भी तैयार किया। इसे तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है, यद्यपि वर्तमान समय में यह उपलब्ध नहीं है। कहते हैं, कि इस व्याकरण में १२,००० सूत्र थे।

ऋषि अगस्त्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ संस्कृत-साहित्य में भी विद्यमान हैं। इन कथाओं के अनुसार अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर उसे सुखा दिया था। सम्भवतः, यह कथा इस तथ्य को सूचित करती है कि विशाल नदियाँ और समुद्र अगस्त्य के मार्ग में बाधक नहीं हो सके थे, और वह इनको पार करता हुआ सुदूर दक्षिण में इस प्रकार सुविधापूर्वक जा पहुँचने में समर्थ हुआ था, मानो उसके मार्ग की नदियों और समुद्र का जल सूख गया हो। इसमें सन्देह नहीं, कि पुरानी अनुश्रुति के

अनुसार दक्षिणी भारत में आर्यों का विस्तार करने वाला प्रथम साहसी व्यक्ति ऋषि अगस्त्य ही था, और उसी के पदचिन्हों का अनुसरण कर बाद में अन्य बहुत-से आर्य लोग दक्षिण में अपने उपविशेष बसाने में समर्थ हुए थे। दक्षिणी भारत के लोग अब तक भी अगस्त्य को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, और अपने साहित्य, काव्य और व्याकरण का प्रारम्भ उसी से मानते हैं। अगस्त्य का समय क्या था, इस विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर वैदिक युग के पिछले काल में उसका समय मानना अनुचित न होगा, क्योंकि उसकी गणना भी भारतीय आर्यों के प्रतिष्ठित और प्राचीन ऋषियों में की जाती है।

रामचन्द्र और दक्षिणी भारत—ऋषि अगस्त्य द्वारा दक्षिणी भारत में आर्यों के प्रवेश की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, बाद के ऋषियों और मुनियों ने उसे जारी रखा। विष्णुचल पर्वत माला के दक्षिणी प्रदेश प्राचीन समय में अनेक महाकान्तारों से परिपूर्ण थे, जिनमें दण्डकारण्य मुख्य था। आर्य ऋषि इनमें अपने आश्रम बनाने में तत्पर थे, और वहाँ के मूल निवासियों से अपनी रक्षा करने की समस्या मदा उनके सम्मुख रहा करती थी। अयोध्या के राजा दशरथ से ऋषि विश्वामित्र ने अनुगोध किया था, कि अपने कुमार राम और लक्ष्मण को राक्षसों से ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करने के लिए भेज दे। विश्वामित्र की प्रार्थना को स्वीकार कर राम और लक्ष्मण इसके लिए गये भी थे। बाद में कैकेयी के षड्यंत्र द्वारा जब राम को वनवास मिला, तो वे सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिणी भारत में गये, और लंका के रावण को परास्त कर उन्होंने सुदूर दक्षिण में आर्यों के प्रभाव व प्रभुत्व को स्थापित किया। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार को ही सूचित करती है।

दक्षिण में आर्य संस्कृति का विस्तार—अगस्त्य सहज विविध ऋषि-मुनियों और राम जैसे राजाओं के प्रयत्न से दक्षिणी भारत में आर्यों का निरन्तर प्रवेश होता गया और चौथी सदी ईस्वी पूर्व तक यह दशा आ चुकी थी, कि दक्षिण के द्रविड़ लोग आर्यों के प्रभाव में भली-भाँति आ गये थे। इसीलिए रामायण में पाण्ड्य देश की राजधानी मदुरा का वर्णन मिलता है, और संस्कृत के प्रसिद्ध ब्रह्मकारण कात्यायन (चौथी सदी ई० पू०) ने चोल और पाण्ड्य राजाओं का उल्लेख किया है। अगोक (तीसरी सदी ई० पू०) ने सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल और सातियपुत्र राज्यों में धर्मविजय की नीति का प्रयोग किया था। इसी काल में आचार्य उपगुप्त ने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। बौद्धों से पूर्व जैनमुनि भी दक्षिण में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तत्पर हो चुके थे।

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जैनों और बौद्धों से बहुत पहले ही आर्य ब्राह्मण दक्षिणी भारत को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में ला चुके थे, यद्यपि इनका कोई ऐसा वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है, जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक कहा जा सके। मदुरा के संगम द्वारा स्वीकृत पुस्तकों पर संस्कृत भाषा और आर्यों के विचारों का प्रभाव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि बौद्धों और जैनों से बहुत पूर्व द्रविड़ प्रदेश आर्य-सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में आने प्रारम्भ हो चुके थे।

दक्षिणी भारत में आर्यों की संस्कृति का जो प्रवेश हुआ, वह पूर्णतया शांतिमय

था। यह कार्य प्रधानतया ऋषि-मुनियों और ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। उत्तरी भारत के किसी धार्मिक राजा ने प्राचीन काल में अपनी सेना लेकर दक्षिण के द्रविड राज्यों को जीता हो, और विजय द्वारा अपने प्रभुत्व की स्थापना की हो, इसका कोई वृत्तान्त हमें ज्ञात नहीं है। इसके विपरीत इस बात के अनेक प्रमाण विद्यमान हैं, कि बहुत-से धार्मिक ब्राह्मण दक्षिण में दूर-दूर तक गए, और उन्होंने इन प्रदेशों में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। अशोक के समय के बौद्ध-भिक्षुओं के समान उससे पहले के धार्मिक ऋषि-मुनि भी शांतिमय उपायों से ही वहाँ अपने सांस्कृतिक प्रभाव को स्थापित करने में तत्पर रहे थे। अपने ज्ञान और चरित्र की उत्कृष्टता के कारण ही इन धार्मिकों ने दक्षिणी भारत के समाज में प्रतिष्ठित व उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। पर बौद्ध-काल तक धार्मिकों के कोई राज्य दक्षिणी भारत में स्थापित नहीं हो पाये थे। इसीलिए बौद्धकाल के सोलह महाजनपदों में अवन्ति (मालवा) से दक्षिण का कोई जनपद अन्तर्गत नहीं है।

(३) धार्मिकों का दक्षिणी भारत की संस्कृति पर प्रभाव

राजनीतिक प्रभाव—यद्यपि बौद्ध काल तक विन्ध्याचल के दक्षिण में धार्मिकों का कोई राज्य स्थापित नहीं हुआ था, पर चौथी सदी ईस्वी पूर्व से दक्षिण के प्रदेश भी धार्मिकों के राजनीतिक प्रभाव में आने शुरू हो गये थे। मौर्य साम्राज्य के सस्थापक चन्द्रगुप्त का शासन दक्षिणी भारत में विस्तृत नहीं था। पर उसके उत्तराधिकारी बिन्दुसार ने दक्षिण के सोलह राज्यों को जीतकर अपने अधीन किया था। सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्ड्य, केरल और सातियपुत्र के चार राज्य ही ऐसे बचे थे, जो मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं हुए थे। अशोक ने भी इन्हें जीतकर अपने अधीन नहीं किया, और इनकी धर्म-विजय से ही सतोष कर लिया। यद्यपि दक्षिणी भारत पर मौर्यों का शासन देर तक कायम नहीं रह सका, पर इसमें सन्देह नहीं कि एक बार धार्मिकों की अधीनता में आ जाने के कारण इन प्रदेशों पर धार्मिकों का राजनीतिक प्रभाव अवश्य स्थापित हो गया। मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक नवीन राज्य दक्षिण में कायम हुए, उनमें से अन्त्यतम राज्य सिमुक (२१० ई० पू०) द्वारा स्थापित अन्ध्र-सातवाहन वंश का था। सातवाहनो के शिलालेख ब्राह्मीलिपि में उत्कीर्ण हैं, और उनकी भाषा भी संस्कृत और प्राकृत है। उसका राज्य विन्ध्याचल के दक्षिण और उत्तर दोनों ओर विस्तृत था।

सातवाहन वंश की शक्ति के क्षीण होने पर दक्षिणापथ (दक्खन) में जो अनेक नये राज्य स्थापित हुए, वे भी धार्मिकों की संस्कृति से प्रभावित थे। इन राज्यों में अन्त्यतम इक्ष्वाकुवंश का भी था, जिसका शासन कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहानों के क्षेत्र में स्थित था। अन्ध्र देश के इस इक्ष्वाकुवंश का अयोध्या के प्राचीन इक्ष्वाकुवंश के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर इसमें सन्देह नहीं, कि यह इक्ष्वाकुवंश (तीसरी सदी ई०) और इसके समकालीन दक्षिणापथ के अन्ध्र राजवंश धार्मिकों की संस्कृति से अवश्य प्रभावित थे।

चालुनयों और राष्ट्रकूटों द्वारा बाद में (छठी सदी से शुरू कर) जो अनेक राज्य दक्षिणापथ में कायम हुए, उन पर तो आर्यों का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट है। इन वंशों के राजाओं के शिलालेख संस्कृत में हैं, और धर्म तथा संस्कृति की दृष्टि से उनमें और उत्तरी भारत के राजाओं में भेद कर सकना सुगम नहीं है।

राजनीतिक दृष्टि से आर्यों का प्रभाव केवल दक्षिणापथ के राज्यों तक ही सीमित नहीं था। मुद्गर दक्षिण के राज्य भी आर्य संस्कृति से प्रभावित हुए थे। कांची (काजीवरम्) के पल्लव राज्य पर आर्यों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। पल्लव वंश द्वारा शासित प्रदेश पहले आन्ध्र-सातवाहन साम्राज्य के अन्तर्गत थे। सातवाहनों की शक्ति के क्षीण पड़ने पर कांची में पल्लव वंश के राज्य का प्रारम्भ हुआ। पल्लव वंश के राजा आर्य संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित थे। इस वंश के संस्थापक बप्पदेव ने अग्निष्टोम, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया था, और तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदियों द्वारा सिञ्चित प्रदेश में अपने स्वतन्त्र शासन को स्थापित कर कांची को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लवों के शासनकाल में कांची नगरी आर्यसभ्यता का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। वहाँ बहुत-से ब्राह्मण परिवारों का निवास था जो संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन में तत्पर रहते थे। पल्लववंश के राजाओं के शिलालेख भी संस्कृत भाषा में ही उत्कीर्ण कराये गये थे। पल्लव वंश का शासन कई सदियों तक कायम रहा, और इस काल में कांची आर्य-संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। कांची संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, और वहाँ के विश्वविद्यालय की दक्षिणी भारत में वही स्थिति थी, जो उत्तरी भारत में नालन्दा की थी।

भाषा पर प्रभाव—आर्यों ने दक्षिणी भारत की द्रविड़ भाषाओं को भी प्रभावित किया। इसी कारण इन भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। तेलगू, कन्नड़ और मलयालम् का साहित्य संस्कृत शब्दों से परिपूर्ण है, और तमिल में भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। तेलगू, कन्नड़ और मलयालम की वर्णमाला भी वही है, जो संस्कृत (देवनागरी) की है, यद्यपि इनकी लिपि संस्कृत की देवनागरी लिपि से भिन्न है। तमिल की वर्णमाला संस्कृत के समान नहीं है, पर उसमें भी संस्कृत के अनुसरण में ध्वन्यात्मक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है।

धर्म पर प्रभाव—धर्म के क्षेत्र में तो आर्यों ने दक्षिणी भारत के द्रविड़ लोगों को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। वर्तमान समय में द्रविड़ों का धर्म आर्यों के धर्म से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। प्राचीन काल का भी जो साहित्य द्रविड़ भाषाओं में मिलता है, वह उनके किसी पृथक् धर्म को सूचित नहीं करता। इसका अभिप्राय यही है, कि बहुत समय पूर्व जब द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का विकास प्रारम्भ हुआ था, द्रविड़ लोग आर्यों के धार्मिक प्रभाव में आ चुके थे। उन्होंने आर्यों के वैदिक धर्म को अपना लिया था, और उनके अपने धर्म की कोई पृथक् सत्ता नहीं रह गयी थी। उत्तरी भारत के आर्यों के समान दक्षिण के द्रविड़ लोग भी यज्ञों का अनुष्ठान करने लग गये थे, और वेदों के प्रामाण्य में विश्वास रखते थे। जब उत्तरी भारत में बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ, तो दक्षिण में भी उनका प्रचार हुआ और बहुत-से द्रविड़ लोग इन धर्मों के अनुयायी हो गये। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण

जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो दक्षिण के लोगों ने अनेक अंशों में उसका नेतृत्व भी किया। वैदिक हिन्दू धर्म में भक्ति-ध्रान्दोलन के प्रवर्तक मुख्यतया दक्षिण के लोग ही थे। इस विषय पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

(४) दक्षिणी भारत द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास

आर्य संस्कृति को अपना कर दक्षिणी भारत के निवासियों ने उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत के सभी प्रमुख धर्मों के विकास में दक्षिणी भारत के विद्वानों और धर्माचार्यों का प्रमुख कर्तृत्व रहा है। इसी प्रकार मूर्ति-निर्माण कला, वास्तु कला, संस्कृति, चित्रकला आदि के विकास में भी दक्षिणी भारत ने महत्व का कार्य किया। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से पृथक् रहते हुए भी दक्षिणी लोग भारतीय संस्कृति के विकास में उत्तरी भारत के लोगों से पृथक् नहीं रहे। धर्म आदि के विविध क्षेत्रों में जो कार्य उन्होंने किया, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

शैव-धर्म—तमिल साहित्य के अनुशीलन से सूचित होता है, कि सुदूर दक्षिण में बहुत प्राचीन काल से शैव धर्म का प्रचार रहा है। मदुरा के संगम द्वारा स्वीकृत प्राचीन तमिल साहित्य में शिव को सबसे बड़ा देवता माना गया है। जिस शिव के तीन नेत्र होते हैं, और जो अपने जटा-जूट में चन्द्रमा को धारण करता है, जिसका कंठ नील होता है, परशु जिसके हाथों में रहता है, उमा जिसकी सहचरी है, और जिस शिव ने अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भेजा था, प्राचीन तमिल लोग प्रधानतया उसी के उपासक थे। केवल साहित्य द्वारा ही तमिल देश में शैव धर्म के प्रचार की सत्ता प्रमाणित नहीं होती, अपितु पुरातत्व विषयक अवशेष भी इसके प्रमाण हैं। मद्रास प्रान्त में शुडिमल्लम् नामक ग्राम में एक शिवालिंग विद्यमान है, जिसे दूसरी सदी ई० पू० का माना जाता है। यह लिंग पांच फीट ऊँचा है, और इसके एक पार्श्व में दो मुजाभों वाली शिव की प्रतिमा भी बनायी गई है। इसी प्रकार की अनेक अन्य प्राचीन शिव-प्रतिमाएँ भी दक्षिणी भारत में उपलब्ध हुई हैं।

पल्लव (छठी सदी ई० पू०) और चोल राजाओं (दसवी सदी ई० पू०) के शासन काल में दक्षिणी भारत में शैव धर्म का विशेष रूप से विकास हुआ। पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन् (६००-६३० ई० पू०) पहले जैन धर्म का अनुयायी था। अनुश्रुति के अनुसार उसने जैन होते हुए अन्य धर्मों के अनुयायियों पर अत्याचार भी किये थे। पर अप्पर नामक शैव आचार्य के सम्पर्क में आकर महेन्द्रवर्मन् ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया, और उसकी संरक्षा में कांची नगरी शैव धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गई। उसने अपने राज्य में बहुत-से शैव मन्दिरों का निर्माण कराया, और उसके उत्तराधिकारियों ने भी शैव धर्म के उत्कर्ष में बहुत सहायता दी। बाद के प्रायः सभी पल्लव राजा शैव धर्म के ही अनुयायी थे।

छठी सदी में दक्षिणी भारत में शैव धर्म का जो विशेष रूप से प्रचार प्रारम्भ हुआ, उसका मुख्य श्रेय उन शैव सन्तों को है, जिन्हें 'नायन्मार' कहते हैं। ये नायन्मार पण्डित या विद्वान् न होकर भक्त व सन्त थे, जो अपने सुललित शीतों द्वारा सर्वसाधारण जनता

में शिव की भक्ति का प्रचार किया करते थे। जनता इनके गीतों को सुनकर भक्ति-रस में डूब जाती थी, और शिव की पूजा के लिए तत्पर होती थी। तमिल देश के इन शैव नायनमारों में अग्रर (६४०-६८१ ई०) सम्बन्दर (६४४-६६०), मणिवक्काचकर (६६०-६६२) और सुन्दरर (७१० ई०) सबसे प्रसिद्ध हैं। इन तथा अन्य नायनमार सन्तों के गीतों का बाद में संग्रह किया गया, जो न केवल शैव-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं, अपितु तमिल भाषा के साहित्य में भी जिनका बहुत गौरव पूर्ण स्थान है। दक्षिण भारत के शैव इनका वेदों के समान ही आदर करते हैं।

जैन धर्म—जैन धर्म का प्रादुर्भाव उत्तरी बिहार में हुआ था, पर धीरे-धीरे वह कलिंग, दक्षिणापथ और सुदूर दक्षिण में भी फैल गया। माइसूर के गगवशी राजा जैन धर्म के अनुयायी थे, और उनके शिलालेखों में जैन मन्दिरों और मुनियों को दिये गए दानों का उल्लेख है। बनवासी (उत्तरी माइसूर) से कदम्ब वंशी राजा भी जैन थे। चालुक्यों के राज्य में भी जैन धर्म का अच्छा प्रचार था, और इसीलिए अनेक चालुक्य राजाओं ने जैन मन्दिरों को उदारतापूर्वक दान दिये थे। जैन साहित्य के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कन्नड़ भाषा में लिखे गये थे। इस समय भी कन्नड़ भाषा में जैन-साहित्य बहुत बड़े परिमाण में उपलब्ध है। इसका कारण यही है कि गंग, कदम्ब और चालुक्य वंशों के शासन काल में दक्षिणापथ और माइसूर में जैन धर्म का बहुत प्रचार रहा, और इन प्रदेशों के निवासियों ने जैन धर्म के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

सुदूर दक्षिण में काँची नगरी भी जैन-धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। पल्लव वंश के अनेक प्रारम्भिक राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। काँची के सिंहवर्मन् नामक पल्लव राजा के शासनकाल में सर्वनन्दी नाम के जैन पण्डित ने 'श्लोक विभाव' संज्ञक एक ग्रन्थ लिखा था, जो प्राकृत भाषा में है। कुन्दकुन्द नाम का प्रसिद्ध दिग्म्बर आचार्य भी काँची का ही निवासी था। उसी के प्रभाव के कारण शिवकुमार महाराज नाम के काँची के राजा ने जैन धर्म को स्वीकृत कर लिया था।

सुदूर दक्षिण में जैन लोगों का धार्मिक संगठन 'मूल संघ' कहाता था। बाद में इसके अधीन अनेक 'गणों' की स्थापना हुई, जिन्होंने तमिल प्रदेशों में जैन धर्म के प्रचार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रचार होने के कारण ही वहाँ अनेक प्राचीन जैन मन्दिर और बहुत-सी जैन प्रतिमाएँ उपलब्ध होती हैं।

जब शैव सन्त नायनमारों और वैष्णव सन्त भालवारों ने शिव और विष्णु की भक्ति का दक्षिणी भारत में प्रचार प्रारम्भ किया, तो जैन धर्म का प्रभाव कम होने लगा, और धीरे-धीरे इसके अनुयायियों की संख्या सर्वथा नगण्य रह गई।

वैष्णव धर्म—बौद्ध और जैन धर्मों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो उत्तरी भारत के समान दक्षिण में भी शैव और वैष्णव धर्मों का प्रचार होने लगा। जिस प्रकार शैव धर्म में नायनमार सन्त हुए, वैसे ही विष्णु की भक्ति का प्रचार करने का कार्य भी उन भक्त सन्तों ने किया, जिन्हें भालवार कहते हैं। ये भालवार तमिल देश में ही हुए थे, और इन्होंने तमिल भाषा में ही विष्णु की भक्ति के गीत बनाकर जनता को भक्तिरस का आस्वादन कराया था। इनका काल पाँचवीं सदी

से माना जाता है। ये वैष्णव भक्त सर्वसाधारण जनता में ही उत्पन्न हुए थे, और उसी में अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। वैष्णव धर्म में भक्ति को जो प्रमुख स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान श्रेय इन भालवार सन्तों को ही है। भागवत पुराण के अनुसार 'भक्ति' का प्रादुर्भाव दक्षिणी भारत में ही हुआ था। अनेक विद्वानों के अनुसार स्वयं भागवत पुराण की रचना भी दक्षिण में ही हुई थी।

भालवार सन्तों के गीतों को तमिल देश के वैष्णव वेदों के समान ही आदरणीय समझते हैं। ये गीत भक्ति-रस के अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भालवार सन्तों ने पाँचवीं सदी में अपना कार्य प्रारम्भ किया था, जो प्रायः बारहवीं सदी तक जारी रहा।

दर्शन शास्त्र का विकास—दक्षिणी भारत में नायन्यार और भालवार भक्तों द्वारा शिव और विष्णु की भक्ति का जो आन्दोलन प्रचलित था, बौद्ध और जैन धर्म उसके विरोध में खड़े नहीं रह सके। पर इस भक्ति आन्दोलन को दो अन्य विरोधों का सामना करना पड़ा, जो वैदिक हिन्दू धर्म के अन्य सम्प्रदायों द्वारा उपस्थित किये गए थे। इनका एक विरोध कुमारिल भट्ट द्वारा हुआ, जो प्रसिद्ध मीमांसक हुए हैं। वे वेदों के कर्मकाण्ड में विश्वास रखते थे और याज्ञिक अनुष्ठान को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। उनका काल आठवीं सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण भक्ति आन्दोलन को बहुत धक्का लगा, और विद्वन्मण्डली का ध्यान वैदिक कर्मकाण्ड के प्रति आकृष्ट हुआ। भक्ति आन्दोलन के मार्ग में दूसरी बाधा शंकराचार्य ने उपस्थित की। शंकर अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक थे और जीव की ब्रह्म के पृथक् सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। भक्ति के लिए भक्त की भगवान् से पृथक् सत्ता का होना अनिवार्य है। यदि भक्त और भगवान् एक ही हों, तो भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शंकराचार्य दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न हुए थे, और उनका काल नवीं सदी में माना जाता है। भगवाण पाण्डित्य और अनुपम तर्क द्वारा उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया, और बौद्ध व जैन धर्मों का दार्शनिक आधार पर विरोध किया। यद्यपि शंकराचार्य के प्रयत्नों से वैदिक हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान में बहुत सहायता मिली, पर साथ ही उनके सिद्धान्त भक्ति आन्दोलन के मार्ग में बाधक भी हुए।

इसी का यह परिणाम हुआ कि दक्षिणी भारत में ही अनेक ऐसे दार्शनिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि जीव और ईश्वर में भेद को दार्शनिक आधार पर प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। इन दार्शनिकों में सर्वप्रथम नाथमुनि थे। इनका काल दसवीं सदी के अन्तिम भाग में था। नाथमुनि ने न केवल भालवार भक्तों के गीतों का संग्रह किया, अपितु साथ ही वैष्णव सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या भी की। वैष्णव धर्म के इतिहास में नाथमुनि का स्थान बहुत महत्त्व का है। मन्दिरों में विष्णु की मूर्ति के सम्मुख भक्ति के गीतों के गायन की परम्परा को प्रारम्भ करने का कार्य उन्होंने ही पहले-पहल संगठित रूप से किया था। नाथमुनि के उत्तराधिकारियों में यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य (ग्यारहवीं सदी के अन्त में) बहुत प्रसिद्ध हुए। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के मुकाबले में विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इस मत के अनुसार जीव और जगत् ईश्वर के ही दो प्रकार हैं, जीव ईश्वर का ही एक विशेषण या विशिष्ट रूप है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म की अभिन्नता के कारण

भक्ति को कोई स्थान नहीं था। पर रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार जीव ईश्वर का विशिष्ट रूप होते हुए भी उससे पृथक् सत्ता रखता है। इसलिए जीव ईश्वर की भक्ति कर सकता है।

रामानुज के बाद दक्षिणी भारत में अन्य भी अनेक ऐसे दार्शनिक हुए, जिन्होंने जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध कर भक्ति मार्ग की उपादेयता का प्रतिपादन किया। इनमें मध्वाचार्य (तेरहवीं सदी) मुख्य हैं। उनके मत में जीव और ईश्वर दो पृथक् सत्ताएँ हैं। इसीलिए उनके मत को 'द्वैतवाद' कहा जाता है। यदि जीव ईश्वर से सर्वथा भिन्न है, तो मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग का आश्रय लेना सर्वथा उचित है। रामानुज और मध्वाचार्य ने वैष्णवों को अपने भक्ति-मार्ग के लिए समुचित दार्शनिक आधार प्रदान कर दिया, और उनके प्रयत्न से इस मार्ग की बाधाएँ दूर हो गईं।

इसी युग में दक्षिणी भारत में ही निम्बार्काचार्य भी हुए, जिन्होंने श्रीकृष्ण के रूप में विष्णु की पूजा पर विशेष बल दिया। गोपियों और राधा के प्रेम को आदर्श बनाकर उन्होंने कृष्ण के प्रेम का प्रतिपादन किया और वृन्दावन को अपने प्रचार कार्य का केन्द्र बनाया। आगे चलकर निम्बार्काचार्य का यह मत बहुत लोकप्रिय हुआ, और वैष्णव धर्म के इसी रूप का उत्तरी भारत में विस्तृत रूप से प्रचार हुआ।

दक्षिणी भारत के लोगों ने किसी नये धर्म का प्रारम्भ नहीं किया था। उन्होंने आर्यों के उन्हीं धर्मों और दार्शनिक सम्प्रदायों को अपनाया था, जिनका प्रादुर्भाव उत्तरी भारत में हुआ था। पर उनके विकास में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। शैव और वैष्णव धर्मों का जो रूप आजकल विद्यमान है, उसके विकास में दक्षिणी भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व है। इसी प्रकार षड्दर्शनो की जो विचार-परम्परा इस समय भारत में प्रचलित है, उसके अनेक प्रसिद्ध आचार्य दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न हुए थे।

कला—दक्षिणी भारत में कला के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति हुई, उसका निदर्शन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। मन्दिर निर्माण की शैली दक्षिण में उत्तरी भारत से भिन्न है, पर जहाँ तक चित्रण कला और मूर्ति कला का सम्बन्ध है, उनके लिए दक्षिण में भी उन्हीं देवी-देवताओं और पौराणिक गाथाओं का आश्रय लिया गया है, जिनका विकास आदि द्वारा किया गया था, और जो भारत में सर्वत्र एकसदृश हैं।

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार—बृहत्तर भारत के विकास के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए दक्षिणी भारत का कर्तृत्व बहुत महत्त्व का था। चोल राज्य के राजा बड़े प्रतापी थे, उन्होंने अपनी सामुद्रिक सेना के उत्कर्ष पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। चोल बंशी-राजा राजराज प्रथम (१०४४ ई०) ने न केवल सिंहल द्वीप पर आक्रमण किया था, अपितु सक्कवीव और मालदीव नामक द्वीपों की भी विजय की थी। उसके उत्तराधिकारी राजेन्द्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने सिंहल द्वीप को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, और बंगाल की खाड़ी को पारकर पेगू (बरमा में) के राज्य की भी विजय की थी। चोल सम्राटों ने समुद्र पार के राज्यों को जीतकर उनपर भी:

अपना शासन स्थापित किया था, और इस प्रकार इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए अनुपम कार्य किया था। चोल राजा जो समुद्र पार अपनी शक्ति का उत्कर्ष कर सके, उसका कारण यही था कि दक्षिणी भारत के लोग बहुत प्राचीन काल जहाजों के निर्माण और समुद्रयात्रा में विशेष तत्परता प्रदर्शित किया करते थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो अनेक भारतीय उपनिवेश बसाये गये, उनमें दक्षिणी भारत का भी महत्वपूर्ण भाग था। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए दक्षिण के लोगों का यह गौरवपूर्ण कार्य था।

(५) भारतीय संस्कृति को दक्षिणी भारत की देन

दक्षिणी भारत के द्रविडों के सम्पर्क में आकर आर्य जाति ने अपने धर्म और विचारों में अनेक नये तत्त्वों को प्राप्त किया था। जब किन्हीं दो जातियों या संस्कृतियों का परस्पर सम्पर्क होता है, तो उनका प्रभाव एक-दूसरे पर अवश्य पड़ता है। प्राचीन वैदिक युग के आर्य जिन देवी-देवताओं की पूजा करते थे, बाद में उनका स्थान अन्य देवताओं ने ले लिया। ऋग्वेद के प्रधान देवता अग्नि, इन्द्र, मित्र और वरुण हैं। ऋग्वेद के बहुसंख्यक सूक्त इन्हीं देवताओं की स्तुति में बनाये गये थे। पर बाद में इन देवताओं का स्थान शिव और विष्णु ने ले लिया। विष्णु की पूजा भी राम और कृष्ण के रूप में की जाने लगी, जिन्हे विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐतिहासिकों का मत है कि आर्यों ने शिव की पूजा का जो महत्त्व बढ़ा, वह द्रविड़ लोगों के प्रभाव का ही परिणाम था। सिन्धु घाटी के निवासी, जिन्हें अनेक ऐतिहासिक द्रविड़ जाति का ही मानते हैं, पशुपति शिव के पूजक थे। साथ ही, वे एक मातृ-देवता की भी पूजा करते थे, जिसे वे प्रकृति की प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानते थे। प्राचीन तमिल साहित्य में शिव की पूजा का विशेष रूप से उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति भी दक्षिणी भारत में ही पाई गई है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है, कि अत्यन्त प्राचीन काल में द्रविड़ लोगों ने आर्यों के धर्म को विशेष रूप से प्रभावित किया था। प्रजनन शक्ति के प्रतीक योनि और लिंग की पूजा जो आर्यों में प्रचलित हुई, और शिव को जो वे प्रधान देवता मानने लगे, वह द्रविड़ लोगों के सम्पर्क का ही परिणाम था। शिव के गणों के रूप में जिन विविध देवताओं की पूजा आर्यों में प्रारम्भ हुई, उसका कारण भी यही था कि भारत के मूल निवासी इन विविध देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। समन्वय की प्रवृत्ति के कारण आर्यों ने इनकी पूजा को भी अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था।

केवल अत्यन्त प्राचीन काल में ही नहीं, अपितु बाद में भी दक्षिणी भारत ने भारतीय संस्कृति को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। दक्षिण के द्रविड़ लोग आर्यों के धर्म को स्वीकार कर चुके थे। उनकी भाषा संस्कृत के पठन-पाठन को भी उन्होंने प्रारम्भ कर दिया था। संस्कृत ने उनकी द्रविड़ भाषाओं को भी प्रभावित किया था। एक प्रकार से द्रविड़ लोग आर्य संस्कृति के रंग में रंग गये थे। पर आर्यों की इस संस्कृति को भी दक्षिणी लोगों ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति

पर दक्षिण के ये प्रभाव निम्नलिखित हैं—

(१) भक्ति आन्दोलन—अन्धक-वृष्णि सघ में वासुदेव कृष्ण ने जिस भागवत सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया था, वह याज्ञिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा विष्णु की भक्ति को अधिक महत्त्व देता था। वैदिक मर्यादा की कायम रखते हुए भागवत लोगों ने भारत के प्राचीन वैदिक धर्म में अनेक सुधार किये थे। बौद्धों और जैनों के समान भागवत लोग भी विष्णु या भगवान् के सगुणरूप को महत्त्व देते थे, और मन्दिरो में ईश्वर की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा किया करते थे। यद्यपि भक्ति-तत्त्व का प्रारम्भ उत्तरी भारत में भागवत लोगों द्वारा किया जा चुका था, पर दक्षिण के नायम्मार और झालवार भक्त सन्तो ने उस पर विशेष रूप से जोर दिया, और उनके आन्दोलनों के कारण भारत के धर्म में भक्ति-तत्त्व का विशेष रूप से विकास हुआ। इन सन्तो के सम्बन्ध में इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। भक्ति के इस आन्दोलन का प्रभाव केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु उत्तर में भी उसका प्रसार हुआ। पद्यपुराण में भक्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि “उसका जन्म द्रविड देश में हुआ था, कर्णाटक में उसकी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में उसे स्थिति प्राप्त हुई और गुजरात में आकर वह बूढ़ी हो गई।” इससे स्पष्ट है, कि मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आन्दोलन विशेष रूप से प्रचलित हुआ, उसका प्रारम्भ और विकास दक्षिणी भारत में ही हुआ था। वही से वह उत्तरी भारत में गया। वर्तमान समय के हिन्दू धर्म में कृष्ण की पूजा का बहुत महत्त्व है। कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, और गोपियों से घिरे रहते हैं। राधा के साथ कृष्ण की पूजा की जो परम्परा भारत में प्रारम्भ हुई, उसका सूत्रपात दक्षिणी भारत के ही एक आचार्य द्वारा किया गया, जिनका नाम निम्बार्काचार्य (बारहवीं सदी) था। उन्होंने वृन्दावन को केन्द्र बनाकर कृष्ण भक्ति के इस नये रूप का प्रचार किया।

वैष्णव सम्प्रदाय के समान शैव सम्प्रदाय को भी दक्षिणी भारत ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया। नायम्मार भक्तों ने शैवों में भी भक्ति का सूत्रपात किया। उत्तरी भारत के शैव लोग योग-साधनाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करने को बहुत महत्त्व देते थे। दक्षिण के शैव नायम्मार सन्तो के कारण भक्ति-मार्ग के अनुयायी बन गये थे। दक्षिण में ही शैव धर्म के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे वीर शैव या लिंगायत कहते हैं। इसका प्रारम्भ बारहवीं सदी में हुआ था, और इसका प्रवर्तक वासव नामक व्यक्ति था, जो कलचूरी वंश के राजा विज्जल का प्रधानमंत्री था। वीर शैव सम्प्रदाय के अनुयायी सुधारवादी थे, और बाल-विवाह के विरोधी तथा विधवा-विवाह के समर्थक थे। कर्णाटक और महाराष्ट्र में इस धर्म का बहुत प्रचार हुआ। कर्णाटक के लोग अब तक भी इसके अनुयायी हैं।

(२) दार्शनिक विचारधाराओं का विकास—भारत में जो विविध दार्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, उनका उल्लेख इस इतिहास में यथास्थान किया जा चुका है। छः आस्तिक (वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करने वाले) दर्शनों के अतिरिक्त बौद्धों और जैनों ने भी अपने दर्शनों का विकास किया था। भारत के दार्शनिक सिद्धान्तों के विकास में दक्षिण के लोगों ने असाधारण कर्तृत्व प्रदर्शित किया। अद्वैतवाद के प्रबल

समर्थक शंकराचार्य दक्षिण में ही उत्पन्न हुए थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजा-
चार्य और द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य का जन्म भी दक्षिणी भारत में ही हुआ
था। मीमांसा दर्शन द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड का समर्थन करने वाले कुमारिल भट्ट भी
दक्षिणी ही थे। वर्तमान समय में भारत में दर्शनों का जो पठन-पाठन प्रचलित है,
उसमें इन दार्शनिक आचार्यों की कृतियों का बहुत सम्मानपूर्ण स्थान है। तर्क द्वारा
बौद्धों और जैनो के सिद्धान्तों का खण्डन कर आस्तिकता की स्थापना में दक्षिण के
आचार्यों ने बड़े महत्त्व का कार्य किया।

(३) धार्मिक संगठन—सधों की स्थापना कर बौद्धों और जैनो ने धार्मिक
संगठन बनाने के कार्य में अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था। बौद्धों का संघ 'चातु-
दिश' माना जाता था, और सर्वत्र भिक्षु-संघों और भिक्षुणी-संघों की सत्ता थी। जैनो
ने भी अपने सधों व गणों का संगठन किया था, जिनमें जैन मुनि बड़ी संख्या में निवास
करते थे। वैदिक हिन्दू धर्म के अनुयायियों और उनके साधु सन्यासियों के कोई संगठन
पहले विद्यमान नहीं थे। पर दक्षिण के धर्माचार्यों द्वारा हिन्दू धर्म के भी धार्मिक संगठन
स्थापित किये गये। इन क्षेत्र में शंकराचार्य का कार्य बहुत अधिक महत्त्व का था।
बौद्ध मठ के समान शंकर ने सन्यासियों के सभ संगठित किये, और इसके लिए चार
केन्द्रों को चुना, जो उत्तर में बद्रीनाथ में (हिमाचल क्षेत्र के उत्तराखण्ड में), पश्चिम में
द्वारिका में, पूर्व में पुरी में और दक्षिण में शृगेरी में है। इनमें शंकराचार्य ने अपने
चार मठ स्थापित किये, जो उनके सिद्धान्तों के प्रचार और हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार में
बहुत सहायक हुए। हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायों के मठों को सार्वभौम रूप से संगठित
करने की परम्परा शंकराचार्य सदा दक्षिणी आचार्यों द्वारा ही आरम्भ की गई। शंकर
के समान रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य आदि ने भी भारत के विविध प्रदेशों में अपने
मठ कायम किये, और यह प्रक्रिया मध्यकाल के सन्तों द्वारा भी जारी रही।

(४) कला का विकास—दक्षिणी भारत में मन्दिर निर्माण, मूर्तिकला और
चित्रकला आदि के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति हुई, उसका उल्लेख पिछले अध्याय
में किया जा चुका है। जिस प्रकार के विशाल गुहा मन्दिर दक्षिणी भारत में बने, जिस
प्रकार उन्हें सुन्दर चित्रों द्वारा अलंकृत किया गया, बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर जिस
प्रकार के विशाल मन्दिरों का निर्माण किया गया, जिस प्रकार विशालकाय मूर्तियाँ
वहाँ बनाई गयीं, वैसे उत्तरी भारत में नहीं हुआ। निःसन्देह, यह दक्षिण के लोगों की
प्रतिभा का ही परिणाम था, कि उन्होने भारत की कला को विकसित करने में इतना
महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

दक्षिणी भारत के ये मन्दिर न केवल पूजा के लिए प्रयुक्त होते थे, अपितु साथ
ही जनता के सार्वजनिक जीवन के भी वे केन्द्र होते थे। मन्दिरों के विशाल मण्डपों में
सार्वजनिक सभाएँ, धार्मिक कीर्तन और कथा, नाटक आदि भी हुआ करते थे। मन्दिरों
के साथ पाठशालाएँ भी होती थी, और बड़े मन्दिरों की इन पाठशालाओं ने तो
विद्यापीठों का रूप भी प्राप्त किया हुआ था।

(५) विदेशों के साथ सम्बन्ध—पारश्चात्य देशों के साथ भारत का किस प्रकार
घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल में विद्यमान था, इस विषय पर पिछले एक अध्याय में

प्रकाश डाला जा चुका है। न केवल स्थल मार्ग से अपितु समुद्र के मार्ग से भी भारत के लोग दूर-दूर देशों में व्यापार, उपनिवेश-स्थापना और धर्म प्रचार के लिए घाया-जाया करते थे। समुद्र मार्ग द्वारा भारत ने विदेशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया, उसका मुख्य श्रेय दक्षिणी भारत को ही है। रोमन साम्राज्य के साथ दक्षिणी भारत का जो व्यापार था, उसी के कारण मदुरा आदि दक्षिण के अनेक नगरों से रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में वर्तमान समय में भी उपलब्ध हुए हैं। रोमन साम्राज्य में दक्षिणी भारत में उत्पन्न मिर्च मसालों और विविध प्रकार के रत्नों की बहुत माँग थी। पश्चिमी देशों के साथ दक्षिणी भारत का सम्बन्ध कितना घनिष्ठ था, इसका अनुमान अजन्ता की अत्यन्त गुफा (संख्या १) में चित्रित उस चित्र से किया जा सकता है, जिसमें कि पशिया के राजा खुसरो द्वितीय और उसकी रानी शिरोन का चित्र अंकित किया गया है। इसी गुफा के एक अन्य चित्र में पशिया के राजा द्वारा चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय की सेवा में भेजे गये दूत-मण्डल का चित्र चित्रित है। अरब, पशिया आदि पश्चिमी देशों में भारत के ज्ञान-विज्ञान का जो प्रवेश हुआ, उसमें भी दक्षिणी भारत के लोगों का बहुत कर्तृत्व था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति और धर्म का जो प्रचार हुआ, और वहाँ जो अनेक उपनिवेश भारतीयों ने बसाये, उनमें भी दक्षिणी भारत के लोगों ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। दक्षिण के लिए यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि वहाँ के राजा अपनी सामुद्रिक शक्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे। काँची के पल्लव वंश के राजाओं का दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बुज, चम्पा आदि राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन राज्यों में भी शैव धर्म का प्रचार था, और यह शैव धर्म प्रायः उसी ढंग का था, जैसा कि दक्षिणी भारत में प्रचलित था। कम्बुज और चम्पा में उपलब्ध संस्कृत शिलालेख उसी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जिसमें कि काँची के पल्लव राजाओं के लेख हैं। इनकी वास्तुकला भी पल्लवों की कला से मिलती-जुलती है। इनमें मन्दिरों, राजप्रासादों और मूर्तियों के जो भी अवशेष मिले हैं, वे दक्षिणी भारत की शैली के अनुसार ही निर्मित हैं। इसी प्रकार सुमात्रा, जावा और मलाया के शैलेन्द्र साम्राज्य के सम्राटों का भी दक्षिणी भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और वे अपनी सांस्कृतिक प्रेरणा वही से प्राप्त करते थे। उनके संस्कृत शिलालेखों की लिपि भी वही है, जो प्राचीन काल में दक्षिणी भारत में प्रयुक्त होती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार और उनके साथ सम्बन्ध विकसित करने के कार्य में दक्षिणी भारत की देन बहुत ही महत्त्व की है।

इक्कीसवाँ अध्याय

भारत में इस्लाम का प्रवेश

(१) अरबों का आक्रमण

सातवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब उत्तरी भारत में सम्राट् हर्षवर्धन का शासन था, अरब के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हो रहा था। अरब के इस नवयुग के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद थे। वे केवल धर्म-सुधारक ही नहीं थे, अपितु अरब के राष्ट्रीय नेता भी थे। उन्होंने अरब को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। अपने जीवनकाल (५७०-६३२ ई०) में मुहम्मद ने अरब में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर दी थी, और उनके उत्तराधिकारी खलीफाओं के समय में अरब की शक्ति पश्चिम में अटलांटिक सागर तक और पूर्व में सिन्ध नदी और पामीर की पर्वतमाला तक विस्तृत हो गयी थी। अरब का यह आकस्मिक उत्कर्ष संसार के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुहम्मद की मृत्यु के केवल दो साल बाद ६३४ ईस्वी में अरब सेनाओं ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को बुरी तरह से परास्त किया, और पश्चिमी एशिया के सीरिया, दमास्कस, जैहसलम आदि प्रदेशों पर खलीफाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। ६३७ ईस्वी में अरबों ने ईरान के सुविस्तृत साम्राज्य को परास्त किया, और शीघ्र ही उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते-बढ़ते वे चीन की सीमा तक पहुँच गये। सातवीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने पश्चिम में दूर-दूर तक विजय की। मिस्र पर कब्जा कर उन्होंने एलेग्जेंड्रिया के सुविख्यात पुस्तकालय का ध्वंस किया, और सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रीका को जीतते हुए वे जिब्राल्टर के जलडमरू-मध्य को पार कर स्पेन पहुँच गये। स्पेन उनके सम्मुख नहीं टिक सका, और अरब की सेनाएँ पिरिनीज की पर्वतमाला तक जा पहुँची। आठवीं सदी के प्रारम्भ तक यह दशा आ गई थी, कि पिरिनीज की पर्वतमाला से पामीर की पर्वतमाला तक सुविस्तीर्ण भूखण्ड पर अरबों का आधिपत्य था।

सिन्ध की विजय—अरब-साम्राज्य की शक्ति की यह दशा थी, जब कि ७१२ ईस्वी में खलीफा के अग्र्यतम सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। सिन्ध में उस समय कोई ऐसा एक शक्तिशाली राजा नहीं था, जो विश्वविजयी अरब सेनाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकता। सिन्ध के छोटे-छोटे राजा अरबों से परास्त हो गये, और भारत के इस प्रदेश पर मुहम्मद बिन कासिम का आधिपत्य स्थापित हो गया। यह बात वस्तुतः महत्त्व की है, कि इस समय अरब सेनाएँ सिन्ध से आगे बढ़कर भारत के अन्य प्रदेशों को अपनी अधीनता में नहीं ला सकीं। खलीफा की ओर से जो शासक सिन्ध में नियुक्त थे, उनका यह निरन्तर प्रयत्न रहा कि वे भारत में और आगे बढ़कर अपनी शक्ति का विस्तार करें। पर गुर्जर-प्रतीहार और चालुक्य राजाओं ने अरब सेनाओं का मुकाबला करने में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। अरब

लोग जो मुलतान और सिन्ध से धागे नहीं बढ सके, उसका एकमात्र कारण इस युग के भारत के राजवंशों की सैन्यशक्ति ही थी ।

अरबों का शासन—भारत के राजनीतिक इतिहास में अरब आक्रमण का अधिक महत्त्व नहीं है, क्योंकि इससे इस देश के इतिहास की मुख्य धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था । पर सिन्ध और मुलतान के जिन प्रदेशों पर आठवी सदी में अरब लोग अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुए, उनमें उनके शासन का क्या स्वरूप था, यह बात महत्त्व की है—

(१) अरब-विजेताओं ने हिन्दुओं के धर्म मन्दिरों को नष्ट करने और उनमें संचित सम्पत्ति को लूटने में जरा भी संकोच नहीं किया । धार्मिक दृष्टि से अरब लोग असहिष्णु थे, और काफिर हिन्दुओं के धर्म को सहन कर सकना उनके लिए मुगम नहीं था । इसीलिए उन्होंने हिन्दुओं पर अत्याचार किये ।

(२) पशिया आदि जिन अन्य देशों पर अरबों ने आक्रमण किया था, इस्लाम के मुकाबले में वहाँ के लोग अपने धर्म की रक्षा करने में असमर्थ रहे थे । जिस प्रकार सूने जंगल में दावानल बात की बात में फैल जाता है, वैसे ही सिन्ध, ईरान आदि देशों में इस्लाम का प्रसार हो गया था । इन देशों के पुराने धर्मों में इतनी शक्ति नहीं थी, कि वे इस्लाम के विकृष्ट रूपों की रक्षा कर सकते । पर सिन्ध और मुलतान के हिन्दू अरबों द्वारा आक्रान्त होने पर अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ रहे । मुसलिम धर्म को न अपनाते के कारण उन्हें जजिया कर देना पड़ता था । जो कोई मनुष्य इस्लाम को अपना ले, उसे जजिया देने की आवश्यकता नहीं होती थी । हिन्दुओं और मुसलमानों के पारस्परिक मुकदमों का फसला मुसलिम-कानून के अनुसार काजी लोगों द्वारा किया जाता था, जिनके कारण हिन्दू सदा नुकसान में रहते थे । पर फिर भी सिन्ध और मुलतान के लाखों हिन्दू जो अपने धर्म पर दृढ़ रहे, यह उनकी जीवनी-शक्ति और धर्म-प्रेम का परिचायक है ।

(३) सिन्ध और मुलतान की विजय के कारण अरब लोगों का आधिपत्य ऐसे प्रदेशों पर स्थापित हो गया था, जिनके निवासी सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में अपने शासकों की अपेक्षा अधिक उन्नत थे । इसी कारण अरबों ने अपने शासन में ब्राह्मण कर्मचारियों को प्रथम स्थान दिया, और उन्हीं की सहायता और सहयोग से वे शासन-कार्य में सफल हो सके ।

भारत से सम्पर्क का परिणाम—सिन्ध और मुलतान की विजय से अरब के खलीफाओं का सम्पर्क एक ऐसी जाति से हो गया था, जो उस युग में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शिरोमणि थी । दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, अध्यात्मचिन्तन आदि सभी विषयों में आठवी सदी के भारतीय अरबों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत थे । अरबों ने शीघ्र ही इस तथ्य को अनुभव कर लिया, और बगदाद के खलीफाओं ने भारत के इस ज्ञान से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया । खलीफा मन्सूर (७५३-७७४ ई०) ने भारत से अनेक विद्वानों और ज्योतिषियों को बगदाद बुलाया, और उनकी सहायता से बहगुप्त आदि विद्वानों के अनेक ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया । खलीफा हारून रसीद (७८६-८०६ ई०) के शासन-काल में बहुत-से भारतीय गणितज्ञ,

ज्योतिषी और वैद्य बगदाद बुलाये गये, और बहुत-से भारतीय ग्रन्थों को अरबी-भाषा में अनुदित किया गया। खलीफा हारून रशीद के दरबार में बरमक नामक वजीर खानदान का बहुत प्रभाव था। इस खानदान के लोग बल्स के निवासी थे, और उनके पुरखा वहाँ के बौद्ध विहार के पदाधिकारी रह चुके थे। यद्यपि अब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, पर मध्य एशिया और भारत के बौद्ध व अन्य विद्वानों में उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसीलिए उन्होंने भारत के अनेक विद्वानों को बगदाद में निमंत्रित किया, और उन्हें सम्मानपूर्ण पद प्रदान किये। अरब के इतिहास की दृष्टि से यह बात बहुत अधिक महत्त्व की थी। इस युग में अरबों में अनुपम जीवनी शक्ति थी। भारत में गणित, ज्योतिष और चिकित्साशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने इन विषयों में अद्भुत उन्नति की। प्रसिद्ध ऐतिहासिक एब० जी० वेल्स के अनुसार मध्य-युग में जब यूरोप में सर्वत्र अविद्यान्धकार छाया हुआ था, जान का दीपक केवल अरबों में ही प्रकाश कर रहा था। अरब में ज्ञान का जो यह दीपक प्रकाशित हुआ, उसका प्रधान कारण उनका भारत के साथ सम्पर्क ही था। गणित, ज्योतिष आदि का जो ज्ञान अरबों ने भारत में प्राप्त किया, उसे अरबों में यूरोपियन लोगों ने सीखा। मध्य-युग के अन्त में यूरोप में जो विद्या का पुनःजागरण हुआ, उममें सिसली, स्पेन और दक्षिणी इटली का अरबों से घनिष्ठ सम्पर्क एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

अरब-शक्ति का ह्रास—आठवीं सदी के प्रारम्भ में सिन्ध और मुलतान के प्रदेश विशाल अरब साम्राज्य की अधीनता में आ गये थे। पर गुर्जर-प्रतीहार राजा नागभट्ट के पराक्रम के कारण अरब लोग भारत में अधिक आगे नहीं बढ़ सके। ८८४ ईस्वी में सिन्ध के अरब शासक इब्न बिन मूसा ने एक बार फिर भारत विजय का प्रयत्न किया, और दक्षिण-पूर्व में कच्छ के ऊपर आक्रमण किया। पर कन्नौज के प्रतापी गुर्जरप्रतीहार सम्राट् मिहिरभोज ने उममें परास्त कर अरबों की महत्त्वाकांक्षाओं का सदा के लिए अन्त कर दिया। इस बीच में अरब की खलीफत में भी निर्वलता आनी शुरु हो गई थी, और खलीफाओं के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे अपने साम्राज्य के सुदूरवर्ती भारतीय प्रदेशों पर अपना नियन्त्रण रख सकें। परिणाम यह हुआ, कि सिन्ध और मुलतान के प्रदेशों में विविध अरब शासक स्वतन्त्र हो गये और पारस्परिक संघर्ष में अपनी शक्ति को क्षीण करने लगे। दसवीं सदी के अन्त में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण शुरू किये, सिन्ध और मुलतान के अरब-शासकों की स्थिति छोटे-छोटे स्थानीय राजाओं (अमीरों) की रह गयी थी, और भारत के राजनीतिक जीवन में उनका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था।

(२) तुर्कों के आक्रमण

सातवीं-आठवीं सदियों में अरबों ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, धीरे-धीरे उसमें क्षीणता के चिह्न प्रगट होने लग गये थे। जिस प्रकार विशाल गुप्त-साम्राज्य हूणों के आक्रमणों का मुकाबला करते-करते क्षीण हो गया था, वैसे ही सुविस्तीर्ण अरब-साम्राज्य पर भी उत्तर और पूर्व की ओर से निरन्तर आक्रमण होते रहते थे, और उनसे अपनी रक्षा करने में अरब लोग अपने को असमर्थ पाते थे। दसवीं

सदी में अरब साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हुआ, और उसके अन्तर्भावों पर अनेक नये राज्य कायम हुए। इन राज्यों में तुर्कों द्वारा स्थापित गजनी के राज्य का भारतीय इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। तुर्क लोग अरबों के मुकाबले में असम्य थे। इसी कारण अरबों के सम्पर्क में आकर उन्होंने उनके धर्म और संस्कृति को अपना लिया था। गजनी के तुर्क-राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था, और उसने दसवीं सदी के मध्य भाग में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। अलप्तगीन के बाद उसका पुत्र सुबुक्तगीन (९७७ ई० प०) गजनी का राजा बना। उसने अपने तुर्क-राज्य के उत्कर्ष के लिए भारत पर अनेक आक्रमण किये। इस समय उत्तर-पश्चिमी भारत जयपाल नामक राजा के शासन में था, जिसकी राजधानी सिन्ध नदी के तट पर स्थित ओहिन्द नगरी थी। जयपाल हिन्दूसाही वंश का था, और वर्तमान समय के अफगानिस्तान के भी कतिपय प्रदेश (प्राचीन पश्चिमी-गान्धार जनपद) उसके राज्य के अन्तर्गत थे। तुर्क-आक्रान्ता का मुकाबला करने के लिए जयपाल ने अन्य भारतीय राजाओं की भी सहायता प्राप्त की। खुर्रम नदी के तट पर तुर्क और भारतीय सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें सुबुक्तगीन की विजय हुई। इस विजय के कारण सिन्ध नदी के पश्चिम के उत्तर-पश्चिमी भारत पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया।

महमूद गजनवी—९९७ ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी का सुलतान बना। उसने गजनी के तुर्क साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया, और अपने राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर कई बार आक्रमण किये। दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़ तक और पूर्व में मथुरा और कन्नौज तक महमूद ने विजययात्राएँ की, और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पश्चिमी पंजाब और सिन्ध अब मुसलिम शासकों की अधीनता में चले गये। महमूद के उत्तराधिकारी निबल थे। उनके शासनकाल में गजनी का साम्राज्य क्षीण होना शुरू हो गया, और तुर्कों के लिए यह सम्भव नहीं हुआ, कि वे पश्चिमी पंजाब से आगे बढ़कर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर सकें।

ग्यारहवीं सदी के शुरू में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किये थे। इसके बाद लगभग दो सदी तक भारत पर किसी विदेशी आक्रान्ता ने आक्रमण नहीं किया। बारहवीं सदी के अन्त (११९१ ईस्वी) में एक बार फिर अफगानिस्तान के क्षेत्र से मुसलमानों ने भारत पर हमले शुरू किये, और शहाबुद्दीन गौरी ने उत्तरी भारत के अच्छे बड़े प्रदेशों को जीतकर अफगान सल्तनत की नींव डाली। पर लगभग दो सौ साल तक भारत इस्लाम के आक्रमणों से बचा रहा।

(३) इस्लाम का हिन्दू-जाति से प्रथम सम्पर्क

विदेशी तथा विधर्मी लोगों का आक्रमण भारत के लिए कोई नयी बात नहीं थी। अरबों और तुर्कों से पहले भी अनेक विदेशी जातियों ने विजेता के रूप में भारत में प्रवेश किया था। यवन (ग्रीक), शक, युइधि, पार्थियन, कुशाण, हूण आदि कितनी ही जातियों ने भारत के अनेक प्रदेशों की विजय कर वहाँ अपने राज्य स्थापित किये थे। राजनीतिक दृष्टि से ये जातियाँ चाहे विजयी रही हों, पर धर्म, सम्यता और

संस्कृति के क्षेत्र में ये भारतीयों द्वारा परास्त हो गई थीं। अनेक यवन राजाओं ने भारत के सम्पर्क में आकर बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को अपना लिया था। शक, युश्धि, हूण आदि भारत में आकर पूर्णरूप से भारतीय बन गये थे। बहुत पुराने समय से भारत में 'ब्राह्म्यस्तोम' यज्ञ की परिपाटी थी, जिससे इन सब ब्राह्म्य जातियों को आर्यों ने अपने धर्म व समाज में सम्मिलित कर लिया था, और भारत में बस जाने के वार ये जातियाँ इस देश के लिए विदेशी नहीं रहीं। इन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, साहित्य और संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया था।

भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि अरब और तुर्क लोग भारत में प्रविष्ट होने के बाद भी इस देश के समाज का भंग नहीं बन सके। साथ ही, यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि अरब और तुर्क लोगों को भी हिन्दुओं को अपने रंग में रंग सकने में वह सफलता नहीं हुई, जो उन्हें अन्य देशों में हुई थी। अरब साम्राज्य के उत्कर्ष काल में जहाँ कहीं भी अरबों का आधिपत्य स्थापित हुआ, वहाँ की जनता ने पूर्णरूप से अरब के धर्म, सम्प्रदाय और संस्कृति को अपना लिया। प्राचीन मिस्र की यूनानी संस्कृति और प्राचीन ईरान की अपनी उच्च संस्कृति मुसलिम अरबों के सामने नहीं टिक सकी। पर भारत में मुसलमानों को वह सफलता नहीं मिली, जो उन्हें मिस्र और ईरान में प्राप्त हुई थी। इस स्थिति के क्या कारण थे ?

(१) इस युग में इस्लाम ने अद्भुत जीवनी शक्ति थी। वह एक नई महत्वाकांक्षा को लेकर अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था। मुसलमानों से पूर्व यवन, शक, कुशाण, हूण आदि जिन जातियों ने भारत में प्रवेश किया था, वे किसी ऐसे जीवनपूर्ण धर्म की अनुयायी नहीं थी, जो अपने को अन्य सब धर्मों की अपेक्षा उत्कृष्ट समझता हो। मुसलमान एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, मूर्ति-पूजा से उन्हें उत्कृष्ट घृणा थी, मूर्तियों का भजन करने में वे गौरव अनुभव करते थे। इस युग के मुसलमान धर्मों के समन्वय और सामंजस्य को महत्त्व नहीं देते थे। इस्लाम का प्रयत्न था, कि वह सम्पूर्ण विश्व को आत्मसात् कर ले। उसकी दृष्टि में सब मनुष्य एक बराबर थे, बसते कि वे इस्लाम को स्वीकार कर लें। मुसलमान बन जाने के बाद ऊँच-नीच, छूत-अछूत और स्वामी-दास का भेद-भाव नहीं रह जाता था। भारत के जाति-भेद-प्रधान हिन्दू-धर्म के मुकाबले में इस्लाम की यह विशेषता बड़े महत्त्व की थी। इस देश के शूद्रों और अन्य नीच समझे जाने वाले लोगों के लिए अपनी स्थिति को ऊँचा बनाने का यह अनुपम अवसर था। हिन्दू धर्म का परिहाय्य कर इस्लाम को स्वीकार कर लेने मात्र से वे शूद्र या अछूत की हीन स्थिति से ऊँचा उठाकर शसक श्रेणी में सम्मिलित हो सकते थे। इस कारण मुसलमानों को भारत में अपने धर्म के प्रसार का अच्छा अवसर प्राप्त था। वे क्यों अपने धर्म को छोड़कर शैव, वैष्णव या बौद्ध धर्म को अपनाते ? इसमें सन्देह नहीं, कि इस युग के हिन्दू धर्म में सामंजस्य व समन्वय की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनके लिए यह स्वाभाविक था, कि वे अरबों और तुर्कों के 'अल्लाह' को भी विष्णु व शिव का ही रूप मान लेते, और रसूल मुहम्मद को भी कृष्ण तथा बुद्ध के समान ईश्वर का अन्वयतम अवतार। 'अल्लोपनिषद्' की रचना इसी प्रवृत्ति का परिणाम थी। पर इस्लाम का अल्लाह 'लाशरीक' था, और शिरकत को मुसलमान लोग बहुत

बडा कुफ समझते थे। इस दशा मे यह कैसे सम्भव था, कि विश्व भर को अपने दायरे में ले आने के लिए उत्सुक मुसलमान हिन्दू धर्म मे अपने को विलीन कर सकते।

(२) जहाँ एक ओर इस्लाम मे अपूर्व जीवनी शक्ति थी, वहाँ दूसरी ओर हिन्दू-धर्म में क्षीणता आ गयी थी। वष्ययान, वाममार्ग आदि सम्प्रदायों के विकास के कारण भारत के धर्मों का स्वरूप इस प्रकार का हो गया था, कि उनमे लोकहित प्रीर मानव-कल्याण की भावना का अन्त होकर गुह्य सिद्धियों की प्राप्ति की उत्कण्ठा प्रबल हो गयी थी। धर्म का सामूहिक प्रयोजन भी कुछ है, यह विचार इस युग के भारतीय धर्मों मे बहुत क्षीण हो गया था। जाति-भेद के विकास के कारण इस देश का जनसमाज बहूत-से छोटे-छोटे विभागो मे विभक्त हो गया था। जब भारत के उच्च वर्ग के लोग अपने धर्म के अनुयायी निम्न वर्ग के लोगों से ही पृथक्त्व अनुभव करते थे, तो उनसे यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि वे मुसलमानों को अपने समाज का अंग बना सकें। किसी समय भारत के धर्मों में भी पतितपावनी शक्ति विद्यमान थी। भगवान् विष्णु के स्मरण व पूजा से शक, यवन, हूण आदि 'पापयोनि' जातियाँ प्राचीन समय मे अपने को पवित्र कर सकती थी। पर विष्णु की यह पावनी शक्ति इस युग के वैष्णवों की दृष्टि मे लुप्त हो चुकी थी। धर्म के 'लोकहितकारक' क्रियात्मक रूप को प्राँलों से ओझल कर हिन्दू धर्म के नेता इस समय या तो गुह्य सिद्धियों की साधना मे तत्पर थे, और या यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने और भक्ति द्वारा भगवान् को रिक्ताने में प्रयत्नशील थे। कुछ विचारको ने इस समय शुद्धि द्वारा तुकों को आत्मसात् करने का प्रयत्न भी किया। पर इस प्रयत्न के पीछे वह प्रेरणा नहीं थी, जो विदेशी व विधर्मी लोगो को अपना अङ्ग बना लेती है। अरबों और तुकों के रूप में जो नयी 'त्रात्य' या 'पापयोनि' जातियाँ इस समय भारत में प्रविष्ट हुई थी, उन्हें अपने में लीन कर सकने में हिन्दू जाति असमर्थ रही।

जो बात धर्म के सम्बन्ध मे हुई, वही भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में भी हुई। जब तुकों ने शुरू मे भारत पर आक्रमण किया, तो उन्हें यह आवश्यकता अनुभव हुई, कि अपने सिक्कों पर वे संस्कृत-भाषा का प्रयोग करें। वे यह आशा नहीं करते थे, कि किसी विदेशी भाषा के सहारे वे भारत में अपने शासन को चला सकेंगे। महमूद गजनवी के चाँदी के सिक्कों पर यह लेख पाया जाता है—“अव्यक्तयेकं मुहम्मद अवतार नृपति महमूद अय टंको महमूदपुरे षटे हतो जिनायन संवत्” इसका अर्थ है “एक अव्यक्त (ला इला इलिल्ललाह) मुहम्मद अवतार (मुहम्मद रसूल इल्लाह) राजा महमूद, यह टंका महमूदपुर की टकसाल में पीटकर बनाया गया, जिन (हजरत) के अयन (भागने-हजरत) का संवत्।” केवल महमूद ने ही नहीं, अपितु अफगान सुलतानों ने भी शुरू में अपने सिक्कों पर संस्कृत-भाषा का प्रयोग किया था। ऐसे एक टंके पर 'खी महमूद साम' नागरी अक्षरों में अंकित है, और साथ में बैठे हुए नन्दी की प्रतिमा है। अफगान-युग के एक अन्य टंके पर लक्ष्मी की मूर्ति के साथ 'श्रीमद भीर मुहम्मद साम' शब्द अंकित है। पर मुसलिम शासकों की यह प्रवृत्ति देर तक कायम नहीं रही। क्षीघ्र ही, उन्होंने अपने सिक्कों पर से या शासन-सम्बन्धी अन्य कार्यों से संस्कृत-भाषा और देव-नागरी लिपि को दूर कर दिया। वे हिन्दुओं के साथ किसी भी प्रकार की एकता

स्थापित कर सकने में असमर्थ रहे। उन्होंने पश्चिम भाषा और पश्चिम लिपि का भारत में उपयोग किया, और हिन्दुओं व मुसलमानों की दुनिया एक दूसरे से सर्वथा पृथक् होती गयी। भारत के इतिहास में यह बात बहुत महत्व की है। इसी कारण जब बारहवीं सदी के अन्त में अफगान-आक्रान्ताओं ने भारत के अच्छे बड़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया, तो इस देश के लिए उनका शासन विदेशी शासन के सदृश था। दिल्ली के अफगान सुलतान अपने शासन के लिए या तो अपने सजातीय सरदारों और सैनिकों पर निर्भर करते थे, और या उन भागीयों पर, जिन्होंने कि इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। भुगल बादशाहों में न केवल अकबर और जहाँगीर की, अपितु औरंगजेब तक की शक्ति का मुख्य आधार राजपूत सैनिक थे, जो हिन्दू-धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करते थे। पर अफगान युग में यह बात नहीं थी। इस काल में मुसलमानों की एक पृथक् श्रेणी थी, जो अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए थी, और जिसका इस देश की सर्वसाधारण जनता के साथ कोई विशेष सम्पर्क नहीं था। पर यह बात भी असम्भव थी, कि भारत में स्थिर रूप से बस जाने के बाद भी तुर्कों और अफगानों पर इस देश की सभ्यता और संस्कृति का कोई असर न पड़ता, या इस्लाम के रूप में जो एक नया धर्म इस देश में प्रविष्ट हुआ था, वह भारत के जीवन और विचार-प्रवाह को प्रभावित किए बिना रह जाता। मुसलमानों और हिन्दुओं के इस सम्पर्क द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न हुए, इस प्रश्न पर हम अगले एक अध्याय में विशद रूप से विचार करेंगे। पर पहले यह आवश्यक है, कि भारत में मुसलिम शासन के स्थिर रूप से स्थापित होने के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाए, क्योंकि अरबों और तुर्कों के आक्रमणों के बाद भी इस देश की राजशक्ति मुसलमानों के हाथों में नहीं चली गयी थी। ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में भारत का बहुत बड़ा भाग मुसलिम आधिपत्य से मुक्त था, और इस देश की प्रधान राजशक्ति उन राजपूत राजवंशों के हाथों में थी, जो विविध प्रदेशों में पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ शासन करते हुए अपने-अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

(४) तुर्क-अफगान सल्तनत की स्थापना

तुर्क सुलतान महमूद ने गजनी को राजधानी बनाकर जिस विशाल व वैभवपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे उसके निर्बल उत्तराधिकारी सुव्यवस्थित रूप से कायम रख सकने में असमर्थ रहे थे। गजनी के उत्तर में एक छोटा-सा राज्य था, जिसे गोर कहते थे। तुर्क सुलतानों की निर्बलता से लाभ उठाकर ११५० ई० में गोरी के अफगान सरदार अलाउद्दीन ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया, और ध्रुवसर पाकर गजनी को भी जीत लिया। गजनी का शासन करने के लिए उसने अपने भाई शहाबुद्दीन गोरी को नियत किया, जो बाद में वहाँ का स्वतन्त्र सुलतान बन गया। शहाबुद्दीन गोरी ने पहले उत्तर-पश्चिमी भारत से तुर्कों के शासन का अन्त किया, और फिर पंजाब से आगे बढ़ दिल्ली और कन्नौज के चौहान और गहड़वाल राजाओं को परास्त करने में समर्थ हुआ। यह प्रथम ध्रुवसर था, जब इस्लाम के अनुयायी विदेशी आक्रान्ता ठेठ

उत्तरी भारत को अपने अधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। कन्नौज की पराजय से काशी तक के प्रदेश पर शहाबुद्दीन गोरी का अधिकार हो गया था।

शहाबुद्दीन गोरी ने भारत के अपने 'विजित' प्रदेश का शासन करने के लिए अपने अन्यतम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियत किया, जो १२०६ में दिल्ली में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगा। पर अफगानों की भारत-विजय कन्नौज और काशी को अधिकृत कर लेने के साथ ही समाप्त नहीं हो गयी थी। ११६७ ईस्वी में अन्यतम अफगान सेनापति मुहम्मद बिन बल्ल्यार खिलजी ने काशी से आगे बढ़कर मगध और बंगाल पर आक्रमण किया, और इनके निर्बल राजा मुसलिम आक्रान्ताओं से अपने राज्यों की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे। मगध और बंगाल के समान बुन्देलखण्ड पर भी १२०३ में आक्रमण किया गया, और कालिन्जर के सुदृढ़ दुर्ग को जीत कर इस प्रदेश को भी अफगान-सल्तनत में शामिल कर लिया गया।

१२०६ में जब कुतुबुद्दीन दिल्ली के राजसिंहासन पर आरोढ़ हुआ, तो प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत अफगानों के अधिपत्य में आ चुका था। १२०६ से १५२५ तक तीन सदी से भी अधिक समय तक भारत में तुर्क-अफगानों का शासन रहा।

भारतीय इतिहास के इस अफगान-युग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग १२१० से १३५० तक था, जबकि दिल्ली के सुलतान भारत के विविध प्रदेशों की विजय में तत्पर रहे। इस युग के सुलतानों की यह आकांक्षा थी, कि वे दूर-दूर तक विजय यात्राएँ कर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, और विजित नगरों को लूटकर अपने राज्यकोष को पूर्ण करें। देवगिरि, वारङ्गल आदि से लूटे हुए धन से दिल्ली का राजकोष परिपूर्ण हो गया था, और सुलतान व उनके दरबारी इस धन को भोग-विलास में स्वेच्छापूर्वक उठा सकते थे। १३५० के लगभग अफगान-युग के द्वितीय भाग का प्रारम्भ हुआ, जबकि दिल्ली की सल्तनत के अनेक प्रान्तीय शासकों ने विद्रोह कर अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर ली।

पन्द्रहवीं सदी के शुरू में भारत की राजशक्ति का जो स्वरूप विकसित हो गया था, उसे संक्षेप में इस प्रकार सूचित किया जा सकता है, कि दिल्ली के अफगान सुलतानों की शक्ति बहुत क्षीण हो गयी थी, और उनकी स्थिति उनकी अधीनता से मुक्त हुए बहमनी राज्य, गुजरात व मालवा के मुसलिम शासकों के मुकाबले में बहुत कम थी। दिल्ली के सुलतानों की अपेक्षा बंगाल, जौनपुर, माण्डू, अहमदाबाद और दौलताबाद के सुलतान अधिक शक्तिशाली और वैभवपूर्ण थे। इन विविध मुसलिम राजशक्तियों के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के विजयनगर राज्य और राजपूताना के विविध राजपूत राज्यों का इस युग में निरन्तर उत्कर्ष हो रहा था, और मेवाड़ के राणा उत्तरी भारत के किसी भी मुसलिम सुलतान की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। गुजरात और मालवा के मुसलिम सुलतानों के साथ निरन्तर संघर्ष कर मेवाड़ के राणाओं ने अपनी शक्ति को बहुत बड़ा लिया था। सोलहवीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों ने भारत में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और मुगलों के साथ भारत के इतिहास में एक नए युग का प्रारम्भ हुआ।

बाईसवाँ अध्याय

तुर्क-अफगान युग का भारत

(१) शासन-व्यवस्था

तुर्क-अफगान-युग—१२१० से १५२५ ई० तक के काल को हमने भारतीय इतिहास का 'तुर्क-अफगान युग' कहा है। पर तुर्कों और अफगानों के अतिरिक्त बहुत-से भारतीय भी इस युग की मुसलिम शासक-श्रेणी के अंग बन गए थे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। इस्लाम में विदेशी और विचर्मी लोगों को आत्म-सात करने की अनुपम क्षमता थी। भारत की पुरानी शासक व सैनिक श्रेणियों के कुछ लोगो ने भी मुसलिम आक्रान्ताओं के सम्पर्क में आकर इस्लाम की दीक्षा ले ली थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर तुर्क या अफगान न होकर विशुद्ध भारतीय था, जिसने इस्लाम को अंगीकार कर लिया था। गुजरात में स्वतन्त्र मुसलिम सल्तनत को स्थापित करने वाला राजवंश प्राचीन तक्षक क्षत्रिय जाति का था, जिसके प्रधान पुरुषों ने फीरोज तुगलक के समय में इस्लाम को अपना लिया था। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू भी भारतीय था, जो पहले एक ब्राह्मण कुल की सेवा में नियुक्त था। यदि इस दृष्टि से देखा जाए, तो इस युग की मुसलिम शासक-श्रेणी केवल तुर्कों और अफगानों तक ही सीमित नहीं थी, मुसलिम धर्म को अपनाने वाले बहुत-से भारतीय भी उसके अंग बन गए थे।

राजसत्ता का स्वरूप—इस युग के मुसलिम सुलतान पूर्णतया निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई भी संस्थाएँ व समाएँ इस युग में विद्यमान नहीं थी। सुलतान की इच्छा ही कानून मानी जाती थी, और न्याय-सम्बन्धी बातों में भी उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। इस्लाम का प्रादुर्भाव अरब में हुआ था, और वहाँ की राजसत्ता को 'सम्प्रदायतन्त्र' (Theocracy) कहा जा सकता है। अरब मुहम्मद के उत्तराधिकारी जहाँ अरब साम्राज्य के अधिपति थे, वहाँ साथ ही इस्लाम के प्रधान धर्माधिकारी भी थे। सन्नाद् और पोप दोनों के पद अरब के खलीफाओं में मिलकर एक हो गए थे। अरब साम्राज्य के पतन के बाद जब विभिन्न स्वतन्त्र मुसलिम राज्यों की स्थापना हुई, तो उनके शासक यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से अपने राज्य में स्वतन्त्र थे, पर धार्मिक दृष्टि से वे खलीफा की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते थे। भारत में जब अरबों (आठवीं सदी में) और तुर्कों (दसवीं सदी) ने अपने राज्य कायम किये, तो उनके राजा भी खलीफा के धार्मिक प्रभुत्व को मानते थे। सम्पूर्ण मुसलिम संसार एक है, और उसका अधिपति खलीफा है, यह विचार मुसलिम जगत् में बहुत प्रबल था। पर अफगान युग के मुसलिम सुलतानों ने इस विचार के विपरीत प्राचरण किया, और अफवादस्वरूप कतिपय सुलतानों के अतिरिक्त अन्य सबने अपने नाम से खतुबा पढ़ाया। मुसलिम लोग नमाज के समय जहाँ अल्लाह

और रसूल का स्मरण करते थे, वहाँ साथ ही खलीफा के प्रति भी अपनी भक्ति प्रकट करते थे। ख़ुतबे में खलीफा का स्मरण इस भक्ति का प्रमाण माना जाता था। खलीफा के स्थान पर अपने नाम से ख़ुतबा पढ़वाकर दिल्ली के मुसलिम सुलतानों ने अपनी शक्ति और सत्ता का सर्वोच्च रूप प्रकट किया था। जिन सुलतानों ने ख़ुतबे में खलीफा को स्थान दिया, उनमें अलतमश, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये सुलतान बहुत शक्तिशाली थे, और भारत के बाहर के मुसलिम जगत् के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। पर इन सुलतानों में भी यह भाव विद्यमान था, कि राज्य में उनकी शक्ति सर्वोपरि है, और वे अल्लाह की इच्छा के अनुसार ही अपनी सल्तनत का शासन करने के लिए नियुक्त हुए हैं। मुहम्मद तुगलक की अनेक उपाधियों में एक 'सुलतान-जिलाह-उल्लाह' भी थी, जिसका अर्थ भगवान् की छाया या प्रतिमूर्ति है। निःसन्देह, इस युग के सुलतान अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और अपनी शक्ति पर किसी अन्य का अंकुश स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे।

सुलतानों पर अंकुश—पर अफगान युग के मुसलिम सुलतान अशकल रूप से स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाले तत्त्व निम्नलिखित थे :—

(१) उनकी शक्ति का मुख्य आधार सैनिक वर्ग था। अतः सैनिक नेताओं की इच्छा की वे पूर्णतया उपेक्षा नहीं कर सकते थे। अफगान-सुलतानों को इस देश की ऐसी बहुसंख्यक जनता पर शासन करना था, जिसमें अभी वीरता और स्वातन्त्र्य-भावना का सर्वथा लोप नहीं हो गया था। इस भारतीय जनता को सैनिक शक्ति द्वारा ही अपने वश में रखा जा सकता था। अतः दिल्ली की सल्तनत में सैनिकों और उनके नेताओं का बहुत महत्त्व था। सुलतान उनकी सम्मति की उपेक्षा कर अपनी सत्ता को कायम नहीं रख सकता था।

(२) दिल्ली के सुलतान उलमा लोगों के प्रभाव में थे, और इस्लाम के कानून के अनुसार ही शासन करने का प्रयत्न करते थे। अफगान आक्रान्ताओं ने एक ऐसे देश को जीतकर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी जनता इस्लाम की दृष्टि में काफिर या विधर्मी थी। अपने सैनिकों में उत्साह का संचार करने और उन्हें अफगान सल्तनत की रक्षा के लिए अपने जीवन की बलि दे देने की प्रेरणा का सर्वोत्तम उपाय यह था, कि उनमें यह विचार कूट-कूटकर भर दिया जाए, कि दिल्ली की सल्तनत इस्लामी राज्य है, जिसका नेतृत्व उलमाओं के हाथों में है, और जिसका उद्देश्य इस्लाम का उत्कर्ष है। यही कारण है, कि अफगान-युग के मुसलिम शासक उलमाओं के आदेशों का पालन करते थे, और इस्लाम के कानून को सर्वोपरि मानते थे। उलमाओं के प्रभाव में रहना अफगान सुलतानों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थी। इसीलिए प्रायः सभी अफगान सुलतानों ने उलमाओं का अनुसरण किया, और उन द्वारा प्रतिपादित शरायत कानून के अनुसार राज्य के शासन का प्रयत्न किया।

अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी सुलतान ने राज्यविषयक मामलों में उलमाओं के हस्तक्षेप और प्रभाव को अनुचित समझा। उसका कथन था कि राज्य में सुलतान

की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए। एक बार उसने काजी मुघिसुद्दीन से प्रश्न किया, कि देबगिरि की लूट में जो अपार सम्पत्ति मैंने अधिगत की थी, शरायत के अनुसार वह मेरी वैयक्तिक सम्पत्ति है, या वह राजकोष में जानी चाहिए। काजी का उत्तर था, कि यह सम्पत्ति सुलतान ने सैनिकों की सहायता से प्राप्त की है, अकेले नहीं, अतः इस पर सुलतान का वैयक्तिक स्वत्व नहीं हो सकता। इस उत्तर से अलाउद्दीन बहुत क्रुद्ध हुआ, पर काजी मुघिसुद्दीन ने बिना किसी भय के शरायत के कानून का प्रतिपादन किया। यद्यपि अलाउद्दीन काजी के विचार से सहमत नहीं हुआ, पर उसने उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। अपने व्यवहार में वह पूर्णतया स्वेच्छाचारी था, और उसने अपनी समझ के अनुसार जो कुछ उचित समझा, वही किया। पर उलमा और काजी लोगों का प्रत्यक्ष विरोध करने की शक्ति अलाउद्दीन जैसे उद्दण्ड सुलतान में भी नहीं थी। उलमाओं का विरोध करने में मुहम्मद तुगलक ने अधिक साहस से काम लिया। उसने न्याय के सम्बन्ध में काजियों द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं की उपेक्षा की, और अनेक ऐसे आदेश दिये, जो उलमाओं की दृष्टि में शरायत के विरुद्ध थे। परिणाम यह हुआ, कि उलमाओं ने उसके खिलाफ साजिश की, और उसे अपनी योजनाओं में सफल नहीं होने दिया। सैनिक नेताओं की वशवर्तता और उलमाओं का प्रभाव—ये दो ऐसी शक्तियाँ थी, जो अफगान-सुलतानों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश का कार्य करती थी।

(३) दिल्ली के सुलतानों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। सुलतान की मृत्यु के बाद कौन व्यक्ति दिल्ली की राजगद्दी पर आरूढ़ हो, इसका निश्चय निम्नलिखित बातों को सम्मुख रखकर किया जाता था—(क) मृत सुलतान ने किस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। (ख) उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है। (ग) उसके पुत्रों व कुटुम्ब के अन्य मनुष्यों में कौन सबसे अधिक योग्य है। पर इन दृष्टियों से नये सुलतान का निर्णय उन सैनिक नेताओं और अमीर-उमराओं द्वारा किया जाता था, जिनकी सत्ता सल्तनत में सर्वप्रधान थी। इसी कारण कोई ऐसा व्यक्ति सुलतान-पद को प्राप्त नहीं कर सकता था, जिसे शक्तिशाली सैनिक नेताओं और अमीर-उमराओं का सहयोग व समर्थन प्राप्त न हो। इसीलिए सल्तनत के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में प्रायः झगड़े होते रहते थे, और जो व्यक्ति इस सघर्ष में सफलता प्राप्त कर राजसिंहासन पर आरूढ़ होता था, वह अपने सहायक व पक्षपाती सैनिक नेताओं की उपेक्षा कर पूर्णरूप से निरंकुश हो सकने में असमर्थ रहता था।

राजकर्मचारी वर्ग—राज्य के सर्वोच्च अधिकारी को 'बजीर' कहते थे। शासन के सब विभागों पर इस बजीर का नियन्त्रण होता था। शासन के मुख्य विभाग निम्नलिखित थे—(१) दीवाने-अर्ज या अपील का विभाग। (२) दीवाने-रिसालत या सैन्य विभाग। (३) दीवाने-इन्शा या पत्र-व्यवहार विभाग। (४) दीवाने-बन्दगान या गुलामों का विभाग। (५) दीवाने-कजाए-ममालिक या न्याय-विभाग। (६) दीवाने-अमीर कोही या कृषि-विभाग। (७) दीवाने-मुस्तखराज या राजकीय धन्य को वसूल करने वाला विभाग। (८) दीवाने-खैरात या धर्मार्थ व्यय करने वाला विभाग। (९) दीवाने-इस्तिकाफ या पंशन विभाग। इन नौ विभागों के अतिरिक्त गुप्तचर, डाक और

टकसाल के भी पृथक् विभाग थे, जिन सबकी व्यवस्था के लिए विविध राजकर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन विविध विभागों के अधिकारी राज्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते थे, और एक घड़ी को छोड़कर अन्य सब राजकर्मचारियों के मुकाबले में उनकी स्थिति ऊँची मानी जाती थी। इनके अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख कर्मचारी और पदाधिकारी निम्नलिखित होते थे—(१) मुस्तीफी-ऐ-ममालीक या ग्राडिटर-जनरल जिसका कार्य राजकीय व्यय को नियन्त्रित रखना होता था। (२) मुश्रिफे-ममालीक, जिसका कार्य राजकीय आय का हिसाब रखना और उसे वसूल करने की सुव्यवस्था करना होता था। (३) खजान्ची। (४) अमीरे-बहर या जलशक्ति का अध्यक्ष। (५) बख्शी-ए-फौज या सेना को वेतन देने का प्रधान अधिकारी। (६) काजी-उल-कजात या प्रधान न्यायाधीश, जो मुफ्तियों की सहायता से शरायत के अनुसार न्याय की व्यवस्था करता था।

प्रान्तीय और स्थानीय शासन—शासन की सुविधा के लिए अफगान सल्तनत अनेक प्रान्तों में विभक्त थी, जिनकी संख्या सल्तनत के विस्तार के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। अफगान सल्तनत के अधिकतम विस्तार के समय उसके प्रान्तों की संख्या चौबीस थी। इनके प्रान्तीय शासकों को 'नायब सुलतान' कहते थे। अपने-अपने क्षेत्र में इन नायब सुलतानों की स्थिति दिल्ली के सुलतान के ही सदृश होती थी, और इनकी शक्ति के कारण केन्द्रीय सुलतान का प्रत्यक्ष शासन दिल्ली व उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रहता था। सुदूरवर्ती प्रान्तों के नायब सुलतान अबसर पाते ही स्वतन्त्र होने का प्रयत्न करते थे, जिसके कारण केन्द्रीय सुलतान को उन्हें बश में लाने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहना पड़ता था। प्रान्त के उपविभागों का शासन 'मुकता' या 'आमिल' नामक पदाधिकारियों के हाथों में रहता था। प्रान्तों के और छोटे उपविभागों के शासक 'शिकदार' कहते थे। नायब सुलतान अपने प्रान्तीय शासन का खर्च अपने प्रान्त से ही कर आदि द्वारा प्राप्त करते थे, और खर्च चलाकर जो बचे, उसे केन्द्रीय राजकोष में भेज देते थे। नायब सुलतानों की अपनी पृथक् सेनाएँ होती थी, जिन्हें दिल्ली का सुलतान अपनी विजय-यात्राओं और युद्धों के लिए प्रयुक्त कर सकता था।

अफगान सल्तनत में बहुत-से ऐसे प्रदेश भी थे, जिन पर पुराने समय के हिन्दू राजवंशों का शासन था। ये हिन्दू राजा सुलतान को अपना अधिपति मानते थे, और उसे वार्षिक कर, भेंट व उपहार आदि द्वारा सन्तुष्ट करते रहते थे। अफगान विजेताओं के लिए यह सम्भव नहीं था, कि सब हिन्दू-राजवंशों का मूलोच्छेद कर उन द्वारा शासित प्रदेशों को सीधे अपने शासन में ले आएँ। इन हिन्दू-राजाओं की स्थिति अफगान साम्राज्य में सामन्तों के सदृश थी।

पिछले एक अध्याय में हम ग्राम-पंचायतों का उल्लेख कर चुके हैं, जिनके कारण मध्यकाल में जनता की स्वतन्त्रता सुरक्षित थी। ये ग्राम-पंचायतें इस युग में भी नष्ट नहीं हुई थीं। अफगान सुलतानों ने ग्रामों के स्थानीय स्वशासन में हस्तक्षेप का कोई प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए सर्वसाधारण जनता पर उनके आधिपत्य का कोई विशेष असर नहीं हुआ। अफगान आक्रमण से पूर्व भी भारत के विविध राजवंश आपस

में संघर्ष करते रहते थे, और दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ कर अपने उत्कर्ष का प्रयत्न करते थे। जन-साधारण की दृष्टि में ये विजय-यात्राएँ एक झंझी व तुफान के समान होती थीं, जिनके कारण बहुत-से लोगों को अपनी जान व माल से हाथ धोना पड़ जाता था। युद्ध में विजयी होकर जो कोई राजवंश उनके प्रदेश पर आधिपत्य कर ले, उसे नियमित रूप से कर देना वे अपना स्वाभाविक कर्तव्य समझते थे। अब विजययात्रा करने वाली राजशक्तियों में एक अन्य ऐसी शक्ति और आ गयी थी, जो विदेशी व विधर्मी थी। उसको भी सर्वसाधारण जनता ने प्रायः उसी दृष्टि से देखा, जिससे कि वे परमार, चालुक्य, गहड़वाल, पाल आदि को देखती थी। ग्रामसंस्थाओं के कारण अभी तक भी सर्वसाधारण लोग अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की स्वयं व्यवस्था करते रहे, और इसलिए उनकी स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। जो बहुत-से बड़े-बड़े नगर अफगान सल्तनत की अधीनता में थे, उनका शासन-प्रबन्ध कोतवाल और मुहत्सिब नामक कर्मचारियों के हाथों से रहता था। कोतवाल नगर में शान्ति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, और मुहत्सिब का काम नागरिक प्रबन्ध करना समझा जाता था।

परामर्श-सभा—यद्यपि अफगान सुलतान पूर्णरूप से स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, पर वे समय-समय पर अपने अमीर-उमराओं और सैनिक नेताओं से परामर्श करते रहते थे। इसके लिए अनेक परामर्श-सभाएँ थी, जिनमें 'मजलिसे-खलवत' प्रधान थी। इस सभा में सल्तनत के प्रधान राजकर्मचारी, सैनिक नेता और बड़े अमीर-उमरा उपस्थित होते थे, और महत्वपूर्ण मामलों पर सुलतान को परामर्श देते थे। पर मजलिस का सदस्य होने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। सुलतान जिस किसी व्यक्ति को उचित समझे, परामर्श के लिए इस सभा में बुला लेता था। मजलिस के सदस्य जो परामर्श दे उसे मानना न मानना सुलतान की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। इसके अतिरिक्त 'बारे खास' और 'बारे-ग्राम' नाम की अन्य सभाएँ भी इस युग में थी, जो मुगल काल के दीवाने-खास और दीवाने-ग्राम के समान स्थिति रखती थीं। बारे-खास में सल्तनत के प्रमुख खान, अमीर और मलिक सम्मिलित होते थे, और 'बारे-ग्राम' में सर्वसाधारण जनता सुलतान की सेवा में अपने प्रार्थना-पत्र आदि उपस्थित कर सकती थी। न्याय-सम्बन्धी श्रजियाँ भी 'बारे-ग्राम' में ही पेश की जाती थी, और सुलतान वही पर उनका निर्णय करता था।

राजकीय धाय के साधन—अफगान सुलतानों की धाय-व्यय-सम्बन्धी नीति मुसलिम विधान-शास्त्र के हनफी सम्प्रदाय के अनुसार निर्धारित की जाती थी। इस कारण उनकी राजकीय धाय के प्रधान साधन निम्नलिखित थे—(१) खराज—हिन्दू सामन्तों व जागीरदारों द्वारा प्रदान किया जाने वाला भूमि-कर। (२) खालसा या राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आमदनी। (३) अपने सैनिक अफसरों और अन्य राजकर्मचारियों को दी गयी उन जागीरों की धाय का एक निश्चय भाग, जो कि इन राजपुरुषों को जन्म भर के लिए या कुछ निश्चित वर्षों के लिए प्रदान की जाती थीं। (४) जजिया कर, जो हिन्दुओं पर लगाया जाता था, और जिस कर को बसूल करने के बदले में मुसलिम शासक अपनी मुसलिम-भिन्न प्रजा के जान-माल की रक्षा करने को

उद्यत होते थे। (५) युद्ध में प्राप्त हुई लूट। (६) चरागाह, सिंचाई के साधन, इमारत आदि पर लगाये गए अनेक प्रकार के कर। जजिया के प्रतिरिक्त अन्य सब कर हिन्दुओं और मुसलमानों पर मगान रूप से लगते थे। जजिया मुसलिम शासन की एक विशेषता थी। मुसलिम विधान-शास्त्र के अनुसार यह माना जाता था, कि मुसलिम राज्य में हिन्दू आदि अन्य धर्मों के लोग तभी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, जबकि वे अपने जान-मान की रक्षा के बदले में एक अतिरिक्त कर राजा को प्रदान करें। कोई भी गैरमुसलिम इस्लाम को स्वीकार कर अपने को जजिया कर से मुक्त कर सकता था।

सैनिक संगठन—अफगान सल्तनत की शक्ति का मुख्य आधार उसकी सेना थी। अतः सेना के संगठन का इस युग में बहुत अधिक महत्त्व था। दिल्ली के सुलतानों की सेना के प्रायः सभी सैनिक मुसलिम थे, जो या तो अफगान, तुर्क आदि उन जातियों के थे, जिनकी सहायता में शाहजहाँ की गैरी ने इस देश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और या उन भारतीय क्षत्रियों में से थे, जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। कतिपय हिन्दू सामन्तों व जागीरदारों की सेनाओं में अफगान सेना में शामिल रहती थी, पर ऐसे सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की सेना के प्रतिरिक्त प्रांतीय नायब सुलतानों की भी अपनी सेनाएँ होती थी, जो जहाँ प्रांतीय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने का काम करती थी, वहाँ साथ ही नये प्रदेशों की विजय में या किसी विद्रोही सामन्त के साथ संघर्ष में सुलतान की सहायता भी करती थी। सेना में मुख्य विभाग पदाति, अस्वारोही और गजागेही होने थे। बारूद का प्रयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ था, इसलिए तोपखाने का सेना में कोई स्थान नहीं था। पर इस प्रकार के कुछ यान्त्रिक उपकरण इस युग तक आविष्कृत हो चुके थे, जिनसे शत्रु पर पत्थर आदि फेंके जा सकते थे।

अमीर-उमरा—अफगान सल्तनत के शासन में अमीर-उमरा लोगों का बहुत महत्त्व था। सैन्य-संचालन, शासन-प्रबन्ध, और सुलतान को परामर्श देने का कार्य इन्हीं के हाथों में था। इतना ही नहीं, कोई नया सुलतान तभी दिल्ली के राजसिंहासन पर आरूढ़ हो सकता था, जबकि अमीर-उमराओं का सहयोग व समर्थन उसे प्राप्त हो। सुलतान बन जाने पर भी कोई व्यक्ति इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि अमीर-उमरा विद्रोह कर उनके कार्य को कठिन बनाने की क्षमता रखते थे। ये अमीर-उमरा प्रधानतया तुर्क और अफगान जातियों के थे। पर मिस्र, ईरान, अरब, अरबीसी-निया आदि अन्य मुसलिम देशों में भी बहुत-से साहसी व्यक्ति इस युग में भारत आ गये थे, और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिए थे। भारत के पुराने राजवंशों के जिन कुलीन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी इस नई मुसलिम कुलीन श्रेणी के अङ्ग बन गए थे। मलिक काफूर इसी प्रकार का व्यक्ति था। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि अफगान-युग की कुलीन श्रेणी पूर्णतया वंशक्रमानुगत नहीं थी। नये साहसी व वीर मनुष्यों के लिए उसमें प्रवेश पाने की सदा गुंजाइश रहती थी। यह बात अफगान सल्तनत की शक्ति के लिए जहाँ सहायक होती थी, वहाँ साथ ही इससे अव्यवस्था और अराजकता के उत्पन्न होने में भी मदद मिलती थी। कोई भी प्रतापी व उद्दण्ड प्रकृति का व्यक्ति अफगान शासन में अकस्मात् महत्त्व

प्राप्त कर सकता था, और सैनिक नेताओं व अमीर-उमराओं का सहयोग प्राप्त कर अपना उत्कर्ष कर लेता था।

(२) आर्थिक दशा

इस युग के मुसलिम लेखकों ने अफगान सुलतानों के शासन के जो वृत्तान्त लिखे हैं, उनमें अमीर-उमराओं के धन्यत्रों और राजदरबार के भग्नों का ही विशद रूप से उल्लेख है। फिर भी इस युग की आर्थिक व सामाजिक दशा के विषय में इस सम्बन्ध में जो निर्देश प्रसंगवश कही-कही आ गये हैं, उनके आधार पर इस युग के जीवन का झुन्धला-सा चित्र उपस्थित कर सकना सम्भव है।

भारत का वैभव—प्राचीन काल में भारत के विविध राजवंशों ने जो अपार धन-सम्पत्ति एकत्र की थी, तुर्क अफगान आक्रान्ताओं ने उसे दिल खोलकर लूटा था। महमूद गजनवी की लूट का वृत्तान्त फरिदता सद्दुश मुसलिम लेखकों ने विशदरूप से लिखा है। कन्नौज, नगरकोट, सोमनाथ आदि की लूट से अनन्त सम्पत्ति महमूद गजनवी ने प्राप्त की थी, और उसी से उसने अपनी राजधानी गजनी को समृद्ध व वैभव-पूर्ण बनाया था। अफगान सुलतानों ने भी देवगिरी आदि प्राचीन राजधानियों को लूट कर अपार धन प्राप्त किया था, यद्यपि उसे वे भारत से कहीं विदेश में नहीं ले गये थे। अफगान सुलतानों के सम्मुख अपनी आर्थिक समस्या को हल करने का सबसे सीधा और सरल उपाय यही था कि वे किसी स्वतन्त्र राज्य पर आक्रमण कर उसे लूटे, और लूट से प्राप्त धन का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिये करे। यही कारण है, कि इस युग के सुलतानों ने अपने साम्राज्य की आर्थिक उन्नति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लूट और राजकीय करो से उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती थी, और यह उनकी सेना तथा दरबार के खर्च के लिये पर्याप्त होती थी।

अफगान आधिपत्य की स्थापना के कारण भारत की सर्वसाधारण जनता के आर्थिक जीवन में विशेष अन्तर नहीं आया था। प्राचीन और मध्य युगों में भारत के शिल्पी, व्यवसायी और व्यापारी अपने संगठनों में संगठित थे, और माल की उत्पत्ति तथा विक्रय अपने संगठनों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया करते थे, यह पहले लिखा जा चुका है। अफगान-युग में भी ये संगठन (श्रेणी और निगम) कायम रहे। जिस प्रकार अफगान आधिपत्य के कारण ग्राम-संस्थाओं की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया, वैसे ही आर्थिक श्रेणियों और निगमों की स्वतन्त्र सत्ता भी उसके कारण नष्ट नहीं हो पाई। इसीलिए इस युग में भी भारत का व्यावसायिक और व्यापारिक जीवन पुराने समय के आर्थिक संगठनों में केन्द्रित रहा, और शिल्पी तथा कर्मकर लोग पूर्ववत् ही अपना कार्य करते रहे, और सुलतानों ने इन संगठनों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। पर एक विशाल सल्तनत की स्थापना हो जाने के कारण अब दिल्ली का महत्त्व बहुत बढ गया था, और उसमें निवास करने वाले अमीर-उमराओं व अन्य धनी-मानी पुरुषों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष अन्वेषण की आवश्यकता थी। साथ ही, सुलतानों को अपनी विशाल सेनाओं के लिए बस्त्र और भस्त्र-शस्त्र आदि की भी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता रहती थी, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने

विशेष रूप से उद्योग किया। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में बहुत-से कारखाने खुलवाये, जिनमें अच्छी बड़ी संख्या में कारीगर लोग कार्य करते थे। राज्य द्वारा स्थापित हुए रेशमी कपड़ों के कारखानों में ४००० जुलाहे काम करते थे, जिनसे तैयार हुआ रेशमी वस्त्र राजदरबार व अमीर-उमराओं के काम आता था।

भारतीय इतिहास का अफगान-युग अशान्ति, अव्यवस्था और अराजकता का काल था। युद्धों और विद्रोहों के कारण इस युग में शांति और व्यवस्था नष्ट हो गयी थी। इसीलिए इस युग में भारत को अनेक दुर्भिक्षों का सामना करना पड़ा। जला-सुद्दीन फीरोज खिलजी (१२९०-१२९६) के शासनकाल में अनाज की इतनी कमी हो गयी थी, कि दिल्ली में अन्न का भाव ७। जीतल प्रति मन से बढ़ कर ४० जीतल प्रति मन हो गया था। शिवालिक की उपत्यका तक के लोग दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर अन्न की खोज में दिल्ली आने लगे, और वहाँ भी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होकर आत्महत्या द्वारा अपने जीवन का अन्त करने लगे। मुहम्मद तुगलक के समय में भी इसी प्रकार का अकाल पड़ा, और बहुत-से नरनारी भूख से तड़प-तड़प कर प्राण देने के लिए विवश हुए। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक जैसे वैभवशाली सुलतानों ने जनता की दुर्भिक्ष से रक्षा करने के लिए अनेक प्रयत्न किये, पर उनके प्रयत्न केवल दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेश तक ही सीमित रहे। देश को अकाल से बचाने में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं हुई।

इस युग के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी अनेक निर्दोष उपलब्ध होते हैं। समुद्रमार्ग द्वारा इस काल में चीन, मलाया, ईगन, अरब और यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। इब्नबतूता और मार्को पोलो ने भारत के अनेक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, जिनमें विदेशों के व्यापारी अपना माल बेचने और भारतीय माल का क्रय करने के लिए एकत्र हुआ करते थे। कालीकट और भडौच के बन्दरगाह इनमें प्रमुख थे। भारत से जो माल अन्य देशों में बिकने के लिए जाता था, उसमें वस्त्र, अफीम, अन्न, नील और मसाले प्रधान थे। विदेशों से बिकने के लिए आने वाले पष्य में घोड़े और खच्चर मुख्य थे, जिनका सैनिक दृष्टि से बहुत उपयोग था। स्थलमार्ग द्वारा भारत का मध्य एशिया, ईरान, तिब्बत और भूटान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था, और घोड़ों, खच्चरों तथा ऊंटों के काफिलों द्वारा भारत और विदेशों के व्यापारी माल का आदान-प्रदान किया करते थे।

(३) सामाजिक दशा

अफगान-युग में भारत के समाज के दो प्रधान वर्ग थे, मुसलिम और हिन्दू। दिल्ली के सुलतान सैनिक अफसरों और शासक वर्ग को नियत करते हुए यह ध्यान में रखते थे, कि केवल मुसलमानों को ही उच्च पदों पर नियत किया जाय। मुसलिम लोग हिन्दुओं को नीची दृष्टि से देखते थे और सुलतानों के राजदरबार में जानबूझकर उनकी हीन स्थिति का बोध कराया जाता था। इब्नबतूता ने लिखा है, कि जब कोई हिन्दू सुलतान के दरबार में कोई प्रार्थना-पत्र लेकर उपस्थित होता था, तो हाजिब लोग चिल्लाकर कहते थे—'हादाक अल्लाह' या 'भगवान् तुम्हें सन्मार्ग पर ले आये।' अजिया

कर के कारण हिन्दुओं को सदा यह अनुभूति बनी रहती थी, कि सल्तनत में उनकी स्थिति हीन है, और वे अपनी जान व माल के लिए मुसलिम शासकों की कृपा पर निर्भर हैं। यदि कोई हिन्दू अपने धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर ले, तो मुसलमानों की दृष्टि में यह बात बड़े गौरव की होती थी। वे कुफ्र का अंत कर सद्धर्म का प्रचार करने में गर्व अनुभव करते थे।

पर हिन्दू लोगों में स्वाभिमान और आत्मगौरव के भाव नष्ट नहीं हो गये थे। संख्या की दृष्टि से वे मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। इसी कारण वे समय-समय पर विद्रोह द्वारा अपने रोप को प्रगट करते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी सुलतानों ने इस बात का यत्न किया, कि हिन्दुओं की स्थिति को बिलकुल हीन कर दें। वे अनुभव करते थे, कि जब तक हिन्दू लोग सम्पन्न रहेंगे, उनमें हीनभावना का पूर्ण रूप से विकास नहीं होने पायेगा। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर अलाउद्दीन ने हिन्दुओं को सर्वथा निचंन और अवश बना देने का प्रयत्न किया। भारत के प्रायः सभी किसान इस समय हिन्दू थे। मुसलिम लोगों को हल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सेना और शासक वर्ग के पद उनके लिए खुले हुए थे। अलाउद्दीन ने व्यवस्था की, कि किसान अपनी पैदावार का ५० प्रतिशत कर के रूप में प्रदान किया करें। उपज का आधा भाग राज्य को प्रदान कर देने के बाद किसानों के पास इतना अन्न नहीं बच पाता था, जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते। भारत के प्राचीन राजा उपज का छोटा भाग किसानों से बलि रूप में ग्रहण करते थे। छोटे भाग के मुकाबले में उपज का आधा भाग कर के रूप में लेकर अलाउद्दीन ने हिन्दुओं की आर्थिक दशा को बहुत ही दयनीय बना दिया था। उसने यह व्यवस्था भी की थी, कि हिन्दुओं के चरागाहों और मकानों पर भी टैक्स लगाये जाएँ। केवल किसानों से ही नहीं, अपितु भूमिपतियों से भी अलाउद्दीन ने सस्ती से कर वसूल करने शुरू किये, जिसका परिणाम यह हुआ, कि चौधरी, मुकद्दम आदि उच्च वर्ग के हिन्दू लोगों की स्थिति इतनी हीन हो गयी कि अब वे न अच्छे वस्त्र पहन सकते थे, न शस्त्र धारण कर सकते थे और न सवारी के लिए घोड़े ही रख सकते थे। अफगान सुलतानों की इस नीति के कारण उच्च वर्ग के हिन्दू भी इतने गरीब व असहाय हो गये, कि उनकी महिलाओं को मुसलिम घरों में नौकरी करने के लिए विवश होना पड़ा। इस युग के मुसलमान हिन्दुओं की इस दुर्दशा को देखकर सन्तोष अनुभव करते थे। बरानी-जैसे लेखक ने अभिमान के साथ लिखा है, कि हिन्दुओं की दशा इतनी हीन हो गयी है, कि वे सिर उठाकर नहीं चल सकते और उनके घरों में सोना-चाँदी या सिक्के का नाम भी शेष नहीं बचा है। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इस हीन दशा में भी हिन्दू लोग अपने धर्म पर दृढ़ रहे, और उन्होंने सांसारिक उत्कर्ष व सुख के लिए अपने धर्म का परित्याग नहीं कर दिया।

अफगान सल्तनत में दास-प्रथा का बहुत प्रचार था। सुलतान और उसके अमीर-उमरा बहुत बड़ी संख्या में दास रखा करते थे। अलाउद्दीन के दासों (बन्दखाने-खास) की संख्या १०,००० थी, और फीरोजशाह तुगलक के दासों की संख्या २,००,००० के लगभग थी। इस युग के नायब सुलतान और अमीर-उमरा भी बहुत-

से दासों को खरीदकर अपने पास रखा करते थे। सैनिक सेवा, राजसेवा और वैयक्तिक सेवा—सब प्रकार के कार्य दास लोग करते थे। बहुत-से दास अच्छे योग्य व वीर होते थे, और अपनी योग्यता के कारण अच्छी उन्नति भी कर लेते थे। योग्य दासों को दासता से मुक्त कर बड़े पदों पर नियुक्त कर देना इस युग में साधारण बात थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और मलिक काफ़र जैसे लोग शुरू में दास ही थे, पर अपनी धसाधारण प्रतिभा और योग्यता के बल पर वे सुलतान तथा प्रधान सेनापति के पदों पर पहुँच गये थे। इस युग के दामो में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। युद्ध में परास्त सैनिकों को कैद कर या जीते हुए नगरों के नर-नारियों को बन्दी बनाकर गुलाम के रूप में बेच देना इस युग में सर्वथा उचित माना जाता था। सुन्दरी स्त्रियों की दासी-रूप में अच्छी कीमत बसूल होती थी। इस युग के दास-हट्टों में केवल भारतीय गुलाम ही नहीं बिकते थे, अपितु चीन, तुर्किस्तान, ईरान आदि दूरवर्ती देशों के गुलामों का भी उनमें क्रय-विक्रय हुआ करता था।

लूट द्वारा प्राप्त धन के कारण अफगान-युग के मुसलमानों में अनेक प्रकार की बुराईयाँ उत्पन्न हो गयी थी। अस्तमश, बलबन और अलाउद्दीन सद्दा सुलतानों के समय में तुर्क, अफगान तथा अन्य मुसलमानों में अपूर्व माहस और उत्साह था। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी। बहुसंख्यक हिन्दुओं के विरोध में वे अपनी सत्ता को तभी कायम कर सकते थे, जब वे अनुपम वीर हों। पर देवगिरि आदि मझुड़ नगरों की लूट द्वारा इतनी अपार सम्पत्ति दिल्ली की सल्तनत को प्राप्त हो गयी थी, कि उसके उपभोग के कारण मुसलिम लोग भोग विलास में वुरी तरह में फँस गये थे। बड़े-बड़े सैनिक नेता व शासक लोगों को धन की कोई कमी नहीं थी, और सर्वसाधारण मुसलमानों के लिए 'खानकाह' खुले हुए थे, जिनमें वे आवश्यक भोजन और अन्य वस्तुओं को बिना मूल्य के प्राप्त कर सकते थे। इस स्थिति में मुसलमानों को न गैनी करने की आवश्यकता थी, और न किसी शिल्प के अनुसरण की। उनमें जो योग्य होते, वे सैनिक और राजकीय पद मुगमता से प्राप्त कर लेते थे। जो अयोग्य होते, वे 'खानकाहों' की कृपा से मजे में अपना निर्वाह कर सकते थे। कमाई के लिए उन्हें किसी प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी। इस दशा का परिणाम यह हुआ, कि मुसलमानों में एक प्रकार का निकम्मापन विकसित होने लगा, और वे मदिगपान, चून्क्रीडा आदि में अपने समय और शक्ति को नष्ट करने लगे। इस्लाम की दृष्टि में मदिरा सेवन अनुचित है, इसलिए अनेक सुलतानों ने उनके विरुद्ध अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग किया। पर भोग-विलास की प्रवृत्ति मुसलमानों में इतनी अधिक बढ़ गयी थी, कि वे इस बुराई से बच सकने में असमर्थ रहे। नाच-गान व अन्य आमोद-प्रमोद में मग्न रहने के कारण धीरे-धीरे मुसलिम वर्ग का बल निरन्तर क्षीण होता गया।

इस युग में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। परदे की प्रथा इस समय उत्तरी भारत में भली-भाँति विकसित हो गयी थी, और हिन्दू व मुसलिम स्त्रियाँ प्रायः परदे में ही रहती थीं। अफगान युग से पहले भी भारत में यह प्रथा विद्यमान थी, पर उसकी सत्ता केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में ही थी।

मुसलिम शासन में इस प्रथा का बहुत प्रसार हुआ। बाल-विवाह भी इस युग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उद्दण्ड मुसलिम सैनिकों व राजकर्मचारियों के भय से हिन्दू लोग बचपन में ही अपनी बालिकाओं का विवाह करने लगे, ताकि माता-पिता शीघ्र ही कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर निश्चिन्त हो जाएं। सती-प्रथा भारत में पहले भी विद्यमान थी। इस युग में भी उसकी सत्ता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। स्त्रियाँ प्रायः अशिक्षित होती थी, पर इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें स्त्रियाँ उच्च शिक्षा-प्राप्त और सुसंस्कृत थीं। इब्नबतूता ने भारत-यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है, कि जब वह हनौर पहुँचा, तो उसने वहाँ १३ ऐसे विद्यालय देखे, जिनमें बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करती थी। इसी नगर में बालकों के विद्यालयों की संख्या २३ थी।

(४) हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों का सम्पर्क

इसमें सन्देह नहीं, कि अफगान युग में हिन्दू और मुसलिम दो पृथक् वर्ग थे। पर जब दो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग देर तक एक साथ निवास करते हैं, तो उन पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ना अशक्यम्भावी हो जाता है। हिन्दू सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ऊँचे थे। यद्यपि उनकी राजशक्ति मुसलिम आक्रान्ताओं द्वारा पराभूत हो गयी थी, पर इससे उनकी संस्कृति की उत्कृष्टता नष्ट नहीं हुई थी। जब मुसलिम विजेता स्थायी रूप से भारत में आबाद हो गये, तो स्वाभाविक रूप से वे भारत के योगियों, सन्तों, धर्माचार्यों, विद्वानों और शिल्पियों के सम्पर्क में आये, और वे उनमें प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसी प्रकार इस्लाम के रूप में जो नया धर्म इस देश में प्रविष्ट हुआ था, उनमें अपूर्व जीवनी-शक्ति थी। वह भी इस देश के पुराने धर्म को प्रभावित किये बिना नहीं रहा। हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों के इस सम्पर्क में जो परिणाम उत्पन्न किये, उनका भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व है। इसी से भारत की वह आधुनिक संस्कृति प्रादुर्भूत हुई, जिस पर अनेक अंशों में मुसलिम धर्म का प्रभाव विद्यमान है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली की अफगान सल्तनत के क्षेत्र में हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों को एक-दूसरे के निकट में आने का वैसे अवसर नहीं मिला था, जैसा कि गुजरात, मालवा, जोनपुर, दौलताबाद और बंगाल के मुसलिम राज्यों में मिला। चौदहवीं सदी के उत्तरार्ध में स्थापित इन विविध सल्तनतों में तुर्क-अफगानों का वह महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था, जो कि दिल्ली की केन्द्रीय सल्तनत में था। इन प्रान्तीय सल्तनतों के शासन में हिन्दू कर्मचारियों का बड़ा भाग था, और इनके सुलतान तथा अन्य अमीर-उमरा हिन्दुओं के बहुत निकट सम्पर्क में थे। इसी कारण अहमदाबाद, माण्डू, लखनौती आदि में हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों को एक-दूसरे को प्रभावित करने का सुवर्णावसर प्राप्त हुआ था।

जिन साधनों से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आये, वे निम्नलिखित थे :—

(१) यद्यपि दिल्ली की सल्तनत में सब उच्च पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति की जाती थी, पर भूमि-कर आदि करों को वसूल करने के लिए जो कर्मचारी पुराने समय से परम्परागत रूप में चले आ रहे थे, उनके सहयोग के बिना सुलतानों का काम

नहीं चलता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो गवर्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, जज, सेनापति आदि सब उच्च राजकीय पदों पर अंग्रेज अफसरों की नियुक्ति की गयी; पर पटवारी, कानूनगो, पेशकार आदि छोटे राजकर्मचारी भारतीय ही रहे। कुछ इसी प्रकार की स्थिति दिल्ली की अफगान सल्तनत में भी थी। उच्च मुसलिम राजपदाधिकारी छोटे हिन्दू कर्मचारियों के सहयोग से ही भूमिकर वसूल करते थे, और इस प्रकार उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त करते थे।

(२) चौदहवीं सदी के उत्तरार्ध में जौनपुर, लखनौती, माण्डू, अहमदाबाद और दोलताबाद को राजधानी बनाकर जो विविध सल्तनतें स्थापित हुई थीं, उनमें हिन्दू और मुसलमानों का सम्पर्क और भी अधिक घनिष्ठ था। इन सल्तनतों में उच्च राजकीय पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति की गयी, और शासन-सूत्र का संचालन बहुत-कुछ उन्हीं के हाथों में रहा। मालवा (माण्डू) की सल्तनत में चन्देरी का राजा मेदिनी राय और उसके मित्र सर्वोच्च राजकीय पदों पर कार्य करते थे। बंगाल के सुलतान हुसेनशाह ने पुरन्दर, रूप और सनातन आदि कितने ही हिन्दुओं को उच्च राजकीय पद दिये। बहमनी सल्तनत में भी बहुत-से हिन्दू उच्च पदों पर नियुक्त थे, और बीजापुर की आदिलशाही में तो सब राजकीय कार्य शुरू में भराठी भाषा में ही किया जाता था। इब्राहीम आदिलशाह को उसकी प्रजा 'जगतगुरु' कहती थी। काश्मीर के सुलतान जैनुल आब्दीन ने धर्म के विषय में उसी नीति को अपनाया था, बाद में अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में जिसका अनुसरण किया। इस युग के विजयनगर राज्य के हिन्दू राजा भी मुसलिम सेनापति और सैनिकों को अपनी सेना में नियुक्त करने में संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार शासकीय क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त होता था।

(३) इसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए शस्त्र-शक्ति का प्रयोग किया था। पर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ वीर लौंगों की कमी नहीं थी, तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार कर सकना सुगम नहीं था। जो काम मुसलिम आक्रान्ताओं की तलवार नहीं कर सकी, उसे सम्पन्न करने के लिए अनेक पीर, शीलिया व धर्मप्रचारक तत्पर हुए; और उनकी धर्मनिष्ठा, उच्च जीवन और सद्बुद्धि जनता को अपने प्रभाव में लाने में बहुत अंश तक सफल हुए। यद्यपि बहुसंख्यक हिन्दुओं ने इस्लाम को नहीं अपनाया, पर वे मुसलिम सन्तों और पीरों के प्रभाव में आये बिना भी न रह सके। इसीलिए इस युग में अनेक ऐसे मुसलिम पीर हुए, जिनके प्रति हिन्दुओं की भी श्रद्धा थी, और जिनके सद्बुद्धियों का श्रवण कर गैरमुसलिम भी आनन्द अनुभव करते थे। इसी प्रकार मुसलिम लोग भी भारत के योगियों, सन्त-महात्माओं और दार्शनिकों के प्रभाव में आये, और उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। वैष्णव भक्तों द्वारा भक्ति की जो मन्दाकिनी इस युग में प्रवाहित हो रही थी, अनेक मुसलमानों ने भी उसमें स्नान कर शान्ति लाभ की।

(४) जिन हिन्दुओं ने मुसलिम शासन के समय में इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, धर्म परिवर्तन के कारण उनमें आत्मसूत्र परिवर्तन नहीं आ गया था। सदियों के मज्जातन्तुगत संस्कारों को एकदम नष्ट कर देना किसी के लिए भी सम्भव

नहीं होता। यही कारण है, जो इस युग में अनेक मुसलिम स्त्रियाँ भी सती प्रथा का अनुसरण करती थी, और नये मुसलिम बने हुए लोग पूर्ववत् ही हिन्दू योगियों और साधु-सन्तों का आदर करते थे। इन नव-मुसलिमों के सम्पर्क में आने वाले तुर्क व अफगान लोगों को भी भारत की पुरानी परम्परा से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिलता था।

इन सब कारणों से हिन्दू और मुसलमान जिन क्षेत्रों में एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आये, वे निम्नलिखित थे—कला, भाषा, साहित्य और धर्म। हम इन चारों पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार करेंगे। धर्म के क्षेत्र में हिन्दू मुसलिम सम्पर्क का जो परिणाम हुआ, वह भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व रखता है। अतः उस पर हम एक पृथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

(५) वास्तु कला

हिन्दू और मुसलिम सम्पर्क का सबसे प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप वह वास्तुकला है, जिसका इस युग में विकास हुआ, और जिसे ऐतिहासिकों ने 'इण्डो-मुसलिम' या 'पठान' कला का नाम दिया है। मुसलिम शासन की स्थापना से पूर्व वास्तु-कला भारत में अच्छी उन्नत दशा में थी। इसी प्रकार जिन तुर्कों व अफगानों ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया था, वे भी अपनी विशिष्ट वास्तु कला का विकास कर चुके थे। दसवीं सदी तक अरब-साम्राज्य बहुत उन्नत दशा को प्राप्त हो चुका था, और अरब, मिस्र, ईरान आदि मुसलिम देशों की संस्कृतियों के सम्मिश्रण के कारण वहाँ एक ऐसी वास्तु-कला का विकास हो गया था, जो भारत की वास्तु-कला से बहुत भिन्न थी। महमूद गजनवी ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर गजनी को बहुत-सी सुन्दर इमारतों व मसजिदों से सुशोभित किया था, जिनके निर्माण में भारतीय शिल्पियों का भी बड़ा हाथ था। भारत की लूट से महमूद ने केवल अपार धन-सम्पत्ति ही प्राप्त नहीं की थी, अपितु हजारों शिल्पी भी वह अपने साथ गजनी ले गया था। इन शिल्पियों ने गजनी की इमारतों में जहाँ मुसलिम कला को दृष्टि में रखा, वहाँ साब ही भवन-निर्माण के भारतीय आदर्शों और विधियों का भी प्रयोग किया। इसीलिए जब भारत में तुर्कों व अफगानों का शासन स्थापित हुआ, तो इस देश के ये नये शासक भारतीय वास्तु-कला से सर्वथा अपरिचित नहीं थे। उन्होंने दिल्ली आदि में जो नई इमारतें बनवाई, उनके निर्माण के लिए उन्होंने भारतीय शिल्पियों से ही काम लिया। इन शिल्पियों के लिए यह असम्भव था, कि वे अपने परम्परागत कला-सम्बन्धी आदर्शों को भुलाकर एक विदेशी कला का प्रयोग कर सकें। इसी कारण अफगान युग की इमारतें भारत की परम्परागत वास्तु-कला के अनुरूप हैं, और इसीलिए हेबल जैसे कलाविज्ञ ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'शरीर और आत्मा' दोनों दृष्टियों से इस युग की वास्तु-कला विद्युत् रूप से भारतीय व प्रायं है। यद्यपि फर्ग्युसन सदा अनेक ऐतिहासिकों ने इस युग की वास्तु-कला को 'पठान' नाम दिया है, पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि अफगान युग की बहुसंख्यक इमारतें प्राचीन भारतीय वास्तु-कला से बहुत अधिक प्रभावित हैं, और सर जान मार्शल सदा अनेक ऐतिहासिकों ने इस

तथ्य को स्वीकार भी किया है। यदि दिल्ली को सल्तनत को दृष्टि से भोभल कर जौनपुर, माण्डू, ग्रहमशाबाद आदि प्रान्तीय सल्तनतों की इमारतों को दृष्टि में रखा जाय, तब तो हिन्दू कला का प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है।

भारत का प्रथम मुसलिम सुलतान कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके समय में जो इमारतें बनी, उनमें कुतुब मीनार और कुतुब मसजिद सर्वप्रधान हैं। ये दोनों दिल्ली के समीप महरोली में स्थित हैं। इस स्थान पर प्राचीन समय में एक विशाल हिन्दू-मन्दिर था, जिसके मध्यभाग में सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा एक विष्णु-ध्वज स्थापित किया गया था। चन्द्रगुप्त का यह विष्णुध्वज (लोहे का विशाल स्तम्भ) अब तक वहाँ विद्यमान है, और इस प्राचीन विष्णु मन्दिर का स्मारक है। कुतुब मसजिद का निर्माण इसी मन्दिर को आधार बना कर किया गया था, और उसकी दीवारों पर अब तक भी हिन्दू-मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। कुतुब मीनार के निर्माता के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में मतभेद रहा है। अनेक ऐतिहासिकों ने प्रतिपादित किया है, कि यह मीनार चौहान राजा पृथिवीराज या उसके किनी पूर्वज ने अपनी विजयों की स्मृति को स्थिर रखने के लिए 'विजय-स्तम्भ' के रूप में बनवाई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके अनुकरण में एक नई मीनार का निर्माण शुरू कराया, पर वह उसे पूर्ण नहीं कर सका। यह दूसरी मीनार अब तक भी अपूर्ण दशा में विद्यमान है। जिन युक्तियों के आधारे पर कुतुब मीनार को मध्य हिन्दू-युग की कृति बताया गया है, उनका उल्लेख करना यहाँ सम्भव नहीं है। पर बहुसंख्यक ऐतिहासिक यही मानते हैं, कि २४२ फीट ऊँची यह विशाल मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बननी शुरू हुई थी, और सुलतान अलतमश के शासन-काल में बनकर तैयार हुई थी। विजली के आघात से फीरोजशाह तुगलक के समय में इसकी उपरली मजिल टूट गयी थी, जिसके स्थान पर इस सुलतान ने दो छोटी मजिलों का निर्माण करा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की अन्य इमारतों में अजमेर की 'अठ्ठाई दिन का भोपडा' नाम की मसजिद भी बड़े महत्त्व की है। यह भी अलतमश के समय में बनकर तैयार हुई थी। महरोली की कुतुब मसजिद के समान इसका निर्माण भी एक पुराने हिन्दू-मन्दिर के आधारे पर ही किया गया था। कुतुबुद्दीन के शासन-काल में अलतमश बदायूँ का सूबेदार था। वहाँ उसने 'होजे शम्शी' और 'शम्शी ईदगाह' का निर्माण कराया। दिल्ली का सुलतान बनने के बाद भी अलतमश ने बदायूँ का ध्यान रखा, और १२२३ ईस्वी में वहाँ की प्रसिद्ध 'जामा मसजिद' का निर्माण कराया। अफगान युग की ये ही इमारतें सबसे प्राचीन हैं।

अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की सल्तनत का बहुत उत्कर्ष हुआ। विविध हिन्दू राजवंशों का अन्त कर उनकी राजधानियों में जो अपार सम्पत्ति अलाउद्दीन ने प्राप्त की, उसके कुछ अंश का उपयोग उसने इमारतों के निर्माण के लिए भी किया। इनमें सीरी का किला, हजार सितून महल, अलाई दरवाजा, होजे-अलाई और होजे-खास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इस समय में सुरक्षित दशा में नहीं हैं, पर इनके भग्नावशेषों से अलाउद्दीन की वास्तुकृतियों का आभास लिया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही अजमेर में 'निजामुद्दीन औलिया की दरगाह' का निर्माण हुआ। ये सब 'इण्डो-मुसलिम' वास्तु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विशेषतया,

महरोली की कुतुब मसजिद मे अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कला की दृष्टि से अनुपम है ।

तुगलक-वंश के शासन काल मे जो इमारतें बनीं, वे सौन्दर्य और कला की दृष्टि से उसनी उत्कृष्ट नहीं हैं, जितनी कि इससे पूर्वकाल की हैं । उनमे अलंकरण की अपेक्षा सादगी और गम्भीरता अधिक है । दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगरी इसी युग मे स्थापित हुई थी । उसके पास मे विद्यमान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बहुत सुन्दर माना जाता है । तुगलक वंश के सुलतान फीरोजशाह को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था । उसने अपने नाम से फीरोजशाह की स्थापना की, जिसके भग्नावशेष अब तक भी दिल्ली के चौगिर्दे के प्रदेश मे विद्यमान हैं । फतहाबाद और हिसार फीरोजा नाम के दो अन्य नगर भी उसने बसाये, और गोमती नदी के तट पर जौनपुर नामक नगर की नींव डाली, जो आगे चलकर एक स्वतन्त्र सल्तनत की राजधानी बना । फीरोजशाह तुगलक को प्राचीन काल के पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों मे भी बहुत दिलचस्पी थी । इसीलिए सम्राट् अशोक के दो प्रस्तर-स्तम्भों को अम्बाला और मेरठ जिलों से वह दिल्ली ले आया था, जो अब तक भी वहाँ विद्यमान है । लोदी और सैयद-वंशों के शासन काल मे भी अनेक मकबरो और मसजिदों का निर्माण हुआ, जिनमें सुलतान सिकन्दरशाह लोदी का मकबरा और 'मोठ की मसजिद' सबसे प्रसिद्ध है ।

पर दिल्ली के सुलतानों के मुकाबले मे जौनपुर, अहमदाबाद, लखनौती, माण्डू और वीलताबाद के सुलतानों ने नये राजप्रासादों, मकबरो और मसजिदों के निर्माण में अधिक कर्तृत्व प्रदर्शित किया । यद्यपि राज्य विस्तार की दृष्टि से ये प्रांतीय सुलतान दिल्ली के सुलतानों की अपेक्षा हीन थे, पर सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र मे ये उनसे बहुत बड़े-बड़े थे । जौनपुर के शरकी सुलतान जहाँ साहित्य और ज्ञान के प्रेमी थे, वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी को सुन्दर इमारतों से विभूषित करने पर भी बहुत ध्यान दिया । शरकी सुलतानों की बहुत-सी कृतियाँ अब तक भी जौनपुर में विद्यमान हैं, जिनमें सुलतान इब्राहीम (चौदहवीं सदी का अन्तिम चरण) द्वारा निर्मित अताला मसजिद और सुलतान हुसैनशाह की जामा मसजिद बहुत प्रसिद्ध हैं । अताला मसजिद को इस युग की सर्वश्रेष्ठ वास्तु-कृतियों मे गिना जाता है, और इसमे सन्देह नहीं, कि उसके निर्माण मे पुरानी हिन्दू वास्तु-कला का उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया है । इस मसजिद पर हिन्दू-प्रभाव इतना अधिक है, कि सामान्य मसजिदों के समान हममे ऊँची मीनारों तक को स्थान नहीं दिया गया । जौनपुर की ये मसजिदें पुराने समय के हिन्दू-मन्दिरों के ही रूपान्तर हैं, यद्यपि इनके निर्माण का प्रयोजन किसी देवप्रतिमा का प्रतिष्ठापन नहीं था । जौनपुर की लाल दरवाजा मसजिद का स्वरूप तो हिन्दू-शैली से बहुत अधिक समता रखता है ।

बंगाल के मुसलिम सुलतानों ने भी अपने मकबरों, मसजिदों और प्रासादों का निर्माण कराते हुए भारत की पुरानी वास्तु-कला का अनुसरण किया था । इसीलिए इन पर हिन्दू-शैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से विद्यमान है । बंगाल में इस युग की जो कृतियाँ अब तक सुरक्षित हैं, उनमें १३६८ में निर्मित अदौना मसजिद, १४४३

ईस्वी के लगभग बनी छोटा सोना मसजिद और १५२६ में बनी बड़ा सोना मसजिद सर्वप्रधान हैं। प्रसिद्ध कलाविज्ञ फर्ग्युसन के अनुसार बड़ा सोना मसजिद बंगाल की सर्वश्रेष्ठ वास्तु-कृति है।

गुजरात के सुलतानो ने मसजिदो और मकबरो के निर्माण पर बहुत अधिक श्रम किया था। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व गुजरात में जैन-धर्म का विशेष रूप से प्रचार था। इसीलिए जब वहाँ के मुसलिम सुलतान नई इमारतों के निर्माण में प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने जिन शिल्पियों को इमारत बनाने का कार्य सुपुर्द किया, वे जैन मन्दिरों के निर्माण का अनुभव रखते थे। इसीलिए जब उन्होंने मुसलिम सुलतानों के आदेश के अनुसार मसजिदों का निर्माण किया, तो वे अपने परम्परागत भ्रम्यास को धुला नहीं सके। अहमदाबाद नगर की स्थापना सुलतान अहमद शाह (१४११-१४४१) द्वारा की गयी थी। उसने अपनी राजधानी को अनेक प्रासादों और मसजिदों से विभूषित किया, जिनके निर्माण के लिए न केवल पुराने हिन्दू और जैन मन्दिरों के भग्नावशेषों का प्रयोग किया गया, अपितु उनकी वास्तु-कला का भी अनुसरण किया गया। गुजरात के सुलतान तक्षक क्षत्रिय थे, जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। धर्म-परिवर्तन के बाद भी वे अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ सके थे। इसी कारण उनकी कृतियों पर हिन्दू कला का प्रभाव और भी अधिक है। अहमदाबाद की इमारतों में तीन दरवाजा और जामा मसजिद श्रेष्ठ हैं, जो इस युग की इण्डो-मुसलिम वास्तु-कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

मालवा के सुलतानो ने भी अपनी राजधानी माण्डू को अनेक इमारतों से विभूषित किया। उनकी कृतियों में जामा मसजिद, हिडोला महल, जहाज महल, हुसागशाह का मकबरा और बाजबहादुर व रूपमती के राजप्रासाद बहुत प्रसिद्ध हैं।

दक्षिणी भारत में बहमनी राज्य और उसके भग्नावशेषों पर स्थापित हुई शाहियों के सुलतानो ने भी अनेक प्रकार की इमारतों के लिए उत्साह दिखाया। इनकी वास्तु-कला में भारतीय तत्व के अतिरिक्त ईरानी, तुर्क और मिस्री तत्व भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इसका कारण यह है, कि इन देशों के अनेक साहसी और सुयोग्य व्यक्ति समय-समय पर बहमनी सुलतानो के राजदरबारों में आते रहे, और वहाँ उनको समुचित आदर प्राप्त हुआ। इनमें अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे, जो वास्तु-कला के विशेषज्ञ थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि बहमनी राज्य की वास्तु-कला पर भी भारतीय हिन्दू-कला की अमिट छाप है, और वहाँ की अनेक मसजिदें तो प्राचीन हिन्दू-मन्दिरों के रूपान्तर मात्र हैं।

(६) संगीत और चित्रकला

संगीत—वास्तु-कला के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में हिन्दू और मुसलमानों के सम्पर्क ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किये। इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद के प्रारम्भिक काल में अरब लोगो ने संगीत पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस्लाम में भावना का बहुत स्थान नहीं था। पर आगे चलकर जब ईरान आदि देशों में इस्लाम का प्रसार हुआ, तो उस धर्म में अनेक ऐसे सम्प्रदाय विकसित हुए, जो भक्ति और

भावना को महत्त्व देते थे, और भगवान् की पूजा के लिए संगीत का भी उपयोग करते थे। भारत के मुसलमानों ने भी कव्वाली और खयाल के रूप में अपने मकबরों में संगीत का प्रारम्भ किया। संगीत के ये प्रकार भारत के लिए नये थे, पर बाद में भारतीय संगीताचार्यों ने इन्हे पूरी तरह से अपना लिया, और ये भारतीय संगीत के महत्त्वपूर्ण अंग बन गये।

अफगान युग में संगीत-कला की जो उन्नति हुई, उसका मुख्य श्रेय जौनपुर के शरकी सुलतानों को प्राप्त है। वहाँ के सुलतान इब्राहीम शाह (१४०६-३७) और हुसैनशाह (१४५७-७६) के दरबारों में ही संगीत के उस प्रकार का सूत्रपात हुआ, जिसे 'खयाल' कहा जाता है। इब्राहीम के शासनकाल में बहादुर मलिक नाम के एक राजपुरुष ने संगीत को नवजीवन प्रदान करने के लिए एक महान् सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विविध प्रदेशों के संगीताचार्य एकत्र हुए। भारतीय संगीत के सम्बन्ध में जो अनेक बातें विवादग्रस्त थी, उन सब पर विचार करके इस सम्मेलन द्वारा 'संगीत-शिगोमर्गि' नाम के ग्रन्थ का निर्माण हुआ।

चित्र-कला—अफगान युग में भारतीय चित्रकला की उस शैली का विकास हुआ, जिसे 'राजस्थानी शैली' कहते हैं। इसका विकास राजपूताना और गुजरात के प्रदेशों में पन्द्रहवीं सदी में हुआ था। इस शैली के अनुसार इस युग में जिन चित्रों का निर्माण हुआ, उनका प्रधान प्रयोजन कृष्ण और राधा के सनातन प्रेम का चित्रण करना है। कृष्ण और राधा को निमित्त बनाकर इस युग के चित्रकारों ने पुरुष और स्त्री के प्रेम का बहुत सुन्दर रूप से चित्रण किया है। साथ ही, नायिका भेद, रामायण और महाभारत के विविध कथानक, नल दमयन्ती की कथा, रागमाला और बारहमासा आदि के दृश्य भी राजस्थानी शैली द्वारा बहुत सजीव रूप में अंकित किये गये हैं। इन चित्रों में विविध प्रकार के चटकिले रंगों का उपयोग किया गया है, और इनके लिए कागज का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों के रंग बहुत आकर्षक और भडकीले हैं।

गुजरात का प्रसिद्ध सुलतान महमूद बेगडा (१४५१-१५११) कला का संरक्षक और कलावन्तों का आश्रयदाता था। उसकी संरक्षा में चित्रकला की राजस्थानी शैली की अच्छी उन्नति हुई। इसी काल में काश्मीर का शासन जैनुल आब्दीन नामक मुसलिम शासक के अधीन था। वह भी कला का बड़ा प्रेमी था। संगीत और चित्रकला दोनों की ही उन्नति पर उसने विशेष रूप से ध्यान दिया।

(७) भाषा और साहित्य

शुरू में जब तुर्कों और अफगानों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया, तो उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का अपने सिक्कों पर उपयोग किया। यदि बाद के मुसलिम शासक भी यही करते, तो मुसलमानों के लिए भारत के जनसमाज का अंग बन जाना अधिक कठिन न होता। पर अफगान युग के मुसलमान अपने को हिन्दुओं से पृथक् समझते थे, और अपने को उनमें मिला देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण उन्होंने पर्शियन को अपनी राजभाषा बनाया। अंग्रेजी शासन के युग में जो स्थिति अंग्रेजी की थी, वही अफगान सल्तनत के काल में पर्शियन की थी। अफगान सुलतान अपने

राजकीय बादेशों में पर्शियन का प्रयोग करते थे, और अपने सिक्के भी इसी भाषा में अंकित कराते थे। पर यह होते हुए भी यह सम्भव नहीं था, कि वे इस देश की भाषा की सर्वथा उपेक्षा कर सकते, क्योंकि वे स्थायी रूप से भारत में बस गये थे। इस युग में भारत के जनसाधारण की भाषा हिन्दी थी, जिसमें साहित्य का निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका था। अनेक तुर्क-अफगानों ने हिन्दी को अपनाया, और उसमें काव्यता की रचना भी की। इस प्रकार के लोगों में अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी रचना प्रारम्भ की थी, और बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारकशाह के वह समकालीन थे। वे पर्शियन के प्रकाण्ड पण्डित थे, और इस भाषा में उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ और काव्य लिखे थे। पर अमीर खुसरो ने अपने भावों को व्यक्त करने लिए केवल पर्शियन भाषा का ही उपयोग नहीं किया। उन्होंने हिन्दी (खड़ी बोली और ब्रजभाषा) में भी कविताएँ लिखी, और उनके कुछ उदाहरण अब तक भी उपलब्ध हैं। इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय के अनेक सन्तों ने भी अपने विचारों का जनसाधारण में प्रचार करने के लिए हिन्दी-भाषा का आश्रय लिया। इनमें कुतबन (पन्द्रहवीं सदी का उत्तरार्ध), मंझन (सोलहवीं सदी का पूर्वार्ध) और मलिक मुहम्मद जायसी (सोलहवीं सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जायसी हिन्दी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और उन्होंने 'पदमावत' नाम के एक विशाल महाकाव्य की रचना की थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक मुसलिम सन्त और कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के लिए हिन्दी-भाषा को अपनाया, और उसमें सुन्दर कविता का सृजन किया। इन कवियों और विद्वानों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे।

उर्दू-भाषा—हिन्दी-भाषा की जो शैली 'उर्दू' नाम से प्रसिद्ध है, उसका सूत्रपात अफगान युग में ही हो गया था। तुर्क और अफगान शासक राजकीय कार्य में पर्शियन का उपयोग करते थे। भारत के जनसाधारण की भाषा में पर्शियन और अरबी शब्दों का सम्मिश्रण होने से जो नई भाषा विकसित हुई, उसीका नाम उर्दू है। इसे समझ सकना भारतीयों के लिए अधिक कठिन नहीं था, क्योंकि इसका व्याकरण पूर्ण-रूप से भारतीय था। मुसलिम शासकों के सम्पर्क से उन्होंने बहुत-से पर्शियन और अरबी शब्दों को अपना लिया था, और इस नई भाषा को लिखने के लिए पर्शियन लिपि का ही उपयोग किया था। पर उर्दू भारत के लिये विदेशी भाषा नहीं थी, क्योंकि उसके ८० प्रतिशत से भी अधिक शब्द भारत के जनसाधारण की भाषा से लिये गए थे। उर्दू भाषा का विकास इस युग के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके कारण हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे, और उनका भेद बहुत कुछ दूर हो गया था।

हिन्दी-भाषा—इसी प्रसंग में हमें हिन्दी-भाषा के विकास और साहित्य के विषय में भी कुछ प्रकाश डालना चाहिये, क्योंकि वह इस युग के जनसाधारण की भाषा थी। प्राचीन समय में भारत की भाषा संस्कृत थी, और राजा व विद्वान् उसी का प्रयोग करते थे। यद्यपि छठी सदी ई० पू० में सर्वसाधारण जनता प्राकृत और पालि भाषाएँ बोलती थी, पर विद्वान् कवि और राजा संस्कृत को ही प्रयुक्त करते थे। महात्मा

बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का जनता में प्रचार करने के लिए पालि भाषा को अपनाया, और इसीलिए बौद्ध त्रिपिटक का निर्माण पालि में ही हुआ। अशोक जैसे बौद्ध-सम्राट् ने अपनी राजाज्ञाओं के लिए पालि भाषा का आश्रय लिया, क्योंकि वह अपने प्रदेशों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए उत्सुक था। मौर्य युग के बाद जब वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तो साथ ही संस्कृत भाषा का भी एक बार फिर उत्कर्ष हुआ। पर क्योंकि उस समय सर्वसाधारण लोगों की भाषा प्राकृत थी, अतः अनेक कवियों ने उसमें भी अपने काव्य लिखे, और सातवाहन आदि अनेक राजवंशों द्वारा प्राकृत को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। भाषा कभी एक रूप में स्थिर नहीं रहती, उसमें निरन्तर विकास होता रहता है। भारत की भाषा में भी निरन्तर विकास हो रहा था, और इसी से अनेक अपभ्रंश भाषाओं का निर्माण हुआ। इन अपभ्रंश भाषाओं में अत्यन्तम भाषा हिन्दी थी, जिसका विकास आठवीं सदी ईस्वी में ही प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि इस युग के पण्डित, विद्वान्, कवि और राजा अपने कार्यों के लिए इस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, पर अनेक बौद्ध सन्तों ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए इसे अपनाया। इनमें आचार्य सरह या सरोवज्ज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐतिहासिकों के अनुसार इनका समय आठवीं सदी के लगभग था, और ये वज्जयान (बौद्ध-धर्म का अत्यन्तम सम्प्रदाय) के सुप्रसिद्ध 'सिद्ध' थे। आठवीं सदी में ही हिन्दी ने अपने उस रूप को अनेक अंशों में प्राप्त कर लिया था, जिसमें आगे चलकर बहुत-से कवियों ने अपने काव्यों की रचना की। सरह के समान अन्य भी कितने ही वज्जयानी सिद्धों ने हिन्दी में अपने उपदेश किये, और जनसाधारण की इस भाषा को अपने मन्तव्यों के प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त किया। वज्जयानी सिद्धों के समान नाथ-पंथ के सन्तों ने भी हिन्दी-भाषा को अपनाया, और गोरखनाथ जैसे आचार्यों ने इसी भाषा में अपनी 'साखियाँ' या 'बानियाँ' लिखीं। गोरखनाथ के समय के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान् उन्हें नवीं सदी में हुआ मानते हैं, और कुछ बारहवीं सदी में। वज्जयान और नाथपंथ की परम्परा का भारत के अन्य सम्प्रदायों ने भी अनुसरण किया और मुसलिम सूफ़ी संत भी इस परम्परा को अपनाये बिना नहीं रह सके। परिणाम यह हुआ, कि जिस समय में मुसलिम शासन स्थापित हुआ, हिन्दी इस देश में न केवल जनसाधारण की भाषा थी, अपितु विविध धर्म-प्रचारक भी अपने उपदेशों और काव्यों के लिए इसी का उपयोग करते थे।

बारहवीं सदी के अन्त में जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण प्रबल रूप से प्रारम्भ हुए, तो इस देश के राजवंशों व सैनिकों के सम्मुख एक नई समस्या उत्पन्न हुई। उन्हें अब एक विदेशी व विघर्षी शक्ति का मुकाबला करना था, और इसके लिए उनमें अनुपम शौर्य व साहस का संचार करने की आवश्यकता थी। इसी कारण इस समय उस काव्य-परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 'वीरगाथा काव्य' कहा जाता है। दसवीं सदी के अन्त में तुर्कों के आक्रमणों के समय में ही इन वीर काव्यों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था, और 'खुमान रासो' और 'बीसल देव रासो' जैसे काव्यों की रचना हुई थी। पर अफगान युग में इस प्रवृत्ति ने बहुत जोर पकड़ा, और चन्द बरदाई, भट्ट केदार, मधुकर कवि, जगनिक और श्रीधर जैसे कवियों ने अनेक उत्कृष्ट वीर काव्यों

की रचना की। इन कवियों के काव्य इस युग की हिन्दी में थे, और इनके कारण जनता में वीर भावना के प्रादुर्भाव में बहुत सहायता मिली थी। पर इन वीर काव्यों के कारण वह ऐतिहासिक प्रक्रिया रुकी नहीं, जिसका प्रारम्भ साहाबुद्दीन गौरी के आक्रमणों से हुआ था। गीघ्र ही भारत के बड़े भाग पर मुसलिम आक्राताओं का आधिपत्य स्थापित हो गया और इस देश की धात्रशक्ति के क्षय के साथ ही वीर काव्यों का भी अन्त हो गया। राजपूताने के वीर राजवंशों के आश्रय में रहने वाले भाट और चारण लोग बाद में भी वीरता के गीतों का सृजन करते रहे, पर हिन्दी की मुख्य काव्य-धारा का रुझ परिवर्तित हो गया, और उसमें उस भक्ति-रस का प्रवाह शुरू हुआ, जो एक सतप्त व पीड़ित जनसमाज को शान्ति और सन्तोष का सन्देश देता है।

पर यह स्पष्ट है, कि अफगान युग में भारत की मुख्य साहित्यिक भाषा हिन्दी थी। इसीलिए मुसलमान भी उसके प्रभाव में आये बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी अपनी साहित्यिक प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए उसे अपनाया, और सर्वसाधारण लोगों के सम्पर्क में आने के उद्देश्य से पर्शियन शब्दों से मिश्रित एक ऐसी हिन्दी-भाषा का उपयोग शुरू किया, जो आगे चलकर उर्दू नाम से हिन्दी की ही एक पृथक् व स्वतंत्र बोली बन गयी।

दक्षिणी हिन्दी या उर्दू—अफगान युग में उत्तरी भारत में जिस साहित्य का विकास हुआ, वह या तो धार्मिक था और या वीर काव्यों के रूप में था। इस साहित्य के लिए उन अनेक भाषाओं का उपयोग किया गया था, जो उस युग में सर्वसाधारण की भाषाएँ थीं। उत्तरी भारत के नाथपथी साधुओं ने अपनी बानियाँ जिस भाषा में लिखी, उसे 'सधुक्कड़ी' कहा जाता है। साधु मत भारत के सब प्रदेशों में भ्रमण करते रहते थे, इस कारण उनकी भाषा में उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों के शब्द सम्मिलित हो गये थे। उसे किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं कहा जा सकता। सधुक्कड़ी भाषा के अतिरिक्त अफगान युग में प्रधानतया राजस्थानी और ब्रजभाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा का उपयोग मुख्यतया वीर-काव्यों के लिए हुआ, और ब्रजभाषा का भक्ति रस की कविताओं के लिए। दक्षिणी भारत में भक्ति की जिस लहर का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्तरी भारत में जब वह आई, तो वृन्दावन उसका प्रधान केन्द्र बना, और वहाँ की भाषा (ब्रजभाषा) को ही भक्त सतों ने अपने गीतों के लिए प्रयुक्त किया। पर अफगान सल्तनत की राजधानी दिल्ली के आस-पास के प्रदेशों की भाषा 'कौरवी' थी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। दिल्ली के तुर्क-अफगान शासक इस कौरवी भाषा के ही सबसे अधिक सम्पर्क में आये, और इसी में खुसरो आदि ने कविताओं का भी निर्माण किया। इसी में पर्शियन और अरबी शब्दों के सम्मिश्रण में उस भाषा का विकास हुआ, जो बाद में 'उर्दू' नाम से प्रसिद्ध हुई। पर दिल्ली के मुल्तानों के संरक्षण में इस कौरवी या खड़ी बोली में साहित्य का अधिक विकास नहीं हो सका। इसका कारण यह था, कि दिल्ली के दरबार में तुर्क-अफगान मुसलमानों की प्रधानता थी और वे पानथन भाषा में ही अपना कार्य किया करते थे। पर उत्तरी भारत के मुसलमानों ने जब दक्षिणापथ में अपने शासन का विस्तार किया, और वहाँ मुसलिम शासन के अनेक केन्द्र कायम हुए, तो वहाँ विदेशी तुर्क-अफगानों की संख्या

इतनी अधिक नहीं थी, कि वे पश्चिम भाषा को अपने राज्य-कार्य के लिए प्रयुक्त कर सकते। उत्तरी भारत के ये मुसलमान दिल्ली के आस-पास के प्रदेश की कौरवी भाषा को दक्षिणापथ में ले गए, और वहाँ के मुसलिम दरबारों में इसी भाषा ने प्राधान्य प्राप्त किया। यही कारण है, जो दक्षिण के अनेक मुसलमानों और मुगल शासकों के संरक्षण में 'हिन्दवी' भाषा के साहित्य का विकास हुआ। दक्षिण में विकसित हुई कौरवी भाषा के इस नये रूप को 'हिन्दी' और 'उर्दू' दोनों कहा जा सकता है। इसका व्याकरण और शब्दकोश कौरवी या खड़ी बोली के थे, पर इसमें पर्सियन और अरबी शब्दों का भी सम्मिश्रण रहता था। इस नई भाषा का विकास दक्षिणापथ के जिन मुसलिम मुलतानों के दरबार में विशेष रूप से हुआ, उनमें इब्राहीम आदिलशाह (१५७६-१६२६), मुहम्मद कुली कुतुबशाह (१५००-१६१२) और मुहम्मद कुतुबशाह (१६१२-२५) के नाम उल्लेखनीय हैं। बाद में पर्सियन-मिश्रित कौरवी भाषा का विकास उत्तरी भारत के मुसलिम आसको के दरबारों में भी होने लगा, और इस प्रकार हिन्दी भाषा की एक नवीन शैली भली-भाँति विकसित हो गयी।

बंगाली साहित्य—अफगान मुलतानों के आश्रय में भारत की प्रान्तीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला। बंगाल के मुलतान नसरतशाह (१५१० ईस्वी) ने महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद कराया। प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने मुलतान नसरतशाह और शियासुद्दीन महमूदशाह (१५३३ ई०) की बहुत प्रशंसा की है, और उन्हें बंगाली भाषा का संरक्षक कहा है। इसी युग में कृत्तिवास ने बंगाली भाषा में रामायण की रचना की, जिसका बंगाल में प्रायः वही स्थान है, उत्तरी-भारत में जो तुलसीकृत रामायण का है। कृत्तिवास को बंगाल के मुलतानों का आश्रय प्राप्त था। मुलतान हुसैनशाह (१४९३ ई०) के संरक्षण में मालाधर बसु ने भागवत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, और इस उपलक्ष्य में मुलतान ने उसे 'गुणराजखी' की उपाधि से विभूषित किया। हुसैनशाह के सेनापति परागत खी ने महाभारत का एक अन्य अनुवाद बंगाली भाषा में कराया, जो कार्य कवीन्द्र परमेश्वर ने सम्पन्न किया। परागत खी के पुत्र चूती खी ने, जो कि बंगाल के मुलतान के अधीन चटगाँव का सूबेदार था, महाभारत के अश्वमेध पर्व का श्रीकर नन्दी द्वारा बंगाली अनुवाद कराया। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस युग के मुलतान, विशेषतया बंगाल, गुजरात आदि के प्रान्तीय मुलतान, भारत की प्रान्तीय भाषाओं के भी संरक्षक थे।

इस युग में संस्कृत भाषा में भी अनेक पुस्तकें लिखी गयीं। पर यह कार्य प्रायः उन प्रदेशों में हुआ, जहाँ अभी मुसलिम शासन स्थापित नहीं हुआ था।

तेईसवाँ अध्याय

हिन्दू-धर्म की नवीन जागृति

(१) भारत के विविध धर्म और इस्लाम

इस्लाम से सम्पर्क होने पर भारत के पुराने हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। एक विदेशी व विधर्मी जाति से परास्त हो जाना भारत के लिए एक असाधारण घटना थी। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व भी भारत पर विदेशी लोगों के आक्रमण हुए थे, पर या तो आक्रान्ता इस देश में स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित करने में असमर्थ रहे थे, और या इस देश में बसकर वे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के रंग में ही रंग गये थे। यवन, गक, पार्थियन, कुशाण और हूण आक्रान्ता भारत में अपनी राजशक्ति को कायम करने में आशिक रूप से सफल हुए, पर भारतीयों के सम्पर्क से वे पूर्णतया भारतीय बन गये। उन्होंने इस देश की भाषा, सभ्यता, धर्म और संस्कृति को अपना लिया। पर तुर्कों और अफगानों के रूप में जिन नवीन हूणों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किये थे, वे एक ऐसे धर्म के अनुयायी थे, जिसमें अपूर्व जीवनी शक्ति थी, और जो सम्पूर्ण मानव समाज को आत्मसात् करने की महत्वाकांक्षा रखता था। मनुष्यमात्र की समता और ईश्वर तथा रसूल पर दृढ़ विश्वास ऐसे तत्त्व थे, जो इस नये धर्म को अनुपम शक्ति प्रदान करते थे। इन्हीं के कारण मिस्र, सीरिया, ईरान आदि के पुराने धर्म इस्लाम के सम्मुख नहीं टिक सके। मुसलमान कहते थे, जो कोई मनुष्य अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आएगा, उसमें ऊँच-नीच का भेद नहीं रहेगा। अल्लाह और रसूल पर विश्वास मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख प्रदान करेगा, पर बहिस्त का द्वार भी उसके लिये खुल जायगा। भारत में इस्लाम का प्रवेश होने पर देश के धार्मिक नेताओं के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ। क्या बज्रयान और शाक्त सम्प्रदायों की गुह्य साधनाओं, भीमामको के कर्मकाण्ड और अद्वैतवादी म्मार्तों के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा इस्लाम का यह मार्ग (अल्लाह और रसूल में विश्वास) अधिक क्रियात्मक नहीं है? यह तो स्पष्ट ही था, कि इस्लाम को स्वीकृत करके मनुष्य इहलोक में अपना अश्रुदय कर सकता था। उसे जजिया कर देने की आवश्यकता नहीं रहती थी, और राजकीय सेवा का मार्ग भी उसके लिए खुल जाता था। यदि वह नीच जाति का या अद्वैत हो, तो इस्लाम की दीक्षा लेकर वह 'पापयोनि' न रहकर 'पाक' हो जाता था। और मृत्यु के बाद? इस्लाम कहता था—अल्लाह और रसूल में ईमान लाकर मनुष्य बहिस्त को प्राप्त कर सकता है। सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में नि-श्रेयस, स्वर्ग या बहिस्त का यह उपाय वाममार्गियों की गुह्य साधनाओं व भीमामको के कर्मकाण्ड की अपेक्षा किसी भी प्रकार हीन नहीं था।

यदि इस युग के हिन्दू धर्म में जीवनी शक्ति, कल्पना व चिन्तन का अभाव होता, तो इस्लाम के सम्पर्क के कारण उसकी भी वही गति होती, जो ईरान, मिस्र आदि के पुराने धर्मों की हुई थी। बिजली की लहर निर्बल मनुष्य के जीवन का अन्त कर देती है, पर उन मनुष्यों में वह जीवन का संचार करती है, जिनमें अभी शक्ति का अधिक क्षय नहीं हो चुका होता। इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। इस्लाम उसे नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि उसकी शक्ति का सर्वथा हास नहीं हो गया था। उसके सम्पर्क से हिन्दू धर्म में नवीन जागृति का प्रादुर्भाव हुआ।

(२) मध्य युग के भारतीय धर्म

इससे पूर्व कि हम हिन्दू धर्म की इस नवीन जागृति पर प्रकाश डालें, यह उपयोगी होगा कि इस्लाम के प्रवेश के समय भारत के विविध धर्मों की जो दशा थी, उसका अत्यन्त संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर दें।

बौद्ध-धर्म—बारहवीं सदी में बौद्ध-धर्म भारत से प्रायः नष्ट हो चुका था। पूर्वी भारत (मगध और बंगाल) में अभी इस धर्म की सत्ता थी, पर वह प्रधानतया बड़े-बड़े बिहारों में ही केन्द्रित था, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। इस युग के प्रायः सभी बौद्ध वज्रयान के अनुयायी थे, जो रहस्यमयी क्रियाओं और गुह्य साधनाओं में विश्वास रखते थे। जनसमाज के हित की इन्हे जरा भी चिन्ता नहीं थी। वज्रयानी बौद्धों के अनुकरण में पौराणिक हिन्दू धर्म में भी वाममार्ग का विकास हो गया था, जो वज्रयान के समान ही गुह्य साधनाओं में विश्वास रखता था।

याज्ञिक कर्मकाण्ड—कुमारिल भट्ट द्वारा यज्ञों के प्रति पुनः विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया था, और अनेक मीमांसक तर्क द्वारा याज्ञिक अनुष्ठानों के वैज्ञानिक रूप का प्रतिपादन करते थे। पर मीमांसकों का कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म सर्व-साधारण जनता में लोकप्रिय नहीं हो सकता था, क्योंकि याज्ञिक अनुष्ठान व्ययसाध्य थे, और केवल सम्पन्न लोग ही उनका अनुसरण कर सकते थे।

स्मार्त धर्म—शंकराचार्य ने भारत में एक नये धार्मिक आन्दोलन का प्रारम्भ किया, जिसके दार्शनिक अंश को 'वेदान्त' और साधना के अंश को 'स्मार्त मार्ग' कहते थे। वेदान्त के अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या हैं। ब्रह्म सत्य, शुद्ध, सत, चित्त और आनन्द रूप है। जीव ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, और इन्द्रियों से प्रतीयमान यह संसार मिथ्या है—यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वस्तुतः मोक्षप्राप्ति है। किन्तु इस ज्ञान साधना के लिए आवश्यक है, कि मनुष्य वेदशास्त्र द्वारा विहित वर्णाश्रम धर्म का भली-भाँति पालन कर अपने अन्तःकरण को शुद्ध करे। यह आवश्यक नहीं, कि यह शुद्धि एक ही जन्म में की जा सके। इसके लिए अनेक जन्मों व निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होगी।

जैन-धर्म—बौद्ध (वज्रयान), शाक्त (वाममार्ग) और पौराणिक (स्मार्त) धर्मों के अतिरिक्त जैन धर्म भी इस युग में भारत के कुछ प्रदेशों में विद्यमान था, और उसके धर्माचार्य भी समय के प्रवाह से अछूते नहीं रह सके थे। जैनों में भी देवसेन (दसवीं सदी) और मुनि रामसिंह (ग्यारहवीं सदी) आदि कितने ही ऐसे धर्माचार्य हुए, जिन्होंने

कि शंकराचार्य के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर 'ज्ञान' की उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने कहा, कि मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान के उस एक अग्निक्षण को अपना ले, जो प्रज्वलित होकर पाप पुण्य को क्षण भर में भस्म कर देता है। विषय-सुखों का उपभोग करता हुआ भी मनुष्य अपने मन को इस ढग से ढाल सकता है कि इन विषय-सुखों का कोई प्रभाव उसके मन पर न पड़े। इस युग के अन्य धर्माचार्यों के समान जैन लोग भी सत्य ज्ञान और मन की साधना पर बल देते रहे।

सहजयान—इस युग में एक अन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित था, जिसे 'सहजयान' कहते हैं। बज्रयानियों के समान सहजयान के अनुयायी भी साधना को महत्त्व देते थे, और वे ऐसी साधनाओं का प्रतिपादन करते थे, जिनके द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध किया जा सके। साधना के लिए गुरु की सहायता अनिवार्य थी। गुरु अपने शिष्य की चित्तवृत्ति की परीक्षा करके उसके अनुसार ही उसे विशेष प्रकार की साधना का उपदेश देता था। जो साधक गुरु द्वारा आदिष्ट मार्ग का अनुसरण कर अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, उसे 'सिद्ध' मान लिया जाता था। बज्रयान द्वारा जिस ढग की अर्नैतिक और पतन की ओर ले जाने वाली गृह्य साधनाओं को सिद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था, सहजयान ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई, और चित्तशुद्धि द्वारा साधना के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। पर सभी सिद्ध एवं साधक सहजयानी साधु आचरण को पवित्रता व चित्त शुद्धि के आदर्श को क्रिया में परिणत नहीं कर सके। साधना की आड़ में वे भी अनेक ऐसी क्रियाओं को अपनाते रहे, जिन्हें नैतिकता के अनुकूल नहीं माना जा सकता। सहजयानी लोग भी अनेक प्रकार की गृह्य साधनाओं में विश्वास रखते थे, और चित्तशुद्धि के लिए हठयोग की अनेकविध क्रियाएँ किया करते थे। उनका धर्म भी सर्वसाधारण जनता के लिए न होकर कतिपय साधकों व सिद्धों तक ही सीमित था।

नाथयोगी सम्प्रदाय—इस युग में उत्तरी भारत में नाथयोगी सम्प्रदाय का बहुत प्रचार था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी शैव धर्म के थे, और योगेश्वर शिव को अपना आदर्श मानकर योग साधना में तत्पर रहा करते थे। अनुश्रुति के अनुसार इस सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक 'आदिनाथ' शिव थे। पर इनका वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है, यद्यपि नाथयोगी साधुओं में इनके सम्बन्ध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इस सम्प्रदाय के ऐसे गुरु, ऐतिहासिक दृष्टि में प्रामाणिक रूप में जिनकी मना को स्वीकार किया जा सकता है, गुरु गोरखनाथ थे। पर उनके काल के विषय में भी ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। कोई उन्हें आठवीं सदी का मानता है, तो कोई बारहवीं सदी का। सम्भवतः, उनके काल को आठवीं-नवीं सदी में रखा जा सकता है। समय के समान उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। अब तक जो खोज हुई है, उसके अनुसार गुरु गोरखनाथ पश्चिमी भारत के निवासी थे, और उनका कार्यक्षेत्र उत्तरी भारत, असम, नेपाल आदि तक विस्तृत था। उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में उनके धर्म का प्रचार हुआ, और धीरे-धीरे अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सीलोन तथा पनाग आदि अन्य प्रदेशों में भी उनके मन्तव्यों का प्रसार हो गया। समयान्तर में उन्हें भी अवतार माना जाने लगा, और उनके विषय में यह समझा जाने लगा कि सतयुग

में उन्होंने पेशावर में, त्रेतायुग में गोरखपुर में, द्वापर में हुरमुज में और कलियुग में गोरखमण्डी में भ्रवतार ब्रह्मण किया था ।

नाथ योगी सम्प्रदाय के प्रधान गुरु यद्यपि गोरखनाथ हुए, पर उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक गुरु इस सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा में हुए, जिनमें जालन्धरनाथ, चौरंगीनाथ, चुणकरनाथ, पृथ्वीनाथ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इनकी 'वाणियाँ' इस सम्प्रदाय के साधुओं में अब तक भी प्रचलित हैं, और गोरखनाथ की रचनाएँ तो प्रकाशित भी हो चुकी हैं । अन्य नाथ गुरुओं की फुटकर रचनाएँ भी इस समय पुस्तक रूप में उपलब्ध हैं ।

गोरखनाथ के दार्शनिक सिद्धान्त वेदान्त के सदृश हैं । पर शंकराचार्य के समान वे केवल ज्ञान मार्ग को पर्याप्त नहीं समझते । उनका विश्वास था, कि जब तक शरीर व उसकी इन्द्रियों को वश में नहीं किया जाता, और चिन्तवृत्तियों का पूर्णतया निरोध नहीं होता, तब तक मनुष्य कदापि अपने उद्देश्य (आत्मज्ञान) को प्राप्त नहीं कर सकता । इसी लिए उन्होंने योग साधना का उपदेश किया, और योग साधना के लिए हठयोग का भी प्रतिपादन किया । गुरु गोरखनाथ शरीर और मन दोनों की शुद्धि को बहुत महत्त्व देते थे, और इसके लिए विविध यौगिक भ्रामनो और संयत जीवन का उपदेश करते थे । उन्होंने दूर-दूर तक अपने मन्त्रव्यां का प्रचार किया, और बहुत-से लोग उनके अनुयायी हो गये । उनके द्वारा प्रवर्तित नाथयोगी सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ अब तक भी विद्यमान हैं, जिनमें सत्यनाथ पन्थ, धर्मनाथ पन्थ, रामनाथ पन्थ, लक्ष्मणनाथ पन्थ आदि मुख्य हैं । इन विविध पन्थों का प्रादुर्भाव गोरखनाथ की शिष्य परम्परा द्वारा ही किया गया था । नाथयोगी सम्प्रदाय का एक मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, जहाँ इसका एक समृद्ध मठ भी है । इस सम्प्रदाय के साधु कनफटे भी कहाते हैं, क्योंकि वे अपने कानों को फाड़कर उनमें बड़े-बड़े छेद कर लेते हैं ।

ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में दक्षिणी भारत में भक्ति का भ्रान्दोलन प्रबल हो रहा था, यह हम पिछले एक अध्याय में लिख चुके हैं । यह भ्रान्दोलन शैव और वैष्णव दोनों सम्प्रदायों में था । इसी लिए दक्षिणी भारत में अनेक ऐसे भक्त सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि शिव और विष्णु की भक्ति पर जोर दिया । इस भ्रान्दोलन के कारण दक्षिणी भारत में इस युग के शैव धर्मों में भी यौगिक साधनाओं का स्थान शिवभक्ति में ले लिया था, पर उत्तरी भारत की दशा इससे सर्वथा भिन्न थी । वहाँ शैव धर्म का जो रूप प्रचलित था, उसमें अब तक भी योग साधना का ही महत्त्व था । नाथयोगी सम्प्रदाय जिस प्रकार शरीर और चित्त की शुद्धि के लिए अनेकविध योग-क्रियाओं का प्रतिपादन करता था, लोग उसी का अनुसरण किया करते थे ।

काश्मीर का शैव सम्प्रदाय—इस युग में काश्मीर में शैव धर्म का एक अन्य सम्प्रदाय प्रचलित था, जिसके प्रवर्तक वसुगुप्त नाम के आचार्य थे । इनका समय नवीं सदी के प्रारम्भ में माना जाता है । इस सम्प्रदाय के अनुयायी भी अपनी शारीरिक, मानसिक, व आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग साधना का ही आश्रय लेते थे । पर इनकी साधना में गुह्य उपायों को विशेष स्थान प्राप्त नहीं था । वे लोग मन्त्रों के जप,

प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि तथा पूजा को अधिक महत्त्व देते थे। इसी कारण इनमें वाममार्ग व वज्रयान की प्रवृत्तियाँ कभी बलवती नहीं हुई।

शैव शैव सम्प्रदाय—पर उत्तरी भारत के सभी शैव सम्प्रदाय काश्मीरी शैवों के समान नैतिक जीवन बिताने के पक्षपाती नहीं थे। शैव धर्म में ऐसे भी अनेक सम्प्रदायों की सत्ता थी, जो वज्रयानी बौद्धों के समान गुह्य साधनाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। इस प्रकार के सम्प्रदायों में कापालिक, कालमुख और पाशुपत सम्प्रदाय मुख्य थे। कापालिक और कालमुख साधु कपाल या नरमुण्ड को पात्र के रूप में प्रयुक्त करते थे, शव की भस्म शरीर पर रमाते थे, हाथ में त्रिशूल धारण करते थे, मदिरा का सेवन करते थे और मदिरा पात्र में ही प्रतीयमान महेश्वर की पूजा किया करते थे। पाशुपत लोग भी वज्रयानी बौद्धों के समान यह मानते थे, कि कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य और स्राष्ट-अस्राष्ट के विवेक से ऊपर उठने के लिए साधक को उन सब कार्यों को करना चाहिए, जिन्हे साधारणतया निन्दनीय माना जाता है।

वैष्णव धर्म—बौद्ध, जैन और शैव धर्मों के साथ-साथ वैष्णव धर्म भी इस युग में प्रचलित था। गुप्तवश के शासन काल में वैष्णव धर्म उत्तरी भारत का प्रधान धर्म था। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि सातवीं सदी व उसके बाद के काल में उत्तरी भारत में शैव और वज्रयान धर्मों का अधिक प्रचार हो गया था। ये दोनों धर्म योग क्रियाओं और गुह्य साधनों पर जोर देते थे, और भक्ति व पूजा का इनकी दृष्टि में विशेष महत्त्व नहीं था। पर फिर भी उत्तरी भारत से वैष्णव धर्म का सर्वथा लोप हो गया हो, यह बात नहीं थी। इस युग में भी वैष्णव धर्म की सत्ता कायम थी, यद्यपि उसका अधिक प्रचार दक्षिणी भारत में ही था। उत्तरी भारत में जो लोग गुह्य साधनाओं व योग-क्रियाओं को महत्त्व नहीं देते थे, वे स्मार्त धर्म के अनुयायी थे। ये स्मार्त लोग यथार्थ ज्ञान को मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानते थे, और विविध देवी देवताओं में समन्वय करने की प्रवृत्ति रखते थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन कर अन्तःकरण की शुद्धि करना इनकी जीवन-साधना का मुख्य रूप था।

भक्ति-मार्ग—जिस समय उत्तरी भारत में साधना और ज्ञान पर जोर देने वाले इन विविध सम्प्रदायों का विकास हो रहा था, दक्षिणी भारत के विविध धर्माचार्य भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करने में तत्पर थे। भक्तिमार्ग भारत के लिए नवीन नहीं था। प्राचीन समय में अश्वक-वृष्णि-मध के क्षेत्र में वामुदेव कृष्ण द्वारा जिस भागवत धर्म का सूत्रपात हुआ था, वह याज्ञिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्त्व देता था। पर भगवद्गीता का यह धर्म समन्वयात्मक था। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म को समान रूप से स्थान दिया गया था। यही कारण है कि 'परम भागवत' और 'परम वैष्णव' गुप्त सम्राट् अश्वमेध यज्ञ का भी अनुष्ठान करते थे। सातवीं सदी में वज्रयान सम्प्रदाय का विकास शुरू होने पर उत्तरी भारत में जो धार्मिक विचार-सरणी प्रबल हुई, उसमें या तो साधना को प्रधान स्थान दिया जाता था, या ज्ञान को। भक्ति का उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। ब्रह्म और जीव की एकता को प्रतिपादित करने वाले शांकर मत में भी भक्ति को विशेष स्थान नहीं मिल सकता था। इस दशा में दक्षिणी भारत में अनेक ऐसे सन्त हुए, जो भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करते थे, और विष्णु की

भक्ति को ही भोज का एक मात्र साधन मानते थे। इन सन्तों को भालवार कहा जाता था। इन भालवारों ने भगवान् की भक्ति में जो अनेक गीत बनाये, उसका संग्रह बाद में 'प्रबन्धम्' नाम से किया गया, जिसे वैष्णव भक्त लोग बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। भालवारों के बाद अनेक ऐसे आचार्य दक्षिणी भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति-मार्ग को दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्ट किया। शंकराचार्य के ब्रह्मतत्त्ववाद और बौद्धों के विज्ञानवाद व शून्यवाद में ईश्वर और आत्मा की पृथक् सत्ता की गुंजाइश नहीं रहती थी, और इन मतों को स्वीकार कर लेने पर जीव के लिए भक्तिमार्ग का अनुसरण करना निरर्थक हो जाता था। इसलिए रामानुचार्य जैसे आचार्यों ने विशिष्टाद्वैत व द्वैतवाद का प्रतिपादन कर भक्ति मार्ग को दार्शनिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिणी भारत में भक्तिमार्ग की बहुत उन्नति हुई, और अनेक आचार्यों ने उत्तरी भारत में भी इसके प्रचार का प्रयत्न किया।

हिन्दू-धर्म में नई जागृति का सूत्रपात—बारहवीं सदी के अन्त में जब भारत में मुसलिम राजसत्ता की स्थापना प्रारम्भ हुई, तो देश की धार्मिक दशा का यही रूप था। इस्लाम के प्रवेश के कारण यह आवश्यक हो गया था, कि इस देश के धार्मिक नेता हिन्दू धर्म को एक ऐसा रूप प्रदान करें, जो मुसलिम शासकों और धर्म प्रचारकों से हिन्दू-धर्म की रक्षा कर सके। यही कारण है, कि इस युग में अनेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने जाति भेद का विरोध करते हुए यह प्रतिपादित किया, कि भगवान् की दृष्टि में न कोई मनुष्य नीच है, और न कोई उच्च। अपने गुण, कर्म, सदाचार व भक्ति द्वारा ही कोई मनुष्य ऊँचा पद प्राप्त कर सकता है। साथ ही, इन सन्त-महात्माओं ने यह भी प्रतिपादित किया, कि ईश्वर पतिपावन है, भक्ति द्वारा प्रसन्न होता है, भक्त का उद्धार करने के लिए उसकी सहायता करता है, और भगवान् तक पहुँचने के लिए गुरु का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इस्लाम के समान इस युग के भारतीय धार्मिक आन्दोलन भी ईश्वर पर ढूँढ विश्वास, उसकी भक्ति और गुरु (रसूल) के महत्त्व पर बल देने लगे, और उन्होंने भगवान् के एक ऐसे रूप को जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जो दुष्टों का दलन करने और साधु लोगों का परित्राण करने के लिए मानव तन धारण करने में भी संकोच नहीं करता। इस अध्याय में हम भारत के इन नये धार्मिक आन्दोलनों पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि इनके कारण हिन्दू धर्म इस्लाम के आक्रमण से अपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ था, और उसमें एक ऐसी नयी जागृति उत्पन्न हो गयी थी, जो अनेक अंशों में इस्लाम को भी अपने प्रभाव में ले आई थी।

(३) इस्लाम और भारत

जिस इस्लाम के प्रवेश के कारण भारत के धार्मिक नेताओं के लिए यह आवश्यकता हो गया था, कि वे अपने धर्म को एक ऐसा रूप दें, जो मुसलिम शासकों और धर्म-प्रचारकों से हिन्दू धर्म की रक्षा कर सके, उसके स्वरूप पर कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश—विशाल अरब साम्राज्य के संगठित होने पर ७१२ ई० में एक अरब के सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिन्ध प्रान्त.

पर भी आक्रमण किया था, और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उत्तरी भारत में इस्लाम का पदार्पण इसी समय से हुआ। पर दक्षिणी भारत में इस्लाम का प्रवेश इससे पूर्व ही हो चुका था। भारत का पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। भारत के व्यापारी पश्चिमी देशों में दूर-दूर तक समुद्री मार्ग द्वारा आया जाया करते थे और पश्चिम के व्यापारी भी अच्छी बड़ी संख्या में भारत आते थे। अरबों के उत्कर्ष के काल में भारत के सामुद्रिक व्यापार में अरब व्यापारियों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। इस देश में इस्लाम का प्रवेश सबसे पूर्व इन अरब व्यापारियों द्वारा ही हुआ। ६३६ ई० में अरब के मुस्लिम व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर आने लगे, और उनके सम्पर्क में आकर मलाबार के मोपला लोगों ने इस्लाम को स्वीकार करना भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरबों द्वारा सिन्ध की विजय से पहले भी भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, और दक्षिणी भारत के समुद्र-तट के लोग इस नये धर्म को अपनाने लग गये थे। बाद में इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार और भी तेजी के साथ हुआ। नवी सदी के उत्तरार्द्ध में मलाबार का राजा चैरामन पेमल था। अरब व्यापारियों के सम्पर्क से वह भी इस्लाम के प्रभाव में आ गया, और उसने अपने राज्य में मुस्लिम धर्म प्रचारकों को सब प्रकार की मुविधाएँ प्रदान की। दसवी सदी के प्रारम्भ होने तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर भी इस्लाम का प्रचार प्रारम्भ हो गया था, और बहुत-से मुस्लिम पीर व झीलिया इन क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रसार करने के कार्य में तत्पर हो गये थे।

इसमें सन्देह नहीं कि महमूद गजनवी के आक्रमण में पूर्व भी भारत के अनेक प्रदेशों में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। सिन्ध और दक्षिण के समुद्र-तट के प्रदेश उस युग में ऐसे क्षेत्र थे, जहाँ मस्जिदों की मीनारों एक नये धर्म की सत्ता की सूचना दिया करती थी। सहिष्णुता की भावना भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता रही है। इसी कारण भारत के राजाओं ने इस्लाम के प्रति भी उदारता और सहिष्णुता की नीति का ही अनुसरण किया।

सूफी सम्प्रदाय—जो अनेक मुस्लिम पीर और झीलिया भारत के कतिपय क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार करने में तत्पर थे, उनमें सूफी लोग प्रधान थे। सूफी सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव में अनेक ऐसे धर्मों के मन्तव्यों का महत्त्वपूर्ण हाथ था, जिनकी सत्ता इस्लाम से पहले भी थी। अरब से प्रादुर्भूत होकर जिन देशों में इस्लाम का प्रसार हुआ, उनमें पहले जरदुद्ध और ईमामसीह के धर्मों का प्रचार था। ये धर्म भारत के बौद्धों और हिन्दुओं की विचारमरणी और दार्शनिक प्रणाली में अनेक अशो में प्रभावित हुए थे, यह पहले लिखा जा चुका है। जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, वे उसकी उपासना और उसके साथ मनुष्य के सम्बन्ध के बारे में अपने विचार रखते थे, और ये विचार उनमें बहुत बढमूल थे। बौद्धों की, माघना और हिन्दू योगियों की योगक्रियाओं से उन्हें भली-भाँति परिचय था। उस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि उनके विचारों और विश्वासों का इस्लाम पर भी प्रभाव पड़े। बौद्ध लोग निर्वाण को मानव जीवन का शान्तिम लक्ष्य मानते थे, और उसकी प्राप्ति के लिए अष्टांगिक आर्य मार्ग का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव के कारण इस्लाम में भी एक ऐसे सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ,

जिसने कि 'फना' को मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना, और उसकी प्राप्ति के लिए एक ऐसे 'तरीके' का प्रतिपादन किया, जो बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग से मिलता जुलता है। भारत के योगी उन चमत्कारों में विश्वास रखते थे, जिन्हें योग साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस्लाम के इस नये सम्प्रदाय ने भी 'करामात' या 'मोजजा' को अपने मन्तव्यों में स्थान दिया। इस्लाम का यह सम्प्रदाय 'सूफी' कहाता है, और इस पर भारतीय विचार-धारा के प्रभाव को प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसीलिए श्री हुमायूँ कबीर ने लिखा है कि सूफी मत का आधार कुरान में था, पर भारतीय विचार-धारा ने इस पर अत्यन्त गम्भीर प्रभाव डाला है।

सूफी सम्प्रदाय का प्रारम्भ कब और किस प्रकार हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग तो इसे इस्लाम से भी पहले का मानते हैं, और कुछ के अनुसार इसका प्रारम्भ भी हजरत मुहम्मद द्वारा ही हुआ था। पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना अधिक सगत होगा कि जब अरब से बाहर इस्लाम का प्रचार हुआ, तो वहाँ के लोगों में प्रचलित विचारों और विश्वासों के प्रभाव के कारण ही इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, और अनेक ऐसे पीरो (साधुओं) ने, जो मुसलमान होने हुए भी बौद्ध, हिन्दू व ईसाई विचार-धाराओं से प्रभावित थे, इस सम्प्रदाय का विकास किया। कट्टर मुसलमान इन सूफी पीरो को काफिर समझते थे, और इनके विचारों को इस्लाम के प्रतिकूल मानते थे। इसी कारण अनेक सूफी पीरो को प्राणदण्ड भी दिया गया। अपने विचारों के लिये शहीद होने वाले सूफी पीरो में मंसूर-उल-हल्लाज (दसवीं सदी) का नाम उल्लेखनीय है। वह ईश्वर और जीव में अन्धेद मानता था, और इसी कारण उसके विचार कट्टर मुसलमानों को सह्य नहीं थे। मुस्लिम देशों में सूफी सम्प्रदाय के फकीरों व पीरो के प्रति सहिष्णुता की नीति के न बरते जाने का एक परिणाम यह हुआ, कि बहुत-से-ऐसे फकीर भारत आदि देशों में आने लगे। इस देश के निवासी धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु थे, सब सम्प्रदायों के साधु-महात्माओं का आदर करने का उन्हें चिरकाल से अभ्यास था। इसीलिए सूफी फकीरों ने भारत को अपने धर्मप्रचार का क्षेत्र बनाया, और उन्हें अपने कार्य में सफलता भी मिली।

मुस्लिम प्रचारकों का भारत में कार्य—उत्तरी भारत में ग्यारहवीं सदी में मुस्लिम फकीरों और पीरों ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस काल में भारत की राज-शक्ति राजपूत राजवंशों के हाथों में थी। मुस्लिम राजवंशों की स्थापना अभी इस देश में नहीं हुई थी। इस कारण मुस्लिम फकीरों को किसी भी प्रकार से राजनैतिक शक्ति का सहारा प्राप्त नहीं था। पर क्योंकि ये फकीर व पीर ऊँचे चरित्र के थे, और साथ ही अनेक प्रकार की साधनाओं में भी तत्पर रहते थे, अतः इन्हें अपने प्रचार कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इस युग तक भारत के हिन्दुओं में संकीर्ण जाति प्रथा का विकास हो चुका था, और जनता के एक अच्छे बड़े भाग को हीन समझा जाने लगा था। अतः इस दलित वर्ग के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में मुस्लिम फकीरों को अच्छी सफलता मिली। ग्यारहवीं सदी में शेख इस्माईल और अब्दुल्ला यमनी नाम के फकीर भारत में धर्म के प्रचार के लिए आये, और बारहवीं सदी के प्रारम्भ में नून सतागर ईरानी ने गुजरात के अछूत हिन्दुओं को इस्लाम का अनुयायी बनाया। तेरहवीं

सदी के शुरू में ही दिल्ली तुर्क-अफगान सल्तनत की स्थापना हो गयी थी। इस समय से मुसलिम पीर और फकीर धार्मिक बड़ी संख्या में भारत आने लगे और प्रचार कार्य में तत्पर हुए। इन मुसलिम फकीरों द्वारा भारत में इस्लाम के प्रचार में बहुत सहायता मिली।

बल प्रयोग द्वारा इस्लाम धर्म का प्रसार—पर यह समझना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं होगा, कि भारत में इस्लाम का प्रचार केवल पीरो और फकीरों द्वारा शांतिपूर्वक ही हुआ। यह सच है कि जब तक इस देश में तुर्क-अफगान आक्रांताओं का आधिपत्य स्थापित नहीं हो गया था, मुसलिम पीर व फकीर शांतिमय उपायों से ही अपने धर्म का प्रचार करने में तत्पर रहते थे। पर जब शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमणों के कारण भारत में तुर्क-अफगान सल्तनत कायम हो गयी, तो इन विदेशी व विधर्मी शासकों ने बल का प्रयोग करके भी भारत की जनता को इस्लाम का अनुयायी बनाने का प्रयत्न किया। पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिन मुसलमान आक्रांताओं ने भारत में अपने शासन की स्थापना की थी, वे अरबों के मुसलिम आदर्शों से बहुत कुछ परे हट चुके थे। तुर्क लोग सभ्यता की दृष्टि से अरबों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए थे, और उनके स्वभाव में बर्बरता बहुत पर्याप्त थी। सभ्यता में पिछड़े हुए तुर्कों ने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया, और फिर अरबों के सम्पर्क में आकर इस्लाम को। पर धर्म परिवर्तन के कारण उनके स्वभाव में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर उन्होंने न अशोक की नीति को अपनाया, और न मुसलमान बनकर मुहम्मद के आदर्शों को। इसलिए जब उन्होंने अपनी राजशक्ति का विस्तार करते हुए भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ के निवासियों पर भयंकर अत्याचार किये, और उन्हें अपने धर्म का अनुयायी बनाने के लिये बल का भी प्रयोग किया। तुर्क-अफगान सुलतान भारत में इस्लाम के प्रचार के लिये इस कारण भी प्रयत्नशील थे, क्योंकि इस देश की जनता का सहयोग वे तभी प्राप्त कर सकते थे, जबकि यहाँ इस्लाम की शक्ति बढ़े। भारत की जिस राजशक्ति को परास्त कर उन्होंने इस देश में अपना शासन स्थापित किया था, वह अभी पूर्णतया नष्ट नहीं हुई थी। विविध राजपूत राजवंश अभी विद्यमान थे, भारतभूमि वीरो और सैनिकों से विहीन भी नहीं हुई थी। पुराने क्षत्रिय राजा फिर से अपनी राजशक्ति का उद्धार करने के लिये उत्सुक थे। इस दशा में तुर्क शासन भारत में तभी स्थायी हो सकता था, जबकि इस देश के निवासियों का एक वर्ग इस्लाम को स्वीकार कर मुस्लिम सुलतानों के शासन का सहायक बन जाए। इसी लिए तुर्क-अफगान सुलतानों ने अपनी हिन्दू प्रजा पर जजिया कर लगाया, और जो लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें, उन्हें सम्मानित करने व राजकीय पद प्रदान करने की नीति को अपनाया। सम्भवतः, राजनीतिक दृष्टि से उस युग में वह बात सर्वथा अनुचित नहीं कही जा सकती थी।

इस्लाम की शिक्षाओं में जिहाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिहाद का अर्थ है, धर्म-युद्ध। कुरान में जिहाद का क्या अभिप्राय है, इस बात पर विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं। धर्मपुस्तकों की व्याख्या के सम्बन्ध में धर्माचार्यों और विद्वानों के विविध मत हुआ ही करते हैं। हजरत मुहम्मद ने चाहे अपने अनुयायियों को तलवार

द्वारा विधर्मियों के विरुद्ध जिहाद करने का आदेश न दिया हो, पर यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बाद के मुस्लिम धर्माचार्यों के अनुसार दो प्रकार के देश होते थे। जिन देशों के निवासी मुसलमान हों, उन्हें वे 'दारुल-इस्लाम' (शांतिमय देश) कहते थे, और जहाँ इस्लाम का प्रचार न हो, उन्हें वे 'दारुल-हरब' (युद्धस्थली) समझते थे। बाद के मुस्लिम धर्माचार्यों का मत था कि दारुल-हरब के खिलाफ जिहाद करना और उनको जीत कर इस्लाम के झण्डे के नीचे ले आना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। जिहाद की यह भावना मुस्लिम राजाओं में विद्यमान थी, इस ऐतिहासिक तथ्य से इन्कार कर सकना सम्भव नहीं है। मुहम्मद की शिक्षाएँ इसके विपरीत थीं या नहीं, कुरान में जिहाद का मूल अभिप्राय इससे भिन्न है, और सच्चा इस्लाम किसी पर जबरदस्ती करने का उपदेश नहीं देता, इन बातों पर धार्मिक व सैद्धांतिक दृष्टि से मतभेद की गुंजाइश है। पर यह निःसंदिग्ध है कि बहुत-से मुसलमान राजाओं ने जिहाद का यही अभिप्राय माना कि विधर्मियों को इस्लाम के झण्डे के नीचे ले आना और सर्वत्र मुसलिम धर्म का प्रचार करना उनका पवित्र कर्तव्य है। ऐसा करते हुए वे इस्लाम के सच्चे मन्तव्यों से दूर हट गये थे या नहीं, इस प्रश्न पर धर्माचार्य तर्क-वितर्क कर सकते हैं पर इतिहास के साथ इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है।

हमें यह स्वीकार करना होगा, कि जिन तुर्क-अफगान आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर इस देश में अपना शासन स्थापित किया, उनमें जिहाद की भावना विद्यमान थी, और वे जिहाद का यही अभिप्राय समझते थे कि भारत के विधर्मी निवासियों को बल का प्रयोग कर अपने धर्म का अनुयायी बना लें। पर साथ ही यह भी तथ्य है, कि तुर्क-अफगान शासन की स्थापना के समय भारत में जो लूटमार हुई, आक्रांताओं द्वारा जनता पर जो घोर अत्याचार किए गये, जिस प्रकार मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया—उस सब का उद्देश्य केवल धार्मिक ही नहीं था। इसमें आक्रांताओं की घन-लिप्सा भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। युद्धों द्वारा जब किसी देश की विजय की जाती है, तो आक्रान्त देश के लोगों को अनेकविध कष्टों को सहना ही पड़ता है। भारत के लोगों को तुर्क आक्रमण के समय जिन भयंकर कष्टों को सहना पड़ा, उनके लिए इस्लाम को उत्तरदायी ठहराना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। इसमें आक्रांताओं की साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी आकांक्षाएँ एवं घनलिप्सा धार्मिक भावना की तुलना में कहीं अधिक महत्व की बातें थी, यह भी सर्वथा निर्विवाद है।

इस्लाम और हिन्दू धर्म में सम्पर्क—बारहवीं सदी के अन्त में तुर्क-अफगानों के आक्रमणों के कारण भारत की हिन्दू जनता को दो प्रकार से इस्लाम का सामना करना पड़ रहा था। एक ओर मुस्लिम पीर और फकीर शांतिमय उपायों से अपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे, और दूसरी ओर तुर्क-अफगान आक्रान्ता बल का प्रयोग कर जनता को इस्लाम का अनुयायी बना रहे थे। इस दशा में हिन्दू-धर्म अपनी रक्षा तभी कर सकता था, जब उसमें नवजीवन का संचार हो। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ईजिप्ट, ईरान, और अफगानिस्तान आदि के लोग इस्लाम के मुकाबले में अपने पुराने धर्मों की रक्षा करने में असमर्थ रहे थे। ईरान का जरदुष्ट धर्म इस्लाम की बाढ़ में बह गया था। मध्य एशिया के विविध देशों में कभी बौद्ध धर्म का प्रचार

था, यह बात अब केवल पुगत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों से ही ज्ञात होती है। ईजिप्ट के पुराने निवासी जिन देवी देवताओं की उपासना करते थे, उनका परिचय भी हमें केवल खुदाई द्वारा प्राप्त मूर्तियों से ही मिलता है। पर भारत का पुराना हिन्दू धर्म अब तक भी जीवित है। मलाया, इण्डोनीशिया आदि के जो प्रदेश पहले बृहत्तर भारत के क्षेत्र में थे, उनके पुराने हिन्दू और बौद्ध लोग भी इस्लाम का मुकाबला करने में असमर्थ रहे। पर मुस्लिम फकीरों के साधनामय चमत्कार और तुर्क-अफगान विजेताओं का बलप्रयोग भी भारत से हिन्दू धर्म को नष्ट कर सवने में समर्थ नहीं हो सके। भारत की जनता के एक भाग को वे मुसलमान अवश्य बना सके, पर इस्लाम को स्वीकार कर लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रही। इसका कारण यही है कि इस युग में बहुत-से ऐसे सन्त महात्मा भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार किया, और जिनके प्रयत्नों द्वारा हिन्दू धर्म में नई जागृति उत्पन्न हो गयी। इसी जागृति का यह परिणाम हुआ, कि हिन्दू लोग इस्लाम के मुकाबले में अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हुए।

(४) नये धार्मिक आन्दोलन

मध्य काल के अन्त में भारत में जो नये धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उन्हें स्थूल रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) वे जो भगवान् की भक्ति पर जोर देते थे, और ईश्वर के सगुण रूप का प्रतिपादन करते थे। (२) दूसरे वे जो ईश्वर के निर्गुण रूप का प्रतिपादन कर ज्ञान और साधना द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार का उपदेश देते थे।

इनमें से पहले प्रकार के (भक्ति प्रधान) आन्दोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत के नायनमार और आलवार भक्त संतो द्वारा हुआ था। इन सन्तों का उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। भक्ति की जो धारा सुदूर दक्षिण से शुरू हुई थी, वह तेरहवीं सदी में महाराष्ट्र पहुँची, और बाद में उत्तरी भारत में उसका प्रवेश हुआ। वैष्णव लोग पहले भी भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, पर तुर्क-अफगान युग में दक्षिण के समान उत्तरी भारत में भी बहुत-से ऐसे सन्त महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सर्वनाधारण जनता को भक्ति के रस में निमग्न कर दिया। इन सन्तों के कारण पुराने वैष्णव और शैव धर्मों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आया।

ईश्वर के निर्गुण रूप का प्रतिपादन करने वाले सन्त मुख्यतया उत्तरी भारत में हुए। साधना और ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का जो विचार चिरकाल से भारत में चला आ रहा था, नाथयोगी सम्प्रदाय के साधुओं से उसे बहुत बल मिला था। यह सम्प्रदाय ईश्वर के निर्गुण रूप का ही प्रतिपादन करता था, और साधना का उपदेश देता था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि उत्तरी भारत के बहुत-से सन्तों पर इस विचारधारा का प्रभाव पड़े। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस युग में ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों का प्रतिपादन करने वाले सन्तों में कोई विरोध नहीं था। उनकी स्थिति परम्पर विरोधी सम्प्रदायों के समान नहीं थी। जो सन्त ईश्वर की भक्ति पर जोर देते थे, वे साथ ही ज्ञान और साधना की उपयोगिता को भी स्वीकार करते थे।

भेद यही था, कि कुछ महात्मा भक्ति को अधिक महत्त्व देते थे, और दूसरे ज्ञान व साधना को। शंकराचार्य के समय में भारत में जिस स्मार्त भावना का विकास हुआ था, उसके कारण अब यह विचार प्रबल हो गया था, कि विविध देवी-देवताओं में भ्रमभेद है, और पूजा-पाठ, भक्ति आदि के विविध प्रकारों द्वारा जिन सर्वोच्च शक्तियों की उपासना की जाती है, वे एक-दूसरे से भिन्न न होकर एक ही भगवान् को सूचित करती हैं।

तुर्क-प्रफगान युग में भारत में जो बहुत-से सन्त-महात्मा उत्पन्न हुए, और जिनके प्रयत्नों से हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुआ, अब हम उनका संक्षेप से उल्लेख करेंगे।

ज्ञानदेव—भक्ति की जो धारा सुदूर दक्षिण से प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई थी, वह धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगी, और इस्लाम के आक्रमणों द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में उसने बहुत उपयोगी कार्य किया। तेरहवीं सदी के अन्त में महाराष्ट्र के पङ्कपुर नामक स्थान को केन्द्र बनाकर एक नये वैष्णव सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'वाराकरी' कहते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी कृष्ण की 'विट्ठल भगवान्' के रूप में पूजा करते थे, और उनकी पूजाविधि में भक्ति और कीर्तन का प्रधान स्थान था। अद्वैतवाद में विश्वास रखते हुए भी वाराकरी सम्प्रदाय के लोग भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करते हैं। इसके प्रवर्तकों में सन्त ज्ञानदेव सर्व-प्रधान थे। उन्होंने गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम का भाष्य मराठी भाषा में लिखा, जिसमें इस सम्प्रदाय के मन्तव्यों को दार्शनिक ढंग से प्रतिपादित किया गया है। ज्ञानदेव को गुरु गोरखनाथ की नाथयोगी शिष्य-परम्परा में सम्मिलित किया जाता है। इसका कारण यह है कि उनके विचारों पर उत्तरी भारत के ज्ञानमार्ग का भी प्रभाव था। वस्तुतः, ज्ञानदेव ने ज्ञान और भक्ति में बड़े सुन्दर ढंग से समन्वय किया, और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि वे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर भक्ति द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ज्ञानदेव का समय तेरहवीं सदी के उत्तगर्द्ध में माना जाता है।

नामदेव—ज्ञानदेव के समय में ही महाराष्ट्र में एक अन्य सन्त उत्पन्न हुए, जिनका नाम नामदेव (१२७०-१३५० ई०) था। इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत में दूर-दूर तक यात्राएँ की, और जनता को अपने मार्ग का उपदेश दिया। मराठी भाषा में विरचित अभङ्गों के अतिरिक्त इनकी हिन्दी रचनाएँ भी प्रचुर संख्या में मिलती हैं। नामदेव सगुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, यद्यपि बाद में ज्ञानदेव के सग के कारण नाथपन्थ के प्रभाव में आ गये थे। इस समय भारत के बहुत-से प्रदेशों में नाथपन्थी योगियों के मत का प्रचार था, जो अन्तर्मुख माधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते थे। ज्ञानदेव के सम्पर्क में आकर सन्त नामदेव का भुकाव भी योगियों के मार्ग की ओर हो गया। यही कारण है, कि उनकी रचना में भक्ति मार्ग द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना और ज्ञान व साधना द्वारा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार—दोनों ही प्रकार के विचार पाये जाते हैं।

महाराष्ट्र में सन्त नामदेव ने भगवान् की भक्ति व प्रेम की जो धारा प्रवाहित की, अनेक मुसलमान भी उससे प्रभावित हुए, और वे उनके शिष्य बन गये। यह सर्वथा स्वाभाविक भी था, क्योंकि नामदेव के भक्ति-मार्ग के लिये न मन्दिरों की आवश्यकता

थी, और न मस्जिदों की। उनकी दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान सब एक समान थे। जिसे सत्य ज्ञान हो, वही उनकी दृष्टि में उत्कृष्ट था। जिस प्रकार के विचार धारण चलकर उत्तरी भारत में संत कबीर ने प्रगट किये, प्रायः वैसे ही उनसे कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में सन्त नामदेव ने अभिव्यक्त किये थे। धीरे-धीरे ये ही विचार सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो गये, और इनके कारण भारत के विविध धर्मों के स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया।

स्वामी रामानन्द—भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू धर्म में जो नवीन जागृति हुई, उसका श्रेय अनेक अंशों में स्वामी रामानन्द को है। ये रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में थे, और पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम भाग में हुए थे। इनके समय में दिल्ली का सुलतान सिकंदर लोदी था, जिसका शासन काल १४८६ से १५१७ ईस्वी तक था। 'श्रीरामार्चन पद्धति' नामक पुस्तक में रामानन्द ने अपनी पूरी गुरु-परम्परा दी है। उसके अनुसार वे रामानुजाचार्य के बाद १४वीं शिष्य-पीढी में हुए थे। उनके गुरु राघवानन्द काशी में निवास करते थे, और उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। रामानुजाचार्य व उनकी शिष्य परम्परा के लोग वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु के उपासक थे, और उन्हीं की भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। रामानन्द ने भक्ति के इस मार्ग में एक नये तत्त्व का समावेश किया। उन्होंने भगवान् की भक्ति के लिये वैकुण्ठवासी अगोचर विष्णु के स्थान पर मानव शरीर धारण कर राक्षसों का सहार करने वाले विष्णु के अवतार राम का आश्रय लिया, और उन्हीं के प्रेम व भक्ति को मोक्ष का साधन माना। राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानने का विचार इम युग से पूर्व भी भारत में विद्यमान था। पर राम के रूप में ही विष्णु की भक्ति करने के विचार के प्रवर्तक स्वामी रामानन्द ही थे। सम्भवतः, विष्णु के अवतारों की पूजा पहले भी भारत में प्रचलित थी, पर रामानन्द ने राम की भक्ति को इतना महत्त्वपूर्ण रूप प्रदान किया, कि वही हिन्दू धर्म का प्रधान तत्त्व बन गई।

रामानन्द से पूर्व रामानुज-सम्प्रदाय में केवल द्विजातियों को ही दीक्षा दी जाती थी, पर रामानन्द ने रामभक्ति का द्वार सब जातियों के लिये खोल दिया। भक्तकाल के अनुसार उनके प्रधान शिष्य निम्नलिखित थे—घनन्तानन्द, मुखानन्द, मुरसरानन्द, नरहर्यानन्द, भवानन्द, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पचावती और मुरसरी। इन बारह शिष्यों में से कबीर जाति के जुलाहे थे, और सेन नाई। रैदास जाति के चमार थे। नीची समझी जाने वाली जातियों के लोगों को अपनी शिष्य-मण्डली में सम्मिलित करना वैष्णव आचार्यों के लिये एक नई बात थी। इस्लाम के प्रवेश के कारण हिन्दू धर्म को जो एक जबर्दस्त धक्का लगा था, और उसमें जो एक नयी स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी, यह उसी का परिणाम था। अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए स्वामी रामानन्द ने बौद्धों के भिक्षु सघ के समान साधुओं के एक नये दल का संगठन किया, जो वैरागी कहाते हैं। वैरागी साधुओं का सम्प्रदाय अब तक भी विद्यमान है, और अयोध्या व चित्रकूट उसके प्रधान केन्द्र हैं।

चैतन्य—स्वामी रामानन्द के समय में ही बंगाल में एक प्रसिद्ध वैष्णव सन्त हुए, जिनका नाम चैतन्य था। उनका समय १४८५ से १५३३ तक था। वे नदिया के

एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, और चौबीस वर्ष की आयु में सामारिक जीवन का परित्याग कर उन्होंने अपना सब ध्यान हरि की भक्ति में लगा दिया था। वे हरि या विष्णु के कृष्णावतारके उपासक थे, और कृष्ण भक्ति को ही मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानते थे। कृष्णदास कविराज ने 'चैतन्य चरितामृत' ग्रन्थ में उनकी जीवनी को विगद रूप से लिखा है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम ही मानव-जीवन की परम साधना है। कृष्ण की भक्ति में वे ऊँच-नीच के भेद-भाव को कोई स्थान नहीं देते थे। उनका एक शिष्य हरिदास जाति से अछूत था। हरिदास ने एक बार चैतन्य से कहा, कि वे उसे स्पर्श न करें, क्योंकि वह अछूत है। इस पर चैतन्य आवेश में आ गये। प्रेम के आवेश में उन्होंने हरिदास को छाती से लगा लिया, और उससे कहा—तुम्हारा यह शरीर मेरा अपना है, इसमें एक ऐसी आत्मा का निवास है, जो प्रेम और समर्पण की भावना से परिपूर्ण है, तुम्हारा यह शरीर एक मन्दिर के समान पवित्र है। चैतन्य अपने शिष्यों को उपदेश करते थे, कि वे प्रेम की वेदी पर अपने सर्वस्व को अर्पण कर दें। इसीलिए ब्राह्मण और शूद्र, हिन्दू और मुसलमान—सब उनके सदेश को भक्ति के साथ सुनते थे और उनके अनुकरण में अपनी जाति व धर्म के भेद को भूल जाते थे।

कबीर—रामानन्द के शिष्यों में कबीर सर्वप्रधान थे। उनकी जाति, जन्म, कुल आदि के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सका है। हिन्दू लोग उन्हें हिन्दू मानते हैं, और मुसलमान उन्हें मुस्लिम समझते हैं। इस युग की धार्मिक प्रवृत्तियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को किस अंश तक एक-दूसरे के समीप ला दिया था, कबीर इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इस सम्बन्ध में सब एक मत है, कि उनका जन्म जुलाहा कुल में हुआ था और काशी में उन्होंने अपने जीवन का अच्छा बड़ा भाग व्यतीत किया था। कबीर का मुख्य कार्य यह था, कि उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की गहरी खाई को पाटने तथा इन दोनों धर्मों में समन्वय और सहयोग की भावना को विकसित करने का प्रयत्न किया। हिन्दू और मुसलिम धर्मों के बाह्य भेदों, रूढ़ियों और भ्रष्टाचारों की उपेक्षा कर उन्होंने इन धर्मों की आंतरिक एकता को प्रतिपादित किया।

कबीर रामानन्द के शिष्य थे, जो राम की भक्ति पर बल देते थे। पर इस युग की बहुसंख्यक भारतीय जनता नाथपन्थियों के प्रभाव के कारण भक्ति मार्ग से विमुख थी, और ऐसी अंतःसाधना को महत्त्व देती थी, जिसमें प्रेमतत्त्व का अभाव था। ये नाथपन्थी लोग भगवान् को निर्गुण रूप में देखते थे और निर्गुण व निराकार ब्रह्म के लिए भक्ति का विषय बन सकना सम्भव नहीं था। रामानन्द के शिष्य होते हुए भी सन्त कबीर पर नाथपन्थी सम्प्रदाय का प्रभाव था। इसीलिए उन्होंने राम या कृष्ण के रूप में भगवान् की उपासना न करके निर्गुण व निराकार रूप में ही उसकी पूजा की। पर यह करते हुए उन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया, और वैष्णव भक्तों के समान निर्गुण भगवान् से प्रेम करने और उसकी भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार कबीर द्वारा प्रतिपादित मत नाथपन्थी योगियों और रामानन्द के भक्ति-मार्ग का सुन्दर समन्वय था। अपने गुरु रामानन्द के समान कबीर भी राम के उपासक थे, पर उनके राम अनुधारी सीतापति राम न होकर ब्रह्म के पर्याय मात्र थे। जिस प्रकार कबीर ने नाथपन्थी सम्प्रदाय के

निर्गुण ब्रह्म की प्रेम द्वारा उपासना करने का उपदेश दिया, वैसे ही इस युग के अन्य संतों का अनुसरण कर उन्होंने ऊँच-नीच और हिन्दू-मुस्लिम के भेद-भाव को भी दूर करने का प्रयत्न किया। उनकी दृष्टि में अल्लाह और राम में या करीम और केशव में कोई भेद नहीं था।

इस्लाम का सूफी सम्प्रदाय प्रेम के जिस मार्ग का उपदेश करता था, वह कबीर की निर्गुण भक्ति के मार्ग से बहुत भिन्न नहीं था। मुसलमानों का अल्लाह वैष्णवों के विष्णु के समान राम व कृष्ण के रूप में मानव-शरीर को धारण नहीं करता। उसका स्वरूप नाथ-पथियों के निर्गुण ब्रह्म से बहुत भिन्न नहीं है। यदि सूफी इस निर्गुण अल्लाह के प्रति प्रेम कर सकते थे, तो हिन्दू अपने निर्गुण निराकार भगवान् के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं कर सकते! कबीर के उपदेशों से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये थे, और इसीलिए उनकी गिण्य मण्डली में अब तक भी हिन्दू और मुसलमान दोनों विद्यमान हैं, और उनकी मृत्यु होने पर दोनों ने उनके शव पर दावा किया था।

गुरु नानक—जिस समय वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानन्द हिन्दू धर्म में नवीन जीवन का संचार करने में व्यापृत थे, प्रायः उसी समय पंजाब में एक महान् संत सुधारक अपना कार्य कर रहे थे, जिनका नाम गुरु नानक था। नानक का जन्म लाहौर से ३० मील दूर तलवडी नामक ग्राम में १४६९ ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं, पर उनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए उनका ध्यान भगवान् की ओर आकृष्ट हुआ, और वे सांसारिक सुख को लान मारकर भगवान् का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त हो गए। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, और भारत में बाहर मक्का भी गये। उनकी दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद न था। यात्रा करते हुए जब वे हग्गिद्वार आये, तो उनके सिर पर मुसलमान कलंदरों की पगड़ी थी, और मस्तक पर हिन्दुओं की भाँति टीका लगा हुआ था। उनकी वेश-भूषा को देखकर यह कोई नहीं समझ सकता था, कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान हैं। उनके दो गिण्य मदा उनके साथ रहा करते थे, जिनमें एक मुसलमान था। वे न हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेद करते थे, और न ऊँची तथा नीची जातियों में। गुरु नानक ने जो नया पथ शुरू किया था, वह हिन्दू धर्म और इस्लाम का समन्वयात्मक पंथ था। उस युग की प्रवृत्ति का यह मूर्तिमान् रूप था।

रैदास—स्वामी रामानन्द के शिष्यों में रैदास भी एक थे, जो जाति के चमार थे। टुन्ही से उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ, जिसे "रैदासी" कहते हैं। चमार जाति के लोग प्रायः इसी मत के अनुयायी हैं। यद्यपि ये अछूत जाति में उत्पन्न हुए थे, पर इनकी भक्ति से आकृष्ट होकर बहुत-से ब्राह्मण और द्विज भी इनको दण्डवत् किया करते थे। भारत की सन्त परम्परा में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यह हिन्दू धर्म का दुर्भाग्य था, कि वैष्णव धर्म में जात-पात की उपेक्षा करने की जो प्रवृत्ति इस युग में शुरू हुई थी, वह पूर्णतया सफल नहीं हो सकी, और रैदास के अनुयायी और सजातीय लोग एक पृथक् पथ के रूप में पङ्क्ति हो गये। पर रैदास जैसे

अछूत कुलों में उत्पन्न सन्तो का ब्राह्मणों तक से पूजा जाना इस युग की धार्मिक जागृति का परिचायक अवश्य है ।

इस युग में अन्ध भी बहत-से ऐसे सन्त-महात्मा हुए, जिन्होंने जात-पात के भेद-भाव की उपेक्षा कर मनुष्यों की एकता और भक्ति-मार्ग का उपदेश दिया । महाराष्ट्र के सन्त नामदेव के शिष्य चोखमेली जाति के महार थे । महार लोग अछूत माने जाते हैं । जब सन्त चोखमेली पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर का दर्शन करने के लिये गये, तो उसके ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हें मन्दिर में प्रविष्ट होने से रोका । इस पर उन्होंने कहा— ईश्वर अपने बच्चों से भक्ति और प्रेम चाहता है, वह उनकी जाति को नहीं देखता । रैदास, चोखमेली, नानक, कबीर आदि सन्त जो नई प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म में उत्पन्न कर रहे थे, उसने इस धर्म में नवजीवन का संचार करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । आगे चलकर तुलसी, मीराबाई आदि ने सन्तो की इस परम्परा को और आगे बढ़ाया । इन पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे ।

(५) इस्लाम पर हिन्दू धर्म का प्रभाव

यह असम्भव था, कि भारत में प्रवेश करने के बाद इस्लाम पर इस देश की धार्मिक परम्पराओं का कोई असर न पड़ता । तुर्क और अफगान आक्रान्ताओं ने भारत में बसकर इन देश की स्त्रियों से विवाह किये थे । यद्यपि उन्होंने अपनी पत्नियों को मुस्लिम धर्म में दीक्षित कर लिया था, पर वे अपने परम्परागत सस्कारों को छोड़ नहीं सकती थी । मुसलिम शासकों के प्रभाव से जिन बहुत-से हिन्दुओं ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी अपनी रूढ़ियों व धार्मिक विश्वासों को तिलाजलि नहीं दे सकते थे । इसी कारण भारत के मुसलमान अरब आदि अन्य देशों के मुसलमानों से बहुत भिन्न थे, और उन पर भारतीय धर्मों का प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष था ।

भारत में आकर इस्लाम ने अनेक नये तत्वों को ग्रहण किया । मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी होते हुए भी भारत के मुसलमानों ने शीतला आदि देवियों की पूजा करने में सकोच नहीं किया । शीतला (चेचक) से बचने के लिए भारत में शीतला माता की पूजा की प्रथा प्रचलित थी । भारत की स्त्रियों में इस देवी के प्रति विश्वास का सस्कार बढमूल था । जब उन्होंने तुर्क व अफगान लोगों से विवाह कर इस्लाम को स्वीकार कर लिया, तब भी वे अपने इस विश्वास का निराकारण नहीं कर सकी । मुस्लिम होकर भी उन्होंने शीतला की पूजा को जारी रखा, और उनके विदेशी पति अपनी पत्नियों के रुख को बदल सकने में असमर्थ रहे । बंगाल के मुसलमान काली, धर्मराज, वैद्यनाथ आदि अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे । भारत के लोगों में प्रकृति की विविध शक्तियों को देवी-देवता के रूप में देखने की परम्परा थी । वे नदी पर्वत आदि के अघिष्ठातृ देवताओं की कल्पना कर उनकी पूजा किया करते थे । इस्लाम पर भी भारत की इस परम्परा का प्रभाव पड़ा, और मुसलमानों ने न्वाजा खिख के रूप में नदियों के अघिष्ठातृ देवता की और जिन्दा गाजी के रूप में सिहवाहिनी देवी के प्रेमी देवता की कल्पना कर डाली । भारत के मुसलमान पीरो के मजारों की पूजा करने के लिए भी प्रवृत्त हुए । अपने पीरो व सन्तों के मजार बनाकर उन्होंने वहाँ उस करने शुरू किये,

जिनमें हिन्दुओं के देव-मन्दिरों के समान नृत्य और गान होता था, और पुष्प आदि द्वारा मजार की पूजा की जाती थी। यह परम्परा अब तक भी भारत के मुसलमानों में विद्यमान है, और इसके कारण भारत का इस्लाम अरब के असली इस्लाम से अनेक अंशों में भिन्न हो गया है।

इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय पर भी भागत के वेदान्त और भक्ति मार्ग का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सूफी सम्प्रदाय बहुत पुराना है, और इसके पीरो और फकीरो ने इस्लाम के प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। भारत में सूफी सम्प्रदाय का प्रवेश ग्यारहवीं सदी के अन्तिम भाग में हुआ था, जबकि अबुल हसन हुज हुज्जिरी नामक सूफी पीरो ने गजनी से भागत आकर अपना कार्य शुरू किया। भारत के सूफी पीरों में सबसे प्रसिद्ध मुदनुद्दीन चिश्ती (तेरहवीं सदी) थे, जिनकी दरगाह अजमेर में विद्यमान है, और जो मुसलमानों का बहुत बड़ा तीर्थ है। इस दरगाह पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त बहुत-से हिन्दू भी शामिल होते हैं। यहाँ हमें अन्य प्रसिद्ध सूफी पीरों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पर उल्लेखनीय बात यह है, कि इन लोगों ने हिन्दू-परम्परा की अनेक बातों को अपनाया। भारत में आने से पूर्व ही सूफी लोग प्रेम-साधना में विश्वास करते थे। पर भारत आ कर वे नाथयोगी सम्प्रदाय के सम्पर्क में आये, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने अनेक योगिक क्रियाओं को अपनी साधना में समाविष्ट किया। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से प्रभावित होकर उन्होंने जीव के ईश्वर के प्रति भक्ति करने के मार्ग को अपनाया, और इस प्रकार सूफी सम्प्रदाय ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया, जो भागत के 'निर्गुण मार्ग' के अनुयायियों के लिए कोई अपरिचित बात नहीं थी। कबीर सदृश सन्त जिस ढंग की भक्ति और उपासना का प्रतिपादन करते थे, उसको 'निर्गुण मार्ग' कहते हैं। मुस्लिम सूफियों के प्रेम-मार्ग में और कबीर के निर्गुण पन्थ में बहुत समता थी। सूफी पीरों ने अपने मन्तव्यों को सर्वसाधारण जनता को समझाने के लिए जित प्रेम-कथाओं का आश्रय लिया, वे भागत की अपनी कथाएँ थी, और इस देश में चिरकाल से प्रचलित थी। मनुष्यों के साथ पशु, पक्षी और वनस्पति को भी महानुभूति-सूत्र में बड़ा दिखाकर एक सर्वव्यापी जीवनशक्ति का आभास देना भागत की प्राचीन प्रेम कथाओं की अनुपम विशेषता है। मनुष्य के दुःख से पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं, और पुष्प-पत्र भी उनका साथ देते हैं—इस कल्पना को इस देश के कथा-लेखकों ने अपनी कथाओं में आत्मल नहीं किया था। सूफी लोग जब इस देश में अपने सम्प्रदाय का प्रचार करने में प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने भागत की सभी प्रकार की कथाओं का प्रयोग किया और उनके आधार पर ईश्वर-प्रेम का सन्देश दिया। यही कारण है, कि भारत के सर्वसाधारण लोगों को मुस्लिम पीरो व फकीर बहुत बेगाने प्रतीत नहीं होते थे, और वे उन्हें श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे। हिन्दू लोगों में जो मुस्लिम पीरो के मजारों की पूजा प्रारम्भ हुई, उसका यही मूल कारण था।

हिन्दू-धर्म और इस्लाम के मेल और एक-दूसरे के समीप आने का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रारम्भ हुआ, जिनके अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। इन सम्प्रदायों में 'सत्यपीरो' के उपासक प्रमुख थे।

बंगाल का मुलतान हुसैनशाह (१४६३-१५१८) इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। आगे चलकर मुगल काल में सतनामी और नारायणी नामक दो अन्य ऐसे सम्प्रदाय प्रारम्भ हुए, हिन्दू और मुसलमान जिनके समान रूप से अनुयायी थे। पर पन्द्रहवीं सदी के अन्त में 'सत्य पीर' के रूप में हिन्दू और मुसलमानों के एक उभयनिष्ठ देवता का प्रादुर्भाव इस युग की हिन्दू-मुस्लिम समन्वय की प्रवृत्ति का उत्तम उदाहरण है।

हिन्दुओं और मुसलमानों में ऐक्य की यह प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती गयी। तेरहवीं सदी में अपगान युग के प्रारम्भिक काल में हिन्दुओं और मुसलमानों के दो सर्वथा पृथक् वर्ग थे। पन्द्रहवीं सदी के अन्त तक इस स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था। मुगल काल में इन दोनों सम्प्रदायों में समन्वय की भावना को और अधिक बल मिला। अफबर जैसे बादशाह के प्रयत्न से हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के और अधिक समीप आ गये। पर औरंगजेब की कट्टर मुसलिम नीति ने इस प्रवृत्ति को अघात पहुँचाया। इसी कारण अनेक हिन्दू शक्तियाँ दिल्ली की मुगल बादशाह के विरुद्ध उठ खड़ी हुईं, और उन्होंने मुस्लिम शासन को निबल कर विविध हिन्दू राज्यों की स्थापना की।

(६) हिन्दू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव

इस्लाम के सम्पर्क के कारण हिन्दू-धर्म में भी कतिपय नई प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हुआ—

(१) दक्षिणी भारत के लिगायत सम्प्रदाय के अनुयायी जाति भेद में विश्वास नहीं रखते, तलाक और विधवा विवाह की अनुमति देते हैं, मुदों को जलाने के बजाय दफनाते हैं, सबके साथ खा-पी सकते हैं, और श्राद्ध व पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते। ये सब बाने ऐसी हैं, जिन्हे इस्लाम का प्रभाव कहा जा सकता है। यद्यपि ये भारत के लिए पूर्णतया नवीन नहीं थी, क्योंकि बौद्ध और जैन लोग जाति-भेद के विरोधी थे, और तलाक तथा विधवा विवाह का विधान भी प्राचीन शास्त्रों में पाया जाता है, और भारत के अनेक संन्यासी सम्प्रदायों में शवों को गाड़ने की भी प्रथा थी, पर लिगायत सम्प्रदाय ने जिन ढंग से इन सब बातों को अपने मन्तव्यों में समाविष्ट किया, उसे यदि इस्लाम के सम्पर्क का परिणाम माना जाए, तो अनुचित नहीं होगा।

(२) इस युग में प्रादुर्भूत हुए सभी धार्मिक आन्दोलनों ने जात-पात को अनुचित माना। रामानन्द जैसे महात्मा के शिष्यों में सभी जातियों के व्यक्ति सम्मिलित थे, चैतन्य अछूत समझे जाने वाले लोगों को भी गले लगाते थे, नानक की दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं था। भारत के धर्माचार्यों में यह अवश्य एक नई प्रवृत्ति थी। यद्यपि बौद्ध लोग बहुत पुराने समय से जातिभेद के विरुद्ध आवाज उठाते रहे थे, पर मध्यकाल में हिन्दू धर्म का जो रूप था, उसमें जातिभेद को बहुत महत्त्व दिया जाता था। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित स्मार्त धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन करता था, और सब लोगों को अपने-अपने वर्ण-धर्म पर हट रहने का उपदेश देता था। परन्तु अपगान युग के भारतीय सन्तों की प्रवृत्ति इससे बहुत भिन्न थी। मुसलमानों द्वारा भारत में जिस नई संस्कृति का प्रवेश हुआ था, उसमें जातिभेद या वर्णभेद

को कोई स्थान था ही नहीं। इस दशा में यदि भारत के मन्तों ने मनुष्यमात्र की समानता और जातिभेद की उपेक्षा के विचार को इस्लाम से ग्रहण किया हो, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

(३) तुर्क-अफगान युग के हिन्दू सन्त पूजा पाठ और कर्मकाण्ड के बाह्य झाडम्बरों को भी निरर्थक मानते थे। मध्य युग में हिन्दू धर्म का जो स्वरूप था, उसमें धार्मिक कर्मकाण्ड व पूजा-पाठ का बहुत महत्त्व था। इसके विपरीत इस्लाम की पूजा विधि बहुत सरल थी। तुर्क-अफगान युग के सन्तों ने भी कर्मकाण्ड और पुरोहितों के प्रभुत्व का विरोध कर हरि के भजन का उपदेश दिया, जिसे कुछ अंश तक इस्लाम के सरल रूप का प्रभाव माना जा सकता है।

(४) इस्लाम के सम्पर्क से जहाँ हिन्दू धर्म में अनेक सुधारवादी आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ, वहाँ साथ ही कतिपय ऐसी प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हुईं, जिनके कारण हिन्दू धर्म की हड्डियों को और अधिक ढूँढ़ करने का प्रयत्न किया गया। इन प्रवृत्तियों के प्रतिपादक यह समझते थे कि यदि प्रत्येक वर्ण के आचरण-सम्बन्धी नियमों को कठोर बना दिया जाए, तो हिन्दू धर्म का रूप एक ऐसे दृश्य के समान हो जायगा, जिसे भेद सकता इस्लाम के लिए सम्भव नहीं रहेगा। सम्भवतः, इसी प्रयोजन में कुल्लुकभट्ट, नीलकण्ठ, कमलाकरभट्ट और हेमाद्रि ने इस युग में स्मृतियों पर जो नई टीकाएँ लिखी, उनमें स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्ण-धर्म तथा आचार के नियमों की अधिक कठोर रूप में व्याख्या की गई।

सामाजिक जीवन पर प्रभाव—इस्लाम के कारण भारत के सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव निम्नलिखित रूपों में प्रगट हुआ—

(१) प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियों में परदे की प्रथा का अभाव था। पर इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दुओं में भी परदे की प्रथा का प्रचलन हुआ। इससे पूर्व कुलीन राजकुलों की महिमाएँ ही 'अमूर्यम्पदया' हुआ करती थी। पर अब संवसाधारण लोग भी स्त्रियों को परदे में रखने के लिए प्रवृत्त हुए।

(२) बाल-विवाह की प्रथा का प्रारम्भ भी इसी युग में हुआ। तुर्क-अफगान आक्राता भारतीय कन्याओं का बलात् अपहरण करने में सकोच नहीं करते थे। इस दशा में बहुत-से माता-पिता यह उपयोगी समझने लगे, कि अपनी कन्याओं का बचपन में ही विवाह कर कन्यादान के पुण्य को प्राप्त कर लें, और कन्या की जिम्मेदारी से भी बच जाएँ। मुस्लिम सम्पर्क के कारण ही भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रारम्भ हुई।

(३) प्राचीन काल में भारत में दाम प्रथा की सत्ता अत्यन्त थी, पर इस देश में दाम प्रथा का वह रूप नहीं था, जो पार्श्वान्य देशों में था, और न ही यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दाम रखने का रिवाज था। तुर्क-अफगानों में दाम प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसी कारण इस युग में दाम प्रथा का जोर बहुत बढ़ गया, और मुल्तान व उनके नामन्त बहुत बड़ी संख्या में दाम रखने लगे। जहाँ भारत के निवासियों को बड़ी संख्या में गुलाम बनाया गया, वहाँ साथ ही तुर्किस्तान, ईरान आदि से भी दासों को लाकर भारत में उनका क्रय-विक्रय होने लगा।

चौदहवाँ अध्याय

तुर्क-अफगान युग के हिन्दूराज्य

(१) विजयनगर साम्राज्य

भारतीय इतिहास के ग्रन्थों में प्रायः बारहवीं सदी के बाद का इतिहास जिस ढंग से लिखा जाता है, उससे पाठको के मन पर यह प्रभाव पड़ता है, कि इस काल में भारत में अफगान एवं तुर्क जातियों के मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। यह सत्य है, कि बारहवीं सदी के अन्त में उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन का मूत्रपात हो गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी व महत्वाकांक्षी सुलतानों ने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। पर साथ ही यह भी असंदिग्ध है, कि इस युग में भारत के अनेक प्रदेशों पर विविध हिन्दू राजवंशों का आधिपत्य विद्यमान था। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, तो यह स्वीकार करना होगा कि दिल्ली के तुर्क-अफगान सुलतान और जौनपुर, माण्डू, भ्रह्मदाबाद आदि के प्रान्तीय सुलतान सब मिलकर भी भारत के आधे से अधिक प्रदेश को अपने शासन में नहीं ला सके थे। भारतीय इतिहास का अनुशीलन करते हुए इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अपने सम्मूल रखना चाहिए। इस युग के विविध हिन्दू-राज्यों में भारतीय इतिहास की वही धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो हमें पूर्व-मध्य काल (सातवीं से बारहवीं सदी तक) में दृष्टिगोचर होती है। सम्यता, सस्कृति व धर्म के क्षेत्र में इस युग के ये हिन्दू राज्य भारत की प्राचीन परम्परा को कायम रखे हुए थे। ये राज्य निम्नलिखित थे—(१) विजयनगर, (२) उडीसा, (३) कामरूप या असम, और (४) मेवाड़ या राजपूताना। क्योंकि नेपाल भी सांस्कृतिक दृष्टि में भारत का ही अंग है, अतः उसे भी इस युग के हिन्दू राज्यों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

विजयनगर—अफगान युग के हिन्दू राज्यों में विजयनगर सबसे प्रधान था। १३३६ ईस्वी में स्थापित यह राज्य चार सदी से भी अधिक समय तक स्थिर रहा, और इसके कारण कृष्णा नदी के दक्षिण का भारत मुस्लिम आधिपत्य से बचा रहा। यह राज्य कितना वैभवशाली था, इसका अनुमान कतिपय विदेशी यात्रियों के विवरणों द्वारा किया जा सकता है। इटालियन यात्री निकोलो कोन्ति १४२० ई० में विजयनगर आया था। उसने इस नगरी के सम्बन्ध में लिखा है—“इस नगरी की परिधि ६० मील है। इसकी प्राचीर पर्वत-शृङ्खला के साथ लगी हुई है, इस कारण इसका विस्तार और भी अधिक हो गया है। नगर में नब्बे हजार ऐसे पुरुष हैं, जो शस्त्र धारण करने योग्य हैं। इसका राजा भारत के अन्य सब राजाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है।” अब्दुल रज्जाक नाम का एक पश्चिम यात्री १४४२ ईस्वी में विजयनगर आया था। उसने इसके सम्बन्ध में लिखा है—“यह देश इतना समृद्ध और आबाद है, कि संक्षेप

में इसका वर्णन कर सकता असम्भव है ! राजा के कोश में कितने ही ऐसे कमरे हैं, जो सुवर्ण से भरे हुए हैं। सोने को पिघलाकर एक बड़ा ढेर बना दिया गया है। राज्य के सब निवासी चाहे उच्च श्रेणी के हो या नीच वर्ग के, यहाँ तक कि बाजार के शिल्पी तक भी अपने कानों, भुजाओं, गले और उंगलियों में आभूषण धारण करते हैं।" डोमिन्यो हाएस नाम के पोर्तुगीज यात्री ने विजयनगर का वर्णन करते हुए लिखा है—“इस राज्य के राजा के पास बहुत अधिक कोश है। उसके मैनिक और हाथी भी संख्या में बहुत अधिक हैं...। विजयनगर में प्रत्येक देश और जाति के लोग प्रचुर संख्या में हैं, क्योंकि यह व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है। विविध प्रकार के रत्नों और विशेषतया हीरों का यहाँ बहुत लेन-देन होता है।.....व्यापार की अधिकता के कारण इसके बाजार लदे हुए बैलों से सदा परिपूर्ण रहते हैं।” एदोर्दो बार्बोसा नामक यात्री ने सोलहवीं सदी के शुरु में विजयनगर के विषय में लिखा था—“यह नगर व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र है। भारत में उपलब्ध हुए हीरे, पंखू के रूबी, चीन और एलेग्जिण्ड्रिया के रेशमी बस्त्र, और मलाबार के चन्दन, मिर्च, मसाले, काफूर और मुश्क यहाँ के व्यापार की प्रधान वस्तुएँ हैं।” विदेशी यात्रियों के इन उद्धरणों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि विजयनगर बहुत ही समृद्ध तथा उन्नत राज्य था, और विदेशी आक्रमणों के भय से मुक्त होकर इसके राजा अपने देश की समृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे।

शासन-व्यवस्था—विजयनगर राज्य का शासन प्राचीन चीन राज्य की परम्परा के अनुरूप था। राज्य में कूटस्थानीय व मूर्धन्य स्थान राजा का था, जो ब्राह्मणों व अन्य जातियों के मंत्रियों के परामर्श के अनुसार देश का शासन करता था। राज्य की मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। मंत्री किसी एक जाति के नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही द्विजातियों के योग्य पुरुषों की राजा मंत्री पद पर नियुक्ति करता था। पर राज्य की समृद्धि और शक्ति राजा की अपनी योग्यता पर ही निर्भर करती थी। इमीलिए राजा कृष्णदेव राय (मृत्युकाल १५३० ईस्वी) ने अपनी पुस्तक ‘आमुजनमाल्यदा’ में राजा के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदर्श का प्रतिपादन किया था—“मूर्धाभिपक्त राजा को सदा धर्म की दृष्टि में स्वयं शासन करना चाहिए। राजा को इस प्रकार के व्यक्तियों को अपना सहायक बनाना चाहिए, जो दण्डनीति में प्रवीण हों। उसे इस बात का पता लगाने में सदा सतर्क रहना चाहिए, कि राज्य में कहीं ऐसी जगह है, जिनमें बहुसूत्र्य धातुएँ उपलब्ध हो जाती हैं। उसे जनता से कर वसूल करने हुए मृदु नीति का अनुसरण करना चाहिए, और उसमें अपने शत्रुओं को शक्ति द्वारा कुचल देने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपनी प्रजा की रक्षा व पालन करने में ममर्थ होना चाहिए, और जनता की वणमरुग्ना में बचाना चाहिए।” निःसन्देह, राजा कृष्णदेव राय के ये विचार भारत के प्राचीन राजशास्त्र के अनुरूप थे और विजयनगर के अनेक राजा इन्हीं के अनुसार शासन करने का प्रयत्न भी करते थे।

शासन की सुविधा के लिए विजयनगर राज्य को छः प्रान्तों (राज्य, मण्डल या, चावडी) में विभक्त किया गया था। इनके प्रातीय शासकों को ‘नायक’ कहा जाता था। नायक-पद पर प्रायः राजकुल के पुरुषों की ही नियुक्ति की जाती थी। प्रान्तों (मण्डलों)

के अनेक उपविभाग थे। तमिल क्षेत्र में इन उपविभागों को कोट्टम्, नाडू, परूर और ग्राम कहते थे। कर्णाटक क्षेत्र में इनके नाम वेण्णे, नाडू, सीम और ग्राम थे। प्राचीन काल की ग्राम-संस्थाएँ इस युग में भी विद्यमान थी, और ग्राम-सभाओं द्वारा सर्व-साधारण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की स्वयं व्यवस्था करती थी। ग्रामों और नगरों में शिल्पियों की 'श्रेणियाँ' और व्यापारियों के 'निगम' इस युग में भी संगठित थे, और स्थानीय स्वशासन की इन विविध संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखने के लिए राजा की ओर से एक पृथक् कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'महानायकाचार्य' कहते थे।

विजयनगर राज्य में भूमिकर को 'बिस्ट' कहते थे, जो स्पष्टतः संस्कृत के षड्-भाग का अर्धभ्रंश है। भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार उपज का छठा भाग भूमिकर के रूप में वसूल किया जाता था। सम्भवतः, इसी प्रथा का अनुसरण विजयनगर में भी किया गया था। भूमिकर की वसूली के लिये भूमि को तीन वर्गों में बाँटा गया था, सिंचाई वाली भूमि, सूखी भूमि और उद्यान व जंगल। इन तीन प्रकार की भूमियों के लिए भूमिकर की दरे अलग-अलग थी, और किस खेत से कितना कर वसूल किया जाए, यह स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया जाता था।

विजयनगर के सैनिक विभाग को 'कदाचार' कहते थे, और इसके अध्यक्ष को 'दण्डनायक' कहा जाता था। पदाति, अश्वारोही, गजारोही और उष्ट्रारोही—ये चार प्रकार के सैनिक दण्डनायक की अधीनता में होते थे। बहुसंख्यक सेना 'भृत' होती थी, जिसके सैनिक भृति या वेतन से आकृष्ट होकर ही सेना में भरती होते थे। यही कारण है, कि विजयनगर की सेना में बहुत-से मुस्लिम सैनिकों ने भी प्रवेश कर लिया था।

राजा के अधीन विविध प्रान्तों के जो 'नायक' थे, उनको बहुत अधिकार प्राप्त थे। उनकी स्थिति अर्धस्वतन्त्र राजाओं के समान थी। उनकी अपनी पृथक् सेनाएँ हाती थी, और अपने क्षेत्र से राज्य-कर को वसूल करना और न्याय-व्यवस्था का संचालन करना उन्हीं का कार्य होता था। यही कारण है, कि सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध में विजयनगर राज्य में प्रान्तीय स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा, और अनेक प्रान्तीय नायकों ने अपने पृथक् राजवंश स्थापित करने का उद्योग शुरू किया। विजयनगर राज्य के पतन में प्रान्तीय नायकों की यह प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण कारण थी।

साहित्य और कला—भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विजयनगर राज्य का बहुत महत्त्व है, क्योंकि साहित्य और कला के क्षेत्र में वहाँ प्राचीन हिन्दू-परम्परा अक्षुण्ण रूप से कायम रही। विजयनगर के राजाओं से सरक्षण पाकर संस्कृत, तेलगू, तमिल और कन्नड भाषाओं ने बहुत उन्नति की और उनमें उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण हुआ। वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार सायण चौदहवीं सदी में हुआ था, और विजयनगर राज्य की स्थापना में उसने बहुत सहायता की थी। संस्कृत वाङ्मय में सायणाचार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चारों वेदों का भाष्य कर उन्होंने वैदिक संहिताओं को भली-भाँति समझ सकना बहुत सुगम बना दिया है। वर्तमान समय के विद्वान् वेदों का अध्ययन करते हुए सायण-भाष्य का ही आश्रय लेते हैं। सायण के भाई माधव का भी संस्कृत साहित्य में बहुत उच्च स्थान है। वे विजयनगर राज्य के

संस्थापक बुक्क के मन्त्री थे, और उन्होंने 'पाराशरमाधवीय' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, जिसे हिन्दू-विधान-शास्त्र विषयक पुस्तकों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विजयनगर की अनेक रानियाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊँचा स्थान रखती थीं। इनमें 'मधुराविजयम्' की लेखिका गंगादेवी और 'वरदम्बिकापरिणयम्' की लेखिका निरुमलम्बादेवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय का काल न केवल राजशक्ति के उत्कर्ष की दृष्टि में बहुत महत्त्व का है, अपितु साहित्य और ज्ञान के विकास के लिए भी वह सुवर्णयुग के सद्य है। कृष्णदेव राय स्वयं भी एक उत्कृष्ट विद्वान्, कवि व संगीतज्ञ था, और उसकी राजसभा में बहुत-से विद्वान् और कवि आश्रय प्राप्त किये हुए थे। जिस प्रकार सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के 'नवरत्न' प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कृष्णदेव राय की राजसभा के 'अष्टदिग्गज' प्रसिद्ध हैं। तेलगू साहित्य में इन अष्टदिग्गजों का बहुत ऊँचा स्थान है। इनमें सर्वप्रधान पेद्द नम का कवि था, जिसकी कृतियाँ तेलगू साहित्य में बहुत आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। कृष्णदेव राय की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 'श्रामुक्तमान्यदा' है, जो उनमें तेलगू भाषा में लिखी थी। इसमें मन्देह नहीं, कि विजयनगर के राजाओं की सुरक्षा में दक्षिणी भारत ने साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की। इस युग में उत्तर भारत में मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था, और मुलतानों की सुरक्षा में पर्सियन साहित्य की उन्नति हो रही थी। पर दक्षिणी भारत में विजयनगर के राजा संस्कृत और दक्षिणी भाषाओं के संरक्षक थे, और उनके समय की शान्ति व समृद्धि से लाभ उठाकर भारत के अनेक विद्वान् और कवि नवीन साहित्य के सृजन में तत्पर थे।

साहित्य के समान कला के क्षेत्र में भी विजयनगर राज्य ने बहुत उन्नति की थी। विजयनगर इस समय नाट हो चुका है, पर उसके भग्नावशेष उसके प्राचीन गौरव का आभास देने के लिए अब तक भी विद्यमान हैं। कृष्णदेवराय के समय में निर्मित 'हजार मन्दिर' इनमें सर्वप्रधान है। प्रसिद्ध कलाविज्ञ लीगहर्ट के अनुसार इस समय जितने भी हिन्दू मन्दिर विद्यमान हैं, उनमें कला की दृष्टि से यह मन्दिर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व निर्दोष है। इसी प्रकार विजयनगर का विट्ठलस्वामी मन्दिर वास्तुकला का एक अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है।

धार्मिक सहिष्णुता—प्राचीन भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुए विजयनगर के हिन्दू राजा सब धर्मों व सम्प्रदायों को समान दृष्टि से देखते थे। न केवल शैव, बौद्ध, वैष्णव और जैन आदि प्राचीन भारतीय धर्मों के प्रति, अपितु ईसाई, यहूदी व इस्लाम सभ्य विदेशी धर्मों के प्रति भी ये राजा सहिष्णुता व उदारता की नीति का अनुसरण करते थे। एदोर्नो बार्बोसा ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा ने सब लोगों का इतनी अधिक स्वतन्त्रता दी हुई है, कि किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी आदमी उसके राज्य में स्वतन्त्रतापूर्वक आ-जा सकता है, वहाँ बस सकता है, और अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है। वहाँ यह नहीं पूछा जाता, कि तुम हिन्दू हो या ईसाई, यहूदी हो या मुसलमान। विजयनगर के राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता की नीति की यदि इसी युग के ईसाई व मुसलमान राजाओं की धार्मिक नीति से तुलना की जाय,

तो उनका भेद भ्रम स्पष्ट हो जायगा। धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण ही विजयनगर के राजाओं ने पोर्तुगीज लोगों को अपने राज्य के समुद्र तट पर बमने और व्यापार को विकसित करने की अनुमति दी, यद्यपि इन यूरोपियन लोगो ने उसका दुरुपयोग करने में सकोच नहीं किया।

सामाजिक दशा—विदेशी यात्रियों के वृत्तान्तो से सूचित होता है, कि विजयनगर राज्य में स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत थी। राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन में उनका स्थान बहुत ऊँचा था। विजयनगर की जिन अनेक रानियों ने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इस राज्य की स्त्रियाँ मल्लविद्या, शस्त्र-संचालन आदि में भी कुशल होती थी। नूनिज नामक विदेशी यात्री ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा की सेवा में ऐसी भी स्त्रियाँ हैं, जो कुश्ती करती हैं, और जो फलित ज्योतिष एवं भविष्यज्ञान में भी प्रवीण हैं। राजा की सेवा में बहुत-सी ऐसी स्त्रियाँ नियुक्त हैं, जो सब हिसाब-किताब रखती हैं, और राज्य की घटनाओं को लेखबद्ध करती हैं। उसकी सेवा में ऐसी स्त्रियाँ भी हैं, जो सगीत व वाद्य में अत्यन्त कुशल हैं। उसकी अपनी रानियाँ भी सगीत में प्रवीण हैं। इतना ही नहीं, राजा के अन्तःपुर में न्याय-प्रतीहार आदि के पदों पर भी स्त्रियाँ नियुक्त हैं, जो अपने कार्य को योग्यता के साथ सम्पादित करती हैं। स्त्रियों की ऐसी उच्च स्थिति होने पर भी विजयनगर राज्य में सती की प्रथा विद्यमान थी, और विधवा होने पर बहुत-सी स्त्रियाँ पति के साथ चिता पर बैठकर अपने को भस्म कर देती थी।

विजयनगर राज्य में मांस भक्षण का बहुत प्रचार था। गाय व बैल को वहाँ भ्रवध्य माना जाता था, और उनके मांस को खाने का निषेध था। नूनिज ने विजयनगर के राजाओं के भोजन के सम्बन्ध में लिखा है, कि वे सब प्रकार की चीजों का भक्षण करते हैं। केवल गाय और बैल वे नहीं खाते, क्योंकि इन्हें वे भ्रवध्य समझते हैं, और इनकी पूजा करते हैं। भेड़, बकरा, सूअर, खरगोश, मुर्गा, बतख, कबूतर आदि तो उनके लिए खाद्य हैं ही, पर साथ ही वे चूहे, बिल्ली और छिपकली को खाने में भी एतराज नहीं करते। बाजार में पशु-पक्षी जीवित रूप में बिकते हैं, ताकि उन्हें खाने के लिए खरीदने वाले लोगो को अपनी खाद्य वस्तु के सम्बन्ध में किसी भी भ्रम की गुञ्जाइश न रहे। यद्यपि विजयनगर के राजा कट्टर हिन्दू थे और वैष्णव धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखते थे, पर मांस-भक्षण के वे विरोधी नहीं थे। यज्ञों में पशु हिंसा भी इस समय दक्षिणी भारत में प्रचलित थी। विजयनगर में 'नौ दिन' का एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। इस उत्सव के अन्तिम दिन २५० भैंसों और ४५०० बकरों की बलि दी जाती थी। इन पशुओं की बलि चढ़ाते हुए यह ध्यान में रखा जाता था, कि एक ही आघात से उनका सिर धड़ से अलग हो जाय।

आर्थिक दशा—विजयनगर राज्य के शिल्पी और व्यापारी 'श्रेणियों' और 'निगमों' में संगठित थे, और अपने आर्थिक संगठनों के नियमों का पालन करते हुए ही आर्थिक उत्पादन किया करते थे। पर इस राज्य की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में

सबसे अधिक उल्लेखनीय बात इसका विदेशी व्यापार है। अब्दुल रज्जाक नामक लेखक ने लिखा है, कि विजयनगर राज्य में ४०० बन्दरगाह थे, जिनमें सर्वप्रधान कालीकट था। अपने विविध बन्दरगाहों से विजयनगर के व्यापारी बरमा, अरब, ईरान, दक्षिणी अफ्रीका, अरबीसीनिया और पोर्तुगाल तक व्यापार के लिए आया-जाया करते थे, और इन देशों के व्यापारी भी अच्छी बड़ी संख्या में दक्षिणी भारत आते थे। सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र में विजयनगर राज्य ने अच्छी उन्नति की थी। भारत से बाहर जाने वाले पण्य में वस्त्र, चावल, लोहा, शोरा, खाड़ और मसालों की प्रधानता थी, और जो पण्य विदेशों से इस राज्य में बिकने के लिये आता था, उसमें घोड़े, मोती, ताम्बा, पारा, चीनी रेशम और मूंगे की मुख्यता थी। विजयनगर राज्य की नौ-सेना शक्ति भी कम नहीं थी, और विविध प्रकार के जहाजों का निर्माण भी वहाँ होता था।

विजयनगर की मुद्रा पद्धति में सुवर्ण, रजत और ताम्र का उपयोग किया जाता था, और उसके निकटो पर विविध देवताओं की प्रतिमाएँ अंकित रहती थी। वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था, इस कारण लोगों को अपने निर्वाह के लिए विशेष कठिनाई नहीं होती थी। सामान्यतया, लोग समृद्ध और सुखी थे।

(२) अन्य हिन्दू राज्य

उड़ीसा—स्वतन्त्र उड़ीसा-राज्य का संस्थापक अनन्तवर्मा चौड़ गंग (१०७६-११४८) था। जिस समय भारत पर अफगान आक्रान्ताओं के आक्रमण शुरु हुए, उड़ीसा का राज्य अच्छा शक्तिशाली हो चुका था, और उसका विस्तार उत्तर में गंगा के मुहाने से शुरु कर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अफगानों की सत्ता मगध और बंगाल में स्थापित हो गयी थी। अतः यह स्वाभाविक था, कि बंगाल के मुसलिम शासक उड़ीसा पर भी आक्रमण करें और उसे जीतकर अपनी अधीनता में लाने के लिए प्रयत्नशील हों। पर उड़ीसा के स्वतन्त्र हिन्दू राजाओं ने उनका मुकाबला करने में अद्भुत वीरता प्रदर्शित की, और अनेक बार आक्रमण करके भी मुसलिम आक्रान्ता उड़ीसा को जीत सकने में असमर्थ रहे। मुसलमानों को परास्त करने वाले इन हिन्दू राजाओं में नरसिंह प्रथम (१२३८-१२६४) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १४३४ ईस्वी तक नरसिंह प्रथम के उत्तराधिकारी स्वतन्त्र रूप से उड़ीसा का शासन करते रहे। ये राजा गंगवश के थे। चौदहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इनकी शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गयी थी।

१४३४ ई० में गंगवश के अन्त के साथ उड़ीसा से हिन्दू शासन का अन्त नहीं हो गया। गंगवश का अन्त कर उड़ीसा में नये राजवश की स्थापना करने वाला राजा कर्णिलेन्द्र (१४३४-१४७०) था, जिन्होंने एक बार फिर अपने राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया। कर्णिलेन्द्र ने बंगाल और बहमनी राज्य के मुसलिम सुलतानों को अनेक युद्धों में परास्त किया। एक बार तो उग्रकी सेनाएँ बहमनी सुल्तान की सेनाओं का पीछा करता हुई धीरे तक भी आ पहुँची। बहमनी सुल्तानों की शक्ति का क्षय करने में कर्णिलेन्द्र की सेनाओं ने बड़ा कर्तृत्व प्रदर्शित किया। कर्णिलेन्द्र ने विजयनगर राज्य के साथ भी अनेक युद्ध किये, और अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को

गोदावरी के दक्षिण मे कावेरी नदी तक विस्तृत कर दिया । कपिलेन्द्र के उत्तराधिकारी भी अच्छे शक्तिशाली थे, और बहमनी सल्तनत तथा विजयनगर राज्य से निगन्तर युद्ध करते हुए अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहे थे । उड़ीसा का यह स्वतन्त्र हिन्दू राज्य १५६८ ईस्वी तक कायम रहा ।

उड़ीसा के हिन्दू राजा संस्कृत और तेलगू भाषा के प्रेमी थे, और उनके संरक्षण मे इन भाषाओं के साहित्य ने बहुत उन्नति की । जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण अनन्तवर्मा चोडग के शासनकाल मे शुरू हुआ था, और राजा नृसिंह प्रथम ने उसे पूर्ण कराया था । कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर भी इसी राजा की कृति थी । उड़ीसा के इन हिन्दू राजवशों के उल्लेख का प्रयोजन यह प्रदर्शित करना है, कि अफगान युग मे उड़ीसा के रूप में एक ऐसा स्वतन्त्र हिन्दू राज्य पूर्वी भारत मे विद्यमान था, जिसके राजा अत्यन्त शक्तिशाली थे, और जो प्राचीन हिन्दू परम्परा का अनुसरण करते हुए विशाल मन्दिरों का निर्माण कराने और संस्कृत-साहित्य को प्रोत्साहित करने मे तत्पर थे ।

मेवाड़—मलाउडीन खिलजी के समय (चौदहवीं सदी के प्रथम अर्ध) मे अफगान आक्रान्ताओं ने राजपूताना को अपने अधीन करने का किस प्रकार प्रयत्न किया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । पर उन्हें अपने उद्देश्य मे सफलता प्राप्त नहीं हुई । कुछ समय के लिए प्रधान राजपूत दुर्गों को अपने अधिकार मे रख कर भी मुसलिम आक्रान्ता इस प्रदेश को अपने अधिपत्य मे लाने मे असमर्थ रहे । मेवाड़ के राणाओं के नेतृत्व मे विविध राजपूत राजवंश संगठित हुए, और उन्होंने न केवल अपने-अपने क्षेत्र मे स्वतन्त्रतापूर्वक शासन किया, अपितु गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुलतानों के साथ संघर्ष कर अपने अधिपत्य का विस्तार भी किया । मेवाड़ के इन राणाओं मे हम्मीर अत्यन्त शक्तिशाली एव महत्वाकांक्षी था और उसके उत्तराधिकारियों में कुम्भा (१४३६ ई०) बड़ा प्रतापी हुआ । गुजरात और मालवा के मुसलिम सुलतान इस समय अपनी शक्ति के विस्तार मे तत्पर थे । कुम्भा ने उनके साथ बहुत-से युद्ध किये, और एक बार तो मालवा की सल्तनत की राजधानी माण्डू पर भी उसने कब्जा कर लिया । मेवाड़ की रक्षा के लिए उसने बत्तीस दुर्गों का निर्माण कराया, जिनमे कुम्भलगढ का किला सबसे प्रसिद्ध है । मुस्लिम सुलतानों को परास्त करने के उपलक्ष्य मे उसने एक विशाल जयस्तम्भ या कीर्तिस्तम्भ का निर्माण कराया, जो उस युग की राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है । यह स्तम्भ चित्तौडगढ मे अब तक विद्यमान है, और संसार के सर्वोत्तम कीर्ति-स्तम्भों मे इसकी गणना की जा सकती है । राणा कुम्भा केवल अनुपम विजेता और योद्धा ही नहीं था, अपितु कवि और संगीतप्रेमी भी था ।

राणा कुम्भा के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध मे यहाँ कुछ भी परिचय दे सकना सम्भव नहीं है । उसके वंश मे राणा सांगा (सग्रामसिंह) ने मेवाड़ की शक्ति का और अधिक उत्कर्ष किया, और सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग मे जब मुगल विजेता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तो वही उत्तरी भारत की प्रधान राज-शक्ति था ।

कामरूप व असम—अफगान युग के प्रारम्भ में असम और पूर्वी बंगाल में अनेक छोटे-छोटे हिन्दू राज्य थे, जो आपस में सघर्ष करते रहते थे। मगध और बंगाल को अपनी अधीनता में ले आने वाले अफगान आक्रान्ता पूर्व दिशा में और आगे बढ़कर इन हिन्दू-राज्यों को अपनी अधीनता में ला सकने में असमर्थ रहे, और इन हिन्दू राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में इन राज्यों में अन्यतम कामत-राज्य अपने उत्कर्ष में समर्थ हुआ, और वर्तमान कूचबिहार के दक्षिण में स्थित कामतापुर को राजधानी बनाकर कामत राजाओं ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। १४६८ में इस राज्य का स्वामी नीलाम्बर था। बंगाल के सुलतान अलाउद्दीन हुसैन-शाह ने उस पर आक्रमण किया, और नीलाम्बर उससे अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहा। पर मुसलिम लोग असम पर देर तक शासन नहीं कर सके। विश्वसिंह नाम के एक वीर पुरुष ने शीघ्र ही उसे मुसलिम आधिपत्य से मुक्त किया, और १५१५ के लगभग कूचबिहार को राजधानी बनाकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। विश्वसिंह द्वारा स्थापित यह हिन्दू राज्य १६३६ ईस्वी तक कायम रहा। इस समय भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और मुगल बादशाह सुदूर पूर्व के इस प्रदेश को भी अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। पर सम्पूर्ण असम मुगलों की अधीनता में नहीं आ गया था। तेरहवीं सदी में अहोम नाम की एक मगोल जाति ने उत्तर की तरफ से असम पर आक्रमण किया था, और उसके उत्तर-पूर्वी प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जिस समय असम के पश्चिमी प्रदेश पर कामतापुर के राजाओं और विश्वसिंह के उत्तराधिकारियों का शासन था, उसके पूर्वी प्रदेश पर अहोम लोगों के स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी। भारत में आकर अहोम लोगों ने हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति को अपना लिया था, इसीलिए उन्हें और उनके राज्य को सब दृष्टियों से हिन्दू समझा जा सकता है। मुसलिम आक्रान्ताओं ने उत्तर-पूर्वी असम के अहोम राज्य को भी अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। मुगल सम्राटों के शासन काल में भी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। भारत के जो कतिपय प्रदेश मुगलों के शासन में आने से बच रहे, उनमें अहोम राज्य भी एक था।

भारतीय इतिहास का मुगल युग

(१) मुगल साम्राज्य

मंगोल आक्रमण—बारहवीं सदी के अन्तिम वर्षों में शहाबुद्दीन गौरी की अफगान सेनाओं ने भारत पर आक्रमण किया था। सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में मुगल आक्रान्ता बाबर ने भारत की विजय की। शहाबुद्दीन गौरी और बाबर के बीच में सवातीन सौ वर्षों का अन्तर था। इस मुदीर्घ काल में भारत विदेशी आक्रमणों से प्रायः मुक्त रहा। इस काल में चंगेज खान और तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण अवश्य किये, पर उन्होंने इस देश पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। पर सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में तैमूर के वंशज बाबर ने भारत को आक्रान्त किया, और वह यहाँ स्थायी रूप से अपना राज्य कायम करने में सफल हुआ।

१५३० ई० में बाबर की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय उस द्वारा स्थापित साम्राज्य पश्चिम में अरबु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक विस्तृत हो गया था। बाबर के साथ भारतीय इतिहास के मुगल युग का प्रारम्भ हुआ। मुगल बादशाहों में अकबर सबसे प्रसिद्ध है। वस्तुतः, मुगल साम्राज्य का संस्थापक अकबर ही था।

१५५६ ई० में अकबर के राजगद्दी पर आरोहण होने के समय मुगलों का शासन केवल उत्तर-पश्चिमी भारत, पंजाब, दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था। भारत में अपने अधिपत्य का विस्तार करने के लिए अकबर ने बहुत-से युद्ध किये। उसे दो राजशक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना था, अफगान और हिन्दू राजपूत। अफगानों और राजपूतों के जो अनेक राज्य इस समय भारत के विविध प्रदेशों में स्थापित थे, उन्हें परास्त किये बिना अकबर भारत में अपने अधिपत्य का विस्तार नहीं कर सकता था। पर साथ ही उसके लिए यह भी मुगम नहीं था, कि वह अफगान और राजपूत दोनों राजशक्तियों का एक साथ मुकाबला कर सके। अफगानों और मुगलों का धर्म एक था, पर धर्म की एकता उन्हें मित्र बना सकने में असमर्थ रही। इस स्थिति में अकबर का ध्यान राजपूतों की ओर गया, जो वीरता, साहस आदि गुणों में संसार की किसी भी जाति से कम नहीं थे। अकबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना करते हुए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का यत्न किया, और इसमें वह सफल भी हुआ। इसी लिए उसने राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उनके साथ मैत्री की। सबसे पूर्व जयपुर के राजा भारमल ने अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इसके बाद अन्य भी अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित

किये। अकबर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान किये, और उनकी सेना की सहायता से ही भारत के बड़े भाग की विजय की। निःसन्देह, अकबर की यह नीति बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण थी। इसी के कारण वह भारत में अपना स्थिर शासन स्थापित कर सका था। यद्यपि प्रायः सब राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ मेल कर लिया था, पर मेवाड़ के राणा किमी भी प्रकार मुगलों के साथ मैत्री करने और अकबर को अपना अधिपति मानने के लिए तैयार नहीं हुए। राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध सघर्ष को जारी रखा। पर इसमें सन्देह नहीं, कि राणा प्रताप के अतिरिक्त अन्य सब राजपूत राजा अकबर की नीति में सन्तुष्ट थे, और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक उसकी अधीनता की स्वीकार कर लिया था। अपने छोटे-छोटे राज्यों के स्वतन्त्र शासक होने की अपेक्षा उन्हें विशाल मुगल साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी, सूबेदार व सेनापति होने में अधिक गौरव अनुभव होता था, और वे यह भी भली-भाँति समझते थे, कि मुगलों की शक्ति उन्हीं की सहायता और सहयोग पर निर्भर है।

अकबर ने हिन्दुओं के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया। उनमें पूर्व मधुरा, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी आदि हिन्दू तीर्थों की यात्रा करने के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों पर एक विशेष कर (तीर्थयात्रा-कर) लगाया जाता था। अकबर ने उसे हटा दिया। १५६४ में उनमें हिन्दुओं से जजिया-कर वसूल करना भी बन्द कर दिया। इस कर में राज्य को करोड़ों रुपये की आमदनी थी। पर अपनी हिन्दू प्रजा की सन्तुष्ट रखने के लिए अकबर ने इस आमदनी की परवाह नहीं की। जजिया-कर को हटा देने में मुगल साम्राज्य की हिन्दू और मुसलिम प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया। यह बात भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखती है। तुर्क-अफगान युग में भारत में मुसलिम वर्ग का शासन था। पर अब अकबर ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे शासन की नींव डाली, जो किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों व धर्मों का सम्मिलित शासन था। उसने अपने राज्य में ऊँचे-ऊँचे पदों पर हिन्दुओं को नियुक्त किया। राजा टोडरमल उसका दीवान व अर्थसचिव था। राजा भगवानदास और मानसिंह उनके सबसे बड़े सेनापति थे। अफगानिस्तान जैसे मुसलिम प्रदेश का शासन करने के लिए उनमें मानसिंह को नियुक्त किया था। इसी प्रकार बंगाल आदि अन्य अनेक सूबों के शासक भी इस युग में हिन्दू लोग थे, जिनकी नियुक्ति सूबेदार के रूप में अकबर द्वारा की गयी थी। इस सब का परिणाम यह हुआ, कि भारत में मुगलों के शासन का स्वरूप पूर्ण रूप में 'राष्ट्रीय' हो गया।

अकबर के बाद जहाँगीर और शाहजहाँ ने दक्षिणी भारत में मुगलों के प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए निरन्तर सघर्ष किये। इस कार्य में राजपूतों की सहायता उन्हें प्राप्त थी, और अपने शासन में इन बादशाहों ने प्रायः उन्हीं राष्ट्रीय नीति का अनुसरण किया, जिनका सूत्रपात अकबर द्वारा किया गया था। शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगजेब था। उसने अकबर की नीति का परित्याग कर भारत को एक इस्लामी राज्य के रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया। मुगल साम्राज्य की नींव राजपूतों और हिन्दुओं की सहायता और सहानुभूति पर रखी गयी थी। औरंगजेब ने

इसी पर कुठाराघात किया। इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार भारत के शासन-सूत्र का संचालन करने के उद्देश्य से जो कार्य औरंगजेब ने किये, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे :— (१) हिन्दुओं पर फिर से जजिया-कर लगाया गया। (२) हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी की गयी। काशी में विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ और मथुरा में केशवराय के मन्दिर उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। वे सब औरंगजेब की आज्ञा से तोड़ दिये गये। अन्य भी बहुत-से मन्दिर गिराये गये। (३) व्यापार, व्यवसाय आदि में हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद किया गया। यदि मुसलिम व्यापारी से ढाई प्रतिशत कर लिया जाता था, तो हिन्दू व्यापारी से पाँच प्रतिशत कर वसूल करने की व्यवस्था की गयी। इसका प्रयोजन यह था, कि हिन्दू व्यापारी आर्थिक लाभ के लालच से इस्लाम को स्वीकार कर लें। (४) जो हिन्दू इस्लाम की दीक्षा ले लेते थे, उन्हें इनाम दिये जाते थे। उनका जुलूस निकाला जाता था। उन्हें राज्य में ऊँचा पद मिलता था। 'मुसलमात हो जाओ और कानूनगो बन जाओ'—यह उस समय एक कहावत-सी बन गई थी। (५) यह आज्ञा प्रचलित की गयी, कि हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप में अपने उत्सव और त्यौहार न मना सकें। (६) हिन्दुओं को उच्च राजकीय पदों से हटाकर उनके स्थान पर मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति को अपनाया गया। (७) दिल्ली के राजदरबार में जो अनेक हिन्दू रीति रिवाज प्रविष्ट हो गये थे, उन सब को बन्द कर दिया गया।

औरंगजेब की इस हिन्दू-विरोधी नीति का परिणाम मुगल-साम्राज्य के लिए बहुत बुरा हुआ। हिन्दुओं की जो शक्ति अब तक मुगलों के लिए सहारा बनी हुई थी, वह अब उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। हिन्दुओं ने औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किये, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे — (१) मथुरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया। बीस साल तक जाट लोग निरन्तर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। (२) नारनौल के समीप सतनामी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शान्त करने में औरंगजेब की सेनाओं को विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। (३) पंजाब में सिक्खों के गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब की नीति का विरोध किया। बादशाह के खिलाफ बगावत फैलाने के अपराध में बड़ी क्रूरता के साथ गुरु तेगबहादुर का वध किया गया। गुरु के वध का हाल जानकर सिक्खों में सनसनी फैल गयी। वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए उठ खड़े हुए। इस समय सिक्खों में एक वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हें संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह महापुरुष गुरु गोविन्द सिंह थे। उनके प्रयत्न से सिक्ख लोग एक प्रबल सैनिक शक्ति (खालसा) बन गये, और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हुए। (४) राजपूताना में दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा किया। चौथाई सदी के लगभग तक राजपूत लोग मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। मेवाड़ के राणा राजसिंह ने भी इस संघर्ष में दुर्गादास का साथ दिया। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने लगा, कि राजपूताना को अपने आधिपत्य में रख सकना औरंगजेब के लिए सम्भव नहीं रहेगा। मुगल बादशाह ने राजपूतों को परास्त करने के लिए जो भी सेनाएँ भेजी, वे प्रायः अपने प्रयत्न में असफल रहीं। अन्त में औरंगजेब को

राजपूतो के साथ सन्धि करने और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए विवश होना पडा ।
(५) दक्षिणी भारत में शिवाजी ने मराठा राज्य की नींव डाली, जिसका उद्देश्य मुसलिम शासन का अन्त कर हिन्दू राजशक्ति का पुनरुद्धार करना था ।

मुगल-साम्राज्य की जो नीति अकबर ने निर्धारित की थी, उसके तीन प्रधान तत्त्व थे—(१) शासन को किसी धर्म या वर्ग की शक्ति पर आश्रित न रखकर सम्पूर्ण राष्ट्र पर आश्रित रखना । (२) हिन्दुओं के सहयोग व सहानुभूति को प्राप्त करना । (३) सम्पूर्ण भारत को एक शासन की अधीनता में लाना । औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति के कारण उसके समय में पहले दो तत्त्वों का अन्त हो गया था । पर तीसरे तत्त्व को क्रिया में परिणत करने के प्रयत्न में औरंगजेब ने कोई कसर नहीं उठा रखी । शाहजहाँ के शासन काल में दक्षिणापथ में मुगल सत्ता का बहुत विस्तार हुआ था । अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया था, और बीजापुर की आदिलशाही तथा गोलकुण्डा की कुतुबशाही ने शाहजहाँ के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था । पर औरंगजेब इन शाहियों द्वारा अधीनता स्वीकृत कर लेने की बात को पर्याप्त नहीं समझता था । इन शाहियों के सुल्तान शिया सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और औरंगजेब सुन्नी था । उसकी दृष्टि में शिया लोग भी विधर्मी थे । अपने साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा और विधर्मी शिया शासन का अन्त कर देने की अभिलाषा से उनमें एक बड़ी मेना को साथ लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । उसके शासनकाल के पिछले पच्चीस वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत हुए । आखिर, औरंगजेब गोलकुण्डा और बीजापुर की स्वतन्त्र सल्तनतों का अन्त कर उन्हें अपने साम्राज्य के अन्तर्गत करने में सफल हुआ । दक्षिण में औरंगजेब ने केवल गोलकुण्डा और बीजापुर का ही अन्त नहीं किया, अपितु उसकी अधिक शक्ति मराठों के साथ सघर्ष करने में व्यतीत हुई ।

मराठों का अग्र्युदय—औरंगजेब के शासन काल की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना मराठा शक्ति का अग्र्युदय है । अफगान युग में हिन्दुओं में धार्मिक पुनर्जागरण की जो लहर चल रही थी, उसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं । इसी लहर के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में भी अनेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने मराठा लोगों में नवजीवन का संचार किया । महाराष्ट्र के इन सन्तों में तुकाराम, रामदास, वामनपण्डित और एकनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं । समर्थगुरु रामदास मराठवाँ सदी में हुए थे । उन्होंने न केवल मराठों के धार्मिक विचारों में जीवन और स्फूर्ति उत्पन्न की, अपितु उनका ध्यान अपने देश और जाति के प्रति भी आकृष्ट किया । रामदास ने महाराष्ट्र में वह राष्ट्रीय लहर चलाई, जिसने मराठों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय उत्कर्ष की भावना को जागृत किया । वे उपदेश करते थे, कि “जो मराठे हैं, उन सब को मिलाकर एक कर दो । महाराष्ट्रीय धर्म की वृद्धि करो । धर्म के लिए बलि देने को तत्पर रहो । धर्म के शत्रुओं का सहार करो ।”

रामदास जैसे महात्माओं के कारण मराठों में नवजीवन और संगठन तो उत्पन्न हो ही रहा था, ऐसे समय में उनमें एक महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उन्हें एक प्रबल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया । इस महापुरुष का नाम शिवाजी (जन्मकाल १६२७ ई०) था । शिवाजी ने किस प्रकार स्वतन्त्र मराठा राज्य की नींव डाली, और

अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठे किस प्रकार भारत की प्रमुख राजशक्ति बन गये, इसका वृत्तान्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि बालाजी बाजीराव (१७४०-१५६१) के शासन काल में मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया था, और दिल्ली का मुगल बादशाह मराठों के हाथों में कठपुतली के समान हो गया था।

मुगल साम्राज्य का ह्रास—औरंगजेब की हिन्दू विरोधी नीति के कारण मुगल शासन के राष्ट्रीय रूप का अन्त हो गया था, और राजपूत, सिक्ख, मराठे आदि विविध हिन्दू राजशक्तियाँ मुगल आधिपत्य का अन्त कर अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में तत्पर हो गयी थी। इस काल में भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई थी, और इस देश में अनेक राज्य स्थापित हो गये थे, जो परस्पर लड़ने में व्याप्त रहते थे।

अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत की राजशक्ति जिन विविध जातियों व राजवंशों के हाथों में थी, उनका निर्देश इस ढंग में किया जा सकता है :—

(१) **मुसलिम**—(क) दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था, पर उनकी शक्ति बहुत क्षीण दशा में थी। (ख) अवध में एक पृथक् व स्वतन्त्र मुसलिम राजवंश की स्थापना हो गयी थी, जो नाममात्र को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकृत करता था। (ग) बंगाल के सूबेदार भी मुसलिम थे, पर क्रियात्मक दृष्टि में वे स्वतन्त्र थे। (घ) दक्षिणापथ (दक्खन) के सूबे का शासन अठारहवीं सदी के शुरू में निजामुलमुल्क के सुपुर्द किया गया था, जो मुगल बादशाह की निबलता से लाभ उठाकर स्वतन्त्र रूप से आचरण करने लगा था। चौथ और सरदेशमुखी प्रदान कर मराठों को मन्तुष्ट रखते हुए दक्खन का यह निजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखे हुए था।

(२) **मराठे**—शिवाजी द्वारा मराठा शक्ति का प्रादुर्भाव किया गया था, और पेशवाओं ने उसे अत्यधिक विकसित किया था। अठारहवीं सदी के मध्य भाग में मराठों की शक्ति उत्कर्ष की चरम सीमा को पहुँच चुकी थी, और १७६१ के बाद भी ग्वालियर, नागपुर, इन्दौर, बड़ौदा व महाराष्ट्र में उनके स्वतन्त्र व शक्तिशाली राज्य कायम थे। अपने 'स्वराज्य' के अतिरिक्त बहुत-से 'मुगलिया' प्रदेशों पर भी मराठों का आधिपत्य था, जिनसे कि वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे।

(३) **राजपूत**—मुगल बादशाहत के उत्कर्ष-काल में भी राजपूताना के राजपूत राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। मुगल सेनाओं के सेनापति एवं विभिन्न सूबों के सूबेदारों के रूप में राजपूत राजाओं की शक्ति व वैभव में बहुत वृद्धि हो गयी थी। औरंगजेब के बाद राजपूताने के विविध राजा क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गये थे, और मुगल बादशाहत की राजनीति में खुलकर भाग लेने लगे थे।

(४) **सिक्ख**—औरंगजेब के शासनकाल में ही गुरु गोबिन्दसिंह के नेतृत्व में सिक्खों ने अपना सैनिक सगठन बना लिया था। १७६१ में पानीपत के रणक्षेत्र में मराठों के परास्त हो जाने पर पंजाब में अपनी राजशक्ति के विकास का उन्हें अनुपम अवसर मिला, और १७६७ में अहमदशाह अब्दाली को परास्त कर उन्होंने पंजाब में

अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिए । अठारहवीं सदी के अन्त तक सिक्ख पंजाब की प्रधान राजशक्ति बन चुके थे ।

(५) जाट—अठारहवीं सदी के मध्य तक दिल्ली और आगरा के समीपवर्ती प्रदेशों में जो अनेक छोटे-छोटे जाट राज्य स्थापित हो गये थे, १६७१ में मराठों के परास्त हो जाने के बाद उन्हें अपने उत्कर्ष का सुवर्णयुग प्राप्त हुआ । सूरजमल नाम के वीर नेता के नेतृत्व में उन्होंने आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी, गुडगाँव और मथुरा के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, और भरतपुर को राजधानी बनाकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली । अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जाटों का यह राज्य भी भारत की प्रधान राजशक्तियों में अन्यतम था ।

भारत की यह राजनीतिक दशा थी, जब कि अंग्रेजों ने इस देस में अपने उत्कर्ष का प्रारम्भ किया । इस विदेशी राजशक्ति को यहाँ अपने आधिपत्य को स्थापित करने में जो सफलता हुई, उसका प्रधान कारण यही था, कि औरंगजेब के बाद मुगल-साम्राज्य ञ्णड-ञ्णड होना शुरू हो गया था, और इस देस में कोई एक ऐसी प्रबल राजशक्ति नहीं रह गयी थी, जो इन विदेशी व विधर्मी लोगों से भारत की रक्षा करने में समर्थ हो सकती ।

(२) मुगल-युग की विशेषताएँ

मुगल युग की कतिपय ऐसी विशेषताएँ हैं, जिन्हें शक्ति में रखना इस काल की सस्कृति की समझने के लिए उपयोगी है—

(१) शक्तिशाली केन्द्रीय शासन—समर के विविध देशों के मध्यकालीन इतिहास की यह विशेषता रही है, कि सामन्त पद्धति के कारण देश में शान्ति और व्यवस्था का अभाव होकर अराजकता की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ती रहीं हैं । गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में भी इसी प्रकार के मध्ययुग का प्रारम्भ हो गया था, जब कि देश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, जो विविध राजवंशों और सामन्तों को पूर्णतया अपना वशवर्ती बनाकर शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ रहा हो । सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक के हिन्दू राजा निरन्तर आपस में लड़ते रहे, और विजय-यात्राओं द्वारा देश में अराजकता उत्पन्न करते रहे । तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदियों में अफगान मुलतानों के शासन काल में भी यही दशा रही । पर मुगल सम्राटों के शासन काल में इस स्थिति में परिवर्तन आया, और कम से कम विन्ध्याचल के उत्तर के प्रदेशों में एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो गया ।

अकबर से पूर्व सैकड़ों राजा, महाराजा, मुसलिम सरदार और मुलतान भारत के विविध प्रदेशों पर शासन करते थे, और वे सदा आपस में लड़ते रहते थे । पर अकबर की नीति के कारण भारत के विविध राजवंश पूर्णतया मुगल बादशाह के वशवर्ती हो गये थे । अनेक छोटे-छोटे राज्यों में स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने की अपेक्षा वे आगरा और दिल्ली के दरबार में मनसबदार के रूप में जीवन व्यतीत करना अधिक

सम्मानास्पद समझने लगे थे। मध्य काल की सामन्तपद्धति का ह्रास होकर अब यह स्थिति आ गयी थी, कि पुराने उग्र व स्वतन्त्रताप्रिय राजा और सरदार मुगल दरबार में धमीर-उमराओ के रूप में ब्रदब-कायदे के साथ खड़े होने को गौरव की बात मानने लगे थे। अब इनकी स्थिति केवल अपनी तलवार पर आश्रित न रहकर बादशाह की कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गयी थी।

(२) राष्ट्रीय शासन—मुगल बादशाहों का शासन किसी सम्प्रदाय या जाति-विशेष का शासन नहीं था। वह सच्चे अर्थों में 'राष्ट्रीय' शासन था, जिसमें हिन्दुओ और मुसलमानों को समान रूप से उन्नति का अवसर था।

(३) उदारतापूर्ण शासन—मुगल-दरबार के वैभव और समृद्धि से आकृष्ट होकर बहुत-से विदेशी लोग इस समय भारत में आते रहे, और मुगल बादशाहों ने उन्हें उदारतापूर्वक अपने दरबार व शासन-प्रबन्ध में स्थान दिया। विशेषतया, पर्सिया, मिस्र, अरब आदि मुसलिम देशों के बहुत-से विद्वान् व वीर इस युग में भारत आए और उनके सम्पर्क में यहाँ के ज्ञान व सैनिक शक्ति की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली।

(४) विदेशी व्यापार में वृद्धि—भारत में एक मुख्यवस्थित शासन की स्थापना के कारण इस देश के विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई, और स्थल व जल दोनों मार्गों से भारत का विदेशी व्यापार बहुत उन्नत हुआ। इस युग में भारत का विदेशी व्यापार केवल मुस्लिम देशों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश आदि यूरोपियन लोग भी व्यापार को दृष्टि में रखकर भारत आने-जाने लगे। मुगल बादशाह इन यूरोपियन व्यापारियों का स्वागत करते थे, और इन्हे व्यापार-विषयक सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते थे।

(५) राष्ट्रीय एकता—भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास में मुगल-साम्राज्य ने बहुत महायत्ना पहुँचाई। हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी इस युग में भारत की प्रधान भाषा बन गयी। उत्तरी भारत के बड़े भाग में समझी व बोली जाने वाली हिन्दी भाषा में पर्सियन शब्दों का समावेश होने में इस युग में एक ऐसी भाषा का विकास हुआ, जो न केवल उत्तरी भारत में सर्वत्र प्रयुक्त होने लगी, अपितु मुस्लिम विजेता जिसे दक्षिणी भारत में भी अपने साथ ले गये। इस भाषा का प्रादुर्भाव अफगान युग में ही हो चुका था। पर मुगलकाल में इसका विशेष रूप से विकास हुआ। इस राष्ट्रीय भाषा को पर्सियन लिपि में लिखने पर उर्दू कहते थे, और नागरी लिपि में लिखने पर हिन्दी। पर इसे हिन्दू और मुसलमान समान रूप से प्रयोग में लाते थे। दक्षिण में कितने ही मुसलमान कवियों ने इसमें काव्य की रचना की, और अब्दुर्रहीम खानखाना जैसे मुसलमान कवि (अकबर के समय में) ने इसमें कितनी ही कविताएँ बनाईं।

(६) शान्ति और व्यवस्था का युग—मुगलों के शासन में भारत में जो शान्ति और व्यवस्था कायम हुई, उसके कारण इस देश की बहुत समृद्धि हुई। कला, भवन-निर्माण, संगीत, साहित्य, कविता, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में इस समय भारत ने असाधारण रूप से उन्नति की।

छब्बीसवाँ अध्याय

मुगल युग का भारत

(१) शासन-व्यवस्था

भारत के इतिहास में मुगल युग की शासन-व्यवस्था का बहुत अधिक महत्त्व है। इस काल में देश का शासन जिस ढंग से संगठित हुआ था, उसके अनेक तत्त्व ब्रिटिश युग में भी कायम रहे, और अब तक भी उसके अवशेष विद्यमान हैं। शहरो के कोतवाल, मालगुजारी बसूल करने वाले तहसीलदार, कानूनगो और पटवागी उस युग का स्मरण दिलाने के लिए पर्याप्त हैं, जबकि भारत में मुसलमनों का शासन था।

मुगल-युग की शासन-व्यवस्था का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। यद्यपि मुगलों के पहले दो बादशाह बाबर और हुमायूँ थे, पर वे अपने राज्य को सुव्यवस्थित रूप में नहीं दे सके थे, क्योंकि उनका अधिकांश समय युद्धों में और भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में ही व्यतीत हो गया था। पर अकबर से भी पूर्व शेरशाह सूरी ने दिल्ली को हुमायूँ की अधीनता से मुक्त कर जब उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने अपने शासन को सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी बसूल करने व विविध राजकर्मचारियों द्वारा देश के शासन की जिस व्यवस्था का मूत्रपात किया था, आगे चलकर अकबर ने उसी को विकसित किया। अतः मुगल शासन-पद्धति को अनेक अंशों में शेरशाह द्वारा स्थापित व्यवस्था का ही विकसित रूप मानना चाहिये।

शासन का स्वरूप—मुगलों द्वारा स्थापित शासन-पद्धति के स्वरूप को भली-भाँति समझने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है—

(१) मुगल आक्रान्ता भारत के लिए विदेशी थे। वे धर्म से मुसलमान थे, और पर्सिया तथा अरब के शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों में भली-भाँति परिचित थे। पर उनके लिए यह सम्भव नहीं था, कि भारत की शासन-सम्बन्धी परम्पराओं की सर्वथा उपेक्षा कर मुस्लिम सिद्धान्तों के अनुसार इन देश का शासन कर सकते। इसलिए उनकी शासन-व्यवस्था मुसलिम राज्य के सिद्धान्तों और भारत की परम्परागत शासनविधि के समन्वय का परिणाम थी। भारत में ग्राम-संस्थाओं और शिल्पियों व व्यापारियों के आर्थिक संगठनों (श्रेणी और निगम) का बहुत महत्त्व था। अफगान युग में भी स्थानीय स्वशासन की इन परम्परागत संस्थाओं का विनाश नहीं हुआ था। मुगल युग में भी ये पूर्ववत् कायम रही, और सर्वसाधारण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों का पुरानी परम्परा के अनुसार स्वयं शासन करती रही। भारत की विविध

जातियो व विरादरियो मे जो कानून व प्रथाएँ पुराने समय से चली आ रही थी, मुगलों ने उनमे हस्तक्षेप नहीं किया। उत्तराधिकार, विवाह, स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध आदि सामाजिक मामलों के वे कानून ही कायम रहे, जो विविध जातियो मे चिरकाल से चले आते थे। पर केन्द्रीय शासन और विविध सूबों के शासन की व्यवस्था करते हुए मुगल बादशाहों ने उस शासन-विधि को अपनी दृष्टि मे रखा, जो ईरान, ईराक, मिस्र आदि मुसलिम देशों मे विद्यमान थी, और जिससे वे भली-भाँति परिचित थे।

(२) मुगल-शासन का स्वरूप सैनिक था। उसकी सत्ता सैन्य-शक्ति पर आश्रित थी। अतः प्रत्येक उच्च पदाधिकारी के लिए यह अनिवार्य था, कि सेना मे उसका उच्च स्थान हो। ये कर्मचारी 'मनसबदार' कहाते थे। मनसब मुगल-सेना का एक ओहदा होता था, और राज्य के प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह आवश्यक था, कि सेना मे वह अपना ओहदा (मनसब) रखे। इन मनसबदारो के दसहजारी, पाँचहजारी, हजारि आदि कितने ही वर्ग थे। सबसे छोटा मनसबदार दस सैनिको का नायक होता था, और सबसे बडा दस हजार सैनिको का। राज्य के दीवान, बरूही, काजी, मुहत्सिब आदि सब उच्च पदाधिकारी सेना मे भी 'मनसबदार' की स्थिति रखते थे। केवल बड़े पदाधिकारी ही नहीं, अपितु राज्य के मनीम आदि छोटे कर्मचारी भी मुगल सेना मे ओहदा रखते थे। विविध कोटि के इन मनसबदारो के लिए यह आवश्यक था, कि वे अपनी स्थिति के अनुसार सैनिको व घडसवारो की एक निश्चित सख्या अपने अधीन रखे, और अपने वेतन मे उनका खर्च चलाएँ। मनसबदारो को वेतन या तो नकद मिलता था, और या उसके बदले में उन्हें जागीर दे दी जाती थी, जिसकी आमदनी से वे अपना और अपने सैनिको का खर्च चलाते थे।

(३) मुगल सरकार जनता के हित और कल्याण के लिए शिक्षणालय तथा अस्पताल आदि खुलवाना अपने कार्यक्षेत्र से बाहर की बात समझती थी। इम युग मे सरार के विविध देशो के राजा देश में शान्ति स्थापित रखना और बाह्य आक्रमणो से उसकी रक्षा करना ही अपना प्रधान कर्तव्य समझते थे। उनके राज्य-शासन का स्वरूप 'पुलिस स्टेट' के सदृश था। जनता के हित व कल्याण के लिए जिस प्रकार के उपायो का अवलम्बन करना आजकल के राज्य अपना कर्तव्य समझते है, वैसा इस युग मे नहीं समझा जाता था। ये कार्य या तो इस युग के धार्मिक सम्प्रदाय करते थे, और या सम्पन्न व्यक्ति। मुगल-बादशाहो ने भी शिक्षा, साहित्य आदि को प्रोत्साहन देने के लिए धन का उदारतापूर्वक व्यय किया। पर इनका यह कार्य राजा व बादशाह की स्थिति मे न होकर एक सम्पन्न व धनी व्यक्ति की स्थिति मे ही था। इस युग के अन्य सम्पन्न पुरुषो के समान मुगल बादशाहो ने भी विद्वानों और साहित्यिको का संरक्षण व प्रोत्साहन किया। पर यह करते हुए उन्होने इस कार्य को अपना राजकीय कर्तव्य नहीं समझा। बादशाह की स्थिति मे वह अपना प्रधान कर्तव्य यही समझते थे, कि देश की आभ्यन्तर व बाह्य शत्रुओं से रक्षा करे, और सेना की सहायता से अपने आधिपत्य के क्षेत्र का विस्तार करने में तत्पर रहें।

(४) मुगल बादशाह पूर्णतया निरकुश और स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने के लिए कोई ऐसी सभाएँ व अन्य संस्थाएँ नहीं थी, जो उनकी

इच्छा पर अंकुश रख सकती। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य-कार्य में उनकी सहायता करने के लिए मन्त्रियों की सत्ता थी, और दीवाने-खास में उपस्थित अमीर-उमरा और मनसबदार लोग उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श दे सकते थे। पर इस परामर्श को मानना न मानना राजा की अपनी इच्छा पर निर्भर था। यही कारण है, कि अकबर ने हिन्दुओं के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया, औरंगजेब ने उसे आमूल-चूल परिवर्तित कर दिया। पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है, कि बादशाह की निरंकुशता की एक सीमा भी थी। वह ऐसी नीति का अनुसरण नहीं कर सकता था, जो उसके मनसबदारों को सर्वथा अस्वीकार्य हो। इसी कारण अकबर को 'दीने-इलाही' के प्रचार में सफलता नहीं हुई, और इसीलिए औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति ने मुगल-साम्राज्य को खण्ड-खण्ड कर दिया।

(५) इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार राजा न केवल अपने राज्य का स्वामी होता है, अपितु साथ ही मुसलिम धर्म का अधिपति भी होता है। इसी लिए हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा जहाँ अरब साम्राज्य के स्वामी थे, वहाँ साथ ही सम्पूर्ण मुसलिम जगत् के भी प्रधान थे। राजा और पोप दोनों के पद उनमें एकीभूत हो गये थे। साथ ही, मुसलिम विधान-शास्त्र के अनुसार यह भी आवश्यक है, कि राजा शरियत के अनुसार शासन करे। मुसलिम राज्य में राजा मुसलिम प्रजा का शासक होता है। गैर-मुसलिमों की सत्ता या तो मुसलिम राज्य स्वीकार ही नहीं करता, या उनके जान-माल की रक्षा के बदले में उनसे एक विशेष कर वसूल करता है, जिनमें जजिया कहते हैं। इसी लिए तुर्क-अफगान युग में हिन्दुओं को जजिया कर देना पड़ता था। पर अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ ने मुसलिम राज्य के इस सिद्धान्त की उपेक्षा की, और शासन के क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को दूर कर दिया।

(६) जिस प्रकार मुगल बादशाह राज्य-शासन के सर्वोच्च अधिकारी थे, वैसे ही न्याय के क्षेत्र में भी उनकी सत्ता सर्वोपरि थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार 'शासन' (राजशा) जारी करते थे, और उनका पालन करना सम्पूर्ण प्रजा के लिए आवश्यक था। विवादग्रस्त बातों का अन्तिम निर्णय राजा द्वारा ही किया जाता था, और काजी आदि विविध न्याय-मन्त्रियों के निर्णयों के विरुद्ध बादशाह की अदालत में अपील की जा सकती थी। दीवाने-आम में जनता को यह अवसर मिलता था, कि वह बादशाह का सेवा में अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर सके। जहाँगीर ने आगरा के किले में स्थित शाहजुम में लेकर यमुना के किनारे तक एक जजीर लटकवा दी थी, जिसके सिरे पर घण्टियाँ बंधी हुई थीं। कोई भी व्यक्ति इस जजीर को खींचकर बादशाह का ध्यान अपनी अर्जों की ओर आकृष्ट कर सकता था। पर मुगल काल का राजा न्यायप्रिय हो या नहीं, यह भी उसकी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति पर ही निर्भर था। साथ ही, इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है, कि सर्वसाधारण जनता को अपने विवादग्रस्त विषयों के लिए बादशाह और उसके सूबेदारों की सेवा में उपस्थित होने की विशेष आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ग्रामी, आर्थिक समृद्धि और बिरादरियों की अपनी-अपनी पचायने इस युग में भी विद्यमान थी, और बहुसंख्यक मामलों का निर्णय उन्हीं द्वारा होता था। जिन मामलों को आजकल दीवानी (सिविल) कहा

जाता है, वे राजकीय न्यायालयों में बहुत कम पेश होते थे। उनका निर्णय प्रायः जनता की अपनी पंचायतों द्वारा ही होता था। फौजदारी के मामले और मुसलिम प्रजा के मामले काजी की अदालत में पेश होते थे, और प्रायः उन्हीं के बारे में बादशाह की सेवा में अर्ज की जाती थी।

(७) यद्यपि राज्य के आर्थिक जीवन में सरकार कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रखती थी, पर अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसकी ओर से बहुत-से कारखाने खुले हुए थे, जिनमें बहुत-से शिल्पी और कर्मकर एकत्र होकर बड़े पैमाने पर आर्थिक उत्पत्ति का कार्य करते थे। मनसबदारों को साल में दो बार बादशाह की ओर से खिलत (पोशाक) दी जाती थी, और इन मनसबदारों की संख्या ११,००० से भी अधिक थी। इतने मनसबदारों के लिए खिलत तैयार करना साधारण बात नहीं थी। ये पोशाकें राजकीय कारखानों में ही तैयार की जाती थी। इस प्रकार के कारखाने अफगान-युग में भी विद्यमान थे। वस्त्रों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र आदि भी राजकीय कारखानों में तैयार होते थे, जिनका संचालन बादशाह द्वारा नियुक्त दारोगा द्वारा किया जाता था। इस युग की सरकार के विविध कार्यों में इन कारखानों का संचालन अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था।

सरकार के विभाग—मुगल बादशाहत में सरकार के प्रधान राजपदाधिकारी निम्नलिखित थे, जो अपने-अपने विभाग के मुख्य अध्यक्ष होने थे—(१) **दीवान**—राजकीय आग को प्राप्त करना और उसका हिसाब रखना दीवान का कार्य होता था। बादशाह के बाद राज्य में उसकी स्थिति सबसे ऊँची होती थी। (२) **खानसामा**—यह राजकीय अन्तःपुर व दरबार का प्रधान अधिकारी होता था। प्राचीन भारत में जो स्थान 'अन्तर्वंशिक' का था, वही मुगल काल में खानसामा का था। अकबर के अन्तःपुर में ५००० के लगभग स्त्रियाँ थीं, जो सब उसकी विवाहित पत्नियाँ नहीं थी। यही दशा अन्य मुगल बादशाहों के अन्तःपुरों की भी थी। इतने विशाल अन्तःपुरों की सुव्यवस्था के लिए एक पृथक् सरकारी विभाग की सत्ता अनिवार्य थी। यही कारण है, कि इस युग में खानसामा की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण थी। (३) **बखशी**—सेना के खर्च का हिसाब रखना और विविध मनसबदारों को नियमित रूप में वेतन आदि प्रदान करना बखशी का कार्य था। (४) **काजी**—यह न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। (५) **सदर-उस्-सदूर**—धार्मिक सस्थाओं को जो सहायता बादशाह की तरफ से दी जाती थी, या उसकी ओर से गरीबों व अनाथों के पालन के लिए जो खर्च होता था, उसकी व्यवस्था करना सदर-उस्-सदूर का कार्य था। (६) **मुहत्सिब**—जनता के नैतिक कार्यों पर नियन्त्रण रखना इस अधिकारी के विभाग के अधीन था। इन छ. मुख्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त (७) दारोगा-ए-तोपखाना और (८) दारोगा-डाक-चौकी नामक दो अन्य उच्च पदाधिकारी भी थे, जो राज्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे, यद्यपि उनकी स्थिति पहले छ. अधिकारियों की तुलना में हीन मानी जाती थी।

मुगल-युग के अन्य उच्च राजपदाधिकारी निम्नलिखित थे—(१) टकसाल का दारोगा, जिसका काम मुद्रा-पद्धति की व्यवस्था करना और सिक्कों को ढलवाना होता

था । (२) मीर-माल, जिसकी स्थिति वर्तमान समय के 'लार्ड प्रिवी सील' के सदस्य होती थी । (३) मुस्तोफी या आडिटर-जनरल । (४) नाजिरे-बुयुनात या सरकारी कारखानों का दारोगा । (५) मुशरिफ, जो भूमिकर विभाग का सचिव होता था । (६) मीर-बहरी या नौसेनाध्यक्ष । (७) मीर-बर् या जगलत के महकमे का अध्यक्ष । (८) वाकाए नवीस—राज्य में जो कुछ घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन सबसे बादशाह को अवगत कराना इस पदाधिकारी का काम होता था । (९) मीर-अर्ज—यह जनता के प्रार्थनापत्र बादशाह की सेवा में उपस्थित करता था । (१०) मीर-मजिल या क्वार्टर-मास्टर-जनरल । (११) मीर-तोजक—इसका कार्य शाही दरबार के साथ सम्बन्ध रखने वाली विविध विधियों व कायदों के यथावत् अनुसरण व पालन की व्यवस्था करना होता था । मुगल बादशाहत के केन्द्रीय शासन में ये ही राजकर्मचारी सर्वप्रमुख होते थे, जो अपने कार्यों के लिए केवल बादशाह के प्रति ही उत्तरदायी होते थे, और तभी तक अपने पदों पर रह सकते थे, जब तक कि बादशाह का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे ।

केन्द्रीय सभाओं का अभाव—मुगल बादशाहों के शासन में कोई ऐसी केन्द्रीय सभाएँ नहीं थीं, जिनमें परामर्श लेना बादशाह के लिए अनिवार्य हो । पर वह अपनी इच्छा के अनुसार मन्त्रियों और राज्य के मनसबदारों से समय-समय पर परामर्श करता रहता था । उनके परामर्श को बादशाह स्वीकार करे या नहीं, यह उसकी इच्छा पर ही निर्भर था । अफगान-युग के वारे-खास और वारे-ग्राम के समान दीवाने-खाम और दीवाने-ग्राम मुगल-युग में भी विद्यमान थे । दीवाने-ग्राम में बादशाह सर्वसाधारण जनता के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करता था, और दीवाने-खास में वह राज्य के उच्च पदाधिकारियों से परामर्श करता था । दीवाने-खाम में कौन लोग उपस्थित हो और वे किस क्रम से किस जगह पर बैठें, इन सब बातों के सम्बन्ध में विशद रूप से नियम बने हुए थे । पर ये सभ्याएँ बादशाह की निरकुशता व स्वेच्छाचारिता को किसी भी रूप में नियन्त्रित नहीं कर सकती थी । मुगल-युग के राजा पूर्ण रूप में 'एकतन्त्र' व 'एकराट' होते थे ।

बादशाह की सर्वोच्च सत्ता—मुगल-युग के बादशाह न केवल शासन के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखते थे, पर धर्म की दृष्टि में भी उनका बहुत ऊँचा स्थान था । इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार मुसलिम लोग उन्हें अपना 'खलीफा' भी मानते थे, और उन्हीं के नाम से 'खुतबा' भी पढ़ा जाता था । अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह ने अपने को भारत के सब निवासियों का धर्मगुरु बनाने का भी प्रयत्न किया था । उसकी अनेक उपाधियों में 'जगत्-गुरु' भी एक थी । जिस प्रकार लोग प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करते हैं, या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करके अपने कार्य को प्रारम्भ करते हैं, वैसे ही बादशाह के रूप में जो प्रत्यक्ष देवता विद्यमान था, उसके दर्शन करना भी बहुत-से लोग अपना पुण्य कर्तव्य मानते थे । राजमहल के भरोखे पर खड़ा होकर बादशाह सूर्योदय के दो घड़ी बाद जनता को दर्शन देता था, और बहुत-से लोग भरोखे के नीचे के विशाल मैदान में इसी उद्देश्य से एकत्र होते थे, ताकि उन्हें बादशाह के दर्शनों का पुण्य लाभ हो सके । अकबर के समय में एक ऐसा भी सम्प्रदाय संगठित हो गया था, जिसके अनुयायी बादशाह का दर्शन किये बिना न भोजन ही खाते थे, और न

पानी ही पीते थे। इस सम्प्रदाय को 'दर्शनिया' कहते थे। मुगल बादशाहों के श्रुतुल प्रताप के कारण लोगों ने उनके प्रति देवत्व भावना का विकास कर लिया था। प्राचीन युग के रोमन सम्राटों के समान अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ जैसे बादशाह अपने को 'दैवी' मानने लगे थे। यही कारण है, कि जहाँगीर की मलका ने भी 'जमत्-गुमाइनी' की उपाधि धारण कर ली थी।

अफगान-युग में विविध प्रान्तों के नायब सुलतान प्रायः वही स्थिति रखते थे, जो दिल्ली के सुलतान की होती थी। पर मुगल-युग में बादशाह की स्थिति प्रान्तीय सूबेदारों की तुलना में बहुत ऊँची मानी जाती थी। बादशाह को कतिपय ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो साम्राज्य के किसी भी सूबेदार, सिपहसालार या अधीनस्थ राजा को प्राप्त नहीं थे। इनमें से कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख करना उपयोगी है— (१) राजमहल के भरोखे पर खड़े होकर प्रजा को दर्शन देने का अधिकार केवल बादशाह को था। (२) हथेली को जमीन से छुटाने के बाद फिर माथे पर लगाकर जो 'तसलीम' की जाती है, वह केवल बादशाह के प्रति ही की जा सकती थी, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नहीं। (३) जब बादशाह यात्रा के लिए चलता था, तो नगाड़े बजाये जाते थे। इसी प्रकार जब बादशाह दरबार में हाजिर होता था, तो दमदमा बजाया जाता था। नगाड़ा और दमदमा केवल बादशाह के लिये ही बज सकते थे। (४) किसी सूबेदार को यह अधिकार नहीं था, कि वह किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या खिताब दे सके। यह अधिकार केवल बादशाह को प्राप्त था। (५) जब बादशाह सवारी पर चलता हो, तो कोई आदमी उसके साथ सवारी पर नहीं चल सकता था। यदि बादशाह पालश्री पर हो, तो उसका लडका घोड़े पर चढ़ सकता था। पर अन्य सब लोगों के लिए पैदल चलना आवश्यक था। यह अधिकार केवल बादशाह को ही प्राप्त था। मनसबदार व राजा यदि सवारी पर जाते हो, तो अन्य लोग भी सवारी का प्रयोग कर सकते थे। (६) विकलाग करने की आज्ञा देने का अधिकार केवल बादशाह को था। (७) हाथियों की लड़ाई केवल बादशाह के सामने ही कराई जा सकती थी। मनसबदारों को यह अधिकार नहीं था, कि वे आमोद-प्रमोद के लिए हाथियों को लडा सके। इसी प्रकार की अन्य अनेक बातों के कारण मुगल-युग में बादशाहों की स्थिति अन्य सब लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक ऊँची बनी हुई थी, क्योंकि सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में इन बातों का बहुत महत्त्व था।

प्रान्तीय शासन—मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को बारह सूबों में विभक्त किया था। उसकी मृत्यु के समय तक मुगल सूबों की संख्या १२ से बढ़कर १५ हो गयी थी, क्योंकि कतिपय नये प्रदेश साम्राज्य की अधीनता में आ गये थे। इन पन्द्रह सूबों के नाम निम्नलिखित थे—आगरा, इलाहाबाद, अवध, दिल्ली, लाहौर, मुलतान, कानुल, अजमेर, बंगाल, बिहार, अहमदाबाद, मालवा, वरार, खानदेश और अहमदनगर। जहाँगीर के समय में मुगल सूबों की संख्या १७ हो गयी, और जब औरंगजेब के समय में मुगल-साम्राज्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर गया, तो उसके सूबों की संख्या २१ तक पहुँच गयी। मुगल साम्राज्य के सूबों का शासन करने के लिए जो पदाधिकारी नियत किये जाते थे, उन्हें 'नाजिम', 'सूबेदार', 'सिपहसालार',

व 'साहिब-सूबा' कहते थे। क्योंकि सूबे का निजाम अपने क्षेत्र की मुगल-सेना का प्रधान सेनापति भी होता था, अतः उसे सिपहसालार भी कहा जाता था। नाजिम या सूबेदार अपने सूबे के शासन और सेना दोनों का अधिपति होता था। उसके अधीन भी अनेक राजपदाधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख दीवान, बख्शी, काजी, सदर और वाकयानवीस थे। इन पदाधिकारियों की सूबे में वही स्थिति थी, जो केन्द्रीय शासन में इन्ही नामों के पदाधिकारियों की होती थी। सूबेदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी।

नाजिम या सूबेदार का प्रधान कार्य अपने सूबे में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखना समझा जाता था। मुगल बादशाह का स्वरूप 'पुलिस राज्य' के सहण था, अतः सूबेदारों से यही आशा की जाती थी, कि वे अपने क्षेत्र की आभ्यन्तर और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करें। सार्वजनिक हित के कार्यों के प्रति इस युग के शासक उपेक्षावृत्ति करते थे, अतः सूबेदार भी इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। यदि वे विद्वानों को आश्रय देते, और ज्ञान, साहित्य आदि के सर्वाङ्गों के लिए कोई कार्य करते थे, तो उसे वे अपनी वैयक्तिक स्थिति में ही करते थे। सूबेदारों के अधीन अनेक फौजदार होते थे, जो सूबे के विभिन्न विभागों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करते थे।

मुगलों के शासन का प्रभाव मुख्यतया नगरो तक ही सीमित था, क्योंकि शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता विशेष रूप से वहीं पर होती थी। ग्रामों या प्रबन्ध पुराने युग से चली आ रही ग्रामसंस्थाओं के ही हाथों में था, और उनके कारण सर्वसाधारण जनता को मुगल-शासकों के सम्पर्क में आने का बहुत कम अवसर मिलता था। जमीन की मालगुजारी देने के सम्बन्ध में किसानों का जिन कर्मचारियों से सम्पर्क होता था, उनके विषय में हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

सैन्य संगठन—मुगल युग की सेना के चार विभाग मुख्य थे—घुड़सवार सेना, पैदाति सेना, तोपखाना और नौसेना। इनके अतिरिक्त हाथियों और ऊँटों के दमने भी होते थे, जो विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में लाये जाते थे। सेना में सर्वप्रधान स्थान घुड़सवारों का था। इसी लिए विविध वर्गों के मनसबदारों के लिए यह आवश्यक था, कि वे घोड़ों की एक निश्चित संख्या अपने पास रखें, जिन्हें आवश्यकतानुसार राज्य के लिए प्रयुक्त किया जा सके। तोपखाने का भारत में प्रवेश बाबर के समय में हुआ था, और मुगल बादशाहों ने उसकी उन्नति पर बहुत ध्यान दिया था। औरंगजेब के समय तक मुगल-सेना में तोपखाने का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था, और युद्धों में बन्दूकों व तोपों का विशेष रूप में प्रयोग होने लगा था। तोपखाने के सब कर्मचारियों और नौसैनिकों को राज्यकांफ में वेतन मिलता था। मनसबदारों के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता था। मुगल बादशाहों के समय में नौसेना का भी अछूता महत्त्व था। इसके लिए एक पृथक् विभाग था, जिसके प्रधान अधिकारी को 'मीर-बहरी' कहते थे। उसके कार्य निम्नलिखित थे—(१) नदियों के पार उतरने के लिए सब प्रकार की नौकाओं का निर्माण करवाना, (२) युद्ध के काम आनेवाले हाथियों को पार उतारने के लिए विशेष प्रकार की नौकाओं बनवाना, (३) मल्लाहों को भरती करना और उन्हें

नौकानयन सिखाना, (४) नदियों का निरीक्षण करना, और (५) नदियों को पार करने के लिए घाटों पर कर को बसूल करना। इसके अतिरिक्त राज्य के पास ऐसे भी जहाज थे, जिनसे समुद्र यात्रा की जा सकती थी। पूर्वी बंगाल में ढाका में मुगलों ने ७६८ एम जहाज तैनात किये हुए थे, जो सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित थे। इन जहाजों का प्रयोजन यह था, कि धराकान के लोगों के आक्रमणों से बंगाल के समुद्रतट की रक्षा की जा सके। सम्भवतः, इसी प्रकार के जहाजों वड़े मुगल-साम्राज्य के पश्चिमी समुद्रतट पर भी रखे गये थे, यद्यपि मुगल-सेना में जमी जहाजों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। इस युग में स्थल सेना का महत्व अधिक था, और मुगलों को अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसी की अधिक आवश्यकता भी पड़ती थी। इसी लिए भीर-बहरी का प्रधान कार्य नदियों के पार उतरने योग्य नौकाओं की व्यवस्था करना ही होता था, क्योंकि अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने व उसका विस्तार करने के लिए नदियों को पार करना बहुत आवश्यक था।

घुड़सवार और पैदाति सेनाओं का संगठन मनसबदारों के अधीन था। मनसब के सम्बन्ध में हम पहले भी लिख चुके हैं। मनसब का अभिप्राय है, पद या मेवा। सबसे छोटा मनसब दस सैनिकों का होता था, और सबसे बड़ा दस हजार का। दस और दस हजार के बीच में मनसबदारों के ३२ वर्ग थे, और प्रत्येक मनसबदार से यह आशा की जाती थी, कि वह सैनिकों और घोड़ों की एक निश्चित संख्या सदा अपने पास तैयार रखे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कार्य के लिए उनका उपयोग किया जा सके। मुगल-युग में इस प्रकार के मनसबदारों की कुल संख्या ११,५०० थी, जिनमें से ७५०० को अपने व अपने अधीनस्थ सैनिकों के खर्च के लिए वेतन मिलता था, और शेष ४००० को वेतन के बदले में जागीरें दी गई थी, जिनकी आमदनी से वे अपने खर्च चलाते थे। पर सब मनसबदार अपने लिए नियत किये गये सैनिकों व घोड़ों की व्यवस्था ही अपने पास तैयार रखते ही, ऐसा नहीं था। बहुत-से मनसबदार इस विषय में प्रमाद भी करते थे, और अपने वेतन व जागीर की आमदनी का उपयोग अपने वैयक्तिक सुख के लिए करने में भी सकोच नहीं करते थे। अकबर ने इस सम्बन्ध में अनेक व्यवस्थाएँ की थी। उस द्वारा एक आज्ञा यह प्रचारित की गयी थी, कि प्रत्येक मनसबदार अपने सैनिकों का बाकायदा रजिस्टर रखे, जिसमें सैनिक का नाम, उसके बाप का नाम, कौम, जन्मस्थान व वैयक्तिक पहचान आदि सब बातें दर्ज हों। इसी प्रकार उसके पास जो घोड़े हों, उन्हें भी दाग कर रखा जाय, ताकि जरूरत पड़ने पर निरीक्षण करने में कठिनाई न हो। इन आज्ञाओं के बावजूद भी मनसबदार लोग प्रायः अपने कर्तव्य में शिथिलता करने से बाज नहीं आते थे।

यद्यपि मुगल-साम्राज्य की शक्ति का प्रधान आधार उसकी सेना थी, तथापि इस युग के सैन्य-संगठन को सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। युद्धनीति के सम्बन्ध में सब सैनिक एक नियन्त्रण का अनुसरण नहीं करते थे। धर्म, जाति व प्रदेश के अनुसार सैनिकों में बहुत भेद हो जाता था। साथ ही, सैनिक लोग अपने को बादशाह की सेवा में नियुक्त न समझकर अपने मनसबदार का सेवक समझते थे। इस दृष्टि से मुगल-सेना मध्य-काल की सामन्त पद्धति की सेना से बहुत भिन्न नहीं थी। बड़े-बड़े मनसबदार

परस्पर ईर्ष्या रखते थे, और झबसर पड़ने पर आपस में युद्ध करने व राजगद्दी के किसी एक उम्मीदवार का पक्ष लेकर उसकी सहायता करने में भी संकोच नहीं करते थे। इस दशा में सैनिक भी अपने मनसबदार की तरफदारी करते थे, और मुगल सेना के विविध भ्रग आपसी युद्ध में ही व्यापृत हो जाते थे। अकबर के बाद जब मुगलों का वैभव बहुत बढ़ गया, तो उनकी सेना में भोग-विलास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी। मुगल सेना जब युद्ध के लिए चलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई नगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पड़ा हो। जहाँ सेना का पडाव पड़ता था, एक नगर-सा बस जाता था। हजारों नेमों व तम्बू गड़ जाते थे, जिनमें बड़े मनसबदारों के तम्बू रेशम के होते थे। नर्तक, वादक, गायक और तमाशा दिखाने वाले सेना के साथ-साथ चलते थे। छावनी में भी मनसबदारों को रूपाजीवाओ और गणिकाओ के बिना चैन नहीं पड़ती थी। यही कारण है, कि शिवाजी की मराठी सेनाओं का मुकाबला करने में प्रतापी मुगल सम्राट् अममर्थ रहे।

पुलिस—नगरों में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए कोतवालों की नियुक्ति की जाती थी। आइने-अकबरी के अनुसार कोतवालों के कर्तव्य निम्नलिखित थे—(१) चोरों को पकड़ना, (२) तोल और माप के उपकरणों को नियन्त्रित रखना, और हम बात का ख्याल रखना कि व्यापारी लोग ग्राहकों से मुनासिब कीमत लें, (३) रात के समय शहर के बाजारों, गलियों और मार्गों पर पहरे का इन्तेजाम करना; (४) शहर के निवासियों का अपने रजिस्टर में उल्लेख करना, और बाहरी आदिमियों पर निगाह रखना, (५) शहर की गलियों, रास्तों और मकानों का रिकार्ड रखना; (६) खूफिया पुलिस की नियुक्ति करना, जिसका काम शहर के गुप्तों पर निगाह रखना, नागरिकों के आय-व्यय का पता करना, और पड़ोस के ग्रामों के मामलों पर दृष्टि रखना होता था, (७) जिन मृत-लोगों का कोई बारिस न हो, उनकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेना और उसका हिसाब रखना, क्योंकि नावारिस सम्पत्ति का मालिक राज्य हो जाता था। (८) गाय, बैल, भैंस-भैंसे, घोड़े और ऊँट के बंध को रोकना; मुगल-युग में प्रायः गोवध का निषेध था। (९) किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध सती होने के लिए विवश किये जाने पर उसे सती होने से रोकना। निःसन्देह, मुगल-युग के कोतवालों के ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे, और इन्हें सम्पन्न करते हुए उन्हें बहुत सतर्क होने की आवश्यकता होती थी।

देहान में शान्ति और व्यवस्था रखने के लिए मुगल-युग में पुलिस का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था। प्रान्तीय सूबेदारों की अधीनता में अनेक फौजदार उस युग में भी नियुक्त थे, पर फौजदारों का कार्य केवल यह था, कि अपने क्षेत्र में विद्रोह न होने दे। चौर-डाकू आदि से जनसाधारण की रक्षा करने का कार्य इस युग में भी ग्राम-मन्वाओं के ही हाथों में था, और वे ही ग्रामों की आन्तरिक सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी थी।

कानून और न्याय-व्यवस्था—जिन अर्थों में आजकल के राज्यों में कानून की सना होती है, उस प्रकार के कानून मुगल काल में विद्यमान नहीं थे। यद्यपि समय-समय पर बादशाहों की ओर से अनेक 'शासन' (राजाज्ञा) जारी किये जाते थे, और

उनकी स्थिति कानून के सदृश होती थी, पर इस प्रकार के कानूनों की संख्या बहुत कम थी। मुगल-युग में विवाद-ग्रस्त मामलों का निर्णय जिन कानूनों के अनुसार किया जाता था, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) बादशाह द्वारा जारी की गयी राजाज्ञाएँ। (२) शरायत कानून—क्योंकि न्याय का कार्य प्रधानतया काजियों के सुपुर्द था, अतः वे न्याय करते हुए शरायत के कानून को दृष्टि में रखते थे। कुरान और हदीसों में जो नियम प्रतिपादित हैं, काजियों के विचार के अनुसार वे सत्य व सनातन कानून होते थे, और न्याय-कार्य में वे उन्हीं का उपयोग करते थे। मुसलमानों के आपसी मुकदमों में तो शरायत का कानून दृष्टि में रखा ही जाता था, पर जिन मुकदमों में एक पक्ष हिन्दू और दूसरा पक्ष मुसलिम हो, उनमें भी शरायत के कानून का ही प्रयोग होता था। (३) हिन्दुओं के परम्परागत कानून—जिन मुकदमों में वादी और प्रतिवादी दोनों हिन्दू हों, उनका निर्णय करते हुए काजी लोग हिन्दुओं के चरित्र और व्यवहार (परम्परागत कानून) को दृष्टि में रखते थे। पर ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। काजी लोग जो कुछ भी उचित समझें, वही वे करते थे। उनके न्याय कार्य को मर्यादित करने के लिए वर्तमान समय के जाब्ता-दीवानी और जाब्ता-फौजदारी के ढंग के कोई विधान उस समय विद्यमान नहीं थे। कोई भी मनुष्य काजी के फौसले के खिलाफ बादशाह की सेवा में अपील कर सकता था। अपील को सुनने और उनका निर्णय करने के लिए एक पृथक् महकमा था, जिसमें मीर-अर्ज के अधीन अनेक पदाधिकारी होते थे। महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय बादशाह स्वयं भी करता था, और जब बादशाह विजय-यात्रा पर या अन्य किसी कार्य से राजधानी के बाहर हों, तब भी मीरअर्ज का महकमा उसके साथ-साथ रहता था।

न्याय विभाग के प्रधान अधिकारी को 'काजी-उल्-कजात' कहते थे। यह अधिकारी साम्राज्य के विविध सूबों की राजधानियों में प्रान्तीय काजियों की नियुक्ति करता था। काजी के न्यायानुषंग में तीन कर्मचारी होते थे—काजी, मुफ्ती और मीर-अदल। काजी का यह कार्य था, कि वह मामले की जाँच करे। मुफ्ती मुसलिम कानून का प्रतिपादन करता था, और यह बताता था कि शरायत के अनुसार मामले का क्या फैसला होता चाहिये। मीर-अदल काजी की जाँच और मुफ्ती द्वारा की गई कानून-सम्बन्धी व्याख्या के अनुसार फैसला लिखने का कार्य करता था। काजी की अदालत में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों पेश होते थे। हिन्दुओं के पारस्परिक विवादों का निर्णय भी इसी अदालत द्वारा किया जाता था। यह आशा की जाती थी, कि काजी लोग निष्पक्ष, न्यायप्रिय और ईमानदार हों, पर क्रिया में सभी काजी इन गुणों से युक्त नहीं होते थे।

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये कि काजियों की अदालतें केवल साम्राज्य और सूबों की राजधानियों में ही थीं। अन्य नगरों में इन अदालतों का प्रायः अभाव था। बाद में मुगल बादशाहों ने अन्य बड़े नगरों में भी काजी नियुक्त किये। पर छोटे नगरों और ग्रामों में काजियों की अदालतें कभी कायम नहीं हुईं। इन स्थानों पर न्याय का कार्य इस युग में भी ग्राम-पंचायतों के हाथों में ही रहा, जो स्थानीय परम्परागत कानूनों के अनुसार मामलों का निर्णय करने में तत्पर रहती थी।

(२) मालगुजारी

मुगल-साम्राज्य की राजकीय आमदनी का प्रधान स्रोत मालगुजारी या भूमि-कर था। इसे वसूल करने के लिये जो व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय में शुरू हुई थी, अकबर ने भली-भाँति उसे विकसित किया। जमीन का यथोचित बन्दोबस्त करने और उससे व्यवस्थित रूप से मालगुजारी वसूल करने की जो पद्धति अकबर के समय में शुरू हुई, उसका प्रधान श्रेय राजा टोडरमल को है, जो पहले सहायक दीवान के पद पर नियत था, और बाद में अकबर का मुख्य दीवान बन गया था। भारत के इतिहास में टोडरमल द्वारा शुरू की गयी इस व्यवस्था का महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी उसे अनेक अंशों में अपनाया। मालगुजारी वसूल करने के लिए इस समय जमीन को चार वर्गों में विभक्त किया गया—(१) पोलज—जिस जमीन पर प्रतिवर्ष वृत्ती होती हो, और जो कभी परती न पडती हो, उसे पोलज कहते थे। (२) परती—जिस जमीन की उपज-शक्ति को कायम रखने के लिये उसे कभी-कभी खाली छोड़ देना आवश्यक हो, उसे 'परती' कहते थे। (३) छाचर—यह वह जमीन होती थी, जो तीन या चार साल तक बिना खेती के पडी रहे। (४) बजर—जो जमीन पाँच साल या अधिक समय तक खाली रहे, उसे बजर कहते थे। जमीन को इन चार वर्गों में विभक्त कर यह अन्दाज किया जाता था कि पोलज और परती जमीनों की औसत पैदावार क्या होती है। इसके लिये प्रत्येक किसान की जमीन को तीन भागों में बाँटा जाता था, बढ़िया, मध्यम और घटिया। यदि बढ़िया जमीन में प्रति बीघा २० मन, मध्यम से १५ मन और घटिया जमीन से १० मन पैदावार मानी जाये, तो उस किसान की औसत पैदावार १५ मन प्रति बीघा मान ली जाती थी। यह सिद्धान्त तय कर लिया गया था, कि प्रत्येक किसान से उसकी औसत पैदावार का तिहाई हिस्सा मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाएगा। जो उदाहरण हमने लिया है उसके अनुसार किसान को पाँच मन प्रति बीघा के हिसाब से मालगुजारी देनी पडती थी। पर मालगुजारी की मात्रा को तय करते हुए यह भी ध्यान में रखा जाता था, कि किसान अपने खेतों में कौन-सी फसल बोता है। उसे यह हक था, कि मालगुजारी चाहे नकद दे और चाहे फसल के रूप में। नकद मालगुजारी की मात्रा क्या हो, वह पिछले दस सालों में फसल की जो कीमते रही हो, उनके आधार पर तय किया जाता था। टोडरमल से पहले नकद मालगुजारी तय करते हुए चालू कीमत को ही दृष्टि में रखा जाता था। पर इसमें अनेक दिक्कते पेश आती थी। अतः टोडरमल ने यह व्यवस्था की थी, कि पिछले दस सालों की कीमतों को ध्यान में रखकर नकद मालगुजारी तय कर दी जाये, और दस सालों के लिये वही मात्रा कायम रहे। दस साल बीत जाने पर जमीन का नया बन्दोबस्त होता था, जिसमें पैदावार और कीमतों की घटाबढी को दृष्टि में रख कर मालगुजारी की मात्रा तय की जाती थी।

जमीन की पैमाइश के लिये अकबर के समय में एक नये माप को प्रयुक्त किया गया, जिसे 'इलाही गज' कहते थे। यह ३३ इंच के करीब होता था। पहले जमीन को मापने के लिये रस्सी का प्रयोग किया जाता था। अकबर के समय में उसके स्थान

पर जरीब का प्रयोग शुरू हुआ, जिसे बास के टुकड़ों को लोहे के छल्लो से जोड़कर बनाया जाता था। आज तक भी जमीन की पैमाइश के लिये भारत में जरीब इस्तेमाल की जाती है, यद्यपि आजकल की जरीब लोहे की होती है। जरीब से जमीन की पैमाइश करके यह तय किया जाता था, कि किसान कितनी जमीन पर खेती करता है। फिर यह निश्चित होता था, कि उसकी जमीन पोलज, परती, छाचर या बजर—किस प्रकार की है। फिर उसकी औसत पैदावार का हिसाब करके उस पर मालगुजारी की मात्रा नियत की जाती थी। जमीन के बन्दोबस्त की इस पद्धति को 'जब्ती' कहते थे। बिहार, इलाहाबाद, मुलतान, भ्रवध, आगरा, मालवा, लाहौर और दिल्ली के सूबों में इसी पद्धति के अनुसार जमीन का बन्दोबस्त किया गया था। बाद में गुजरात और अजमेर के सूबों के अनेक प्रदेशों में भी इस पद्धति का अनुसरण किया गया। पर इसके अतिरिक्त बन्दोबस्त के अन्य कई तरीके भी मुगल युग में प्रचलित थे। उनका हम यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विशेष महत्त्व नहीं था।

मालगुजारी को वसूल करने के लिये मुगल बादशाहत के सूबेदार अपने अधीनस्थ विविध राजकर्मचारियों की सहायता लेते थे। सूबे में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिये नाजिम या सूबेदार के अधीन अनेक फौजदार हाने थे। पर मालगुजारी को वसूल करने की दृष्टि से सूबे को अनेक विभागों में विभक्त किया जाता था, जिन्हे सरकार और परगना कहते थे। प्रत्येक सूबे में बहुत-से सरकार होते थे, और प्रत्येक सरकार में बहुत-से परगने। परगना बहुत-से ग्रामों से मिलकर बनता था। मालगुजारी को वसूल करने का काम पटवारी और मुकद्दम नाम के दो कर्मचारी करते थे, जो राजकीय सेवा में न होकर ग्राम-संस्थाओं के अधीन होते थे। प्राचीन-युग के 'ग्रामणी' को ही इस युग में 'मुकद्दम' कहा जाने लगा था। पटवारी उसके अधीन होता था, और खेती की पैमाइश का हिसाब रखकर जमीन से मालगुजारी वसूल करता था। राज्य के सबसे निम्न श्रेणी के कर्मचारी कारकुन कहाते थे, जो खेतों की पैमाइश करने और उनकी पैदावार का हिसाब रखने का काम करते थे। कारकुनों द्वारा तैयार किये गये हिसाब के आधार पर कानूनगो मालगुजारी की मात्रा निर्धारित करता था। प्रत्येक ग्राम से कितनी मालगुजारी वसूल होनी है, यह निश्चित करना कानूनगो का ही काम था, जो अपने अधीन कारकुनों द्वारा प्रत्येक ग्राम के खेतों की पैमाइश कराता था और उनमें पैदा होने वाली फसल का हिसाब रखता था। कानूनगो द्वारा निर्धारित की गयी मालगुजारी की रकम को वसूल करना ग्राम के मुकद्दम और पटवारी का काम था, जो मालगुजारी की रकम को पोद्दार के पास जमा करा देते थे। पोद्दार उन खजाचियों को कहते थे, जो राज्य की ओर से मालगुजारी व अन्य राजकीय करों को जमा करने और राज्यकोष में पहुँचाने के लिये नियुक्त थे। मालगुजारी की वसूली के लिये प्रत्येक सूबा अनेक सरकारों में विभक्त था, यह ऊपर लिख चुके हैं। 'सरकार' के राज-कर्मचारी को 'मालमगुजार' कहते थे, जिसका प्रधान कार्य अपने क्षेत्र की राजकीय आमदनी को समुचित रूप से वसूल किये जाने की व्यवस्था करना था। प्रत्येक सरकार के प्रधान नगर में 'फौजदार' भी होते थे, पर उनका मालगुजारी वसूल करने के साथ

कोई सम्बन्ध नहीं होता था। उनका मुख्य कार्य यही था, कि वे अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखें।

इसमें सन्देह नहीं, कि पैदावार का तीसरा भाग मालगुजारी के रूप में वसूल करने की व्यवस्था करके मुगल-सम्राटों ने भारत की उस प्राचीन परम्परा का उल्लंघन किया था, जिसके अनुसार उपज का केवल 'षड्भाग' भूमिकर के रूप में लिया जाता था। इससे किसानों में अवश्य ही अमन्तोष उत्पन्न हुआ होगा। पर अकबर आदि सभी मुगल बादशाहों ने यह भी यत्न किया था, कि जो अनेक प्रकार के अन्य कर ग्रामों व नगरों से वसूल किये जाते हैं उन्हें अब न लिया जाये। अफगान-युग में इन करों की मात्रा बहुत बढ़ गयी थी, और ये 'अबवाब' कहलते थे। औरंगजेब ने राजाज्ञा द्वारा जिन अबवाब करों को नष्ट करने का आदेश दिया, उनमें से कतिपय का यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। ये अबवाब निम्नलिखित थे—(१) मछली, सब्जी, गोबर के उपले, पेड़ों की छाल और पत्ते, बाँस और ईंधन, तेल, घड़े और कसोरे, तमाखू आदि के क्रय-विक्रय पर वसूल किये जाने वाले कर। (२) जमीन को रहन पर रखने, जायदाद को बेचने और इमारत के मलबे को बेचने पर लिये जाने वाले कर। जब कोई आदमी अपनी जायदाद बेचता था, तो कानूनगो उसमें ढाई प्रतिशत के हिसाब में अबवाब वसूल करता था। मलबा बेचने पर एक हजार टैंट पीछे तीन टका अबवाब लिया जाता था। (३) राहदारी-कर, जो विविध भागों पर पहरे के इन्तजाम का खर्च चलाने के लिये वसूल किया जाता था। (४) बाजार में जमीन पर बैठ कर शाकसब्जी, फल, कपडा आदि बेचने वाले लोगों से खाली जमीन को इस्तेमाल करने के लिये वसूल किया जाने वाला महमूल। (५) कर्ज की रकम को अदालत द्वारा वसूल कराने पर राजकर्मचारी लोग प्रायः रकम का चौथाई भाग 'शुकराना' के रूप से वसूल कर लेते थे। (६) मल्लाही टैक्स, जो नदियों के तीका द्वारा पार करने पर लिया जाता था। (७) तोल और माप के विविध उपकरणों पर सरकारी मोहर लगाते समय वसूल किया जाने वाला कर। (८) जमीन की चकबन्दी करते हुए जनता से वसूल किया जाने वाला कर। (९) जब किसी इलाके में कोई नया राजकर्मचारी नियुक्त होकर आता था, तो अपने इलाके के व्यापारियों से पेशकश (भेंट-उपहार) प्राप्त करता था। इसी प्रकार के अन्य बहुत-से कर मुगल-साम्राज्य के विविध कर्मचारी जनता से वसूल करते थे, जिनके कारण सर्व-साधारण लोग सदा परेशान रहते थे। मुगल सम्राटों ने यत्न किया, कि इन अबवाबों को नष्ट कर दे। इसीलिये उन्होंने मालगुजारी की मात्रा 'षड्भाग' से बढ़ाकर पैदावार का तीसरा हिस्सा नियत कर दी, ताकि उसमें आमदनी बढ़ जाने पर सरकार को अबवाब वसूल करने की आवश्यकता न रहे। पर अपने इस उद्देश्य में मुगल-सम्राट सफल नहीं हो सके, क्योंकि उनके अधीनस्थ कर्मचारी सब प्रकार के उचित-अनुचित उपायों से अपनी आमदनी की वृद्धि के लिये उत्तमक रहते थे, और बादशाह की आज्ञा की उपेक्षा करने में भी संकोच नहीं करते थे।

(३) सामाजिक दशा

मुगल काल के ऐतिहासिकों ने पश्चिम भाग में जो इतिहास लिखे हैं, उनमें मुगल बादशाहों की विजय-यात्राओं, उनके राजदरबारों और अन्तःपुर के पट्टीयनों का विषय रूप से उल्लेख है। उनके अनुशीलन में इस युग की सामाजिक व आर्थिक दशा के सम्बन्ध में विशेष परिचय नहीं मिलता। पर इस काल में अनेक यूरोपियन यात्री भारत में व्यापार और भ्रमण आदि के लिये आये, और उन्होंने मुगल-साम्राज्य का जो वृत्तान्त लिखा है, उससे हमें इस युग की सभ्यता और मस्कृति के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो सकती हैं।

मुगल काल का सामाजिक जीवन सामन्त-पद्धति पर आश्रित था, जिसमें बादशाह का स्थान कूटस्थानीय व मूर्धन्य था। बादशाह की स्थिति जन-समाज में सर्वोच्च थी। उसके बाद उन अमीर-उमराओं का स्थान था, जो विविध श्रेणी के मनसब प्राप्त कर राज्य-शासन और समाज में उच्च पद प्राप्त किये हुए थे। इन अमीर-उमरावों को अनेक पेंसि विद्याधिकार प्राप्त थे, जिनके कारण इनकी स्थिति सर्वसाधारण जनता से सर्वथा भिन्न हो गयी थी। ये अमीर उमरा बड़े आराम के साथ जीवन व्यतीत करते थे, और भोग विलास में स्वाहा करने के लिये इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती थी। बादशाह का अपना जीवन भी बहुत अनियन्त्रित और विनाशपूर्ण होता था, और अमीर-उमरा लोग अपने-अपने क्षेत्र में अपने मनसब के अनुसार बादशाह का अनुकरण करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझते थे। न केवल मुगल बादशाह के, अपितु अमीर-उमराओं के भी बड़े-बड़े हरम (अन्तःपुर) होते थे, जिनमें सैकड़ों हजारा स्त्रियाँ निवास करती थीं। अकबर के हरम में ५००० स्त्रियाँ थीं, जिनके भोजन-प्राच्छादन व विलास-सामग्री का प्रबन्ध करने के लिये एक पृथक् विभाग था। बादशाह के उदाहरण का अनुकरण कर अमीर-उमरा भी बहुत-सी स्त्रियों, नर्तकियों और पेशलरूपा दासियों को अपने हरम में रखते थे, और उन पर दिन खोन्नकर खर्च करते थे। बादशाह व अमीर-उमराओं की ओर से बहुत-सी दावते सदा होती रहती थीं, जिनमें सुरासन और मुस्वादु भोजन के अनिश्चित नाच-गान भी हुआ करता था। मुगल बादशाहों में 'मनसब' वंशक्रमानुगत नहीं होती थी। यह आवश्यक नहीं था, कि पाँच-हजागी का लड़का भी पिता की मृत्यु के बाद पाँचहजारी पद को प्राप्त करे। यही दशा उन जागीरों के सम्बन्ध में थी, जो बादशाह की ओर से मनसब का खर्च चलाने के लिये किसी मनसबदार को दी जाती थी। इसका परिणाम यह था, कि अमीर-उमरा अपनी जागीर व मनसब को अपनी वैयक्तिक आमदनी का साधनमात्र समझते थे, और इस आमदनी को मौज बहार में उड़ा देने में ही अपनी भलाई मानते थे। मुन्दर पोशाक, उत्कृष्ट सुरा, षडरस भोजन, भोग-विलास, नृत्य-गायन व सूत-क्रीडा आदि में वे रुपये को पानी की तरह बहाते थे। धन-पेश्वर्य की प्रचुरता ने उन्हें आलसी और विलासी बना दिया था। मोरलैण्ड ने हिसाब लगाकर बताया है, कि पाँचहजारी मनसबदार की मासिक आय १०००० रुपये थी, और एकहजारी मनसबदार की ५००० रुपये मासिक। यह आय उस खर्च को निकालने के बाद थी, जो मनसबदार को अपने पद के अनुरूप सैनिक

और छोड़े आदि को रखने के लिए करना पड़ता था। इस युग में वस्तुओं का मूल्य इतना कम था, कि जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के क्रय में यह रकम खर्च ही नहीं हो सकती थी। इस दशा में यदि विविध मनसबदार अपनी प्रचुर आय को ऐशो-इशरत में व्यय करें, तो यह सर्वथा स्वाभाविक ही था।

अमीर-उमरा और सर्वसाधारण जनता के बीच की एक मध्य श्रेणी का विकास भी इस युग में हो गया था, जिसमें निम्न वर्ग के कर्मचारी, व्यापारी और समृद्ध शिल्पियों को अन्तर्गत किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य के कारण भारत में जो शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो गयी थी, उसमें यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि देश के आन्व्यन्तर और बाह्य व्यापार का भली-भाँति विकास हो। बड़े-बड़े नगरों में निवास करने वाले व्यापारी एक स्थान के माल को दूसरे स्थान पर बेचकर अच्छी रकम पैदा कर लेते थे, पर वे जानबूझकर अपना रहन-सहन मादा रखते थे, क्योंकि नगरों के कोतवालों का एक कार्य यह भी था, कि वे लोगों की आमदनी और खर्च का पता करते रहें। व्यापारियों को सदा यह भय बना रहता था, कि कहीं राजकर्मचारी उनके रहन-सहन से उनकी आमदनी का अन्दाज न कर लें, और फिर उचित-अनुचित उपायों में रूपया प्राप्त करने का यत्न न करें। इसीलिये वे बहुत सादे तरीके में रहते थे। बर्नियर ने लिखा है, कि व्यापारी लोगों की आमदनी चाहे किन्तनी भी क्यों न हो, वे अत्यन्त मित-व्ययिता से खर्च करते थे। यही दशा समृद्ध शिल्पियों की भी थी, जिन्हें कि मुगल-काल के वैभव के कारण अपने शिल्प से अच्छी खासी आमदनी प्राप्त करने का अवसर मिल गया था। बन्दरगाहों में निवास करने वाले अनेक गंम व्यापारी भी इस युग में थे, जो विदेशी व्यापार के कारण अत्यन्त धनी हो गये थे। ये अमीर-उमराओं के समान विलास-मय जीवन बिताते थे। इन्हे राजकर्मचारियों का विशेष भय भी नहीं था, क्योंकि अनेक मनसबदार समय-समय पर इनसे भेंट-उपहार और कर्ज प्राप्त कर इनमें मन्तुष्ट रहते थे।

अमीर-उमरा व मध्य श्रेणी की तुलना में सर्वसाधारण जनता की दशा अत्यन्त हीन थी। इस श्रेणी में किसान, कर्मकर और शिल्पी लोग शामिल थे, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकने योग्य आमदनी को मुगलता के साथ प्राप्त नहीं कर सकते थे। इनको तन ढकने के लिये कपड़ा भी कठिनता से प्राप्त हो पाता था। रेशमी व ऊनी कपड़ों का प्रयोग तो इनकी कल्पना से भी परे था। सर्वसाधारण जनता की दशा के सम्बन्ध में कतिपय यूरोपियन यात्रियों के विवरणों में बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। फ्रांसिस्को पल्सेग्रान नामक यात्री ने जहाँगीर के समय में भारत की यात्रा की थी। उसने लिखा है कि इस देश की जनता में तीन वर्ग गेमे हैं, जो नाम को तो स्वतन्त्र हैं, पर जिनकी दशा गुलामों से बहुत भिन्न नहीं है। ये वर्ग मजदूरों (कर्मकरों), चपरासियों, नौकरों और छोटे दूकानदारों के हैं। पल्सेग्रान के अनुसार मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। राजकर्मचारी उनमें स्वेच्छापूर्वक बेगार ले सकते थे। अमीर-उमरा व राजकर्मचारी लोग जिस मजदूर को चाहे, काम के लिये बुला सकते थे। कोई यह माहस नहीं कर सकता था, कि बेगार देने से इनकार करे। अमीर-उमरा व राजकर्मचारी काम के बदले में उन्हें क्या वेतन दे, यह उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर

या । मजदूर व नौकर लोग उनसे स्वेच्छापूर्वक वेतन व मजदूरी तय नहीं कर सकते थे । छोटे दूकानदारों को भी अमीर-उमराओ और मनसबदारों का भय सदा बना रहता था । शक्ति-सम्पन्न राजकर्मचारी बाजार भाव से कम कीमत पर उनसे माल खरीदते थे, और कीमत की प्राप्ति के लिए वे उनकी कृपा पर ही निर्भर रहते थे । वे जानबूझकर गरीबी का जीवन बिताते थे, क्योंकि वे सदा राजकर्मचारियों की लूट व शोषण से डरते रहते थे ।

पर इस सब विवेचन से यह नहीं समझना चाहिये, कि मुगल-काल में सर्व-साधारण जनता की दशा बहुत खराब थी । कीमतों की कमी के कारण इस युग में मनुष्य बहुत कम खर्च में अपना निर्वाह कर सकता था । अनेक प्रकार के भ्रबवावों का अन्त कर मुगल-सम्राटों ने मालगुजारी की मात्रा पैदावार के एक तिहाई हिस्से के रूप में निर्धारित कर दी थी, जिसे प्रदान करने के बाद किसान निश्चिन्त रूप से उपज के दो-तिहाई भाग को अपने खर्च के लिए प्रयुक्त कर सकता था । जमींदारी प्रथा उस युग में नहीं थी । जमीन तीन प्रकार की होती थी—खालसा, जागीर और सयूरघाल । जिन जमीनों पर बादशाह का स्वामित्व था, उन्हें खालसा कहते थे । मनसबदारों को वेतन के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसे जागीर कहते थे । सयूरघाल जमीन वह थी, जो किसी विशेष प्रयोजन से राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को मुफ्त में दी गयी होती थी । इन तीनों प्रकार की जमीनों पर किसान को उपज के तृतीयांश से अधिक कर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी । शेष में वह अपना निर्वाह भली-भाँति कर सकता था ।

सुरापान की इल्लत में सर्वसाधारण लोग मुक्त थे । केवल धनी व अमीर-उमरा लोग ही सुरा के व्यसनी थे । टैरी नामक यूरोपियन यात्री ने लिखा है, कि लोग मदमस्त अवस्था में कभी दिखाई नहीं देते, यद्यपि शराब प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है । लोगों का भोजन बहुत सादा होता था, और वे विदेशियों के प्रति भद्रता का व्यवहार करते थे । बाल-विवाह इस युग में भली-भाँति प्रचलित हो चुका था । देला-वाल नामक एक यात्री ने दो बालकों के विवाह का वर्णन किया है, जिन्हें घोड़े पर सहारा देकर बिठाया गया था, और बरात में भी जिन्हें सहारा देकर घोड़े पर ले जाया गया था । अकबर ने इस बात का प्रयत्न किया था, कि बाल-विवाह की प्रथा बन्द हो । उसकी राजाज्ञाओं में से एक यह भी थी, कि रजस्वला होने से पूर्व किसी कन्या का विवाह न हो सके । उसने दहेज-प्रथा, बहु-विवाह और निकट सम्बन्धियों के विवाह को रोकने के लिये भी आदेश दिये थे । पर अकबर को अपने इन प्रयत्नों में कहीं तक सफलता हुई थी, यह कह सकना कठिन है । पेशवाओं ने भी विवाह के सम्बन्ध में अनेक ऐसे आदेश जारी किये थे, जिनका उद्देश्य पारिवारिक सम्बन्ध को निर्दोष बनाना था । पर यह स्पष्ट है, कि मुगल काल में बाल-विवाह और दहेज प्रथा भली-भाँति विकसित हो चुकी थी । विधवा-विवाह को इस युग में अच्छा नहीं माना जाता था, यद्यपि महाराष्ट्र की ब्राह्मण-भिन्न जातियों और उत्तरी भारत के जाटों में यह प्रचलित था । विधवाओं के सती हो जाने की प्रथा भी इस युग में प्रचलित थी । अनेक मुगल सम्राटों ने इसे रोकने व मर्यादित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सके । नगरों के

कोतवालों का एक कर्तव्य यह भी था, कि किसी विषय को वे उसकी इच्छा के विरुद्ध सती न होने दें। विविध हिन्दू जातियों में अपने कुलीन होने का विचार भी इस युग में भली-भाँति विकसित हो गया था, और कुलीन समझे जाने वाली जातियाँ अन्य लोगों को अपने से हीन समझने लगी थी।

फलिप्त ज्योतिष में इस युग के हिन्दू और मुसलमान—दोनों का समान रूप से विश्वास था। विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करते हुए या कोई नया कार्य प्रारम्भ करते हुए लोग शकुन का विचार करने थे। पीगो, फकीरो और साधुओं के प्रति जनता में श्रद्धा का भाव था। टेवर्नियर ने लिखा है, कि इस देश में ८,००,००० मुसलिम फकीर और १२,००,००० हिन्दू साधु हैं, जो जनता से भिक्षा प्राप्त कर अपना निर्वाह करते हैं। टेवर्नियर की दी हुई मूल्याएँ कहीं तक सही हैं, यह निश्चय कर सकना कठिन है, पर वर्तमान भारत के साधुओं की दृष्टि में रखते हुए इनको सही न मानने का कोई कारण नहीं है। हिन्दुओं की नैतिक दृष्टि बहुत उन्नत थी। टेवर्नियर ने उनके विषय में लिखा है, कि “हिन्दू लोग नैतिक दृष्टि में बहुत उत्कृष्ट हैं। वैवाहिक जीवन में वे अपनी स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहते हैं, और उनके साथ धोखा नहीं करते। उनमें व्यवहार या अनैतिकता बहुत कम पाई जाती है।” पर मुसलिम ग्रामीर-उमराओं का जीवन इस ढंग का नहीं था। वे अपने वैयक्तिक जीवन में नैतिकता के आदर्शों का बहुत कम पालन करते थे।

(४) आर्थिक दशा

बाबर और हुमायूँ के समय की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में हमें अधिक पत्रिचय नहीं है। बाबरनामा में बादशाह बाबर के काल की आर्थिक दशा के विषय में जो कुछ लिखा है, अनेक ऐतिहासिक उमे प्रामाणिक नहीं मानते। इसी प्रकार गुलबदन बेगम के हुमायूँनामा में उल्लिखित विवरण को भी विश्वास-योग्य नहीं माना जाता। उनके अनुसार अकबर के जन्मस्थान अमरकोट में चार बकरियाँ एक रुपये में खरीदी जा सकती थी, और अन्य वस्तुओं की कीमते भी इसी प्रकार में अत्यधिक सस्ती थी। पर अकबर के समय की आर्थिक दशा पर जहाँ आइने-अकबरी से बहुत प्रकाश पड़ता है, वहाँ इस काल के यूरोपियन यात्रियों के विवरणों से भी इस सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात हानी हैं। बाद के मुगल बादशाहों के शासन-काल के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के भी अनेक विश्वमनीय साधन ऐतिहासिकों के पास विद्यमान हैं। इस काल में यूरोपियन व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ समुद्र तट के नगरों में स्थापित कर ली थी, और उनके रिकार्डों से मुगल युग के आर्थिक जीवन के विषय में बहुत प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नगर—मुगल युग में भारत के अनेक नगर बहुत समृद्ध थे। फिच नामक यूरोपियन यात्री ने १५८५ में लिखा था—“आगरा और फतहपुर दो बहुत बड़े नगर हैं। उन दो में से प्रत्येक निजालता और जनसंख्या की दृष्टि में लण्डन की अपेक्षा बहुत बड़ा है। आगरा और फतहपुर के बीच का अन्तर बारह मील है। इस सुदीर्घ मार्ग के दोनों ओर बहुत-सी दुकानें हैं। इस पर चलते हुए इनने मनुष्य मार्ग में मिलते हैं, कि यह

प्रतीत होता है मानो हम बाजार में घूम रहे हों।" पंजाब के विषय में टैरी ने लिखा है—“यह एक विशाल और उपजाऊ सूबा है। इसका प्रधान नगर लाहौर है, जो बहुत बड़ा है, और जनसंख्या व सम्पत्ति दोनों दृष्टियों में अत्यन्त समृद्ध है। व्यापार के लिये यह भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक है।” १५८१ में मोसलत ने लाहौर के विषय में लिखा था, कि “यह नगर यूरोप व एशिया के किसी भी अन्य नगर की तुलना में कम नहीं है।” आगरा, फतहपुर सीकरी और लाहौर के समान बुरहानपुर (खानदेश), अहमदाबाद (गुजरात), बनारस, पटना, राजमहल, बर्दवान, हुगली, ढाका और चटगांव भी मुगल-युग में अत्यन्त समृद्ध नगर थे।

मुद्रा पद्धति—मुगल-युग की मुद्रा-पद्धति को स्थायी व नियमित रूप देने के लिये अकबर ने बहुत उद्योग किया। १५७७ ई० में उराने अब्दुस्समद गिगाजी को टकसाल का दारोगा बनाया, जिसके अधिकार में दिल्ली की टकसाल दे दी गयी। इस तरह के दारोगा लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि की टकसालों के लिये भी नियत किये गये। यह व्यवस्था की गयी, कि इन विभिन्न टकसालों में जिन सिक्कों का निर्माण हो, वे तोल, आकार और धातु-शुद्धता आदि की दृष्टि में एकसमूह हों। अकबर के सिक्कों में रुपया और दाम प्रमुख थे। रुपया चाँदी का होता था, और उसका वजन १७५ ग्रैन या ११ माशा के लगभग था। एक रुपये में ४० दाम होते थे, जिन्हें पैसा भी कहते थे। दाम या पैसों का वजन ३२३ ग्रैन था। आजकल के पैसों के मुकाबले में यह बहुत भारी होता था, और इसके निर्माण के लिये ताम्र के प्रयोग किया जाता था। दाम या पैसों के उपविभाग को जीतल कहते थे। एक पैसा २५ जीतल के बराबर होता था। अकबर ने चाँदी का एक अन्य सिक्का भी जारी किया था, जिसे ‘जलाली’ कहते थे। यह आकार में चौकोर होता था। अकबर के समय में जो मुद्रा-पद्धति जारी की गयी, वहीं थोड़े-बहुत बदल-बदल के साथ सम्पूर्ण मुगल युग में कायम रही।

कीमते—आइने-अकबरी में बहुत-सी वस्तुओं की कीमतें दी गयी हैं, जो मुगल-युग की आर्थिक दशा को जानने के लिये बहुत सहायक हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख करना उपयोगी होगा। अकबर के समय में गेहूँ का भाव १२ दाम प्रति मन था। अन्य वस्तुओं का भाव प्रति मन निम्नलिखित प्रकार था—जौं ८ दाम, चना १६॥ दाम, बड़िया चावल २० दाम, चटिया चावल ११ दाम, बाजरा ८ दाम, मूँग १८ दाम, आटा २२ दाम, घी १०५ दाम, तेल ८० दाम, दूध २५ दाम और चीनी १२८ दाम। शक्कर का भाव ५५ दाम प्रति मन और उडद की दाल १६ दाम प्रति मन थी। भेड़ १३ रुपये में खरीदी जा सकती थी, और गाय का मूल्य १० रुपया था। बकरों का मास ६५ दाम प्रति मन के भाव से बिकता था। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना आवश्यक है, कि अकबर के समय का मन वर्तमान समय के २५ सेर के बराबर होता था। यदि अकबरी रुपये को वर्तमान समय के रुपये (जिसका वजन १२ माशा होता है) के बराबर मान लिया जाय, तो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार होंगे—गेहूँ १ रु० की ८३ सेर, बाजरा १ रु० का १२५ सेर, उडद या मूँग की दाल १ रु० की ५६ मंत्र, घी १ रु० का ६ सेर, दूध १ रु० का ४० सेर, बकरों का मास १ रु० का १५ सेर, और चीनी १ रु० की ८ सेर। वर्तमान समय की कीमतों से तुलना करके यह भली भाँति समझा

जा सकता है, कि अकबर के समय में सर्वसाधारण जनता के उपयोग की सब वस्तुएँ बहुत अधिक सस्ती थी। पर कीमतों के सस्ती होने के साथ-साथ इस युग में मजदूरी की दर भी बहुत कम थी। मामूली मजदूर की मजदूरी इस समय दो दाम प्रति दिन और मिस्त्री, राज, बडई आदि की मजदूरी ७ दाम प्रति दिन थी। यदि गेहूँ की दृष्टि से देखा जाय, तो अकबर के समय मजदूर अपनी दैनिक मजदूरी से सवा चार सेर के लगभग गेहूँ खरीद सकता था। मिस्त्री, बडई आदि तो अपनी मजदूरी से १३ सेर के लगभग गेहूँ प्रतिदिन प्राप्त कर सकते थे। सस्ती कीमतों के कारण इस युग के लोगों को अपना गुजारा करने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी। मजदूरी की दर कम होते हुए भी लोग प्रसन्न व सन्तुष्ट थे। एडवर्ड टैरी के अनुसार “सम्पूर्ण देश में खाद्य पदार्थों का बाहुल्य था” और बिना किसी कठिनाई के सब लोग रोटी खा सकते थे।” इसमें सन्देह नहीं, कि मुगलयुग में सर्वसाधारण जनता आर्थिक दृष्टि से बहुत दुर्दशाग्रस्त नहीं थी, और वह अपने लिये आवश्यक वस्तुएँ सुगमता से प्राप्त कर लेती थी।

दुर्भिक्ष—मुगल-युग में भारत को अनेक दुर्भिक्षों का सामना करना पड़ा। आगरा और बियाना के ममीपवर्ती प्रदेशों में १५५५-५६ में एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जिसका वर्णन करते हुए ब्रदायुनी ने लिखा है—लोग मानव मांस को खाने में तत्पर हो गये और दुर्भिक्ष से पीड़ित नर-नारियों की दशा को आँखों से देख सकना सम्भव नहीं रहा, और यह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान के समान दिव्वाई देने लगा। १५७३-७४ में गुजरात में दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके साथ ही एक भयंकर महामारी भी फैल गयी। १५६५ में लेकर १५६८ तक एक बार भारत को पुनः दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा, और नरमास तक का भक्षण करने में लोगों ने सकोच नहीं किया। इस दुर्भिक्ष में अनेक नगरो के बाजार लाशों में पट गये थे, और लाशों को दफना सकना भी सम्भव नहीं रह गया था। इन तीन दुर्भिक्षों में से एक बाबर के समय में हुआ, एक हुमायूँ के समय में और तीसरा अकबर के समय में। जहाँगीर के शासनकाल में भारत को किसी दुर्भिक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। पर शाहजहाँ के समय में दक्खन और गुजरात में एक बार फिर दुर्भिक्ष पड़ा, जिसका वृत्तान्त एक डच व्यापारी ने इस प्रकार लिखा है—“गलियों में अर्धमृत मदा में पड़े हुए लोगों को दूसरे लोग मार डालते थे, और मनुष्य मनुष्य का भक्षण करने के लिये तत्पर हो गये थे। मनुष्यों के लिये गलियों व मार्गों पर चल सकना कठिन हो गया था, क्योंकि उन्हें मदा यह भय बना रहता था कि कोई उन पर आक्रमण न कर दे।”

मुगल युग में दुर्भिक्षों का प्रधान कारण यह था, कि इस काल में भारत की अधिकतर भूमि दैवमानृका थी। नहरो व कुओ से सिंचाई का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था। यदि किसी साल वर्षा न होनी, तो फसल नष्ट हो जाती और जनता के लिये भोजन प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता। इस युग में आवागमन और माल की हलकों का बसा प्रबन्ध नहीं था, जो रेल, मोटर आदि के कारण आजकल के जमाने में है। अतः यदि गुजरात में अकाल पड़ता, तो पंजाब या बंगाल से वहाँ अनाज पहुँचा सकना सुगम नहीं होता था। दुर्भिक्ष की भयंकरता का यही प्रधान कारण था।

शिल्प और व्यवसाय—मुगल-युग में भारत के आर्थिक जीवन का प्रधान आधार

खेती थी। बहुसंख्यक लोग खेती द्वारा अपना निर्वाह करते थे। पर अनेक व्यवसाय व शिल्प इस युग में विकसित हो चुके थे, और भारत में तैयार हुए सूती व रेशमी कपड़ों और अन्य अनेक पदार्थों की न केवल इस देश के सम्पन्न लोगों में अपितु विदेशों में भी बहुत माँग थी। यह ध्यान में रखना चाहिये, कि यूरोप में भी अभी व्यावसायिक क्रान्ति नहीं हुई थी। भारत के समान इंग्लैंड और फ्रांस के कारीगर भी अठारहवीं सदी के प्रारम्भ तक यान्त्रिक शक्ति की सहायता के बिना छोटे-छोटे उपकरणों से ही धार्मिक उत्पत्ति किया करते थे, और बड़े कल-कारखानों का विकास इस समय तक नहीं हुआ था। यदि अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक के व्यावसायिक जीवन की दृष्टि में रखा जाय, तो भारत फ्रांस या इंग्लैंड से किसी भी प्रकार कम नहीं था, और इस देश में तैयार हुए माल को देश-विदेश में सर्वत्र अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

भारत के इस युग के व्यवसायों में वस्त्र-व्यवसाय सर्वप्रधान था। गुजरात, खानदेश, जौनपुर, बनारस, पटना आदि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, और बंगाल में ज़िम दग का महीन सूती कपड़ा बनता था, वह समार में अपनी तुलना नहीं रखता था। उड़ीसा में पूर्वी बंगाल तक का मारा प्रदेश कपड़े के कारखानों से छाया हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता था, कि मानो यह सब प्रदेश वस्त्र-निर्माण का एक विशाल कारखाना हो। विशेषतया, ढाका का जिला महीन मलमल के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध था। फ्रांसिस्को पन्मेघ्नन के अनुसार पूर्वी बंगाल के सोनारगाँव और चाबासपुर में सब लोग वस्त्र-व्यवसाय द्वारा ही अपना निर्वाह करते थे, और वहाँ तैयार हुआ कपड़ा अपनी खूबियों के कारण अत्यधिक विख्यात था। बर्नियर ने लिखा है, कि बंगाल में सूती और रेशमी कपड़ा इतना अधिक होता है, कि उसे न केवल बंगाल व मुगल-साम्राज्य का, अपितु मत्र पड़ोसी देशों व यूरोप तक का, इस पण्य के लिये विशाल भण्डार समझा जा सकता है। वस्त्र-व्यवसाय के साथ-साथ कपड़े की रंगाई और छपाई का शिल्प भी इस देश में बहुत उन्नत दशा में था। टैरी के अनुसार सूती कपड़े को रंगकर या बिना रंगे ही इस प्रकार मुन्दरता के साथ छापा जाता था, कि पानी द्वारा रंग व छपाई को उतार सकना किसी भी तरह सम्भव नहीं रहता था। भारत की छीट संसार के बाजारों में सर्वत्र दिखाई देती थी, और सब देशों के धनी लोग बड़े शौक से उसे क्रय करते थे। सूती वस्त्रों के समान रेशमी कपड़ों का भी प्रधान केन्द्र बंगाल ही था। टैरनियर के यात्रा-विवरण के आधार पर मोरलैण्ड ने लिखा है, कि बंगाल में २५,००,००० पौण्ड वजन के लगभग का रेशम प्रतिवर्ष तैयार होता था, जिसमें से ७,५०,००० पौण्ड रेशम डच लोग खरीद कर यूरोप भेज देते थे, और शेष बंगाल व भारत के अन्य सूतों में बुनाई के लिये प्रयुक्त किया जाता था। इस रेशम का कुछ भाग स्थलमार्ग द्वारा मध्य एशिया को भी जाता था। रेशमी कपड़ा बुनने की खड्डियाँ बंगाल के आतिरिक्त लाहौर, आगरा, गुजरात आदि में भी थी। इसीलिये इन प्रदेशों के व्यवसायी बंगाल के रेशम को क्रय करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। अकबर ने शाल और गलीचे के व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया था। काश्मीर के अतिरिक्त लाहौर और आगरा भी इस व्यवसाय के अच्छे महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। शाल और गलीचों के साथ-साथ अनेक प्रकार के ऊनी वस्त्र व कम्बल भी इन स्थानों के कारखानों में तैयार होते थे।

मुगल-युग के अन्य व्यवसायों में नौका-निर्माण और शोरे का कारोबार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विशाल मुगल-साम्राज्य में नदियों को पार करने के लिये और विदोषतया सेनाओं को नदियों के पार उतारने के लिये नौकाओं का बहुत महत्त्व था। साथ ही, इस युग में व्यापार के लिये भी गंगा जैसी नदियाँ बहुत काम आती थी। जल-मार्ग द्वारा माल को एक स्थान में दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सस्ता पड़ता था। इन सब प्रयोजनों के लिये जो नौकाएँ जरूरी थी, वे सब भारत में ही बनती थी। बगल की खाड़ी के समीपवर्ती प्रदेशों की अराकानी लोगों व सामुद्रिक डाकुओं से रक्षा करने के लिये मुगल काल में एक जहाजी बेडा भी था, यह हम पहले निम्न चुके हैं। ये जहाज भी भारत के शिल्पियों द्वारा ही तैयार किये जाते थे। शोरे का उपयोग बाह्य के निर्माण के लिये होता था। मुगल-युग में बाह्य का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, यन् मुगलों के तोपखानों के लिये आवश्यक बाह्य का निर्माण करने के प्रयोजन में शोरे की बहुत माँग रहती थी। उच्च और इन्निश व्यापारी भी भारत में शोरा खरीद कर अपने देशों को भेजते थे और वहाँ उसे बाह्य के लिये प्रयोग में लाया जाता था। इस कारण शोरे का व्यवसाय भी इस युग में अच्छी उन्नत दशा में था।

विदेशी व्यापार—मुगल-युग में विदेशों के साथ व्यापार स्थल और जल—दोनों मार्गों से होता था। विदेशी व्यापार के दो स्थल-मार्ग प्रधान थे। एक मार्ग लाहौर से काबुल को जाता था, और दूसरा मुलतान से कंधार को। सामुद्रिक व्यापार के लिये अनेक बन्दरगाह भारत के समुद्र तट पर विद्यमान थे, जिनमें सिन्ध का लाहौरी बन्दर, गुजरात के सुरत, भड़ौच और कैंथ, रत्नगिरि के तटवर्ती बसिन, चौल और दाभाँल, मलाबार के कालीकट और कोचीन, और पूर्वी समुद्र तट के सातगाँव, श्रीपुर, चटगाँव, सोनारगाँव, नेगापटम और मछलीगटम बन्दरगाह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त पश्चिमी समुद्र तट का गोआ बन्दरगाह भी इस समय अच्छी उन्नत दशा में था, जो पोर्तुगीज व्यापारियों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। इन बन्दरगाहों में भारत का माल विदेशों में और विदेशी माल भारत में विक्रय के लिये आता था। राज्य की ओर से इस माल पर महसूल लिया जाता था, जिसकी मात्रा सोना-चाँदी पर दो प्रतिशत और अन्य सब प्रकार के माल पर साढ़े तीन प्रतिशत थी। यूरोपियन देशों के बहुत-से व्यापारी इस युग में व्यापार के लिये भारत आने जाने लगे थे, और इनके कारण भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई थी। मुगल बादशाहों की यह नीति थी, कि मोना-चाँदी भारत में बाहर न जाने पाए, और विदेशी व्यापारी जो माल इस देश में खरीदे, उसकी कीमत वे मोना-चाँदी में अदा किया करे। इसीलिये यूरोपियन व्यापारियों को भारत का माल प्राप्त करने के लिए मोना-चाँदी अपने साथ लाना पड़ता था। जो माल विश्वी के लिये भारत में बाहर जाता था, उसमें विविध प्रकार के सूती व रेशमी वस्त्र, मिर्च-मसालों, नील, अफीम और औषधि मुख्य थे। भारत में बिकने आने वाले विदेशी माल में सोना, चाँदी, घोड़े, घातुण, हाथी दाँत, मूँगें, अम्बर, मणि-मार्माणक्य, मुगनि आदि प्रधान थे। विदेशी व्यापार के कारण इस देश के बन्दरगाहों में निवास करने वाले व्यापारि बहुत समृद्ध हो गये थे, और भारत के वैभव में भी इसमें बहुत सहायता मिली थी।

सताईसवाँ अध्याय

मुगल युग का साहित्य, कला, धर्म और जीवन

(१) शिक्षा

शिक्षणालय—जिस प्रकार आजकल राज्य की ओर से शिक्षणालयों का संचालन व नियन्त्रण होता है, वैसा प्राचीन व मध्यकाल में नहीं होता था। इस काल में शिक्षा का कार्य धार्मिक संस्थाओं के अधीन था, और मन्दिरों व मस्जिदों के साथ अनेक इस प्रकार के विद्यालय स्थापित थे, जिनमें विद्यार्थी साधारण व उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध-युग में जिन विहारों व महाविहारों की स्थापना हुई थी, वे अब नष्ट हो चुके थे। उनका स्थान अब मन्दिरों और मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षा-संस्थाओं ने ले लिया था। हिन्दू-मन्दिर हिन्दू-धर्म, दार्शनिक चिन्तन और भारतीय सस्कृति के केन्द्र थे, और मस्जिदों में पर्शियन भाषा, कुरान व अन्य मुसलिम धर्मग्रन्थों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इन धार्मिक शिक्षणालयों का खर्च जहाँ जनता द्वारा दिये जाने वाले दान से चलता था, वहाँ मुगल बादशाह व उनके बड़े-बड़े मनसबदार व अमीर-उमरा भी इन्हे आर्थिक सहायता व जागीरें प्रदान करते थे और उनकी आमदनी से इनका खर्च भली-भाँति पूरा हो जाता था। मुगल बादशाहों ने मस्जिदों के साथ विद्यमान 'मकतबों' की दिल खोलकर सहायता की, और विद्वानों के संरक्षण व सहायता में भी उन्होंने बहुत उदारता दिखाई।

सैयद अकबर अली ने अपनी तवारीख में बाबर के विषय में लिखा है, कि बादशाह बाबर ने मकतबों व शिक्षणालयों की उन्नति पर बहुत ध्यान दिया, और उसकी सरकार के अत्यन्त विभाग सुहरते-आम का एक कर्तव्य यह था, कि वह शिक्षा-संस्थाओं की उन्नति की व्यवस्था करे। यद्यपि हुमायूँ का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, पर उसे भूगोल और ज्योतिष का बहुत शौक था। पुस्तकों का वह बड़ा प्रेमी था, और युद्ध यात्रा के समय भी वह बहुत-सी पुस्तकों को अपने साथ रखता था। उसने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की, और पुराने किले में शेरशाह द्वारा निर्मित प्रमोद-भवन को पुस्तकालय के रूप में परिणत किया। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य पूर्णतया व्यवस्थित हो गया था। इस कारण बादशाह मकतबों और मदरसों की उन्नति पर विशेष ध्यान दे सका। फतहपुर सीकरी, आगरा व अन्य अनेक नगरों में उसने मदरसे खुलवाये, जिनमें विविध मुसलिम विद्वान् शिक्षण के कार्य में व्यापृत रहते थे। अकबर ने यह भी व्यवस्था की, कि इन मदरसों में हिन्दू विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। जहाँगीर पर्शियन और तुर्की भाषाओं का विद्वान् था। उसने यह आदेश जारी किया, कि जिस किसी घनी मनुष्य का कोई वारिस न हो, उसकी सम्पत्ति पर राज्य का

अधिकार हो जाय, और इस सम्पत्ति का उपयोग मकतबों और मदरसों की मरम्मत के खर्च के लिये किया जाए। 'तारीखे-जांजहाँ' में जहाँगीर के विषय में लिखा है, कि जो मदरसे वर्षों से उजड़े पड़े थे और जिनमें पशु भी निवास करने लगे थे, बादशाह की कोशिश से वे सब अध्यापकों और विद्यार्थियों से परिपूर्ण हो गये। शाहजहाँ को भी विद्या और ज्ञान से बहुत प्रेम था। वह अपना कुछ समय नियमित रूप से विद्याध्ययन में व्यतीत करता था, और उसने दिल्ली में एक नये मदरसे की स्थापना की थी। दार-उल-बक़ा नाम का एक पुराना मदरसा इस समय बिल्कुल उजड़ी हुई दशा में था। शाहजहाँ ने उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अरबी, पशियन और संस्कृत का पण्डित था। उसने उपनिषद्, भगवद्-गीता, योगवासिष्ठ आदि अनेक संस्कृत ग्रन्थों का स्वयं पशियन भाषा में अनुवाद किया, और सूफी सम्प्रदाय सम्बन्धी अनेक मौलिक ग्रन्थ भी लिखे। औरंगजेब स्वयं अच्छा विद्वान् था। पर उसकी सब शक्ति मुगल-साम्राज्य का विस्तार करने और राज्यशासन को मुस्लिम सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने में ही लग गयी। वह अपने साम्राज्य में शिक्षा की उन्नति की ओर ध्यान देने में असमर्थ रहा, यद्यपि उसने इस्लाम की वृद्धि और मुस्लिम धर्मशास्त्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।

मुसलिम बादशाहों के शासनकाल में विद्यमान विविध मकतबों और मस्जिदों में बहुत-से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने थे। यह शिक्षा प्रधानतया पशियन और अरबी भाषाओं और कुरान आदि मुसलिम धर्म-ग्रन्थों की ही होती थी। इसी प्रकार हिन्दू-मन्दिरों में संस्कृत और हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन होता था। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र आदि वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई का भी इनमें प्रबन्ध था, पर ये विषय भी धार्मिक साहित्य के अंग-रूप में ही पढाये जाते थे। शिल्प की शिक्षा के लिये विद्यार्थी प्रायः उस्तादों (आचार्यों) की सेवा में उपस्थित होते थे, जिनके पास वे शागिर्द (अन्तेवामी) के रूप में निवास करते थे। पर मस्जिदों और मन्दिरों के साथ मम्बद्द शिक्षण-संस्थाओं में लाभ उठाने का अवसर सर्वसाधारण जनता को बहुत कम मिलता था, और इम युग के बहुमन्यक लोग प्रायः निरक्षर ही होते थे। बड़े घरों के लड़कों के समान उनकी लड़कियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। बादशाह के हुरम और अमीर-उमरावों के घरों की स्त्रियाँ जहाँ मगीत, कला आदि में निपुण होती थीं, वहाँ साथ ही शिक्षित होने का भी प्रयत्न करती थीं। यही कारण है, कि मुगल-युग में हमें अनेक सुशिक्षित व सुसंस्कृत महिलाओं का पता मिलता है। बाबर की लड़की गुलबदन बेगम एक सुशिक्षित महिला थी। उसने 'हुमायूँनामा' नामक पशियन पुस्तक में अपने भाई हुमायूँ का चरित्र लिखा है। हुमायूँ की भतीजी सलोमा सुलतान ने भी पशियन भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें से कतिपय इम समय भी उपलब्ध हैं। जहाँगीर की प्रियमी मलिका नूरजहाँ और शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल अत्यन्त सुसंस्कृत महिलायें थीं। मुगल खानदान की अन्य सुशिक्षित महिलाओं में जहाँनारा और जेबुन्निसा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सब स्त्रियाँ अरबी और फारसी पर अधिकार रखती थीं, और विद्या व ज्ञान से उन्हें बहुत प्रेम था।

(२) साहित्य

पश्चिम साहित्य—मुगल युग के साहित्य में पश्चिम ग्रन्थों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस युग के पश्चिम साहित्य को तीन भागों में बाँटा जा सकता है— (१) इतिहास व जीवन चरित्र, (२) अनुवाद ग्रन्थ और (३) काव्यग्रन्थ। ऐतिहासिक ग्रन्थों में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित तवारीखे-अल्फी, अबुल फजल द्वारा लिखित आइने-अकबरी और अकबर नामा, बदाउनी द्वारा लिखित मुन्तखाव-उत्-तवारीख, निजाम-उद्दीन अहमद द्वारा विरचित तबकाते-अकबरी, फौजी सरहन्दी द्वारा लिखित अकबरनामा और अब्दुल बकी द्वारा लिखित मन्शासीरे-रहीमी ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्ण हैं। मुगल युग का सबसे प्रसिद्ध पश्चिम लेखक अबुल फजल था, जो अकबर का परम मित्र और सहायक था। वह न केवल ऐतिहासिक था, अपितु साथ ही एक सुसंस्कृत कवि, आलोचक और विद्वान् भी था। उसकी आइने-अकबरी का अकबर के समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उतना ही महत्व है, जितना कि मौर्य चन्द्रगुप्त के समय के लिये कौटलीय अर्थ-शास्त्र का है।

मुगल बादशाहों ने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का पश्चिम भाषा में अनुवाद कराने के लिये भी प्रयत्न किया। अकबर के आदेश से महाभारत के बहुत-से भागों का पश्चिम में अनुवाद हुआ, और इन्हें 'रज्म-नामा' नाम दिया गया। महाभारत का यह अनुवाद मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया था, जो कि पश्चिम के साथ-साथ संस्कृत के भी पण्डित थे। १५८६ में बदाउनी ने रामायण का पश्चिम में अनुवाद किया। हाजी इब्राहीम सरहन्दी ने अथर्ववेद को और फौजी ने लीलावती को पश्चिम भाषा में अनूदित किया। लीलावती गणित का प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है। इसी प्रकार मुकम्मल खाँ गुजराती ने ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थ 'ताजक' का और मौलाना शाह मुहम्मद शाहवादी ने काश्मीर के इतिहास का पश्चिम में अनुवाद किया। अकबर की प्रेरणा से अनेक ग्रीक और अरबी पुस्तकें भी पश्चिम में अनूदित की गयीं। इसमें सन्देह नहीं, कि बादशाह अकबर के संरक्षण में पश्चिम साहित्य की बहुत उन्नति हुई। जहाँ उसमें अनेक मौलिक पुस्तकें लिखी गयीं, वहाँ ग्रन्थ भाषाओं की अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें अनुवाद द्वारा भी उसमें समाविष्ट हुईं। अकबर की संरक्षा में जिन अनेक कवियों ने पश्चिम भाषा में काव्य-रचना की, उनमें फौजी, गिजली, मुहम्मद हुसैन नजीरी और सैयद जमालुद्दीन उर्फ़ी का बहुत ऊँचा स्थान है।

पश्चिम भाषा के जो अनेक विद्वान् व साहित्यिक जहाँगीर के राजदरबार की शोभा बढ़ाते थे, उनमें गियास बेग ननकीब खाँ, मुतमिद खाँ, निजामतुल्ला और अब्दुल हक देहलवी सर्वप्रधान हैं। इस काल के ऐतिहासिक ग्रन्थों में मुन्शासीरे-जहाँगीरी और जुब्दुतवारीख विशेष प्रसिद्ध हैं।

अपने पिता और पितामह के समान शाहजहाँ भी विद्वानों का संरक्षक व आश्रय-दाता था। उसके आश्रय में निवास करने वाले ऐतिहासिकों ने जो अनेक इतिहास-ग्रन्थ लिखे, उनमें अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा और इनायत खाँ द्वारा लिखित शाहजहाँनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के वृत्तान्त और इस युग के भारत

के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के ये ही मुख्य साधन हैं। दाराशिकोह ने जिन अनेक संस्कृत पुस्तकों का पश्चिम भाषा में अनुवाद किया था, उनका उल्लेख हम इसी प्रकरण में ऊपर कर चुके हैं। श्रीरंगजेब को शिक्षा और साहित्य से विशेष प्रेम नहीं था। न उसे संगीत का शौक था, और न कला व कविता का। इतिहास लेखन के भी वह विरुद्ध था। फिर भी उसके समय में पश्चिम भाषा में अनेक इतिहास-ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें मिर्जा मुहम्मद काजिम का आलमगीरनामा, मुहम्मद साकी का मआसीरे-आलमगीर, सुजानाराय खत्री का खुलासानुत्तवारीख, भीमसेन का नुश्काए-दिलकुशा और ईश्वरदास का फतूहाते-आलमगीरी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार ब्रिटिश युग में बहुत-से हिन्दू और मुसलमान अंग्रेजों की योग्यता प्राप्त कर इस विदेशी भाषा में ग्रन्थ प्रणयन करने के लिये प्रवृत्त हुए, वैसे ही मुगल शासन में अनेक हिन्दुओं ने भी पश्चिम भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और उनके लिखे हुए पश्चिम भाषा के ग्रन्थ भाषा और शैली की दृष्टि में बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं। इस युग में राजकीय कार्यों के लिये पश्चिम भाषा का ही उपयोग होता था, और इसी कारण उच्च व सम्पन्न वर्ग के हिन्दू इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

श्रीरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम भाग में मुगल साम्राज्य में अव्यवस्था और अराजकता छा गयी थी। उसके उत्तराधिकारी निर्बल थे, और वे मुगल बादशाहत को अक्षुण्ण रखने में असमर्थ रहे। श्रीरंगजेब के बाद भारत की प्रधान राजशक्ति मुगलों के हाथों से निकलकर मराठों के हाथों में आ गयी। यही कारण है, कि पिछले मुगल बादशाहों के समय में पश्चिम साहित्य का अधिक विकास नहीं हो सका।

हिन्दी-साहित्य—हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मुगल-युग को 'सुवर्णयुग' माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि मुगल-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में जो शान्ति और सुव्यवस्थित शासन कायम हो गया था, उससे लाभ उठाकर अनेक प्रतिभाशाली कवि इस युग में हिन्दी काव्य-साहित्य के विकास में तत्पर हुए। हिन्दी भाषा का यह साहित्य प्रधानतया धार्मिक था। अफगान युग में हिन्दू धर्म में जो नई चेतना उत्पन्न हुई थी, उसके कारण सर्वसाधारण जनता में नवजीवन का संचार हो गया था। स्वामी रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य आदि सन्त-महात्माओं ने भारत के धार्मिक क्षेत्र में जो नई लहर चलाई थी, वह निरन्तर जोर पकड़ रही थी, और उससे प्रभावित होकर तुलसी मूर आदि कवियों ने एक ऐसी भक्तिमयी धारा का प्रवाह शुरू किया, जिससे भारत की सर्वसाधारण जनता ने बहुत शान्ति और सान्त्वना प्राप्त की।

तुलसी, मूर आदि कवियों का इस युग के धार्मिक इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है, क्योंकि उन्होंने अपने धार्मिक विचारों के प्रतिपादन के लिये ही काव्य के साधन का उपयोग किया था। उनके धार्मिक विचारों पर हम अगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। पर तुलसीदास जैसे व्यक्ति केवल सन्त महात्मा व धर्मसुधारक ही नहीं थे, अरिन्दु महाकवि भी थे। उनके काव्य हिन्दी साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं।

महाकवि तुलसीदास सोलहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए थे, और अकबर के समकालीन थे। स्वामी रामानन्द की शिष्यपरम्परा द्वारा रामभक्ति की जो परम्परा निरन्तर पुष्टि पा रही थी, तुलसीदास से उसे बहुत बल मिला। यद्यपि तुलसी का

अकबर के साथ कोई परिचय नहीं था, और उन जैसे सन्त को बादशाह के सम्पर्क व संरक्षण की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, तथापि इस युग के अनेक प्रतिष्ठित व समर्थ पुरुषों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ, जिनमें अब्दुरहीम खानखाना और राजा मानसिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब्दुरहीम खानखाना या 'रहीम' से उनकी समय-समय पर दोहों में लिखा-पढ़ी होती रहती थी, और इसके प्रति वे बहुत आदर का भाव रखते थे। तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े महाकवि हुए हैं, और उनके रामचरितमानस, विनय-यत्रिका आदि काव्य हिन्दी-साहित्य के अमोल रत्न हैं। तुलसी-रचित काव्य-ग्रन्थों में बारह प्रसिद्ध हैं, जिनमें पाँच बड़े और सात छोटे हैं। रामचरित-मानस को केवल काव्य के रूप में ही नहीं पढ़ा जाता, सर्वसाधारण जनता की दृष्टि में वह एक धर्मग्रन्थ की भी स्थिति रखता है। इसमें सन्देह नहीं, कि राजाओं के राज-महलों और गरीबों के भोंपड़ों में रामचरितमानस का समान रूप से आदर है, और इस एक ग्रन्थ ने उत्तरी भारत की जनता को कितना अधिक प्रभावित किया है, उतना सम्भवतः अन्य किसी पुस्तक ने नहीं किया।

तुलसी के समान ही राम की भक्ति का प्रतिपादन करने वाले अनेक ग्रन्थ सन्त-कवि इस युग में हुए, जिनमें नाभादास, हृदयराम और प्राणचन्द चौहान के नाम उल्लेखनीय हैं। पर अफगान युग के वैष्णव आचार्यों ने विष्णु की भक्ति केवल 'राम' के रूप में ही शुरू नहीं की थी। पुरुषोत्तम कृष्ण को विष्णु का अबतार मानकर उन्होंने कृष्ण-भक्ति की भी लहर चलाई थी। कृष्ण-भक्ति शाखा के भी बहुत-से सन्त-कवि इस युग में हुए, जिनमें सबसे प्रधान स्थान सूरदास और मीराबाई का है। सूरदास जी बाबर, हुमायूँ और अकबर के समकालीन थे, और मुगल बादशाहों के सम्पर्क व संरक्षण में आए बिना ही वे एक ऐसी काव्यधारा का सृजन कर रहे थे, जिसमें स्तान कर आज तक भी करोड़ों नर-नारी अपने को धन्य मानते हैं। सूरदास की कविता में अपूर्व माधुर्य है, और उनका एक-एक पद हृत्तन्त्री को झट्ट कर देने की क्षमता रखता है। कृष्ण की भक्ति में जिस ढंग के पदों का उन्होंने निर्माण किया, वे हिन्दी-साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं। मीराबाई मेडतिया के राठौर रत्नसिंह की पुत्री थी, और उदयपुर के महाराणा के कुमार भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही वे विधवा हो गयीं, और उन्होंने अपना सब ध्यान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। वे सोलहवीं सदी के मध्य भाग में हुई थी, और उनके गीत आज तक भी जनता में बहुत लोकप्रिय हैं। कृष्ण-भक्ति मार्ग के अन्य कवियों में कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुर्भुज-दास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, हरिदास, रसखान, ध्रुवदास और श्रीभट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब कवि मुगल युग में हुए थे, और इन्होंने कृष्ण की भक्ति में जो पद बनाए थे, वे आज तक भारत के भक्त समाज में आदर का स्थान रखते हैं। इनमें रसखान का एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये जन्म और धर्म से मुसलिम होते हुए भी कृष्ण के परम भक्त थे। हिन्दुओं के भक्तिमार्ग से मुसलिम लोग भी जिस प्रकार प्रभावित हो रहे थे, रसखान इसके उत्तम उदाहरण है।

हिन्दी काव्य का विकास इस युग में केवल सन्त कवियों द्वारा ही नहीं हुआ, अपितु मुगल बादशाहों और उनके अमीर-उमरावों के आश्रय में भी अनेक ऐसे कवि

हुए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें सर्वप्रधान स्थान अब्दुर्रहीम खानखाना का है। वह बैरम खाँ का पुत्र था, और अकबर के समय के सबसे बड़े अमीर-उमराओ में से एक था। अब्दुर्रहीम अरबी, पश्चिम और संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था, और अनेक विद्वानों व कवियों का आश्रय-दाता था। पश्चिम के अतिरिक्त हिन्दी में भी उसने कविता की। हिन्दी जानने वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो रहीम के दोहों से अपरिचित हो। मुगल दरबार में आश्रय पाने वाले अन्य कवियों में नरहरि, टोडरमल और बीरबल के नाम उल्लेखनीय हैं। अकबर के दरबार में नरहरि का बड़ा मान था और बादशाह ने उन्हें 'महापात्र' की उपाधि से विभूषित किया था। रुक्मिणी-मंगल, छप्पयनीति, कवित्त-संग्रह आदि अनेक पुस्तकों की इन्होंने रचना की। गंग अकबर के दरबारी कवि थे, और रहीम इन्हें बहुत मानते थे। कहते हैं, कि अब्दुर्रहीम खानखाना ने उनके एक छप्पय से प्रसन्न होकर उन्हें छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे। अकबर के दीवान टोडरमल हिन्दी में कविता भी करते थे, और वे संस्कृत के भी विद्वान् थे। अकबर के परम सखा बीरबल द्वारा विरचित अनेक हिन्दी कविताएँ भी इस समय मिलती हैं। मुगल-साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अकबर के समय में हिन्दी भाषा का इतना अधिक प्रचार था, कि बहुत-से मुसलमान भी हिन्दी में कविता करने लग गये थे। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि अब्दुर्रहीम खानखाना का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अकबर को स्वयं भी हिन्दी कविता का शौक था, और अनेक ऐसे कवित्त अब तक भी विद्यमान हैं जिन्हें 'साहि अकबर' का बनाया हुआ माना जाता है। हो सकता है, कि इन्हें बादशाह के नाम से उसके किनी दरबारी कवि ने बना दिया हो। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अकबर हिन्दी का संरक्षक था, और उसके आश्रय में अनेक हिन्दी कवि अपना निर्वाह करते थे। इस काल में अन्य भी अनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता की। आलम अकबर के समकालीन थे, जिन्होंने 'माधवानल काम कदला' नाम की प्रेम-कहानी दोहा-चौपाइयों में लिखी थी। इसी प्रकार जमाल, कादिर और मुबारक आदि अनेक मुसलमानों ने इस काल में हिन्दी में काव्य-रचना की। ये सभी कवि भक्ति-मार्ग के अनुयायी नहीं थे, और न इनकी कविता का उद्देश्य धार्मिक विचारों का प्रतिपादन ही था। ये कवि रस की अभिव्यक्ति के लिये काव्य की रचना करते थे, और इसमें सन्देह नहीं कि कला की दृष्टि से इनकी रचनाओं में बहुत सौन्दर्य है।

काव्य के विकास के साथ-साथ हिन्दी में अनेक ऐसे लेखक व कवि भी उत्पन्न होन शुरू हुए, जिन्होंने कि संस्कृत के अनुकरण में हिन्दी में भी अलंकार ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकार के साहित्यिकों में केशवदास सर्वप्रधान हैं। ये भी अकबर के समकालीन थे, और अोरछा नरेश महाराजा रामसिंह के भाई इन्द्रजीतसिंह की राजसभा में इन्हें बहुत मान प्राप्त था। अोरछा का राज्य इस समय मुगलों के अधीन था, और उसके राजा की स्थिति मुगलों के सामन्त के सत्त्व थी। केशवदास संस्कृत के पण्डित थे, और हिन्दी में भी उन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय साहित्यिक पद्धति का अनुसरण किया। उन्होंने अलंकारों पर 'कविप्रिया' और रस पर 'रसिक प्रिया' लिखी। इनके अतिरिक्त कतिपय काव्य-ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे, जिनमें अलंकार आदि की प्रचुरता है। सेनापति

नाम के एक अन्य कवि भी सतरहवीं सदी में हुए, जिनका हिन्दी काव्य-साहित्य में अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुगल-युग के बहुत-से हिन्दू और मुसलमान अमीर-उमरा भी बादशाहों के समान ही साहित्य-प्रेमी थे, और कवियों का संरक्षण व प्रोत्साहन करना गौरव की बात समझते थे। विशेषतया, राजपूत राजाओं ने हिन्दी कवियों व साहित्यिकों को आश्रय देने में बहुत उत्साह दिखाया। केशवदास के समान इस युग के अन्य अनेक कवियों ने भी राजपूत राजाओं के दरबार में आश्रय पाकर निश्चिन्तता के साथ साहित्य-सृजन का कार्य किया।

अकबर के काल के बाद हिन्दी के जो कवि हुए, उनमें बिहारी लाल, महाराज जसवन्तसह, मतिराम, भूषण और घन आनन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब कवि सतरहवीं सदी में या अठारहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में हुए थे। अकबर के समय में हिन्दी कवियों ने जो अपूर्व प्रतिभा प्रदर्शित की थी, वह बाद के कवियों में नहीं पायी जाती। पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्पूर्ण मुगल-युग में हिन्दी साहित्य निरन्तर उन्नति करता रहा। औरंगजेब जैसे धर्मान्ध मुसलिम बादशाह से यह आशा नहीं की जा सकती थी, कि अकबर के समान वह भी हिन्दी कवियों का आदर करता। पर उसकी हिन्दू-विरोधी नीति के कारण भारत में जो विद्रोह की भावना प्रारम्भित हुई, वह भूषण जैसे कवियों के काव्य में प्रगट हुई, और शिवाजी जैसे वीर द्वारा उन्हें प्रोत्साहन व संरक्षण प्राप्त हुआ।

दक्षिणापथ में भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होंने हिन्दी में काव्य रचना की। ये कवि प्रायः सब मुसलमान थे। दक्षिण की भाषा हिन्दी नहीं थी। पर वहाँ मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था। शासक व सैनिक के रूप में जो बहुत-से मुसलमान व हिन्दू इस युग में उत्तरी भारत से दक्षिण में गये, उनकी भाषा हिन्दी ही थी। इसी कारण उन्होंने पश्चिम शब्दों से मिश्रित हिन्दी भाषा में कविता की। इन मुसलिम कवियों की भाषा को उर्दू और हिन्दी दोनों ही समझा जा सकता है, पर उसमें आजकल की उर्दू के समान अरबी व पश्चिम शब्दों की भरमार नहीं है।

बंगाली साहित्य—महाप्रभु चैतन्य द्वारा बंगाल में भक्ति को जिस लहर का प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं। वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर मुगल-युग में बंगाल में अनेक ऐसे साहित्यिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने नवीन साहित्य का सृजन किया। कृष्णदास कविराज (जन्मकाल १५३१ ई०) ने इसी युग में चैतन्य-चरितामृत नाम से महाप्रभु का जीवन-चरित्र लिखा। इस काल के वैष्णव-साहित्य में वृन्दावनदास (जन्म काल १५०७ ई०) का चैतन्य-भागवत, जयानन्द (जन्म-काल १५१३ ई०) का चैतन्य-बंगल, त्रिलोचनदास (जन्म १५२३ ई०) का चैतन्यमंगल और नरहरि चक्रवर्ती का भक्ति-रत्नाकर विशेष महत्त्व रखते हैं। इसी काल में अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया गया। इन अनुवाद-ग्रन्थों में काशीराम दास की महाभारत और मुकुन्दराम चक्रवर्ती की कवि-कंकणचण्डी उल्लेखनीय हैं। मुकुन्दराम चक्रवर्ती द्वारा विरचित इस पुस्तक का बंगाल में बड़ी स्थान है, जो कि उत्तरी भारत में तुलसीकृत रामचरितमानस का है।

(३) धर्म

तुलसी और रामभक्ति की लहर—अफगान युग में हिन्दू-धर्म में नवजागृति की जो लहर शुरू हुई थी, मुगल काल में उसे और अधिक बल मिला। स्वामी रामानन्द द्वारा राम भक्ति की जो परम्परा प्रारम्भ की गयी थी, तुलसीदास ने उसे जनसाधारण तक पहुँचा दिया। भारतीय इतिहास में तुलसी का महत्त्व एक महाकवि के रूप में उतना नहीं है, जितना कि एक नवीन धार्मिक लहर को जनसाधारण तक पहुँचाने वाले धर्म-प्रचारक व सुधारक के रूप में है। आज उत्तरी भारत की बहुसंख्यक जनता संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण वेदशास्त्रों के मर्म से परिचित होने के लिये वेद, ब्राह्मणग्रन्थ व उपनिषद् आदि का अध्ययन करने में असमर्थ है। पर इस कारण उसे भारतीय धर्म की प्राचीन विचारसरणी से अपरिचित रहने की आवश्यकता नहीं है। राम के चरित्र को निमित्त बनाकर तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' में उस सब ज्ञान को सरल भाषा में लिख दिया है, जो वेद-शास्त्र में विद्यमान है। उपनिषदों का अध्यात्म-वाद, दर्शनो का तत्त्वचिन्तन और पुराणों की गाथाएँ—ये सब रामचरितमानस में उपलब्ध हैं; और वे भी ऐसी सरल भाषा में जिसे कि सर्वथा निरक्षर व्यक्ति भी सुगमता के साथ समझ सकता है। हिन्दू धर्म, सभ्यता, संस्कृति और विचारसरणी में जो कुछ भी उत्कृष्ट तत्त्व है, तुलसी ने रामचरितमानस में उन सबका अत्यन्त सुन्दर रूप में समावेश कर दिया है। मध्यकालीन यूरोप में क्रिश्चियन लोग बाइबिल का अध्ययन लैटिन भाषा में किया करते थे। लैटिन सर्वसाधारण लोगों की भाषा नहीं थी। इसलिए केवल सुशिक्षित पादरी ही अपने धर्म ग्रन्थों के उपदेशों को जान सकने का भ्रवसर प्राप्त कर सकते थे। मध्य काल के अन्त में जब प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन शुरू हुआ, तो उसके नेताओं ने बाइबिल का लोकभाषाओं में अनुवाद किया, ताकि लैटिन से अपरिचित सर्वसाधारण लोग अपने धर्म के मान्य ग्रन्थ का अनुशीलन करने में समर्थ हों। तुलसीदास जी ने यही कार्य हिन्दू धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध में किया। उन्होंने वेद-शास्त्रों का अनुवाद तो नहीं किया, पर उन सब के तत्त्व व सार को स्वतन्त्र रूप से सरल कविता में इस ढंग में अभिव्यक्त किया, कि सर्वसाधारण जनता के लिये अपने धर्म के सिद्धान्तों व आख्यानो को जान सकना बिलकुल सुगम हो गया। धार्मिक क्षेत्र में तुलसी का यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। पर उनका कार्य केवल यही तक सीमित नहीं था। उन्होंने विष्णु के अवतार भगवान् राम को एक ऐसे रूप में जनता के सम्मुख रखा, जो धनुष बाण हाथ में लेकर राक्षसों का संहार करने में तत्पर था। बासुरी बजाकर भक्तों के मन को मोह लेने वाले कृष्ण का रूप उन्हें आकृष्ट नहीं करता था। उनका मस्तक उस भगवान् के सम्मुख झुकता था, जो हाथ में धनुष बाण धारण करता है। उस युग की यही सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इसमें सन्देह नहीं, कि तुलसीदास के प्रयत्न से जहाँ भारत में रामभक्ति की लहर लोकप्रिय हुई, वहाँ जनता में वीरता और आशा का भी संचार हुआ। जो हिन्दू जाति अफगान-युग में तुर्कों व अफगान विजेताओं से निरन्तर आक्रान्त होती रही थी, और निरन्तर पराजयों के कारण जिसमें हीन भावना उत्पन्न हो गयी थी, वह अब धनुष-बाण की सहायता से राक्षसों के हाथ में पड़ी हुई सीता का

उद्धार करने वाले राम को अपना आदर्श मानकर नये जीवन और स्फूर्ति से परिपूर्ण हो गयी, और उसने मुगल साम्राज्य में वह स्थान प्राप्त कर लिया, जो उसके लिये उपयुक्त था। अत्याचारी व अधार्मिक रावण का नाश करने वाले राम के वीर और पुनीत चरित्र को जनता के सम्मुख रखकर तुलसीदास ने कहा—

‘राम राज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम सदा विजयी हैं’

इस सन्देश से—राम के सदा विजयी होने की बात से हिन्दू जाति में नवीन उत्साह का संचार हुआ, और वह भारत में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध हो गई।

कृष्ण भक्ति—सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा के अत्यन्त आचार्य श्री वल्लभाचार्य ने वृन्दावन को अपना केन्द्र बनाकर कृष्ण के पुरुषोत्तम रूप की भक्ति की जो लहर चलाई थी, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं, और सब गुणों से सम्पन्न होने के कारण वे पुरुषोत्तम कहाने हैं। आनन्द की पूर्ण अभिव्यक्ति कृष्ण के इसी पुरुषोत्तम रूप में होती है, और इस रूप में जो लीलाये वे करते हैं, वे भी नित्य हैं। भगवान् कृष्ण की नित्य लीला में अपने को आत्मसात् कर देना ही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट गति है। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्द्धन पर्वत (वृन्दावन में) पर एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया, जो कृष्ण की भक्ति का प्रधान केन्द्र बन गया। वल्लभाचार्य के बाद वृन्दावन में अन्त्येष्टि के कृष्णभक्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को जन-साधारण में प्रचारित करने के लिये बहुत-से सुन्दर पदों की रचना की। इनमें ‘अष्टछाप’ के कवि सर्वप्रथम हैं। वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विट्ठलनाथ जो उनकी गद्दी के स्वामी बने थे। उन्होंने कृष्ण के भक्त आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर ‘अष्टछाप’ की स्थापना की। ये आठ कवि निम्नलिखित थे—मूरदाम, कुम्भनदास, परमानन्ददास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्मुंजदास और नन्ददास। इनमें मूरदास का स्थान सर्वोच्च है, और उन्होंने कृष्ण की भक्ति का जनता में प्रसार करने के लिये अपने गीतों द्वारा जो अनुपम कार्य किया, वह भी वस्तुतः अद्वितीय है। ये सब कवि अकबर के समकालीन थे, और इनके भक्ति-गीतों से न केवल हिन्दू अपितु मुसलमान भी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। यही कारण है, कि सम्पूर्ण मुगल काल में बहुत-से ऐसे कवि होते रहे, जो अपने मधुर गीतों द्वारा जनता में कृष्णभक्ति की भावना का संचार करते रहे।

सिक्ख धर्म—अफगान युग में हिन्दू धर्म में नव-जागृति की जो लहर प्रारम्भ हुई थी, उसमें गुरु नानक का स्थान बहुत महत्व का था। नानक की दृष्टि में हिन्दू और मुसलमान एक समान थे, और उनकी शिक्षा को सब लोग समान रूप से ग्रहण कर सकते थे। नानक के अनुयायी सिक्ख (शिष्य) कहाते थे। उनकी शिष्य परम्परा में दस गुरु हुए, जिनमें अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह थे। गुरु के सिक्ख गुरुओं का रूप प्रायः उसी ढंग का था, जैसा कि रामानुजाचार्य व रामानन्द आदि की शिष्य परम्परा के आचार्यों का था। पर धीरे-धीरे सिक्ख पन्थ में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और वह केवल एक धार्मिक सम्प्रदाय ही न रह कर एक राजनीतिक शक्ति भी बन गया। जहाँगीर के समय

में सिक्खों के गुरु अर्जुनदेव थे। जब राजकुमार खुसरो (जहाँगीर का ज्येष्ठ पुत्र) अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लाहौर जा रहा था, तो गुरु अर्जुनदेव ने उसे आश्रय प्रदान किया। इस बात पर जहाँगीर बहुत नाराज हुआ, और जब खुसरो के सहायकों को भयंकर दण्ड दिये गये, तो अर्जुनदेव भी मुगल बादशाह के कोप के शिकार बने। उन पर जुर्माना किया गया, और जब उन्होंने जुर्माना देने से इन्कार किया, तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया गया। गुरु अर्जुनदेव समझते थे, कि उनके पास जो कुछ भी सम्पत्ति है, वह पन्थ व ईश्वर की है, उसे वे जुर्माना अदा करने के लिये प्रयुक्त करने का कोई अधिकार नहीं रखते। इस घटना ने सिक्ख धर्म के इतिहास में भारी परिवर्तन किया, क्योंकि सिक्ख लोग अपने गुरु की हत्या को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने को संगठित करना शुरू किया, और इस प्रकार वे धार्मिक सम्प्रदाय के साथ-साथ एक राजनीतिक शक्ति भी बन गए।

सिक्खों के नवे गुरु तेगबहादुर थे, जो औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब किस प्रकार हिन्दू विरोधी नीति का आश्रय लेकर हिन्दुओं पर जजिया लगाने और उनके मन्दिरों को गिरवाने के लिये प्रयत्नशील था, इसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं। गुरु तेगबहादुर ने औरंगजेब की इस नीति का विरोध किया। जब बादशाह को यह बात मालूम हुई, तो उसे बहुत क्रोध आया। गुरु तेगबहादुर को दिल्ली बुलाया गया, और उन पर यह अभियोग लगाया गया, कि उन्होंने बादशाह के विरुद्ध बगावत फैलायी है। तेगबहादुर के सम्मुख दो विकल्प पेश किये गये, या तो वे इस्लाम को स्वीकार कर लें, अन्यथा उन्हें प्राण-दण्ड दिया जाएगा। तेगबहादुर ने हमारा विकल्प चुना। बड़ी कूरता के साथ दिल्ली में उनका वध किया गया। गुरु के कत्ल का हाल जानकर सिक्खों में सनमनी फैल गयी। वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिये उठ खड़े हुए। एक छोटे में धार्मिक सम्प्रदाय के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह शक्तिशाली मुगल बादशाह का सामना कर सकता। पर इस समय सिक्खों में एक महा-पुरुष उत्पन्न हुआ, जिनसे उन्हें भली-भाँति संगठित कर एक प्रबल शक्ति के रूप में परिणत कर दिया। यह महापुरुष गुरु गोविन्द सिंह थे, जो सिक्खों के दसवें व अन्तिम गुरु थे। गोविन्द सिंह ने सिक्खों को एक प्रबल सैन्य शक्ति बना दिया। वह कहा करते थे—'चिड़ियों से मैं बाज लडाऊँ, तो गुरु गोविन्द सिंह कहाऊँ।' सचमुच उन्होंने पंजाब की चिड़ियों को बाज के साथ लड़ने के योग्य बना दिया। उन्होंने प्रत्येक सिक्ख के लिये पाँच ककतों का धारण करना आवश्यक कर दिया। पाँच ककते ये थे—कषा, कच्छ, कडा, केश और कृपाण। इनका उद्देश्य यह था, कि सिक्ख सिपाहियों की तरह रहे और सैनिक कार्य को गौरव की बात समझें।

गुरु गोविन्दसिंह राजाओं के समान रहते थे। पर मुगल-साम्राज्य के सम्मुख उनकी शक्ति कितनी कम है, इसका भी उन्हें ज्ञान था। इसलिए उन्होंने पंजाब के पहाड़ों को अपना केन्द्र बनाया, और समय-समय पर वहाँ से निकलकर मुगल छावनियों पर आक्रमण करने शुरू किये। मुगलों ने गुरु गोविन्दसिंह व उनके 'खालसा' को कुचल डालने के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखी। गुरु के दोनों लड़के पकड़े गये, और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिये कहा गया। पर वे इसके लिये तैयार नहीं हुए। इस पर

उन्हे जीते-जी दीवार में चुनवा दिया गया, पर वे धर्म से डिगे नहीं। औरंगजेब की मृत्यु तक गोविन्दसिंह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो सिक्खों को अपने उत्कर्ष का अपूर्व अवसर हाथ लगा। गोविन्दसिंह सिक्खों के अन्तिम गुरु थे। उन्होंने अपने बाद के लिये कोई गुरु निश्चित नहीं किया था। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि भविष्य में ग्रन्थ-साहब ही सिक्खों के गुरु का कार्य करें। ग्रन्थ साहब में सिक्ख-गुरुओं की वाणियाँ संगृहीत हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने धार्मिक दृष्टि से जहाँ ग्रन्थ साहब को अपना उत्तराधिकारी नियत किया, वहाँ सिक्खों का सैनिक नेतृत्व उन्होंने बन्दा को सौंप दिया। बन्दा वैरागी सम्प्रदाय का था, तथा युद्ध-विद्या और सैन्य संचालन में अत्यन्त निपुण था। उसने गोविन्दसिंह के लड़कों की हत्या का बदला लेने के लिये सरहिन्द पर हमला किया, और वहाँ के फौजदार को परास्त कर सरहिन्द पर कब्जा कर लिया। इसी नगर में गोविन्दसिंह के पुत्रों को जीते-जी दीवार में चुनवाया गया था। सरहिन्द पर कब्जा करने के बाद भी बन्दा बहादुर निरन्तर मुगलों से संघर्ष करता रहा। मुगल बादशाहों को उसके कारण अनेक सफटों का सामना करना पड़ा। अन्त में सन् १७१६ में बादशाह फर्रुखसियर उस गिरफ्तार करने में सफल हुआ। बन्दा का बड़ी निर्दयता के साथ वध किया गया, और ग्रन्थ भी बहुत-से सिक्खों को कत्ल किया गया। पर इन अत्याचारों से सिक्ख दबे नहीं। उनकी शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गयी। अन्त में नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण जब पंजाब में मुगलों की शासन-शक्ति अस्त-व्यस्त हो गयी, तो सिक्खों ने पंजाब में अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये।

भारत के आधुनिक इतिहास में सिक्ख पन्थ का महत्त्व बहुत अधिक है। अफगान-युग में जो अनेक सन्त व धर्म-मुधारक उत्पन्न हुए थे, उनमें अकेले गुरु नानक ही ऐसे थे, जिनकी शिष्य परम्परा आगे चलकर एक ऐसे पन्थ के रूप में परिवर्तित हो गयी, जिसमें अपूर्व जीवनी शक्ति है। रामानन्द, बल्लभाचार्य और चैतन्य की शिष्य-परम्परा ने अपने अनुयायियों को चाहे कितनी ही शक्ति प्रदान की हो, पर उसके कारण उनके सम्प्रदायों में उस ढग के नवजीवन का संचार नहीं हुआ, जैसा कि सिक्ख पन्थ में हुआ। जात-पात व ऊँच-नीच के भेद का विरोध आदि बातों पर नानक और रामानन्द एक दृष्टिकोण रखते थे। पर रामानन्द व बल्लभाचार्य आदि भक्तिमार्गी आचार्यों के अनुयायी इनसे ऊपर उठने में उस अंश में सफल नहीं हुए, जैसे कि नानक के अनुयायी सिक्ख लोग हुए। सिक्ख पन्थ प्राचीन हिन्दू-धर्म का एक ऐसा परिष्कृत रूप है, जिसमें उन बुराईयों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, जो कि प्राचीन हिन्दू धर्म में देर से विकसित हो रही थी। पर यह बात अफगान-युग में प्रादुर्भूत हुए ग्रन्थ हिन्दू-सम्प्रदायों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती।

चीने-इलाही—चिरकाल तक देश में एक साथ निवास करने के कारण हिन्दुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आने की जो प्रवृत्ति अफगान-युग में प्रारम्भ हुई थी, मुगल-काल में वह बहुत अधिक जोर पकड़ गयी। अकबर धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु था, और उसकी सहिष्णुता की नीति का जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी अनुसरण किया था। इन मुगल बादशाहों ने हिन्दुओं के साथ वैवाहिक

सम्बन्ध स्थापित किये थे, और इनकी हिन्दू रानियाँ विवाह के बाद भी अपने धर्म पर दृढ़ रही थी। यह स्वाभाविक था, कि इनका असर मुगल बादशाहों पर पड़ता। अकबर की धार्मिक नीति पर जहाँ उसकी हिन्दू पत्नियों का असर हुआ, वहाँ साथ ही शेख मुबारक और उसके पुत्र अब्दुल फजल और फैजी के विचारों का भी उस पर प्रभाव पड़ा। ये सूफ़ी सम्प्रदाय के थे, और धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार विचार रखते थे। इनके ससर्ग से अकबर के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और इनके परामर्श से अकबर ने अपनी राजधानी फतहपुर सीकरी में एक इबादतखाने (पूजागृह) का निर्माण कराया। प्रति वृहस्पतिवार को यहाँ एक सभा होती थी, जिसमें हिन्दू, पारसी, यहूदी, ईसाई, शिया, सुन्नी आदि विविध सम्प्रदायों के विद्वान् धार्मिक विषयों पर विचार करते थे। अकबर स्वयं इस सभा में सभापति का आसन ग्रहण करता था, और विविध धर्माचार्यों के विचारों का ध्यानपूर्वक श्रवण करता था। विविध धर्मों के विद्वानों के विचारों को सुनने के कारण अकबर के धार्मिक विश्वासों में बहुत परिवर्तन आया, और इस्लाम के प्रति उसका विश्वास शिथिल होने लगा।

जिन विविध आचार्यों के सम्पर्क में आने के कारण अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, उनमें से कतिपय के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दू-धर्म का अकबर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में पुरुषोत्तम और देवी प्रधान थे। देवी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम, महामाया आदि के वास्तविक स्वरूप का अकबर को उपदेश दिया, और वह बहुधा उससे धर्मचर्चा किया करता था। जैन-धर्म का अकबर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले आचार्य हीरविजय सूरि, विजयसेनसूरि, भानुचन्द्र उपाध्याय और जितचन्द्र थे। १५७८ के बाद कोई-न-कोई जैनाचार्य सदा अकबर के दरबार में रहा करता था। हीरविजय के उपदेशों से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ निश्चित तिथियों में पशुहिंसा का भी निषेध कर दिया था। पारसी धर्म के आचार्य दस्तूर मेहरजी राना ने अकबर को जरदुष्ट के धर्म का उपदेश किया था, और उसी के प्रभाव के कारण अकबर ने सूर्य की पूजा प्रारम्भ की थी, जो पारसियों की उपास्य अग्नि का सबसे ज्वलन्त व प्रत्यक्ष रूप है। ईसाई धर्म से परिचय प्राप्त करने के लिये अकबर ने गोआ से पोर्तुगीज पादरियों को अपने दरबार में निमन्त्रित किया था। पर इस युग के ईसाई पादरी हिन्दुओं, जैनियों और पारसियों के समान सहिष्णु नहीं थे। उन्होंने अकबर के दरबार में आकर कुरान और पैगम्बर पर इस ढंग से आक्षेप शुरू किये, कि मुसलिम लोग उनसे बहुत नाराज हो गये। सिक्ल गुरुओं के प्रति भी अकबर की बहुत श्रद्धा थी, और वह उनकी वाणियों को बड़े आदर के साथ सुनता था।

विविध धर्मों के आचार्यों की शिक्षाओं को श्रवण कर अकबर ने इस बात की कोशिश की, कि एक ऐसे नये धर्म का विकास किया जाए, जिसमें सब धर्मों की अच्छी-अच्छी बातों का समावेश रहे। इस नये धर्म का नाम दीने-इलाही रखा गया। अकबर स्वयं दीने-इलाही का प्रवर्तक और गुरु बना। इस धर्म का मुख्य सिद्धान्त यह था, कि ईश्वर एक है, और अकबर उसका पैगम्बर है। मनुष्यों को सत्य-असत्य का निर्णय करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और किसी पर अन्धविश्वास नहीं रखना चाहिए। दीने-इलाही के अनुयायी मंस-भक्षण से परहेज करते थे, और पशु-हिंसा को पाप मानते

थे। अकबर प्रातःकाल के समय सूर्य को नमस्कार करता था, और अग्नि को दैवी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप समझता था। उसके बहुत-से दरबारी दीने-इलाही के अनुयायी बन गए, पर ऐसा करने में उनका प्रधान हेतु बादशाह को प्रसन्न करना ही था। वे इम नए धर्म के सिद्धान्तों से आकृष्ट होकर इसके अनुयायी नहीं बने थे। यही कारण है, कि यह धर्म देर तक नहीं चल सका, और अकबर के साथ इसकी भी समाप्ति हो गई। यद्यपि दीने-इलाही सम्प्रदाय ने भारत में अपना कोई स्थिर प्रभाव नहीं छोड़ा, पर वह इस युग की धार्मिक प्रवृत्तियों का मूल रूप था। सदियों से एक साथ निवास करते हुए हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के इतने समीप आ गए थे, कि दीने-इलाही जैसे धर्म का विकास सम्भव हो सका था। यदि जहाँगीर और शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह को मुगल साम्राज्य के राजसिंहासन पर आरूढ़ होने का अवसर मिलता, तो हिन्दू धर्म और इस्लाम के सामंजस्य की इस प्रवृत्ति को और अधिक बल मिलता। पर दुर्भाग्य से औरंगजेब के बादशाह बन जाने के कारण यह प्रवृत्ति निबल पड़ गयी, और उसकी हिन्दू-विरोधी नीति के कारण हिन्दू लोग मुगल बादशाहत के खिलाफ उठ खड़े हुए।

धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की प्रवृत्ति—अफगान युग के सत्य-वीर सम्प्रदाय के समान मुगल युग में भी अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सम्प्रदाय सतनामी और नारायणी थे। नारायणी सम्प्रदाय के अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों थे, और वे पूर्व की ओर मुड़ करके दिन में पाँच बार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामों में 'अल्लाह' को भी अन्तर्गत करते थे, और अपने मुँहों को जलाने के बजाय जमीन में गाड़ा करते थे। इसी युग के एक साधक प्राणनाथ ने एक नया आन्दोलन चलाया, जिसमें जातिभेद, मूर्तिपूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का खंडन किया जाता था। प्राणनाथ गुजरात का निवासी था, और हिन्दू मुसलमान दोनों उसके अनुयायी थे। उससे दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को हिन्दू और मुसलमान दोनों के साथ बैठकर भोजन करना पड़ता था। प्राणनाथ कहता था, कि हिन्दू और मुसलमान सबका एक धर्म व एक ईमान होना चाहिए।

मुगल-युग की ये प्रवृत्तियाँ यदि जोर पकड़ती रहती, तो भारत में हिन्दू मुसलिम समस्या उत्पन्न ही न हो पाती। पर औरंगजेब के समय के बाद ये प्रवृत्तियाँ निबल होती गयीं, और हिन्दुओं व मुसलमानों में सामंजस्य की प्रक्रिया बहुत कुछ रुक गई। ब्रिटिश युग में भारत के विविध धर्मों में जो जागरण हुआ, उसके कारण तो यह प्रक्रिया एकदम समाप्त हो गई, और हिन्दू व मुसलमान बहुत कुछ उसी प्रकार दो बर्गों में विभक्त हो गए, जैसे कि तुर्क-अफगान युग के प्रारम्भ में थे।

(४) वास्तु कला

जिस प्रकार अफगान-युग में प्रादुर्भूत हुई धार्मिक जागृति और साहित्यिक उन्नति की प्रक्रिया मुगल युग में भी जारी रही, उसी प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय कला और मुसलिम कला के सम्पर्क से विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण की जो शैली अफगान-युग में प्रारम्भ हुई थी, मुगलकाल में वह निरन्तर विकास को प्राप्त

करती रही। यही कारण है, कि मुगल-युग की इमारतों पर हिन्दू और मुसलिम कलाओं के सम्मिश्रण का प्रभाव स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है। औरंगजेब को छोड़कर अन्य सब मुसलिम बादशाह वास्तु-कला के प्रेमी थे, और उनके संरक्षण में अनेक सुन्दर इमारतें इस देश में निर्मित हुईं। धार्मिक कट्टरता के कारण औरंगजेब कला का विरोधी था, और उसकी शक्ति का उपयोग निर्माण की बजाय विनाश के लिए अधिक हुआ था। उसने बहुत-से मन्दिरों को भूमिसात् तो किया, पर किसी उत्कृष्ट इमारत के निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता उसने कभी अनुभव नहीं की। मन्दिरों को गिरवाकर जो अनेक मस्जिदें उसने बनवाईं, वे वास्तु-कला की दृष्टि से अधिक महत्व की नहीं हैं।

बाबर—बाबर बहुत कम समय तक भारत में शासन कर सका था। पाँच साल के लगभग के स्वल्प शासन काल में भी उसका ध्यान वास्तु-कला की ओर आकृष्ट हुआ। उसने कान्स्टेन्टिनोपल में शिल्पियों को इस उद्देश्य से भारत निमन्त्रित किया, कि वे यहाँ आकर नई शैली के अनुसार मसजिदों व अन्य इमारतों का निर्माण करें। उन दिनों कान्स्टेन्टिनोपल वास्तु-कला का महत्वपूर्ण केन्द्र था, और वहाँ के अनेक शिल्पी अपनी विविष्ट शैली के अनुसार भवन निर्माण में तत्पर थे। पर भारत की किन्हीं भी इमारतों पर कान्स्टेन्टिनोपल की वास्तु-कला का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः यह कह सकना कठिन है, कि बाबर सुदूर तुर्की से वास्तु-शिल्पियों को भारत बुलाने की अपनी योजना को क्रियान्वित करने में सफल हो सका था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि बाबर ने अनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण करवाया था, जिनमें इस समय केवल तीन ही विद्यमान हैं। पानीपत की काबुली बाग मसजिद, सम्भल की जामा मसजिद और आगरा के पुगने (नोदी) किले में विद्यमान मसजिद बाबर के समय की ही कृतियाँ हैं। पर इनके अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, भवानियर, वियाना और सीकर में भी उसने अनेक इमारतें बनवाई थीं, जिनका उल्लेख बाबरनामा में किया गया है। दुर्भाग्यवश, ये इमारतें अब नष्ट हो चुकी हैं।

हुमायूँ—हुमायूँ के समय की केवल दो मसजिदें इस समय विद्यमान हैं। उनमें से एक आगरा में है, और दूसरी हिमाचल जिले के फतहाबाद कस्बे में। इन इमारतों पर पश्चिम वास्तु-कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है। हुमायूँ के शासनकाल के मध्य में ही अफगान नेता शेरशाह का दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस कारण हुमायूँ इमारतों के बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दे सका। पर इस युग की वास्तु-कला के इतिहास में शेरशाह का स्थान बहुत महत्व का है। दिल्ली के पुराने किले में जो मसजिद है, वह और इस किले की प्राचीर के अनेक भाग शेरशाह की ही कृतियाँ हैं। बिहार के जिले में सहसराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा है, जो इण्डो-मुसलिम वास्तु-कला का अन्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताज-महल और सहसराम के इस मकबरे में कई दृष्टियों में समता है।

अकबर—अकबर का शासनकाल जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के लिए सुवर्णीय युग था, वैसे ही वास्तु-कला की दृष्टि से भी वह सुवर्णीय था। अकबर को वास्तु-कला का बहुत शौक था, और जैसा कि प्रबुल फजल ने लिखा है, पत्थर और मिट्टी के इन 'परिधानों' का आयोजन करने में वह स्वयं भी बहुत दिलचस्पी लेता था। अकबर की

वास्तुकृतियों संख्या में बहुत अधिक है। कितने ही किलो, प्रासादों, बुर्जों, सरायों, मदरसों और जलाशयों का उसने निर्माण कराया। उसके समय की वास्तु-कला में हिन्दू, जैन, पश्चिम आदि विविध कलाओं का बहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। जिस प्रकार धर्म के मामले में अकबर समन्वय और सामञ्जस्य की नीति का समर्थक था, और हिन्दू धर्म के अनेक तत्व उसने अपना लिए थे, वैसे ही वास्तुकला के क्षेत्र में भी उसने समन्वय की नीति को अपनाया, और प्राचीन भारतीय कला का उदारतापूर्वक उपयोग किया। अकबर के समय की सबसे पुरानी इमारत हुमायूँ का मकबरा है, जो दिल्ली में अब तक भी विद्यमान है। यह १५६५ में बनकर तैयार हुआ था। कला की दृष्टि से यह भारतीयता के उतने समीप नहीं है, जितना कि पश्चिम कला से प्रभावित है। पर इसमें रंगीन टाइलों का प्रयोग नहीं हुआ है, जो कि पश्चिम गैली की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उसके बजाय इसमें भारतीय गैली के अनुसार मंगमरमर पत्थर का उदारतापूर्वक उपयोग किया गया है। रणथम्बोर की विजय से वापस लौटते हुए अकबर ने १५६६ में फतहपुर सीकरी की नींव डाली, जो बाद में कुछ समय तक मुगलों की राजधानी भी रहा। यह नगर अब तक भी विद्यमान है, यद्यपि मुगल-युग में इसके विशाल प्रासाद प्रायः गैर-आबाद ही पड़े रहे, और अब भी वे झूले वी नगरी के मशह प्रतीत होते हैं। फतहपुर सीकरी की इमारतों में सबसे प्रसिद्ध जामा मसजिद और बुलन्द दरवाजा है। बुलन्द दरवाजे का निर्माण अकबर ने दक्षिण की विजय के उपलक्ष्य में करावाया था, और नि सन्देह यह भारत का सबसे ऊँचा व विशाल विजय-द्वार है। ऊँचाई में यह १६७ फीट है, और वास्तु-कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है। फतहपुर सीकरी की अन्य इमारतों में राजा बीरबल का प्रसिद्ध सोनहरा मकान, ख्वाबगाह, दीवाने-खास और इबादतखाना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि ये इमारतें बहुत अधिक विशाल नहीं हैं, पर सौन्दर्य और कला की दृष्टि से ये सचमुच अनुपम हैं। इन्हीं की दृष्टि में रखकर ऐतिहासिक स्मिथ ने फतहपुर सीकरी के विषय में लिखा है, कि यह नगर प्रस्तुत द्वारा निर्मित एक काव्य के समान है, जो कि अपना सानी नहीं रखता। अकबर की इमारतों में सबसे महत्त्वपूर्ण सिकन्दरा का मकबरा है। इसका निर्माण अकबर ने शुरू कराया था, और जहाँगीर के समय में यह पूर्ण हुआ। इसे बौद्ध-विहारों के नमूने पर बनाया गया है। शुरू में इसका जो नक्शा तैयार किया गया था, उनके अनुसार इसका गुम्बज मंगमरमर पत्थर का और इसके अन्दर की छत सोने की होनी चाहिए थी। यदि ऐसा कर दिया जाता, तो नि.सन्देह बादशाह अकबर का यह मकबरा सौन्दर्य में अद्वितीय हो जाता। पर इसके बिना भी यह अत्यन्त सुन्दर और कलात्मक है, और अकबर जैसे महान् सम्राट् के अनुरूप है। फतहपुर सीकरी के बाद अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, और वहाँ के निवास के लिए लाल किले का निर्माण कराया, जिसके प्रासाद व दीवाने-आम और दीवाने-खास वस्तुतः दर्शनीय हैं। आगरा के किले के प्रासाद को 'जहाँगीर महल' कहते हैं, जिसे कि हिन्दू वास्तुकला के अनुसार बनाया गया है। फतहपुर सीकरी, आगरा और सिकन्दरा की इन इमारतों के अतिरिक्त अकबर ने इलाहाबाद और लाहौर में भी बहुत-सी इमारतें बनवायी थीं। विलियम फिन्च ने लिखा है, कि इलाहाबाद के महल के निर्माण में चालीस साल लगे, और उसमें

पाँच हजार से बीस हजार तक शिल्पी व मजदूर चालीस वर्षों तक निरन्तर काम करते रहे। आगरा के किले के समान लाहौर में भी अकबर ने एक विशाल किले का निर्माण कराया था।

जहाँगीर—जहाँगीर को चित्रकला का बहुत शौक था, और उसने वास्तु-कला की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण है, कि उनके समय में अधिक इमारतें नहीं बन पाईं। पर उसकी मलिका नूरजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, और उसने अपने पिता इतिमादुद्दौला का जो मकबरा आगरा में बनवाया, वह सौन्दर्य और कला की दृष्टि से वस्तुतः अनुपम है। यह मकबरा मगधरमर से बनाया गया है, और इसकी शैली राजपूत है। उदयपुर में गोलमण्डल नाम का मन्दिर इसी शैली के अनुसार १६०० ई० के लगभग बना था। इतिमादुद्दौला के मकबरे के निर्माण में इसी मन्दिर का अनुसरण किया गया। जहाँगीर का मकबरा लाहौर में रावी के पार बना हुआ है, जिसका निर्माण भी नूरजहाँ ने कराया था। यह मकबरा भी कला की दृष्टि से अनुपम है। यद्यपि जहाँगीर ने इमारतों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर बागों और उद्यानों का उसे बहुत शौक था। काश्मीर में डल भील के तट पर स्थित सुन्दर उद्यान और अजमेर में अनासागर के घाट उसके प्रकृति-सौन्दर्य प्रेम के उच्चतम उदाहरण हैं।

शाहजहाँ—मुगल बादशाहों में वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहाँ का स्थान सर्वोच्च है। उस द्वारा निर्मित प्रामाद, दुर्ग, उद्यान, मसजिद आदि आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल, कान्धार, काश्मीर, अजमेर, अहमदाबाद, मुखलीसपुर आदि कितने ही स्थानों पर अब तक भी विद्यमान हैं। इन सबके निर्माण में कितना खर्च हुआ होगा, इसका अन्दाज कर सकना सुगम नहीं है। पर यह निश्चित है कि इनके लिए शाहजहाँ ने करोड़ों रुपये खर्च किये होंगे। शाहजहाँ की वास्तु-कृतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण आगरा का ताजमहल है, जिसे उसने अपनी प्रियतमा मुमताजमहल के चिरविश्राम के लिए बनवाया था। मुमताजमहल की मृत्यु सन् १६३० में हुई थी, और इसी समय शाहजहाँ ने इस विद्वक्ख्यात मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। इसके लिए जहाँ बादशाह ने भारत के कुशल शिल्पियों को नियत किया था, वहाँ साथ ही पश्चिया, अरब, तुर्की आदि से भी अनेक शिल्पियों को आमन्त्रित किया था। ताजमहल के निर्माण का कार्य प्रधानतया उस्ताद ईसा के मुपुदं था, जिसे १००० रु० मासिक वेतन दिया जाता था। स्पेन के एक पादरी मानरीक ने १६१४ ई० में आगरा की यात्रा की थी। उसने लिखा है, कि ताज की रूपरेखा जरोनियो बरोनियो नामक एक इटालियन शिल्पी ने नयाग की थी। दूरी के आधार पर अनेक ऐतिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, कि ताज की कल्पना यूरोपियन शिल्पियों के दिमाग से उत्पन्न हुई थी। स्मिथ के अनुसार ताजमहल यूरोपियन और एशियन प्रतिभा के सम्मिलित प्रयत्न का परिणाम है। पर बहुसंख्यक ऐतिहासिक इस बात को स्वीकृत नहीं करते। उनका कथन है, कि जरोनियो बरोनियो की मृत्यु १६४० में हो चुकी थी, और पादरी मानरीक को उससे मिलने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उसने जो सुनी-सुनायी बात अपने यात्रा-विवरण में लिखी है, उसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। मुसलिम लेखक ताजमहल को

उस्ताद ईसा की कल्पना व प्रतिभा का परिणाम बताते हैं, और सम्भवतः यही बात ठीक भी है। पर यह असम्भव नहीं, कि ताजमहल के निर्माण में कतिपय यूरोपियन शिल्पियों का सहयोग भी प्राप्त रहा हो। इस युग में बहुत-से यूरोपियन यात्री, पादरी और कलाविज्ञ लोग भारत में आने लगे थे, और मुगल दरबार के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क था। पर ताजमहल की कला में कोई ऐसा तत्व नहीं है, जिसे विदेशी या यूरोपियन समझा जा सके। सहसराम में विद्यमान शेरशाह के मकबरे की शैली ताज से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है, और सगरमर की जिस ढग की जालियाँ ताज की अनुपम विशेषता है, वे राजपूताने के अनेक पुराने मन्दिरों में भी पाई जाती हैं। पर यह निःसन्देह है, कि ताजमहल मुगल-युग की वास्तु-कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है, और सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद इस बीसवीं सदी में भी वह संसार भर के कलाप्रेमियों के लिये आश्चर्य की वस्तु है।

आजकल की पुरानी दिल्ली (शाहजहानाबाद) भी शाहजहाँ की ही कृति है। वहाँ उसने लाल किले और जामा मसजिद का निर्माण कराया, जो सौन्दर्य की दृष्टि से अनुपम आकर्षण रखते हैं। लाल किले की मोती मसजिद, दीवाने-आम, दीवाने-खास आदि इमारतें शाहजहाँ के सौन्दर्य और कला-प्रेम की परिचायक हैं। यद्यपि विशालता की दृष्टि से ये मकबरे के समय की इमारतों का मुकाबला नहीं कर सकतीं, पर सौन्दर्य की दृष्टि से ये अनुपम हैं, और विविध प्रकार के अलकारों द्वारा इन्हे इस ढग से विभूषित कर दिया गया है, कि इन्हे प्रस्तर द्वारा निमित्त आभूषण समझा जा सकता है। शाहजहाँ ने अलकारमयी वास्तुकला द्वारा पृथ्वी पर बहिस्त (स्वर्ग) को उतारने का स्वप्न लिया था, और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। इसी लिये उसने दिल्ली के लाल किले में बने हुए दीवाने-खास पर पशियन भाषा का एक पद उत्कीर्ण करवाया था, जिसका अर्थ है, कि "यदि पृथ्वी पर कहीं बहिस्त है, तो वह यहाँ है, केवल यहाँ है, अन्यत्र कहीं नहीं है।"

औरंगजेब—शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगल-युग की वास्तु-कला में हास प्रारम्भ हो गया। औरंगजेब को ललित कलाओं का जरा भी शौक नहीं था, और इस्लाम के आदर्शों का अनुसरण कर वह सादगी में विश्वास रखता था। इसी लिये अपने पूर्वजों के समान उसने किन्हीं विशाल व सुन्दर इमारतों के निर्माण का प्रयत्न नहीं किया। दिल्ली के लाल किले में उसने अपने निजी प्रयोग के लिये संगमरमर की एक मसजिद का निर्माण करवाया था, जो अब तक भी विद्यमान है, और उसके सादे मिजाज का परिचय देती है। काशी में विश्वनाथ के मन्दिर को भूमिसात् करा के उसी के भग्नावशेषों पर उसने एक मसजिद का निर्माण कराया था, जो इस मुगल बादशाह की धर्मान्धता का जीता-जागता प्रमाण है। लाहौर की बादशाही मसजिद भी औरंगजेब की ही कृति है।

औरंगजेब के बाद मुगल-साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, और उसके उत्तराधिकारी मुगल बादशाह इतने समृद्ध व वैभवपूर्ण नहीं थे, कि वे वास्तुकला पर ध्यान दे सकते। पर मुगल-साम्राज्य के भग्नावशेष पर जो अनेक हिन्दू व मुसलिम राज्य इस युग में कायम हुए, उनके राजाओं व नवाबों ने भवन-निर्माण की प्रक्रिया को जारी

रखा। अमृतसर का मुक्कर्म-मन्दिर (अकाल तस्त और गुह्यद्वारा), लखनऊ के इमामबाडे और हैदराबाद की आलीशान इमारतें इसी युग में निर्मित हुईं।

मन्दिर और मूर्तियाँ—जब भारत में मुसलमानों का शासन भली-भाँति स्थापित हो गया, तो इस देश में मूर्तिकला का विकास सम्भव नहीं रह गया। मुसलमन लोग मूर्तिपूजा के विरोधी थे, और बुतशिकन (मूर्तिभङ्गक) होना गौरव की बात समझते थे। इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि भारत के कारीगर नये मन्दिरों का निर्माण करने और उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली मूर्तियों को गढ़ने में प्रवृत्त हो सकते। इस युग की मूर्तिकला पत्थर पर विविध आकृतियों या बेलों व फूलों के निर्माण में ही प्रगट हुई, और प्राचीन काल तथा मध्य काल में जिस ढंग से विशाल मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण होता था, वह अब प्रायः बन्द हो गया।

पर फिर भी अकबर जैसे उदार व महिष्णु बादशाहों के शासनकाल में और ऐसे प्रदेशों में जहाँ मुसलमन शासन नहीं था, मुगल युग में भी हिन्दुओं के अनेक मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण सम्भव हो सका। पन्द्रहवीं सदी में मुगलों की सत्ता के स्थापित होने से कुछ समय पूर्व राजस्थान में महाराणा कुम्भा ने अनेक विशाल मन्दिर बनवाये, जिनमें कुम्भस्वामी विष्णु का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के अलङ्करण बहुत उत्कृष्ट ढंग के हैं। महाराणा कुम्भा ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक विशाल विजय-स्तम्भ का भी निर्माण कराया था, जो कि ऊँचाई में ११२ फीट है।

भारत में मुगल सत्ता के स्थापित हो जाने पर सोलहवीं सदी में महाराजा मानसिंह ने वृन्दावन में गोविन्ददेव का विशाल मन्दिर बनवाया। इसी काल में महाराज वीरसिंह देव ने औरछा में चतुर्भुज मन्दिर का निर्माण कराया, जिसमें वैष्णव मन्दिरों के शिखर के आगे एक गुम्बद भी बनाया गया है।

(५) चित्रकला और संगीत

चित्रकला—वास्तुकला के समान चित्रकला में भी मुगल-युग में बहुत उन्नति हुई। मुगलों की चित्रकला का उद्भव पर्सिया में हुआ था। पर पर्सिया के खेत से जो चित्रकला मुगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुई, वह विशुद्ध पर्सियन नहीं थी। जब मंगोल लोगों ने पर्सिया को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वे अपने साथ एक ऐसी चित्रकला को उस देश में ले गए, जो बौद्ध, बिक्रियन और मंगोलियन प्रभाव के सम्मिश्रण का परिणाम थी। पर्सिया में आने पर पर्सियन तत्त्व भी इसमें सम्मिश्रित हो गया और पर्सिया के नैमूर वशी शासकों के संरक्षण में इसका निरन्तर विकास होता रहा। मुगल विजेता बाबर तैमूर के वंश का था। तैमूर के सभी वंशज चित्रकला के प्रेमी थे। विशेषतया, हीरात के शासक हुसैन बँकरा के संरक्षण में इस कला का अनाधारण रूप से विकास हुआ। उसके आश्रय में बिहजाद नाम का विख्यात चित्रकार रहता था, जिसकी गणना सत्तार के सर्वोत्कृष्ट कलावन्तों में की जाती है। बिहजाद ने चित्रकला के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसमें पर्सियन, चीनी, बौद्ध आदि कलाओं के सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों का अत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण किया गया था। बिहजाद की कला से बाबर भली-भाँति परिचित था, और जब उसने भारत में अपना

शासन स्थापित किया, तो इस कला का भारत में भी प्रवेश हुआ। उसके समय के अनेक ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियों को इस कला के अनुसार चित्रित किये गये चित्रों द्वारा विभूषित किया गया। ऐसी अनेक प्रतियाँ इस समय भी उपलब्ध होती हैं।

बाबर के समान हुमायूँ भी चित्रकला का प्रेमी था। शेरशाह द्वारा परास्त होने के कारण वह भारत छोड़ कर पश्चिम चले जाने के लिए विवश हुआ था। पश्चिम के शाह तहमास्प के पास रहते हुए भी वह अनेक चित्रकारों के सम्पर्क में आया, और उनकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। भारत लौटने पर वह सैयद अली तबरीजी और रजा अब्दुस्समद नामक दो चित्रकारों को अपने साथ ले आया, जो कि बिहजाद द्वारा स्थापित चित्रकला-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इन पश्चिम चित्रकारों को उसने 'दास्ताने अमीर-हमजा' नामक ग्रन्थ को चित्रित करने का कार्य सुपुर्द किया। इन दो चित्रकारों द्वारा चित्रित की गयी वह पुस्तक अब तक भी सुरक्षित दशा में विद्यमान है। हुमायूँ न केवल चित्रकारों का संरक्षक था, अपितु स्वयं भी चित्रकार था। उसने अपने पुत्र अकबर को भी इस कला की शिक्षा दी थी।

सैयद अली तबरीजी और रजा अब्दुस्समद भारत में ही स्थिर रूप से बस गये थे। हुमायूँ और अकबर के राजदरबार में निवास करते हुए वे भारत के चित्रकारों के सम्पर्क में भी आये, और इस निकट सम्पर्क के कारण चित्रकला की उस शैली का विकास हुआ, जिसे 'मुगल शैली' कहा जाता है। इसमें बिहजाद की तबीन शैली और भारत की परम्परागत प्राचीन शैली का अत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रण हुआ, और मुगल युग में वह निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही। अकबर के शासन-काल में इस शैली की बहुत उन्नति हुई। साहित्यिकों और कवियों के समान चित्रकारों को भी अकबर ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के चित्रकार उसके संरक्षण में रहते हुए अपनी-अपनी कला का चमत्कार प्रदर्शित करने के लिये तत्पर थे। इस युग के प्रमुख चित्रकारों में अब्दुस्समद, सैयद अली तबरीजी, फर्रुखबेग, दसवन्त, बसावन, सावलदास, ताराचन्द और जगन्नाथ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब्दुस्समद और सैयद अली पश्चिम थे, जिन्हें हुमायूँ अपने साथ भारत लाया था। उन्हीं के द्वारा भारत में बिहजाद की कला का प्रवेश हुआ था। भारतीय चित्रकारों में दसवन्त जाति से कहाँ था, पर चित्र-कला की उसमें अपूर्व प्रतिभा थी। जब वह बालक ही था, अकबर का ध्यान उसकी प्रतिभा की ओर आकृष्ट हुआ, और उसकी शिक्षा के लिए अब्दुस्समद को नियत किया गया। इस पश्चिम कलाकार के तत्वावधान में दसवन्त की प्रतिभा का खूब विकास हुआ, और उसने इतनी उन्नति की, कि वह अपने युग के सबसे महान् कलावन्तों में गिना जाने लगा। हिन्दू कला में बिहजाद-कला के तत्वों का समावेश कर उसने अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया। अकबर के संरक्षण में जो चित्रकार इस ललितकला की उन्नति करने में तत्पर थे, उनकी सख्या सैकड़ों में थी। इनमें भी सौ चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, और सतरह कलाकार तो ऐसे थे, जिन्हें अपनी कला का उस्ताद माना जाता था। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इन सतरह उस्तादों में से तेरह हिन्दू थे। अबुल फजल ने इनके सम्बन्ध में लिखा है, कि ये हिन्दू चित्रकार इतने उच्चकोटि के हैं, कि संसार में मुश्किल से ही कोई इनकी

समकक्षता कर सकता है। अकबर के युग के चित्रकार हस्तलिखित पुस्तकों को चित्रित करने, प्रामादों की दीवारों को विभूषित करने और वस्त्र व कागज पर चित्र बनाने में अपनी कला को अभिव्यक्त करते थे। अकबर के आदेश का पालन कर उन्होंने चंगेज-नामा, रायायण, नलदमयन्ती, कालियदमन आदि विविध प्रसिद्ध पुस्तकों को चित्रों द्वारा विभूषित किया। हुमायूँ द्वारा स्थापित पुस्तकालय में इस प्रकार की सैकड़ों पुस्तकों संगृहीत थी, जिन्हें कि अकबर के आश्रय में रहने वाले चित्रकारों ने विविध प्रकार के सुन्दर व कलात्मक चित्रों से सुशोभित किया था। जब अकबर ने फतहपुर सीकरी और आगरा को अपनी राजधानी बनाया, तो ये चित्रकार भी उसके साथ-साथ वहाँ गये, और वहाँ भी उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा। इसमें सन्देह नहीं, कि अकबर को चित्रकला से अत्यधिक प्रेम था। उसका विचार था, कि चित्रकार अपनी कला द्वारा ईश्वर की शक्ति को अभिव्यक्त करता है। वह अपनी कला द्वारा विविध रंगों से जिस जीवित-जागृत जगत् की सृष्टि करता है, उसमें भगवान् की शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है। अकबर के समय के अनेक मुसलिम धर्माचार्य कला के विरोधी थे, पर चित्रकारों की कला का चमत्कार देखकर उनकी भी आँखें खुल गयी थी।

अकबर के समान जहाँगीर भी चित्रकला का प्रेमी था। उसके संरक्षण में जिन चित्रकारों ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमें आगा, रजा, अबुल हसन, मुहम्मद तादिर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मन्सूर, विशनदास, गोवर्धन और मनोहर के नाम उल्लेखनीय हैं। जहाँगीर ने अपने दरबार में बहुत-से चित्रकारों को आश्रय दिया था, और यदि किसी अन्य चित्रकार की कलाकृति को उसके सम्मुख लाया जाता था, तो वह उसे अच्छा ऊँचा मूल्य देकर क्रय कर लेने में गौरव अनुभव करता था। चित्रकला से उसे इतना अधिक प्रेम था, कि वह प्रत्येक चित्र का ध्यान-पूर्वक निरीक्षण करके उसके गुण-दोषों का विवेचन करता था, और यह पहचान भी रखता था, कि कोई चित्र किस शैली के अनुसार और किस चित्रकार द्वारा निर्मित है।

शाहजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, पर चित्रकला का उसे अधिक शौक नहीं था। इसी कारण उसने दरबार के आश्रय में रहने वाले चित्रकारों की संख्या में बहुत कमी कर दी थी, और अनेक सुप्रसिद्ध कलाकार राजाश्रय न मिलने के कारण बेरोजगार हो गये थे। मुगल-दरबार से निराश होकर इन कलावन्तों ने राजपूताने के विविध राजाओं और हिमालय के पार्वत्य प्रदेशों के राजाओं का आश्रय लिया, और वहाँ जाकर चित्रकला की उन शैलियों का विकास किया, जिन्हें 'राजपूत-शैली' और 'पहाड़ी शैली' कहते हैं। शाहजहाँ के समय में चित्रकला की मुगल-शैली का ह्रास बुरू हो गया, और उसके स्थान पर राजपूत आदि शैलियाँ उन्नति करने लगी। पार्सी ब्राउन नामक कलाविद्वान् ने ठीक ही लिखा है, कि मुगल चित्रकला की आत्मा जहाँगीर के साथ ही मृतप्राय हो गयी थी। शाहजहाँ को वास्तु-कला, भवन-निर्माण और मणिमाणिक्य से बहुत अधिक प्रेम था। राजदरबार के शिष्टाचार को वह बहुत महत्त्व देता था। इसलिए कलावन्तों को उसके सम्पर्क में आने का विशेष अवसर नहीं मिलता था।

मुगल-युग के चित्रकारों का प्रिय विषय राजदरबार का ऐश्वर्य ही था। इसी कारण वे अमीर उमराओं के ऐश्वर्य, रत्न जटित परदों व बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को अपने

चित्रों में प्रकृत करने पर विशेष ध्यान देते थे। वे अपने चित्रों में रंगों का इतने कलात्मक रूप से प्रयोग करते थे, कि उनके चित्रों को देखकर यह प्रतीत होने लगता था, मानो उनमें रंगों के स्थान पर मणि-माणिक्यों का प्रयोग किया गया है। चित्रकला के प्रति शाहजहाँ की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ, कि कलावन्त लोग ऐसे चित्रों का निर्माण करने में प्रवृत्त हुए, जो कि छोटे राजाओं और सम्पन्न जनों को भ्रष्ट कर सकें। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में चित्रों का व्यवसाय प्रायः नहीं होता था। चित्रकार लोग केवल बादशाह और बड़े अमीर-उमराओं की रचि को दृष्टि में रखकर ही चित्र बनाते थे। पर शाहजहाँ की उपेक्षा और औरंगजेब की कला-द्वेषिता के कारण चित्रकार लोग अब ऐसे चित्र बनाने के लिये प्रवृत्त हुए, जिन्हें सर्वसाधारण लोग भी खरीद सकें। यही कारण है, कि अठारहवीं सदी में भारत में चित्रों का बाकायदा व्यवसाय शुरू हो गया, और बहुत-से चित्रकार सम्पन्न लोगों की रचि को दृष्टि में रखकर चित्रों के निर्माण में तत्पर हुए।

संगीत कला—वास्तु-कला और चित्र-कला के समान संगीत कला की भी मुगल-युग में बहुत उन्नति हुई। लेनपूल के अनुसार प्रत्येक मुगल शाहजादे से यह भाषा की जाती थी, कि वह संगीत में भी प्रवीण हो। बाबर को संगीत का बहुत शौक था। हुमायूँ के दरबार में प्रति सोमवार व बुधवार को सगीतज्ञ एकत्रित होते थे, और बादशाह उनके गीतों को बड़े शौक के साथ सुनता था। १५३५ ई० में जब उसने माण्डू की विजय की, तो बहुत-से कैदी उसके हाथ लगे। इन कैदियों के बंध की आज्ञा देते समय जब उसे मालूम हुआ, कि कैदियों में बच्चे नाम का एक गायक भी है, तो उसने उसे अपने पास बुलाया। उसके सगीत को सुनकर वह इतना प्रसन्न हुआ, कि उसने उसे अपने दरबार में स्थान दे दिया। सूरवंशी अकगान सुलतान भी सगीत के प्रेमी थे। आदिलशाह सूरी एक भगत के सगीत पर इतना मुग्ध था, कि उसने उसे दसहजारी का सर्वोच्च मनसब प्रदान किया था। अकबर के दरबार में तो कितने ही संगीतज्ञों ने आश्रय प्राप्त किया हुआ था। अबुल फजल के अनुसार उसके संरक्षण में रहने वाले संगीताचार्यों की संख्या ३६ थी, जिनमें भारतीयों के अतिरिक्त पश्चिम, तूरानी और कश्मीरी संगीतज्ञ भी थे। इनमें सबसे प्रधान स्थान मिर्जा तानसेन का था, जो ग्वालियर के निवासी थे। वे हिन्दू-कुल में उत्पन्न हुए थे, पर मुसलमानों के सम्पर्क में आने के कारण उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। ग्वालियर में उनकी कब्र अब तक विद्यमान है, जिसे आजकल के सगीतज्ञ भी अपने लिये तीर्थ-स्थान मानते हैं। तानसेन भारत का सबसे प्रसिद्ध गायनाचार्य हुआ है, और उसके राग व रागनियों आज तक भी भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं। अकबर के समय के अन्य संगीतज्ञों में मालवा के बाज-बहादुर का नाम भी उल्लेखनीय है, जो हिन्दी काव्य और संगीत का विशेषज्ञ था। जहाँगीर और शाहजहाँ ने भी संगीतज्ञों को आश्रय दिया, और उनके समय में भी इस कला की बहुत उन्नति हुई। पर औरंगजेब ललित कलाओं का कट्टर शत्रु था। उसने सगीत के विरुद्ध आज्ञा जारी की थी, दिल्ली के लोगों ने जिसके विरुद्ध रोष प्रगट करने के लिये संगीत का एक जनाजा भी निकला था। औरंगजेब की नीति के कारण कलावन्तों को मुगल दरबार का आश्रय मिलना बन्द हो गया, और चित्रकारों के समान

संगीतज्ञ भी राजपूत राजाओं व अन्य श्रीमन्त लोगों का आश्रय प्राप्त करने के लिये विवश हुए। मुगल-साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जो अनेक मुसलिम व हिन्दू राज्य भारत में कायम हुए थे, उनकी राज-सभाओं में संगीतज्ञों को भी आश्रय प्राप्त हुआ था।

(६) भारतीय संस्कृति को मुगल-युग की देन

मुगल-युग की संस्कृति और सभ्यता के विविध अंगों पर प्रकाश डालने के बाद अब इस बात की विशेष आवश्यकता नहीं रह गयी है, कि भारतीय संस्कृति को मुगलों की देन के विषय पर पृथक् रूप से विचार किया जाय। पर उपमहाराज के रूप में इसका संक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा।

(१) भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में मुगल-शासन से बहुत सहायता मिली। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक देश है, पर राजनीतिक क्षेत्र में केवल चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक और गुप्तवंशी सम्राट ही इस देश के बड़े भाग को एक शासन की अधीनता में लाने में समर्थ हुए थे। गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अकेन्द्रीभाव (डीसेण्ट्रलिजेशन) की प्रवृत्तियाँ फिर बलवती हो गयी थी। ६०० से १२०० ई० तक भारत बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा। मुगलों ने भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित कर एक बार फिर उसमें राजनीतिक एकता की स्थापना की, और उस राष्ट्रीय एकता के लिये मैदान तैयार कर दिया, जिसका चरमोत्कर्ष ब्रिटिश युग में हुआ।

(२) राजनीतिक एकता की स्थापना के साथ-साथ मुगलों के शासन में इस देश की सांस्कृतिक एकता के विकास में भी बहुत सहायता मिली। मुगल शासन का प्रायः सब कार्य पर्शियन भाषा में होता था। सरकार के साथ सम्बन्ध रखने वाले हिन्दू व मुसलमान सब पर्शियन भाषा का अध्ययन करते थे। साम्राज्य के सब मूबों का शासन एक पद्धति से होता था, और सब जगह बादशाहों की आज्ञाएँ समान रूप से लागू होती थी। साम्राज्य में शान्ति और व्यवस्था के स्थापित होने के कारण भारत का आन्तरिक व्यापार भी निरन्तर उन्नति कर रहा था, और विविध प्रदेशों के लोगों को व्यापार व तीर्थयात्रा आदि द्वारा एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिलता था। राज्य के कर्मचारियों की बहुधा एक सूबे से दूसरे सूबे में बदली होती रहती थी। मैनिक लोग तो उत्तर से दक्षिण में व दक्षिण से उत्तर में प्रायः आते-जाते ही रहते थे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि भारत के विविध प्रदेशों के लोगों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिलता रहा, और उनमें एकता की अनुभूति उत्पन्न हुई।

(३) एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले सन्त-महात्माओं और फकीरों ने एकता की अनुभूति में और अधिक सहायता की। दक्षिण के बल्लभाचार्य वृन्दावन में रहकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में तत्पर हुए, और पंजाब के निवासी सिक्ख गुरु भारत के विविध प्रदेशों में अपनी वाणी को सुनाते हुए परिभ्रमण करने लगे। मुसलिम पीरो और फकीरो का भी सर्वत्र समान रूप से आदर होने लगा। धर्म,

वास्तुकला, चित्रकला, संगीत आदि सब क्षेत्रों में इस युग में समन्वय और एकता की प्रवृत्तियों को बल मिला।

(४) मुगल बादशाहों का पश्चिमी और अन्य मुसलिम देशों से घनिष्ठ सम्पर्क था। इसी कारण बहुत-से विद्वान् व कलावन्त इस युग में विदेशों से भारत आते रहते थे, और उनके ज्ञान व कला से इस देश को बहुत लाभ पहुँचता था। भारत के सम्पर्क में आकर मुसलिम देशों को इस देश के साहित्य, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-शास्त्र आदि का भी परिचय प्राप्त हुआ, और धीरे-धीरे भारत का यह ज्ञान पश्चिमी एशिया के परे यूरोप तक भी पहुँच गया। विदेशी व्यापार द्वारा भी भारत का विदेशों से साम्निध्य स्थापित हुआ। स्थल-मार्गों द्वारा भारत का अन्य देशों के साथ कितना व्यापार होता था, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहाँगीर के शासनकाल में प्रकेले बोलान के दर्रे से १४,००० ऊँट प्रतिवर्ष माल से लदकर भारत से बाहर आया-जाया करते थे। विदेशी व्यापार की इस प्रचुरता के कारण भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित होने में बहुत मदद मिली।

(५) हिन्दी भाषा के विकास, इस्लाम और हिन्दू-धर्म में सामीप्य, वास्तुकला, चित्रकला और संगीत के क्षेत्रों में मुगल-युग में जो कार्य हुआ, उसका उल्लेख विशद रूप से पहले किया जा चुका है। निःसन्देह, इन क्षेत्रों में मुगल-युग की देन बहुत महत्वपूर्ण थी।

(६) भारत की वेश-भूषा, रहन-महन और खान-पान पर भी मुगल-युग का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हिन्दी, बगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में पश्चिमी और अरबी भाषाओं के बहुत-से शब्द इस युग में प्रविष्ट हुए, और धीरे-धीरे वे भारतीय भाषाओं के ही अंग बन गये। पश्चिमी लिपि के प्रयोग के कारण भारत में एक नई लिपि का प्रचलन हुआ, जो धीरे-धीरे उत्तरी भारत की एक प्रधान लिपि बन गयी। हिन्दी को लिखने के लिए भी इस लिपि का प्रयोग शुरू हुआ और इसके कारण हिन्दी की एक पृथक् शैली ही विकसित हो गयी, जिसे 'उर्दू' कहते हैं। हिन्दुओं के विवाह जैसे पवित्र संस्कार में भी अब सेहरा और जामा का प्रयोग होने लगा, जो मुसलमानों की देन हैं। भारत की पोशाक में पायजामा, शेरवानी आदि का प्रवेश हुआ, और हिन्दू लोग भी इन्हे निःसंकोच रूप से प्रयुक्त करने लग गये। मुगल बादशाहों के सब दरबारियों की पोशाक एक-सी होती थी, और राजपूत आदि उच्च पदाधिकारी व मनसबदार भी उसी ढंग की पोशाक पहनते थे, जैसी कि इस युग के मुसलमानों द्वारा धारण की जाती थी। शिवाजी तक की पोशाक मुसलिम अमीर-उमराओं की पोशाक के सदृश थी। अमीर-प्रमोद के तरीकों में भी इस युग में परिवर्तन हुआ। बाज द्वारा पक्षियों का शिकार करना, बटेरें लडाना, ताश खेलना और इसी प्रकार की अन्य अनेक बातें इस काल में मुगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुईं। हिकमत व यूनानी चिकित्सा-पद्धति भी मुसलमानों द्वारा ही भारत में आयी, और कितने ही हिन्दू भी इसे सीखने के लिए प्रवृत्त हुए। यूनानी चिकित्सा प्राचीन भारतीय आयुर्वेद से अनेक अंशों में भिन्न है। मुगल युग में इसका भारत में बहुत प्रचार हुआ। वर्तमान समय की अनेक भारतीय मिठाइयाँ भी इसी काल में भारत में प्रविष्ट हुईं। बालूशाही, कलाकन्द, गुलाब जामन, बरफी

आदि कितनी ही मिठाइयों के नाम विदेशी हैं, और सम्भवतः मुसलिम युग से पूर्व के भारतीय इनसे अपरिचित थे।

इस्लाम और हिन्दू धर्म के सम्पर्क के कारण मुगल-युग में एक ऐसी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जो विशुद्ध रूप से न हिन्दू थी, और न मुसलमान। भारत की यह नयी संस्कृति हिन्दू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों के तत्त्वों के साग्निध्य व सामंजस्य का परिणाम थी। वास्तुकला, धर्म, भाषा, चिकित्सा, संगीत, वेशभूषा, खानपान आदि सभी क्षेत्रों में हिन्दुओं और मुसलमानों का यह सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। भारत के लिये अब न अफगान विदेशी रहे थे, और न मुगल। इस देश में स्थिर रूप से बस जाने के कारण वे पूर्ण रूप से भारतीय बन गये थे, और उनके धर्म इस्लाम ने भी इस देश में आकर एक ऐसा रूप धारण कर लिया था, जो अरब और पर्शिया के इस्लाम से बहुत भिन्न था।

अठ्ठाईसवां अध्याय

ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना

(१) समुद्र द्वारा यूरोप का भारत से सम्पर्क

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। उस समय समुद्र में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुओं द्वारा खेये जाते थे। दिग्दर्शक-यन्त्र के अभाव के कारण मल्लाहों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे महासमुद्रों में दूर तक घ्रा-जा सकें। पन्द्रहवीं सदी में इस यन्त्र का यूरोप में पहले-पहल प्रवेश हुआ। चप्पुओं के साथ अरब पाल का भी जहाजों में प्रयोग होने लगा। पाल से चलने वाले जहाजों के लिये यह सम्भव था, कि दिग्दर्शक यन्त्र की सहायता से अनुकूल वायु होने की दशा में वे महासमुद्र को पार कर सकें।

यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार बहुत प्राचीन काल से चला आता था। इन महाद्वीपों के बीच का मुख्य व्यापारिक मार्ग लाल सागर से ईजिप्ट होता हुआ भूमध्यसागर पहुँचता था। एक दूसरा मार्ग पश्चिमा की खाड़ी से बगदाद होता हुआ एशिया माइनर के बन्दरगाहों तक जाता था। पहले इन व्यापारिक मार्गों पर अरबों का अधिकार था। अरब लोग सम्य थे, और व्यापार के महत्त्व को भली-भाँति समझते थे। पर पन्द्रहवीं सदी में तुर्क लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गये, और इस कारण एशिया और यूरोप के मध्यवर्ती व्यापारिक मार्ग रुद्ध होने लगे। सन् १४५३ में जब तुर्क विजेता मुहम्मद द्वितीय ने कान्स्टेन्टिनोपल को भी जीत लिया, तब तो यूरोप के लिये इन पुराने मार्गों से व्यापार कर सकना अत्यन्त कठिन हो गया।

अरब यूरोपियन लोगों को एशिया के साथ व्यापार करने के लिये नये मार्ग ढूँढ निकालने की चिन्ता हुई। इस कार्य में पोर्तुगाल और स्पेन ने विशेष तत्परता प्रदर्शित की। पोर्तुगीज लोगो ने विचार किया, कि अफ्रीका का चक्कर काटकर प्राच्य देशों तक पहुँचा जा सकता है। इसी दृष्टि से अनेक पोर्तुगीज मल्लाहों ने समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा प्रारम्भ की। अखिर, १४८८ में वास्को डी गामा नामक पोर्तुगीज मल्लाह अफ्रीका का चक्कर काटकर एक नवीन मार्ग से पहले-पहल भारत पहुँचने में समर्थ हुआ, और पोर्तुगीज व्यापारियों ने पूर्वी देशों के व्यापार को हस्तगत करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस व्यापार द्वारा पोर्तुगीज लोग बहुत समृद्ध हो गये, और उनकी देखादेखी अन्य यूरोपियन राज्य भी इसी सामुद्रिक मार्ग से एशिया आने-जाने लगे। हालैंड, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में पूर्वी व्यापार को हस्तगत करने के लिये कम्पनियाँ खड़ी की गयीं। ये कम्पनियाँ, भारत आदि एशियन देशों के बन्दरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियाँ कायम करती थी, और अधिक-से-अधिक व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का उद्योग करती थी।

सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में भारत में प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन था। अतः इस काल में यूरोपियन लोग केवल व्यापार द्वारा ही सन्तुष्ट रहे। पोर्तुगीज लोगों के व्यापार का प्रधान केन्द्र भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित गोम्बा नगरी थी, जो मुगल बादशाहों के साम्राज्य से बाहर थी। सुदूर दक्षिण में उस समय किसी एक शक्तिशाली भारतीय राजा का शासन नहीं था। पोर्तुगीज लोगों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट न रह कर उन्होंने गोम्बा व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना आधिपत्य भी स्थापित करना शुरू किया। पोर्तुगीजों के अनुकरण में हालैण्ड, फ्रांस और इंग्लैण्ड के जिन व्यापारियों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से आना शुरू किया, वे भी सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में केवल व्यापार से ही, सन्तुष्ट रहे। औरंगजेब के बाद जब मुगल-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गयी, और भारत में अनेक छोटे-बड़े राज्य कायम हो गये, तो उन यूरोपियन व्यापारियों ने देश की राजनीतिक दुर्दशा में लाभ उठाया, और व्यापार के साथ-साथ अपनी राजमत्ता भी स्थापित करनी शुरू की। हालैण्ड, फ्रांस आदि अन्य देशों के मुकाबले में अंग्रेज लोग भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में बड़े और किस प्रकार सफल हुए, इस विषय पर प्रकाश डालने की हमें आवश्यकता नहीं है। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक प्रायः सम्पूर्ण भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, और इस देश में जो अनेक राजा व नवाब रह गये थे, वे भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकृत करने लग गये थे। पर भारत की जनता इन विदेशी व विधर्मी शासकों से बहुत अमन्तुष्ट थी। अंग्रेज शासक अपने शासन को ब्रिटेन की आर्थिक ममूढि का साधन-मात्र समझते थे। साथ ही, वे भारत की पुरानी परम्पराओं और धार्मिक विश्वासों की जरा भी परवाह नहीं करते थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि उनके शासन के विरुद्ध भावना इस देश में निरन्तर जोर पकड़ती गयी। १८५७ में यह भावना एक राज्यक्रान्ति के रूप में परिणत हो गयी। पर ५७ की यह राज्यक्रान्ति सफल नहीं हो सकी। अंग्रेज लोग इसे कुचलने में समर्थ हुए, और भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें और भी मजबूत हो गयीं।

(२) भारतीय इतिहास का आधुनिक युग

अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ससार के इतिहास में आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। इसका प्रारम्भ यूरोप से हुआ था, जहाँ पहले व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और बाद में राजनीतिक क्रान्ति। अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपियन देशों का आर्थिक जीवन प्रायः वैसा ही था, जैसा कि दो हजार पहले सिकन्दर व नीजर के जमाने में था। उस समय यूरोप का किसान लकड़ी के हलों से जमीन जोतता था, खुरपी से उसकी नलाई करता था, और दराती से फसल को काटता था। कारीगर त कुए व चरखे पर सूत कातते थे, और लकड़ी की खड्डियों पर कपड़े की बुनाई करते थे। लुहार लोग पुराने युग के घन और हथौड़े से अपना काम करते थे। लकड़ी की बनी हुई गाड़ियाँ असबाब ढोने व यात्रा करने के काम आती थीं। घोड़ों की अपेक्षा तेज चलने वाली किसी सवारी का उस समय के यूरोपियन लोगों को परिज्ञान नहीं था। समुद्र को पार करने वाले जहाज चप्पुओं और पाल से चलते थे। उस समय

(अठारहवीं सदी के पूर्वार्ध में) यूरोप का आर्थिक व व्यावसायिक जीवन प्रायः वैसा ही था, जैसा कि भारत, चीन आदि एशियन देशों का था।

इतिहास के नवयुग का सूत्रपात—पर अठारहवीं सदी के मध्य भाग और उत्तरार्ध में इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण यूरोप के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आने लगा। इसी को इतिहास में 'व्यावसायिक क्रान्ति' कहा जाता है। इस क्रान्ति का प्रारम्भ अचानक व एकदम नहीं हो गया। वस्तुतः, यह धीरे-धीरे विकसित हुई। पर इसके कारण मनुष्य के जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आ गया, और एक नई सभ्यता का प्रारम्भ हुआ। व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ इंग्लैण्ड में हुआ था। वही से शुरू होकर वह न केवल यूरोप में, अपितु सारे संसार में व्याप्त हो गयी है। जिन वैज्ञानिक आविष्कारों ने यूरोप में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात किया, उन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) ऐसे नवीन यान्त्रिक आविष्कार, जिनसे मानव-श्रम की बचत हो। (२) जल, कोयला, भाप और बिजली यान्त्रिक-शक्ति के काम आ सकते हैं, इस बात का परिज्ञान। (३) रसायन-शास्त्र की नवीन प्रक्रियाओं का आविष्कार। यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम अठारहवीं सदी की इस व्यावसायिक क्रान्ति पर विशद रूप से प्रकाश डाल सकें। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, कि व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मानव-समाज के आर्थिक जीवन में जो महान् परिवर्तन हुआ, वह आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग (१७८६) में फ्रान्स में राज्य-क्रान्ति हुई। इस राज्य-क्रान्ति से पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों में स्वेच्छाचारी व निरंकुश राजाओं का शासन था, जो अपनी उच्छा को ही कानून मानते थे। इंग्लैण्ड के स्टुअर्ट राजा और फ्रांस के बूर्बो वंश के राजा पूर्णतया स्वेच्छाचारी थे, और उनके शासन का स्वरूप प्रायः वही था, जो भारत के मुगल बादशाहों का था। यद्यपि इंग्लैण्ड में सतरहवीं सदी के मध्य भाग में ही राज्य-क्रान्ति के परिणामस्वरूप वैध राजसत्ता का प्रादुर्भाव हो चुका था, पर अठारहवीं सदी की ब्रिटिश पार्लियामेंट जनता का नाममात्र को ही प्रतिनिधित्व करती थी। जिसे हम लोकतन्त्रवाद कहते हैं, उसका ब्रिटेन में भी सूत्रपात वस्तुतः, अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में और उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ही हुआ था। यूरोप के अन्य देशों से तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासनों का अन्त उन्नीसवीं सदी में ही हुआ।

जिस प्रकार व्यावसायिक क्रान्ति द्वारा यूरोप के आर्थिक जीवन में नवयुग का सूत्रपात हुआ, वैसे ही फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने यूरोप के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का प्रारम्भ किया। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति द्वारा जो नई प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुईं, वे लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता की थीं। भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक परम्परा आदि की दृष्टि से जो लोग एक हों, उनका अपना पृथक् राज्य होना चाहिए, और इस राज्य में किसी एक राजा या किसी एक कुलीन श्रेणी का शासन न होकर सर्वसाधारण जनता का शासन होना चाहिए, ये विचार ससार के इतिहास में फ्रांस की राज्य-क्रान्ति की देन हैं।

व्यावसायिक क्रान्ति और राज्य-क्रान्ति के कारण यूरोप के इतिहास में 'आधुनिक युग' का प्रारम्भ हुआ, पर विचार व वैज्ञानिक आविष्कार किसी एक देश व भू-भाग तक सीमित नहीं रह सकते। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र आदि के क्षेत्रों में भारत ने जो आविष्कार किए थे, वे धीरे-धीरे अरब और यूरोप में फैल गए थे। चीन द्वारा आविष्कृत छापाखाना, कागज, दिग्दर्शक यन्त्र आदि को समयान्तर में अन्य सब देशों ने अपना लिया था। इसी प्रकार अठारहवीं सदी में व्यावसायिक क्रान्ति और राज्यक्रान्ति के कारण जो नई प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुईं, वे केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रह सकी। धीरे-धीरे वे अन्य देशों में भी फैल गयीं, और संसार के प्रायः सभी देशों में उनके कारण आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ।

बारूद का पहले-बहुल आविष्कार मंगोल लोगों ने किया था। इस आविष्कार के कारण मंगोल लोगों के हाथ में एक ऐसी शक्ति आ गई थी, जो किसी अन्य जाति व देश के पास नहीं थी। इसी कारण वे प्रशान्त महासागर से कैस्पियन सागर तक विस्तृत विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए थे। अठारहवीं सदी के नए वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण पश्चिमी यूरोप के हाथों में भी ऐसे साधन आ गए थे, जिनसे कि इंग्लैण्ड, फ्रांस, हालैण्ड आदि पाश्चात्य देश एशिया व अफ्रीका के विविध प्रदेशों को अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हो गए थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक एशिया के अधिकांश प्रदेश पाश्चात्य देशों के प्रभाव व आधिपत्य में आ चुके थे। भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन अठारहवीं सदी में ही स्थापित होना शुरू हो गया था, और १७५७ में प्लासी की लड़ाई के परिणामस्वरूप बंगाल पर अंग्रेजी प्रभुत्व कायम हो गया था। १८५७ तक पूरी एक सदी अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के संघर्ष में लगानी पड़ी। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत में अंग्रेजी राज्य की नीव पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हो गई थी।

भारत में आधुनिक युग का प्रारम्भ—अंग्रेजी शासन के परिणामस्वरूप भारत के इतिहास में नए युग का प्रारम्भ हुआ, जिसे हमने 'आधुनिक-युग' कहा है। जिस प्रकार व्यावसायिक क्रान्ति और राजनीतिक क्रान्ति के कारण यूरोप में एक ऐसे नए युग का सूत्रपात हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक यूरोप मध्यकालीन यूरोप से बहुत भिन्न व बहुत अधिक उन्नत हो गया, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन के कारण भारत में उन सब प्रवृत्तियों (व्यवसायिक क्रान्ति, राजनीतिक जागरण, धार्मिक सुधार आदि) का प्रादुर्भाव हुआ, जो इस देश में भी नवयुग व आधुनिकता को लाने में समर्थ हुईं। यह नहीं समझना चाहिए, कि अंग्रेजी राज्य के अभाव में ये नई प्रवृत्तियाँ भारत में प्रादुर्भूत न होती। जापान कभी किसी पाश्चात्य देश के अधीन नहीं रहा। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जापान की भी प्रायः वही दशा थी, जो अठारहवीं सदी में भारत की थी। पर जब जापानी लोगों ने यह अनुभव कर लिया, कि वे ज्ञान-विज्ञान आदि के क्षेत्र में पाश्चात्य लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं, वे अपनी उन्नति के लिए तत्पर हो गए, और आधी सदी के स्वल्प काल में ही यूरोपियन लोगों के समकक्ष बन गए। यह ठीक है, कि राजनीतिक दृष्टि से अठारहवीं सदी के भारत की दशा जापान से बहुत भिन्न थी। अनेक छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता और उनके राजाओं के निरन्तर संघर्ष के कारण इस देश के लिए उन्नति-

पथ पर आरूढ़ होना उतना सुगम नहीं था जितना कि जापान के लिए था। पर चीन में भी किसी विदेशी राजशक्ति का प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं हुआ था, वहाँ की राजनीतिक अवस्था प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की थी। फिर भी चीनी लोग आधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान को अपना कर अपनी उन्नति में समर्थ हुए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ज्ञान-विज्ञान व विचार किसी एक देश व जाति की सम्पत्ति बनकर नहीं रह सकते। वे वायु के समान होते हैं, जो शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाते हैं। आधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान का प्रादुर्भाव पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ था, बाद में उसे पूर्वी यूरोप के देशों ने अपनाया, और फिर एशिया में भी वे प्रसारित हो गए। इतिहास का यही क्रम है। यदि भारत पर अंग्रेजी राज्य कायम न भी होता, तो भी इस देश में उन ज्ञान-विज्ञानों का प्रवेश हो जाता, जो इंग्लैण्ड और फ्रांस में प्रादुर्भूत हुए थे, और उनके कारण यहाँ नवयुग व आधुनिकता का भी प्रारम्भ हो जाता। पर हमें यह स्वीकार करना होगा, कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान व राजनीतिक प्रवृत्तियों के भारत में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया में सहायता अवश्य मिली। मात्र जो भारत व्यावसायिक व राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका कारण वे प्रवृत्तियाँ ही हैं, जो अंग्रेजी शासन के समय में इस देश में बलवती होनी शुरू हो गई थी। अंग्रेज शासकों ने जान-बूझकर इन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ किया हो, यह सत्य नहीं है। अंग्रेजों की आर्थिक नीति यह थी, कि भारत इंग्लैण्ड की आर्थिक समृद्धि का साधनमात्र बनकर रहे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के वस्त्र-व्यवसाय को नष्ट करने का प्रयत्न किया, ताकि इंग्लैण्ड के कारखानों में तैयार हुआ कपड़ा इस देश में सुगमता के साथ बिक सके। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक अंग्रेजों का यही प्रयत्न था, कि भारत में कल-कारखानों का विकास न होने पाए, और इस देश का आर्थिक जीवन इस ढंग का बना रहे, जिससे कि इंग्लैण्ड के कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल को सस्ती कीमत पर भारत से प्राप्त करता रहे। पर अंग्रेजों की इस नीति के बावजूद भी यह सम्भव नहीं था, कि यूरोप की व्यावसायिक क्रान्ति का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही यहाँ कल-कारखाने स्थापित होने शुरू हो गए, और बीसवीं सदी के शुरू के स्वदेशी आन्दोलन ने भारत की व्यावसायिक क्रान्ति को बहुत सहायता पहुँचाई।

ब्रिटिश शासन के कारण भारत में आधुनिक युग के सूत्रपात में सहायता— पर यह निर्विवाद है, कि भारत में नवयुग या 'आधुनिक-युग' के प्रारम्भ होने में ब्रिटिश शासन द्वारा अनेक रूपों में मदद मिली। इसे हम निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) ब्रिटिश युग में सम्पूर्ण भारत एक शासन की अधीनता में आ गया। औरंगजेब के बाद मुगल शासन की शक्ति के क्षीण होने पर भारत में जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो गए थे, उन सबकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त कर अंग्रेजों ने भारत में एक केन्द्रीय शक्तिशाली सरकार की स्थापना की। इस कारण भारत में एक सदी के लगभग समय तक इस ढंग की शान्ति और व्यवस्था कायम रही, जैसी कि शायद मौर्य-युग के बाद कभी नहीं रही थी।

(२) अंग्रेजी राज्य के समय में भारत पर कोई ऐसे विदेशी आक्रमण नहीं हुए, जो इस देश की शान्ति और व्यवस्था को भंग कर सकते। बीसवीं सदी के दो महायुद्धों के अन्तर पर भी भारत विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रान्त होने से बचा रहा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा संगठित भारतीय सेना और ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति इस देश की रक्षा के लिए जागरूक थी।

(३) सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित सरकार स्थापित कर अंग्रेजों ने भारत में वही कार्य किया, जो लुई १४वें जैसे शक्तिशाली राजा ने फ्रांस में, हेनरी आठवें ने इंग्लैण्ड में, फिलिप द्वितीय ने स्पेन में और पीटर ने रूस में किया था। इन राजाओं से पूर्व फ्रांस आदि यूरोपियन देशों में भी बहुत-से छोटे-छोटे राजाओं व सामन्तों की सत्ता थी, जो निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहते थे। शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के अभाव में राज्य के अन्दर शान्ति व व्यवस्था कायम नहीं हो पाती थी। फ्रांस में लुई चौदहवें ने विविध सामन्त राजाओं को अपना वशवर्ती बनाया, और एक मुदूठ व शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना की। भारत में अकबर सदा शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने भी यही प्रयत्न किया था। यदि औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति को परिवर्तित न करता, तो शायद मुगलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में मुदूठ व शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो जाती, और विदेशी राजशक्तियों के लिए उस देश पर अपना आधिपत्य कायम करना सम्भव न होता। पर औरंगजेब की नीति के कारण अठारहवीं सदी में भारत में सर्वत्र अव्यवस्था और अराजकता उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति का अन्त कर सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय सरकार की स्थापना अंग्रेजों का एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें इस देश में नवयुग के सूत्रपात में बहुत अधिक सहायता मिली।

(४) अंग्रेजी राज्य की स्थापना से भारत में अंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ। अंग्रेजों ने अपनी भाषा को ही सरकारी कार्य के लिए प्रयुक्त किया, और विवश होकर उन भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ी, जो राज्यकार्य में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बने। अंग्रेजी के प्रवेश के कारण उन सब ज्ञान-विज्ञानों व विचारधाराओं का स्रोत भारत के लिए खुल गया, जिनका विकास इस युग में इंग्लैण्ड व यूरोप के अन्य देशों में हो रहा था। इससे न केवल भारत की वैज्ञानिक व व्यावसायिक उन्नति में सहायता मिली, अपितु राष्ट्रीयता, लोकतन्त्रवाद, समाजवाद आदि के नए विचार भी इस देश में प्रसारित हुए। ब्रिटिश शासन और अंग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण भारत का अन्य देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्थापित हुआ।

(५) अपने शासन को भारत में भली-भाँति स्थापित रखने के लिए अंग्रेज भी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर करते थे। पर इस मुविशाल देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए और विदेशी आक्रमणों से इसकी रक्षा करने के लिए केवल अंग्रेजी सेना ही पर्याप्त नहीं हो सकती थी। अंग्रेजों ने भारत की विजय भारतीय सैनिकों की सहायता से ही की थी। भारत में मृत सैनिकों को प्राप्त कर सकना उनके लिए बहुत मुगम था। इस कारण ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को अच्छी बड़ी सख्या में अपनी सेना में भरती किया। धीरे-धीरे भारतीयों की

एक ऐसी सेना तैयार हो गई, जो शस्त्र-संचालन व युद्ध-नीति के सब आधुनिक तरीकों से अवगत थी। अंग्रेजों का प्रयत्न था, कि यह सेना देश-भक्ति और राष्ट्रीयता की भावनाओं से दूर रहे। बहुत समय तक वे अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए। पर भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ सेना में भी देश-भक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी, और द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) तक यह स्थिति आ गई, कि अंग्रेजों के लिए भारत में अपने आधिपत्य को कायम रखने के कार्य में भारतीय सैनिकों पर निर्भर रह सकना कठिन हो गया।

ये सब बानें थी, जिन्होंने ब्रिटिश युग में भारत में 'आधुनिकता' व नवीन युग का सूत्रपात करने में सहायता की। इसी प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि भारत में मध्य-काल का अन्त होकर आधुनिक युग का प्रादुर्भाव पूर्णतया उस ढंग से नहीं हुआ, जैसा कि यूरोप में हुआ था। यूरोप में नवयुग की स्थापना में निम्नलिखित प्रवृत्तियों ने सहायता पहुँचाई थी —

(१) विद्या का पुनःजागरण (रिनेसांस)—तेरहवीं सदी से ही यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न होने शुरू हो गए थे, जो ईसाई चर्च के प्रमाणवाद के विरुद्ध थे, और जो बुद्धि-स्वातन्त्र्य व वैज्ञानिक विधि में सत्य की खोज के पक्षपाती थे। रोजर बेकन (१२१०-१२९२) सदा अनेक विचारकों ने इस बात पर जोर देना शुरू किया था, कि हमें पुरानी लकीर का फकीर न होकर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। सत्य को जानने का यह साधन नहीं है, कि हम प्राचीन धर्म-ग्रन्थों को कठस्थ करें, व उनके शब्दार्थ पर बहस करते रहें। इसके लिए हमें अपने दिमाग को प्रमाणवाद में मुक्त कर वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए तत्पर होना चाहिए। बुद्धि-स्वातन्त्र्य के इसी आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप यूरोप के अनेक विचारक परीक्षणों द्वारा सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त हुए। कोर्निकस (१४७३-१५४३) और गेलिलियो (१५६४-१६४२) जैसे व्यक्तियों ने परीक्षणों द्वारा अनेक ऐसे भ्रम-ग्रन्थों का खण्डन किया, जो ईसाई धर्म-ग्रन्थों पर आधारित थे। ईसाई चर्च ने इन स्वतन्त्र विचारकों को कड़े से कड़े दण्ड दिए, पर इन सब अत्याचारों के बावजूद भी यूरोप में बुद्धि-स्वातन्त्र्य और वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति रुकी नहीं, और धीरे-धीरे यूरोप के लोगों ने उन वैज्ञानिक तथ्यों का पता कर लिया, जिनके कारण संसार में नवयुग का प्रारम्भ हुआ।

(२) पन्द्रहवीं सदी में यूरोप में धार्मिक सुधारणा (रिफॉर्मेशन) का आन्दोलन शुरू हुआ, जिनके कारण ईसाई चर्च का आधिपत्य बहुत कुछ शिथिल हो गया, और ईसाई धर्म में अनेक ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, जिनमें नवचेतना और अनुपम स्फूर्ति थी।

(३) बुद्धि-स्वातन्त्र्य और वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्तियों के कारण छठारहवीं सदी में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, जिसने यूरोप के आर्थिक व सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये।

(४) इंग्लिश राज्यक्रान्ति (सत्रहवीं सदी) और फ्रांस की राज्यक्रान्ति (छठारहवीं सदी) ने यूरोप में लोकतन्त्रवाद और राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिनके कारण सर्वसाधारण जनता को सामाजिक जीवन और राजनीति में समुचित स्थान प्राप्त करने का सुभ्रवसर मिला।

भारत के इतिहास में नवयुग का सूत्रपात होने में न इतना समय लगा, और न ये सब प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न कालों में ही प्रगट हुईं। अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण अकस्मात् ही भारत का सम्पर्क एक ऐसे देश के साथ हो गया, जो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में ससार का शिरोमणि था, और जो व्यावसायिक उन्नति और लोकतन्त्र शासन में अन्य देशों का अग्रणी था। इसीलिये विद्या के पुनर्जागरण और धार्मिक सुधारणा से पूर्व ही यहाँ यातायात के साधनों में उन्नति प्रारम्भ हो गयी। १८५३ में भारत में रेलवे का प्रयोग शुरू हो गया, और नई व पक्की सड़कों के निर्माण द्वारा स्थल मार्गों में बहुत उन्नति हुई। नई-नई नहरें निकालकर जमीन की सिंचाई प्रारम्भ की गयी, जो कृषि की उन्नति में सहायक हुई। रेलवे, पोस्ट-ऑफिस, तार आदि के प्रयोग से भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन आने लगा, और बाद में वस्त्र, लोहा, कोयला, जूट आदि के कारखानों द्वारा व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न भी इस देश में प्रकट होने लगे।

अंग्रेजी शिक्षा के प्रवेश के कारण भारतीयों ने अनुभव किया, कि हम लोग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गये हैं। इस अनुभव ने दो प्रवृत्तियों को जन्म दिया—कुछ विचारक यह सोचने लगे, कि पाश्चात्य देशों ने परीक्षणों द्वारा जिन तथ्यों का पता किया है, वे प्राचीन भारतीयों को ज्ञात थे। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, विश्व नक्षत्र, तारा, ग्रह आदि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपनी-अपनी जगह पर स्थित है—ये सब वैज्ञानिक तथ्य वेद-शास्त्रों में प्रतिपादित हैं। अतः यूरोप के नये ज्ञान-विज्ञान को सीखना किसी नये तथ्य को अग्रगत करना नहीं है, अपितु विस्मृत व उपेक्षित सत्त्यों की ओर फिर अपने ध्यान को आकृष्ट करना है। अन्य विचारकों ने सोचा, कि हमें अपनी सब शक्ति को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को अग्रगत करने में ही लगाना चाहिये। पुराने शास्त्रों को कण्ठस्थ करने व उनके अनुशीलन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देने से कोई विशेष लाभ नहीं है। दोनों प्रकार के विचारकों के चिन्तन का परिणाम एक सत्ता ही हुआ। भारत में नये ज्ञान-विज्ञान को सीखने की प्रवृत्ति बल पकड़ने लगी, और प्रमाणवाद का अन्त होकर बुद्धि-स्वातन्त्र्य की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। भारत के विविध धर्मों व सम्प्रदायों में सुधार की प्रवृत्ति भी इस समय शुरू हुई, और ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज आदि के रूप में अनेक ऐसे नये धार्मिक आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका उद्देश्य धर्म के क्षेत्र में सुधार करना था। इन नये धार्मिक आन्दोलनों के कारण भारत की पुरानी सामाजिक रूढ़ियों व परम्पराओं में भारी परिवर्तन हुआ, और पुराने सिद्धान्तों व मन्तव्यों की इस ढग से व्याख्या प्रारम्भ हुई, जो नवयुग की विचारधारा के अनुकूल है। भारत एक राष्ट्र है, उसका अपना स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये, और इस राज्य का शासन लोकतन्त्रवाद के अनुसार होना चाहिये, ये विचार भी इस युग में विकसित हुए, और इनके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन का अन्त कर स्वराज्य की स्थापना के लिये आन्दोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में सर्वसाधारण जनता में स्वराज्य की भावना ने इतना प्रबल रूप धारण कर लिया, कि अंग्रेजों के लिये भारत पर शासन कर सकना कठिन सम्भव नहीं रहा, और १९४७ में भारत ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र हो गया।

उनतीसवाँ अध्याय

भारत का नव-जागरण

(१) नवीन शिक्षा

भारतीय इतिहास के ब्रिटिश युग की एक मुख्य विशेषता यह है, कि इस काल में देश में नव-जागरण का प्रारम्भ हुआ। संसार के प्रायः सभी देशों में मध्यकाल 'अन्धकार का युग' था, जिसमें मानव-समाज विविध प्रकार की रूढ़ियों में फंसा हुआ था, और मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर शास्त्रीय प्रमाणवाद पर निर्भर रहता था। ब्रिटिश युग से पूर्व भारत में भी यही दशा थी। इस दशा का अन्त कर नवयुग का प्रारम्भ करने में वह नवीन शिक्षा बहुत सहायक हुई, जिसका सूत्रपात ब्रिटिश शासन द्वारा ही भारत में हुआ था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा शिक्षा के प्रयत्न—अठारहवीं सदी के मध्य भाग में जब बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ, तो वहाँ शिक्षा के प्रधान केन्द्र वे मदरसे और पाठशालाएँ थी, जिनका संचालन धर्म-संस्थाओं द्वारा होता था। इनमें मुख्यतया अरबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। गणित, इतिहास, भूगोल आदि आधुनिक विषयों के पठन-पाठन की उनमें कोई भी व्यवस्था नहीं थी। पुराने धर्मशास्त्रों और प्राचीन भाषाओं के ग्रंथों में जो कुछ ज्ञान उपलब्ध था, विद्यार्थी केवल उन्हीं ही प्राप्त कर सकते थे। शुरू-शुरू में जब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो उन्होंने भी नवीन शिक्षा-पद्धति पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज लोग समझते थे कि भारतीयों के लिए वही शिक्षा-पद्धति उपयुक्त है, जो परम्परागत रूप से इस देश में चली आ रही है। अरबी, फारसी व संस्कृत के अध्ययन से ही इस देश के लोगों का काम चल सकता है, उन्हें नये ज्ञान-विज्ञान को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अठारहवीं सदी में इंग्लैंड में भी शिक्षा का कार्य प्रधानता ईसाई चर्च के ही हाथों में था और आक्सफोर्ड व कैंब्रिज सदृश विश्वविद्यालयों में भी ग्रीक और लैटिन के अध्ययन को ही अधिक महत्त्व दिया जाता था। इसलिए १७८१ में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में जिस मदरसे की स्थापना की, उसमें अरबी और फारसी के उच्चतम अध्ययन का प्रबन्ध किया गया। १७८४ में सर विलियम जोन्स ने 'एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल' का संगठन किया, जिसका उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान का अनुशीलन था। १७९२ में जोनाथन डंकन द्वारा काशी में संस्कृत कालेज कायम किया गया। ये तीनों संस्थाएँ प्राचीन ज्ञान के अनुशीलन के लिए ही स्थापित की गई थीं। अठारहवीं सदी के अन्त तक भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कि सर्व-साधारण जनता को शिक्षित करने और यूरोप में प्रादुर्भूत हुए नवीन ज्ञान से भारतीयों को परिचित कराने के सम्बन्ध में भी सरकार का कोई कर्तव्य है।

ईसाई मिशनरियों के शिक्षणालय—यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी नवीन शिक्षा के सम्बन्ध में सर्वथा उदासीन थे, पर ईसाई पादरियों का ध्यान इस की ओर आकृष्ट हुआ। उनका ख्याल था, कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने मद्रास प्रान्त में अनेक शिक्षा-संस्थाओं का प्रारम्भ किया। १७६२ में विलियम कैरी नाम का पादरी कलकत्ता आया, और उसके प्रयत्न से बंगाल में अनेक स्कूल स्थापित हुए। वहाँ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध था, और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी के साथ-साथ गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान आदि आधुनिक विषयों की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते थे। विलियम कैरी के प्रयत्न से पहले-पहल बंगाली भाषा में बाइबल का अनुवाद हुआ, और बंगाल की इस लोकभाषा में गद्य-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ।

हिन्दू कालिज की स्थापना—ईसाई पादरियों के अनुकरण में अनेक विचार-शील व देशभक्त भारतीयों का ध्यान भी नवीन शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ, और राजा राममोहन राय व उनके माथियों के प्रयत्न से कलकत्ता में हिन्दू कालिज की स्थापना हुई। यही कालिज प्रागे चलकर 'प्रेसीडेन्सी कालिज' के नाम से विख्यात हुआ।

सरकारी शिक्षा का प्रारम्भ—ईसाई पादरियों और राजा राममोहन राय सदा भारतीयों के प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा के लिये जो रुचि उत्पन्न हो रही थी, सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी शासकों ने भी शिक्षा के प्रदन पर विचार किया। पर भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इस विषय पर अंग्रेज विचारकों में मतभेद था। बहुसंख्यक अंग्रेजों का यह विचार था, कि भारत के लिये मस्कृत, अरबी व फारसी की शिक्षा ही अधिक उपयुक्त है, और सरकार को उसी के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पर मकाले सदा अनेक विचारक यह प्रतिपादित करते थे, कि शासन कार्य की सुविधा के लिए यह आवश्यक है, कि कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजों की विचारसंज्ञा से भी भली-भाँति परिचित हों। इस विशाल देश में शासन का कार्य चलाने के लिए बहुत-से भारतीय कर्मचारियों का सहयोग भी आवश्यक होगा, और ये तभी अपना कार्य भली-भाँति कर सकेंगे जबकि अंग्रेजी भाषा व इंगलिश संस्थाओं से ये भली-भाँति परिचित होंगे। शुरू में पहला मत अधिक प्रबल रहा, और इसी कारण उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण तक सरकार की ओर से शिक्षा-सम्बन्धी जो भी प्रयत्न हुए, उन सबका उद्देश्य भारत को प्राचीन भाषाओं और उनके साहित्य का अध्ययन ही था। पर बाद में जब ब्रिटिश शासन अधिक विस्तृत हो गया, तो आवश्यकता से विवश होकर सरकार की ओर से अनेक ऐसी शिक्षा-संस्थाएँ भी स्थापित की गईं, जिनमें अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। १८५७ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश युग की प्रथम भारतीय यूनिवर्सिटी थी। १८५७ और १८८७ के बीच के तीस वर्षों में बम्बई, मद्रास, लाहौर और इलाहाबाद में चार नई यूनिवर्सिटियाँ कायम हुईं, जिनमें इंग्लैण्ड की विविध यूनिवर्सिटियों में दी जाने वाली शिक्षा को दृष्टि में रखकर अध्ययन-अध्यापन का प्रबन्ध किया गया। साथ ही, बहुत से

स्कूल व कालिज भी इस काल में स्थापित किये गए, जिनके द्वारा भारतीयों को नवीन ढंग की शिक्षा प्राप्त करने का सुवर्णाय अवसर प्राप्त हुआ ।

इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नवीन शिक्षा का लाभ मुख्यतया मध्य श्रेणी ने ही उठाया, क्योंकि इससे उन्हें अपने जीवन की उन्नति का अवसर प्राप्त होता था । अंग्रेज शासकों को सरकार का मंचालन करने के लिए ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जो उनकी भाषा को समझते हों, और छोटे राजकीय पदों को सम्भालकर उनके आदेशों को क्रिया में परिणत करने की सामर्थ्य रखते हों । अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त कोई भी नवयुवक इस समय सुगमता से नौकरी प्राप्त कर सकता था । लोग इस नई शिक्षा का यही लाभ समझते थे, कि इसे प्राप्त कर उन्हें अपने योग्यता का साधन प्राप्त हो जायगा । मकाले मद्दश अंग्रेज शिक्षा-विज्ञ भारतीयों को शिक्षा देने का यही प्रयोजन समझते थे ।

वे भारत में ऐसे शिक्षित लोगों को एक नई श्रेणी उत्पन्न करने के लिए उत्सुक थे, जो रंग में तो काले हों, पर भाषा, विचार, मानसिक चिन्तन, देश-भूषा व रहन-सहन की दृष्टि से अंग्रेजों के सदृश हों । इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई और गुरु-गुरु में जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, वे अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजों की तरह रहने और अपने विदेशी शासकों का सब प्रकार से अनुकरण करने में गौरव अनुभव करने लगे । कुलीन वर्ग के वे लोग, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व राजशाक्ति के प्रयोग में हाथ बटाते थे, अंग्रेजी शिक्षा को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे । इसलिए उन्होंने इन नई शिक्षा-मस्थाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया । धार्मिक सकीर्णता व कट्टरता के कारण मुसलमानों को भी इस नई शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं थी । परिणाम यह हुआ, कि भारतीय जनता के ये वर्ग अंग्रेजी शिक्षा के लाभों से वंचित रह गये ।

नवीन शिक्षा का विकास—ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शिक्षा के विषय में लार्ड मेकाले के मत को स्वीकार कर लिया था, अतः १८३५ ई० के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी के साथ विकास प्रारम्भ हुआ । १८३५-३६ में सरकार की ओर से २३ सरकारी स्कूल खोले गये, जिनमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रधान स्थान दिया गया था, और शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी को ही रखा गया था । १८४२ में ऐसे स्कूलों की संख्या ५१ हो गई, और १८५५ में ११५१ । १८५७ में कलकत्ता में भारत के पहले अंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इस वर्ष का अन्त होने से पूर्व ही मद्रास और बम्बई में भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए । १८८० तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, और देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या २५ लाख से भी अधिक हो गई थी । स्कूल विभाग की शिक्षा को सुसंगठित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कमिशनो की नियुक्ति की गई, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष रूप से जोर दिया । १८७२ ई० में नियुक्त किये गये हण्टर कमिशन ने यह सिफारिश की, कि प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ भारतीय भाषाओं

की उन्नति का भी यत्न किया जाना चाहिए। जो लोग अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से नई शिक्षा-संस्थाएँ खोलें, उन्हें सरकार की ओर से उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देने की सिफारिश भी हण्टर कमीशन द्वारा की गई। १९१० ई० में केन्द्रीय भारत सरकार के अधीन एक पृथक् शिक्षा विभाग खोला गया, जिसके द्वारा भारत में शिक्षा प्रसार के लिए बहुत उपयोगी कार्य हुआ। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१९) के बाद जब भारत के विविध प्रान्तों में प्रान्तीय स्वशासन की आगिक रूप से स्थापना की गई, तो शिक्षा का विषय उन मंत्रियों के हाथों में दिया गया, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थे। इन मंत्रियों ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। इसी कारण १९१७ से १९२२ तक के पाँच वर्षों में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या ५ से बढ़कर १४ हो गई, और पटना (१९१७), बाराणसी, (१९१७) हैदराबाद, (१९१८) लखनऊ, (१९२०), अलीगढ़ (१९२०), दिल्ली (१९२२) आदि में अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए। शिक्षा प्रसार के साथ-साथ भारत में कालिजो और विश्वविद्यालयों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। १९५२ ई० तक भारत में कुल मिलाकर ३७ विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, और उनसे सम्बद्ध कालिजों की संख्या तो सैकड़ों में थी।

उच्च शिक्षा के साथ-साथ माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर भी सरकार ने ध्यान दिया। इसके लिए सब प्रान्तों में पृथक्-पृथक् शिक्षा-विभागों का संगठन किया गया, और प्रायः सब बड़े नगरों में हाई स्कूलों और इंटरमीडिएट कालिजों की स्थापना हुई। प्रारम्भिक स्कूल तो प्रायः सभी नगरों, कस्बों और बड़े गाँवों में कायम किये गये। इन शिक्षणालयों में शिक्षा का क्या ढंग हो, कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाएँ, और इन पर सरकारी नियंत्रण का क्या स्वरूप हो—इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने समय-समय पर अनेक कमीशनो और कमेटियों की नियुक्ति की, जिनकी सिफारिशों के अनुसार शिक्षा पद्धति में अनेक महत्वपूर्ण सुधार भी किए गये।

भारत में नवीन शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा ही नहीं हुआ। सुशिक्षित भारतीय जनता का ध्यान भी शिक्षा की समस्या की ओर गया, और विविध धार्मिक सम्प्रदायों तथा समाजों ने अपनी-अपनी शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर शिक्षा-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। यूरोप के ईसाई पादरी भारत में अपने धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे। शिक्षणालयों को वे धर्म प्रचार का महत्वपूर्ण साधन समझते थे। इसीलिए अठारहवीं सदी में भी ईसाई पादरियों ने भारत में अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। उन्नीसवीं सदी में इन ईसाई शिक्षा-संस्थाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई, और भारत के प्रायः सभी बड़े नगरों में ईसाइयों द्वारा कालिज और स्कूल कायम किए गए। इन शिक्षणालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहाँ अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान और नवीन विचारों से परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहाँ साथ ही ईसाई धर्म के प्रभाव से भी वे बचि नही रहते थे। अनेक देशभक्त भारतीयों ने अपने देश में ईसाई धर्म के इस बढ़ते हुए प्रभाव को हानिकारक समझा, और उन्होंने ऐसे शिक्षणालयों की स्थापना पर ध्यान दिया, जिनमें नवीन

शिक्षा के साथ-साथ भारतीय धर्मों और संस्कृति का वातावरण हो। राजा राममोहन राय ने इसी उद्देश्य से १८१६ ईस्वी में हिन्दू कालिज की स्थापना की थी। उन्नीसवीं सदी में भारत में जो नए धार्मिक आन्दोलन चले, उन सबने शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया। इसी कारण आर्य समाज ने दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कालिजों और आर्य विद्यालयों की स्थापना शुरू की, और सनातनधर्म सभा आदि हिन्दू संस्थाओं द्वारा अनेक सनातन धर्म कालिजों व हिन्दू कालिजों को कायम किया गया। अलीगढ़ का ऐंग्लो-ओरियण्टल कालिज भी इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। भारत के इतिहास में उन्नीसवीं सदी नवजागरण की सदी थी। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, जैन आदि सभी धर्मों में इस काल में नई चेतना उत्पन्न हो रही थी। इसी कारण इन सब धार्मिक सम्प्रदायों की ओर से बहुत-से कालिज व स्कूल इस युग में स्थापित किए गए, जिनमें नए ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा के साथ-साथ अपने धार्मिक वातावरणों को उत्पन्न करने का प्रयत्न भी किया जाता था। भारत में नवीन शिक्षा के विकास पर विचार करते हुए, यह बात ध्यान में रखने योग्य है, कि शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न सरकार द्वारा किया गया, उससे कहीं अधिक प्रयत्न उन विविध धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा हुआ, जिनकी स्थापना भारत में नई जागृत उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई थी। बहुत से धनी व सम्पन्न लोगों ने भी शिक्षणालय कायम करके अपने धन का सदुपयोग किया, और उनके प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा के विकास में बहुत अधिक सहायता मिली।

इन सब बातों का यह परिणाम हुआ, कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। देश के युवक पुराने ढंग की संस्कृत, फारसी व अरबी की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा और नए ज्ञान-विज्ञानों को अधिक महत्त्व देने लगे, और उनके विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आना शुरू हुआ।

अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया—यद्यपि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का तेजी के साथ विकास हो रहा था, पर ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं थी, जो नई शिक्षा को देश के लिए हानिकारक समझते थे। उन्हें नए ज्ञान-विज्ञान से कोई विरोध नहीं था। पर वे यह पसन्द नहीं करते थे, कि भारतीय बालकों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। उनका विचार था कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन पर अधिक जोर देने के कारण भारतीय युवकों में हीनता की भावना उत्पन्न होती है, वे अपने देश की संस्कृति को तुच्छ समझने लगते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते में गौरव अनुभव करने लगते हैं। यह बात धर्म और राष्ट्रीयता दोनों के लिए विधातक है। इसी लिए उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में महात्मा मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जिसमें जहाँ संस्कृत और वैदिक साहित्य के अध्ययन को प्रमुख स्थान दिया गया, वहाँ साथ ही हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा नए ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर में 'शान्ति निकेतन' की स्थापना की, जो १९२१ ई० में विश्वभारती यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। टैगोर द्वारा स्थापित यह शिक्षा-संस्था भी गुरुकुल कांगड़ी के समान भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र है, और उच्च शिक्षा भी वहाँ बंगाली भाषा में दी जाती है। शान्तिनिकेतन और गुरुकुल के अनुकरण में अनेक

अन्य 'राष्ट्रीय' शिक्षणालय बीसवीं सदी के प्रथम चरण में कायम हुए, जिन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने से इन्कार किया।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब १९२१ ई० में असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, तो सरकारी शिक्षणालयों का बहिष्कार भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इस समय भारत में काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, नेशनल कालिज लाहौर आदि अनेक शिक्षा-संस्थाएँ कायम हुईं, जिनमें भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये सब संस्थाएँ उस प्रतिक्रिया का परिणाम थीं, जो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध भारत में प्रारम्भ हुई थी।

धीरे-धीरे इस तथ्य को भारत के शिक्षासास्त्रियों ने स्वीकार कर लिया, कि अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देना जहाँ राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकारक है, वहाँ विद्या-धियों के मानसिक विकास में भी इसके कारण बाधा पहुँचती है। पहले हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को स्वीकार किया गया, और अब बड़े-बड़े मध्यम भी आ चुका है, जबकि कालिजों में भी शिक्षा और परीक्षा के लिए भारतीय भाषाओं को माध्यम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इसके कारण जहाँ नवीन शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष आशिक रूप से दूर हो गया है, वहाँ सर्वसाधारण जनता में शिक्षा के प्रसार में भी इससे बहुत सहायता मिल रही है।

नवीन शिक्षा के परिणाम—(१) अंग्रेज शासकों ने भारत में नई शिक्षा का सूत्रपात चाहे किन्हीं भी उद्देश्यों में किया हो, पर यह सम्भव नहीं था कि अंग्रेजी साहित्य के विचारों का भारतीयों पर कोई प्रभाव न पड़ना। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक इंग्लैण्ड में लोकतन्त्रवाद और जन-साधारण के अधिकारों के आन्दोलन अच्छा प्रबल रूप धारण कर चुके थे। १८३२ के सुधार कानून (रिफॉर्म एक्ट) द्वारा इंग्लैण्ड में वोट के अधिकार को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया। १८३८ में इंग्लैण्ड में दास प्रथा का अन्त करने के लिए कानून बनाया गया। १८३८ में इंग्लैण्ड में चार्टिस्ट आन्दोलन ने जोर पकड़ा, और जनता लोकतन्त्रवाद की स्थापना के लिए उतावली हो उठी। १७८६ और १८३० में फ्रांस को केन्द्र बनाकर राज्यक्रान्ति की जो लहरे यूरोप में प्रादुर्भूत हुई थी, इंग्लैण्ड की जनता और अंग्रेजी साहित्य को उसने प्रभावित किया, और अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के साहित्य की रचना शुरू हुई, जो स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद की भावनाओं से अनुप्राणित था। अंग्रेजी भाषा द्वारा इस साहित्य का भी भारत में प्रवेश हुआ, और इस देश के अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग अपने देश की सामाजिक व राजनीतिक दुर्दशा को अनुभव करने लगे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में जब भारत में अनेक विश्वविद्यालय कायम हुए, तो उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहाँ प्राधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने में समर्थ हुए, वहाँ साथ ही उन्हें उन विचार-धाराओं का भी ज्ञान हुआ, जो इस युग में इंग्लैण्ड व यूरोप के अन्य देशों में विकसित हो रही थी। भारत को ब्रिटिश शासन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र होना चाहिए, और इस देश में भी लोकतन्त्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, इन विचार के विकास में नई शिक्षा द्वारा बहुत सहायता मिली।

इतिहास, भूगोल, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, साहित्य आदि आधुनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण भारत में एक ऐसे शिक्षित वर्ग का विकास हुआ, जिसके लोग जहाँ एक तरफ सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपने वैयक्तिक उत्कर्ष के लिए उन्मुक्त थे, वहाँ साथ ही जो यह भी अनुभव करते थे, कि भारत को भी इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी आदि पश्चात्य देशों के समान उन्नति-पथ पर आरूढ़ होना चाहिए। अपने देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दुर्दशा को ये तीव्रता के साथ अनुभव करते थे, और इस बात के लिए उन्मुक्त थे, कि भारत में भी नवयुग का सूत्रपात हो, और भारतीयों का कार्य केवल अंग्रेजी सरकार-रूपी यंत्र का पुर्जा बनकर रहना ही न रहे, अपितु अपने देश के शासन-यंत्र के संचालन में भी उनका हाथ हो।

(२) नवीन शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत की जनता को अपनी धार्मिक और सामाजिक दुर्दशा का बोध हुआ। हिन्दू धर्म बहुत पुराना है। छठी सदी ईस्वी-पूर्व में बुद्ध, महावीर आदि ने उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया था, और धार्मिक सुधारणा के एक नवीन आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था। मुसलमानों का शासन स्थापित होने पर पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदियों में भी भारत में अनेक ऐसे सन्त महात्मा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने कि इस देश के पुराने धर्म में सुधार कर जनता में नवजीवन का संचार करने का प्रयत्न किया था। यही प्रक्रिया अब उन्नीसवीं सदी में भी हुई, जबकि नवीन शिक्षा के कारण राजा राममोहन राय, महादेव गोविन्द रानडे आदि सुधारकों ने हिन्दू समाज की कुरीतियों का अनुभव कर उसमें सुधार का प्रयत्न किया। स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस आदि ऐसे सुधारक भी इस काल में उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि हिन्दू-धर्म के वास्तविक व उत्कृष्ट रूप को जनता के सम्मुख रखकर उसमें नई चेतना व जागृति पैदा करने की कोशिश की।

(३) भारत की भौतिक और आर्थिक उन्नति में भी नवीन शिक्षा ने बहुत सहायता पहुँचाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस नवीन शिक्षा का सूत्रपात किया गया था, उसमें औद्योगिक और शिल्प सम्बन्धी शिक्षा, कृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा और चिकित्सा-शास्त्र को भी समुचित स्थान दिया गया था। १९४७ ईस्वी तक भारत में इंजीनियरिंग और टेकनोलॉजी की शिक्षा देने वाले ५०९ स्कूल और १७ कालिज स्थापित हो गए थे, और मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की शिक्षा देने वाले २९ कालिज और २० स्कूल इस काल तक भारत में स्थापित कर दिए गये थे। कृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा देने वाले कालिजों की संख्या भी १५ तक पहुँच गई थी। इनके कारण हजारों की संख्या में ऐसे मुशिक्षित व्यक्ति तैयार हो गए थे, जो देश की भौतिक उन्नति व लोक-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए उपयुक्त योग्यता रखते थे।

(४) नवीन शिक्षा द्वारा जहाँ इतने लाभ हुए, वहाँ उससे कुछ हानियाँ भी हुईं। भारतीयों में मानसिक गुलामी को विकसित करने में इस शिक्षा द्वारा बहुत सहायता मिली। पराधीन जाति के लोग स्वाभाविक रूप से अपने शासकों के सम्मुख अपने को हीन समझने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि उन्हें शिक्षा भी ऐसी दी जाए, जो उनमें हीन भावना को विकसित करे, तब तो उनमें राष्ट्रीय व जातीय गौरव का स्वाभाविक रूप में ह्रास होने लगता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस ढंग की शिक्षा-

प्रणाली का भारत में प्रारम्भ किया गया था, उसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रमुख स्थान था। भारतीय भाषाओं की उसमें उपेक्षा की जाती थी। शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी को ही रखा गया था। इन शिक्षणालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा की योग्यता को ही विद्वत्ता का मानदण्ड समझते थे, और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते में गौरव अनुभव करते थे। अंग्रेजी रहन सहन, आचार विचार और आदर्शों का उनकी दृष्टि में बहुत अधिक महत्त्व था। यह प्रवृत्ति भारत की अपनी संस्कृति और राष्ट्रियता के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई।

(५) पर नवीन शिक्षा ने बहुत-से देशभक्त भारतीयों का ध्यान अपने देश के लुप्त गौरव की ओर भी आकृष्ट किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में संस्कृत भाषा और प्राचीन साहित्य के अध्ययन को भी स्थान दिया गया था। संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन पुराने ढंग के पंडितों द्वारा भी जारी था, पर वैज्ञानिक विधि से उसका अनुशीलन नवीन यूनिवर्सिटियों द्वारा ही शुरू किया गया। नए ढंग से प्राचीन साहित्य और दर्शन का अध्ययन कर अनेक युवकों में अपने देश की प्राचीन विचारधारा के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, और वे भारतीय संस्कृति व आदर्शों को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रवृत्त हुए। भारत के प्राचीन इतिहास की शोष को भी नई यूनिवर्सिटियों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस कारण भारत के लुप्त इतिहास का जनता को ज्ञान हुआ, और वह अपने अतीत गौरव से प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त कर देश की दशा को सुधारने के लिए प्रवृत्त हुई।

(६) स्त्री शिक्षा के प्रचार में भी नवीन शिक्षा बहुत सहायक हुई। चिरकाल तक मुसलिम शासन के अधीन रहने के कारण भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति बहुत हीन हो गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जिस नवीन शिक्षा का सूत्रपात किया गया, उसमें स्त्रियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा प्राप्त करके स्त्रियों को अपनी दुर्दशा का अनुभव हुआ, और ऐसे अनेक सामाजिक सुधार-सम्बन्धी आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका उद्देश्य बालविवाह और परदे की प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार व स्थिति प्रदान करना था।

(२) धार्मिक सुधार के आन्दोलन

समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार के जो विविध आन्दोलन उन्नीसवीं सदी में भारत में शुरू हुए, वे सब नवीन शिक्षा के ही परिणाम नहीं थे। इसमें सन्देह नहीं, कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य साहित्य को पढ़कर अनेक सुधारकों ने ऐसे आन्दोलनों का भी सूत्रपात किया, जिनका उद्देश्य भारत के समाज व धर्म में आमूलचूल परिवर्तन करना था। पर साथ ही आर्य समाज सत्स अनेक ऐसे आन्दोलन भी इस युग में शुरू हुए, जो हिन्दू-धर्म की बुराइयों व कुरीतियों को दूर कर सच्चे व सनातन धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। हम इस प्रकरण में इन दोनों प्रकार के सुधार आन्दोलनों पर अत्यन्त संक्षेप के साथ प्रकाश डालने का यत्न करेंगे।

ब्राह्म समाज—१८२८ ई० में राजा राममोहन राय ने 'ब्राह्म-समाज' नाम से एक नई संस्था की स्थापना की, जिसमें वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे, जो ईश्वर में विश्वास रखते हों और मूर्ति पूजा के विरोधी हो। इस सभा के लिए कलकत्ता में एक भवन का निर्माण किया गया, जिसका स्वामित्व ट्रस्टियों की एक समिति के मुमुर्दं किया गया था। १८३० में इस भवन के सेल डीड (विक्रय-पत्र) का निर्माण करते हुए राजा राममोहन राय ने लिखा था, कि नसल, जाति व धर्म का भेदभाव रखे बिना सब प्रकार के लोग इस भवन में आ कर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, और इस उपासना के लिए किसी प्रतिमा, मूर्ति व कर्मकाण्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। १८२८ में स्थापित हुई इस ब्राह्म सभा से ही ब्राह्म समाज का उद्भव माना जाता है, और बहुतों का यह विश्वास है कि राजा राममोहन राय ही इस समाज के आदि-संस्थापक थे। पर वस्तुतः ब्राह्म समाज की स्थापना उनकी मृत्यु के बाद हुई थी। राजा राममोहन राय अन्तिम क्षण तक अपने को हिन्दू मानते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, और उनके द्वारा स्थापित ब्राह्म सभा में वेद मन्त्रों द्वारा ही ईश्वर की उपासना की जानी थी।

ब्राह्म समाज के वास्तविक संस्थापक श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर (रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता) थे। वे १८४३ में ब्राह्म-आन्दोलन में शामिल हुए, और उनके प्रयत्न से इस आन्दोलन ने एक पृथक् समाज व सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया। उन्होंने 'तत्त्व-बोधिनी पत्रिका' नाम से एक नवीन पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया, और 'महा-निर्वाणनत्र' के आधार पर एक नई दीक्षा-विधि का निर्माण किया, जिसके अनुसार ब्राह्म समाज के सदस्यों को दीक्षा दी जानी शुरू की गई। पर देवेन्द्रनाथ टैगोर वेदों में विश्वास रखते थे, और उन्हीं को सब धर्मों का आदि स्रोत मानते थे। कुछ समय बाद ब्राह्म समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति प्रविष्ट हुए, जो वेदों की प्रामाणिकता के स्थान पर बुद्धि और तर्क को अधिक महत्त्व देने के पक्षपाती थे। इनके नेता श्री अक्षयकुमार दत्त थे। दत्त महोदय और उनके साथी वेदों की अपौरुषेयता में सन्देह प्रकट करते थे, और पाश्चात्य विचार-सरणी के अनुसार सामाजिक सुधार के आन्दोलन को चलाना चाहते थे। इन लोगों के कारण धीरे-धीरे ब्राह्म-समाज हिन्दू धर्म व समाज से दूर हटने लगा, और उसमें एक पृथक् सम्प्रदाय के रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ। सन् १८५७ में श्री केशवचन्द्र सेन ब्राह्म-समाज में सम्मिलित हुए, और उनके कारण इस नए सम्प्रदाय में नवीन स्फूर्ति और उत्साह का संचार हुआ। केशवचन्द्र की प्रेरणा से बहुत-से ऐसे लोग ब्राह्म-समाज में शामिल हुए, जिन्होंने कि सासारिक उत्कर्ष व सुख को लात मार कर अपने समाज के सिद्धान्तों के प्रचार में ही अपने जीवन को लगा देने का सकल्प कर लिया था। इन उत्साही लोगों के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि सन् १८६५ में भारत के विविध प्रदेशों में ब्राह्म समाज की ५५ शाखाएँ स्थापित हो गईं, जिनमें से पचास बंगाल में, दो उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त में, एक पंजाब में और एक मद्रास में थी। केशव चन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने बहुत उन्नति की, पर कुछ समय बाद देवेन्द्र नाथ टैगोर से उनका मतभेद हो गया। केशव-चन्द्र सेन और उनके साथी अन्तर्जातीय विवाह और विधवा-विवाह के पक्षपाती थे,

और उनका प्रचार करना अपना कर्त्तव्य समझते थे। उनका यह भी कहना था कि यज्ञोपवीत धारण करने वाले पुराने ढंग के ब्राह्मण पण्डितों को ब्राह्म-समाज की वेदी से उपदेश देने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये लोग 'आधुनिकता' के पक्षपाती थे, और ब्राह्म-समाज को एक नवीन ढंग का धार्मिक सम्प्रदाय बना देने के लिए प्रयत्नशील थे। देवेन्द्रनाथ टैगोर इस बात से सहमत नहीं हुए। वे ब्राह्म-समाज को हिन्दू धर्म का ही एक अंग बनाए रखना चाहते थे।

केशवचन्द्र सेन और देवेन्द्र नाथ टैगोर के मतभेद ने इतना उग्र रूप धारण किया, कि ब्राह्म समाज दो दलों में विभक्त हो गया। देवेन्द्र नाथ के अनुयायियों से पृथक् होकर दूसरे दल ने अपना पृथक् संगठन बना लिया। केशवचन्द्र सेन इसके प्रधान नेता थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्म समाज ने असाधारण उन्नति की, और देवेन्द्रनाथ टैगोर का 'आदि ब्राह्म समाज' पीछे रह गया। बहुमूल्यक ब्राह्म सामाजियों ने केशवचन्द्र सेन का साथ दिया। यद्यपि केशवचन्द्र और उनके अनुयायी 'आधुनिकता' के पक्षपाती थे, पर वे अपने मज्जातन्तुगत मस्कारों से ऊपर नहीं उठ सके। बाद में चैतन्य द्वारा प्रचारित भक्ति धारा के प्रवाह में बहकर उन्होंने भी सकीर्तन को महत्त्व देना शुरू किया, और ब्राह्म लोग केशवचन्द्र सेन की उसी ढंग से पूजा करते लगे, जैसे कि मध्य-युग में मन्त गुरुओं की पूजा होती थी। प्रगतिशील ब्राह्म समाजियों का यह बात पसन्द नहीं आई। उन्होंने आन्दोलन करना शुरू किया, कि ब्राह्म समाज के नियमों को स्पष्ट रूप में निर्धारित करना और उसके सिद्धान्तों व मन्तव्यों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना अनिवार्य है। इसके बिना समाज में ऐसे तत्त्व प्रविष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे, जो ब्राह्म आन्दोलन के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हों। साथ ही, प्रगतिशील ब्राह्म-समाजियों ने अनेक ऐसी बातें भी कहनी शुरू की, जो केशवचन्द्र सेन को स्वीकार्य नहीं थी। वे कहते थे, स्त्रियों का भी उसी ढंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए, जैसी कि पुरुष प्राप्त करते हैं। स्त्रियों और पुरुषों को स्वतन्त्र रूप से मिलने का अवसर मिलना चाहिए, और परदा प्रथा का पूर्ण रूप में अन्त कर देना चाहिए। १८७८ ई० में केशवचन्द्र सेन ने चौदह वर्ष की आयु की अपनी कन्या का विवाह कूचबिहार के महाराजा के साथ कर दिया। ये महाराज कट्टर सनातनी थे। ब्राह्म-समाजियों को अपने नेता की यह बात बिल्कुल भी पसन्द नहीं आई। वे उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए, और प्रगतिशील ब्राह्म-समाजियों ने 'साधारण ब्राह्मसमाज' नाम से एक पृथक् संगठन बना लिया।

साधारण ब्राह्म समाज ने आगे चलकर बहुत उन्नति की। इसके अनुयायी सामाजिक सुधार पर बहुत बल देते थे। वे बाल-विवाह के विरोधी थे, विधवा-विवाह का समर्थन करते थे, परदे को हटाकर स्त्रियों को उच्च शिक्षा देना परम आवश्यक समझते थे, और बहु-विवाह को मानव समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक मानते थे। सब धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए वे विविध धर्मों के धर्म-ग्रन्थों को पढ़ना उपयोगी समझते थे, और इस प्रकार विश्वबन्धुत्व की भावना को प्रोत्साहित करते थे। विविध जातियों में विवाह सम्बन्ध स्थापित करना और खान-पान विषयक संकीर्ण विचारों का विरोध करना भी वे अपना कर्त्तव्य समझते थे। इसमें सन्देह नहीं, कि

साधारण ब्राह्म समाज के आन्दोलन ने बंगाल में हिन्दू-धर्म की पुरानी रूढ़ियों व कुरी-तियों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी कार्य किया। ईसाई व मुसलमानों को अपने समाज में शामिल करने में यद्यपि उन्हें सफलता नहीं हुई, पर हिन्दू समाज में उन्होंने एक ऐसा वर्ग अवश्य उत्पन्न कर दिया, जो पुरानी रूढ़ियों का विरोध करके एक उन्नत प्रकार का सामाजिक जीवन बिताने का पक्षपाती था। धुरु में बंगाल के सनातनी हिन्दुओं ने ब्राह्म समाज का बहुत विरोध किया। वे इस समाज के सदस्यों को विधर्मी व विजातीय समझते लगे। पर धीरे-धीरे उनकी मनोवृत्ति में अन्तर आने लगा। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ अन्य हिन्दुओं ने भी अनुभव किया, कि बाल विवाह बुरी बात है, और स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह सामाजिक उन्नति के लिए उपयोगी हैं। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्राह्म समाज के मन्तव्य बहुत क्रान्तिकारी माने जाते थे। पर बीसवीं सदी में हिन्दू धर्म के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग उनका समर्थन करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ, कि सुशिक्षित हिन्दुओं और ब्राह्म समाजियों में भेद कम होता गया। ब्राह्म-समाज के आन्दोलन से हिन्दू-धर्म में सुधार की प्रक्रिया को बहुत बल मिला। ब्राह्म लोग मूर्तिपूजा के विरोधी थे, विविध देवी-देवताओं की पूजा का विरोध कर वे एक ईश्वर की उपासना का प्रचार करते थे। हिन्दू-धर्म ईश्वर में विश्वास रखता है, पर साथ ही यह मानता है, कि विविध देवी-देवता सर्वशक्तिमान् भगवान् की विविध शक्तियों के प्रतीक हैं। यह विश्वास हिन्दू-धर्म में इतना बढमूल है, कि ब्राह्म आन्दोलन इसमें शिथिलता नहीं ला सका। बंगाल के हिन्दू आज स्त्री-शिक्षा के पक्षपाती हैं, बाल विवाह के विरोधी हैं, सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में वे ब्राह्मों के अनेक मन्तव्यों को स्वीकार कर चुके हैं, पर विविध देवी-देवताओं के रूप में भगवान की पूजा करने की बात का वे त्याग नहीं कर सके।

प्रार्थना-समाज—राजा राममोहनराय ने धर्म और समाज में सुधार का जो आन्दोलन शुरू किया था, उसका प्रभाव महाराष्ट्र पर भी पडा। इसी आन्दोलन से प्रभावित होकर १८५६ ई० में महाराष्ट्र में 'परमहंस-सभा' की स्थापना हुई। पर इस सभा को अपने कार्य में विशेष सफलता नहीं मिली। केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में जब ब्राह्म आन्दोलन ने जोर पकडा, तो उसमें प्रभावित होकर १८६७ ई० में महाराष्ट्र में एक नई संस्था की स्थापना की गई, जिसे 'प्रार्थना समाज' कहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को हिन्दू-धर्म के प्रति प्रगाढ अनुराग था। नामदेव, जानदेव, तुकाराम, रामदास आदि सन्तो ने वहाँ की जनता में हिन्दू-धर्म के प्रति श्रद्धा की भावना को बहुत बढा दिया था। इस कारण वे ब्राह्म समाज जैसी संस्था के अनुयायी नहीं बन सकते थे, क्योंकि इस समाज के लोग अपने को हिन्दू समाज से पृथक् समझते थे। पर महाराष्ट्र के लोग यह अनुभव करते थे, कि हिन्दू-धर्म में अनेक सुधार आवश्यक हैं। अछूतोंद्वारा, जाति-भेद का विरोध, अन्तर्जातीय विवाह और खानपान, स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह आदि को वे हिन्दू-जाति की उन्नति के लिए उपयोगी समझते थे। हिन्दू-धर्म के सिद्धान्तों के विषय में किसी प्रकार का परिवर्तन करने व उनमें संशोधन करने की आवश्यकता प्रार्थना समाज के सदस्यों को अनुभव नहीं होती थी। उनका ध्यान हिन्दुओं की सामा-जिक कुरीतियों को दूर करने पर ही केन्द्रित था। इसीलिए उन्होंने अनेक अनायालयों,

विधवाश्रमों और कन्या-पाठशालाओं की स्थापना की, और श्रद्धालुओं की दशा को सुधारने के लिए एक 'दलितोद्धार मिशन' कायम किया। महाराष्ट्र व उसके समीप के प्रदेशों में प्रार्थना समाज ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और उसके प्रयत्न से हिन्दू जाति की सामाजिक दशा के सुधारने में बहुत सहायता मिली। इस समाज के प्रधान नेता महादेव गोविन्द रानाडे थे, जो ब्रिटिश सरकार की सेवा में न्यायाधीश (जस्टिस) के पद पर नियुक्त थे। जस्टिस रानाडे के समाज-सुधार-सम्बन्धी विचार बहुत सुलभे हुए थे। उनका मन्तव्य था, कि सामाजिक सुधार के उत्साह में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए, कि मनुष्य और समाज का अपने भूतकाल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। पुरानी परम्पराओं को एकदम तोड़ सकना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं होता। अतः सुधारक का यह कर्तव्य है, कि वह मानव-समाज के भूतकाल को दृष्टि में रखते हुए और उसके मञ्जातन्तुगत संस्कारों तथा पुरानी प्रथाओं का आदर करते हुए ही उनमें परिष्कार का प्रयत्न करे।

आर्य-समाज—प्राचीन हिन्दू-धर्म में नवजीवन का मचार करने और हिन्दू जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए उन्नीसवीं सदी में जिन विविध आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, उनमें आर्य समाज का स्थान सबसे अधिक महत्त्व का है। जो कार्य बंगाल में राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने किया, वही उत्तरी भारत में स्वामी दयानन्द (१८२४-१८८३) ने किया। दयानन्द काठियावाड़ के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। बुद्ध और वर्धमान महावीर के समान उन्हें भी युवावस्था में ही सामाजिक जीवन से बैराग्य हो गया था, और वे घर बाहर का परित्र्याग कर तप्य की खोज में निकल पड़े थे। ईश्वर का क्या स्वरूप है, हिन्दू धर्म का वास्तविक रूप क्या है, और ईश्वर के ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति का क्या साधन है—इन बातों की जिज्ञासा को लेकर उन्होंने भारत में दूर-दूर तक भ्रमण किया, बहुत-से साधु-महात्माओं व विद्वानों का सत्संग किया और अनेक प्रकार से तपस्या की। भारत-भ्रमण में जनता की वास्तविक दशा को देखते हुए और वेदादि प्राचीन धर्मग्रन्थों का अनुशीलन करते हुए उन्होंने अनुभव किया, कि हिन्दू धर्म का जो रूप उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में विश्वमान था, वह प्राचीन आर्य धर्म से बहुत भिन्न था। दयानन्द अंग्रेजी भाषा से सर्वथा अपरिचित थे। न वे ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क में आए थे, और न ही उन्हें पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला था। केवल वेद शास्त्रों का अनुशीलन कर वे इस परिणाम पर पहुँचे, कि बाल विवाह सर्वथा अनुचित है, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह शास्त्र-सम्मत है, और समाज में ऊँच-नीच का भेद-भाव आर्यधर्म के विपरीत है। जातिभेद उस वर्ण-व्यवस्था का विकृत रूप है, जिसमें कि गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानव-समाज को चार भागों में विभक्त किया गया था, और प्रत्येक मनुष्य को यह अवसर था कि वह अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण प्राप्त कर सके। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। छूत और श्रद्धालु का भेद धर्म-विरुद्ध है, प्राचीन आर्य समुद्र को पार कर दूर-दूर तक यात्रा किया करते थे, और अब भी भारतीयों को अपने संकीर्ण विचारों का परित्र्याग कर देश-विदेश की यात्रा करनी चाहिए। ईश्वर एक है, और सबको उस एक ईश्वर

की ही उपासना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा वेदों में विहित नहीं है, और निराकार ईश्वर की प्रतिमा बनाई ही नहीं जा सकती। ईश्वर मानव रूप धारण कर कभी भ्रवतार नहीं लेता, राम और कृष्ण स्वयं भ्रवतार माने जाने वाले व्यक्ति वस्तुतः महापुरुष थे, जिनका हमें उचित आदर तो करना चाहिए, पर उन्हें ईश्वर का भ्रवतार नहीं मानना चाहिए। मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म ग्रहण करता है, अतः श्राद्ध द्वारा उसे जल या भोजन पहुँचाने का प्रयत्न करना सर्वथा निरर्थक है। मन्दिरों में मूर्ति पर अर्घ्य चढ़ाना ईश्वर की पूजा का समुचित साधन नहीं है; इसके लिए मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और देवी गुणों को अपने अन्दर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हिन्दू-धर्म विषयक दयानन्द के ये विचार सचमुच क्रान्तिकारी थे। इनके प्रतिपादन के लिए उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'सत्यार्थ-प्रकाश' मुख्य है। वेदों की शिक्षा को सर्वसाधारण जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने वैदिक संहिताओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय इतिहास में यह पहला भ्रवसर था, जब कि किसी विद्वान् ने 'अपौरुषेय' और 'अखिल धर्म मूल' वेदों का लोक-भाषा में अनुवाद करने का उपक्रम किया था। दयानन्द की मातृभाषा गुजराती थी, पर उन्होंने अपनी पुस्तकें हिन्दी में लिखी, क्योंकि वे समझते थे कि हिन्दी-भाषा द्वारा ही वे अपने विचारों को उत्तरी भारत की सर्वसाधारण जनता तक पहुँचा सकते हैं। दयानन्द पहले लेखक थे, जिन्होंने हिन्दी में बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना की। अपने विचारों व सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 'आर्य समाज' की स्थापना की, जिसकी शालाएँ शीघ्र ही भारत के प्रायः सभी प्रधान नगरों में कायम हो गयीं। दयानन्द ने हिन्दू धर्म की बुराइयों को दूर कर केवल सुधार का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु यह भी प्रतिपादित किया कि अन्य धर्मों के अनुयायी भी आर्य समाज में प्रवेश कर हिन्दू-जाति के अंग बन सकते हैं। प्राचीन समय में हिन्दू धर्म में वह पावनी शक्ति विद्यमान थी, जिसके कारण वह यवन, शक, हूण आदि विदेशी व विधर्मी जातियों को आत्मसात् कर सका था। इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू-धर्म में इतनी सकीर्णता आ गई, कि हिन्दू लोग किसी विधर्मी को अपने अन्दर लीन नहीं कर सकते थे। साधारण प्रकार की धार्मिक व सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करने के कारण हिन्दुओं को धर्म-भ्रष्ट मान लिया जाता था। मुसलमान व ईसाई इस स्थिति से लाभ उठा रहे थे, और बहुत-से हिन्दू हर साल अन्य धर्मों में दीक्षित होने के लिए विवश होते थे। दयानन्द ने कहा, कि प्रत्येक मनुष्य को आर्य समाज में प्रविष्ट होने का भ्रवसर है। कोई भी मनुष्य 'शुद्धि' द्वारा हिन्दू बन सकता है। किसी ममय वेदों का धर्म सारे संसार में प्रचलित था, और आर्य समाज को यह यत्न करना चाहिए, कि एक बार फिर वैदिक धर्म का देश देशान्तर व द्वीप-द्वीपान्तर में प्रचार हो जाए। निःसन्देह, दयानन्द के ये विचार एकदम क्रान्तिकारी और मौलिक थे।

दयानन्द केवल वेदों के अगाध विद्वान् और सुधारक ही नहीं थे। भारत की राजनैतिक दुर्दशा का भी उन्होंने तीव्रता के साथ अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुयायियों का ध्यान भारत के उस लुप्त गौरव की ओर आकृष्ट किया, जब कि इस देश के चक्रवर्ती सम्राट् भारत से बाहर के प्रदेशों को भी अपनी अधीनता में ले आने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, और जब भारत को 'जगद्गुरु' की स्थिति प्राप्त थी। उन्होंने

कहा, आपसी फूट के कारण ही भारत का प्राचीन गौरव नष्ट हो गया, और यह देश पहले मुसलमानों द्वारा आक्रान्त हुआ, और बाद में अंग्रेजों के द्वारा। विदेशी शासन का अन्त कर भारत को 'स्वराज्य' के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह आवाज पहले-पहल दयानन्द ने ही उठाई। उन्होंने यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया, कि 'मुशासन' कभी 'स्वशासन' का स्थान नहीं ले सकता। विदेशी राज चाहे कितना ही उत्कृष्ट व मुशासित क्यों न हो, स्वराज्य उसकी अपेक्षा अच्छा है। पाश्चात्य विचारसरणी व पाश्चात्य भाषाओं से पूर्णतया अपरिचित होते हुए भी दयानन्द ने जो इस ढंग के विचार जनता के सम्मुख रखे, उन्हें पढ़कर आश्चर्य-चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। गरीबी और अमीरी की समस्या को हल करने के लिए भी दयानन्द ने सर्वथा मौलिक विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने लिखा, कि यह जाति-नियम और राजनियम होना चाहिए, कि मातृ वयं की श्रायु होने पर सब बच्चों को शिक्षणालयों में भेज दिया जाय, ताकि सबको योग्यता-प्राप्ति का समान रूप से अवसर मिल सके। शिक्षणालयों में राजा और रक सबकी सन्तान को एक मर्यादा भोजन, शय्या, वस्त्र व शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा की समाप्ति पर सबको योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाना चाहिए। निःसन्देह, दयानन्द एक मौलिक विचारक थे, और उन्होंने प्राचीन वेदशास्त्रों के आधारे पर हिन्दू-धर्म का एक ऐसा स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जिसके कारण हिन्दू-धर्म क्रियात्मक क्षेत्र में भी समाज के उन्नत धर्मों की समकक्षता में आ गया।

दयानन्द की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए आर्यसमाज ने जहाँ बहुत-से भजनोपदेशकों और धर्म प्रचारकों को नियत किया, वहाँ बहुत-से विद्यालयों, कालेजों, अनाथालयों, विधवाश्रमों, चिकित्सालयों और आश्रमों की भी स्थापना की। ईसाई चर्च के प्रसार-कार्य को दृष्टि में रखकर आर्य-समाज ने उपदेशक-मण्डलियाँ तैयार की, जो विविध नगरों और ग्रामों में घूम-घूम कर जनता को वैदिक धर्म का संदेश देती थी, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करती थी, और विधर्मी लोगों को आर्य-समाज व हिन्दू बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती थी। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में आर्य-समाज ने अनुपम कार्य किया। आर्य-समाज के प्रायः सभी मन्दिरों के साथ पुत्री-पाठशालाओं की स्थापना की गयी। अछूतोंद्वारा आर्यसमाज का अन्यन्त महत्वपूर्ण कार्य था। अछूत जातियों के कितने ही व्यक्ति आर्यसमाज के सम्पर्क में आकर 'पंडित' व 'ठाकुर' बन गये। पढ़ाई के मेध और शिल्पकार आर्यसमाज द्वारा 'महाशय' बना दिए गए, और वे यज्ञोपवीत धारण कर यज्ञ-हवन करने में तत्पर हो गये।

वैदिक साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के लिए आर्य-समाज ने गुरुकुलों की स्थापना की, जिनमें निःशुल्क शिक्षा पद्धति का आश्रय लिया गया, और सब 'ब्रह्मचारियों' को एक समान वस्त्र, भोजन व शय्या देने की व्यवस्था की गयी। गुरुकुलों द्वारा भारत के प्राचीन ज्ञान के अनुशीलन में बहुत सहायता मिली, और इनमें पढ़े हुए विद्यार्थी वेदशास्त्रों की नये रूप में व्याख्या करने में समर्थ हुए। दयानन्द सरस्वती के बाद आर्य समाज के मुख्य नेताओं में स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा हंसराज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वामी श्रद्धानन्द गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के प्रवर्तक थे। पर आर्य-समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को

प्राचीन वेद शास्त्रों के अनुशीलन को अपेक्षा अधिक महत्त्व देते थे। इनके नेता महात्मा हंसराज थे। उन्होंने लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कालेज की स्थापना की, और समयान्तर में इसी प्रकार के अनेक कालेज भारत के अन्य नगरों में भी खोले गए। इन कालेजों में विद्यार्थियों का रहन-सहन आर्य समाज के आदर्शों के अनुसार होता था, और नए ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ उन्हें वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुलों की शिक्षा में प्राचीन वेद-शास्त्रों को प्रमुख स्थान दिया गया, पर आधुनिक ज्ञान-विज्ञानों की उपेक्षा नहीं की गयी। इन संस्थाओं की शिक्षा में एक महत्त्व की बात यह थी, कि गणित, रसायनशास्त्र आदि आधुनिक विज्ञानों की शिक्षा भी हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि आर्यसमाज द्वारा स्थापित गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी व राष्ट्रीय आदर्शों का अनुसरण करते थे। जिन समय सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, गुरुकुल में उच्च शिक्षा के लिए भी हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकृत किया जाता था।

धर्म तथा सामाजिक मुद्धार के क्षेत्र में आर्य-समाज ने जो कार्य किया, उसका भारत के नवजागरण में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। सदियों तक विदेशी व विधर्मी लोगों के शासन में रहने के कारण हिन्दू जनता में हीन भावना का विकास हो गया था। दयानन्द ने उनका ध्यान हिन्दू-जाति और आर्य धर्म के प्राचीन गौरव की ओर आकृष्ट करके उनमें नई स्फूर्ति का मंचार किया, और उसमें यह आकांक्षा उत्पन्न की कि एक बार फिर हिन्दू लोग अपने लुप्त गौरव को प्राप्त करें। वेद संसार का सबसे प्राचीन धर्म-ग्रन्थ है, सब धर्मों का उद्भव आर्य धर्म से ही हुआ है, आर्य जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है, और भारतीय सभ्यता व संस्कृति अब भी संसार को शान्ति का मार्ग प्रदर्शित कर सकती है—इन विचारों ने हिन्दू लोगों में अपूर्व उत्साह किया, और वे अपनी कुर्गीतियों को दूर करने व उन्नति-पथ पर आरूढ़ होने के लिए उत्सुक हो गये।

रामकृष्ण मिशन—जिस समय ऋषि दयानन्द उत्तरी भारत में हिन्दू जाति में नवजीवन का संचार करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बंगाल में एक अन्य महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) था। ये कलकत्ता के समीप एक मन्दिर में निवास करते थे, और वहाँ योग ध्यान में व्यापृत रहते थे। इन्होंने किसी नए समाज व संस्था की स्थापना नहीं की। इनके अघ्यात्मचिन्तन, उच्च त्याग-मय जीवन और पवित्र आदर्शों ने बहुत-से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया, और कलकत्ता के बहुत-से सुशिक्षित नवयुवक इनके दर्शनों के लिए आने लगे। इनमें मरेन्द्रनाथ दत्त नाम के तेजस्वी व प्रतिभाशाली नवयुवक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये ही आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का देश-विदेश में प्रसार करने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व अनुपम था, उनकी विद्वत्ता अगाध थी, और उनमें वह तेजस्विता विद्यमान थी, जो अघ्यात्मशक्ति के कारण उत्पन्न होती है। १८९३ में वे शिकागो की विश्व-धर्मपरिषद् (पालियामेट आफ रिलिजन्स) में शामिल हुए, और वहाँ भारतीय अघ्यात्मज्ञान पर उनका जो व्याख्यान हुआ, उसे सुनकर लोग चकित रह गए। तीन साल के लगभग समय तक वे अमेरिका में रहे, और वहाँ वेदान्त,

अध्यात्म आदि विषयों पर प्रवचन करते रहे। कुछ ही समय में पाश्चात्य जगत् में उनका बहुत नाम हो गया, और वहाँ की जनता हिन्दू-धर्म और उसके अध्यात्मवाद को आदर की दृष्टि से देखने लगी। विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और उन द्वारा उपदिष्ट अध्यात्मवाद का ही प्रतिपादन करते थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जन-समाज की सेवा करने के लिए 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की गई, जिसकी शालाएँ कुछ समय में ही भारत तथा विदेशों में अनेक स्थानों पर कायम हो गयीं। रामकृष्ण मिशन के सदस्य जहाँ अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व मन्तव्यों का उपदेश करते हैं, वहाँ साथ ही चिकित्सालय, शिक्षणालय आदि खोलकर जनता की सेवा भी करते हैं। रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर एक है, और अध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन होना ही मनुष्य का चरम ध्येय है। पर विविध देवी-देवताओं के रूप में विश्व की सर्वोपरि शक्ति की पूजा की जा सकती है, और प्रतिमापूजन द्वारा मनुष्य अध्यात्म-शक्ति का विकास कर सकता है। रामकृष्ण विविध धर्मों व सम्प्रदायों की आधारभूत एकता पर भी विश्वास रखते थे। उनका मन्तव्य था, कि विविध धर्म उन विविध मार्गों के समान हैं, जो मनुष्य को एक ही मजिल की तरफ ले जाते हैं। जिस प्रकार जल के पानी, वाटर, आब आदि कितने ही नाम हैं, वैसे ही हरि, अल्लाह, कृष्ण आदि एक ही सत्ता के बोधक हैं। ईश्वर एक है, पर एक होते हुए भी वह अपने को विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है। निर्गुण और सगुण दोनों रूपों से उसकी उपासना की जा सकती है।

इस युग के अनेक अन्य धार्मिक आन्दोलनों के समान रामकृष्ण मिशन ने भी हिन्दू जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। भारत की अशिक्षित, रोगग्रस्त, पददणित और पीडित जनता की सेवा करना और उसकी स्थिति को उन्नत करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानन्द जहाँ भारत के अध्यात्मवाद का देश-विदेश में प्रचार करते थे, वहाँ साथ ही वर्तमान भारत की दुर्दशा की ओर भी वे संसार का ध्यान आकृष्ट करते थे। उनका विश्वास था, कि भौतिक सुखों के पीछे पागल हुई आधुनिक दुनिया को भी भारत का अध्यात्मवाद सच्ची शान्ति का सन्देश दे सकता है। पर यह तभी सम्भव है, जब कि भारत अपनी तमोमयी निद्रा से जागकर संसार में अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त कर ले। स्वामी विवेकानन्द का दृष्टिकोण न केवल अन्तर्राष्ट्रीय था, पर साथ ही राष्ट्रीय भी था। इसलिए उनके मिशन द्वारा भारत के नव-जागरण में बहुत सहायता मिली।

थियोसोफिकल सोसाइटी—सन् १८५७ में मादाम ब्लॉवत्स्की और कर्नल आलकोट ने अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। १८७६ और १८८६ में वे भारत भी आए, और इन्होंने भारत के विविध धार्मिक आन्दोलनों के साथ सम्पर्क स्थापित किया। धार्यसमाज के प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती से भी इनका सम्पर्क हुआ, और कुछ समय के लिए इन्होंने यह भी प्रयत्न किया, कि धार्यसमाज और थियोसोफिकल सोसाइटी परस्पर मिलकर एक हो जाए, और साथ मिलकर ही कार्य करें। पर दयानन्द वेदों की अपौरुषेयता पर बल देते थे, और इसी कारण ब्लॉवत्स्की व आलकोट का उनके साथ मेल नहीं हो सका। धार्य-समाज के साथ मिलकर एक हो जाने

के विषय में निराश होकर इन्होंने मद्रास के अदयार नामक स्थान पर अपना केन्द्र स्थापित किया, और भारत के विविध प्रदेशों में अपने सिद्धान्तों का प्रचार शुरू किया। प्रारम्भ में इस सोसाइटी को विशेष सफलता नहीं मिल सकी, पर जब १८६३ में श्रीमती एनी बीसेन्ट ने स्थिर रूप से भारत में बसकर थियोसोफिकल आन्दोलन का संचालन शुरू किया, तो इसकी गति बहुत बढ़ गई, और बहुत-से शिक्षित लोग इसकी ओर आकृष्ट हुए। श्रीमती बीसेन्ट का कहना था, कि भारत अपनी सब समस्याओं का हल सुगमतापूर्वक कर सकता है, बशर्ते कि वह अपने प्राचीन आदर्शों और संस्थाओं का पुनरुद्धार कर ले। भारत के लिए यह आवश्यक है, कि उसके निवासियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो, वे अपने गौरवमय भूतकाल पर गर्व करें और अपने भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखें। इसके बिना भारतीयों में देश-भक्ति का विकास हो सकना सम्भव नहीं है। भारत में नवराष्ट्र का निर्माण तभी हो सकेगा, जब कि इस देश के लोग अपने धर्म, सभ्यता व संस्कृति के लिए गर्व अनुभव करने लगेंगे। निःसन्देह, श्रीमती बीसेन्ट के इन विचारों से भारतीय जनता में स्फूर्ति और आशा का संचार हुआ। श्रीमती बीसेन्ट लिखने और बोलने की अपूर्व योग्यता रखती थी। उनके भाषण को सुनते हुए श्रोतागण मन्त्र-मुग्ध हो जाते थे। भारत में उन्हें सच्चा प्रेम था, और स्वराज्य आन्दोलन के साथ वे हार्दिक सहानुभूति रखती थी। इसीलिए जनता ने उन्हें राष्ट्रीय महासभा (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया था। श्रीमती बीसेन्ट के प्रयत्न से थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखाएँ भारत के अनेक नगरों में स्थापित हुईं, और उनके सम्पर्क में आकर सुशिक्षित लोगो ने अपने देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को गौरव की दृष्टि से देखना शुरू किया। श्रीमती बीसेन्ट द्वारा ही बनारस में सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना हुई, जो कुछ समय बाद ही कालेज के रूप में परिवर्तित हो गया। १९१५ में इसी कालेज को केन्द्र बनाकर पण्डित मदन मोहन मालवीय ने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो सस्था जहाँ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उच्चतम शिक्षा प्रदान करती है, वहाँ साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति पर भी बल देती है। हिन्दू विश्वविद्यालय भारत की उस नई जागृति का मूर्तरूप है, जो बीसवीं सदी के प्रारम्भ में भली-भाँति प्रादुर्भूत हो चुकी थी।

नये धार्मिक आन्दोलनों का परिणाम—ब्राह्म समाज, प्रार्थना-समाज, आर्य-समाज आदि के रूप में जो अनेक नये धार्मिक आन्दोलन उन्नीसवीं सदी में चल रहे थे, उन्होंने हिन्दू धर्म में एक नई जागृति उत्पन्न कर दी। जो लोग पुराने सनातन हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, उन पर भी इन आन्दोलनों का प्रभाव पड़ा। उत्तरी भारत में आर्यसमाज के अनुकरण में सनातन धर्म सभाओं का संगठन शुरू हुआ, जिनके प्रचारक आर्यसमाजी उपदेशकों के समान ही अपने मन्तव्यों का प्रचार करने में तत्पर हुए। सनातनी लोगो ने भी गुरुकुलों के समान ऋषिकुलों की स्थापना की, और इनमें अपने दृष्टिकोण के अनुसार वेद-शास्त्र, पुराण आदि के पठन-पाठन की व्यवस्था की। युक्ति और तर्क द्वारा पौराणिक सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये उन्होंने उद्योग किया, क्योंकि वे अब यह भली-भाँति अनुभव करने लगे थे, कि आधुनिक युग में कोई धार्मिक सिद्धान्त तब तक जनता में प्रचलित नहीं रह सकता, जब तक कि तर्क द्वारा उसका पक्षपोषण

न किया जाय। आर्यसमाजियों के समान सनातनियों ने भी स्त्री-शिक्षा के लिये मस्थाएँ खोली, और दयानन्द एग्लो-वैदिक कालेज के अनुकरण में अनेक सनातन-धर्म कालेजों की स्थापना की गयी। सुधारवादियों और सनातनियों के ये सब प्रयत्न जहाँ शिक्षित वर्ग में नव-जागरण उत्पन्न कर रहे थे, वहाँ साथ ही अशिक्षित जनता में भी वे धर्म-ज्ञान और सत्यासत्य के विवेचन की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे थे। आर्य-समाजी और सनातनी—दोनों प्रकार के उपदेशक ग्रामों में जाकर उपदेश देते थे, भजन गाते थे और शास्त्रार्थ करते थे। अशिक्षित जनता को भी इन भजनों और शास्त्रार्थों से धर्म के तत्त्वों पर विचार करने का अवसर मिलता था, और उसमें नये उन्माह का संचार होता था।

जगता को अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रति आकृष्ट करने के लिये इन संस्थाओं ने जहाँ चिकित्सालय, विधवाश्रम, अनाथालय आदि खोले, वहाँ साथ ही ग्रामों वीर दल आदि स्वयं-सेवक दलों का भी संगठन किया। ये दल मेलों, उत्सवों आदि के अवसर पर जनता की सेवा करते थे, और हिन्दू संगठन का आदर्श देश के सम्मुख उपस्थित करने थे।

महाराष्ट्र में प्रार्थना-समाज के आदर्श में प्रभावित होकर १८८४ में 'दक्कन एजुकेशन सोसाइटी' का निर्माण हुआ। इस सोसाइटी का उद्देश्य यह था, कि ऐसी शिक्षण-मस्थाओं की स्थापना की जाय, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी देश-सेवा को ही अपना ध्येय मानें। इस सोसाइटी की ओर में पूना में फर्ग्युसन कालेज और मागर्नी में विरालगडन कालेज की स्थापना की गयी, और उनमें कार्य करने के लिये जो प्रोफेसर नियत किये गए, उन्हें जीवन निर्वाह के लिये केवल ७५ रुपये मासिक वेतन देने की व्यवस्था की गयी। केवल ७५ रुपये मासिक लेकर जो प्रोफेसर इन कालेजों में कार्य करते थे, वे अपने विद्यार्थियों के सम्मुख भी त्याग और सेवा के आदर्शों को उपस्थित कर सकते थे। उत्तरी भारत में जब गुरुकुलों और दयानन्द कालेजों की स्थापना हुई, तो उनके शिक्षकों ने भी इसी आदर्श को अपनाया, और नाम मात्र वेतन लेकर शिक्षण का कार्य शुरू किया। निःसन्देह, इस समय भारत में नव जागरण उत्पन्न हो रहा था, और बहुत-से शिक्षित लोग धर्म, देश और जाति की सेवा के लिये कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे।

देश-सेवा के उद्देश्य से जो अनेक ग्रन्थ संस्थाएँ इस समय कायम होनी शुरू हुई, उनमें पूना की 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य रूप में २० वर्ष तक ७५ रुपये मासिक पर सेवा-कार्य समाप्त कर १९०५ में उन्होंने इस नई सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रचारक (मिशनरी) उत्पन्न करना था, जो सब प्रकार वृक्ष उपायों द्वारा भारतीय जनता के हित साधन में ही अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिये उद्यत हों। बाद में लाला लाजपतराय ने पंजाब में 'सर्वेण्ट्स आफ पीपुल सोसाइटी' के नाम से इसी ढंग की एक ग्रन्थ संस्था कायम की। भारत के शिक्षित वर्ग में जनता की निष्काम भाव से सेवा करने की जो प्रवृत्ति इस युग में शुरू हुई, उसकी मूल प्रेरणा उन धार्मिक

आन्दोलनो द्वारा ही प्राप्त की गयी थी, जो इस काल में भारत के विविध प्रदेशों में जारी थे ।

इस्लाम में जागृति—हिन्दू-धर्म में जो नव-जागरण हो रहा था, उसने इस्लाम को भी प्रभावित किया । ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय मुसलिम लोग अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा में घृणा करते थे । उन्हें वे दिन भूले न थे, जब भारत पर विविध मुसलिम राजवशों का शासन था । उनका यह भी विश्वास था, कि ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब कुरान में विद्यमान है । कुरान व हदीसों के अतिरिक्त अन्य भी कोई ज्ञान हो सकता है, यह बात उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक भारतीय मुसलमानों की समझ में नहीं आती थी । मुसलिम युग में स्थापित हुए अनेक मदरसों तक भी विद्यमान थे, और मस्जिदों में अरबी, फारसी व मुसलिम धर्म-ग्रन्थों का पठन-पाठन जारी था । इमीलिये शुरु में मुसलमानों ने अंग्रेजी भाषा व पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा की । पर धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हुआ । मुसलमानों में अतक ऐसे समझदार व्यक्ति पैदा हुए, जिन्होंने अनुभव किया कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान में अपरिचित रह जाने के कारण मुसलिम लोग हिन्दुओं के मुकाबले में बहुत पिछड़ गये हैं, और उन्हें भी अंग्रेजी भाषा तथा उसके साहित्य से परिचय प्राप्त करना चाहिये । इस विचार को मुसलमानों के सम्मुख रखने का प्रधान श्रेय मर सैयद अहमद खाँ को है, जिन्होंने १८७५ में अलीगढ़ में एम्नो-ओरियन्टल कालेज की स्थापना की थी । इस काल में मुसलमान युवकों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, और साथ ही अरबी, फारसी व मुस्लिम साहित्य के उच्च अध्ययन का भी वहाँ समुचित प्रबन्ध था । बाद में अलीगढ़ का यह कालेज मुस्लिम संस्कृति और इस्लाम के नव-जागरण का प्रधान केन्द्र बन गया । इसकी महत्ता इतनी बढ़ गयी, कि १९२० में इसे मुसलिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ।

इस्लाम के प्राचीन साहित्य और धर्म का अध्ययन करने के लिये अनेक ऐसी संस्थाएँ भी इस युग में स्थापित हुईं, जिनमें आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा कर पुरानी परिपाटी का अनुसरण किया जाता था । इनमें देवबन्द (जिला सहारनपुर) का मदरसा सर्व-प्रधान है । इस ढंग की संस्थाओं का उद्देश्य जहाँ इस्लाम के धार्मिक साहित्य का अनुशीलन था, वहीं साथ ही मुसलिम धर्म का प्रचार करने के लिये कार्यकर्ताओं को तैयार करना भी था । अलीगढ़ कालेज के समान इन संस्थाओं ने भी बहुत उन्नति की, और शीघ्र ही ये मुसलिम शिक्षा की केन्द्र बन गईं ।

हिन्दू, मुसलिम और ईसाई—सब धर्म इस काल में नई स्फूर्ति व नये जीवन से अनुप्राणित थे । सबका प्रयत्न था, कि अपने सिद्धान्तों का प्रचार करें और अधिकांश-अधिक लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिये तत्पर हों । इसीलिये उनमें बहुधा शास्त्रार्थ व मुबाहसे होते रहते थे । इनको सुनने के लिये जनता हज़ारों की संख्या में एकत्र होती थी, और विविध धर्माचार्यों के विचारों को सुनकर आनन्द अनुभव करती थी । इस युग के शास्त्रार्थों व मुबाहसों में साम्प्रदायिक कटुता का अभाव होता था । धर्म के क्षेत्र में लोग सहिष्णु थे, और वे नये-नये विचार सुनने के लिये सदा उत्सुक रहते थे ।

ब्रिटिश सरकार और सामाजिक सुधार—भारत में ब्रिटिश शासकों की यह नीति थी, कि वे धर्म और समाज के मामले में तटस्थ रहे। इस युग में यूरोप के विविध राज्यों की सरकारों भी इन मामलों में तटस्थता की नीति का ही अनुसरण करती थी। पर ब्रिटिश सरकार की यह नीति देर तक कायम नहीं रह सकी। उन्नीसवीं सदी के शुरू तक भी हिन्दू लोगों में अनेक ऐसी कुरीतियाँ प्रचलित थी, जिनकी उपेक्षा कर सकना किसी भी सम्यक् सरकार के लिये सम्भव नहीं था। राजा राममोहन राय जैसे सुधारक भी सरकार पर इन कुरीतियों को दूर करने के निमित्त राजशक्ति का उपयोग करने के लिये जोर दे रहे थे। इन कुरीतियों में सर्वप्रधान सती प्रथा थी, जिसके विरुद्ध अकबर ने भी राजाजा प्रकाशित की थी। राजा राममोहन राय की प्रेरणा व प्रयत्न से १८२६ ई० में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, और यह व्यवस्था की, कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने के लिये प्रेरित या विवश करे, उसे सजा दी जाय। सती प्रथा को बन्द करने से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने पुत्रप्राप्ति के लिये सन्तान को बलि देने व कन्यावध को रोकने की प्रथा के सम्बन्ध में भी अनेक कानून बनाये थे।

(३) भारत में ईसाई धर्म का प्रसार

जिस प्रकार तुर्क-मफगान सल्तनत की स्थापना के कारण बारहवीं सदी के अन्त में भारत में इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ, वैसे ही अठारवीं सदी में अंग्रेजी शासन स्थापित होने के कारण इस देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ। ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव पॅलेस्टाइन में हुआ था। धीरे-धीरे यह धर्म सारे यूरोप में फैल गया था। रोमन सम्राटों के ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के कारण पाश्चात्य जगत् में इस धर्म के प्रसार में बहुत सहायता मिली। पर इस धर्म का प्रसार केवल राजशक्ति द्वारा ही नहीं हुआ, ईसाई सन्त-महात्माओं ने भी दूर-दूर के प्रदेशों में अपने धार्मिक मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। ईसाई अनुश्रुति के अनुसार पहली सदी ईस्वी में ही कतिपय प्रचारक भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिये आ गये थे, और उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई थी। प्राचीन काल में भारत और पाश्चात्य देशों में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, और इसी कारण दक्षिणी भारत के समुद्र तट के प्रदेशों में बहुत पुराने समय से ही ईसाई-धर्म का प्रवेश होना शुरू हो गया था। इसीलिये दक्षिण के अनेक हिन्दू राजा ईसाई गिरजों का भी उसी प्रकार सम्मान करते थे, जैसे कि हिन्दू मन्दिरों का। वे ईसाई प्रचारकों को सब प्रकार की सुविधाएँ भी उदारतापूर्वक प्रदान करते थे।

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में जब अफ्रीका का चक्कर काटकर पोर्तुगीज लोगों ने भारत आना प्रारम्भ किया, तो जिस प्रकार उन्होंने इस देश में अपने शासन की स्थापना का यत्न किया, वैसे ही ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भी उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट के जिन प्रदेशों पर पोर्तुगीज लोगों का शासन स्थापित हो गया था, वहाँ उन्होंने जनता को जबर्दस्ती ईसाई बनाने का भी यत्न किया। पोर्तुगीज लोगों का विचार था, कि जिस प्रकार अमेरिका के मूल निवासियों

की सम्यता का अन्त कर उन्हें पूर्णरूप से अपना बशवर्ती बनाया जा सकना सम्भव हुआ है, वैसे ही भारत में भी किया जा सकता है। पर भारत के निवासी अमेरिका के निवासियों की अपेक्षा अधिक सम्य व उन्नत थे। इस कारण पोर्तुगीजों को अपने प्रयत्न में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। पर फिर भी वे अपने अधिकृत प्रदेशों के निवासियों को अच्छी बड़ी संख्या में ईसाई धर्म में दीक्षित करने में समर्थ हुए।

अठारहवीं सदी के मध्य भाग में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन भारत के अनेक प्रदेशों में स्थापित हो गया, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भी विशेष रूप से प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी शासन के कारण ईसाई प्रचारकों का कार्य बहुत सुगम हो गया था। शासक जाति होने के कारण ईसाई पादरियों का जनता की दृष्टि में बहुत मान था। साथ ही, इस युग में हिन्दू धर्म में अनेक खराबियाँ भी विद्यमान थी। जाति-पात और छूत-अछूत के भेद के कारण जनता के एक वर्ग की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। ईसाई पादरियों ने इसी वर्ग को अपने कार्य का क्षेत्र बनाया, और इसके लोगों को अपने धर्म का अनुयायी बनाने में उन्हें अच्छी सफलता मिली। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासनकाल में ईसाई पादरियों ने जनता को ईसाई बनाने के लिये बल का प्रयोग नहीं किया। इसका कारण यह था, कि इस समय तक यूरोप के लोगों की मनोवृत्ति में बहुत परिवर्तन आ चुका था। बुद्धि-स्वातन्त्र्य और धार्मिक सुधार के जो आन्दोलन यूरोप में चल रहे थे, उन्होंने वहाँ की जनता को धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु बना दिया था। पन्द्रहवीं सदी के पोर्तुगीज लोगों की तुलना में अठारहवीं सदी के अंग्रेज धार्मिक दृष्टि से अधिक सहिष्णु थे। इसीलिये अंग्रेज पादरियों व शासकों ने धर्म प्रचार के लिये बलप्रयोग के उपायों का आश्रय नहीं लिया, अपितु हिन्दू जनता के उस अंग में अपना प्रचार-कार्य किया, जिसे सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता था। साथ ही, उच्च वर्गों के लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिये ईसाई पादरियों ने स्कूल, कालिज व अस्पताल खोलने शुरू किये, जिनके सम्पर्क में आकर भारतीय लोगों के लिये ईसाई धर्म की उत्कृष्टता को स्वीकार कर लेना बहुत सुगम था।

१८१५ ईस्वी तक भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या दो लाख के लगभग तक पहुँच गयी थी। उन्नीसवीं सदी में इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। अब वह समय आ गया है, जब भारत में ८० लाख के लगभग व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। एक सदी के समय में ईसाईयों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि का हो जाना जहाँ ईसाई पादरियों के कर्तृत्व को सूचित करता है, वहाँ साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक समय में हिन्दू धर्म का स्वरूप कितना विकृत हो गया था। यदि आर्यसमाज आदि के रूप में हिन्दू धर्म में नये सुधार-आन्दोलनों का प्रारम्भ न होता, तो सम्भवतः इस देश में ईसाई धर्म का और भी अधिक प्रचार हो जाता।

भारतीय संस्कृति के इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व की है, कि हिन्दू धर्म तीन प्रबल शक्तियों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकने में समर्थ रहा है। बौद्ध धर्म के रूप में जिस नये धार्मिक आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ था, वह न ईश्वर में विश्वास करता था और न वेदों में। कुछ समय के लिए यह नास्तिक मत भारत का प्रधान धर्म

वन भी गया। पर अन्त में हिन्दू धर्म की विजय हुई, और बौद्ध धर्म का इस देश से पूर्णतया लोप हो गया। तुर्क-अफगान सल्तनत के स्थापित हो जाने पर हिन्दू धर्म को इस्लाम का मुकाबला करना पड़ा। पर्सिया, अफगानिस्तान, इन्डोनीशिया आदि कितने ही देश इस्लाम के मुकाबले में अपने पुराने धर्मों की रक्षा करने में अवमर्थ रहे। पर पाँच सदी के लगभग तक मुस्लिम शासन कायम रहने के बावजूद भी भारत में हिन्दू धर्म का लोप नहीं हुआ, और हिन्दू लोग अपने पुराने धर्म पर दृढ़ रहे। पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में भारत में जो धार्मिक सुधारणा हुई, उसके कारण हिन्दू धर्म इस्लाम के मुकाबले में अपनी रक्षा करने में समर्थ रहा। अग्नेयी शासन के स्थापित हो जाने पर हिन्दू धर्म को एक शक्तिसम्पन्न धर्म का मुकाबला करना पड़ा। राजशक्ति के अपने अनुकूल होने के कारण जहाँ ईसाई पादरियों का भारत में विघेप हुआ था, वहाँ साथ ही वे एक ऐसी मस्कृति के भी प्रतिनिधि थे, जो नये ज्ञान-विज्ञान के विकास के कारण बहुत उन्नत दशा में थी। ईसाई धर्म के मन्तव्य चाहे हिन्दू धर्म के मुकाबले में कितने ही साधारण क्यों न हों, पर उसके साथ यूगों की उस सम्यता और मस्कृति का प्रभाव व रुआब भी सम्मिलित था, जो उरनीसवी मदी में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में सर्वत्र अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुकी था। पर इस काल में एक बार फिर हिन्दू धर्म में सुधार के नये आन्दोलन प्रारम्भ हुए, जिनके कारण हिन्दू लोग ईसाई मत का मुकाबला करने में बहुत अग्र तक सफल रहे।

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारत में एक नये धार्मिक सम्प्रदाय का प्रवेश हो गया है, और वह अब तक भी अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में तत्पर है। इंग्लैण्ड, अमेरिका, इटली, पोर्तुगाल, स्वीडन, फ्रांस आदि कितने ही पाश्चात्य देशों के ईसाई प्रचारक भारत में अपने-अपने ईसाई सम्प्रदायों के प्रचार के लिये तत्पर हैं, और उनके ऐसे चर्च भारत में स्थापित हैं, जिन्हे विदेशों से अच्छी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इन चर्चों का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, और इनमें कार्य करने वाले पादरी भी प्रायः विदेशी हैं। यह सही है कि भारत में ईसाई चर्च का स्वरूप अब निरन्तर अधिक-अधिक राष्ट्रीय होता जा रहा है, और बहुत-से भारतीय पादरी भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिये विदेशी प्रचारकों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पर यह सब होते हुए भी ईसाई धर्म के प्रचार को भारतीय लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। इसका कारण सम्भवतः यह है कि ससार के प्राधुनिक इतिहास में ईसाई पादरी पाश्चात्य साम्राज्यवाद के महायक रहे हैं, और ईसाई धर्म के साथ पाश्चात्य देशों के साम्राज्य-सम्बन्धी उत्कर्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पर यह भी सत्य है कि भारत के ईसाई चर्चों का रूप अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, और भारतीय ईसाई देश-भक्ति व राष्ट्रीय भावना में अन्य भारतीयों के मुकाबले में किसी तरह से भी पीछे नहीं हैं। भारत में ईसाई धर्म का स्वरूप भी अनेक अंशों में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जिन लोगों ने इस मत को स्वीकार किया है, वे अपने पुराने परम्परागत विचारों, प्रथाओं और मज्जातन्तु-गत संस्कारों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सके हैं। उनके लिए क्राइस्ट का प्रायः वही रूप है, जो हिन्दुओं के लिए कृष्ण का है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अग्नेयी शासन के कारण भारत के धर्मों में एक धर्म

की सख्या और बढ़ गई है, और हिन्दू धर्म व इस्लाम के समान ईसाई धर्म भी भारत में स्थायी रूप से अपना स्थान बना चुका है।

(४) नये साहित्य का विकास

नई शिक्षा के प्रसार और नवीन धार्मिक आन्दोलनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश युग में हिन्दी आदि विविध भाषाओं में नवीन साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ। भारत में कागज का प्रवेश मुसलिम युग में ही हो चुका था। बिकने व बढ़िया कागज पर मुन्दर रीति से लिखी हुई पुस्तकें भी बाजार में बिकने लगी थी। लकड़ी की तन्तियों पर अक्षरों को उत्कीर्ण कर उनके ठण्डे से कागज की छापाई भी ब्रिटिश युग से पूर्व भारत में शुरू हो चुकी थी। पर अठारहवीं सदी में छापेखाने (प्रिंटिंग प्रेस) का भी भारत में प्रवेश हुआ। और मशीनों द्वारा पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं को अच्छी बड़ी सख्या में छाप सकना सम्भव हो गया। छापेखाने के प्रवेश के कारण साहित्य की वृद्धि में बहुत अधिक सहायता मिली, और बहुत-सी नई पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ बाजार में बिकने के लिये आने लगीं। नये विचारों के प्रचार में कागज और उस पर छपी हुई पुस्तकें बहुत सहायक सिद्ध हुईं, और सर्वसाधारण जनता के लिये ज्ञान वृद्धि कर सकना बहुत सुगम हो गया। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया, और अनेक छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित करनी शुरू कीं। अठारहवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही बंगाली भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रकाशित हो चुका था। इस समय तक भारत के साहित्यिक अपनी रचनाएँ प्रायः पद्य में ही किया करते थे। छापेखाने के अभाव में बड़े गद्य-ग्रन्थों का लिखना बहुत क्रियात्मक नहीं था। पर फिर भी अनेक लेखक अपने विचारों को प्रकट करने के लिये गद्य का उपयोग करने लगे थे, और चौदहवीं सदी में ही हिन्दी आदि लोक भाषाओं में अनेक छोटी-छोटी पुस्तकें गद्य में भी लिखी जाने लगी थी। पर इन पुस्तकों का विषय या तो धर्म होता था, या कथा-कहानियाँ। आधुनिक शैली के गद्य-ग्रन्थ अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक भारत की लोक-भाषाओं में प्रायः नहीं लिखे गये थे।

अंग्रेजी शासन के स्थापित होने पर जब भारत में नव-जागरण का प्रारम्भ हुआ, तो हिन्दी, बंगाली, उर्दू आदि में गद्य-ग्रन्थों की रचना की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी, और एक नये ढंग के साहित्य का निर्माण शुरू हुआ, जिसने नव-जागरण में बहुत सहायता पहुँचाई। भारत में सबसे पूर्व बंगाल अंग्रेजों के शासन में आया था, और वही पर सबसे पहले नई शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था। इसीलिये उन्नीसवीं सदी में वहाँ अनेक ऐसे लेखक उत्पन्न हुए, जिन्होंने बहुत-सी अंग्रेजी पुस्तकों का बंगाली में अनुवाद किया, और कुछ स्वतन्त्र व मौलिक पुस्तकों की भी रचना की। इन लेखकों में कृष्ण मोहन ब्रनर्जी (१८१३-१८८५), राजेन्द्रलाल मित्र (१८२१-१८६२), प्यारेचन्द्र मित्र (१८१५-१८८३) और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (१८२०-१८६१) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सब लेखक अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे, और पाश्चात्य साहित्य से परिचय रखते थे। इनके प्रयत्न से बंगाल के लोगों को पाश्चात्य विचारसरणी से

परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण बंगाल के अनेक साहित्यिक बंगाली भाषा में नवीन शैली के काव्य, नाटक व उपन्यास लिखने में भी प्रवृत्त हुए। इस प्रकार के साहित्यिकों में माइकेल मधुसूदन दत्त (१८२७-१८७३), दीनबन्धु मित्र (१८३०-१८७४) और बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय सर्वप्रधान हैं। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे लेखकों ने बंगाली भाषा की गद्य शैली को परिष्कृत रूप देने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और बकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने ऐसे मौलिक उपन्यास लिखे, जो विश्व साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। उनके 'आनन्दमठ' ने बंगाल में देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावनाओं को विकसित करने में बहुत सहायता की। ब्रिटिश शासन का अन्त कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की स्थापना के लिये जो क्रान्तिकारी आन्दोलन बंगाल में शुरू हुआ, उसकी प्रेरणा इसी 'आनन्दमठ' से ली गयी थी। बंगाल के क्रान्तिकारी आनन्दमठ का धर्म-ग्रन्थ के समान अध्ययन करते थे, और उसके ग्रन्थ-तम गीत 'बन्दे मातरम्' को अपना 'मन्त्र' व 'सूक्त' समझते थे। भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास के साथ-साथ बकिम के 'बन्दे मातरम्' का भी प्रचार होने लगा, और बाद में यही भारत का राष्ट्रीय गीत बन गया। माइकेल मधुसूदन दत्त ने ईसाई मिशनरियों के सम्पर्क में आकर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से बोल-चाल, रहन-सहन आदि में वे पूर्णतया अंग्रेजों का अनुसरण करते थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार था, अतः शुरू में उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से ही अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। पर उन्नीसवीं सदी के यूरोपियन साहित्य में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाओं का जो प्राबल्य था, मधुसूदन दत्त भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। बाद में उन्होंने बंगाली भाषा में काव्य-रचना शुरू की, और उन जैसे उच्च शिक्षा-प्राप्त व आधुनिक विचार-सरणी से परिचित कवि द्वारा बंगाली में ऐसे काव्य की सृष्टि हुई, जिसे एक सदी के लगभग समय बीत जाने पर आज भी अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है। दीनबन्धु मित्र नाटककार थे, और उन्होंने बंगाली भाषा में आधुनिक शैली के नाटक लिखने की जिस परम्परा का प्रारम्भ किया, आगे चल कर द्विजेन्द्रलाल राय सक्श साहित्यिकों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया।

इस युग के अन्य बंगाली साहित्यकारों में अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बोस, देवेन्द्रनाथ टैगोर, हेमचन्द्र बनर्जी और नवीन चन्द्र सेन के नाम भी उल्लेखनीय हैं। नवीन शिक्षा के प्रसार के कारण बंगाल में इस समय साहित्य सृजन की एक ऐसी परम्परा का प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण जहाँ बंगाली साहित्य असाधारण रूप से उन्नति कर रहा था, वहाँ जनता को भी नये विचारों से परिचय प्राप्त करने का अनुपम अवसर प्राप्त होता था। बंगाल की साहित्यिक प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट रूप रवीन्द्रनाथ टैगोर (१८६१-१९४१) के रूप में प्रकट हुआ, जिनकी ख्याति न केवल भारत में अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वत्र फैल गयी। १९१३ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'गीताञ्जलि' पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और विश्व भर के साहित्यिकों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि भेंट की। गद्य, पद्य, नाटक, निबन्ध रचना, संगीत, चित्र-कला—सब पर रवीन्द्रनाथ का समान रूप से अधिकार था, और उनकी कृतियाँ

विश्व साहित्य का स्थायी अंग बन गई हैं। इतिहास में उनकी गणना सदा अमर व 'अमर्य' साहित्यिकों में की जायेगी। शारच्चन्द्र चंद्रोपाध्याय आदि कितने ही अन्य साहित्यकार भी आधुनिक युग में बंगाल में हुए। इनके नामों का निर्देश करना भी इस इतिहास में सम्भव नहीं है। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, कि भारत के नव-जागरण में इन साहित्यकारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और आज जनता में जो नई स्फूर्ति व चेतना उत्पन्न हो गयी है, उसका श्रेय अनेक अंशों में इन्हीं को दिया जाना चाहिये।

बंगाली भाषा के समान हिन्दी में भी ब्रिटिश युग में साहित्य का बहुत विकास हुआ। उन्नीसवीं सदी के शुरू में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दी में भी बाइबल का अनुवाद प्रकाशित किया गया। मिशनरियों द्वारा जो अनेक स्कूल इस युग में स्थापित किये जा रहे थे, उनमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी, उर्दू आदि भाषाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। मिशनरियों ने आवश्यकता अनुभव की, कि भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों तैयार की जानी चाहिए। इसीलिये १८८३ ई० में उन्होंने आगरा में 'स्कूल बुक सोसाइटी' की स्थापना की, और उसकी ओर से इतिहास आदि विषयों पर अनेक हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। १८५७ की राज्यक्रान्ति से पूर्व ही ईसाई मिशनरियों की ओर से मिर्जापुर में 'आरफेन प्रेस' के नाम से एक मुद्रणालय कायम हो चुका था, जिससे शिक्षा सम्बन्धी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गयी थी। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज की ओर से हिन्दी और उर्दू में गद्य की पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गयी, और हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिये लल्लू लाल जी और सदल मिश्र को नियत किया गया। मुन्शी सदामुख लाल और इशा अल्ला खा सदा व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से भी इस युग में गद्य ग्रन्थ लिखने के लिये तत्पर थे। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में ही हिन्दी में गद्य साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों को हिन्दी में लिखकर हिन्दी गद्य साहित्य के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में उन्होंने जिस प्रकार के विशाल ग्रन्थ हिन्दी-भाषा में लिखे, वे वस्तुतः हिन्दी-साहित्य के लिये नई बात थे। स्वामी जी हिन्दी को आर्य-भाषा कहते थे, और अपने अनुयायियों से आशा करते थे, कि वे हिन्दी में ही अपना सब कार्य किया करें।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हिन्दी लेखकों में पण्डित श्यामराम फिल्लोरी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मणसिंह, पण्डित प्रताप नारायण मिश्र, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहनसिंह और श्री बदरी नारायण चौधरी के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का स्थान सर्वोच्च है। हरिश्चन्द्र उत्कृष्ट कवि, सफल नाटककार और मजे हुए गद्य-लेखक थे। अनेक संस्कृत नाटकों का उन्होंने हिन्दी में अनुवाद किया, और बहुत-से मौलिक ग्रन्थों की रचना की। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारत की दुर्दशा को अनुभव करते थे, और देश-भक्ति की भावना उनमें उत्कृष्ट रूप से विद्यमान थी। उनकी पुस्तकों ने पाठकों का ध्यान नवयुग की विचार-सरणी की ओर आकृष्ट किया, और उनमें नई स्फूर्ति का संचार किया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद हिन्दी-साहित्य की चौमुखी उन्नति हुई। कितने ही साहित्यिको ने बगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के उत्कृष्ट ग्रन्थों का अनुवाद कर और मौलिक ग्रन्थ लिखकर हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि की। उपन्यास, नाटक, काव्य, निबन्ध आदि सब प्रकार का साहित्य हिन्दी में प्रकाशित होना शुरू हुआ। यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि इन साहित्यकारों का संक्षेप के साथ भी परिचय दे सकें। हिन्दी के पाठक इनसे भली-भाँति परिचित हैं। इन साहित्यिकों में किशोरीलाल गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, रूपनारायण पाण्डेय, ज्वाला प्रसाद मिश्र, रामकृष्ण वर्मा, देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम महमरी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचन्द, पद्मसिंह शर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके प्रयत्न से हिन्दी साहित्य बहुत समृद्ध हो गया है। आधुनिक युग के हिन्दी साहित्यिकों में प्रेमचन्द का स्थान सर्वोच्च है। उनके उपन्यास व कहानी-संग्रह विश्वसाहित्य की विभूतियाँ हैं, और उनकी गणना सदार के सर्वोत्कृष्ट आधुनिक साहित्यिकों में की जा सकती है।

भारत के नव जागरण के परिणामस्वरूप हिन्दी-साहित्य के उत्कर्ष की जो प्रक्रिया बीसवीं सदी के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, वह अत्र तक भी पूर्ण वेग के साथ जारी है। आधुनिक समय के हिन्दी साहित्यिकों में मैथिली शरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', यशपाल आदि का बहुत उंचा स्थान है, और इनकी कृतियाँ हिन्दी साहित्य के लिये गौरव की वस्तु हैं। न केवल साहित्य के क्षेत्र में, अपितु इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, रसायन, चिकित्साशास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि आधुनिक विषयों पर भी हिन्दी में उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना तेजी के साथ हो रही है, और वह समय दूर नहीं है, जबकि मसाल की अन्य उन्नत भाषाओं के समान हिन्दी-भाषा का वाग्मय भी अत्यन्त उन्नत दशा को प्राप्त हो जाएगा।

गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलगू आदि अन्य भाषाओं की भी ब्रिटिश युग में बहुत उन्नति हुई। हाली, मुहम्मद इकबाल, अकबर आदि कवियों ने उर्दू में इस प्रकार के काव्य की रचना की, जिसे भारत के नव जागरण में बहुत सहायता मिली। इकबाल का 'सारे जहाँ में अच्छा हिन्दोस्ता हमारा' गीत उत्तरी भारत के घर-घर में गाया जाना लगा, और उसने सर्वसाधारण जनता में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने में बहुत सहायता की। हाली ने अपने काव्य द्वारा इस्लाम के तुल्य गौरव की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया, और भविष्य में फिर उन्नति करने के लिये उन्हें प्रेरणा दी। मराठी भाषा के आधुनिक साहित्यिकों में लोकमान्य तिलक, केलकर, फडके, हरिनागरण आपटे आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। गुजराती में रामन लाल बंसल लाल देसाई और कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी ने बहुत-से साहित्यिक ग्रन्थ लिखे। धूमकेतु, चन्द्रवदन मेहता, चुन्नीलाल, बलवन्तराम आचार्य आदि साहित्यिकों की गुजराती रचनाओं ने भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उत्तरी भारत की विविध भाषाओं के समान दक्षिण की तमिल, तेलगू आदि भाषाओं में भी ब्रिटिश युग में नये साहित्य का निर्माण हुआ। भारत के इन साहित्यकारों का परिचय इस पुस्तक में दे सकना न

सम्भव है, और न उसकी आवश्यकता ही है। ध्यान देने योग्य बात केवल यह है, कि ब्रिटिश शासन की स्थापना होने के बाद भारत में नवजागरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसमें नवीन साहित्य ने बहुत सहायता पहुँचाई, और नवयुग का यह साहित्य स्वयं भी भारत के इस जागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है। भारत के इस नवीन साहित्य में न निराशा की भावना है, और न ही जनता को मोहनिद्रा में सुलाने वाले विलास की अभिव्यक्ति। भारत का यह नया साहित्य प्रगतिशील है। इसे पढ़कर देश की दुर्दशा की अनुभूति होती है और साथ ही अपने उत्कर्ष की उत्कट अभिलाषा इससे उत्पन्न होती है। स्त्रियों की हीन दशा, अछूतों की समस्या, भारत का प्राचीन गौरव, ऊँच-नीच की भावना और जाति भेद की बुराई, जमींदारी प्रथा के दोष आदि विषय थे, जिन्हें लेकर इस युग के पहले साहित्यिकों ने अपनी रचनाएँ कीं। विदेशी शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में इस साहित्य ने बहुत उपयोगी कार्य किया। जब भारत में स्वराज्य स्थापित हो गया, तो भारत के साहित्यिक उन समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिये तत्पर हुए, जो पूँजीपतियों के शोषण और गरीब-अमीर के भेद-रूप में अब तक भी हमारे देश में विद्यमान हैं। भारत के उज्ज्वल भविष्य का यह उच्चमूल्य प्रमाण है।

(५) कला और संगीत

जिम प्रकार अफगान और मुगल लोगों के सम्पर्क से भारत की वास्तु-कला, चित्रकला, संगीत और नृत्यकला में नवीन तत्त्वों का प्रवेश हुआ था, उसी प्रकार अब ब्रिटिश लोगों के सम्पर्क द्वारा भी हुआ। नवजागरण के युग में जिस नई चित्रकला का विकास भारत में हुआ, उसका प्रधान श्रेय हैबेल और अबनीन्द्रनाथ टैगोर को है। श्री हैबेल कलकत्ता के 'स्कूल आफ आर्ट्स' के प्राचार्य (प्रिंसिपल) थे। उन्हें भारत की प्राचीन चित्रकला में बहुत प्रेम था, और उसके तत्त्वों को नवयुग के भारतीयों के सम्मुख उपस्थित करने के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। अबनीन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकला की शिक्षा पाश्चात्य कलाकारों द्वारा प्राप्त की थी। पर उन जैसे प्रतिभाशाली व भावुक भारतीय कलाकार का हृदय पाश्चात्य कला का अनुसरण करने मात्र में सन्तोष अनुभव नहीं कर सकता था। हैबेल के सम्पर्क में आकर उन्हें भारत की प्राचीन व मध्यकालीन चित्रकलाओं का बोध हुआ, और उनके प्रमुख तत्त्वों का अपनी कला में समावेश करके उन्होंने एक ऐसी नई शैली का विकास किया, जो आज तक भारत के प्रगतिशील कलाकारों के लिये आदर्श व अनुकरणीय बनी हुई है। सुरेन्द्र गाम्गुली, नन्दलाल बोस, असित कुमार हालदार आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने अबनीन्द्रनाथ टैगोर के सम्पर्क में ही अपनी कला का विकास किया। अबनीन्द्रनाथ ने कलकत्ता में 'इण्डियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट' (प्राच्य कला की भारतीय परिषद्) का संगठन किया, जिसका प्रधान उद्देश्य भारतीय कला की प्राचीन परम्परा का पुनरुद्धार करना था। कला के क्षेत्र में भारत का यह पुनर्जागरण था। इससे पूर्व पाश्चात्य लोगों का अन्धानुकरण कर जो चित्रकला भारत में विकसित होने लगी थी, उसमें भारत की हार्दिक अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। रविवर्मा के चित्र इस कला के

उदाहरण हैं। यद्यपि रविवर्मा के चित्रों का विषय भारत के प्राचीन आख्यान हैं, पर उन्हें देखकर कोई मनुष्य प्राचीन वातावरण में नहीं पहुँच पाता। उनकी आलोचना करते हुए हैबेल ने लिखा है—रविवर्मा के चित्रों में महाभारत के वीर पुरुषों की प्राकृति आजकल के खिदमतगारों के समान, राधा और सीता की आकृति वर्तमान समय की आयातों के सदृश और राक्षस स्त्रियों का रूप आजकल की कुली स्त्रियों के समान बनाया गया है, जो वास्तविकता के सर्वथा प्रतिकूल है। अरुनीन्द्रनाथ टैगोर और उसकी शिष्य मंडली द्वारा इस दशा में परिवर्तन आया, और इस प्रकार के चित्र बनने शुरू हुए, जो न केवल भारत की प्राचीन परम्परा के अनुरूप हैं, पर साथ ही जो इस देश की आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। अरुनीन्द्रनाथ और हैबेल ने जिस रूप में भारत की प्राचीन व मध्यकालीन चित्रकला के सौन्दर्य को प्रकट किया, उससे पाश्चात्य कलाकार भी इसकी ओर आकृष्ट हुए, और वे इसकी उत्कृष्टता को स्वीकार करने लगे। विदेशियों का ध्यान भारत की चित्रकला की ओर आकृष्ट करने में आनन्द कुमार-स्वामी ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में भारतीय कला के सम्बन्ध में बहुत-से व्याख्यान दिये, और इसी विषय पर अनेक पुस्तकों की भी रचना की। पाश्चात्य जगत् के कलाकार अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, कि वास्तुकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों ने अनुपम प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, और उनकी कलात्मक कृतियाँ उत्कृष्ट हैं। हैबेल और कुमारस्वामी के प्रयत्नों का ही परिणाम है, कि अब पाश्चात्य देशों में ऐसी अनेक सस्थाएँ कायम हो गयी हैं, जो भारतीय कला का विशेष रूप से अनुशीलन करने में तत्पर रहती हैं।

अरुनीन्द्रनाथ टैगोर और उनकी शिष्य मण्डली के अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसे कलाकार इस युग में हुए, जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से भारतीय चित्रकला का विकास किया। इनमें अब्दुलरहमान चुगताई और अमृत गेरगिल के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता, शान्तिनिकेतन बोलपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर अनेक ऐसी सस्थाएँ भी इस युग में कायम हुईं, जिन्होंने चित्रकला के विकास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया।

चित्रकला के समान संगीत और नाट्य के क्षेत्र में भी ब्रिटिश युग में भारत में नवजागरण हुआ। पंडित विष्णुनारायण भट्टखण्डे ने बम्बई की जानोलेजक मण्डली द्वारा संगीत के प्रचार में बहुत कार्य किया। उन्हीं के प्रयत्न से १९१६ में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का बडौदा में प्रथम अधिवेशन हुआ, और उसके बाद अन्य स्थानों पर भी इस सम्मेलन के अधिवेशन हुए। भट्टखण्डे ने बडौदा में संगीत के उत्कर्ष के लिए एक नई सस्था की भी स्थापना की। विष्णु दिगम्बर ने गाधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर संगीत के प्रति जनता में बहुत अधिक रुचि उत्पन्न की। उनके शिष्य आजकल भारत के प्रधान संगीताचार्य माने जाते हैं। विष्णु दिगम्बर द्वारा गाया हुआ 'रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम' गीत आज भारत के घर-घर में गाया जाता है। रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा बंगाल में संगीत की एक नई परम्परा का प्रारम्भ हुआ, जो 'रवीन्द्र संगीत' के नाम से प्रसिद्ध है। जालन्धर में नियमपूर्वक संगीत सम्मेलन संगठित होते रहे, जिनसे उत्तरी भारत के संगीत प्रेमियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। सिनेमा के प्रवेश के कारण भारत के प्राचीन संगीत को कुछ धक्का भवश्य लगा, और

जनता की रुचि कलात्मक संगीत की ओर से हटकर फिल्मी गीतों की ओर बढ़ने लगी। पर प्राचीन व मध्यकालीन कला के अनुयायी ऐसे संगीताचार्य अब भी भारत में विद्यमान हैं, जो सर्वसाधारण जनता को भी अपनी कला द्वारा मन्त्र-मुग्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुरुचि सम्पन्न लोग इनकी कला का आदर करते हैं, और शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ कलात्मक संगीत के प्रति जनता की रुचि में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

अन्य क्षेत्रों में नवजागरण के साथ ही नृत्य की कल्पक, कथाकली, भारत-नाट्यम्, मणिपुरी आदि पुरानी शैलियों के प्रति भी जनता की रुचि बढ़ रही है। उदय-शकर, रामगोपाल आदि नृत्याचार्यों के प्रयत्न से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी भारत की नृत्यकला का आदर होने लगा है।

अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत में पाश्चात्य वास्तुकला का भी प्रवेश हुआ। भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कलकत्ता थी। विक्टोरिया मेमोरियल आदि जो नई इमारतें अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में बनवाई गयीं, उनका निर्माण पाश्चात्य वास्तुकला के अनुसार ही किया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद अंग्रेजों ने वहाँ भी बहुत-सी नई इमारतें बनवाईं। नई दिल्ली के रूप में एक नया नगर ही इस युग में बस गया, जो दिल्ली के तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद आदि के समान भारतीय इतिहास के एक नवीन युग का प्रतिनिधि है। इस नगर में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस आदि जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, वे सब पाश्चात्य वास्तुकला के अनुरूप हैं। नई दिल्ली नगरी का आयोजन भी पाश्चात्य कला के अनुसार ही किया गया है। बम्बई, मद्रास, लखनऊ, लाहौर आदि अन्य बड़े नगरों में भी इस काल में पाश्चात्य वास्तुकला के अनुसार नई-नई इमारतों का निर्माण हुआ, और बहुत-से भारतीय भी अपने भवनों का निर्माण करने के लिए इस नवीन कला का अनुसरण करने लगे। पर यह सम्भव नहीं था, कि नवजागरण का प्रभाव वास्तुकला पर न पड़ता। अनेक कल्पनाशील व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में भी भारत की प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर के शान्ति निकेतन की अनेक इमारतों में भारतीय कला का अनुसरण किया गया, और दिल्ली आदि के बिड़ला मन्दिरों में भी इसी कला के अनेक विशिष्ट तत्वों को अपनाया गया। इसमें सन्देह नहीं, कि भवन निर्माण जैसे कार्य में आधुनिक युग की प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। पर भारत की जलवायु की दृष्टि में रखते हुए यह भी सम्भव नहीं है, कि इस देश की इमारतें इंग्लैण्ड व फ्रांस जैसे शीतप्रधान देशों की तकल मात्र हों। इसीलिए वास्तुकला के क्षेत्र में पुरानी परिपाटी का अनुसरण क्रियात्मक दृष्टि से भी उपयोगी है। साथ ही, जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, भारत के आधुनिक भवनों में उसका उपयोग सौन्दर्य की वृद्धि में अवश्य सहायक होता है। यही कारण है, कि प्रगतिशील लोग वास्तुकला के क्षेत्र में भी प्राचीन परम्परा के उपयोगी व कलात्मक तत्वों के प्रयोग के पक्षपाती हैं।

चित्रकला, संगीत, नाट्य, वास्तुकला आदि सभी क्षेत्रों में जो नई उन्नति बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रारम्भ हुई, वह भारत के उस नवजागरण की प्रक्रिया का ही परिणाम था, जो इस देश को उन्नति पथ पर आरूढ़ करने में समर्थ हुई है।

तीसवाँ अध्याय

ब्रिटिश-युग में भारत की भौतिक उन्नति

(१) नई भौतिक उन्नति

संसार के इतिहास में आधुनिक युग की एक मुख्य विशेषता यह है कि इस काल में मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसका उपयोग अपनी सुख-समृद्धि के लिये किया। अत्यन्त प्राचीन काल में मनुष्य अपने को प्रकृति के सम्मुख असहाय अनुभव करता था। जल, वायु, अग्नि, सूर्य आदि प्रकृति के तत्वों को वह आश्चर्य के साथ देखता था, और उनके सामने सिर झुका देने में ही अपना हित व कल्याण समझता था। इसीलिये इन सब प्राकृतिक शक्तियों में उसने देवत्व की भावना की, और अपने प्रकार के विधि-विधानों व अनुष्ठानों द्वारा उन्हें मन्तुष्ट करने का प्रयास किया। वायु, अग्नि आदि जीवित जागृत मत्ताएँ हैं, जो कुपित होकर मनुष्य का अन्तर्गम सकती हैं, अतः उन्हें सन्तुष्ट रखने में ही मनुष्य का लाभ है—ये विचार प्रन्तर-युग व उसके बाद के मनुष्यों में प्रायः सर्वत्र विद्यमान थे। पर धीरे-धीरे मनुष्य ने इन प्राकृतिक तत्वों का उपयोग शुरू किया। अग्नि को वह भोजन पकाने व अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के लिये प्रयुक्त करने लगा। जल और वायु की शक्ति से उसने चक्कियाँ चलाई। पर आधुनिक युग से पूर्व मनुष्य प्रकृति पर उम प्रकार में विजय नहीं पा सका था, जैसी कि उसने अठारहवीं सदी के बाद प्राप्त की है। वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मनुष्य ने यान्त्रिक शक्ति का आविष्कार किया, और भाप, बिजली वैद्युत आदि की शक्तियों का प्रयोग वह आर्थिक उत्पत्ति के लिये करने में तत्पर हुआ। यही कारण है, जो पिछली दो सदियों में मनुष्य भौतिक क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति कर सका है।

समाज और राजनीति के क्षेत्रों में भी आधुनिक युग में जो कुछ प्रगति हुई है, उसका आधारभूत कारण मनुष्य की यह भौतिक उन्नति ही है। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मनुष्य बड़े पैमाने पर आर्थिक उत्पत्ति करने में समर्थ हुआ। यान्त्रिक शक्ति में चलने वाले विद्यालयकार्य कारखानों में कार्य करने के लिये हजारों मजदूर बड़े नगरों में एकत्र होने लगे। इस नई परिस्थिति के कारण व्यावसायिक जीवन का स्वरूप ही एकदम परिवर्तित हो गया। अपने घर पर बैठ कर स्वतन्त्र रूप में कार्य करने वाले शिल्पियों का स्थान अब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने ले लिया, जो पूँजी-पतियों के वशवर्ती होकर आर्थिक उत्पत्ति में तत्पर हुए। इस दशा में विचारशील मनुष्यों ने यह सोचना शुरू किया, कि विविध मनुष्यों में परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिये। इसी कारण 'समाजवाद' आदि नई विचारधाराओं का विकास हुआ, जो मानव समाज के स्वरूप को ही परिवर्तित कर देने के लिये प्रयत्नशील हैं। छापे-खाने, कारखाने आदि के आविष्कार के कारण विद्या व ज्ञान केवल कतिपय व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रह गये, और सर्वसाधारण जनता को भी शिक्षित होने व नये विचारों

में परिचित होने का अवसर मिला। राजाओं के एकतन्त्र शासन व कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध भावना उसमें उत्पन्न हुई, और लोकतन्त्रवाद का विकास हुआ।

रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज आदि के आविष्कार के कारण देश और काल पर विजय स्थापित हुई, और संसार के विविध देश एक-दूसरे के बहुत समीप आ गये। इन्हीं भौतिक साधनों का यह परिणाम है, कि आज अमेरिका में जो नया आविष्कार होता है, वह शीघ्र ही भारत, चीन, अफ्रीका आदि में भी पहुँच जाता है, और रूस या जर्मनी से जो नई विचारधारा शुरू होती है, वह भी शीघ्र ही अन्य देशों के विचारकों को भी प्रभावित करने लगती है।

भौतिक उन्नति के इस युग में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि भारत में भी उन नव नये साधनों का उपयोग शुरू होता, जिनका आविष्कार यूरोप में अठारहवीं सदी में प्रारम्भ हुआ था, और जिनमें बाद के काल में निरन्तर उन्नति होती गई। विज्ञान व विचार हवा के सदा होते हैं, जो कभी किसी एक देश तक सीमित नहीं रह सकते। आधुनिक युग में भारत में जो भौतिक उन्नति हुई, उसका श्रेय प्रायः ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है। पर इस उन्नति के लिये ब्रिटिश शासकों का रुख सहायक न होकर बाधक था। यह सत्य है, कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया, डाक, तार आदि की व्यवस्था की, अनेक सड़कें बनवाईं, और नई नहरें खुदवाईं। पर इन सब कार्यों में उनका उद्देश्य अपने शासन को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करना ही था। भारतीय जनता की भौतिक उन्नति की उन्हें कोई विशेष चिन्ता नहीं थी। वे भारत को इंग्लैंड की आर्थिक समृद्धि का साधनमात्र समझते थे। इसी कारण उनकी यह नीति थी, कि इस देश में व्यवसायों का विकास न होने पाए। यहाँ केवल कच्चे माल की ही उत्पत्ति हो, जिसे सस्ती कीमत पर प्राप्त कर इंग्लैंड के कारखानों को समृद्ध व उन्नत होने का अवसर मिल सके। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक अंग्रेजों का यही प्रयत्न रहा कि, भारत से कपास, जूट आदि सस्ते मूल्य पर खींच कर उसे इंग्लैंड के कारखानों में तैयार माल के रूप में परिणत किया जाए, और फिर उसे उँची कीमत पर भारत में बेचा जाए। बीसवीं सदी में इन नीतियों में परिवर्तन आया। पर इसका कारण अंग्रेजों का भारत-प्रेम नहीं था। १९१४-१८ के महायुद्ध के अवसर पर युद्ध की आवश्यकताओं से विवश होकर अंग्रेजों ने भारत की व्यावसायिक उन्नति पर ध्यान दिया और इस देश में उस भौतिक उन्नति का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण आज भारत को व्यावसायिक क्षेत्र में एशिया के सर्वाधिक उन्नत देशों में गिना जाता है।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि उन्नीसवीं सदी में ही भारत में भौतिक उन्नति की दृष्टि से नवयुग के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये थे। ये चिह्न निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगट हुए—

(१) रेलवे—भारत में पहले-पहल रेलवे का निर्माण १८५३ ई० में हुआ। शुरू में जो रेलवे लाइनें बनीं, वे केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के समीपवर्ती प्रदेशों में ही थीं। बाद में इनकी बहुत वृद्धि हुई। भारत के विविध क्षेत्रों में रेलवे का निर्माण करने के लिये इंग्लैंड में अनेक कम्पनियाँ खोली गयीं, जिन्हें सरकार की ओर

से यह गारण्टी दी गयी, कि यदि उनका मुनाफा पाँच प्रतिशत में कम होगा, तो उसे भारतीय सरकार की ओर से पूरा कर दिया जाएगा। अपने रुपये के मूद व मुनाफे के विषय में निश्चित होकर अंग्रेज पूँजीपतियों ने भारतीय रेलवे कम्पनियों में दिल खोलकर रुपया लगाया, और इस कारण इस देश में रेलवे का विस्तार बड़ी तेजी के साथ होने लगा। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक भारत में रेलवे लाइनों का एक जाल-सा बिछ गया था। बीसवीं सदी में रेलवे का और अधिक विस्तार हुआ, और अब वह समय आ चुका है जबकि यातायात की दृष्टि से भारत को संसार के उन्नत देशों में गिना जा सकता है। निःसन्देह, रेलवे के कारण भारत में यातायात की बहुत सुविधा हो गई, और इससे देश के आन्तरिक और विदेशी व्यापार में बहुत सहायता मिली।

(२) रेलवे लाइनों के साथ-साथ अंग्रेजी सरकार ने पक्की सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान दिया। भारत में सड़कें पहले भी विद्यमान थी, और यातायात व व्यापार के लिये उनका उपयोग भी होता था। पर कंकड़ और तारकोल द्वारा जिस ढग की नई सड़कें इस युग में बनीं, उनमें मोटर कार आदि यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले यानों के लिये भी उनका उपयोग सुगम हो गया।

(३) रेलवे के विस्तार से पूर्व भारत में जलमार्गों का बहुत महत्त्व था। गंगा आदि नदियों में चलने वाली नौकाओं से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में बहुत सहायता मिलती थी। इसी प्रकार समुद्र तट के साथ-साथ उस समय बहुत-से जहाज भी चला करते थे। अंग्रेजी शासन में रेलों के चलने के कारण इन जलमार्गों का महत्त्व बहुत कम हो गया। समुद्र-तट के साथ-साथ व्यापार के लिए जहाजों का प्रयोग इस युग में भी जारी रहा, पर ये जहाज भारतीयों के हाथ में निकल कर अंग्रेजी कम्पनियों के स्वामित्व में आ गये। भारत के विदेशी व्यापार के लिये भी भाप की शक्ति से चलने वाले विशालकाय जहाजों का प्रयोग शुरू हुआ। पर ये जहाज भी अंग्रेजों की ही सम्पत्ति थे। यद्यपि भारत के आन्तरिक व बाह्य जलमार्ग और उनमें चलने वाले जहाज ब्रिटिश युग में भारतीयों के स्वामित्व में नहीं रहे, पर यह स्वीकार करना होगा कि भाप की शक्ति से संचालित विशालकाय जहाजों के कारण भारत के विदेशी व्यापार में बहुत सहायता मिली, और इससे उसकी भौतिक उन्नति भी पहले की अपेक्षा अधिक हो गयी।

(४) भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए सिंचाई का महत्त्व बहुत अधिक है। प्राचीन और मध्य कालों में भी अनेक राजाओं ने सिंचाई के लिए नहरें निकालने की बात पर बहुत ध्यान दिया था। ब्रिटिश शासकों ने भी भारत की इस समस्या को महत्त्व दिया। इसी कारण १८७४ में आगरा कैनल का, १८७८ में गंगा की नहर का, और १८८२ में पश्चिमी यमुना कैनल का निर्माण हुआ। गंगा-यमुना द्वारा सिंचित प्रदेशों में सिंचाई के लिये इन नहरों से बहुत सहायता मिली। १८९० ई० में चनाब नदी में एक बड़ी नहर पंजाब में निकाली गयी, जिससे बीस लाख एकड़ परती पडी हुई जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध हुआ। चनाब और रावी नदियों के बीच का बहुत-सा प्रदेश इस नहर के निकलने से पूर्व ऊँड़ पड़ा हुआ था। १९०१ तक इस प्रदेश में ८,००,००० मनुष्य आबाद हो गये थे, जो इस नहर की उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण है। बीसवीं

सदी में ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई की समस्या पर और अधिक ध्यान दिया। इसके परिणामस्वरूप पंजाब में सतलज-वेली प्रोजेक्ट, सिन्ध में सक्कर बेरेज, मद्रास में कावेरी-रिजर्वॉयर, बाम्बे में लायड-डाम और उत्तर प्रदेश में शारदा कैनल का निर्माण किया गया। नहरों के अतिरिक्त ट्यूबवेल बनाने पर भी सरकार ने ध्यान दिया, और इन सब प्रयत्नों के कारण कृषि की बहुत उन्नति हुई।

(५) डाक, तार और टेलीफोन के सम्बन्ध में जो उन्नति ब्रिटिश युग में हुई, उसका विशद रूप से उल्लेख कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है। ये सब जहाँ ब्रिटिश शासन की सुव्यवस्था के लिए अत्यन्त उपयोगी थे, वहाँ साथ ही जनता को भी इनसे लाभ उठाने का अवसर मिलता था। भौतिक उन्नति की अन्य अनेक बातों के समान डाक, तार और टेलीफोन भी आधुनिक युग की ही देन हैं। पाश्चात्य देशों में भी इनका विकास इसी युग में हुआ था। अंग्रेजी शासन में भारत को जिस प्रकार रेलवे प्राप्त हुई, वैसे ही डाक, तार और टेलीफोन की सुविधा भी प्राप्त हुई। इनसे भारत के व्यापार-व्यवसाय और भौतिक उन्नति में बहुत अधिक सहायता मिली।

रेलवे, पक्की सड़के, नहरें, जहाज, डाक, तार आदि भारत के आर्थिक जीवन में एक नया युग लाने में समर्थ हुए। इनके कारण जहाँ भारतीय जनता का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सम्पन्न बना, वहाँ साथ ही उसे व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्रों में उन्नति करने का भी अवसर मिला।

(२) व्यवसाय और व्यापार

ब्रिटिश लोगों ने भारत में अपना शासन स्थापित कर इस देश के व्यवसायों के सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण किया था, उसका निर्देश हम इसी अध्याय में ऊपर कर चुके हैं। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत शिल्प और व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी उन्नत दशा में था। इस देश में तैयार हुआ माल विदेशों में अच्छी बड़ी मात्रा में विकता था और यूरोप के बाजारों में बंगाल के वस्त्र की माँग बहुत अधिक थी। भारत के व्यापार से आकृष्ट होकर ही यूरोपियन लोगों ने यहाँ आना शुरू किया था। सत्रहवीं सदी के अन्त तक अंग्रेज लोग भारत के व्यापार से ही सन्तुष्ट रहे। पर अठारहवीं सदी में इंग्लैंड में व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और यान्त्रिक शक्ति का उपयोग कर वहाँ के कारखाने बड़ी अच्छी मात्रा में वस्त्र आदि तैयार माल उत्पन्न करने लगे। इधर जब भारत में अंग्रेज आधिपत्य स्थापित होने लगा, तो अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से यह प्रयत्न किया, कि वे अपने माल को भारत के बाजारों में बेचकर रुपया कमायें, और अपने देश के कारखानों के लिए आवश्यक कपास आदि कच्चा माल यहाँ से सस्ती कीमत पर प्राप्त करें। इस दशा में उन्होंने भारत के शिल्पों को नष्ट करने के लिए अनेक घृणित उपायों का प्रयोग किया। राजशक्ति का सहारा लेकर उन्होंने बंगाल के वस्त्र-व्यवसाय को नष्ट करने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयुक्त किया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन का एक हानिकारक परिणाम यह हुआ, कि भारत के पुराने व्यवसाय नष्ट होने लगे, और इस देश के बाजार इंग्लैंड के कारखानों में तैयार हुए माल से भर गए। अंग्रेज चाहते थे, कि भारत केवल कृषि-प्रधान देश बना रहे, ताकि

यहाँ के कच्चे माल को सस्ती कीमत पर खरीद सकना उनके लिए जरा भी कठिन न हो। इसी कारण उन्नीसवीं सदी के चतुर्थ चरण के प्रारम्भ होने तक भारत में व्यावसायिक उन्नति जरा भी न होने पाई। अंग्रेजी शासन की पहली सदी भारत के आर्थिक जीवन के लिये बहुत ही भयकर थी। इस काल में सरकार 'मुक्त-द्वार वाणिज्य' की नीति का अनुसरण करती थी, जिसके कारण भारत के कारखानों के लिये विदेशी प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला कर सकना सर्वथा असम्भव था। प्रथम तो इस युग में भारत में कारखानों का विकास हुआ ही नहीं था, पर परम्परागतत रूप में जो कतिपय शिल्प व व्यवसाय इस देश में विद्यमान थे, उनके लिये इंग्लैण्ड के यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले कारखानों का मुकाबला कर सकना असम्भव था। यूरोप में इस समय व्यावसायिक क्रान्ति हो चुकी थी। यद्यपि भारत में अभी उसका शीर्षण नहीं हुआ था, पर नये वैज्ञानिक आविष्कारों का लाभ भारत को भी पहुँचने लगा था। रेल, तार आदि के प्रवेश के कारण जनता की सुविधा में वृद्धि हो गयी थी। बिजली की रोशनी में कलकत्ता और बम्बई सहित ढाँडे शहर जगमगाने लगे थे। यातायात के लिये बिजली में चलने वाली ट्राम गाड़ियों का भी प्रयोग होने लगा था। ये सब बाने मनुष्यों व मनुष्य व सुविधा की वृद्धि में महायुक्त तो थी, पर पाश्चात्य संसार की वैज्ञानिक उन्नति का प्रयोग ब्रिटिश शासकों ने भारत की आर्थिक व व्यावसायिक उन्नति के लिये नहीं किया था। इसीलिये शुरू में जो नये ढंग के कारखाने भारत में खोले गये, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पडा।

कपड़े का पहला कारखाना भारत में १८१८ ई० में खुला था। पर इसके कारण भारत में वस्त्र-व्यवसाय के विकास का प्रारम्भ नहीं हो गया था। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग (१८५४ ई०) में जब बम्बई में कपड़े के कारखाने खुलने लगे, तभी वस्तुतः इस व्यवसाय का विकास शुरू हुआ। १८७७ ई० के बाद नागपुर, अहमदाबाद, गानापुर आदि अनेक स्थानों पर कपड़े की मिलें कायम हुईं। बग भग के कारण १९०५ में जब स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा, तो भारत के अनेक धनी व सम्पन्न लोगों का ध्यान व्यावसायिक उन्नति की ओर आकृष्ट हुआ, और अनेक नई मिलें खुलनी प्रारम्भ हुईं। पर इन मिलों के लिये सफल हो सकना सुगम नहीं था। भारत के बाजार पर अंग्रेजी कपड़े का प्रभुत्व था। लकाशायर और लिवरपूल की मिलें अपनी प्रभूत पूँजी और दीर्घ अनुभव के कारण जिस ढंग का कपड़ा तैयार करती थी, वैसा भारत की मिलें नहीं बना सकती थी। साथ ही, कीमत की दृष्टि से भी विलायती कपड़ा सस्ता पड़ता था। इस दशा में स्वदेशी मिलें तभी कामयाब हो सकती थी, जब कि सरकार उनकी सहायता करती, और संरक्षण नीति का उपयोग कर स्वदेशी मिलों की रक्षा करने के लिये तत्पर होती। पर भारत की ब्रिटिश सरकार ने मुक्त-द्वार वाणिज्य की नीति का अनुसरण किया। जब आर्थिक आमदनी की आवश्यकता से विवक्ष होकर सरकार ने अंग्रेजी माल के आयात पर कर लगाया, तो साथ ही भारतीय मिलों द्वारा तैयार किये गए माल पर भी उतनी ही एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ताकि आयात-कर के कारण स्वदेशी व्यवसायों को किसी प्रकार का लाभ न पहुँच सके। वस्तुतः, बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक अंग्रेजों को भारतीय व्यवसायों की उन्नति

का जरा भी ध्यान नहीं था। १९०५ के बाद जब जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति की, तो उसकी मिलों में तैयार हुआ सस्ता माल भारत के बाजारों में प्रचुर परिणाम में आने लगा। अंग्रेजी माल के लिये जापान और जर्मनी के सस्ते माल का मुकाबला कर सकना कठिन हो गया। विवग होकर सरकार के 'साम्राज्य-अन्तर्गत रियायती कर' (इम्पीरियल प्रिफरेंस) की नीति का प्रयोग किया, जिसके अनुसार साम्राज्य के बाहर के देशों के माल के मुकाबले में अंग्रेजी माल पर आयात-कर में रियायत की जाती थी। इस नीति के कारण अंग्रेजी माल का जर्मनी और जापान के माल के मुकाबले में सस्ता बिक सकना तो सम्भव हो गया, पर भारतीय व्यवसायों को इससे कोई मदद नहीं मिली।

१९१४-१८ के महायुद्ध में जर्मनी ब्रिटेन के शत्रुपक्ष का देश था। उनका माल तो इस काल में भारत आ ही नहीं सकता था, पर अंग्रेजी माल के लिये भी यहाँ आ सकना कठिन हो गया, क्योंकि शत्रुपक्ष के जगो जहाजों के आक्रमण में बचकर अंग्रेजी जहाजों का भारत में आ सकना सुगम नहीं था। इस दशा में भारतीय व्यवसायों को उन्नति का सुवर्णाय अवसर प्राप्त हो गया। भारत के बाजारों में अंग्रेजी माल की कमी हो गई, और भारतीय कारखानों का माल यहाँ प्रचुर परिमाण में दिखाई पड़ने लगा। ब्रिटेन के शत्रुपक्ष में तुर्की भी शामिल था। ईराक, सीरिया आदि भी इस काल में युद्ध-क्षेत्र बने हुए थे। वहाँ ब्रिटिश पक्ष के सैनिकों के लिये वस्त्र, जूत, युद्ध-सामग्री आदि जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, वे ब्रिटेन से नहीं आ सकते थे, क्योंकि भूमध्य सागर में शत्रु पक्ष के जहाज और पनडुब्बियों की प्रभुता थी। इस युद्धक्षेत्र के लिये आवश्यक सामग्री केवल भारत से ही निर्यात रूप में पहुँचायी जा सकती थी। इस दशा में अंग्रेजी सरकार ने भी भारतीय व्यवसायों को उन्नत करने की आवश्यकता को अनुभव किया। महायुद्ध के समय सरकार भी भारत की व्यावसायिक उन्नति के लिये उत्सुक हो गयी। महायुद्ध की समाप्ति पर वस्तुओं की कीमते बहुत बढ़ गयी थी। इस स्थिति का भी भारतीय कारखानों ने लाभ उठाया। परिणाम यह हुआ कि १९१६ ई० के बाद भारत की व्यवसायिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ हुई, और ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है, कि जिस ढंग की व्यावसायिक क्रान्ति का प्रादुर्भाव इंग्लैण्ड में अठारहवीं सदी में हुआ था, वैसे ही व्यावसायिक क्रान्ति का भारत में बीसवीं सदी में सूत्रपात हुआ। व्यावसायिक क्षेत्र में जर्मनी, जापान और रूस इंग्लैण्ड से प्रायः एक सदी पीछे रहे थे। पर भारत में यह प्रक्रिया प्रायः दो सदी के बाद शुरू हुई।

बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना के अनन्तर भारत में भी पूँजीपतियों और श्रमिकों की प्रायः उसी ढंग की समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जैसी कि इंग्लैण्ड आदि पाश्चात्य देशों में हुई थी। परिणाम यह हुआ, कि यहाँ भी श्रमी-सघो (ट्रेड यूनियन) की स्थापना हुई, और अनेक विचारशील व्यक्ति मजदूरों का संगठन करने और उनके हितों की रक्षा के लिये तत्पर हुए। इन लोगों के आन्दोलन के कारण सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाये, जिनका उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा में सुधार करना था। इन कानूनों के अनुसार कारखानों में मजदूरों से अधिक-से-अधिक कितने

घण्टे प्रति सप्ताह काम लिया जा सके, उनकी भूति की न्यूनतम दर क्या हो, बीमार पडने और चोट खा जाने की दशा में उन्हें क्या सुविधाएँ दी जाएँ—इस प्रकार की बहुत-सी बातों की व्यवस्था की गयी। व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में सोशलिज्म, कम्युनिज्म आदि नये आन्दोलन शुरू हुए, वैसे ही भारत में भी हुए, और यहाँ भी बहुत-से लोग वैयक्तिक सम्पत्ति और पूँजीवाद का अन्त कर आर्थिक संगठन में नई व्यवस्था का सूत्रपात करने के लिये कटिबद्ध होने लगे।

व्यावसायिक क्षेत्र के समान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ब्रिटिश युग में अच्छी उन्नति हुई। १८५५-६० के काल में भारत का विदेशी व्यापार ५२,००,००० रुपये वार्षिक के लगभग था। उस समय इंग्लैण्ड जाने वाले जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाया करते थे। १८६६ में जब स्वेज नहर बनकर तैयार हो गयी, तो समुद्र-मार्ग द्वारा पूर्व और पश्चिम का सम्पर्क बहुत सुगम हो गया। यूरोप आने-जाने वाले माल की हुलाई के खर्च में भी इससे बहुत कमी हुई। इस कारण भारत के विदेशी व्यापार में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई, और सन् १९०० तक उसकी मात्रा दो करोड़ रुपया वार्षिक तक पहुँच गई। महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद भारत का यह व्यापार और अधिक तेजी के साथ बढ़ा। १९२८-२९ तक इसकी मात्रा ६ करोड़ रुपया वार्षिक में भी ऊपर पहुँच गयी थी। बीसवीं सदी के प्रथम चरण तक भारत के विदेशी व्यापार में कच्चे माल (कपास, जूट, तिलहन, चाय आदि) का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में होता था, और उसके आयात माल में वस्त्र, बाइसिकल, रेडियो आदि तैयार माल का परिमाण बहुत अधिक था। ज्यो-ज्यो भारत में व्यावसायिक उन्नति होती गयी, वस्त्र सदन तैयार माल का आयात कम होता गया। भारत के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है, पर अब वह केवल कच्चे माल का ही निर्यात नहीं करता, उसके तैयार माल की भी विदेशी बाजारों में अच्छी माँग है।

इस अध्याय में हमने ब्रिटिश युग में हुई भौतिक उन्नति का अत्यन्त संक्षिप्त रूप से निर्देश किया है। भौतिक व आर्थिक दशा का किसी भी देश की सम्यता एवं सन्कृति के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। कृषि-प्रधान देश की संस्कृति की तुलना में व्यवसाय-प्रधान देश की संस्कृति अनेक अंशों में भिन्न होती है। रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो और यान्त्रिक शक्ति से संचालित कारखानों ने जहाँ भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डाला है, वहाँ साथ ही यहाँ की जनता की मानसिक दशा को भी परिवर्तित किया है। आज भारत में समाजवाद-सम्बन्धी जो अनेक आन्दोलन चल रहे हैं, वे इसी आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक क्रान्ति के परिणाम हैं। इन आन्दोलनों ने भारत के धार्मिक, सामाजिक व नैतिक विचारों को भी अनेक अंशों में परिवर्तित किया है। आज जो भारत में बहुत-से लोग पुरानी रूढ़ियों, बद्धमूल धारणाओं और विश्वासों का परित्याग कर एक नये समाज के निर्माण की कल्पना को सम्मुख रखकर कार्य करने के लिये तत्पर हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण वे समाजवादी आन्दोलन भी हैं, जो भौतिक उन्नति और व्यावसायिक क्रान्ति के कारण इस देश में विकसित हो रहे हैं।

इकतीसवां अध्याय

राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक स्वाधीनता

(१) राष्ट्रीय चेतना

राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिक युग की मुख्य विशेषताएँ राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद की भावनाएँ हैं। मध्यकाल में न राष्ट्रीयता की भावना थी, न स्वाधीनता की और न लोकतन्त्रवाद की। जर्मनी, फ्रांस आदि पाश्चात्य देशों में भी तब राष्ट्रीय अनुभूति का अभाव था। प्रशिया और बवेरिया के निवासी अपने को जर्मन न मानकर प्रशियन व बवेरियन समझते थे। ग्रेट ब्रिटेन तक में स्काटलैण्ड और वेल्स के निवासी अपने को इंग्लिश लोगों से भिन्न मानते थे। राष्ट्रीय भावना के अभाव में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विचार भी मध्य युग में विकसित नहीं हुआ था। आस्ट्रिया का साम्राज्य स्पेन, इटली आदि देशों का भी स्वामी हो सकता था, और किसीको इसमें कोई असाधारणता अनुभव नहीं होती थी। जर्मनी के अन्यतम प्रदेश का राजा ब्रिटेन के राजसम्राज्य पर भी आरुढ़ हो सकता था, और दोनों राज्यों के निवासियों की दृष्टि में इसमें कोई अनीचित्य नहीं था। जिन लोगों की भाषा, धर्म, ऐतिहासिक परम्परा और रीति-रिवाज आदि एक हो, उनका अपना एक पृथक् राज्य होना चाहिये, और उस राज्य पर किसी विदेशी राजा का शासन नहीं होना चाहिये—यह विचार मध्ययुग में विद्यमान ही नहीं था। लोकतन्त्रवाद की तो कल्पना भी सत्रहवीं सदी तक यूरोप में उत्पन्न नहीं हुई थी। सर्वत्र किसी एक निरकुश व स्वेच्छाचारी राजा या किसी कुलीन श्रेणी का शासन था। फ्रांस की राज्यक्रान्ति ने इन स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, और राष्ट्रीयता, स्वाधीनता व लोकतन्त्रवाद के विचारों ने जोर पकड़ना शुरू किया। उन्नीसवीं सदी में ये विचार निरन्तर प्रबल होते गये, और अब वह समय आ चुका है, जबकि यूरोप के विविध राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार हो गया है, और इन राज्यों में जनता का अपना शासन कायम है।

इस दशा में ब्रिटिश आधिपत्य के सूत्रपात के समय अठारहवीं सदी में यदि भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना, स्वाधीनता के विचार और लोकतन्त्रवाद का अभाव रहा हो, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पाश्चात्य जगत् में आधुनिकता की जिन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव इस काल में हो रहा था, वे न केवल यूरोप को अगिनु ससार के अन्य देशों को भी प्रभावित कर रही थी। भारत भी इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से छद्मता नहीं रहा। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य से परिचय के कारण भारत में इन प्रवृत्तियों को बल मिला। धार्मिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों के निवारण, भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान और नई शिक्षा द्वारा भारत में जो नवजागरण हो रहा था, उसने राजनीतिक क्षेत्र में भी जागृति उत्पन्न की, और भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना प्रादुर्भूत होनी शुरू हुई।

सन् १८८३ में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था करने की योजना बनाई कि भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में यूरोपियन लोगों के मुकदमों में विचारार्थ पेश किये जा सकें। इससे पूर्व यूरोपियन लोगों के मुकदमों का फैसला यूरोपियन जजों द्वारा ही किया जाता था। पर सन् ५७ की राज्य-क्रान्ति के बाद जब भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश राजा और उसकी सरकार के हाथों में आ गया, तो शासन-कार्य में भारतीयों के सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया। इसी कारण अनेक सुशिक्षित भारतीय न्यायाधीश आदि के पदों पर नियुक्त किये जाने लगे। १८८३ ई० में इल्बर्ट बिल द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी, कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन लोगों के मुकदमों पर भी विचार कर सकें। पर भारत में निवास करने वाले यूरोपियन लोगों को यह बात असह्य थी। वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि उन्हें किसी काले आदमी के सम्मुख पेश होना पड़े। परिणाम यह हुआ, कि यूरोपियन लोगों ने इस बिल के विरुद्ध घोर आन्दोलन शुरू कर दिया। यूरोप के लिये इस ढंग का आन्दोलन कोई नई बात नहीं थी। इससे कुछ समय पूर्व इंग्लैंड में चार्टिस्ट आन्दोलन बहुत जोर पकड़ चुका था, और राजनीतिक आन्दोलन द्वारा अपनी बात को मनाने का प्रयत्न करना इंग्लिश लोगों के लिये कोई असाधारण बात नहीं थी। इल्बर्ट बिल के विरुद्ध यूरोपियन लोगों के आन्दोलन ने इतना जोर पकड़ा, कि अन्त में सरकार को उसके सम्मुख झुकना पड़ा। बिल में ऐसे संशोधन किये गये, जिनसे भारत के यूरोपियन निवासी सन्तोष अनुभव कर सकें।

भारत के शिक्षित वर्ग के लिये यूरोपियन लोगों का यह आन्दोलन एक उदाहरण बन गया। उन्होंने अनुभव किया, कि राजनीतिक आन्दोलन में इतनी अधिक शक्ति होती है, कि उसके सम्मुख सरकार को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने सोचा, कि यदि भारतीयों को भी संगठित किया जा सके, और उनकी सम्मिलित आवाज को सरकार तक पहुँचाया जा सके, तो उसका परिणाम अवश्य निकलेगा। इसीलिये १८८५ में (इल्बर्ट बिल के विरुद्ध यूरोपियन आन्दोलन शुरू होने के केवल दो साल बाद) इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गयी, जो धीरे-धीरे भारत की सर्वप्रधान राजनीतिक शक्ति बन गयी। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि १८८५ में कांग्रेस भारत की सर्व-साधारण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इस काल में जन-साधारण में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। समाज-सुधार व धार्मिक सुधार के जो विविध आन्दोलन भारत में नवजागरण उत्पन्न कर रहे थे, उनके कारण जनता अपने देश की पराधीनता और राजनीतिक दुर्दशा का अनुभव करने लगी थी। उसका ध्यान भारत के लुप्त गौरव की ओर भी आकृष्ट होने लगा था, और वह यह भी सोचने लगी थी, कि एक बार फिर भारत को अपने पुराने गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करना चाहिये। पर इसके लिये किसी ऐसी राजनीतिक संस्था का अभी संगठन नहीं हुआ था, जो जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास कर उसे स्वराज्य प्राप्ति के सघर्ष के लिये तैयार करे। राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता की आकांक्षा इस समय दो रूपों में प्रकट होने लगी थी। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' जैसी सभाओं में एकत्र होकर व्याख्यान देते थे, प्रस्ताव पास करते थे और सरकार की सेवा में भोजन के लिए आवेदन-पत्र तैयार

करते थे। इसके विपरीत कुछ देशमत्त लोग क्रान्तिकारी समितियों का संगठन कर शास्त्रबल के प्रयोग द्वारा ब्रिटिश शासन का अन्त करने की तैयारी में तत्पर थे, और इसके लिये उन्हें अपने प्राणों की आहुति देने में कोई संकोच नहीं था। उन्नीसवीं सदी के अन्त में भारत की राष्ट्रीय चेतना का यही स्वरूप था। सर्वसाधारण जनता में अग्नी स्वाधीनता की आकांक्षा संगठित रूप में उत्पन्न नहीं हुई थी।

(२) स्वराज्य आन्दोलन

जनता में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने और स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। १८८५ ई० में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वह जनसाधारण की संस्था नहीं थी, और न ही उसका उद्देश्य ब्रिटिश आधिपत्य का अन्त कर स्वराज्य स्थापित करना था। १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस का यही रूप रहा, कि हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में देश के सुशिक्षित और सार्वजनिक जीवन का शौक रखने वाले लोग किसी बड़े शहर में एकत्र होते थे, और सरकार के कार्यों में भारतीयों के सहयोग में वृद्धि के लिए आन्दोलन करते थे। १९०५ ई० में बग भग के प्रश्न पर बहुत उत्तेजना फैली, और अनेक देश-भक्त लोग उग्र उपायों द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए अग्रसर हुए। सन् १९०५ का भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। इसी समय कांग्रेस में एक नये दल का प्रादुर्भाव हुआ, जो केवल भाषण देने व प्रस्ताव पास करने पर ही विश्वास नहीं करता था, अपितु स्वराज्य-प्राप्ति के लिए क्रियात्मक पग उठाने की नीति का प्रतिपादक था। इसे 'गरम दल' कहते थे, इसके मुकाबले पर पुराने कांग्रेसी लोगों को 'नरम' कहा जाता था। कांग्रेस के गरम दल के प्रधान नेता बाल गंगाधर तिलक, साजपतराय और विपिनचन्द्र पाल थे। ये नेता भारत में घूम-घूम कर राजनीतिक चेतना और स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील थे, और विदेशी सरकार का विरोध करना अपना कर्तव्य समझते थे। पंजाब और महाराष्ट्र में जो अनेक क्रान्तिकारी आन्दोलन इस समय चल रहे थे, गरम नेताओं की दृष्टि में उनका भी उपयोग था। परिणाम यह हुआ, कि नरम और गरम दलों के मतभेद ने उग्र रूप धारण कर लिया, और १९०७ में हुई सूरत की कांग्रेस में इन दलों में फूट पड़ गयी।

१९१४-१८ के महायुद्ध में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला। इस युद्ध में ब्रिटिश पक्ष के लोग यही कहते थे, कि वे राष्ट्रीयता, स्वाधीनता और लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों को सम्मुख रखकर रणक्षेत्र में उतरे हैं, और उनका उद्देश्य आस्ट्रिया-हंगरी, जर्मनी और तुर्की के स्वेच्छाचारी शासनों का अन्त कर राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद के अनुसार यूरोप का पुनर्निर्माण करना ही है। भारत की जनता में इन विचारों द्वारा नवस्फूर्ति का संचार हुआ। ब्रिटिश लोगों ने भी उसे यह आश्वासन दिया, कि युद्ध की समाप्ति पर वे भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में कोई कसर नहीं उठा रहेंगे। यही कारण था, जिससे कांग्रेस ने युद्ध-प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का उत्साहपूर्वक साथ दिया, और महात्मा गांधी जैसे नेता ने सेना में रंगरूट भरती करने में सहायता की। पर महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाएँ पूर्ण नहीं हो

पाई, और ब्रिटिश सरकार की कृपा पर आश्रित रह के स्वराज्य प्राप्ति की आशा छोड़ कर उन्होंने अपने बल द्वारा स्वतन्त्र होने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस समय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया था। उन्होंने १९२०-२१ में असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ किया, जिसका उद्देश्य विदेशी सरकार से असहयोग करना था। इसके कारण सागरे भारत में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गयी। खिलाफत के प्रश्न को लेकर मुसलमान भी अच्छी बड़ी संख्या में इस आन्दोलन में शामिल हुए। यद्यपि दमन-नीति का प्रयोग कर सरकार इस आन्दोलन को कुचलने में सफल हुई, पर इसके कारण राष्ट्रीय चेतना व स्वराज्य की आकांक्षा सर्वसाधारण जनता तक पहुँच गई। गांधी जी के नेतृत्व की भारत को सबसे बड़ी देन यही है, कि उन्होंने स्वराज्य आन्दोलन को सर्वसाधारण जनता तक पहुँचा दिया। अंग्रेज असहयोग आन्दोलन को कुचलने में तो समर्थ हुए थे, पर इससे देश में अशांति दूर नहीं हो गई थी। विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने १९२७ में मरदान साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसे भारत में शासन-सुधार सम्बन्धी परामर्श देने का काम सौंपा गया। इस कमीशन के सब सदस्य अंग्रेज थे। उसमें यह आशा नहीं की जा सकती थी, कि वह भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को भली-भाँति समझ सकेगा। कांग्रेस ने उसका विहिष्कार किया, और किसी महत्वपूर्ण नेता ने उसके सम्मुख गवाही नहीं दी। साइमन कमीशन जहाँ भी गया, कांठ भण्डों में उसका स्वागत किया गया। इन कमीशन की रिपोर्ट में भारत में किती की भी मन्तोप नहीं हुआ। १९२६ में पण्डित जवाहर लाल के गभारनित्व में कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना को ही अपना उद्देश्य निश्चित किया। मार्च, १९३० में महात्मा गांधी ने गन्धायह आन्दोलन शुरू किया, जिनके लिए उन्होंने तमक-कानून को तोड़ने का कार्यक्रम बनाया।

इसी समय कांग्रेस ने यह भी आन्दोलन किया, कि विदेशी वस्त्र की दुकानों और गणब की भट्टियों पर धरना दिया जाए, और किसान सरकार को मालगुजारी अदा न करे। शीघ्र ही मत्याग्रह-आन्दोलन मार देश में फैल गया, और जेल जाने वाले वीर देशभक्तों की संख्या एक लाख तक पहुँच गई। सरकार ने देशभक्त मत्याग्रहियों पर घोर अन्याय किए। १९२०-२१ के असहयोग-आन्दोलन और १९३०-३१ के मत्याग्रह आन्दोलन का परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण जनता में अत्याय का प्रतिरोध करने की शक्ति और स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न हो गई।

१९३६-४५ के महायुद्ध से भारत के स्वराज्य-संग्राम को बहुत बल मिला। १९४२ के अग्रस्त मास में कांग्रेस ने विदेशी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए अधिक उग्र उपायों का अनुसरण करने का निश्चय किया। कई स्थानों पर तो जनता खुलेतौर पर विद्रोह के लिए उतारू हो गई। यद्यपि ब्रिटिश शासक अस्त्र-शक्ति का उपयोग कर इस क्रान्ति को कुचलने में सफल हुए, पर इससे कारण इतनी अधिक जागृति उत्पन्न हो गई थी, कि अंग्रेजों के लिए भारत को अपनी अधीनता में रख सकना सम्भव नहीं रह गया था।

भारत को स्वतन्त्र कराने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। पर साथ ही क्रान्तिकारी युवकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विप्लववादी उपाय प्रयुक्त

किए, उनका महत्त्व भी कम नहीं है, यद्यपि शस्त्र-बल का प्रयोग कर अंग्रेजी शासन को नष्ट कर सकना सम्भव नहीं था। पर इन देशभक्तों के कार्यों से जनता में उत्साह और जागृति उत्पन्न होने में बहुत अधिक सहायता मिलती थी। लाहौर में सान्डर्स की हत्या, किसी अंग्रेज अफसर पर बम्ब पात, दिल्ली की असेम्बली के भवन में बम्ब फटना क्रान्ति-कारियों द्वारा रेलगाड़ियों को लूट लेना—ये ऐसी घटनाएँ होती थी, जिन्हें पढ़कर भारतीय जनता का हृदय पुलकित हो जाता था।

१९३९-४५ के महायुद्ध के समय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सेना का संगठन कर जापान और जर्मनी की सहायता से ब्रिटिश शासन का अन्त करने का प्रयत्न किया। महायुद्ध में ब्रिटिश पक्ष की विजय होने के कारण यद्यपि नेताजी को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली, पर इसका महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि ब्रिटेन की भारतीय सेना में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो गई। भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य आधार भूत मेना ही थी, जिसके सैनिक घन की लालमा से विदेशी जामन की सहायता करते थे। जब उन्होने में राष्ट्रीय जागृति और स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न हो गई, तो अंग्रेजों के लिए भारत को अपनी अधीनता में रख सकना असम्भव हो गया।

(३) मुस्लिम राष्ट्रीयता

हममें सन्देह नहीं, कि अफगान और मुसलिम शासकों के शासन काल में हिन्दुओं और मुसलमानों में अनेक दृष्टियों से सामंजस्य उत्पन्न हो गया था। धर्म, भाषा, रहन-सहन, नीति-रिवाज आदि अनेक क्षेत्रों में वे एक-दूसरे के बहुत समीप आ गए थे। यदि ब्रिटिश युग में हिन्दू-मुस्लिम सामंजस्य की यह प्रक्रिया जारी रहती, और भारत में नव जागरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह हिन्दुओं और मुसलमानों में एकानुभूति विकसित करने में सहायक होती, तो भारत के इन दो प्रधान धर्मों के अनुयायी राष्ट्रीय दृष्टि से भी एक हो सकते। पर ब्रिटिश युग में यह नहीं हो पाया। नवजागरण, धार्मिक सुधारणा, राजनीतिक शिक्षा और चेतना, ये सब हिन्दुओं और मुसलमानों को एक दूसरे में पृथक् करने में सहायक हुए। हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने वाले तत्त्वों का हम प्रसंग में उल्लेख करना उपयोगी है।

(१) ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज, प्रार्थना-समाज, रामकृष्ण मिशन आदि नये धार्मिक आन्दोलनों ने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हिन्दुओं में नवजागरण उत्पन्न किया। यद्यपि ये सभी आन्दोलन भारतीय जनता की एकता के पक्षपाती थे, पर इनका प्रभाव मुख्यतया हिन्दुओं पर ही पड़ा। ये सब आन्दोलन हिन्दू धर्म में नवजागृति उत्पन्न करने में सहायक हुए, और इन्होंने धर्म का एक ऐसा रूप जनता के सम्मुख रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए सम्मिलित हो सकना सम्भव नहीं था। मध्य युग में कबीर और नानक सदृश सन्त-महात्माओं ने जो धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किए थे, उनका आधार केवल वेद शास्त्र ही नहीं थे। उनकी शिक्षाओं और वाणियों में सब धर्मों के विशिष्ट तत्त्वों का समावेश था। पर उन्नीसवीं सदी के हिन्दू धार्मिक आन्दोलन वेद-शास्त्रों के महत्त्व पर जोर देते थे। आर्य समाज की तो स्थापना ही वेदों के पुनरुद्धार के लिए हुई थी। ब्राह्म समाज की उपासना भी वैदिक मंत्रों और उपनिषदों पर आश्रित

थी। रामकृष्ण मिशन के सर्वप्रसिद्ध प्रचारक विवेकानन्द भी वेदान्त के गौरवपूर्ण व उत्कृष्ट सिद्धान्तों को देश-विदेश के लोगों के सम्मुख लाने के लिए प्रयत्नशील थे।

(२) नवजागरण का प्रभाव मुसलमानों पर न पड़ता, यह सम्भव नहीं था। पर उनमें जागरण की जो प्रवृत्ति प्रादुर्भूत हुई, वह सर्वथा स्वतन्त्र रूप में थी। अठारहवीं सदी में जब मुसलिम राज-शक्ति का पतन हुआ, तो अनेक मौलवियों के हृदय में इस्लाम की दुर्दशा की अनुभूति उत्पन्न हुई। देहली के मुहम्मद शाह वलीउल्ला सदृश कितने ही मुसलिम नेता इस्लाम के लुप्त गौरव का पुनरुद्धार करने के लिये उतावले हो उठे। वलीउल्ला के अन्यतम शिष्य अहमद शाह ने बहावी सम्प्रदाय की नींव डाली, जिसका उद्देश्य इस्लाम की कमजोरियों को दूर कर मुसलमानों में नवजीवन व स्फूर्ति का संचार करना था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को बहावी लोग बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। १८५७ की राज्यक्रान्ति में उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पर बहावी लोगों को भारत की दुर्दशा का उतना ध्यान नहीं था, जितना कि इस्लाम की दुरवस्था का। इस आन्दोलन ने इस्लाम में स्फूर्ति का संचार अवश्य किया, पर मुसलमानों को हिन्दुओं से दूर करने में भी सहायता की।

(३) सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ को केन्द्र बनाकर एक नये मुसलिम आन्दोलन का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार करना, और उन्हें भारत की राज-शक्ति के उपभोग में हाथ बँटाने के लिये तैयार करना था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा की उपेक्षा की थी। इसके विपरीत हिन्दुओं ने अंग्रेजी पढ़कर नये ज्ञान-विज्ञान को सीख लिया था, और भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उनका महत्त्व निरन्तर बढ़ता जाता था। १८७५ में सर सैयद ने अलीगढ़ में एंग्लो-ओरियंटल कालेज की स्थापना की, और मुसलिम जनता में नवजागरण का प्रारम्भ किया, जिससे इस वर्ग में नई स्फूर्ति और आशा का संचार हुआ। भारत भर के मुसलमान अलीगढ़ को अपना केन्द्र मानने लगे। बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई आदि प्रान्तों के मुसलिम युवक अलीगढ़ में पढ़ने के लिये आने लगे, और वहाँ रहने से उनमें एक भाषा, एक रहन-सहन, एक विचारसरणी और एक संस्कृति का विकास होने लगा। अलीगढ़ में स्कूल विभाग के लिये शिक्षा का माध्यम उर्दू को बनाया गया, और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये उर्दू का ज्ञान आवश्यक कर दिया गया। अलीगढ़ का विद्यार्थी चाहे भारत के किसी भी भाग का निवासी हो, वह उर्दू को अपनी भाषा समझने लगा। इसका परिणाम यह हुआ, कि भारत भर के शिक्षित मुसलमान उर्दू को अपनी धार्मिक व राष्ट्रीय भाषा मानने लगे। रहन-सहन, भाषा, विचारसरणी आदि की एकता के कारण जहाँ अलीगढ़ के वातावरण में पले हुए मुसलमान अपने को एक जाति व एक राष्ट्र का अंग समझते थे, वहाँ उनमें यह अनुभूति भी उत्पन्न होने लगी, कि वे हिन्दुओं से पृथक् हैं।

(४) भारत के नवजागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि विविध जातियों व सम्प्रदायों में अपनी पृथक्-पृथक् शिक्षा-संस्थाएँ खोलने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ। मुसलमानों के मुहम्मदन एंग्लो-ओरियंटल कालेज के समान, दयानन्द एंग्लोवैदिक कालेज, सनातन धर्म कालेज, खालसा कालिज आदि शिक्षा-

संस्थाओं की स्थापना शुरू हुई, जिनमें नवीन शिक्षा के साथ-साथ अपने धर्म, सम्प्रदाय आदि की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। इस्लामिया कालेजों के विद्यार्थी जहाँ उर्दू को अपनी भाषा समझते थे, और इस्लाम के उत्कर्ष को अपना ध्येय मानते थे, वहाँ डी० ए० बी० कालेजों के विद्यार्थियों को हिन्दी की शिक्षा दी जाती थी, और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का आदर्श उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था।

(५) उन्नीसवीं सदी का अन्त होते-होते प्रार्य समाज ने गुरुकुलों की स्थापना शुरू कर दी थी। सनातनी और जैनी लोग भी उनकी देखादेखी अपने 'कुल' स्थापित करने में तत्पर थे। देवबन्द आदि में मुसलमानों ने भी ऐसे मदरसे कायम कर लिये थे, जो इस्लाम की शिक्षा को ही संसार के लिये आदर्श व कल्याणकारी मानते थे। ये सब संस्थाएँ भारत के नवजागरण में सहायक अवश्य थी, पर साथ ही इनके कारण हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच की खाई अधिकाधिक चौड़ी होती जाती थी। देहात के रहने वाले हिन्दू और मुसलमान एक भाषा बोलते थे। उनके विचार करने का ढंग एक सदृश था, उनके रहन-सहन में भी विशेष अन्तर नहीं था। पर जब ये देहाती बालक गुरुकुल कागडी या देवबन्द में पढ़कर बाहर निकलते थे, तो वे एक दूसरे से भिन्न दो पृथक् संस्कृतियों के मूर्तरूप बन जाते थे। एंग्लो-प्रोरियटल कालेज और दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेज के विद्यार्थियों की संस्कृति में भी इसी प्रकार का भेद आ जाता था। शिक्षा का प्रचार हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को घटाने के स्थान पर उसे बढ़ा रहा था। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन के परिणामस्वरूप जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षणानुसंधी की स्थापना का प्रयत्न शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों को एक नहीं कर सका। दिल्ली की 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया' मुसलिम राष्ट्रीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी, और काशी का 'काशी विद्यापीठ' हिन्दू राष्ट्रीय शिक्षा का। कांग्रेस की दृष्टि में दोनों ही संस्थाएँ राष्ट्रीय शिक्षा देती थी, पर इनके विद्यार्थियों में विदेशी शासन का अन्त करने की इच्छा समान रूप से विद्यमान होते हुए भी संस्कृति की दृष्टि से वे एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। राष्ट्रीय शिक्षा भी हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को दूर करने में असमर्थ ही रही।

(६) राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन भी इन दो जातियों को एक करने में समर्थ नहीं हुआ। सर सैयद अहमदल और उनके अनुयायी भली-भाँति अनुभव करते थे, कि भारत में मुसलिम लोग अल्प संख्या में हैं। लोकतन्त्रवाद पर आश्रित स्वराज्य के स्थापित हो जाने का परिणाम यह होगा, कि मुसलमान अल्प संख्या में होने के कारण हिन्दुओं के वशवर्ती बने रहेंगे। इसीलिये उन्होंने मुसलिम-हितों की रक्षा का आन्दोलन खड़ा किया, और १९०६ में मुसलिम लीग के रूप में अपनी पृथक् राजनीतिक संस्था का संगठन किया। १९१६ में कांग्रेस और लीग में समझौता अवश्य हुआ, पर उसके कारण भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने विधान सभाओं में हिन्दुओं और मुसलमानों के पृथक् प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकृत कर लिया, जिससे इन दो धर्मों के लोगों में अपनी पृथक् अनुभूति ने राजनीतिक रूप प्राप्त कर लिया।

(७) गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने जनसाधारण में राजनीतिक चेतना

के प्रादुर्भाव का प्रयत्न किया, तो मुसलमानों को अपने साथ लेने के लिये उन्होंने 'खिलाफत आन्दोलन' को अपनाया। तुर्की में खिलाफत के पुनरुद्धार का विचार मुसलमानों को बहुत आकर्षक प्रतीत होता था, और वे इसी कारण बड़ी सख्या में कांग्रेस में शामिल हुए। १९२०-२२ के कांग्रेस आन्दोलन में मुसलिम स्वयंसेवक अरबी पोशाक पहनकर शामिल होते थे और खिलाफत पर व्याख्यान देते थे। गांधी टोपी धारण किये हुए हिन्दू-लोग अरबी पोशाक पहने हुए मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की प्रशंसा करते थे। इस युग में उन्हें यह अनुभव करने का अवकाश नहीं था कि मुसलिम राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता से किस प्रकार भिन्न है, और मुसलमान किस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नये मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर हैं।

इन्हीं सब बातों का यह परिणाम हुआ, मुसलमान हिन्दुओं से पृथक् होते गये। मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र है, यह विचार उनमें निरन्तर विकसित होता गया। इसी कारण पाकिस्तान का पृथक् रूप से निर्माण हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना ने उन प्रवृत्तियों को मूल रूप प्रदान किया, जो ब्रिटिश युग में निरन्तर विकाम को प्राप्त करती रही थी।

उपसंहार—अगस्त १९४७ में स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत में एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। संसार के अन्य देशों के समान भारत में भी अब लोकतन्त्र-वाद पर आश्रित स्वराज्य सरकार की स्थापना हो गई है, और सामाजिक मुद्धार, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक शक्ति आदि सब क्षेत्रों में भारत उन्नति के पथ पर नेजी के साथ पग बढ़ा रहा है। आधुनिक युग की सब विशेषणाएँ इस समय भारत में विकसित हो रही हैं। बड़ी-बड़ी नहरों के निर्माण और जमींदारी प्रथा के अन्त के कारण कृषि के क्षेत्र में तेजी के साथ उन्नति हो रही है। यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले विशालकाय कारखानों की स्थापना से देश में व्यावसायिक क्रान्ति हो रही है, और भारत अब 'कृषि प्रधान' देश न रहकर 'व्यवसाय-प्रधान' होता जाता है। धर्म के क्षेत्र में भी संसार के लोग भारत के अध्यात्म-चिन्तन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, और बुद्ध व गांधी सद्गुरु महात्माओं के सत्य एवं अहिंसा आदि के आदर्श संसार में नई आशा का संचार कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल-तत्त्व अब संसार के उन्नत व मर्म्य लोगों के लिये भी आकर्षण की चीज बनते जा रहे हैं।

भारतीय संस्कृति द्रविड, आर्य, वीड, यवन, शक, हूण, अफगान, मुगल और ब्रिटिश संस्कृतियों के तत्त्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। यद्यपि इसकी मूल व मुख्य धारा आर्य है, पर यवन, शक, मुसलिम व ईसाई धाराओं ने भारतीय संस्कृति की इस मूल धारा को समृद्ध व विशाल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। समन्वय और सामंजस्य की भावना भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का आदर्श भारत की संस्कृति की इसी विशेषता का परिचायक है। ब्रिटिश शासन के कारण भारत को पाश्चात्य संसार के भौतिकवाद से परिचित होने का मुवर्णाय अवसर प्राप्त हुआ, पर इससे उसने अपने अध्यात्मवाद को सर्वथा भुला नहीं दिया। अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के समन्वय द्वारा यदि भारत एक नई संस्कृति के विकास में समर्थ हो सका, तो यह संस्कृति संसार के सुख व शान्ति में सहायक होगी, यह निर्विवाद है।

